चतुर्दश माला, खंड 35, अंक 9

बुधवार, 10 दिसम्बर, 2008
19 अग्रहायण, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र (भाग-दो)
(चौदहवीं लोक सभा)



Gazet[illegible]
Parliament [illegible]
Room [illegible]
Block [illegible]
Acc. No. 35-9
Dated 28 OCT 2009

(खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

राकेश कुमार
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 35, चौदहवां सत्र (भाग दो), 2008/1930 (शक)]

अंक 9, बुधवार, 10 दिसम्बर, 2008/19 अग्रहायण, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1–6
प्रश्नों के लिखित उत्तर	6–1448
तारांकित प्रश्न संख्या 121 से 140 (27.10.2008)	6–55
तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 160 (29.10.2008)	56–115
तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 180 (10.12.2008)	115–177
अतारांकित प्रश्न संख्या 1229 से 1370 (27.10.2008)	177–522
अतारांकित प्रश्न संख्या 1371 से 1532 (29.10.2008)	522–909
अतारांकित प्रश्न संख्या 1533 से 1762 (10.12.2008)	909–1448
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (27.10.2008)	1449
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (29.10.2008)	1450
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (10.12.2008)	1451
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (27.10.2008)	1452–1455
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (29.10.2008)	1456–1460
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (10.12.2008)	1461–1466
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (27.10.2008)	1467–1468
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (29.10.2008)	1467–1468
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (10.12.2008)	1469–1470
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (27.10.2008)	1469–1470
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (29.10.2008)	1471–1472
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (10.12.2008)	1471–1474

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष
श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष
श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका
श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव
श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 10 दिसम्बर, 2008/19 अग्रहायण, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, वर्तमान संसद सदस्य चौ. मुनव्वर हसन तथा अपने दो भूतपूर्व सहयोगियों, श्री तैयब हुसैन और श्री अजीत कुमार पांजा के दुखद निधन की सूचना देनी है।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह वर्ष 1971 से 1977 तक पांचवीं लोक सभा; 1980 के दौरान सातवीं लोक सभा तथा 1988 से 1996 तक आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने पांचवीं लोक सभा के दौरान उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का तथा सातवीं लोक सभा में और लोक सभा का उपचुनाव जीतकर आठवीं लोक सभा में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने नौवीं तथा दसवीं लोक सभा के दौरान उत्तर प्रदेश के फतेहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह 1983 से 1988 तक उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

इससे पूर्व विश्वनाथ प्रताप सिंह 1969 से 1971 तक तथा 1981 से 1983 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के भी सदस्य रहे। वह 1980 से 1981 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य भी रहे। वह 1980 से 1982 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे।

एक कुशल प्रशासक, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 1974 से 1976 तक केन्द्रीय वाणिज्य उपमंत्री और 1976 से 1977 तक केन्द्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री रहे। सातवीं लोक सभा के दौरान वह 1983 से 1984 तक केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री रहे। वह आठवीं लोक सभा के दौरान, दिसम्बर 1984 से जनवरी 1987 तक केन्द्रीय वित्त मंत्री रहे तथा जनवरी से अप्रैल, 1987 तक केन्द्रीय रक्षा मंत्री रहे।

नौवीं लोक सभा के आम चुनावों के बाद श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह लोक सभा में बहुमत हासिल करने वाले गठबंधन के नेता बने तथा उन्होंने 2 दिसम्बर, 1989 से 10 नवम्बर, 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अनेक लोक हितकारी कार्य शुरू किए जो उनकी आदर्शवादिता तथा एक दूरदर्शी राजनेता के रूप में समतावादी समाज का सपना संजोने वाले व्यक्तित्व का परिचायक थी। केन्द्र सरकार की नौकरियों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना एक ऐसा ही कदम था। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन पर जोर देने के कारण उन्हें चारों ओर से प्रशंसा मिली। उन्होंने, स्वयं सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के मानदंड स्थापित किए। आचार्य विनोबा भावे से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी पारिवारिक भूमि का एक बड़ा भाग, भूदान आन्दोलन में भूमिहीनों को दान कर दिया।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के अति सम्माननीय राजनीतिक नेताओं में से थे। अप्रतिम साहस के धनी श्री सिंह अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग रहते थे और उन्होंने परिणामों की कभी परवाह नहीं की। चित्रकारी और कविता के प्रति भी उनका रुझान था और उन्होंने इनमें पारंगतता भी हासिल की।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के निधन से, देश के राजनीतिक इतिहास में एक बेहतरीन युग का अन्त हो गया है। उनके निधन से देश ने गरीबों और वंचित लोगों का मसीहा तथा एक ऐसा नेता जो कि धर्म-निरपेक्षता और जातिहीन समाज का पक्षधर था, खो दिया है।

लम्बी बीमारी के पश्चात् श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का निधन 77 वर्ष की आयु में 27 नवम्बर, 2008 को नई दिल्ली में हुआ।

माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने वर्तमान युवा सदस्य और अतिप्रिय सहयोगी चौ. मुनव्वर हसन के आकस्मिक निधन की सूचना देते हुए अत्यन्त दुःख हो रहा है जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इससे पूर्व वह वर्ष 1996 से 1997 तक ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

चौ. हसन वर्ष 1998 से 2003 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1991 से 1996 के दौरान वह दो बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य भी रहे।

चौ. हसन ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान रेल संबंधी समिति; आवास समिति; परिवहन और पर्यटन संबंधी समिति तथा कृषि संबंधी समिति के सदस्य रहे। चौदहवीं लोक सभा के दौरान वह संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति तथा श्रम संबंधी समिति के सदस्य रहे।

विख्यात सामाजिक कार्यकर्त्ता और सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर चौ. हसन ने गरीब, दलित और समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों और कल्याण के लिए संघर्ष किया।

चौ. मुनव्वर हसन का निधन 44 वर्ष की आयु में आज प्रात: एक सड़क दुर्घटना में हुआ।

श्री तय्यब हुसैन 1971 से 1977 तथा 1980 से 1984 तक क्रमश: पांचवीं और सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे और इस दौरान उन्होंने हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व श्री तय्यब हुसैन 1962 से 1966 तक पंजाब विधान सभा और 1966 से 1967 तक हरियाणा विधान सभा के सदस्य रहे। श्री हुसैन मार्च, 1962 से दिसम्बर, 1962 तक पंजाब सरकार में स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग में उपमंत्री भी रहे।

श्री हुसैन पांचवीं लोक सभा के दौरान लोक लेखा समिति, दण्ड प्रक्रिया संहिता संबंधी संयुक्त प्रवर समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति और टैरिफ और सीमा-शुल्क विधेयक संबंधी समिति के सदस्य रहे। सातवीं लोक सभा के दौरान वह रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर की समीक्षा करने संबंधी समिति के सदस्य रहे।

पेशे से अधिवक्ता, श्री हुसैन एक समर्पित सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे। श्री हुसैन 1963 से 1964 तक केन्द्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य और 1965 से 1978 तक पंजाब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे। वह 1967 से 1968 तक केन्द्रीय वक्फ परिषदों की वक्फ अधिनियम संशोधन समिति और 1963 में केन्द्रीय वक्फ सलाहकार परिषद के सदस्य रहे। श्री हुसैन ने जनता विशेषकर अल्पसंख्यकों के सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान संबंधी कार्यों में प्रमुख भूमिका निभाई और वह विभिन्न शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों की स्थापना और उनके प्रबंधन से जुड़े रहे।

उन्होंने अनेक देशों की यात्राएं कीं। वह 1973 में रोमानिया और हंगरी का दौरा करने वाले भारतीय शिष्टमंडलों के सदस्य थे।

श्री तय्यब हुसैन का निधन 72 वर्ष की आयु में 7 अक्तूबर, 2008 को गुड़गांव, हरियाणा में हुआ।

श्री अजीत कुमार पांजा वर्ष 1984 से 2004 तक आठवीं से तेरहवीं लोक सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने पश्चिम बंगाल के कलकत्ता उत्तर-पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक योग्य प्रशासक श्री पांजा ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण विभाग संभाले। उन्होंने केन्द्रीय मंत्रिमंडल में 1985 से 1986 तक केन्द्रीय योजना राज्य मंत्री; 1986 में केन्द्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री; 1986 से 1988 तक तथा पुन: 1991 से 1993 तक केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); 1988 से 1989 तक केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री; 1993 से 1995 तक केन्द्रीय कोयला राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); 1999 से 2001 तक केन्द्रीय विदेश राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया।

इससे पूर्व श्री पांजा 1971 से 1977 तक तथा 1982 से 1984 तक पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य रहे। श्री पांजा ने पश्चिम बंगाल सरकार में 1971 से 1972 तक कैबिनेट मंत्री, न्यायपालिका एवं संसदीय कार्य (गृह) और 1972 से 1977 तक स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन व जल आपूर्ति; नगरपालिका कार्य एवं वन विकास कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया।

पेशे से अधिवक्ता और अपनी रुचि से एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता श्री पांजा गरीबों, जरूरतमंदों और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की भलाई के लिए प्रयासरत रहे तथा वह अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व दलितों के उत्थान के लिए सक्रिय विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए थे।

श्री पांजा एक विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने अंग्रेजी और बंगाली में कई किताबें लिखीं। उन्हें रंगमंच से बेहद लगाव था। रंगमंच के कलाकार के रूप में उन्हें 1999 में सर्वोत्तम कलाकार का पुरस्कार "उत्तम अवार्ड" प्रदान किया गया।

खेलकूद के शौकीन श्री पांजा देश की प्रमुख फुटबाल क्लबों के सदस्य रहे।

श्री पांजा ने कई देशों का भ्रमण किया तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मेलनों में देश का प्रतिनिधित्व किया।

श्री अजीत कुमार पांजा का निधन 14 नवम्बर, 2008 को कोलकाता में 72 वर्ष की आयु में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं अपनी तथा सभा की ओर से शोक-संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

माननीय सदस्यों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हाल में देश अनेक आतंकी हमलों का शिकार रहा है। गत 30 अक्तूबर, 2008 को असम के बारपेटा, बोंगाईगांव, कोकराझार और गुवाहाटी में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए। इन विस्फोटों में 89 व्यक्तियों की जानें गयीं और 477 व्यक्ति घायल हुए तथा सम्पत्ति की भारी क्षति हुई।

बम विस्फोट की एक अन्य घटना 2 दिसम्बर, 2008 को असम के करबी अंग्लोंग जिले के दिफू रेलवे स्टेशन पर एक सवारी गाड़ी में हुई जिसमें दो व्यक्ति मारे गए और लगभग 30 घायल हुए।

26 नवम्बर, 2008 को देश की आर्थिक नगरी मुम्बई का जनजीवन, शहर के अनेक भीड़-भाड़ वाले स्थानों और प्रमुख होटलों में आतंकियों के अत्यंत भयानक हमलों के चलते पूरी तरह ठप्प पड़ गया। तब वहां पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त जवाबी कार्यवाही में तीन विभिन्न स्थानों में छिपे आतंकवादियों को साठ घंटे से अधिक चली मुठभेड़ के उपरांत मार गिराया। आतंकियों का सामना करते हुए आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) के प्रमुख सहित मुम्बई पुलिस के 18 बहादुर सुरक्षा कर्मी और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के दो कमांडों शहीद हुए।

यह सभा आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई में हमारे सुरक्षा कर्मियों तथा अन्य सिविल एजेंसियों की सराहनीय भूमिका की प्रशंसा करती है। इन कायरतापूर्ण घातक हमलों में बड़े पैमाने पर सम्पत्ति के नुकसान के साथ-साथ 26 विदेशी नागरिकों सहित 164 लोगों की जानें गईं। उक्त आतंक के साए में हमारे सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और मुम्बई की जनता ने धैर्य बनाए रखा तथा राष्ट्र के पुनः एकजुट होने की उम्मीद संजोए रखी।

यह सभा देश पर हुए इन आतंकवादी हमलों, जो मानवता के प्रति अपराध है, की घोर भर्त्सना करती है। मुझे विश्वास है कि इन आतंकवादी हमलों के शिकार हुए परिवारों के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करने में सभा मेरे साथ है। यह सभा इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करने तथा इस तरह के कायरतापूर्ण एवं मानवीय हमलों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सम्भव प्रयास करने का भी आह्वान करती है।

मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय समिति के सभापति श्री कृष्णदास सहित समिति के कुछ माननीय सदस्य और लोक सभा सचिवालय के अधिकारी भी इस घातक हमले के दौरान ताज महल होटल में थे। जिन्हें सुरक्षा बलों, राज्य सरकार और होटल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत करके सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। मैंने सभा की ओर से सराहना व्यक्त कर दी है।

यह भी अत्यंत दुखद है कि संसदीय समिति के नियंत्रण कक्ष के प्रभारी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम के एक अधिकारी, श्री राजीव सारस्वत को अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करते हुए अपनी जान गंवानी पड़ी। सभा की ओर से मैंने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के माध्यम से शोक संतप्त परिवार को अपनी गहन संवेदना व्यक्त कर दी है तथा उनके पुनर्वास के लिए अपेक्षित सभी प्रकार की सहायता देने का आश्वासन दिया है।

यह सभा इन घटनाओं से शोक संतप्त परिवारों एवं घायल हुए व्यक्तियों को पहुंची गहन पीड़ा तथा वेदना पर अपना गहरा दुःख व्यक्त करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

तत्पश्चात्, सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत शामिल क्षेत्र

***121. श्री एल. राजगोपाल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत अब तक कितने जिलों को लाया गया है;

(ग) उक्त जिलों को चिह्नित करने के लिए क्या मानदंड अपनाये गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार यह कार्यक्रम अन्य जिलों में लागू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) केन्द्रीय प्रायोजित एक स्कीम नामत: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) का लक्ष्य वर्ष 2011-12 तक 20 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन करना है, जिसमें चावल, गेहूं और दलहन का क्रमश: 10 मिलियन टन, 8 मिलियन टन और 2 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन शामिल है। यह मिशन अधिक उपज क्षमता वाले चयनित जिलों

के किसानों तक सर्वांगीण कृषि सेवाएं पहुंचाने के लिए सिद्ध प्रौद्योगिकी और ज्ञान आदान को बढ़ावा देता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिव्यय 4882.48 करोड़ रुपये है। एनएफएसएम के अंतर्गत, गेहूं के अधीन लगभग 13 मिलियन हैक्टेयर, चावल के अधीन 20 मिलियन हैक्टेयर और दलहन के अधीन 4.047 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाने का लक्ष्य है। उन जिलों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए नीति में उदाहरणस्वरूप परिवर्तन किया गया है जहां बड़े उपज अंतरों सहित उच्चतर उपज संभाव - है और जिनकी उत्पादकता राज्य औसत से कम है। मुख्य रणनीति उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों और संकर किस्मों, संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियां जैसे जीरो टिलेज, रोटावेटर, चावल गहनीकरण की प्रणाली, समेकित कृमि प्रबंधन; समेकित पोषक-तत्व प्रयोग; जल संरक्षण उपकरण आदि का बेहतर प्रसार करना है। किसान क्षेत्रीय स्कूलों और प्रदर्शनों के जरिए सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों से संबंधित जानकारी देना भी इस मिशन का अभिन्न अंग है। निधियों की समय पर उपलब्धता राज्य और जिला स्तरों पर कोष से इतर माध्यम से नामित स्वायत्त एजेंसियों को प्रत्यक्ष अंतरण के जरिए सुनिश्चित की जाती है। प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने के लिए परियोजना प्रबंधन दलों के रूप में समर्पित जनशक्ति मिशन क्रियाकलापों पर राष्ट्रीय, राज्य और जिला क्रियान्वयक एजेंसियों का ध्यान बनाए रखने के लिए प्रदान की जाती है। जिलों को मिशन की निधियों का 10 प्रतिशत प्रदान किया जाता है ताकि क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार अन्य कार्यक्रमों में मदद करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की सहायता से स्थानीय पहलें की जा सकें। कार्यक्रम के अभिकल्पन और क्रियान्वयन में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए आरम्भिक (पायलट) परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के पैरामीटरों के आधार पर जिलों द्वारा अच्छे कार्यनिष्पादन के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर नकद पुरस्कारों की योजना है। कुशल मानीटरन तंत्रों जैसे राष्ट्र स्तरीय मानीटरन दल, वीडियो कान्फ्रेंस और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित तंत्र स्थापित किए गए हैं। फसल विकास के विभिन्न स्तरों से संबंधित प्रिंट और मास मीडिया, विज्ञापनों के जरिए जोरदार प्रचार अभियानों को मिशन क्रियाकलापों का अभिन्न अंग बनाया जाता है।

(ख) वर्तमान एनएसएफएम देश में 17 राज्यों के 312 जिलों में कार्यान्वित किया जाता है। इनमें से 136 जिले एनएफएसएम-चावल के अधीन, 141 जिले एनएफएसएम-गेहूं के अधीन और 171 जिले एनएफएसएम-दलहन के अधीन कवर किए गए हैं।

(ग) चावल के लिए, उन जिलों की पहचान की गई जहां चावल के अधीन 50 हजार हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र है और उत्पादकता राज्य की औसत उत्पादकता से कम है; गेहूं के लिए, उन जिलों की पहचान की गई जहां गेहूं के अधीन सिंचाई कवरेज 50 प्रतिशत से अधिक है और उत्पादकता राज्य की औसत उत्पादकता से कम है। एनएफएसएम-दलहन के क्रियान्वयन के लिए जिलों को दलहन के अधीन मौजूदा बड़े क्षेत्र, अंत:फसलन के जरिए क्षेत्र विस्तार की संभावना और चावल परती भूमि के प्रयोग के आधार पर चुना गया है।

(घ) और (ङ) फिलहाल अन्य जिलों तक इस कार्यक्रम को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान का उपयोग

*122. **श्री राम कृपाल यादव:**
श्री सुकदेव पासवान:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), निजी क्षेत्र और कृषक संगठनों की भागीदारी वाली परियोजनाओं सहित देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अंतर्गत वर्तमान में राज्य-वार कुल कितनी अनुसंधान परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) इन परियोजनाओं से कितने किसानों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(ग) क्या किसानों को ऐसी परियोजनाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने अनुसंधान कार्यक्रमों को देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने 95 संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित करती है जिनमें फसलों, बागवानी, पशुधन, मछली आदि में मूलभूत, नीतिगत और प्रायोगिक अनुसंधान परक मुद्दे सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 77 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं तथा नेटवर्क का भी कार्यान्वयन कर रही है, कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता दे रही है तथा बाहरी सहायता प्राप्त एक 'राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना' (एनएआईपी) जिसके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से बाहर की अन्य संस्थाओं के सम्मिलित कन्सोर्टिया के जरिए

66 उप-परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर किसानों को लाभ पहुंचता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अनुसंधान प्रणाली से विकसित प्रौद्योगिकियों के मूल्यांकन, वैधीकरण और परिष्करण के लिए देश के 562 ग्रामीण जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों (कृ.वि.के.) के एक नेटवर्क का भी सृजन किया है। वर्ष 2007-2008 के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों ने 10.94 लाख किसानों और 0.80 लाख विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षित किया। विस्तार कार्यक्रमों और अन्य कार्यकलापों से 49.63 लाख किसानों और विस्तार कार्मिकों को लाभ पहुंचा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और कृषि विज्ञान केन्द्रों की राज्यवार संख्या जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शत-प्रतिशत वित्तपोषित किया जाता है, विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय, संस्थान और कृषि विज्ञान केन्द्र अपने कार्यक्रमों को इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया, राष्ट्रीय समाचार पत्रों, फिल्म शो, किसान मेलों आदि के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय द्वारा प्रकाशित फार्म पत्रिकाओं नामत: इण्डियन फार्मिंग, खेती, कृषि चयनिका, फल-फूल और इण्डियन हार्टिकल्चर को भी किसानों में परिचालित किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों द्वारा फार्म उपयोगी प्रौद्योगिकी का विकास देश के विभिन्न कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली 8 (आठ) क्षेत्रीय समितियों के माध्यम से अनुसंधान की कार्यसूची की प्राथमिकता पर आधारित होता है। इन प्रौद्योगिकियों की स्थान विशिष्टता के बारे में संस्थानों, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं (एआईसीआरपी) द्वारा क्षेत्रीय स्तर जांच की जाती है तथा 562 कृषि विज्ञान केन्द्रों के नेटवर्क द्वारा इनको आगे और प्रसारित किया जाता है, जिनके कार्यकलापों में विभिन्न खेती प्रणालियों के तहत खेत पर परीक्षण, किसानों के खेतों पर उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों की उत्पादन क्षमता की स्थापना करने के लिए अग्रपंक्ति के प्रदर्शन, किसानों को उनके ज्ञान और कौशलों को अद्यतन करने हेतु प्रशिक्षण तथा प्रौद्योगिकी विकास के अग्रवर्ती क्षेत्रों में विस्तार कार्मिकों को अभिमुख करने हेतु प्रशिक्षण देना शामिल होता है। किसानों के बीच उन्नत प्रौद्योगिकियों की जानकारी हासिल करने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा बड़े पैमाने पर विस्तार कार्यकलापों का आयोजन किया जाता है। कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा उत्पादित बीजों, रोपण सामग्री और अन्य प्रौद्योगिकी उत्पादों को भी किसानों को उपलब्ध कराया जाता है।

विवरण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और कृषि विज्ञान केन्द्रों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	भा.कृ.अ.प. के संस्थान	कृषि विज्ञान केन्द्र
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1
2.	आंध्र प्रदेश	9	22
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	12
4.	असम	1	20
5.	बिहार	2	38
6.	छत्तीसगढ़	–	16
7.	दिल्ली	8	1
8.	गोवा	1	2
9.	गुजरात	2	24
10.	हरियाणा	6	18
11.	हिमाचल प्रदेश	2	12
12.	जम्मू-कश्मीर	1	14
13.	झारखंड	1	21
14.	कर्नाटक	5	26
15.	केरल	5	14
16.	लक्षद्वीप	–	1
17.	मध्य प्रदेश	4	47
18.	महाराष्ट्र	8	33
19.	मणिपुर	–	9
20.	मेघालय	1	5
21.	मिजोरम	–	8
22.	नागालैंड	1	8
23.	उड़ीसा	4	29

1	2	3	4
24.	पांडिचेरी	–	2
25.	पंजाब	1	17
26.	राजस्थान	6	32
27.	सिक्किम	1	4
28.	तमिलनाडु	3	29
29.	त्रिपुरा	–	4
30.	उत्तर प्रदेश	14	63
31.	उत्तराखंड	4	13
32.	पश्चिम बंगाल	3	17
	कुल	95	562

ड्रिप सिंचाई योजना

*123. **श्री पी.एस. गढ़वी:**
श्री रामदास आठवले:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ड्रिप सिंचाई योजना लागू करने के लिए किसानों को राजसहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गुजरात सहित देश में राज्य-वार कुल कितने क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई प्रणाली से सिंचाई की जाती है;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ड्रिप सिंचाई योजना के अंतर्गत राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ङ) क्या इस योजना से केवल बड़े किसान ही लाभान्वित हो रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (च) जी, हां। लघु सिंचाई (एमआई) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत प्रणाली (सिस्टम) की कुल लागत की 50% दर पर ड्रिप सिंचाई के लिए राज सहायता जाती है जिसमें से 40% केन्द्र सरकार द्वारा और 10% राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। ड्रिप सिस्टम के लिए सहायता प्रति लाभार्थी परिवार पांच हैक्टेयर के अधिकतम क्षेत्रफल तक सीमित है तथा लघु और सीमांत किसानों सहित किसानों की सभी श्रेणियां इसकी पात्र हैं। चाय, काफी, रबड़ और आयलपाम को छोड़कर, सभी फसलें इस स्कीम के अंतर्गत शामिल हैं।

लघु सिंचाई की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत गुजरात सहित देश में ड्रिप सिंचाई के तहत अब तक शामिल कुल क्षेत्रफल 3.75 लाख हैक्टेयर है। ड्रिप सिंचाई के तहत प्राप्त क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

विगत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ड्रिप सिंचाई के तहत राज्यों के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

यद्यपि, इस स्कीम में किसानों की सभी श्रेणियां शामिल हैं तथापि, राज्यों को यह सुनिश्चित करने का अधिदेश दिया गया है कि कम से कम 25% लाभार्थी छोटे और सीमांत किसान हों।

विवरण I

ड्रिप सिंचाई के तहत शामिल क्षेत्र राज्यवार ब्यौरा

(क्षेत्र हैक्टेयर)

क्र.सं.	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	5681	60873	30824	38054	1354.32
2.	बिहार	0	0	0	55.69	55.69

1	2	3	4	5	6	7
3.	छत्तीसगढ़	0	802	381.74	615.65	1799.69
4.	गोवा	0	8	78.66	0	86.66
5.	गुजरात	4910.06	12048.56	16037.26	9172.74	42168.62
6.	हरियाणा	0	1018.19	815.5	822.9	2656.59
7.	कर्नाटक	0	24972.7	12056.5	5581	42610.2
8.	केरल	0	500	510.29	1030.72	2041.01
9.	मध्य प्रदेश	0	2705.01	1796.26	18117.56	22618.83
10.	महाराष्ट्र	0	55257	28568	15487	99312
11.	उड़ीसा	0	278.72	597.85	1085.28	1961.85
12.	पंजाब	0	1123	2599.25	951.48	4673.73
13.	राजस्थान	0	2608	1927	1505.3	6040.3
14.	तमिलनाडु	0	0	6221.96	3725	9946.96
15.	उत्तर प्रदेश	0	863	2139	98	3100
	कुल	10591.06	163057.18	104553.3	96302.32	374503.83

विवरण II

विगत 3 वर्षों और चालू वर्ष के लिए ड्रिप सिंचाई के तहत आवंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	5380.72	12705.27	1802.05	3421.87	23309.91
2.	बिहार	0	2347.83	0	0	2347.83
3.	छत्तीसगढ़	0	1693	282.62	0	1975.62
4.	दिल्ली	0	11.48	0	0	11.48
5.	गोवा	0	6.38	0	1.98	8.36
6.	गुजरात	1760.95	3039.82	6582.65	0	11383.42
7.	हरियाणा	0	199.29	239.62	103.42	542.33

1	2	3	4	5	6	7
8.	झारखंड	0	127.52	0	0	127.52
9.	कर्नाटक	3318.49	985.45	4639.85	2691.14	11634.93
10.	केरल	2800.00	504.00	0	0	3304
11.	मध्य प्रदेश	547.89	312.99	487.77	3033.61	4382.26
12.	महाराष्ट्र	3772.37	6786.11	10999.33	10025.59	31583.4
13.	उड़ीसा	0	310.23	108.4	0	418.63
14.	पंजाब	513.50	0	360.33	364.58	1238.41
15.	राजस्थान	437.12	724.53	634.54	711.93	2508.12
16.	तमिलनाडु	4217.60	1188.75	2159.59	0	7565.94
17.	उत्तर प्रदेश	1205.45	0	0	0	1205.45
18.	पश्चिम बंगाल	0	119.33	0	0	119.33
	कुल	23954.09	31061.98	28296.75	20354.12	103666.94

[हिन्दी]

खाद्य राजसहायता में कमी

***124. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या राज्यों को खाद्य राजसहायता मुहैया कराने हेतु मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ राज्यों हेतु खाद्य राजसहायता में कमी की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन रेखा से नीचे, अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न (गेहूं और चावल) आबंटित किए जाते हैं। किसी भी राज्य के लिए खाद्य राजसहायता सरकार द्वारा यथा स्वीकृत पात्र परिवारों की संख्या, खाद्यान्नों के आबंटन, राज्य विशेष द्वारा उठाई गई खाद्यान्नों की और राज्य के अंदर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लाभार्थियों को वितरित की गई मात्रा पर निर्भर करती है।

फिलहाल, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह पर खाद्यान्न आबंटित किए जाते हैं। यह मानदंड सभी राज्यों के लिए एक समान है। तथापि, गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए राज्य सरकारों को आबंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

केन्द्रीय पूल में गेहूं और चावल के स्टाक में गिरावट होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए गेहूं और चावल के आबंटन को क्रमश: जून, 2006 और अप्रैल, 2007 से युक्तिसंगत बनाया गया है। आबंटन को पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के उठान के आंकड़ों के साथ संबद्ध कर दिया गया है। इसके अलावा 2006-07 और 2007-08 के दौरान विभिन्न राज्यों से मांग की तुलना में चावल की कम खरीदारी को ध्यान में रखते हुए गरीबी

रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए 2008-09 हेतु चावल का आबंटन 2006-07 और 2007-08 के दौरान हुए औसत उठान के आधार पर किया गया है। यह निर्णय जम्मू व कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश और असम जिसके लिए आबंटन को पिछले वर्ष (2007-08) के स्तर पर बनाए रखा गया है, के सिवाय पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए एक समान रूप से लागू किया गया है।

गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए सामान्य मासिक आबंटन के अलावा वर्तमान वर्ष (दिसम्बर, 2008 तक) के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 9,52,500 टन गेहूं और 1,18,000 टन चावल का तदर्थ/अतिरिक्त आबंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त, त्यौहार आबंटन के रूप में विभिन्न राज्यों के लिए 1,92,000 टन गेहूं और 36,000 टन चावल की मात्रा का आबंटन भी किया गया है।

[अनुवाद]

खाद्य तेलों का आबंटन

***125. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:**
श्री गणेश सिंह:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) के माध्यम से वितरण हेतु विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को हाल ही में काफी मात्रा में खाद्य तेल आवंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आगामी महीनों के दौरान पी.डी.एस. तथा टी.पी.डी.एस. हेतु खाद्य तेलों की आपूर्ति में किसी कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने 15 रुपये प्रति किलोग्राम की राजसहायता के साथ 2008-09 में 10 लाख टन तक आयातित खाद्य तेलों का वितरण करने की स्कीम लागू की है। यह वितरण राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उचित दर दुकानों/उनके द्वारा तय की गई अन्य दुकानों के जरिए 1 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड प्रति माह की दर से किया जाएगा। इस स्कीम के अधीन खाद्य तेलों के आबंटन की मांग करने वाले 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्य तेलों का आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, केवल 12 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, सिक्किम, नागालैण्ड और राजस्थान में राजसहायता प्राप्त आयातित खाद्य तेलों का वितरण शुरू किया गया है। अब तक इस स्कीम के अधीन 3.60 लाख टन खाद्य तेलों का आयात करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों द्वारा ठेके किए गए हैं। 20.10.2008 तक देश में 2.63 लाख टन खाद्य तेल का पहले ही उतरान हो चुका है और 1.52 लाख टन की सुपुर्दगी अब तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दे दी गई है ताकि राशन कार्डधारकों को इनका वितरण किया जा सके।

(ग) खाद्य तेलों की उपलब्धता और आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं-

(1) खाद्य तेलों के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन रखा गया है।

(2) क्रूड और रिफाइंड पाम तेल/पामोलिन पर आयात शुल्क को कम करके 1.4.2008 से क्रमश: 20% से शून्य और 27.5% से 7.5% कर दिया गया है।

(3) क्रूड और रिफाइंड सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क को कम करके 1.4.2008 से क्रमश: 40% से शून्य और 40% से 7.5% कर दिया गया है।

(4) अन्य खाद्य तेलों के क्रूड और रिफाइंड स्वरूप पर आयात शुल्क को कम करके 1.4.2008 से क्रमश: शून्य और 7.5% कर दिया गया है।

(5) पाम तेल और क्रूड सोयाबीन तेल की प्रशुल्क कीमत (आधार मूल्य) को क्रमश: जुलाई, 2006 में और सितम्बर, 2006 से स्थिर कर दिया गया है।

(6) खाद्य तेलों के निर्यात को 17.3.2008 से प्रतिबंधित कर दिया गया है (कोचीन पत्तन के जरिए नारियल तेल और अप्रधान वन मूल से उत्पादित कुछ तेलों को छोड़कर)।

(7) राज्य सरकारों को 7.4.2008 से खाद्य तेलों और तिलहनों पर स्टाक सीमा लागू करने की अनुमति दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र	मांगा गया/आवंटित किया गया	मासिक मांग/आवंटन (मीट्रिक टन)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	आरबीडी पामोलीन	20750
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	आरबीडी पामोलीन	100
3.	दादरा और नगर हवेली	आरबीडी पामोलीन	50
4.	दिल्ली	आरबीडी पामोलीन/सोयाबीन तेल	1850
5.	गोवा	आरबीडी पामोलीन	350
6.	हरियाणा	सोयाबीन तेल	100
7.	जम्मू-कश्मीर	आरबीडी पामोलीन	750
8.	कर्नाटक	आरबीडी पामोलीन	6000
9.	मध्य प्रदेश	आरबीडी पामोलीन	6000
10.	महाराष्ट्र	आरबीडी पामोलीन	18200
11.	मणिपुर	आरबीडी पामोलीन	400
12.	मेघालय	आरबीडी पामोलीन	450
13.	नागालैंड	आरबीडी पामोलीन	300
14.	उड़ीसा	आरबीडी पामोलीन	6800
15.	पांडिचेरी	आरबीडी पामोलीन	300
16.	सिक्किम	आरबीडी पामोलीन	150
17.	तमिलनाडु	आरबीडी पामोलीन	15500
18.	त्रिपुरा	आरबीडी पामोलीन	750
19.	उत्तराखंड	आरबीडी पामोलीन/सोयाबीन तेल	150
20.	पश्चिम बंगाल	आरबीडी पामोलीन	4000
21.	छत्तीसगढ़	सोयाबीन तेल	4500
22.	हिमाचल प्रदेश	सोयाबीन तेल	1400
23.	दमन व दीव	–	50
24.	उत्तर प्रदेश	आरबीडी पामोलीन	4500
25.	गुजरात	आरबीडी पामोलीन	5950

1	2	3	4
26.	राजस्थान	आरबीडी पामोलीन	5850
27.	पंजाब	आरबीडी पामोलीन	500
28.	मिजोरम	आरबीडी पामोलीन	100
29.	चंडीगढ़	–	35
	जोड़		1,05,835 मीट्रिक टन

[हिन्दी]

न्यूनतम मजदूरी में असमानता

***126. श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में न्यूनतम मजदूरी में समानता लाने के उद्देश्य से पांच क्षेत्रीय समितियां गठित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समितियों से कोई सुझाव अथवा सिफारिशें प्राप्त हुए/हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उन पर क्या अनुवर्ती कारवाई की गयी है; और

(ङ) सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी में असमानता कम करने हेतु क्या ठोस कदम उठाए जाने का विचार है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ङ) संघ सरकार ने समान अथवा समान अनुसूची वाले नियोजनों की न्यूनतम मजदूरी में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के उद्देश्य से पांच क्षेत्रीय समितियों का गठन किया है। न्यूनतम मजदूरी में क्षेत्रीय असमानता सामाजिक-आर्थिक और कृषि-जलवायु दशाओं, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों, भुगतान क्षमता, उत्पादकता और मजदूरी दर को प्रभावित करने वाली स्थानीय दशाओं में अंतर के कारण होती है। पांच क्षेत्रीय समितियों का संघटन निम्नानुसार है:

क्षेत्र	दायरे में लिए गए राज्य/संघ शासित प्रशासन
1	2
पूर्वी क्षेत्र (6)	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
पूर्वोत्तर क्षेत्र (8)	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम।
दक्षिणी क्षेत्र (6)	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी तथा लक्षद्वीप।
उत्तरी क्षेत्र (9)	पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़।
पश्चिमी क्षेत्र (6)	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव।

इन समितियों का मुख्य कार्य विभिन्न क्षेत्रों की राज्य/संघ शासित सरकारों के साथ आवधिक रूप में परस्पर संवाद करना है ताकि क्षेत्रीय हित के मामलों के साथ-साथ समान अनुसूची वाले नियोजन की न्यूनतम मजदूरी में अंतर को पाटने के मामले पर विचार-विमर्श किया जा सके।

इसके अलावा, देश में समान मजदूरी ढांचा बनाने और न्यूनतम मजदूरी में असमानता कम करने के उद्देश्य से वर्ष 1991 में राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग (एनसीआरएल) की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय निम्नतम स्तर की न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा विकसित की गई थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर केन्द्र सरकार ने हाल ही में 01.09.2007 से राष्ट्रीय निम्नतम स्तर की न्यूनतम मजदूरी को 66/- रुपये से बढ़ाकर 80/- रुपये प्रतिदिन किया है। इस प्रकार, राज्य सरकारों को इस तरह से न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए सहमत किया जाता है कि किसी भी अनुसूचित नियोजन में न्यूनतम मजदूरी राष्ट्रीय निम्नतम स्तर की न्यूनतम मजदूरी से कम न हो। इस तरीके से न्यूनतम मजदूरी की भिन्न-भिन्न दरों में कुछ हद तक असमानता कम करने में मदद मिली है।

[अनुवाद]

नेशनल डू नाट काल रजिस्ट्री

***127. श्रीमती जयाप्रदा:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने ''नेशनल डू नाट काल रजिस्ट्री'' में पंजीकृत उपभोक्ताओं को सेवाएं देने के बारे में मोबाइल फोनों के सेवा प्रदाताओं द्वारा अपनाये जाने वाले दिशानिर्देश निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेवा प्रदाताओं द्वारा उक्त मानदंडों का उल्लंघन किए जाने के कारण उपभोक्ताओं को निरंतर असुविधा हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। दूरसंचार विभाग ने टेलीमार्केटिंग रजिस्ट्रेशन के लिए जून, 2007 में दिशानिर्देश जारी किए थे। अवांछित वाणिज्यिक कालों पर नियंत्रण के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 5 जून, 2007 को ''दूरसंचार अवांछित वाणिज्यिक संचार विनियम, 2007'' और 17 मार्च, 2008 को इसका संशोधन ''दूरसंचार अवांछित वाणिज्यिक संचार (संशोधन) विनियम, 2008'' भी जारी किया है। नेशनल डू नाट काल (एनडीएनसी) रजिस्ट्री 12 अक्तूबर, 2007 से प्रचालन में आई। जो उपभोक्ता अवांछित वाणिज्यिक काल प्राप्त नहीं करना चाहते वे इस रजिस्ट्री में अपना टेलीफोन नंबर दर्ज करा सकते हैं। सभी पंजीकृत टेलीमार्केटरों के लिए यह अपेक्षित है कि वे टेलीमार्केटिंग काल करने से पहले जिन टेलीफोन नंबरों पर टेलीमार्केटिंग के उद्देश्य से काल करना चाहते हैं उनकी सूची एनडीएनसी रजिस्ट्री में प्रस्तुत/अपलोड करें। एनडीएनसी पहले से दर्ज उपभोक्ताओं के टेलीफोन नंबरों की सूची से हटा कर एक नई सूची काल करने के लिए टेलीमार्केटर को लौटा देता है।

(ग) से (ङ) गत एक वर्ष के दौरान एनडीएनसी रजिस्ट्री के पंजीकृत उपभोक्ताओं को किए गए टेलीमार्केटिंग कालों की संख्या में काफी कमी आई है। लगभग 18.68 मिलियन टेलीफोन उपभोक्ताओं ने एनडीएनसी रजिस्ट्री में पंजीकरण की इच्छा व्यक्त की है। ट्राई द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार एनडीएनसी में पंजीकृत उपभोक्ताओं से सेवा प्रदाताओं को प्राप्त शिकायतों की औसत संख्या मात्र 0.44% है। हाल ही में 19 सितंबर, 2008 को दूरसंचार विभाग ने सभी अभिगम सेवा लाइसेंसधारकों को यह अनुदेश भी जारी किया है कि वे एनडीएनसी रजिस्ट्री संबंधी सुविधा का व्यापक प्रचार करें तथा अपंजीकृत टेलीमार्केटरों को उपलब्ध दूरसंचार संसाधनों का विच्छेद करने के संबंध में मौजूदा अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

[हिन्दी]

पशुधन क्षेत्र का योगदान

***128. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
श्री काशीराम राणा:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन क्षेत्र का कितना योगदान है;

(ख) क्या पशुधन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हाल ही में कोई विशिष्ट अनुसंधान कार्य शुरू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में एक पृथक पशुधन अनुसंधान एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) के आंकलन के अनुसार वर्ष 2006-07 के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पशुधन क्षेत्र का अंशदान 4.36% था।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने निम्नानुसार अनुसंधान कार्य किए हैं:-

1. आर्थिक विशेषता के लिए विशिष्ट जीन की पहचान करने के लिए भैंस जीनोमिक्स कार्यक्रम।
2. दूध का उपभोग करने वाले लोगों के स्वास्थ्य की दशा ए1/ए2 विवाद को हल करने के लिए भारतीय गोपशु तथा भैंस नस्लों में बीटा केसिन लोकस में ए1/ए2 अलेले की स्थिति का मूल्यांकन।
3. पशुधन में मीथेन न्यूनीकरण नीतियों के विकास के लिए नेटवर्क कार्यक्रम मुख्य रूप से प्रथम माइक्रो बाइल संख्या की पौषणिक परिचालन तथा इंजीनियरिंग के जरिए।

4. सीरो निगरानी के लिए ब्लू टंग रोग के संबंध में नेटवर्क कार्यक्रम तथा रोग के प्रभावकारी नियंत्रण के लिए पेन्टावेसेंट टीके का विकास।

5. रोग के मोलीकूलर एवं एपीडीमिलोजिकल अध्ययन के लिए भारत तथा सार्क देशों के लिए क्षेत्रीय नैदानिक एफएमडी प्रयोगशाला (एफएमडी)।

6. पशुधन के लिए मौजूदा तथा संबंधित नैदानिक के सुधार के लिए तथा नई पीढ़ी के टीकों एवं नैदानिकों के लिए कार्यक्रम।

7. विभिन्न पशुधन रोगों की बेहतर निगरानी के लिए पशु रोग मानीटरिंग एवं निगरानी कार्यक्रम।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

डेरी फार्मिंग उद्योग का विकास

*129. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमिहीन कृषि मजदूरों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के लिए डेरी फार्मिंग के ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में विकास की अपार संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने डेरी फार्मिंग के महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में विकास में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने डेयरी उद्योग के विकास में कुछ बाधाओं की पहचान की है। ये हैं: (1) छोटा पशुयूथ आकार और कम उत्पादकता; (2) कृत्रिम गर्भाधान (एआई) तथा प्राकृतिक गर्भाधान दोनों के लिए गुणवत्ता प्रजनन सांडों की अपर्याप्त उपलब्धता; (3) आहार तथा चारा संसाधनों की कमी तथा घटिया संसाधन प्रबंधन; (4) डेयरी पशुओं के संक्रामक रोगों की घटनाओं की उच्च दर और उचित मूल्यों पर टीकों तथा नैदानिकों की अपर्याप्त उपलब्धता; (5) किसान संगठनों और प्रजनक समितियों की अपर्याप्त संख्या; (6) प्रभावकारी विस्तार नेटवर्क का अभाव और (7) माइक्रो वित्त की खराब पहुंच।

उक्त बाधाओं से निपटने के लिए राज्यों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से, भारत सरकार कई नीतिगत सुधार कर रही है जैसे कि राष्ट्रीय पशुधन नीति बनाना तथा विभिन्न केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को क्रियान्वित करना। ये योजनाएं पशुओं के आनुवंशिक नस्ल को सुधारने, आहार तथा चारा संसाधनों की उपलब्धता, पशुचिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, पशुओं का बीमा करने और दुग्ध खरीद, प्रसंस्करण एवं विपणन सुविधाओं की स्थापना करने जैसे मुद्दों को हल करेगी।

[अनुवाद]

"रेड फ्लैग" सैन्य अभ्यास

*130. **श्री नन्द कुमार साय:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अमरीका में आयोजित "रेड फ्लैग" सैन्य अभ्यास में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय हुआ; और

(घ) भारतीय वायुसेना को इस अभ्यास से कितना लाभ हुआ है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) भारतीय वायुसेना ने संयुक्त राज्य अमरीका में माउंट होम और नेल्लीस वायुसेना बेस में युद्धाभ्यास रेड फ्लैग 08 में भाग लिया। युद्धाभ्यास के लिए निकलने का काम (फेरी आउट) 07 जुलाई, 2008 को शुरू हुआ और 25 अगस्त, 2008 से वापसी शुरू हुई। इस युद्धाभ्यास में एक दस सदस्यीय गरूड स्क्वैड सहित भारतीय वायुसेना के 91 अफसरों और 156 वायुसैनिकों, आठ सुखोई-30 मार्क-I लड़ाकू विमानों, दो आईएल-78 आकाश-से-आकाश में पुन: ईंधन भराई विमानों तथा एक आईएल-76 स्टेजिंग विमानों ने भाग लिया।

2. इस कार्य में लगभग 55.73 करोड़ रुपए का व्यय हुआ था।

3. युद्धाभ्यास में भाग लेने से भारतीय वायुसेना ने बहु-किस्मों के प्लेटफार्मों की ओर उड़ान भरी और वास्तविक परिदृश्य में अपनी क्षमता का मूल्यांकन किया। इस युद्धाभ्यास से समान परंतु कृत्रिम उच्च खतरे वाले बहु-प्रेक्षक युद्धक परिवेश में मिशन आयोजना

एवं निष्पादन में वास्तविक, संयोजित और सम्मिश्रित प्रशिक्षण का प्रदर्शन हुआ है। इस युद्धाभ्यास को हवाई युद्ध के पहले 10 मिशनों के लिए अनुभवहीन कर्मी सदस्यों को अनुभव का अवसर प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इससे नेटवर्क के परिवेश में वास्तविक प्रशिक्षण उपलब्ध हुआ जो भारतीय वायुसेना के लिए उड़ान प्रशिक्षण में एक महत्वपूर्ण लंबी छलांग है। यंत्रीकृत युद्धाभ्यास हवाई क्षेत्र से सुनिश्चित हुआ कि प्रत्येक संक्रियात्मक मिशन से अधिकतम प्रशिक्षण मिला और शिक्षण महत्व का पता चला।

तिलहन और दलहन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र

***131. श्री परसुराम माझी:**
श्री विजय कृष्ण:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान तिलहन और दलहन की खेती के अंतर्गत कुछ और क्षेत्रों को लाने के लिए विशेष प्रयास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि प्रस्तावित/स्वीकृत की गई है;

(ग) क्या उक्त योजना में दलहन और तिलहन की खेती हेतु विभिन्न राज्यों में विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने ग्यारहवीं योजना में तिलहन और दलहन उगाने वाले 14 प्रमुख राज्यों में तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का की केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत स्कीम (आइसोपोम) के कार्यान्वयन को जारी रखा है। सरकार ने ग्यारहवीं योजना के दौरान तिलहन और दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित अन्य स्कीमें भी प्रारंभ की हैं:

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन की शुरूआत 2007-08 में की गई और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 14 प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों के 171 चिन्हित जिलों में कार्यान्वित की जा रही है।
2. वृहद कृषि प्रबंधन एम एम ए स्कीम (संशोधित), यह उन राज्यों को तिलहनों और दलहनों के विकास के लिए सहायता प्रदान करती है जो आइसोपोम के तहत कवर नहीं है।
3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाई) जिसके तहत भी राज्य तिलहन और दलहन विकास कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं।

ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए स्कीमों के अनंतिम आकलन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) आइसोपोम के तहत 14 प्रमुख तिलहन और दलहन उत्पादक राज्यों को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा, अन्तर फसलन के संवर्धन और चावल की परती भूमि के उपयोग के माध्यम से दलहनों के तहत लगभग 4 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को लाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन के तहत इन राज्यों के 171 जिलों को लिया गया है।

विवरण

ग्यारहवीं योजना के लिए स्कीमों के अनंतिम आकलन

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	स्कीम	11वीं योजना के लिए अनंतिम आकलन	कवरेज
1	2	3	4
1.	आईसोपोम	1500.00	आईसोपोम-तिलहन, दलहन, मक्का और आयलपाम के तहत कवर फसलों के लिए प्रावधान है।
2.	एनएफएसएम-दलहन	1239.88	दलहन

1	2	3	4
3.	वृहद कृषि प्रबंधन	5500.00	संशोधित एमएमए स्कीम प्रावधान तिलहन और दलहन विकास कार्यक्रमों सहित 11 घटकों को सम्मिलित करते हुए सम्पूर्ण कार्यक्रम के लिए है।
4.	आर.के.वी.वाई.	25000.00	तिलहन और दलहन सहित कार्यक्रमों को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति के अनुमोदन के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है।

[हिन्दी]

असंगठित क्षेत्र में रोजगार सृजित करना

***132. श्री हरिसिंह चावड़ा:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र में रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने के लिए कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों/कामगारों के लिए क्या सुरक्षा, चिकित्सा एवं अन्य कल्याणकारी उपाय किए गए हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इससे राज्य-वार और वर्ष-वार कितने श्रमिकों/कामगारों को लाभ हुआ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा 1999-2000 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, देश में संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में कुल रोजगार 39.7 करोड़ था, जिसमें से 36.9 करोड़ (लगभग 93%) असंगठित क्षेत्र में था। 2004-05 में एनएसएसओ सर्वेक्षण के अनुसार, देश में कामगारों की कुल संख्या बढ़कर 45.9 करोड़ हो गई थी, जिसमें से 43.3 करोड़ असंगठित क्षेत्र में थे, जो कार्यबल का लगभग 94% है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण अन्य उद्देश्यों के अतिरिक्त असंगठित क्षेत्र में श्रम उत्पादकता में सुधार करना है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन को विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना तथा उन कार्यनीतियों को विकसित करना है, जिनसे न केवल रोजगार में वृद्धि हो बल्कि कम वेतन पाने वालों के वेतन में भी बढ़ोत्तरी हो।

प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार, स्नातकों को बेहतर ढंग से नियोजनीय बनाने तथा बेहतर वेतन अर्जित करने में उनकी सहायता के लिए उद्योग के साथ निकट संपर्क को सुकर बनाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआईज) के प्रशासन में सर्वांगीण सुधारों की पहचान तथा कार्यान्वयन के लिए प्रयास किए गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार असंगठित क्षेत्र में कामगारों हेतु विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं/कार्यक्रमों का विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से कार्यान्वयन कर रही है, जैसे स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना; संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना; प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना; हथकरघा बुनकरों की व्यापक कल्याण योजनाएं, हस्तशिल्प कारीगरों की व्यापक कल्याण योजनाएं, जनश्री बीमा योजना आदि। आबंटन संबंधित मंत्रालयों/विभागों के तहत संबंधित योजनाओं हेतु पृथक रूप से किया जाता है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं हेतु निधियों का कोई समेकित आबंटन नहीं है। 2007-08 के दौरान, सरकार ने पूर्व में 01.10.2007 को आरंभ की गई तीन और योजनाओं: "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना" की घोषणा की, जोकि निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे कामगारों तथा उनके परिवारों (पांच की एक इकाई) को 30,000/- रु. का स्मार्ट कार्ड आधारित नकद राशि रहित स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा का प्रावधान करती हैं। योजना के अंतर्गत लाभ 2008-09 के दौरान उत्पन्न होंगे। राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों को अनुमोदन हेतु केन्द्र सरकार के पास भेजा जाता है। अक्तूबर, 2007 में आरंभ की गई "आम आदमी बीमा योजना" के तहत 18 से 59 वर्ष के आयु समूह वाले ग्रामीण भूमिहीन गृहस्थ योजना के तहत मृत्यु एवं अपंगता सुरक्षा हेतु पात्र हैं। योजना में लाभार्थियों के 9वीं से 12वीं कक्षा तक में अध्ययन कर रहे दो बच्चों को प्रति तिमाही प्रति बच्चा 300/- रु. की दर से छात्रवृत्ति देने का घटक है। नवम्बर, 2007 के दौरान आरंभ की गई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले तथा निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे समस्त नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन का प्रावधान है। राज्य सरकारों से केन्द्रीय सरकार के 200/- रु. के प्रति व्यक्ति अनुदान को बनाए रखने के लिए कहा गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत, 12 राज्यों ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 22.10.2008 तक लगभग 25.55 लाख व्यक्तियों का स्वास्थ्य बीमा करते हुए 5.11 लाख स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं। राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

क्र.सं.	राज्यों का नाम*	जारी किए गए स्मार्ट कार्ड	बीमा सुरक्षा हेतु अनुमानित व्यक्ति
1.	बिहार	20300	101500
2.	दिल्ली	39637	198185
3.	गुजरात	143985	719925
4.	हरियाणा	147584	737920
5.	हिमाचल प्रदेश	2035	10175
6.	झारखंड	3000	15000
7.	केरल	3128	15640
8.	महाराष्ट्र	904	4520
9.	पंजाब	21031	105155
10.	राजस्थान	120123	600615
11.	तमिलनाडु	5100	25500
12.	उत्तर प्रदेश	4212	21060
	कुल	511039	2555195

*वे राज्य जहां स्मार्ट कार्ड वितरण आरंभ हो गया है।

[अनुवाद]

खानों में सुरक्षा उपाय

***133. श्री फ्रांसिस फैन्थम:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खान दुर्घटनाओं में मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अपनाए गए सुरक्षा उपाय अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार खानों में अपनाए जा रहे मौजूदा सुरक्षा उपायों का उन्नयन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान खान दुर्घटनाओं में मारे गये तथा घायल हुए व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, खान अधिनियम, 1952 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों एवं विनियमों में खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त उपबंध विहित हैं। ये उपबंध अन्य देशों के इसी प्रकार के उपबंधों से तुलनात्मक रूप से अधिक अनुकूल हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय, सुरक्षा उपायों में सुधार लाने के लिए प्रबंधन को परिपत्रों के रूप में दिशा-निर्देश जारी करता रहता है। तथापि, खान प्रचालनों में सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त निधियां आबंटित करना खान प्रबंधनों का प्रमुख उत्तरदायित्व है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार खान दुर्घटनाओं में मारे गये तथा घायल हुए व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा

राज्य	वर्ष	दुर्घटनाओं में मारे गए तथा गंभीर रूप से घायल			दुर्घटनाओं में केवल गंभीर रूप से घायल	
		दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए	गंभीर रूप से घायल	दुर्घटनाओं की संख्या	गंभीर रूप से घायल
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	2005	16	18	4	797	799
	2006	20	26	6	559	561
	2007	18	22	5	570	575
	2008	13	13	2	279	282

1	2	3	4	5	6	7
असम	2005	2	2	1	11	11
	2006	3	3	0	10	10
	2007	3	3	0	12	12
	2008	1	2	0	11	11
छत्तीसगढ़	2005	8	8	0	72	73
	2006	6	7	1	61	61
	2007	13	13	2	58	59
	2008	8	8	0	24	24
गोवा	2005	0	0	0	0	0
	2006	4	9	0	0	0
	2007	2	2	0	2	2
	2008	2	2	0	1	1
गुजरात	2005	2	2	0	4	4
	2006	0	0	0	2	2
	2007	2	2	0	3	3
	2008	3	3	2	4	4
हिमाचल प्रदेश	2005	1	1	0	0	0
	2006	2	3	0	0	0
	2007	0	0	0	0	0
	2008	0	0	0	0	0
झारखंड	2005	34	54	10	85	89
	2006	28	78	3	63	64
	2007	25	27	1	69	71
	2008	17	18	2	61	62
जम्मू-कश्मीर	2005	0	0	0	1	3
	2006	1	1	0	0	0
	2007	0	0	0	0	0
	2008	0	0	0	0	0
कर्नाटक	2005	3	3	0	21	21
	2006	4	4	1	11	11
	2007	2	2	0	6	17
	2008	3	3	0	4	4
केरल	2005	0	0	0	1	1
	2006	0	0	0	0	0
	2007	1	5	2	1	1
	2008	4	4	3	0	0

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	2005	16	17	4	71	72
	2006	16	17	7	47	47
	2007	15	16	2	56	57
	2008	17	20	0	30	31
महाराष्ट्र	2005	8	8	0	29	30
	2006	7	7	2	38	40
	2007	8	8	0	36	37
	2008	12	20	20	18	18
उड़ीसा	2005	22	23	2	20	20
	2006	10	10	0	18	26
	2007	16	16	5	14	14
	2008	11	11	3	7	8
राजस्थान	2005	9	10	1	29	29
	2006	17	20	1	16	16
	2007	19	21	5	16	16
	2008	11	15	6	13	13
तमिलनाडु	2005	7	7	0	4	6
	2006	13	13	2	1	1
	2007	5	6	1	1	1
	2008	3	3	0	1	1
उत्तरांचल	2005	1	1	0	0	0
	2006	0	0	0	0	0
	2007	0	0	0	0	0
	2008	1	1	0	0	0
उत्तर प्रदेश	2005	2	2	0	3	4
	2006	0	0	0	0	0
	2007	3	3	0	1	1
	2008	1	1	0	2	2
पश्चिम बंगाल	2005	13	13	1	66	66
	2006	6	11	1	91	93
	2007	5	5	3	107	116
	2008	8	8	0	49	50
अखिल भारत	2005	144	169	23	1214	1228
	2006	137	209	24	917	932
	2007	137	151	26	952	982
	2008	115	132	38	504	511

नोट: वर्ष 2006, 2007 और 2008 के आंकड़े अनंतिम हैं। वर्ष 2008 के आंकड़े 30.9.2008 तक के हैं।

[हिन्दी]

लंबित सिंचाई परियोजनाएं

***134. श्री शिशुपाल एन. पटले:**
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के पूरा होने की स्थिति का मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला तथा गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में राज्य-वार कितनी परियोजनाएं पूरा होने की अपनी निर्धारित अवधि के पश्चात लंबित है;

(ग) परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब के लिए पता लगाए गए कारण क्या हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ङ) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) जल संसाधन मंत्रालय में निर्माणाधीन एआईबीपी परियोजनाओं की स्पष्ट वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) की मूल्यांकन/समीक्षा तथा उनको समय से पूरा करने के लिए सुधारात्मक उपाय करना सतत प्रक्रिया है। सचिव (जल संसाधन) ने राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ मई-जुलाई, 2008 में एआईबीपी के कार्यान्वयन की समीक्षा की। योजना आयोग ने हाल ही में कार्यक्रम के मूल्यांकन का अध्ययन शुरू किया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सितम्बर 2004 तक के आंकड़ों पर विचार करते हुए कार्यक्रम का मूल्यांकन भी किया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय दूर संवेदी अभिकरण को 53 चुनिंदा परियोजनाओं के संबंध में एआईबीपी के तहत सृजित सिंचाई समता की पुष्टिकरण का कार्य सौंपा गया है।

(ख) एआईबीपी की सहायता से अब तक 257 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से 100 परियोजनाएं पूरी की गई हैं। एआईबीपी सहायता प्राप्त 143 परियोजनाओं में उनके पूरा होने के निर्धारित समय से अधिक के विलम्ब होने की सूचना है। इनमें से 55 परियोजनाएं जल संसाधन मंत्रालय के लगातार प्रयासों से पिछले 3 वर्षों में पूरी की गई हैं। लंबित सिंचाई परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) मोटे तौर पर परियोजना विशिष्ट समस्याओं के अलावा परियोजनाओं को पूरा करने में देरी, राज्य सरकारों के पास निधियों की कमी, भूमि अधिग्रहण समस्याओं, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास समस्याओं, ठेके संबंधी समस्याओं, अप्रत्याशित तकनीकी समस्याओं, अनिवार्य/सांविधिक स्वीकृतियों में विलम्ब, परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण के अलावा अन्य अभिकरणों से कराये जाने वाले कार्यों के निष्पादन में होने वाले विलम्ब तथा विधिक मामलों के कारण होती है।

(घ) वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को एआईबीपी के तहत जारी की गई केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्ष 2008-09 के लिए एआईबीपी के वास्ते 4300 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है।

(ङ) भारत सरकार ने एआईबीपी के तहत केन्द्रीय सहायता के परिव्यय को बढ़ाया है। निधि को जारी करने की एआईबीपी संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। केन्द्रीय जल आयोग छमाही रूप से क्षेत्रीय दौरे करके वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की निगरानी करता है तथा निगरानी रिपोर्टें जारी करता है जिसमें अन्य बातों के साथ परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए सुझाव शामिल होते हैं। जल संसाधन मंत्रालय परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए सुधारात्मक उपायों को करने के लिए समय-समय पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा भी करता है।

विवरण

(रुपये करोड़)

क्र.सं.	राज्य	एआईबीपी के अधीन विचारोपित परियोजनाओं की कुल संख्या	निर्धारित समय पर पूर्ण परियोजनाओं की संख्या	निर्धारित समय से निर्माणाधीन परियोजनाओं की संख्या	निर्धारित समय से अधिक विलंबित परियोजनाओं की संख्या	आज की तारीख तक कालम 6 की पूर्ण परियोजनाओं की संख्या	शेष परियोजनाएं जो विलंबित हैं	के दौरान जारी केन्द्रीय सहायता				2005-06 से 2008-09 के दौरान जारी की गई कुल केन्द्रीय सहायता
								2005-06 अनुदान	2006-07 अनुदान	2007-08 अनुदान	2008-09 (अब तक) अनुदान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	32	3	18	11	8	3	311.3815	816.4220	987.7692	398.5200	2514.0927
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	असम	11	0	0	11	6	5	12.60000	0.0000	15.1900	22.1600	49.9500
4.	बिहार	8	1	2	5	2	3	16.2380	3.2300	58.6900	29.6200	107.7780
5.	छतीसगढ़	7	1	2	4	3	1	7.6645	0.0000	37.3940	29.5100	74.5685
6.	गोवा	2	0	0	2	1	1		1.9100	32.4800	15.1100	49.5000
7.	गुजरात	15	9	0	6	1	5	339.6000	121.8885	585.7200	251.9000	1299.1085
8.	हरियाणा	3	0	0	3	2	1	6.0000	3.1700	0.0000	0.0000	9.1700
9.	हिमाचल प्रदेश	3	0	0	3	0	3	16.0565	2.2200	70.5400	0.0000	86.8165
10.	जम्मू-कश्मीर	17	0	6	11	7	4	24.7628	18.2466	94.0400	42.5500	179.5994
11.	झारखंड	9	0	2	7	2	5	5.0370	1.2900	9.2244	3.7200	19.2714
12.	कर्नाटक	13	1	5	7	1	6	140.7759	160.3729	349.9000	318.0800	969.1288
13.	केरल	3	0	1	2	1	1	9.3591	16.6468	0.0000	0.0000	26.0059
14.	मध्य प्रदेश	15	2	3	10	3	7	168.0966	25.8100	372.0200	185.7700	751.6966
15.	महाराष्ट्र	55	11	30	14	6	8	167.3822	340.6913	885.7600	733.9900	2127.8235
16.	मणिपुर	3	0	0	3	0	3	70.3035	138.0720	54.1800	57.9000	320.4555
17.	मेघालय	1	0	0	1	0	1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20.	उड़ीसा	17	5	0	12	1	11	147.9992	133.1146	609.4200	269.4200	1169.0228
21.	पंजाब	6	1	1	4	1	3	26.3166		13.5000	0.0000	39.8166
22.	राजस्थान	10	2	0	8	6	2	90.2952	11.6000	156.5300	178.6200	437.0452
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24.	त्रिपुरा	3	0	0	3	0	3	16.2000	0.9400	0.0000	7.5300	24.6700
25.	तमिलनाडु	1	0	0	1	1	0			0.0000	0.0000	0.0000
26.	उत्तर प्रदेश	16	5	2	9	4	5	133.1280	81.8954	15.6900	61.8700	427.5834
27.	उत्तरखंड	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28.	पश्चिम बंगाल	7	1	0	6	2	4	0.0287	6.7000	0.8300	22.8100	30.3687
	कुल	257	42	72	143	58	85	1709.2253	1884.2201	4483.9466	2629.9800	10706.4720

स्पीड पोस्ट सेवा

***135. श्री पंकज चौधरी:**
डा. एम. जगन्नाथ:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्पीड पोस्ट सेवा के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर में पत्रों को पहुंचाने में काफी विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में स्पीड पोस्ट सेवा के माध्यम से डाक की सुपुर्दगी में सुधार करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी नहीं। स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर में भेजे गए पत्र के वितरण में अधिक विलंब नहीं होता है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, डाक विभाग स्पीड पोस्ट सेवा के माध्यम से डाक वितरण में सुधार सहित देश भर में स्पीड पोस्ट सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु अनेक कदम उठा रहा है। इस संबंध में विभाग द्वारा शुरू किए गए कदमों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए स्पीड पोस्ट सहित डाक के पारेषण हेतु माल-वाहक हवाई जहाज को पट्टे पर लेना, स्पीड पोस्ट नेटवर्क का विस्तार एवं स्पीड पोस्ट केन्द्रों का उन्नयन जैसे स्पीड पोस्ट व्यवसाय विस्तार हेतु योजनाओं का कार्यान्वयन, स्पीड पोस्ट एक भारत एक दर की शुरूआत, स्थानीय स्पीड पोस्ट शुल्कों में कटौती, क्रेडिट सुविधा प्रदान करना एवं ग्राहकों के परिसर से स्पीड पोस्ट वस्तुओं का संग्रहण आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

विदेशी बाजार सहायता योजना पुन: शुरू किया जाना

***136. श्री वसुदेव आचार्य:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जूट के उत्पादन में निरंतर वृद्धि तथा इसके निर्यात में गिरावट को ध्यान में रखते हुए जूट विनिर्माताओं के लिए पुरानी विदेशी बाजार सहायता योजना पुन: शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार जूट उद्योग के अन्य क्षेत्रों में विविधीकरण के लिए सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 से पटसन प्रौद्योगिकी मिशन (जेटीएम) शुरू किया है जो पटसन उद्योग के समग्र विकास के लिए पांच वर्षों की अवधि तक चलेगा। जेटीएम का कार्यान्वयन 9 योजना संघटकों के साथ मिशन मोड में और लघु मिशन-4 में कार्यान्वित किया जा रहा है। इनमें से चार योजना संघटक नीचे दिए गए अनुसार पटसन विविधीकरण के संवर्धन से संबंधित हैं:-

1. पटसन जैव वस्त्र सहित पटसन विविधीकृत उत्पादों का डिजायन एवं विकास।
2. पटसन विविधीकृत उत्पादों को विकसित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी) की सहायता करना।
3. पटसन विविधीकृत उत्पादों के संवर्धन के लिए योजना।
4. विविधीकृत क्षेत्र के लिए पटसन पार्कों की स्थापना करने की योजना।

[हिन्दी]

रेशम उत्पादन

***137. श्री हंसराज गं. अहीर:**
श्री एम. शिवन्ना:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में रेशम की विभिन्न किस्मों का राज्य-वार कुल उत्पादन एवं मांग कितनी रही;

(ख) उक्त अवधि के दौरान रेशम उत्पादन के लिए राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित, जारी तथा व्यय की गई;

(ग) उत्पादन तथा मांग के बीच अंतर कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उच्च क्वालिटी के रेशम के उत्पादन के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला): (क) देश में रेशम का वर्तमान उत्पादन 18,320 मी. टन (2007-08) है और रेशम की मांग लगभग 26,000 मी. टन अनुमानित है। देश में पिछले तीन वर्षों (2005-06, 2006-07 और 2007-08) और वर्तमान वर्ष (2008-09) के लिए कच्चे रेशम के उत्पादन का राज्यवार और किस्मवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) रेशम उत्पादन में सुधार लाने के लिए उक्त अवधि के दौरान उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) के तहत आबंटित/जारी की गई और राज्यों द्वारा खर्च की गई राशि का वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) सरकार द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) के माध्यम से उत्पादन और मांग के बीच के अंतर को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

* कच्चे रेशम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शहतूत पौधरोपण अधिकतर द्विफसलीय शहतूत रेशम के उत्पादन के लिए 26,000 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र 11वीं योजना के दौरान बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

* 11वीं योजना के लिए रेशम उत्पादन संबंधी उपसमूह ने 26,000 मी. टन (11वीं योजनावधि के लिए 8% की विकास दर से) का कच्चे रेशम के उत्पादन का लक्ष्य की सिफारिश की है जिसमें उत्कृष्ट कोटि के द्विफसलीय कच्चे रेशम का 5,000 मी. टन और वण्य रेशम का 3,000 मी. टन का उत्पादन शामिल है।

* 11वीं योजना के दौरान उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के समन्वय से केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। सीडीपी के तहत बीज, कोया और कोया-पश्चात क्षेत्रों को विकसित करने के लिए रेशम उद्योग के स्टेक होल्डरों को सब्सिडी के रूप में सहायता प्रदान की जा रही है। इन योजनाओं का लक्ष्य उन्नत प्रौद्योगिकी पैकेजों को अपनाकर उत्कृष्ट रेशम उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाना है।

उपर्युक्त दृष्टिकोण से 11वीं योजना के अंत तक प्रस्तावित कच्चे रेशम उत्पादन का 26,000 मी. टन का समग्र लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी जिससे भारत में रेशम के उत्पादन और मांग के बीच के अंतर को दूर किया जा सकता है।

(घ) 11वीं योजनावधि के दौरान देश में उच्च गुणवत्ता के रेशम के उत्पादन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है:-

* कोये के उत्पादन और उत्पादकता के स्तरों में सुधार लाने के लिए अनुसंधान और विकास प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना।

* सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) की सहायता से नई द्विफसलीय प्रजातियां विकसित की हैं। इन प्रजातियों के वाणिज्यिक उपयोग के फलस्वरूप देश में शहतूती कच्चे रेशम का अन्तर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड आयात प्रतिस्थानापन्न श्रेणी का उत्पादन हुआ है।

* केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने आर एंड डी प्रयासों के द्वारा द्विफसलीय रेशम कीट को उष्णकटिबंधीय बनाने और शहतूत की नई किस्मों के विकास (अर्थात् वी-1, एस-36, एआर-11, एआर-12, एस-13 और एस-34) में सफलता पाई है। अपेक्षाकृत अधिक उपज वाले पौधों के फलस्वरूप रेशम की उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है।

* केन्द्रीय रेशम बोर्ड के तहत केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान (सीएसटीआरआई) ने उन्नत उपकरण, नई मशीन और उपकरण विकसित किये हैं जिससे रेशम की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करने में सहायता मिली है।

* केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने कच्चे रेशम का परीक्षण इसकी गुणवत्ता के लिए करने के वास्ते रेशम अनुकूलन और परीक्षण गृहों की स्थापना की है।

* सीएसबी ने भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एक पृथक परियोजना नामत: रेशम के लिए गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली 11वीं योजना के दौरान देश में कार्यान्वयन के वास्ते शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य उत्पादन की प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर (रेशम कीट बीज, कोया और कच्चे रेशम का उत्पादन) गुणवत्ता को बनाए रखना सुनिश्चित करना है जिसके फलस्वरूप अंतत: अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्ट रेशम का उत्पादन होता है।

* एकीकृत खेती तरीकों को अपनाकर शहतूती कच्चे रेशम की उत्पादन की लागत को आयातित रेशम की लागत के करीब लाना।

* सभी अपेक्षित सुविधाओं और अपनाए गए बीज पालकों के साथ रेशम कीट बीज उत्पादन केंद्रों की स्थापना के लिए अपेक्षित तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से निजी क्षेत्र में उत्कृष्ट रेशम कीट बीज उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना ताकि बीज की आवश्यकता में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जा सके।

* घरेलू विद्युत करघा और निर्यात की मांग को पूरा करने के लिए चुने हुए कलस्टरों में स्वचालित/अर्द्ध-स्वचालित रीलिंग मशीनों और बहुउद्देशीय रीलिंग मशीनों की स्थापना के माध्यम से भारी मात्रा में उत्कृष्ट कच्चे रेशम के उत्पादन को आसान बनाना।

* कुछ संशोधनों और इस क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए केंद्रीय सब्सिडी के अपेक्षाकृत अधिक स्तरों के साथ उत्प्रेरक विकास कार्यक्रमों को जारी रखना। सीडीपी के तहत संघटकों का उद्देश्य स्थानीय पौधों का विकास और विस्तार, कृषि अवसंरचना का विकास, रेशम में रीलिंग और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का उन्नयन, उपक्रम विकास कार्यक्रम आदि है।

* निधि आबंटन: सरकार ने 11वीं योजनावधि के दौरान सीडीपी के कार्यान्वयन के लिए 1476.24 करोड़ रु. का आबंटन मंजूर किया है और इसमें से सीएसबी का हिस्सा 661.62 करोड़ रु. है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों (2005-06 से 2007-08) के दौरान और चालू वर्ष 2008-09 के दौरान राज्य-वार शहतूती और वान्य कच्ची रेशम उत्पादन*

(कच्ची का उत्पादन मी. टन में)

राज्य	2005-06					2006-07					2007-08					2008-09* (जुलाई-08 तक)				
	शहतूती	वान्य (गैर-शहतूती)			कुल	शहतूती	वान्य (गैर-शहतूती)			कुल	शहतूती	वान्य (गैर-शहतूती)			कुल	शहतूती	वान्य (गैर-शहतूती)			कुल
		तसर	एरी	मुगा			तसर	एरी	मुगा			तसर	एरी	मुगा			तसर	एरी	मुगा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
आंध्र प्रदेश	5375	20	27	-	5422.376	5526	15.5	14	-	5555.5	4485	7	5	-	4497	1300	5	3	-	1308
असम	8		745	104	857	11	-	740	107	858	14	-	837	105	956	5	-	350	50	405
अरुणाचल प्रदेश	1	मामूली	10	0.24	11.24	0.4	मामूली	5	1.4	6.8	1	0	11	0	12	1	-	4	-	5
बिहार	3	14	3	-	20	4	11	1.3	-	16.3	5	14	2	-	21	2	7	1	-	10
छत्तीसगढ़	3	90	2	-	95	4.03	110	3.1	-	117.13	6	146	2	-	154	3	50	1	-	54
हिमाचल प्रदेश	10	-	-	-	16	17	-	-	-	17	20	-	-	-	20	10	-	-	-	10
जम्मू-कश्मीर	95	-	-	-	95	102	1	-	-	103	105	-	-	-	105	25	-	-	-	25
झारखंड	1	96	मामूली	-	97	1	120	0.2	-	121.2	1	143	1	-	145	1	54	1	-	56
कर्नाटक	7471	-	-	-	7471	7883	-	-	-	7883	8240	-	-	-	8240	2408	-	-	-	2408
केरल	12	-	-	-	12	14	-	-	-	14	14	-	-	-	14	7	-	-	-	7
मध्य प्रदेश	23	16	-	-	39	30	16	10	-	56	50	30	7	-	87	36	12	3	-	51
महाराष्ट्र	44	6	-	-	50	80	7	-	-	87	125	4	-	-	129	60	2	-	-	62
मणिपुर	48	3	235	0.06	286.06	70	3	374	0.2	447.2	80	3	213	1	297	45	1	105	-	151
मिजोरम	6	मामूली	3.2	0.07	9.27	6	0.2	4.2	0.2	10.6	6	0	3	0	9	2	-	2	-	4
मेघालय	3	-	280	5.4	288.4	1.25	-	202	5.8	209.05	2	-	303	11	316	1	-	150	5	156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
नगालैंड	1	0.1	130	0.18	131.28	1.25	0.15	115	0.2	116.6	1	0	124	0	125	1	–	48	–	49
उड़ीसा	2	21	2	–	25	2.10	35	4.1	–	41.2	3	48	5	–	55	2	24	2	–	28
पंजाब	4	–	–	–	4	4	–	–	–	4	5	–	–	–	5	5	–	–	–	5
राजस्थान	0.05	–	–	–	0.05	0.3	–	–	–	0.3	0	–	–	–	0	–	–	–	–	0
सिक्किम	–	–	–	–	0	0.2	–	0.10	–	0.3	0	–	0	–	0	–	–	–	–	0
तमिलनाडु	739	–	0.10	–	738.948	1125	–	–	–	1125	1368	–	–	–	1368	492	–	–	–	492
त्रिपुरा	4	–		–	4	5	–	–	–	5	8	–	–	–	8	4	–	–	–	4
उत्तर प्रदेश	19	3	0.50	–	22.5	25	4	4	–	33	30	4	6	–	40	12	2	–	–	14
उत्तरांचल	14	5	मामूली	मामूली	19	14	0.15	–	–	14.15	15	1	1	–	17	5	1	1	–	6
पश्चिम बंगाल	1552	34	4	0.2	1590.68	1596	27	8	0.2	1633.2	1660	29	10	0	1700	700	42	5	–	747
कुल	15445	308	1442	110	17305	16525	350	1485	115	18475	16245	428	1530	117	18320	5127	200	675	55	6057

स्रोत: संबंधित राज्यों के रेशम उत्पादन विभाग (डीओएस) मामूली-50 कि.ग्रा. से कम

विवरण II

केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलौर-560 068
उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी)

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2005-06 से 2007-08 और चालू वर्ष 2008-09 (सितंबर, 2008 तक)
सीएसबी द्वारा राज्यवार खर्च की गई/जारी की गई राशि

(लाख रु.)

#	राज्य का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान			
		खर्च/जारी की गई राशि			चालू वर्ष
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6
1.	कर्नाटक	1212.13	1153.24	1015.22	710.36
2.	तमिलनाडु	269.42	594.67	745.2	445.81
3.	जम्मू-कश्मीर	594.79	297.32	181.85	205.36
4.	आंध्र प्रदेश	1658.04	1315.31	979.88	0.00
5.	पश्चिम बंगाल	133.97	154.45	102.04	162.50
6.	महाराष्ट्र	48.83	177.92	70.21	82.73

1	2	3	4	5	6
7.	मध्य प्रदेश	187.04	343.17	172.35	291.27
8.	उड़ीसा	154.49	133.26	65.2	22.14
9.	बिहार	161.79	14.88	0	32.08
10.	उत्तर प्रदेश	60.24	153.02	321.01	116.96
11.	केरल	34.32	23.94	112.33	124.72
12.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	26.53
13.	पंजाब	0.00	17.25	0.00	11.31
14.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	हिमाचल प्रदेश	17.91	49.47	53.93	70.88
16.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	छत्तीसगढ़	128.55	154.69	344.07	166.60
18.	झारखंड	100.84	189.08	43.60	51.09
19.	उत्तरांचल	178.38	208.84	143.02	29.95
20.	सिक्किम	25.51	54.00	50.04	16.48
21.	असम	922.53	611.95 (***)	1911.52 (***)	166.48 (***)
22.	अरुणाचल प्रदेश	54.19	61.58	220.4	47.83
23.	मणिपुर	80.25	62.89	594.59	37.62
24.	मेघालय	183.49	142.88	74.81	82.36
25.	मिजोरम	367.91	182.71	249.1	75.39
26.	नागालैंड	151.59	127.77	217.11	20.48
27.	त्रिपुरा	130.43	198.13	414.13	79.33
	कुल	6856.94	6422.42	8081.61	3076.26

(***) बोडोलैंड टेरिटोरियल कांसिल (बीटीसी), कोलकाता (असम) के संबंध में खर्च/जारी की गई राशि शामिल है।

[अनुवाद]

नैफेड में वित्तीय संकट

***138. श्रीमती सी.एस. सुजाता:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नैफेड) को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या 'नैफेड' द्वारा निजी कंपनियों को दिये गये ऋण की बड़ी राशि की वसूली लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस राशि को वसूली के लिए कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) नैफेड ने सूचित किया है कि इसने अपने व्यावसायिक कार्यकलापों को विविधता प्रदान की है और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे एसटीसी, एमएमटीसी एवं पीईसी इत्यादि द्वारा अपनाए गए प्रतिमान पर अपने बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के विधिवत अनुमोदन सहित 2003-04 के दौरान सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रणाली (टाई अप) व्यवसाय में व्यवसायिक पहलों की शुरूआत की है। इस व्यवस्था के तहत, नैफेड ने 62 पार्टियों के पास 3962.24 करोड़ रुपये का निवेश किया है। आज की स्थिति के अनुसार, नैफेड के 29 सहयोग (टाई अप) व्यापार सहयोगियों ने लगभग 1429.87 करोड़ रुपये की देय राशि के पुनर्भुगतान में चूक की है जिसमें 1076.18 करोड़ रुपए की मूल धनराशि और 31.8.2008 तक 353.69 करोड़ रुपए के ब्याज और सेवा प्रभार शामिल हैं। इससे नैफेड को 2007-08 के दौरान 56.69 करोड़ रुपए की समग्र निवल हानि हुई और नैफेड की नकदी की स्थिति तथा इसके व्यापार कार्यक्रम पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। चूककर्ता पार्टियों के खिलाफ कानूनी मामलों और मध्यस्थों द्वारा मामला सुलझाने की प्रक्रियाएं शुरू करने और इन मामलों पर तेजी से अनुवर्ती कार्रवाई करने के अल्वा नैफेड ने सीबीआई/दिल्ली पुलिस की अपराधा शाखा के आर्थिक अपराध खण्ड में आपराधिक शिकायतें दर्ज करा कर बकाया धनराशि को वसूल करने के लिए कदम उठाए हैं। सभी सम्भावित मामलों में चूककर्ता पार्टियों की सम्पत्तियों/माल को नियंत्रित कर लिया गया है और इस तरह की सम्पत्तियों/माल के निपटान की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। चूककर्ता पार्टियों के सभी बाउन्स हुए चैकों के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम (नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट) की धारा 138 के तहत भी मामले दर्ज किये गये हैं।

बी.एस.एन.एल. में धीमा विकास

***139. श्री उदय सिंह:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने चालू वर्ष के दौरान धीमी विकास दर दर्ज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए पता लगाए गए कारण क्या हैं;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग के कतिपय नीतिगत निर्णयों को समय पर कार्यान्वित करने में बीएसएनएल की विफलता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकारी क्षेत्र की इस कंपनी द्वारा सरकार के दूरसंचार नीति संबंधी निर्णयों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) बीएसएनएल का उचित गति से विकास सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड वर्ष (अप्रैल से सितंबर, 2008) के दौरान गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि (अप्रैल से सितंबर, 2007) के दौरान 1.63 मिलियन टेलीफोन कनेक्शनों की तुलना में 1.65 मिलियन टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए हैं। पिछले और वर्तमान वर्ष में बीएसएनएल से संबंधित वृद्धि दर नीचे दी गई है:-

अवधि	अवधि के प्रारंभ में (1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार) स्थिति (आंकड़े मिलियन में)	अवधि के दौरान शामिल निवल टेलीफोन कनेक्शन (आंकड़े मिलियन में)	अवधि के दौरान वृद्धि दर
अप्रैल, 2007 से सितंबर, 2007	64.72	1.63	2.52%
अप्रैल, 2008 से सितंबर, 2008	72.34	1.65	2.28%

वर्तमान वर्ष के प्रथम छः महीनों में बीएसएनएल द्वारा दर्ज की गई वृद्धि दर गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि की वृद्धि दर के समान है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ङ) बीएसएनएल प्रत्येक वर्ष दूरसंचार विभाग के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहा है और दूरसंचार विभाग द्वारा इसके कार्य-निष्पादन का तिमाही आधार पर अनुवीक्षण किया जाता है। यूएसओएफ करार के अनुसार बीएसएनएल ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान कर रहा है और पहले से मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) प्रौद्योगिकी पर कार्य कर रहे वीपीटी को बदल रहा है। बीएसएनएल ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनें भी प्रदान कर रहा है।

(च) वर्ष 2008-09 के दौरान फिक्स्ड और मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) उपस्कर की 1.9 मिलियन लाइनों और जीएसएम मोबाइल उपस्कर की 30 मिलियन लाइनों के लिए आर्डर दिया गया है। इसके अलावा, बीएसएनएल ने अगले तीन वर्षों में भावी वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए 93 मिलियन जीएसएम मोबाइल लाइनों की खरीद के लिए निविदा आमंत्रित की है।

श्रम उपकर का संग्रहण

***140. श्री एस.के. खारवेलथन:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने श्रम उपकर के रूप में भारी धनराशि एकत्र कर ली है परंतु उन्होंने श्रमिकों के कल्याण पर बहुत ही कम राशि खर्च की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा श्रम उपकर के रूप में अब तक राज्य-वार कितनी धनराशि संग्रहीत और खर्च की गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए उपकर के सोद्देश्य उपयोग हेतु राज्य सरकारों को कोई अनुदेश जारी किये हैं और ऐसे राज्यों को क्या प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (घ) राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य में, भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 और भवन व अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं। राज्य सरकारों से यह भी अपेक्षित है कि वे इस मामले में राज्य भवन व अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन करें, राज्य नियमों को अधिसूचित करें और राज्य सलाहकार समिति आदि का गठन करें।

राज्य सरकारें उपकर संग्रहीत कर रही हैं और उपकर राज्य कल्याण बोर्डों को हस्तांतरित किया जाता है। राज्य कल्याण बोर्ड भवन और अन्य निर्माण कामगारों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं। राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार 23.10.2008 तक की स्थिति के अनुसार उपकर के रूप में लगभग 1145 करोड़ रुपये की राशि संग्रहीत की गई है और लगभग 415 करोड़ रुपये की राशि को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए कार्यान्वित करने वाले राज्यों पर खर्च की गई है।

राज्य सरकारों को उपकर संग्रहीत करना होता है और कल्याण बोर्डों के जरिए विभिन्न कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन करना होता है। कल्याण बोर्ड का गठन भवन व अन्य निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के तहत किया जाता है। उपकर संग्रहण धीरे-धीरे बढ़ रहा है। केन्द्रीय सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अध्यक्षता में नियमित अंतराल पर क्षेत्रवार बैठकें आयोजित की जा रही हैं ताकि राज्यों को उपकर की सार्थक उपयोगिता के लिए और भवन व अन्य निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के कार्यान्वयन की प्रगति के अनुवीक्षण हेतु कहा जा सके।

राज्यों को कोई प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि अधिनियम का शासन इसके उपबंधों के अनुसार होता है।

राज्यवार संग्रहीत और खर्च की गई उपकर राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

23.10.2008 की स्थिति के अनुसार भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत उपकर संग्रहण की राज्य-वार स्थिति (करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संग्रहीत उपकर राशि	व्यय की गई उपकर राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	103	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.06	0.03
3.	असम		
4.	बिहार		

1	2	3	4
5.	छत्तीसगढ़		
6.	गोवा		
7.	गुजरात	103	0
8.	हरियाणा	65	0.3
9.	हिमाचल प्रदेश		
10.	जम्मू-कश्मीर		
11.	झारखंड		
12.	कर्नाटक	74.44	0.34
13.	केरल	254	227
14.	मध्य प्रदेश	195	128.51
15.	महाराष्ट्र	0.87	
16.	मणिपुर		
17.	मेघालय		
18.	मिजोरम		
19.	नागालैंड		
20.	उड़ीसा		
21.	पंजाब		
22.	राजस्थान		
23.	सिक्किम		
24.	तमिलनाडु	229.27	57.22
25.	त्रिपुरा	3	0
26.	उत्तर प्रदेश		
27.	उत्तराखंड		
28.	पश्चिम बंगाल	32.73	0.02
29.	दिल्ली	80	0.12
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		
31.	चंडीगढ़		
32.	दादरा और नगर हवेली	0.01	
33.	दमन और दीव		
34.	लक्षद्वीप		
35.	पुडुचेरी	4.55	1.1
	कुल	1144.93	414.64

टिप्पणी: जहां राशि नहीं दर्शाई गई है वहां राज्यों ने उपकर संग्रहण प्रारम्भ नहीं किया है।

शिशु मृत्यु दर

*141. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री के. सुब्बारायण:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ भागों में शिशु मृत्यु दर के अधिक होने का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा शिशु मृत्यु को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) भारत के महापंजीयक के कार्यालय, गृह मंत्रालय के नमूना पंजीयन सर्वेक्षण (एसआरएस), 2007 द्वारा जारी किए गए अनुमानों के अनुसार वर्तमान में देश की शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर 55 है। राज्यवार शिशु मृत्यु दर (एसआरएस 2007) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार शिशुओं एवं बच्चों की होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए अपने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के जरिए निम्नलिखित कार्यकलाप कार्यान्वित कर रहा है:-

नवजात एवं शैशवकालीन बीमारी का समेकित उपचार (आईएमएनसीआई):

नवजात एवं शैशवकालीन बीमारी का समेकित उपचार (आईएमएनसीआई) कार्यनीति में सर्वाधिक सामान्य प्रमुख शैशवकालीन बीमारियों जिनसे मौत होती है अर्थात् नवजात बीमारियां, श्वसनी संक्रमण, अतिसार, खसरा, मलेरिया तथा कुपोषण की रोकथाम एवं इन्हें नियंत्रित करने के लिए अनेक कार्यकलाप शामिल हैं। इसमें निवारक, संवर्धक एवं रोगहर पहलुओं पर बल दिया गया है अर्थात् इसमें कार्यक्रम को समग्रतावादी दृष्टिकोण प्रदान किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरूआत देश भर में चरणबद्ध ढंग से की जा रही है। देश में आईएमएनसीआई के कार्यान्वयन से आशा की जाती है कि शिशु एवं बाल मृत्यु में कमी आएगी।

शिशु एवं बाल आहार (आईवाईसीएफ):

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू में केवल स्तनपान तथा उचित समय पर संपूरक आहार के संवर्धन पर बल दिया जा रहा है। शुरू में तथा आयु के छह माह तक केवल

स्तनपान तथा 6 माह से समयोजित संपूरक आहार के साथ 2 वर्ष तक सतत स्तनपान की बाल जीवन प्रत्याशा के लिए एकल सर्वाधिक निवारक कार्यकलाप के रूप में हिमायत की जा रही है और इसके परिणामस्वरूप शिशु एवं बाल मृत्यु में 19% कमी आ सकती है।

अतिसार रोग का नियंत्रण:

अतिसार प्रारंभिक शैशवास्था में होने वाला एक सामान्य किन्तु संभवत: गंभीर बीमारी है। भारत सरकार ने देश में सभी अतिसारी रोगियों के नियंत्रण हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन का नया ओआरएस अपनाया है।

तीव्र श्वसनी संक्रमण का नियंत्रण (एआरआई):

तीव्र श्वसनी संक्रमण का नियंत्रण एक गंभीर शैशवकालीन बीमारी है। तीव्र श्वसनी संक्रमण का नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार तीव्र श्वसनी संक्रमण के सभी रोगियों की शुरू में ही पहचान करने एवं उपचार के लिए एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को रोगियों का शीघ्र पता लगाने एवं उपचार शुरू करने तथा गंभीर रोगियों को उपचार हेतु उच्चतर केन्द्रों में रेफर करने की सीख दी जाती है। तीव्र श्वसनी संक्रमणों के शुरू में ही पता चलने एवं समय पर उपचार होने से शिशुओं एवं बच्चों की मौतों में कमी आने की आशा है।

अनिवार्य नवजात परिचर्या:

चूंकि 23% नवजात मृत्यु जन्म के समय श्वासावरोध के कारण होती है, इसलिए भारत सरकार द्वारा दक्ष जन्म परिचर (एसबीए) के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ताओं का पुनरुज्जीवन प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। इन केन्द्रों के क्षमता निर्माण के भाग के रूप में पुनरुज्जीवन उपकरण की आपूर्ति की जाती है। क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्ताओं को अनिवार्य शिशु परिचर्या अर्थात् जन्म के आधे घंटे के भीतर स्तनपान कराना, बच्चे को गर्भ में रखना, अल्पतप्तता (हाइपोथर्मिया) की रोकथाम, कोर्ड परिचर्या तथा संक्रमण की रोकथाम में प्रशिक्षित किया जाता है।

रोग प्रतिरक्षण:

उच्च शिशु एवं बाल मृत्यु के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए भारत सरकार बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए अपने मुख्य कार्यकलापों में से एक कार्यकलाप के रूप में रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। सभी बच्चों को बीसीजी, डीपीटी, ओपीवी एवं खसरे की वैक्सीन दी जाती है। हेपेटाइटिस बी को कुछ राज्यों में रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में हाल ही में शामिल किया गया है।

विटामिन ए संपूरण:

भारत सरकार विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए विटामिन ए संपूरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है।

आयरन संपूरण:

शैशवकालीन रक्ताल्पता को दूर करने के लिए आयरन एवं फोलिक एसिड संपूरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

विवरण

शिशु मृत्यु दर 2007

	भारत	**55**
	बड़े राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	54
2.	असम	66
3.	बिहार	58
4.	छत्तीसगढ़	59
5.	दिल्ली	36
6.	गुजरात	52
7.	हरियाणा	55
8.	जम्मू-कश्मीर	51
9.	झारखंड	48
10.	कर्नाटक	47
11.	केरल	13
12.	मध्य प्रदेश	72
13.	महाराष्ट्र	34
14.	उड़ीसा	71
15.	पंजाब	43
16.	राजस्थान	65
17.	तमिलनाडु	35
18.	उत्तर प्रदेश	69
19.	पश्चिम बंगाल	37

	छोटे राज्य	
1.	अरुणाचल प्रदेश	37
2.	गोवा	13
3.	हिमाचल प्रदेश	47
4.	मणिपुर	12
5.	मेघालय	56
6.	मिजोरम	23
7.	नागालैंड	21
8.	सिक्किम	34
9.	त्रिपुरा	39
10.	उत्तराखंड	48
	संघ राज्य क्षेत्र	
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	34
	चंडीगढ़	27
	दादरा और नगर हवेली	34
	दमन और दीव	27
	लक्षद्वीप	24
	पुडुचेरी	25

एसआरएस बुलेटिन अक्तूबर, 2008
नमूना पंजीयन प्रणाली
महापंजीयक, भारत
नोट: छोटे राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए शिशु मृत्यु दरें तीन वर्ष की अवधि 2005-07 पर आधारित हैं।

[हिन्दी]

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान

*142. **श्री शिशुपाल एन. पटले:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अस्पतालों में पैदा होने वाला जैव-चिकित्सा अपशिष्ट पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस अपशिष्ट के निपटान हेतु कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ऐसी योजना के अंतर्गत कोई सहायता प्रदान करती है;

(च) यदि हां, तो वर्ष 2007-08 के दौरान प्रत्येक राज्य को दी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(छ) यह योजना अपने उद्देश्यों को कहां तक प्राप्त कर पाई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) और (ख) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट से तात्पर्य किसी भी प्रकार का अपशिष्ट जो मनुष्यों अथवा जानवरों के निदान, उपचार या प्रतिरक्षण अथवा उनसे संबंधित अनुसंधान क्रियाकलापों अथवा जैविकों के उत्पादन या परिक्षण के दौरान उत्पादन से है। स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं से उत्पादित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट में मानव उत्तक, अंग, शरीर के भाग, सूई और अन्य संक्रामक सामग्री शामिल होती है। यदि इस अपशिष्ट का उचित तरीके से निपटान नहीं किया जाए तो यह संभवत: खतरनाक हो सकता है जिससे एड्स, हेपिटाइट्स-बी और हेपिटाइट्स-सी जैसे विभिन्न रोगों में वृद्धि के कारण मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यदि इस अपशिष्ट का पर्यावरण में अंधाधुंध और गैर वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जाता है तो इससे मृदा और जल संदूषण के माध्यम से पर्यावरण को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमावली, 1998 अधिसूचित की है और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत इसमें संशोधन किया है। यह स्कीम देश में स्वास्थ्य देखरेख संस्थानों (एचसीई) से उत्पादित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान हेतु तैयार की गई है। ये नियम जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उत्पादित करने वाले प्रत्येक संस्थान के मालिक के लिए यह अनिवार्य बनाते हैं कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए कि ऐसे अपशिष्ट का निपटान मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाल डाले बिना किया गया है। इन नियमों में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के पृथक्करण, एकत्रण, पैकिंग, लेबलिंग, शोधन और निपटान के तरीके का उल्लेख किया गया है।

इन नियमों में, भस्मक, आटोक्लेव, माइक्रोवेव जैसे विभिन्न शोधन सिस्टम और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट जैसे शोधन मानक निर्धारित किए हैं।

(ङ) से (छ) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट नियमावली के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, केन्द्र सरकार उक्त नियमावली के उचित क्रियान्वयन को सरल बनाने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु स्टेकहोल्डर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

गरीबों का उपचार

*143. **श्री वी.के. ढुम्मर:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गरीब लोगों के उपचार हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गयी और इसमें से कितनी व्यय की गयी;

(ग) क्या सरकार इन योजनाओं के निष्पादन से संतुष्ट है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) भारत सरकार वहनीय आधार पर गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या तक देश के सभी नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयोजनार्थ सरकार ने अप्रैल, 2005 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) प्रचालित किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं तक गरीब एवं जरूरतमंद रोगियों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जन स्वास्थ्य प्रणाली में व्यापक सुधार करने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए अंत: और अंतर-क्षेत्रीय समाभिरूपता पर अत्यधिक बल देते हुए एक पूर्णतया प्रचालनात्मक विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य प्रदानगी प्रणाली की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने में जरूरतमंद रोगियों को हो रही कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया गया है तथा यह विशेषतौर पर जनसंख्या के गरीब तथा असुरक्षित वर्गों को सुगम, वहनीय, उत्तरदायी, प्रभावी एवं विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रजनन और बाल स्वास्थ्य-II, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों एवं समेकित रोग निगरानी सहित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मौजूदा राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संरक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा, इसमें अच्छे स्वास्थ्य के बुनियादी निर्धारकों के रूप में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विज्ञान, पोषण एवं सुरक्षित पेय जल पर ध्यान देते हुए स्वास्थ्य के मुद्दे पर क्षेत्र-वार ढंग से ध्यान दिया जाता है। विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आवंटित एवं जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	आवंटन (करोड़ रु.)	जारी की गई निधियां (करोड़ रु.)
2005-06	6731.16	5862.39
2006-07	9065.00	7361.08
2007-08	11010.00	10189.03
2008-09	12050.00	5905.53

सरकार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे तथा प्रमुख जानलेवा रोगों से ग्रस्त रोगियों को सीधे वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत इस सहायता से रोगियों को किसी भी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल/संस्था या अन्य सरकारी अस्पताल में चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने में मदद मिलती है।

[अनुवाद]

पोलियो के मामले

*144. **श्री उदय सिंह:**
श्री महावीर भगोरा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में पोलियो के मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पोलियो की खुराक दिए जाने के बावजूद बड़ी संख्या में बच्चों को अभी भी पोलियो होने का खतरा बना हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो देश से पोलियो को समाप्त करने हेतु क्या रणनीतियां अपनायी गयी हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों में सूचित किए गए पोलियो के मामलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। बच्चों की रोग प्रतिरक्षण स्थिति में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। अभी भी स्थानिकमारी वाले जिलों में बच्चे पोलियो के प्रति अतिसंवेदनशील हैं क्योंकि:

* अनेक जोखिम कारकों जो विषाणु के संचरण में सहायता करते हैं और मुख्य सेव्य वेक्सीन की प्रभावकारिता को बाधित करते हैं, की ओर अभिमुखता।
* संचरण को रोकने के लिए लोगों को उनके घरों पर आवश्यक रोग प्रतिरक्षा प्रदान करना और स्थानिकमारी वाले जिलों में, जहां यह बहुत अधिक है, इसके अवसान को बनाए रखना।
* आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 2008 की प्रथम और द्वितीय तिमाही के दौरान पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानिकमारी वाले जिलों में युवा बच्चों में डब्ल्यूपीवी1 के प्रति रोग प्रतिरक्षण में कमी हुई है।

(घ) देश से पोलियो का उन्मूलन करने के लिए अपनाई गई कार्यनीति नीचे दी गई है:

* स्थानिकमारी वाले राज्यों/जिलों में मोनोवेलेंट टाइप विशिष्ट वैक्सीन के साथ अनुपूरण रोग प्रतिरक्षण कार्यकलाप शुरू करना।
* पोलियो मुक्त क्षेत्रों में पोलियो विषाणु का पता लगने के बाद मॉप अप रोग प्रतिरक्षण कार्य शुरू किए जा रहे हैं।
* धार्मिक नेताओं, ग्राम पंचायतों और सामुदायिक नेताओं को शामिल करके प्रभावी सामाजिक गतिशीलता लाई जा रही है।

विवरण

2005 से 2008 तक पोलियो के मामलों की संख्या

(24 अक्तूबर, 2008 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वाइल्ड पोलियोवायरस			
		2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	5	1
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
4.	असम	0	2	0	1
5.	बिहार	30	61	503	226
6.	चंडीगढ़	0	1	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0
10.	दिल्ली	1	7	2	3
11.	गोवा	0	0	0	0
12.	गुजरात	1	4	1	0

1	2	3	4	5	6
13.	हरियाणा	1	19	6	2
14.	हिमाचल प्रदेश	0	1	0	0
15.	जम्मू-कश्मीर	0	1	0	0
16.	झारखंड	2	1	0	0
17.	कर्नाटक	0	0	1	0
18.	केरल	0	0	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	0	3	0	1
21.	महाराष्ट्र	0	5	2	2
22.	मणिपुर	0	0	0	0
23.	मेघालय	0	0	0	0
24.	मिजोरम	0	0	0	0
25.	नागालैंड	0	0	0	0
26.	उड़ीसा	0	0	1	2
27.	पांडिचेरी	0	0	0	0
28.	पंजाब	1	8	1	1
29.	राजस्थान	0	1	3	1
30.	सिक्किम	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	0	0	0	0
32.	त्रिपुरा	0	0	0	0
33.	उत्तराखंड	1	13	6	0
34.	उत्तर प्रदेश	29	548	341	254
35.	पश्चिम बंगाल	0	1	2	2
	कुल	66	676	874	496

देशी पक्षियों का अवैध व्यापार

*145. **श्रीमती जयाप्रदा:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देशी प्रजाति के पक्षियों का अवैध व्यापार किए जाने के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देशी पक्षियों के अवैध व्यापार को रोकने हेतु वन्यजीव से संबंधित वर्तमान कानूनों को संशोधित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अन्य कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा पक्षियों की देशी प्रजातियों के अवैध व्यापार के छुटपुट मामले सूचित किए गए हैं। ऐसे मामलों में अधिकांशत: ऐसी पक्षी शामिल हैं जो पालतू पशु व्यापार, पंख संग्रहण, मांस आदि में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे पी फाउल, एडिवल नेस्ट स्विफ्टलेट, जंगल फाऊल आदि।

(ग) और (घ) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में देशी पक्षियों सहित वन्य पशुओं के अवैध शिकार, शिकार और अवैध व्यापार के खिलाफ अधिक कड़े उपबंध हैं। तथापि, वन्यजीव और इसके व्युत्पन्नों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में कन्वेंशन आन एन्डेजर्ड स्पिीशिज इन वाइल्ड फाउना और फ्लोरा (साइटस) से संबंधित एक अध्याय जोड़ने का प्रस्ताव किया है।

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण को सुदृढ़ करने तथा देशी पक्षियों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं:

(1) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची में वन्यजीवों की संकटापन्न प्रजातियों को शामिल किया गया है, जिससे उन्हें उच्चतम श्रेणी की सुरक्षा मिली है।

(2) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में समय-समय पर संशोधन किया गया है तथा इसे वन्यजीवों से संबंधित अपराधों के विरुद्ध और अधिक कड़ा बनाया गया है।

(3) वन्यजीवों एवं उनके पर्यावासों की बेहतर सुरक्षा के लिए सुरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(4) वन्यजीव और इसके उत्पादों में अवैध व्यापार को रोकने के लिए वन्यजीव, अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित किया गया है।

(5) राज्य सरकारों से सुरक्षित क्षेत्रों तथा अन्य समृद्ध जैव-विविधता वाले क्षेत्रों के आस-पास क्षेत्र-रचना तथा गहन पैट्रोलिंग के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुरोध किया गया है।

(6) वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों जैसे कि 'राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों का विकास' 'बाघ परियोजना' तथा 'हाथी परियोजना' के अंतर्गत राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों को आर्थिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

***146. श्री प्रहलाद जोशी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.सी.एच.) कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कुल बजटीय आवंटन सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम की प्रगति का मूल्यांकन भी किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां आर.सी.एच. कार्यक्रम के गहन कार्यान्वयन की आवश्यकता है;

(छ) क्या सरकार का विचार इन राज्यों में उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु ग्यारहवीं योजना के दौरान विशेष पैकेज देने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी, हां।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-I कार्यक्रम

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य चरण-I कार्यक्रम का शुभारम्भ भारत सरकार द्वारा वर्ष 1997 में किया गया जिसमें सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य एवं अन्य प्रजनन स्वास्थ्य जैसे व्यापक विषयों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विशेषकर महिलाओं और अन्य उपेक्षित वर्गों में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर करना, स्वास्थ्य में सरकारी खर्चों को बढ़ाना, जिला और खण्ड स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधन में सुधार लाना तथा बुनियादी प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की अव्यक्त मांग को पूरा करना है।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-II

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-II, जो प्रजनन, बाल एवं मातृ स्वास्थ्य पर भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, का शुभारम्भ भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अप्रैल, 2005 में किया गया। इस कार्यक्रम को परिणामोन्मुखी एवं गरीबोन्मुखी बनाने के लिए इसको नई दिशा एवं शक्ति प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य मातृ-मृत्यु अनुपात, शिशु मृत्यु दर और कुल प्रजननता दर में कमी लाना है।

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं

इस कार्यक्रम में सम्पूर्ण परिवार कल्याण क्षेत्र को शामिल करते हुए, विशेषकर निर्धन एवं अल्पसेवित लोगों द्वारा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग में सुधार करके परिणामों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करके और इस प्रकार राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देकर एक साझा दृष्टिकोण एवं कार्यक्रम विकसित किया गया है। इसमें जिला कार्यों तथा उपलब्ध क्षमताओं में यथानिर्धारित आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। इस कार्यक्रम में राज्यों को सहमति प्राप्त परिणामों को प्राप्त करने के लिए निधियों का एक भाग आवंटित करके आबंटित निधियों का प्रयोग करने तथा जवाबदेही बढ़ाने की अधिकाधिक छूट लेने की अनुमति भी दी गई है कि साथ ही नए दृष्टिकोणों का उपयोग और प्राइवेट एवं गैर-सरकारी संगठन क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना इस कार्यक्रम की विशेषताएं हैं। सभी संबंधित एवं अंतरसंबद्ध एकल स्कीमों को एक समग्र कार्यक्रमों में मिलकर एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में इस कार्यक्रम की अभिकल्पना की गई है। इस कार्यक्रम में परिवार कल्याण क्षेत्र में क्षेत्रवार दृष्टिकोण अपनाया गया है।

कार्यक्रम का कार्यान्वयन

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का कार्यान्वयन सूक्ष्म आयोजना आधारित निर्देशात्मक स्कीम से हटने और इसके बजाए कार्यक्रम इनपुटों के बारे में निर्णय लेने की छूट के साथ आवश्यकता आधारित कार्ययोजनाएं तैयार करने हेतु राज्यों को अनुमति देने की दृष्टि से नम्य कार्यक्रम दृष्टिकोण के साथ किया गया है; विदेशी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल एवं युक्तिसंगत बनाने के लिए दाता वित्तपोषण हेतु पूल वित्त पोषण कार्यनीति अपनाई जा रही है।

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष में आबंटनों का राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-II कार्यक्रम का मूल्यांकन

सरकार द्वारा चरण-II की नियमित मानीटरिंग और मूल्यांकन में द्विवार्षिक संयुक्त समीक्षा मिशन शामिल है। अब तक पांच द्विवार्षिक संयुक्त समीक्षा मिशन आयोजित किए गए हैं। इनसे पता चला है कि विभिन्न सूचकों में काफी प्रगति संस्थागत प्रसवों आदि में वृद्धि हुई है।

(च) से (ज) विभिन्न राज्यों के कार्यनिष्पादन स्तरों में उच्चस्तरीय उपलब्धि से लेकर निम्नस्तरीय उपलब्धि का पता चलता है। कार्यनिष्पादन में अंतर के कारण सामाजिक-सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों पर आधारित है जो कि भारत जैसे देश के लिए बहुत ही विशिष्ट है। इन अंतरों को ध्यान में रखने के लिए यह माना गया है कि "वन साइज फिट आल" कार्यनीति पर्याप्त नहीं हो सकती है और इसलिए कार्यक्रम की रूप रेखा में राज्यों के समूहों के लिए उपलब्धियों के विभिन्न स्तरों पर अंतरमूलक दृष्टिकोण को लिया गया है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के रूप में आवश्यकता आधारित वार्षिक योजनाएं तैयार करने की छूट राज्यों को दी गई है जिन पर मंत्रालय में राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति द्वारा विचार किया जाता है और तदनुसार राज्यों को अनुमोदन की सूचना दी जाती है तथा निधियां जारी की जाती हैं। 18 राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विशेष राज्यों के लिए इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु 11वीं योजना में एक और विशेष पैकेज पर विचार किया गया है। तथापि, इस कार्यक्रम में जमीनी वास्तविकताओं और आवश्यकताओं के स्थितिगत विश्लेषण के आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाएं तैयार करने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आमंत्रित करके विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया अपनाई गई है। राज्यों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित की जाने वाली समय सारणी के अनुसार अपनी योजना के साथ प्रत्येक जिले के स्पष्ट उद्देश्यों वाली जिला योजनाएं स्वयं तैयार करें। उपर्युक्त विशेषताओं में कार्यक्रम के नियोजन, कार्यान्वयन, मानीटरिंग एवं मूल्यांकन की जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई है।

जननी सुरक्षा योजना, जो प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-II कार्यक्रम का एक घटक है, में कम संस्थागत प्रसव दर वाले राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ निर्धन गर्भवती महिलाओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा, राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों को कम कार्यनिष्पादन वाले राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और शेष राज्यों को उच्च कार्य निष्पादन वाले राज्यों के रूप में।

कम कार्यनिष्पादन वाले राज्यों और उच्च कार्यनिष्पादन वाले राज्यों के लिए अन्तरमूलक नकद सहायता का सिद्धांत जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपनाया जा रहा है।

संस्थागत प्रसव के लिए नकद सहायता (रुपए में) का मानदण्ड निम्न प्रकार है:

वर्ग	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र	
	मां का पैकेज	आशा का पैकेज	मां का पैकेज	आशा का पैकेज
कम कार्यनिष्पादन वाले राज्यों में	1400	600	100	200
उच्च कार्यनिष्पादन वाले राज्यों में	700		600	

विवरण

वर्ष 2005-06 से वर्ष 2008-09 में आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल के अंतर्गत आबंटन

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	2005-06 आबंटन	2006-07 आबंटन	2007-08 आबंटन	2008-09 बजट अनुमान
1	2	3	4	5	6
क.	**अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य**				
1.	बिहार	141.82	174.32	62.76	213.84
2.	छत्तीसगढ़	36.64	43.98	39.66	53.58
3.	हिमाचल प्रदेश	10.08	10.10	10.98	12.16
4.	जम्मू-कश्मीर	15.18	16.31	13.22	20.09
5.	झारखंड	47.03	56.89	52.33	69.46
6.	मध्य प्रदेश	107.90	126.88	271.25	155.79
7.	उड़ीसा	64.32	77.30	112.25	94.76
8.	राजस्थान	98.51	118.70	164.82	145.62
9.	उत्तर प्रदेश	287.76	349.28	181.80	428.17
10.	उत्तराखंड	15.17	17.68	16.35	21.83
	उप-योग	824.43	991.44	925.42	1215.30
ख.	**पूर्वोत्तर राज्य**				
11.	अरुणाचल प्रदेश	5.85	4.76	11.97	8.38
12.	असम	112.30	120.08	166.84	204.09
13.	मणिपुर	13.89	10.67	14.24	18.25

1	2	3	4	5	6
14.	मेघालय	10.46	10.61	13.87	17.66
15.	मिजोरम	14.72	4.13	7.76	6.88
16.	नागालैंड	8.89	8.90	11.88	15.26
17.	सिक्किम	2.97	2.38	3.46	4.19
18.	त्रिपुरा	13.21	14.24	18.53	24.54
	उप-योग	182.28	175.77	248.55	299.25
ग.	**अधिक ध्यान नहीं दिए जाने वाले राज्य**				
19.	आंध्र प्रदेश	103.84	122.66	145.84	150.08
20.	गोवा	1.83	2.08	1.51	2.73
21.	गुजरात	68.71	82.03	64.10	100.47
22.	हरियाणा	29.18	33.99	31.11	41.92
23.	कर्नाटक	72.26	85.43	69.25	104.69
24.	केरल	42.90	51.56	58.77	63.26
25.	महाराष्ट्र	128.82	156.54	68.92	191.51
26.	पंजाब	32.97	39.32	30.60	48.13
27.	तमिलनाडु	82.63	100.31	82.46	122.80
28.	पश्चिम बंगाल	106.41	129.57	127.38	159.01
	उप-योग	669.55	803.49	679.94	984.60
घ.	**छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**				
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.75	0.66	0.56	0.74
30.	चंडीगढ़	1.10	1.37	0.98	1.74
31.	दादरा और नगर हवेली	0.61	0.61	0.37	0.50
32.	दमन और दीव	0.60	0.58	0.28	0.40
33.	दिल्ली	17.79	22.34	14.12	27.29
34.	लक्षद्वीप	0.57	0.54	0.46	0.20
35.	पुडुचेरी	1.48	1.42	1.33	1.98
	उप योग	0.00	0.00	0.00	3.00
	कुल	22.90	27.52	18.09	35.85
	कुल योग	1699.16	1998.22	1872.00	2535.00

[हिन्दी]

केन्द्रीय सड़क निधि

***147. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के आबंटन के संबंध में नए मानदण्ड जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्यों को केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत उनके निर्धारित हिस्से से अधिक धनराशि प्रदान करती है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों को दी गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत धनराशि जारी करने हेतु सरकार को विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) इस संबंध में लम्बित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। तथापि, किसी वित्त वर्ष के दौरान किसी राज्य में केन्द्रीय सड़क निधि के कम उपयोग के कारण हुई बचत, यदि कोई हो, का आबंटन उन राज्यों को, जहां पर ऐसी निधि की मांग अधिक होती है, इस शर्त के अधीन कर दिया जाता है कि इस प्रकार किया गया अधिक आबंटन उन राज्यों के अव्ययित शेष की संचयी जमाराशि तक सीमित रहे।

(घ) से (च) वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 (अद्यतन तिथि तक) के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय सड़क निधि प्रस्तावों और राज्यों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। केन्द्रीय सड़क निधि के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन एक सतत प्रक्रिया है। यह अनुमोदन, राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को पूरा किए जाने, निधि के उपयोग और उपयोग प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति पर निर्भर करता है।

विवरण

वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक और 2008-09 में (अद्यतन तिथि तक) केन्द्रीय सड़क निधि के अधीन अनुमोदित निर्माण कार्यों से राज्यों को निधियां जारी करने की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	2005-2006			2006-2007			2007-2008			2008-2009 (अद्यतन तिथि तक)		
		अनुमोदित कार्य		*जारी की गई धनराशि	अनुमोदित कार्य		*जारी की गई धनराशि	अनुमोदित कार्य		*जारी की गई धनराशि	अनुमोदित कार्य		*जारी की गई धनराशि
		संख्या	धनराशि (करोड़ रुपए)	(करोड़ रुपए)	संख्या	धनराशि (करोड़ रुपए)	(करोड़ रुपए)	संख्या	धनराशि (करोड़ रुपए)	(करोड़ रुपए)	संख्या	धनराशि (करोड़ रुपए)	(करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	66	171.37	107.12	3	10.40	47.10	81	197.27	135.61	10	247.80	130.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	12.85	11	42.31	10.33	5	25.32	18.13	0	0.00	0.00
3.	असम	9	27.99	24.72	4	15.96	18.60	7	71.00	26.13	8	90.45	11.98
4.	बिहार	0	0.00	21.83	8	25.34	22.91	9	68.16	16.14	0	0.00	27.48
5.	छत्तीसगढ़	4	28.22	24.71	10	24.54	22.72	2	10.03	40.35	10	102.95	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	गोवा	0	0.00	1.70	3	10.59	0.00	0	0.00	4.17	3	14.13	0.00
7.	गुजरात	117	179.86	97.72	27	55.69	96.60	77	183.08	97.07	49	216.45	52.42
8.	हरियाणा	9	77.71	37.46	1	17.09	56.57	7	89.00	54.76	8	129.72	66.18
9.	हिमाचल प्रदेश	8	25.71	13.16	2	4.25	12.16	4	12.80	15.48	0	0.00	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	8	51.64	38.63	0	0.00	30.84	8	87.00	50.85	0	0.00	18.31
11.	झारखंड	1	3.48	23.99	8	88.95	10.26	0	0.00	17.02	0	0.00	29.89
12.	कर्नाटक	140	110.20	95.13	249	228.60	108.81	8	15.01	102.42	22	311.00	103.82
13.	केरल	13	72.58	46.21	4	28.51	30.92	8	67.37	29.45	8	58.18	26.90
14.	मध्य प्रदेश	37	128.34	91.34	28	108.00	81.24	18	107.99	93.85	0	0.00	28.26
15.	महाराष्ट्र	86	229.40	158.00	64	195.47	214.95	45	171.37	96.68	69	303.83	0.00
16.	मणिपुर	1	2.96	3.77	2	7.02	3.22	1	3.98	3.86	0	0.00	0.00
17.	मेघालय	2	8.59	6.60	0	0.00	5.51	3	14.39	4.06	0	0.00	4.27
18.	मिजोरम	0	0.00	2.50	4	11.46	4.06	10	16.33	4.74	0	0.00	0.00
19.	नागालैंड	1	3.60	1.40	0	0.00	2.87	2	9.81	4.42	0	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	11	53.60	29.52	11	44.36	50.63	14	84.44	31.66	9	76.58	32.36
21.	पंजाब	12	61.15	24.03	6	46.89	62.30	0	0.00	52.92	5	38.81	25.53
22.	राजस्थान	173	227.87	121.16	85	164.04	134.12	50	163.92	132.45	35	112.64	92.89
23.	सिक्किम	0	0.00	1.98	3	1.75	1.42	0	0.00	2.07	2	2.10	1.82
24.	तमिलनाडु	19	36.36	103.50	28	77.70	128.74	14	31.55	68.84	11	30.27	76.22
25.	त्रिपुरा	0	0.00	3.16	0	0.00	2.92	3	20.40	0.00	0	0.00	0.00
26.	उत्तराखंड	0	0.00	6.94	0	0.00	18.46	0	0.00	14.02	0	0.00	8.37
27.	उत्तर प्रदेश	0	0.00	142.00	17	183.83	193.14	0	0.00	159.34	20	336.40	145.54
28.	पश्चिम बंगाल	19	266.72	56.14	2	47.16	66.86	0	0.00	35.70	2	91.51	18.47

*निधियों का जारी किया जाना, आरक्षित निधि के रूप में राज्य के वार्षिक आबंटन का एक तिहाई भाग उपलब्ध कराए जाने के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

वन्यजीव कानूनों का उल्लंघन

*148. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री मधु गौड़ यास्की:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वन्यजीव संबंधी कानूनों के उल्लंघन के मामलों को दर्ज करने हेतु कोई विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में उक्त कानूनों के उल्लंघन के राज्य-वार कितने मामले प्रकाश में आए; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे मामलों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) भारत सरकार ने जून, 2007 में वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972, 2006 में यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित किया। इसके सृजन के परिणामस्वरूप दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई और कोलकाता में स्थित वन्यजीव परिरक्षण के तत्कालीन क्षेत्रीय कार्यालयों और कोचीन, गुवाहाटी और अमृतसर के उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ब्यूरो का भाग बनाया गया और जबलपुर में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किया गया है। ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य संगठित वन्यजीव अपराध से संबंधित सूचना को संग्रहित और मिलान करना और उसका तत्काल कार्रवाई के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्रों और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों में प्रचार करना है ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके, और केन्द्रीकृत वन्यजीव अपराध डाटा बैंक आदि को स्थापित किया जा सके।

(ग) वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उनके न्यायधिकार क्षेत्र के भीतर वन्यजीवों से संबंधित कानूनों के उल्लंघन के मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है।

(घ) वन्यजीव से संबंधित अपराधों से रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं:-

(1) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची में वन्यजीवों की सकंटापन्न प्रजातियों को शामिल किया गया है, जिससे उन्हें उच्चतम श्रेणी की सुरक्षा दी गई है।

(2) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में समय-समय पर संशोधन किया गया है तथा इसे वन्यजीवों से संबंधित अपराधों के विरुद्ध और अधिक कड़ा बनाया गया है।

(3) वन्यजीव और इसके उत्पादों में अवैध व्यापार को रोकने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित किया गया है।

(4) वन्यजीव अपराधों की बेहतर समझ के लिए अन्य संबंधित विभागों और प्रवर्तन एजेंसियों जैसे कस्टम, पैरा मिलिट्री सेनाओं के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(5) राज्य सरकारों से सुरक्षित क्षेत्रों तथा अन्य समृद्ध जैव-विविधता वाले क्षेत्रों के आस-पास क्षेत्र-रचना तथा गहन पैट्रोलिंग के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुरोध किया गया है।

(6) वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों जैसे कि 'राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों', का विकास 'बाघ परियोजना' तथा हाथी परियोजना के अंतर्गत राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों को आर्थिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

विवरण

पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सूचित उनके न्यायाधिकार क्षेत्र के भीतर वन्यजीव से संबंधित कानूनों के उल्लंघन के मामलों की संख्या

कार्यालय का नाम	वन्यजीव से संबंधित कानूनों के उल्लंघन के बारे में सूचित मामलों की संख्या
पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	86
उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली	53
दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	14
पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई	102

अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास

***149. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित करने हेतु केरल सहित विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई;

(ख) कोट्टापुरम से कोल्लम तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 सहित विभिन्न चालू परियोजनाओं के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है तथा सरकार द्वारा कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने हेतु क्या अन्य उपाए किए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) संस्वीकृत परियोजनाओं और केन्द्रीकृत प्रायोजित योजना के अंतर्गत अंतर्देशीय जलमार्गों को विकसित करने के लिए केरल सहित विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई धनराशि का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग-3 की उद्योगमंडल नहर, चम्पाकारा नहर और कोच्चि-अलाप्पुझा जलखण्ड में नौचालनात्मक नहर का विकास कार्य पूरा कर लिया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग-3 में 205 किलोमीटर में से, अलाप्पुझा और कोल्लम के बीच अपेक्षित चौड़ाई और गहराई के लिए 19.66 किलोमीटर तथा कोच्चि-कोट्टापुरम के बीच 4.83 किलोमीटर जलखण्ड ही विकसित किए जाने हेतु शेष है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाई गई कार्य-योजना के अनुसार, शेष कार्य, मार्च, 2010 तक पूरे कर लिए जाएंगे। 205 किलोमीटर के समूचे जलखण्ड में 24 घंटे नौचालन के लिए साधन-सुविधाएं संस्थापित कर दी गई हैं। सात स्थलों अर्थात् कोट्टापुरम, अलुआ, मराडु (कोच्चि), वायकोम, तन्नीरमुक्कम, त्रिकुन्नापुझा और कायमकुलम में टर्मिनलों का निर्माण कर लिया गया है। कोल्लम में टर्मिनल निर्माणाधीन है।

(ग) सरकार ने तीन जलमार्गों अर्थात् (1) इलाहाबाद से हल्दिया (1620 कि.मी.) तक गंगा, (2) सदिया से धुबरी (891 कि.मी.) तक ब्रह्मपुत्र और (3) चम्पाकारा तथा उद्योगमंडल नहरों के साथ-साथ कोल्लम से कोट्टापुरम तक पश्चिम तट नहर (205 कि.मी.) तक को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में पहले ही घोषित कर दिया है। 2010 तक पूरा किए जाने के लिए कार्य योजना के अनुसार, इन्हें कार्य करने योग्य बनाने के लिए इन राष्ट्रीय जलमार्गों में पोत परिवहन और नौचालन के लिए बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाएं अर्थात् नौचालनात्मक नहर, नौचालनात्मक साधन-सुविधाएं और टर्मिनल मुहैया करवाए जा रहे हैं।

पिछले चार सालों से राष्ट्रीय जलमार्ग-1 में प्रदर्शनात्मक कार्गो संचालन जल यात्रा की जा रही है।

अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के द्रुत विकास और गैर-सरकारी क्षेत्र की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष, 2001 में एक अंतर्देशीय जल परिवहन नीति की घोषणा की गई थी। इस नीति के महत्वपूर्ण घटक निम्नानुसार हैं:

* दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जलयान निर्माण की लागत की 30% सब्सिडी लागू थी। इसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखा जाना प्रस्तावित है।
* राष्ट्रीय राजमार्गों की तरह ही कर से छूट अधिसूचित कर दी गई है।
* सीमा-शुल्क रियायतें अधिसूचित कर दी गई हैं।
* उच्च मूल्यह्रास दरें अधिसूचित कर दी गई हैं।
* भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के लिए करार कर सकता है।

संसद ने नहरों के काकीनाडा-पुडुचेरी जलखण्ड और कालुवेली जलाशय, गोदावरी नदी के भद्राचलम-राजामुन्दरी जलखण्ड तथा कृष्णा नदी के वजीराबाद-विजयवाड़ा जलखण्ड (1095 कि.मी.) और नदियों के तलचर-धमरा जलखण्ड, पूर्वी तट नहर के जियोनखली-चरबतिया जलखण्ड, मतिया नदी के चरबतिया-धमरा जलखण्ड और महानदी डेल्टा नदी (623 कि.मी.) को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किए जाने के लिए विधेयक पारित हैं। बराक नदी के लखीपुर-भंगा जलखण्ड (121 कि.मी.) को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किए जाने के लिए विधेयक प्रक्रियाधीन है।

विवरण

वर्ष 2005-06 से 2008-09 के दौरान केन्द्रीकृत प्रायोजित योजना के अंतर्गत अंतर्देशीय जलमार्गों को विकसित किए जाने के लिए संस्वीकृत परियोजनाओं और विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई धनराशि का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

वर्ष	राज्यों का नाम	संस्वीकृत धनराशि (परियोजनाओं की संस्वीकृत लागत)	दी गई धनराशि (केन्द्रीय सहायता)
1	2	3	4
2005-06	असम	(2003-04 के दौरान संस्वीकृत 6.12 करोड़ रु. और 2004-05 के दौरान संस्वीकृत 4.20 करोड़ रु.)	2.43

1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश	0.75	0.15
	गोवा	1.09	0.22
	महाराष्ट्र	7.25	1.45
	मध्य प्रदेश	8.02	1.60
	त्रिपुरा	0.47	0.09
	उत्तर प्रदेश	0.10	0.02
	पश्चिम बंगाल	4.07	8.11
	उड़ीसा	(2003-04 के दौरान संस्वीकृत 2.15 करोड़ रु.)	0.07
	हिमाचल प्रदेश	(2004-05 के दौरान संस्वीकृत 1.17 करोड़ रु.)	0.86
	उप-जोड़	21.75	15.00
2006-07	असम	4.50	3.75
	आंध्र प्रदेश	(2005-06 के दौरान संस्वीकृत 0.75 करोड़ रु.)	0.53
	गोवा	(2005-06 के दौरान संस्वीकृत 1.09 करोड़ रु.)	0.37
	मध्य प्रदेश	(2004-05 के दौरान संस्वीकृत 0.60 करोड़ रु.)	0.43
	मणिपुर	2.80	1.78
	नागालैंड	0.76	0.15
	पश्चिम बंगाल	3.82	4.99
	उप-जोड़	11.88	12.00
2007-08 (*)		शून्य	
2008-09 (*)		शून्य	

*चूंकि 01.04.2007 से अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए केन्द्रीकृत प्रायोजित योजना बंद कर दी गई थी अत: 2007-08 और 2008-09 के दौरान अंतर्देशीय जलमार्गों को विकसित किए जाने के लिए किसी भी राज्य को केन्द्रीय सहायता के रूप में न तो कोई धनराशि संस्वीकृत की गई थी और न ही दी गई थी।

[हिन्दी]

राज्य राजमार्ग परियोजनाओं हेतु सहायता/राजसहायता

***150. श्री मो. ताहिर:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में राज्य राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण हेतु सहायता/राजसहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दी गई सहायता/राजसहायता का ब्योरा क्या है;

(ग) ऐसी सहायता/राजसहायता के आबंटन हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य धनराशि का कितना उपयोग कर पाए और इसके परिणामस्वरूप कितना लक्ष्य प्राप्त कर पाए?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) भारत सरकार केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा सभी सड़कों की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों की है। तथापि, राज्य सरकारों को केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2002 में जमा राशि में उनके हिस्से के अनुसार राज्यीय राजमार्ग सहित राज्य सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि प्राप्त होती है। संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण-I में हैं।

राज्य राजमार्गों और मुख्य जिला सड़कों के सुधार के लिए निधियों के आबंटन का आधार निम्नानुसार है:-

* राज्य में पेट्रोल और डीजल की खपत के लिए 60% वेटिज दी जाती है।
* राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के लिए 40% की वेटिज दी जाती है।

केन्द्रीय सड़क निधि (राज्यीय सड़क) नियमावली, 2007 में निर्धारित मानदंड के अनुसार, अंतर-राज्यीय सड़कों और आर्थिक महत्व की सड़कों को जोड़ने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के अधीन भी निम्नानुसार निधियां प्रदान की जाती हैं-

* अंतर-राज्यीय सड़क संपर्क स्कीम के अंतर्गत 100% तक धनराशि (अर्थात् यह पूर्णत: वित्तपोषित है) प्रदान की जाती है।
* आर्थिक महत्व की स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कुल आवश्यकता के 50% तक निधियां (अर्थात् 50% वित्त पोषण) प्रदान की जाती हैं और शेष 50% की पूर्ति राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से की जाती है।

आर्थिक महत्व और अन्तर-राज्यीय सड़क संपर्क स्कीमों के अंतर्गत धनराशि के आबंटन और व्यय तथा प्राप्त लक्ष्यों के अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

(रुपए करोड़)

वर्ष	केन्द्रीय सड़क निधि प्राप्तियां	केन्द्रीय सड़क निधि से जारी की गई निधि	व्यय का प्रतिशत (प्राप्त किए गए लक्ष्य)
2005-06	1535.36	1299.27	84.62
2006-07	1535.46	1462.29	95.23
2007-08	1565.32	1322.19	84.47
2008-09 (30 सितंबर, 2008 तक)	1671.64	358.31	21.43

विवरण II

(रुपए करोड़)

वर्ष	आर्थिक महत्व और अंतर-राज्यीय सड़क संपर्क के अधीन कुल आबंटन	व्यय	व्यय प्रतिशत (प्राप्त किए गए लक्ष्य)
2005-06	170.60	86.09	50.46
2006-07	170.61	93.10	54.56
2007-08	173.93	131.30	75.49
2008-09 (30 सितंबर, 2008 तक)	185.74	17.35	9.34

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ अभिघात केन्द्र

***151. श्रीमती मेनका गांधी:**
श्री सुकदेव पासवान:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटना के शिकार हुए बड़ी संख्या में व्यक्ति तत्काल चिकित्सा सहायता न मिल पाने के कारण मर जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ स्थापित किए गए अथवा स्थापित किए जा रहे अभिघात केन्द्रों का राज्य-वार तथा स्थान-वार नेटवर्क क्या है;

(घ) पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इन केन्द्रों पर उपचार के लिए लाए गए कितने दुर्घटना पीड़ितों का उपचार किया गया;

(ङ) क्या इन केन्द्रों पर उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (च) दुर्घटना संबंधी अभिघात भारत में मौतों और रुग्णता के प्रमुख कारणों में से एक है। हर वर्ष लगभग 80,000 व्यक्ति मर जाते हैं, 1-2 मिलियन लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 11वीं पंचवर्षीय योजना में 732.75 करोड़ रुपए की कुल लागत से गोल्डन क्वाडरीलेटरल, उत्तर दक्षिण और राष्ट्रीय राजमार्गों के पूर्व-पश्चिम कोरिडोरों सहित अभिघात परिचर्या केन्द्रों के एक नेटवर्क की स्थापना की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है।

इस परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ हर 50 किलोमीटर पर जीवन रक्षक एम्बुलैंस की उपलब्धता की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना में तीन श्रेणियों के अभिघात परिचर्या केन्द्रों अर्थात् एल-III, एल-II और एल-I केन्द्रों की भी व्यवस्था है। एल-III केन्द्र राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ हर 100-150 किलोमीटर पर उपलब्ध होंगे। एल-II अभिघात केन्द्र हर 300 कि.मी. पर उपलब्ध होंगे और राज्य में एक एल-I अभिघात परिचर्या केन्द्र होगा जो रोगियों को जटिल चोटों सहित उच्चतम स्तर की निश्चियी और व्यापक परिचर्या प्रदान करेगा। इस अभिघात परिचर्या के नेटवर्क को ऐसे तैयार किया गया है कि किसी भी अभिघात के शिकार व्यक्ति को 50 कि.मी. से अधिक न ले जाना पड़े और नामित अभिघात केन्द्र हर 100 कि.मी. पर उपलब्ध हों। यह वित्तीय सहायता निम्नलिखित ढंग से भवन निर्माण/नवीकरण, उपकरण, जनशक्ति की आवश्यकता, एम्बुलैंस सेवाओं, संचार, कानूनी सेवाओं और प्रशिक्षण की सीमा तक सीमित की गई है:

एल-III	5.80 करोड़ रुपए
एल-II	9.65 करोड़ रुपए
एल-I	16 करोड़ रुपए

इस योजना को 13 दिसम्बर, 2007 को आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। वित्तीय सहायता अभिघात परिचर्या केन्द्रों अधिकतर भवनों के निर्माण/नवीकरण के लिए प्रदान की गई है। सुविधाओं की पर्याप्तता और एक बार ये केन्द्र स्थापित और पूरी तरह से क्रियात्मक हो जाएं, इन केन्द्रों में उपचारित दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों की संख्या के संदर्भ में मानीटरिंग और मूल्यांकन संभव होगा।

11वीं योजना अवधि के दौरान देश में स्थापित किए जा रहे अभिघात परिचर्या केन्द्रों के नेटवर्क का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

स्वर्ण चतुर्भुज के समीप पहचान किए गए अभिघात केन्द्र क्षेत्र-दिल्ली-कोलकाता (दूरी-1458 कि. मीटर लगभग)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	जिला	राज्य	स्तर
1	2	3	4	5
1.	एम्स/डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली	मध्य/दक्षिण	दिल्ली	I
2.	जिला अस्पताल, मथुरा	मथुरा	उत्तर प्रदेश	III
3.	एस एन मेडिकल कालेज	आगरा	उत्तर प्रदेश	II
4.	श्री बी.ए. जिला अस्पताल	इटावा	उत्तर प्रदेश	III
5.	एल एल आर अस्पताल और जी एस वी एम मेडिकल कालेज	कानपुर	उत्तर प्रदेश	II
6.	जिला अस्पताल	फतेहपुर	उत्तर प्रदेश	III
7.	एम एल एन मेडिकल कालेज	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	II
8.	आयुर्विज्ञान संस्थान, बी एच यू	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	I
9.	सदल अस्पताल, सासाराम	रोहतास	बिहार	III

1	2	3	4	5
10.	ए एन मगध मेडिकल कालेज अस्पताल	गया	बिहार	II
11.	जिला अस्पताल	हजारीबाग	झारखंड	III
12.	पाटलिपुत्र मेडिकल कालेज	धनबाद	झारखंड	II
13.	सब डिवीजनल अस्पताल	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	II
14.	बर्द्धवान मेडिकल कालेज और अस्पताल	बर्द्धवान	पश्चिम बंगाल	II
15.	मेडिकल कालेज, कोलकाता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	I

स्वर्ण चतुर्भुज के समीप अनंतिम रूप से पहचान किए गए अभिघात केन्द्र क्षेत्र-कोलकाता-चेन्नई (दूरी-1681 कि. मीटर लगभग)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	जिला	राज्य	स्तर
1.	मेडिकल कालेज, कोलकाता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	I
2.	सिविल अस्पताल, खड़गपुर	मेदिनापुर	पश्चिम बंगाल	III
3.	जिला अस्पताल	बालासोर	उड़ीसा	II
4.	जिला अस्पताल	भद्रक	उड़ीसा	III
5.	एस सी बी मेडिकल कालेज	कटक	उड़ीसा	I
6.	जिला अस्पताल	खुर्दा	उड़ीसा	III
7.	एम के सी जी मेडिकल कालेज, बहरमपुर	गंजम	उड़ीसा	II
8.	तालुका अस्पताल	टेक्कली	आंध्र प्रदेश	III
9.	जिला अस्पताल	श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश	II
10.	किंग जार्ज अस्पताल और आंध्र प्रदेश मेडिकल अस्पताल	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश	II
11.	तालुक अस्पताल, तुनी	पूर्वी गोदावरी	आंध्र प्रदेश	III
12.	जिला अस्पताल, राजमुंदरी	पूर्वी गोदावरी	आंध्र प्रदेश	II
13.	जिला अस्पताल, इल्लुरू	पश्चिमी गोदावरी	आंध्र प्रदेश	III
14.	मेडिकल कालेज	गुंटूर	आंध्र प्रदेश	II
15.	जिला अस्पताल, आंगल	प्रकाशम	आंध्र प्रदेश	III
16.	जिला अस्पताल	नेल्लोर	आंध्र प्रदेश	II
17.	तालुक अस्पताल	नायडुपेट	आंध्र प्रदेश	III
18.	किलपौक मेडिकल कालेज	चेन्नई	तमिलनाडु	II

स्वर्ण चतुर्भुज के समीप पहचान किए गए अभिघात केन्द्र क्षेत्र-चेन्नई-मुंबई (दूरी-1290 कि. मीटर लगभग)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	जिला	राज्य	स्तर
1.	किलपौक मेडिकल कालेज	चेन्नई	तमिलनाडु	II
2.	राजकीय मेडिकल कालेज और सिविल अस्पताल	वैल्लोर	तमिलनाडु	II
3.	कृष्णागिरि तालुक अस्पताल	धर्मपुरी	तमिलनाडु	III
4.	बैंगलोर मेडिकल कालेज	बैंगलोर	कर्नाटक	I
5.	टुमकुर जिला अस्पताल	टुमकुर	कर्नाटक	III
6.	तालुक अस्पताल, सीरा	टुमकुर	कर्नाटक	III
7.	सिविल अस्पताल	चित्रदुर्ग	कर्नाटक	II
8.	सिविल अस्पताल	देवनगिरि	कर्नाटक	III
9.	कर्नाटक इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, हुबली	धारवाड़	कर्नाटक	II
10.	जिला अस्पताल	हवेरी	कर्नाटक	III
11.	जिला अस्पताल	बेलगाम	कर्नाटक	III
12.	राजकीय मेडिकल कालेज अस्पताल	कोल्हापुर	महाराष्ट्र	II
13.	जिला अस्पताल	सतारा	महाराष्ट्र	III
14.	बी जे मेडिकल कालेज	पुणे	महाराष्ट्र	II
15.	म्युनसिपल अस्पताल	वासी	महाराष्ट्र	III
16.	ग्रांट मेडिकल कालेज	मुम्बई	महाराष्ट्र	I

स्वर्ण चतुर्भुज के समीप पहचान किए गए अभिघात केन्द्र: क्षेत्र-मुंबई-दिल्ली (दूरी-1422 कि. मीटर लगभग)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	जिला	राज्य	स्तर
1	2	3	4	5
1.	ग्रांट मेडिकल कालेज	मुम्बई	महाराष्ट्र	I
2.	उप जिला अस्पताल दहानु	थाणे	महाराष्ट्र	III
3.	जनरल अस्पताल	वलसाड	गुजरात	II
4.	राजकीय मेडिकल कालेज	सूरत	गुजरात	II
5.	जिला अस्पताल	भरूच	गुजरात	III
6.	एस एस जी अस्पताल और मेडिकल कालेज	बड़ोदरा	गुजरात	II
7.	बी जे मेडिकल कालेज	अहमदाबाद	गुजरात	I

1	2	3	4	5
8.	जिला अस्पताल	हिम्मत नगर	गुजरात	II
9.	सिविल अस्पताल, डूंगरपुर	साबरकांथा	राजस्थान	III
10.	आर एन टी मेडिकल कालेज	उदयपुर	राजस्थान	II
11.	जिला अस्पताल	भीलवाड़ा	राजस्थान	III
12.	जे एल एन मेडिकल कालेज	अजमेर	राजस्थान	II
13.	एस एम एस मेडिकल कालेज	जयपुर	राजस्थान	II
14.	तालुक अस्पताल, कोटपुतली	अलवर	राजस्थान	III
15.	जिला अस्पताल	रेवाड़ी	हरियाणा	III
16.	एम्स एस/डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल	दिल्ली	दिल्ली	I

उत्तर-दक्षिण गलियारे के समीप पहचान किए गए अभिघात केन्द्रः क्षेत्र-श्रीनगर-कन्याकुमारी (दूरी-4000 कि. मीटर लगभग)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	जिला	राज्य	स्तर
1	2	3	4	5
1.	राजकीय मेडिकल कालेज, श्रीनगर	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	I
2.	एमएमएएम जिला अस्पताल	अनंतनाग	जम्मू और कश्मीर	III
3.	ट्रामा अस्पताल, बटोटे	डोडा	जम्मू और कश्मीर	III
4.	राजकीय मेडिकल कालेज	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	I
5.	सिविल अस्पताल पठानकोट	गुरूदासपुर	जम्मू और कश्मीर	III
6.	जिला अस्पताल	जालंधर	पंजाब	II
7.	जिला अस्पताल	खन्ना	पंजाब	III
8.	सिविल अस्पताल	अम्बाला	हरियाणा	II
9.	जिला अस्पताल	पानीपत	हरियाणा	III
10.	एम्स/आर एम एल दिल्ली	नई दिल्ली	दिल्ली	I
11.	जिला अस्पताल	मथुरा	उत्तर प्रदेश	III
12.	एस एन मेडिकल कालेज	आगरा	उत्तर प्रदेश	II
13.	जी आर मेडिक कालेज अस्पताल	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	II
14.	एम एल बी मेडिकल	झांसी	उत्तर प्रदेश	II
15.	जिला अस्पताल	ललितपुर	उत्तर प्रदेश	II

1	2	3	4	5
16.	जिला अस्पताल	सागर	मध्य प्रदेश	II
17.	जिला अस्पताल	नरसीमपुर	मध्य प्रदेश	III
18.	इंदिरा गांधी जिला अस्पताल	सिओनी	मध्य प्रदेश	III
19.	राजकीय मेडिकल कालेज और अस्पताल	नागपुर	महाराष्ट्र	II
20.	उप जिला अस्पताल, हिंगनघाट	वर्धा	महाराष्ट्र	III
21.	राजीव गांधी मेडिकल साइंस संस्थान	अदिलाबाद	आंध्र प्रदेश	II
22.	जिला हेडक्वार्टर अस्पताल	निजामाबाद	आंध्र प्रदेश	II
23.	एरिया अस्पताल	कामरेड्डी	आंध्र प्रदेश	III
24.	निजाम मेडिकल साइंस संस्थान	सिकन्दराबाद	आंध्र प्रदेश	I
25.	जिला अस्पताल	महबूबनगर	आंध्र प्रदेश	III
26.	राजकीय जनरल अस्पताल और मेडिकल कालेज	कुरनूल	आंध्र प्रदेश	II
27.	राजकीय जनरल अस्पताल और मेडिकल कालेज	अनंतपुर	आंध्र प्रदेश	II
28.	सामुदायिक अस्पताल	पेनूकोंडा	आंध्र प्रदेश	III
29.	जनरल अस्पताल	चिकबालपुर	कर्नाटक	III
30.	मेडिकल कालेज	बैंगलोर	कर्नाटक	I
31.	सिविल अस्पताल	कृष्णागिरि	तमिलनाडु	III
32.	मेडिकल कालेज	सेलम	तमिलनाडु	I
33.	राजकीय जिला हेडक्वार्टर अस्पताल	करूर	तमिलनाडु	III
34.	जिला अस्पताल	डिंडीगुल	तमिलनाडु	II
35.	राजकीय राजाजी अस्पताल और मेडिकल कालेज	मदुराई	तमिलनाडु	II
36.	जिला हेडक्वार्टर अस्पताल	कोविल पट्टी	तमिलनाडु	III
37.	राजकीय मेडिकल कालेज अस्पताल	त्रिरूनेलवेली	तमिलनाडु	II
38.	कन्याकुमारी राजकीय मेडिकल कालेज अस्पताल, असरीपुल्लम	नागरकोइल	तमिलनाडु	II

पूर्व पश्चिम गलियारे के समीप पहचान किए गए अभिप्राप्त केन्द्र: क्षेत्र: सिल्चर-पोरबन्दर (दूरी-3300 कि. मीटर)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	जिला/खण्ड	राज्य	स्तर
1	2	3	4	5
1.	मेडिकल कालेज और अस्पताल श्रीनगर	सिल्चर	असम	I
2.	सिविल अस्पताल	हफलांग	असम	III

1	2	3	4	5
3.	सिविल अस्पताल	डिफू	असम	III
4.	जिला अस्पताल	नौगांव	असम	II
5.	राजकीय मेडिकल कालेज और अस्पताल	गुवाहाटी	असम	II
6.	जिला अस्पताल	नलबाड़ी	असम	III
7.	सिविल अस्पताल	बोंगईगांव	असम	III
8.	जिला अस्पताल	कूचबिहार	पश्चिम बंगाल	II
9.	जिला अस्पताल	जलपाईगुड़ी	पश्चिम बंगाल	III
10.	सरकारी अस्पताल	सिलीगुड़ी	पश्चिम बंगाल	II
11.	सिविल अस्पताल	किशनगंज	बिहार	III
12.	जिला अस्पताल	पूर्णिया	बिहार	III
13.	सिविल अस्पताल	मधेपुरा	बिहार	II
14.	दरभंगा मेडिकल कालेज अस्पताल	दरभंगा	बिहार	II
15.	एस के मेडिकल कालेज अस्पताल	मुजफ्फरपुर	बिहार	II
16.	सिविल अस्पताल	गोपालगंज	बिहार	III
17.	सिविल अस्पताल	झंझारपुर	बिहार	III
18.	बी आर डी मेडिकल कालेज	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	II
19.	जिला अस्पताल	फैजाबाद	उत्तर प्रदेश	III
20.	के जी एम कालेज	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	II
21.	एल एल आर अस्पताल और जी एस वी एम मेडिकल कालेज	कानपुर	उत्तर प्रदेश	II
22.	जिला अस्पताल, जालौन	औराई	उत्तर प्रदेश	III
23.	एम एल बी मेडिकल कालेज	झांसी	उत्तर प्रदेश	II
24.	जिला अस्पताल	बस्ती	उत्तर प्रदेश	III
25.	सिविल अस्पताल	शिवपुरी	मध्य प्रदेश	II
26.	राजकीय अस्पताल	बारान	राजस्थान	III
27.	न्यू मेडिकल कालेज अस्पताल	कोटा	राजस्थान	II
28.	एस एस अस्पताल	चित्तौड़गढ़	राजस्थान	III
29.	आर एन टी मेडिकल कालेज	उदयपुर	राजस्थान	II

1	2	3	4	5
30.	जनरल अस्पताल	पालनपुर	गुजरात	II
31.	सिविल अस्पताल	राधानपुर	गुजरात	III
32.	एस ए अस्पताल	बचाऊ	गुजरात	III
33.	जनरल अस्पताल	मोर्बी	गुजरात	II
34.	पंडित दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल	राजकोट	गुजरात	II
35.	सी एच सी	जेतपुर	गुजरात	III
36.	जनरल अस्पताल	पोरबन्दर	गुजरात	II

पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण

***152. श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री नन्द कुमार साय:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में पंचायत प्रतिनिधियों को नियमित प्रशिक्षण देने के लिए कोई तंत्र विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को उक्त प्रयोजन के लिए राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(घ) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कितने प्रतिनिधि प्रशिक्षित किए गए?

पंचायती राज मंत्री, तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणिशंकर अय्यर): (क) और (ख) पंचायती राज मंत्रालय निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की कार्यनीति, विषयगत पाठ्यक्रम व प्रशिक्षण आवश्यकताओं के आकलन के बारे में दिसम्बर, 2004 में जयपुर में आयोजित हुए सातवें गोलमेज सम्मेलन में पंचायती राज के राज्य मंत्रियों के साथ आम सहमति को हासिल कर पाया। संस्थाओं के निर्माण, यथा ग्रामीण विकास के राज्य संस्थानों को मजबूत किया जाना, जिला प्रखंड व उससे नीचे विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों को बनाया जाना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ मुक्त विश्वविद्यालयों के संपर्क व कक्षा में दिए जाने वाले प्रशिक्षणों, सुदूर प्रशिक्षण फिल्मों, ज्ञानवर्धक यात्राओं तथा रिसोर्स सेंटरों द्वारा नियमित सहायता जैसे कई किस्म के हस्तक्षेप, उन प्रशिक्षण कार्यनीति के हिस्से हैं, जिन पर सातवें गोलमेज में सहमति हुई थी।

सातवें गोलमेज सम्मेलन के संकल्पों के अनुसार इस मंत्रालय ने एक "राष्ट्रीय क्षमता निर्माण फ्रेमवर्क" तैयार किया है जो पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों व अन्य स्टेक होल्डरों के नियमित व चलने वाले क्षमता निर्माण एवं कई प्रशिक्षण व सहायता गतिविधियों की श्रृंखलाओं जिनमें आधारभूत पाठ्यक्रम, मूल प्रकार्यात्मक पाठ्यक्रम, क्षेत्र केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम, वार्षिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, पंचायतों को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयोग, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नेटवर्कों के निर्माण तथा हेल्पलाइनों की स्थापना शामिल हैं, के लिए एक ब्लू प्रिंट मुहैया कराता है।

इस फ्रेमवर्क को बी आर जी एफ के तहत कवर हो रहे 27 राज्यों के 250 जिलों में प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपये के क्षमता निर्माण घटक द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा उन बातों को भी, जिस पर सातवें गोलमेज सम्मेलन में सहमति हुई थी, को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, जिसके माध्यम से पंचायती राज मंत्रालय, गैर बी आर जी एफ क्षेत्रों की पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों व कर्मियों को प्रशिक्षण मुहैया कराने में राज्यों की सहायता करता है, में समाहित किया गया है। इस स्कीम के तहत 2008-09 के लिए आबंटन 30.00 करोड़ रुपये है। पिछड़ा क्षेत्र किए गए हैं। कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई कार्य योजनाओं के आधार पर राज्यों को फंड जारी किया जाता है।

(ग) पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आर जी एस वाई तथा बी आर जी एफ के तहत विभिन्न राज्यों को प्रशिक्षण के लिए आबंटित व जारी किए गए कोष के राज्यवार व वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(घ) 2007-08 के दौरान बी आर जी एफ तथा आर जी एस वाई दोनों के तहत पंचायती राज संस्थाओं के 4,33,249 निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया था।

विवरण

बी.आर.जी.एफ/आर.जी.एस.वाई. के क्षमता-निर्माण घटक के तहत निर्मुक्त फंड (2006-07 से 2008-09 तक)

क्र.सं.	राज्य	बीआरजीएफ के तहत आबंटन (करोड़ रुपये में)	2006-07 जारी राशि (करोड़ रुपये में)		2007-08 जारी राशि (करोड़ रुपये में)		2008-09 जारी राशि (करोड़ रुपये में)	
			बीआरजीएफ	आरजीएसवाई	बीआरजीएफ	आरजीएसवाई	बीआरजीएफ	आरजीएसवाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	13.00	13.00	4.00	13.00	0.82	–	4.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.00	0.50	0.47	–	–	–	–
3.	असम	11.00	9.12	0.94	–	3.26	–	3.26
4.	बिहार	36.00	14.45	4.39	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	13.00	9.10	–	–	–	13.00	–
6.	गुजरात	6.00	–	–	–	3.95	6.04	–
7.	गोवा(*)	–	–	–	–	0.34	–	–
8.	हरियाणा	2.00	–	1.89	–	0.07	3.23	–
9.	हिमाचल प्रदेश	2.00	–	0.79	2.00	0.79	–	–
10.	झारखंड	21.00	–	–	21.00	–	–	–
11.	जम्मू-कश्मीर	3.00	–	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	5.00	–	1.82	10.00	–	–	–
13.	केरल	2.00	–	0.44	2.00	0.58	–	–
14.	मध्य प्रदेश	24.00	14.95	0.62	24.00	0.62	–	–
15.	महाराष्ट्र	12.00	6.19	–	–	–	–	–
16.	मणिपुर	3.00	–	–	–	0.40	–	–
17.	मेघालय	3.00	–	–	–	–	3.93	–
18.	मिजोरम	2.00	–	–	–	–	2.00	–
19.	नागालैंड	3.00	–	–	–	–	3.00	–
20.	उड़ीसा	19.00	–	–	19.00	3.14	–	–
21.	पंजाब	1.00	–	–	–	4.43	–	–
22.	राजस्थान	12.00	7.87	–	–	2.57	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	सिक्किम	1.00	0.94	0.41	–	–	–	–
24.	तमिलनाडु	6.00	–	–	–	2.36	16.32	–
25.	त्रिपुरा	1.00	–	0.45	–	–	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	34.00	–	8.99	25.30	–	–	–
27.	उत्तराखंड	3.00	–	–	–	–	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	11.00	10.50	1.00	5.02	1.00	–	2.21
	योग	250.00	86.62	26.21	121.32	24.33	47.52	9.47

परिवर्णी शब्द: बीआरजीएफ: बैकवार्ड रीजन्स ग्रांट फंड (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि), आरजीएसवाई: राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना
(*) गोवा बीआरजीएफ के तहत कवर नहीं है।

एचआईवी रोगियों को सहायता

***153. श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एचआईवी के रोगियों को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता सहित अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इससे राज्य-वार कुल कितने रोगी लाभान्वित हुए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) एचआईवी + रोगियों को निम्नलिखित सुविधाओं के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं:-

(1) एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र।

(2) एकल खुराक नेवरपाइन के माध्यम से मां से बच्चे को होने वाले संचरण की रोकथाम।

(3) एसटीआई केन्द्रों पर यौन संचारित रोगों का उपचार।

(4) एआरटी केन्द्रों पर एंटी-रेट्रोवायरल उपचार।

(5) परिचर्या, सहायता एवं उपचार के लिए सामुदायिक परिचर्या केन्द्र।

(ख) संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

खतरनाक अपशिष्ट का पर्यावरण पर प्रभाव

***154. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
श्री काशीराम राणा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़ी मात्रा में खतरनाक अपशिष्ट पैदा होते है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अपशिष्टों की कुछ मात्रा पुन: चक्रित होती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा शेष अपशिष्टों का किस प्रकार निपटान किया जाता है;

(ङ) इन खतरनाक अपशिष्टों का पर्यावरण पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) खतरनाक अपशिष्ट के उचित प्रबंधन और हथालन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा पारीय संचलन) नियमावली, 2008 अधिसूचित की है। खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले

उद्योगों को इन नियमों के अनुसार विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे कई राज्य हैं जो देश में खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) उद्योगों द्वारा उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट तीन प्रकार के होते हैं, नामत: पुन: चक्रण योग्य, लैंडफिलिंगयोग्य और भस्म करने योग्य। इन नियमों के अनुसार केवल उन्हीं वास्तविक उपयोग कर्ताओं, जिनके पास पर्यावरणीय रूप से बेहतर पुन: चक्रण सुविधाएं हैं, को ऐसे अपशिष्टों के पुन: चक्रण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा पंचीकरण की मंजूरी दी जाती है। ऐसे खतरनाक अपशिष्ट जो पुन:चक्रण के लिए अनुपयुक्त हैं, उनका निपटान शोधन, भंडारण और निपटान सुविधाओं (टीएसडीएफ) द्वारा किया जाता है। संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा टीएसडीएफ के कार्यों की गहन मानीटरी की जाती है।

(च) खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमावली, 1989 और उसमें हुए संशोधनों के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव के आधार पर, मंत्रालय ने प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से पूर्व नियमावली को रद्द करते हुए खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियमावली, 2008 अधिसूचित की है। नियमावली के कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए मंत्रालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) को सुदृढ़ बनाने हेतु वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए साझा शोधन, भंडारण और निस्तारण सुविधाएं स्थापित करने के लिए भी वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, नियमावली के दिए गए उपबंधों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मंत्रालय और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न तथ्यों पर दिशानिर्देश भी प्रकाशित किए हैं।

[अनुवाद]

कच्छ वनस्पति (मैन्ग्रोव) का संरक्षण

*155. **श्रीमती सी.एस. सुजाता:***
श्री अमिताभ नन्दी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कच्छ वनस्पति (मैन्ग्रोव) का क्षेत्र कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) मैन्ग्रोव वन के घटते क्षेत्र का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार ने मैन्ग्रोव वनों के गहन संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए देश में मैन्ग्रोव क्षेत्रों की पहचान कर ली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) मैन्ग्रोव वनों के संरक्षण हेतु केरल सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित वन स्थिति रिपोर्ट, 2005 के अनुसार कच्छ वनस्पति आवरण जो वर्ष 2003 में 4448 वर्ग कि.मी. था, वर्ष 2005 में घटकर 4445 वर्ग कि.मी. हो गया है अर्थात् देश में कच्छ वनस्पति आवरण में 3 वर्ग कि.मी. की नाममात्र की कमी आई है। इसी अवधि के दौरान, गुजरात में कच्छ वनस्पति क्षेत्र 916 वर्ग कि.मी. से बढ़कर 936 वर्ग कि.मी. हो गया है। तथापि, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में क्षेत्र 658 वर्ग कि.मी. से घटकर 637 वर्ग कि.मी. हो गया है और पश्चिम बंगाल में 2120 वर्ग कि.मी. से घटकर 2118 वर्ग कि.मी. हो गया है। ऐसा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में 26 दिसम्बर, 2004 को आई सुनामी के कारण हुआ है। गुजरात में कच्छ वनस्पति में वृद्धि मुख्यत: रोपण और सुरक्षा उपायों के कारण हुई है। कच्छ वनस्पति तटीय क्षेत्रों की ज्वारीय प्रभावों से सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन सुरक्षा का परिमाण परिवर्तनीय है और यह कई कारकों का कार्य है।

(घ) और (ङ) जी, हां। राष्ट्र व्यापी स्तर पर 38 स्थलों को कच्छ वनस्पति के रोपण, उनके संरक्षण और प्रबंधन के लिए उपयुक्त पाया गया है। राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

कच्छ वनस्पति का संरक्षण और प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत तटीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के पहचाने गए स्थलों में अनुमोदित प्रबंधन कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सर्वेक्षण और सीमांकन, कच्छ वनस्पति रोपण, पुन: बहाली और पुनर्जनन, प्रतिपूरक और वैकल्पिक व्यवसायों के लिए आजीविका सहायता, सुरक्षा और निगरानी उपाय और शिक्षा और जागरूकता जैसे घटकों के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(च) और (छ) केरल सहित तटीय राज्यों को कच्छ वनस्पति के संरक्षण और प्रबंधन के लिए वर्ष 2000-01 से 2008-09

(अक्तूबर, 2008) के दौरान प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। विशेषकर मंत्रालय ने कन्नूर, केरल के लिए वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वयन हेतु 49.21 लाख रु. और वेम्बानाद के लिए 51.25 लाख रु. की कुल लागत से प्रबंधन कार्य योजना स्वीकृत की है। केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर कन्नूर के लिए वर्ष 2006-07 की प्रबंधन कार्य योजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए 11.52 लाख रु. की खर्च न की गई राशि को पिछले वर्ष से चालू वित्तीय वर्ष में आगे लाया गया है। इसी प्रकार, वेम्बानाद के लिए वर्ष 2006-07 की प्रबंधन कार्य योजना के शेष कार्यों को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 10.25 लाख रु. की राशि जारी की गई है और 1.35 लाख रु. की राशि पुन: वैधीकृत की गई है।

विवरण I

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कच्छ वनस्पति क्षेत्र
1	2
पश्चिम बंगाल	1. सुन्दरबन
उड़ीसा	2. भितरकनिका
	3. महानदी
	4. सुर्बनरेखा
	5. देवी
	6. धर्मा
	7. मैंग्रोव जेनेटिक रिसोर्स सेंटर
	8. चिल्का
आंध्र प्रदेश	9. कोरिंगा
	10. ईस्ट गोदावरी
	11. कृष्णा
तमिलनाडु	12. पिच्छावारम
	13. मुथुपेट
	14. रामनाद
	15. पुलिकट
	16. काजुवेली
अंडमान और निकोबार	17. नार्थ अंडमान
	18. निकोबार
केरल	19. वेम्बानाद
	20. कन्नुर (नार्थ केरल)
कर्नाटक	21. कण्डापुर
	22. दक्षिण कन्नडा/होन्नावर
	23. कारवर
	24. मंगलौर फारेस्ट डिविजन
गोवा	25. गोवा
महाराष्ट्र	26. अचा-रत्नागिरि
	27. देवगढ़-विजय दुर्ग
	28. वेलदुर
	29. कुंडालिका-रेवदांदा
	30. मुम्बरा-दिवा
	31. विकरोली
	32. श्रीवर्धन
	33. वैतरना
	34. वेसाई-मानोरी
	35. मालवन
गुजरात	36. कच्छ की खाड़ी
	37. खम्भात की खाड़ी
	38. दमास-उबारत

विवरण II

कच्छ वनस्पति के संरक्षण और प्रबंधन के लिए स्कीम

कच्छ वनस्पति के संरक्षण और प्रबंधन के लिए अनुमोदित प्रबंधन कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को प्रदान की गई सहायता

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रदान की गई सहायता (लाख रु.)								
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	11.64	11.10	16.50	10.75	7.00	–	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	59.87	57.18	60.30	6.50	–	–	17.06	34.46	–
3.	गोवा	12.45	8.63	8.00	19.40	9.88	8.12	3.65	5.19	14.94
4.	गुजरात	88.11	–	–	91.35	111.05	153.76	170.45	226.45	152.62
5.	कर्नाटक	8.70	10.56	8.70	17.35	40.00	–	130.35	–	27.10
6.	केरल	–	–	–	–	–	–	75.45	14.76	10.25
7.	महाराष्ट्र	89.00	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	उड़ीसा	76.61	33.16	58.28	17.00	20.26	41.45	25.50	65.70	85.66
9.	तमिलनाडु	95.90	78.31	121.99	95.72	126.518	95.26	64.23	29.61	125.03
10.	पश्चिम बंगाल	45.00	56.75	48.82	58.50	75.50	94.44	55.87	149.00	213.90
	कुल लाख रु. में	487.28	255.69	322.59	316.57	390.21	393.03	542.56	525.00	629.50

[हिन्दी]

प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग को बढ़ावा

***156. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग को बढ़ावा देने के लिए पृथक कालेजों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग परिषद की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार ने देश में प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग को बढ़ावा देने के लिए क्या अन्य कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, नहीं।

(ख) यह उपर्युक्त (क) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए लागू नहीं है।

(ग) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली देश की प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग पद्धतियों में अनुसंधान कार्य करने का सर्वोच्च निकाय है। सीसीआरवाईएन इस समय निम्नलिखित स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है:

(1) नैदानिक अनुसंधान स्कीम;

(2) रोगी परिचर्या केन्द्र स्कीम (10 बिस्तरों का अस्पताल);

(3) उपचार-सह-प्रचार केंद्र स्कीम (20 बिस्तरों का अस्पताल);

(4) साहित्यिक अनुसंधान/अनुवाद/प्रकाशन स्कीमें;

(5) संगोष्ठी/कार्यशाला/सम्मेलन;

(6) पीएचडी अभ्यर्थियों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम;

(7) योग और प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञों को पुरस्कार।

(घ) प्राकृतिक चिकित्सा और योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

प्राकृतिक चिकित्सा और योग का प्रचार-प्रसार करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे मुख्य उपायों का ब्यौरा

क्र.सं.	विवरण
1	2
1.	केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन), नई दिल्ली हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषी तिमाही पत्रिका प्रकाशित करता है। (यौगिक प्राकृतिक जीवन संदेश)
2.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषी मासिक पत्रिका 'निसर्गोपचार वार्ता' प्रकाशित करता है।
3.	एनआईएन नेचुरोपैथिक अस्पतालों के माध्यम से उपचार-सह-जागरूकता शिविर प्रायोजित करता है।
4.	एनआईएन 'महिला सशक्तिकरण और महिला स्वास्थ्य' पर महिलाओं हेतु विशेष कार्यशाला आयोजित करता है।
5.	एनआईएन पुणे में अपने मुख्यालय में क्लिनिकों का संचालन करते हुए प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देता है।
6.	एनआईएन, पुणे अपने परिसर में स्वास्थ्य शाप और आहार केन्द्र संचालित करता है।
7.	एनआईएन चिकित्साभ्यास प्राकृतिक चिकित्सकों हेतु वार्षिक पुनर्भिविन्यास कार्यक्रम, सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम और अनुसंधान कार्य प्रणाली कार्यशाला का आयोजन करता है।
8.	प्राकृतिक चिकित्सा और योग को देश में दिल्ली तथा अन्य स्थानों में आयोजित आरोग्य प्रदर्शनियों में मुख्य रूप में शामिल किया जाता है।
9.	सीसीआरवाईएन 4 तृतीयक परिचर्या अस्पतालों में योग और प्राकृतिक चिकित्सा ओपीडी संचालित करता है तथा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) दिल्ली में 4 तृतीयक अस्पतालों/संस्थानों में योग थिरेपी और अनुसंधान केन्द्रों को संचालित करता है।
10.	एमडीएनआईवाई ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस), बंगलौर, जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जिपमेर), पुडुचेरी तथा रक्षा शरीर क्रिया विज्ञान एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (डिपास), नई दिल्ली में योग संबंधी अनुसंधान हेतु 3 आधुनिक केंद्रों को खोला है।
11.	एमडीएनआईवाई योग ने अल्पकालिक और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को संचालित करता है।
12.	एमडीएनआईवाई दिल्ली में वायु सेना और बीएसएफ हेतु योग में प्रशिक्षक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण आयोजित करता है।
13.	दिल्ली में सीजीएचएस अस्पतालों में योग कक्षाओं को शुरू करने संबंधी एक कार्यक्रम को अनुमोदित किया गया है और इसे शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाएगा।

[अनुवाद]

वायु एवं जल प्रदूषण

***157. श्री फ्रांसिस फैन्थम:**
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देश के विभिन्न भागों में वायु तथा जल प्रदूषण बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है; और

(ग) बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) देशभर परिवेशी वायु तथा जल गुणवत्ता की मानीटरी कर रहा है। गत तीन

वर्षों के लिए परिवेशी वायु के लिए मानीटरी किए गए डाटा यह दर्शाते हैं कि सभी शहरों में आवासीय क्षेत्रों में सल्फर डाइआक्साईड (SO_2) का स्तर निर्धारित वायु गुणवत्ता मानदंडों के अंदर है और अधिकांश शहरों में नाइट्रोजन डाइआक्साईड (NO_2) का स्तर मानदंडों के भीतर है। तथापि, दिल्ली सहित कई शहरों में श्वसनीय निलम्बित विविक्त कण (आरएसपीएम) निर्धारित मानदंडों से अधिक हैं। गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में आरएसपीएम का स्तर मिश्रित रुझान दर्शा रहा है। गत तीन वर्षों के लिए जल गुणवत्ता डाटा दर्शाते हैं कि दिल्ली में आरएसपीएम का स्तर मिश्रित में बहुत सी नदियां और जलाशय जैविक प्रदूषण और जीवाणु संदूषण का सामना कर रहे हैं। गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में यमुना में बीओडी और कुल कॉलीफार्म के संबंध में मिला-जुला रुझान देखा गया है।

(ख) वर्ष 2007 के दौरान, 102 शहरों में से 82 आवासीय क्षेत्रों के आरएसपीएम निर्धारित मानदण्डों से अधिक थे और 4 शहरों में केवल 7 स्थलों पर आवासीय क्षेत्रों में NO_2 स्तर का वार्षिक औसत निर्धारित स्तरों से आगे था। गत तीन वर्षों के लिए दिल्ली में मानीटर किए गए परिवेशी वायु गुणवत्ता डाटा यह दर्शाते हैं कि SO_2 का स्तर गिरता हुआ रुझान और NO_2 का स्तर उतार-चढ़ाव भरा रुझान दिखा रहा है। तथापि, दिल्ली के लिए SO_2 और NO_2 के वार्षिक औसत सांद्रण के स्तर मानदण्डों के अंदर हैं। आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों में आरएसपीएम के स्तर मानदण्डों से अधिक हैं।

वर्ष 2007 के दौरान मानीटर किए गए 910 स्थलों में से 335 स्थलों में बीओडी के मानदण्डों से अधिक होने की सूचना प्राप्त हुई हैं, जबकि देशभर में 179 स्थलों में जल का जीवाणुयुक्त संदूषण मानदण्डों से अधिक है। दिल्ली में वजीराबाद बैराज की यमुना ऊपरी धारा की जल गुणवत्ता घुलनशील आक्सीजन और बीओडी के लिए स्वीकार्य मानदण्डों के अंदर रहती है किन्तु जीवाणुयुक्त संदूषण हेतु स्वीकार्य मानदण्डों से अधिक पाई गई है। बैराज की निचली जल धारा की जल गुणवत्ता में बीओडी और कुल कॉलीफार्म मानदण्डों से अधिक दिखाई देती है।

वायु प्रदूषण के कारण औद्योगिकीकरण, वाहनीय आवाजाही, रसोई घर में ईंधन का जलाया जाना, डीजल जेनरेटर सेटों का प्रचालन आदि है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण जनसंख्या में वृद्धि और त्वरित शहरीकरण के कारण शहरों और कस्बों से आशोधित मल जल को छोड़ा जाना, औद्योगिक बहिस्रावों का निपटान, कृषि-भूमि का बह जाना और न्यूनतम बहाव को बनाए रखने के लिए जल धाराओं और नदियों में ताजे जल की अनुपलब्धता होना है।

(ग) सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए परिवेशी और स्रोत विशिष्ट उत्सर्जन और बहिस्राव मानकों की अधिसूचना सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं। 16 शहरों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु कार्य योजना और 6 शहरों में स्रोत संविभाजन अध्ययन (एसएएस) कराए जा रहे हैं।

ऑटो फ्यूल नीति के रोड मैप के अनुसार नए और प्रयोग में लाये जा रहे वाहनों के लिए उत्सर्जन मानदण्डों का कार्यान्वयन, सार्वजनिक परिवहन में स्वच्छतर ईंधन की शुरूआत करना और लोक परिवहन को सुदृढ़ बनाने पर कार्य चल रहा है। ताप विद्युत संयंत्रों में लाभपूर्ण/ब्लेन्डेड कोयले का इस्तेमाल शुरू किया गया है।

अंतर-राज्यीय नदी जल गुणवत्ता की मानीटरी, नदी कार्य योजना का कार्यान्वयन और सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों (सीईटीपी) की स्थापना की जा रही है। अत्यधिक प्रदूषण उत्पन्न कर रहे उद्योगों की अभिज्ञात 17 श्रेणियों में पर्यावरण सुरक्षा पर निगमित उत्तरदायित्व पर चार्टर (सीआरईपी) कार्यान्वित किया जा रहा है। अभिज्ञात 24 अति संवेदनशील प्रदूषण क्षेत्रों में कार्य योजना निष्पादित की जा रही है। प्रदूषण उद्योगों की कतिपय श्रेणियों की स्थापना, निर्माण और अवसंरचना परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है।

परिधीय विकास निधि

***158. श्री प्रसन्न आचार्य:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी तथा सरकारी क्षेत्र की विभिन्न कोयला कंपनियों को परिधीय विकास निधि (पीडीएफ) में उनके अंशदान के संबंध में सरकार का कोई निदेश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में अपने निदेशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए क्या कार्रवाई की है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) से (ग) कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों में सामुदायिक तथा परिधीय विकास की नीति है। नीति के अनुसार, कंपनी द्वारा उत्पादित कोयले की 1 रुपया प्रति टन राशि को अलग रखकर प्रत्येक सहायक कंपनी सामुदायिक तथा परिधीय विकास के प्रयोजनार्थ एक समर्पित निधि का सृजन करती है। सीआईएल के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति इस संबंध में सरकार की नीति की निगरानी करने तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गठित की गई है।

अनिवासी भारतीयों के लिए विश्वविद्यालय

*159. **श्री हरिभाई राठौड़:**
श्री एस.के. खारवेलमधन:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अनिवासी भारतीयों के लिए विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस संबंध में कौन-कौन से स्थान चिह्नित किए गए हैं;

(ख) इस प्रयोजन के लिए निर्धारित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित विश्वविद्यालय कब तक स्थापित कर दिया जाएगा?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत एक 'डीम्ड विश्वविद्यालय' के रूप में बंगलौर में प्रस्तावित अप्रवासी भारतीय/भारतीय मूल के लोगों के विश्वविद्यालय की स्थापना का काम मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन ट्रस्ट, मणिपाल को सौंपा गया है। उनसे इस परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को इस कार्य के लिए गठित सलाहकार बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि क्या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यूजीसी, एनसीआई, एआईसीटीई आदि की शैक्षिक और संरचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती है।

(ख) शून्य।

(ग) विश्वविद्यालय के शैक्षिक वर्ष 2010-11 से आरंभ हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

कोकिंग तथा गैर-कोकिंग कोयले का उत्पादन

*160. **श्री सुभाष महरिया:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोकिंग कोयले तथा कम राख वाले गैर-कोकिंग कोयले के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान कोकिंग कोयला तथा गैर-कोकिंग कोयला (राख की कम मात्रा वाले ग्रेड-ए, बी तथा सी) के ब्यौरे निम्नवत हैं:

(मिलियन टन में)

2005-06		2006-07		2007-08 (अनं.)	
कोकिंग कोल	नान-कोकिंग कोल (निम्न राख) ग्रेड ए, बी तथा सी	कोकिंग कोल	नान-कोकिंग कोल (निम्न राख) ग्रेड ए, बी तथा सी	कोकिंग कोल	नान-कोकिंग कोल (निम्न राख) ग्रेड ए, बी तथा सी
31.512	77.042	32.097	78.832	34.455	81.285

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मनोरोग से ग्रस्त लोग

*161. **श्रीमती जयाप्रदा:**
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लगभग सात करोड़ लोग मनोरोग से ग्रस्त हैं, जैसा कि 13 अक्तूबर, 2008 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (एनआईएमएचएएनएस) ने मनोरोग से ग्रस्त लोगों की संख्या का पता लगाने तथा उनके उपचार की स्थिति के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का व्यापक उपचार सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में मानसिक विकारों की व्याप्तता जनसंख्या का लगभग 7 प्रतिशत है। जनसंख्या के लगभग 3 प्रतिशत लोगों को उच्च स्तरीय उपचार की आवश्यकता है। इस पिछले सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े से यह पता चलता है कि गंभीर रूप से बीमार 30 प्रतिशत व्यक्ति ही उपचार प्राप्त कर रहे हैं और 30 प्रतिशत लोगों में अलग-अलग अवधियों यहां तक कि एक दशक तक के गंभीर मानसिक विकार रहने के बावजूद भी उनका उपचार नहीं कराया गया है।

लगभग 30 लाख रोगी अर्थात् गंभीर मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों के 10-20 प्रतिशत लोगों को उनके जीवन काल में अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ती है। तथापि, किसी निश्चित समय में अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या का पूर्वानुमान करना कठिन है क्योंकि अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि कम अर्थात् तीन सप्ताह से अधिक नहीं होती है। विगत के विपरीत प्रभावकारी उपचार से रोगियों के भर्ती होने की आवश्यकता कम हो गई है और रोगियों के अपने सामान्य जीवन में तेजी लौटने का कार्य सुगम हो गया है। 43 सरकारी (केन्द्र एवं राज्य) मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के अलावा समस्त चिकित्सा कालेजों और जनरल अस्पतालों में मनश्चिकित्सा विंग मानसिक रूप से बीमार रोगियों का उपचार करते हैं।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य स्वास्थ्य प्रणाली के भाग के रूप में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के प्रयास किए जाते हैं। इस संबंध में केन्द्र सरकार जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, चिकित्सा कालेजों/जनरल अस्पतालों के मनश्चिकित्सा विंगों के उन्नयन और मानसिक अस्पतालों को उपचारात्मक यूनिटों के रूप में काम करने के लायक बनाने के लिए उनके सुदृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार ने जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 123 जिलों में, 84 चिकित्सा कालेजों/जनरल अस्पतालों के उन्नयन और 27 मानसिक अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए निधियां प्रदान की हैं।

सरकार ने आत्महत्या निवारक सेवाओं, कार्यस्थल तनाव प्रबंधन, स्कूलों एवं कालेजों में जीवन कौशल प्रशिक्षण एवं परामर्श के घटकों को शामिल करते हुए देश के और जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की कार्यनीति दोबारा तैयार करने का प्रस्ताव किया है। देश में अर्हता प्राप्त मानसिक स्वास्थ्य व्यवसायियों की घोर कमी को दूर करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य में उत्कृष्टता वाले केन्द्रों और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण विभागों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत जन शक्ति विकास स्कीमों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

इलैक्ट्रानिक मीडिया निगरानी केन्द्र

***162. श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में टेलीविजन पर दिखाए जा रहे कार्यक्रमों की विषय-वस्तु पर नजर रखने के लिए एक इलैक्ट्रानिक मीडिया निगरानी केन्द्र (ईएमएमसी) की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं तथा ईएमएमसी को क्या अधिकार दिए गये हैं;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) इलैक्ट्रानिक मीडिया निगरानी केन्द्र देश में वाणिज्यिक इलैक्ट्रानिक मीडिया के कार्यक्रमों की विषय-वस्तु पर किस सीमा तक नियंत्रण रख पाएगा; और

(ङ) ईएमएमसी द्वारा अपनी स्थापना के समय से चैनल-वार कार्यक्रम/विषय-वस्तु संहिताओं के उल्लंघन का पता लगाने में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) सरकार ने इलेक्ट्रानिक मीडिया निगरानी केन्द्र (ईएमएमसी) की स्थापना की है।

(ख) इलेक्ट्रानिक मीडिया निगरानी केन्द्र की स्थापना का उद्देश्य (1) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं, जिससे प्रसारक अपलिंकिंग एवं डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए बाध्य हैं, के उल्लंघन के संबंध में भारत में डाउनलिंक किए गए

टीवी चैनलों एवं (2) निजी एफएम रेडियो चैनलों की विषय-वस्तु की निगरानी करना, तथा (3) प्रसारण क्षेत्र की विषय-वस्तु की निगरानी के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर इसको सौंपे जाने वाले किसी अन्य कार्य का निष्पादन करना है। ईएमएमसी केवल सूचना देने वाला एक निकाय है और उल्लंघन को रोकने के लिए इसे कोई शक्तियां प्रत्यायोजित नहीं की गई हैं।

(ग) स्वीकृत बजट अनुदान (एसबीजी) 2008-09 के अनुसार, ईएमएससी के लिए योजनागत और योजनेतर आबंटन निम्नानुसार है:

वार्षिक योजना 2008-09	:	7.50 करोड़ रुपये
योजनेतर 2008-09	:	3.00 करोड़ रुपये

स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) के अनुमोदित कार्यवृत्त के अनुसार, परियोजना की कुल लागत 19.65 करोड़ रुपये है जिसमें से 11.65 करोड़ रुपये परियोजना की स्थापना के लिए और शेष राशि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वार्षिक रख-रखाव और उन्नयन आदि के लिए उद्दिष्ट की गई है।

(घ) और (ङ) यद्यपि, निजी टीवी चैनलों पर प्रसारित विषय-वस्तु की पूर्व-सेंसरशिप का कोई प्रावधान नहीं है, तथापि, सभी निजी टीवी चैनलों को केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का अनुपालन करना होता है। इलेक्ट्रानिक मीडिया निगरानी केंद्र (ईएमएमसी) की स्थापना मुख्यत: टीवी चैनलों पर प्रसारित विषय-वस्तु की निगरानी करने तथा कार्यक्रम या विज्ञापन संहिता के संबंध में पाए गए किसी प्रथम दृष्टया उल्लंघन के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए की गई थी और इस प्रकार यह केवल सूचना देने वाला एक निकाय है। जून, 2008 में इसकी स्थापना होने के बाद से टीवी चैनलों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों के आधार पर ईएमएमसी में फुटेज की जांच और कार्रवाई की गई थी जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	चैनल का नाम	पाया गया उल्लंघन	की गई कार्रवाई
1.	स्टार मूवीज चैनल	वर्जिन मोबाइल का विज्ञापन	चैनल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
2.	डिस्कवरी चैनल	-वही-	-वही-
3.	इंडिया टीवी	1. संत श्री आसाराम बापू पर समाचार	-वही-
		2. मुंबई आतंकी हमले के दौरान आतंकवादियों के साथ सीधे फोन पर संपर्क	-वही-
4.	आज तक	इस अफवाह को फैलाने का समाचार कि कमांडो कार्रवाई समाप्त होने के बाद भी आतंकवादी मुंबई में घूम रहे हैं और गोलीमारी कर रहे हैं।	-वही-
5.	हंगामा टीवी	शिन चान कार्टून कार्यक्रम	मौजूदा रूप में कार्यक्रम को प्रसारित न करने के लिए चैनल को एक सलाह-पत्र सहित कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

नोट: उपर्युक्त के अलावा, ई एम एम सी से प्राप्त की गई फुटेज के आधार पर हाल ही में मुंबई में हुए आतंकी हमलों की मीडिया कवरेज को ध्यान में रखते हुए सभी समाचार एवं समसामयिक विषयक चैनलों को अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशा-निर्देशों के साथ-साथ कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं का अनुपालन करने हेतु दिनांक 27.11.2008 को निदेश और दिनांक 03.12.2008 को सलाह-पत्र भी जारी किए गए थे।

राष्ट्रीय खेल विकास कोष

*163. श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने भारतीय खेल-कूद के विशेषीकृत प्रशिक्षण/कोचिंग तथा विकास के लिए एक राष्ट्रीय खेल विकास कोष स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार तथा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अंशदान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे खेलों को बढ़ावा देने में कितना लाभ मिला है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) से (घ) देश में खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए निजी/कारपोरेट क्षेत्र व अप्रवासी भारतीयों सहित सरकारी और गैर-सरकारी स्रोतों से संसाधन जुटाने के उद्देश्य से वर्ष 1998 में केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल विकास निधि स्थापित की थी। निधि के लिए अत्यधिक अंशदान जुटाने के उद्देश्य से, सभी अंशदानों को आयकर से शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। सरकार ने 2.00 करोड़ रु. से अंशदान की शुरूआत की। इसके बाद सरकार का अंशदान अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदानों के अनुरूप हैं। कोरपस निधि का उपयोग पर्याप्त वैज्ञानिक सहायता व उपकरण सहित देश में तथा देश से बाहर प्रतिष्ठित व उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्यक्ष सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है।

पिछले तीन वर्षों व चालू वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय खेल विकास निधि के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अंशदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

देश में खेलों के मानकों में समग्र सुधार हुआ है। खिलाड़ियों को विशिष्ट प्रशिक्षण देने की शुरूआत करने से उनके प्रदर्शन में सुधार हुआ है तथा इस प्रकार बीजिंग ओलंपिक, 2008 में एक स्वर्ण तथा दो कांस्य पदकों को जीतने के साथ अन्तर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में देश की पदक तालिका में सुधार हुआ है।

विवरण

वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007 तथा चालू वर्ष (2008-09) के दौरान विभिन्न संगठनों से प्राप्त निधियों तथा उनसे मूल खाते सरकारी अंशदानों का ब्यौरा

वर्ष	स्रोत का नाम जिससे निधि में वृद्धि हुई (दाता का नाम)	दी गई राशि	मेल खाते सरकारी अनुदान
2005-06	जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड	25,00,000 रु.	25,00,000 रु.
	राष्ट्रीय खेल दिवस पर झंडी वितरण के द्वारा एकत्रित निधियां	3,79,027 रु.	3,79,027 रु.
2006-07	राष्ट्रीय खेल दिवस पर झंडी वितरण के द्वारा एकत्रित निधियां	83,545 रु.	
2007-08	राष्ट्रीय खेल दिवस पर झंडी वितरण के द्वारा एकत्रित निधियां (मेल खाते अनुदान)		83,545 रु.
	स्टील अथारिटी आफ इंडिया	1,00,00,000 रु.	1,00,00,000 रु.
	भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई)	15,00,000,00	3,99,16,455 रु.
2008-09	भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को मेल खाते सरकारी अंशदान	4,25,00,000	
	कुल	16,29,62,572 रु.	9,53,79,027 रु.

वायु प्रदूषण

*164. श्री एल. राजगोपाल:
श्री फ्रांसिस फैन्थम:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों के परिणाम का अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वायु की गुणवत्ता के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा निर्धारित मानकों/मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार डब्ल्यूएचओ के मानकों/मानदण्डों को प्राप्त करने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उक्त मानदण्डों/मानकों को कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) देश में, इस प्रकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे उपायों के निष्कर्षों का अध्ययन करने के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि परिवेशी वायु गुणता नियमित रूप से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के साथ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक चालू कार्यक्रम राष्ट्रीय वायु मानीटरिंग कार्यक्रम (एनएएमपी) के अंतर्गत नियमित रूप से मानीटर की जा रही है। इस चालू कार्यक्रम का उद्देश्य मौजूदा वायु गुणवत्ता का पता लगाना और पूर्व वायु गुणता के साथ इसकी तुलना करना है। परिवेशी वायु गुणता की मानीटरिंग और आंकड़ों का विश्लेषण देश में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न उपायों के निष्कर्षों को व्यापक रूप से निर्धारित करने में मदद करता है। परिवेशी वायु गुणता आंकड़ों से पता चला है कि सभी स्थलों पर मानीटर की गई वायु गुणता SO_2 के संदर्भ में और कुछ स्थानों को छोड़कर NOX के संदर्भ में भी परिवेशी वायु गुणता मानकों के भीतर है। हालांकि आरएसपीएम के स्तर परिवेशी वायु गुणता मानकों से बढ़ रहे हैं।

परिवेशी कणकीय पदार्थ के विभिन्न स्रोतों के योगदान के प्रतिशत का पता लगाने के लिए छह महानगरों में स्रोत संविभाजन अध्ययन किए जा रहे हैं और रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) के अधिदेश के अंतर्गत परिवेशी वायु गुणता के संबंध में 2005 तक समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देश शामिल हैं। चयनित वायु प्रदूषकों के संकेद्रण के लिए संस्तुत संशोधित सीमाएं संलग्न विवरण में दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देश वैश्विक स्वरूप के हैं और इनमें स्थानीय स्थितियों को ध्यान में नहीं रखा गया है।

(घ) और (ङ) सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उद्योगों और जेनरेटर सेटों के लिए अधिसूचित उत्सर्जन मानकों का कार्यान्वयन शामिल है। 16 नगरों में वायु गुणता प्रबंध के लिए कार्य योजना और 6 नगरों में स्रोत संविभाजन अध्ययन किया जा रहा है। आटो फ्यूल पालिसी के रोड मैप के अनुसार नए और उपयोग में लाए जा रहे वाहनों के उत्सर्जन मानकों और ईंधन गुणवत्ता का कार्यान्वयन और सार्वजनिक परिवहन में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग शुरू करने के साथ-साथ बड़ी संख्या में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। ताप विद्युत संयंत्रों में लाभकारी/मिश्रित कोयले का उपयोग शुरू किया गया है।

सर्वाधिक प्रदूषित उद्योगों की 17 श्रेणियों की पहचान करके पर्यावरण सुरक्षा के लिए निगमित उत्तरदायित्व पर एक चार्टर कार्यान्वित किया जा रहा है। पहचान किए गए 24 गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है। प्रदूषित उद्योग, निर्माण और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है।

(च) उक्त डब्ल्यू एच ओ की वायु गुणता दिशानिर्देशों की उपलब्धियों के लिए समय-सीमा निश्चित करना कठिन है, लेकिन सरकार इस संबंध में सभी प्रयास करेगी, क्योंकि वायु गुणवत्ता में सुधार करना एक चलते रहने वाला कार्यक्रम है।

विवरण

विश्व स्वास्थ्य संगठन वायु गुणता दिशा निर्देश (एक्यूजी) मूल्य

प्रदूषक	औसत समय	एक्यूजी मूल्य
1	2	3
कणकीय पदार्थ	1 वर्ष	10 जी/एम^3
($PM_{2.5}$)	24 घंटे (99 प्रसेन्टाइल)	25 जी/एम^3
कणकीय पदार्थ	1 घंटे	20 जी/एम^3
(PM_{10})	24 घंटे (99 प्रसेन्टाइल)	50 जी/एम^3
ओजोन (O_3)	8 घंटे, प्रतिदिन अधिकतम	100 जी/एम^3

1	2	3
नाइट्रोजन डाइआक्साइड (NO_2)	1 वर्ष	40 जी/एम^3
	1 घंटा	200 जी/एम^3
सल्फर डाइक्साइड (SO_2)	24 घंटे	20 जी/एम^3
	10 मिनट	500 जी/एम^3

स्रोत: डब्ल्यूएचओ वायु गुणता वैश्विक दिशानिर्देश, 2005 तक कार्यकारी बैठक पर रिपोर्ट, बॉन, जर्मनी, विश्व स्वास्थ्य संगठन 2005
संकेताक्षर : माइक्रो ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर

मातृ मृत्यु दर तथा नवजात शिशुओं की मृत्यु

***165. डा. के.एस. मनोज:**
श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) क्या भारत में नवजात शिशुओं की मृत्यु के मामलों की संख्या काफी अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है; और

(घ) देश में मातृ मृत्यु दर तथा नवजात शिशुओं की मृत्यु के मामलों की संख्या को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) भारत के महापंजीयक, गृह मंत्रालय, मातृ एवं नवजात मृत्यु के अनुमान प्रकाशित करता है। पिछली रिपोर्ट नामत: **"भारत में मातृ मृत्यु: 1997-2003-प्रवृत्तियां, कारण और जोखिम कारक"** वर्ष 2006 में भारत के महापंजीयक द्वारा जारी की गई जिसमें भारत और मुख्य राज्यों की मातृ मृत्यु अनुपात का अनुमान दिया गया है। ऐसी रिपोर्टें भारत के महा-पंजीयक द्वारा समय-समय पर जारी की जाती हैं और पूर्ववर्ती रिपोर्ट वर्ष 1998-99 से संबंधित है। अद्यतन रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि भारत में वर्ष 1997-98 में 100,000 प्रति जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर 398 थी तथा वर्ष 2001-03 के दौरान यह घटकर प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 301 हो गई है। भारत और मुख्य राज्यों में मातृ मृत्यु दर का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारत के महापंजीयक द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से जारी अनुमानों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर नवजात मृत्यु दर 1000 प्रति जीवित जन्मों पर 37 है। भारत और मुख्य राज्यों में नवजात मृत्यु दर का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) मातृ एवं बाल स्वास्थ्य संवर्धन करने के लिए सरकार ने वर्ष 1997-98 से पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण-I (आरसीएच-I) कार्यान्वित किया है। कार्यक्रम को वर्ष 2004-05 से पांच वर्षों की अन्य अवधि के लिए अगले चरण-II में बढ़ाया गया है। अप्रैल, 2005 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आरसीएच-I कार्यक्रम को शामिल कर लिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में ग्रामीण लोग विशेषकर समाज के असुरक्षित लोगों को सुगम्य, वहनीय और गुणवत्ता स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने का प्रावधान है। इसमें यह भी कोशिश की गई है कि वर्ष 2012 में मिशन की समाप्ति अवधि तक मातृ मृत्यु अनुपात में 100,000 प्रति जीवित जन्मों पर 100 तक तथा शिशु मृत्यु में 30 तक की कमी हो जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन निर्धनों पर ध्यान दिये जाने के लिए अनुकूल कार्यक्रम है और यह सभी पृथक कार्यक्रमों को एकल संघटित कार्यक्रम में समाहित करता है। मातृ मृत्यु, नवजात मृत्यु और शिशु मृत्यु में कमी लाने के लिए भारत सरकार कई मुख्य कार्यनीतियां एवं कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जो संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण I

मातृ मृत्यु दर अनुपात
(मातृ मृत्यु प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर)

	1997-98	1999-01	2001-03
1	2	3	4
भारत	398	327	301
आंध्र प्रदेश	197	220	195
असम	568	398	490
बिहार	531	400	371
गुजरात	46	202	172

1	2	3	4
हरियाणा	136	176	162
कर्नाटक	245	266	228
केरल	150	149	110
मध्य प्रदेश	441	407	379
महाराष्ट्र	166	169	149
उड़ीसा	346	424	358
पंजाब	280	177	178
राजस्थान	508	501	445
तमिलनाडु	131	167	134
उत्तर प्रदेश	606	539	517
पश्चिम बंगाल	303	218	194

स्रोत: भारत के महापंजीयक, गृह मंत्रालय

विवरण II

भारत और बड़े राज्यों में स्थानीय नवजात मृत्यु दर-2006

क्र.सं.	भारत/मुख्य राज्य	नवजात मृत्यु दर		
		कुल	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5
	भारत	37	41	23
1.	आंध्र प्रदेश	33	41	10
2.	असम	35	36	19
3.	बिहार	32	34	15
4.	छत्तीसगढ़	43	45	35
5.	दिल्ली	22	20	23
6.	गुजरात	38	41	31
7.	हरियाणा	34	38	25
8.	हिमाचल प्रदेश	30	31	21
9.	जम्मू-कश्मीर	39	41	30
10.	झारखंड	29	31	14
11.	कर्नाटक	28	33	15
12.	केरल	10	12	7
13.	मध्य प्रदेश	51	54	37
14.	महाराष्ट्र	27	33	18
15.	उड़ीसा	52	54	32
16.	पंजाब	30	34	24
17.	राजस्थान	45	50	24
18.	तमिलनाडु	24	29	17
19.	उत्तर प्रदेश	46	49	33
20.	पश्चिम बंगाल	28	30	20

स्रोत: भारत के महापंजीयक, गृह मंत्रालय

विवरण III

मुख्य कार्यनीतियां और कार्यकलाप

* नवजात और बाल्यकाल रुग्णता का एकीकृत उपचार;
* गृह आधारित नवजात परिचर्या;
* स्तनपान और पूरक स्तनपान का संवर्धन;
* तीव्र श्वसनीय संक्रमण के कारण होने वाली मृत्यु पर नियंत्रण और अतिसार रोगों के कारण होने वाली मृत्यु पर नियंत्रण;
* सूक्ष्म पोषक तत्वों से संपूरण: विटामिन ए एवं आयरन;
* वैश्विक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम;
* जननी सुरक्षा योजना: गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए संस्थागत प्रसव का संवर्धन करने के लिए नगद लाभ प्रदान करने वाली योजना;
* प्रथम रेफरल यूनिट और सातों दिन 24 घंटे सेवा प्रदान करने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन;

* कुशल जन्म उपस्थिति के रूप में विभिन्न कौशल आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से कुशल मानवशक्ति की उपलब्धता में वृद्धि करना, सीजेरियन सेक्शन सहित जीवन रक्षक एनेस्थेटिक कौशल और प्रसूति परिचर्या में एम बी बी एस चिकित्सकों को प्रशिक्षण;

* प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर परिचर्या सेवाओं का प्रावधान;

* गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान आयरन और फोलिक एसिड टेबलेट सहित संपूर्ण द्वारा रक्ताल्पता की रोकथाम और उपचार;

* आंगनवाड़ी केन्द्रों में ग्राम्य स्वास्थ्य और पोषण दिवस का आयोजन करना;

* महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को संपूरक पोषक तत्व दिया जाता है;

* गर्भवती महिलाओं सहित समुदाय द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की पहुंच को सुकर बनाने के लिए एक मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की नियुक्ति;

* अवसंरचना, उपकरण और विशेषज्ञ मानव शक्ति प्रदान करके सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जिला अस्पतालों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों का कार्यान्वयन;

* सेवा प्रदानगी में सुधार लाने के लिए असम्बद्ध अनुदान वार्षिक अनुरक्षण अनुदान और कार्पस निधि सहित उनको निधि प्रदान करके जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाना;

* ग्राम्य स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति की स्थापना।

[हिन्दी]

महानगरों में वन भूमि

*166. **श्री काशीराम राणा:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कानूनी उपबंधों के अनुसार किन-किन महानगरों में वन भूमि है तथा नगर-वार ऐसी भूमि का क्षेत्रफल कितना है;

(ख) क्या महानगरों में वन भूमि कम होती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) 35 महानगरों (वे शहर जहां 2001 में की गई जनगणना के अनुसार 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या है) के महानगर-वार, वन भूमि के संबंध में आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं है। तथापि, जिन जिलों में ये महानगर स्थित है उनके वन आवरण का आकलन भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा किया गया है। 35 महानगरों से संबंधित जिलों में वन आवरण में परिवर्तन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं, वे जिले, जिनमें देश के 35 महानगर स्थित हैं, में से किसी भी जिले में वन भूमि के संबंध में अधिसूचना रद्द नहीं की गई है। जैसा कि संलग्न विवरण में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि महानगरों एफ एस आई द्वारा वर्ष 2003 और 2005 में किए गए आकलन के अनुसार के जिलों में वन आवरण, आंशिक रूप से क्रमश: 28055 वर्ग कि.मी. से 28431 वर्ग कि.मी. तक बढ़ गया है। इस आकलन के अनुसार, 35 महानगरों में से, 18 महानगरों वन आवरण में बढ़ गया है, 10 महानगरों में कम हो गया है तथा 7 महानगरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) किसी वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजनों के लिए उपयोग करना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उपबंधों की ओर आकृष्ट करता है। राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा वनीकरण और वृक्षारोपण के माध्यम से हरियाली को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां उनके सामाजिक वानिकी, शहरी वानिकी और अन्य विशेष वन रोपण अभियानों के कार्यक्रमों के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त, शहरी विकास मंत्रालय की शहरी विकास योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वयन (यूडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 1996 में मैदानी इलाकों और पर्वतीय शहरों, दोनों में, शहरी केन्द्रों का प्रस्तावित भूमि उपयोग निर्माण को विनिर्दिष्ट किया गया है। मनोरंजनात्मक/हरियाली/वन उपयोग हेतु समर्पित की गई भूमि की प्रतिशतता मैदानी इलाकों में महानगरों के संबंध में 20-25% और पर्वतीय इलाकों में बड़े शहरों के संदर्भ में 16-20% है।

विवरण

महानगरों में वन आवरण

महानगर	जिला	वन आवरण (वर्ग कि.मी.)	
		एस एफ आर 2003	एस एफ आर 2005
1	2	3	4
दिल्ली	मध्य दिल्ली	5.2	5
	पूर्वी दिल्ली	2.94	3
	नई दिल्ली	14.54	16
	उत्तरी दिल्ली	4.7	5
	उत्तर पूर्वी दिल्ली	2.7	3
	उत्तर पश्चिमी दिल्ली	15.47	16
	दक्षिणी दिल्ली	78.95	79
	दक्षिण पश्चिमी दिल्ली	40.61	42
	पश्चिमी दिल्ली	5.06	6
	कुल	170.17	175
चेन्नई	चेन्नई	6	6
	तिरुवल्लूर	222	231
	कांचीपुरम	377	379
	कुल	605	616
कोलकाता	कोलकाता	0	0
	उत्तरी 24 परगना	127	122
	दक्षिणी 24 परगना	2285	2283
	हावड़ा	80	80
	हुगली	70	69
	नादिया	105	95
	कुल	170.17	175
मुम्बई	मुंबई शहर	1	2
	मुंबई उप नगरी	86	111
	थाणे	2729	2857
	रायगढ़	2314	2436
	कुल	5130	5406

1	2	3	4
बंगलौर	बंगलौर ग्रामीण	858	828
	बंगलौर शहर	168	164
	कुल	1026	992
हैदराबाद	हैदराबाद और रंगारेड्डी	392	389
अहमदाबाद	अहमदाबाद	177	144
पुणे	पुणे	1333	1361
सूरत	सूरत	1354	1339
कानपुर	कानपुर देहात और नगर	113	113
जयपुर	जयपुर	622	623
लखनऊ	लखनऊ	298	298
नागपुर	नागपुर	1984	1980
पटना	पटना	15	25
इंदौर	इंदौर	554	587
वड़ोदरा	वड़ोदरा	628	621
भोपाल	भोपाल	312	324
कोयम्बटूर	कोयम्बटूर	1804	1806
लुधियाना	लुधियाना	41	45
कोच्ची	एर्नाकुलम	465	469
विशाखापट्टनम	विशाखापट्टनम	3378	3380
आगरा	आगरा	273	273
वाराणसी	वाराणसी	12	12
मदुरई	मदुरई	531	544
मेरठ	मेरठ	62	62
नासिक	नासिक	1073	1115
जबलपुर	जबलपुर	1078	1077
जमशेदपुर	पूर्वी सिंह भूमि	923	945
आसनशोल	बर्द्धवान	225	239
धनबाद	धनबाद	208	208

1	2	3	4
फरीदाबाद	फरीदाबाद	79	92
इलाहाबाद	इलाहाबाद	97	97
अमृतसर	अमृतसर	27	28
विजयवाड़ा	कृष्णा	251	250
राजकोट	राजकोट	148	147
कुल योग		28055	28431

एस एफ आर - वन स्थिति रिपोर्ट

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में डकैती

*167. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में समुद्री डाकुओं ने जापान के एक पोत 'एम टी स्टोल्ट वैलोर' को बंधक बना लिया था जिसमें कुछ भारतीय नाविक सवार थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय नाविकों की सुरक्षित रिहाई के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार गहरे समुद्र में डकैती के खतरे से निपटने के लिए कोई रणनीति तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) जलयान एम.टी. स्टोल्ट वैलोर, जिस पर 18 भारतीय नाविक सवार थे, का एडन की खाड़ी में सोमाली समुद्री लुटेरों द्वारा 15 सितंबर, 2008 को अपहरण कर लिया गया था। यह पोत एक जापानी फर्म का है और इस पर हांग कांग का ध्वज है। पोत स्वामियों और नाविकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों के साथ विभिन्न स्तरों पर कई बैठकें की गईं। पोत के जापानी स्वामी से संपर्क करने उसे इस बात के लिए मनाने हेतु एक प्रतिनिधि मंडल को जापान भेजा गया कि वह जलयान की जल्द रिहाई के प्रयास करे। जापानी पोत स्वामी द्वारा समुद्री लुटेरों के साथ की गई बातचीत के कारण जलयान और कर्मीदल की रिहाई हो सकी।

(घ) और (ङ) एडन की खाड़ी में साल्लाह (ओमान) और एडन (यमन) के बीच के मार्ग से गुजरने वाले भारतीय ध्वज से युक्त पोतों के सामान्य मार्ग पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत को तैनात किया गया है। इस समय आई एन एस मैसूर गश्त कर रहा है। इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना के युद्धपोत की मौजूदगी महत्वपूर्ण है क्योंकि गल्फ की खाड़ी, हिन्द महासागर क्षेत्र में एक अवरोधक है और यह सुएज़ कैनाल तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करता है जिससे होकर भारत के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा जाता है। इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना की मौजूदगी समुद्र के रास्ते होने वाले भारतीय व्यापार की सुरक्षा करने में मदद कर रही है और नाविक समुदाय में आत्मविश्वास का संचार करने के साथ-साथ समुद्री लुटेरों को रोकने का काम भी कर रही है।

भारत का विचार यह है कि संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में और अधिक समन्वयन की आवश्यकता है ताकि युद्ध पोतों का योगदान देने वाले देश और संगठन जैसे कि नाटो (NATO), यूरोपीयन यूनियन का आपरेशन अटलांटा और भारत सहित अलग-अलग राष्ट्रों के युद्धपोत, इन समुद्री मार्गों की सुरक्षा बढ़ाने हेतु किए जाने वाले प्रयासों का समन्वयन कर सकें। इसके अलावा, इस समस्या को समझते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया जिसने वर्ष 2008 में चार संकल्पों को अपनाया। भारत ने इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए अनेक देशों से संपर्क किया है।

राष्ट्रमंडल खेल, 2010

*168. श्री हन्नान मोल्लाह:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की तैयारियों की परियोजना-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इन खेलों के लिए खेल अवसंरचना परियोजना के निर्माण/विकास से संबंधित कार्य निर्धारित समय-सीमा के अनुसार चल रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) खेलों के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण/कोचिंग देने के लिए बनायी गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस क्षेत्र में कार्यरत कुछ स्वैच्छिक एसोसिएशनों को इस संबंध में नियुक्त किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इन नियुक्त एसोसिएशनों का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सभी प्रमुख स्टेडियमों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार प्रगति पर है।

सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के पश्चात खेल गांव का निर्माण कार्य भी समय-सीमा के अनुसार प्रगति पर है। उच्च न्यायालय ने खेल गांव के निर्माण-स्थल से संबंधित लोक हित में कुछ पर्यावरण विषयक मुद्दों को उठाने वाली श्री राजेन्द्र सिंह तथा अन्य द्वारा दायर की गई याचिका पर 3 नवम्बर, 2008 को निर्णय दिया है। इस निर्णय में, न्यायालय ने यमुना नदी के पर्यावरण तथा संरक्षण पर निर्माण कार्य के पड़ने वाले प्रभाव के विषय में अध्ययन कराने तथा अपनी रिपोर्ट को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक समिति गठित करने का निदेश दिया है ताकि न्यायालय आगे आदेश जारी कर सके। इस निर्णय से परियोजना के विकास कर्ताओं तथा विभिन्न स्वामित्वधारियों में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दिविप्रा द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध दायर की गई याचिका पर, सर्वोच्च न्यायालय ने 5 दिसम्बर, 2008 को उच्च न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है। खेलों की पदक तालिका को विस्तृत करने के उद्देश्य से राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय टीम की तैयारी की एक स्कीम अनुमोदित की गई है। अब यह स्कीम कार्यान्वित की जानी है।

कैबिनेट ने राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में तथा राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन व समापन समारोह के लिए अनुकरण करने के लिए विचार-विमर्श के लिए भी होटलों के निर्माण कार्यक्रम की समीक्षा करने हेतु मंत्रियों के समूह का गठन किया है ताकि इनके द्वारा भारत की महान सभ्यता, इसके इतिहास, सांस्कृतिक विभिन्नता, विविध कला रूपों, संगीत व नृत्य की झलक दिखायी जा सके।

(ख) और (ग) जी हां। आवश्यक नियामक अनुमति प्राप्त करने के पश्चात्, स्पर्धा-स्थलों तथा अधिकांश प्रशिक्षण स्थलों पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और निरंतर जारी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा विकसित की गई वेब आधारित निगरानी प्रणाली पर निगरानी योग्य मानदण्डों के अनुसार समय-सीमा पर निगरानी रखी जा रही है। प्रमुख स्टेडियमों का कार्य समय-सीमा के अनुसार प्रगति पर है और समय से पूरा कर लिया जाएगा।

(घ) सरकार ने 678 करोड़ रु. की लागत वाली "राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए भारतीय टीमों की तैयारी हेतु योजना" नामक योजना अनुमोदित कर दी है जिसको राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में पदक तालिका में भारतीय खिलाड़ियों को अधिकाधिक स्थान दिलाने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 18 खेल विधाओं के 1286 विशिष्ट खिलाड़ियों (संभावित पदक विजेताओं) को पूर्ण वैज्ञानिक और चिकित्सा सहायता सुविधाओं सहित भारत विदेश में व्यापक और गहन प्रशिक्षण और खेलने के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण के विभिन्न केन्द्रों में चयनित एथलीटों के लिए कोचिंग/प्रशिक्षण शिविर आरंभ कर दिए गए हैं। युवक कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री प्रशिक्षण/कोचिंग कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए स्वयं इन केन्द्रों का दौरा कर रहे हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

रोगाणु वाहक जनित रोग

*169. श्री पी.सी. थामस:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल सहित देश के विभिन्न भागों में डेंगू और चिकुनगुनिया से होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या के संबंध में कोई अध्ययन/अनुसंधान कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्यों को वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितनी धनराशि तथा अन्य सहायता दी गई है;

(घ) क्या इन रोगों की रोकथाम हेतु कोई टीका विकसित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) भारत सरकार ने अभी तक डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में कोई विशेष अनुसंधान नहीं किया है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने केरल में डेंगू और चिकनगुनिया जैसे मच्छर से संक्रमित वायरल रोगों से संबंधित अनुसंधान क्रियाकलाप करने के लिए केरल के अलाप्पूझा जिले में राष्ट्रीय विषविज्ञान संस्थान (एनआईवी), पुणे का एक क्षेत्रीय एकक स्थापित किया है।

(ग) वर्ष 2007-08 से आगे राज्यों को विशेष रूप से डेंगू और चिकनगुनिया के लिए निधियां जारी की गई है। तथापि, वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान चिकनगुनिया स्थानिक मारी वाले राज्यों में आपात पैकेज के तहत भी निधियां जारी की गई हैं। नियमित बजट के अंतर्गत और आपात पैकेज के रूप में प्रदान की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त राज्यों को डेंगू और चिकनगुनियां के टेस्ट किट प्रदान किये जाते हैं और लागत की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। लार्वाभक्षी अधिप्राप्ति भी केन्द्रीय रूप से की जाती है और राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रदान की जाती है।

(घ) और (ङ) अभी तक डेंगू और चिकनगुनिया के लिए कोई वैक्सिन विकसित नहीं की गई है।

विवरण

डेंगू और चिकनगुनिया स्थानिक मारी वाले राज्यों को जारी/आबंटित की गई निधियों के ब्यौरे

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	स्थानिक मारी वाले राज्यों का नाम	नियमित बजट			चिकनगुनिया के लिए आपात पैकेज		
		2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	वर्ष के दौरान विशेष रूप से डेंगू और चिकनगुनिया के लिए कोई निधियां जारी नहीं की गई	27.50	98.20	220.50	181.26	शून्य
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		0.00	11.10	95.46	0.00	
3.	असम		16.00	11.00	0.00	0.00	
4.	बिहार*		1.00	13.80	0.00	0.00	
5.	चंडीगढ़		16.00	19.80	0.00	0.00	
6.	दिल्ली*		16.50	49.40	170.50	0.00	
7.	गुजरात		25.00	97.60	220.50	0.00	
8.	गोवा**		1.00	13.10	0.00	75.00	
9.	हरियाणा*		1.50	54.30	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	जम्मू-कश्मीर		0.00	11.00	0.00	0.00	
11.	कर्नाटक		20.50	102.90	220.50	0.00	
12.	केरल*		27.00	71.20	220.50	403.90	
13.	लक्षद्वीप	वर्ष के दौरान	0.00	11.50	0.00	0.00	
14.	महाराष्ट्र	विशेष	19.50	91.30	220.50	15.15	
15.	मध्य प्रदेश	रूप से डेंगू और	2.50	33.90	220.50	0.00	
16.	मणिपुर	चिकनगुनिया	0.00	8.30	0.00	0.00	शून्य
17.	उड़ीसा	के लिए कोई	0.00	51.70	0.00	0.00	
18.	पंजाब	निधियां	0.50	33.50	0.00	0.00	
19.	पांडिचेरी**	जारी नहीं की गई	0.00	18.70	130.50	0.00	
20.	राजस्थान		4.00	82.00	220.50	0.00	
21.	तमिलनाडु*		30.00	114.10	220.50	200.00	
22.	उत्तर प्रदेश		24.50	110.40	0.00	0.00	
23.	पश्चिम बंगाल		17.00	63.80	0.00	0.00	
	कुल		250.00	1172.60	2160.46	875.31	

*निधियां जारी करने के लिए अपेक्षित लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

**अप्रयुक्त पर्याप्त अधिशेष राशि होने के कारण वर्ष 2008-09 के दौरान कोई निधि जारी नहीं की जाएगी।

[हिन्दी]

पासपोर्ट हेतु लंबित आवेदन

***170. श्रीमती किरण माहेश्वरी:**
श्री गिरधारी लाल भार्गव:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में प्रत्येक क्षेत्रीय पासपोर्ट (आरपीओ) में राज्य-वार कितने आवेदन लंबित हैं;

(ख) लंबित आवेदनों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में कितने पासपोर्ट कार्यालयों का निरीक्षण किया गया है;

(घ) इनमें पाई गईं कमियों/अनियमितताओं का क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नए पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने के लिए राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) सूचना संलग्न विवरण में है।

(ख) सरकार ने समय-समय पर अनेक कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:-

(1) लंबित मामलों को समाप्त करने के लिए विशेष अभियान;

(2) पुलिस प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को तेज करना;

(3) जिन आवेदकों को बाद में पुलिस सत्यापन जारी करने के आधार पर पासपोर्ट दिया जा सकता है उनकी संख्या बढ़ाना;

(4) जिन आवेदकों के पास विद्यमान पासपोर्टों के संबंध में स्पष्ट पुलिस रिपोर्ट है और पासपोर्ट अभिलेखों में उनके खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं है उनके पासपोर्टों का पुलिस सत्यापन के बगैर नवीनीकरण करना;

(5) कतिपय औपचारिकताएं पूरी करने पर वरिष्ठ नागरिकों, सरकारी कर्मचारियों और अवयस्कों को पुलिस सत्यापन के बगैर पासपोर्ट जारी करना; और

(6) पासपोर्ट संबंधी पिछले मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा नियमित अंतराल पर पासपोर्ट अदालतों/शिविरों का आयोजन करना।

(ग) वर्ष-वार निरीक्षण किए गए पासपोर्ट कार्यालयों की संख्या नीचे दी गई है:-

2005	2006	2007	नवम्बर, 2008 तक
6 पासपोर्ट कार्यालयों के 6 निरीक्षण	23 पासपोर्ट कार्यालयों के 38 निरीक्षण	22 पासपोर्ट कार्यालयों के 25 निरीक्षण	22 पासपोर्ट कार्यालयों के 25 निरीक्षण

(घ) पासपोर्ट कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान सभी पासपोर्ट कार्यालयों में निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में कमियां देखी गई हैं:

(1) आवेदन प्राप्त होने के समय उनकी उचित ढंग से जांच नहीं की जाती;

(2) तत्काल मामलों के लिए विशेष व्यवस्था नहीं की जाती;

(3) वैयक्तिक ब्यौरे प्रपत्र पुलिस प्राधिकारियों को प्रेषित करने में विलम्ब किया जाता है;

(4) स्पष्ट पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त किए जाने के बाद पासपोर्ट देने और उसे जारी करने में विलम्ब किए जाने की घटनाएं देखी गईं;

(5) गलत "उत्प्रवासन अनुमति वांछित" (ईसीआर) पृष्ठांकन;

(6) पासपोर्ट प्रेषित करने में विलम्ब;

(7) पासपोर्ट चाहने वाले नागरिकों की शिकायतों के निस्तारण हेतु त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती;

(8) पासपोर्ट आवेदकों के लिए आवश्यक सुख-सुविधाओं का अभाव।

(ङ) और (च) नए पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिए राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

विवरण

21 नवम्बर, 2008 तक के पासपोर्ट आंकड़े

क्र.सं.	पासपोर्ट कार्यालय का नाम	1.1.2008 से 21.11.2008 तक प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों की कुल संख्या	1.1.2008 से 21.11.2008 तक जारी किए गए कुल पासपोर्ट	21.11.2008 को लम्बित आवेदनों की कुल संख्या	संबंधित पासपोर्ट कार्यालयों के कार्य क्षेत्र में शामिल राज्य
1	2	3	4	5	6
1.	हैदराबाद	327125	305834	82983	आंध्र प्रदेश
2.	विशाखापट्टनम	74225	72310	14275	आंध्र प्रदेश
3.	गुवाहाटी	28754	31863	8759	असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय

1	2	3	4	5	6
4.	पटना	174917	130243	92712	बिहार
5.	चंडीगढ़	269583	251962	67086	हरियाणा, (12 जिले) और पंजाब (12 जिले)
6.	रायपुर	19958	17050	4185	छत्तीसगढ़
7.	दिल्ली	242483	255011	27367	दिल्ली और हरियाणा (9 जिले)
8.	पणजी	27781	27497	1692	गोवा
9.	अहमदाबाद	248327	253668	3599	गुजरात
10.	सूरत	79276	80847	7695	गुजरात
11.	शिमला	23407	22927	515	हिमाचल प्रदेश
12.	जम्मू	14056	15024	4688	जम्मू-कश्मीर
13.	श्रीनगर	11167	13452	12417	जम्मू-कश्मीर
14.	रांची	38531	33346	13863	झारखंड
15.	बंगलौर	264829	263109	49364	कर्नाटक
16.	कोचीन	207062	219924	27540	केरल
17.	कोजीकोड	169868	170532	13903	केरल
18.	त्रिवेन्द्रम	147216	143306	17659	केरल
19.	मल्लापुरम	140435	136015	15756	केरल
20.	भोपाल	63281	60734	23605	मध्य प्रदेश
21.	मुम्बई	272332	268781	16791	महाराष्ट्र
22.	थाणे	135736	133156	14919	महाराष्ट्र
23.	पुणे	100867	106729	23771	महाराष्ट्र
24.	नागपुर	50778	52648	7180	महाराष्ट्र
25.	भुवनेश्वर	42194	43590	17547	उड़ीसा
26.	जालंधर	182642	165158	47958	पंजाब
27.	अमृतसर	41785	22298	17279	पंजाब
28.	जयपुर	164362	160271	31531	राजस्थान
29.	मदुरई	110902	115485	17678	तमिलनाडु
30.	कोयम्बटूर	11513	6934	5465	तमिलनाडु
31.	त्रिची	125937	172602	746	तमिलनाडु
32.	चेन्नई	267393	272929	36907	तमिलनाडु और पुडुचेरी
33.	लखनऊ	296457	282363	75411	उत्तर प्रदेश
34.	गाजियाबाद	84800	82882	6011	उत्तर प्रदेश

1	2	3	4	5	6
35.	बरेली	65164	59542	19943	उत्तर प्रदेश
36.	देहरादून	16424	10470	5694	उत्तर प्रदेश
37.	कोलकाता	167194	170359	53442	पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और सिक्किम
	कुल	4708761	4630851	887936	

[अनुवाद]

वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु विशेष पैकेज

*171. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:**
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता सहित कोई विशेष पैकेज दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी, नहीं। यह मंत्रालय किसी भी राज्य सरकार को कोई विशेष पैकेज प्रदान नहीं कर रहा है। तथापि, वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए चालू योजना स्कीमों के माध्यम से विभिन्न राज्य और संघ शासित सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इन स्कीमों में शामिल हैं:

1. एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम
2. हाथी परियोजना
3. बाघ परियोजना
4. राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता।

(ग) से (ङ) राज्य/संघ शासित सरकारें विभिन्न योजना स्कीमों के अंतर्गत अपनी वार्षिक योजना के संचालन के लिए प्रस्ताव भेजते हैं और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर राज्य और संघ शासित सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य और संघ शासित सरकारों को प्रदत्त वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-I से IV में दिए गए हैं।

विवरण I

वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए विशेष पैकेज—एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (2.12.008 तक)
1	2	3	4	5	6
	अन्य राज्य				
1.	आंध्र प्रदेश	175.00	शून्य	179.772	270.00
2.	बिहार	128.88	132.53	83.736	93.614
3.	छत्तीसगढ़	104.31	371.40	613.012	367.70

1	2	3	4	5	6
4.	गोवा	शून्य	शून्य* (29.01)	18.53	–
5.	गुजरात	192.00	400.00	568.825	367.53
6.	हरियाणा	75.00	167.50	96.04	–
7.	हिमाचल प्रदेश	180.186	शून्य	124.066	260.96
8.	जम्मू-कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	–
9.	झारखंड	75.00	12.263	221.875	217.872
10.	कर्नाटक	119.63	122.88	159.60	264.90
11.	केरल	125.00	167.597	283.72	467.00
12.	मध्य प्रदेश	125.00	325.00	665.02	452.00
13.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य* (103.46)	232.84	232.00
14.	उड़ीसा	110.00	76.38	180.61	234.00
15.	पंजाब	शून्य	शून्य* (100.00)	शून्य* (100.00)	134.28
16.	राजस्थान	100.00	100.07	99.692	150.408
17.	तमिलनाडु	150.00	158.40	431.5775	शून्य* (191.73)
18.	उत्तर प्रदेश	49.25	135.04	235.73	208.89
19.	उत्तराखंड	150.00	508.85	283.41	305.26
20.	पश्चिम बंगाल	140.00	218.10	187.425	270.60
	कुल	1999.256	2996.01	4665.4405	4297.014
पूर्वोत्तर और सिक्किम					
1.	असम	400.00	190.26	496.00	400.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	274.66	191.68	308.42	225.22
3.	मणिपुर	128.80	395.18	143.55	165.00
4.	मेघालय	80.00	150.00	86.00	189.00
5.	मिजोरम	300.00	229.71	414.37	328.00
6.	नागालैंड	54.00	337.72	365.4264	178.00
7.	सिक्किम	शून्य	141.70	120.6648	220.68
8.	त्रिपुरा	16.00	162.915	98.593	156.00
	कुल	1253.46	1799.165	2033.0242	1861.90

1	2	3	4	5	6
संघ शासित क्षेत्र					
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	दादरा और नगर हवेली	8.26	3.8552	शून्य	शून्य
4.	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	18.1464
5.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	नई दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सकल योग	8.26	3.8552	शून्य	18.1464
	राज्य	3260.976	4799.0302	6698.4647	6177.0604

*सूचित करता है कि धनराशि स्वीकृत की गई पर वास्तविक रूप से कोई धनराशि नहीं दी गई क्योंकि पहले की खर्च न की गई राशि को चालू वर्ष की धनराशि में समायोजित किया गया था। यह राशि कोष्ठक में दी गई है।

विवरण II

हाथी परियोजना

(लाख रुपये)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	60.00	64.774	60.00	25.00
अरुणाचल प्रदेश	71.50	61.00	54.50	65.00
असम	40.00	75.00	144.00	130.00
छत्तीसगढ़		80.00	83.77	-
हरियाणा		50.00	-	-
झारखंड	75.00	74.446	132.17	80.00
कर्नाटक	168.00	167.82	212.65	150.00
केरल	170.00	169.40	147.70	100.00
महाराष्ट्र		25.00	56.86	50.00

1	2	3	4	5
मेघालय	30.00	61.55	68.39	50.00
मिजोरम	–	–	1.33	–
नागालैंड	48.00	52.45	26.60	12.00
उड़ीसा	114.00	153.94	148.50	110.00
तमिलनाडु	112.00	153.41	124.978	160.00
त्रिपुरा	–	–	12.00	15.00
उत्तर प्रदेश	–	6.20	55.33	30.00
उत्तराखंड	137.70	153.12	126.46	157.20
पश्चिम बंगाल	181.00	160.89	185.725	102.00
कुल	1207.20	1509.00	1640.963	1236.20

विवरण III

बाघ परियोजना

(लाख रुपये)

क्र.सं.	बाघ रिजर्व रेंज का नाम	2005–06 (अखिल भारतीय आकलन सहित)	2006–07	2007–08	2008–09
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	68.7926	46.675	73.9175	26.0830
2.	अरुणाचल प्रदेश	172.418	237.3725	110.2542	54.7805
3.	असम	86.4896	87.431	95.614	221.2690
4.	बिहार	6.4918	69.9554	98.3205	–
5.	छत्तीसगढ़	24.3343	10.00	35.235	92.1296
6.	कर्नाटक	453.2246	286.277	1159.71491	235.7748
7.	केरल	116.1708	109.00	153.2449	86.6000
8.	झारखंड	164.1784	155.967	45.16	48.2165
9.	मध्य प्रदेश	777.2676	879.942	2975.94113	2083.6589
10.	महाराष्ट्र	334.19	238.56	295.71907	233.1276

1	2	3	4	5	6
11.	मिजोरम	65.156	115.16	82.90	80.0000
12.	उड़ीसा	107.0024	183.8717	43.28	398.760
13.	राजस्थान	281.2458	176.541	410.68	2477.3026
14.	तमिलनाडु	136.9528	108.535	45.40	208.8360
15.	त्रिपुरा	0.50	–	–	–
16.	उत्तरांचल	159.9212	192.78	202.005	136.5500
17.	उत्तर प्रदेश	162.8782	183.265	134.89	157.5100
18.	पश्चिम बंगाल	228.29358	190.5283	308.67414	111.5693
	कुल	3345.5076	3289.8609	6270.94035	6652.1678

विवरण IV

राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	जारी धनराशि (लाख रुपये में)			
		2005–06	2006–07	2007–08	2008–09 (3.12.2008 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	63.55	57.75	82.86	73.48
2.	आंध्र प्रदेश	104.245	143.238	168.0553	92.378
3.	बिहार	–	10.50	4.00	37.558
4.	छत्तीसगढ़	359.817	377.863	379.197	243.86
5.	दादरा और नगर हवेली	20.00	14.50	11.78	15.62
6.	दमन और दीव	–	–	4.721	6.12
7.	गोवा	14.40	5.00	31.59	41.94
8.	गुजरात	275.93	328.675	332.084	263.48
9.	हरियाणा	24.20	60.45	70.03	48.02
10.	हिमाचल प्रदेश	283.83806	261.55922	233.319	228.09
11.	जम्मू-कश्मीर	113.50	173.68	221.54	169.70
12.	झारखंड	124.90	98.54	98.128	88.42

1	2	3	4	5	6
13.	कर्नाटक	474.9931	490.582	630.643	408.56
14.	केरल	284.5412	362.15	493.574	322.73
15.	मध्य प्रदेश	613.553	759.46	800.915	428.48
16.	महाराष्ट्र	241.68	340.855	331.32564	317.08
17.	उड़ीसा	325.649	223.855	357.081	379.00
18.	राजस्थान	192.32	207.665	347.24	237.46
19.	तमिलनाडु	197.20	205.24	274.64	258.10
20.	उत्तर प्रदेश	345.63	290.38	332.362	253.67
21.	उत्तराखंड	85.65	100.12	76.671	109.68
22.	पश्चिम बंगाल	313.9437	357.225	356.215	250.00
23.	दिल्ली	19.50	–	–	–
24.	पंजाब	–	3.00	–	19.29
	पूर्वोत्तर राज्य				
25.	अरुणाचल प्रदेश	144.845	78.602	125.05	168.17
26.	असम	193.205	161.79	81.775	139.10
27.	मणिपुर	101.03	96.986	105.89483	82.85
28.	मेघालय	59.30	38.20	64.88	58.01
29.	मिजोरम	221.28	136.066	169.46	152.70
30.	नागालैंड	1.50	16.38	19.11	23.50
31.	सिक्किम	118.84	140.376	159.22	139.38
32.	त्रिपुरा	शून्य	31.60	36.00	–
	कुल	5319.34	5572.252	6399.36077	5057.226

[हिन्दी]

नदियों में प्रदूषण

*172. **श्री हेमलाल मुर्मू:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नदी प्रदूषण को रोकने के लिए राज्यों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले कुछ वर्षों में देशभर में बहने वाली विभिन्न नदियों में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी नदी-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में इन नदियों को साफ करने के लिए निर्धारित एवं व्यय की गई धनराशि का नदी-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इन नदियों को प्रदूषण मुक्त करने तथा इनमें आने वाले प्रदूषकों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयनारायण मीना): (क) और (ख) केन्द्रीय वित्त पोषित स्कीम के रूप में 1985 में प्रारंभ की गई गंगा कार्य योजना चरण-I नदी सफाई कार्यक्रम की एक शुरूआत थी जिसका उद्देश्य सीवेज का अन्तरावरोधन कर, मार्ग बदल कर और शोधन करके गंगा जल की गुणवत्ता में स्वीकार्य मानकों तक सुधार करना था। गंगा कार्य योजना चरण-I को गंगा कार्य योजना चरण-II तक विस्तारित किया गया था जिसकी मंजूरी 1993-96 के दौरान विभिन्न चरणों में दी गई थी। गंगा कार्य योजना चरण-II को 1996 के आखिर में नदियों में प्रदूषण उपशमन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में मिला दिया गया था। प्रमुख नदियों में अन्य के अलावा, गंगा, यमुना और इसकी प्रमुख सहायक नदियों भी शामिल हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रदूषण उपशमन कार्यों का कार्यान्वयन राज्यों द्वारा नामित तथा उनके नियंत्रण में कार्य करने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों के जरिए केन्द्र और राज्यों के बीच परस्पर लागत वहन आधार पर किया जाता है। कार्य प्रगति की समीक्षा और मानीटरिंग करते समय राज्यों के साथ नियमित रूप से विचार-विमर्श किया जाता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत कुछ प्रमुख नदियों के संबंध में प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई मानीटरिंग के आधार पर, बायो-केमीकल आक्सीजन डिमांड वैल्यूज के संदर्भ में प्रदूषण उपशमन कार्य शुरू होने से पूर्व की जल गुणवत्ता की तुलना में अब जल की गुणवत्ता में सुधार की सूचना मिली है।

उदाहरणार्थ, गंगा नदी के जल की गुणवत्ता के संदर्भ में प्रमुख मानीटरिंग स्थलों पर बायोकेमीकल आक्सीजन डिमांड वैल्यूज 1986 की 1.7 से 15.5 मि.ग्रा./लीटर की तुलना में वर्ष 2008 में 1.2 से 4.8 मि.ग्रा./लीटर के बीच है।

यमुना नदी के जल की गुणवत्ता दिल्ली क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को छोड़कर, निर्धारित सीमाओं के भीतर है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जल की गुणवत्ता में विचलन का मुख्य कारण बड़ी मात्रा में शुद्ध जल को पीने और अन्य प्रयोजनों के लिए अलग करना है।

(ङ) केन्द्रीय सहायता राज्य में शुरू किए गए कार्यों के लिए आवर्ती अनुदानों के रूप में समय-समय पर जारी की जाती है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों को जारी की गई निधियों तथा उनके द्वारा किए गए व्यय का विवरण संलग्न है।

(च) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शुरू किए गए प्रदूषण उपशमन कार्यों के अंतर्गत, खुले नालों के माध्यम से नदी में बहने वाले कच्चे सीवेज को रोकने के लिए उसका अन्तरावरोधन करना और मार्ग बदलना और उसे शोधन के लिए सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट्स में डायवर्ट करना, नदी तटों पर अल्प लागत सफाई करना, शवों के समुचित दाहसंस्कार हेतु बिजली और/उन्नत काष्ठ आधारित शवदाह गृहों की व्यवस्था करना, नदी मुहाना विकास करना, जन सहभागिता तथा जागरूकता कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

नदी संरक्षण एक बड़ा कार्य है जिसमें सभी स्टेकहोल्डरों की भागीदारी आवश्यक होती है। केन्द्र सरकार द्वारा पहचान किए गए प्रदूषित क्षेत्रों में पूंजीगत कार्यों के लिए अनुदान उपलब्ध कराकर सीवेज प्रबंधन और निपटान के लिए सिविक ढांचा तैयार करने संबंधी राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करती है। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन एक अन्य केन्द्रीय कार्यक्रम है जिसे वर्तमान में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत उक्त कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार शहरी ढांचे के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराते हुए राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों में मदद करने हेतु प्रचालित किया जा रहा है। सीवरेज और सीवेज शोधन (अर्थात् जल शोधन) इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकार्य घटकों में शामिल हैं। सरकार ने एक व्यावहारिक और एकीकृत प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नदी संरक्षण कार्यनीति में सुधार हेतु भी कार्रवाई आरंभ की है।

विवरण

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई निधियों तथा राज्यों द्वारा सूचित व्यय का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा*

(करोड़ रुपए)

राज्य	नदी	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
		जारी की गई निधियां	व्यय	जारी की गई निधियां	व्यय	जारी की गई निधियां	व्यय	जारी की गई निधियां	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	गोदावरी और मुसी	52.00	76.60	47.85	65.24	67.96	79.20	26.87	35.21
बिहार	गंगा	0.34	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दिल्ली	यमुना	1.00	0.00	26.50	0.00	14.87	24.78	31.10	0.00
गोवा	मांडवी	1.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
गुजरात	साबरमती	0.00	5.22	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
हरियाणा	यमुना	4.24	5.09	7.77	4.53	3.15	9.95	13.60	5.66
झारखंड	दामोदर, गंगा और सुबर्नरेखा	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00
कर्नाटक	भद्रा, तुंगभद्रा कावेरी, तुंगा और पेन्नार	5.80	11.91	0.00	2.96	2.75	0.00	2.25	0.00
केरल	पम्बा	0.00	0.00	0.00	1.37	1.00	0.09	1.00	0.00
मध्य प्रदेश	बेतवा, ताप्ती, वाणगंगा, खान, नर्मदा, क्षिप्रा, बीहड और चंबल	2.00	5.61	4.15	2.57	6.75	0.54	3.35	1.24
महाराष्ट्र	कृष्णा और गोदावरी	10.70	8.54	10.09	13.46	5.21	5.24	0.00	0.00
नागालैंड	दीफू और धनश्री	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	ब्राह्मणी और महानदी	8.25	10.41	11.04	14.28	7.06	7.90	5.02	7.12
पंजाब	सतलुज	12.74	26.63	15.35	32.71	44.30	34.70	0.00	6.77
राजस्थान	चंबल	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सिक्किम	रानी चू	1.66	0.04	5.05	8.05	4.79	0.00	2.63	6.54
तमिलनाडु	कावेरी, अडियार, कूअम, वेन्नार, वेगई और तंबारानी	103.07	238.25	82.72	102.93	18.40	27.78	6.75	0.00
उत्तर प्रदेश	यमुना, गंगा और गोमती	16.78	25.57	38.65	50.05	37.66	56.64	74.75	78.54
उत्तरांचल	गंगा	4.50	1.59	8.25	1.72	3.37	3.84	1.00	1.89
पश्चिम बंगाल	गंगा, दामोदर और महानंदा	48.48	37.03	18.00	23.38	23.70	21.06	19.60	10.14
	कुल	277.24	452.52	275.49	323.25	241.92	271.99	187.92	153.11

*राज्यों द्वारा किया गया व्यय (राज्य के हिस्से सहित)

पथकर का संग्रहण

*173. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा;**
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर संग्रहण के लिए सरकार द्वारा कितनी निजी एजेंसियों को लगाया गया है;

(ख) क्या सड़क सुरक्षा फोरम ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर बहुत अधिक संख्या में पथकर द्वारों के मद्देनजर उनकी संख्या में कमी करने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पथकर द्वारों पर होने वाले विलम्ब में कमी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या सरकार को पथकर संग्रह करने वाली एजेंसियों द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी एजेंसी-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इन चूककर्ता एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) प्रतियोगी निविदा प्रक्रिया के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लोक वित्तपोषित परियोजनाओं पर पथकर की वसूली के लिए ग्यारह (11) निजी ठेकेदार नियुक्त किए गए थे।

(ख) और (ग) पश्चिमी गोदावरी जिले के सड़क सुरक्षा मंच नामक संगठन के अध्यक्ष ने आंध्र प्रदेश में रारा-5 पर सभी बूथ हटाए जाने के लिए अनुरोध किया था। पथकर द्वारों पर विलंब कम करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:-

(1) लोक वित्त पोषित पथकर प्लाजा और विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) परियोजनाओं के लिए पथकर स्टाफ को यात्रियों से तीव्रता से निपटने के लिए नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है।

(2) ठेका दस्तावेज में एक प्रावधान किया गया है कि पथकर द्वार पर किसी भी वाहन का प्रतीक्षा समय 30 सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए।

(3) अधिकांश प्लाजा कंप्यूटरीकृत हैं और कंप्यूटरीकृत प्रणालियों के माध्यम से शुल्क की रसीद जारी की जा रही है जिसमें समय की खपत किसी टिकट को हाथ से जारी करने में लगने वाले समय से भी कम है।

(घ) सरकार को, नियुक्त किए गए 11 निजी ठेकेदारों में दो एजेंसियों के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई थी।

(ङ) रारा-3 के आगरा-ग्वालियर खंड पर चौथा पथकर प्लाजा के लिए नियुक्त मै. एएस मोटर्स और रारा-3 के आगरा-धौलपुर खंड पर बरेठा पथकर प्लाजा पर शुल्क संग्रहण के लिए नियुक्त मै. शिवा ट्रेक्टर्स के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थी। दोनों ही मामलों में शिकायतें अधिक पथकर वसूलने और पथकर प्लाजा पार करते समय यात्रियों को परेशान किए जाने के बारे में थी।

(च) यात्रियों से शिकायतें प्राप्त होने के पश्चात्, दो स्वतंत्र पैनलबद्ध सुरक्षा एजेंसियों ने फर्जी (डिकाइ) यात्री बनकर इन पथकर प्लाजाओं पर जांच की और इसके बाद ठेके के प्रावधानों के अनुसार (इन एजेंसियों के साथ करार समाप्त करने के लिए कार्रवाई की गई), दोनों ठेके रद्द कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

वन्य-जीव अभयारण्यों से मानव अधिवासों को अन्यत्र बसाया जाना

*174. **श्री पी. राजेन्द्रन:**
श्रीमती मेनका गांधी:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन्य जीव अभयारण्यों से मानव अधिवासों को अन्यत्र बसाए जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान वन्य जीव अभयारण्यों से परिवारों को अन्यत्र बसाने के लिए कोई धनराशि आबंटित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों ''राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास'' ''बाघ परियोजना'' और ''हाथी परियोजना'' के अंतर्गत बाघ रिजर्वों, हाथी रिजर्वों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों से ग्रामवासियों को अन्यत्र बसाने सहित वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्यों से विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है बशर्ते कि धन की उपलब्धता हो और ये प्रस्ताव आवश्यक प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं पूरी करते हों। इस समय इन स्कीमों के अंतर्गत पुन: स्थापना हेतु प्रति परिवार 10.00 लाख रुपए का पैकेज है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बाघ रिजर्वों, हाथी रिजर्वों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों से परिवारों को अन्यत्र बसाए जाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों ''राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास'', ''बाघ परियोजना'' और ''हाथी परियोजना'' के अंतर्गत जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान/ बाघ रिजर्व का नाम	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	कनो पलपुर वन्यजीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश	राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य का विकास	175.00	200.00	108.68	134.444 (पिछले वर्षों का अव्ययित शेष राशि का पुन: विधि मान्य करण)
2.	पन्ना बाघ रिजर्व, मध्य प्रदेश	बाघ परियोजना	00	00	1577.53	300.00
3.	सतपुड़ा बाघ रिजर्व, मध्य प्रदेश	बाघ परियोजना	00	30.00	76.00	1024.49
4.	बांधवगढ़ बाघ रिजर्व, मध्य प्रदेश	बाघ परियोजना	00	00	277.3668	00
5.	रणथंभौर बाघ रिजर्व, राजस्थान	बाघ परियोजना	10.00	00	50.00	500.00
6.	सरिस्का बाघ रिजर्व, राजस्थान	बाघ परियोजना	70.00	00	50.00	1912.00
7.	सिमलीपाल बाघ परियोजना, उड़ीसा	बाघ परियोजना	00	00	00	350.00
8.	बांदीपुर बाघ रिजर्व, कर्नाटक	बाघ परियोजना	77.00	00	220.19	00
9.	नागरहोल बाघ रिजर्व, कर्नाटक	बाघ परियोजना	00	58.80	760.00	00
10.	कार्बेट बाघ रिजर्व, उत्तराखंड	बाघ परियोजना	00	00	10.00	00
11.	मेलघाट बाघ रिजर्व, महाराष्ट्र	बाघ परियोजना	17.00	00	00	00
12.	राजाजी बाघ रिजर्व, उत्तराखंड	हाथी परियोजना	82.00	44.00	00	00

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम परियोजनाओं का कार्यान्वयन

***175. श्री रेवती रमन सिंह:**
श्री निखिल कुमार:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस संबंध में कोई मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और विकास कार्यों के लिए आबंटित और इसमें से खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(च) इन परियोजनाओं को पूरा करने में हुए विलम्ब के परिणामस्वरूप लागत में कुल कितनी वृद्धि हुई है; और

(छ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को अविलंब पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की चरण-वार प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आबंटित और व्यय की गई धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	धनराशि का आबंटन	व्यय (निजी क्षेत्र के लिए निवेश सहित)
1	2	3
2005-06	8208.74	6305.15
2006-07	9995.45	9090.23
2007-08	9228.50	15973.02
2008-09*	5447.26	10238.98

*नवंबर, 2008 तक

(च) लागत वृद्धि का भुगतान ठेके के अनुसार किया जाता है। ठेके के अनुसार यदि कोई परियोजना ठेकेदार की गलती के कारण विलंब से पूरी होती है, तो उस ठेकेदार पर परिसमापन क्षति लगाई जाती है और लागत वृद्धि का भुगतान नहीं किया जाता है। लागत वृद्धि का भुगतान केवल उसी मामले में किया जाता है जब परियोजना को समय से पूरा करना ठेकेदार के नियंत्रण में नहीं होता है। समग्र लागत वृद्धि यदि कोई हो, परियोजना पूरी होने के बाद ही ज्ञात होती है।

(छ) परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) की प्रगति के चरण-वार ब्यौरे

एनएचडीपी चरण	कुल लंबाई (किमी.)	सौंपी गई लंबाई (किमी.)	पूर्ण हो चुकी 4/6 लेन लंबाई (किमी.)	पूरा होने की नियत तारीख
एनएचडीपी-I	7498	7498	7160	दिसम्बर, 2004 (शेष 4.5% कार्य पूरा किया जाना है
एनएचडीपी-II	6647	5806	2314	दिसम्बर, 2009
एनएचडीपी-III	12109	2075	584	दिसम्बर, 2013
एनएचडीपी-V	6500	1030	38	दिसम्बर, 2012
एनएचडीपी-VI	100	-	-	दिसम्बर, 2015
एनएचडीपी-VII	700	-	-	दिसम्बर, 2014

विवरण II

परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए किए गए उपाय

1. पर्यवेक्षण परामर्शदाता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे विभिन्न स्तरों पर ठेकों की नियमित निगरानी की जाती है। अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के स्तर पर भी प्रगति की आवधिक समीक्षा की जाती है।

2. राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित समस्याओं जैसे भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृति आदि के समाधान

के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की गई है। ये नोडल अधिकारी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए आवधिक रूप से बैठकें करते हैं तथा समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई करते हैं।

3. भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण संबंधी अनुमोदन, रेल उपरि पुलों की स्वीकृति आदि जैसे अंतर-मंत्रालयी और केन्द्र-राज्य मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति का गठन किया गया है।

4. भूमि अधिग्रहण की अधिसूचनाएं जारी करने की प्रक्रिया अब सरल बना दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पहले सभी अधिसूचनाओं की पुनरीक्षा (वैटिंग) विधि मंत्रालय द्वारा की जाती थी। कार्य आबंटन नियमावली, 1961 में एक संशोधन पहले ही कर दिया गया है जिसके द्वारा इन अधिसूचनाओं को विधि मंत्रालय भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसने भूमि अधिग्रहण की अधिसूचनाओं की सामान प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अधिसूचनाओं के मानक प्रपत्र को अनुमोदित कर दिया है।

5. रेल उपरि पुलों के शीघ्र निर्माण के लिए रेलवे के एक अधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में तैनात किया गया है ताकि रेल मंत्रालय के साथ समन्वय किया जा सके। कुछ रेल उपरि पुलों के निर्माण के लिए मै. इरकान के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

6. नान-पर्फोमिंग ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उन्हें तब तक भावी परियोजनाओं के लिए निविदाएं देने की अनुमति नहीं दी जाएगी तब तक वे विद्यमान ठेकों में अपने निष्पादन में सुधार नहीं कर लेते।

7. ठेकेदार के अनुरोध पर ब्याजशुदा विवेकाधीन अग्रिम प्रदान करके, समान राशि की बैंक गारंटी के लिए रिटेंशन मनी जारी करके, अग्रिम (ब्याज आधार पर) वसूली के स्थान आदि के द्वारा ठेकेदारों की नकद प्रवाह की समस्या में सुधार लाने के लिए उपाय किए गए हैं।

[हिन्दी]

पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां

***176. श्री हरिसिंह चावड़ा:**
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं को शासन के लिए शक्तियां प्रदान नहीं की हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) वैसे सभी राज्य, जिन पर संविधान के भाग-IX के प्रावधान लागू होते हैं, का अपना-अपना पंचायती राज विधान है।

राज्यों के पंचायती राज विधान पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर शक्तियों एवं जिम्मेदारियों के अंतरण को उपलब्ध कराते हैं। तथापि, राज्यों के बीच वास्तविक अंतरण के परिमाण में भिन्नता है।

(ग) और (घ) पंचायती राज मंत्रालय के पास पंचायती राज से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य की विधायिकाएं अपने-अपने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करने में सक्षम है और वे समय-समय पर ऐसा करती भी हैं।

(ङ) चूंकि पंचायती राज एक राज्य विषय हैं इसलिए मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर राष्ट्रीय आम सहमति विकसित करने व उसे परिचालनात्मक बनाने के लिए राज्यों से निकटता के साथ मिल कर कार्य किया है।

मंत्रालय केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को चलाने वाले केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ इन योजनाओं के नियोजन व कार्यान्वयन में पंचायतों के सभी स्तरों की तयशुदा भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए भी लगातार व निकटता के साथ कार्य कर रहा है। निचले स्तर से ऊपर की ओर पंचायत एवं नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई सहभागितापूर्ण योजनाएं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) की अनिवार्य शर्त है। मंत्रालय एक सीधा-सादा-सा पंचायत अधिकारिता एवं जवाबदेही प्रोत्साहन योजना भी चलाता है जिसे वह विस्तृत करने व दूर-दूर तक पहुंचाने की आशा रखता है।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय आकार के शिपयार्ड

*177. **श्री मधुसूदन मिस्त्री:**
श्री हरिन पाठक:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी और पूर्वी तटों पर अन्तर्राष्ट्रीय आकार के दो शिपयार्डों की स्थापना हेतु स्थानों का चयन किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नोडल एजेंसियों अर्थात् मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट और एन्नौर पोर्ट लिमिटेड ने इन शिपयार्डों की स्थापना संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं से संबंधित कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ङ) राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय आकार के दो शिपयार्ड स्थापित किया जाना परिकल्पित है अर्थात् एक भारत के पूर्वी तट पर और दूसरा पश्चिमी तट पर। तद्नुसार इस मंत्रालय द्वारा समुद्रीय राज्यों से भारत के क्रमश: पूर्वी तट पर और पश्चिमी तट पर एक-एक अंतर्राष्ट्रीय आकार के शिपयार्ड स्थापित किए जाने के लिए उपयुक्त स्थल चुनने के लिए भी अनुरोध किया गया था। कुछ समुद्रीय राज्यों द्वारा कुछ स्थल सुझाए गए हैं।

नोडल अभिकरणों अर्थात् इन्नौर पत्तन लिमिटेड और मुंबई पत्तन न्यास को परामर्शदाता नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ शिपयार्ड स्थापित किए जाने के लिए भारत के क्रमश: पश्चिमी तट और पूर्वी तट प्रत्येक पर 3 और 4 वैकल्पिक स्थल चुनेंगे और विस्तृत औचित्य सहित सर्वोत्तम स्थल भी सुझाएंगे। परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया पहले ही आरंभ कर दी गई है और परियोजना का आरंभ किया जाना, परामर्शदाताओं की सिफारिशों के निष्कर्ष पर निर्भर करता है।

सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों की शिकायतें

*178. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) के कार्यकरण के बारे में लाभार्थियों से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों की सेवाओं में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) कुछ शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रही हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सेवाओं में सुधार के रूप में निम्नांकित कदम उठाए गए हैं:-

(1) दिल्ली स्थित औषधालयों और अधिकृत स्थानीय औषध व्यवसायियों के कम्प्यूटरीकृत नेटवर्क के जरिए सीजीएचएस का आधुनिकीकरण जिसे सीजीएचएस के कार्य क्षेत्र में आने वाले अन्य शहरों में पहुंचाने का निर्णय भी लिया गया है।

(2) सीजीएचएस में चिकित्सा अधिकारियों की रिक्तियां भरने के लिए सीजीएचएस के सेवानिवृत्त सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों की संविदापरक नियुक्ति का अनुमोदन करना।

(3) स्थानीय सलाहकारिणी समितियों के जरिए औषधालय के कामकाज के प्रबंध में लाभार्थियों की भागीदारी लेना।

(4) निजी अस्पतालों एवं निदान केन्द्रों के नामिकायन की सतत नामिकायन योजना।

(5) नामिकाबद्ध अस्पतालों/निदान केन्द्रों से जुड़े सभी आदेशों और आधार सामग्रियों को सीजीएचएस के वेबसाइट-पृष्ठ पर उपलब्ध कराना।

(6) मांगी गई दवाओं की सहज उपलब्धता और दवाओं की आनलाइन इंडेंटिंग के लिए अधिकृत स्थानीय औषध व्यवसायियों को निर्धारित करना।

(7) पेंशनरों की चिकित्सीय प्रतिपूर्ति से जुड़े दावों के जल्द निपटारे के लिए दावों से संबंधित अदालतों की समय-समय पर बैठक कराना।

(8) सीजीएचएस/एमएसओ के वृहत सम्मिलित नए औषध योग संग्रह को तैयार किया गया है जिसमें 626 जेनरिक तथा 504 स्वामित्व वाली औषधें हैं।

[अनुवाद]

पोलियो उन्मूलन

***179. श्री मित्रसेन यादव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने देश से पोलियो के उन्मूलन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पोलियो के उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है:-

* स्थानिकमारी वाले राज्यों और जिलों में हर वर्ष अनुपूरक रोग प्रतिरक्षण के अनेक दौर कार्यान्वित किए जा रहे हैं।
* पोलियोमुक्त क्षेत्रों में पोलियो के मामलों का पता लगाने के जवाब में मॉप-अप रोग प्रतिरक्षण कार्यकलाप कार्यान्वित किए जा रहे हैं।
* टाइप-I और टाइप-III के संचरणों का सामना करने के लिए स्थानिकमारी वाले राज्यों/जिलों में किस्म विशिष्ट मोनोवैलेंट पोलियो वैक्सीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
* पूरे देश में हर वर्ष राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण के दो दौर कार्यान्वित किए जा रहे हैं।
* एएफपी (एक्यूट फलेसिड पैरालिसिस) मामलों की सघन निगरानी की जाती है और इस बात का पता लगाने के लिए संक्रमण स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों से कैसे फैलता है, सेरो टाइपिंग के जरिए वाइल्ड पोलियो विषाणु के मामलों का अनुवर्तन किया जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

***180. श्री गुरुदास दासगुप्त:**
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2008-09 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप अब तक क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005-12 की अवधि में सभी राज्यों में जन स्वास्थ्य प्रदाय प्रणाली के क्षेत्रव्यापी नवीनीकरण के लिए संवर्धित मोड में एक पहल है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्य इस प्रकार हैं:-

* नवजात मृत्युदर में 2012 तक कटौती करके 30/1000 जीवित शिशु जन्मों तक लाना।
* मातृ मृत्यु दर को कम करके 2012 तक जीवित शिशु जन्मों को 100,000 पर 100 करना।
* टी एफ आर को कम करके 2012 तक 2.1 करना।
* मलेरिया मौतों में कमी की दर-2010 तक 50%, 2012 तक अतिरिक्त 10%
* काला आजार मौतों में कमी की दर-2010 तक 100% और 2012 तक उन्मूलन के स्तर को बनाए रखना।
* फाइलेरिया/माइक्रोफाइलेरिया में कमी की दर-2010 तक 7%, 2012 तक 80% और 2015 तक उन्मूलन।
* डेंगू से होने वाली मौतों में कमी की दर-2010 तक 50% और 2012 तक उसे उस स्तर पर बनाए रखना।
* मोतियाबिन्द आपरेशन-2012 तक बढ़ाकर 46 लाख करना।
* कुष्ठ व्याप्तता दर-2005 में प्रति 10,000 पर 1.8 से कम करके उसके बाद प्रति 10,000 पर 1 से कम करना।
* क्षय रोग डाट्स सीरीज-समस्त मिशन के अवधि के दौरान 85% की रोगिमुक्ति दर को बनाए रखना और नियोजित मामला पहचान दर को भी बनाए रखना।
* 6,00,000 महिला प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को काम में लगाना।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में वार्षिक लक्ष्यों को निर्धारित नहीं किया जाता है क्योंकि सुधार कार्यसूची विकेन्द्रीकृत नियोजन पर आधारित है और इसमें देशव्यापी तरीके से सभी कार्यनीतियों को एक ही तरह से कार्यान्वित करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। तथापि, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन के ढांचे में मिशन के विभिन्न वर्षों के लिए विस्तृत समय-सीमा निर्धारित नहीं की जाती।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत से सभी राज्यों ने कार्यनीतियों को क्रियान्वित किया है जिनका ब्यौरा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन के कार्यढांचे में दिया गया है। वे कार्यपालक जिनको प्रत्येक राज्य में सहायता प्रदान की जाती है, विस्तृत राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में निहित हैं जो प्रत्येक राज्य द्वारा इसके जिलों में तैयार की गई समेकित जिला स्वास्थ्य कार्य योजनाओं के आधार पर तैयार की जाती है। राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और उसे अनुमोदित किया जाता है तथा राज्यों को राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति द्वारा अनुमोदित कार्यकलापों के लिए निधियां जारी की जाती हैं।

2005-06 से 2008-09 की अवधि के दौरान अवसंरचना, मानव संसाधनों, संभारतंत्र, कार्यक्रम सहायता, वित्तीय लेखे-जोखे और रिपोर्टिंग आदि के मुद्दों पर ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन एक बड़ी संख्या में मूलभूत सुधार किए गए हैं। प्रजनक एवं बाल स्वास्थ्य (चरण-II), वैक्टरजनित रोगों के नियंत्रण, क्षय रोग के नियंत्रण, कुष्ठ के उन्मूलन, आयोडीन अल्पता और दृष्टिहीनता के नियंत्रण और समेकित रोग निगरानी के विभिन्न राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों सहित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के सभी घटक पहले राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के जरिए जन स्वास्थ्य प्रदाय प्रणाली के समग्र नवीनीकरण के कारण बेहतर निष्पादन दर्शाने में समर्थ हैं। सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संस्थाओं को राज्य निधियों के अंत:प्रवाह के संवर्धन के माध्यम से तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन आबद्ध निधियों और वार्षिक अनुरक्षण अनुदानों के जरिए स्थानीय नवीनीकरण हेतु सहायता देकर सुदृढ़ बनाया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं में रोगी कल्याण समितियों की स्थापना करके समुदाय के स्वामित्व को सुनिश्चित किया गया है। सुविधा के संचालन और संबंधित सुविधाओं में नोट की गई सेवा प्रदाय कमियों को पूरा करने के लिए रोगी कल्याण समितियों को अधिकार संपन्न बनाया गया है और उन्हें निधियां प्रदान की गई हैं। संविदात्मक मानव संसाधनों के नियोजन के जरिए सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण कौशलों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए अभूतपूर्व उपाय किए गए हैं। विभिन्न राज्यों द्वारा गैर-सरकारी सेवा प्रदायकों के साथ निर्धनोन्मुखी भागीदारी के जरिए सेवा प्रदानगी में भी वृद्धि की गई है। प्रत्यायिक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) के रूप में स्थानीय रूप से चयनित और प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति से समुदाय द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में अवगम्य सुधार करने में मदद मिली है। जनस्वास्थ्य प्रदाय प्रणाली की क्षमता में हुए समग्र सुधार सार्वजनिक प्रणालियों में लोगों के विश्वास को पुन: लौटा रहे हैं और मिशन को कार्यान्वयन में कार्यढांचे में अधिदेशित समय-सीमा और लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं।

अगस्त, 2008 तक राज्यों से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा अब तक निम्नलिखित को शामिल किया है:-

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने क्या शामिल किया है:

1.	रोगी कल्याण समितियां	547 जिला अस्पतालों, 4038 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अस्पतालों के अलावा 662 अस्पतालों, 16735 स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अबद्ध निधियों वाली अपनी रोगी कल्याण समितियां हैं।
2.	आशा/संपर्क कार्यकर्ता	6.25 लाख आशा/संपर्क कार्यकर्ताओं का चयन किया गया, 5.40 लाख को प्रशिक्षित किया गया और 2.43 लाख को उनके संबंधित गांव में औषध किटें दी गई।
3.	ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियां	2.98 लाख गांवों (लगभग 50%) की अपनी ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियां हैं। 2.10 लाख को स्थानीय कार्य के लिए 10,000 रु. का अबद्ध अनुदान भी प्राप्त हुआ है।
4.	ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस	2006-07 में 30.48 लाख, 2007-08 44.76 लाख और 2008-09 में अब तक 13.53 लाख ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवसों का आईसीडीएस केन्द्र में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए आयोजन किया गया।

5.	ग्राम क्षेत्रों में सातों दिन चौबीसों घंटे की स्वास्थ्य सुविधाएं	सातों दिन चौबीसों घंटे कुल 11135 एपीएचसी, पीएचसी, सीएचसी और अन्य उपकेन्द्र सुविधाएं कार्यरत हैं।
6.	मानव संसाधनों का परिवर्धन	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन 2231 विशेषज्ञ, 10489 एमबीबीएस डाक्टर, 17979 स्टाफ नर्सें, 32321 एएनएम और 7490 परा‌चिकित्सक जोड़े गए।
7.	कार्यक्रम प्रबंधन एकक	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन 398 जिला कार्यक्रम प्रबंधक, 434 जिला लेखा प्रबंधक, 433 जिला डाटा प्रबंधक, 523 डीपीएमयू, 34 एसपीएमयू, 1261 खंड प्रबंधक, 1413 लेखाकार, 2550 खंड पीएमयू जोड़े गए।
8.	जननी सुरक्षा योजना लाभार्थी	अब तक जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ प्रदान किया गया।
9.	चल चिकित्सा एकक	अब तक 212 एमएमयू कार्यरत हैं।
10.	आयुष	आयुष सेवाओं के साथ 4853 स्वास्थ्य सुविधा केंद्र सह स्थापित किए गए हैं। 2933 आयुष डाक्टर और 831 आयुष परा चिकित्सा कार्मिक इस प्रणाली में जोड़े गए।

वस्त्र निर्यात में वृद्धि

1229. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोटा प्रणाली को समाप्त किए जाने के बाद भारतीय वस्त्र उद्योग की वस्त्र निर्यात तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) चीन जैसे अन्य देशों की तुलना में वस्त्र निर्यात की धीमी प्रगति के लिए कौन-कौन से तथ्यों का पता लगाया गया है; और

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्त्र उद्योग की वस्त्र निर्यात तथा प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) सरकार ने कोटा पश्चात् अवधि अर्थात् 2004 के पश्चात अनेक अध्ययन किए। इन अध्ययनों के उद्देश्यों में कोटा के बाद विश्व के लिए भारतीय वस्त्र एवं अपैरल उद्योग के एमएफए पश्चात प्रतिक्रिया की जांच, वस्त्र सामानों के विश्व आयात के लिए मैपिंग एवं भारत के निर्यात के लिए संभाव्य बाजार तथा संभाव्य उत्पाद की पहचान शामिल हैं। इसके अलावा वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद को सरकार द्वारा उसके संबंधित क्षेत्रों अर्थात् कपास, मानव-निर्मित फैब्रिक आदि के लिए विशिष्ट अध्ययन शुरू करने के लिए निधियां भी प्रदान की गई थी। परिषद ने इन रिपोर्टों में सिफारिशों के कार्यान्वयन अथवा अनुकूल लाभ के लिए इन रिपोर्टों में सृजित आंकड़ों का उपयोग करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ग) यद्यपि तीन वर्षों में 50% वृद्धि दर्शाते हुए भारत से वस्त्रों के निर्यात जो वर्ष 2004-05 में 15 बिलियन अमरीकी डालर से कम था, वर्ष 2007-08 में बढ़कर 21 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक हो गया किन्तु कुछ अन्य देशों की तुलना में विश्वस्तरीय अवसंरचना, उच्च विद्युत लेन-देन लागत, राज्यस्तरीय उपकरों एवं शुल्कों, नवीनतम प्रौद्योगिकी के अभाव आदि बाधाओं जैसे विभिन्न कारणों से निर्यात की मात्रा में तेजी से वृद्धि नहीं हो सकी।

(घ) वस्त्रों के निर्यात और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल है:-

(1) संगठित एवं असंगठित दोनों में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन को सुकर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू की गई थी। वस्त्र उद्योग के लक्षित उप-क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ाने के लिए इस योजना को और अधिक अच्छा बनाया गया है। आयात पर सीमा शुल्क कम करके मशीनों की लागत और भी कम कर दी गई है।

(2) वस्त्र उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानकों को पूरा करने वाले अपने वस्त्र एककों की स्थापना

करने के लिए विश्व श्रेणी की अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए अगस्त, 2005 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित "एकीकृत वस्त्र पार्क योजना" (एसआईटीपी) नामक एक योजना शुरू की गई थी।

(3) बजट 2004-05 में, 'मानव निर्मित फाइबर एवं फिलामेंट यार्न' को छोड़कर समस्त वस्त्र क्षेत्र को उत्पाद शुल्क से वैकल्पिक छूट प्रदान की गई थी। बजट 2005-06 में, 'पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न' पर केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर (सेनवेट) 24% से घटाकर 16% कर दिया गया है। वित्तीय प्रभारों में इन संशोधनों का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए और अधिक निवेश आकर्षित करना है।

(4) कोटा पश्चात व्यवस्था में भारतीय उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु अत्याधुनिक मशीनरी के आयात को सुकर बनाने के लिए बजट 2005-06 में सूची 49 में दर्शायी गयी 23 मदों जिन पर 15% आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) है, को छोड़कर वस्त्र मशीनों पर सीमा शुल्क घटा कर 10% कर दिया गया था। 5% का यह रिआयती शुल्क अधिकतर मशीनरी मदों पर जारी है।

(5) सरकार ने बैंकों को वस्त्र क्षेत्र के लिए 8-9% की ब्याज दर पर ऋण देने की अनुमति प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से सितम्बर, 2003 से ऋण पुनर्गठन योजना शुरू की थी।

(6) सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है।

(7) सरकार ने सिले-सिलाए परिधानों, और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है ताकि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाया जा सके।

(8) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना उद्योग के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित व्यावसायिकों को शामिल करके मूल्य वर्द्धन की संकल्पना के प्रति उद्योग को संवेदनशील बनाने के लिए अग्रणी भूमिका प्रदान करने के लिए की गई थी। इसके फलस्वरूप, उद्योग की सेवा में लगे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित व्यावसायिकों की मांग बढ़ी है।

(9) वस्त्र निर्यातकों के लिए राहत उपायों की एक श्रृंखला जैसे कि डीईपीबी एवं शुल्क वापसी दरें बढ़ाना, ईसीजीसी प्रीमियम कम करना, क्रेडिट दरों पर आर्थिक सहायता, निर्यातकों द्वारा विभिन्न सेवाओं पर दिए गए सेवा कर की वापसी।

(10) अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) ने वस्त्र उद्योग के लिए कुशल/अर्द्धकुशल जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरे देश में अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केन्द्र (एटीडीसी) स्थापित किए हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण अनाज बैंक योजना

1230. **श्रीमती करुणा शुक्ला:**
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन क्षेत्रों में जहां खाद्यान्न की गंभीर कमी है वहां गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए ग्रामीण अनाज बैंक योजना चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन राज्यों में उक्त योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है और अन्य राज्यों में इस योजना को कार्यान्वित नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सभी राज्यों में उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) सरकार गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना के सभी इच्छुक परिवारों के लिए चिरकालिक रूप से खाद्यान्न की कमी और इस मामले में संवेदनशील क्षेत्रों में ग्रामीण अनाज बैंक स्कीम क्रियान्वित कर रही है ताकि प्राकृतिक आपदा की कमी की अवधि के दौरान अथवा खाद्यान्न की कमी के मौसम के दौरान भुखमरी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जा सके। अब तक 20 राज्यों में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 14,683 ग्रामीण अनाज बैंकों की मंजूरी दी गई है। स्वीकृत ग्रामीण अनाज बैंकों की संख्या बताने वाला विवरण संलग्न है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ग्रामीण अनाज बैंक स्कीम अभी तक क्रियान्वित नहीं की है। 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि वे अपने राज्यों में ग्रामीण अनाज बैंक स्थापित करने के इच्छुक नहीं हैं।

सरकार अधिक ग्रामीण अनाज बैंक स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ मामला उठा रही है और उनसे प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 (सितम्बर, 2008 तक) के वर्षों के दौरान खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा स्वीकृत ग्रामीण अनाज बैंकों का ब्यौरा

राज्य का नाम	वर्ष				
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	कुल स्वीकृत ग्रामीण अनाज बैंक
महाराष्ट्र	–	1377	–	–	1377
आंध्र प्रदेश	1214	3743	–	–	4957
पश्चिम बंगाल	–	170	250	–	420
बिहार	–	–	415	–	415
गुजरात	–	226	128	–	354
मध्य प्रदेश	926	–	359	–	1285
उड़ीसा	240	–	260	–	500
त्रिपुरा	13	–	–	26	39
राजस्थान	–	–	550	–	550
केरल	–	–	387	–	387
छत्तीसगढ़	262	1642	–	–	1904
झारखंड	583	–	–	–	583
मेघालय	44	–	–	–	44
उत्तर प्रदेश	–	500	–	560	1060
असम	–	100	–	–	100
सिक्किम	–	80	–	–	80
हिमाचल प्रदेश	–	55	–	–	55
नागालैंड	–	150	150		300
उत्तराखंड	–	55	–	–	55
मणिपुर	–	93	99	26	218
जोड़	3282	8191	2598	612	14683

निजी कंपनियों द्वारा चावल का निर्यात

1231. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री किरेन रिजीजू:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी कंपनियों द्वारा निर्यात किए गए चावल की मात्रा 2007-08 के दौरान उन्हें चावल खरीदने की अनुमति देने की मात्रा से अधिक थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कंपनीवार उन्हें कितनी चावल की मात्रा खरीदने की अनुमति दी गई तथा उन्होंने वास्तव में कितना निर्यात किया; और

(ग) इन चूककर्ताओं के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) प्राइवेट व्यापारियों द्वारा खरीदी जाने वाली चावल की मात्रा पर कोई सीमा अथवा प्रतिबंध लागू नहीं है। अत: प्राइवेट कंपनियों द्वारा निर्यात की गई चावल की मात्रा के उनके द्वारा खरीदी गई चावल की मात्रा से अधिक होने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

1232. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 'कम्प्यूटर सिमुलेशन माडल्स' प्रदान करने का है जो किसानों को तापमान परिवर्तन तथा वृष्टिपात के अनुसार आकर्षक फसल रणनीतियां बनाने में मदद करेंगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। कतिपय आदान पैरामीटरों अर्थात् मौसम, फसल, सिंचाई और मृदा पर आधारित फसल की उपज का अनुमान लगाने के लिए देश में कुछ स्थानों पर सिमुलेशन माडल विकसित और वैध किए गए है। इन मॉडलों की सफलता फसल और मृदा इत्यादि पर स्थान विशेष आदान पैरामीटरों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

खाद्यान्न की खरीद नीति

1233. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सस्ती दर पर खाद्यान्नों का निर्यात तथा महंगी दरों पर इनका आयात तथा निजी कंपनियों को खाद्यान्नों की खरीद की अनुमति, देश में हाल के खाद्य संकट के प्रमुख कारण हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार की संकट की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विद्यमान खरीद नीति में संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं। खाद्यान्नों की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए 9.2.2007 से गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया गया है। गैर बासमती चावल के निर्यात को 1.4.2008 से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तथापि, शून्य शुल्क पर गेहूं और चावल के आयात की अनुमति घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने के लिए दी गई थी ताकि गेहूं और चावल का मूल्य स्तर बनाए रखा जा सके।

(ख) और (ग) मौजूदा नीति के अनुसार केन्द्र सरकार सरकारी एजेंसियों (भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों) के जरिए धान और गेहूं हेतु मूल्य समर्थन प्रदान करती है। निर्दिष्ट केन्द्रों पर बिक्री के लिए पेशकश किए गए विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप समस्त खाद्यान्न खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदे जाते हैं। किसानों के पास यह विकल्प होता है कि वे अपना धान/गेहूं या तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों अथवा प्राइवेट पार्टियों, जहां भी उन्हें लाभकारी हो, को बेचें। भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों का वितरण लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन राज्य सरकारों के जरिए किया जाता है। खाद्यान्नों की खरीद नीति में फिलहाल किसी परिवर्तन की परिकल्पना नहीं है।

कपास उत्पादक किसानों को लाभकारी मूल्य

1234. श्री श्रीपाद येसो नाईक:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कपास पर आयात शुल्क समाप्त किए जाने से कपास उत्पादक किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आयात शुल्क की समाप्ति के पश्चात् आयात किए गए कपास का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कपास उत्पादक किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा घरेलू कपास की खरीद को अनिवार्य बनाने हेतु एक योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) कपड़ा मिलें अधिकांशत: अतिरिक्त लम्बाई के रेशे वाले कपास का आयात कर रही हैं। वर्ष 2007-08 के लिए कपास सलाहकार बोर्ड के अनुमानों के अनुसार कच्चे कपास का आयात लगभग 6.50 लाख गांठें हैं और कुल मिल की खपत लगभग 203 लाख गांठें हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि, कपास किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार ने वर्ष 2008-09 के लिए कपास के लिए अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य का अनुमोदन किया है।

कच्चे कपास पर आयात शुल्क

1235. श्री संजय धोत्रे: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कच्चा माल तथा कपास के बढ़ते मूल्य को देखते हुए धागा एककों के श्रमिकों तथा प्रबंधन से कच्चे कपास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने तथा इसके आयात शुल्क को समाप्त करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। घरेलू बाजार में कपास के मूल्य में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने कपास के निर्यात पर अब तक लागू आयात शुल्क को समाप्त कर दिया है और 1% की शुल्क वापसी प्रोत्साहन को वापस ले लिया है।

मोबाइल जैमर्स का लगाया जाना

1236. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मोबाइल फोन के जरिए सीमापार सूचना जाने से रोकने के लिए भारतीय सीमा पर मोबाइल जैमर्स लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक लगा दिया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत लंबित दावे

1237. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) के अंतर्गत किसानों के स्वीकार किए गए, अस्वीकार किए गए तथा लंबित दावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एनएआईएस में सुधार हेतु कोई मांग की गई है/ सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस) के अंतर्गत सूचित/स्वीकृत, भुगतान किए गए और लम्बित दावों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(लाख रुपये में)

वर्ष	सूचित/स्वीकृत दावे	भुगतान किए गए दावे	लम्बित दावे
2005-06	139824.62	139694.24	130.08
2006-07	228769.09	226977.80	1791.29
2007-08	145272.10	72468.86	72803.24

(ख) और (ग) जी, हां। विभिन्न राज्यों से समय-समय पर कुछ सुझाव जैसे, बीमा के यूनिट क्षेत्र को कम करना, थ्रेशोल्ड पैदावार की गणना के तरीके में परिवर्तन, बारहमासी/बागवानी फसलों को शामिल करना, समय पर दावों का निपटान इत्यादि प्राप्त हुए हैं।

[अनुवाद]

जल भंडारण के लिए सहायता

1238. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान जल भंडारण तथा आपूर्ति के लिए बांध, टैंक, नहर तथा अन्य अवसंरचना के निर्माण हेतु कर्नाटक सहित राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा जारी की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान बांधों के निर्माण से विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए राज्यवार तथा वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा जारी की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक सहित राज्यों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सिंचाई राज्य का विषय है और सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन और वित्तपोषण संबंधित राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता चुनिंदा परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रदान की जाती है जिनमें परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्स्थापना और पुनर्वास कार्य भी शामिल हो सकते हैं।

विवरण

2005-06 से 2008-09 के दौरान एआईबीपी के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	राशि			
		2005-06 अनुदान	2006-07 अनुदान	2007-08 अनुदान	2008-09 अनुदान
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	311.3815	843.4220	987.7692	422.8200
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.0000	27.0000	47.1800	7.5700
3.	असम	34.933	30.2685	77.3380	193.7450
4.	बिहार	16.2380	3.2300	62.2400	29.6200
5.	छत्तीसगढ़	7.6645	10.7050	96.9640	51.1900
6.	गोवा		1.9100	32.4800	15.1100
7.	गुजरात	339.6000	121.8885	585.7200	251.9000
8.	हरियाणा	6.0000	3.1700	0.0000	0.0000
9.	हिमाचल प्रदेश	30.0785	3.9300	114.0500	0.0000

1	2	3	4	5	6
10.	जम्मू-कश्मीर	36.6878	37.7716	199.2251	196.2300
11.	झारखंड	5.0370	1.2900	9.2244	3.7200
12.	कर्नाटक	140.7759	160.3729	349.9000	318.0800
13.	केरल	9.3591	16.6468	0.0000	0.0000
14.	मध्य प्रदेश	168.0966	48.3100	500.3450	92.8516
15.	महाराष्ट्र	167.3822	465.5213	972.2500	851.5000
16.	मणिपुर	75.7035	156.3042	103.9870	97.4600
17.	मेघालय	1.5750	0.7500	1.1600	1.2500
18.	मिजोरम	9.3150	14.2354	34.3434	28.1600
19.	नागालैंड	7.9987	10.5995	40.5100	0.0000
20.	उड़ीसा	151.3742	133.8846	624.3590	269.4200
21.	पंजाब	26.3166		13.5000	0.0000
22.	राजस्थान	90.2952	11.6000	156.5300	178.6200
23.	सिक्किम	0.9113	3.3236	3.2400	0.0000
24.	त्रिपुरा	31.9950	22.5131	8.1000	16.1600
25.	तमिलनाडु			0.0000	0.0000
26.	उत्तर प्रदेश	133.1280	81.8954	150.6900	61.8700
27.	उत्तराखंड	80.4387	84.7298	265.6500	300.7700
28.	पश्चिम बंगाल	0.0287	6.7000	8.9500	22.8100
	कुल	1900.3142	2301.9722	5445.7051	3510.8566

[हिन्दी]

बिहार में भूमि संरक्षण

1239. श्री गिरिधारी यादव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में भू-संरक्षण हेतु चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान बिहार को भूमि संरक्षण के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रगति दर्ज की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय बिहार सहित देश में पनधारा विकास कार्यक्रम की दो केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहा है; जो नामत: (1) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए) और (2) नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी के आवाह

क्षेत्र में मृदा संरक्षण। इन कार्यक्रमों के अधीन, सभी प्रकार की भूमि यथा, कृषि भूमि, वन भूमि और बंजर भूमियों का उपचार पनधारा दृष्टिकोण आधार पर उपयुक्त मृदा और जल संरक्षण उपायों द्वारा किया जाता है।

एनडब्ल्यूडीपीआरए के अधीन, पिछले तीन वर्षों के दौरान (2005-06 से 2007-08) बिहार में 30413 क्षेत्र का 1370.50 लाख रुपये के खर्च (व्यय) के साथ विकास किया गया। चालू वर्ष (2008-09) के लिए 7667 हैक्टेयर क्षेत्र के विकास के लिए 460.00 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है।

आरवीपी एवं एफपीआर के अधीन, पिछले तीन वर्षों में 27.40 लाख रुपये के व्यय के साथ बिहार में 375 हैक्टेयर के मौजूदा आवाह क्षेत्र का उपचार किया गया और चालू वर्ष के दौरान 910 हैक्टेयर क्षेत्र के उपचार के लिए 40.00 लाख रुपये आवंटित किए गए।

[अनुवाद]

वायुसेना के कार्मिकों हेतु सिमुलेटर्स

1240. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वायुसेना के कार्मिकों द्वारा 'वीपन हैंडलिंग टेकनीक' तथा मार्क्समैनशिप में सुधार लाने के लिए सिमुलेटर्स लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में विचार की गई समय-सारणी क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) वायु सेना कार्मिकों के शस्त्र प्रशिक्षण के लिए द्रोण सिमुलेटरों को वर्ष 2002-03 के दौरान 5 वायुसेना स्टेशनों पर लगाया गया था और उसके बाद इंटरेक्टिव फायर आर्म प्रशिक्षण सिमुलेटरों को वर्ष 2003-04 के दौरान 12 वायुसेना स्टेशनों पर लगाया गया था। 15 अन्य वायुसेना स्टेशनों में अतिरिक्त इंटरेक्टिव फायर आर्म प्रशिक्षण सिमुलेटरों की अधिप्राप्ति के लिए सितंबर, 2008 में एक अनुबंध किया गया था। इन इंटरेक्टिव फायर आर्म प्रशिक्षण सिमुलेटरों के मई, 2009 तक पूर्ति किए जाने की उम्मीद है।

लाइसेंस शुल्क में छूट

1241. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास लैंडलाइन टेलीफोनों को लाइसेंस शुल्क से मुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप बीएसएनएल तथा एमटीएनएल दोनों के उपभोक्ताओं को कितना लाभ होने की संभावना है;

(ग) क्या बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के पास देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने नेटवर्क में विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) इस समय देश में लैंडलाइन टेलीफोनों को लाइसेंस शुल्क से मुक्त करने का कोई प्रस्ताव दूरसंचार विभाग के पास विचाराधीन नहीं है। तथापि, 01.10.2008 से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर वायरलाइन सेवा पर लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त यह निर्णय लिया गया है कि 01.04.2009 से यूएसओएफ प्रशुल्क घटाने के क्रम में वार्षिक लाइसेंस शुल्क 5% से घटाकर 3% कर दिया जाएगा, बशर्ते कि लाइसेंसधारक/लाइसेंसधारकों द्वारा सेवा क्षेत्र के 95% से अधिक विकास खंडों के टेलीफोन सुविधा की कवरेज प्रदान कर दी जाए।

(ख) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली और मुंबई के ऐसे सेवा क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करता है जहां कोई ग्रामीण स्थिर वायरलाइन नहीं होती है और इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर वायरलाइन सेवा पर लाइसेंस शुल्क की छूट देने से एमटीएनएल को कोई लाभ नहीं होगा। बीएसएनएल के लिए यह अनुमान लगाया जाता है कि उपरि उल्लिखित ग्रामीण क्षेत्रों में लाइसेंस शुल्क माफ कर देने पर उसे लगभग 200 करोड़ रु. वार्षिक का लाभ होगा।

(ग) और (घ) चूंकि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलाइन सर्विस प्रदान नहीं करता है। इसलिए उनकी ग्रामीण क्षेत्रों में अपने नेटवर्क के विस्तार की कोई योजना नहीं है। 30.09.2008 की स्थिति के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड ने देश के 2642 एसडीसीए में 2588 एसडीसीए (अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों) को वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) उपस्करों के प्रयोग से कवर किया है। शेष एसडीसीए को तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए, क्रमिक रूप से कवर किए जाने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से मांग पर स्थिर टेलीफोन प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड ने 2008-09 के दौरान 19.2 लाख लाइनों के डब्ल्यूएलएल उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए आदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त भारत

संचार निगम लिमिटेड ने 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को क्रमिक रूप से मोबाइल सेवाओं से कवर करने की योजना बनाई है और अपने मोबाइल नेटवर्क के विस्तार के लिए जीएसएम (ग्लोबल सिस्टम फार मोबाइल कम्यूनिकेशन) की 30 मिलियन लाइनों के उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए आदेश दे दिए हैं।

सब्जियों में हानिकारक रसायनों का उपयोग

1242. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत में सरकार ने सब्जियों की खेती में हानिकारक रसायनों तथा सुइयों के उपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रसायनों तथा सुइयों के उपयोग को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जी, नहीं। कृषि और सहकारिता विभाग को सब्जियों की खेती में प्रयोग किए जा रहे हानिकारक रसायनों और इंजेक्शनों के प्रयोग से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को नुकसान

1243. श्री सुभाष महरिया: क्या **कृषि मंत्री** 3 मार्च, 2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 789 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उक्त जानकारी एकत्र कर ली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) राज्यों से सूचना मिलने की प्रतीक्षा है तथा यह मामला उनके साथ उठाया जा रहा है।

[अनुवाद]

ब्रह्मपुत्र बोर्ड का पुनर्गठन

1244. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या **जल संसाधन मंत्री** 7 मई, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4355 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रह्मपुत्र बोर्ड का पुनर्गठन किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बोर्ड का प्रभावी कार्यशील निकाय के रूप में उन्नयन करने हेतु श्रम शक्ति तथा संस्थागत ब्यौरे के साथ-साथ प्रदत्त अतिरिक्त शक्ति अथवा स्वायत्तता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं तथा इसे कब तक निष्पादित किये जाने का लक्ष्य है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ब्रह्मपुत्र बोर्ड के पुनर्गठन के प्रस्ताव को संबंधित केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है जोकि एक समय लगने वाली प्रक्रिया है। प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात्, अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक बिल संसद के समक्ष लाया जाएगा। तत्पश्चात्, संशोधित अधिनियम को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा तथा तद्नुसार बोर्ड का गठन किया जाएगा। संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन का लक्ष्य, संसद द्वारा बिल को अंतिम रूप से पारित किए जाने पर निर्भर करेगा।

आईटीआई का बीएसएनएल के साथ विलय

1245. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (आईटीआई) का भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के साथ विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका कार्यान्वयन कब तक किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वेस्ट रॉक हटाने के लिए बीईएमएल को ठेका

1246. श्री चन्द्र शेखर दुबे: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (एमओआईएल) ने वेस्ट रॉक हटाने/ठेका खनन हेतु भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) को ठेका दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या बीईएमएल इस कार्य को पूरा करने में विफल रहा तथा मैसर्स मिडवेस्ट ग्रेनाइट के साथ इस कार्य को पूरा करने के लिए उच्च दर पर संयुक्त उद्यम बनाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स मिडवेस्ट ग्रेनाइट (प्राइवेट) लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी मैसर्स भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड की संरचना वर्ष 2005 में प्रारंभ की गई थी जबकि मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड से संविदा अक्तूबर, 2006 में प्राप्त हुई थी। संयुक्त उद्यम कंपनी की विरचना सुरंग व्यापार संविदा की दीर्घकालिक योजना के वास्ते की गई थी न कि एकल संविदा का निष्पादन करने के लिए। संयुक्त उद्यम का कार्य बाहर से करवाए जाने (आउट सोर्सिंग) का काम उस दर पर करवाया गया था जिस पर भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड ने आर्डर लिया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एच ए एल की नई इकाई

1247. श्री पी. करूणाकरन: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केरल राज्य में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की एक नई इकाई स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना की संभावित तिथि क्या है; और

(ग) स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाने के लिए प्रस्तावित आरक्षण के प्रावधान क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (ग) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बोर्ड ने केरल राज्य के कासरगोड जिले के सितांगोली गांव में मिशन कंप्यूटरों के लिए एक विनिर्माण एकक स्थापित करने का निर्णय लिया है। कासरगोड में इस एकक के 2010 तक कार्यारम्भ करने की संभावना है। इस एकक के लिए कार्मिकों की तैनाती हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की भर्ती नीति के अनुसार की जाएगी।

[हिन्दी]

मिसाइल विकास कार्यक्रम

1248. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
श्रीमती करूणा शुक्ला:
श्री मित्रसेन यादव:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में चलाए जा रहे मिसाइल विकास कार्यक्रमों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त सभी कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या कुछ देशों ने मिसाइल विकास कार्यक्रमों में संयुक्त उद्यम लगाने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण तंत्र की शर्तों को स्वीकार करने का है; और

(च) यदि हां, तो इससे प्रभावित होने वाले संभावित मिसाइल कार्यक्रम तथा अन्य उपकरण विकास का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अपने प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत इस समय विभिन्न प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का विकास कर रहा है जिनमें पृथ्वी और इसके रूपांतर; आकाश; नाग; अग्नि और इसके रूपांतर; पराध्वनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र, ब्रह्मोस; हवा से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र, अस्त्र; और लंबी दूरी के सतह से आकाश में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र (एलआर-एसएएम) शामिल हैं।

(ख) अग्नि-I और अग्नि-II; ब्रह्मोस का सेना तथा नौसेना रूपांतरण; पृथ्वी-I तथा पृथ्वी-II; पृथ्वी का नौसेना रूपांतरण, धनुष; और आकाश प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों को शामिल किया जा रहा है। नाग प्रक्षेपास्त्र का विकास कार्य पूरा हो चुका है तथा यह प्रयोक्ता परीक्षण के चरण में है। अग्नि-III, एलआर-एसएएम, अस्त्र और ब्रह्मोस के वायुसेना रूपांतरण का विकास कार्य योजना के अनुसार चल रहा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, एलआर-एसएएम संबंधी एक संयुक्त विकास कार्यक्रम इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री (आईएआई), इजराइल के साथ चल रहा है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। प्रक्षेपास्त्र विकास के किसी कार्यक्रम पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि सरकार ने सहगामी उपाय अपनाकर सामरिक प्रणालियों, उप प्रणालियों और संघटकों का विकास करके प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण प्रणाली पर काबू पाने के लिए पहले ही अस्सी के दशक में कदम उठाए हैं। तथापि, लागत और समय के दृष्टिकोण से इसके लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत होगी।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश

1249. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सहित कई राज्य सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश के मामले में पीछे चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश का राज्यों में एक समान वितरण नहीं किया गया है। कम्प्यूटर साफ्टवेयर, कम्प्यूटर हार्डवेयर और इलेक्ट्रानिक जैसी विनिर्माण की वस्तु के लिए अगस्त, 1991 से अगस्त, 2008 के दौरान दर्ज किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I, II और III में दिए गए हैं और अप्रैल, 2003 से मार्च, 2008 तक की अवधि के दौरान प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(ग) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित निवेश की नीति सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफी उदार है। किन्तु, स्थान सहित निवेश के संबंध में निर्णय का निर्धारण निवेशक द्वारा तकनीकी-आर्थिक विचार के आधार पर किया जाता है।

विवरण I

अगस्त, 1991 से अगस्त, 2008 के दौरान औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) के राज्यवार ब्यौरे पर विवरण-पत्र विनिर्माण की मद जैसे कि कम्प्यूटर साफ्टवेयर

(निवेश करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	संख्या	कुल संख्या का %	निवेश	कुल निवेश का %	रोजगार	कुल रोजगार का %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	5	3.07	10	0.59	492	1.31
2.	गुजरात	9	5.52	25	1.47	965	2.57
3.	हरियाणा	15	9.20	270	15.85	7586	20.20
4.	हिमाचल प्रदेश	1	0.51	9	0.53	140	0.37
5.	कर्नाटक	18	11.04	105	6.16	2083	5.55
6.	केरल	2	1.23	7	0.41	725	1.93
7.	मध्य प्रदेश	1	0.61	1	0.08	200	0.53
8.	महाराष्ट्र	41	25.15	516	30.28	11603	30.00
9.	राजस्थान	3	1.84	8	0.47	1535	4.09
10.	तमिलनाडु	14	8.59	119	6.98	1385	3.69
11.	उत्तर प्रदेश	13	7.98	194	11.38	3178	8.46

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	पश्चिम बंगाल	13	7.98	69	4.05	4156	11.07
13.	दादरा और नगर हवेली	5	3.07	8	0.47	129	0.34
14.	दिल्ली	16	9.82	351	20.60	2976	7.93
15.	गोवा	7	4.29	12	0.70	397	1.06
	कुल योग	163		1704		37550	

विवरण II

अगस्त, 1991 से अगस्त, 2008 के दौरान औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) के राज्यवार ब्यौरे पर विवरण-पत्र विनिर्माण की मद जैसे कि कम्प्यूटर हार्डवेयर

(निवेश करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	संख्या	कुल संख्या का %	निवेश	कुल निवेश का %	रोजगार	कुल रोजगार का %
1.	कर्नाटक	3	75.00	1	25.00	65	57.52
2.	महाराष्ट्र	1	25.00	3	75.00	48	42.48
	कुल योग	4		4		113	

विवरण III

अगस्त, 1991 से अगस्त, 2008 के दौरान औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) के राज्यवार ब्यौरे पर विवरण-पत्र विनिर्माण की मद जैसे कि इलेक्ट्रानिक्स

(निवेश करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	संख्या	कुल संख्या का %	निवेश	कुल निवेश का %	रोजगार	कुल रोजगार का %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2	2.90	4	0.03	160	1.43
2.	गुजरात	7	10.14	9	0.07	461	4.13
3.	हरियाणा	9	13.04	129	1.04	732	6.55
4.	हिमाचल प्रदेश	2	2.90	55	0.44	650	5.82
5.	जम्मू-कश्मीर	1	1.45	2	0.02	28	0.25

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	कर्नाटक	9	13.04	29	0.23	2247	20.12
7.	मध्य प्रदेश	1	1.45	7	0.06	0	0.00
8.	महाराष्ट्र	13	18.84	72	0.58	1132	10.14
9.	पंजाब	2	2.90	11914	95.73	55	0.49
10.	राजस्थान	2	2.90	11	0.09	420	3.76
11.	तमिलनाडु	4	5.80	125	1.00	1695	15.18
12.	उत्तर प्रदेश	11	15.94	66	0.53	2592	22.67
13.	पश्चिम बंगाल	2	2.90	1	0.01	524	4.69
14.	दादरा और नगर हवेली	1	1.45	1	0.01	121	1.08
15.	दिल्ली	1	1.45	1	0.01	100	0.90
16.	पांडिचेरी	2	2.90	19	0.15	311	2.78
	कुल योग	69		12445		11168	

विवरण IV

अप्रैल, 2003 से मार्च, 2008 तक प्राप्त हुए क्षेत्रवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विवरण-पत्र
(आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय को रिपोर्ट किए गए अनुसार)
क्षेत्र : कम्प्यूटर साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स

(मिलियन रुपए)

क्र.सं.	आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय	शामिल राज्य	प्राप्त एफडीआई		प्राप्त कुल एफडीआई का प्रतिशत
			(रुपए)	(अमरीकी डालर)	
1	2	3	4	5	6
1.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	8,411.82	194.08	2.87
2.	अहमदाबाद	गुजरात	1,008.29	23.84	0.34
3.	बंगलौर	कर्नाटक	23,655.17	547.98	8.07
4.	कोची	केरल, लक्षद्वीप	802.51	17.91	0.27
5.	भोपाल	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	108.72	2.74	0.04
6.	मुम्बई	महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	55,822.07	1,277.16	19.04

1	2	3	4	5	6
7.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	1.49	0.03	0.00
8.	जयपुर	राजस्थान	3.17	0.08	0.00
9.	चेन्नई	तमिलनाडु, पांडिचेरी	8,462.63	192.47	2.89
10.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	311.96	6.97	0.11
11.	चंडीगढ़	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	602.97	13.11	0.21
12.	नई दिल्ली	दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का भाग	29,469.19	673.52	10.05
13.	पणजी	गोवा	142.58	3.20	0.05
14.	क्षेत्र नहीं दर्शाया गया		164,335.98	3,718.72	56.06
	कुल योग		293,138.54	6,671.85	

नोट:

1. 'साम्या पूंजी घटक' ही शामिल है।
2. उपर्युक्त राज्यवार प्राप्तियों को आरबीआई, मुम्बई द्वारा प्रस्तुत की गई आरबीआई की क्षेत्रवार प्राप्तियों के अनुसार श्रेणीबद्ध किया गया है।

[अनुवाद] .

बर्ड फ्लू

1250. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बर्ड फ्लू के फैलने के पीछे एक मुख्य कारण के रूप में निजी प्रबंधित पॉल्ट्री फार्मों में स्वच्छता की खराब स्थिति की पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संगठित और घरेलू दोनों फार्मों में जैव सुरक्षा उपायों के संबंध में सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को एक सलाह पत्र परिचालित किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग ने प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में संयुक्त सूचना, शिक्षा और संचार अभियान शुरू किया है जिसमें सुरक्षित कुक्कुट प्रणालियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

खाद्यान्नों की चोरी

1251. श्री किन्जरपु येरनायडु: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा लदाई और उतराई के दौरान खाद्यान्नों की चोरी के कारण भारतीय खाद्य निगम को कितना वार्षिक नुकसान हुआ है; और

(ख) भविष्य में ऐसे नुकसान को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई सूचना के

अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्हें हुई मार्गस्थ हानि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

(मात्रा लाख टन में/कीमत करोड़ रुपये में)

वर्ष	हानि की मात्रा	हानि की कीमत
2005-06	1.51	143.00
2006-07	1.25	130.09
2007-08	1.15	135.79

(ख) मार्गस्थ हानियों को कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा किये गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मार्गस्थ हानियों को कम करने के लिए उठाए गए कदम

1. स्टाक की सुरक्षा के लिए भारतीय खाद्य निगम के सुरक्षा कर्मचारी और होमगार्ड जैसी अन्य एजेंसियों के सुरक्षा अधिकारी, विशेष पुलिस अधिकारी तैनात किए जाते हैं।
2. कुछ डिपुओं/गोदामों में जो संवेदनशील हैं केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राज्य सशस्त्र पुलिस की तैनाती की जाती है।
3. सुरक्षा की खामियों का पता लगाने और इनको दूर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर डिपुओं का सुरक्षा निरीक्षण और औचक जांच भी की जाती है।
4. चरणबद्ध ढंग से 50 किलोग्राम की बोरियों का इस्तेमाल करना ताकि हुकों का प्रयोग न करना पड़े।
5. बोरियों की मशीन से दोहरी सिलाई करना।
6. स्टाक का यथा विहित आवधिक रूप से रोगनिरोधी तथा रोगहर उपचार करना।
7. प्रत्येक स्तर पर प्रचालनों में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण को सुप्रवाही बनाना।
8. चुने हुए रेल शीर्षों, ट्रांसशिपमेंट और गंतव्य/प्रेषण केन्द्रों की विशेष दलों द्वारा जांच किया जाना।
9. संवेदनशील बिन्दुओं की पहचान करना।
10. मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों, कार्यकारी निदेशकों (अंचल)/महप्रबंधकों (क्षेत्र)/क्षेत्र प्रबंधकों द्वारा डिपुओं का निरीक्षण किया जाना।
11. तोल सेतुओं के 'केलीबरेशन' का निरीक्षण और मानीटरिंग किया जाना।
12. प्राप्ति और निर्गम के समय उचित तुलाई और गणना करना।
13. खाद्यान्न का सुरक्षित तरीकों, अर्थात् ढके हुए वैगनों, आदि के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचलन करना।
14. रेल द्वारा खाद्यान्नों के संचलन में होने वाली मार्गस्थ हानियों को नियंत्रित करने के लिए थर्ड प्राइवेट पार्टी (बीमा एजेंसी) को शामिल किया गया है, जिनके प्रतिनिधि रेल द्वारा परेषण करने से पहले और प्राप्ति स्थल पर ऐसी स्टाक की सुपुर्दगी लेने के समय और वैगनों से उतरान करने के बाद स्टाक की तुलाई करने तक स्टाक की मात्रा की जांच करते हैं। अत: परिवहन के दौरान उड़ाईगिरि के अवसर कम हो गए हैं।
15. मौजूदा अनुदेशों के अनुसार संदेहास्पद सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों का स्थानांतरण करना।
16. स्टाक का मार्गस्थ बीमा करना।
17. जहां तक संभव हो मानक बोरियों का लदान करना और दरवाजे के पल्लों के पास 18 इंच का स्थान खाली छोड़ना।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

1252. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शहरी, ग्रामीण और कृषि मजदूरों के संदर्भ में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अलग-अलग निर्धारित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका निर्धारण करने के लिए आधार वर्ष कौन-सा है;

(ग) क्या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) तथा थोक मूल्य सूचकांक के निर्धारण हेतु भिन्न-भिन्न आधार वर्षों का उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) श्रम ब्यूरो, औद्योगिक श्रमिकों के लिए 2001=100 और ग्रामीण/कृषि श्रमिकों के लिए 1986-87=100 के आधार के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला का अनुपालन कर रहा है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त सूचनानुसार, उनके द्वारा आधार वर्ष 1984-85 के साथ, शहरी गैर-मैनुअल कर्मचारियों संबंधी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला का अनुपालन किया जा रहा था किन्तु उसे अप्रैल, 2008 से बंद कर दिया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी) संबंधी नयी श्रृंखला के संकलन हेतु बाजार सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और आधार वर्ष को अंतिम रूप देने के लिए अप्रैल, 2008 से मासिक मूल्य आंकड़े संगृहीत किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) थोक मूल्य सूचकांक के संग्रहण हेतु आधार वर्ष फिलहाल 1993-94 है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्षों के निर्धारण में भिन्नता, आरेख तैयार करने के प्रयोजन से सर्वेक्षण करने की अवधि और सूचकांक श्रृंखला के संकलन हेतु आवश्यक मूल्य आंकड़ों की उपलब्धता के कारण हैं।

फसल बीमा योजना

1253. श्री महावीर भगोरा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर होने वाले वास्तविक लाभार्थियों का प्रतिशत किसानों की कुल संख्या का बहुत कम भाग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा समय से धनराशि जारी नहीं करने के कारण किसानों ने आत्महत्या की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री क्रांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) इस स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, किसानों को क्षतिपूर्ति का भुगतान केवल तभी किया जाता है जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल हानि होती है। वर्ष 2006-07 में कवर किए गए 1,79,12,004 किसानों में से 45,20,918 किसानों अर्थात् 25.24% किसानों को वास्तव में क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया और लाभ मिल सका।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) केन्द्र सरकार बजट में पर्याप्त प्रावधान करती है तथा क्रियान्वयनकारी राज्यों को अग्रिम निर्मुक्ति करती है।

[अनुवाद]

नेशनल पार्टीसिपेटरी रिसर्च नेटवर्क

1254. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र द्वारा सामना किए जा रहे संकट से निपटने के लिए किसानों सहित सभी संबंधित पक्षों को शामिल करके एक नेशनल पार्टीसिपेटरी रिसर्च नेटवर्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के कब तक लागू होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं। एक राष्ट्रीय सहभागिता अनुसंधान नेटवर्क (नेशनल पार्टीसिपेटरी रिसर्च नेटवर्क) के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों द्वारा अनुसंधान कार्यसूची के प्राथमिकीकरण हेतु अनुसंधान के सहभागिता मोड को अपनाया जा रहा है। मूल, नीतिगत, पूर्वानुमानित तथा प्रायोगिक अनुसंधान के जरिए की जाने वाली अनुसंधान प्राथमिकताओं में किसानों तथा स्टेक होल्डर्स के अनुभवों और भावी परिदृश्यों को सम्मिलित किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बीएसएनएल द्वारा सस्ती मोबाइल सेवा

1255. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड का विचार देश में सस्ती मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं/ उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) बीएसएनएल द्वारा पेश किया गया प्रशुल्क, निजी प्रचालकों द्वारा पेश किए गए प्रशुल्क से या तो कम है या प्रतिस्पर्धात्मक है। उपर्युक्त के अलावा, फील्ड यूनिटों को भी स्थानीय बाजार स्थितियों को देखते हुए विभिन्न प्रोत्साहन दरों की पेशकश के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ख) मोबाइल प्रशुल्क का ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है।

(ग) ग्राहकों की जरूरतों और चालू मार्किट स्थितियों के आधार पर, समय-समय पर बीएसएनएल द्वारा पेशकश किए गए प्रशुल्क की समीक्षा की जाती है।

विवरण I

30.09.2008 की स्थिति के अनुसार पोस्टपेड सेल्यूलर प्रशुल्क

विवरण	प्लान-99	प्लान-198	प्लान-225	प्लान-299	प्लान-325	प्लान-490/ 550**	प्लान-525	प्लान-725	प्लान-999
प्लान सीरियल	1	2	3	4	5	6और 7	8	9	10
निश्चित मासिक शुल्क (रु.)	99	198	225	299	325	490/550	525	725	999
रु. प्रतिमाह, मुफ्त कॉल	0	0	60	0	125	0	300	0	700
पल्स दर (सेकिंड में)	60	60	60	60	15	60	15	60	15
क. अंतरा सर्किल कॉल (रु./मिनट)									
जीएसएम को (अपने नेटवर्क में)	1	1	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0	0.6
जीएसएम/सीडीएमए को-10 अंक (अन्य नेटवर्क में)	1	1	0.9	0.6	0.8	0.6	0.4	0.4	1
फिक्स्ड/डब्ल्यूएलएल को (अपने नेटवर्क में)	1	1	0.9	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6
फिक्स्ड/डब्ल्यूएलएल को (अन्य नेटवर्क में)	1	1	0.9	0.6	0.8	0.6	0.8	0.4	1
दो बीएसएनएल नंबरों पर घटा हुआ कॉल शुल्क (नोट देखें)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
ख. अंत: सर्किल कॉल (रु./मिनट)									
जीएसएम को (अपने नेटवर्क में)	1.2	1.2	1.2	1	1	1	1	0.4	1
जीएसएम/सीडीएमए को-10 अंक (अन्य नेटवर्क में)	1.4	1.4	1.2	1	1.2	1	1	1	1
फिक्स्ड/डब्ल्यूएलएल को (अपने नेटवर्क में)	1.2	1.2	1.2	1	1	1	1	0.4	1
फिक्स्ड/डब्ल्यूएलएल को (अन्य नेटवर्क में)	1.4	1.4	1.2	1	1.2	1	1	1	1

प्लान सीरियल	1	2	3	4	5	6और 7	8	9	10
एक बीएसएनएल फिक्स्ड/डब्ल्यूएलएल नंबर पर घटा हुआ काल शुल्क (नोट देखें)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.2	0.6
आईएसडी कॉल के लिए पल्स दर (सेकिंड में)	60	60	60	60	15	60	15	60	15
ग. आईएसडी कॉल (रु./मिनट)									
यूएसए, कनाडा, यू.के.	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	6	7.2
श्रीलंका	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	6	7.2
नेपाल	9	9	9	9	9	9	9	9	9
यूरोप (यू.के. के अलावा), सिंगापुर, थाइलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	8	9.6
कुवैत, बहरीन, यूएई, ओमान और कतर	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	8	9.6
शेष विश्व	12	12	12	12	12	12	12	10	12
ङ. पीटूपी एसएमएस शुल्क (रु./एसएमएस)									
(क) स्थानीय (एलएसए के अंदर)									
(i) अपने नेटवर्क में	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.00/ 0.40#	0.5
(ii) अन्य नेटवर्क में	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.00/ 0.40#	0.5
(ख) राष्ट्रीय (एलएसए के बाहर)									
(i) अपने नेटवर्क में	1	0.4	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.4	0.5
(ii) अन्य नेटवर्क में	1	0.4	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.4	0.5
(ग) अन्तर्राष्ट्रीय	5	5	5	5	5	5	5	5	3
च. मुफ्त एसएमएस									
(क) अपने नेटवर्क पर मुफ्त एसएमएस संख्या प्रतिमाह	100*	2000***	0	0	0	0	0	0	0
(ख) - रु. के मुफ्त एसएमएस	0	0	30	0	40	0	40	0	0
छ. गैर-पीटूपी एसएमसएस (रु. प्रति एसएमएस)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
एसएमएस डिलीवरी रिपोर्ट (रु.)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

प्लान सीरियल	1	2	3	4	5	6और 7	8	9	10
(घ) रोमिंग कॉल शुल्क (रु. प्रति मिनिट)									
यात्रा किए गए एलएसए के अंतर्गत आउट गोइंग	1	1	1	1	1	1	1	1	1
यात्रा किए गए एलएसए से बाहर आउट गोइंग	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1	1.5	1	1.5
मुफ्त कॉल के अलावा अन्य इनकमिंग कॉल शुल्क	1	1	1	1	1	1	1	0.65	1
आउट गोउंग एसएमएस (अधिकतम 160 अक्षर)	1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
अंतर्राष्ट्रीय आउट बाउंड रोमर्स									
(क) फिक्स्ड मासिक शुल्क (रु.)	99	99	99	99	99	99	99	99	99
(ख) कॉल शुल्क									
(ज) मुफ्त/मासिक जीपीआरएस यूसेज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	5एमबी	5एमबी	शून्य
7. जीपीआरएस शुल्क :									
क. विकल्प-I									
(i) एक्टीवेशन शुल्क (रु.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ii) मासिक अंशदान (रु.)	49	49	49	49	49	49	49	49	49
(iii) मुफ्त यूसेज के अलावा डाउनलोड शुल्क (रु. प्रति केबी)	0.01	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
(iv) मुफ्त यूसेज (एमबी में)	5एमबी	5एमबी	5एमबी	5एमबी	5एमबी	5एमबी	5एमबी	5एमबी	5एमबी
(v) रोमिंग पर यूसेज शुल्क (रु.)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
ख. विकल्प-II									
(i) एक्टीवेशन शुल्क (रु.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ii) मासिक अंशदान (रु.)	199	199	199	199	199	199	199	199	199
(iii) मुफ्त यूसेज के अलावा डाउनलोड शुल्क (रु. प्रति केबी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(iv) मुफ्त यूसेज (एमबी में)	असीमित	असीमित	असीमित	असीमित	असीमित	असीमित	असीमित	असीमित	असीमित
(v) रोमिंग पर यूसेज शुल्क (रु.)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

प्लान सीरियल	1	2	3	4	5	6और 7	8	9	10
ग. विकल्प-III									
(i) एक्टीवेशन शुल्क (रु.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ii) मासिक अंशदान (रु.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii) मुफ्त यूसेज (एमबी में)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(iv) सामान्य और रोमिंग की स्थिति में वोल्यूम आधारित यूसेज शुल्क (रु. प्रति केबी)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

**रोमिंग के दौरान 300 मिनट की मुफ्त इनकमिंग कॉल

***2000 एसएमएस मुफ्त (1500 अपने नेटवर्क में और 500 दूसरे नेटवर्क में)

#अपना नेटवर्क/अन्य नेटवर्क

घटाई हुई कॉल शुल्क - प्लान - 725 के अंतर्गत बीएसएनएल फिक्स्ड/डब्ल्यूएलएल नंबर पर 0.20 रु./मिनट की दर से और 0.60 रु./मिनट पर सभी अन्य पोस्ट पेड योजनाओं में घटाई हुई एसटीडी दर की एक वैकल्पिक सुविधा शुरू। तदनुसार, एक ग्राहक सर्किल के अंतर्गत की जाने वाली कालों के लिए दो बीएसएनएल (फिक्स्ड/डब्ल्यूएलएल/सेल्यूलर) नंबर-एक बीएसएनएल फीक्स्ड/डब्ल्यूएलएल/सेल्यूलर नंबर और भारत में कहीं भी सर्किल के बाहर काल के लिए एक बीएसएनएल फिक्स्ड/डब्ल्यूएलएल नंबर चुन सकता है।

यदि दोनों नंबर घटी हुई काल दर के लिए अंतरा सर्किल के चुने जाते हैं तो उनमें से एक लैंडलाइन नंबर होना जरूरी है।

विवरण II

30.09.2008 की स्थिति के अनुसार प्री-पेड प्रशुल्क प्लान

विवरण	सामान्य प्लान			सरल अनंत प्लान	सुपर वन इंडिया प्लान
	विकल्प-I	विकल्प-II	विकल्प-III		
1	2	3	4	5	6
क. सिम का अधिकतम खुदरा मूल्य रु. में	67	67	67	67	67
ख. सिम में नि:शुल्क टाक वैल्यू रु. में	0	0	0	0	0
ग. रु. के एक्टिवेशन वाउचर के साथ पहला रिचार्ज	121	221	321	199	299
सेवा कर + शिक्षा उपकर @ 12.35%	14.96	27.32	36.98	24.6	36.96
प्रोसेसिंग शुल्क रु. में	91	171	261	189	249
एक्टिवेशन वाउचर का अधिकतम खुदरा मूल्य रु. में	136	248	361	224	336
आरंभिक पैक का अधिकतम खुदरा मूल्य रु. में	203	315	428	291	403
टाक वैल्यू रु. में	30	50	60	10	50
वैधता (दिनों में)	90	180	365	180	30

1	2	3	4	5	6
रिचार्ज कूपन का ब्यौरा		अनुबंध-क के अनुसार	अनुबंध-क के अनुसार		अनुबंध-क के अनुसार
प्रति मिनट कॉल प्रभार रु. में					
स्थानीय (अंतरा सर्किल)					
अपना नेटवर्क		0.90	1.00		0.50
अन्य नेटवर्क		0.90	1.00		0.80
बीएसएनएल के दो फिक्स्ड/डब्ल्यूएलएल/सेल नंबरों पर घटे हुए काल प्रभार (संदर्भ नोट)		0.20	0.50		0.20
एसटीडी कॉल (अंतः सर्किल)					
अपना नेटवर्क		1.20	1.50		1.00
अन्य नेटवर्क		1.50	1.50		1.00
बीएसएनएल के एक फिक्स्ड/डब्ल्यूएलएल नंबर पर घटे हुए काल प्रभार (संदर्भ नोट)		0.60	1.00		0.60
आईएसडी काल (60 सेकेंड पल्स सहित)		रु. प्रति मिनट	रु. प्रति मिनट		रु. प्रति मिनट
(क) अमरीका, कनाडा, यू.के., श्रीलंका		7.20	7.20		7.20
(ख) नेपाल		9.00	9.00		9.00
(ग) यूरोप (यू.के. को छोड़कर) सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और हांगकांग, कुवैत, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और कतर		9.60	9.60		9.60
(घ) शेष विश्व		12.00	12.00		12.00
वैकल्पिक सेवाओं के लिए प्रभार					
(क) रोमिंग					
(1) राष्ट्रीय					
किराया/अंशदान		शून्य	शून्य		शून्य
1. की जाने वाली कॉल					
(i) यात्रा किए गए एलएसए (स्थानीय) के भीतर		1.00	1.00		1.00
(ii) यात्रा किए गए एलएसए (एसटीडी) से बाहर		1.50	1.50		1.50
2. आने वाली कॉल		1.00	1.00		1.00
3. पल्स		60 सेकिंड	60 सेकिंड		60 सेकिंड
4. आईएसडी कॉल		प्लान के अनुसार	प्लान के अनुसार		प्लान के अनुसार

1	2	3	4	5	6
विवरण		सामान्य प्लान	सरल अनंत प्लान		सुपर वन इंडिया प्लान
एसएमएस (आउट गोइंग) प्रति मैसेज		1.00	2.00		1.00
एसएमएस (इन कमिंग)		मुफ्त	मुफ्त		मुफ्त
(ii) अन्तर्राष्ट्रीय		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं
ख. एसएमएस*					
पी2पी एसएमएस:					
फिक्स्ड मासिक प्रभार		शून्य	शून्य		शून्य
प्रति एसएमएस दर रु. में					
(i) स्थानीय		0.80	1.00		0.60
(ii) राष्ट्रीय		1.20	1.50		1.00
(iii) अन्तर्राष्ट्रीय		5.00	5.00		5.00
(iv) डिलिवरी रिपोर्ट		0.10	0.10		0.10
(v) मिस्ड काल एलर्ट एसएमएस		मुफ्त	मुफ्त		मुफ्त
गैर-पी2पी एसएमएस:		2.00	2.00		2.00
ग. जीपीआरएस सेवा					
(i) एक्टिवेशन प्रभार (एक बारगी)		मुफ्त	मुफ्त		मुफ्त
(ii) वाल्यूम आधारित यूसेज प्रभार रु. प्रति केबी		0.02	0.02		0.02
(iii) मासिक अंशदान		शून्य	शून्य		शून्य
घ. एमएमएस सेवा					
(i) पी2पी (दर प्रति एमएमएस रु. में)					
(क) स्थानीय/राष्ट्रीय एमएमएस		3.00	3.00		3.00
(ख) अन्तर्राष्ट्रीय एमएमएस		8.00	8.00		8.00
(ii) एम2पी (डाउनलोडर को अदा करना होगा)		सामग्री प्रदान करने वाले द्वारा निर्धारित दर पर	सामग्री प्रदान करने वाले द्वारा निर्धारित दर पर		सामग्री प्रदान करने वाले द्वारा निर्धारित दर पर
(ङ) विविध					
(i) वाइस मेल सुविधा (कोई अप फ्रंट प्रभार नहीं)		मुफ्त	मुफ्त		मुफ्त
रिकार्डिंग		मुफ्त	मुफ्त		मुफ्त
पुन: प्राप्ति		आउट गोइंग शुल्क	आउट गोइंग शुल्क		आउट गोइंग शुल्क

1	2	3	4	5	6
(ii) क्लिप		मुफ्त	मुफ्त	मुफ्त	
(iii) कॉल फारवर्डिंग (केवल समान एलएसए के भीतर) रु. में	सामान्य कॉल शुल्क		सामान्य कॉल शुल्क	सामान्य कॉल शुल्क	
(iv) सिम बदलना रु. में		100.00	100.00	100.00	
(v) खराब सिम बदलना (बीएसएनएल फाल्ट)		शून्य	शून्य	शून्य	

नोट:

नए कनेक्शन के शुरू होने की तारीख से 2 माह के लिए 200 एसएमएस मुफ्त (एलएसए के अंदर)

रिचार्ज और टाप-अप कूपन अनुबंध-क में दिए गए हैं।

प्रीपेड सामान्य/सुपर वन इंडिया प्लान के अंतर्गत एक बीएसएनएल फिक्स्ड/डब्ल्यूएलएल नंबर पर 0.60 रु. प्रति मिनट और सरल अमंत के अंतर्गत 1.00 रु. प्रति मिनट की दर से वैकल्पिक घटी हुई एसटीडी दरों की सुविधा की शुरूआत। ग्राहक अंतरा सर्किल काल के लिए 0.20 रु. प्रति मिनट की दर से दो बीएसएनएल/डब्ल्यूएलएल सेल्यूलर नं. अथवा अंतरा सर्किल काल के लिए एक बीएसएनएल फिक्स्ड/डब्ल्यूएलएल/सेल्यूलर नं. तथा भारत में कहीं भी अंत:सर्किल काल के लिए एक बीएसएनएल फिक्स्ड/डब्ल्यूएलएल नं. चुन सकते हैं।

विवरण III

30.09.2008 की स्थिति के अनुसार :

रिचार्ज वाउचर, टाप-अप कार्ड एवं फ्लेक्सी टाप अप

(क) रिचार्ज वाउचर :

कार्ड मूल्य (रु. में)	सेवा कर 12% की दर से (रु. में)	शिक्षा उपकर सेवा कर के 2% की दर से (रु. में)	माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर सेवा कर के 1% की दर से (रु. में)	सेवा कर+शिक्षा उपकर 12.36% की दर से (रु. में)	अधिकतम फुटकर मूल्य (रु. में)	प्रोसेसिंग शुल्क (रु. में)	बोनस टाक वैल्यू (रु. में)	टैक वैल्यू (रु. में)	वैधता (दिनों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5000	600	12	6	618.00	5618	शून्य	1700	6700	450
3000	360	7.2	3.6	370.80	3371	शून्य	शून्य	3000	365
2500	300	6	3	309.00	2809	शून्य	शून्य	2500	300
2000	240	4.8	2.4	247.20	2247	शून्य	400	2400	180
1000	120	2.4	1.2	123.60	1124	100	शून्य	900	120
500	60	1.2	0.6	61.80	562	शून्य	शून्य	500	50
300	36	0.72	0.36	37.08	337	शून्य	शून्य	300	30
200	24	0.48	0.24	24.72	225	70	शून्य	130	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	12	0.24	0.12	12.36	112	70	शून्य	30	30
70	8.4	0.168	0.084	8.65	79	40	शून्य	30	15
50	6	0.12	0.06	6.18	56	25	शून्य	25	10

नोट:

उपयोग न किए गए टाक वैल्यू के लिए रिडायली अवधि 7 दिन है।

रिचार्ज के लिए 7 दिन की रिडायली अवधि के अतिरिक्त 30 दिन की रिडायली अवधि प्रदान की जाएगी।

(ख) टॉप अप कार्ड

कार्ड मूल्य (रु. में)	सेवा कर 12% की दर से (रु. में)	शिक्षा उपकर सेवा कर के 2% की दर से (रु. में)	माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर सेवा कर के 1% की दर से (रु. में)	सेवा कर+शिक्षा उपकर 12.36% की दर से (रु. में)	अधिकतम फुटकर मूल्य (रु. में)	प्रोसेसिंग शुल्क (रु. में)	बोनस टाक वैल्यू (रु. में)	टैक वैल्यू (रु. में)	वैधता (दिनों में)
500	60.00	1.20	0.60	61.80	562	0	0	500	शून्य
200	24.00	0.48	0.24	24.72	225	0	0	200	शून्य
100	12.00	0.24	0.12	12.36	112	0	0	100	शून्य
50	6.00	0.12	0.06	6.18	56	0	0	50	शून्य
20	2.40	0.05	0.02	2.47	22	2	0	18	शून्य
10	1.20	0.02	0.01	1.24	11	2	0	8	शून्य

(ग) "सुपर वन इंडिया" रीचार्ज वाउचर

कार्ड मूल्य (रु. में)	सेवा कर 12% की दर से (रु. में)	शिक्षा उपकर सेवा कर के 2% की दर से (रु. में)	माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर सेवा कर के 1% की दर से (रु. में)	सेवा कर+शिक्षा उपकर 12.36% की दर से (रु. में)	अधिकतम फुटकर मूल्य (रु. में)	प्रोसेसिंग शुल्क (रु. में)	बोनस टॉक वैल्यू (रु. में)	टॉक वैल्यू (रु. में)	वैधता (दिनों में)
299	35.88	0.7176	0.3588	36.96	336	249	शून्य	50	30

(घ) फ्लेक्सी टॉप-अप/सी-टॉप अप

अब फ्लेक्सी/टॉप-अप/सी-टॉप-अप से आपको किसी भी समय किसी भी स्थान पर अपनी पसंद के किसी भी मूल्य वर्ग का चयन करने की पूरी स्वतंत्रता है।

टॉप-अप 10 रु. के न्यूनतम मूल्य वर्ग से 10,000/- रु. तक की श्रेणी में उपलब्ध हैं। आप उच्च मूल्य वर्ग के टॉप-अप से भी बोनस टॉक वैल्यू का लाभ उठा सकते हैं।

प्राथमिक मूल्य (रुपए)	प्रोसेसिंग शुल्क	प्राथमिक मूल्य पर कस्टम टॉक वैल्यू (प्रतिशत में)
> 50 रुपए	शून्य	शून्य
10 से 49 रुपए तक	2 रुपए	शून्य

नोट: प्राथमिक मूल्य
(अधिकतम फुटकर मूल्य - सेवाकर)

(ङ) वैधता बाउचर

कार्ड मूल्य (रु. में)	सेवा कर 12% की दर से (रु. में)	शिक्षा उपकर सेवा कर के 2% की दर से (रु. में)	माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर सेवा कर के 1% की दर से (रु. में)	अधिकतम फुटकर मूल्य (रु. में)	टाक वैल्यू (रु. में)	प्रोसेसिंग शुल्क (रु. में)	वैधता दिनों में
150 (वर्तमान)	18	0.36	0.18	169	50	100	90
250 (नया)	30	0.60	0.30	281	60	190	180
350 (नया)	42	0.84	0.42	393	70	280	365

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना

1256. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय दक्षता विकास मिशन के अंतर्गत देश में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की स्थापना हेतु प्रस्तावों की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गयी है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था के माध्यम से 1500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में, योजना आयोग ने योजना का 'सिद्धांत रूप से' अनुमोदन कर दिया है। निधिकरण ढांचा, समयावधि तथा विभिन्न पणधारकों की भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों सहित एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

ठेके के श्रमिकों/कामगारों को भुगतान

1257. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ठेकेदारों का कमीशन काटते हुए ठेके पर कार्य करने वाले श्रमिकों/कामगारों को सीधे वेतन का भुगतान करने का कोई कानूनी प्रावधान है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ठेका श्रमिकों/कामगारों के वेतन से भविष्य निधि, चिकित्सा सुविधाएं और बीमा लाभों के मद में अंशदान काटा जाता है;

(ङ) यदि हां, तो इन सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु उक्त श्रमिकों/कामगारों को कोई रसीद दी जाती है; और

(च) यदि नहीं, तो रसीद नहीं देने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि विवरण तथा कर्मचारी राज्य बीमा बोर्ड जारी किए जाते हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि अवसंरचना हेतु वित्तीय सहायता

1258. श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:
श्री रतन सिंह अजनाला:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कृषि अवसंरचना के विकास एवं उन्नयन हेतु पंजाब और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों को वित्तीय सहायता मुहैया करायी है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) कृषि मंत्रालय ने निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत कृषि अवसंरचना के विकास और उन्नयन के लिए पंजाब और महाराष्ट्र की संबंधित राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी है। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पंजाब और महाराष्ट्र की संबंधित राज्य सरकारों को निर्मुक्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I से V है।

(1) विपणन अवसंरचना में देश में मण्डी सूचना प्रणाली के विकास के लिए सृजित अवसंरचना भी शामिल है। कृषि मंत्रालय विपणन अनुसंधान और सूचना नेटवर्क (एगमार्कनेट) की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम का लक्ष्य किसानों को विभिन्न कृषि जिन्सों के संबंध में मूल्य और मण्डी संबंधी सूचना का संकलन और प्रसार करना है और विभिन्न बाजार आधारित विस्तार क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए निधियां प्रदान करना है। स्कीम के अंतर्गत राज्य क्रियान्वयनकारी एजेंसियों को निधियां उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निर्मुक्त की जाती हैं।

(2) कृषि मंत्रालय केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम नामत: "कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण का विकास/सुदृढ़ीकरण" भी क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत निवेश राज सहायता सभी राज्यों में प्रत्येक परियोजना के लिए विपणन अवसंरचना विकास परियोजना की पूंजी लागत पर 25% की दर से और पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को प्रत्येक परियोजना के लिए पूंजी लागत के 33.3% की दर से दी जाती है। राज्य सरकारों/राज्य एजेंसियों की अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के संबंध में, इस स्कीम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राजसहायता पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यह स्कीम सुधार से जुड़ी है तथा उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाएगी जहां कृषि मंडियों से संबंधित कानून (कृषि उत्पाद विपणन विनियमन अधिनियम) निजी और सहकारी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्द्धी कृषि मंडियों की स्थापना, प्रत्यक्ष विपणन और संविदा कृषि की अनुमति देता है।

(3) यह मंत्रालय केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम "गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास और सुदृढ़ीकरण" को पंजाब और महाराष्ट्र राज्यों सहित पूरे भारत में क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम का लक्ष्य गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए मौजूदा अवसंरचना को विकसित और सुदृढ़ करना है।

(4) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत वित्तीय सहायता फल और सब्जियों सहित बागवानी से

संबंधित विभिन्न क्रियाकलाप शुरू करने के लिए दी जाती है। ऐसे क्रियाकलाप रोपण सामग्री का उत्पादन, क्षेत्र कवरेज, जराग्रस्त बागानों का पुनरुद्धार/पुन:रोपण, संरक्षित खेती, जैविक खेती, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन/समेकित कृमि प्रबंधन को बढ़ावा देना, कटाई पश्चात् प्रबंधन और विपणन अवसंरचना का विकास आदि।

फलों और सब्जियों के उत्पादन के लिए सहायता केवल किसानों की दी जाती है, कारपोरेट क्षेत्र को नहीं। कटाई पश्चात् प्रबंधन और विपणन अवसंरचना के विकास के लिए, परियोजना का पूंजी लागत के 25% की दर से राजसहायता सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्यमियों को उपलब्ध है। निजी क्षेत्र के लिए राजसहायता ऋण से जुड़ी हुई और पश्चान्त है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत सहायता ग्रामीण प्राथमिक मंडियों, थोक मंडियो और टर्मिनल मंडियों की स्थापना के लिए उपलब्ध है।

(5) कृषि मंत्रालय ने केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम नामत: पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में समेकित बागवानी विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन भी शुरू की है। बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन मोड में सर्वांगीण दृष्टिकोण के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें अधिक उपज देने वाली किस्में और प्रौद्योगिकियां विकसित करना और शुरू करना, क्षेत्र विस्तार, कटाई पश्चात् सम्भालना और प्रबंधन करना, विपणन मूल्यवर्धन और बागवानी उत्पादन का प्रसंस्करण। इसके साथ चार मिनि मिशन हैं;- अनुसंधान उत्पादन और उत्पादकता संबंधी, कटाई पश्चात प्रबंधन, विपणन और प्रसंस्करण समन्वयन संबंधी।

विवरण I

वर्ष 2005-06 से 2008-09 (सितम्बर 2008) के दौरान विभिन्न राज्यों को एमआरआईएन स्कीम के अंतर्गत मण्डी कार्यकलापों हेतु निधियां

(लाख रु. में)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (सितम्बर, 2008 तक)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	–	31.05	24.92	26.64
असम	28.28	–	–	
गुजरात	41.75	–	–	
कर्नाटक	–	12.24	30.70	
मध्य प्रदेश	34.42	7.68	–	
नागालैंड	12.70	–	–	
उड़ीसा	15.00	1.44	3.24	
राजस्थान	12.00	3.42	53.49	
त्रिपुरा	6.81	–	–	
पश्चिम बंगाल	30.00	0.36	–	45.15
उत्तराखण्ड	24.97	2.24	5.00	
पंजाब	–	1.80	–	

1	2	3	4	5
जम्मू-कश्मीर	–	3.96	–	
महाराष्ट्र	–	4.16	–	
झारखंड	–	–	1.92	
हरियाणा	–	–	0.72	
तमिलनाडु	–	–	14.55	
केरल	–	–	3.34	
दिल्ली	–	–	–	1.70
कुल	205.93	68.35	137.89	73.49

विवरण II

कृषि विपणन, ग्रैडिंग एवं मानकीकरण से विकास/सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य एजेंसी परियोजना के अधीन निर्मुक्त राजसहायता राज्यवार निधि

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना की संख्या	परियोजना का नाम	टीएफओ	कुल वैध राजसहायता	निर्मुक्त राजसहायता		
						प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वर्ष 2006-07								
1.	हिमाचल प्रदेश	02	एपीएमसी का आधुनिकीकरण	744.22	248.04	124.00	–	124.00
2.	मध्य प्रदेश	33	एपीएमसी का आधुनिकीकरण	8010.93	2002.70	1001.28	–	1001.28
3.	छत्तीसगढ़	09	एपीएमसी का आधुनिकीकरण	4620.72	1189.21	594.59	–	594.59
4.	राजस्थान	01	एपीएमसी का आधुनिकीकरण	74.11	18.53	9.26	–	9.26
	योग	45		13449.98	3458.48	1729.13		1729.13
वर्ष 2007-08								
1.	महाराष्ट्र	12	एपीएमसी का आधुनिकीकरण	3007.12	751.77	375.87	–	375.87
2.	नागालैंड	02	एपीएमसी मसाले रखरखाव इकाई का आधुनिकीकरण	389.42	129.79	64.89	–	64.89
3.	हिमाचल प्रदेश	05	एपीएमसी का आधुनिकीकरण	575.19	191.69	95.84	–	95.84
4.	मध्य प्रदेश	11	एपीएमसी का आधुनिकीकरण	7344.012	1846.55	923.25	–	923.25
5.	राजस्थान	34	किसान- भवन का निर्माण एपीएमसी/ अवसंरचना का आधुनिकीकरण	12183.47	3090.02	1544.96	–	1544.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	तमिलनाडु	10	सीधी बिक्री केन्द्र	100.00	25.00	12.50	-	12.50
7.	केरल	49	कृषि विपणन का विकास अवसंरचना से समर्थन स्वस्थ्य कृषक समिति (एसकेएस)	423.73	108.18	54.09	-	54.09
8.	पंजाब	59	एपीएमसी का आधुनिकीकरण	20996.17	5248.81	2624.40		2624.40
	योग	182		45028.112	11391.81	5695.80		5695.80
वर्ष 2008-09 (30.09.2008 तक)								
1.	हिमाचल प्रदेश	04	मण्डी यार्डों का विस्तार	770.21	256.69	128.33	-	128.33
2.	राजस्थान	07	एपीएमसी का आधुनिकीकरण	2686.82	671.67	335.83	-	335.83
3.	महाराष्ट्र	02	एपीएमसी का आधुनिकीकरण	95.80	27.07	13.53	-	13.53
	योग	13		3552.83	955.43	477.69		477.69

विवरण III

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए "गुणवत्ता बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए अवसंरचना के विकास एवं सुदृढ़ीकरण" स्कीम के तहत निर्मुक्त की गई सहायता अनुदान

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (22.10.2008 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	439.01	6356.23	23822.97	36.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	20.50	-	1.83
3.	असम	91.56	42.21	1496.24	226.07
4.	बिहार	60.92	102.87	457.27	561.52
5.	छत्तीसगढ़	595.09	24.60	432.14	-
6.	दिल्ली	1548.10	2766.07 राष्ट्रीय बीज निगम के लिए महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री पैकेज के क्रियान्वयन के लिए 2546.65 लाख रु. की निर्मुक्ति	5519.36 राष्ट्रीय बीज निगम के लिए महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री पैकेज के क्रियान्वयन के लिए 5072 लाख रु. की निर्मुक्ति	5163.03 राष्ट्रीय बीज निगम के लिए महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री पैकेज के क्रियान्वयन के लिए 4500.00 लाख रु. की निर्मुक्ति

1	2	3	4	5	6
7.	गुजरात	154.63	54.82	219.33	316.61
8.	हरियाणा	111.59	93.67	18.14	78.26
9.	हिमाचल प्रदेश	4.27	92.37	79.80	–
10.	जम्मू-कश्मीर	7.00	101.38	207.28	231.60
11.	झारखंड	85.32	193.00	76.00	–
12.	कर्नाटक	259.91	275.59	3189.83	778.99
13.	केरल	31.45	–	152.31	60.00
14.	मध्य प्रदेश	582.58	229.02	88.65	394.85
15.	महाराष्ट्र	387.85	420.35	185.88	106.22
16.	मणिपुर	–	27.47	390.79	–
17.	मिजोरम	–	62.53	101.80	–
18.	नागालैंड	3.92	–	–	–
19.	उड़ीसा	135.75	245.71	565.88	622.04
20.	पंजाब	96.89	75.54	529.92	240.05
21.	राजस्थान	43.92	136.17	288.51	1000.00
22.	सिक्किम	14.57	91.53	–	122.90
23.	तमिलनाडु	280.01	414.23	571.34	89.34
24.	त्रिपुरा	47.50	25.19	200.00	–
25.	उत्तर प्रदेश	780.67	621.94	1171.60	1594.40
26.	उत्तराखंड	82.94	475.68	29.08	52.03
27.	पश्चिम बंगाल	111.58	125.64	158.36	0.23

विवरण IV

वर्ष 2005-2008 के दौरान एनएचएम के अधीन विकसित अवसंरचना

राज्य	नर्सरी (सं.)	बीज अवसंरचना (सं.)	जल संसाधन स्रोतों का सृजन (सं.)	हाइ-टेक ग्रीन हाउस (है.)	सामान्य ग्रीन हाउस (सं.)	रोग पूर्वानुमान यूनिट (सं.)	जैव नियंत्रण प्रयोगशालाएं (सं.)	पादप स्वास्थ्य क्लीनिक	लीफ/टिशू विश्लेषण प्रयोगशाला	वर्मीकम्पोस्ट यूनिट	पीएचएम	मण्डी (सं.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	93	0	0	5	1.012	3	7	5	1	2250	402	9
बिहार	140	0	78	5	4.4	2	1	4	4	11065	0	0
छत्तीसगढ़	8	0	1152	0	0	0	0	0	0	698	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
गोवा	8	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
गुजरात	36	0	72	1.705	0	0	1	3	0	481	5	1
हरियाणा	39	0	420	7	1	1	0	0	1	1129	5	0
झारखंड	122	2	150	36.6	1	3	0	1	1	212	0	0
कर्नाटक	283	4	1916	31.014	48	17	13	19	4	4926	67	22
केरल	140	2	0	16.59	4.94	1	2	3	2	6569	1	8
मध्य प्रदेश	152	109	1171	0	0	4	0	0	2	1099	53	4
महाराष्ट्र	39	10	2418	38	111.15	0	12	10	24	6152	347	8
उड़ीसा	76	1775	21	0	0	1	0	0	1	1380	0	0
पंजाब	0	0	15	2.418	4	0	0	0	0	511	3	44
राजस्थान	89	4	358	0	8.39	12	0	8	0	694	6	17
तमिलनाडु	88	14	215	52.653	3.91	3	6	0	4	321	150	0
उत्तर प्रदेश	57	9	0	0	15.833	0	3	5	3	1286	19	4
पश्चिम बंगाल	329	0	15	0	0	5	1	6	3	1520	0	0
कुल	1699	1929	8001	195.98	203.635	52	46	64	50	40305	1058	110

एनएचएम के अधीन निधि की राज्यवार निर्मुक्ति

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09 (20.10.2008 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4420.96	7500.00	7836.94	10468.39
2.	बिहार	3100.00	3500.00	269.72	1122.48
3.	छत्तीसगढ़	2367.83	5500.00	6252.41	
4.	गोवा	315.20	200.00	3.19	50.45
5.	गुजरात	3239.28	2577.03	1954.24	2131.83
6.	हरियाणा	1050.00	3480.00	6476.49	2551.86
7.	झारखंड	3030.00	4000.00	781.00	3000.00

1	2	3	4	5	6
8.	कर्नाटक	4455.17	8448.25	8571.05	12536.88
9.	केरल	3533.98	7959.53	6147.73	7517.29
10.	मध्य प्रदेश	2839.77	4291.75	5537.49	
11.	महाराष्ट्र	8260.28	14492.65	13224.94	13021.70
12.	उड़ीसा	3611.91	4450.00	3812.16	
13.	पंजाब	2868.82	1150.00	2409.99	12.48
14.	राजस्थान	2259.57	3837.93	5673.19	2897.71
15.	तमिलनाडु	3891.67	6450.00	8536.82	7688.00
16.	उत्तर प्रदेश	5340.25	1500.00	9425.90	1079.27
17.	पश्चिम बंगाल	4035.31	4600.00	681.82	607.20
18.	दिल्ली		300.00		
19.	लक्षद्वीप		63.00	29.90	
20.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		85.00		
	कुल	58620.00	84385.14	87625.01	64685.54

विवरण V

वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड में समेकित बागवानी विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन के अधीन निधियों की निर्मुक्ति का ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2005-06 निर्मुक्ति	2006-07 निर्मुक्ति	2007-08 निर्मुक्ति
1	2	3	4	5
क.	**मिनी मिशन-I**			
1.	सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य	–	–	440.00
2.	जम्मू-कश्मीर	250.00	87.50	296.99
3.	हिमाचल प्रदेश	250.00	87.50	150.00
4.	उत्तरांचल	250.00	100.00	365.00
ख.	**मिनी मिशन-II**			
1.	अरुणाचल प्रदेश	1300.00	1612.90	2830.00

1	2	3	4	5
2.	असम	1300.00	1400.00	2680.00
3.	मणिपुर	1500.00	1700.00	2228.00
4.	मेघालय	1700.00	2000.00	2700.00
5.	मिजोरम	1800.00	3200.00	3095.00
6.	नागालैंड	1700.00	2356.00	2500.00
7.	सिक्किम	1800.00	2331.00	3110.00
8.	त्रिपुरा	1500.00	1400.00	2400.00
9.	जम्मू-कश्मीर	1550.00	2933.00	2000.00
10.	हिमाचल प्रदेश	1100.00	4000.00	2400.00
11.	उत्तराखण्ड	1100.00	4000.00	2839.94
	सेवा प्रभार और परियोजना प्रस्ताव आदि	89.21	114.00	266.35
ग.	**मिनी मिशन-III**			
1.	सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य	600.00	400.00	550.00
2.	जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड	750.00	450.00	625.00
घ.	**मिनी मिशन-IV**			
1.	सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य	–		–
2.	जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल	200.00	300.00	700.00
	सकल योग	18739.21	28471.90	32176.28

वर्ष 2008-09 के दौरान सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड सहित पूर्वोत्तर राज्यों में समेकित बागवानी विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन के तहत आवंटित, निर्मुक्त और उपयोगिता राशि का ब्यौरा

(लाख रु. में)

मिनी मिशन/राज्य	कार्य योजना (2008-09) के मुख्य अनुमोदन में	आवंटन 2008-09	निर्मुक्ति 2008-09
1	2	3	4
मिनी मिशन-I			
पूर्वोत्तर राज्य	1200.00	600.00	150.00
जम्मू-कश्मीर	1278.00	200.00	50.00

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	286.00	100.00	25.00
उत्तराखण्ड	277.82	200.00	50.00
मिनी मिशन-II			
अरुणाचल प्रदेश	2600.00	2400.00	1200.00
असम	3952.00	3300.00	2475.00
मणिपुर	2500.00	2300.00	1150.00
मेघालय	3248.00	2750.00	1312.50
मिजोरम	2825.00	2500.00	1875.00
नागालैंड	2700.00	2500.00	1875.00
सिक्किम	2675.00	2450.00	1777.50
त्रिपुरा	2200.00	2000.00	1000.00
जम्मू-कश्मीर	2800.00	2100.00	1050.00
हिमाचल प्रदेश	3000.00	2100.00	1050.00
उत्तराखण्ड	2800.00	2100.00	1550.00
तकनीकी समर्थन आदि			
-पूर्वोत्तर राज्य	200.00	200.00	73.024
-एचएस	200.00	200.00	19.30
मिनी मिशन-III			
सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य			
-एसएफएसी		500.00	77.00
-एनएचबी		500.00	104.95
जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड			
-एसएफएसी		300.00	
-एनएचबी		300.00	
मिनी मिशन-IV			
सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य		0.00	
जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड (एसएफएसी)		300.00	150.00
सकल योग	34741.82	29900.00	17014.27

[हिन्दी]

ब्लैकबेरी टेलीकाम आपरेटर हेतु एकल सुपुर्दगी प्रणाली

1259. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में ब्लैकबेरी टेलीकाम आपरेटर की सेवाओं हेतु एकल सुपुर्दगी प्रणाली कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रणाली को पूरे देश में कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) देश में ब्लैकबेरी दूरसंचार प्रचालकों की सेवाओं के लिए एकल सुपुर्दगी प्रणाली कार्यान्वित करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

संगठित क्षेत्र के कामगारों की समस्याएं

1260. श्री मोहन सिंह: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में संगठित क्षेत्र के कामगारों के असंतोष को दूर करने और उनकी उचित मांगों को पूरा करने हेतु कोई प्रभावी तंत्र बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत कामगारों की समस्याओं को दूर करने के लिए कोई अलग श्रम कानून बनाने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों में औद्योगिक विवादों की जांच पड़ताल तथा निपटान के साथ-साथ इस अधिनियम के अंतर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्राधिकारियों जैसे कार्य समिति, संसाधन अधिकारियों, श्रम न्यायालयों, अधिकरणों, जांच न्यायालयों, बोर्ड आदि के माध्यम से कामगारों के लिए सुरक्षा उपायों का प्रावधान है। यह अधिनियम, गैर कानूनी हड़तालों और तालाबंदियों को विनियमित करता है तथा कामबंदी, छंटनी तथा प्रतिष्ठानों की बंदी के मामले में कामगारों को संरक्षण प्रदान करता है।

(ग) और (घ) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए अलग से श्रम कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि देश में अधिनियमित श्रम कानून भारत में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर भी लागू होते हैं।

[अनुवाद]

सशस्त्र बलों हेतु हेलिकाप्टरों की खरीद

1261. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार थलसेना, नौसेना और वायुसेना हेतु स्वदेश निर्मित हेलिकाप्टरों की खरीद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) को अब तक मुहैया कराई गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा क्रय आदेशों को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) सरकार सुरक्षा परिवेश की लगातार समीक्षा करती है तथा तदनुसार पर्याप्त रक्षा तैयारी हेतु हेलिकाप्टरों सहित समुचित उपस्कर शामिल करने का निर्णय लेती है। इस प्रकार शामिल किए जाने वाले उपस्करों की अधिप्राप्ति विभिन्न देशी तथा विदेशी स्रोतों से की जाती है। वर्तमान में, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड से विभिन्न प्रकार के हेलिकाप्टरों के स्वदेशी डिजाइन तथा विकास और अधिप्राप्ति हेतु सेना तथा वायुसेना की संयुक्त परियोजनाएं चालू हैं। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को यथापेक्षित निधियां समय-समय पर उपलब्ध कराई जाती हैं। कुछ हेलिकाप्टरों की वर्ष 2008 से 2010 के बीच सुपुर्दगी की संभावना है। अन्य डिजाइन तथा विकास के चरण में हैं।

वाधवा समिति की सिफारिशें

1262. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) के विभिन्न पहलुओं के संबंध में वाधवा समिति का अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है और इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) वर्ष 2008 के दौरान दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों/किरोसीन तेल डिपुओं पर मारे गए छापों का ब्यौरा क्या है तथा इनसे कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की वस्तुएं जब्त की गयी हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण का अध्ययन करने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) डी.पी. वाधवा की अध्यक्षता में केन्द्रीय सतर्कता समिति का गठन किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सतर्कता समिति को निदेश दिए थे कि आरंभ में दिल्ली में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अध्ययन किया जाए। जिसका बाद में अखिल भारत आधार पर अनुसरण किया जाए। समिति ने अगस्त, 2007 में उच्चतम न्यायालय को दिल्ली में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 10.1.2008 के आदेश में आदेश दिया है कि केन्द्रीय सतर्कता समिति द्वारा सम्पूर्ण देश के लिए इसी प्रकार की प्रक्रिया चलाई जाए और उसके बाद उच्चतम न्यायालय केन्द्रीय सतर्कता समिति के सुझावों और ध्यान में लाई गई कमियों पर विचार करेगा। केन्द्रीय सतर्कता समिति की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होनी है।

(ग) और (घ) वर्ष 2008 के दौरान 135 दुकानों का निरीक्षण किया गया और 121 छापे मारे गए। इनके आधार पर 252 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, 125 दुकानों के उचित दर दुकान लाइसेंस लंबित/रद्द किए गए/कारण बताओ नोटिस जारी किए गए/प्राथमिकियां दर्ज की गईं तथा 769 क्विंटल गेहूं और 5650 क्विंटल चावल जब्त किया गया।

इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए 9 सूत्री कार्य योजना क्रियान्वित कर रही है जिसमें मुख्यत: राशनकार्डधारियों की सूचियों की समीक्षा करना, खाद्यान्नों का लीकेज मुक्त और समय से वितरण सुनिश्चित करना, खाद्यान्नों के आबंटन वेबसाइट पर दिखाना तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डाटाबेस का कंप्यूटरीकरण करना शामिल है।

टेलीकाम आपरेटरों के कार्यनिष्पादन के विरुद्ध शिकायतें

1263. श्री किरिप चालिहा:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में लैंडलाइन और मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के क्षेत्र में सरकारी/निजी टेलीकाम आपरेटरों द्वारा घटिया स्तर की टेलीकाम सेवाएं मुहैया कराए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा इनमें से कितनी शिकायतों का निपटारा किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान दूरसंचार विभाग में प्राप्त शिकायतों की संख्या तथा निपटायी गयी शिकायतों की संख्या क्रमश: 510813 और 507786 है। 01.04.2008 से 30.09.2008 तक प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या 120153 है जिसमें से 120063 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। इनमें व्यक्तिगत शिकायतें भी शामिल हैं।

(ग) सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने को ध्यान में रखते हुए सरकार अभिगम नेटवर्क में बेतार प्रौद्योगिकियों के व्यापक प्रयोग को बढ़ावा दे रही है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं से संबंधित प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए सेवा प्रदाताओं को निम्नलिखित निर्देश/विनियमन अधिसूचित किये हैं:

* 1 जुलाई, 2005 को बेसिक तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं विनियमन, 2005 के अनुसार सेवा की गुणवत्ता (बिलिंग शिकायतों के समाधान की समयावधि, उपभोक्ता

को देयताओं/प्रतिभूति जमा राशियों की अदायगी, कालों का परिशोधन, दोषों के विलंबित परिशोधन के लिए किराये में छूट इत्यादि)।

* 21 मार्च, 2006 को सेवा की गुणवत्ता विनियमन, 2006 (सही-सही मीटरिंग और बिलिंग के संबंध में कार्य संहिता)।

* दिनांक 4 मई, 2007 को, दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण और शिकायतों का समाधान विनियमन, 2007 जिसमें सेवा प्रदाता द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित, प्रभावकारी और सस्ते समाधान की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची

1264. श्री मित्रसेन यादव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित देश में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने हेतु दो वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान प्रतीक्षा सूची में शामिल ग्राहकों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रतीक्षा सूची निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फोनों के मामले में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है। तथापि, वायरलाइन और वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) के मामले में देश के कुछ राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में दो वर्ष से अधिक की प्रतीक्षा सूची है किंतु इस प्रतीक्षा सूची में उत्तर प्रदेश राज्य शामिल नहीं है। 30.09.2008 की स्थिति के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलाइन और वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) की प्रतीक्षा सूची में दर्ज उपभोक्ताओं की कुल संख्या 246886 है।

(ग) प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) 2008-09 के दौरान 19.2 लाख लाइनों के लिए डब्ल्यूएलएल उपकरणों को अधिप्राप्त कर रहा है। इन उपकरणों के संस्थापित हो जाने पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों के डब्ल्यूएलएल द्वारा कवर हो जाने की आशा है और तब इन क्षेत्रों में स्थिर टेलीफोन मांग पर उपलब्ध होगा।

(2) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) ने उत्तर प्रदेश सहित देश के वाणिज्यिक दृष्टि से अव्यवहार्य 1685 एसडीसीए में ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान करने के लिए बीएसएनएल और अन्य निजी सेवा प्रदाताओं के साथ एक करार किया है।

पुराने वस्त्रों का आयात

1265. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों से पुराने वस्त्रों के आयात के कारण घरेलू वस्त्र उद्योग को काफी नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी वजह से विदेशी मुद्रा को भी काफी नुकसान हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पुराने वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) से (घ) उपयोग किए गए परिधानों का आयात घरेलू परिधान उद्योग को प्रभावित करता है। सैनिटरी और फियटो-सैनिटरी मामले भी शामिल हैं। इसलिए सरकार ने उपयोग किए गए परिधानों के आयात को दिनांक 27 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना सं. 7/2004-09 द्वारा "आयात की प्रतिबंधित सूची" के तहत लाकर प्रतिबंध लगाया। उपयोग किए गए परिधानों का आयात 2003-04 में 278.62 करोड़ रुपए का था जो वर्ष 2007-08 में तेजी से गिरकर 74.69 करोड़ रुपए रह गया है।

[अनुवाद]

सीमा सड़कों हेतु निधियां

1266. श्री रेवती रमण सिंह:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण, अनुरक्षण और उन्नयन हेतु राज्यवार और सीमावार कितनी निधियां आबंटित की गई हैं;

(ख) उक्त आबंटन के अंतर्गत राज्यवार कितनी निधियां जारी की गई हैं और प्रयोग में लाई गई हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान निर्मित, अनुरक्षित और उन्नत बनाई गई सड़कों का राज्यवार और सीमावार ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) इसके ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

विवरण I

गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़कों के निर्माण, अनुरक्षण और उन्नयन के लिए आबंटित/ प्रयुक्त निधियों की स्थिति राज्य-वार और सीमा-वार

क्र.सं.	राज्य	सीमा	निर्माण, उन्नयन और अनुरक्षण के लिए आबंटित और प्रयुक्त निधियां (करोड़ रुपए)			
			2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	राजस्थान	भारत-पाकिस्तान	60.06	64.09	47.12	76.88
2.	पंजाब	भारत-पाकिस्तान	13.79	18.13	14.94	12.66
3.	जम्मू-कश्मीर	भारत-पाकिस्तान	274.82	295.03	235.93	429.71
		भारत-चीन	51.27	52.92	40.59	72.10
4.	हिमाचल प्रदेश	भारत-चीन	38.17	43.16	32.62	76.38
5.	उत्तराखंड	भारत-चीन	43.49	52.86	42.97	125.77
6.	सिक्किम	भारत-चीन	60.16	54.33	40.50	87.72
7.	*असम	भारत-चीन	52.62	37.87	21.09	33.39
		भारत-भूटान	5.21	5.26	12.30	56.50
8.	पश्चिम बंगाल	भारत-भूटान	3.31	3.53	8.19	10.20
9.	अरुणाचल प्रदेश	भारत-चीन	153.00	137.92	105.20	275.40
10.	मेघालय	भारत-बंगलादेश	8.57	3.69	5.72	8.97
11.	त्रिपुरा	भारत-बंगलादेश	8.26	10.15	5.83	5.52
12.	मणिपुर	भारत-म्यांमार	25.34	15.36	10.37	10.60
13.	नागालैंड	भारत-म्यांमार	44.44	23.94	22.43	41.58
14.	मिजोरम	भारत-बंगलादेश	22.24	32.34	16.63	12.05
		भारत-म्यांमार	22.93	31.40	31.16	51.09
		कुल	887.68	881.98	693.59	1386.52

*टिप्पणी: असम राज्य से शुरू होकर निकलने वाली भारत-चीन से संबंधित सड़कों के लिए निधियां।

विवरण II

गत तीन वर्षों के दौरान सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़कों के निर्माण, उन्नयन और अनुरक्षण के राज्य-वार और सीमा-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	सीमा	कि.मी. में निर्मित/उन्नयित सड़कें			कि.मी. में अनुरक्षित सड़कें		
			2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08
1.	राजस्थान	भारत-पाकिस्तान	65.00	144.00	120.00	3312.00	3312.00	3312.00
2.	पंजाब	भारत-पाकिस्तान	10.00	16.00	19.00	333.00	333.00	333.00
3.	जम्मू-कश्मीर	भारत-पाकिस्तान	208.00	228.00	270.00	4467.00	4467.00	4467.00
		भारत-चीन	50.00	40.00	40.00	960.00	960.00	960.00
4.	हिमाचल प्रदेश	भारत-चीन	19.00	27.00	38.00	588.00	588.00	588.00
5.	उत्तराखंड	भारत-चीन	30.00	40.00	60.00	510.00	510.00	510.00
6.	सिक्किम	भारत-चीन	66.00	30.00	6.00	773.00	773.00	773.00
7.	असम	भारत-चीन	55.00	40.00	19.00	188.00	188.00	188.00
		भारत-भूटान	5.00	5.00	4.00	49.00	49.00	49.00
8.	पश्चिम बंगाल	भारत-भूटान	3.00	4.00	2.00	18.00	18.00	18.00
9.	अरुणाचल प्रदेश	भारत-चीन	126.00	93.00	90.00	2352.00	2352.00	2352.00
10.	मेघालय	भारत-बंगलादेश	5.00	1.70	2.00	124.00	124.00	124.00
11.	त्रिपुरा	भारत-बंगलादेश	26.00	3.00	2.00	259.00	259.00	259.00
12.	मणिपुर	भारत-म्यांमार	30.00	8.00	30.00	64.00	64.00	64.00
13.	नागालैंड	भारत-म्यांमार	62.00	9.00	34.00	703.00	703.00	703.00
14.	मिजोरम	भारत-बंगलादेश	20.00	3.00	13.00	417.00	417.00	417.00
		भारत-म्यांमार	20.00	30.00	25.00	543.00	543.00	543.00
		जोड़	795.00	721.70	774.00	15660.00	15660.00	15660.00

[हिन्दी]

प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना

1267. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री वी.के. थुम्मर:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) इस योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना में अप्रैल

से अक्तूबर, 2007 के लिए नई स्वीकृति के लिए प्रचालन के तौर पर स्थगित कर दिया गया था। तथापि सरकार ने 1.7.2008 से ग्यारहवीं योजना में प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (टीयूएफएस) को जारी रखने का अनुमोदन कर दिया है।

[अनुवाद]

"ट्राई" के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली प्रसारण कंपनियां

1268. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न प्रसारण कंपनियों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार को कितना लाभ प्राप्त हो रहा है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी हां। प्रसारण कंपनियां केवल सामग्री के संप्रेषण और मूल्य निर्धारण के संदर्भ में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के अधीन हैं।

(ख) भारत सरकार ने प्रसारण सेवाओं को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम, 1997 की धारा 2(1)(ट) के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया है। अत: ट्राई अधिनियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार अब सभी प्रसारण और केबल सेवाएं ट्राई द्वारा विनियमित की जा रही हैं।

(ग) ट्राई एक सांविधिक निकाय के रूप में ट्राई अधिनियम के अंतर्गत प्रसारण सेवाओं से संबंधित सामग्री के संप्रेषण और मूल्य-निर्धारण के मामलों को विनियमित करता है तथा प्रसारण क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है ताकि प्रसारण क्षेत्र का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित किया जा सके। ट्राई ने प्रशुल्क आदेश, अंतर्संयोजन विनियमन और सेवा गुणवत्ता के विनियमन संबंधी आदेश जारी करके प्रसारण क्षेत्र में एक अनुकूल विनियामक ढांचा सृजित किया है। ट्राई ने हेड एन्ड इन दि स्काइ (एचआईटीएस), इंटरनेट प्रोटोकोल टेलीविजन (आईपीटीवी), मोबाइल टीवी, डाइरेक्ट टू होम सर्विसेज, केबल टीवी सेवाओं के लिए सीएएस विशिष्ट विनियमन आदि के संबंध में अपनी सिफारिशें की हैं। ट्राई के इन विनियामक उपायों/पहलों के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को सेवा गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी किए बिना वहनीय मूल्य पर सेवाएं प्रदान होंगी।

[हिन्दी]

कुशल कर्मचारियों की कमी

1269. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री काशीराम राणा:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुशल कर्मचारियों की कमी के कारण देश के डाकघरों का कार्यकरण गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) बढ़ते कार्यभार तथा बदल रहे कार्य परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उक्त कमी को दूर करने तथा डाकघरों का आधुनिकीकरण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) डाकघरों में बदलते कार्य परिदृश्य और कार्यभार का प्रौद्योगिकी के समावेश का विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में केंद्रीकृत प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों की कुशलता को अद्यतन बना कर प्रबंधन किया जाता है। डाकघरों के कंप्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप काउंटरों पर लेन-देन का समय घटा है, प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों एवं सेवाओं की शुरूआत में मदद मिली है और कर्मचारियों की उत्पादकता एवं ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि हुई है। 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार 9639 डाकघरों को कंप्यूटरीकृत किया गया है।

[अनुवाद]

सिंचाई प्रणाली का कायाकल्प

1270. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:
डा. रतन सिंह अजनाला:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेहूं खरीद में पंजाब के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए और इस तरह गेहूं आयात पर की गई बचत को सिंचाई प्रणाली का कायाकल्प करने पर निवेश करने के लिए पंजाब सरकार से केन्द्र सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। पंजाब के मुख्य मंत्री ने अनुरोध किया है कि गेहूं प्राप्ति के लिए उसके महत्वपूर्ण अंशदान को देखते हुए गेहूं के आयात से बचे पैसों का उपयोग राज्य की सिंचाई प्रणाली के पुनर्नवीकरण के लिए किया जाना चाहिए।

(ख) पंजाब के मुख्य मंत्री ने केन्द्र से राज्यों की कृषि अवसंरचना विशेषकर सिंचाई प्रणाली को अधिक वास्तविक बजटीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। जहां तक मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित सरहिन्द फीडर और राजस्थान नहर तथा अन्य जल जमाव प्रतिरोधक उपायों का संबंध है इसकी जांच की गई है और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के माध्यम से प्रस्ताव का वित्तपोषण व्यवहार्य नहीं समझा गया। तत्पश्चात पंजाब के मुख्य मंत्री ने जल संसाधन मंत्रालय के साथ राजस्थान फीडर और सरहिन्द फीडर कैनाल के लिए 100% केन्द्रीय सहायता के मुद्दे पर बातचीत की। तथापि, जल संसाधन मंत्रालय के साथ सिंचाई परियोजनाओं के 100% वित्तपोषण के लिए कोई स्कीम नहीं है। एआईबीपी के तहत वित्तपोषण की प्रक्रिया लागू कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार योजना आयोग से निवेश क्लियरेंस प्राप्त करने के पश्चात् की गई है।

चाय मजदूरों/कामगारों के लिए विशेष पैकेज

1271. श्री सर्वानन्द सोनोवाल: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चाय मजदूरों/कामगारों के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शुद्ध पेयजल सुविधाओं हेतु किसी विशेष पैकेज की पेशकेश का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चाय श्रमिकों/कामगारों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करने के लिए राज्यों को निदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से प्राप्त सूचनानुसार, चाय मजदूरों/श्रमिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य और शुद्ध पेयजल संबंधी सुविधाओं के लिए विशेष पैकेज का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत, केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों के निर्धारण/संशोधन हेतु क्रमश: केन्द्र और राज्य सरकारें-दोनों समुचित सरकारें हैं। चूंकि चाय श्रमिक राज्य क्षेत्र के दायरे में आते हैं, इसलिए ऐसे अनुसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों के निर्धारण/संशोधन हेतु राज्य सरकारें ही समुचित सरकारें हैं। साथ ही, देश भर में एक समान मजदूरी ढांचा कायम करने और न्यूनतम मजदूरी में असमानता दूर करने के लिए, 1991 में राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रीय समान स्तरीय न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा शुरू की गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर, केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में, राष्ट्रीय समानस्तरीय न्यूनतम मजदूरी को संशोधित कर, 66/- रुपए से 80/- रुपये प्रतिदिन कर दिया है जो 1.9.2007 से प्रभावी है। यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय समान स्तरीय न्यूनतम मजदूरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी के उच्चतर संशोधन को बढ़ावा देना गैर-सांविधिक उपाय है।

बागान श्रम अधिनियम, 1951 में संशोधन

1272. श्री अधीर चौधरी:
श्री निखिल कुमार:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बागान कामगारों/श्रमिकों की स्थिति दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बागान कार्य में लगे कामगारों/श्रमिकों की मदद के लिए बागान श्रम अधिनियम, 1951 में उपयुक्त संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कोई परामर्श किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ङ) बागान श्रम अधिनियम, 1951 में बागान श्रमिकों के कल्याण का प्रावधान किया गया है और यह बागानों में कार्य दशाओं का विनियमन करता है। सरकार बागान, श्रम अधिनियम, 1951 में संशोधन प्रस्तावों पर विचार कर रही थी। प्रस्तावों को सामाजिक भागीदारों तथा संबंधित राज्य सरकारों के

साथ गहन विचार-विमर्श के उपरांत अंतिम रूप दिया जा चुका है। बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 2008 को राज्य सभा में 21.10.2008 को प्रस्तुत किया गया है।

बाल श्रम उन्मूलन के लिए नई योजना एवं कार्यक्रम

1273. श्री भर्तृहरि महताब: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश से बाल श्रम के पूर्णरूपेण उन्मूलन के लिए कोई नई योजना एवं कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की गई; और

(ग) उक्त योजना एवं कार्यक्रम का कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार देशभर में 20 राज्यों के 250 जिलों से बाल श्रम के उन्मूलन हेतु पहले से ही राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम का क्रियान्वयन कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत अधिसूचित जोखिमकारी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों को कार्य से हटाने तथा उन्हें विशेष विद्यालयों में डालकर नियमित शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने से पूर्व उन्हें त्वरित शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, दोपहर का भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देख-रेख संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस समस्या की विकरालता को देखते हुए सरकार क्रमिक रूप से पहले जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बच्चों को तथा बाद में गैर-जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बच्चों पर ध्यान देने का विचार रखती है।

प्यारा घर योजना के लिए सरकार ने प्रवासी बच्चों के लिए आवासीय स्कूल, ट्रैकिंग एवं निगरानी तंत्र, किशोरों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुरस्कार योजनाएं, अधिक से अधिक व्यापक जागरूकता सृजन अभियान आदि के माध्यम से कुछ अन्य कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव किया है।

नदियों का जलस्तर

1274. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ समय से गंगा सहित विभिन्न नदियों का जलस्तर धीरे-धीरे कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नदी-वार इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस समस्या से किस प्रकार निपटने पर विचार कर रही है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) औसत वार्षिक प्रवाह आंकड़ों का विश्लेषण नदियों के जल स्तर में गिरावट की प्रवृत्ति को नहीं दर्शाता है।

[हिन्दी]

मोबाइल टावर लगाया जाना

1275. मो. मुकीम: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग संचार जिले में मोबाइल टावर लगाए जाने के संबंध में केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने प्रस्ताव पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(च) पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश में स्थान-वार कितने मोबाइल टावर लगाए गए हैं और चालू वर्ष के दौरान कितने टावर लगाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) कर्नाटक के चित्रदुर्ग दूरसंचार जिले में मोबाइल टावर लगाये जाने के बारे में भारत संचार निगम लिमिटेड को कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, चित्रदुर्ग/दावनगीर दूरसंचार जिले में इस समय 72 बेस ट्रांससीवर स्टेशन (बीटीएस) चालू हैं। इनमें से 38 बेस ट्रांससीवर स्टेशन चित्रदुर्ग राजस्व जिले में हैं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) 30.09.2008 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगाये गये मोबाइल टावरों की एसएसए-वार संख्या 4339 है। ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

भारत संचार निगम लिमिटेड ने चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में 2372 अतिरिक्त टावर स्थापित करने की योजना बनायी है।

विवरण I

30.09.2008 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश (पूर्वी) दूरसंचार सर्किल, बीएसएनएल में स्थापित मोबाइल टावरों की एसएसए-वार संख्या का ब्यौरा

क्र.सं.	एसएसए का नाम	जीएसएम मोबाइल टावरों की संख्या
1	2	3
1.	इलाहाबाद	210
2.	आजमगढ़	109
3.	बाराबंकी	100
4.	बहराइच	54
5.	बलिया	59
6.	बांदा	79
7.	बस्ती	98
8.	देवरिया	100
9.	फरुखाबाद	75
10.	फतेहपुर	49
11.	फैजाबाद	100
12.	गोंडा	109
13.	गोरखपुर	132
14.	गाजीपुर	73
15.	हरदोई	72
16.	हमीरपुर	49
17.	झांसी	77
18.	जौनपुर	76
19.	कानपुर	230
20.	लखीमपुर	56
21.	लखनऊ	270
22.	मऊ	57
23.	मिर्जापुर	107
24.	उरई	35
25.	प्रतापगढ़	61
26.	रायबरेली	86
27.	शाहजहांपुर	58
28.	सीतापुर	86
29.	सुल्तानपुर	74
30.	उन्नाव	71
31.	वाराणसी	238
	कुल	3050

विवरण II

30.09.2008 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार सर्किल, बीएसएनएल में स्थापित मोबाइल टावरों की एसएसए-वार संख्या का ब्यौरा

क्र.सं.	एसएसए का नाम	जीएसएम मोबाइल टावरों की संख्या
1	2	3
1.	आगरा	139
2.	अलीगढ़	91
3.	बदायूं	48
4.	बरेली	90
5.	बिजनौर	87
6.	बुलंदशहर	61
7.	एटा	56

1	2	3
8.	इटावा	66
9.	गाजियाबाद	46
10.	मैनपुरी	51
11.	मथुरा	65
12.	मेरठ	124
13.	मुरादाबाद	113
14.	मुजफ्फरनगर	75
15.	नोएडा	26
16.	पालीभीत	54
17.	रामपुर	31
18.	सहारनपुर	66
	कुल	1289

बंधुआ मजदूर

1276. श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री महावीर भगोरा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में बंधुआ मजदूरों की राज्य-वार कुल कितनी संख्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में केन्द्र सरकार तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा मुक्त एवं पुनर्वास कराए गए बंधुआ मजदूरों तथा बंधुआ बाल मजदूरों की अलग-अलग, राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग राज्य-वार एवं वर्ष-वार कितनी राशि आबंटित, जारी एवं उपयोग की गई?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) बंधुआ श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 बाल बंधुआ और वयस्क बंधुआ या शहरी, ग्रामीण अथवा जनजातीय क्षेत्र के बंधुआ मजदूरों के बीच कोई अन्तर नहीं करता। बंधुआ मजदूर पुनर्वास संबंधी केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत चिन्हित किए गए तथा मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु राज्य को 50:50 आधार पर केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2008-2009 के दौरान 180.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा उसके पश्चात् बाल बंधुआ मजदूरों तथा जनजातीय क्षेत्रों के बंधुआ मजदूरों सहित मुक्त कराए गए तथा पुनर्वासित किए गए बंधुआ मजदूरों की राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	राज्य का नाम	मुक्त कराए गए तथा पुनर्वासित किए गए बंधुआ मजदूरों की संख्या	निर्गत राशि (लाख रुपये में)
2005-06	बिहार	141	14.1
	हरियाणा	31	3.1
	मध्य प्रदेश	38	3.8
	महाराष्ट्र	06	0.6
	उत्तर प्रदेश	149	14.9
	पश्चिम बंगाल	32	3.2
2006-07	उत्तर प्रदेश	104	10.4
	पश्चिम बंगाल	93	9.3
2007-08	पश्चिम बंगाल	88	8.8
	उत्तर प्रदेश	277	27.7
	बिहार	150	15
	मध्य प्रदेश	192	19.2
	हरियाणा	09	0.9
2008-09 (10.10.2008 तक)	बिहार	409	36*

टिप्पणी: उपयोग प्रमाण-पत्र न प्राप्त होने के कारण 4.90 लाख रुपये की राशि निर्गत नहीं की गई।

[अनुवाद]

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 से छूट

1277. श्री एस. अजय कुमार: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र के कई अस्पतालों ने केन्द्र सरकार से कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) अधिनियम, 1948 से छूट देने का अनुरोध किया है क्योंकि उनके कर्मचारियों को पहले से ही चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) 29 अस्पतालों ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 से छूट हेतु सरकार से अनुरोध किया है।

राज्य सरकारों द्वारा पहले ही चार अस्पतालों को छूट दी गई है। अन्यों के मामले में, राज्य सरकारों ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम से टिप्पणी मांगी है, जिस पर आगे राज्य सरकारों को भेजे जाने हेतु प्रक्रिया चल रही है।

पश्चिम बंगाल में समुद्र एवं नदी कटाव

1278. श्री प्रशान्त प्रधान: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में समुद्र एवं नदी कटाव के कारण कई क्षेत्रों में पारिस्थिति की संतुलन को खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इस संबंध में कुल कितनी राशि व्यय की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ प्रबंधन और कटाव नियंत्रण स्कीमों की आयोजना, अन्वेषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनकी स्वयं की निधियों से किया जाता है। केन्द्र द्वारा दी गई सहायता मुख्यत: तकनीकी, उत्प्रेरणात्मक और संवर्द्धनात्मक स्वरूप की होती है।

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार राज्य योजना के तहत उपलब्ध निधियों तथा योजना आयोग, जल संसाधन मंत्रालय और वित्त आयोग के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा मुहैया कराई गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से कटाव रोधी कार्य शुरू कर रहा है। राज्य सरकार नाबार्ड से ऋण के व्यवस्था के द्वारा भी कटावरोधी कार्य शुरू कर रही है। 11वीं योजना के दौरान राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा 02.11.2007 को राज्य क्षेत्र स्कीम अर्थात् "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" को 8,000 करोड़ रुपये का सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य गंभीर खंडों में राज्य सरकारों को नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी कार्यों, समुद्र कटाव रोधी कार्यों, जल निकास विकास, बाढ़ रोधी, बाढ़ प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, क्षतिग्रस्त बाढ़ प्रबंधन कार्यों का पुनरुद्धार आदि जिनमें सभी अनिवार्य स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हो, के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करना है।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मुहैया कराई गई सूचना के अनुसार, वित्तपोषण के लिए स्रोतों से कटाव रोधी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में कुल व्यय की गई राशि इस प्रकार है:

	वित्तीय वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
(1)	2005-06	36.54
(2)	2006-07	41.35
(3)	2007-08	98.03
(4)	2008-09 (आज की तारीख तक)	32.78

सुपारी का उत्पादन

1279. श्री पी.सी. थामस: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सुपारी के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सुपारी के उत्पादन में वृद्धि के लिए आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। कृषि और सहकारिता विभाग ने यलो लीफ रोग से ग्रस्त सुपारी के बागों के पुन: रोपण/पुनरुद्धार के लिए प्रस्ताव प्राप्त किया था। तीन वर्षों की अवधि के लिए 1170.83 लाख रुपये की सहायता इस रोग से ग्रस्त 9542 हैक्टेयर क्षेत्र कवर करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अधीन अनुमोदित की गई है।

(ग) सुपारी का उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, राष्ट्रीय बागवानी मिशन से सहायता से ''मौजूदा सुपारी बागों में बहुप्रजाति फसलन प्रणालियों के फ्रंटलाईन प्रदर्शन के जरिए प्रौद्योगिकी प्रसार'' नामक कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है।

विशेष औद्योगिक विवाद प्रकोष्ठ

1280. श्री निखिल कुमार: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में औद्योगिक विवादों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसे विवादों का समाधान करने के लिए राज्यों को विशेष औद्योगिक विवाद प्रकोष्ठ की स्थापना का निदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडीस): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2004-05 से केन्द्रीय क्षेत्र में होने वाले औद्योगिक विवादों की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति नहीं दिखती। राज्य क्षेत्र के औद्योगिक विवादों से संबंधित आंकड़े केन्द्र स्तर पर नहीं रखे जाते है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राज्यों को विशेष औद्योगिक विवाद प्रकोष्ठ गठित करने का कोई निदेश नहीं दिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नैमित्तिक तथा ठेका कामगारों को नियमित किया जाना

1281. श्री बापू हरी चौरे:
श्री स्वदेश चक्रवर्ती:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में केन्द्र सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अलग-अलग, राज्य-वार कितने नान-मस्टर-रोल तथा नैमित्तिक कामगारों को नियुक्त किया गया है;

(ख) उन्हें भुगतान की गई न्यूनतम मजदूरी/वेतन का ब्यौरा क्या है;

(ग) मजदूर ठेकेदारों के माध्यम से ठेका एवं नैमित्तिक कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र विद्यमान है;

(घ) क्या सरकार ने ठेका कामगारों सहित उक्त कामगारों को नियमित करने के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडीस): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

इण्डस परियोजना को बंद किया जाना

1282. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका (यू एस ए) द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही इण्डस परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका में बाल श्रम मुद्दों के संबंध में प्रतिकूल प्रचार के कारण बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को बन्द करने के स्थान पर इसे घरेलू वित्तपोषण की सीमा तक इस परियोजना में कटौती का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) जी नहीं। इण्डस परियोजना सितम्बर, 2004 से अगस्त, 2007 तक केवल तीन वर्षों की अवधि के लिए थी। इस परियोजना को मार्च, 2008 तक तथा पुन: छ: माह की अवधि के लिए 30 सितम्बर, 2008 तक बढ़ा दिया गया था। इस प्रकार यह परियोजना अब बढ़ायी गयी अवधि के अनुसार 30.9.2008 को समाप्त हो गयी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गेहूं की खरीद

1283. श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान गेहूं का रिकार्ड उत्पादन तथा खरीद हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस गेहूं के सुरक्षित भण्डारण के लिए उचित व्यवस्था की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गेहूं की रिकार्ड खरीद के बावजूद भी गेहूं की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार उपभोक्ताओं को किस प्रकार से लाभान्वित करने का विचार रखती है;

(छ) क्या सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की अतिरिक्त मात्रा का निर्यात किए जाने का भी प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। कृषि और सहकारिता मंत्रालय के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार फसल वर्ष 2007-08 में गेहूं का उत्पादन 784 लाख टन है। तदनुरूपी रबी विपणन मौसम 2008-09 में केंद्रीय पूल के लिए सरकारी एजेंसियों (भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों) द्वारा 226.82 लाख टन गेहूं खरीदा गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय पूल के लिए खरीदे गए गेहूं को ढके हुए स्थान और प्लिंथ के गोदामों में ढक कर रखा गया है ताकि इसका उचित भंडारण सुनिश्चित किया जा सके।

(ङ) और (च) 2008-09 में गेहूं के मूल्य स्थिर रहे हैं। प्रमुख केन्द्रों में गेहूं के माह के अंत के थोक मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(छ) फिलहाल, गेहूं निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

महीने के अंत में गेहूं का थोक मूल्य — रुपए प्रति क्विंटल

केन्द्र महीना	दिल्ली गेहूं	मुम्बई गेहूं	चेन्नई गेहूं	भुवनेश्वर गेहूं	तिरूवनन्तपुरम गेहूं	हैदराबाद गेहूं
1	2	3	4	5	6	7
अप्रैल, 2007	955	1250	1400	1320	1500	1030
मई, 2007	915	1250	1400	1300	1400	1030
जून, 2007	950	1250	1450	1260	1480	1030
जुलाई, 2007	1020	1300	1450	1330	1480	1030
अगस्त, 2007	1020	1300	1450	1340	1480	1030
सितम्बर, 2007	1020	1350	1450	1360	1520	1030
अक्तूबर, 2007	1030	1375	1550	1400	1520	1030
नवम्बर, 2007	1030	1375	1600	1400	1720	1030
दिसम्बर, 2007	1030	1400	1600	1400	1570	1030

1	2	3	4	5	6	7
जनवरी, 2008	1110	1450	1620	1400	1570	1030
फरवरी, 2008	1120	1425	1550	1450	1520	1030
मार्च, 2008	1115	1425	1600	1450	1520	1130
अप्रैल, 2008	1065	1425	1650	1450	1600	1130
मई, 2008	1075	1425	1620	1150	1600	1130
जून, 2008	1085	1425	1600	1250	सूचित नहीं	1130
जुलाई, 2008	1100	1350	1650	1300	सूचित नहीं	1250
अगस्त, 2008	1100	1300	1650	1300	1735	1250
सितम्बर, 2008	1090	1300	1650	1200	1680	1250
अक्तूबर, 2008*	1090	1300	1650	1200	1680	1250

*08.10.2008 की स्थिति के अनुसार

[हिन्दी]

ईंट-भट्ठा श्रमिकों के लिए कानून

1284. श्री रामदास आठवले: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ईंट भट्टा श्रमिकों के लिए अलग से कानून बनाने के लिए कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में अखिल भारतीय ईंट तथा टाइल विनिर्माता संघ, नई दिल्ली तथा जन प्रतिनिधियों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) जी, नहीं। वर्तमान में ईंट-भट्ठा श्रमिकों के लिए एक पृथक कानून बनाने हेतु कदम उठाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) अभ्यावेदन में ईंट-भट्ठा श्रमिकों हेतु एक पृथक कानून बनाये जाने की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने का अनुरोध किया गया था।

(ङ) सरकार असंगठित कामगारों हेतु योजनाएं तैयार करने के लिए संसद में पहले ही एक विधेयक प्रस्तुत कर चुकी है। विधेयक में सलाहकार बोर्डों के गठन पर भी विचार किया गया है। अधिकांश ईंट-भट्ठा कामगार 'असंगठित कामगारों' की श्रेणी में आयेंगे अत: ऐसे कामगारों से संबंधित मुद्दों पर सलाहकार बोर्डों द्वारा भी विचार किया जायेगा।

गरीब व्यक्तियों को एसटीडी/पीसीओ/आईएसडी टेलीफोन बूथ

1285. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित देश में आजीविका के स्रोत के रूप में गरीब व्यक्तियों और विकलांगों को एसटीडी, पीसीओ तथा आईएसडी टेलीफोन बूथ प्रदान किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में तत्संबंधी राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां। बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा सामान्य पात्र आवेदकों को जो पीसीओ आबंटित किए गए हैं उनमें निर्धन और विकलांग व्यक्ति भी शामिल हैं।

(ख) बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा पब्लिक काल आफिस (पीसीओ) के आंकड़े सर्किलवार रखे जाते हैं न कि राज्य-वार तथा इनमें ग्राम पंचायत टेलीफोन के आंकड़ों को शामिल नहीं किया जाता है। विकलांग व्यक्तियों को आवंटित पीसीओ की संख्या का एसएसए-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। बीएसएनएल/एमटीएनएल निर्धन व्यक्तियों द्वारा संचालित पीसीओ संबंधी आंकड़े नहीं रखते हैं।

विवरण

30.09.2008 की स्थिति के अनुसार विकलांगों द्वारा संचालित किए जाने वाले पीसीओ का ब्यौरा

सर्किल	क्र.सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	पीसीओ की संख्या
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.	अंडमान और निकोबार	0
आंध्र प्रदेश	1.	आदिलाबाद	0
	2.	अनंतपुर	6
	3.	चित्तूर	7
	4.	कुड्डापा	5
	5.	ईस्ट गोदावरी	5
	6.	गुंटूर	8
	7.	हैदराबाद	2246
	8.	करीमनगर	5
	9.	खम्माम	6
	10.	कृष्णा	78
	11.	कुर्नूल	7
	12.	महबूब नगर	20
	13.	मेदक	29
	14.	नालगोंडा	56
	15.	नेल्लौर	6
	16.	निजामाबाद	0
	17.	प्रकासम	13
	18.	श्रीकाकुलम	0
	19.	विशाखापट्टनम	25
	20.	विजयनगरम	5
	21.	वारांगल	68
	22.	वेस्ट गोदावरी	25
		जोड़	3020

1	2	3	4
असम	1.	बोंगाईगांव	1
	2.	डिब्रूगढ़	0
	3.	गुवाहाटी (कामरूप)	1
	4.	जोरहाट	0
	5.	नौगांव	1
	6.	सिलचर	14
	7.	तेजपुर	0
		जोड़	17
बिहार	1.	आरा	14
	2.	बेगूसराय	0
	3.	छपरा	78
	4.	दरभंगा	53
	5.	गया	0
	6.	कटिहार	0
	7.	मधुबनी	0
	8.	मोतीहारी	2
	9.	मुजफ्फरपुर	4
	10.	मुंगेर	2
	11.	पटना	1
	12.	सासाराम	0
	13.	सहरसा	7
	14.	हाजीपुर	0
	15.	खगड़िया	0
	16.	बेतिया	0
	17.	केएसएनजी	2
	18.	एसएएम	17
	19.	भागलपुर	1
		जोड़	181

1	2	3	4
झारखंड	1.	रांची	9
	2.	धनबाद	47
	3.	जमशेदपुर	0
	4.	हजारीबाग	18
	5.	डाल्टनगंज	0
	6.	दुमका	5
		जोड़	79
गुजरात	1.	अहमदाबाद	918
	2.	अमरेली	16
	3.	भरूच	6
	4.	भावनगर	111
	5.	भुज	33
	6.	गोधरा	0
	7.	हिम्मतनगर	0
	8.	जामनगर	134
	9.	जूनागढ़	4
	10.	मेहसाणा	0
	11.	नाडियाड	1
	12.	पालनपुर	1
	13.	राजकोट	0
	14.	सूरत	28
	15.	सुरेन्द्र नगर	0
	16.	बडोदरा	2
	17.	वलसाड	11
		जोड़	1265
हरियाणा	1.	अंबाला	4
	2.	फरीदाबाद	9
	3.	हिसार	120

1	2	3	4
	4.	जींद	7
	5.	करनाल	0
	6.	रेवाड़ी	10
	7.	रोहतक	0
	8.	सोनीपत	0
	9.	गुडगांव	0
		जोड़	150
हिमाचल प्रदेश	1.	धर्मशाला	2
	2.	हमीरपुर	4
	3.	कुल्लू	0
	4.	मंडी	2
	5.	शिमला	0
	6.	सोलन	9
		जोड़	17
जम्मू-कश्मीर	1.	जम्मू	1
	2.	लेह	0
	3.	रजोरी	0
	4.	श्रीनगर	20
	5.	उधमपुर	0
		जोड़	21
कर्नाटक	1.	बेंगलुरू	108
	2.	हुबली	445
	3.	मादिकेरी	0
	4.	मांड्या	0
	5.	मंगलौर	54
	6.	मैसूर	2
	7.	शिमोगा	9
	8.	कोलार	0

1	2	3	4
	9.	बेल्लारी	2
	10.	बीदर	15
	11.	बीजापुर	26
	12.	चिकमंगलूर	0
	13.	देवांगिरि	0
	14.	गुलबर्ग	20
	15.	हासन	224
	16.	रायचूर	0
	17.	तुमकूर	0
	18.	कारवाड़	135
	19.	बेलगांव	0
		जोड़	1040
केरल	1.	अल्लेप्पी	0
	2.	कालीकट	617
	3.	एरनाकुलम	136
	4.	कन्नूर	56
	5.	कोल्लम	47
	6.	कोट्टायम	205
	7.	पालघाट	0
	8.	पठानमथिट्टा	0
	9.	त्रिचुर	170
	10.	त्रिवेंद्रम	114
	11.	मालाप्पुरम	182
		जोड़	1527
मध्य प्रदेश	1.	बालघाट	2
	2.	बेतूल	0
	3.	भोपाल	395
	4.	छतरपुर	3

1	2	3	4
	5.	छिंदवाड़ा	0
	6.	दमोह	6
	7.	देवास	0
	8.	धार	1
	9.	गुना	0
	10.	ग्वालियर	50
	11.	होशंगाबाद	0
	12.	इंदौर	17
	13.	जबलपुर	87
	14.	झबुआ	44
	15.	खंडवा	0
	16.	खारगोन	4
	17.	मांडला	0
	18.	मंदसौर	17
	19.	मुरैना	0
	20.	नरसिंहपुर	15
	21.	पन्ना	2
	22.	रायसेन	0
	23.	राजगढ़	3
	24.	रतलाम	7
	25.	रीवा	0
	26.	सागर	3
	27.	सतना	0
	28.	सियोनी	9
	29.	शहडोल	0
	30.	शाजापुर	0
	31.	शिवपुरी	0
	32.	सीधी	2
	33.	उज्जैन	34
	34.	विदिशा	0
		जोड़	701

1	2	3	4
छत्तीसगढ़	1.	बस्तर (जगदलपुर)	10
	2.	बिलासपुर	1
	3.	दुर्ग	4
	4.	सरगुजा	0
	5.	रायगढ़	0
	6.	रायपुर	1
		जोड़	16
महाराष्ट्र	1.	अहमदनगर	252
	2.	अकोला	9
	3.	अमरावती	5
	4.	औरंगाबाद	26
	5.	बीड़	300
	6.	भंडारा	0
	7.	बुल्डाना	40
	8.	चंद्रपुर	5
	9.	धुले	658
	10.	गढ़चिरौली	0
	11.	गोआ	9
	12.	जलगांव	1
	13.	जालना	3254
	14.	कल्याण	913
	15.	कोल्हापुर	252
	16.	लातुर	6
	17.	नागपुर	6
	18.	नांदेड	5
	19.	नासिक	198
	20.	उस्मानाबाद	11
	21.	परभनी	31

1	2	3	4
	22.	पुणे	1626
	23.	रायगढ़	201
	24.	रतनगिरी	11
	25.	सांगली	247
	26.	सतारा	43
	27.	सिंधुदुर्ग	0
	28.	सोलापुर	0
	29.	वर्धा	38
	30.	यवतमाल	0
		जोड़	8157
पूर्वोत्तर-I	1.	मेघालय	0
	2.	मिजोरम	0
	3.	त्रिपुरा	0
		जोड़	0
पूर्वोत्तर-II	1.	एआरपी	0
	2.	एमएनपी	1
	3.	एनएलडी	0
		जोड़	1
उड़ीसा	1.	बालासोर	5
	2.	बारीपाड़ा (मयूरभंज)	0
	3.	बेहरामपुर (गंजम)	0
	4.	भवानीपटना (कालाहंडी)	0
	5.	भुवनेश्वर (पुरी)	23
	6.	बोलांगीर	0
	7.	कटक	20
	8.	ढेंकनाल	0
	9.	कोरापुट	3
	10.	राउरकेला (सुंदरगढ़)	3

1	2	3	4
	11.	संभलपुर	0
	12.	फुलबनी	0
	13.	क्योंझर	0
		जोड़	54
पंजाब	1.	अमृतसर	6
	2.	भटिंडा	0
	3.	चंडीगढ़	10
	4.	फिरोजपुर	0
	5.	होशियारपुर	1
	6.	जालंधर	10
	7.	लुधियाना	1
	8.	पटियाला	42
	9.	पठानकोट	0
	10.	रोपड़	0
	11.	संगरूर	17
		जोड़	87
राजस्थान	1.	अजमेर	0
	2.	अलवर	28
	3.	बांसवाड़ा	4
	4.	बाड़मेर	0
	5.	भरतपुर	1
	6.	भीलवाड़ा	25
	7.	बीकानेर	10
	8.	बूंदी	0
	9.	चित्तौड़गढ़	0
	10.	चूरू	16
	11.	जयपुर	75
	12.	जैसलमेर	0

1	2	3	4
	13.	झालावाड़	4
	14.	झुंझुनू	0
	15.	जोधपुर	8
	16.	कोटा	2
	17.	नागौर	13
	18.	पाली मारवाड़	17
	19.	सवाई माधोपुर	7
	20.	सीकर	10
	21.	सिरोही	0
	22.	श्री गंगानगर	0
	23.	टोंक	9
	24.	उदयपुर	0
		जोड़	229
तमिलनाडु	1.	कोयंबटूर	35
	2.	कुड्डालौर	33
	3.	धर्मापुरी	9
	4.	इरोड़	40
	5.	करैकुडी	1
	6.	कुंबाकोनम	104
	7.	मदुरै	145
	8.	नागरकोइल	1
	9.	नीलगिरिस	1
	10.	पांडिचेरी	17
	11.	सेलम	278
	12.	थंजाठर	42
	13.	तिरुनेलवेली	27
	14.	त्रिचि	407
	15.	तुतीकोरिन	8
	16.	वेल्लौर	37
	17.	विरुद्धनगर	13
		जोड़	1198

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1.	इलाहाबाद	2
	2.	आजमगढ़	0
	3.	बहराइच	3
	4.	बलिया	0
	5.	बांदा	0
	6.	बाराबंकी	0
	7.	बस्ती	22
	8.	इटावा	0
	9.	फैजाबाद	0
	10.	फरुखाबाद	6
	11.	फतेहपुर	10
	12.	गाजीपुर	9
	13.	गोंडा	0
	14.	गोरखपुर	5
	15.	हमीरपुर	155
	16.	हरदोई	32
	17.	जौनपुर	0
	18.	झांसी	0
	19.	कानपुर	0
	20.	लखीमपुर	12
	21.	लखनऊ	201
	22.	मैनपुरी	36
	23.	मऊ	25
	24.	मिर्जापुर	48
	25.	उरई	28
	26.	प्रतापगढ़	0
	27.	रायबरेली	0
	28.	शाहजहांपुर	5

1	2	3	4
	29.	सीतापुर	0
	30.	सुल्तानपुर	315
	31.	उन्नाव	8
	32.	वाराणसी	540
	33.	देवरिया	0
		जोड़	1462
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1.	आगरा	218
	2.	अलीगढ़	0
	3.	बरेली	3
	4.	बिजनौर	0
	5.	बुलंदशहर	28
	6.	गाजियाबाद	709
	7.	मथुरा	3
	8.	मेरठ	923
	9.	मुरादाबाद	56
	10.	मुजफ्फरनगर	47
	11.	नौएडा	162
	12.	सहारनपुर	2
	13.	बदायूं	0
	14.	एटा	0
	15.	पीलीभीत	1
	16.	रामपुर	9
		जोड़	2161
उत्तराखंड	1.	अल्मोड़ा	0
	2.	देहरादून	0
	3.	नैनीताल	0
	4.	श्रीनगर गढ़वाल	0
	5.	नई टिहरी	6
	6.	हरिद्वार	16
		जोड़	22

1	2	3	4
पश्चिम बंगाल	1.	आसनसोल	10
	2.	बांकुड़ा	3
	3.	बहरामपुर	5
	4.	कोलकाता	63
	5.	कूचबिहार	10
	6.	गंगटोक	1
	7.	जलपाईगुड़ी	3
	8.	खड़गपुर	4
	9.	कृष्णनगर	2
	10.	माल्दा	2
	11.	पुरुलिया	3
	12.	रायगंज	2
	13.	सिलिगुड़ी	4
	14.	सूरी	3
		जोड़	115
चेन्नई टेलीफोन्स	1.	चेन्नई	403
		जोड़	403
कोलकाता टेलीफोन्स	1.	कोलकाता	3268
		जोड़	3268
दिल्ली (एमटीएनएल)	1.	दिल्ली	5724
		जोड़	5724
मुंबई (एमटीएनएल)	1.	मुंबई	11969
		जोड़	11969

[अनुवाद]

मोबाइल फोनों के खराब सिग्नल

1286. श्री सुनील खां:
श्री प्रहलाद जोशी:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में एमटीएनएल/बीएसएनएल के मोबाइल सिग्नलों की गुणवत्ता असंतोषजनक है तथा मोबाइल संचार तंत्र बार-बार खराब हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार एवं स्थान-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) बीएसएनएल ने आंध्र प्रदेश और केरल में ''ट्रैफिक कंट्रोल चैनल (टीसीएच) कंजेशन'' पैरामीटर को छोड़कर सभी सेवा क्षेत्रों में नेटवर्क से संबंधित पैरामीटरों (ट्राई द्वारा यथा अधिसूचित) के लिए बैंचमार्क पूर्ण कर लिए हैं। एमटीएनएल, मुम्बई सभी नेटवर्क संबंधी पैरामीटरों के लिए बैंचमार्क पूर्ण कर रहा है। तथापि, एमटीएनएल दिल्ली ''काल सेट-अप सक्सेस रेट'' तथा ''टीसीएच कंजेशन'' पैरामीटरों के लिए बैंचमार्क पूर्ण नहीं करवा रहा है। बीएसएनएल और एमटीएनएल का कार्यनिष्पादन निजी मोबाइल कम्पनियों के कार्य-निष्पादन के समान है। देश में बीएसएनएल तथा एमटीएनएल मोबाइल संचार प्रणाली में बार-बार कोई खराबी नहीं होती।

(ग) ट्राई द्वारा बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित संयुक्त मोबाइल सेवा प्रदाताओं की सेवा की गुणवत्ता (क्यू ओ एस) संबंधी कार्य-निष्पादन की निगरानी की जाती रही है। जहां कहीं भी सेवा की गुणवत्ता के बैंचमार्क प्राप्त करने में कमियां देखी जाती हैं, वहां ट्राई बीएसएनएल और एमटीएनएल के साथ उन मामलों को उठाता है। एक समयबद्ध पद्धति से सेवा की गुणवत्ता संबंधी बैंचमार्क प्राप्त करने में हुई कमियों को दूर करने के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

1287. श्री अनन्त नायक:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय बीमा योजना (एनएआईएस) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का दायरा बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो इसमें किन-किन फसलों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने किसान लाभान्वित हुए तथा लाभान्वित करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कृषि में जोखिम प्रबंधन संबंधी कार्यदल ने सिफारिश की है कि सब्जियों और बारहमासी बागवानी/फल फसलों से संबंधित फसलों के समूह की कवरेज अलग बीमा योजनाओं के अधीन की जाए।

(घ) विगत 3 वर्षों (अर्थात् 2005-06 से 2007-08) के दौरान स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

वर्तमान वर्ष (अर्थात् 2008-09) में प्रस्तावित लाभान्वित किसानों की संख्या इस वर्ष के दौरान उपलब्ध नहीं कराई जा सकती क्योंकि दावों का निपटान बीमित फसलों के लिए वर्तमान उपज आंकड़ों के आधार पर फसल मौसम के अंत (अर्थात्, मार्च, 2009 के बाद) में किया जाता है।

विवरण I

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं

* यह स्कीम सभी किसानों- ऋणी और गैर-ऋणी दोनों को उनकी जोत के आकार का लिहाज किए बिना उपलब्ध है।
* एनएआईएस क्षेत्र आधारित स्कीम है। क्रियान्वयनकारी राज्य उपज का आकलन करने के लिए फसल कटाई प्रयोगों को अपेक्षित संख्या में करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए बीमा के किसी भी यूनिट क्षेत्र अर्थात् जिला, तहसील, तालुका/ब्लाक, फिरका, मंडल, ग्राम पंचायत आदि को अधिसूचित करते हैं।
* ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य है और गैर-ऋणी किसानों के लिए वैकल्पिक है।
* यह स्कीम राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक है।
* बीमित धनराशि, बीमित क्षेत्र की थ्रेशहोल्ड उपज की सीमा तक हो सकती है।
* सभी खाद्य फसलों (अनाज, कदन्न और दलहन) तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों, जिनके संबंध में पर्याप्त वर्षों के विगत उपज आंकड़े उपलब्ध हैं, को कवर करना।
* वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों में से 14 फसलों नामत: कपास, गन्ना, आलू, मिर्च, अदरक, प्याज, हल्दी, पटसन, टैपिओका, वार्षिक केला, अनन्नास, धनिया, जीरा और लहसुन को फिलहाल कवर किया जाता है।
* मूल रूप से सभी जोखिम बीमा योजना प्राकृतिक कारणों, आवश्यक जोखिमों के कारण सभी उपज हानि को कवर करती है।

* प्रीमियम दरें बाजरा और तिलहन के लिए 3.5%, अन्य खरीफ फसलों के लिए 2.5%, गेहूं के लिए 1.5% और अन्य रबी फसलों के लिए 2% हैं। यदि बीमांकित आंकड़ों के आधार पर तैयार दरें निर्धारित प्रीमियम दर से कम होती है तो कम दर ही लागू होगी।

* वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के मामले में बीमांकित दरें प्रभारित की जाती हैं।

* छोटे और सीमांत किसानों को उनसे प्रभारित प्रीमियम के 50% की राजसहायता मूल रूप से दी गई, जो फिलहाल 10% है।

विवरण II

एनएआईएस में लाभान्वित किसानों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	लाभान्वित किसान		
		वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07	वर्ष 2007-08*
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	672044	679361	24824
2.	असम	4737	4373	2804
3.	बिहार	228887	145968	374622
4.	छत्तीसगढ़	2184	22217	7503
5.	गोवा	0	1	0
6.	गुजरात	14715	453743	39449
7.	हरियाणा	32007	9392	54700
8.	हिमाचल प्रदेश	4705	0	9
9.	झारखंड	617226	57885	21493
10.	कर्नाटक	130789	615558	66466
11.	केरल	10477	2371	8793
12.	मध्य प्रदेश	128239	221595	160861
13.	महाराष्ट्र	270962	620605	262024
14.	मेघालय	0	11	177
15.	उड़ीसा	26391	88073	66849
16.	राजस्थान	776142	665817	510723
17.	सिक्किम	0	0	0
18.	तमिलनाडु	49656	22918	299886
19.	त्रिपुरा	1621	9	203
20.	उत्तर प्रदेश	389820	559763	641827

1	2	3	4	5
21.	उत्तराखंड	7062	1366	7660
22.	पश्चिम बंगाल	277425	349368	172359
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	3
24.	पांडिचेरी	780	0	791
25.	जम्मू-कश्मीर	863	524	0
	कुल	3646732	4520918	2724026

*खरीफ 2007 और रबी 2007-08 के संबंध में दावे अंतरिम आंकड़े हैं क्योंकि कुछ राज्यों से कुछ फसलों के संबंध में उपज संबंधी आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुए। यदि कोई दावे देय हैं तो उनका निर्धारण तत्पश्चात् किया जाएगा।

[हिन्दी]

स्वयंसेवा संगठनों को सहायता

1288. श्री अजीत जोगी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ सहित देश में वर्तमान में उपभोक्ता कल्याण के क्षेत्र में राज्य-वार कितने स्वयंसेवा संगठन कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त संगठनों को सहायता स्वीकृत की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे संगठनों के लिए आबंटन में अलग-अलग क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान उक्त संगठनों द्वारा धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो

1289. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के संवितरण हेतु भारतीय खाद्य निगम के आधार डिपुओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त डिपो राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न राज्यों के उन जिलों के नाम क्या हैं जहां पर बेस डिपो नहीं है; और

(ङ) इन जिलों में बेस डिपो खोले जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) 30.6.2008 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास अपने/किराये के 1643 डिपु हैं, जो राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए फिलहाल पर्याप्त हैं और राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) जिन राजस्व जिलों में बेस डिपु हैं और जिनमें नहीं है, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) जिन राजस्व जिलों में भारतीय खाद्य निगम के डिपु उपलब्ध नहीं हैं उन्हें साथ लगे राजस्व जिले में स्थित बेस डिपु से संबद्ध कर दिया जाता है।

विवरण I

भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध डिपुओं (अपनी और किराए/ठेकी और कैप) की राज्यवार संख्या

(30.06.2008 की स्थिति के अनुसार)

क्षेत्र का नाम/संघ राज्य क्षेत्र	भा.खा.नि. की अपनी	ठेकी हुई				कुल किराए की	कुल ठेकी हुई	कैप (खुली)			सकल जोड़
			किराए पर ली गई					अपनी	किराए की	जोड़	
		राज्य सरकार	के.भं.नि.	रा.भं.नि.	प्राइवेट पार्टी						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
बिहार	14	1	8	16	10	35	49	0	0	0	49
झारखंड	6	0	2	8	2	12	18	0	0	0	18
उड़ीसा	23	0	10	42	1	53	76	0	0	0	76
पश्चिम बंगाल	23	2	7	0	8	17	40	0	0	0	40
सिक्किम	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2
पूर्वी क्षेत्र का जोड़	67	4	27	66	21	118	185	0	0	0	185
असम	17	0	2	2	11	16	32	0	0	0	32
अरुणाचल प्रदेश	4	4	0	0	0	4	8	0	0	0	8
मेघालय	3	0	1	2	0	3	6	0	0	0	6
मिजोरम	5	1	0	0	0	1	6	0	0	0	6
त्रिपुरा	4	2	1	0	0	3	7	0	0	0	7
मणिपुर	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
नागालैंड	4	0	1	0	0	1	5	0	0	0	5
पूर्वोत्तर क्षेत्र का जोड़	40	7	5	4	11	27	67	0	0	0	67
दिल्ली	6	0	0	0	0	0	6	4	0	4	10
हरियाणा	35	30	9	28	7	74	109	25	2	27	136
हिमाचल प्रदेश	6	8	3	0	0	11	17	0	0	0	17
जम्मू-कश्मीर	16	2	0	0	6	8	24	0	0	0	24
पंजाब	113	2	10	98	17	127	240	93	1	94	334
चंडीगढ़	4	0	5	2	0	7	11	4	1	5	16
राजस्थान	35	0	13	45	2	60	95	15	7	22	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उत्तर प्रदेश	51	3	21	45	3	72	123	29	1	30	153
उत्तराखण्ड	5	3	4	6	1	14	19	2	2	4	23
उत्तर क्षेत्र का जोड़	271	48	65	224	36	373	644	172	14	186	830
आंध्र प्रदेश	34	0	17	74	0	91	125	5	0	5	130
अंडमान निकोबार	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
केरल	23	0	0	0	0	0	23	6	0	6	29
कर्नाटक	21	0	4	14	0	18	39	9	0	9	48
तमिलनाडु	11	0	6	7	0	13	24	4	0	4	28
पांडिचेरी	4	0	0	1	0	1	5	3	0	3	8
दक्षिण क्षेत्र का जोड़	94	0	27	96	0	123	217	27	0	27	244
गुजरात	15	4	7	2	6	19	34	10	0	10	44
महाराष्ट्र	17	1	14	18	7	40	57	5	0	5	62
गोवा	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
मध्य प्रदेश	23	30	16	48	11	105	128	7	1	8	136
छत्तीसगढ़	20	1	3	16	1	21	41	1	2	3	44
पश्चिम क्षेत्र का जोड़	76	36	40	84	25	185	261	23	3	26	287
सकल जोड़	548	95	164	474	93	826	1374	222	17	239	1613

	सार		
एजेंसी	ढकी हुई	कैप (खुली)	कुल
भारतीय खाद्य निगम की अपनी	548	222	770
किराए पर ली गई			
राज्य सरकार	95	9	104
केन्द्रीय भंडारण निगम	164	0	164
राज्य भंडारण निगम	474	7	481
प्राइवेट पार्टी	93	1	94
जोड़	1374	239	1613

विवरण II

बेस डिपो वाले और बिना डिपो के राजस्व जिलों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	राजस्व जिलों की संख्या		
		बेस डिपो वाले	बिना बेस डिपो वाले	जोड़
1	2	3	4	5
1.	बिहार	31	7 - बांका, कैमूर, जहानाबाद, खगड़िया, सेखपुरा, अरवल, गोपालगंज	38
2.	झारखंड	20	3 - देवगढ़, पाकुर और जामाश्रा	23
3.	उड़ीसा	29	1 - पुरी	30
4.	पश्चिम बंगाल	19	3 - कोलकाता (दक्षिण और पश्चिम) और हुगली	22
5.	सिक्किम	2	2 - उत्तर और पूर्व जिले	4
6.	असम	23	4 - मोरीगांव, चिरांग, बाखा, दारांग, कामरूप (सदर)	27
7.	अरुणाचल प्रदेश	11	5 - अनाजवा, लोअर दिबांग वैली, तिरान, पश्चिम सिआंग, कुरूम कुमेय	16
8.	मणिपुर	3	6 - इम्फाल पूर्व, चंडाल, तमांगलांग, चुराचांदपुर, थौबाल और बिष्णुपुर	9
9.	नागालैंड	4	7 - कोहिमा, किफायर, लांगलैंड, वोखा, पेरेन, जुन्हेंबोटा और फेक	10
10.	मिजोरम	4	4 - चम्पाई, सिरचिप, ममित और सैहा	8
11.	त्रिपुरा	3	1 - धलाई जिला	4
12.	मेघालय	5	2 - पश्चिम खासी हिल्स और दक्षिण गारो हिल्स	7
13.	दिल्ली	7	2 - नई दिल्ली और केन्द्रीय जिला	9
14.	हरियाणा**	14	5 - गुड़गांव, पंचकुला, झज्जर, मेवात और नारनौल	19
15.	हिमाचल प्रदेश	11	1 - लाहौल और स्पीती	12
16.	जम्मू-कश्मीर	15	-	15
17.	पंजाब**	16	-	16
18.	चंडीगढ़	2	-	2
19.	राजस्थान	30	3 - करौली, राजसमंद और प्रतापगढ़	33
20.	उत्तर प्रदेश	52	18 - बलरामपुर, बागपत, चित्रकूट, कनौज, कौशाम्बी, भदोई, महाराजगंज, चंदौली, अम्बेडकर नगर, हमीरपुर, फरूर्खाबाद, औरेया, कानपुर देहात, बहराइच	70

1	2	3	4	5
21.	उत्तराखण्ड	8	6 - अल्मोड़ा, बागेश्वर, रूद्रपुर, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और चम्पावत	14
22.	आंध्र प्रदेश	23	-	23
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	-	1
24.	केरल	13	1 - पाठनमथित्ता	14
25.	कर्नाटक	23	4 - बांगलपेट, हावेरी, चिकमंगलूर	27
26.	लक्षद्वीप		पांडवनगर	
27.	तमिलनाडु	18	12 - नागापट्टिनम, शिवगंगाई, नमक्काल, थेनी, पेरम्बलूर, अरियालुर, थिरुवारूर, इरिडे टी.वी. मलाई, नीलगिरी, पुदुकोट्टाई, करूर और कृष्णागिरी	27
28.	पांडिचेरी	2	-	3
29.	गुजरात	16	9 - दाहोद, नर्मदा, नवासराई, डांग, अमरेली, पोरबंदर, पाटन, साबरकांठा और गांधीनगर	25
30.	दादरा और नगर हवेली			
31.	दमन और दीव			
32.	महाराष्ट्र	32	8 - सिंधदुर्ग, नन्दुरबार, हिंगोली, वाशिम, गाडचिरोली, भंडारा, यवतमाल और ओस्मानाबाद	35
33.	गोवा	1	1 - दक्षिण गोवा	2
34.	मध्य प्रदेश	33	12 - सिहोर, हरदा, बरवानी, बुरहानपुर, रायसेन, पन्ना, मंडसौर, नीमच, राजगढ़, भिंड, उमरिया और अनूपपुर	45
35.	छत्तीसगढ़	12	5 - कवारधा, दांतेवाड़ा, कोरबा, कोरेन और सरगुजा	17

नोट: (**) राज्य एजेंसियों द्वारा अपने गोदामों से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आपूर्ति की जा रही है।

मेघालय - राज्य भंडारण निगम से यह अनुरोध किया गया है कि वह दोनों जिलों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराए पर लिए जाने के लिए गोदाम का निर्माण करें।

त्रिपुरा - राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह धलाई जिले में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराए।

महाराष्ट्र - भंडारा में 10,000 टन क्षमता वाले गोदामों के निर्माण के लिए मुख्यालय का अनुमोदन प्राप्त हुआ।

राष्ट्रीय कौशल विकास नीति

1290. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कौशल विकास नीति लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) जी हां। प्रस्तावित राष्ट्रीय विकास नीति पर सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रस्ताव को सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए परिचालित किया गया

है। उनकी टिप्पणियां प्राप्त हो जाने पर इसे मंत्रिमंडल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

विवरण

कौशल विकास पर राष्ट्रीय नीति पर सार

तेजी से हो रहे आर्थिक विकास, मांग व आपूर्ति के मध्य असमानता, बड़ी संख्या में श्रम बल तथा रोजगारपरक कौशलों के अभाव के कारण कौशल विकास पर राष्ट्रीय नीति तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई। नीति निम्नलिखित मिशन के साथ तैयार की गई है:

"राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का उद्देश्य बेहतर रोजगार हेतु पहुंच योग्य बनाने के लिए परिष्कृत कौशलों, ज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय रूप.से मान्यताप्राप्त अर्हताओं के माध्यम से सभी व्यक्तियों को सशक्त बनाना, समग्र राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना तथा वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करना है।"

2. कौशल विकास पर राष्ट्रीय नीति में संस्थान आधारित प्रशिक्षण, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षुता/कार्यस्थल पर सीखना, स्व-रोजगार तथा उद्यमीय विकास हेतु प्रशिक्षण, ई-लर्निंग तथा दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करना सहित प्रशिक्षण तथा शिक्षा प्राप्त करने के विभिन्न माध्यमों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। नीति का कार्यान्वयन निम्नलिखित संस्थागत प्रबंधों के माध्यम से किया जाना है:

* कौशल विकास पर प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद।
* राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड।
* राष्ट्रीय कौशल विकास निगम।
* राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्।
* क्षेत्र कौशल परिषदें।
* श्रम बाजार सूचना प्रणाली।

राज्य स्तर पर भी समनुरूप संस्थागत अवसंरचनाओं का प्रस्ताव किया गया है (केन्द्रीय स्तर के तदनुरूप राज्य स्तरीय निकाय)

3. नीति का उद्देश्य माड्यूलर तथा अल्पावधि पाठ्यक्रमों के साथ-साथ नवीनतम दृष्टिकोणों का उपयोग करते हुए सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए 11वीं योजना के दौरान क्षमता में प्रतिवर्ष 15 मिलियन की वृद्धि करना है। वस्तुपरक अवसंरचना; प्रशिक्षकों की गुणवत्ता तथा मात्रा; शिक्षण/सीखने की प्रक्रिया की गुणवत्ता; क्षमता आधारित अधिगम आकलन तथा प्रमाणीकरण प्रणाली में सुधार भी नीति का उद्देश्य है। इस नीति के कार्यान्वयन से, महिला प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा संस्थानों के माध्यम से महिलाओं, ग्रामीण, सीमा, पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों के व्यक्तियों, लाभवंचित समूहों, अल्पसंख्यकों, विकलांग, स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ देने वालों तथा बाल श्रमिकों, गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों, स्व-रोजगार हेतु कौशल विकास के माध्यम से स्व-नियोजितों की प्रशिक्षण के लिए समान रूप से पहुंच बनेगी।

4. नीति में, 94% कार्यबल रखने वाले असंगठित क्षेत्र के कौशल विकास तथा प्रमाणीकरण, अनौपचारिक शिक्षुओं का सुदृढ़ीकरण, पूर्व-अधिगम को मान्यता; साक्षरता तथा बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराने तथा अधिक पहुंच बनाने के लिए चल प्रशिक्षण वाहनों के उपयोग का पूरा ध्यान रखा गया है।

5. नीति में सरकार द्वारा मुख्य निधिकरण की परिकल्पना की गई है- बजट का 0.5 से 1.5% प्रतिवर्ष तथा 1000 करोड़ रुपये के समग्र निधिकरण से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना।

नीति एक गत्यात्मक दस्तावेज है, जो उद्योग की मांग की पूर्ति के लिए स्वयं को तैयार करने के लिए नियमित समीक्षा, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के अनुसंधान की संस्तुति करता है।

(राष्ट्रीय कौशल विकास नीति मसौदा वेबसाइट-dget.nic.in पर उपलब्ध है।)

साफ्टवेयर निर्यात में वृद्धि

1291. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात राज्य से साफ्टवेयर निर्यात में वृद्धि के लिए सहायता की मांग करते हुए केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) गुजरात सरकार ने राज्य से होने वाले साफ्टवेयर निर्यात की वृद्धि के लिए सूरत, राजकोट, भावनगर तथा जामनगर में साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के समक्ष रखा है।

(ग) केन्द्र सरकार ने सूरत में एसटीपी केन्द्र स्थापित करने के लिए सहमति दे दी है। शेष तीन एसटीपी केन्द्रों के लिए प्रस्तावों पर विचार पहले ही अनुमोदित किए गए सूरत केन्द्र के कार्यनिष्पादन की समीक्षा के बाद किया जाएगा।

तकनीकी सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

1292. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द्वितीयक कृषि के लिए तकनीकी सलाहकार समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त समिति द्वारा की गई कोई भी सिफारिश लागू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी नहीं।

(ख) लागू नहीं।

(ग) लागू नहीं।

(घ) लागू नहीं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

1293. **श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कृषि विकास के लिए उत्तर प्रदेश सहित देश में लागू की जा रही नई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार क्या उपलब्धियां हासिल की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के लिए आवंटित की गई तथा इन पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) पांच नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें नामत: (1) राष्ट्रीय बागवानी मिशन; (2) सूक्ष्म सिंचाई; (3) विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम को सहायता; (4) राष्ट्रीय बांस मिशन; (5) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2005-06 से उत्तर प्रदेश सहित देश में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) और (ग) इन स्कीमों के तहत राज्यवार उपलब्धियां, आवंटित और व्यय की गई निधियां संलग्न विवरण-I से VI में दी गई हैं।

विवरण I

2005-06 और 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत राज्यवार निर्मुक्त और व्यय राशि

क्र.सं.	राज्य/यूटी	निर्मुक्त राशि 2005-06	व्यय 2005-06	निर्मुक्त राशि 2006-07	व्यय 2006-07
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4420.96	1781.14	7500.00	7137.47
2.	बिहार	3100.00	3.02	3500.00	2403.91
3.	छत्तीसगढ़	2367.83	353.96	5500.00	4560.66
4.	गोवा	315.20	112.91	200.00	182.29
5.	गुजरात	3239.28	986.71	2577.03	2823.55

1	2	3	4	5	6
6.	हरियाणा	1050.00	163.00	3480.00	3539.38
7.	झारखंड	3030.00		4000.00	2383.52
8.	कर्नाटक	4455.17	322.72	8448.25	6784.04
9.	केरल	3533.98	400.14	7959.53	2471.72
10.	मध्य प्रदेश	2839.77	481.67	4291.75	5135.73
11.	महाराष्ट्र	8260.28	2749.03	14492.65	12999.79
12.	उड़ीसा	3611.91	1794.43	4450.00	3286.59
13.	पंजाब	2868.82	1021.21	1150.00	1736.88
14.	राजस्थान	2259.57	1464.30	3837.93	3306.96
15.	तमिलनाडु	3891.67	2462.47	6450.00	5816.18
16.	उत्तर प्रदेश	5340.25	537.97	1500.00	3815.45
17.	पश्चिम बंगाल	4035.31	3926.34	4600.00	302.75
18.	दादरा और नगर हवेली			0.00	
19	दमन और दीव			0.00	
20.	दिल्ली			300.00	0.00
21.	लक्षद्वीप			63.00	
22.	चंडीगढ़			0.00	
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			85.00	1.22
24.	पांडिचेरी			0.00	
	योग	58620.00	18561.02	84385.14	68688.09
1.	हैडक्वार्टर/टीएसजी/एनएचबी	3830.00	3800.00	6600.00	6563.00
2.	डीसीसीडी, कोची			389.00	388.87
3.	डीएसएडी, कालीकट			400.00	400.00
4.	एनसीपीएएच			580.00	456.20
5.	एनएचआरडीएफ	550.00	489.75	1277.10	1269.20
6.	इफको फाउंडेशन			115.20	82.60
7.	राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड			50.00	

1	2	3	4	5	6
8.	राष्ट्रीय बीज निगम			460.00	
9.	एनआरसी साइट्रस			102.00	78.14
10.	राज्य फार्म निगम			66.00	21.28
11.	नैफेड			105.00	
12.	मांग				
	कुल योग	63000.00	22850.77	94529.44	77967.38

2007-08 एवं 2008-09 से 20.10.2008 तक के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत राज्य-वार निर्मुक्त एवं व्यय धनराशि

क्र.सं.	राज्य/यूटी	निर्मुक्त राशि 2007-08	व्यय 2007-08	निर्मुक्त राशि 2008-09				योग
				प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ, पंचम एवं छठी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	7836.94	10430.69	235.25	9800.00	433.144		10463.39
2.	बिहार	269.72	3511.50	1122.48				1122.48
3.	छत्तीसगढ़	6252.41	3059.95					0.00
4.	गोवा	3.19	154.41	50.45				50.45
5.	गुजरात	1954.24	3357.00	65.92	2000.00	65.91		2131.83
6.	हरियाणा	6476.49	4671.80	25.93	2500.00	25.925		2551.86
7.	झारखंड	781.00	2239.64	3000.00				3000.00
8.	कर्नाटक	8571.05	13022.59	32.65	3400.00	104.229	9000.00	12536.88
9.	केरल	6147.73	10106.00	30.64	7400.00	86.654		7517.29
10.	मध्य प्रदेश	5537.49	3948.72					0.00
11.	महाराष्ट्र	13224.97	11058.83	260.85	260.85	12500.00		13021.70
12.	उड़ीसा	3812.16	2735.58					0.00
13.	पंजाब	2409.99	1614.18	12.48				12.48
14.	राजस्थान	5673.19	4972.70	198.85	2500.00	198.86		2897.71
15.	तमिलनाडु	8536.82	9248.22	7688.00				7688.00
16.	उत्तर प्रदेश	9425.90	8478.69	239.16	840.11			1079.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	पश्चिम बंगाल	681.82	2722.01	53.60	53.60	500.00		607.20
18.	दिल्ली	0.00	87.42					0.00
19.	लक्षद्वीप	29.90						0.00
20.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00						0.00
	योग	87625.01	95419.93	13016.26	28754.56	13914.72	9000.00	64685.54
1.	हैडक्वार्टर/टीएसजी/एनएचबी	70.00	79.10	150.00	44.04	1523.13	586.39	2303.56
2.	डीसीसीडी, कोची	447.87	447.24	406.00				406.00
3.	सीएसएडी, कालीकट्ट	357.00	350.26	212.00				212.00
4.	एनसीपीएएच	1017.70	520.78					0.00
5.	एनएचआरडीएफ	1040.33	822.43	429.20				429.20
6.	इफको फाउंडेशन	318.39	218.46	165.00				165.00
7.	राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड	10.00	56.26	50.00				50.00
8.	राष्ट्रीय बीज निगम	0.00	243.99	316.00				316.00
9.	एनआरसी साइट्रस	290.00	275.96	234.00				234.00
10.	राज्य फार्म निगम	498.35	409.73	282.00				282.00
11.	नैफेड	0.00						0.00
12.	मैनेज	58.12						0.00
	कुल योग	91732.77	98844.14	15260.46	28798.60	15437.85	9586.39	69083.30

राज्य	2005-06				2006-07				2007-08				2008-09 से सितम्बर, 2008 तक			
	भौतिक (है.)		वित्तीय (लाख रु.)		भौतिक (है.)		वित्तीय (लाख रु.)		भौतिक (है.)		वित्तीय (लाख रु.)		भौतिक (है.)		वित्तीय (लाख रु.)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
आंध्र प्रदेश	45530	6775	6129.23	934	193621	91398	19519.68	10487.9	46385	114846	5747.76	14559.42	132000	75459	3898.64	6736.95
बिहार	0	0	0	0	14223	0	2482.1	0	0	223.80	0	26.10	0	447.60	0	0.00
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	28748	4600	3032.88	256.21	10063	20830.74	783.39	1750.98	29962	4553.57	0	651.36
दिल्ली	0	0	0	0	100	0	15.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गोवा	0	0	0	0	128	8	12.13	1	0	30.85	0	6.92	182.14	0	0	0
गुजरात	16720	5042	2182.01	701.17	18247	24338	3355.9	3892	45155	43837.10	7349.60	5239.46	100001	10576.37	0.00	1951.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
हरियाणा	0	0	0	0	5385	2823	443.89	231.79	7215	4632.19	604.19	468.89	23514	4929.9	343.11	465.12
झारखंड	0	0	0	0	3106	0	229.92	0	0	570	0	45.77	0	570	0	0
कर्नाटक	25703	0	3584.1	0	23737	38850	2456.75	4014.27	53517.7	62212	6864.51	7379.67	280020	6073	4946.99	1274.28
केरल	25208	0	3200	0	5382	621	636.3	40.33	0	920.35	0	263.55	0	0	0	0.00
मध्य प्रदेश	3498	0	580.32	0	2117	3087	401.16	401	5162	4711.20	700.46	839.22	30990	28473.09	2183.19	3842.74
महाराष्ट्र	41856	0	4808.09	0	65188	98825	8796.55	12460.28	103672	82224	13897.3	12792.07	29003	320.84	11934.59	6135.50
उड़ीसा	0	0	0	0	3314	1222	454.26	137.27	1032	3069.48	108.40	248.33	4000	300.53	0.00	70.485
पंजाब	4180	0	566.14	0	0	1423	0	183.72	2896	4187.38	427.05	613.02	2845	1140.5	409.69	209.02
राजस्थान	13000	0	1048.02	0	39751	67676	2833.34	3704.35	44599	73735	2341.14	2908.85	29493	10946.80	1750.31	761.05
तमिलनाडु	32850	0	4290.96	0	5402	0	1200.64	0	12302	7819.57	2200	1559.91	0	6791.1	0	1057.5
उत्तर प्रदेश	6910	0	1241.74	0	0	1863	0	145.67	0	4659	0	562.71	0	0	0	20.38
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	1849	0	195.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एनसीपीएसएच			417.50							0	0	3.50	0	0	81.06	0.00
पी. अंडमान											101.16	57.00	0	0	37.6	0.00
सकल योग	217455	11817	28048.11	1635.17	410298	336734	46066.88	35955.79	331999	427708.66	41125	49325.37	410010	182348.46	25585.18	23376.085

गत तीन वर्षों (2005-06 से आगे) के लिए विस्तार सुधार स्कीम के तहत निर्मुक्त कोष और व्यय

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य के नाम	निर्मुक्तियां 2005-06	व्यय 2005-06	निर्मुक्तियां 2006-07	व्यय 2006-07	निर्मुक्तियां 2007-08	व्यय 2007-08	निर्मुक्ति 2008-09 से सितम्बर 2008 तक	व्यय 2008-09 से अगस्त 2008 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	223.00	142.12	467.00	378.18	2470.64	985.25	0.00	370.49
2.	बिहार	176.00	47.47	239.10	181.03	1463.00	1241.96	496.76	285.96
3.	छत्तीसगढ़	125.00	102.44	110.00	131.16	422.24	233.90	0.00	113.78
4.	गोवा	27.00	3.86	0.00	11.40	18.76	0	0.00	0.00
5.	गुजरात	116.00	14.67	194.00	32.75	311.21	224.00	189.39	67.86
6.	हरियाणा	123.00	13.90	116.00	105.26	285.84	172.11	0.00	85.00
7.	हिमाचल प्रदेश	122.00	122.00	183.00	218.05	372.75	337.70	224.88	0.00
8.	जम्मू-कश्मीर	104.00	0.00	0.00	3.98		75.56	0.00	0.00
9.	झारखंड	163.00	117.00	157.00	147.91	557.73	158.22	0.00	225.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	कर्नाटक	180.00	0.00	155.00	93.34	339.00	192.71	452.00	92.20
11.	केरल	80.00	0.00	117.00	0.00	125.00	24.56	0.00	104.74
12.	महाराष्ट्र	231.00	919	283.00	489.23	1283.14	965.96	973.47	333.96
13.	मध्य प्रदेश	200.00	27.57	294.00	85.99	612.23	505.55	823.75	171.48
14.	उड़ीसा	255.00	245.63	419.00	258.37	1233.16	1033.89	887.56	0.00
15.	पंजाब	159.00	30.08	133.00	100.55	427.60	306.64	55.86	107.24
16.	राजस्थान	231.00	70.50	242.00	181.73	1152.97	879.67	0.00	44.67
17.	तमिलनाडु	128.00	0.00	263.00	124.78	679.14	405.45	0.00	384.59
18.	उत्तर प्रदेश	547.00	4.42	601.00	488.05	2135.03	1731.63	1586.00	946.42
19.	उत्तरांचल	149.00	14.72	182.00	90.56	262.25	156.93	0.00	0.00
20.	पश्चिम बंगाल	92.00	42.99	193.00	235.11	635.10	547.86	1200.62	0.00
21.	असम	160.00	17.62	0.00	141.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	अरुणाचल प्रदेश	73.00	25.00	126.00	57.59	142.25	171.09	39.00	87.57
23.	मणिपुर	59.00	59.00	0.00	0.00	93.58	53.32	0.00	0.00
24.	नागालैंड	61.00	61.00	50.00	50.00	0.00	0.00	67.00	0.00
25.	मेघालय	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	मिजोरम	49.50	34.00	118.60	33.60	46.55	136.75	133.36	0.00
27.	त्रिपुरा	22.00	2.56	0.00	17.83	94.66	1.61	143.00	0.00
28.	सिक्किम	39.00	7.95	65.00	64.79	83.09	47.42	0.00	55.24
29.	दिल्ली	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	0.00	0.00
30.	पांडिचेरी	16.00	0.00	0.00	0.00	20.75	0.00	0.00	23.74
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	35.00	0.00	18.00	2.85	11.88	15.29	14.00	11.59
32.	लक्षद्वीप	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दादरा एवं नगर हवेली	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	दमन और दीव	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	मैनेज	366.56	40.44	0.00	316.98	300.00	165.97	96.00	100.36
36.	डी ओ ई	0.00	0.00	1.00	1.00	1.21	1.21	0.39	0.39
	कुल	4390.06	1270.13	4826.70	4043.45	15580.76	10771.05	7383.04	3613.19

विवरण II

राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत राज्य-वार तथा वर्ष-वार निर्मुक्त एवं व्यय राशि

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य	2006-07		2007-08		2008-09	
		निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	महाराष्ट्र	0.00	–	109.78	109.78	283.59	–*
2.	गुजरात	0.00	–	194.83	179.20	242.23	–*
3.	केरल	0.00	–	151.00	3.28	48.59	48.59
4.	आंध्र प्रदेश	0.00	–	112.80	21.78	42.65	–*
5.	उत्तरांचल	261.87	261.87	387.00	387.00	147.47	97.47
6.	उत्तर प्रदेश	0.00	–	391.16	214.65	88.88	–*
7.	जम्मू-कश्मीर	0.00	–	0.00	–	50.20	–*
8.	राजस्थान	92.85	92.85	0.00	–	40.00	–*
9.	तमिलनाडु	0.00	–	258.32	38.30	49.59	–*
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	–	127.25	56.37	88.08	–*
11.	झारखंड	0.00	–	100.00	99.79	131.56	–*
12.	कर्नाटक	0.00	–	212.17	82.48	174.25	–*
13.	उड़ीसा	329.97	316.31	736.72	468.57	65.94	–*
14.	छत्तीसगढ़	275.34	275.34	786.98	786.98	310.37	–*
15.	पश्चिम बंगाल	31.85	13.05	0.00	–	54.15	–*
16.	पंजाब	0.00	–	395.71	17.12	79.48	–*
17.	मध्य प्रदेश	0.00	–	601.59	95.10	0.00	–
18.	बिहार	0.00	–	543.87	32.42	000	–
19.	गोवा	0.00	–	31.00	–*	0.00	–
	उप योग	991.88	959.42	5140.18	2592.82	1897.03	146.06
	उ. पू. राज्य						
20.	असम	1080.31	987.49	601.36	557.78	440.16	438.88
21.	मिजोरम	865.45	865.45	1001.97	1001.97	325.27	325.27

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	मेघालय	508.31	506.04	332.54	292.85	265.28	-*
23.	सिक्किम	429.32	429.32	450.44	376.88	93.84	5.69
24.	त्रिपुरा	122.16	122.16	646.63	219.24	137.67	-*
25.	मणिपुर	647.17	647.17	371.21	371.21	313.44	313.44
26.	नागालैंड	1315.96	1315.96	1484.17	1484.17	829.11	-*
27.	अरुणाचल प्रदेश	1510.35	1510.35	873.60	873.60	196.00	-*
	उप योग	6479.03	6383.94	5761.92	5177.70	2600.77	1083.28
	कुल योग	7470.91	7343.36	10902.10	7770.52	4497.80	1229.34

*राज्यों से व्यय प्रगति रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

एन एफ एस एम-वर्ष 2007-08 के दौरान निधियों का आवंटन और राज्यों द्वारा खर्च की गई धनराशि

2007-08 के दौरान एन एफ एस एम के तहत कुल आवंटन : 398.75 करोड़ रु.
2007-08 के दौरान निर्मुक्ति : 398.73 करोड़ रु.

राज्य	चावल			गेहूं			दालें			प्रचार			सकल योग		
	निर्मुक्ति	उप. राशि	अव्ययित शेष	निर्मुक्ति	उप. राशि	अव्ययित शेष	निर्मुक्ति	उप. राशि	अव्ययित शेष	निर्मुक्ति	उप. राशि	अव्ययित शेष	निर्मुक्ति	उप. राशि	अव्ययित शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
आंध्र प्रदेश	15.75	6.55	9.20	00.00	00.00	00.00	28.11	18.76	9.35	0.76	0.76	00.00	44.62	26.07	18.55
असम	11.24	8.75	2.49	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.16	0.16	00.00	11.40	8.90	2.49
बिहार	2.63	0.34	2.28	28.92	12.08	16.84	3.38	0.82	2.56	1.38	0.07	1.31	36.30	13.31	23.00
छत्तीसगढ़	4.41	00.00	4.41	00.00	00.00	00.00	9.63	1.96	7.67	0.51	0.19	0.49	14.55	1.98	12.58
गुजरात	00.00	00.00	00.00	4.80	0.46	4.35	2.26	0.34	1.92	0.31	00.00	0.31	7.37	0.79	6.58
हरियाणा	00.00	00.00	00.00	18.38	3.14	15.24	2.15	0.15	2.00	0.62	0.33	0.30	21.15	3.62	17.54
कर्नाटक	2.42	0.76	1.65	00.00	00.00	00.00	5.11	1.11	4.00	0.34	0.34	00.00	7.87	2.21	5.66
मध्य प्रदेश	00.00	00.00	00.00	26.12	6.09	20.03	16.94	2.88	14.06	3.06	00.00	3.06	46.12	8.97	37.15
महाराष्ट्र	0.87	0.33	0.54	3.97	3.28	0.69	8.58	3.37	5.21	0.72	0.44	0.28	14.14	7.42	6.72
उड़ीसा	6.46	2.08	4.38	00.00	00.00	00.00	4.57	1.53	3.04	0.31	0.21	0.11	11.34	3.81	7.52
पंजाब	00.00	00.00	00.00	31.08	24.09	7.18	0.66	0.12	0.54	1.14	0.08	1.06	32.88	24.29	8.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
राजस्थान	00.00	00.00	00.00	15.01	3.11	11.90	8.53	0.65	7.88	1.05	0.32	0.73	24.59	4.08	20.51
तमिलनाडु	9.10	0.90	8.17	00.00	00.00	00.00	3.46	0.51	2.95	0.25	0.25	00.00	12.81	1.67	11.14
उत्तर प्रदेश	00.00	00.00	00.00	70.79	46.48	24.31	8.41	3.15	5.26	4.59	0.01	4.58	83.79	49.64	34.15
पश्चिम बंगाल	6.09	5.96	0.14	4.27	2.13	2.14	1.86	1.14	0.72	0.78	0.01	0.77	13.00	9.23	3.77
कुल	58.97	25.67	33.27	203.34	100.86	102.68	103.65	36.49	67.16	15.98	2.98	13.00	381.93	166.99	215.95
आईआईपीआर, कानपुर	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1.06	00.00	1.06	00.00	00.00	00.00	1.06	00.00	1.06
आईसीआरआईएसएटी	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.88	00.00	0.88	00.00	00.00	00.00	0.88	00.00	0.88
एनएससी (बीज मिनिकिट-गेहूं)	00.00	00.00	00.00	3.27	3.27	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3.27	3.27	00.00
एसएफसीआई (बीज मिनिकिट-गेहूं)	00.00	00.00	00.00	1.60	1.60	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1.60	1.60	00.00
विस्तार की दिनांक (केन्द्रीय स्तर पर प्रचार)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10.00	10.00	00.00	10.00	10.00	00.00
सकल योग	58.97	25.67	33.27	208.21	105.73	102.68	105.59	36.49	69.10	25.98	12.98	13.00	398.73	180.85	217.88

वर्ष 2008-09 के दौरान एन एफ एस एम के तहत निधियों का आबंटन और निर्मुक्ति

(करोड़ रुपये)

राज्य	चावल		गेहूं		दालें		प्रचार		स्थानीय पहल						कुल निर्मुक्ति	कुल नि. राशि
									चावल		गेहूं		दालें			
	आ.	नि.	आ.	नि.	आ.	नि.	आ.	नि.	आ.	नि.	आ.	नि.	आ.	नि.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
आंध्र प्रदेश	26.40	11.92	00.00	00.00	29.38	14.17	1.00	1.00	5.92	2.97	00.00	00.00	5.93	2.96	68.63	33.01
असम	26.27	12.37	00.00	00.00	00.00	00.00	0.20	0.20	6.16	3.08	00.00	00.00	00.00	00.00	32.63	15.65
बिहार	21.57	14.98	27.71	5.33	18.77	12.45	00.00	00.00	7.58	3.79	7.58	3.79	7.59	3.79	90.80	44.14
छत्तीसगढ़	31.51	20.80	00.00	00.00	48.43	31.06	00.00	00.00	3.79	1.90	00.00	00.00	3.79	1.90	87.52	56.66
गुजरात	1.77	1.41	6.80	1.09	4.52	1.70	0.41	0.10	2.69	1.34	2.69	1.34	2.68	1.34	21.55	8.33
हरियाणा	00.00	00.00	20.59	1.24	0.93	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2.85	1.42	2.84	1.43	27.21	4.09
झारखंड	10.40	8.32	00.00	00.00	00.00	00.00	0.30	0.30	2.37	1.19	00.00	00.00	00.00	00.00	13.07	9.81
कर्नाटक	14.65	7.02	00.00	00.00	11.18	3.17	0.50	0.50	4.74	2.37	00.00	00.00	4.74	2.37	35.71	15.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
केरल	1.89	1.51	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1.89	1.51
मध्य प्रदेश	12.36	9.89	52.43	21.91	42.30	19.78	00.00	00.00	8.53	4.26	8.53	4.27	8.53	4.27	132.69	64.38
महाराष्ट्र	10.32	7.72	8.31	5.96	31.11	16.32	1.53	1.25	4.74	2.37	4.74	.237	4.74	2.37	66.50	38.36
उड़ीसा	32.02	21.23	00.00	00.00	25.08	17.03	0.81	0.70	5.93	2.96	00.00	00.00	5.93	2.97	69.76	44.88
पंजाब	00.00	00.00	37.54	22.85	0.54	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3.56	1.78	3.56	1.78	45.19	26.40
राजस्थान	00.00	00.00	20.94	4.85	5.42	00.00	1.48	0.75	00.00	00.00	7.11	3.56	7.11	3.55	42.06	12.71
तमिलनाडु	37.15	21.52	00.00	00.00	2.12	00.00	0.50	0.50	4.03	2.02	00.00	00.00	4.03	2.01	47.82	26.05
उत्तर प्रदेश	48.42	38.74	94.47	51.27	24.76	14.54	00.00	00.00	12.32	6.16	12.32	6.16	12.32	6.16	204.60	123.02
पश्चिम बंगाल	46.33	30.98	3.00	0.26	13.00	8.54	00.00	00.00	2.69	1.34	2.69	1.34	2.69	1.35	70.39	43.81
कुल	321.06	208.41	271.79	114.76	257.54	138.76	6.73	5.30	71.49	35.74	52.07	26.00	76.48	38.25	1057.12	567.24
आईआईपीआर, कानपुर	00.00	00.00	00.00	00.00	15.00*	3.15										3.15
आईसीआरआईएसएटी	00.00	00.00	00.00	00.00	1.61	0.47										0.47
एनएससीबीज मिनिकीट	-	00.00	-	0.03	00.00	00.00										0.03#
एसएफसीआईबीज मिनिकीट	-	00.00	-	00.31	00.00	00.00										0.31@
एसएससी-बीज मिनिकीट	-	00.00	-	00.00	00.00	00.00										
केन्द्रीय स्तर पर अन्य व्यय																0.46
सकल योग																571.66

प्रजनक बीज उत्पादन के सुदृढ़ीकरण के लिए 2 करोड़ रु. प्रति वर्ष की दर पर (10 करोड़) 15 करोड़ रु. का परिव्यय है और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एन एफ एस एम-दलहन के तहत (प्रजनक बीज सुदृढ़ीकरण के लिए 2 करोड़ रु. प्रति वर्ष की दर पर 10 करोड़ और प्रशिक्षण अवसंरचना और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 5 करोड़ रु.) 15 करोड़ रु. का परिव्यय है।

2007-08 के दौरान गेहूं बीज मिनिकिट की आपूर्ति के लिए एस एफ सी आई को 31.20 करोड़ रु. का भुगतान

2007-08 के दौरान गेहूं बीज मिनिकिट की आपूर्ति के लिए एन एस पी को 3.000 लाख रु. का भुगतान

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय स्तर पर मीडिया और प्रचार के विस्तार प्रभाग के निष्पादन के लिए 20 करोड़ रु. दिए गए।

विवरण III

वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान एन.एच.एम. के तहत भौतिक प्रगति दर्शाने वाला राज्यवार ब्यौरा

(क्षेत्र है. में, मात्रा सं. में)

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्र कवरेज*		पुन:सक्रियकरण		जैविक कृषि		आईपीएम*		नर्सरी**		पीएचएम**		मशिनरी**	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	99,190.36	118,040.00	26,850.00	26,649.00	5,850.00	113.00	62,450.00	63,188.00	122.00	105.00	57.00	406.00	42.00	14.00
2.	बिहार	15,532.00	28,407.40	13,367.00	205.00	1,000.00	220.00	6,500.00	6,295.00	45.00	140.00	3.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	छत्तीसगढ़	53,045.00	32,808.00	4,690.00	0.00	4,900.00	7,000.00	25,300.00	22,500.00	32.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00
4.	दिल्ली	160.00	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	9.00	15.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	905.64	614.35	1,550.00	1,110.41	750.00	347.84	500.00	22.50	4.00	10.00	0.00	0.00	1.00	0.00
6.	गुजरात	55,034.00	58,122.56	838.00	144.95	335.00	349.92	13,102.00	*15,536.49	83.00	48.00	3.00	6.00	1.00	1.00
7.	हरियाणा	16,318.90	16,261.70	1,616.00	829.19	798.00	1,354.00	6,331.00	6,740.00	60.00	39.00	14.00	17.00	0.00	0.00
8.	झारखंड	20,551.00	18,367.00	85.00	0.00	850.00	0.00	556.00	0.00	147.00	122.00	12.00	0.00	12.00	0.00
9.	कर्नाटक	85,270.30	75,125.78	8,932.00	3,584.00	13,410.00	5,068.40	85,800.00	140,322.00	398.00	267.00	5.00	26.00	78.00	24.00
10.	केरल	68,230.00	43,012.40	34,516.68	35,943.81	5,839.00	5,177.00	9,718.00	8,600.22	219.00	110.00	1.00	1.00	20.00	8.00
11.	मध्य प्रदेश	30,956.00	39,742.48	6,985.00	5,893.75	6,623.00	10,370.25	22,871.00	21,714.00	118.00	136.00	1.00	54.00	0.00	3.00
12.	महाराष्ट्र	126,703.30	177,462.34	30,400.00	22,816.47	14,517.61	4,904.25	35,937.00	26,629.62	137.00	38.00	343.00	411.00	2.00	5.00
13.	उड़ीसा	58,955.00	60,938.51	6,733.00	1,303.00	1,900.00	540.00	2,559.00	0.00	129.00	110.00	11.00	0.00	24.00	0.00
14.	पंजाब	17,173.00	12,976.23	5,398.00	6,737.60	2,250.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	3.00	6.00	11.00	11.00
15.	राजस्थान	49,616.03	49,179.63	718.00	1,097.68	3,550.00	2,919.25	11,143.00	22,621.50	84.00	89.00	13.00	6.00	4.00	4.00
16.	तमिलनाडु	96,413.10	87,823.54	9,101.00	9,090.03	10,912.00	12,133.96	20,468.00	41,002.05	59.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	उत्तर प्रदेश	43,543.69	35,236.64	8,310.00	2,205.88	9,416.00	19,776.00	9,464.00	7,810.00	161.00	54.00	162.00	19.00	1.00	0.00
18.	पश्चिम बंगाल	28,496.60	27,491.00	4,330.00	5,330.00	6,500.00	4,804.00	21,350.00	17,152.00	218.00	188.00	76.00	57.00	73.00	0.00
19.	अंडमान एवं निकोबार	334.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	866,427.92	881,640.20	164,469.68	124,940.77	89,400.61	74,277.87	334,049.00	400,133.38	2,042.00	1,625.00	726.00	1,099.00	269.00	70.00

*आई पी एम – समेकित कीट प्रबंधन

**पी एच एम – फसलोपरान्त प्रबंधन

विवरण IV

किस्तार सुधार योजना (ए टी एम ए) के तहत किसान जनित कार्यकलापों की प्रगति

किसान-मोमुखी कार्यकलाप (2005-06)

क्र.सं.	राज्य	एक्सपो दौरे		प्रशिक्षण		प्रदर्शन		किसान मेले		कुल		चालित
		पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	एफआईजीएस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	441	113	3635	1651	323	93	5879	1621	10278	3478	
2.	बिहार									0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	छत्तीसगढ़	20	4	133	45	600	112	56	37	809	198	
4.	गोवा	59	0	370	230	209	4	441	247	1079	481	
5.	गुजरात	37	0	0	0	0	0	0	0	37	0	
6.	हरियाणा	645	167	2278	547	325	64	6055	372	9303	1150	
7.	हिमाचल प्रदेश	245	105	1400	700	600	400	4350	3000	6595	4205	
8.	झारखंड	300	90	3484	1476	148	44	400	150	4332	1760	
9.	कर्नाटक	2	0	115	390	35	5	3000	1000	3152	1395	
10.	मध्य प्रदेश	107	0	1711	155	0	0	6431	500	8249	655	
11.	महाराष्ट्र	0	0	198	6	0	0	0	0	198	6	
12.	उड़ीसा	160	0	450	2000	4030	420	35000	30000	39640	32420	
13.	पंजाब	281	19	2400	938	2954	440	2286	9	7921	1406	
14.	राजस्थान	490	76	1430	390	52	20	3650	1152	5622	1638	
15.	तमिलनाडु									0	0	
16.	उत्तरांचल	125	22	120	5	0	0	159	83	404	110	
17.	उत्तर प्रदेश									0	0	
18.	पश्चिम बंगाल	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	
19.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	147	168	175	420	0	0	322	588	
20.	मणिपुर	60	20	550	150	0	0	0	0	610	170	
21.	मिजोरम	0	0	0	0	60	30	0	0	60	30	
22.	नागालैंड									0	0	
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	26	4	0	0	0	0	0	0	26	4	
24.	जम्मू-कश्मीर									0	0	
	सकल योग	3006	620	18421	8851	9511	2052	67707	38171	98645	49694	0

एफ आई जी एस - किसान हित समूह

विवरण V

किसान्नोमुखी कार्यकलाप (2006-07)

क्र.सं.	राज्य	एक्सपो दौरे		प्रशिक्षण		प्रदर्शन		किसान मेले		कुल		चालित
		पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	एफआईजीएस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	1483	334	15072	8414	2647	1057	22404	13896	41606	23701	274
2.	बिहार	240	120	5445	2930	380	130			6065	3180	143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	छत्तीसगढ़	292	53	3541	987	14500	5100	26985	11743	45318	17883	1294
4.	गोवा	116	76	747	303	1667	458			2530	837	5
5.	गुजरात	279	137	1229	724	570	190	447	150	2525	1201	200
6.	हरियाणा	325	64	605	167	2278	547	6055	370	9263	1148	43
7.	हिमाचल प्रदेश	580	260	3052	1558	1340	610	11300	8750	16272	11178	325
8.	झारखंड	1931	619	6370	2140	1005	335	4236	2604	13542	5698	221
9.	कर्नाटक	63		215		979				1257		112
10.	मध्य प्रदेश	792	152	5912	1140	568	92	20441	4771	27713	6155	675
11.	महाराष्ट्र	15343	1897	640	10	4632	976	264422	98880	285037	101763	271
12.	उड़ीसा	600	400	3300	4465	80,000	40,000	60,000	22500	143900	67365	1365
13.	पंजाब	3530	741	14932	4808	7083	2217	25271	16926	50816	24692	180
14.	राजस्थान	2068	737	5212	2170	2356	757	26138	8972	35774	12636	418
15.	तमिलनाडु	456	294	1869	1001	772	378	338	121	3435	1794	18
16.	उत्तरांचल	150	60	1652	682	606	236	3775	1782	6183	2760	36
17.	उत्तर प्रदेश	2496	624	12947	3423	4090	355	44010	20032	63543	24434	492
18.	पश्चिम बंगाल	100	40	170	210	188	61	22390	13620	22848	13931	54
19.	असम			504	216			380	120	884	336	
20.	अरुणाचल प्रदेश	205	85	1600	1250	550	350	0	0	2355	1685	0
21.	मणिपुर	110	20	950	200	80	0	0	0	1140	220	200
22.	मिजोरम	55	33	3527	1210	560	231	9256	4977	13398	6451	71
23.	नागालैंड			1080	862	350	250	588	462	2018	1574	60
24.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22								22		10
25.	सिक्किम	259	111	1138	487	294	126	1750	750	3441	1474	30
26.	जम्मू-कश्मीर	2449	428	7737	1250	666	511	8097	2172	18949	4361	0
	सकल योग	33944	7285	99446	40607	128161	54967	558283	233598	819834	336457	6497

एम - पुरुष किसानों की सं., एफ - महिला किसानों की सं.

विवरण VI

किसान्नोमुखी कार्यकलाप (2007-08) (22.10.2008 से अद्यतन)

क्र.सं.	राज्य	एक्सपो दौरे		प्रशिक्षण		प्रदर्शन		किसान मेले		कुल		चालित एफआईजीएस	फार्म स्कूल
		पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	पु.	स्त्री		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1635	552	43032	21413	3126	1659	22035	13554	69828	37178	412	207
2.	बिहार	1034	516	26016	11151	316	108	41892	18056	69258	29831	736	200
3.	छत्तीसगढ़	1428	596	1561	668	165	75	20016	3342	23170	4681		712
4.	गोवा	0	0	504	216	0	0	250	150	754	366	0	0
5.	गुजरात	1566	1051	3408	1842	5951	1611	20171	21503	6309	26007	813	34
6.	हरियाणा	651	265	2278	547	324	64	6055	370	9308	1246	43	45
7.	हिमाचल प्रदेश	760	430	2295	1340	1400	700	11270	7130	15725	9600	297	52
8.	झारखंड	645	207	1428	412	1400	0	1155	385	4628	1004	130	9
9.	कर्नाटक	760	430	2295	1340	8930	2670	11270	7130	23255	11570	61	0
10.	मध्य प्रदेश	5800	1326	26654	5741	3781	294	57415	9821	99663	18683	150	575
11.	महाराष्ट्र	15932	6025	39162	16814	1863	268	17977	5897	74934	29004	1318	0
12.	उड़ीसा	13900	3200	254000	346300	10000	3507	94539	218	372439	353225		12
13.	पंजाब	4507	703	23682	3644	19871	2954	25261	3701	73321	11002	477	22
14.	राजस्थान	6138	915	48438	23997	134411	52359	22357	6389	211344	83660	747	96
15.	तमिलनाडु	1167	514	6057	2953	10439	4263	30264	29115	47927	36845	357	23
16.	उत्तरांचल	1524	276	10643	3946	1674	485	9657	4641	23498	9348	98	0
17.	उत्तर प्रदेश	5808	1922	90993	11519	24623	2027	102217	36412	234842	51880	1598	472
18.	पश्चिम बंगाल	-	-	18080	4520	79151	19788	11201	2434	97232	24308	112	442
19.	असम	65	44	504	216	0	0	0	0	569	260		142
20.	अरुणाचल प्रदेश									0	0		112
21.	मणिपुर	379	199	568	294	102	56	180	68	1229	617	130	28
22.	मिजोरम	47	7	206	160	374	150	3713	1655	4340	1972	153	0
23.	नागालैंड	248	155	3240	9680	750	1000	1383	1354	5621	12189	45	30
24.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	100	20	1120	240	0	60	1590	685	2810	1005	10	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.	सिक्किम	0	0	15	84	340	60	1590	685	1945	829	5	14
26.	जम्मू-कश्मीर			25				25		50	0		0
27.	केरल	1041	510	502	234								0
28.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7845	2085
	योग	64094	19353	606204	469037	308991	94158	513483	174695	1473999	757243	15537	5312

किसान्मुखी कार्यकलाप (2008-09 से सितम्बर 2008 तक)

(21.10.2008 से अद्यतन)

क्र.सं.	राज्य	एक्सपो दौरे		प्रशिक्षण		प्रदर्शन		किसान मेले		कुल		चालित	फार्म
		पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	पु.	स्त्री	एफआईजीएस	स्कूल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	13
2.	बिहार	6221	1085	107817	16616	504	16	85359	19705	199901	37422	259	190
3.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	झारखंड	403	109	625	224	545	0	0	0	1573	333	0	4
9.	कर्नाटक	3685	1390	4869	1700	40844	18671	8993	4166	58391	25927	47	0
10.	मध्य प्रदेश	2883	883	81332	640	14511	405	478661	63612	577387	65540	1408	109
11.	महाराष्ट्र	18891	7569	59335	25478	4396	1900	25394	10996	108016	45943	0	0
12.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	पंजाब	513	230	6642	1242	2753	561	3239	142	13147	2175	0	0
14.	राजस्थान	87	85	4380	11668	539	80	5240	2201	10246	14034	6	0
15.	तमिलनाडु	1640	700	5265	3510	3435	859	60400	26708	70740	31777	180	36
16.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	उत्तर प्रदेश	29164	0	48338	0	31133	0	1330	0	0	0	0	723
18.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	नागालैंड	2800	1200	7400	5800	4535	90	54500	21000	69235	28090	0	0
24.	अंडमान एवं निकोबार	0	0	20	20	75	0	148	541	243	561	0	4
25.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
26.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पांडिचेरी	0	0	760	240	10	0	1267	973	2037	1213	3	0
	योग	66287	13251	326783	67138	103280	22582	724531	150044	1110916	253015	15472	1079

*शेष राज्यों से सूचना प्रतीक्षित है।

राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत 2006-07 और 2007-08 के दौरान की गई राज्य-वार भौतिक उपलब्धियां (मुख्य घटक)

क्र.सं.	राज्य	पौधरोपण	किसानों का प्रशिक्षण (संख्या में)	नर्सरी (संख्या में)
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र	600	191	8
2.	गुजरात	1060	255	3
3.	केरल	-*	-*	-*
4.	आंध्र प्रदेश	119	41	4
5.	उत्तरांचल	3038	1200	15
6.	उत्तर प्रदेश	1226	75	14
7.	जम्मू-कश्मीर	-*	-*	-*
8.	राजस्थान	-*	887	36
9.	तमिलनाडु	110	450	2
10.	हिमाचल प्रदेश	346	130	4
11.	झारखंड	550	-*	6

1	2	3	4	5
12.	कर्नाटक	1635	26	–*
13.	उड़ीसा	3970	9	116
14.	छत्तीसगढ़	4364	650	83
15.	पश्चिम बंगाल	40	–*	5
16.	पंजाब	–*	–*	–*
17.	मध्य प्रदेश	–*	–*	–*
18.	बिहार	–*	–*	–*
19.	गोवा	–*	–*	–*
	उप योग	17058	3914	296
	उ. पू. राज्य			
20.	असम	5080	2425	20
21.	मिजोरम	10556	1280	126
22.	मेघालय	4090	240	16
23.	सिक्किम	1436	905	69
24.	त्रिपुरा	1200	3150	67
25.	मणिपुर	5000	1200	84
26.	नागालैंड	13032	3022	86
27.	अरुणाचल प्रदेश	15220	3135	98
	उप योग	55614	15357	566
	कुल योग	72672	19271	862

*वर्तमान वर्ष (2008-09) के दौरान इन राज्यों से प्रगति रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

भौतिक प्रगति रिपोर्ट भी प्रतीक्षित है।

वर्ष 2007-08 के लिए एनएफएमएस की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

आंध्र प्रदेश (लाख रुपयों)

क्र.सं.		इकाई	भौतिक उपलब्धियां	वित्तीय उपलब्धियां
1	2	3	4	5
	चावल			
1.	उन्नत तरीकों का प्रदर्शन	संख्या	2172.00	54.30
2.	एस.आर.आई. का प्रदर्शन .	संख्या	3405.00	41.32

1	2	3	4	5
3.	संकर चावल प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन	संख्या	288.00	8.64
4.	संकर चावल बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
5.	संकर चावल बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
6.	एच.वी.वाई. बीजों का वितरण	क्विंटल	750.00	3.75
7.	सूक्ष्म पोषकों के लिए प्रोत्साहन	है.	44408.00	222.04
8.	मृदा में लाइमिंग के लिए प्रोत्साहन	है.	0.00	0.00
9.	कोनोवीडर तथा अन्य फार्म उपकरण	संख्या	87.00	1.06
10.	पी.पी. रसायन एवं जैव कारक	है.	4000.00	20.00
11.	कृषक प्रशिक्षण (एफएफएस)	संख्या	238.00	40.46
12.	विविध जिला स्तर	संख्या	11.00	11.53
	(ख) विविध राज्य स्तर		1.00	0.93
	वीडियों कनरेंसिंग			250.65
13.	स्थानीय पहलें			0.00
	कुल			654.68
	दालें			
1.	आईसीएआर से प्रजनक बीजों की खरीद	क्विंटल	0.00	0.00
2.	आधारी एवं प्रमाणित बीजों का उत्पादन	क्विंटल	0.00	0.00
3.	प्रमाणित बीजों का वितरण	क्विंटल	88333.00	1060.00
4.	प्रमाणीकरण संस्था का सुदृढ़ीकरण	–	0.00	0.00
5.	लाईम/जिप्सम का वितरण	है.	0.00	0.00
6.	सूक्ष्म पोषकों का वितरण	है.	1253.00	9.40
7.	समेकि दीमक प्रबंधन (आई.पी.एस.)	है.	25000.00	187.50
8.	स्प्रिंकलर सैटों का वितरण	है.	155.00	11.69
9.	एफ.एफ.एस. के पैटर्न पर प्रशिक्षण	संख्या	0.00	219.91
	(2) प्रशिक्षणार्थियों के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण	संख्या	0.00	0.00
10.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	0.00	10.40
	(ख) विविध राज्य स्तर	संख्या	0.00	0.00
11.	स्थानीय पहलें	संख्या		377.50
	कुल			1876.40

वर्ष 2007-2008 के लिए एनएफएमएम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

राज्य: असम (लाख रुपयों)

क्र.सं.		आवंटन	व्यय
1.	एनएफएसएम - चावल	1151.060	259.46
2.	प्रचार	15.600	15.60
3.	स्थानीय पहलें	0.000	0.00
	कुल	1166.660	275.06

क्र.सं.		इकाई	भौतिक उपलब्धियां	वित्तीय उपलब्धियां
	चावल			
1.	उन्नत तरीकों का प्रदर्शन	संख्या	1000.00	25.00
2.	एस.आर.आई. का प्रदर्शन	संख्या	200.00	6.00
3.	संकर चावल प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन	संख्या	0.00	0.00
4.	संकर चावल बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
5.	संकर चावल बीजों का वितरण	क्विंटल	40.50	0.81
6.	एच.वी.वाई. बीजों का वितरण	क्विंटल	17500.00	87.50
7.	सूक्ष्म पोषकों के लिए प्रोत्साहन	है.	1000.00	5.00
8.	मृदा में लाइमिंग के लिए प्रोत्साहन	है.	5000.00	25.00
9.	कोनोवीडर तथा अन्य फार्म उपकरण	संख्या	0.00	0.00
10.	पी.पी. रसायन एवं जैव कारक	है.	0.00	0.00
11.	कृषक प्रशिक्षण (एफएफएस)	संख्या	80.00	13.60
12.	विविध जिला स्तर	संख्या	13.00	82.68
	(ख) विविध राज्य स्तर		1.00	13.87
13.	स्थानीय पहलें			0.00
	कुल			259.46

वर्ष 2007-2008 के लिए एनएफएमएम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

राज्य: बिहार (लाख रुपयों)

क्र.सं.	घटक	आवंटन	व्यय
1.	एनएफएसएम - चावल	262.555	34.46
2.	दालें	338.000	81.61
3.	गेहूं	2891.780	1207.88
4.	प्रचार	138.000	7.08
	कुल	3630.335	1331.02

क्र.सं.	पहलें	इकाई	भौतिक उपलब्धियां	वित्तीय उपलब्धियां
1	2	3	4	5
	चावल			
1.	उन्नत तरीकों का प्रदर्शन	संख्या	697.00	15.00
2.	एस.आर.आई. का प्रदर्शन	संख्या	0.00	0.00
3.	संकर चावल प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन	संख्या	0.00	0.00
4.	संकर चावल बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
5.	संकर चावल बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
6.	एच.वी.वाई. बीजों का वितरण	क्विंटल	634.00	3.18
7.	सूक्ष्म पोषकों के लिए प्रोत्साहन	है.	1654.00	8.27
8.	मृदा में लाइमिंग के लिए प्रोत्साहन	है.	0.00	0.00
9.	कोनोवीडर तथा अन्य फार्म उपकरण	संख्या	0.00	0.00
10.	पी.पी. रसायन एवं जैव कारक	है.	0.00	0.00
11.	कृषक प्रशिक्षण (एफएफएस)	संख्या	96.00	7.68
12.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	18.00	0.33
	(ख) विविध जिला स्तर		1.00	0.00
	कुल			34.46
	दालें			
1.	आईसीएआर से प्रजनक बीजों की खरीद	क्विंटल	140.00	7.57
2.	आधारी एवं प्रमाणित बीजों का उत्पादन	क्विंटल	0.00	7.39

1	2	3	4	5
3.	प्रमाणित बीजों का वितरण	क्विंटल	200.00	2.40
4.	प्रमाणीकरण संस्था का सुदृढ़ीकरण	–	0.00	25.00
5.	लाईम/जिप्सम का वितरण	है.	0.00	16.09
6.	सूक्ष्म पोषकों का वितरण	है.	2449.00	0.00
7.	समेकित दीमक प्रबंधन (आई.पी.एस.)	है.	2818.77	21.14
8.	स्प्रिंकलर सैटों का वितरण	है.	12.00	0.93
9.	एफ.एफ.एस. के पैटर्न पर प्रशिक्षण	संख्या	0.00	0.00
	(2) प्रशिक्षणार्थियों के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण	संख्या	0.00	0.00
10.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	13.00	1.09
	(ख) विविध जिला स्तर	संख्या	0.00	0.00
	कुल			81.61
	गेहूं			
1.	उन्नत तरीकों का प्रदर्शन	संख्या	24079.00	297.11
2.	बीज वितरण	संख्या	593412.00	296.71
3.	सूक्ष्म पोषकों के लिए प्रोत्साहन	संख्या	23243.00	116.21
4.	जिप्सम के लिए प्रोत्साहन	क्विंटल	0.00	0.00
5.	जीरो टिल सीड ड्रील मशीन	क्विंटल	91.00	13.65
6.	रोटावेटरों का वितरण	क्विंटल	70.00	21.65
7.	डीजल पम्प सैटों का वितरण	है.	3586.00	358.60
8.	किसानों का प्रशिक्षण (एफएफएस)	संख्या	1427.00	87.50
9.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	25.00	6.10
	(ख) विविध राज्य स्तर		1.00	11.00
	कुल			1207.88

वर्ष 2007-08 के लिए एनएफएमएम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

राज्य: छत्तीसगढ़ (लाख रुपयों)

क्र.सं.	घटक	आवंटन	व्यय
1.	एनएफएसएम - चावल	441.250	0.00
2.	दालें	963.000	196.52
3.	प्रचार	51.000	1.90
	कुल	1455.250	197.52

क्र.सं.	पहलें	इकाई	भौतिक उपलब्धियां	वित्तीय उपलब्धियां
	चावल			
1.	उन्नत तरीकों का प्रदर्शन	संख्या	0.00	0.00
2.	एस.आर.आई. का प्रदर्शन	संख्या	0.00	0.00
3.	संकर चावल प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन	संख्या	0.00	0.00
4.	संकर चावल बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
5.	संकर चावल बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
6.	एच.वी.वाई. बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
7.	सूक्ष्म पोषकों के लिए प्रोत्साहन	है.	0.00	0.00
8.	मृदा में लाइमिंग के लिए प्रोत्साहन	है.	0.00	0.00
9.	कोनोवीडर तथा अन्य फार्म उपकरण	संख्या	0.00	0.00
10.	पी.पी. रसायन एवं जैव कारक	है.	0.00	0.00
11.	कृषक प्रशिक्षण (एफएफएस)	संख्या	0.00	0.00
12.	विविध जिला स्तर	संख्या	0.00	0.00
	(ख) विविध राज्य स्तर		0.00	0.00
	कुल		0.00	0.00
	दालें			
1.	आईसीएआर से प्रजनक बीजों की खरीद	क्विंटल	52.46	2.17
2.	आधारी एवं प्रमाणित बीजों का उत्पादन	क्विंटल	2310.70	16.07
3.	प्रमाणित बीजों का वितरण	क्विंटल	2053.92	21.60
4.	प्रमाणीकरण संस्था का सुदृढ़ीकरण	–	0.00	0.00
5.	लाईम/जिप्सम का वितरण	है.	21730.80	36.55
6.	सूक्ष्म पोषकों का वितरण	है.	21730.80	36.55
7.	समेकित दीमक प्रबंधन (आई.पी.एस.)	है.	13024.20	73.26
8.	स्प्रिंकलर सैटों का वितरण	है.	253.00	2.17
9.	एफ.एफ.एस. के पैटर्न पर प्रशिक्षण	संख्या	0.00	0.00
	(2) प्रशिक्षणार्थियों के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण	संख्या	0.00	0.00
10.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	0.00	7.27
	(ख) विविध राज्य स्तर	संख्या	0.00	0.00
	कुल			195.62

वर्ष 2007-08 के लिए एनएफएमएम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

राज्य: गुजरात (लाख रुपयों)

क्र.सं.	घटक	आवंटन	व्यय
1.	एनएफएसएम - चावल	0.000	0.00
2.	- दालें	226.000	33.77
3.	- गेहूं	480.250	45.64
4.	- प्रचार	31.000	0.00
	कुल	737.250	79.41

क्र.सं.	पहलें	इकाई	भौतिक उपलब्धियां	वित्तीय उपलब्धियां
1	2	3	4	5
	चावल			
1.	उन्नत तरीकों का प्रदर्शन	संख्या	0.00	0.00
2.	एस.आर.आई. का प्रदर्शन	संख्या	0.00	0.00
3.	संकर चावल प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन	संख्या	0.00	0.00
4.	संकर चावल बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
5.	संकर चावल बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
6.	एच.वी.वाई. बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
7.	सूक्ष्म पोषकों के लिए प्रोत्साहन	है.	0.00	0.00
8.	मृदा में लाइमिंग के लिए प्रोत्साहन	है.	0.00	0.00
9.	कोनोवीडर तथा अन्य फार्म उपकरण	संख्या	0.00	0.00
10.	पी.पी. रसायन एवं जैव कारक	है.	0.00	0.00
11.	कृषक प्रशिक्षण (एफएफएस)	संख्या	0.00	0.00
12.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	0.00	0.00
	(ख) विविध राज्य स्तर		0.00	0.00
	कुल		0.00	0.00
	दालें			
1.	आईसीएआर से प्रजनक बीजों की खरीद	क्विंटल	0.00	0.00
2.	आधारी एवं प्रमाणित बीजों का उत्पादन	क्विंटल	0.00	0.00

1	2	3	4	5
3.	प्रमाणित बीजों का वितरण	क्विंटल	1746.00	20.92
4.	प्रमाणीकरण संस्था का सुदृढ़ीकरण	–	0.00	0.00
5.	लाईम/जिप्सम का वितरण	है.	1400.00	9.81
6.	सूक्ष्म पोषकों का वितरण	है.	0.00	0.00
7.	समेकित दीमक प्रबंधन (आई.पी.एस.)	है.	725.00	3.04
8.	स्प्रिंकलर सैटों का वितरण	है.	0.00	0.00
9.	एफ.एफ.एस. के पैटर्न पर प्रशिक्षण	संख्या	0.00	0.00
	(2) प्रशिक्षणार्थियों के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण	संख्या	0.00	0.00
10.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	0.00	0.00
	(ख) विविध राज्य स्तर	संख्या	0.00	0.00
11.	स्थानीय पहलें			
	कुल			33.77
	गेहूं			
1.	उन्नत तरीकों का प्रदर्शन	संख्या	700.00	9.27
2.	बीज वितरण	संख्या	2127.08	10.80
3.	सूक्ष्म पोषकों के लिए प्रोत्साहन	संख्या	0.00	0.00
4.	जिप्सम के लिए प्रोत्साहन	क्विंटल	0.00	0.00
5.	जीरो टिल सीड ड्रील मशीन	क्विंटल	0.00	0.00
6.	रोटावेटरों का वितरण	क्विंटल	75.00	22.50
7.	डीजल पम्प सैटों का वितरण	है.	0.00	0.00
8.	किसानों का प्रशिक्षण (एफएफएस)	संख्या	22.00	2.84
9.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	4.00	0.23
	(ख) विविध राज्य स्तर		1.00	0.00
	कुल			45.64

वर्ष 2007-08 के लिए एनएफएमएम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

राज्य: हरियाणा

(लाख रुपये)

क्र.सं.	घटक	आवंटन	व्यय
1.	एनएफएसएम – चावल	215.000	14.76
2.	– गेहूं	1874.110	314.07
3.	– प्रचार	62.400	32.67
	कुल	2151.510	361.50

क्र.सं.	पहलें	इकाई	भौतिक उपलब्धियां	वित्तीय उपलब्धियां
	दालें			
1.	आईसीएआर से प्रजनक बीजों की खरीद	क्विंटल	0.00	0.00
2.	आधारी एवं प्रमाणित बीजों का उत्पादन	क्विंटल	552.00	5.52
3.	प्रमाणित बीजों का वितरण	क्विंटल	95.00	1.22
4.	प्रमाणीकरण संस्था का सुदृढ़ीकरण	–	1.00	2.93
5.	लाईम/जिप्सम का वितरण	है.	0.00	0.00
6.	सूक्ष्म पोषकों का वितरण	है.	100.00	0.24
7.	समेकित दीमक प्रबंधन (आई.पी.एस.)	है.	0.00	0.00
8.	स्प्रिंकलर सैटों का वितरण	है.	24.00	3.70
9.	एफ.एफ.एस. के पैटर्न पर प्रशिक्षण	संख्या	25.00	0.79
	(2) प्रशिक्षणार्थियों के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण	संख्या	0.00	0.00
10.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	5.00	0.36
	(ख) विविध राज्य स्तर	संख्या	0.00	0.00
	कुल			14.76
	गेहूं			
1.	उन्नत तरीकों का प्रदर्शन	संख्या	2284.00	35.91
2.	बीज वितरण	संख्या	750.00	3.75
3.	सूक्ष्म पोषकों के लिए प्रोत्साहन	संख्या	1194.00	3.17
4.	जिप्सम के लिए प्रोत्साहन	क्विंटल	120.00	0.26
5.	जीरो टिल सीड ड्रील मशीन	क्विंटल	397.00	55.42
6.	रोटावेटरों का वितरण	क्विंटल	667.00	195.00
7.	डीजल पम्प सैटों का वितरण	है.	0.00	0.00
8.	किसानों का प्रशिक्षण (एफएफएस)	संख्या	120.00	14.34
9.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	7.00	3.46
	(ख) विविध राज्य स्तर		1.00	2.76
10.	स्थानीय पहलें			0.00
	कुल			314.07

वर्ष 2007-08 के लिए एनएफएमएम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

राज्य: झारखंड (लाख रुपयों)

क्र.सं.	घटक	आवंटन	व्यय
1.	एनएफएसएम - चावल	0.000	0.00
2.	- प्रचार	0.000	0.00
	कुल	0.000	0.00

क्र.सं.	पहलें	इकाई	भौतिक उपलब्धियां	वित्तीय उपलब्धियां
	चावल			
1.	उन्नत तरीकों का प्रदर्शन	संख्या	0.00	0.00
2.	एस.आर.आई. का प्रदर्शन	संख्या	0.00	0.00
3.	संकर चावल प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन	संख्या	0.00	0.00
4.	संकर चावल बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
5.	संकर चावल बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
6.	एच.वी.वाई. बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
7.	सूक्ष्म पोषकों के लिए प्रोत्साहन	है.	0.00	0.00
8.	मृदा में लाइमिंग के लिए प्रोत्साहन	है.	0.00	0.00
9.	कोनोवीडर तथा अन्य फार्म उपकरण	संख्या	0.00	0.00
10.	पी.पी. रसायन एवं जैव कारक	है.	0.00	0.00
11.	कृषक प्रशिक्षण (एफएफएस)	संख्या	0.00	0.00
12.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	0.00	0.00
	(ख) विविध राज्य स्तर		0.00	0.00
			0.00	0.00

वर्ष 2007-08 के लिए एनएफएमएम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

राज्य: कर्नाटक (लाख रुपयों)

क्र.सं.	घटक	आवंटन	व्यय
1.	एनएफएसएम - चावल	241.690	76.34
2.	- दालें	511.000	110.60
3.	- प्रचार	34.000	34.00
	कुल	786.690	220.94

क्र.सं.	पहलें	इकाई	भौतिक उपलब्धियां	वित्तीय उपलब्धियां
	चावल			
1.	उन्नत तरीकों का प्रदर्शन	संख्या	180,00	2.80
2.	एस.आर.आई. का प्रदर्शन	संख्या	60.00	1.24
3.	संकर चावल प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन	संख्या	31.00	0.86
4.	संकर चावल बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
5.	संकर चावल बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
6.	एच.वी.वाई. बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
7.	सूक्ष्म पोषकों के लिए प्रोत्साहन	है.	270.00	1.35
8.	मृदा में लाइमिंग के लिए प्रोत्साहन	है.	476.00	2.38
9.	कोनोवीडर तथा अन्य फार्म उपकरण	संख्या	15.00	0.16
10.	पी.पी. रसायन एवं जैव कारक	है.	127.00	0.63
11.	कृषक प्रशिक्षण (एफएफएस)	संख्या	2.00	0.29
12.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	7.00	0.04
	(ख) विविध राज्य स्तर		1.00	12.50
13.	केएसएससी लि.			54.05
				76.34
	दालें			
1.	आईसीएआर से प्रजनक बीजों की खरीद	क्विंटल	0.00	0.00
2.	आधारी एवं प्रमाणित बीजों का उत्पादन	क्विंटल	0.00	0.00
3.	प्रमाणित बीजों का वितरण	क्विंटल	347.00	0.20
4.	प्रमाणीकरण संस्था का सुदृढ़ीकरण	-	1.00	10.00
5.	लाईम/जिप्सम का वितरण	है.	0.00	0.00
6.	सूक्ष्म पोषकों का वितरण	है.	0.00	0.00
7.	समेकित दीमक प्रबंधन (आई.पी.एस.)	है.	0.00	0.00
8.	स्प्रिंकलर सैटों का वितरण	है.	0.00	0.00
9.	एफ.एफ.एस. के पैटर्न पर प्रशिक्षण	संख्या	0.00	0.00
	(2) प्रशिक्षणार्थियों के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण	संख्या	0.00	0.00
10.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	13.00	0.00
	(ख) विविध राज्य स्तर	संख्या	0.00	12.50
	केएसएससी लि.		0.00	87.90
	कुल		0.00	110.60

वर्ष 2007-08 के लिए एनएफएमएम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

राज्य: केरल (लाख रुपयों)

क्र.सं.	घटक	आवंटन	व्यय
1.	एनएफएसएम - चावल	0.000	0.00

क्र.सं.	पहलें	इकाई	भौतिक उपलब्धियां	वित्तीय उपलब्धियां
	चावल			
1.	उन्नत तरीकों का प्रदर्शन	संख्या	0.00	0.00
2.	एस.आर.आई. का प्रदर्शन	संख्या	0.00	0.00
3.	संकर चावल प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन	संख्या	0.00	0.00
4.	संकर चावल बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
5.	संकर चावल बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
6.	एच.वी.वाई. बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
7.	सूक्ष्म पोषकों के लिए प्रोत्साहन	है.	0.00	0.00
8.	मृदा में लाइमिंग के लिए प्रोत्साहन	है.	0.00	0.00
9.	कोनोवीडर तथा अन्य फार्म उपकरण	संख्या	0.00	0.00
10.	पी.पी. रसायन एवं जैव कारक	है.	0.00	0.00
11.	कृषक प्रशिक्षण (एफएफएस)	संख्या	0.00	0.00
12.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	0.00	0.00
	(ख) विविध राज्य स्तर		0.00	0.00
			0.00	0.00

स्कीम कार्यान्वित नहीं।

वर्ष 2007-08 के लिए एनएफएमएम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

राज्य: मध्य प्रदेश (लाख रुपयों)

क्र.सं.	घटक	आवंटन	व्यय
1.	एनएफएसएम - चावल	0.00	0.00
2.	- दालें	1694.000	288.02
3.	- गेहूं	2647.495	609.43
4.	- प्रचार	303.000	0.00
	कुल	4647.495	897.45

क्र.सं.	पहलें	इकाई	भौतिक उपलब्धियां	वित्तीय उपलब्धियां
1	2	3	4	5
	चावल			
1.	उन्नत तरीकों का प्रदर्शन	संख्या	0.00	0.00
2.	एस.आर.आई. का प्रदर्शन	संख्या	0.00	0.00
3.	संकर चावल प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन	संख्या	0.00	0.00
4.	संकर चावल बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
5.	संकर चावल बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
6.	एच.वी.वाई. बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
7.	सूक्ष्म पोषकों के लिए प्रोत्साहन	है.	0.00	0.00
8.	मृदा में लाइमिंग के लिए प्रोत्साहन	है.	0.00	0.00
9.	कोनोवीडर तथा अन्य फार्म उपकरण	संख्या	0.00	0.00
10.	पी.पी. रसायन एवं जैव कारक	है.	0.00	0.00
11.	कृषक प्रशिक्षण (एफएफएस)	संख्या	0.00	0.00
12.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	0.00	0.00
	(ख) विविध राज्य स्तर		0.00	0.00
			0.00	0.00
	दालें			
1.	आईसीएआर से प्रजनक बीजों की खरीद	क्विंटल	132.00	0.46
2.	आधारी एवं प्रमाणित बीजों का उत्पादन	क्विंटल	17522.00	45.52
3.	प्रमाणित बीजों का वितरण	क्विंटल	23313.00	98.97
4.	प्रमाणीकरण संस्था का सुदृढ़ीकरण	–	1.00	0.00
5.	लाईम/जिप्सम का वितरण	है.	9225.00	22.21
6.	सूक्ष्म पोषकों का वितरण	है.	9222.00	22.00
7.	समेकित दीमक प्रबंधन (आई.पी.एस.)	है.	17427.00	40.65
8.	स्प्रिंकलर सैटों का वितरण	है.	3270.00	52.61
9.	एफ.एफ.एस. के पैटर्न पर प्रशिक्षण	संख्या	10.00	0.33
	(2) प्रशिक्षणार्थियों के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण	संख्या	0.00	0.00
10.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	20.00	5.27
	(ख) विविध राज्य स्तर	संख्या		0.00
	कुल			288.02

1	2	3	4	5
	गेहूं			
1.	उन्नत तरीकों का प्रदर्शन	है.	8231.00	114.34
2.	बीज वितरण	है.	65182.00	204.42
3.	सूक्ष्म पोषकों के लिए प्रोत्साहन	है.	17407.00	53.24
4.	जिप्सम के लिए प्रोत्साहन	क्विंटल	3844.00	8.32
5.	जीरो टिल सीड ड्रील मशीन	क्विंटल	37.00	2.08
6.	रोटावेटरों का वितरण	क्विंटल	210.00	40.50
7.	डीजल पम्प सैटों का वितरण	है.	1666.00	117.60
8.	किसानों का प्रशिक्षण (एफएफएस)	संख्या	303.00	41.23
9.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	30.00	20.38
	(ख) विविध राज्य स्तर	संख्या	1.00	1.32
10.	स्थानीय पहलें			0.00
	कुल			609.43

वर्ष 2007-08 के लिए एनएफएमएम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

राज्य: महाराष्ट्र (लाख रुपयों)

क्र.सं.	घटक	आवंटन	व्यय
1.	एनएफएसएम - चावल	87.280	32.93
2.	- दालें	858.000	337.24
3.	- गेहूं	397.010	327.94
4.	- प्रचार	72.000	43.73
	कुल	1414.290	741.84

क्र.सं.	पहलें	इकाई	भौतिक उपलब्धियां	वित्तीय उपलब्धियां
1	2	3	4	5
	चावल			
1.	उन्नत तरीकों का प्रदर्शन	संख्या	530.00	13.25
2.	एस.आर.आई. का प्रदर्शन	संख्या	0.00	0.00

1	2	3	4	5
3.	संकर चावल प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन	संख्या	0.00	0.00
4.	संकर चावल बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
5.	संकर चावल बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
6.	एच.वी.वाई. बीजों का वितरण	क्विंटल	705.60	3.53
7.	सूक्ष्म पोषकों के लिए प्रोत्साहन	है.	0.00	0.00
8.	मृदा में लाइमिंग के लिए प्रोत्साहन	है.	0.00	0.00
9.	कोनोवीडर तथा अन्य फार्म उपकरण	संख्या	0.00	0.00
10.	पी.पी. रसायन एवं जैव कारक	है.	0.00	0.00
11.	कृषक प्रशिक्षण (एफएफएस)	संख्या	96.00	16.15
12.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	6.00	0.00
	(ख) विविध राज्य स्तर		1.00	0.00
			0.00	32.93
	दालें			
1.	आईसीएआर से प्रजनक बीजों की खरीद	क्विंटल	1959.00	1.09
2.	आधारी एवं प्रमाणित बीजों का उत्पादन	क्विंटल	3089.00	21.90
3.	प्रमाणित बीजों का वितरण	क्विंटल	7018.00	74.67
4.	प्रमाणीकरण संस्था का सुदृढ़ीकरण	–	0.00	10.00
5.	लाईम/जिप्सम का वितरण	है.	14226.00	86.35
6.	सूक्ष्म पोषकों का वितरण	है.	0.00	2.93
7.	समेकित दीमक प्रबंधन (आई.पी.एस.)	है.	9165.00	53.75
8.	स्प्रिंकलर सैटों का वितरण	है.	0.00	0.00
9.	एफ.एफ.एस. के पैटर्न पर प्रशिक्षण	संख्या	305.00	19.90
	(2) प्रशिक्षणार्थियों के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण	संख्या	0.00	0.00
10.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	18.00	12.30
	(ख) विविध राज्य स्तर	संख्या	0.00	0.00
	स्थानीय पहलें			54.34
	कुल			337.24

1	2	3	4	5
	गेहूं			
1.	उन्नत तरीकों का प्रदर्शन	संख्या	6013.00	111.82
2.	बीज वितरण	संख्या	27949.00	139.26
3.	सूक्ष्म पोषकों के लिए प्रोत्साहन	संख्या	1875.00	9.37
4.	जिप्सम के लिए प्रोत्साहन	क्विंटल	0.00	0.00
5.	जीरो टिल सीड ड्रील मशीन	क्विंटल	28.00	3.32
6.	रोटावेटरों का वितरण	क्विंटल	61.00	16.20
7.	डीजल पम्प सैटों का वितरण	है.	0.00	0.00
8.	किसानों का प्रशिक्षण (एफएफएस)	संख्या	157.00	23.82
9.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	8.00	24.15
	(ख) विविध राज्य स्तर		1.00	0.00
10.	स्थानीय पहलें			0.00
	कुल			327.94

वर्ष 2007-08 के लिए एनएफएमएम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

राज्य: उड़ीसा (लाख रुपयों)

क्र.सं.	घटक	आवंटन	व्यय
1.	एनएफएसएम - चावल	645.860	207.68
2.	- दालें	456.760	153.24
3.	- प्रचार	31.000	20.50
	कुल	1133.620	381.42

क्र.सं.	पहलें	इकाई	भौतिक उपलब्धियां	वित्तीय उपलब्धियां
1	2	3	4	5
	चावल			
1.	उन्नत तरीकों का प्रदर्शन	संख्या	500.00	12.50
2.	एस.आर.आई. का प्रदर्शन	संख्या	200.00	6.00
3.	संकर चावल प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन	संख्या	21.00	0.63

1	2	3	4	5
4.	संकर चावल बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
5.	संकर चावल बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
6.	एच.वी.वाई. बीजों का वितरण	क्विंटल	148.40	0.74
7.	सूक्ष्म पोषकों के लिए प्रोत्साहन	है.	14.00	0.07
8.	मृदा में लाइमिंग के लिए प्रोत्साहन	है.	10000.00	50.00
9.	कोनोवीडर तथा अन्य फार्म उपकरण	संख्या	2000.00	60.00
10.	पी.पी. रसायन एवं जैव कारक	है.	6000.00	30.00
11.	कृषक प्रशिक्षण (एफएफएस)	संख्या	70.00	11.90
12.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	15.00	21.97
	(ख) विविध राज्य स्तर		1.00	13.87
	कुल			207.68
	दालें			
1.	आईसीएआर से प्रजनक बीजों की खरीद	क्विंटल	0.00	0.00
2.	आधारी एवं प्रमाणित बीजों का उत्पादन	क्विंटल	192.00	1.92
3.	प्रमाणित बीजों का वितरण	क्विंटल	265.47	3.19
4.	प्रमाणीकरण संस्था का सुदृढ़ीकरण	–	0.00	10.00
5.	लाईम/जिप्सम का वितरण	है.	17000.00	45.50
6.	सूक्ष्म पोषकों का वितरण	है.	4000.00	10.32
7.	समेकित दीमक प्रबंधन (आई.पी.एस.)	है.	6000.00	45.00
8.	स्प्रिंकलर सैटों का वितरण	है.	225.00	16.88
9.	एफ.एफ.एस. के पैटर्न पर प्रशिक्षण	संख्या	0.00	0.00
	(2) प्रशिक्षणार्थियों के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण	संख्या	0.00	0.00
10.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	10.00	20.43
	(ख) विविध राज्य स्तर	संख्या	0.00	0.00
	कुल			153.24

वर्ष 2007-08 के लिए एनएफएमएम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

राज्य: पंजाब (लाख रुपयों)

क्र.सं.	घटक	आवंटन	व्यय
1.	दालें	66.000	11.90
2.	गेहूं	3108.330	2409.39
3.	प्रचार	114.000	7.68
	कुल	3288.330	2428.97

	दालें			
1.	आईसीएआर से प्रजनक बीजों की खरीद	क्विंटल	0.00	0.00
2.	आधारी एवं प्रमाणित बीजों का उत्पादन	क्विंटल	0.00	0.00
3.	प्रमाणित बीजों का वितरण	क्विंटल	600.00	7.20
4.	प्रमाणीकरण संस्था का सुदृढ़ीकरण	–	0.00	0.00
5.	लाईम/जिप्सम का वितरण	है.	0.00	0.00
6.	सूक्ष्म पोषकों का वितरण	है.	0.00	0.00
7.	समेकित दीमक प्रबंधन (आई.पी.एस.)	है.	0.00	0.00
8.	स्प्रिंकलर सैटों का वितरण	है.	0.00	0.00
9.	एफ.एफ.एस. के पैटर्न पर प्रशिक्षण	संख्या	0.00	0.00
	(2) प्रशिक्षणार्थियों के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण	संख्या	0.00	0.00
10.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	5.00	4.70
	(ख) विविध राज्य स्तर	संख्या	0.00	0.00
	कुल			11.90
	गेहूं			
1.	उन्नत तरीकों का प्रदर्शन	संख्या	37000.00	603.46
2.	बीज वितरण	संख्या	126252.00	631.26
3.	सूक्ष्म पोषकों के लिए प्रोत्साहन	संख्या	60000.00	300.00
4.	जिप्सम के लिए प्रोत्साहन	क्विंटल	0.00	0.00
5.	जीरो टिल सीड ड्रील मशीन	क्विंटल	1178.00	147.38
6.	रोटावेटरों का वितरण	क्विंटल	2266.00	679.80
7.	डीजल पम्प सैटों का वितरण	है.	0.00	0.00
8.	किसानों का प्रशिक्षण (एफएफएस)	संख्या	220.00	35.00
9.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	7.00	10.50
	(ख) विविध राज्य स्तर		1.00	2.00
	कुल			2409.39

वर्ष 2007-08 के लिए एनएफएमएम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

राज्य: राजस्थान (लाख रुपयों)

क्र.सं.	घटक	आवंटन	व्यय
1.	गेहूं	1504.180	311.27
2.	दालें	853.000	64.59
3.	प्रचार	105.000	32.14
	कुल	2462.180	408.00

	दालें			
1.	आईसीएआर से प्रजनक बीजों की खरीद	क्विंटल	26.00	0.00
2.	आधारी एवं प्रमाणित बीजों का उत्पादन	क्विंटल	860.00	0.00
3.	प्रमाणित बीजों का वितरण	क्विंटल	3662.00	13.00
4.	प्रमाणीकरण संस्था का सुदृढ़ीकरण	–	0.00	0.00
5.	लाईम/जिप्सम का वितरण	है.	3077.00	7.71
6.	सूक्ष्म पोषकों का वितरण	है.	2568.00	5.31
7.	समेकित दीमक प्रबंधन (आई.पी.एस.)	है.	25.00	2.30
8.	स्प्रिंकलर सैटों का वितरण	है.	0.00	0.00
9.	एफ.एफ.एस. के पैटर्न पर प्रशिक्षण	संख्या	0.00	2.48
	(2) प्रशिक्षणार्थियों के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण	संख्या	0.00	0.00
10.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	15.00	0.27
	(ख) राज्य स्तर	संख्या	0.00	0.00
	कुल			65.59
	गेहूं			
1.	उन्नत तरीकों का प्रदर्शन	संख्या	3975.00	53.13
2.	बीज वितरण	संख्या	36601.00	113.76
3.	सूक्ष्म पोषकों के लिए प्रोत्साहन	संख्या	13188.00	24.01
4.	जिप्सम के लिए प्रोत्साहन	क्विंटल	3968.00	30.44
5.	जीरो टिल सीड ड्रील मशीन	क्विंटल	979.00	77.29
6.	रोटावेटरों का वितरण	क्विंटल	7.00	2.10
7.	डीजल पम्प सैटों का वितरण	है.	0.00	0.00
8.	किसानों का प्रशिक्षण (एफएफएस)	संख्या	65.00	6.59
9.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	15.00	2.64
	(ख) विविध राज्य स्तर		1.00	0.04
10.	स्थानीय पहलें			1.27
	कुल			311.27

वर्ष 2007-08 के लिए एनएफएमएम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

राज्य: तमिलनाडु (लाख रुपयों)

क्र.सं.	घटक	आवंटन	व्यय
1.	एनएफएसएम - चावल	971.353	90.48
2.	- दालें	444.470	51.23
3.	- प्रचार	25.000	25.00
	कुल	1386.823	166.70

क्र.सं.	पहलें	इकाई	भौतिक उपलब्धियां	वित्तीय उपलब्धियां
1	2	3	4	5
	चावल			
1.	उन्नत तरीकों का प्रदर्शन	संख्या	160.00	1.75
2.	एस.आर.आई. का प्रदर्शन	संख्या	84.00	2.52
3.	संकर चावल प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन	संख्या	100.00	3.00
4.	संकर चावल बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
5.	संकर चावल बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
6.	एच.वी.वाई. बीजों का वितरण	क्विंटल	1980.00	9.50
7.	सूक्ष्म पोषकों के लिए प्रोत्साहन	है.	3185.60	13.20
8.	मृदा में लाइमिंग के लिए प्रोत्साहन	है.	0.00	0.00
9.	कोनोवीडर तथा अन्य फार्म उपकरण	संख्या	2330.00	56.40
10.	पी.पी. रसायन एवं जैव कारक	है.	490.00	2.45
11.	कृषक प्रशिक्षण (एफएफएस)	संख्या	8.00	1.36
12.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	5.00	0.30
	(ख) विविध राज्य स्तर		1.00	0.00
	कुल			90.48
	दालें			
1.	आईसीएआर से प्रजनक बीजों की खरीद	क्विंटल	0.00	0.00
2.	आधारी एवं प्रमाणित बीजों का उत्पादन	क्विंटल	691.50	7.13

1	2	3	4	5
3.	प्रमाणित बीजों का वितरण	क्विंटल	585.65	7.03
4.	प्रमाणीकरण संस्था का सुदृढ़ीकरण	–	0.00	0.00
5.	लाईम/जिप्सम का वितरण	है.	2010.45	13.31
6.	सूक्ष्म पोषकों का वितरण	है.	1642.40	5.68
7.	समेकित दीमक प्रबंधन (आई.पी.एस.)	है.	1710.67	10.80
8.	स्प्रिंकलर सैटों का वितरण	है.	75.00	5.60
9.	एफ.एफ.एस. के पैटर्न पर प्रशिक्षण	संख्या	0.00	0.15
	(2) प्रशिक्षणार्थियों के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण	संख्या	0.00	0.00
10.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	12.00	1.52
	(ख) विविध राज्य स्तर	संख्या	0.00	0.00
11.	स्थानीय पहलें			0.00
	कुल			151.23

वर्ष 2007-08 के लिए एनएफएमएम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

राज्य: उत्तर प्रदेश (लाख रुपयों)

क्र.सं.	घटक	आवंटन	व्यय
1.	एनएफएसएम – चावल	0.000	0.00
2.	– गेहूं	7079.035	4648.33
3.	– दालें	841.025	314.83
4.	– प्रचार	459.000	0.97
	कुल	8379.060	4664.14

क्र.सं.	पहलें	इकाई	भौतिक उपलब्धियां	वित्तीय उपलब्धियां
1	2	3	4	5
	चावल			
1.	उन्नत तरीकों का प्रदर्शन	संख्या	0.00	0.00
2.	एस.आर.आई. का प्रदर्शन	संख्या	0.00	0.00
3.	संकर चावल प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन	संख्या	0.00	0.00

1	2	3	4	5
4.	संकर चावल बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
5.	संकर चावल बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
6.	एच.वी.वाई. बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
7.	सूक्ष्म पोषकों के लिए प्रोत्साहन	है.	0.00	0.00
8.	मृदा में लाइमिंग के लिए प्रोत्साहन	है.	0.00	0.00
9.	कोनोवीडर तथा अन्य फार्म उपकरण	संख्या	0.00	0.00
10.	पी.पी. रसायन एवं जैव कारक	है.	0.00	0.00
11.	कृषक प्रशिक्षण (एफएफएस)	संख्या	0.00	0.00
12.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	0.00	0.00
	(ख) विविध राज्य स्तर		0.00	0.00
			0.00	0.00
	दालें			
1.	आईसीएआर से प्रजनक बीजों की खरीद	क्विंटल	15.00	0.20
2.	आधारी एवं प्रमाणित बीजों का उत्पादन	क्विंटल	95.00	0.96
3.	प्रमाणित बीजों का वितरण	क्विंटल	6709.00	79.91
4.	प्रमाणीकरण संस्था का सुदृढ़ीकरण	–	1.00	0.00
5.	लाईम/जिप्सम का, वितरण	है.	0.00	168.00
6.	सूक्ष्म पोषकों का वितरण	है.	1980.00	23.25
7.	समेकित दीमक प्रबंधन (आई.पी.एस.)	है.	3108.00	5.83
8.	स्प्रिंकलर सैटों का वितरण	है.	298.00	23.33
9.	एफ.एफ.एस. के पैटर्न पर प्रशिक्षण	संख्या	2.00	8.30
	(2) प्रशिक्षणार्थियों के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण	संख्या	0.00	0.00
10.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	19.00	5.06
	(ख) राज्य स्तर	संख्या	0.00	0.00
	कुल			314.83

1	2	3	4	5
	गेहूं			
1.	उन्नत तरीकों का प्रदर्शन	संख्या	15832.00	244.89
2.	बीज वितरण	संख्या	637438.00	3076.35
3.	सूक्ष्म पोषकों के लिए प्रोत्साहन	संख्या	21770.00	124.98
4.	जिप्सम के लिए प्रोत्साहन	क्विंटल	0.00	760.00
5.	जीरो टिल सीड ड्रील मशीन	क्विंटल	363.00	43.40
6.	रोटावेटरों का वितरण	क्विंटल	290.00	84.87
7.	डीजल पम्प सैटों का वितरण	है.	2308.00	213.52
8.	किसानों का प्रशिक्षण (एफएफएस)	संख्या	558.00	74.55
9.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	38.00	25.77
	(ख) राज्य स्तर		1.00	0.00
	कुल			4648.33

वर्ष 2007-08 के लिए एनएफएमएम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

राज्य: पश्चिम बंगाल (लाख रुपयों)

क्र.सं.	घटक	आवंटन	व्यय
1.	एनएफएसएम - चावल	608.747	594.60
2.	- गेहूं	727.110	213.24
3.	- दालें	186.000	114.00
4.	- प्रचार	78.000	0.64
	कुल	1599.857	922.48

क्र.सं.	पहलें	इकाई	भौतिक उपलब्धियां	वित्तीय उपलब्धियां
1	2	3	4	5
	चावल			
1.	उन्नत तरीकों का प्रदर्शन	संख्या	1390.00	34.48
2.	एस.आर.आई. का प्रदर्शन	संख्या	0.00	0.00
3.	संकर चावल प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन	संख्या	500.00	15.00

1	2	3	4	5
4.	संकर चावल बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
5.	संकर चावल बीजों का वितरण	क्विंटल	80.84	1.62
6.	एच.वी.वाई. बीजों का वितरण	क्विंटल	0.00	0.00
7.	सूक्ष्म पोषकों के लिए प्रोत्साहन	है.	41700.00	208.50
8.	मृदा में लाइमिंग के लिए प्रोत्साहन	है.	30000.00	150.00
9.	कोनोवीडर तथा अन्य फार्म उपकरण	संख्या	1500.00	45.00
10.	पी.पी. रसायन एवं जैव कारक	है.	13900.00	65.50
11.	कृषक प्रशिक्षण (एफएफएस)	संख्या	139.00	23.63
12.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	8.00	50.88
	(ख) विविध राज्य स्तर		1.00	0.00
				594.60
	दालें			
1.	आईसीएआर से प्रजनक बीजों की खरीद	क्विंटल	0.00	0.00
2.	आधारी एवं प्रमाणित बीजों का उत्पादन	क्विंटल	1000.00	10.00
3.	प्रमाणित बीजों का वितरण	क्विंटल	4167.00	50.00
4.	प्रमाणीकरण संस्था का सुदृढ़ीकरण	–	1.00	0.00
5.	लाईम/जिप्सम का वितरण	है.	0.00	0.00
6.	सूक्ष्म पोषकों का वितरण	है.	2000.00	10.00
7.	समेकित दीमक प्रबंधन (आई.पी.एस.)	है.	1200.00	9.00
8.	स्प्रिंकलर सैटों का वितरण	है.	133.00	10.00
9.	एफ.एफ.एस. के पैटर्न पर प्रशिक्षण	संख्या	0.00	0.00
	(2) प्रशिक्षणार्थियों के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण	संख्या	0.00	0.00
10.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	5.00	25.00
	(ख) राज्य स्तर	संख्या	0.00	0.00
	कुल			114.00
	गेहूं			
1.	उन्नत तरीकों का प्रदर्शन	संख्या	0.00	0.00
2.	बीज वितरण	संख्या	0.00	0.00

1	2	3	4	5
3.	सूक्ष्म पोषकों के लिए प्रोत्साहन	संख्या	24300.00	121.50
4.	जिप्सम के लिए प्रोत्साहन	क्विंटल	0.00	0.00
5.	जीरो टिल सीड ड्रील मशीन	क्विंटल	50.00	7.50
6.	रोटावेटरों का वितरण	क्विंटल	20.00	6.00
7.	डीजल पम्प सैटों का वितरण	है.	500.00	50.00
8.	किसानों का प्रशिक्षण (एफएफएस)	संख्या	16.00	2.72
9.	विविध (क) जिला स्तर	संख्या	4.00	25.52
	(ख) राज्य स्तर		1.00	0.00
10.	स्थानीय पहलें			0.00
	कुल			213.24

एमटीएनएल तथा बीएसएनएल में दूरसंचार सलाहकार समिति

1294. क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) तथा भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में कुल कितनी दूरसंचार सलाहकार समितियों (टीएसी) का गठन किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त समितियों की कितनी बार बैठक हुई;

(ग) क्या उक्त समितियों की आवश्यक बैठकों का आयोजन करने में उक्त संगठनों की विफलता के लिए उनके विरुद्ध कुछ जन-प्रतिनिधियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) तथा महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) में कुल 357 दूरसंचार सलाहकार समितियां (टीएसी) गठित हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान टीएसी की 1134 बैठकों का आयोजन किया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) टीएसी की बैठकों का आयोजन न कराये जाने के संबंध में निम्नलिखित प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थीं:-

* दूरसंचार सलाहकार समिति (टीएसी) की वर्ष में दो बार बैठकों का आयोजन न किया जाना।
* टीएसी की बैठकों की सूचना न देना या अल्प अवधि की सूचना देना।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड/भारत संचार निगम लि. द्वारा अपने अधीन राज्य इकाइयों को एक बार फिर अनुदेश/मार्गनिर्देश जारी किये गये हैं कि अधिमानत: जब संसद/राज्य विधान सभा का सत्र न चल रहा हो तो, वे मार्गनिर्देशों के अनुसार टीएसी बैठकों का आयोजन करें। भारत संचार निगम लि. द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए भी अनुदेश जारी किये गये हैं कि टीएसी की बैठकों की तारीख, समय और स्थान के बारे में टीएसी के सभी सदस्यों को काफी पहले अवगत करा दिया जाए।

[अनुवाद]

चावल उत्पादन में वृद्धि

1295. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने वर्ष 2008 के अपने पहले पूर्वानुमान में विश्व में चावल के उत्पादन में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि इंगित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत के संबंध में लगाए गए अनुमान का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) हां श्री मान जी। संयुक्त राष्ट्र संघ का खाद्य तथा कृषि संगठन वर्ष 2008 में सामान्य मौसमी दशाओं को मानते हुए धान के वैश्विक उत्पादन में 1.8 प्रतिशत तक की वृद्धि की उम्मीद करता है। धान के उत्पादन में संभावित वृद्धि का श्रेय मुख्य रूप से निम्न सारणी में दर्शाये गये देशों में इसके उत्पादन में हुई वृद्धि को जाता है।

देश	धान उत्पादन (मिलियन टन)		वृद्धि (%)
	2007 (अनुमानित)	2008 (पूर्वानुमान)	
बांगलादेश	40.7	42.5	4.4
चीन	185.5	188.5	1.6
भारत	141.1	142.5	1.0
इंडोनेशिया	57.1	58.3	2.1
म्यांमार	31.5	32.0	1.6
फिलीपिंस	16.7	17.5	4.8
ब्राजील	11.3	12.1	7.1
विश्व	649.7	661.3	1.8

(ग) खाद्य तथा कृषि संगठन के अनुसार, भारत में धान का उत्पादन वर्ष 2008-09 में 142.5 मिलियन टन अनुमानित है जो वर्ष 2007-08 में हुए 141.1 मिलियन टन उत्पादन से 1.4 मिलियन टन अधिक है।

नई रक्षा उत्पादन इकाइयां

1296. श्री जुएल ओराम: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं रक्षा योजना के दौरान नई रक्षा उत्पादन इकाइयों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) फिलहाल, 11वीं रक्षा योजना के दौरान कोई नई रक्षा उत्पादन इकाई स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मोबाइल टेलीफोन सेवा का विस्तार और विकास

1297. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र सहित देश में मोबाइल टेलीफोन सेवा के अंतर्गत कितनी जनसंख्या और कितना क्षेत्र शामिल है;

(ख) महाराष्ट्र सहित देश में मोबाइल टेलीफोन सेवा के विस्तार और विकास के संबंध में सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) देश के विभिन्न भागों में मोबाइल टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने के लिए आज तक 297 लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिसमें महाराष्ट्र सेवा क्षेत्र में 13 लाइसेंस और मुम्बई सेवा क्षेत्र में 12 लाइसेंस शामिल हैं। मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संपूर्ण भौगोलिक कवरेज और जनसंख्या शामिल करते हुए देश को 22 सेवा क्षेत्रों में बांटा गया है। 30 सितम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार, देश में कार्यरत मोबाइल फोनों की कुल संख्या 31,53,11,901 है जिसमें महाराष्ट्र सेवा क्षेत्र के 2,50,47,312 मोबाइल उपभोक्ता और मुम्बई सेवा क्षेत्र के 1,58,07,209 मोबाइल फोन शामिल हैं। 30.09.2008 की स्थिति के अनुसार, अखिल भारतीय मोबाइल फोन टेलीघनत्व जनसंख्या का 27.32 प्रति सैकड़ा है। मोबाइल फोन टेलीघनत्व, महाराष्ट्र सेवा क्षेत्र में 27.60% और मुम्बई सेवा क्षेत्र में 79.92% है। मोबाइल सेवा लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, लाइसेंसधारकों को लाइसेंस प्रभावी होने की तिथि से पहले वर्ष में कम से कम 10% जिला मुख्यालयों और तीन वर्ष के अन्दर 50% जिला मुख्यालयों को सुविधायुक्त करना होगा। लाइसेंसधारक को, जिला मुख्यालय के स्थान पर जिले के किसी अन्य शहर को सुविधायुक्त करने की अनुमति दी गई है। सुविधायुक्त किए जाने वाले जिला मुख्यालयों/शहरों का चयन और जिला मुख्यालयों/शहरों में 50% से आगे सेवा का विस्तार, लाइसैंसधारक के अपने व्यावसायिक निर्भर करता है। ग्रामीण क्षेत्रों को अनिवार्य रूप से सुविधायुक्त करने की कोई अपेक्षा नहीं है।

[अनुवाद]

वस्त्र निर्यात हेतु लक्ष्य

1298. श्री एल. राजगोपाल: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2008-09 के दौरान वस्त्र निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने वर्ष 2008-09 के दौरान वस्त्रों के निर्यात का लक्ष्य, वर्ष 2007-08 में वास्तविक निष्पादन से 20% अधिक निर्धारित किया है। वर्ष 2007-08 में वस्त्र एवं क्लोदिंग का निर्यात कुल 21.46 बिलियन अमरीकी डालर था और इस प्रकार चालू वर्ष के लिए वास्तविक लक्ष्य 25.75 बिलियन अमरीकी डालर का निर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

डाक विभाग में रिक्त पद

1299. श्री अभिषाश राय खन्ना: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग में विभिन्न श्रेणियों के कुछ पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) डाक विभाग में श्रेणीवार रिक्त पद निम्नानुसार हैं:-

श्रेणी 'क'	श्रेणी 'ख'	श्रेणी 'ग"	श्रेणी 'घ'	कुल
101	2053	36759	8400	47313

ये पद इसलिए रिक्त पड़े हैं क्योंकि सीधी भर्ती की रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में अधिक समय लगता है क्योंकि किसी भी ग्रेड में सीधी भर्ती किए जाने से पहले कुछ निर्धारित पूर्व-अपेक्षित कार्रवाई का अनुसरण करना पड़ता है जैसे स्क्रीनिंग समिति का अनुमोदन प्राप्त करना, सरप्लस सेल से अनुमति लेना, रिक्तियों को संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग को सूचित करना, विभिन्न नोडल एजेंसियों द्वारा परीक्षाएं आयोजित करना, नियुक्ति हेतु सिफारिश किए गए व्यक्तियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन करना आदि। ये पद इस कारण से भी रिक्त हैं कि रिक्तियां हाल ही में उपलब्ध हुई हैं या सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों का संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग से नामांकन अभी प्रतीक्षित है अथवा पदोन्नति के लिए आदेश दिए गए अधिकारी अभी कार्यभार संभालने की कार्रवाई कर रहे हैं।

(ग) खाली पदों को संबंधित भर्ती नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती से भरा जाना है। पदोन्नति के माध्यम से रिक्त पदों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। जहां भी विभागीय परीक्षाओं का प्रावधान है, पदोन्नति के पदों को भरने के लिए निर्धारित कार्यक्रमानुसार विभागीय परीक्षाओं का भी आयोजन किया जाता है। सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार सीधी भर्ती के पद भरे जाते हैं।

खाद्यान्नों और कृषि उत्पादों का भंडार

1300. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय खाद्यान्नों और अन्य कृषि उत्पादों का राज्यवार और फसलवार कितना भंडार है;

(ख) सरकार और निजी कंपनियों द्वारा रखे गए उक्त भंडारों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और

(ग) तीन वर्ष से अधिक समय से रखे हुए उपर्युक्त भंडार का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

डाक टिकटें

1301. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डाक टिकट संग्रह के माध्यम से विश्व में भारतीय विरासत के प्रचार में डाक टिकटों की क्या भूमिका है; और

(ख) भारत के गौरवमयी इतिहास को दर्शाते हुए गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी स्मारक टिकटों/डाक सामग्री का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) भारतीय डाक-टिकटें हमारे ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक धरोहर की बहुरूपदर्शी झलक तथा हमारी संस्कृति एवं परंपराओं की समृद्ध विविधता को प्रस्तुत करती हैं। अनेक प्रकार के विषयों को शामिल करते हुए ये डाक-टिकटें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं, प्रसिद्ध विभूतियों एवं संस्थानों के योगदान और खेल, कला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियों का स्मरण भी कराती हैं। ये डाक-टिकटें, डाक-टिकट संग्रहकर्ताओं एवं आम जनता में काफी लोकप्रिय हैं।

स्मारक/नियत डाक-टिकटों में भारत की संस्कृति, विरासत, प्रकृति आदि की विविधता को दर्शाया जाता है। फिलैटली मेलों, फिलैटली प्रदर्शनियों, फिलैटली प्रश्नोत्तरी, सम्मेलन आदि का आयोजन कर इसका प्रचार किया जाता है। विदेशों में फिलैटली प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं जिनमें भारतीय डाक विभाग लेता है और अपनी डाक-टिकटों की बिक्री करता है तथा इन फिलैटली प्रदर्शनियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, धरोहर और उसके गौरव को व्यापक प्रचार मिलता है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष के दौरान जारी स्मारक डाक-टिकट/मेल सामग्री निम्नानुसार है:-

वर्ष 2006

1. भारत-साइप्रस संयुक्त डाक-टिकट
2. कुरिंजी
3. वेल्लूर विद्रोह 1806
4. भारत-मंगोलिया संयुक्त डाक-टिकट
5. भारत के लुप्तप्राय पक्षी
6. हिमालय की झीलें
   - (क) सेता-झील - अरुणाचल प्रदेश
   - (ख) चन्द्रताल - हिमाचल प्रदेश
   - (ग) रूप कुंड झील - उत्तरांचल
   - (घ) छांगू झील - सिक्किम
   - (ङ) सोमो-रीरी झील - लद्दाख, जम्मू व कश्मीर
7. फील्ड डाकघर के 150 वर्ष
8. चंदन (सुगंधित डाक-टिकट)

वर्ष 2007

1. महक गुलाबों की
   - (क) भीम
   - (ख) दिल्ली प्रिंसेस
   - (ग) जवाहर
   - (घ) नीलम
2. भारत के मेले
   - (क) गोवा कार्निवल
   - (ख) पुष्कर मेला
   - (ग) सोनपुर मेला
   - (घ) बाउल मेला
3. बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2550 वर्ष
4. भारत के राष्ट्रीय उद्यान
   - (क) मुदुमलई, तमिलनाडु
   - (ख) पेरियार, केरल
   - (ग) बांदीपुर, कर्नाटक
   - (घ) काजीरंगा, असम
   - (ङ) बांधवगढ़, मध्य प्रदेश
5. प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 150 वर्ष
6. भारत के प्रसिद्ध सेतु
   - (क) हावड़ा ब्रिज
   - (ख) महात्मा गांधी सेतु
   - (ग) पामबन सेतु
   - (घ) विद्यासागर सेतु
7. सत्याग्रह की शताब्दी
8. वायु सेना की प्लैटिनम जयंती
9. 4जीआर-स्थापना 150 वर्ष
10. स्नोज बेसिलिका चर्च

वर्ष 2008

1. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की स्थानिक तितलियां
2. सिविल सेवा दिवस
3. टाटा स्टील
4. जूही (सुगंधित डाक-टिकट)
5. भारत-चीन संयुक्त डाक-टिकट
6. अलडाब्रा विशाल कछुआ
7. 24वें ओलंपिक खेल
8. भारत के त्योहार
   (क) दशहरा
   (ख) दिवाली
   (ग) दुर्गा पूजा
9. राष्ट्रमंडल युवा खेल पुणे
10. डाकघर
11. राष्ट्रमंडल खेल 2010 दिल्ली में स्वागत है

मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी

1302. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी की शुरूआत करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कब तक शुरू होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस सुविधा का विस्तार देश के सभी भागों में करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ङ) जी, हां। सरकार ने देश के प्रत्येक अंतरालाइसेंस सेवा क्षेत्र में मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) की शुरूआत करने का निर्णय लिया है। 1 अगस्त, 2008 को सरकार ने एमएनपी सेवा संबंधी लाइसेंस प्रदान किए जाने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी "मैट्रो" और श्रेणी 'क' सेवा क्षेत्रों में लाइसेंस प्रदान किए जाने के छह महीने के भीतर और बाकी सेवा क्षेत्रों में लाइसेंस प्रदान किए जाने के एक वर्ष के भीतर एमएनपी को कार्यान्वित किया जाना है।

चीनी मिलों द्वारा भुगतान

1303. श्री एम. अप्पादुरई: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक चीनी मिलें गन्ने का सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य का भुगतान नहीं कर रही हैं और वे खेतों में गन्ने की बुवाई तथा खेतों से गन्ना उठाने में विलम्ब कर रही हैं जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ना किसानों को उनके द्वारा मौसम विशेष के दौरान सप्लाई किए गए गन्ने के लिए देय सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य का भुगतान न करने अथवा खेतों में गन्ने की कटाई तथा खेतों से गन्ना उठाने में विलम्ब करने के संबंध में सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बीसलपुर सिंचाई परियोजना

1304. श्री सुभाष महरिया: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार के पास बीसलपुर सिंचाई परियोजना को केन्द्रीय कमान क्षेत्र विकास योजना में शामिल करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने

बीसलपुर सिंचाई परियोजना को कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबन्धन (सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.) कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वयन करने के लिए सम्मिलित किया है।

समुद्री मत्स्यन

1305. **श्री एम.पी. वीरेन्द्रकुमार:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा समुद्री मत्स्यन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोच्चि "जलवायु परिवर्तन में भारतीय कृषि का प्रभाव, अनुकूलता तथा अतिसंवेदनशीलता" पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नेटवर्क परियोजना के जरिए समुद्री मात्स्यिकी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन कर रहा है।

(ख) इस अध्ययन के तहत निम्नलिखित बातें पाई गईं:

* मछली पकड़ में कोई स्पष्ट कमी नहीं पाई गई।
* समुद्र जल के तापमान में वृद्धि से प्रमुख समुद्री मछलियों जैसे आयल सारडीन तथा इंडियन मैकरेल के उत्तर की ओर बढ़ने का पता चला जिससे यह संकेत मिलता है इन मछलियों ने अपने क्षेत्र को केरल तथा कर्नाटक से तटीय जल क्षेत्रों से महाराष्ट्र तथा गुजरात तक बढ़ाया है।
* समुद्री जल के तापमान में वृद्धि से थ्रेडफिन ब्रीम का स्पानिंग सीजन (अण्डजनन काल) अधिक ठंडे महीनों की ओर खिसक रहा है।
* समुद्री जल के तापमान बढ़ने से प्लांकटोन की प्रचुरता बदल रही है।
* समुद्री जल के तापमान में वृद्धि के कारण तेजी से होने वाली मूंगों (कोरलों) की ब्लीचिंग, कोरल रीफ (प्रवाल पहाड़) को प्रभावित करेगी जिसका अप्रत्यक्ष प्रभाव रीफ (समुद्री चट्टान) पर आश्रित मछलियों पर पड़ेगा।

चीनी उत्पादन

1306. **श्री पी.एस. गड्डी:**
श्री मुन्शी राम:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा पृथक-पृथक कुल कितनी चीनी का उत्पादन किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा कितनी चीनी का आयात और निर्यात किया गया और उक्त आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है; और

(ग) चीनी के आगामी मौसम में कितनी चीनी का निर्यात किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) चीनी वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 (22 सितम्बर, 2008 तक) के दौरान सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा उत्पादित चीनी की कुल मात्रा निम्नानुसार है:-

(मात्रा लाख टन में)

चीनी वर्ष (अक्तूबर-सितम्बर)	सहकारी	सार्वजनिक
2005-06	90.14	10.39
2006-07	132.12	14.78
2007-08 (22 सितम्बर, 2008 तक)	130.41	11.77

वर्तमान चीनी वर्ष 2008-09 पहली अक्तूबर, 2008 से आरम्भ हुआ है। अक्तूबर, 2008 मास में चीनी के उत्पादन के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने खाते पर चीनी का आयात अथवा निर्यात नहीं किया है।

(ग) चूंकि केन्द्रीय सरकार चीनी का निर्यात नहीं करती है, इसलिए सरकार द्वारा चीनी मौसम 2008-09 में निर्यात की जाने वाली चीनी की प्रस्तावित मात्रा का प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

वीरता पुरस्कार विजेताओं को सुविधाएं

1307. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री वी.के. दुग्मर:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने लोगों को वीरता पुरस्कार दिए गए हैं;

(ख) क्या वीरता पुरस्कार प्राप्त लोगों के परिवारों ने इस पुरस्कार के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सुविधाएं नहीं मिलने के संबंध में शिकायतें की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों के लिए छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर वीरता पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों के परिवारों को मिलने वाले भत्तों में वृद्धि करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (च) गत तीन वर्षों के दौरान जिन व्यक्तियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनकी संख्या इस प्रकार है:-

2006	–	221
2007	–	255
2008	–	265

जब कभी वीरता पुरस्कार विजेताओं और उनके परिवारों के अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनकी शिकायतों का समयबद्ध समाधान संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करके रक्षा मंत्रालय द्वारा एक सतत प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। विभिन्न वीरता पुरस्कारों से जुड़ा आर्थिक भत्ता भारत सरकार द्वारा 14 मई 2008 से 100% तक बढ़ा दिया गया है।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री की अमरीका यात्रा

1308. **श्रीमती जयाप्रदा:**
श्री मोहन सिंह:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री असादुद्दीन ओवेसी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्री ने हाल ही में अमरीका की यात्रा की थी और रक्षा खरीद के मुद्दे पर वहां के रक्षा मंत्री से वार्ता की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वार्ता के दौरान सहयोग के किन-किन क्षेत्रों में सहमति हुई?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां। डा. राबर्ट गेट्स, यू.एस. सेक्रटरी आफ डिफेंस की फरवरी, 2008 में अपनी भारत यात्रा के दौरान दिए गए निमंत्रण के प्रत्युत्तर में रक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 7 से 10 सितंबर, 2008 के बीच अमरीका का दौरा किया था।

(ख) रक्षा मंत्री तथा सेक्रटरी गेट्स के बीच बैठक के दौरान इस समय चल रहे रक्षा सहयोग मामलों पर विचार-विमर्श हुआ था।

[हिन्दी]

फूलों का उत्पादन

1309. **श्री धीरेंद्र अग्रवाल:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में देश में हुए फूलों के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ग) देश में फूलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में फूलों के उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराई गई राज्य-वार निधियां संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) भारत सरकार दो केन्द्र प्रायोजित स्कीमें नामत: राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, उत्तरांचल, जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में बागवानी के समेकित विकास पर प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमएनई) कार्यान्वित कर रही है और पुष्पों सहित बागवानी फसलों के विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। अवसंरचना सुविधाओं जैसे नर्सरियों, सामुदायिक टैंकों, ड्रिप प्रणाली के संस्थापन, टिशू कल्चर इकाईयों, संरक्षित खेती, वर्मी-कम्पोस्ट इकाईयों इत्यादि के सृजन के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है जो पुष्प फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को सुधारने में मदद करते हैं।

विवरण I

गत तीन वर्षों के दौरान देश में पुष्पों के उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा

ए - क्षेत्र 000 है में
पी (खुले फूल) - उत्पादन 000 एमटी में
पी (कट फलावर्स) - उत्पादन (लाख सं.)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्ष (2005-06) फूल			वर्ष (2006-07) फूल			वर्ष (2007-08) फूल		
	ए	पी खुले	ए कट	पी	ए खुले	पी कट	ए	पी खुले	ए कट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.006	–	2.537	0.006		2.540	0.006		2.540
आंध्र प्रदेश	17.507	88.806	67.070	21.664	116.238	65.870	23.520	126.264	67.820
बिहार	0.200	2.300	10.600	0.200	2.300	10.600	0.200	2.300	10.600
छत्तीसगढ़	1.551	3.302		2.030	7.839		2.233	8.623	
दमन एवं दीव	0.002	0.007		0.002	0.007		0.002	0.007	
दिल्ली	5.500	5.670	1038.200	5.500	5.700	1038.000	5.500	5.700	1038.00
गुजरात	7.118	42.182	4392.000	8.417	49.500	5063.000	8.417	49.500	5063.000
हरियाणा	5.400	26.300	622.700	5.648	52.149	1404.040	5.700	64.547	1150.000
हिमाचल प्रदेश	0.407	3.010	434.350	0.584	3.630	530.750	0.584	3.630	530.750
जम्मू-कश्मीर	0.332	1.343	217.900	0.330	1.342	218.000	0.330	1.342	218.000
कर्नाटक	21.100	156.200	5239.000	21.692	161.055	5284.000	22.342	169.124	5550.000
मध्य प्रदेश	3.667	2.000		2.496	1.400		3.815	2.000	
महाराष्ट्र	9.436	56.078	3410.000	14.760	88.900	4774.000	16.744	69.452	5728.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मणिपुर	0.500	0.701		0.500	0.701		0.500	0.701	
मिजोरम	0.036	0.000	17.964	0.042	0.000	30.910	0.045	0.000	36.587
नागालैंड	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.019	0.000	16.500
उड़ीसा	0.590	1.795	129.640	0.590	1.795	129.640	0.590	1.795	129.640
पांडिचेरी	0.475	2.669		0.326	2.672		0.326	2.672	
पंजाब	0.800	4.100		1.000	5.600		1.000	5.600	
राजस्थान	3.008	2.255		4.290	6.616		4.290	6.175	
सिक्किम	0.103		33.100	0.120		33.800	0.120		33.800
तमिलनाडु	24.750	202.000		26.730	218.057		27.779	226.779	
उत्तर प्रदेश	8.250	12.180	3668.000	8.392	12.341	3746.000	8.407	12.359	3752.000
उत्तरांचल	0.558	0.358	575.000	0.710	0.461	1229.736	0.900	0.697	1455.450
पश्चिम बंगाल	17.886	42.292	9347.900	18.560	43.680	12966.000	18.700	44.170	13100.000
योग	129.182	655.548	29205.961	144.589	781.983	36526.886	152.069	803.437	37882.687

स्रोत: राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

विवरण II

राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान पुष्प खेती के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी गई निधियां

(लाख रुपए में)

	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	–	2.61	
आंध्र प्रदेश	39.60	280.08	146.50
अरुणाचल प्रदेश	208.00	169.00	182.00
असम	114.40	125.00	325.00
बिहार	9.96	460.11	–
छत्तीसगढ़	39.86	186.00	149.18
दिल्ली	–	34.32	–
गोवा	2.97	7.43	–
गुजरात	382.34	321.79	99.91

1	2	3	4
हरियाणा	186.45	120.91	218.63
हिमाचल प्रदेश	52.00	66.65	40.30
जम्मू-कश्मीर	39.00	78.00	89.50
झारखंड	158.20	92.00	34.13
कर्नाटक	240.89	562.94	683.14
केरल	10.50	38.27	34.98
मध्य प्रदेश	58.00	242.00	240.63
महाराष्ट्र	243.80	716.56	490.00
मणिपुर	164.84	124.15	41.60
मेघालय	163.15	494.00	197.60
मिजोरम	370.89	279.50	156.00
नागालैंड	134.94	312.00	377.00
उड़ीसा	532.15	197.80	327.16
पंजाब	76.36	–	45.51
राजस्थान	105.61	133.06	70.95
सिक्किम	324.22	403.00	534.00
तमिलनाडु	96.36	249.47	307.73
त्रिपुरा	158.60	78.00	265.13
उत्तर प्रदेश	410.05	–	810.96
उत्तराखंड	39.00	87.05	12.25
पश्चिम बंगाल	255.72	301.72	104.55
योग	4617.86	6163.42	5984.34

[अनुवाद]

कपास की फसल को नुकसान

1310. **श्री नन्द कुमार साय:**
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू मौसम के दौरान देश के विभिन्न भागों में समय से पूर्व वर्षा होने तथा बाढ़ के कारण कपास की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में कपास की फसलों को हुए नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) कपास उगाने वाले राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्तमान मौसम के दौरान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य को छोड़कर देश के विभिन्न भागों में जल्दी वर्षा एवं बाढ़ के कारण कपास फसल को किसी प्रकार का उत्पादन ह्रास नहीं हुआ है।

इन राज्यों द्वारा किए गए आकलन के अनुसार ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

आंध्र प्रदेश

50% से ज्यादा उत्पादन ह्रास वाला 26314 हैक्टेयर कपास क्षेत्र सूचित किया गया है जिसने 53219 छोटे एवं सीमान्त किसान तथा 2434 अन्य किसानों को प्रभावित किया है।

कर्नाटक

7.764 करोड़ रुपये की अनुमानित वित्तीय हानि के साथ 14282.12 है. कपास क्षेत्र प्रभावित हुआ है। किसानों को फालतू पानी की निकासी करने तथा प्रभावित फसलों को बचाने हेतु फसलों में यूरिया का छिड़काव करने की भी सलाह दी गई थी।

महाराष्ट्र

जुलाई एवं अगस्त, 2008 के दौरान भारी वर्षा एवं बाढ़ के कारण 1588.64 है. कपास क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

गुजरात

राज्य में 1.26 लाख हैक्टेयर कपास क्षेत्र वर्षा एवं बाढ़ के कारण प्रभावित हुआ है।

हानि को न्यूनतम करने हेतु किसानों को सलाह देने के अलावा, सरकार ने इस संबंध में अन्य उपचारी कदम भी उठाए हैं। प्रभावित छोटे एवं सीमान्त तथा अन्य किसान, जिनकी कपास फसल में 50% से ज्यादा उत्पादन ह्रास हुआ है, स्कीम के प्रतिमानों एवं शर्तों के अनुसार आपदा राहत निधि (सीआरएफ) से राहत के पात्र हैं। किसानों, जिन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अपनी कपास फसलों का बीमा करवाया था, राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस) के अंतर्गत भी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के पात्र हैं।

ग्रामीण गोदाम

1311. श्री परसुराम माझी:
श्री जुएल ओराम:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण गोदामों के निर्माण हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या नए गोदामों के निर्माण में उक्त मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) देश में कुल कितने ग्रामीण गोदाम हैं तथा दसवीं योजना अवधि के दौरान राज्य-वार कितने गोदामों का निर्माण किया गया; और

(ङ) ग्यारहवीं योजना के दौरान कितने गोदामों का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित ग्रामीण गोदामों के विनिर्माण/जीर्णोद्धार नामक केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम के प्रचालनात्मक दिशा निर्देश में व्यवस्था है कि स्कीम के तहत निर्मित ग्रामीण गोदाम इंजीनियरिंग मापदण्डों के आधार पर संरचनात्मक रूप से बढ़िया और कृषि उत्पाद को भंडारित करने के लिए कार्यात्मक रूप से उपयुक्त हों। वैज्ञानिक निर्माण सामान्य शर्तें निम्नानुसार है:-

(1) गोदाम का निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/राज्य लोक निर्माण विभाग के विनिर्देशों या इस संबंध में निर्धारित किन्हीं अन्य मानक विनिर्देशों के अनुसार होगा। गोदामों में हवा और प्रकाश की उचित व्यवस्था होगी, उनमें बकायदा दरवाजे, खिड़की और रोशनदान लगे होंगे तथा ये वाटरप्रूफ (फर्श, दीवारों एवं छतों आदि से नमी का नियंत्रण) होंगे।

(2) गोदाम के ढांचे में कृन्तकों से सुरक्षा की व्यवस्था होगी।

(3) गोदाम में पक्षियों से सुरक्षा की व्यवस्था होगी। (खिड़की/रोशनदान में जाली लगी होगी)

(4) गोदाम को खुलने की जगहों जैसे कि दरवाजे, खिड़की आदि को इस तरीके से तैयार किया जायेगा कि गोदाम प्रभावकारी धुम्रीकरण के लिए सील किया जा सके।

(5) गोदाम काम्प्लैक्स में सरलता से पहुंचने के लिए सड़क, पक्की आन्तरिक सड़कें, उचित ड्रेनेज, आग तथा चोरी से प्रभावकारी नियंत्रण हेतु व्यवस्था और भण्डारों की आसानी से लदाई एवं उतराई की व्यवस्था भी होगी।

(ख) और (ग) उपरोक्त स्कीम के तहत निर्धारित निर्माण संबंधी मानकों का सख्ती से पालन किया जाता है। अन्तिम राजसहायता की निर्मुक्ति से पहले वित्तपोषण करने वाले बैंकों, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद के सदस्यों वाली एक संयुक्त मॉनिटरिंग समिति, भौतिक रूप से स्कीम के प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानकों की तुलना में स्कीम के तहत निर्मित ग्रामीण गोदाम की स्थिति की पुष्टि करती है।

(घ) पूरे देश में 182.18 लाख एमटी क्षमता वाली 14368 ग्रामीण गोदाम परियोजनाएं नाबार्ड/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा स्वीकृत की गई है। राज्यवार प्रगति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ङ) 450 करोड़ रु. के केन्द्रीय आवंटन से 90 लाख एमटी क्षमता के सृजन का लक्ष्य ग्यारहवीं योजना के दौरान अनुमोदित किया गया है।

विवरण

ग्रामीण गोदाम की प्रगति

(31.03.2007 की स्थिति-संचयी)

(वास्तविक)

क्र.सं.	राज्य	नाबार्ड द्वारा स्वीकृत		एनसीडीसी द्वारा स्वीकृत (नई)		एनसीडीसी द्वारा स्वीकृत (नवीकरण)		कुल	
		परियोजनाओं की संख्या	क्षमता टन में	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता टन में	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता टन में	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता टन में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	627	2573709	57	10300	51	4750	735	2588759
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	495	0	0	0	0	1	945
3.	असम	119	147688	1	650	0	0	120	148338
4.	बिहार	13	48267	277	28750	2	500	292	77517
5.	छत्तीसगढ़	181	550797	64	257500	0	0	245	808297
6.	गुजरात	1836	586543	32	93600	19	19000	1887	699143
7.	हरियाणा	169	1274857	74	11300	104	230917	347	1517074
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	31	3600	0	0	31	3600
9.	जम्मू-कश्मीर	1	100	1	1950	0	0	2	2050
10.	कर्नाटक	1150	962317	51	19050	2	240	1203	981607
11.	केरल	23	16346	34	10400	8	1570	65	28316
12.	मध्य प्रदेश	895	1754858	165	93050	120	72616	1180	1920524
13.	महाराष्ट्र	1298	1452352	32	178500	129	261300	1459	1892152
14.	मेघालय	2	9600	34	3450	3	300	39	13350
15.	नागालैंड	1	4000	4	700	0	0	5	4700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	उड़ीसा	177	375053	0	0	0	0	177	375053
17.	पंजाब	3256	3165049	14	1790	213	771950	3483	3938789
18.	राजस्थान	198	199070	131	65050	116	11600	445	275720
19.	तमिलनाडु	46	129949	99	36450	185	26950	330	193349
20.	उत्तर प्रदेश	146	975470	90	179100	693	955468	929	2110038
21.	उत्तराखंड	45	97447	22	17950	4	18600	71	133997
22.	पश्चिम बंगाल	1208	448233	91	9100	15	2350	1314	459683
23.	संघ शासित प्रदेश	0	0	01	4000	0	0	1	4000
24.	नैफेड	0	0	06	30800	0	0	6	30800
25.	एनसीसीएफ	0	0	01	10000	0	0	1	10000
	कुल	11392	14772650	1312	1067040	1664	2378111	14368	18217801

खाद्यान्न की ढुलाई पर व्यय

1312. श्री फ्रांसिस फैन्थम: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्न को भंडारण गोदामों तक ले जाने और वहां से वितरण केन्द्रों तक की ढुलाई पर भारी व्यय होता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ढुलाई तथा भंडारण के दौरान खाद्यान्न के गुम होने का भी पता चला है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा तथा कितने मूल्य का खाद्यान्न गुम हुआ; और

(ङ) इस अपव्यय तथा खाद्यान्न की हानि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों की ढुलाई पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहन किया गया खर्च निम्नानुसार है:-

वर्ष	खर्च (करोड़ रुपये में)
2005-06	2644.44
2006-07	3002.12
2007-08	3147.42

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुम हुए खाद्यान्नों की मात्रा और कीमत निम्नानुसार है:-

वर्ष	हानि की मात्रा (लाख टन में)	हानि की कीमत (करोड़ रुपये में)
2005-06	1.51	143.00
2006-07	1.25	130.09
2007-08	1.15	135.79

भंडारण हानियां

वर्ष	हानि की मात्रा (लाख टन में)	हानि की कीमत (करोड़ रुपये में)
2005-06	1.17	133.87
2006-07	1.36	152.84
2007-08	1.30	163.00

(ङ) मार्गस्थ हानियों को कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भंडारण और मार्गस्थ हानियों को कम/नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम

1. गोदामों को सुरक्षित करने के लिए चारदीवारी पर कटिदार तार लगाने, गोदामों में रोशनी की व्यवस्था करने के लिए स्ट्रीट लाइटों का प्रावधान करने और शेडों में उचित रूप से ताला लगाने जैसे मौलिक उपाय किये जाते हैं।

2. स्टाक की सुरक्षा के लिए भारतीय खाद्य निगम के सुरक्षा कर्मचारी और होमगार्ड जैसी अन्य एजेंसियों के सुरक्षा अधिकारी, विशेष पुलिस अधिकारी तैनात किए जाते हैं।

3. कुछ डिपुओं/गोदामों में जो संवेदनशील हैं केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राज्य सशस्त्र पुलिस की तैनाती की जाती है।

4. सुरक्षा की खामियों का पता लगाने और इनको दूर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर डिपुओं का सुरक्षा निरीक्षण और औचक जांच भी की जाती है।

5. चरणबद्ध ढंग से 50 किलोग्राम की बोरियों का इस्तेमाल करना ताकि हुकों का प्रयोग न करना पड़े।

6. बोरियों की मशीन से दोहरी सिलाई किया जाना।

7. स्टाक का यथा विहित आवधिक रूप से रोगनिरोधी तथा रोगहर उपचार करना।

8. प्रत्येक स्तर पर प्रचालनों में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण को सुप्रवाही बनाना।

9. चुने हुए रेल शीर्षों, ट्रांसशिपमेंट और गंतव्य/प्रेषण केन्द्रों की विशेष दलों द्वारा जांच किया जाना।

10. संवेदनशील बिन्दुओं की पहचान करना।

11. मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों, कार्यकारी निदेशकों (अंचल)/महाप्रबंधक (क्षेत्र)/क्षेत्र प्रबंधकों द्वारा डिपुओं का निरीक्षण किया जाना।

12. तोल सेतुओं के 'केलीबरेशन' का निरीक्षण और मानीटरिंग किया जाना।

13. प्रथम आमद प्रथम निर्गम सिद्धांत को अपनाकर स्टाक जारी करने की प्राथमिकता सूची बनाए रखना।

14. प्राप्ति और निर्गम के समय उचित तुलाई और गणना करना।

15. मानसून-पूर्व प्रधूमन करना।

16. डनेज सामग्री में सुधार करना।

17. खाद्यान्नों का सुरक्षित तरीकों, अर्थात् सामान्यत: ढके हुए वैगनों, आदि के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचलन करना।

18. वसूली के समय खाद्यान्नों की उचित गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करना।

19. यह सुनिश्चित करना कि इसके अपने सभी गोदामों का निर्माण तथा रख-रखाव खाद्यान्नों के भंडारण के वैज्ञानिक तौर-तरीकों के अनुरूप किया जाता है।

20. रेल द्वारा खाद्यान्नों के संचलन में होने वाली मार्गस्थ हानियों को नियंत्रित करने के लिए थर्ड प्राइवेट पार्टी (बीमा एजेंसी) को शामिल किया गया है, जिनके प्रतिनिधि रेल द्वारा परेषण करने से पहले और प्राप्ति स्थल पर ऐसे स्टाफ की सुपुर्दगी लेने के समय और वैगनों से उतरान करने के बाद स्टाक की तुलाई करने तक स्टाक की मात्रा की जांच करते हैं। अत: परिवहन के दौरान उठाईगिरि के अवसर कम हो गए हैं।

21. डिपु से रेल शीर्ष तक और इसके विपरीत खाद्यान्नों की ढुलाई करते समय सुरक्षा कार्मिक प्रदान करना।

22. मौजूदा अनुदेशों के अनुसार संदेहास्पद सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों का स्थानान्तरण करना।

इसके अतिरिक्त भंडारण और मार्गस्थ हानियों को कम करने के लिए निम्नलिखित अन्य निवारात्मक उपाय किए जा रहे हैं-

(क) भंडारण हानियों अर्थात् नमी/चोरी तथा उठाईगिरी और अन्य कारणों की वजह से होने वाली हानियों को घटकवार विश्लेषण करना।

(ख) सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मार्गस्थ हानियों का विस्तृत विश्लेषण करना।

(ग) भंडारण और मार्गस्थ हानियों की छानबीन करने में होने वाले विलंब के कारणों का विश्लेषण करना।

(घ) मुख्य सतर्कता अधिकारी के परामर्श से भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय में उच्चतर स्तरों पर भंडारण और मार्गस्थ हानियों की मानीटरिंग/समीक्षा करना।

[हिन्दी]

ग्रामीण दूरभाष केन्द्रों की स्थापना

1313. श्री गिरिधारी यादव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार सहित देश में ग्रामीण दूरभाष केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में टेलीफोन कनैक्शनों को प्राप्त करने संबंधी प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिहार राज्य सहित देश में स्थापित किए गए ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों का सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) देश में टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज कुल आवेदनों की संख्या का सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिहार सहित देश में स्थापित किए गए ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों का सर्किलवार ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	1.4.2008 से सितम्बर, 2008 तक
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	1	–
2.	आंध्र प्रदेश	173	41	254	35
3.	असम	1	–	–	2
4.	बिहार	6	27	16	2
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–
6.	गुजरात	–	–	–	3
7.	हरियाणा	1	54	50	–
8.	हिमाचल प्रदेश	29	35	49	20
9.	जम्मू-कश्मीर	2	6	–	–
10.	झारखंड	7	3	–	–
11.	कर्नाटक	18	–	–	–
12.	केरल	12	16	1	2
13.	मध्य प्रदेश	–	–	–	–
14.	महाराष्ट्र	6	–	–	–
15.	पूर्वोत्तर-I	1	48	7	8

1	2	3	4	5	6
16.	पूर्वोत्तर-II	1	4	6	–
17.	उड़ीसा	3	–	5	–
18.	पंजाब	1	–	–	–
19.	राजस्थान	–	–	–	–
20.	तमिलनाडु	–	–	3	–
21.	उत्तरांचल	–	1	1	–
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	–	1	8	1
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	–	–	–	–
24.	पश्चिम बंगाल	–	10	–	–
25.	कोलकाता	–	–	–	–
26.	चेन्नई	81	4	1	–
	कुल	342	250	402	73

विवरण II

देश में टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज कुल आवेदनों की संख्या का सर्किलवार ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल का नाम	सितम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों में तारयुक्त लाइनों की प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	108
2.	आंध्र प्रदेश	2661
3.	असम	157
4.	बिहार	34030
5.	छत्तीसगढ़	11
6.	गुजरात	2535
7.	हरियाणा	1332
8.	हिमाचल प्रदेश	9203
9.	जम्मू-कश्मीर	3126
10.	झारखंड	48
11.	कर्नाटक	16454
12.	केरल	23203
13.	मध्य प्रदेश	1908
14.	महाराष्ट्र	19043
15.	पूर्वोत्तर-I	80
16.	पूर्वोत्तर-II	76
17.	उड़ीसा	2782
18.	पंजाब	161
19.	राजस्थान	3082
20.	तमिलनाडु	7768

1	2	3
21.	उत्तरांचल	69
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	9217
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	82
24.	पश्चिम बंगाल	34308
25.	कोलकाता	0
26.	चेन्नई	0
	कुल	171444

[अनुवाद]

ईपीएफ का प्रबंधन

1314. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ श्रमिक संघों ने कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन करने हेतु कुछेक फंड मैनेजमेंट कंपनियां नियुक्त करने संबंधी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निर्णय का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) श्रमिक संघों से कर्मचारी भविष्य निधि की निधियों के विभागीय प्रबंधकों के रूप में परिसंपत्ति प्रबंधन कम्पनियों के चयन का विरोध करने से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

निधि प्रबंधन की बेहतर दक्षता और कम लागत तथा भविष्य निधि राशि के निवेश पर अधिकतम आय प्राप्त करने के उद्देश्य से, कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने 24.1.2008 को आयोजित अपनी 181वीं बैठक में एक से अधिक निधि प्रबंधक नियुक्त करने का अनुमोदन किया था तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इसके लिए विस्तृत कार्रवाई करनी प्रारंभ कर दी थी। विभागीय प्रबंधकों का चयन एक उद्देश्यपरक, निष्पक्ष तथा पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है तथा इसका कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने 29.7.2008 को आयोजित अपनी विशेष बैठक में अनुमोदन कर दिया था। चुने गये विभागीय प्रबंधकों के साथ औपचारिक विभागीय प्रबंधन करार किया गया है तथा उन्होंने 17.9.2008 से आगे निधि के प्रबंधन का कार्य प्रारंभ कर दिया है।

[हिन्दी]

पाम वृक्षों का रोपण

1315. श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री गणेश सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य तेलों के आयात पर हो रहे व्यय के मद्देनजर पाम वृक्षों के रोपण को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल उन्नत किस्म के बीज तथा पौध विकसित किए जा रहे हैं तथा क्या समुद्र तटों पर उपयुक्त भूमि पर पाम वृक्षों के रोपण को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) खाद्य तेलों की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से देश के दस राज्यों, जिनमें आयलपाम उगाने की संभावना है, में आयल पाम की कृषि के तहत क्षेत्र के बढ़ाने के लिए भारत सरकार पहले ही तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का (आईसोपाम) की केन्द्रीय प्रायोजित समेकित स्कीम कार्यान्वित कर रही है।

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय आयल पाम अनुसंधान केन्द्र (एनआरसी-ओपी) ने उच्च उत्पादकता वाली संकर प्रजाति का विकास किया है जो आयलपाम उत्पादक क्षेत्रों के लिए अनुकूल हैं। तथापि, समुद्रतटों के रेतिले और लवणीय मिट्टियों के लिए आयलपाम की कृषि की सिफारिश नहीं की जाती। एनआरसी-ओपी अनुकूल पौध सामग्री की सन्ततियों का वितरण भी करता है।

इसके अलावा, भारत सरकार आईसोपाम के तहत राज्यों को रोपण सामग्री, कृषि आदानों, ट्रिप सिंचाई पद्धति, डीजल पम्पसेट, प्रशिक्षण, प्रदर्शन आदि के लिए भी सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की कवरेज

1316. श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां यह योजना वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही है;

(ग) उक्त योजना को अन्य राज्यों में कब तक कार्यान्वित किए जाने का विचार है; और

(घ) असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कितने श्रमिकों को स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं तथा इसे आरंभ किए जाने के बाद से राज्यवार कितने स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडीस): (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(1) वर्ष 2008-09 से शुरू स्कीम के अंतर्गत पांच वर्षों में दायरे में लिए जाने वाले असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवार, इस स्कीम को सभी राज्य अपना रहे हैं।

(2) भारत सरकार का वार्षिक प्रीमियम का 75% और राज्य सरकारें का 25% अंशदान होगा। पूर्वोत्तर और जम्मू व कश्मीर राज्य के मामले में, प्रीमियम को 90:10 के अनुपात में वहन किया जायेगा। प्रशासनिक लागत को राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जायेगा।

(3) स्मार्ट कार्ड के माध्यम से पांच की संख्या वाले परिवार के लिए 30,000/- रुपये का बिना नकद भुगतान के स्वास्थ्य बीमा कवर।

(4) सभी पूर्व मौजूद बीमारियों को दायरे में लिया जाना।

(5) अस्पताल में भर्ती किए जाने पर होने वाला व्यय, यथा संभव न्यूनतम बीमारियों को छोड़ते हुए अधिकांश बीमारियों के लिए देखभाल हेतु।

(6) 1000/- रुपये प्रतिवर्ष की समग्र सीमा के साथ 100/- रुपये प्रति दौरा परिवहन लागत।

(ख) से (घ) 22.10.2008 तक, 18 राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र ने इस स्कीम को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है। इन 18 राज्यों में से, 12 राज्यों ने स्मार्ट कार्ड जारी करने शुरू कर दिये हैं। 12 राज्यों में लाभभोगियों और जारी किये गये स्मार्ट कार्डों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

लाभभोगियों और जारी किये गये स्मार्ट कार्डों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	लाभभोगियों की संख्या	जारी किये गये स्मार्ट कार्ड
1.	बिहार	101500	20300
2.	दिल्ली	198185	39637
3.	गुजरात	719925	143985
4.	हरियाणा	737920	147584
5.	हिमाचल प्रदेश	10175	2035
6.	झारखंड	13000	2600
7.	केरल	15640	3128
8.	महाराष्ट्र	4520	904
9.	पंजाब	105155	21031
10.	राजस्थान	600615	120123
11.	तमिलनाडु	25500	5100
12.	उत्तर प्रदेश	21060	4212
	योग	2553195	510639

[अनुवाद]

विमानों में मोबाइल फोन सेवा

1317. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को निजी विमान कंपनियों से उड़ान के दौरान विमान में मोबाइल सेवाओं की अनुमति देने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। सरकार को कुछ निजी विमान कंपनियों अर्थात्, मैसर्स स्पाइसजेट लिमिटेड, मैसर्स जेट एअरवेज (इंडिया) लिमिटेड और मैसर्स टेलीनोर मोबाइल एविएशन से उड़ान के दौरान विमान में मोबाइल सेवाओं की अनुमति देने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तथापि, निजी विमान कंपनियों में से किसी को भी अनुमति प्रदान नहीं की गई थी।

[हिन्दी]

ए एल एच 'ध्रुव' की बिक्री हेतु समझौता

1318. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इक्वाडोर को एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर (एचएएल) 'ध्रुव' के निर्यात हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौते के अनुसार कुल कितने हेलीकॉप्टरों का निर्यात किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (ग) हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने इक्वेडोर को 7 उन्नत हेलिकाप्टर 'ध्रुव' की आपूर्ति किए जाने हेतु 5 अगस्त, 2008 को एक संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं।

[अनुवाद]

खिलौना उद्योग हेतु मानदंड

1319. श्री उदय सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने घरेलू खिलौना उद्योग के लिए यूरोप में लागू कड़े ईएन-17 मानदंडों के अनुरूप सुरक्षा मानक तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विनिर्माता भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा हाल ही में जारी मानक मानदंडों का अनुपालन करने में विफल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त मानकों का अनुपालन तथा बच्चों के लिए अहानिकारक खिलौनों का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) भारतीय मानक ब्यूरो ने चार भारतीय मानक निर्धारित किए हैं जिनमें खिलौनों के लिए यांत्रिक और भौतिक गुण धर्मों, ज्वलनशीलता अपेक्षाओं तथा कतिपय घटकों और विद्युत खिलौनों के अधिकतम स्वीकार्य स्तरों से संबंधित सुरक्षा अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं। इन भारतीय मानकों में से तीन तकनीकी रूप से ईएन-71 मापदंडों के पहले तीन भागों के समतुल्य हैं। भारतीय मानक स्वैच्छिक स्वरूप के हैं। चूंकि भारतीय मानक ब्यूरो ने इन भारतीय मानकों के अनुसार खिलौनों के लिए कोई प्रमाणन लाइसेंस मंजूर नहीं किया है, इसलिए वह खिलौनों के विनिर्माताओं के खिलाफ उनको लागू नहीं कर सकता। तथापि, सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय ने नई दिल्ली और मुंबई में अपने परीक्षण केन्द्रों पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रतिपादित तीन भारतीय मानकों के अनुसार खिलौनों के परीक्षण के लिए सुविधाएं स्थापित की हैं।

ऊंचाई वाले स्थानों पर सैनिकों का हताहत होना

1320. श्री एस.के. खारवेलथन: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऊंचाई वाले स्थानों पर सेवारत कुछ सैनिक हताहत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हताहतों की संख्या कम करने तथा ऊंचाई वाले स्थानों पर कार्यरत सैनिकों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) ऊंचाई वाले स्थानों पर कार्य कर रहे सैनिकों के हताहत होने संबंधी आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। ऊंचाई वाले स्थानों पर घातक रूप से हताहत होने का कारण दुश्मन द्वारा की गई कार्रवाई, पर्यावरण

संबंधी कारण, दुर्घटनाएं, ऊंचाई वाले स्थानों से संबद्ध बीमारियां आदि हैं। सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में ऊंचाई वाले स्थानों पर कार्य करने वाले सैनिकों हेतु आवास संबंधी सुविधाओं, वस्त्र, राशन और कल्याणकारी उपाय, प्रशिक्षण एवं पर्यानुकूलन, विशेष चिकित्सा देखरेख आदि के रूप में अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना शामिल है।

स्पेक्ट्रम पर शुल्क

1321. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मोबाइल फोन कंपनियों को दिए गए स्पेक्ट्रम के लिए मोबाइल फोन सेवा प्रदाताओं से शुल्क लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मोबाइल फोन कंपनियों से स्पैक्ट्रम पर कितनी धनराशि लिए जाने का विचार है;

(घ) क्या सेवा प्रदाताओं से यह धनराशि वसूलने से उपभोक्ताओं के मोबाइल शुल्क में वृद्धि हो जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) जी, हां। वर्तमान में मोबाइल फोन सेवा प्रदाता अपने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के कुछ प्रतिशत अंश के आधार पर स्पैक्ट्रम प्रभारों का भुगतान निम्नानुसार कर रहे हैं:

आवंटित स्पैक्ट्रम की धनराशि (मेगाहर्ट्ज में)	एजीआर का प्रतिशत
4.4 तक	2%
6.2 तक	3%
10 तक	4%
12.5 तक	5%
12.5 से ऊपर	6%

विभिन्न संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्पैक्ट्रम प्रभारों का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है।

(घ) और (ङ) जी नहीं।

राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण

1322. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वर्षा सिंचित प्राधिकरण के कार्यकरण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एन.आर.ए.ए.) को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) को कृषि एवं सहकारिता विभाग में विभाग प्रमुख घोषित किया गया है। एन.आर.ए.ए. को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 30 मई, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/7/ई-II (क)/2008 के प्रावधानों के अंतर्गत बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियां भी प्रदत्त की गई हैं।

फलों एवं सब्जियों के मूल्य

1323. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हाल ही में फलों एवं सब्जियों के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) मूल्यों पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जनवरी, 2008 से सितम्बर, 2008 तक फलों एवं सब्जियों के मासिक थोक मूल्य सूचकांक की प्रवृत्ति नीचे दी गई है। यह दर्शाती है कि इस अवधि के दौरान फल एवं सब्जियों के मूल्य घटे-बढ़े हैं। फलों का थोक मूल्य सूचकांक जनवरी, 2008 से मई 2008 तक बढ़ा और फिर जून, 2008 में घट गया और बाद में बढ़ गया। सब्जियों का थोक मूल्य सूचकांक जनवरी 2008 से जुलाई, 2008 तक बढ़ती हुई प्रवृत्ति तथा उसके बाद गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाता है।

जनवरी-सितम्बर, 2008 से सब्जियों तथा फलों के मासिक थोक मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष: 1993-94 = 100)

	2008								
	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर
फल	250.2	259.1	269.3	265.3	282.0	242.4	244.3	265.0	297.2
सब्जियां	186.8	181.6	203.0	225.6	223.5	240.5	259.8	241.9	240.0

स्रोत: कार्यालय आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

फलों तथा सब्जियों के मूल्य इनकी उपलब्धता तथा मांग के आधार पर घटते-बढ़ते रहते हैं। मूल्य बाजार में नयी आवक के साथ ही घटते भी हैं।

(ग) बढ़ते हुए मूल्य की रोकथाम हेतु किये गये कुछ उपायों में मूल्यों एवं निर्यातों की नियमित निगरानी करना तथा भारत सरकार द्वारा अपनी एजेंसियों के माध्यम से बाजार हस्तक्षेप योजना का कार्यान्वयन करना है।

नारियल वृक्षों में रोग

1324. श्री पी. करूणाकरन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल के सभी भागों में नारियल वृक्ष बड रूट रोग से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए किसी अभिकरण द्वारा कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रोग प्रभावित क्षेत्र में किसानों की सहायता हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यक्रम बनाया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) उत्तरी केरल के कोझीकोड, कन्नुर और कासरगोड जिलों में पहाड़ी क्षेत्रों में नारियल के वृक्ष बड रूट रोग से बुरी तरह से ग्रस्त होने की सूचना दी है। वयानाड, पलक्कड़ और मालापुरम जिलों में भी इस रोग की कुछ घटनाएं होने की सूचना मिली थी।

(ग) और (घ) फसल हानि की मात्रा का कोई विस्तृत अध्ययन नहीं कराया गया है। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा केन्द्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान (सीपीसीआरआई), केरल कृषि विश्वविद्यालय और नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों से गठित की गई एक समिति ने रोग की स्थिति का जायजा लेने के लिए मार्च, 2008 के दौरान बड रूट से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तथा इसके नियंत्रण के लिए उपचारी उपायों की सिफारिश की। समिति ने सूचित किया कि उच्च नमी की व्यापकता के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में फूफूंदी रोग की गहनता अधिक है।

(ङ) कोझीकोड जिले में 1,650 हैक्टेयर क्षेत्र में रोग प्रबंधन के लिए समेकित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाने तथा समेकित कीट प्रबंधन पैकेजों के लिए नारियल विकास बोर्ड ने वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान 3.22 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की।

बोर्ड ने स्थानीय क्षेत्रों में बड रूट रोग के नियंत्रण के लिए समेकित रोग प्रबंधन रणनीति का प्रदर्शन करने के लिए 18.27 लाख रुपये की कुल लागत पर नारियल प्रौद्योगिकी मिशन के अधीन वर्तमान वर्ष के दौरान सीपीसीआरआई की एक परियोजना भी मंजूर की है।

इसके अलावा, पादप स्वास्थ्य सुधार करने में वैज्ञानिक प्रबंधन की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए और इससे 3.3 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन से क्षेत्र में बड रूट की बार-बार होने वाली घटना को नियंत्रित करने के लिए कोझीकोड, कन्नुर तथा कासरगोड जिलों के बड रूट रोग से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की भागीदारी से सामुहिक आधार पर 2,162 हैक्टेयर क्षेत्र में बोर्ड का "उत्पादकता सुधार हेतु नारियल जोतों में समेकित खेती" नामक चल रहा कार्यक्रम भी कार्यान्वित किया जा रहा है। संयुक्त क्षेत्रों में सामूहिक आधार पर स्कीम के कार्यान्वयन से रोग प्रबंधन पद्धतियां समय पर अपनाया जाना सुनिश्चित होता है।

चावल की फसलों में रोग

1325. श्री रेवती रमन सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्राउन प्लान्ट हॉपर नामक एक कीट के कारण पूर्वी एशिया में चावल की फसलें बर्बाद हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस कीट के भारत पहुंचने तथा देश में चावल की फसलों के बर्बाद होने की संभावना की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जी, हां। ब्राउन प्लान्ट हॉपर चावल उत्पादक पूर्वी एशियाई देशों में धान का एक कीट कृमि है। हाल ही में राज्य कृषि विभाग और केन्द्रीय समेकित भूमि प्रबंधन केन्द्रों से प्राप्त सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा से ब्राउन प्लान्ट हॉपर की सामान्य से गंभीर किस्म की घटना और केरल के इक्का-दुक्का क्षेत्रों से बहुत कम से सामान्य स्तर तक की घटना की सूचना मिली है।

(घ) समेकित कृमि प्रबंधन (आईपीएम) कार्यक्रम के तहत, भारत सरकार ने कृमि/रोग मानिटरिंग, जैव नियंत्रण एजेन्टों, जैव-कृमिनाशियों के उत्पादन व जारी करने, जैव-नियंत्रण एजेन्टों के संरक्षण तथा कृषक फील्ड स्कूलों (एफएफएस) का आयोजन करके सबसे निचले स्तर पर कृषि/बागवानी विस्तार अधिकारियों और किसानों को प्रशिक्षण देकर आईपीएम में मानव संशोधन विकास के लिए 28 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश में 31 केन्द्रीय आईपीएम केन्द्रीय की स्थापना की है। कृषक फील्ड स्कूलों का मूल उद्देश्य किसानों को नवीनतम आईपीएम प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करना है जिससे वे कृमि प्रबंधन प्रचालनों में निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। इस स्कीम के अंतर्गत अब तक पादप संरक्षण संगरोध एवं भण्डारण निदेशालय (डीपीपीक्यूएण्डएस), कृषि एवं सहकारिता विभाग ने 11,299 एफएफएस आयोजित कर लिए हैं जिनमें विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 46,750 कृषि/बागवानी विस्तार अधिकारियों तथा 3,40,356 किसानों को विभिन्न फसलों में नवीनतम आईपीएम प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित किया गया है। इन एफएफएस में चावल आईपीएम में आयोजित किए गए 6,302 एफएफएस शामिल है जिनमें 23,872 विस्तार कर्मी और 1,88,209 किसान प्रशिक्षित किए गए हैं। राज्य कृषि/बागवानी विभाग/आईसीएआर संस्थानों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से चावल और अन्य 76 मुख्य फसलों में कृमि/रोग प्रबंधन के लिए पद्धतियों का आईपीएम पैकेज भी विकसित किया गया है जिसे सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को परिचालित कर दिया गया है तथा निदेशालय के बेवसाइट www.dac.net.nic.in/ppin पर डाल दिया गया है ताकि विस्तार कर्मी और किसान इसका उपयोग कर सकें। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग करके मकड़ियों, मिरिड बग्स आदि जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक दुश्मनों के संरक्षण, फसल की निरन्तर मानिटरिंग करके और समय पर कृमीनाशी हस्तक्षेप से ब्राउन प्लान्ट हॉपर को नियंत्रित किया जा सकता है। हरियाणा सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें किसानों को सलाह दी गई है कि वे कृमि नियंत्रण के लिए संस्तुत कृमि नाशियों का छिड़काव करें तथा साथ ही हरियाणा सरकार ने कृमि नियंत्रण के लिए अभियान भी शुरू किया है।

स्पैक्ट्रम का आबंटन

1326. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में विद्यमान निजी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्यूनिकेशन्स (जीएसएम) प्रचालकों को स्पेक्ट्रम आबंटित करने हेतु क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं; और

(ख) उक्त जीएसएम प्रचालकों को अतिरिक्त स्पैक्ट्रम आबंटित करने हेतु क्या कार्य योजना बनाई गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जीएसएम प्रचालकों को आरंभिक स्पैक्ट्रम का आवंटन उनके सेवा लाइसेंस करार के संगत उपबंधों के अनुसार किया जाता है। सेवा में वृद्धि और उपभोक्ता आधार में बढ़ोत्तरी होने पर अतिरिक्त स्पैक्ट्रम का आबंटन, उपभोक्ता आधारित पात्रता संबंधी मानदंडों, औचित्य को ध्यान में रखते हुए तथा दूरसंचार क्षेत्र में स्पैक्ट्रम की उपलब्धता के अध्यधीन, किया जाता है। अतिरिक्त स्पैक्ट्रम के आवंटन हेतु मौजूदा उपभोक्ता आधारित मानदंड दिनांक 17.01.2008 को जारी किया गया जिसकी प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

भारत सरकार

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
डब्ल्यूपीसी स्कंध, संचार भवन, नई दिल्ली-1

सं. जे-14025/200(17)/2004-एनटी दिनांक 17 जनवरी, 2008

आदेश

जीएसएम स्पेक्ट्रम के आबंटन हेतु उपभोक्ता आधारित मानदंडों से संबंधित दिनांक 09.01.2008 के आदेश के अनुक्रम में, ट्राई की सिफारिशों के अनुरूप, अंतरिम उपाय के रूप में निम्नलिखित उपभोक्ता आधारित मानदंडों का अनुपालन किया जाएगा।

सेवा क्षेत्र	मेगाहर्ट्ज (अगले चरण के आवंटन के लिए पात्रता) में जीएसएम स्पेक्ट्रम द्वारा समर्थित उपभोक्ता आधार* (लाख में)										
	2×4.4	2×6.2	2×7.2	2×8.2	2×9.2	2×10.2	2×11.2	2×12.2	2×13.2	2×14.2	2×15*
महानगरीय सेवा क्षेत्र	5	15	18	21	26	32	40	48	57	65	
श्रेणी ''क'' और ''ख'' सेवा क्षेत्र के रूप में दूरसंचार सर्किल	8	30	41	53	68	82	90	98	107	116	
श्रेणी ''ग'' सर्किल	6	20	31	42	52	62	70	78	87	96	

*स्पेक्ट्रम आबंटन हेतु वर्तमान ऊपरी सीमा

**ये आंकड़े एक माह के औसत सक्रिय उपभोक्ताओं (वीएलआर) से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, मानदंड में व्यस्ततम परियात एक माह में औसतन प्रति सक्रिय उपभोक्ता 40 मिल्ली-अर्लांग होना चाहिए।

2. स्पेक्ट्रम का आबंटन स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के अध्यधीन है।

3. इस प्रयोजनार्थ विजीटर लोकेटर रजिस्टर (वीएलआर) में एक माह (न्यूनतम 40एम अर्लांग प्रति उपभोक्ता हेतु) के औसतन सक्रिय उपभोक्ताओं और व्यस्ततम परियात को हिसाब में लिया जाएगा।

4. इस संबंध में आदेशों के अनुसार स्पेक्ट्रम प्रभारों हेतु राजस्व हिस्सेदारी संपूर्ण सेवा क्षेत्र के सकल समायोजित राजस्व पर लागू होंगी।

5. इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

ह.
(डी. झा)
सहायक बेतार सलाहकार
दूरभाष : 23036681

सेवा में

1. सभी संबंधित।
2. एकीकृत अभिगम सेवा प्रदाताओं/सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं।
3. सीओएआई।

मोबाइल सेटों की चोरी

1327. श्री अधीर चौधरी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) ने देश में मोबाइल सेटों की चोरी रोकने के लिए एक विशेष उपकरण खोज प्रणाली (एसआईटीएस) तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां। जीपीआरएस युक्त मोबाइल रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए एमटीएनएल में गुम हुए मोबाइल को खोजने की प्रणाली/अनुप्रयोग उपलब्ध है ताकि मोबाइल सेटों की चोरी को रोका जा सके।

(ख) एलएमटीएस (गुम हुए मोबाइल को खोजने की प्रणाली) एक व्यापक और बोधगम्य साधन है जो चोरी को पर्याप्त रूप से कम करने और प्रणाली को दोषरहित बनाए रखने में सक्षम है। इससे मोबाइल धारक को गुम हुए मोबाइल का पता लगाने में सहायता मिलती है। यह एक साफ्टवेयर अनुप्रयोग है जिसके मोबाइल फोनों में संस्थापित होने के बाद प्रयोक्ता को मोबाइल फोन के खोने/चोरी होने की स्थिति में अपने मोबाइल फोन की अवस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

इस अनुप्रयोग से प्रयोक्ता को उसके मोबाइल फोन सं. के सिम में प्रयोक्ता द्वारा प्रदान किए गए वैकल्पिक मोबाइल नम्बर पर एसएमएस और किसी ई-मेल आईडी पर ई-मेल फार्मेट द्वारा किसी परिवर्तन के बारे में पता लगता है। भेजे गए एसएमएस और ई-मेल में चोरी हुए/गुम हुए मोबाइल हैंडसेट का नया मोबाइल नम्बर होता है। इस तरह इससे मोबाइल फोन का पता लगाने में सहायता मिलती है।

(ग) एमटीएनएल में कार्यान्वित हो चुका है।

सैनिकों के परिवारों को मुआवजा

1328. श्री भर्तृहरि महताब: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना के विभिन्न उग्रवाद रोधी अभियानों में मारे गए अथवा घायल सैनिकों को मुआवजे के रूप में किए जाने वाले भुगतान में एकरूपता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) मुआवजा पैकेज में एकरूपता लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) सेना में विभिन्न प्रति विद्रोहित संक्रियाओं में मारे गए एवं घायलों को केन्द्र सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान में एकरूपता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एनईजीपी का कार्यान्वयन

1329. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) में अपेक्षित कुशलता स्तर को प्राप्त करने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की इस परियोजना को केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर कार्यान्वित करने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने राष्ट्रीय ई-शासन योजना हेतु एक व्यापक क्षमता निर्माण योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने गत वर्ष के दौरान केरल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत मिशन मोड परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) सरकार ने मई, 2006 में राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) अनुमोदित कर दी है। एनईजीपी की इस समय 27 मिशन मोड परियोजनाएं (एमएमपी) हैं जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारें शामिल हैं। मिशन

मोड परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। संबंधित लाइन मंत्रालय मिशन मोड परियोजनाओं के समग्र उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी हैं जिसमें संबंधित मिशन मोड परियोजनाओं की लक्षित कार्यक्षमता तथा सतत् रूप से निगरानी करना शामिल है।

(ग) जी, हां। ये परियोजनाएं केन्द्र, राज्य और एकीकृत मिशन मोड परियोजना के रूप में श्रेणीबद्ध की गई हैं तथा ये केन्द्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर कार्यान्वित की जाती हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) क्षमता निर्माण योजना को 313 करोड़ रुपए के परिव्यय से तीन वर्ष के अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। इस योजना में यह परिकल्पना की गई है (क) राज्य ई-शासन मिशन दल (एसईएमटी) की स्थापना करना, (ख) विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करना, (ग) राज्यों में शिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करना, तथा (घ) योजना के समन्वयन और कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय क्षमता निर्माण प्रबंध कक्ष की स्थापना करना। योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश www.mit.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(च) और (छ) केरल सरकार से पिछले वर्ष 7 राज्य और राज्य विशिष्ट मिशन मोड परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई। एनईजीपी के लिए सरकार द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को ऐसे राज्य मिशन मोड परियोजना प्रस्तावों के कार्यान्वयन को मंजूरी देने का अधिदेश दिया गया है। जहां नोडल विभाग सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नहीं है। किन्तु, राज्य आंकड़ा केन्द्र योजना, सामान्य सेवा केन्द्र और राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क योजनाओं, ई-जिला के लिए प्रायोगिक परियोजना और सीबी योजना जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया है, के लिए केरल के परियोजना प्रस्तावों को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है।

विवरण I

अनुमोदित मिशन मोड परियोजनाओं की सूची (एमएमपी)
तालिका-1: मिशन-मोड परियोजनाएं-केन्द्र सरकार श्रेणी

क्र.सं.	परियोजनाएं	जिम्मेदार लाइन मंत्रालय/विभाग
1.	आयकर	वित्त मंत्रालय/केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
2.	पासपोर्ट, वीजा तथा आप्रवासन	विदेश मंत्रालय/गृह मंत्रालय
3.	एमसीए 21	कम्पनी कार्य मंत्रालय
4.	बीमा	बैंकिंग विभाग
5.	राष्ट्रीय नागरिक डेटाबेस	गृह मंत्रालय/भारत के महापंजीयक (आरजीआई)
6.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	राजस्व विभाग/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड
7.	पेंशन	पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग तथा व्यय विभाग
8.	बैंकिंग	बैंकिंग विभाग
9.	ई-कार्यालय	प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरएण्डपीजी)

विवरण II

तालिका-2: मिशन-मोड परियोजनाएं-राज्य सरकार श्रेणी

क्र.सं.	परियोजनाएं	जिम्मेदार लाइन मंत्रालय/विभाग
1	2	3
1.	भू-अभिलेख	ग्रामीण विकास मंत्रालय
2.	सड़क परिवहन	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

1	2	3
3.	सम्पत्ति पंजीकरण	भू-संसाधन विभाग
4.	कृषि	कृषि एवं सहकारिता विभाग
5.	कोषागार	वित्त मंत्रालय
6.	नगर पालिकाएं	शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय
7.	ग्राम पंचायत	पंचायती राज मंत्रालय
8.	वाणिज्यिक कर	वित्त मंत्रालय
9.	पुलिस (आरम्भत: संघ शासित क्षेत्र)	गृह मंत्रालय
10.	रोजगार केन्द्र	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
11.	ई-जिला	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

तालिका-3 : मिशन-मोड परियोजनाएं - एकीकृत सेवा श्रेणी

क्र.सं.	परियोजनाएं	जिम्मेदार लाइन मंत्रालय/विभाग
1.	ईडीआई (ई-वाणिज्य)	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय/वाणिज्य विभाग
2.	ई-बिज़	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग/सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
3.	सामान्य सेवा केन्द्र	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
4.	भारत पोर्टल	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग
5.	ईजी गेटवे	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
6.	ई-न्यायालय	न्याय विभाग, गृह मंत्रालय
7.	ई-खरीद	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय/आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय

कोसी नदी के मार्ग बदलने के कारण हुआ नुकसान

1330. **श्री निखिल कुमार:**
श्री विजय कृष्ण:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ दिनों में कोसी नदी के मार्ग बदलने के कारण प्रभावित राज्यों में कृषि भूमि तथा फसलों की भारी तबाही हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कृषि फसलों आदि के नुकसान का आकलन करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में कोई दल भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में कृषि विकास हेतु कोई योजनाएं तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा हाल में आई बाढ़ के कारण प्रभावित हुई कृषि भूमि को पुन: कृषि योग्य बनाने हेतु दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक उच्च स्तरीय केन्द्रीय दल का गठन किया गया था और दल ने 27 सितम्बर, 2008 को बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया ताकि स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके तथा राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित सहायता और राज्य में कृषि की बहाली के लिए उठाए जाने वाले अपेक्षित कदमों के संबंध में आवश्यक सुझाव दिए जा सकें।

(घ) और (ङ) अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

छावनी क्षेत्रों में मोबाइल टावर

1331. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोबाइल टावरों के अभाव के कारण छावनी क्षेत्रों में सेल्यूलर फोनों का रिसेप्शन काफी खराब है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सेल्यूलर फोनों की कार्य क्षमता सुधारने हेतु उक्त क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने का क्या प्रस्ताव है; और

(ग) इस संबंध में सुरक्षा के किन पहलुओं पर विचार किया गया?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) छावनी क्षेत्रों में संचार सेवाओं की कवरेज और गुणता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से छावनियों तक संचार नेटवर्क पहुंचाए जाने के लिए साझे संचार टावरों एवं अन्य अवसंरचना का निर्माण करने के लिए संचार आपरेटरों को रक्षा भूमि मुहैया कराए जाने संबंधी नीतिगत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय लिया गया है कि निजी क्षेत्र और स्वतंत्र अवसंरचना प्रदायक (आई.पी. 1) जिन्हें एकीकृत पहुंच सेवाओं, बुनियादी सेवाओं एवं सेल्युलर मोबाइल सेवाओं आदि जैसी विभिन्न सेवाओं का सृजन, संचालन एवं रख-रखाव करने के लिए संचार विभाग द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है, को कतिपय सेवा-शर्तों पर पट्टे के आधार पर भूमि का आबंटन किए जाने पर विचार किया जाए जिससे वे छावनी क्षेत्रों की रक्षा भूमि पर आप्टिकल फाइबर केबल बिछा सकें और साझे संचार टावरों की स्थापना/निर्माण कर सकें। सरकार ने नीतिगत दिशा-निर्देशों को तैयार करते समय सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर भी विधिवत रूप से विचार किया है।

डाकघरों के माध्यम से रेल आरक्षण

1332. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर के डोडा और पुंछ जिलों सहित देश में डाकघरों के माध्यम से रेल आरक्षण की सुविधाएं देना शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के शेष डाकघरों में ऐसी सुविधाएं शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) यह सुविधा देश भर के निम्नलिखित डाकघरों में उपलब्ध है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	डाकघर का नाम
1	2	3
1.	असम	मंगलदोई प्रधान डाकघर
2.		कमलाबाड़ी डाकघर
3.	गोवा	सी सी ओरास डाकघर
4.	गुजरात	अहवा (डांग) डाकघर
5.	हरियाणा	डीएलएफ गल्लेरिया, डाकघर गुड़गांव
6.		सैक्टर-8 डाकघर पंचकुला
7.		उद्योग विहार, डाकघर गुड़गांव
8.	झारखंड	बी. देवघर प्रधान डाकघर
9.		मैंगो डाकघर
10.	जम्मू-कश्मीर	डोडा डाकघर
11.		पुंछ डाकघर
12.	कर्नाटक	नवानगर डाकघर
13.		रविशंकर आश्रम, उदयपुरा डाकघर
14.		एस.जी.एस. आश्रम डाकघर, मैसूर
15.	महाराष्ट्र	दहिसर डाकघर
16.	राजस्थान	पुष्कर उप डाकघर
17.	तमिलनाडु	श्रीपेरुंबुदूर डाकघर

1	2	3
18.	उत्तर प्रदेश	गोरखनाथ मंदिर, डाकघर गोरखपुर
19.		नालेज पार्क डाकघर, गाजियाबाद
20.		कविनगर डाकघर, गाजियाबाद
21.		इंदिरापुरम शिप्रा सनसिटी, डाकघर नोएडा
कुल	11 राज्य	21 डाकघर

(ग) जी, हां।

(घ) डाकघरों का चयन रेल मंत्रालय और डाक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जनता की मांग और व्यवसाय संभावनाओं के आधार पर किया जाएगा।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में हुई दुर्घटनाओं के पीड़ितों के बीमा दावे

1333. श्री रामदास आठवले: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि क्षेत्र में हुई दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा अथवा बीमा राशि प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में ऐसे कितने पीड़ितों को मुआवजा दिया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण की स्थापना

1334. श्री अजीत जोगी: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कौशलता के मानदण्डों को विनियमित करने, प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए संगठित एवं असंगठित क्षेत्र हेतु स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) जी नहीं। स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद 1956 से अस्तित्व में रही है तथा यह नीति निर्माण, मानदंडों के निर्धारण, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के विकास एवं संशोधन, व्यवसाय परीक्षण, देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमाणीकरण एवं प्रत्यायन के कार्य कर रही है। अत: अन्य विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी कंपनियों का विनियमन

1335. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में हाल ही में हुए आतंकी हमलों के बाद दूरसंचार की पहचान सामरिक क्षेत्र के रूप में की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उन विदेशी दूरसंचार कंपनियों और व्यक्तियों के प्रत्यय पत्रों का विनियमन करने और पता लगाने का कोई प्रस्ताव है जो भारतीय दूरसंचार कंपनियों में निवेश कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) दूरसंचार क्षेत्र को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु पहले ही संवेदनशील क्षेत्र के रूप में माना जाता है। सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की उच्चतम सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करते समय दिनांक 19 अप्रैल, 2007 की प्रेस नोट सं. 3 (2007 श्रृंखला) के तहत सुरक्षा शर्तों सहित अनेक उपाय अधिसूचित किए जो अब लाइसेंस शर्तों का भाग है जिनका अनुपालन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को ध्यान में रखे बिना सभी लाइसेंसधारकों द्वारा किया जाना है।

सरकार ''संचार सुरक्षा अनुसंधान और अनुश्रवण केन्द्र'' परियोजना के भाग के रूप में एक केन्द्रीकृत स्थल से अंतरावरोधन और अनुश्रवण करने के लिए केन्द्रीकृत विधिसम्मत अंतरावरोधन और अनुश्रवण प्रणाली की स्थापना करने हेतु कार्य कर रही है। सरकार रक्षा और देश की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिए समर्पित तथा पूरी तरह सुरक्षित संचार नेटवर्क की स्थापना करने के लिए भी कार्य कर रही है।

[हिन्दी]

भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक टेलीफोन

1336. **श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:**
श्री रशीद मसूद:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत देश के गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन मुहैया कराने की कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी टेलीफोन कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाएं मुहैया कराने को तैयार नहीं हैं;

(घ) क्या सरकार निजी टेलीफोन कंपनियों को गांवों में टेलीफोन सेवा मुहैया कराने के लिए तैयार करने हेतु कोई-योजना तैयार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत, सरकार ने सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) की सब्सिडी सहायता से घने वन क्षेत्रों/नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थित गांवों को छोड़कर 100 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने की नीति तैयार की है। इस प्रयोजनार्थ, यूएसओएफ ने 66,822 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) उपलब्ध कराने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ नवंबर, 2004 में एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से, बीएसएनएल ने 31 अगस्त, 2008 की स्थिति के अनुसार 55,081 वीपीटी उपलब्ध करा दिए हैं।

(ग) से (च) एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यूएएसएल) की वर्तमान नीति के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन प्रदान करने के लिए, निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों के लिए कोई संस्थापना दायित्व नहीं है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार में वृद्धि करने के लिए सब्सिडी सहायता प्रदान करने हेतु यूएसओ निधि का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। बीएसएनएल के अलावा, निजी बुनियादी सेवा प्रचालक भी यूएसओएफ की सब्सिडी सहायता के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं की व्यवस्था करने संबंधी विभिन्न योजनाओं में बोली प्रक्रिया के माध्यम से भाग ले रहे हैं।

[अनुवाद]

ई-डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन

1337. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में ई-डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश सहित उक्त परियोजना के अंतर्गत देश में कवर किए गए जिलों की राज्यवार कुल संख्या क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) भारत सरकार इस समय देश में 14 राज्यों के 35 जिलों में प्रायोगिक ई-जिला परियोजनाएं कार्यान्वित करने में राज्यों की सहायता कर रही है। देश के सभी जिलों में ई-जिला परियोजना कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) दिनांक 1.10.2008 की स्थिति के अनुसार प्रायोगिक परियोजना 14 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है तथा इसमें 35 जिले शामिल होंगे। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ई-जिला प्रायोगिक परियोजना आंध्र प्रदेश के किसी भी जिले में कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

विवरण

ई-जिला परियोजना

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित प्रायोगिक परियोजना	जिलों की संख्या	जिलों का नाम
1.	उत्तर प्रदेश	मार्च 2006	6	रायबरेली, सीतापुर, गोरखपुर, सुलतानपुर, गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद
2.	असम	मार्च 2006	2	गोलपारा एं सोनितपुर
3.	पंजाब	मार्च 2008	2	कपुरथला एवं नवां शहर
4.	मध्य प्रदेश	मार्च 2008	2+3	इंदौर, सागर, ग्वालियर, गुना और शिवपुरी
5.	बिहार	फरवरी 2008	3	औरंगाबाद, नालन्दा एवं मधुबनी
6.	हरियाणा	मार्च 2008	1	रोहतक
7.	केरल	मार्च 2008	2	कन्नूर एवं पलक्कड़
8.	तमिलनाडु	फरवरी 2008	5	अरियालूर, कोयम्बटूर, कृष्णागिरि, पेरमबलूर एवं तिरूवरूर
9.	पश्चिम बंगाल	मार्च 2008	2	बैंकुरा एवं जलपाईगुडी
10.	झारखंड	मार्च 2008	1	रांची
11.	महाराष्ट्र	मार्च 2008	3	नागपुर, लातूर एवं पुणे
12.	उत्तराखंड	मार्च 2008	1	पौड़ी
13.	उड़ीसा	मार्च 2008	1	गंजम
14.	मिजोरम	मार्च 2008	1	आईजोल

भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान परिषद की स्थापना

1338. श्री दुष्यंत सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान परिषद की स्थापना का प्रस्ताव लंबे समय से सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव किस स्तर पर लंबित है; और

(ग) प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान गठित करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उत्पादन

1339. श्री विजय कृष्ण: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गेहूं, चावल और कपास के अतिरिक्त अन्य कृषि उत्पादों का उत्पादन करने को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रयासों के फलस्वरूप सकल तथा प्रति हैक्टेयर उत्पादन में हुई वृद्धि का राज्य-वार और फसल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तर्ज पर एक परिषद की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) मोटे अनाजों, तिलहनों, दलहनों, गन्ना और पटसन के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की जाती है।

(1) बृहत कृषि प्रबंधन प्रणाली के अधीन मोटे अनाज आधारित फसलन प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी-मोटे अनाज)।

(2) समेकित तिलहन, दलहन आयलपाम और मक्का स्कीम (आइसोपाम)।

(3) बृहत कृषि प्रबंधन प्रणाली के अधीन गन्ना आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों का सतत विकास (एसयूबीएसीएस), और

(4) पटसन प्रौद्योगिकी मिशन का मिनी मिशन-II।

इन स्कीमों के अंतर्गत प्रदर्शन और किसानों तथा विस्तार कर्मियों आदि के प्रशिक्षण के माध्यम से बीजों, कृषि उपकरणों, जलबचत साधनों, समेकित कृमि प्रबंधन, फसल उत्पादन व पादप संरक्षण प्रौद्योगिकी के अंतरण जैसे विभिन्न आदानों के लिए सहायता मुहैया कराई जाती है।

(ख) वर्ष 2004-05 तथा 2007-08 के दौरान महत्वपूर्ण राज्यों में मोटे अनाजों, तिलहनों, दलहनों, गन्ना व पटसन का उत्पादन एवं पैदावार ब्यौरे संलग्न विवरण-I से V में दिये गए हैं।

(ग) तथा (घ) 42 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि के संकाय वाले 4 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा 1 केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अलावा पहले से ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के 48 संस्थान, 5 ब्यूरो, 12 परियोजना निदेशालय, 30 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, आईसीएआर संस्थानों के 138 उप-केन्द्र, 77 अखिल भारत समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं (एआईसीआरपी)/अखिल भारत नेटवर्क अनुसंधान परियोजनाएं (एआईएनपी), 563 कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) है। इन्हें दृष्टिगत रखते हुए, भा.कृ.अ.प. के अनुसार ही प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय परिषद स्थापित करने का कोई विचार नहीं है।

विवरण I

वर्ष 2004-05 और 2007-08 के दौरान महत्वपूर्ण मोटे अनाज उत्पादक राज्यों में कुल मोटे अनाजों का उत्पादन व पैदावार

(उत्पादन: लाख टन)
(पैदावार: कि.ग्रा./है.)

क्र.सं.	राज्य	2004-05		2007-08*	
		उत्पादन	पैदावार	उत्पादन	पैदावार
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	27.71	2026	42.71	3311
2.	असम	0.18	662	0.18	643
3	बिहार	15.02	2293	15.15	2161
	छत्तीसगढ़	1.89	535	2.30	714
	गुजरात	17.34	1083	20.30	1329
	हरियाणा	8.82	1249	13.59	1763
	हिमाचल प्रदेश	7.88	2170	7.31	2163

1	2	3	4	5	6
8.	जम्मू-कश्मीर	5.17	1437	4.84	1395
9.	झारखंड	3.24	1291	3.85	1341
10.	कर्नाटक	59.77	1530	64.84	1717
11.	केरल	0.09	750	0.04	1333
12.	मध्य प्रदेश	23.30	1062	21.22	1082
13.	महाराष्ट्र	56.97	820	71.28	1135
14.	उड़ीसा	1.69	933	2.11	1227
15.	पंजाब	5.04	2714	5.85	3305
16.	राजस्थान	49.56	778	71.21	1015
17.	तमिलनाडु	868	1054	20.59	1956
18.	उत्तर प्रदेश	33.92	1577	30.23	1456
19.	उत्तराखंड	3.58	1222	3.49	1353
20.	पश्चिम बंगाल	1.62	2443	3.00	2679
21.	अखिल भारत	334.65	1153	407.26	1418

*चौथा अग्रिम अनुमान

विवरण II

वर्ष 2004-05 और 2007-08 के दौरान महत्वपूर्ण कुल तिलहन उत्पादक राज्यों में कुल तिलहनों का उत्पादन व पैदावार

(उत्पादन: लाख टन)
(पैदावार: कि.ग्रा./है.)

क्र.सं.	राज्य	2004-05		2007-08*	
		उत्पादन	पैदावार	उत्पादन	पैदावार
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	22.09	757	33.09	1259
2.	असम	1.47	529	1.32	500
3.	बिहार	1.17	887	1.31	949
4.	छत्तीसगढ़	1.24	426	1.75	574
5.	गुजरात	29.87	990	47.47	1593

1	2	3	4	5	6
6.	हरियाणा	8.40	1176	6.46	1214
7.	हिमाचल प्रदेश	0.12	632	0.07	438
8.	जम्मू-कश्मीर	1.24	1125	0.40	625
9.	झारखंड	0.07	241	0.67	540
10.	कर्नाटक	15.70	587	14.57	652
11.	केरल	0.02	792	0.03	750
12.	मध्य प्रदेश	47.98	833	53.54	856
13.	महाराष्ट्र	27.44	817	48.58	1279
14.	उड़ीसा	1.79	568	1.99	594
15.	पंजाब	1.00	1098	0.73	1237
16.	राजस्थान	55.41	1079	43.41	1086
17.	तमिलनाडु	10.61	1483	14.33	1657
18.	उत्तर प्रदेश	9.52	861	10.24	943
19.	उत्तराखंड	0.38	927	0.30	1000
20.	पश्चिम बंगाल	6.53	964	6.70	954
21.	अखिल भारत	243.53	885	288.25	1086

*चौथा अग्रिम अनुमान

विवरण III

वर्ष 2004-05 और 2007-08 के दौरान महत्वपूर्ण कुल दलहन उत्पादक राज्यों में कुल दलहनों का उत्पादन व पैदावार

(उत्पादन: लाख टन)
(पैदावार: कि.ग्रा./है.)

क्र.सं.	राज्य	2004-05		2007-08*	
		उत्पादन	पैदावार	उत्पादन	पैदावार
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10.19	565	17.49	823
2.	असम	0.61	571	0.67	558
3.	बिहार	4.67	710	4.90	788

1	2	3	4	5	6
4.	छत्तीसगढ़	3.68	395	5.35	588
5.	गुजरात	4.79	675	8.01	812
6.	हरियाणा	1.46	793	1.71	961
7.	हिमाचल प्रदेश	0.18	560	0.31	1000
8.	जम्मू-कश्मीर	0.15	492	0.21	467
9.	झारखंड	1.60	586	2.96	753
10.	कर्नाटक	7.92	376	12.18	513
11.	केरल	0.03	853	0.04	800
12.	मध्य प्रदेश	34.29	759	24.21	602
13.	महाराष्ट्र	16.64	492	31.26	776
14.	उड़ीसा	2.50	388	4.77	563
15.	पंजाब	0.32	801	0.25	781
16.	राजस्थान	13.37	375	15.26	398
17.	तमिलनाडु	2.45	410	2.61	358
18.	उत्तर प्रदेश	23.75	847	15.44	745
19.	उत्तराखंड	0.28	622	0.51	797
20.	पश्चिम बंगाल	1.67	740	2.19	747
21.	अखिल भारत	131.30	577	151.12	635

*चौथा अग्रिम अनुमान

विवरण IV

वर्ष 2004-05 और 2007-08 के दौरान महत्वपूर्ण गन्ना उत्पादक राज्यों में गन्ने का उत्पादन व पैदावार

(उत्पादन: लाख टन)
(पैदावार: कि.ग्रा./है.)

क्र.सं.	राज्य	2004-05		2007-08*	
		उत्पादन	पैदावार	उत्पादन	पैदावार
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	157.39	74948	202.54	82000
2.	असम	8.84	36983	9.48	37920

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	41.12	39460	40.83	34311
4.	गुजरात	145.70	74072	168.50	81010
5.	हरियाणा	80.60	62000	88.60	63286
6.	हिमाचल प्रदेश	0.62	21345	0.59	19667
7.	झारखंड	1.42	36308	1.50	25000
8.	कर्नाटक	142.76	80202	244.64	82649
9.	केरल	2.83	94333	2.18	109000
10.	मध्य प्रदेश	21.48	40914	31.80	42400
11.	महाराष्ट्र	204.75	63914	805.99	74080
12.	उड़ीसा	8.60	55838	10.69	53450
13.	पंजाब	51.70	60116	67.00	60360
14.	राजस्थान	2.76	48526	5.94	59400
15.	तमिलनाडु	233.96	100845	383.46	108938
16.	उत्तर प्रदेश	1187.15	60733	1246.65	57212
17.	उत्तराखंड	64.41	60196	76.86	61984
18.	पश्चिम बंगाल	10.33	66231	13.49	79353
	अखिल भारत	2370.88	64752	3403.37	67531

*चौथा अग्रिम अनुमान

विवरण V

वर्ष 2004-05 और 2007-08 के दौरान महत्वपूर्ण पटसन उत्पादक राज्यों में पटसन का उत्पादन व पैदावार

(उत्पादन: लाख गांठें)
(पैदावार: कि.ग्रा./है.)

क्र.सं.	राज्य	2004-05		2007-08*	
		उत्पादन**	पैदावार	उत्पादन**	पैदावार
1.	असम	4.10	1274	6.57	1971
2.	बिहार	10.56	1414	12.51	17.19
3.	उड़ीसा	0.41	1476	0.09	270
4.	पश्चिम बंगाल	78.53	2484	82.16	2424
	अखिल भारत	93.99	2186	101.82	2246

*चौथा अग्रिम अनुमान

**उत्पादन प्रत्येक 180 कि.ग्रा. की लाख गांठों में

सिंचाई परियोजनाएं

1340. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक और गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं के उन्नयन, विकास और जीर्णोद्धार के लिए उपलब्ध कराए गए और उपयोग किए गए अनुदान का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त उद्देश्य हेतु प्राप्त विदेशी सहायता यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्य-वार कितनी निधियां स्वीकृत की गईं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान जारी की गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। एआईबीपी के अंतर्गत सहायता की अगली किस्त, एआईबीपी के दिशानिर्देशों के अनुसार पहले जारी की गई सहायता का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही जारी की जाएगी।

(ख) राज्यों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी सहायता से पूरा किए जाने के लिए स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) वर्तमान वर्ष के दौरान नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए जारी अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2005-06 से 2008-09 के दौरान एआईबीपी के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	राशि			
		2005-06 अनुदान	2006-07 अनुदान	2007-08 अनुदान	2008-09 अनुदान
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	311.3815	843.4220	987.7692	422.8200
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.0000	27.0000	47.1800	7.5700
3.	असम	34.9332	30.2685	77.3380	193.7450
4.	बिहार	16.2380	3.2300	62.2400	29.6200
5.	छत्तीसगढ़	7.6645	10.7050	96.9640	51.1900
6.	गोवा		1.9100	32.4800	15.1100
7.	गुजरात	339.6000	121.8885	585.7200	251.9000
8.	हरियाणा	6.0000	3.1700	0.0000	0.0000
9.	हिमाचल प्रदेश	30.0785	3.9300	114.0500	0.0000
10.	जम्मू-कश्मीर	36.6878	37.7716	199.2251	196.2300
11.	झारखंड	5.0370	1.2900	9.2244	3.7200
12.	कर्नाटक	140.7759	160.3729	349.9000	318.0800

1	2	3	4	5	6
13.	केरल	9.3591	16.6468	0.0000	0.0000
14.	मध्य प्रदेश	168.0966	48.3100	500.3450	192.8516
15.	महाराष्ट्र	167.3822	465.5213	972.2500	851.5000
16.	मणिपुर	75.7035	156.3042	103.9870	97.4600
17.	मेघालय	1.5750	0.7500	1.1600	1.2500
18.	मिजोरम	9.3150	14.2354	34.3434	28.1600
19.	नागालैंड	7.9987	10.5995	40.5100	0.0000
20.	उड़ीसा	151.3742	133.8846	624.3590	269.4200
21.	पंजाब	26.3166		13.5000	0.0000
22.	राजस्थान	90.2952	11.6000	156.5300	178.6200
23.	सिक्किम	0.9113	3.3236	3.2400	0.0000
24.	त्रिपुरा	31.9950	22.5131	8.1000	16.1600
25.	तमिलनाडु			0.0000	0.0000
26.	उत्तर प्रदेश	133.1280	81.8954	150.6900	61.8700
27.	उत्तराखंड	80.4387	84.7298	265.6500	300.7700
28.	पश्चिम बंगाल	0.0287	6.7000	8.9500	22.8100
	कुल	1900.3142	2301.9722	5445.7051	3510.8566

विवरण II

वर्ष. 2005 से क्रियान्वित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	वित्तपोषण करने वाला अभिकरण	राज्य	परियोजना का नाम	समझौते/पूरा होने की	मिलियन दाता मुद्रा में सहायता की	मिलियन दाता मुद्रा में 30.9.2008 तक संचयी संवितरण (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	विश्व बैंक	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना एलएन 4796-आईएन	19.8.2005 31.03.2012	325 अमेरिकी डालर (1397.50 रुपये) (ऋण)	53.384 अमेरिकी डालर 233.716 रुपये
2.	विश्व बैंक	तमिलनाडु	तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकरण और जल निकाय पुनरुद्धार और प्रबंधन परियोजना (सीआर सं. 4846) (आईबीआरडी) और सीआर सं. 4255-आईएन (आईडीए)	12.2.2007 31.7.2013	485 अमेरिकी डालर (2085.50 रुपये) (ऋण)	36.380 अमेरिकी डालर 152.448 रुपये

1	2	3	4	5	6	7
3.	विश्व बैंक	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना सीआर 4291-आईएन एवं 4857-आईएन	8.6.2007 31.12.2012	189 अमेरिकी डालर (942.00 रुपये) (ऋण)	9.662 अमेरिकी डालर 39.766 रुपये
4.	विश्व बैंक	कर्नाटक	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना सी 4872-आईएन एवं 3635-आईएन	17.1.2008 31.1.2012	64 अमेरिकी डालर (297.00 रुपये) (ऋण)	शून्य
5.	एशियाई विकास बैंक	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास क्षेत्र परियोजना 2159-आईएनडी	20.3.2006 31.3.2013	46.108 अमेरिकी डालर (198.2 रुपये) (ऋण)	3.953 अमेरिकी डालर 16.645 रुपये
6.	जेबीआईसी-जापान	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश सिंचाई एवं आजीविका सुधार परियोजना	30.4.2007 31.3.2013	23974 जापानी येन (960.0 रुपये) (ऋण)	122.728 जापानी येन 4.705 रुपये
7.	जेबीआईसी-जापान	राजस्थान	राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना	31.3.2005 31.3.2013	11555 जापानी येन (441.0 रुपये) (ऋण)	9.613 जापानी येन 0.340 रुपये

विवरण III

एआईबीपी के अंतर्गत 2008-09 के दौरान नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए जारी अनुदान का राज्यवार ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2008-09 के दौरान जारी अनुदान
1.	आंध्र प्रदेश	24.30
2.	असम	148.375
3.	जम्मू-कश्मीर	86.52
4.	कर्नाटक	151.63
5.	मध्य प्रदेश	19.8516
	कुल	430.6766

कर्नाटक में लिफ्ट सिंचाई परियोजना

1341. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चेन्नागिरी तालुक और धरिकेरे तालुक में शहरी लिफ्ट सिंचाई परियोजना प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों सहित परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है और इसकी अनुमानित लागत कितनी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि इसने तारीकेरे और चेन्नागिरी तालुकों में 146 टैंकों को शामिल करते हुए कमान क्षेत्रों को स्थिर करने के लिए उबरानी-अमरूथपुरा लिफ्ट सिंचाई स्कीम प्रारंभ की है।

(ख) इस परियोजना में दो चरण हैं। 27.00 करोड़ रुपये की राशि (निविदा की राशि) का चरण-1 कार्य टर्न की आधार पर प्रारंभ किया गया है और यह कार्य पूरा होने वाला है। 70.00

करोड़ रुपये की राशि (निविदा राशि) का चरण-II कार्य टर्न की आधार पर प्रारंभ किया गया है और यह कार्य प्रगति पर है।

सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन और प्राथमिकता राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने स्तर पर तय की जाती है।

(ग) परियोजना के चरण-I की अनुमानित लागत 36.33 करोड़ रुपये है और चरण-II की 55.81 करोड़ रुपये है। परियोजना के दोनों ही चरणों को कर्नाटक सरकार द्वारा 2008-09 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

नानसीड कंपोनेंट धन

1342. श्री सुभाष महरिया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य स्तर की समितियों को नानसीड कंपोनेंट धन के अन्यत्र उपयोग हेतु क्या दिशा-निर्देश हैं;

(ख) क्या ये समितियां सीड कंपोनेंट धन के अप्रयुक्त भाग का किसी अन्य घटक में उपयोग करने के लिए अधिकार प्राप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ राज्यों से राज्य स्तर की समितियों को नान सीड कंपोनेंट की अप्रयुक्त राशि और सीड कंपोनेंट की राशि का अन्य उद्देश्यों के लिए असीमित उपयोग करने की शक्तियां प्रदान करने के लिए इन दिशा-निर्देशों में परिवर्तन करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का स्कीम (आइसोपाम) के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा राशियों के अंतर घटक विपथन के लिए लचीलापन गैर बीज घटक के लिए आबंटित राशियों का केवल 20% तक ही अनुमत्य है। अभिनव उपाय अथवा कोई विशेष घटक शुरू करने के लिए राज्यों को वित्तीय आबंटन का 10% की सीमा तक का लचीलापन है। तथापि इन परिवर्तनों को राज्य कृषि विभाग के अनुमोदन से ही प्रस्तावित किया जा सकता है और राज्य स्तरीय मंजूरी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है।

(ख) और (ग) भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही बीज घटक से गैर बीज घटक में राशियों के विपथन की अनुमति दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गोदामों के किराए में संशोधन

1343. श्री एल. राजगोपाल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने गोदामों के किराए में संशोधन के लिए आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के राज्य भंडारण निगम के साथ हाल में बैठकें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) जी, हां। सात वर्षीय गारंटी योजना के अधीन प्राइवेट पार्टियों से किराये पर लिए गए गोदामों के लिए राज्य भंडारण निगमों को गोदामों के किराये का भुगतान करने से संबंधित दावा समिति की बैठक कार्यकारी निदेशक (ट्रैफिक), भारतीय खाद्य निगम की अध्यक्षता में 25.8.2008 को हुई थी और इसमें अध्यक्ष, नेशनल एसोसिएशन आफ वेयरहाऊसिंग कारपोरेशन, हैदराबाद, राज्य भंडारण निगम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के प्रबंध निदेशकों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया था। चर्चा के दौरान इस मुद्दे पर कोई मतैक्य नहीं हो सका। इस पर विधि मंत्रालय के विचार मांगे गए हैं।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी

1344. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री उदय सिंह:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में कालाबाजारी, जमाखोरी और आवश्यक वस्तुओं की कमी को इन वस्तुओं की कमी और मूल्य वृद्धि के मुख्य कारण के रूप में पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्यों को आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक लगाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इन मदों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में मारे गए छापों की संख्या क्या है और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। भारत सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की खरीदारी, उनका भंडारण, ढुलाई और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनका आवंटन करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर खाद्यान्नों का आबंटन करने, योजना आयोग के अनुमानों के आधार पर पात्र गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय, अन्न योजना के परिवारों की पहचान करने और उन्हें राशन कार्ड जारी करने और उचित दर दुकानों के जरिए पात्र राशन कार्डधारकों को आबंटित खाद्यान्नों के वितरण का पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। 2002-03 से 2008-09 तक की अवधि के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के लाभभोगियों के बीच वितरण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को किए जाने वाले खाद्यान्नों के आबंटन में कोई कमी नहीं थी।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के लिए यह अपेक्षित होता है कि वे केन्द्र सरकार को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिनमें आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के उपबंधों के तहत की गई कार्रवाई का उल्लेख किया जाए। केन्द्र सरकार ऊपर उल्लिखित दो अधिनियमों के तहत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई कार्रवाई की नियमित मानीटरिंग भी करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर निदेश दिए गए हैं कि वे जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए दोनों अधिनियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई करें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे आवश्यक वस्तुओं को जमा करने और उनके वितरण में अपनाए जाने वाले गलत तरीकों को रोकने के लिए अपने प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करें और उनकी जमाखोरी और कालाबाजारी में संलिप्त बेईमान व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें।

आवश्यक वस्तुओं, विशेष रूप से गेहूं और दालों की कीमतों को स्थिर रखने के उद्देश्य से सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत 29.8.2006 को अधिसूचित केन्द्रीय आदेश द्वारा राज्य सरकारों को प्राधिकृत किया कि वे छः माह की अवधि के लिए गेहूं और दालों के स्टाक रखने की सीमाएं निर्धारित करें। इस अवधि को 30.4.2009 तक आगे बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार के आदेश 7.4.2008 को खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों तथा चावल के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए और धान के संबंध में 29.8.2008 को 30.4.2009 तक के लिए जारी किए गए हैं। इन आदेशों के आधार पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वे वाजिब कीमतों पर आम जनता के लिए इन वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु इनके स्टाक की जमाखोरी को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करें।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार चालू वर्ष 2008 (21.10.2008) के दौरान आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत उनके द्वारा की गई कार्रवाई का सारांश निम्नानुसार है:-

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत

छापों की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या	जब्त वस्तुओं की कीमत (लाख रुपये में)
193678	4792	4069	775	4743.53

चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत

वर्ष 2008 के दौरान 21.10.2008 तक 117 मामलों में नजरबंदी आदेश दिए गए हैं।

[अनुवाद]

चीनी मिलों से उपकर

1345. श्री नन्द कुमार साय:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चीनी उपकर अधिनियम, 1982 के अंतर्गत चीनी मिलों से उपकर एकत्र करती रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एकत्रित धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान चीनी मिलों के विकास हेतु आवंटित धनराशि का पूरा उपयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) ऐसी धनराशि के इष्टतम उपयोग हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष	एकत्रित उपकर की राशि
2005-06	11214.50
2006-07	21600.01
2007-08	26370.28
2008-09	25187.00 (अगस्त, 2008 तक)

(ग) और (घ) आवंटित और संवितरित निधियों की स्कीमवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) पिछले वर्षों के दौरान निधियों का उपयोग न होने का मुख्य कारण चीनी विकास निधि के ऋणों के लिए पर्याप्त सिक्योरिटी देने में कारखानों में असफल रहने और संवितरण के लिए चीनी कारखानों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को पूरा करने में विलम्ब होना है। इसके अलावा इथेनॉल संयंत्रों के लिए निधियों का उपयोग न होना इथनाल के अनिश्चित बाजार होने को भी माना जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप चीनी कारखानों से आशा से कम संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(च) आवंटित निधियों का ईष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सिक्योरिटी के रूप में बैंक गारंटी देने के संबंध में चीनी विकास निधि नियम, 1983 में संशोधन करना और चीनी कारखानों को अपनी परिसम्पत्तियों पर प्रभार सृजित करने के लिए अनुमति देना, इथनाल की मांग में सुधार करने के लिए पेट्रोल के साथ इथनाल के अनिवार्य मिश्रण को 5% से बढ़ाकर 10% करना, स्वीकृत ऋणों को लेने के लिए चीनी कारखानों हेतु कम समय-सीमा निर्धारित करना तथा अग्रिम सिक्योरिटी के स्वरूप को तय करने के लिए बेंच मार्क विहित करने जैसे उपचारात्मक उपाय किए हैं।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
		बजटीय आवंटन	संवितरित राशि	बजटीय आवंटन	संवितरित राशि	बजटीय आवंटन	संवितरित राशि	बजटीय आवंटन	संवितरित राशि
1.	गन्ना विकास	25.00	16.21	25.00	14.81	25.00	5.06	25.00	6.50
2.	आधुनिकीकरण/पुर्नस्थापन	100.00	36.96	125.00	86.46	125.00	125.00	150.00	117.91
3.	खोई आधारित विद्युत सह उत्पादन	100.00	62.73	120.00	92.02	150.00	150.00	150.00	128.50
4.	इथेनॉल का उत्पादन	75.00	19.48	30.00	2.28	30.00	8.36	30.00	10.59
	जोड़	300.00	135.38	300.00	195.57	330.00	288.42	355.00	263.50

वस्त्रों का निर्यात

1346. श्री परसुराम माझी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में विभिन्न देशों को निर्यात किए गए वस्त्रों की देश-वार मात्रा और मूल्य कितना है;

(ख) क्या सरकार का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) को किए जाने वाले निर्यात में वृद्धि करने का है क्योंकि उस देश में भारत में निर्मित वस्त्रों की मांग बढ़ गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) 2008-09 में अमेरिका को वस्त्र निर्यात का क्या लक्ष्य रखा गया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) भारत द्वारा पिछले तीन कैलेण्डर वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के प्रथम दो महीनों के दौरान 10 प्रमुख देशों को निर्यात किए गए वस्त्र और कपड़े की मूल्यवार तालिका नीचे दी गई है-

(अमरीकी डालर)

क्र.सं.	देश का नाम	2005	2006	2007	2008 (जनवरी-फरवरी)
1.	अमरीका	4493	4854	4627	897
2.	इंग्लैंड	1337	1371	1581	284
3.	जर्मनी	1072	1142	1271	259
4.	संयुक्त अरब अमीरात	1016	1064	1260	121
5.	चीन	284	752	986	322
6.	इटली	786	901	883	179
7.	फ्रांस	779	851	865	182
8.	तुर्की	264	320	651	102
9.	स्पेन	558	568	555	126
10.	नीदरलैंड	358	442	453	99

स्रोत: (विश्व व्यापार सूचना प्रणाली)

मात्रा-वार आंकड़े पीस, मीटर, वजन आदि जैसी इकाई के अलग-अलग रूप में हैं जो निर्यात की गई वस्तुओं के आधार पर हैं और जिन्हें किसी देश के लिए एक मात्र इकाई के रूप में दर्शाया नहीं जा सकता।

(ख) सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका सहित सभी देशों में वस्त्र के निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

(ग) भारतीय वस्त्र उद्योग को अपनी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, उत्पाद गुणवत्ता, डिलीवरी तंत्र, अवसंरचना आवश्यकताओं आदि में वृद्धि करने के लिए सहायता करने हेतु कदम उठाने के अलावा सरकार बाजार विकास, अध्ययनों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के लिए सहायता प्रदान करती है।

(घ) सरकार द्वारा सिफारिश किए गए निर्यात लक्ष्य वस्तुवार हैं और न कि देश विशेषवार।

कीमतों में अंतर

1347. **श्री फ्रांसिस फैन्थम:**
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महानगरों में आवश्यक वस्तुओं की वर्तमान थोक एवं खुदरा कीमतों में प्रति किलोग्राम अंतर कितना है;

(ख) क्या आवश्यक वस्तुओं की थोक एवं खुदरा कीमतों के मध्य अधिकतम अनुमत अंतर के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतों सहित कीमतों को किस रीति से मॉनीटर करती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) इस विभाग द्वारा की गई निगरानी के अनुसार आवश्यक वस्तुओं के मौजूदा थोक और खुदरा मूल्यों के बीच प्रति कि.ग्रा. अंतर संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों के बीच अधिकतम अनुमेय अंतर के बारे में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। थोक/खुदरा मूल्य व्यापक तौर पर बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं। खाद्यान्नों के उत्पादों के उपभोक्ता मूल्य और बिक्री मूल्य में अंतर मुख्य रूप से (1) परिवहन और सम्हलाई लागत (2) पैकेजिंग तथा खुदरा पर अन्य विपणन व्यय (3) खुदरा व्यापारियों के मार्क-अप और (4) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वसूले जाने वाले कर और चुंगी के कारण होता है। आवश्यक वस्तुओं के संबंध में थोक और खुदरा मूल्यों के बीच अंतर सामान्य तौर पर सीमाओं के भीतर पाया जाता है।

(ग) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार चुनिंदा केन्द्रों पर चुनिंदा वस्तुओं के थोक/खुदरा मूल्यों की बारीकी से निगरानी करती है। मूल्य निगरानी कक्ष को अन्य बातों के अलावा, राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर देश में चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं अर्थात् चावल, गेहूं, आटा, चना दाल, तूर/अरहर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, चाय, दूध, चीनी, वनस्पति, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, आलू, प्याज और नमक के मूल्यों की निगरानी का कार्य सौंपा गया है। खुदरा मूल्यों से संबंधित सूचना देश के 27 केन्द्रों से दैनिक आधार पर प्राप्त होती है। इसी प्रकार थोक मूल्यों के संबंध में सूचना देश के 37 केन्द्रों से साप्ताहिक आधार पर प्राप्त होती है। थोक/खुदरा स्तर पर कोई उतार-चढ़ाव, विशेष रूप से मूल्यों में वृद्धि पर तत्काल ध्यान दिया जाता है और उनके ब्यौरे प्राप्त करने के लिए राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभागों से संपर्क किया जाता है। प्रचलित मूल्य स्थिति के साथ-साथ मूल्यों को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों का घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में अध्ययन किया जाता है और उसके परिणामों को सचिवों की समिति, मूल्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति जैसी उच्च स्तरीय समितियों की बैठकों के लिए तैयार कार्यसूची टिप्पणियों के जरिए नीति स्तर पर उपयुक्त कार्रवाई के लिए उनके ध्यान में लाया जाता है।

विवरण

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग (मूल्य निगरानी कक्ष)

महानगरों में आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों में उतार-चढ़ाव (8.10.08 की स्थिति के अनुसार)

वस्तु/केन्द्र	खुदरा मूल्य (रुपए/कि.ग्रा.)	थोक मूल्य (रुपए/कि.ग्रा.)	उतार-चढ़ाव
1	2	3	4
चावल			
चेन्नई	17.00	16.00	1.00
दिल्ली	22.00	17.00	5.00
कोलकाता	14.00	13.00	1.00
मुंबई	17.00	16.00	1.00
गेहूं			
चेन्नई	17.00	16.50	0.50
दिल्ली	13.00	10.90	2.10
कोलकाता	एनटी	एनटी	–
मुंबई	17.00	13.00	4.00
आटा			0.00
चेन्नई	20.00	17.38	2.62
दिल्ली	14.00	11.28	2.72
कोलकाता	14.00	12.50	1.50
मुंबई	17.50	15.00	2.50
चना			
चेन्नई	38.00	35.00	3.00
दिल्ली	37.00	30.00	7.00
कोलकाता	34.00	33.00	1.00
मुंबई	39.00	34.00	5.00
तूर			
चेन्नई	48.00	45.00	3.00
दिल्ली	50.00	43.50	6.50
कोलकाता	45.00	41.50	3.50
मुंबई	48.00	44.00	4.00

1	2	3	4
चीनी			
चेन्नई	20.00	18.80	1.20
दिल्ली	20.00	19.50	0.50
कोलकाता	21.00	19.20	1.80
मुंबई	19.50	18.10	1.40
मूंगफली का तेल			
चेन्नई	72.00	62.00	10.00
दिल्ली	118.00	103.00	15.00
कोलकाता	90.00	76.00	14.00
मुंबई	95.00	85.33	9.67

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग (मूल्य निगरानी कक्ष)

चार महानगरों में आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य

चार महानगरों में आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों में उतार-चढ़ाव

वस्तु/केन्द्र	खुदरा मूल्य (रुपए/कि.ग्रा.)	थोक मूल्य (रुपए/कि.ग्रा.)	उतार-चढ़ाव
1	2	3	4
सरसों का तेल			
चेन्नई	एनटी	एनटी	–
दिल्ली	80.00	80.00	0.00
कोलकाता	80.00	73.00	7.00
मुंबई	80.00	79.00	1.00
वनस्पति			
चेन्नई	68.00	66.00	2.00
दिल्ली	62.00	56.00	6.00
कोलकाता	58.00	49.00	9.00
मुंबई	62.00	51.00	11.00
चाय (खुली)			
चेन्नई	सू.न.	सू.न.	–
दिल्ली	134.00	125.00	9.00
कोलकाता	100.00	80.00	20.00
मुंबई	144.00	130.00	14.00
दूध@			0.00
चेन्नई	18.00	सू.न.	–
दिल्ली	21.00	सू.न.	–
कोलकाता	22.00	सू.न.	–
मुंबई	20.00	सू.न.	–
आलू			
चेन्नई	10.00	8.00	2.00
दिल्ली	13.00	9.00	4.00
कोलकाता	5.00	4.00	1.00
मुंबई	9.00	8.00	1.00
प्याज			
चेन्नई	10.00	8.00	2.00
दिल्ली	14.00	7.50	6.50
कोलकाता	10.00	9.00	1.00
मुंबई	11.00	7.50	3.50

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग सू.न. -> सूचित नहीं एन टी - व्यापार नहीं

3जी और ब्राडबैंड वायरलैस अभिगम की नीलामी हेतु दिशानिर्देश

1348. श्री वसुदेव आचार्य: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सदस्य (वित्त) दूरसंचार की अध्यक्षता में मंत्रालयी समिति ने देश में 3जी और ब्राडबैंड वायरलेस एक्सेस की नीलामी हेतु डिजाइन की रूपरेखा प्रस्तुत की है और दिशा-निर्देश तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इससे प्राप्त होने वाले राजस्व की कुल राशि का आकलन भी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने 01.08.2008 को 3जी और ब्राडबैंड वायरलेस अभिगम (बीडब्ल्यूए) दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी और आवंटन संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देशों और 11.09.2008 को कतिपय संशोधनों की घोषणा की है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ नीलामी की पद्धति शामिल है।

सफल बोलीदाता को एक नियंत्रित, एककालिक, आरोही ई-नीलामी के माध्यम से लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। ई-नीलामी आयोजित करने के लिए तथा साथ ही नीलामी की प्रक्रिया के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के लिए एक विशिष्ट एजेंसी का चयन करने की दृष्टि से, दूरसंचार विभाग के सदस्य (वित्त) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की गई है। 3जी और बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए मैसर्स एन.एम. रोथ्सचाइल्ड एंड सन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को चुना गया है।

(ग) से (ङ) इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, 2×5 मेगाहर्ट्ज (3जी) और 20 मेगाहर्ट्ज की बीडब्ल्यू-ए सेवाओं के लिए अखिल-भारतीय लाइसेंस का आरक्षित मूल्य क्रमशः 2020/- करोड़ रुपए और 1010/- करोड़ रुपए हैं।

[हिन्दी]

विदेशी फर्मों को मछली पकड़ने की अनुमति

1349. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी फर्मों को देश की प्रादेशिक जल सीमा में मछली पकड़ने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या विदेशी फर्मों को गहरे जल में मछली पकड़ने की अनुमति देने के लिए कोई दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भारतीय समुद्र तटीय क्षेत्र (एमजेडआई) अधिनियम, 1981 तथा इसके तहत बनाए गए नियम विदेशी मत्स्यन जलयानों के विनियमन से संबंधित हैं। तथापि, 1996 में लागू सरकारी नीति के अनुसार किसी भी विदेशी फर्म को भारत में अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्यन की अनुमति नहीं दी गई है।

[अनुवाद]

एलसीए की खरीद

1350. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना का विचार हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड से हल्के लड़ाकू विमान 'तेजस' की खरीद हेतु क्रयादेश देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय वायुसेना ने विमान की लदान क्षमता तथा अन्य तकनीकी विशेषताओं का मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) भारतीय वायुसेना ने 2701.70 करोड़ रुपए की लागत पर एचएएल से 20 तेजस हल्के युद्धक विमानों की अधिप्राप्ति हेतु मार्च 2006 में क्रयादेश दिया है।

(ग) और (घ) भारतीय वायुसेना उड़ान परीक्षणों के माध्यम से विमान की भार क्षमता तथा अन्य तकनीकी विनिर्देशनों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है तथा विमान को चरणों में शामिल किया जाएगा।

सड़ा हुआ खाद्यान्न

1351. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में देश में भूख के कारण हुई मौतों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पड़े चावल और गेहूं सहित सड़े हुए खाद्यान्न की कुल मात्रा कितनी है और इसका निपटान किस रीति से किया जाएगा;

(ग) क्या खाद्यान्न के मानव उपभोग के लायक न रहने के उत्तरदायी कारण सुनिश्चित करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान किसी भी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा भुखमरी से मौत होने की किसी घटना की सूचना नहीं दी गई है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार फिलहाल भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कोई सड़ा हुआ खाद्यान्न नहीं है। तथापि, 1.10.2008 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम को गोदामों में 0.749 लाख टन क्षतिग्रस्त खाद्यान्न मौजूद था जो चक्रवात, बाढ़ और विनिर्दिष्टयों से नीचे के स्टाक को स्वीकार करने जैसे विभिन्न कारणों की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है।

क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का निपटान निविदा/बोली के जरिए किया जाता है और उपर्युक्त मात्रा का निपटान क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के निपटान की प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) खाद्यान्नों के परिरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने का कार्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा सीआईपीएचईटी, लुधियाना, पीएयू, लुधियाना, भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान, हापुड़ और सीएफटीआरआई, मैसूर जैसे विभिन्न अनुसंधान संगठनों को सौंपा गया है। ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं और भारतीय खाद्य निगम के पास रखे खाद्यान्नों के स्टाक का परिरक्षण करने के लिए उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है।

नेशनल फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना

1352. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने देश में व्यापक स्पैक्ट्रम नीति तैयार करने के लिए एक नेशनल फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बोर्ड का कब तक गठन होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने "3जी और ब्राडबैंड वायरलेस अभिगम सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन तथा मूल्य निर्धारण" संबंधी दिनांक 27 सितंबर, 2006 की अपनी सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, एक राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी प्रबंधन बोर्ड (एनएफएमबी) की स्थापना करने की सिफारिश की थी।

(ख) और (ग) तथापि, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का दृष्टिकोण है कि चूंकि "बेतार आयोजना समन्वय समिति" (डब्ल्यूपीसीसी) नामक एक उच्चाधिकार प्राप्त सचिव स्तरीय समिति पहले ही विद्यमान है, इसलिए राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी प्रबंधन बोर्ड का गठन करने के बजाय इस समिति द्वारा व्यापक स्पेक्ट्रम नीति निर्धारण सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को निपटाया जा सकता है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

1353. श्री रामदास आठवले: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गोदामों की राज्य-वार कुल संख्या और क्षमता कितनी है और उनमें भंडारित खाद्यान्नों की कुल मात्रा कितनी है;

(ख) क्या उक्त क्षमता देश की भंडारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश के पिछड़े क्षेत्रों में स्थित गोदामों सहित बहुत से गोदाम जर्जर अवस्था में हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी दशा सुधारने और नए गोदामों के निर्माण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) भारतीय खाद्य निगम के पास राज्यवार गोदामों की संख्या, भंडारण क्षमता और उनमें भंडारित स्टाक का ब्यौरा (31.8.2008 की स्थिति के अनुसार) संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम के पास मैक्रो स्तर पर उपलब्ध भंडारण क्षमता फिलहाल भंडारण जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। माइक्रो स्तर पर जहां कहीं भंडारण क्षमता की कमी है उसे योजना स्कीम के अधीन गोदामों का निर्माण करके अथवा केन्द्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम या प्राइवेट क्षेत्र से क्षमता किराये पर लेकर पूरा किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम के पास पिछड़े क्षेत्रों में उपलब्ध गोदामों सहित कोई भी गोदाम बदतर स्थिति में नहीं है। सभी गोदामों का निर्माण आईएसआई कोड 607-1971 के अनुसार वैज्ञानिक रूप से किया जा रहा है और उनके उचित रखरखाव के लिए आवधिक रूप से रखरखाव किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

31.8.2008 की स्थिति के अनुसार गोदामों की राज्य-वार संख्या, भंडारण क्षमता और स्टाक स्थिति

अंचल	क्र.सं.	क्षेत्र/संघ शासित क्षेत्र	भंडारण क्षमता (लाख टन में)			डिपों की संख्या (अनंतिम)	रखा गया स्टाक (लाख टन में)	उपयोग प्रतिशत	खाली जगह (लाख टन में)
			ढकी हुई	कैप (खुली)	जोड़				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पूर्वी	1.	बिहार	5.43	0	5.43	49	4.48	83	0.95
	2.	झारखंड	1.19	0	1.19	18	0.83	70	0.36
	3.	उड़ीसा	6.77	0	6.77	76	4.61	68	2.16
	4.	पश्चिम बंगाल	10.15	0	10.15	40	7.71	76	2.44
	5.	सिक्किम	0.11	0	0.11	2	0.09	82	0.02
		जोड़ (पूर्वी अंचल)	23.65	0	23.65	185	17.72	75	5.93
पूर्वोत्तर	6.	असम	2.64	0	2.64	32	1.79	68	0.85
	7.	अरुणाचल प्रदेश	0.20	0	0.20	8	0.14	70	0.06
	8.	मेघालय	0.26	0	0.26	6	0.16	62	0.10
	9.	मिजोरम	0.23	0	0.23	6	0.11	48	0.12
	10.	त्रिपुरा	0.48	0	0.48	7	0.38	79	0.10
	11.	मणिपुर	0.20	0	0.20	3	0.04	20	0.16
	12.	नागालैंड	0.30	0	0.30	5	0.22	73	0.08
		जोड़ (पूर्वोत्तर अंचल)	4.31	0	4.31	67	2.84	66	1.47
उत्तरी	13.	दिल्ली	3.36	0.34	3.70	10	3.02	82	0.68
	14.	हरियाणा	20.22	3.19	23.41	136	19.08	82	4.33
	15.	हिमाचल प्रदेश	0.25	0	0.25	17	0.18	72	0.07
	16.	जम्मू-कश्मीर	1.28	0	1.28	24	0.74	58	0.54
	17.	पंजाब	51.60	6.33	57.93	334	35.34	61	22.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18.	चंडीगढ़	1.03	0.09	1.12	16	0.82	73	0.30
	19.	राजस्थान	8.83	1.69	10.52	117	7.21	69	3.31
	20.	उत्तर प्रदेश	22.08	4.35	26.43	153	17.13	65	9.30
	21.	उत्तरांचल	1.20	0.15	1.35	23	0.82	61	0.53
		जोड़ (उत्तरी अंचल)	109.85	16.14	125.99	830	84.34	67	41.65
दक्षिणी	22.	आंध्र प्रदेश	31.63	1.97	33.60	130	19.55	58	14.05
	23.	अंडमान और निकोबार	0.07	0	0.07	1	0.03	43	0.04
	24.	केरल	5.17	0.21	5.38	29	4.39	82	0.99
	25.	कर्नाटक	4.77	0.92	5.69	48	3.16	56	2.53
	26.	तमिलनाडु	7.41	0.58	7.99	28	6.60	83	1.39
	27.	पांडिचेरी	0.49	0.10	0.59	8	0.30	51	0.29
		जोड़ (दक्षिणी अंचल)	49.54	3.78	53.32	244	34.03	64	19.29
पश्चिमी	28.	गुजरात	6.23	1.28	7.51	44	6.69	89	0.82
	29.	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
	30.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
	31.	मध्य प्रदेश	15.60	1.18	16.78	62	9.03	54	7.75
	32.	गोवा	0.15	0	0.15	1	0.09	60	0.06
	33.	मध्य प्रदेश	8.52	0.25	8.77	136	7.91	90	0.86
	34.	चंडीगढ़	5.92	0	5.92	44	2.87	48	3.05
		जोड़ (पश्चिमी अंचल)	36.42	2.71	39.13	287	26.59	68	12.54
		सकल जोड़	223.77	22.63	246.40	1613	165.52	67	80.88

हस्तशिल्प का निर्यात

1354. श्री अजीत जोगी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में हस्तशिल्पों का देशवार कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का निर्यात किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देशवार निर्धारित लक्ष्य क्या है और इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई;

(ग) क्या विदेशों में बस्तर हस्तशिल्प की अच्छी मांग है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा बस्तर हस्तशिल्प के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) प्रमात्रा-वार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, पिछले

तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान देश-वार निर्यात किये गये हस्तशिल्प का मूल्य निम्न प्रकार से है:-

(करोड़ रुपये में)

देश	2005-06 (अनंतिम)	2006-07 (अनंतिम)	2007-08 (अनंतिम)
आस्ट्रेलिया	238.44	271.77	210.78
कनाडा	450.25	538.19	430.85
फ्रांस	615.76	805.72	673.91
जर्मनी	1526.50	1725.90	1366.14
इटली	476.40	608.31	476.13
जापान	423.86	482.93	386.04
नीदरलैण्ड	416.63	537.07	446.28
सउदी अरब	352.53	455.96	356.95
स्विट्जरलैंड	229.89	266.63	205.77
संयुक्त राज्य अमेरिका	4462.76	5419.99	4507.51
युनाइटिड किंगडम	1669.55	1927.24	1506.52
अन्य देश	3664.28	4248.43	3415.17
कुल	14526.85	17288.14	14012.05

चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2008-09 के लिए हस्तशिल्प पर देशवार निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, अप्रैल-सितम्बर, 2008 तक की अवधि हेतु देश से हस्तशिल्प का कुल निर्यात 4504.83 करोड़ रुपये तक हुआ है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान हस्तशिल्प निर्यातों के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा प्राप्त लक्ष्य निम्न प्रकार से हैं:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	
2005-06	14000.00	14526.85	
2006-07	16500.00	17288.14	
2007-08	21000.00	14012.05	
2008-09	17950.00	4504.83	(अप्रैल-सितम्बर, 2008-09)

हस्तशिल्प के निर्यात के लिए देश-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। बस्तर हस्तशिल्प विशेषकर ढोकरा एवं काष्ठ नक्काशी शिल्पों की अच्छी मांग है। बस्तर हस्तशिल्प सहित हस्तशिल्प के उत्पादन एवं निर्यात के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में, मानव संसाधन विकास स्कीम; डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम; चयनित शिल्प कलस्टरों के एकीकृत विकास हेतु बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) का क्रियान्वयन; विदेशों में प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेना; भारत एवं विदेशों में क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन; वर्ष में दो बार भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेलों का आयोजन; थिमेटिक/स्टैण्ड एलोन प्रदर्शनियों तथा पैकेजिंग एवं निर्यात प्रक्रिया प्रबंधन हेतु कार्यशाला/सेमिनार का आयोजन आदि शामिल है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना

1355. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना (एनपीओएफ) नामक एक योजना अक्तूबर, 2004 से चल रही है;

(ख) यदि हां, तो योजना के मुख्य घटकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) इस स्कीम के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं-

(1) सेवा प्रदाताओं के माध्यम से जैविक खेती के संवर्धन के लिए क्षमता निर्माण।

(2) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से फल/सब्जी कचरा कंपोस्ट (यूनिटों, जैव-उर्वरक उत्पादन यूनिटों और वर्मीकल्चर हैचरीज के उत्पादन यूनिटों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।

(3) प्रशिक्षणों, फील्ड प्रदर्शनों के जरिए जागरूकता लाना और प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के जरिए प्रचार।

(4) मंडी विकास, प्रमाणन और प्रोत्साहन।

(ग) इस स्कीम के तहत प्रमुख उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

इस स्कीम के तहत प्रमुख उपलब्धियां-जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना (एनपीओएफ)

(यूनिट संख्या में)

	घटक	10वीं योजना	11वीं योजना
1.	सेवा प्रदाताओं के जरिए क्षमता निर्माण	308	147
2.	स्थापना करके-		
	(क) फल/सब्जी अपशिष्ट कंपोस्ट यूनिटें	15	11
	(ख) जैव उर्वरक उत्पादन यूनिटें	24	19
	(ग) वर्मीकल्चर हैचरीज	521	572
3.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	1848	2300
4.	फील्ड प्रदर्शन	4358	2118

उक्त उपलब्धियों के अलावा, इस स्कीम के तहत अनेक संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

सीड विलेज

1356. श्री दुष्यंत सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में सीड विलेज की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक स्थापित ऐसे सीड विलेज की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करने के लिए सीड विलेज द्वारा क्या कदम उठाए गए है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इन सीड विलेजों को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) भारत सरकार सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में बीज ग्रामों को स्थापित करने के लिए अपनी स्कीम "गुणवत्ता बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण" के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराती है।

(ख) से (घ) बीज ग्रामों में आधारी बीज/प्रमाणित बीज किसानों को 50% लागत पर वितरित किया जाता है। बीज उत्पादन और बीज प्रौद्योगिकी पर किसानों को प्रशिक्षण तीन स्तरों पर दिया जाता है अर्थात् (1) बीज उत्पादन तकनीकों पर बुवाई के समय, पार्थक्य दूरी, दी गई फसल के लिए बुवाई प्रथाओं और अन्य सस्य विज्ञानीय प्रथाओं का पालन किया जाना होता है, पर एक दिन का प्रशिक्षण (1) दूसरा "पृथक", प्रकारों को अभिज्ञात करने के लिए प्रापण स्तर के दौरान, बीज भूखंड से कूतृणों और इन पौधों को हटाने, पौध संरक्षण उपायों और फसल कटाई विधियों पर एक दिन का प्रशिक्षण (3) तीसरा कटाई के पश्चात बीज की सफाई, कोटिकरण, उपचार, पैकिंग और भंडारण के लिए एक दिन का प्रशिक्षण। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बीज उत्पादन बढ़ाने के लिए इन बीज ग्रामों को बढ़ाई गई सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

बीज ग्राम कार्यक्रम के लिए निर्मुक्त वर्षवार राशियों के ब्यौरे

(राशि लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06			2006-07			2007-08			2008-09		
		निर्मुक्त राशि	विकसित/ विकसित किये जाने वाले प्रस्तावित बीज ग्राम की संख्या	उत्पन्न बीजों की प्रमात्रा (क्विंटल)	निर्मुक्त राशि	विकसित/ विकसित किये जाने वाले प्रस्तावित बीज ग्राम की संख्या	उत्पन्न बीजों की प्रमात्रा (क्विंटल)	निर्मुक्त राशि	विकसित/ विकसित किये जाने वाले प्रस्तावित बीज ग्राम की संख्या	उत्पन्न बीजों की प्रमात्रा (क्विंटल)	निर्मुक्त राशि	विकसित/ विकसित किये जाने वाले प्रस्तावित बीज ग्राम की संख्या	उत्पन्न बीजों की प्रमात्रा (क्विंटल)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	350.000	509	1,72,632	500.000	3487	891539	622.756	5145	1456648	-	2410	999884
2.	असम	4.672	6	1296	4.287	25	5694	800.000	1191	798770	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.829	8	-
4.	बिहार	32.921	103	12683	3.837	-	-	171.266	228	26300	225.236	658	-
5.	छत्तीसगढ़	-	-	-	21.000	282	72761	370.135	-	-	-	1925	-
6.	गुजरात	-	-	-	-	-	-	217.424	615	137261	301.611	1100	-
7.	हिमाचल प्रदेश	4.270	7	-	4.379	12	-	20.292	-	-	-	37	-
8.	हरियाणा	-	-	-	15.723	-	-	-	-	-	49.000	135	-
9.	जम्मू-कश्मीर	7.000	14	6000	0.255	1	620	143.058	222	-	201.222	480	-
10.	कर्नाटक	15.643	38	5055	19.492	223	13815	177.562	683	127589	32.311	44	-
11.	केरल	-	-	-	-	-	-	10.620	-	-	-	100	-
12.	मध्य प्रदेश	462.918	-	-	100.000	607	154590	-	1089	-	394.860	1456	-
13.	महाराष्ट्र	79.200	-	-	-	40	8415	-	54	8609	-	-	-
14.	मिजोरम	-	-	-	3.580	39	6772	40.800	96	2950	-	-	-
15.	मणिपुर	-	-	-	9.970	86	-	201.790	2390	-	-	-	
16.	उड़ीसा	44.748	343	50080	77.409	160	250	313.995	1816	-	522.541	2212	-
17.	पंजाब	29.750	140	50000	11.550	50	24000	131.040	593	215000	188.300	450	-
18.	राजस्थान	2.616	19	6016	53.245	2108	93	126.868	349	1810	-	-	-
19.	सिक्किम	-	-	-	10.355	13	-	-	-	-	18.684	28	-
20.	तमिलनाडु	203.007	17	4945	199.746	3039	8269500	400.000	480	-	65.246	300	-
21.	त्रिपुरा	30.000	-	-	0.191	-	-	76.240	450	-	-	-	-
22.	उत्तर प्रदेश	209.070	503	227250	277.673	543	287470	808.051	2983	581426	1298.306	14056	-
23.	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.380	162	-
24.	पश्चिम बंगाल	1.178	2	500	36.676	61	1844	25.846	114	-	0.232	1	-
	कुल	1476.993	1701	536457	1349.368	10776	9737363	4657.743	18,498	33,56,363	3329.758	25,562	999884

वस्त्र अनुसंधान केन्द्र

1357. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ की तर्ज पर और वस्त्र अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त केन्द्रों के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अर्जुन युद्धक टैंक

1358. श्री एल. राजगोपाल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थलसेना ने अर्जुन युद्धक टैंक को अस्वीकार कर दिया है क्योंकि यह थल सेना की न्यूनतम सांग्रामिक आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) जी, नहीं। सेना ने अर्जुन युद्धक टैंक को अस्वीकृत नहीं किया है। त्वरित उपयोग-सह-विश्वसनीयता परीक्षण (एयूसीआरटी) के दौरान अवलोकन के आधार पर सेना ने कुछ सुधार एवं संशोधन का सुझाव दिया और मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन के ए यू सी आर टी को बढ़ाया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एकीकृत कीट प्रबंधन

1359. श्री परसुराम माझी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सहित देश के विभिन्न राज्यों में एकीकृत कीट प्रबंधन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कितना क्षेत्र शामिल किया गया है; और

(घ) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा में कालाहांडी, बोलनगीर, कोरापुट (केबीके) क्षेत्र में शामिल जिलों की संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) को पौध संरक्षण के प्रमुख सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया है, सरकार ने "भारत में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण" स्कीम के अंतर्गत 28 राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र में 31 केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंधन केन्द्र स्थापित किए हैं। इन केन्द्रों का अधिदेश कीट/रोग प्रबोधन, जैव-नियंत्रण कारकों/जैव-कीटनाशियों का उत्पादन और निर्मुक्ति, जैव नियंत्रण कारकों का संरक्षण और कृषक क्षेत्र स्कूलों (एफएफएस) के माध्यम से मूल स्तर पर किसानों और कृषि/बागवानी विस्तार अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण देते हुए आईपीएम में मानव संसाधन विकास करना है। स्कीम में अब तक 11,299 एफएफएस आयोजित किए गए हैं जिसमें उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 46,750 कृषि/बागवानी विस्तार अधिकारियों और 3,40,356 किसानों को विभिन्न फसलों में नवीनतम आईपीएम प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षित किया गया है। 77 प्रमुख फसलों में कीट/रोग प्रबंधन के लिए प्रथाओं के आईपीएम पैकेजों को विकसित कर लिया गया है, इसे सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को परिचालित कर दिया गया है और किसानों तथा विस्तार कर्मियों के प्रयोगनार्थ www.dacnet.nic.in/ppin पर प्रदर्शित कर दिया गया है।

भारत सरकार जैव नियंत्रण कारकों के उत्पादन के लिए सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रति एन जी ओ प्रति जैव प्रयोगशाला के लिए 5 लाख रुपए की दर से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों/एन जी ओ को सहायता अनुदान भी उपलब्ध कराती है। आई पी एम में उपलब्धियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) आई पी एम के कार्यान्वयन के माध्यम से 1994-95 से 2007-08 तक विभिन्न फसलों में कीट प्रबोधन के अंतर्गत कवर किया गया क्षेत्र 108.99 लाख हैक्टेयर है और 85.30 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पर विभिन्न कीटों एवं रोगों के नियंत्रण के लिए 26181.4 मिलियन जैव-नियंत्रण कारकों को जारी किया जा चुका है। इसके अलावा विभिन्न फसलों में एफएफएस कार्यक्रम के अंतर्गत 9.52 लाख हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया जा चुका है।

(घ) उड़ीसा के कालाहांडी बोलनगीर कोरापुट क्षेत्र के रायगढ़ जिले को मुख्य रूप से कपास और चावल की फसलों में कृषक क्षेत्र स्कूल (एफएफएस) के माध्यम से समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) के अंतर्गत कवर किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कीट प्रबोधन (लाख हैक्टे. में)	जैव नियंत्रण		आईपीएम प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन		
			निर्मुक्तियां (मिलियन में)	क्षेत्र कवरेज (लाख हैक्टे.)	एफएफएसएस की सं.	प्रशिक्षित एईओ	प्रशिक्षित किसान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.77	1.93	0.78	103	486	3145
2.	आंध्र प्रदेश	8.80	2418	6.65	950	3592	28520

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	20	104	600
4.	असम	4.25	742	3.16	552	2780	16580
5.	बिहार	4.80	438	2.06	567	2727	17197
6.	छत्तीसगढ़	3.1	813	2.44	260	1213	7751
7.	गोवा	1.4	113	1.89	142	108	4309
8.	गुजरात	6.38	1259	3.71	503	2048	15181
9.	हरियाणा	9.14	2230	6.83	591	2090	17590
10.	हिमाचल प्रदेश	3.99	10.26	3.26	344	931	9769
11.	जम्मू-कश्मीर	3.33	941	2.71	402	1546	12088
12.	झारखंड	0.85	75	0.44	73	314	2190
13.	कर्नाटक	4.77	2505	5.10	564	2261	17270
14.	केरल	2.80	207	1.80	249	853	7906
15.	मध्य प्रदेश	6.0	1569	4.63	599	2597	18350
16.	मेघालय	0.54	0.36	0.06	30	150	900
17.	महाराष्ट्र	5.95	1767	5.0	980	4805	29490
18.	मणिपुर	0.063	1.04	0.05	44	220	1320
19.	मिजोरम	1.35	218	0.98	152	640	4577
20.	नागालैंड	1.42	215	0.97	161	659	4806
21.	उड़ीसा	4.48	1920	5.12	436	2135	13100
22.	पांडिचेरी	0	0	0	40	200	1200
23.	पंजाब	5.32	1233	5.0	538	2910	16569
24.	राजस्थान	5.47	1790	4.15	543	1426	16337
25.	सिक्किम	1.39	231	0.80	106	370	3319
26.	तमिलनाडु	3.06	238	3.0	339	1363	9379
27.	उत्तर प्रदेश	13.34	2837	9.43	1290	4721	38614
28.	उत्तराखंड	0.76	0	0.53	88	457	2640
29.	पश्चिम बंगाल	4.47	1202	4.75	406	1953	12859
	कुल (उपलब्धि)	108.99	26181.4	85.30	11073	45989	333606
	एफएफएसएस/केवीकेएस/ एसएयूएस/आईसीएआर	0	0	0	226	761	6750
	कुल (उपलब्धि)	108.99	26181.4	85.30	11299	46750	340356

शीतागार

1360. **श्री फ्रांसिस फैन्थम:**
श्री एम. शिवन्ना:
श्री अनन्त नायक:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आलू और अन्य फलों व सब्जियों के भण्डारण के लिए सहकारिता के माध्यम से प्री कूलिंग और शीतागारों की स्थापना करने हेतु राष्ट्रीय सहकारिता विभाग निगम द्वारा राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार तथा वर्षवार इस उद्देश्य के लिए राज्यों को कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों में प्री कूलिंग और शीतागारों की स्थापना के संबंध में क्या उपलब्धि हासिल हुई है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय निधियों का उचित उपयोग किए जाने संबंधी निगरानी की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कितने नये शीतागारों की स्थापना करने का प्रस्ताव है तथा इस संबंध में राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) भारत सरकार सहकारी क्षेत्र में शीतागारों की स्थापना और उनका क्षमता विस्तार, आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के माध्यम से राज्य सरकारों/समितियों को परियोजना लागत का 25% (पूर्वोत्तर राज्यों में 33.33%) की सीमा तक बैंक-एन्डिड सब्सिडी उपलब्ध कराती है।

5,000 टन तक के शीतागारों की स्थापना/क्षमता विस्तार के लिए प्रति परियोजना बैक-एन्डिड सब्सिडी अधिकतम 50.00 लाख रुपये (पूर्वोत्तर राज्यों में 60.00 लाख रुपये/तक उपलब्ध है। एन सी डी सी ऋण के रूप में परियोजना लागत का 65% (पूर्वोत्तर राज्यों में 56.67%) उपलब्ध कराता है। बकाया को लाभानुभोगी सहकारी समिति द्वारा पूरा किया जाना होता है। एन सी डी सी ऐसे प्रस्तावों/परियोजनाओं को सहायता देता है जो तकनीकी रूप से संभाव्य और आर्थिक रूप से व्यवहार्य होते हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार से है:-

(निर्मुक्त राशि लाख रुपये)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08
आंध्र प्रदेश	-	38.000	50.00
बिहार	50.000	-	50.00
झारखंड	-	50.000	-
महाराष्ट्र	34.479	-	-
मध्य प्रदेश	16.470	50.000	-
त्रिपुरा	-	43.286	-
पश्चिम बंगाल	369.794	343.908	326.86

(ग) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार से है:-

(निर्मुक्त राशि लाख रुपये)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08
मध्य प्रदेश	1*	-	-
त्रिपुरा	-	1	-
पश्चिम बंगाल	5	1	1

*विद्यमान शीत भंडारों का आधुनिकीकरण

(घ) और (ङ) एन सी डी सी प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का प्रबोधन करता है और किए गए व्यय के आधार पर राज्य सरकार/समितियों को वित्तीय सहायता की प्रतिपूर्ति करता है।

(च) एन सी डी सी ने सूचित किया है कि 1800 लाख रुपये (लगभग) की राशि का प्रस्ताव किया गया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

राज्य	संख्या	क्षमता	राशि* (लाख रुपये में)
आंध्र प्रदेश	2	10000	400
झारखंड	1	5000	200
मध्य प्रदेश	1	3000	120
पश्चिम बंगाल	5	27000	1080

*प्रस्तावित

अपरदन और बाढ़ नियंत्रण

1361. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय योजना परिव्यय से बाढ़ प्रभावित राज्यों में प्रमुख अपरदन एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को सहायता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना के अंतर्गत राज्यों में क्या क्रियाकलाप करने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। बाढ़ प्रबंधन योजना ''ग्यारहवीं योजना के दौरान जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित केन्द्रीय योजना के अंतर्गत मंत्रिमंडल द्वारा 2.11.2007 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित 8000 करोड़ रुपए की राज्य सेक्टर योजना है। इस योजना का उद्देश्य गंभीर खंडों में राज्य सरकारों को नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटावरोधी कार्यों, समुद्र कटाव रोधी कार्यों, जल निकास विकास, बाढ़ रोधी, बाढ़ प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, क्षतिग्रस्त बांध प्रबंधन कार्यों के सुधार आदि जिनमें सभी अनिवार्य स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हो, के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करना है। बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए अनुमोदित वित्त पोषण पद्धति निम्नलिखित है:-

राज्यों की श्रेणी	केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा
(क) विशेष श्रेणी के राज्य*	90%	10%
(ख) अन्य राज्य	75%	25%
(ग) क्षतिग्रस्त बाढ़ प्रबंधन कार्यों का सुधार (समस्त राज्य)	90%	10%

*(विशेष श्रेणी के राज्यों में उत्तर पूर्वी राज्य, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर तथा उत्तराखंड राज्य आते हैं।)

मंत्रिमंडल के अनुमोदन के आधार पर राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय ने 27.12.2007 को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल के निर्देश पर लागत प्रभावी समाधानों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा दिए गए प्रस्तावों को जांचने व अनुमोदित करने के लिए सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है।

श्रम शक्ति की कमी

1362. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में उपलब्ध श्रम शक्ति का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में देश में कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रमशक्ति की प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या देश में कुशल श्रमशक्ति की कमी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में कुशल श्रमिक तैयार करने के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(च) क्या सरकार का विचार अकुशल श्रमशक्ति को प्रशिक्षण देने हेतु नये अल्पकालिक प्रशिक्षण माड्यूल्स शुरू करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) रोजगार एवं बेरोजगारी के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण वर्ष 2004-05 के दौरान किया गया था, जिसके अनुसार, सामान्य स्थिति आधार पर देश का कुल अनुमानित श्रम बल 469.94 मिलियन था।

(ख) वर्ष 2004-05 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के 61वें दौर के अनुसार, 15-29 वर्ष आयु वर्ग के 2% व्यक्ति औपचारिक स्रोतों से तथा 8% व्यक्ति अनौपचारिक स्रोतों के माध्यम से कुशल पाए गए।

(ग) और (घ) श्रम और रोजगार मंत्रालय ने देश में कुशल व्यावसायिकों की कमी के विषय में कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, अपेक्षाकृत तीव्र आर्थिक विकास के संदर्भ में, व्यावसायिकों को सदैव ही आवश्यक कौशलों से लैस करने की आवश्यकता है।

(ङ) देश के कुशल श्रमिकों को तैयार के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न दो प्रमुख योजनाओं, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) तथा शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एटीएस) के माध्यम से प्रशिक्षित किए जा रहे व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	सीटीएस सीट क्षमता	एटीएस सीट क्षमता
2005-06	7.42 लाख	2.30 लाख
2006-07	7.42 लाख	2.40 लाख
2007-08	7.49 लाख	2.50 लाख

(च) और (छ) सरकार, निजी संस्थानों तथा उद्योग में उपलब्ध अवसंरचना का इष्टतम उपयोग करके स्कूली शिक्षा जल्दी छोड़ देने वालों तथा विद्यमान कामगारों की नियोजनीयता में सुधार करने के लिए कौशल विकास हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने पिछले वर्ष से कौशल विकास पहल (एसडीआई) योजना आरंभ की है। इस योजना के तहत कामगारों के विद्यमान कौशलों का भी परीक्षण एवं प्रमाणीकरण किया जा सकता है। सक्षमताओं का परीक्षण/मूल्यांकन रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा पैनलबद्ध किए गए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता निकायों द्वारा किया जा रहा है। योजना की शुरूआत से 67025 व्यक्तियों को प्रशिक्षित/परीक्षित किया गया है तथा 340 माड्यूलर नियोजनीय कौशल पाठ्यक्रमों का विकास किया गया है।

रेशम परियोजनाएं

1363. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार देश के किन राज्यों और क्षेत्रों में रेशम उद्योगों के लिए केन्द्र प्रायोजित रेशम परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के अंतर्गत राज्यवार कितनी सफलता प्राप्त हुई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार तथा वर्ष-वार प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी-किनती धनराशि आबंटित, जारी और खर्च की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) ने केंद्रीय प्रायोजित परियोजना "उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी)" तैयार किया है और रेशम की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए इसे 9वीं योजना में लागू किया। ट्विफसलीय रेशम उत्पादन और गैर-शहतूती क्षेत्र के बाजार उन्मुखीकरण पर अधिक बल देते हुए कुछ संशोधनों के साथ इस कार्यक्रम को 10वीं योजना में जारी रखा गया। यह कार्यक्रम कुछ विशेष नई पहलों और कुछ संशोधनों के साथ 11वीं योजना के दौरान भी जारी रखा गया है। सीडीपी परियोजना देश में निम्नलिखित क्षेत्रों/राज्यों में कार्यान्वित की गई:-

(1) परंपरागत राज्य: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू एवं कश्मीर।

(2) पूर्वोत्तर राज्यों सहित गैर परंपरागत राज्य: बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा।

(ख) 9वीं और 10वं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सीडीपी ने रेशम उत्पादन के भौगोलिक क्षेत्र को शामिल करने, हर श्रेणी के किसानों की भागीदारी और प्रौद्योगिकी शुरू करने के रूप में निरंतर प्रगति की है। 9वीं योजना व्यापक रूप से रेशम उत्पादन क्षेत्र में खाद्य पादप खेती से उत्पादों के विपणन तक भागीदारों को सहायता करने में पर केन्द्रित थी। 10वीं योजना (2002-07) में सीडीपी, भागीदारों विशेषकर समाज के असुरक्षित वर्गों, की अधिक आय सुनिश्चित करने के लिए रेशम उत्पादन के सभी स्तरों पर उत्पादकता के सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए उद्योग के आधुनिकीकरण और गुणवत्ता उन्नयन को बढ़ावा देते हुए किसान स्तर पर रियरिंग हाऊस, ड्रिप सिंचाई आदि जैसी फार्म अवसंरचना सृजित करके वैज्ञानिक रेशम उत्पादन प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने पर केन्द्रित था।

10वीं योजना अवधि के दौरान सीडीपी के तहत हुई प्रगति के मूल्यांकन अध्ययन से पता चलता है कि सीएसबी द्वारा राज्यों में कार्यान्वित की गई उत्प्रेरक विकास योजनाओं में शहतूती और गैर-शहतूती दोनों क्षेत्रों में न केवल कोया की मात्रा बढ़ाने बल्कि कोया की गुणवत्ता बढ़ाने के रूप में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

11वीं योजना के दौरान सीडीपी के तहत बीज क्षेत्र, कोया क्षेत्र और पश्च कोया क्षेत्र के लिए पैकेज के रूप में सहायता उपलब्ध कराई जाती है। बीज क्षेत्र के तहत पैकेज में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के तहत बीज उत्पादन के लिए सहायता शामिल है। कोया क्षेत्र के तहत पैकेज में खाद्य पादप विकास, ट्विफसलीय रेशम

उत्पादन, रियरिंग उपस्करों की आपूर्ति, रियरिंग हाऊस, चौकी रियरिंग केन्द्रों का निर्माण, रोगाणुनाशकों की आपूर्ति, बीमा कवरेज आदि संघटकों को सहायता शामिल है। पश्च कोया क्षेत्र के तहत संघटकों में रेशम रीलिंग, स्पिनिंग, विविंग, प्रसंस्करण, उत्पाद विकास और विपणन शामिल है।

(ग) 10वीं योजना (2002 से 2007) अवधि के प्रत्येक वर्ष और 11वीं योजना के प्रथम दो वर्षों (2007-08 और 2008-09) के दौरान सीएसबी द्वारा सीडीपी के कार्यान्वयन पर राज्यवार और वर्षवार आबंटित/जारी और खर्च की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बंगलौर-560 068

उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी)

10वीं योजना (2002-2007) और 11वीं योजना (2007-08 और 2008-09) के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार आबंटित/जारी/खर्च की गई निधियां

(लाख रु.)

#	राज्य का नाम	आबंटित/जारी/खर्च की गई निधियां							
		10वीं योजना के दौरान						11वीं योजना के दौरान	
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	कुल	2007-08	2008-09 (खर्च की गई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कर्नाटक	1506.05	764.24	825.38	1212.43	1153.24	5461.34	1015.22	710.36
2.	तमिलनाडु	62.32	152.33	166.58	269.42	594.67	1245.32	745.20	445.81
3.	जम्मू-कश्मीर	260.14	313.61	262.84	594.79	297.32	1728.70	181.85	205.36
4.	आंध्र प्रदेश	1505.86	878.68	1203.59	1658.04	1315.31	6561.48	979.88	0.00
5.	पश्चिम बंगाल	65.41	48.47	112.63	133.97	154.45	514.93	102.04	162.50
6.	महाराष्ट्र	92.22	104.47	50.80	48.83	177.92	474.24	70.21	82.73
7.	मध्य प्रदेश	52.59	74.92	79.65	187.04	343.17	737.37	172.35	291.27
8.	उड़ीसा	50.62	82.29	24.32	154.49	133.26	444.98	65.20	22.14
9.	बिहार	106.27	38.30	88.99	161.79	14.88	410.23	0.00	32.08
10.	उत्तर प्रदेश	22.86	52.91	92.05	60.24	153.02	381.08	321.01	116.96
11.	केरल	38.49	82.30	106.32	34.31	23.94	285.36	112.33	124.72
12.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.53
13.	पंजाब	0.00	0.00	0.39	0.00	17.25	17.64	0.00	11.31
14.	हिमाचल प्रदेश	1.45	349.62	308.41	17.91	49.47	726.86	53.93	70.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	छत्तीसगढ़	12.13	125.23	156.35	128.55	154.69	576.95	344.07	166.60
16.	झारखंड	103.35	83.77	0.00	100.84	189.08	477.04	43.60	51.09
17.	उत्तरांचल	213.41	112.29	117.43	178.38	208.84	830.35	143.02	29.95
18.	सिक्किम	15.16	16.45	43.27	25.51	54.01	154.40	50.04	16.48
19.	असम	119.03	315.28	442.21	922.53	611.95	2411.00	1911.52	166.48
20.	अरुणाचल प्रदेश	2.62	48.79	88.63	54.19	61.58	255.81	220.40	47.83
21.	मणिपुर	0.05	24.00	64.24	80.25	62.89	234.43	594.59	37.62
22.	मेघालय	33.11	87.39	173.19	183.49	142.88	620.06	74.81	82.36
23.	मिजोरम	84.49	#106.97	141.71	367.91	182.71	883.79	249.10	75.39
24.	नागालैंड	2.49	32.31	106.45	151.59	127.77	420.61	217.11	20.48
25.	त्रिपुरा	36.56	28.01	185.73	130.43	198.13	578.86	414.13	79.33
	कुल	4386.68	3922.63	4844.16	6856.93	6422.43	26432.83	8081.61	3076.26

[हिन्दी]

कच्चे माल की आपूर्ति

1364. श्री अजीत जोगी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के विद्युतकरघा और हथकरघा बुनकरों ने केन्द्र सरकार को उन्हें उचित मूल्य पर कच्चे माल की आपूर्ति करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) उचित मूल्यों पर हैंक यार्न उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर बुनकरों/संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। इस मंत्रालय को छत्तीसगढ़ राज्य से विद्युतकरघा एककों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, समय-समय पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य संघों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) सरकार ने कच्ची सामग्री, अर्थात् स्पिनिंग उद्योग के लिए कपास, जिससे अन्ततः हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्रों को सहायता मिलती है, की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) सरकार ने 8 जुलाई, 2008 से कच्ची कपास पर 14.7% सीमाशुल्क को समाप्त कर दिया है।

(2) कच्ची कपास के निर्यात पर एफओबी मूल्य पर 8 जुलाई 2008 से 1% की ड्यूटी ड्रा बैक वापिस ले ली गई है।

(3) वास्तविक समय आधार पर कपास के निर्यात को मानिटर करने के लिए, निर्यातकों को कच्ची कपास/कपास अपशिष्ट/ कपास-कार्डिड अथवा कोम्बड को शिपमैंट से पूर्व वस्त्र आयुक्त, भारत सरकार के पास अपनी निर्यात संविदा पंजीकृत करानी होगी।

(4) भारत सरकार द्वारा गठित हैंक यार्न मूल्य मानिटरिंग समिति हथकरघा उद्योग के हित में हैंकयार्न की उपलब्धता की स्थिति और इसके मूल्यों की तिमाही रूप में समीक्षा करती है। देश के किसी भाग में हैंक यार्न की जहां कहीं अनुपलब्धता होती है अथवा हैंक यार्न के मूल्यों में असाधारण वृद्धि की सूचना दी जाती है तो समिति ऐसी स्थिति को हल करने के लिए मिल संघ, राष्ट्रीय हथकरघा

विकास निगम (एनएचडीसी) और वस्त्र आयुक्त का कार्यालय को उपयुक्त हस्तक्षेप करने के सुझाव देती है।

(5) सरकार, हथकरघा बुनकरों और उनके संगठनों के लिए आवश्यक सभी प्रकार के यार्न मिल गेट मूल्य पर आपूर्ति करने के लिए 1992-93 से मिल गेट मूल्य योजना कार्यान्वित कर रही है। यह योजना एनएचडीसी के माध्यम से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 5 (पांच) यार्न डिपो खोले गए हैं।

विवरण

वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों का विवरण नीचे दिया गया है:-

(1) श्री रिजवान अहमद, सदस्य एआईसीसी, से यार्न मूल्य के निर्धारण, विद्युत दर पर सब्सिडी, आसान शर्तों पर बैंक ऋण और निम्न ब्याज दर आदि के विषय में महाराष्ट्र में विद्युतकरघों की दुर्दशा के विषय में अभ्यावेदन।

(2) श्री अब्दुल लतीफ बाबा, भिवंडी शहर जिला कांग्रेस समिति से भिवंडी में विद्युतकरघा कामगारों के सम्मुख आ रही समस्याओं के विषय में अभ्यावेदन।

(3) भिवंडी पदमनगर विद्युतकरघा बुनकर संघ और श्री लक्ष्मी वेंकटेश यंत्रभाग औद्योगिक सहकारी संस्था, इचलकरंजी से एक्स मिल मूल्यों पर यार्न की उपलब्धता और खुले बिक्री में बिचौलिए के हटाए जाने, यार्न के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने आदि के विषय में अभ्यावेदन।

(4) श्री रिजवान अहमद अंसारी से मालेगांव में बुनकरों की समस्याओं के विषय में अभ्यावेदन।

(5) इरोड विद्युतकरघा कलाथ मर्चेंट एसोसिएशन, इरोड से यार्न रंजक पदार्थों और प्रसंस्करण में प्रयोग होने वाले रसायनों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के बारे में अभ्यावेदन।

(6) तमिलनाडु विद्युतकरघा समितियों/संघों से यार्न मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि, अपशिष्ट कपास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने, विद्युत समस्या, डीजल मूल्यों में वृद्धि, वित्तीय संस्थाओं से ऋण की अनुपलब्धता, ब्याज दर में वृद्धि, मशीनरी और स्पेयर पुर्जों के मूल्यों में वृद्धि आदि के विषय में विद्युतकरघा उद्योग के सम्मुख आ रहे संकटों के बारे में अभ्यावेदन।

ग्राम पंचायतों में भूमिगत केबल

1365. श्री रामदास आठवले: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में स्थान-वार कितनी ग्राम पंचायतों को भूमिगत केबलस के माध्यम से जोड़ा गया है;

(ख) देश में केबल लाइन बिछाने के संबंध में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(घ) केबल लाइन बिछाए जाने के बावजूद ग्राम पंचायतों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप प्रभावित होने वाली पंचायतों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) दिनांक 31.08.2008 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल ने 2001 की जनगणना के अनुसार देश के आबादी वाले कुल 593601 गांवों में से 521911 गांवों (ग्राम पंचायतों सहित) में वीपीटी सुविधा उपलब्ध करा दी है। इनमें से 203384 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को वायरलाइन प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

गांवों (ग्राम पंचायतों सहित) में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की सुविधा यू.एस.ओ.एफ. दूरसंचार विभाग के निर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराई जा रही है। बीएसएनएल ने ग्राम पंचायतों सहित 66,822 गांवों में वीपीटी सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के साथ नवंबर, 2004 में करार किया है। 31.08.2008 की स्थिति के अनुसार, इनमें से 55081 गांवों में मुख्यत: वैकल्पिक माध्यमों की सहायता से यह सुविधा पहले ही उपलब्ध करा दी गई है, क्योंकि इसका कवरेज अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है। वीपीटी सुविधा युक्त गांवों का वर्ष-वार ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने हेतु केबल बिछाए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा वायरलेस/वायरलाइन प्रौद्योगिकियों का उनकी तकनीकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर उपयोग करते हुए प्रदान की जा रही है। बीएसएनएल ने ग्राम पंचायतों सहित 66,822 गांवों में वीपीटी सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ सार्वभौमिक सेवा

दायित्व निधि के साथ नवंबर, 2004 में करार किया है। 31.08.2008 की स्थिति के अनुसार, इनमें से 55081 गांवों में यह सुविधा पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। "भारत निर्माण कार्यक्रम" के अंतर्गत कवर किए गए गांवों को छोड़कर शेष गांवों को नए यूएसओएफ करार के अंतर्गत कवर किए जाने की योजना बनाई गई है।

विवरण I

बीएसएनएल द्वारा वायरलाइन प्रणाली के आधार पर प्रदान किए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के ब्यौरे

क्र.सं.	सर्किल का नाम	31.08.2008 की स्थिति के अनुसार, ग्राम पंचायतों सहित उन गांवों की संख्या जहां वायरलाइन प्रणाली के आधार पर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा प्रदान की गई है
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार	132
2.	आंध्र प्रदेश	13764
3.	असम	2798
4.	बिहार	7924
5.	झारखंड	1284
6.	गुजरात	9795
7.	हरियाणा	4979
8.	हिमाचल प्रदेश	10650
9.	जम्मू-कश्मीर	1589
10.	कर्नाटक	16856
11.	केरल	1368
12.	मध्य प्रदेश	12166
13.	छत्तीसगढ़	3739
14.	महाराष्ट्र	20693
15.	पूर्वोत्तर-I	577
16.	पूर्वोत्तर-II	415
17.	उड़ीसा	12170
18.	पंजाब	10580
19.	राजस्थान	11523
20.	तमिलनाडु	10268
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	24330
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	9653
23.	उत्तरांचल	4426
24.	पश्चिम बंगाल	11705
	कुल	203384

विवरण II

विगत तीन वर्षों (2005-06 से 2007-08) एवं चालू वर्ष 2008-09 (31.08.2008 तक) के दौरान प्रदत्त भारत निर्माण ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों का वर्ष-वार ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल	यूएसओ निधि के अनुसार प्रदान किए गए वीपीटी की संख्या	वर्ष 2005-06 के दौरान प्रदान किए वीपीटी की संख्या	वर्ष 2006-07 के दौरान प्रदान किए गए वीपीटी की संख्या	वर्ष 2007-08 के दौरान प्रदान किए गए वीपीटी की संख्या	वर्ष 2008-09 (31.08.2008 तक) के दौरान प्रदान किए गए वीपीटी की संख्या	31.08.2008 तक प्रदान किए गए कुल वीपीटी की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	1074	407	190	68	10	675

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	8931	3185	5117	352	41	8695
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0
5.	झारखंड	1694	42	668	740	5	1515
6.	गुजरात	4144	2209	1144	691	4	4048
7.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	1002	234	572	64	57	927
9.	जम्मू-कश्मीर	1755	239	873	231	63	1406
10.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0
11.	केरल	0	0	0	0	0	0
12.	मध्य प्रदेश	11894	7477	4088	238	12	11815
13.	छत्तीसगढ़	5043	1711	1143	471	0	3325
14.	महाराष्ट्र	6441	2830	2555	538	24	5947
15.	पूर्वोत्तर-I	2128	44	147	249	3	443
16.	पूर्वोत्तर-II	1550	37	187	511	79	814
17.	उड़ीसा	4899	0	515	1037	200	1752
18.	पंजाब	0	0	0	0	0	0
19.	राजस्थान	12386	5913	3996	1283	312	11504
20.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0	0	0	0	0	0
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0	0	0	0	0	0
23.	उत्तरांचल	3881	359	1087	715	54	2215
24.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0
	कुल	66822	24687	22282	7188	924	55081

[अनुवाद]

स्टेम रस्ट फंगल रोग

1366. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री निखिल कुमार:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गेहूं में स्टेम रस्ट फंगल रोग की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु देश के विभिन्न भागों में गेहूं की फसल के सर्वेक्षण एवं निगरानी करने हेतु किस विशेष दल का गठन किया है, क्योंकि यह रोग अफ्रीका के कई देशों और अन्य देशों में तेजी से फैला है;

(ख) यदि हां, तो विशेष दल की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भविष्य में इस रोग से गेहूं के बचाव के लिए कोई और कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने अगस्त, 2008 के प्रथम सप्ताह में गेहूं की ग्रीष्म फसल (गैर-मौसमी फसल) का सर्वेक्षण एवं निगरानी करने हेतु एक विशेष दल का गठन किया। इस दल ने टाबो, काजा और कुंजुम पास के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की लाहुल और स्पीति घाटी में शिमला से दालांग मैदान स्थित ग्रीष्म नर्सरी तक के रूट को शामिल करके गेहूं की फसल में विभिन्न रोगों की निगरानी करने के लिए अगस्त, 2008 के दौरान व्यापक रूप से यात्रा की। इस सर्वेक्षण के दौरान गेहूं की फसल में स्टेम रस्ट रेस यूजी 99 का कोई चिह्न नहीं पाया गया।

(ग) और (घ) अभी तक भारत में गेहूं के स्टेम रस्ट की यूजी 99 रेस की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पूर्वानुकूल (प्रोएक्टीव) उपाय किए हैं तथा भारतीय गेहूं की नई जारी की गई किस्मों की जांच की व्यवस्था की है जिसमें पिछले दो फसल मौसमों के दौरान केन्या में रोग की पादप महामारी दशाओं के अंतर्गत स्टेम रस्ट की यूजी 99 रेस के विरुद्ध पाइप लाइन वाली किस्म भी शामिल है तथा प्रतिरोधी किस्मों की पहचान की गई है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: यूपी-2338, कुन्दन, एचडी-2781, एचआई-1500, जीडब्ल्यू-273, जीडब्ल्यू-322, एमपी-4010, एचडब्ल्यू-1085, एचयूडब्ल्यू-510, एमएसएस-2846, एचआई-8498 और राज-4120।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी

1367. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी की आम सभा का संविधान, शक्ति एवं कृत्य क्या हैं;

(ख) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के सदस्य/प्रतिनिधि के अतिरिक्त अन्य कौन-कौन व्यक्ति आम सभा की बैठकों के विचार-विमर्श में भाग ले सकते हैं;

(ग) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार संयोजक के अधिकार, कर्त्तव्य और कृत्य क्या हैं;

(घ) क्या उक्त अधिनियम के उपबंध के अनुसार कोई संयोजक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की आम सभा की बैठक में हो रहे विचार-विमर्श में भाग ले सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 की धारा 38 (1) के उपबंधों के अनुसार, आम सभा का गठन बहु राज्य सहकारी सोसाइटी के सभी सदस्यों से किया जाएगा। आम सभा की शक्तियां और कार्य एम एस सी एस अधिनियम, 2002 की धारा 39 के प्रावधानों तथा किसी बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी की उप-विधियों के तहत यथा निर्दिष्ट होंगे।

(ख) केवल किसी बहु राज्य सहकारी सोसाइटी के सदस्य/प्रतिनिधि और बोर्ड के सदस्य आम सभा के विचार-विमर्शों में भाग ले सकते हैं।

(ग) से (ङ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चाहे जिस नाम से जाना जाए) किसी बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी के निदेशक बोर्ड की ओर से आम सभा की बैठकें आहूत/संचालित करता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियां और कार्य एम एस सी एस अधिनियम, 2002 की धारा 52 में दी गई हैं। एम एस सी एस अधिनियम, 2002 की धारा 51(2) के प्रावधान के अनुसार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसी बहु राज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड का सदस्य होगा और अतः, आम सभा बैठक के विचार-विमर्शों में भाग ले सकता है।

नदियों और नहरों से गाद निकालना

1368. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में नदियों और नहरों से गाद निकालने के लिए किए गए कार्य का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) अगले एक वर्ष के दौरान शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित गाद निकालने के कार्य का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी निधियों का आबंटन किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पोत परिवहन मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में नदियों और नहरों में किए गए तथा अगले एक वर्ष में शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित तलकर्षण कार्यों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा किए गए/प्रस्तावित तलकर्षण कार्यों की राज्यवार और वर्षवार वास्तविक मात्रा

(घनमीटर में)

वर्ष	उत्तर प्रदेश	बिहार	पश्चिम बंगाल	असम	केरल
2005-06	19,000	–	149,359	54,100	98,800
2006-07	59,261	5,417	102,746	28,787	156,500
2007-08	12,121	28,513	92,610	42,090	79,100
2008-09	455,400	93,600	97,500	80,000	84,000
2009-10	3,72,600	2,66,400	–	80,000	84,000

पोत परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 के दौरान तलकर्षण कार्य के लिए निधि का आबंटन अभी अनुमोदित नहीं किया गया है।

ठेका कृषि

1369. श्री परसुराम माझी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में ठेका कृषि को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ठेका कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और सीधे किसानों को वित्तीय सहायता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को क्या दिशानिर्देश जारी किये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कृषि में सुधारों के एक भाग के रूप में संविदा खेती को बढ़ावा देने के मद्देनजर, केन्द्र सरकार ने राज्यों को 2003 में एक माडल कृषि उत्पाद विपणन (विनिमय) अधिनियम परिचालित किया है जिसमें संविदा खेती प्रायोजकों के पंजीकरण और संविदा खेती करारों को कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अथवा अधिनियम के तहत किसी निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास दर्ज कराने, इस प्रकार की संविदाओं के तहत भूमि पर किसानों के स्वामित्व या अधिकारों के संरक्षण, विवाद निपटान तंत्र तथा विभिन्न शर्तों और निर्बंधनों और सुझाने वाले एक माडल मसौदा करार की व्यवस्था है। इस संबंध में नियमों को तैयार करने में राज्यों की सहायता के लिए, कृषि मंत्रालय ने भी अपनाने के लिए उन्हें माडल एपीएमसी नियमों का एक सेट परिचालित किया है। अब तक, संविदा खेती के लिए एक विधिक रूपरेखा प्रदान करने के लिए अनेक राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों ने अपने-अपने एपीएमसी अधिनियमों में संगत प्रावधान कर लिए हैं। मंत्रालय द्वारा परिचालित माडल अधिनियम की प्रकृति सुझावपरक है, और चूंकि कृषि राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्य में संविदा खेती कार्यान्वयन, मध्यस्थता और मानीटरिंग को तय करना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वायदा कारोबार

1370. श्री हेमंत खंडेलवाल:
श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री सुनील खां:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों को कम करने के लिए वायदा कारोबार को नियंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) भावी सौदा व्यापार की प्राथमिक भूमिका मूल्य खोज और मूल्य जोखिम प्रबंधन है। मूल्य खोज उत्पादन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों जैसे मौसम, ग्लोबल आऊटलुक, पौधरोपित क्षेत्र आदि के बारे में बाजार खिलाड़ियों के संयुक्त मान्यता के जरिए होती है। ये कारक अलग-अलग वस्तुओं के लिए अलग-अलग हैं। जहां तक कृषि-जन्य (आवश्यक वस्तुओं सहित) वस्तुओं का संबंध है, भावी सौदे के बारे में औचक अपेक्षाएं हो सकती हैं जो मिलकर भावी सौदा मूल्यों के रुझान को निर्धारित करते हैं। भावी सौदा बाजार में मूल्य खोज से उत्पादकों अर्थात् किसानों को अपने कृषि प्रचालनों की योजना बनाने में सहायता मिलती है।

दूसरी ओर स्पाट बाजार में मूल्य कुछ व्यापारियों की एकाधिकार शक्ति सहित उस विशेष दिन को मांग और आपूर्ति (आवक) की शक्तियों के पारस्परिक क्रिया द्वारा निर्धारित होते हैं। जिस उत्पादक को भावी सौदों की जानकारी होती है वह मजबूरी में बिक्री का सहारा लेने से बच सकता है। वह सूचित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मूल्यों के बारे में निजी व्यापारी से उचित ढंग से बातचीत कर सकता है।

कृषिजन्य वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों पर भावी सौदा व्यापार के प्रभाव, यदि कोई हों, का अध्ययन करने के लिए सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने मूल्यों (स्पाट मूल्य) के उतार-चढ़ाव के संबंध में दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आंकड़ों का विश्लेषण किया। विशेषज्ञ समिति ने किए गए विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:

> "साप्ताहिक और मासिक आंकड़ों की तुलना में दैनिक आंकड़ों के विरोधाभासी परिणामों को देखते हुए इस संबंध में कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि क्या भावी सौदा व्यापार शुरू करने से स्पाट मूल्यों के उतार-चढ़ाव में गिरावट अथवा वृद्धि पर कोई प्रभाव पड़ा है।"

विशेषज्ञ समिति ने भावी सौदा व्यापार से पूर्व और भावी सौदा व्यापार के बाद की अवधि में संवेदनशील वस्तुओं (खाद्यान्न और चीनी) के मूल्यों में वार्षिक वृद्धि का भी विश्लेषण किया और यह निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि कुछ संवेदनशील वस्तुओं जिनका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अधिक मान है, में भावी सौदा व्यापार शुरू होने के बाद स्पष्ट तौर पर वृद्धि हुई है, फिर भी इस बात का कोई सामान्य दावा करना संभव नहीं है कि वस्तुओं के मूल्यों में भावी सौदा व्यापार के साथ अधिक वृद्धि हुई है।

इसलिए विशेषज्ञ समिति भावी व्यापार और वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बीच कोई निर्णयात्मक संबंध स्थापित नहीं कर सकी। तथापि, पूर्ण एहतियात के तौर पर 8 वस्तुओं अर्थात्, उड़द, तूर, चावल, गेहूं, आलू, चना, रबड़ और सोया तेल के भावी सौदा व्यापार को निलंबित कर दिया गया है। अन्य वस्तुओं के भावी सौदा व्यापार को निलंबित/प्रतिबंधित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हेतु भारत का दावा

1371. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू.एन.एस.सी.) के कुछ स्थायी सदस्यों ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हेतु भारत के दावे का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत के दावे की वर्तमान स्थिति क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुछ स्थायी सदस्यों ने विस्तारित सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के भारत के दावे का समर्थन किया है। इसे विभिन्न रूपों में और भारत सरकार के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्शों सहित विभिन्न मंचों पर व्यक्त किया गया है।

(ख) 1994 में इसकी घोषणा किए जाने के साथ ही भारत की उम्मीदवारी को लगातार समर्थन मिलता रहा है।

पर्यावरण की सुरक्षा हेतु ग्रीन टेक्नोलाजी

1372. श्री के.एस. राव: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण के संरक्षण हेतु ग्रीन टेक्नोलाजी को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) भारत पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने व अनेक नीतियों और कार्यक्रमों के जरिए सतत विकास का मार्ग अपनाने के साथ जलवायु परिवर्तन का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए सह लाभ भी मुहैया कराता रहा है। सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ब्यूरो आफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना करना और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना, ऊर्जा क्षमता लेबलिंग की शुरूआत करना, नवीनकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना पावर सैक्टर सुधार परिवहन के लिए स्वच्छ और कम कार्बन इंटेसिव ईंधन का उपयोग करना, स्वच्छतर ऊर्जा का उपयोग करना, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, गैस फ्लेयरिंग में कमी, मास रेपिड ट्रांसपोर्ट प्रणालियों को प्रोत्साहित करना तथा सभी क्षेत्रों के लिए पर्यावरण गुणवत्ता प्रबंधन करना शामिल हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने प्रथमत: जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन के लिए तथा दूसरे भारत के विकास पथ की पारिस्थितिकीय स्थायित्वयता को बढ़ाने के लिए जून, 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है। एन ए पी सी सी में जलवायु परिवर्तन तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन सरोकारों का समाधान करने के लिए अनेक थीमेटिक क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन, नेशनल मिशन फार एन्हैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिप्रणाली के स्थायित्व के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, नेशनल मिशन आन स्ट्रैटैजिक नालेज फार क्लाइमेंट चेंज जैसे आठ राष्ट्रीय मिशनों के क्रियान्वयन की परिकल्पना की है।

दुर्लभ पक्षियों की घटती संख्या

1373. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दुर्लभ प्रजातियों के पक्षियों की संख्या में कमी की कोई रिपोर्ट है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने भारतीय वन्य पक्षी विलुप्त होने की कगार पर हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी नहीं, ऐसी कोई रिपोर्टें नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय वन्य पक्षी प्रजातियां विलुप्ति का सामना कर रही है, यह सूचित करने वाली कोई विशिष्ट वैज्ञानिक रिपोर्टें नहीं हैं। तथापि इन्टरनेशनल यूनियन फार कन्जरवेशन आफ नेचर एण्ड नेचुरल रिर्सोसिस ने अपने रेड डाटा लिस्ट (2007) में सूचित किया है कि भारत में पक्षियों की कुल 75 प्रजातियां संकटापन्न है। पर्यावासों की हानि, मानव जनित दबाव, गहन कृषि, बागवानी, दुग्ध उद्योग के कारण खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थों का समावेश आदि कारण इसके लिए उत्तरदायी हैं।

(घ) पक्षियों सहित वन्यजीव संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं:

(1) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची में वन्यजीवों की संकटापन्न प्रजातियों को शामिल किया गया है, जिससे उन्हें उच्चतम श्रेणी की सुरक्षा दी गई है।

(2) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में समय-समय पर संशोधन किया गया है तथा इसे वन्यजीवों से संबंधित अपराधों के विरुद्ध और अधिक कड़ा बनाया गया है।

(3) पक्षियों सहित वन्यजीवों एवं उनके पर्यावासों की बेहतर सुरक्षा के लिए सुरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(4) वन्यजीव और इसके उत्पादों में अवैध व्यापार को रोकने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित किया गया है।

(5) राज्य सरकारों से सुरक्षित क्षेत्रों तथा अन्य समुद्र जैव-विविधता वाले क्षेत्रों के आस-पास क्षेत्र-रचना तथा गहन पैट्रोलिंग के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुरोध किया गया है।

(6) पक्षियों सहित वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों को आर्थिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

अधिक संख्या में पासपोर्ट सुविधा केन्द्रों को स्थापित किया जाना

1374. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने पासपोर्ट सुविधा केंद्र (पी.एफ.सीज.) स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार के पास पासपोर्ट आवेदकों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर और अधिक पी.एफ.सीज. स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गयी है; और

(घ) तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में कब तक नए पी.एफ.सीज. स्थापित किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) इस समय देश भर में 37 पासपोर्ट कार्यालय हैं। तथापि, पासपोर्ट सेवा परियोजना के क्रियान्वयन के भाग के रूप में देश भर में 77 पासपोर्ट सुविधा केन्द्र अथवा पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। उनकी वास्तविक अवस्थिति के बारे में अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है। पासपोर्ट की मांगों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पासपोर्ट सेवा केन्द्रों पर जन संपर्क काउंटरों में वृद्धि करने अथवा अतिरिक्त पासपोर्ट केन्द्र खोलने का प्रावधान भी होगा।

(घ) तमिलनाडु में स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्रों सहित सभी 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र जनवरी, 2010 तक स्थापित किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

1375. श्री एम. अंजनकुमार यादव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु गैर-सरकारी संगठनों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गैर-सरकारी संगठन-वार उक्त सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(घ) यदि नहीं, तो किन-किन गैर-सरकारी संगठनों के संबंध में कमी पाई गई है; और

(ङ) ऐसे चूककर्ता गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का गैर-सरकारी संगठन प्रभाग मदर गैर-सरकारी संगठन योजना के अधीन राज्य स्वास्थ्य सोसायटी के जरिए आंध्र प्रदेश के गैर-सरकारी संगठनों को निधियां प्रदान करता आ रहा है।

(ख) गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान का भुगतान राज्य स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा किया जाता है जो अपना रिकार्ड रखती हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्य स्वास्थ्य सोसायटी, आंध्र प्रदेश को इस प्रयोजन के लिए 253.5 लाख रुपए जारी किए गए हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य स्वास्थ्य सोसायटी को अब तक कोई निधियां जारी नहीं की गई हैं।

(ग) आंध्र प्रदेश की राज्य स्वास्थ्य सोसायटी आंध्र प्रदेश राज्य में गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा करती है।

(घ) आंध्र प्रदेश राज्य से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) ऊपर उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चिकित्सकीय उपकरणों में पारा का उपयोग

1376. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चिकित्सकीय उपकरणों में वर्तमान में उपयोग किये जा रहे विषैले धातु पारा के उपयोग को समाप्त करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई नीति तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत औषध महानियंत्रक (भारत) को केवल 10 विभिन्न तरह की चिकित्सीय युक्तियों के विनियमन का कार्य सौंपा गया है जिन्हें मानव शरीर के भीतर प्रयुक्त किया जाता है और इनमें विषाक्त धातु पारा निहित नहीं होता है। तथापि, सरकार ने राज्य सभा में औषध और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक

2007 पहले ही पुर:स्थापित कर दिया है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ एक केंद्रीय औषध प्राधिकरण, भारत का सृजन करना है। इस विधेयक में प्रस्तावित केन्द्रीय औषध प्राधिकरण द्वारा चिकित्सा युक्तियों को शामिल करने के लिए औषध की परिभाषा का और अधिक विस्तार करने तथा उनके मानकों के विनियमन के प्रावधान शामिल हैं।

प्रतिपूरक वनरोपण

1377. **श्री एल. राजगोपाल:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रतिपूरक वनरोपण कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले लक्षित भूमि क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत जब भी कोई वन भूमि गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए डायवर्ट की जाती है तो डायवर्ट किए गए क्षेत्र के बदले उतनी ही गैर-वानिकी भूमि पर अथवा अवक्रमित वन क्षेत्र के दुगने के बराबर परियोजना की लागत पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाना विनिर्धारित किया गया है। 30 सितम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार लगभग 1.2 मिलियन हैक्टेयर भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण करना विनिर्धारित किया गया है। तथापि, इस विनिर्धारण की तुलना में 41.9 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। इस संबंध में कार्य के लिए निधियों की उपलब्धता धीमी प्रगति का मूल कारण रहा है।

कृष्ण मृग (ब्लैक बक) की संख्या में कमी

1378. **श्री अनन्त नायक:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कृष्ण मृग की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में उनकी संख्या में तेजी से कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन दुर्लभ प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) पूरे देश में कृष्ण मृग की संख्या का अलग तथा व्यापक आकलन नहीं कराया गया है।

(ख) जी, नहीं। ऐसी कोई रिपोर्टें नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दुर्लभ प्रजातियों सहित वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्न प्रकार से हैं:

(1) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची में वन्यजीवों की संकटापन्न प्रजातियों को शामिल किया गया है, जिससे उन्हें उच्चतम श्रेणी की सुरक्षा दी गई है।

(2) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में समय-समय पर संशोधन किया गया है तथा इसे वन्यजीवों से संबंधित अपराधों के विरुद्ध और अधिक कड़ा बनाया गया है।

(3) कृष्ण मृग सहित वन्यजीवों एवं उनके पर्यावासों की बेहतर सुरक्षा के लिए सुरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(4) राज्य सरकारों से सुरक्षित क्षेत्रों तथा अन्य समृद्ध जैव-विविधता वाले क्षेत्रों के आस-पास क्षेत्र-रचना तथा गहन पैट्रोलिंग के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुरोध किया गया है।

(5) कृष्ण मृग सहित, वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों जैसे कि 'राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का विकास' 'बाघ परियोजना' तथा 'हाथी परियोजना' के अंतर्गत राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों को आर्थिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(6) वन्यजीव अपराध को नियंत्रित करने के लिए 5 क्षेत्रीय तथा 3 उप क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क सहित वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है।

(7) भारत, जंगली वनस्पतिजात एवं प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (साइट्स) जो कि वन्यजीवों और इसके व्युत्पन्नों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करता है, का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के नरोल-नरोदा खंड का पुन: संरेखण

1379. **श्रीमती जयवाहन बी. ठक्कर:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 के नरोल-नरोदा खंड के पुन: संरेखण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के नरोल-नरोदा खंड के पुन: संरेखण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विमान द्वारा एल.टी.सी.

1380. **श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण:**
श्री पी. राजेन्द्रन:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छठे वेतन आयोग द्वारा यथा संस्तुत पुनरीक्षित वेतनमान के मद्देनजर विमान से छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) पर पूर्वोत्तर क्षेत्र जाने के पात्र अधिकारियों की श्रेणियों की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विमान द्वारा एल.टी.सी. पर पूर्वोत्तर जाने की अनुमति किन श्रेणियों के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस प्रकार के निर्णय को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की सम्भावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पी.जी. डेण्टल सर्टिफिकेट कोर्स

1381. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद (डेन्टल काउन्सिल आफ इण्डिया) ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सहयोग से दो पोस्ट ग्रेजुएट डेन्टल सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए हैं जैसा कि दिनांक 18 अप्रैल, 2008 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे पाठ्यक्रमों को देश और विदेशों में मान्यता प्राप्त है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के सहयोग से (1) एन्डोडान्टिक्स तथा (2) ओरल इम्पलान्टोलाजी में दंत चिकित्सकों के नैदानिक कौशल को बेहतर करने के लिए मुक्त एवं सुदूर शिक्षा विधि से दो एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम शुरू किए हैं जो शैक्षणिक सत्र 2008-09 से लागू हैं। इन पाठ्यक्रमों में कंजरवेटिव डेंटिस्ट्री एवं ओरल इम्पलांटोलाजी क्षेत्रों में रोगियों के निदान एवं उपचार के लिए इन क्षेत्रों में जानकारी एवं कौशल में वृद्धि की परिकल्पना की गई है। चूंकि एक मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय है और इसने स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम शुरू करने की पहल की है, इसलिए ये अनुमोदित पाठ्यक्रम हैं।

सकल घरेलू उत्पाद

1382. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के विकास दर हेतु कितना वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) लक्ष्य प्राप्ति के लिए कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में वांछित वार्षिक विकास दर का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में निर्धारित विकास दर को प्राप्त करने के लिए कोई योजनाएं तैयार की गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) योजना आयोग देश में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर के लक्ष्य को वार्षिक आधार पर निर्धारित नहीं करता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय

योजना में अर्थव्यवस्था के लिए योजना अवधि (2007-12) के लिए विकास लक्ष्य 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर निर्धारित किया गया है। ग्यारहवीं योजना में कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रक में क्रमश: 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष, 10 प्रतिशत से 11 प्रतिशत प्रति वर्ष तथा 9 प्रतिशत से 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की विकास दर का अनुमान लगाया गया है।

(ग) और (घ) निर्धारित विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ग्यारहवीं योजना में कई स्कीमों का प्रस्ताव किया गया है जिसमें [(कोष्ठक में ग्यारहवीं योजना, के दौरान वर्ष 2006-07 के मूल्यों पर अनुमानित सकल बजटीय सहायता के साथ)], राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (22104 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (4317 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (7788 करोड़ रुपए), ग्रामीण पेयजल (34916 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (88415 करोड़ रुपए), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (38240 करोड़ रुपए), ग्रामीण आवास (23768 करोड़ रुपए), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (15740 करोड़ रुपए), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (36238 करोड़ रुपए), सर्वशिक्षा अभियान (62775 करोड़ रुपए), मिड-डे मील कार्यक्रम (42439 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (79112 करोड़ रुपए), एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (15359 करोड़ रुपए), दक्षता विकास (20159 करोड़ रुपए), एकीकृत बाल विकास सेवाएं (45445 करोड़ रुपए) आदि शामिल हैं।

बकाया आरटीआई याचिकाएं

1383. श्री नारायण चंद्र बरकटकी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष बड़ी संख्या में आरटीआई याचिकाएं लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु ऐसी लम्बित याचिकाओं को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं या करने का प्रस्ताव है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) 30.09.2008 तक, केन्द्रीय सूचना आयोग को 24,145 अपीलें और शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 15,475 का निपटान पहले ही कर दिया गया है।

(ग) सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सूचना आयोग में चार और सूचना आयुक्त नियुक्त किए हैं।

चीन के विदेश मंत्री का भारत दौरा

1384. श्री नवीन जिंदल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में चीन के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस यात्रा के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हुई; और

(ग) उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी हां, चीन लोक गणराज्य के विदेश मंत्री श्री यांग जेईची ने दिनांक 7 से 9 सितंबर, 2008 तक भारत का दौरा किया था।

(ख) और (ग) अपनी यात्रा के दौरान चीन के विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री के साथ कई द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा की थी तथा जनवरी, 2008 में भारत के प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान हुई सहमति को पुन: दोहराया था। दोनों मंत्रियों ने आपसी हित के क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। चीन के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की।

यात्रा के दौरान, चीन के विदेश मंत्री ने कोलकाता में नए चीनी कोंसलावास का भी उद्घाटन किया।

एलिवेटेड हाइवे का निर्माण

1385. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सिग्नल रहित एलिवेटेड हाइवे का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु किन मार्ग खंडों की पहचान की गई है;

(ग) इस प्रकार के एलिवेटेड हाइवे के निर्माण की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) ऐसे राजमार्गों का निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) यह मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। सामान्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं लगाए जाते हैं क्योंकि इससे उच्च गति की निर्बाध सुविधा प्रदान करने का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर संकेत मुक्त उत्थापित सड़कों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों में उत्थापित राजमार्गों के चालू कार्यों के ब्यौरे उनकी अनुमानित लागत और पूरा होने की अनुमानित तारीख के साथ इस प्रकार हैं:-

राज्य का नाम	रारा सं.	खंड	लंबाई (किमी.)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	पूरा होने की अनुमानित तारीख
कर्नाटक	7	सिल्क बोर्ड जंक्शन से इलेक्ट्रोनिक सिटी जंक्शन तथा उत्थापित राजमार्ग	9.98	450	मार्च, 2009
कर्नाटक	4	रारा-4 के 10 किमी. से 29.50 किमी. तक पहुंच नियंत्रित राजमार्ग परियोजना के भाग के तौर पर बंगलौर-नीलमंगला खंड में उत्थापित राजमार्ग का निर्माण	4.35	445 (कुल परियोजना लागत)	नवंबर, 2009
दिल्ली/हरियाणा	2	बदरपुर उत्थापित राजमार्ग	4.40	340	अक्तूबर, 2010
तमिलनाडु	4	चेन्नै पत्तन से मदुरावोयल तक उत्थापित सड़क	18.3	310	मार्च, 2012

प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री

1386. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रतिबंधित कतिपय दवाओं की बिक्री अभी भी बाजार में की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, नहीं। प्रतिबंधित औषधों का विनिर्माण और विक्रय औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन एक अपराध है। राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी विनिर्माण या विक्रय अनुज्ञप्तियों की शर्तों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करते हैं।

(ग) संसद ने औषधि और प्रसाधन सामग्री संशोधन विधेयक, 2005 को हाल ही में पारित करके उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए दंडों में इजाफा किया है।

अवक्रमित गैर-वन भूमि पर वनरोपण

1387. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करके अवक्रमित गैर-वन भूमि पर वनरोपण करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार प्राप्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक अंतिम रूप तथा स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करके गैर वन भूमियों पर वनीकरण की एक योजना तैयार की गई है। इस स्कीम का अभी अनुमोदन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

हज कोटा वितरण हेतु मानदंड

1388. डा. राजेश मिश्रा: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2008 के लिए हज कोटा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकारी तथा निजी टूर आपरेटरों को कोटा बांटने के लिए अपनाए गए मानदंड का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ आपरेटरों को कोटा से अधिक सीटें आवंटित की गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) भारत के लिए हज 2008 का कुल कोटा 167,991 यात्री है। भारत की हज समिति के माध्यम से हज 2008 के लिए सऊदी अरब जाने वाले 123,211 यात्रियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। हज 2008 के लिए शेष 44,780 यात्रियों की व्यवस्था का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दी गयी वितरण सूची के अनुसार 297 निजी टूर आपरेटरों द्वारा की जाएगी।

(ख) भारत की हज समिति प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश की मुस्लिम जनसंख्या के अनुसार आनुपातिक आधार पर विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के बीच कोटे का वितरण करती है। इसके अलावा अधिक आवेदनों वाले राज्यों को अन्य राज्यों के अप्रयुक्त कोटे में से आनुपातिक आधार पर अतिरिक्त कोटा आवंटित किया जाता है। निजी टूर आपरेटरों के बीच कोटे के वितरण के संबंध में हज 2008 के लिए कोटा पारदर्शक तरीके से पुराने/पहले के निजी टूर आपरेटरों (अर्थात् जिन टूर आपरेटरों को हज 2007 में कोटा दिया गया था) को आवंटित किया गया है, जो हाजियों के कल्याण के लिए निर्धारित नियमों, विनियमों तथा आवश्यकताओं को पूरा करते थे और इसी स्तर पर जिनके पास किसी संघ, यदि वे उससे संबंधित हैं, की सिफारिशें थीं, जैसा कि उन्हें पहले भी दिया गया था।

(ग) और (घ) किसी निजी टूर आपरेटर को पहले के वर्षों में दिए गए कोटे से अधिक कोटा आवंटित नहीं किया गया है, जो कि उसे देय है। सऊदी अरब की शाही सरकार द्वारा निजी टूर आपरेटरों के लिए आवंटित कोटा एक सीमित संसाधन हैं। जिसका वितरण केवल आवेदकों के पिछले रिकार्ड तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए ही किया जा सकता है। विगत वर्ष में पंजीकृत जिन निजी टूर आपरेटरों ने हज यात्रियों को संतोषजनक तरीके से सेवाएं प्रदान की हैं, उनके संबंध में सरकार के पास आगामी वर्ष के लिए उनका कोटा कम करने का कोई कारण नहीं है। हज 2008 के लिए कोटा पुराने/पहले के निजी टूर आपरेटरों में उनके पिछले निष्पादन के आधार पर उन्हें पहले से ही दिए गए स्तर के अनुसार ही आवंटित किया गया।

विवरण I

हज 2008 - भारत की हज समिति के माध्यम से हज के लिए जाने वाले यात्रियों के कोटे का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ शासित प्रदेश	हज यात्री कोटा
1	2
अंडमान और निकोबार (संघ शासित प्रदेश)	67
आंध्र प्रदेश	7254
असम	3090
बिहार	5420
चंडीगढ़ (संघ शासित प्रदेश)	52
छत्तीसगढ़	445
दादरा और नगर हवेली (संघ शासित प्रदेश)	51
दमन और दीव (संघ शासित प्रदेश)	37
दिल्ली (संघ शासित प्रदेश)	1921
गोवा	176
गुजरात	5868
हरियाणा	1237
हिमाचल प्रदेश	191
जम्मू-कश्मीर	6989
झारखंड	2392
कर्नाटक	6884
केरल	8943
लक्षद्वीप (संघ शासित प्रदेश)	63
मध्य प्रदेश	4309
महाराष्ट्र	11358

1	2
मणिपुर	376
उड़ीसा	846
पांडिचेरी (संघ शासित प्रदेश)	289
पंजाब	414
राजस्थान	4991
तमिलनाडु	3762
त्रिपुरा	114
उत्तर प्रदेश	30635
उत्तराखंड	1115
पश्चिम बंगाल	7922
सरकारी कोटा	6000
कुल	123211

विवरण II

हज 2008 - निजी टूर ऑपरेटरों के लिए यात्रियों के कोटे का आबंटन

क्र.सं.	प्राइवेट टूर ऑपरेटर का नाम	हज 2008 के लिए अनुमोदित कोटा
1	2	3
1.	3 एन ट्रैवल्स एंड टूर ब्यूरो, मुम्बई	250
2.	ए.एस. इंटरप्राइजेज, दिल्ली	300
3.	ए-1 टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुम्बई	125
4.	आदेनवाला टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	125
5.	अफजल हज टूर्स एंड ट्रैवल्स (प्रा.) लि., चेन्नै	50
6.	एहलान हज एंड उमरा सर्विसेज, दिल्ली	50
7.	एयर फ्लोट ट्रैवल्स, मुम्बई	100
8.	एयर ट्रैवल्स इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड, त्रिवेंद्रम	95
9.	अजमेरी टूर्स एंड ट्रैवल्स, भीलवाड़ा, राजस्थान	150
10.	अकबर टूर्स एंड ट्रैवल्स, केरल	450
11.	अकबर ट्रैवल आफ इंडिया, मुम्बई	600
12.	अकबरी टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	100
13.	अकोला हज टूर्स, अकोला, महाराष्ट्र	200
14.	अल अकबर टूर्स, मुम्बई	100
15.	अल अमाल हज उमरा सर्विसेज, केरल	100
16.	अल अमनाथ हज सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, चेन्नै	395

1	2	3
17.	अल आमीन हज कार्पोरेशन, रायगढ़, मध्य प्रदेश	75
18.	अल आमीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, कानपुर	80
19.	अल अंसार हज एंड उमरा ओर्गेनाइजर, मुम्बई	100
20.	अल आक्सा टूर्स एंड ट्रैवल्स, कलकत्ता	100
21.	अल आकिब ट्रैवल्स सर्विस, ठाणे	100
22.	अल अराफात हज एंड उमरा ट्रैवल्स, नागपुर	75
23.	अल अतर हज कार्पोरेशन, मुम्बई	75
24.	अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद	50
25.	अल अजीज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नासिक	50
26.	अल बोराक टूर्स एंड ट्रैवल्स, कोलकाता	50
27.	अल बुरहान टूर्स एंड ट्रैवल्स, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश	100
28.	अल फलाह ट्रैवल्स एंड हज ग्रुप, मल्लापुरम	600
29.	अल फरीद टूर्स एंड ट्रैवल्स, गुजरात	125
30.	अल फारुख हज सर्विस, फारुख, केरल	200
31.	अल फताह हज सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड, तमिलनाडु	150
32.	अल हबीब टूर्स, मुम्बई	100
33.	अल हाफिज टूर्स एंड ट्रैवल्स, धुले, महाराष्ट्र	100
34.	अल हामिद हज एंड उमरा ट्रैवल्स, मुम्बई	100
35.	अल हामिद हज एंड उमरा टूर्स, मुंबई	150
36.	अल हमजा ट्रैवल्स, मुंबई	50
37.	अल हराम टूर्स एंड ट्रैवल्स, रूड़की	300
38.	हल हरामिन हज सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड, चेन्नै	150
39.	अल हरमान हज उमरा ट्रैवल्स, कालम, केरल	100
40.	अल हसन ट्रैवल्स, मुंबई	100
41.	अल हाशिम हज टूर्स, अहमदाबाद	90
42.	हल हिदाया हज सर्विसेज, केरल	100
43.	अल हिदायत टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुम्बई	80
44.	अल हिजाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, भड़ौच, गुजरात	350

1	2	3
45.	अल हिंद टूर्स एंड ट्रैवल्स, कालीकट	600
46.	अल हुदा हज सर्विस (प्रा.) लिमिटेड, कोयंबटूर	75
47.	अल हसम इंडिया हज एंड उमरा सर्विस मेनेजमेंट, कोची, केरल	395
48.	अल हसम ट्रैवल्स एंड टूर्स (प्रा.) लिमिटेड, पुरसावा, चेन्नै	300
49.	अल इखियाश हज कार्पोरेशन, महाराष्ट्र	50
50.	अल इरफान टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुम्बई	200
51.	अल इरशाद टूर्स एंड ट्रैवल्स पट्टांबी, केरल	250
52.	अल जामिया हज ग्रुप, मल्लापुरम	130
53.	अल जमील हज टूर्स, मुम्बई	125
54.	अल जुनैद हज एंड उमराह कंपनी, मेरठ	200
55.	अल खालिद टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुम्बई	350
56.	अल खिजर टूर्स, बड़ौदा	80
57.	अल खुद्दाम हज एंड उमराह सर्विस, श्रीनगर	150
58.	अल मबरूक हज ग्रुप, मल्लापुरम	170
59.	अल मदीना हज सर्विस, चेन्नै	50
60.	अल मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	100
61.	अल मदनी टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुम्बई	50
62.	अल मनासिक टूर्स इंटरनेशनल, बंगलौर	100
63.	अल मंसूर टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	50
64.	अल मेहदी टूर्स, मुम्बई	350
65.	अल मिराज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जोधपुर	100
66.	अल मीनार टूर्स एंड ट्रैवल्स, हिम्मतनगर, अहमदाबाद	125
67.	अल मिसवा हज एंड उमरा सर्विस, चेन्नै	50
68.	अल मुलताजिम हज एंड उमराह सर्विस, मुम्बई	50
69.	अल मुलताजिम हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, थाणे	50
70.	अल नूर हज सर्विस, थनजावर, तमिलनाडु	250
71.	अल क्यूबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, पुणे	70
72.	अल रहमान हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	80

1	2	3
73.	अल रिफाई हज उमरा सर्विस, पलक्काड, केरल	100
74.	अल सफा हज सर्विस, पुड्डूकोटाई, केरल	115
75.	अल सफा टूर्स, मुम्बई	180
76.	अल सैय्यद टूर्स इंटरनेशनल, बंगलौर	200
77.	अल तैयबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	100
78.	अल तवाफ हज उमराह ट्रैवल्स एंड टूरिज्म, कोलम, केरल	150
79.	अल उमेर टूर्स एंड ट्रैवल्स, भिवांडी	150
80.	अल उकबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, कानपुर	100
81.	अल वाह हज टूर्स, मुम्बई	75
82.	अल जुबी इंटरनेशनल, मुम्बई	150
83.	अल अकिराम हज टूर्स, मुम्बई	60
84.	अल अक्शा टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	100
85.	अलबन हज उमराह सर्विस, कोचीन	200
86.	अल फरुखी हज उमरा टूर्स, साबरकंठा	125
87.	अल हरमायिनी हज ग्रुप, मल्लापुरम	300
88.	अल-हीरा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद	150
89.	अल-हुसामी हज उमराह टूर्स, ठाणे	50
90.	अलिफ टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	50
91.	अलफिया टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुम्बई	150
92.	अल कबीर टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुम्बई	150
93.	अल्लाहू अकबर टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	100
94.	एलाइंस इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुम्बई	100
95.	अल मदीना हज उमरा टूर्स, नासिक	50
96.	अल सलाम हज ओ उमरा टूर्स, अकोला	100
97.	अल तिमा टूर्स एंड ट्रैवल्स, त्रिवेंद्रम, केरल	400
98.	अलतान ट्रैवल्स एंड कार्गो, हैदराबाद	150
99.	अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स,. हैदराबाद	250

1	2	3
100.	अमन टूरिज्मस, कोल्हापुर	90
101.	अमन टूर्स एंड ट्रैवल्स, तारापुर, गुजरात	70
102.	अनम टूर्स एंड ट्रैवल्स, दिल्ली	135
103.	अंसार टूर्स एंड ट्रैवल्स, पुणे	150
104.	अरेबिया टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उमराह, पुणे	200
105.	अरेबियन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुम्बई	160
106.	अराफात ट्रैवल्स सर्विस, ठाणे	85
107.	अराफात हज ग्रुप, मल्लापुरम	220
108.	अरफा टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुम्बई	200
109.	अराफात हज टूर्स, विरामगम, अहमदाबाद	100
110.	अराफात टूर्स हज एंड उमराह ग्रुप, हैदराबाद	100
111.	आर्क इंटरप्राइजेज ट्रैवल्स एजेंसी, हैदराबाद	85
112.	अस सफा टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुम्बई	50
113.	अस सेरात टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुम्बई	150
114.	असफाहन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुम्बई	100
115.	आशियाना टूर्स, दिल्ली	200
116.	असरफ हज उमराह टूर्स, अमरावती, महाराष्ट्र	90
117.	एशियन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुम्बई	250
118.	असलम हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, मल्लापुरम	150
119.	अस सफा हज टूर्स, नवासारी, गुजरात	175
120.	अल साऊद टूर्स, नवासरी, गुजरात	100
121.	अतीक हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	150
122.	एटलस टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुम्बई	800
123.	अवालिया हज टूर्स, इंदौर	50
124.	अजीम टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	140
125.	बादशां टूर्स एंड ट्रैवल्स, काडपा, आंध्र प्रदेश	100
126.	बाखला इंटरनेशनल टूर्स, मुंबई	160
127.	बाखला टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	225

1	2	3
128.	बाक्काह हज उमराह सर्विस, मल्लापुरम	50
129.	बेतुल्लाह टूर्स इंटरनेशनल, बंगलौर	350
130.	बेंजी टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	600
131.	बिलाल हज एंड उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स, भड़ौच	80
132.	बिसमिल्लाह हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, पुणे	100
133.	बिसमिल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	70
134.	बुसरा हज सर्विस, चेन्नै	75
135.	क्रिस्टी टूर्स एंड ट्रैवल्स, कानपुर	100
136.	क्लासिक टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	180
137.	कास्मिक टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	365
138.	क्रिएटिव इंटरप्राइजेज, मुंबई	395
139.	क्रिएटिव टूर्स एंड ट्रैवल्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड, मुम्बई	185
140.	दारूल हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	120
141.	दरवेश टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	175
142.	दायर-ए-हबीब टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	225
143.	दायर-ए-हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	80
144.	डेल्टा टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	600
145.	धीन हज सर्विस, चेन्नै	395
146.	इल बुराक ट्रैवल्स, दिल्ली	200
147.	फधील ग्रुप टूर्स एंड ट्रैवल्स, कन्नूर, केरल	50
148.	फजल टूर्स एंड ट्रैवल्स, नई दिल्ली	50
149.	फैज ट्रैवल्स, मेरठ	150
150.	फतीमगानी हज सर्विस, रामानंतपुरम, आंध्र प्रदेश	100
151.	फ्लाई इंटरनेशनल, मुंबई	100
152.	जी.बी. टूर्स एंड ट्रैवल्स, लखनऊ	120
153.	घोष टूर्स एंड ट्रैवल्स, कर्नाटक	150
154.	ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स, श्रीनगर	50
155.	गोल्डन ट्रैवल्स, हैदराबाद	225

1	2	3
156.	गुजरात हज टूर्स, अहमदाबाद	300
157.	हादी टूर हज एंड उमराह, मालेगांव, महाराष्ट्र	80
158.	हज कार्पोरेशन आफ इंडिया, बंगलौर	100
159.	हज टूर्स कार्पोरेशन, इंदौर	100
160.	हाजीपीर हज टूर्स, मुंबई	150
161.	हाजिर टूर्स एंड ट्रैवल्स, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश	60
162.	हमदान ट्रैवल सर्विस, कोलकाता	100
163.	हामीदया टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	300
164.	हजरात ख्वाजा गरीब नवाज हज टूर्स, अहमदाबाद	225
165.	हीना ट्रैवल सर्विस, लखनऊ	50
166.	हिजाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	50
167.	हिजरा हज ग्रुप, मल्लापुरम	200
168.	हुदा हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	75
169.	इफ्तेखार ट्रैवल्स सर्विसेज, दिल्ली	150
170.	इकराम हज कार्पोरेशन, मुंबई	125
171.	इमान इंटरनेशनल, मुंबई	100
172.	इंडियन हज कार्पोरेशण, ठाणे	80
173.	इंडियन हज सर्विस कार्पोरेशन, तिरुवनंतपुरम	150
174.	इस्लामिक टूर्स एंड ट्रैवल्स, लखनऊ	100
175.	जे.एस. टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	50
176.	जन्नत टूर्स एंड ट्रैवल्स, फैजाबाद	75
177.	जिगर टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	130
178.	काजी सरकार ट्रैवल, नीमच, मध्य प्रदेश	60
179.	कादरी हज एंड उमराह टूर्स आर्गेनाइजर, अहमदनगर, महाराष्ट्र	90
180.	कालांतर हज सर्विस, पुड्डुकोटाई, केरल	100
181.	कर्नाटक हज ग्रुप, बंगलौर	100
182.	केरल इस्लाम हज एंड उमरा सर्विस, कालीकट	575
183.	खादिम टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	200

1	2	3
184.	खंडेश हज कार्पोरेशन, जलगांव, महाराष्ट्र	125
185.	ख्वाजा गरीब नवाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	130
186.	कोंकण टूर्स कार्पोरेशन, ठाणे	100
187.	कोल्हापुर हज कार्पोरेशन, कोल्हापुर	70
188.	कोलकाता टूर्स एंड ट्रैवल्स प्रा. लिमिटेड, कोलकाता	50
189.	कोतवाला टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	100
190.	लब्बैक हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नवासरी, गुजरात	50
191.	लब्बैक टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	150
192.	लब्बैक टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	225
193.	एम.जी. टूर्स एंड ट्रैवल्स, पश्चिम बंगाल	60
194.	एम.के. हज एंड उमराह ट्रैवल, कोलकाता	100
195.	एम.के. ट्रैवल्स, मुंबई	250
196.	मबरूक हज ग्रुप, मल्लापुरम	175
197.	मदानी हज ग्रुप, गुलबर्ग	175
198.	मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद	80
199.	मदीना हज टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंसी, गुवाहाटी	50
200.	मदनी ट्रैवल्स, वाराणसी	50
201.	मेहदी टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	150
202.	मक्का हज कार्पोरेशन, मुंबई	300
203.	मालाबार हज ग्रुप, मल्लापुरम	300
204.	मरहबा हज उमराह टूर्स, मुंबई	50
205.	मरहबा मुकद्दास उमराह हज टूर्स, मुंबई	50
206.	मरीयम ताज टूर्स, इंदौर	110
207.	मार्शल ट्रैवल्स, मुंबई	100
208.	मासूम टूर्स एंड ट्रैवल्स, भड़ौच, गुजरात	50
209.	मास्टर ट्रैवल्स, पुणे	120
210.	मतीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	100
211.	मौलाना टूर्स कार्पोरेशन, मुंबई	125

1	2	3
212.	मीरा टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	50
213.	मिजाब ए रहमत हज उमराह एंड जियारात टूर्स, नासिक	65
214.	मिजाब ए रहमत हज उमराह एंड जियारात टूर्स, नासिक	65
215.	मेहदी टूर्स एंड ट्रैवल्स, लखनऊ	50
216.	मर्चेंट टूर सर्विस, मुंबई	100
217.	मेट्रो टूर्स एंड ट्रैवल्स, कटक	50
218.	मिलात हज सर्विस, चेन्नै	150
219.	मिर्जा टूर्स एंड ट्रैवल्स, लखनऊ	120
220.	माडर्न टूर्स एंड ट्रैवल्स, कोलकाता	75
221.	मोहम्मदिया टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	200
222.	मोलवी हज एंड उमराह टूर्स एंड ट्रैवल्स, भड़ौच	100
223.	मोमिन हज उमराह टूर्स, मुंबई	150
224.	मोलाना हज सर्विस, मुंबई	100
225.	मुखलिश हज एंड उमरा टूर्स, ठाणे	50
226.	मुलताजम टूर्स प्रा. लिमिटेड, मुंबई	200
227.	मुलताजिम हज कार्पोरेशन, ठाणे	50
228.	मुकद्दस हज कार्पोरेशन, ठाणे	100
229.	मुकद्दस टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	100
230.	मुस्लिम टूर्स कार्पोरेशन, मुंबई	400
231.	नजात खिदमातुल हुजाज, पलक्काड	350
232.	नवाब ट्रैवल्स प्रा. लिमिटेड, दिल्ली	50
233.	नोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	75
234.	नूरुल हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स, रूड़की	50
235.	नुसरत हज उमरा सर्विस टूर्स एंड ट्रैवल्स, मल्लापुरम	285
236.	पी.के.एम. ट्रैवल्स, पुनातला, केरल	150
237.	पीरजादा ट्रैवल्स, मुंबई	100
238.	पूना टूर्स एंड ट्रैवल्स, पुणे	100
239.	किबला हज उमरा सर्विस, मुंबई	50

1	2	3
240.	क्वादरी हज सर्विस, जबलपुर, मध्य प्रदेश	85
241.	रबीता हज उमरा टूर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	150
242.	रेपिड टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	185
243.	रजा टूर्स एंड ट्रैवल्स, भिलवाड़ा, राजस्थान	100
244.	रज्जाक एंड संघ (काकीवाला टूर्स एंड ट्रैवल्स) अहमदाबाद	200
245.	रज्जाक इंटरप्राइजेज, हैदराबाद	100
246.	रिगल टूर्स सर्विस, मुंबई	100
247.	रेहबार टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	100
248.	रिलेबल हज उमराह टूर्स, ठाणे	75
249.	रिलीफ टूर्स एंड ट्रैवल्स, गोधरा	150
250.	रिचवे टूर्स एंड ट्रैवल्स, कोयंबटूर	75
251.	रोशन हज उमराह टूर्स एंड ट्रैवल्स, महाराष्ट्र	50
252.	रोयल ट्रैवल्स एंड कार्गो सर्विस, हैदराबाद	50
253.	रूबी टूर्स एंड ट्रैवल्स, पुणे	140
254.	रुमानी इंटरप्राइजेज, मुंबई	100
255.	साहेब हज सर्विस, कर्नाटक	100
256.	सफर हज टूर्स, अहमदाबाद	100
257.	सागर टूर्स एंड ट्रैवल्स, गोरखपुर	70
258.	सलामत हज सर्विस, रमनाद, तमिलनाडु	80
259.	सलामत हज सर्विस, कालीकट	550
260.	सलीम हज एंड उमराह सर्विस, चेन्नै	50
261.	सम्राट टूर्स एंड ट्रैवल्स, जयपुर	300
262.	संजार ट्रैवल्स, अहमदाबाद	100
263.	सरकार ट्रैवल्स, भीलवाड़ा	100
264.	साऊदी टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	50
265.	सियर हज सर्विस, बंगलौर	200
266.	शाह हज सर्विस, कोयंबटूर	100
267.	सफी हज एंड उमराह टूर्स, अहमदनगर, महाराष्ट्र	100
268.	शाहीन हज टूर्स एंड ट्रैवल्स,. बरेली	100
269.	शरीफ टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद	100

1	2	3
270.	शुक्रिया ट्रैवल्स, मुंबई	250
271.	स्काई शिप इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड, मुंबई	300
272.	स्वेज इंटरनेशनल, नवासरी, गुजरात	180
273.	सुलतानजी इंटप्राइजेज, दिल्ली	100
274.	सूरत हज टूर्स, सूरत	80
275.	सैयदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	225
276.	एस.वाई.एस. हज सेल, कोजकोड	700
277.	एस.वाई.एस. हज ग्रुप, मल्लापुरम	200
278.	ताज टूर्स एंड ट्रैवल्स, पश्चिम बंगाल	125
279.	तंबोली टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदनगर	400
280.	ताशकंद टूर्स एंड ट्रैवल्स, सूरत	80
281.	तवाफ-ए-मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	250
282.	तबाक्कल टूरिज्म कार्पोरेशन, नागपुर	90
283.	तबक्कल टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	150
284.	तबक्कल टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	100
285.	तबक्कल टूर्स, बड़ौदा	215
286.	द ग्रेट इंडियन टूर कंपनी प्रा. लिमिटेड, त्रिवेंद्रम	50
287.	द वफादार टूर्स, साबरकंठा	75
288.	ट्रैवल हाउस ट्रैवल्स एंड टूर्स, भोपाल	50
289.	त्रिची सनसाइन हज सर्विस, रमनाड, तमिलनाडु	100
290.	उमूलखुरा हज सर्विस, मल्लापुरम	150
291.	यूनाइटेड टूर्स एंड ट्रैवल्स, इलाहाबाद	75
292.	यूनाइटेड ट्रैवल्स सर्विस, दिल्ली	300
293.	वाजको हज ग्रुप, कोजीकोड	550
294.	वेलकम टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	75
295.	जमजम हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	100
296.	जमजम हज सर्विस, कालीकट	150
297.	जमजम टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	175
	कुल कोटा:	44780

भारतीय पोतों पर मैरीटाइम आफिसर

1389. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्रशिक्षित मैरीटाइम आफिसरों की कमी के मद्देनजर भारतीय पोतों पर कार्य करने के लिए विदेशी अधिकारियों को अनुमति देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी ऐसी नियुक्तियों की निबंधन एवं शर्तें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में मैरीटाइम आफिसरों की कमी को दूर करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय ध्वज से युक्त जलयानों पर विदेशी नागरिकों को भर्ती किए जाने की अनुमति मामले दर मामले के आधार पर दी जाती है।

(ग) देश में समुद्रीय अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) समुद्र पूर्व अधिकारी पाठ्यक्रमों के अनुमोदन पर प्रतिबंध हटा लिया गया है।

(2) समुद्र में समय बिताने की आवश्यकता को कम कर दिए जाने के द्वारा नाविकों को तत्परता से अधिकारी बनाया जाना सुकर बनाने के लिए नई योजनाएं तैयार की गई हैं।

(3) फास्ट ट्रैक के आधार पर विज्ञान में स्नातकों को समुद्रीय अधिकारी बनाने के लिए नई योजनाएं आरंभ कर दी गई हैं।

(4) समुद्र पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता में छूट दिए जाने के द्वारा केवल प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण और देखभाल के मानदंड पूरे करने से ही व्यापारिक बेड़े में करिअर बनाने के लिए मात्स्की में स्नातक अभ्यर्थियों को अनुमति दे दी गई है।

नियंत्रण रेखा से सटे सेलफोन टावर

1390. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान की मोबाइल फोन कंपनियों ने नियंत्रण रेखा से सटे सेलफोन टावर स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पाकिस्तान की मोबाइल फोन प्रदाता कंपनियों द्वारा नियंत्रण रेखा के निकट पाक अधिकृत कश्मीर में और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के निकटस्थ स्थलों पर भी मोबाइल टावर लगाए गए हैं। इस तथ्य को कि रेडियो फ्रिक्वेन्सी में व्यवधान हो रहा है, राजनयिक चैनल के माध्यम से उठाया गया है और पाकिस्तान से यथोचित कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गया है।

सी.एस.एस. और सी.एस.एस.एस. कैडर का पुनर्गठन किया जाना

1391. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सी.एस.एस.एस.) के पुनर्गठन हेतु कैडर पुनर्गठन संबंधी विभिन्न मानदण्डों को अपनाने की आवश्यकता होती है/अपनाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा पदोन्नति के संबंध में इस गतिरोध को दूर करने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(घ) कैडर पुनर्गठन में सी.एस.एस.एस. कैडर को शामिल नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (घ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की संवर्ग पुनर्संरचना एक सतत् प्रक्रिया है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अंतिम संवर्ग संरचना 2003 में की गई थी। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेडों के गतिरोध की मात्रा का आकलन करने, फीडर संवर्ग की संरचना की समीक्षा करने और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के विभिन्न स्तर पर करिअर प्रोन्नयन के उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए दिनांक 16.6.2008 को केन्द्रीय सचिवालय सेवा की संवर्ग संरचना करने के लिए एक समिति गठित की गई है।

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की संवर्ग संरचना पिछली बार वर्ष 2005 में की गई थी।

[हिन्दी]

ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रदूषण

1392. श्री टेकलाल महतो: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ताप विद्युत संयंत्र देश में प्रदूषण फैला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन विद्युत संयंत्रों के नाम क्या हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक सरकार द्वारा प्रदूषण को रोकने हेतु आबंटित/व्यय की गयी निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा संयंत्रों से फैलने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र धूल और सल्फर डायक्साईड छोड़ते हैं और यदि ऐसे विद्युत संयंत्र वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित न करें तो इससे प्रदूषण हो सकता है। विद्युत संयंत्रों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) मंत्रालय विद्युत संयंत्रों के लिए कोई निधियां नहीं प्रदान कर रहा है। सरकार द्वारा विद्युत संयंत्रों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए गए उपायों में शामिल हैं:-

(1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण बोर्डों द्वारा विद्युत संयंत्रों का नियमित निरीक्षण और निगरानी।

(2) दिनांक 19.19.1997 को अधिसूचना जारी करना जिसमें विद्युत संयंत्रों को लाभकारी कोयले के उपयोग की सिफारिश करना जो संवेदनशील प्रदूषित क्षेत्रों और पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित पिट हैड और विद्युत संयंत्र से 1000 कि.मी. की दूरी से परे स्थित हैं।

(3) दिनांक 14.9.1999 को अधिसूचना जारी करना जिसमें कोयला अथवा लिगनाईट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से फ्लाई ऐश को उपयोग की सिफारिश की गई है।

(4) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत ताप विद्युत संयंत्रों के लिए मानक अधिसूचित करना।

(5) उन ताप विद्युत संयंत्रों के लिए जो उद्योग की प्रतिबद्धता और स्वैच्छिक पहलें पाना चाहते हैं, पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए कार्पोरेट उत्तरदायित्व के संबंध में चार्टर तैयार करना ताकि प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए विनियामक मानदण्डों का अनुपालन किया जा सके।

विवरण

विद्युत संयंत्रों के नाम

क्र.सं.	ताप विद्युत संयंत्र का नाम	राज्य
1.	कोठागुडम	आंध्र प्रदेश
2.	रामागुडम-बी	आंध्र प्रदेश
3.	पतरातु	झारखंड
4.	बोकारो-बी, डी वी सी	झारखंड
5.	बरौनी	बिहार
6.	सिक्का	गुजरात
7.	कोरबा (पूर्व)	छत्तीसगढ़
8.	अमर कंटक	मध्य प्रदेश
9.	सतपुड़ा	मध्य प्रदेश
10.	नासिक	महाराष्ट्र
11.	कोराडी	महाराष्ट्र
12.	भुसावल	महाराष्ट्र
13.	चन्द्रपुर	महाराष्ट्र
14.	पार्ली	महाराष्ट्र
15.	ओबरा	उत्तर प्रदेश
16.	हरदुआगंज	उत्तर प्रदेश
17.	पारिचा	उत्तर प्रदेश
18.	न्यू कासीपुर	पश्चिम बंगाल
19.	दुर्गापुर प्रोजेक्टस लि.	पश्चिम बंगाल
20.	फरक्का, एन टी पी सी	पश्चिम बंगाल
21.	बन्डेल	पश्चिम बंगाल
22.	मैतूर, टी एन ई बी	तमिलनाडु

समेकित ऊर्जा नीति

1393. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री अधीर चौधरी:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक समेकित ऊर्जा नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां। सरकार के पास देश के लिए एकीकृत ऊर्जा नीति बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) अगस्त, 2006 में प्रस्तुत की गई एकीकृत ऊर्जा नीति संबंधी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्रस्तावित एकीकृत ऊर्जा नीति तैयार करने का आधार है। प्रस्तावित नीति की मुख्य विशेषताएं इसके विजन से ली गई हैं जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि सभी क्षेत्रकों की ऊर्जा मांग, गरीब परिवारों की लाइफ लाइन ऊर्जा आवश्यकताओं सहित, मितव्ययिता व युक्तिसंगत रूप से पूरी की जाएं। समग्र ऊर्जा मांग तकनीकी कुशलता, आर्थिक रूप से व्यवहार्य तथा पर्यावरण की दृष्टि में संधारणीय तरीके से न्यूनतम लागत पर सुरक्षित स्वच्छ ऊर्जा के सुविधाजनक रूपों के माध्यम से पूरी की जानी चाहिए।

(घ) इस नीति को अन्तिम रूप देने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निश्चित नहीं की गई है।

जी.आर.ए.एम.एस.ए.टी. योजना पर व्यय

1394. श्री रामदास आठवले: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में जी.आर.ए.एम.एस.ए.टी. योजना के अंतर्गत विशेषकर जनजातीय जिलों में हुए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत प्रसारित किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन कार्यक्रमों में जनजातीय लोगों को शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) पिछले दो वर्षों में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ग्रामसैट योजनाओं पर व्यय कर रहा है। गुजरात सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, उड़ीसा सरकार, कर्नाटक सरकार द्वारा अपनी ग्रामसैट परियोजनाओं पर व्यय किया जा रहा है। इसरो का योगदान इन राज्यों को आवश्यक बैण्ड विस्तार प्रदान करना है और बैण्ड विस्तार का व्यय प्रति वर्ष लगभग 3 करोड़ रुपये है।

(ख) इन ग्रामसैट योजनाओं से प्रसारित कार्यक्रमों का विवरण विभिन्न राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है और सामान्यत: ये समूह शिक्षा, मात्स्यिकी, वन एवं पर्यावरण तथा आंगनवाड़ी कर्मचारियों के क्षेत्र के हैं।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारें ग्रामसैट नेटवर्क पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों को तैयार करती हैं और इसमें जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का विवरण इसरो में उपलब्ध नहीं होता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर गोरखपुर बाइपास

1395. योगी आदित्यनाथ: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर गोरखपुर बाइपास सहित अन्य स्थलों पर चल रहे निर्माण, मरम्मत और रखरखाव कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या गोरखपुर बाइपास के निर्माण कार्य की प्रगति काफी धीमी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) कार्य को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग-28 के नंदनगर-कुदाघाट पर रेलवे उपरि-पुल के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) लगभग 3416.24 करोड़ रु. की कुल लागत पर गोरखपुर बाइपास सहित 13 कार्य हैं, जो

प्रगति पर हैं। चूंकि निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, इसलिए ठेके के उपबंधों के अनुसार मरम्मत तथा रखरखाव कार्य संबंधित ठेकेदार/रियायतग्राही द्वारा किया जा रहा है।

(ख) से (घ) जी नहीं। गोरखपुर बाइपास का निर्माण कार्य अप्रैल, 2007 में शुरू हुआ था और उसको पूरा करने की तय तारीख अक्तूबर, 2009 है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग-28 के 270.00 कि.मी. पर एक लेवल क्रासिंग है जो राष्ट्रीय राजमार्ग-28 के 251.700 कि.मी. से 279.800 कि.मी. खंड पर गोरखपुर (नंदनगर-कुदाघाट) में पड़ता है। इस नए संरेखण पर बाइपास बनाया जा रहा है और रेलवे उपरि पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

[अनुवाद]

प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद

1396. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद की स्थापना संबंधी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस परिषद को नॉट-फार-प्राफिट सोसाइटी के रूप में पंजीकृत करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अन्य प्रक्रियागत औपचारिकताओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (घ) सरकार ने एक अलाभ अर्जक सोसायटी के रूप में प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद की पहले ही स्थापना कर दी है। इसे 30 जुलाई, 2008 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद के कुछ मुख्य उद्देश्य भारतीयों के प्रवासी रोजगार को बढ़ाने के लिए मध्यम से लेकर दीर्घावधि नीतियां तैयार करना, उसकी नियमित निगरानी करना, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम बाजार के रूख के साथ-साथ विभिन्न श्रमि निर्यातक और श्रम आयातक देशों की नीतियों का अध्ययन और विश्लेषण करना, एक श्रम पूर्तिकर्ता के रूप में विश्व में प्रतियोगी बनने के लिए एक राष्ट्रीय नीति विकसित करना और उसे बनाए रखने के लिए एक 'चिन्तन सागर' के रूप में कार्य करना है। इस समय प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद की शासी परिषद में 14 सदस्य हैं जिसके अध्यक्ष प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के सचिव हैं।

लिंग परीक्षण किट का आयात

1397. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से काफी लोग फर्जी नामों से लिंग परीक्षण किट का आयात कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन राज्यों में पुरुष-महिला अनुपात पहले से ही राष्ट्रीय औसत से नीचे है; और

(घ) यदि हां, तो इन लिंग परीक्षण किटों का आयात रोकने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के दिनांक 23.11.2007 के अंक में छापी खबर में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया था कि संयुक्त राज्य अमरीका तथा कनाडा की लिंग परीक्षण/लिंग चयन किटों की पंजाब के बाजारों में भरमार हैं। इस खबर में यह भी कहा गया कि ये किटें 15000 रु. से लेकर 20,000 रु. में आसानी से उपलब्ध हैं आगे यह बताया गया था कि अल्ट्रा साउण्ड मशीनों का पहले से उपयोग कर रहे चिकित्सा व्यवसायी ये किटें अब आन लाइन खरीद कर उन्हें गर्भवती महिलाओं को बेच रहे हैं ताकि उन्हें भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने और संभवत: भ्रूण हत्या करने, यदि वह भ्रूण मादा पाया गया हो, में मदद मिल सके।

(ग) जी, हां। कृपया नीचे की तालिका देखें:-

शिशु लिंग अनुपात निचले 7 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

भारत तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला	शिशु लिंग अनुपात 1991 की जनगणना	2001 की जनगणना
भारत	945	927
हिमाचल प्रदेश	951	896
पंजाब	875	798
चंडीगढ़*	899	845
हरियाणा	879	819
दिल्ली*	915	868
राजस्थान	916	909
गुजरात	928	883

स्रोत: 1991 तथा 2001 की जनगणना भारत के महापंजीयन का कार्यालय

*संघ राज्य क्षेत्र

(घ) केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क मंडल/राजस्व विभाग से अनुरोध किया गया कि वे देश में आयतित लिंग परीक्षण किटों पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय IV के अंतर्गत धारा 11 की उप-धारा (2) (ट), (ण) और (फ) के अधीन रोक लगाने के बारे में विचार करें तथा दिनांक 29.11.2007 तथा 5.1.2008 के पत्रों के तहत ऐसे प्रयोजनों वाली किटों के आयातकों का ब्यौरा भेजें जिनके खिलाफ गर्भाधानपूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन की मनाही) अधिनियम, 1994 (पी सी एंड पी एन डी टी अधिनियम, 1994) के अधीन कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क मंडल ने अपने दिनांक 1.4.2008 के पत्र के तहत इस मंत्रालय को सूचित किया कि उनके प्रमुख पत्तन सीमा शुल्क से प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार लिंग निर्धारण (लिंग परीक्षण) किटों के रूप में ज्ञात मामलों का आयात पिछले तीन वर्षों में नहीं देखा गया है। सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने यह भी बताया कि 'लिंग परीक्षण किटों' की पहचान करने और उन पर रोक लगाने में उन्हें तब कठिनाई होती है जब ये किटें दूसरे नाम या विवरण जैसे कि गर्भाधान पूर्व अंडोत्सर्ग पूर्वकथन किट, जो विदेश व्यापार नीति के तहत आयात हेतु अनुमत हैं, धारित पैकेज में पहुंचती हैं। ऐसे में उन्होंने सटीक पहचान के मापदण्ड उन्हें उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ताकि उन्हें आयात किए जाने वाले अनुमत अन्य सदृश उपस्करों में से 'लिंग परीक्षण किटों' की सांतर पहचान करने और देश में आयातित आपत्तिजनक किटों पर रोक लगाने में मदद मिले।

उपर्युक्त केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क मंडल के दिनांक 1.4.2008 के पत्र के आलोक में अंतर मंत्रालयीन बैठकों के दो दौर 7.5.2008 तथा 16.5.2008 को आयोजित हुए जिनमें सीमा शुल्क विभाग के प्रतिनिधियों, विदेश व्यापार महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक और औषध महानियंत्रक भारत को लिंग परीक्षण/लिंग निर्धारण किटों के आयात में उत्पन्न समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आमंत्रित किया गया।

बायोसिमिलर उत्पाद

1398. मो. मुकीम: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य देशों के बायोसिमिलर उत्पादों को देश में बेचने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में बायोसिमिलर उत्पादों का विनिर्माण किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कंपनियों तथा इनके उत्पादों के नाम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। परीक्षण करने पर सुरक्षित एवं असरदार पाए जा चुके बायोसिमिलर उत्पादों का देश में विपणन किए जाने की अनुमति औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची म में निर्धारित मानदंडों के अनुसार दी जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। देश में इन उत्पादों के प्रमुख विनिर्माता निम्नवत् हैं:-

मै. बायोकोन लिमिटेड, बंगलौर-रैक, ह्युम. ई पी ओ इंजे. और निमोटूजूम्ब इंजे.

मै. भारत बायोटेक, हैदराबाद-स्ट्रेप्टोकिनेज इंजे.

मै. केडिला हैल्थ केयर, अहमदाबाद, आई एफ एन अल्फा 2 बी इंजे.

मै. वोकहार्ड लि., पुणे-रिकोबिनेन्ट ह्यु आई एफ एन अल्फा 2 बी इंजे. रिक. हम ई पी जो इंज.

मै. शांथा बायोटेक हैदराबाद-आई एफ एन अल्फा 2 बी इंजे.

मै. डा. रेड्डीज लैब, हैदराबाद ऋतुक्सीमेब, जी सी एस एफ इंजे.

मै. इनास फार्मा, अहमदाबाद-रिकोम्बीनेन्ट ह्युमन पेज जी सी एस एफ इंजे.

मै. श्रेय लाइफ साइंस प्रा.लि., पुणे आर-एच यू इन्सुलिन इंजे.

मै. जैनेटेक लैब, हैदराबाद-ऋतुक्सीमेब, आर.एच यू जी सी एस एफ इंजे., आर. एच यू जी एम सी एस एफ.

मै. भारत सीरम एंड वैक्सीन लि., पुणे-एफ एस एच इंजे.

मै. जीनोवा बायो फार्मास्युटिकल्स लि., पुणे आर ह्यु. जी एम सी एस एफ इंज.

[हिन्दी]

नर्सिंग स्कूलों की स्थापना

1399. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में नए नर्सिंग स्कूलों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्कूलों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी हां, इन जिलों में 137 नर्सिंग स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव है जहां कोई नर्सिंग स्कूल नहीं हैं जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। स्कूलों की अवस्थिति संबंधित राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों और व्यय वित्त समिति तथा मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन पर भी निर्भर करती है।

(ग) ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान।

[अनुवाद]

पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंध

1400. **श्री गुरुदास दासगुप्त:**
श्री प्रबोध पाण्डा:
श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री राम कृपाल यादव:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिक अली जरदारी से मुलाकात की थी; और

(ग) यदि हां, तो उनके बीच हुई वार्ता का ब्यौरा क्या है तथा द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए दोनों देशों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) भारत पाकिस्तान के साथ शांति, मित्रता तथा अच्छे निकटवर्ती संबंधों के लिए वचनबद्ध है। फिर भी, पाकिस्तान के संबंध में भारत की गंभीर चिंता निरंतर बनी रही है तथा इस संबंध में भारत ने 6 जनवरी, 2004 तथा 24 सितंबर, 2008 के संयुक्त वक्तव्य में निहित वचनबद्धता को पूरा करने के महत्व को दोहराया है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से आतंकवाद का समर्थन करने के लिए अपने नियंत्रणाधीन किसी भी भूभाग का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगा।

(ख) जी, हां।

(ग) दोनों नेता पारस्परिक सम्मान, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा अहस्तक्षेप के आधार पर भारत तथा पाकिस्तान के मध्य संबंधों को शीघ्र तथा पूरी तरह सामान्य बनाने के लिए कार्य करने के लिए सहमत हुए। दोनों नेताओं ने यह निर्णय लिए कि:-

(1) दोनों देशों के विदेश सचिव अगले तीन महीनों में संयुक्त वार्ता के पांचवें दौर की बैठकें आयोजित करेंगे, जिनमें ठोस तथा उपयुक्त उपलब्धियों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

(2) युद्ध विराम को स्थायी बनाया जाना चाहिए। इसके लिए डीजीएमओ तथा क्षेत्रीय कमांडर नियमित संपर्क में रहेंगे।

(3) अक्तूबर, 2008 में संयुक्त आतंक-रोधी ढांचे की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें काबुल स्थित भारतीय राजदूतावास में बम विस्फोट सहित पारस्परिक हित-चिंताओं पर ध्यान दिया जाएगा।

(4) जनता का जनता से आपसी संपर्क, व्यापार, वाणिज्य तथा आर्थिक सहयोग का विस्तार द्विपक्षीय संबंधों का विकास करने तथा उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक प्रभावशाली मंच प्रदान करता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

(1) व्यापार की सभी स्वीकार्य मदों के लिए बाघा-अटारी सड़क संपर्क खोलना।

(2) व्यापार की सभी स्वीकार्य मदों के लिए खोकरापार-मुन्नाबाओ रेल मार्ग खोलना।

(3) ऊर्जा क्षेत्र सहित पारस्परिक लाभकारी सहयोग विकसित करने के लिए दोनों देशों के योजना आयोगों के मध्य निरंतर संपर्क।

(4) 21 अक्तूबर, 2008 को श्रीनगर-मुजफ्फराबाद तथा पुंछ-रावलकोट सड़कों पर नियंत्रण रेखा-पार व्यापार शुरू करना।

(5) स्कार्दू-कारगिल मार्ग खोलने के लिए तौर-तरीकों पर शीघ्र विचार-विमर्श किया जाएगा।

कोयला खान की आउटसोर्सिंग

1401. **श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला खान कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अवैध खनन को रोकने के लिए विभिन्न पक्षों हेतु कोयला के पट्टा भूमि क्षेत्रों की पहचान के साथ-साथ उनका समुचित सीमांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) और (ख) जी, हां। कोल इंडिया लि. (सीआईएल) विभिन्न क्षेत्रों में प्रचालन की बेहतर अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए कोयला उत्पादन के कुछ कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग कर रही है। सीआईएल द्वारा आउटसोर्स किए गए कार्यकलापों में, सीआईएल की सहायक कंपनियों की कुछ खानों में कोयला चुनना, ओबी रिमूवल तथा कोयले की ढुलाई आदि शामिल है।

(ग) और (घ) जी, हां। सीआईएल के अंतर्गत कोयले के लीजहोल्ड क्षेत्र की समुचित पहचान और रेखांकन किया गया है।

[हिन्दी]

ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस-पाइपलाइन

1402. **श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:**
श्रीमती करुणा शुक्ला:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस-पाइपलाइन समझौते से अलग होने तथा ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का समर्थन करने के लिए कोई दबाव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) भारत गैस पाइपलाइन और अन्य परियोजनाओं के प्रति वचनबद्ध रहा है जो वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य हैं और जिनके लिए आपूर्ति की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है।

[अनुवाद]

मेडिकल, डेंटल एवं नर्सिंग कालेज

1403. **श्री पी.सी. थामस:**
श्री रघुवीर सिंह कौशल:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री काशीराम राणा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी तथा निजी क्षेत्र में मेडिकल डेंटल एवं नर्सिंग कालेजों की राज्य-वार विद्यमान संख्या क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इनमें से प्रत्येक कालेज में निर्धारित सीटों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार केरल सहित विभिन्न राज्यों में ऐसे नए कालेजों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों पर शीघ्र विचार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) केन्द्र सरकार ने 61 चिकित्सा महाविद्यालयों, 98 दंतचिकित्सा महाविद्यालयों और 1061 उपचर्या महाविद्यालयों को खोलने की अनुमति विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष में स्थापित ऐसे चिकित्सा महाविद्यालयों, दंतचिकित्सा एवं उपचर्या महाविद्यालयों की राज्यवार सूचियां सीटों के साथ क्रमश: संलग्न विवरण-I, II एवं III में दी गयी है।

(ख) और (ग) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अधीन केन्द्र सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी छह संस्थाएं अल्पसेवित क्षेत्रों, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड राज्यों में एक-एक, में स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी दो और संस्थाएं स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 तथा दंतचिकित्सक अधिनियम 1948 में किए गए संशोधन तथा उनके अधीन बने विनियमों के अनुसार चिकित्सा/दंतचिकित्सा महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता के बारे में निर्णय लेना राज्य सरकार का काम है। चिकित्सा/दंतचिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना संबंधी विनियमों में विहित पात्रता तथा अर्हक मानदंड पूरी करने वाली राज्य सरकार सहित कोई व्यक्ति नए चिकित्सा/दंतचिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना संबंधी अनुमति प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन क्रमश: धारा 10क के अनुसार कर सकता है। केन्द्र सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/भारतीय दंतचिकित्सा परिषद द्वारा विहित मानक पूरे करने वाले आवेदकों को नए चिकित्सा/दंतचिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करने के वास्ते अनुमति प्रदान करती है।

उपचर्या महाविद्यालयों के बारे में केन्द्र सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी संस्थाओं के स्थल पर छह नए महाविद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है। उपचर्या सेवाओं के विकास के अंतर्गत एक योजना उपचर्या विद्यालयों का उन्नयन उपचर्या महाविद्यालय में करने के बारे में है। केरल राज्य सहित सभी राज्यों से इस संबंध में प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

विवरण I

उन मेडिकल कालेजों की राज्य-वार संख्या जिन्हें पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति दी गई है

राज्य का नाम	वर्ष 2005-06				वर्ष 2006-07				वर्ष 2007-08				वर्ष 2008-09			
	मेडिकल कालेजों की संख्या		सीटों की कुल संख्या		मेडिकल कालेजों की संख्या		सीटों की कुल संख्या		मेडिकल कालेजों की संख्या		सीटों की कुल संख्या		मेडिकल कालेजों की संख्या		सीटों की कुल संख्या	
	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी
आंध्र प्रदेश	–	4	–	550	1	–	150	–					2	–	200	–
कर्नाटक	–	1	–	100	3	1	300	150	3	–	–	300				
केरल	–	1	–	50	–	3	–	300	–	–	–	–	–	2	–	200
महाराष्ट्र	–	1	–	100	–	–	–	–	–	1	–	100	–	1	–	100
मध्य प्रदेश	–	1	–	150					–	1	–	150				
उड़ीसा	–	1	–	100					–	2	–	200	1	4	100	600
तमिलनाडु	1	1	100	150	1	2	100	250								
त्रिपुरा	1	–	100	–	–	1	–	100								
उत्तर प्रदेश	–	1	–	100	1	2	100	200	–	–	–	–	–	3	–	300
छत्तीसगढ़					1	–	50	–								
पांडिचेरी					–	2	–	300	–	1	150					
पंजाब					–	1	–	150	–	1	100					
उत्तराखंड					–	1	–	100	–	–	–	–	1	–	100	–
दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	100
बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	100
पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	150
राजस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	250
कुल	2	11	200	1300	7	13	700	1500	3	6	250	750	4	15	400	1800

विवरण II

शैक्षिक सत्र 2005-06 के दौरान स्थापित डेंटल कालेजों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	सरकारी		निजी		कुल योग	
		डेंटल कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता	डेंटल कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता	डेंटल कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	1	100	1	100
2.	छत्तीसगढ़	0	0	2	200	2	200

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	गुजरात	0	0	2	200	2	200
4.	हरियाणा	0	0	1	100	1	100
5.	मध्य प्रदेश	0	0	2	160	2	160
6.	महाराष्ट्र	0	0	1	100	1	100
7.	उड़ीसा	0	0	1	60	1	60
8.	पंजाब	0	0	1	100	1	100
9.	राजस्थान	0	0	1	100	1	100
10.	तमिलनाडु	0	0	1	100	1	100
11.	उत्तर प्रदेश	0	0	4	400	4	400
12.	केरल	0	0	2	80	2	80
	कुल	0	0	19	1700	19	1700

शैक्षिक सत्र 2006-07 के दौरान स्थापित डेंटल कालेजों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	सरकारी		निजी		कुल योग	
		डेंटल कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता	डेंटल कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता	डेंटल कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	3	250	3	250
2.	छत्तीसगढ़	0	0	1	100	1	100
3.	चंडीगढ़	1	100	0	0	1	100
4.	गुजरात	0	0	2	200	2	200
5.	हरियाणा	0	0	2	200	2	200
6.	जम्मू-कश्मीर	0	0	1	100	1	100
7.	कर्नाटक	0	0	1	100	1	100
8.	केरल	0	0	5	250	5	250
9.	मध्य प्रदेश	0	0	3	300	3	300
10.	महाराष्ट्र	0	0	4	400	4	400
11.	उड़ीसा	0	0	2	200	2	200

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	पांडिचेरी	0	0	1	100	1	100
13.	राजस्थान	0	0	2	200	2	200
14.	तमिलनाडु	0	0	1	50	1	50
15.	उत्तर प्रदेश	0	0	5	500	5	500
16.	उत्तरांचल	0	0	1	100	1	100
	कुल	1	100	34	3050	35	3150

शैक्षिक सत्र 2007-08 के दौरान स्थापित डेंटल कालेजों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	सरकारी		निजी		कुल योग	
		डेंटल कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता	डेंटल कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता	डेंटल कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता
1.	झारखंड	0	0	3	300	3	300
2.	जम्मू-कश्मीर	1	50	0	0	1	50
3.	केरल	0	0	6	300	6	300
4.	मध्य प्रदेश	0	0	1	100	1	100
5.	महाराष्ट्र	0	0	3	300	3	300
6.	उड़ीसा	0	0	1	100	1	100
7.	पंजाब	0	0	1	100	1	100
8.	तमिलनाडु	0	0	10	850	10	850
9.	उत्तरांचल	0	0	1	100	1	100
10.	पश्चिम बंगाल	0	0	1	100	1	100
	कुल	1	50	27	2250	28	2300

विवरण III

नर्सिंग कालेजों की संख्या - 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	सरकारी	निजी	कुल	प्रवेश क्षमता
1	2	3	4	5	5
1.	अंडमान और निकोबार				
2.	आंध्र प्रदेश	3	104	107	5350

1	2	3	4	5	5
3.	असम	1	2	3	150
4.	अरुणाचल प्रदेश			0	0
5.	बिहार			0	0
6.	चंडीगढ़	1		1	50
7.	छत्तीसगढ़	1	8	9	450
8.	दमन और दीव			0	0
9.	दादरा और नगर हवेली			0	0
10.	दिल्ली	3	2	5	250
11.	गुजरात	1	4	5	250
12.	गोवा	1	1	2	100
13.	हरियाणा	1	2	3	150
14.	हिमाचल प्रदेश			0	0
15.	जम्मू-कश्मीर			0	0
16.	झारखंड			0	0
17.	कर्नाटक	2	235	237	11850
18.	केरल	3	56	59	2950
19.	लक्षद्वीप			0	0
20.	मध्य प्रदेश	1	22	23	1150
21.	महाराष्ट्र	2	21	23	1150
22.	मणिपुर			0	0
23.	मेघालय	1		1	50
24.	मिजोरम	2		2	100
25.	नागालैंड			0	0
26.	उड़ीसा	1	7	8	400
27.	पांडिचेरी		5	5	250
28.	पंजाब	3	16	19	950
29.	राजस्थान	1	4	5	250
30.	सिक्किम	1		1	50

1	2	3	4	5	5
31.	तमिलनाडु	2	47	49	2450
32.	त्रिपुरा			0	0
33.	उत्तर प्रदेश		6	6	300
34.	उत्तरांचल		2	2	100
35.	पश्चिम बंगाल	1	4	5	250
	कुल	32	548	580	29000

शैक्षिक सत्र 2008-09 के दौरान स्थापित डेंटल कालेजों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	सरकारी		निजी		कुल योग	
		डेंटल कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता	डेंटल कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता	डेंटल कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता
1.	आंध्र प्रदेश	1	100	0	0	1	100
2.	छत्तीसगढ़	0	0	1	100	1	100
3.	कर्नाटक	1	50	0	0	1	50
4.	मध्य प्रदेश	0	0	2	200	2	200
5.	महाराष्ट्र	0	0	4	350	4	350
6.	पंजाब	0	0	1	100	1	100
7.	राजस्थान	0	0	2	200	2	200
8.	तमिलनाडु	0	0	1	100	1	100
9.	उत्तर प्रदेश	1	50	2	100	3	150
	कुल	3	200	13	1150	16	1350

नर्सिंग कालेजों की संख्या - 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	सरकारी	निजी	कुल	प्रवेश क्षमता
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार	0	0	0	-
2.	आंध्र प्रदेश	6	161	167	8026
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6
4.	असम	1	3	4	140
5.	बिहार	0	0	0	–
6.	चंडीगढ़	1	0	1	–
7.	छत्तीसगढ़	1	9	10	540
8.	दिल्ली	3	4	7	285
9.	गोवा	1	2	3	95
10.	गुजरात	2	6	8	150
11.	हरियाणा	1	10	11	520
12.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	–
13.	जम्मू-कश्मीर	1	1	2	–
14.	झारखंड	1	0	1	50
15.	कर्नाटक	2	283	285	13550
16.	केरल	5	78	83	3800
17.	मध्य प्रदेश	1	41	42	2185
18.	महाराष्ट्र	3	40	43	1605
19.	मणिपुर	0	0	0	–
20.	मेघालय	1	0	1	50
21.	मिजोरम	2	0	2	63
22.	नागालैंड	0	0	0	0
23.	उड़ीसा	1	11	12	560
24.	पांडिचेरी	0	6	6	340
25.	पंजाब	3	27	30	1420
26.	राजस्थान	1	17	18	476
27.	सिक्किम	1	0	1	30
28.	तमिलनाडु	2	78	80	3400
29.	त्रिपुरा	0	0	0	–
30.	उत्तर प्रदेश	0	6	6	280
31.	उत्तरांचल	0	5	5	155
32.	पश्चिम बंगाल	2	4	6	220
	कुल योग	42	792	834	37940

नर्सिंग कालेजों की संख्या - 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	सरकारी	निजी	कुल	प्रवेश क्षमता
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार				
2.	आंध्र प्रदेश	6	191	197	9966
3.	असम	2	6	8	380
4.	अरुणाचल प्रदेश			0	0
5.	बिहार			0	0
6.	चंडीगढ़	1		1	60
7.	छत्तीसगढ़	1	24	25	1070
8.	दमन और दीव			0	0
9.	दादरा व नगर हवेली			0	0
10.	दिल्ली	3	5	8	395
11.	गुजरात	3	8	11	520
12.	गोवा	1	2	3	96
13.	हरियाणा	1	13	14	680
14.	हिमाचल प्रदेश	0	1	1	60
15.	जम्मू-कश्मीर	1	1	2	75
16.	झारखंड	1	0	1	50
17.	कर्नाटक	6	295	301	15090
18.	केरल	5	83	88	4560
19.	लक्षद्वीप			0	0
20.	मध्य प्रदेश	1	68	69	3480
21.	महाराष्ट्र	3	57	60	2675
22.	मणिपुर			0	0
23.	मेघालय	1	0	1	50
24.	मिजोरम	2		2	63
25.	नागालैंड			0	0
26.	उड़ीसा	1	12	13	620

1	2	3	4	5	6
27.	पांडिचेरी	0	7	7	530
28.	पंजाब	3	48	51	2513
29.	राजस्थान	1	54	55	2275
30.	सिक्किम	1	0	1	30
31.	तमिलनाडु	2	114	116	6085
32.	त्रिपुरा		1	1	60
33.	उत्तर प्रदेश	1	10	11	480
34.	उत्तरांचल	0	5	5	195
35.	पश्चिम बंगाल	4	5	9	345
	कुल	51	1010	1061	52400

श्रीलंका की नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर हमले

1404. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन:**
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीलंका की नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर निरंतर हमले किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनमें कितने मछुआरे मारे गए हैं अथवा बंदी बनाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी करने अथवा उनको पकड़े जाने की कई घटनाएं हुई हैं। ये घटनाएं तब हुई हैं जब भारतीय मछुआरे श्रीलंकाई समुद्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा-रेखा के दक्षिण में मछली पकड़ रहे थे। उपलब्ध सूचना के अनुसार जनवरी, 2008 से 6 भारतीय मछुआरों की हत्या की गई तथा 1435 भारतीय मछुआरों को पकड़ा गया है तथा कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के पश्चात् उनको रिहा कर दिया गया।

(ग) भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ हमारे मछुआरों की सुरक्षा के प्रश्न को हमेशा प्राथमिकता के आधार पर उठाया है। हालांकि अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) का सम्मान करना हमारे मछुआरों के लिए महत्वपूर्ण है परंतु श्रीलंकाई नौसेना द्वारा संयम बरते जाने, हमारे मछुआरों पर गोलीबारी से बचने तथा उनके साथ मानवीय तरीके से व्यवहार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। जब भी श्रीलंकाई प्राधिकारियों द्वारा भारतीय मछुआरों को उनकी नावों के साथ पकड़ा गया है, सरकार ने हस्तक्षेप किया है तथा उनको रिहा करवाया है तथा उनको भारत प्रत्यावर्तित किया है।

[हिन्दी]

सीजीएचएस औषधालय

1405. **श्री संजय धोत्रे:**
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र सहित देश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) औषधालयों का राज्य-वार, स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

दिल्ली

एलोपैथिक औषधालय

	औषधालय का नाम
1.	गोल मार्किट
2.	पंडारा रोड
3.	दिल्ली कैंट
4.	मिंटो रोड
5.	पहाड़गंज
6.	सब्जी मण्डी
7.	तिमारपुर
8.	चांदनी चौक
9.	लोधी रोड-I
10.	लोधी रोड-II
11.	लाजपत नगर
12.	किदवाई नगर
13.	सरोजिनी नगर-I
14.	सरोजिनी नगर-II
15.	लक्ष्मीबाई नगर
16.	मोती बाग
17.	विकासपुरी (जनकपुरी I औषधालय भवन में कार्यरत)
18.	पूसा रोड
19.	देव नगर
20.	पटेल नगर-I
21.	नेताजी नगर
22.	पुल बंगश (अस्थायी तौर पर बन्द)
23.	चाणक्यापुरी
24.	कस्तूरबा नगर-I
25.	केन्द्रीय सचिवालय
26.	तिलक नगर
27.	प्रैजिडेंट एस्टेट
28.	दरियागंज
29.	नानकपुरा
30.	नारौजीनगर
31.	नार्थ एवेन्यू
32.	साउथ एवेन्यू
33.	कंस्टीट्यूशन हाऊस
34.	टेलिग्राफ लेन
35.	सरोजिनी नगर मार्किट
36.	मोती नगर (अस्थायी रूप से बन्द)
37.	श्रीनिवासपुरी
38.	पटेल नगर-II
39.	एंड्रयूज गंज
40.	जंगपुरा
41.	मालवीय नगर
42.	कालका जी-I
43.	आर.के. पुरम-I
44.	डा. जाकिर हुसैन रोड
45.	न्यू राजेन्द्र नगर
46.	आर.के. पुरम-II
47.	हौज खास
48.	हरि नगर
49.	शाहदरा
50.	आर.के. पुरम-III
51.	चित्रगुप्त रोड
52.	आर.के. पुरम-IV
53.	राजौरी गार्डन
54.	शकूर बस्ती
55.	इन्द्रपुरी
55ए.	नरैणा विहार
56.	जी.के.जी.
57.	आर.के. पुरम-V

58. नांगल राया
59. राजपुर रोड
60. किंग्जवे कैंप
61. जनकपुरी-I
62. अशोक विहार
63. सादिक नगर
64. त्रिनगर
65. एम.बी. रोड
66. पालम कालोनी
67. लक्ष्मी नगर
68. गाजियाबाद
69. मुनिरका
70. फरीदाबाद
71. जे.एन.यू.
72. कस्तूरबा नगर-II
73. गुड़गांव
74. जनकपुरी-II
75. कालकाजी-II
76. गोल मार्किट
77. मयूर विहार
78. दक्षिणपुरी
79. विवेक विहार
80. पश्चिम विहार
81. पीतमपुरा
82. सुन्दर नगर
83. प्रगति विहार
84. यमुना विहार
85. नोएडा
86. रोहिणी
87. दिलशाद गार्डन

आयुर्वेदिक औषधालय/एकक

1. किदवाई नगर औषधालय
2. आर.के. पुरम सेक्टर 12 औषधालय
3. जनकपुरी I औषधालय
4. काली बाड़ी औषधालय
5. नार्थ एवेन्यू औषधालय
6. जंगपुरा एकक
7. एम.बी. रोड एकक
8. गुड़गांव एकक
9. पश्चिम विहार एकक
10. दिल्ली कैंट एकक
11. देव नगर एकक
12. लक्ष्मी नगर एकक
13. किंग्जवे कैम्प एकक
14. अलीगंज आयुर्वेदिक अस्पताल

होम्योपैथिक औषधालय/एकक

1. काली बाड़ी औषधालय
2. आर.के. पुरम सेक्टर 12 औषधालय
3. देव नगर औषधालय
4. तिलक नगर एकक
5. हरि नगर एकक
6. लक्ष्मी नगर एकक
7. शाहदरा एकक
8. तिमारपुर एकक
9. कालका जी I एकक
10. कस्तूरबा नगर I एकक
11. पुष्प विहार एकक
12. आर.के. पुरम सेक्टर III एकक
13. साउथ एवेन्यू एकक

यूनानी औषधालय/एकक

1. सरोजिनी नगर औषधालय
2. दरियागंज एकक
3. साउथ एवेन्यू एकक
4. नरैणा विहार एकक
5. मानसरोवर मार्क यूनिट

सिद्ध एकक

1. लोधी रोड एकक

क्र.सं.	डिस्पेंसरी	पता	पद्धति
1	2	3	4
अहमदाबाद			
1.	सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी नं. 1	कांशीविश्वनात महादेव ट्रस्ट बिल्डिंग, आट साइड शाहपुर गेट, शाहपुर, अहमदाबाद	एलोपैथी आयुर्वेदिक होमियोपैथी
2.	सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी नं. 2	ए.जी. स्टाफ क्वाटर एफ कालोनी, नं. 34/284-284, सहलाम, अहमदाबाद	एलोपैथी आयुर्वेदिक
3.	सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी नं. 3	1-जीवन प्रकाश सोसाइटी नियर सेंट-एक्सवायर स्कूल रोड, नवरंग पुरा, अहमदाबाद	एलोपैथी आयुर्वेदिक
4.	सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी नं. 4	एम-49/289-290 प्रगति नगर, नारयन पुरा, अहमदाबाद	एलोपैथी
5.	सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी नं. 5	ए.जी. स्टाफ क्वाटर, ब्लाक नं. 68/1615-1616, मेघानिनगर, अहमदाबाद	एलोपैथी
इलाहाबाद			
1.	सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी नं. 1	41-जवाहरलाल नेहरू रोड, इलाहाबाद	एलोपैथी
2.	सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी नं. 2	4/6 दुरूमांड रोड, इलाहाबाद	एलोपैथी
3.	सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी नं. 3	1130-1131ए, कल्याणी देवर, इलाहाबाद	एलोपैथी
4.	सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी नं. 4	9-बैंक रोड, इलाहाबाद	एलोपैथी
5.	सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी नं. 5	टाइप-11 2, 7 और 8-केन्द्राचल कालोनी, सुलेमान सराय, इलाहाबाद	एलोपैथी
6.	सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी नं. 6	646/38-लिडर रोड, इलाहाबाद	एलोपैथी
7.	सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी नं. 7	97-इंडस्ट्रीयल कालोनी, नेयनी, इलाहाबाद	एलोपैथी
8.	सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी नं. 8	11 फ्लोर संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद	एलोपैथी आयुर्वेदिक होमियोपैथी पोलिक्लिनिक
बंगलौर			
1.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 1	18/1-2 इंफन्ट्री रोड, शिवाजी नगर, बंगलौर	एलोपैथी
	सीजीएचएस यूनानी एकक	-तदैव-	यूनानी
	सीजीएचएस होम्योपैथी एकक	-तदैव-	होम्योपैथी
	सीजीएचएस पोलीक्लिनिक	118-बालाजी काम्प्लैक्स, इंफेन्ट्री रोड, बंगलौर	
2.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 2	मालेश्वरम सहकारी सोसायटी भवन, आठवां क्रास मारगोसा रोड, मालेश्वरम, बंगलौर	एलोपैथी
3.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 3	आराध्य काम्प्लैक्स, वाणी विलास रोड, बंगलौर	एलोपैथी
	सीजीएचएस आयुर्वेदिक एकक-1	-तदैव-	आयुर्वेदिक

1	2	3	4
4.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 4	21-कार स्ट्रीट, उल्सूर, बंगलौर	एलोपैथी
5.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 5	सीपीडब्ल्यूडी क्वार्टरस, गेड नं.-6 सर्विस रोड, विजया नगर, बंगलौर	एलोपैथी
6.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 6	आर.वी. रोड, जयनगर, बंगलौर	एलोपैथी
7.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 7	सीपीडब्ल्यूडी क्वार्टरस, कोरामंगला, बंगलौर	एलोपैथी
8.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 8	सीपीडब्ल्यूडी क्वार्टरस, डामलूर, बंगलौर	एलोपैथी
	आयुर्वेदिक एकक-II	-तदैव-	आयुर्वेदिक
9.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 9	256 - प्रथम क्रास, II, मुख्य गंगा नगर, बंगलौर	एलोपैथी
10.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 10	डीआरडीओ-नगर क्षेत्र सीवी रामन नगर, बंगलौर	एलोपैथी
भोपाल			
1.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी	पुलिस आई.टी. भवन जहांगीराबाद, भोपाल	एलोपैथी
भुवनेश्वर			
1.	डिस्पेंसरी नं. 1	ए.जी. कालोनी एकक-IV भुवनेश्वर	एलोपैथी
2.	डिस्पेंसरी नं. 2	एकक-III खारवैलनगर, भुवनेश्वर	एलोपैथी
चंडीगढ़			
1.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी	सेक्टर-45 यू.टी. पोलोक्लिनिक काम्प्लैक्स, चंडीगढ़	एलोपैथी
चैन्नई			
1.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी-आडयार	जीपीआरए आवास तीसरा मुख्य सड़क इंदिरा नगर आडयार, चैन्नई	एलोपैथी
2.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी-आवाड़ी	भारी वाहन फैक्टरी काम्प्लैक्स, आवाड़ी, चैन्नई	एलोपैथी
3.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी-आन्ना नगर	केन्द्रीय राजस्व आवास सं. 15 रंगनन्दन बाग, आन्नानगर, चैन्नई	एलोपैथी पोलोक्लिनिक होम्योपैथी
4.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी-गोपालपुरम	1 स्ट्रीट, गोपालपुरम, चैन्नई	एलोपैथी
5.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी-गुएन्डी	ब्लाक नं. 6/1-5, बी.सी.जी. स्टाफ क्वार्टस, गुएन्डी	एलोपैथी आयुर्वेदिक
6.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी-के.के. नगर	जीपीआरए काम्प्लैक्स, सीपीडब्ल्यूडी क्वार्टरस, के.के. नगर, चैन्नई	एलोपैथी पोलीक्लिनिक सिद्ध
7.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी, मीनाबक्कम	डीजीक्यूए काम्प्लैक्स, चैन्नई	एलोपैथी
8.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी, नंदाबक्कम	क्वार्टर नं. 16-19 सीडीए रिहायसी काम्प्लैक्स नंदाबक्कम	एलोपैथी

1	2	3	4
9.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी, ननगामबक्कम	सी और बी ब्लाक, प्रथम तल, शास्त्री भवन, चैन्नई	एलोपैथी
10.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी, पैराम्बूर	नं. 28 पैराम्बूर, हाई रोड पैराम्बूर, चैन्नई	एलोपैथी
11.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी आर.ए. पुरम	नं. 6 कामराज सालाए आर ए पुरम, चैन्नई	एलोपैथी
12.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी, रोयापुरम	नं. 108-109 मान्नार स्वामी कोईल स्ट्रीट, रायपुरम	एलोपैथी
13.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी, ट्रिप्लिकेन	नं. 54, अकबर साहिब स्ट्रीट ट्रिप्लिकेन, चैन्नई	एलोपैथी
14.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी, विपरी	नं. 143, पैराम्बूर, बैरक रोड, विपरी, चैन्नई	एलोपैथी
देहरादून			
1.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी	20-नवयुग इंक्लेव, इंदिरापुरम चरण-III, मिलन विहार, जी.एम.एस. रोड, देहरादून	एलोपैथी
गुवाहाटी			
1.	डिस्पेंसरी नं. 1	श्रीमन्त शंकरदेव नगर आवासन कालोनी के पास, हैंगरबारी, गुवाहाटी	एलोपैथी होम्योपैथी
2.	डिस्पेंसरी नं. 2	नं.-1 मातधारिया फारिस्ट गेट, नरैंगी, गुवाहाटी	एलोपैथी
3.	डिस्पेंसरी नं. 3	आर.के. चौधरी रोड रेलवे गेट के पास, भारलमुख, गुवाहाटी	एलोपैथी
हैदराबाद			
1.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 1 यूनानी एकक 1	मकान नं. 23-1-698/-1 मंगोलपुरा, चारमीनार, हैदराबाद	एलोपैथी यूनानी
2.	सीजीएचएस औषधालय नं. 2	मकान नं. 10-3/273/10, हूमायुं नगर, हैदराबाद	एलोपैथी आयुर्वेदिक
3.	सीजीएचएस औषधालय नं. 3	मकान नं. 6-1-103/5 और 6/1 पदमारावनगर, सिकंदराबाद	एलोपैथी
4.	सीजीएचएस औषधालय नं. 4 आयुर्वेदिक यूनिट-1 होम्योपैथिक यूनिट-1 पोलीक्लिनिक नं.-1	केन्द्रीय स्वास्थ्य भवन बेगमपेट, हैदराबाद	एलोपैथी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक पोलीक्लिनिक
5.	सीजीएचएस औषधालय नं. 5	तैलब्रीज निदेशालय आवास, कृषि और सहकारिता मंत्रालय, हिमायतनगर, हैदराबाद	एलोपैथी
6.	सीजीएचएस औषधालय नं. 6 यूनानी यूनिट-2	केन्द्रीय सदन सुल्तान बाजार कोटि हैदराबाद	एलोपैथी यूनानी
7.	सीजीएचएस औषधालय नं. 7	मकान नं. 16-3-991/ए/1, माल्कपेट, हैदराबाद	एलोपैथी

1	2	3	4
8.	सीजीएचएस औषधालय नं. 8	डी.आर.डी.ओ. कैम्पस कंचनबाग, हैदराबाद	एलोपैथी
9.	सीजीएचएस औषधालय नं. 9	मकान नं. 5-1101 पुराना अलवल सिकंदराबाद	एलोपैथी
10.	सीजीएचएस औषधालय नं. 10	एजी कार्यालय स्टाफ क्वार्टर यूसूफगुडा हैदराबाद	एलोपैथी
11.	सीजीएचएस औषधालय नं. 11	मकान नं. 9-4-84/00 काकतीय नगर, हैदराबाद	एलोपैथी
12.	सीजीएचएस औषधालय नं. 12	मकान नं. 77-2/ए बालाजी काम्प्लैक्स, दिलसुख नगर, हैदराबाद	एलोपैथी
13.	सीजीएचएस औषधालय नं. 13	मकान नं. 12-13-69, तरनाका, हैदराबाद	एलोपैथी
14.	होम्योपैथिक एकक नं. 2	के.जी. कार्यालय सैफाईबाद, हैदराबाद	होम्योपैथिक
15.	पोलीक्लिनिक नं. 2	केन्द्रीय उत्पाद भवन, बासीरबाग, हैदराबाद	पोलीक्लिनिक
जबलपुर			
1.	सीजीएचएस औषधालय नं. 1	249-नेपियार नगर, शास्त्री पुर चौक, यू.टी.आई. बैंक की बगल में, जबलपुर	एलोपैथी
2.	सीजीएचएस औषधालय नं. 2	क्वार्टर नं. 9-12, टाइप-III, आईबीएम कालोनी, कमलानेहरू नगर, जबलपुर	एलोपैथी
3.	सीजीएचएस औषधालय नं. 3	640-सिविल लाइन; सिविल लाइन, पुलिस थाना, के पीछे, जबलपुर	एलोपैथी
जयपुर			
1.	सीजीएचएस औषधालय नं. 1	चंदन महल चौड़ा रास्ता जयपुर	एलोपैथी
2.	सीजीएचएस औषधालय नं. 2	बी-121, जनता कालोनी, जयपुर	एलोपैथी
3.	सीजीएचएस औषधालय नं. 3	प्रथम तल, एजी कालोनी, बजाज नगर, जयपुर	एलोपैथी
4.	सीजीएचएस औषधालय नं. 4	डी-143/ए-2, कौशल्यापथ, बसंत मार्ग, बानीपार्क, जयपुर	एलोपैथी
5.	सीजीएचएस औषधालय नं. 5	आयकर कालोनी ज्योति नगर जयपुर	एलोपैथी
6.	सीजीएचएस पोलीक्लिनिक	भूतल ए जी कालोनी बजाज नगर, जयपुर	एलोपैथी
कानपुर			
1.	सीजीएचएस औषधालय नं. 1	15/45, ए बी और सी सिविल लाइन, कानपुर	एलोपैथी होम्योपैथिक
2.	सीजीएचएस औषधालय नं. 2	924-ए डब्ल्यू-1 ब्लाक, जूहीकला, साकेतनगर, कानपुर	एलोपैथी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक
3.	सीजीएचएस औषधालय नं. 3	110/58, आर.के. नगर, कानपुर	एलोपैथी
4.	सीजीएचएस औषधालय नं. 4	128/123 'एच' ब्लाक किदवई नगर, कानपुर	एलोपैथी

1	2	3	4
5.	सीजीएचएस औषधालय नं. 5	ई-15, खपरा मोहाल, कानपुर	एलोपैथी
6.	सीजीएचएस औषधालय नं. 6	प्लाट नं. 89, गांधीग्राम, कानपुर	एलोपैथी
7.	सीजीएचएस औषधालय नं. 7	117/एच-2/28 पांडु नगर, कानपुर	एलोपैथी
8.	सीजीएचएस औषधालय नं. 8	2ए/186, आजाद नगर, कानपुर	एलोपैथी
9.	सीजीएचएस औषधालय नं. 9	जैड-1/155, बारा, कानपुर	एलोपैथी
कोलकाता			
1.	सीजीएचएस औषधालय नं. 1	फ्लैट सं. 68, बेलवेडेर इस्टेट, कोलकाता	एलोपैथी
2.	सीजीएचएस औषधालय नं. 2	लेक गवर्नमेंट क्वार्टर्ज फ्लैट नं. 55-56, साउदर्न एवेन्यू, कोलकाता	एलोपैथी
3.	सीजीएचएस औषधालय नं. 3	फ्लेट नं. 2/डी, डावर लेन गवर्नमेंट क्वार्टर्ज	एलोपैथी
4.	सीजीएचएस औषधालय नं. 4	फ्लेट नं. 27-28, नारकेलडंगा गवर्नमेंट क्वार्टर्ज, कोलकाता	एलोपैथी
5.	सीजीएचएस औषधालय नं. 5 (प्रयोगशाला सहित)	7-ए, कालाचांद सन्याल लेन, श्याम बाजार, कोलकाता	एलोपैथी
6.	सीजीएचएस औषधालय नं. 6 (प्रयोगशाला सहित)	102, रिचेंट इस्टेट, कोलकाता	एलोपैथी
7.	सीजीएचएस औषधालय नं. 7 (प्रयोगशाला सहित) और होम्योपैथी यूनिट	1-ए, सतीश मुखर्जी रोड, भोवानीपुर, कालीघाट, कोलकाता	एलोपैथी होम्योपैथी
8.	सीजीएचएस औषधालय नं. 8	168-बिधान सारानी, कोलकाता	एलोपैथी
9.	सीजीएचएस औषधालय नं. 9	9-मिंट गार्ड हाउस, मिंट कालोनी, कोलकाता	एलोपैथी
10.	सीजीएचएस औषधालय नं. 10	39-रबीन्द्र सारानी, कोलकाता	एलोपैथी
11.	सीजीएचएस औषधालय नं. 11	भारत सरकार मुद्रणालय कालोनी, संतरागाजी, हावड़ा, कोलकाता	एलोपैथी
12.	सीजीएचएस औषधालय नं. 12	बिधान नगर, साल्ट लेक, ब्लाक एएफ, सेक्टर-1, फ्लेट नं. 209-210, कोलकाता	एलोपैथी
13.	सीजीएचएस औषधालय नं. 13 (प्रयोगशाला सहित)	न्यू क्वार्टर्स दमदम एयरपोर्ट, कोलकाता	एलोपैथी
14.	सीजीएचएस औषधालय नं. 14	पी-112, कालिन्दी हाउसिंग स्कीम, लेक टाउन, कोलकाता	एलोपैथी
15.	सीजीएचएस औषधालय नं. 15	टोलीगंज सेंट्रल गवर्नमेंट क्वार्टर्स कम्प्लेक्स, जी.एफ. टाइप-II, कोलकाता	एलोपैथी

1	2	3	4
16.	सीजीएचएस औषधालय नं. 16	क्वार्टर्स नं. 81-82, टाइप 'सी', साल्ट लेक (ईबी), कोलकाता	एलोपैथी
17.	सीजीएचएस औषधालय नं. 17	51-ए, गंगापुरी, पुरबापुटियारी, गुडघाट, कोलकाता	एलोपैथी आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथी
	पालिक्लिनिक प्रयोगशाला सहित	1-सी, ब्लाक, साल्ट, कोलकाता	पोलिक्लिनिक प्रयोगशाला सहित
लखनऊ			
1.	सीजीएचएस औषधालय नं. 1	मेवा नर्सरी निशात गंज, लखनऊ	एलोपैथी
2.	सीजीएचएस औषधालय नं. 2 पालिक्लिनिक	स्काईलार्क बिल्डिंग, एन.के. रोड, हजरतगंज, लखनऊ	एलोपैथी
3.	सीजीएचएस औषधालय नं. 3	21, पटेल नगर आलमबाग, लखनऊ	एलोपैथी
4.	सीजीएचएस औषधालय नं. 4	नजीर बिल्डिंग नाक्खास मार्किट, लखनऊ	एलोपैथी
5.	सीजीएचएस औषधालय नं. 5	12-बी, माल एवेन्यू, लखनऊ	एलोपैथी
6.	सीजीएचएस औषधालय नं. 6	एचएस/10-सीतापुर रोड योजना, लखनऊ	एलोपैथी
मेरठ			
1.	सीजीएचएस औषधालय नं. 1	171/V-अबू लेन, मेरठ कैंट, मेरठ	एलोपैथी आयुर्वेदिक
2.	सीजीएचएस औषधालय नं. 2	124, आवास विकास कालोनी, मोहनपुरी, मेरठ	एलोपैथी
3.	सीजीएचएस औषधालय नं. 3	154, विजय नगर, डब्ल्यू.के. रोड, मेरठ	एलोपैथी होम्योपैथी
4.	सीजीएचएस औषधालय नं. 4	डीएड क्वार्टर्स, लेखा नगर, रूड़की रोड, मेरठ	एलोपैथी मिनी पैथोलोजी लेब
5.	सीजीएचएस औषधालय नं. 5	शारदा पुरी, कांकेर खेरा, मेरठ	एलोपैथी
6.	सीजीएचएस औषधालय नं. 6	एस.के. रोड, स्वास्थ्य भवन, सूरज कुंड रोड, मेरठ	एलोपैथी पैथोलोजी लेब
मुम्बई			
1.	सीजीएचएस औषधालय नं. 1	सीजीओ बिल्डिंग, एम.के. रोड, मुम्बई	एलोपैथी होम्योपैथी
2.	सीजीएचएस औषधालय नं. 2	इंकम टेक्स फ्लैट्स, पेड्डर रोड, मुम्बई	एलोपैथी
3.	सीजीएचएस औषधालय नं. 3	25-सी, सी फेस, अपोजिट फलोरा होटल, थादानी मार्ग, वर्ली, मुम्बई	एलोपैथी
4.	सीजीएचएस औषधालय नं. 4	बिल्डिंग-13, मिंटी कालोनी, टाइप-1 क्वार्टर माहीम, मुम्बई	एलोपैथी
5.	सीजीएचएस औषधालय नं. 5	नियर एयरपोर्ट कालोनी, सांताक्रूज, मुम्बई	एलोपैथी आयुर्वेदिक
6.	सीजीएचएस औषधालय नं. 6	फ्लैट नं. 25, सीजीएस कालोनी, घाटकोपार, मुम्बई	एलोपैथी होम्योपैथी

1	2	3	4
7.	सीजीएचएस औषधालय नं. 7	सीजीएस टाइप-IV क्वार्टर्स, फ्लैट 226-227, वाडाला, मुंबई	एलोपैथी
	सीजीएचएस डेंटल यूनिट	सीजीएचएस क्वार्टर्स, फ्लैट नं. 148, टाइप-2, वाडाला	
8.	सीजीएचएस औषधालय नं. 8	बिल्डिंग नं. 21-सेक्ट.-1, काने नगर, कोलीवाडा, मुम्बई	एलोपैथी
	सीजीएचएस पालिक्लिनिक	बिल्डिंग नं. 221-सेक्ट. 1, काने नगर, कोलीवाडा, मुम्बई	पालिक्लिनिक
9.	सीजीएचएस औषधालय नं. 9	सेंट्रल लेबल इंस्टीट्यूट परमिसिस, ट्राम्बे रोड, सियोन, मुंबई	एलोपैथी
10.	सीजीएचएस औषधालय नं. 10	प्लाट नं. 215, 31वां रोड, बांद्रा सदन एनेक्सी, बांद्रा, मुंबई	एलोपैथी
11.	सीजीएचएस औषधालय नं. 11	खान मानसियोन, फ्लैट नं. 1, विक्टोरिया रोड, बाईकुल्ला, मुम्बई	एलोपैथी
12.	सीजीएचएस औषधालय नं. 14	पी. एंड टी. कालोनी, वाकोला, मुम्बई	एलोपैथी
13.	सीजीएचएस औषधालय नं. 15 (प्रयोगशाला सहित)	देयोनार, पी.ओ. बिल्डिंग, टेलीकाम फैक्टरी कम्प्लेक्स, देयोनार, मुंबई	एलोपैथी
14.	सीजीएचएस औषधालय नं. 16	टाइप-3 ओसीएस क्वार्टर्स सं. 230-मोगुल लेन, माटुंगा, माहीम, मुम्बई	एलोपैथी
15.	सीजीएचएस औषधालय नं. 17	फ्लैट नं. 3231-322, टाइप-IV सीजीएचएस क्वार्टर्स, भान्डुप, मुम्बई	एलोपैथी
16.	सीजीएचएस औषधालय नं. 18	फ्लैट नं. 81-83, टाइप-3, ओसीएस क्वार्टर्स, विखरोली, मुम्बई	एलोपैथी
17.	सीजीएचएस औषधालय नं. 19	बिल्डिंग नं. बी-2, टाईप-2 पी और टी कालोनी, मुलून्ड (पश्चिमी), मुंबई	एलोपैथी
18.	सीजीएचएस औषधालय नं. 20	सिद्धार्थ नगर, बिल्डिंग नं. 38-के पास सम्राट ताकीस, गोरेगांव, मुंबई	एलोपैथी
19.	सीजीएचएस औषधालय नं. 21	पी और टी कालोनी, सहार, मुंबई	एलोपैथी
20.	सीजीएचएस औषधालय नं. 22	शेख मिस्त्री प्लाट, कोलिवाडा, मुंबई	एलोपैथी आयुर्वेदिक होमियोपैथी
21.	सीजीएचएस औषधालय नं. 23	गर्व. मिंट कालोनी, बिल्डिंग नं. 20, फी-41-43, साईं बाबा मार्ग, परेल, मुंबई	एलोपैथी

1	2	3	4
22.	सीजीएचएस औषधालय नं. 24	नवल अपार्टमेंट डेपो कैंपस, कन्जुरमार्ग, पावाई, मुंबई	एलोपैथी
23.	सीजीएचएस औषधालय नं. 25	बिल्डिंग नं. 10-12 इन्कम टैक्स मुंबई कालोनी, जोगेश्वरि (ईस्ट)	एलोपैथी
24.	सीजीएचएस औषधालय नं. 26	सीप्ज क्वार्टर्स काम्प्लेक्स, क्यू. नं. डी-2 अंधेरी (ईस्ट), मुंबई	एलोपैथी
25.	सीजीएचएस सूबे डिस्पेंसरी	टेलीकाम काम्प्लेक्स, जुहू रोड, जुहू, मुंबई	एलोपैथी
26.	सीजीएचएस सूबे डिस्पेंसरी	नेपीन सी रोड, हैदराबाद एस्टेट, एन.एस. रोड, मुंबई	एलोपैथी
27,	सीजीएचएस पॉलीक्लिनिक	कामर्स हाउस, करीमभय स्ट्रीट ब्लार्ड एस्टेट, मुंबई	एलोपैथी
नागपुर			
1.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 1 पालीक्लिनिक	सीपीडब्ल्यूडी कटोल रोड, नागपुर	एलोपैथी एलोपैथी
2.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 2 होमियोपैथी युनिट आयुर्वेदिक युनिट-आई	सीपीडब्ल्यूडी सिवील लाईन्स, नागपुर	एलोपैथी होमियोपैथी आयुर्वेदिक
3.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 2-ए	स्वास्थ्य भवन, सेमिनरी हिल्स, नागपुर	एलोपैथी
4.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 3	कमल तॉकीस स्क्वेर, अशोक नगर, पंच पाओली, नागपुर	एलोपैथी
5.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 4	क्ता कालोनी, बगडगन्ज, इटवरी, नागपुर	एलोपैथी
6.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 5 आयुर्वेदिक युनिट-2	मेडिकल स्क्वेर, पुरोहित बिल्डिंग, नागपुर	एलोपैथी आयुर्वेदिक
7.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 6	शंकर नगर के सामने लाड कालेज, ना. रोड, नागपुर	एलोपैथी
8.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 7	सिताबूलदी पी और टी बिल्डिंग, आरबीआई स्कवा, नागपुर	एलोपैथी
9.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 8	साई मंदिर, लक्ष्मण अप्त. वर्धा रोड, नागपुर	एलोपैथी
10.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 9	सक्करधारा, बंसी लाल चौधरी बिल्डिंग, तिरंगा चौक, नागपुर	एलोपैथी
11.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 10	नदी कैंपस चिंदवार रोड, नागपुर	एलोपैथी

1	2	3	4
पटना			
1.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 1 पालीक्लिनिक डेन्टल यूनिट	लैंद डेवलपमेंट बैंक, बुद्धमार्ग, पटना	एलोपैथी एलोपैथी डेन्टल
2.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 2	जी-3, पीपलएस को-ओपरेटिव कालोनी, कन्करबाग, पटना	एलोपैथी
	होमियोपैथी युनिट	जी-3, पीपलएस को-ओपरेटिव कालोनी, कन्करबाग, पटना	होमियोपैथी
	आयुर्वेदिक युनिट	जी-3, पीपलएस को-ओपरेटिव कालोनी, कन्करबाग, पटना	आयुर्वेदिक
3.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 3	रोड नं. 6-सी राजेन्द्र नगर, पटना	एलोपैथी
4.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 4	कुसुम कुटीर, बोरिंग कनाल रोड, पटना	एलोपैथी
5.	सीजीएचएस सूबे डिस्पेंसरी	सूर्यनचाल, भद्र घाट, पटना	एलोपैथी
6.	फर्स्ट ऐद पोस्ट	सी.आर. कालोनी, शालीमपूर आहरा, पटना	एलोपैथी
पुणे			
1.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 1	ब्लॉ. नं. एल, 2, और 9 बिल्डिंग नंग. 46, दादकॉम्प्लेक्स वनौइरे रेंज, पुणे	एलोपैथी
2.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 2	ग्सी कालोनी, फुलनगर, अलांडी रोड, येरवाडा, पुणे	एलोपैथी
3.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 3 होमियोपैथिक यूनिट-आई	दाद चित्रगुप्त काम्प्लक्स, हिदाययतुलाह रोड, पुणे	एलोपैथी एलोपैथी
4.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 4	233-मंगलवार पेठ, पुणे	एलोपैथी
5.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 5 होमियोपैथिक युनिट-2	अर्मामेन्ट कालोनी, गनेखिंद रोड, पुणे	एलोपैथी एलोपैथी
6.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 6	296-रेंज हिल्स एस्टेट, किर्की, पुणे	एलोपैथी
7.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 7 पालीक्लिनिक आयुर्वेदिक युनिट	स्वास्थ्या सदन, मुकुंद नगर, पुणे	एलोपैथी आयुर्वेदिक
रांची			
1.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 1	नई ए.जी. कालोनी, दोरंदा, रांची	एलोपैथी
2.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 2	दीपवीला, 10-ए, पुरुलिया रोड, कांतातोली, रांची	एलोपैथी
शिलांग			
1.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 1	पी.ओ. लाईटुम्खरा, शिलांग	एलोपैथी
तिरूवनंतपुरम			
1.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 1	3/120-केसवदासपूरम, त्रिवेंद्रम	एलोपैथी

1	2	3	4
2.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 2	ट्क-1259/1 सी.पी. गोपाल पाणिकर लेन, सास्थामंगलम, त्रिवेंद्रम	एलोपैथी
3.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 3	टी.सी. 25/2893-धर्मदेसम लेन, वंचियूर, त्रिवेंद्रम	एलोपैथी
4.	सीजीएचएस आयुश और होमियोपैथी डिस्पेंसरी	सीजीओ क्वाटर्स सीजी लोत्री, मेलेतुमेले, वटियूवि और पी.ओ. त्रिवेंद्रम	एलोपैथी आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक
जम्मू-कश्मीर			
1.	सीजीएचएस डिस्पेंसरी	सीजीएचएस डिस्पेंसरी, पुलिस हास्पिटल, जम्मू	एलोपैथी

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन

1406. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) इनके लिए कितनी राशि आबंटित एवं व्यय की गई है; और

(घ) तमिलनाडु में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति तथा इनके पूरा किए जाने की निर्धारित तिथि क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के लिए राज्य सरकारों से 6999.61 करोड़ रुपए के 1788 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और स्वीकृत किए गए हैं। दिनांक 01.10.2008 की स्थिति के अनुसार इनमें से 808 कार्य पूरे कर लिए गए हैं और 980 कार्य प्रगति पर हैं। चालू वर्ष 2008-09 के दौरान 5099.21 करोड़ रुपए के 707 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इनमें से अब तक 1910.45 करोड़ रुपए के 269 कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं।

(ग) धनराशि का आबंटन राज्य-वार किया जाता है न कि परियोजना-वार। गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आबंटन और व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) तमिलनाडु में जारी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	अनंतिम व्यय	30.09.2008 तक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	70.00	69.65	58.41	58.06	76.00	75.89	90.00	81.56
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.00	6.00	8.30	8.29	6.00	5.65	6.00	0.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	58.00	58.00	77.25	76.49	86.00	85.24	86.00	16.04
4.	बिहार	65.00	64.92	97.20	97.13	83.00	82.89	80.00	36.35
5.	चंडीगढ़	1.00	0.89	1.00	0.96	2.00	2.00	2.00	1.51
6.	छत्तीसगढ़	49.70	49.08	37.00	36.19	39.00	38.78	47.00	17.77
7.	दिल्ली	1.00	0.50	3.00	1.47	9.00	8.30	15.00	2.29
8.	गोवा	6.00	6.00	2.95	2.64	15.00	15.00	18.70	17.66
9.	गुजरात	94.50	94.50	60.00	60.00	62.00	62.00	60.00	23.30
10.	हरियाणा	57.42	57.42	64.00	64	81.25	81.24	65.00	46.04
11.	हिमाचल प्रदेश	39.00	39.00	39.50	39.44	57.00	57.00	55.00	33.94
12.	झारखंड	40.00	39.97	34.86	35.00	57.25	57.24	89.00	49.85
13.	कर्नाटक	84.00	84.00	85.00	84.84	99.50	99.48	144.00	121.82
14.	केरल	66.00	65.99	55.00	54.44	50.00	50.00	63.00	31.55
15.	मध्य प्रदेश	74.07	73.58	84.09	82.92	65.00	64.98	65.00	31.40
16.	महाराष्ट्र	112.00	111.93	148.75	148.75	133.79	133.79	146.00	124.86
17.	मणिपुर	20.00	20.00	14.65	14.65	12.00	10.24	40.00	5.56
18.	मेघालय	24.00	24.18	24.50	24.31	22.00	22.33	23.00	19.03
19.	मिजोरम	15.75	15.75	15.53	15.53	15.00	15.00	13.00	8.35
20.	नागालैंड	11.25	11.25	11.82	11.81	12.00	10.20	15.00	6.25
21.	उड़ीसा	66.00	65.77	72.00	72.00	137.50	137.50	138.00	75.31
22.	पुडुचेरी	2.65	2.64	5.00	4.99	7.55	7.49	9.00	0.66
23.	पंजाब	62.50	62.50	72.00	72.00	82.90	82.90	110.00	93.12
24.	राजस्थान	83.00	83.00	75.00	74.38	99.00	98.98	106.00	82.38
25.	तमिलनाडु	86.00	81.80	82.00	79.40	91.25	91.25	104.00	64.56
26.	उत्तर प्रदेश	186.00	185.97	91.40	91.32	130.00	130.00	152.00	110.47
27.	उत्तराखंड	40.00	40.00	52.75	56.64	38.95	38.94	62.00	40.81
28.	पश्चिम बंगाल	56.00	55.75	47.00	46.77	58.00	57.99	71.00	46.35
	जोड़	1476.84	1470.04	1419.95	1410.42	1627.94	1622.30	1874.70	1189.40

विवरण II

तमिलनाडु में जारी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र.सं.	खंड	रारा सं.	प्रस्तावित लंबाई किमी.	पूरी हो चुकी लंबाई किमी.	पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	तोपुरघाटा से तुम्मीपाड़ी (एनएस-25/टीएन)	7	16.60	11.00	मार्च, 2009
2.	तुम्मीपाड़ी से सलेम (एनएस-26/टीएन)	7	19.20	18.10	मार्च, 2009
3.	टिंडीवनम से उलून्दूरपेट (पैकेज-VI-ए)	45	71.25	49.27	अप्रैल, 2009
4.	उलून्दूरपेट से पदलूर (पैकेज-VI-बी)	45	92.75	49.13	जून, 2009
5.	पदलूर से त्रिची (पैकेज-VI-सी)	45	40.00	24.00	मई, 2009
6.	तोवारमकुरची से मदुरै (पैकेज-VII-बी)	45बी	63.89	35.00	मार्च, 2009
7.	त्रिची बाइपास के सिरे से तोवारमकुरची (पैकेज-VII-ए)	45सी	60.95	29.00	मार्च, 2009
8.	चेन्नै बाइपास चरण-II	45A और 5	32.00	15.20	जून, 2009
9.	कृष्णागिरि से तोपुरघाट (एनएस-II/टीएन-1)	7	62.50	55.00	जनवरी, 2009
10.	सलेम से करूर (एनएस-II/टीएन-2)	7	41.55	14.00	जनवरी, 2009
11.	सलेम से करूर (एनएस-II/टीएन-3)	7	33.48	19.50	जनवरी. 2009
12.	करूर से मदुरै (टीएन-4)	7	68.13	21.20	मार्च, 2009
13.	करूर से मदुरै (टीएन-5)	7	53.03	24.50	जनवरी, 2009
14.	मदुरै से मदुरै का 120 किमी.-तिरुनेलवेली खंड और मदुरै बाइपास (एनएस-39)	7	42.00	35.00	मार्च, 2009
15.	मदुरै से कन्याकुमारी खंड (एनएस-40/टीएन)	7	38.86	28.00	मार्च, 2009
16.	मदुरै से कन्याकुमारी खंड (एनएस-41/टीएन)	7	39.51	30.00	मार्च, 2009
17.	सलेम से केरल सीमा खंड (टीएन-6)	47	53.53	23.00	जनवरी, 2009
18.	मदुरै-कन्याकुमारी खंड (एनएस-42/टीएन)	7	42.70	22.50	मार्च, 2009
19.	मदुरै का 120 किमी. - तिरुनेलवेली से पानागुड़ी (किमी. 203) (एनएस-43)	7	43.00	27.80	मार्च, 2009
20.	कन्याकुमारी से पानागुडी (एनएस-32)	7	30.60	6.00	अप्रैल, 2010
21.	सलेम से केरल सीमा खंड (टीएन-7)	47	48.51	31.00	जनवरी, 2009

1	2	3	4	5	6
22.	चार ग्रेड सेपरेटरों के निर्माण के साथ-साथ चेन्नै शहर में स्वर्णिम चतुर्भुज के पहुंच मार्ग का सुधार	205, 4 और 45	4.00	0.00	जनवरी, 2009
23.	करूर से कंग्याम (केसी-1)	67, केसी1	59.20	45.00	मार्च, 2009
24.	कंग्याम से कोयम्बतूर (केसी-2)	67, केसी2	56.20	44.00	मार्च, 2009
25.	चेन्नै से टाडा (6-लेन)	5	43.40	0.00	जून, 2011
26.	पुडुचेरी-टिंडीवनम	66	38.61	0.00	जुलाई, 2010
27.	त्रिची-करूर	67	79.70	0.00	जुलाई, 2010
28.	त्रिची-डिंडीगुल	45	88.27	0.00	जुलाई, 2010
29.	मदुरै-अरपुकोट्टे-तूतीकोरिन	45बी	128.16	0.00	जनवरी, 2010
30.	तंजारूर-त्रिची	67	56.00	6.00	जून, 2009
31.	सलेम-ऊलन्दूरपेट (बीओटी-1/टीएन-06)	68	136.36	0.00	जनवरी, 2011
32.	रारा 45ए के 128/8 किमी. पर आरओबी के निर्माण के लिए साध्यता अध्ययन (तंजावुर मंडल)	45	–	–	मार्च, 2009
33.	रारा 49 विस्तार के उसीलमपत्ती, आंडीपत्ती और बोदी कस्बे के लिए बाइपास के निर्माण हेतु साध्यता अध्ययन/विस्तृत इंजीनियरी/सर्वेक्षण (मदुरै मंडल)	49 ई×टीएन	–	–	मार्च, 2009
34.	रारा 45ए विस्तार के 137/0-151/0 किमी. में ज्यामिती सुधार के लिए भूमि अधिग्रहण (तंडावुर मंडल)	45ए ई×टीएन	–	–	मार्च, 2009
35.	रारा 209 के 36/8 से प्रारंभ और 39/0 किमी. पर समाप्त छत्रपति बाइपास के लिए भूमि अधिग्रहण (मदुरै मंडल)	209	–	–	मार्च, 2009
36.	रारा 9 के 139/8 किमी. पर कोट्टाकरई नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण [रामनद मंडल] स्पैन 15×21.60 मी. (सी/सी) टी-बीम कम स्लैब पुल पाइल फाउंडेशन	210	–	–	मार्च, 2009
37.	रारा 208 पर संयुक्त सिरीविलीपुत्तूर और राजलायम बाइपास के लिए विस्तृत इंजीनियरी (विरुद्धनगर मंडल)	208	–	–	मार्च, 2009
38.	रारा 209 पर इचनारी में 151/4 किमी. पर आरओबी के लिए विस्तृत इंजीनियरी (कोयम्बतूर मंडल)	209	–	–	मार्च, 2009
39.	रारा 209 पर सत्यमंगलम बाइपास के लिए साध्यता अध्ययन और विस्तृत इंजीनियरी तैयार करना (कोयम्बतूर मंडल)	209	–	–	मार्च, 2009

1	2	3	4	5	6
40.	रारा 208 के 153/0-163/0 और 174/0-175/0 किमी. में पेव्ड शोल्डर का निर्माण (विरुद्धनगर मंडल)	208	11/11	0	मार्च, 2009
41.	सड़क सुरक्षा कार्य-रारा 209 के 242/0 से 254/8 किमी. में संरक्षण दीवार का निर्माण (तिंबम घाट खंड) (कोयम्बतूर मंडल)	209	-	-	मार्च, 2009
42.	रारा 8 के 212/2, 214/10 और 215/6 किमी. पुर पुलियों का पुनर्निर्माण और 216/10 और 216/230, 216/390 किमी. (एल/एस) में छोटे पुल के पहुंच मार्गों की संरक्षण दीवार का निर्माण (विरुद्धनगर मंडल)	208	-	-	मार्च, 2009
43.	रारा 209 के 222/0-227/6 किमी. में पेव्ड शोल्डर का निर्माण (कोयम्बटूर मंडल)	209	5.6/5.6	3.86	मार्च, 2009
44.	रारा 209 के 241/2 और 260/10 किमी. पर छोटे पुल का पुनर्निर्माण (कोयम्बतूर मंडल)	209	-		मार्च, 2009
45.	31/0-31/806 किमी. पर संरक्षण कार्य (मदुरै मंडल)	49 ई×टीएन	0.8	0.60	मार्च, 2009
46.	रारा 45ए के 59/2 (1) किमी. पर छोटे पुल और 59/2 (1) किमी.पर विद्यमान छोटे पुल के बदले में 59/2 (2) किमी. पर आरसीसी पुलिया का पुनर्निर्माण (विल्लुपुरम मंडल)	45ए	-	-	मार्च, 2009
47.	रारा 208 के 90/40, 109/4, 127/8, 138/8 और 138/10 किमी. पर छोटे पुलों का निर्माण (तिरूनेलवेली मंडल)	208	-	-	मार्च, 2009
48.	रारा 208 के 136/8 किमी. पर विद्यमान कमजोर और संकरे पुल के स्थान पर छोटे पुल के पुनर्निर्माण (तिरूनेलवेली मंडल)	208	-	-	मार्च, 2009
49.	रारा 209 के 162/4 किमी. पर छोटे पुल का पुनर्निर्माण (कोयम्बतूर मंडल)	209	-	-	मार्च, 2009
50.	रारा 210 के 116/8 किमी. पर उच्चस्तरीय पुल के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण प्राक्कलन, (रामनद मंडल)	210	-	-	मार्च, 2009
51.	रारा 208 के 227/10 किमी. पर उच्चस्तरीय पुल के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण प्राक्कलन, विरुद्धनगर	208	-	-	मार्च, 2009
52.	रारा 210 के 8/4-15/0 किमी. तक सड़क गुणता सुधार (त्रिची-कीरानूर) (तंजावूर)	210	6.6	5.64	मार्च, 2009
53.	रारा 210 के 60/2-69/0 किमी. तक सड़क गुणता सुधार (तिरूमायम) (तंजावूर)	210	8.8	8.21	मार्च, 2009

1	2	3	4	5	6
54.	रारा 210 के 52/0-60/2 किमी. तक सड़क गुणता सुधार (पुदुकोट्टै-तिरूमायम) (तंजावूर)	210	8.2	4.54	मार्च, 2009
55.	रारा 209 के 189/0-196/0 किमी. पर अन्नूर कस्बे के लिए बाइपास के निर्माण हेतु साध्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शी सेवाएं (कोयम्बतूर)	209	-	-	मार्च, 2009
56.	तमिलनाडु में रारा 209 के 202/0-210/0 किमी. पर पुलिनपट्टी के लिए बाइपास के निर्माण हेतु साध्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शी सेवाएं (कोयम्बतूर)	209	-	-	मार्च, 2009
57.	तमिलनाडु में रारा 209 के (113/3-123/8 किमी.) पर पोलाची कस्बे के लिए बाइपास के निर्माण हेतु साध्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शी सेवाएं (कोयम्बतूर)	209	-	-	मार्च, 2009
58.	रारा 209 के 199/6-200/6 और 212/6-215/4 किमी. में ज्यामिती सुधार के लिए साध्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना (कोयम्बतूर)	209	-	-	मार्च, 2009
59.	रारा 45ए के 0/0-12/6 किमी. पर विल्लुपुरम, कोलीयानूर वलवानूर के लिए साध्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना (विल्लुपुरम)	45ए	-	-	मार्च, 2009
60.	तमिलनाडु में मदुरै के लिए रारा 45बी के 121/0 किमी. से प्रारंभ और• रारा 7 के 426/0 किमी. पर समाप्त बाइपास के निर्माण हेतु साध्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना (मदुरै)	7	1	-	मार्च, 2009
61.	रारा 209 के 130/800 किमी. पर (मुल्लूपाडी रेलवे गेट) पर विद्यमान एल सी सं. 2ई के बदले में आरओबी के निर्माण हेतु साध्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना (कोयम्बतूर)	209	-	-	मार्च, 2009
62.	रारा 208 के 123/4 किमी. पर छोटा पुल (तेनकासी-शिवगिरि) (तिरूनेलवेली)	208	-	-	मार्च, 2009
63.	रारा 208 के 181/4 किमी. पर उच्चस्तरीय और छोटे पुल का निर्माण (श्रीविल्लीपुत्तूर) (विरुद्धनगर)	208	-	-	मार्च, 2009
64.	रारा 209 के 159/2-162/0 किमी. तक सड़क गुणता सुधार (सर्वनामपत्ती) (कोयम्बतूर)	209	2.8	2.56	मार्च, 2009
65.	रारा 208 के 112/0-114/- किमी. में पेव्ड शोल्डर सहित 112/0-114/0, 119/0-120/0 किमी. तक सड़क गुणता सुधार (कदयानलूर) (तिरूनेलवेली)	208	3	2.77	मार्च, 2009

1	2	3	4	5	6
66.	रारा 208 के 113/6-114/0, 127/4, 133/8-134/2 किमी. में संरक्षण दीवार का निर्माण (तेनकासी-शिविगिर) (तिरूनेलवेली)	208	–	–	मार्च, 2009
67.	रारा 210 के 15/0-37/0 किमी. तक सड़क गुणता सुधार (त्रिची-पुदुकोट्टै) (तंजावूर)	210	22	20.00	मार्च, 2009
68.	रारा 209 के 162/6-8 किमी. पर आरओबी-आरयूबी के लिए साध्यता अध्ययन (मुल्लीपाड़ी) (कोयम्बतूर)	209	–	–	मार्च, 2009
69.	रारा 209 के 159/2-8 किमी. पर फ्लाईओवर पर चौराहे के सुधार के लिए साध्यता अध्ययन (कोयम्बतूर)	209	–	–	मार्च, 2009
70.	रारा 208 के 155/8-157/6 किमी. तक सेतूर बाइपास के लिए साध्यता अध्ययन (सेतूर) (विरुद्धनगर)	208	–	–	मार्च, 2009
71.	रारा 208 के 105/8-109/0 किमी. में सड़क गुणता सुधार (तिरूनेलवेली)	208	3.2	1.00	मार्च, 2009
72.	रारा 208 के 119/2-121/2 किमी. तक चोकमपट्टी कस्बे के लिए बाइपास के निर्माण हेतु साध्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शी सेवाएं (तिरूनेलवेली)	208	2	–	मार्च, 2009
73.	रारा 209 के 33/2 किमी. पर छोटा पुल (डिंडीगुल-पलानी) (मदुरै)	209	–	–	मार्च, 2009
74.	रारा 208 के 99/10, 105/8, 109/4, 111/6, 116/2, 117/8, 118/10, 120/4, 120/10, 121/2, और 121/4, किमी. पर पुलियों का पुनर्निर्माण (तेनकासी-शिवगिरि) (तिरूनेलवेली)	208	–	–	मार्च, 2009
75.	रारा 210 के 116/8 किमी. पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण (अंजूकोट्टै) (रामनद मंडल)	210	–	–	मार्च, 2009
76.	रारा 9 के 80/4, 83/10, 87/10, 90/2, 92/10, 97/10, 97/2, 98/4 और 106/6 किमी. पर पुलियों का पुनर्निर्माण (इलानची-चोकमपट्टी) (कोयम्बतूर मंडल)	209	–	–	मार्च, 2009
77.	रारा 208 के 109/750-211/800 किमी. में पुनर्संरेखण के लिए भूमि अधिग्रहण (टी कालीपट्टी) (विरुद्धनगर मंडल)	208	2.05	–	मार्च, 2009
78.	रारा 208 के 154/4, 154/8, 165/2, 171/8 और 175/2 किमी. पर छोटे पुलों का पुनर्निर्माण (श्रीविल्लीपुत्तूर) (विरुद्धनगर मंडल)	208	–	–	मार्च, 2009

1	2	3	4	5	6
79.	रारा 208 के 201/6, 202/4, 203/2, 203/10, 206/4, 218/2 और 226/10 किमी. पर पुलियों (7) और टैंक बंद पर 201/6 और 218/2 किमी. पर सुरक्षा दीवार का पुनर्निर्माण (शिवगिरि) (विरुद्धनगर)	208	–	–	मार्च, 2009
80.	रारा 210 के 77/2-142/किमी. में विद्यमान पुलियों (13) का पुनर्निर्माण (रामनद मंडल)	210	–	–	मार्च, 2009
81.	रारा 47बी के 10/0-22/6 किमी. में सड़क गुणता सुधार (तोवलई) (तिरूनेलवेली)	47बी	12.1	7.91	मार्च, 2010
82.	रारा 47बी के 0/0-10/0 किमी. में सड़क गुणता सुधार (नागरकोयल-तोवलई) (तिरूनेलवेली)	47बी	9.8	3.35	मार्च, 2010
83.	रारा 209 के 227/6-233/0 किमी. में सुदृढ़ीकरण (सत्यमंगलम) (कोयम्बतूर मंडल)	209	5.4	1.35	मार्च, 2010
84.	रारा 209 के 114/4 किमी. पर स्थित वाई-जंक्शन का सुधार (सर्वनामपट्टी) (कोयम्बतूर मंडल)	209	–	–	मार्च, 2010
85.	रारा 220 के 216/0-222/0 किमी. में घाट खंड में संरक्षण और सड़क सुरक्षा कार्य (मदुरै मंडल)	220	6	1.79	मार्च, 2010
86.	रारा 208 के 139/4 और 143/4 किमी. पर छोटे पुलों का पुनर्निर्माण (पुनलयांकुडी) (तिरूनेलवेली मंडल)	208	–	–	मार्च, 2010
87.	रारा 219 के 9/0-19/0 किमी. में सुदृढ़ीकरण (कुप्पम) (सलेम मंडल)	219	10	4.06	मार्च, 2010
88.	रारा 208 के 128/8 किमी. पर स्थित वाई-जंक्शन का सुधार (तिरूनेलवेली)	208	–	–	मार्च, 2010
89.	रारा 209 के 236/500-237/080 किमी. में पुल के पुनर्निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण (कोयम्बतूर मंडल)	209	–	–	मार्च, 2010
90	रारा 208 के 81/6-86/0 किमी. में सुदृढ़ीकरण (कोदईवासल-पुलियामपट्टी) (तिरूनेलवेली)	208	4.4	0.00	मार्च, 2010
91.	रारा 207 के 7/0-18/0 किमी. में सुदृढ़ीकरण और 16/10 किमी. में छोटे पुल का पुनर्निर्माण (होसूर) (सलेम मंडल)		10.1	0.00	मार्च, 2010
92.	रारा 49 के 74/8 किमी. पर विद्यमान संकरे पुल का चौड़ीकरण (अंजूकोट्टै) (रामनद मंडल)			–	मार्च, 2010
93.	रारा 9 के 23/8 किमी. पर प्रारंभ और 31/2 किमी. पर समाप्त ओडनचत्रम बाइपास के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण (डिंडीगुल-पलानी) (मदुरै मंडल)		7.4	0.00	मार्च, 2010

1	2	3	4	5	6
94.	222/300-223/0, 250/0-254/0, 256/0-257/4 और 258/4-265/4 किमी. में सड़क गुणता सुधार	220	13.10	0.00	मार्च, 2010
95.	80/0-90/0 किमी. में सड़क गुणता सुधार	49 विस्तार	10.00	0.00	मार्च, 2010
96.	60/0-62/0, 64/0-69/0 और 70/4-73/4 किमी. में सड़क गुणता सुधार	45 विस्तार	10.00	0.00	मार्च, 2010
97.	उदूमलपेट बाइपास के निर्माण के लिए साध्यता अध्ययन/विस्तृत इंजीनियरी सर्वेक्षण	209	–	0.00	मार्च, 2010
98.	101/6-105/8 और 109/0-112/0 किमी. में सड़क गुणता सुधार	208	7.20	0.00	मार्च, 2010
99.	193/0-198/0 किमी. में सड़क गुणता सुधार	209	5.00	0.00	मार्च, 2010
100.	148/2-155/4 किमी. में सड़क गुणता सुधार	209	7.20	0.00	मार्च, 2010
101.	192/0-193/0 और 195/0-199/0 किमी. में सड़क गुणता सुधार	208	5.00	0.00	मार्च, 2010
102.	180/5-191/0 किमी. में सुदृढ़ीकरण	209	10.50	0.00	मार्च, 2010
103.	206/0-212/4 किमी. में सुदृढ़ीकरण	209	6.40	0.00	मार्च, 2010
104.	155/4 से 159/2 किमी. में सुदृढ़ीकरण और 155/6 से 156/0 किमी. में पेव्ड शोल्डर	209	3.60	0.00	मार्च, 2010
105.	76/2-81/0 और 86/0-92/0 किमी. में पेव्ड शोल्डर	209	9.25	0.00	मार्च, 2010
106.	50/0-65/0 किमी. में सड़क गुणता सुधार	209	15.00	0.00	मार्च, 2010
107.	99/0-101/6 और 127/4-130/0 किमी. में सुदृढ़ीकरण	208	5.20	0.00	मार्च, 2010
108.	11/0-21/0 किमी. में सुदृढ़ीकरण	49	10.00	0.00	मार्च, 2010
109.	109/0 से 110/5 किमी. में पेव्ड शोल्डर	45ए	1.50	0.00	मार्च, 2010
110.	115/0 से 125/0 किमी. में सुदृढ़ीकरण	49	10.00	0.00	मार्च, 2010
111.	106/8 से 111/5 किमी. में सुदृढ़ीकरण	4	8.20	0.00	मार्च, 2010
112.	169/4-173/0 किमी. में सड़क गुणता सुधार और 169/4-170/0 किमी. पर निचले हिस्से को ऊंचा उठाना	49	3.60	0.00	मार्च, 2010
113.	99/0 से 119/0 किमी. में सुदृढ़ीकरण	49 विस्तार	20.00	0.00	मार्च, 2010
114.	114/0 से 119/0 और 126/4 से 127/4 किमी. में सड़क गुणता सुधार और 115/8 किमी. पर सीडी का पुनर्निर्माण	208	6.00	0.00	मार्च, 2010

[हिन्दी]

नकली दवाओं की बिक्री

1407. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:
श्री निखिल कुमार:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसोशिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया (एसोचैम) की रिपोर्ट के अनुसार देश के विभिन्न भागों में प्रतिवर्ष 15,000 करोड़ रुपए मूल्य की नकली दवाइयां बेची जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इन कार्यों में संलिप्त कंपनियों एवं व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) नकली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) एसोचैम ने दवाओं के विनिर्माण में संलग्न अपने सदस्यों द्वारा दवाओं की बिक्री में गिरावट को अपने आकलन का आधार बनाया है। यह किसी वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित नहीं है। वास्तव में, पिछले 5 वर्षों में देश भर में जांचे गए दवाओं के नमूनों का अध्ययन दर्शाता है कि प्रति वर्ष लगभग 40,000 नमूनों का केवल 0.3 प्रतिशत से 0.4 प्रतिशत ही नकली दवाओं की श्रेणी में आता है। नकली दवाओं का विनिर्माण गैर-लाइसेंस शुदा विनिर्माताओं द्वारा गुपचुप तरीके से चलाया जाने वाला कार्यकलाप है जो तेजी से बिकने वाली कुछ विशिष्ट दवाओं की नकल करके विश्वास का अनुचित लाभ उठाते हैं। राज्य औषध अनुज्ञापन प्राधिकरण ऐसे मामले प्रकाश में आने पर अभियोग चलाना प्रारंभ करते हैं।

(घ) देश में नकली दवाओं की मात्रा का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई), हैदराबाद द्वारा उपलब्ध कराए गए सांख्यिकी सिद्धांतों के आधार पर केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएसजीओ) के जरिए एक देशव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया गया है। नकली दवाओं के संभाव्य चल पर केंद्रीत निगरानी रखने के लिए राज्य सरकारों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, औषध एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2005 जिसमें औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में दाण्डिक प्रावधानों को और कठोर बनाए जाने हेतु प्रावधान शामिल हैं, को संसद द्वारा मौजूदा मानसून सत्र, 2008 में पारित कर दिया गया है। इसमें नकली एवं उप मानक दवाओं से संबंधित अपराधों के लिए और कड़ी शास्तियों का प्रावधान करने, औषध से संबंधित अपराधों के द्रुत विचारण के लिए पदनामित न्यायालयों के प्रावधान, अपराधों का शमन करने, औषध से संबंधित अपराधों में अभियोग लगाए जाने के लिए पुलिस को प्राधिकृत करने एवं अपराधों को औषध एवं प्रसाधन-सामग्री अधिनियम के अंतर्गत संज्ञेय तथा गैर-जमानती बनाने की व्यवस्था है। संशोधित प्रावधानों से कानून नकली दवाओं के विनिर्माण अथवा बिक्री में संलग्न अपराधियों को रोकने वाला बनेगा।

[अनुवाद]

खेल अकादमी

1408. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्रत्येक राज्य में खेल अकादमी स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अकादमियों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) ऐसी अकादमियों की स्थापना हेतु कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ङ) इन अकादमियों में मुहैया करायी जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला कामगारों हेतु पेंशन योजना

1409. श्री बंसगोपाल चौधरी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों की कोयला खानों के कामगारों को पेंशन नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कोयला खानों के कामगारों को पेंशन प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) जी, नहीं। कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों के कोयला खान कामगारों, जो कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के सदस्य हैं, को पेंशन मिल रहा है।

(ख) अप्रैल, 2007 से मार्च, 2008 की अवधि के दौरान पेंशन के लिए 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों अर्थात् इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेन्ट्रल बैंक, इन्डियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया को कुल 506.28 करोड़ रु. संवितरित किया गया है। इस संगठन अर्थात् कोयला खान भविष्य निधि संगठन के करार के साथ इन बैंकों के माध्यम से लगभग 2.50 लाख पेंशनभोगियों को संवितरित किए जाते हैं।

(ग) कोयला कंपनियों से सभी प्रकार से पूर्ण, उस माह के प्रथम सप्ताह के भीतर इन दावों के प्राप्त होने पर सेवा के अंतिम माह में सदस्यों की भविष्य निधि और पेंशन दावों को निपटाने के लिए कोयला खान भविष्य निधि ने "मिशन विश्वास" आरंभ किया है।

नर्सिंग स्टाफ-रोगी अनुपात

1410. श्री जसुभाई धाभाई बारड़: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोगियों के लिए उपचर्या स्टाफ की कमी है और अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों की तुलना में देश में उपचर्या स्टाफ-रोगी अनुपात काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) नर्स बिस्तर अनुपात एककों/ अस्पतालों की बिस्तर संख्या के आधार पर 1:3 से 1:10 तक भिन्न-भिन्न रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नर्स और अस्पताली बिस्तरों के बीच कोई मानक अनुपात नहीं है। यह रोगियों की उपचर्या की जरूरत, रोगी परिचर्या करने में नर्सों की सहायक सामग्री तथा उनकी प्रत्याशित भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों पर निर्भर करता है।

(ग) उपचर्या सेवाएं सुधारने के मकसद से उपचर्या सेवाओं के उन्नयन/सुदृढ़ीकरण के तहत 2900.00 करोड़ रु. की रकम ग्यारहवीं योजनावधि में आबंटित की गई है। निम्नलिखित कार्यकलाप ग्यारहवीं योजनावधि में प्रस्तावित है:-

(1) जिन जिलों में सहायक नर्स प्रसूति विद्या प्रशिक्षण विद्यालय विद्यमान नहीं हो उनमें सहायक नर्स प्रसूतिविद्या विद्यालयों की स्थापना करना।

(2) जिन जिलों में साधारण उपचर्या और प्रसूतिविद्या (जीएनएम) विद्यालय नहीं हो उनमें जीएनएम विद्यालयों की स्थापना करना।

(3) एम्स जैसी संस्थाओं के स्थलों पर विज्ञान स्नातक (उपचर्या) और विज्ञान निष्णात उपचर्या कार्यक्रमों सहित 6 उपचर्या महाविद्यालयों की स्थापना करना।

(4) अखिल भारतीय आधार पर स्तरोन्नयन के उद्देश्य से 4 क्षेत्रीय संस्थानों की स्थापना करना और उच्च गुणवत्ता वाली उपचर्या शिक्षा सारे देश में उपलब्ध कराने के अवसर प्रदान करना।

(5) राज्यों में उपचर्या उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना करना।

(6) राज्य उपचार्य परिषदों का सुदृढ़ीकरण।

(7) राज्य स्तर पर उपचर्या प्रकोष्ठों का सुदृढ़ीकरण।

[हिन्दी]

पत्रकारों को सी.जी.एच.एस. सुविधा

1411. श्री मित्रसेन यादव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्यायित पत्रकारों से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ली जाने वाली धनराशि में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा कितने प्रत्यायित पत्रकारों को यह सुविधा प्रदान की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) प्रत्यायित पत्रकारों को 'सामान्य जनता' कार्ड के धारक के तुल्य सीजीएचएस सुविधाएं प्रदान की गई हैं। स्वायत्त निकायों और 'सामान्य जनता' कार्ड के धारक पत्रकारों के लिए सुविधाएं लागत-दर-लागत आधार पर प्रदान की जा रही हैं। प्रत्यायित पत्रकार 50/- रुपए प्रतिमास की तदर्थ रकम का अब तक अंशदान करते रहे हैं। व्यय विभाग की लागत और लेखा शाखा ने "सामान्य जनता योजना" के तहत निम्नलिखित को अपने प्रतिवेदन में सीजीएचएस सुविधाओं की प्रदानगी लागत के रूप में निर्धारित किया है:-

वर्ष	दर/वर्ष (रुपए)
2001-02	850
2008-03	890
2003-04	970
2004-05	1067

(ग) फिलहाल प्रत्यायित पत्रकारों ने लागत-दर-लागत आधार पर अभिदान के संदाय के बाद अपने सीजीएचएस कार्डों का नवीकरण करवाया है।

[अनुवाद]

मानव स्वास्थ्य पर कोयला खानों की धूल का प्रभाव

1412. **श्री सुव्रत बोस:**
श्री नवीन जिन्दल:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के चन्द्रपुर जिले के आसपास के कुछ क्षेत्रों में मानव स्वास्थ्य पर कोयला खानों की धूल के प्रभाव का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है, जैसाकि दिनांक 17 सितम्बर, 2008 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) जी, हां। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. ने वर्ष 2005-06 में चन्द्रपुर जिले की कोयला खानों से प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य के जोखिमों की संभावना का पता लगाने के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी (डीएचओ), जिला परिषद, चन्द्रपुर के माध्यम से एक स्वास्थ्य अध्ययन किया है।

(ख) अध्ययन के दौरान न्यूमोकोनिओसिस तथा सिलीकोसिस जैसी प्रत्यक्ष कोयला धूल पर निर्भर होने वाली बीमारियों की कोई घटना नहीं मिली है। इस अध्ययन से यह भी पता चला है कि खनन क्षेत्र में गैर-धूल से संबंधित बीमारियां भी नगण्य हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उपग्रह संयुक्त अग्नि चेतावनी प्रणाली

1413. **श्री किन्जरपु येरननायडु:** **क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नेशनल एयरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) द्वारा विकसित उपग्रह संयुक्त अग्नि चेतावनी प्रणाली अधिष्ठापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रणाली दावानल का पता लगाने में प्रभावी सिद्ध हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप अन्य क्या लाभ मिलने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त राज्य अमरिका की नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा), ने एम.ओ.डी.आई.एस. (मोडिस) (मध्यम विभेदन प्रतिबिंबन स्पेक्ट्रोरेडियोमापी) उपग्रह आंकड़ा का उपयोग करते हुए एक वैश्विक दावानल चेतावनी प्रणाली का विकास किया है। इस सूचना के साथ-साथ, भारतीय सुदूर संवेदन (आई.आर.एस.) तथा अन्य उपग्रहों से प्राप्त सूचना का उपयोग करते हुए अंतरिक्ष विभाग के एन.आर.एस.सी. (राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र) ने 'भारतीय दावानल प्रतिक्रिया और निर्धारण प्रणाली (आई.एन.एफ.एफ.आर.ए.एस.)' का क्रियान्वयन किया है। आई.एन.एफ.एफ.आर.ए.एस. एक वेब-आधारित सूचना प्रणाली है और यह निम्नलिखित की सहायता करती है: (1) दावानल नियंत्रण के लिए प्रारंभिक आयोजन; (2) निकट वास्तविक-समय पर संसूचना और सक्रिय दावानल का मानीटरन तथा (3) दावानल से हुई हानि, पुनर्लाभ निर्धारण और न्यूनीकरण का आयोजना।

(ग) जी, हां।

(घ) आई.एन.एफ.एफ.आर.ए.एस. 2006 से देश में प्रचालनात्मक है और यह राज्य वन विभागों को दावानल चेतावनी प्रदान कर रही है। इससे वन विभागों को आग नियंत्रण के प्रचालनों में सहायता प्राप्त हो रही है। इसके परिणामस्वरूप होने वाले अन्य लाभों में वन संपत्ति, जैवविविधता तथा वन्यजीवों का संरक्षण और पारिस्थितिकी तथा जलवायु के लिए योगदान शामिल हैं।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पुल और सड़क परियोजनाएं

1414. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** अतारांकित प्रश्न संख्या 1479 दिनांक 22 अगस्त, 2007 और 1751, दिनांक 12 मार्च, 2008 के उत्तर को संदर्भित करने और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम के लोहित और खोबोलू नदियों पर पुलों का निर्माण और ब्रह्मपुत्र नदी पर धोला सदिया पुल का निर्माण पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके ब्यौरे;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण; और

(घ) इस कार्य में किए गए आबंटन, इस पर हुआ व्यय तथा इन वर्गों को पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्य?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पूर्वोत्तर परिषद ने 11वीं योजना के दौरान 299.10 करोड़ रुपये की लागत से लोहित और खोबोलू नदियों पर वृहत पुलों का निर्माण के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन के लिए योजना आयोग से अनुरोध किया है, जिसके बाद परियोजना का कार्यान्वयन आरंभ होगा।

ब्रह्मपुत्र नदी पर धोला और सदिया के बीच पुल का निर्माण जनवरी, 2008 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष पैकेज में सम्मिलित है। सड़क यातायात तथा राजमार्ग विभाग ने अरुणाचल प्रदेश पैकेज के कार्यान्वयन से संबंधित प्रारूप सी सी इ ए नोट परिचालित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पी पी ए मोड के अनुसार रुपये 900 करोड़ की लागत पर धोला तथा सदिया के बीच पुल का निर्माण सम्मिलित है।

मोटर यान अधिनियम, 1988

1415. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री गिरधारी लाल भार्गव:
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में बढ़ते यातायात उल्लंघन के मामलों और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित संशोधन को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) सरकार ने विभिन्न यातायत अपराधों के लिए जुर्माना राशि को बढ़ाने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है ताकि इन धाराओं को और अधिक कठोर बनाया जा सके और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।

(ख) ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर वाहन चलाने, बहुत अधिक गति से वाहन चलाने, खतरनाक ढंग से वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, मानसिक अथवा शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने पर भी वाहन चलाने आदि जैसे विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माना राशि में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) इस संबंध में एक विधेयक राज्य सभा में दिनांक 15.5.2007 को पेश किया गया था। विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कतिपय सिफारिशें की हैं। कुछ सिफारिशें अन्य मंत्रालयों से संबंधित हैं। इसलिए, 'अधिनियम' में संशोधन की समय-सीमा बता पाना कठिन होगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव हेतु धनराशि

1416. श्री मुन्शीराम:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अप्रयुक्त धनराशि का राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा धनराशि के समुचित उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ग) वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 (सितंबर, 2008 तक) के दौरान अप्रयुक्त रही धनराशि सहित राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रखरखाव के लिए राज्यवार और वर्षवार धनराशि के आबंटन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) राज्य लोक निर्माण विभागों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों की कार्यान्वयन एजेंसियां, राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रखरखाव का कार्य जैसे सामान्य मरम्मत, आवधिक नवीकरण, विशेष मरम्मत और आपातकालीन मरम्मत कार्य करती हैं। सामान्य मरम्मत में गड्ढों की मरम्मत, दरारों को भरना, शोल्डरों की मरम्मत आदि सहित नेमी अनुरक्षण कार्य शामिल होते हैं। आवधिक नवीकरण में पूर्व निर्धारित आवृत्ति पर टूटी-फूटी सतह पर कोटिंग का प्रावधान शामिल है। विशेष मरम्मत के अंतर्गत तात्कालिक महत्व के कार्य जैसे सड़क की ज्यामिति में मामूली सुधार, पुलियों, पुलों आदि की मरम्मत की जाती है। आपातकालीन मरम्मत अथवा बाढ़ विनाश मरम्मत के अंतर्गत भारी वर्षा/बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन आदि से प्रभावित सड़कों की तत्काल मरम्मत की जाती है। 2005-06 से 2007-08 और 2008-09 (सितंबर, 2008 तक) के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, आवधिक नवीकरण, विशेष मरम्मत और बाढ़ विनाश मरम्मत के अधीन स्वीकृत कार्यों की कुल अनुमानित लागत निम्नानुसार थी:-

(करोड़ रुपए)

मरम्मत का रखरखाव कार्य का प्रकार	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (सितंबर, 2008 तक)
आवधिक नवीकरण	343.48	382.38	614.86	289.75
बाढ़ विनाश मरम्मत	107.57	92.64	167.90	9.37
विशेष मरम्मत	11.08	14.06	10.32	3.95

(घ) कार्यों की प्रगति और धनराशि के उपयोग की मानीटरिंग, मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्तरों पर की जाती है और सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को, समय-समय पर, आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं।

विवरण

(धनराशि करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06			2006-07			2007-08			2008-09 (सितंबर, 2008 तक)	
		आबंटन	व्यय	अव्ययित शेष	आबंटन	व्यय	अव्ययित शेष	आबंटन	व्यय	अव्ययित शेष	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	39.07	39.09	(-)0.02	61.19	56.59	4.60	78.13	77.36	0.77	53.53	26.42
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.21	0.10	0.11	0.30	0.09	0.21	0.37	0.33	0.04	0.91	0.00
3.	असम	30.84	27.52	3.32	25.98	21.18	4.80	41.62	32.86	8.76	21.24	16.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	बिहार	47.66	44.46	3.20	34.34	24.58	9.76	29.90	25.32	4.58	34.62	1.17
5.	चंडीगढ़	0.52	0.12	0.40	0.66	0.64	0.02	0.98	0.84	0.14	0.27	0.02
6.	छत्तीसगढ़	20.55	20.12	0.43	24.15	23.52	0.63	27.19	26.58	0.61	27.51	9.64
7.	दिल्ली	0.44	0.04	0.40	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00
8.	गोवा	4.66	3.87	0.79	3.51	3.30	0.21	4.92	4.74	0.18	2.39	0.76
9.	गुजरात	38.62	38.08	0.54	33.99	33.95	0.04	40.27	39.56	0.41	23.17	6.48
10.	हरियाणा	15.43	14.12	1.31	24.27	21.34	2.93	18.13	17.95	0.18	12.49	6.59
11.	हिमाचल प्रदेश	23.27	18.19	5.08	18.90	18.28	0.62	17.70	17.07	0.63	8.97	3.03
12.	जम्मू-कश्मीर	0.12	0.03	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
13.	झारखंड	21.37	14.79	6.58	22.27	21.68	0.59	27.82	23.38	4.44	14.52	3.15
14.	कर्नाटक	42.44	41.87	0.57	39.88	39.88	0.00	59.45	60.30	(-)0.85	73.75	35.40
15.	केरल	34.59	53.07	(-)18.48	19.30	29.54	(-)10.24	27.36	55.80	(-)28.44	19.56	7.88
16.	मध्य प्रदेश	56.48	53.51	2.97	51.70	50.89	0.81	59.03	58.22	0.81	34.97	18.98
17.	महाराष्ट्र	52.60	52.36	0.24	59.54	59.16	0.38	63.16	57.54	5.62	32.72	11.16
18.	मणिपुर	10.87	8.98	1.89	3.04	2.91	0.13	14.30	11.52	2.78	4.55	1.08
19.	मेघालय	10.69	8.50	2.19	9.84	7.09	2.75	13.39	8.19	5.20	6.00	2.05
20.	मिजोरम	5.52	5.28	0.24	5.19	3.42	1.77	7.25	4.27	2.98	5.16	1.13
21.	नागालैंड	4.01	3.85	0.16	3.91	2.63	1.28	7.43	4.88	2.55	8.08	3.08
22.	उड़ीसा	40.92	41.22	(-)0.30	43.70	43.78	(-)0.08	50.51	50.28	0.23	31.12	11.26
23.	पांडिचेरी	0.77	0.76	0.01	0.94	0.30	0.64	0.91	0.91	0.00	0.64	0.23
24.	पंजाब	21.76	19.30	2.46	17.44	15.20	2.24	23.82	20.40	3.42	.17.15	9.93
25.	राजस्थान	54.99	53.91	1.08	67.58	67.54	0.04	70.57	70.56	0.01	45.14	23.71
26.	तमिलनाडु	54.30	49.94	4.36	25.67	23.71	1.96	30.16	30.35	(-)0.19	23.13	12.94
27.	उत्तर प्रदेश	51.18	50.01	1.17	45.63	48.54	(-)2.91	62.48	62.21	0.27	35.25	9.45
28.	उत्तराखंड	16.10	15.87	0.23	15.80	15.39	0.41	19.10	17.12	1.98	14.81	4.37
29.	पश्चिम बंगाल	29.87	28.05	1.82	18.50	16.38	2.12	24.08	23.26	0.82	23.29	5.68

[अनुवाद]

शिशु आहार उत्पादों के तत्व

1417. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न कंपनियों द्वारा विनिर्मित शिशु आहारों के तत्वों का मूल्यांकन करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मूल्यांकन के क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा इनका पूर्ण स्वास्थ्यकर होना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) देश में विभिन्न कंपनियों द्वारा विनिर्मित बेबी फूड के अवयवों का मूल्यांकन करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत शिशु दुग्ध आहार, शिशु फार्मूला, दुग्ध अनाज आधारित संपूरक आहार, प्रसंस्कृत अनाज आधारित संपूरक आहार, अनुवर्ती फार्मूला संपूरक आहार के मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं जिनमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन के सिवाए शिशु के लिए अभिप्रेत आहार का विनिर्माण, बिक्री, भंडारण अथवा बिक्री हेतु प्रदर्शन नहीं करेगा।

यूरेनियम की आपूर्ति

1418. श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री किरेन रिजीजू:
श्री जुएल ओराम:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु ईंधन आपूर्तिकर्ता समूह (एन.एस.जी.) के निर्यात संबंधी दिशा-निर्देशों से छूट प्राप्त होने के बावजूद भी कुछ देशों ने भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करने से इंकार कर दिया है जैसाकि 9 सितंबर, 2008 के 'द हिन्दु' समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत ने इस संबंध में इन देशों के साथ फिर वार्ता की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (घ) आस्ट्रेलिया की सरकार ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनके पास उन देशों को यूरेनियम की आपूर्ति नहीं किए जाने के बारे में एक दीर्घ स्थायी नीति है जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

गांधीधाम-मुंदड़ा और राष्ट्रीय राजमार्ग-8ए

1419. श्री मधुसूदन मिस्त्री:
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** गांधीधाम-मुंदड़ा सड़क के बारे में 19 मार्च, 2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2788 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गांधीधाम-मुंदड़ा खण्ड और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8ए (विस्तार) की व्यवहार्यता सह-आरंभिक अभिकल्पना रिपोर्ट पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी, नहीं। फिर भी, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-8ए के गांधीधाम-कांडला-मूंदरा खंड की साध्यता सह प्राथमिक डिजाइन रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बीओटी सुधार पर इसकी व्यवहार्यता के आधार पर कार्य को बीओटी आधार पर जुलाई, 2009 तक सौंप दिए जाने की संभावना है।

चन्द्रयान-I

1420. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का प्रथम चन्द्र अभियान चन्द्रयान का प्रक्षेपण हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां। चंद्रयान-I का प्रमोचन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से दिनांक 22 अक्तूबर, 2008 को सुबह 6.22 बजे किया गया।

(ख) चंद्रयान-I मिशन के लिए कुल स्वीकृत लागत 386.00 करोड़ रुपये है, जिसमें बेंगलूर के पास ब्यालालू में गहन अंतरिक्ष नेटवर्क की स्थापना शामिल है। इस मिशन के लिए मार्च 2008 तक खर्च की गई राशि 307.19 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

जी-8 शिखर सम्मेलन

1421. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री एम. शिवन्ना:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में जापान में हुए जी-8 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है;

(ख) यदि हां, तो की गयी चर्चा के निष्कर्ष सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जी-8 का विस्तार करने का प्रस्ताव था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) प्रधानमंत्री ने 9 जुलाई, 2008 को जापान में आयोजित जी-8 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया।

(ख) आउटरीच सत्रों में हुए विचार-विमर्शों में तेल और खाद्य सामग्रियों की बढ़ती कीमतों, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, अफ्रीका और क्षेत्रीय मुद्दों पर केन्द्रित विकास सहित विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति से संबंधित मुद्दे शामिल थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय हॉकी को बढ़ावा

1422. **श्री शैलेन्द्र कुमार:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्तर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन को सुधारने के लिए भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन (आई.ओ.ए.) द्वारा क्या उपाय सुझाए गए हैं; और

(ख) देश में हॉकी को बढ़ावा देने तथा इसके पुराने गौरव को प्राप्त करने के लिए क्या रणनीति बनायी गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) और (ख) भारतीय ओलंपिक संघ (आई.ओ.ए.) ने भारतीय पुरुष हॉकी में सुधार करने के लिए 28 अप्रैल, 2008 को एक तदर्थ समिति गठित की है। 5 पूर्व ओलंपियनों वाली एक चयन समिति भी गठित की गई है। इस तदर्थ समिति ने अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी परिसंघ (एफ.आई.एच.) की सहायता से विदेशी कोचों का पता लगाया है तथा एक छोटी सूची तैयार की है। यह तदर्थ समिति भारत में खेलने के लिए शीर्ष टीमों को आमंत्रित कर रही है। जनवरी-फरवरी, 2009 के लिए एक डबल लेग 4 नेशन टूर्नामेंट तय किया गया है। भारत भी मार्च, 2010 में दिल्ली में 12वां मेन्स वर्ल्ड कप आयोजित करेगा।

कोचिंग शिविरों में खिलाड़ियों की प्रगति का नियमित मूल्यांकन और निगरानी करने तथा खिलाड़ियों के प्रदर्शन में निरंतर सुधार करने के लिए सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने हेतु तदर्थ समिति ने एक तकनीकी समिति गठित की है।

ओलंपिक 2012, विश्व कप, राष्ट्रमंडल खेल तथा एशियाई खेल, 2010 को लम्बे समय तक ध्यान में रखते हुए एक घरेलू अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी कलेण्डर तैयार किया गया है।

वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए बंगलौर में तथा जूनियर खिलाड़ियों के लिए भोपाल में पेशेवर मार्गदर्शन में कोचिंग शिविर चल रहे हैं जिसमें फिटनेस, मनोवैज्ञानिक और बायो-मैकेनिक्स पर विशेष बल दिया जा रहा है।

खिलाड़ियों का एक डाटा बैंक तैयार किया गया है। कोचों और अम्पायरों को नवीनतम तकनीकों से अद्यतन करने के लिए एफआईएच भारत में सेमिनार आयोजित करने पर सहमत हो गया है।

[अनुवाद]

एड्स के मरीजों का नि:शुल्क सैकेंड लाइन उपचार

1423. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एड्स के मरीजों को नि:शुल्क सैकेंड लाइन उपचार प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ आबंटित अथवा आबंटित किए जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) भारत सरकार ने 2ए आर ही केन्द्रों पर प्रायोगिक आधार पर पात्र एचआईवी/एड्स रोगियों के लिए सेकंड लाइन उपचार शुरू किया है और इसका वर्ष 2008-09 के दौरान 8 और केन्द्रों में विस्तार करने पर विचार कर रही है। चूंकि ये सेवाएं मौजूदा ए आर टी केन्द्रों पर दी जा रही हैं, इसलिए निधियों की कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। सेकंड लाइन उपचार के लिए अपेक्षित औषधियां क्लिंटन फाउंडेशन द्वारा सामग्रीगत सहायता के रूप में प्रदान की जा रही हैं।

जैव मंडल रिजर्व

1424. **श्री भरहरि महतो:**
श्री रमेन बर्मन:
श्री हितेन बर्मन:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने जैव मंडल रिजर्व हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में उनमें से प्रत्येक रिजर्व को आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नंदादेवी को जैवमंडल रिजर्व घोषित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयनारायण मीना): (क) देश में जैवमंडल रिजर्वों की कुल संख्या पंद्रह है।

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इन रिजर्वों में से प्रत्येक के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) नंदादेवी को जैव रिजर्व के रूप में घोषित करने के कारणों में निम्नलिखित शामिल है:-

* प्राकृतिक पारि-प्रणालियों के भीतर पादपों और पशुओं की विविधता और समग्रता का संरक्षण करना।
* ऐसी प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता की सुरक्षा करना जिन पर उनका सतत विकास निर्भर करता है।
* बहुआयामी अनुसंधान व मानीटरिंग के लिए क्षेत्र उपलब्ध कराना।
* शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना।
* स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने व उसमें सुधार के लिए अति उपयुक्त प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना।

विवरण

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान जैव रिजर्वों में से प्रत्येक के लिए आवंटित धनराशियां

क्र.सं.	जैव रिजर्व का नाम	लाख रु. में			
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6
1.	नंदादेवी	65.08	80.00	72.86	60.00
2.	नीलगिरी	127.63	76.49	177.404	69.76
3.	मन्नार की खाड़ी	शून्य	43.927	47.15	शून्य
4.	अगस्त्यामलई	20.00	92.42	147.16	125.36
5.	सुंदरवन	99.09	79.11	64.00	64.785
6.	ग्रेटनिकोबार	48.94	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6
7.	सिमलीपाल	33.15	82.85	109.606	25.094
8.	डिब्रूसाइखोवा	39.84	13.796	25.00	शून्य
9.	मानस	शून्य	शून्य	शून्य*	शून्य
10.	नोक्रेक	34.53	40.00	30.30	शून्य
11.	कंचनजंगा	49.72	58.43	59.104	शून्य
12.	दिहांग-दिबांग	16.09	37.774	34.996	शून्य
13.	पंचमढ़ी	64.58	99.95	61.669	20.00
14.	अचनाकमार-अमरकंटक बीआर	55.00	90.00	56.82	26.146
15.	कच्छ			शून्य	शून्य

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण

1425. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के माध्यम से स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों को आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) चूंकि पंचायती राज राज्य का एक विषय है, इसलिए मंत्रालय ने पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर राष्ट्रीय सहमति विकसित करने व उसे परिचालनात्मक बनाने तथा जैसा कि संविधान के भाग IX में अभिकल्पित है, पंचायती राज संस्थान स्व-सरकार के संस्थानों के तौर पर कार्य करें, इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ निकटता के साथ मिल कर कार्य किया है। ऐसी सहमति जुलाई तथा दिसम्बर, 2004 के मध्य पंचायती राज के राज्य मंत्रियों के सात गोलमेज सम्मेलनों के माध्यम से राज्यों के साथ किए गए विस्तृत विचार-विमर्शों द्वारा हासिल की गई जिसमें कार्यों, कोषों व कर्मियों के प्रभावी अंतरण, आयोजना, ग्राम सभाओं की अधिकारिता, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों व महिलाओं के आरक्षण से संबंधित मुद्दे, चुनाव, लेखों का रख-रखाव व लेखा परीक्षण, पंचायतें बनाम समानांतर-निकायें, क्षमता निर्माण तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, पंचायतों की स्थिति पर रिपोर्ट को तैयार किया जाना तथा पंचायती राज न्याय प्रक्रिया पर कार्य किया जाना शामिल था। सहमत निर्णयों की पुनरीक्षा कई विचार-विमर्शों, समीक्षा बैठकों तथा राज्यों व पंचायतों के सघन दौरों के माध्यम से की जाती है। पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों को अंतरित की गई शक्तियों व उत्तरदायित्वों के संबंध में जमीनी हकीकत को पंचायती राज के राज्य मंत्रियों की परिषद, राज्यों के मुख्य सचिवों तथा पंचायती राज सचिवों की समिति तथा पंचायती राज संस्थाओं की प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारिता पर राष्ट्रीय विकास परिषद की अधिकार सम्पन्न उपसमिति की बैठकों के सांस्थानिक तंत्र के जरिए नियमित रूप से आकलित करता है। पंचायतों को शक्तियों व उत्तरदायित्वों के अंतरण के लिए राज्य विशिष्ट रोड मैपों को पंचायती राज के केंद्रीय मंत्री द्वारा किए गए सघन दौरों से हासिल किया गया। यह रोड मैप, जो संबंधित राज्य के मुख्य मंत्री के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित निष्कर्षों के वक्तव्य में निहित है, उन कार्य बिन्दुओं पर प्रकाश डालता है जिन पर राज्य, पंचायतों को कोष, कार्य व कर्मियों के अंतरण पर विशेष बल देते हुए गोलमेज सम्मेलनों की सिफारिशों को प्रचालित करने की ओर अग्रसर होंगे।

पंचायती राज मंत्रालय केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को चलाने वाले केंद्रीय मंत्रालयों के साथ इन योजनाओं के कार्यान्वयन में पंचायतों के सभी स्तरों को तयशुदा भूमिका सुनिश्चित करने के लिए भी लगातार एवं निकटता के साथ कार्य कर रहा है। मंत्रालय

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पंचायतों के सभी तीन स्तरों द्वारा बनाई गई योजना जिला योजना का मूल बनें, योजना आयोग के साथ मिलकर कार्यशालाओं एवं सम्मेलनों का आयोजन भी करता रहा है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम को तृणमूल स्तर पर पंचायत तथा नगरपालिकाओं से ऊपर स्तर पर तैयार किए गए सहभागितापूर्ण योजनाओं के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है और उसके बाद उसे जिला योजना समिति द्वारा जिले की प्रारूप विकास योजना में समेकित किया जाता है। मंत्रालय एक पंचायत अधिकारिता एवं जवाबदेही प्रोत्साहन योजना को लेकर भी सामने आया है जिसका लक्ष्य कार्यों, कोष व कर्मियों के अंतरण द्वारा पंचायतों को सशक्त बनाने में राज्यों को प्रोत्साहन मुहैया कराता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को आबंटित किए गए कोषों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आर.जी.एस.वाई.) के सूचना प्रौद्योगिकी घटक के तहत निर्गत फंड

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2005-06 के दौरान जारी फंड	2006-07 के दौरान जारी फंड	2007-08 के दौरान जारी फंड	2008-09 के दौरान जारी फंड
1.	सिक्किम	2.00	3.04	वर्ष के दौरान 10.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था लेकिन उसे अन्य शीर्ष में पुनर्विनियोजित किया गया और उसे स्कीम के तहत प्रयुक्त नहीं किया गया।	वित्तीय वर्ष के दौरान 5.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है लेकिन अभी तक किसी भी राज्य को कोई अनुदान जारी नहीं किया गया है।
2.	राजस्थान	–	2.00		
3.	उड़ीसा	1.00	–		
4.	गोवा	1.00	–		
5.	पश्चिम बंगाल	–	2.60		
6.	केरल	–	2.5279		
7.	पुदुचेरी	–	0.8721		
	योग	4.00	11.04		

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आर.जी.एस.वाई.) के अवसंरचना विकास घटक के तहत निर्गत फंड

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2005-06 के दौरान जारी फंड	2006-07 के दौरान जारी फंड	2007-08 के दौरान जारी फंड	2008-09 के दौरान जारी फंड
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	यह घटक अस्तित्व में नहीं था।		93.75	इस घटक के लिए कोई भी आबंटन मुहैया नहीं कराया गया।
2.	असम			722.34	
3.	बिहार		237.50		
4.	गुजरात		300.00		
5.	त्रिपुरा		60.00		

1	2	3	4	5	6
6.	सिक्किम	यह घटक अस्तित्व में नहीं था।	157.00		इस घटक के लिए कोई भी आबंटन मुहैया नहीं कराया गया।
7.	राजस्थान		300.00		
8.	हिमाचल प्रदेश		200.00	400	
9.	पश्चिम बंगाल		12.50		
10.	उड़ीसा			492	
11.	मणिपुर			113.91	
	योग		1267	1822	

पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान (पी.एम.ई.वाई.एस.ए.) की स्कीम के तहत जारी फंड

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2005-06 के दौरान जारी फंड	2006-07 के दौरान जारी फंड	2007-08 के दौरान जारी फंड	2008-09 के दौरान जारी फंड
1	2	3	4	5	6
1.	राजस्थान	यह योजना वर्ष के दौरान अस्तित्व में नहीं थीं।	6,72,306/-	7,18,900/-	-
2.	पंजाब		3,60,000/-	15,47,250/-	-
3.	कर्नाटक		2,00,000/-	12,83,500/-	-
4.	गोवा		1,55,000/-	11,13,830/-	-
5.	मणिपुर		5,22,638/-	6,04,075/-	-
6.	सिक्किम		2,04,900/-	14,33,974/-	-
7.	असम		1,68,750/-	-	-
8.	केरल		2,75,025/-	-	16,84,450/-
9.	हिमाचल प्रदेश		1,30,300/-	11,61,475/-	-
10.	गुजरात		2,22,375/-	-	-
11.	हरियाणा		1,93,300/-	26,47,450/-	8,05,000/-
12.	छत्तीसगढ़		1,92,500/-	7,34,500/-	19,22,900/-
13.	महाराष्ट्र		2,30,000/-	1,28,580/-	11,16,500/-
14.	अरुणाचल प्रदेश		2,71,000/-	36,63,463/-	-
15.	उत्तर प्रदेश		1,92,100/-	-	-
16.	मध्य प्रदेश		2,31,875/-	3,03,125/-	2,31,875/-

1	2	3	4	5	6
17.	तमिलनाडु	यह योजना वर्ष के दौरान अस्तित्व में नहीं थीं।	2,76,470/-	-	2,76,470/-
18.	पश्चिम बंगाल		1,70,625/-	5,54,556/-	-
19.	त्रिपुरा		2,80,170/-	-	2,62,464/-
20.	आंध्र प्रदेश		2,16,000/-	23,62,136/-	-
21.	लक्षद्वीप		-	-	6,01,363/-
22.	उत्तराखंड		-	5,38,500/-	-
23.	बिहार		-	5,37,800/-	-
24.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		-	8,50,625/-	-
	योग		51,65,334/-	2,02,23,745/-	66,69,147/-

पंचायत अधिकारिता एवं जवाबदेही प्रोत्साहन योजना (पी.ई.ए.आई.एस.) के तहत जारी फंड

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2005-06 के दौरान जारी फंड	2006-07 के दौरान जारी फंड	2007-08 के दौरान जारी फंड	2008-09 के दौरान जारी फंड
1	2	3	4	5	6
1.	असम	-	69.24	-	स्कीम के तहत 10 करोड़ रुपये के आबंटन को मुहैया कराया गया है पर उसे राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों को अभी निर्गत किया जाना है।
2.	आंध्र प्रदेश	-	-	75.00	
3.	छत्तीसगढ़	64.88	-	-	
4.	गोवा	-	-	50.00	
5.	हरियाणा	24.40	-	50.00	
6.	हिमाचल प्रदेश	-	67.14	75.00	
7.	कर्नाटक	106.55	84.74	100.00	
8.	केरल	106.55	114.34	100.00	
9.	मध्य प्रदेश	-	73.44	75.00	
10.	मणिपुर	-	-	50.00	
11.	उड़ीसा	39.88	72.84	75.00	
12.	राजस्थान	-	70.34	100.00	
13.	सिक्किम	64.88	81.54	50.00	

1	2	3	4	5	6
14.	तमिलनाडु	–	82.64	100.00	स्कीम के तहत 10 करोड़ रुपये के आबंटन को मुहैया कराया गया है पर उसे राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों को अभी निर्गत किया जाना है।
15.	उत्तर प्रदेश	7.14	–	–	
16.	पश्चिम बंगाल	85.72	83.74	100.00	
	योग	500.00	800.00	1000.00	
	संघ शासित क्षेत्र				
17.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	36.52	–	
18.	चंडीगढ़	–	18.73	–	
19.	दमन और दीव	–	32.29	–	
20.	दादरा एवं नगर हवेली	–	46.59	–	
21.	लक्षद्वीप	–	42.25	–	
22.	पुद्दुचेरी	–	23.62	–	
	योग	–	200.00	–	
	कुल योग	500.00	1000.00	1000.00	

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) योजना के तहत जारी फंड

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या		2006-07 में राज्यों को जारी की गई कुल निर्मुक्तियां	2007-08 में राज्यों को जारी की गई कुल निर्मुक्तियां	2008-09 में राज्यों को जारी की गई कुल निर्मुक्तियां
		आर.एस.वी.वाई.	बी.आर.जी.एफ.			
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	10	13	95.5	421.18	77.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	8	7.6	7.5
3.	असम	5	11	61.62	113.58	63.19
4.	बिहार	21	36	246.95	639.28	127.5
5.	छत्तीसगढ़	8	13	136.6	271.21	18.98
6.	गुजरात	3	6	37.5	8.1	21.04
7.	हरियाणा	1	2	22.5	25.8	3.23

1	2	3	4	5	6	7
8.	हिमाचल प्रदेश	2	2	30	42.85	0
9.	जम्मू-कश्मीर	3	3	22.5	15.3	15
10.	झारखंड	16	21	315	105.6	305.246
11.	कर्नाटक	4	5	37.5	139.97	30
12.	केरल	2	2	15	30.88	0
13.	मध्य प्रदेश	10	24	169.995	404.82	51.55
14.	महाराष्ट्र	9	12	96.19	108.2	43
15.	मणिपुर	1	3	15	34.96	0.95
16.	मेघालय	1	3	15	7.8	45.04
17.	मिजोरम	1	2	15	34.17	2
18.	नागालैंड	1	3	22.5	32.19	3
19.	उड़ीसा	5	19	45	336.12	37.68
20.	पंजाब	1	1	15	7.6	7.5
21.	राजस्थान	3	12	22.87	302.11	0
22.	सिक्किम	1	1	23.44	7.6	0
23.	तमिलनाडु	5	6	30	23.1	16.32
24.	त्रिपुरा	1	1	15	7.6	0
25.	उत्तर प्रदेश	21	34	300	163.7	564.23
26.	उत्तराखंड	3	3	37.5	30.3	22.5
27.	पश्चिम बंगाल	8	11	70.5	275.87	88.86
	नाबार्ड			3.3		
	योग	147	250	1924.965	3597.49	1551.786
28.	कार्यक्रम प्रबंधन तथा डाटाबेस के विकास के लिए उद्दिष्ट फंड				2.5	शून्य
	कुल योग			1924.965	3599.99	1551.786

बी.आर.जी.एफ./आर.जी.एस.वाई. के क्षमता-निर्माण घटक के तहत जारी फंड

क्र.सं.	वर्ष / राज्य	2005-06 बीआरजीएफ के तहत आबंटन (करोड़ रुपये में)	2005-06 आरजीएसवाई	2006-07 जारी राशि (करोड़ रुपये में) बीआरजीएफ	2006-07 आरजीएसवाई	2007-08 जारी राशि (करोड़ रुपये में) बीआरजीएफ	2007-08 आरजीएसवाई	2008-09 जारी राशि (करोड़ रुपये में) बीआरजीएफ	2008-09 आरजीएसवाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	13.00	3.04	13.00	4.00	13.00	0.82	–	4.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.00		0.50	0.47	–	–	–	–
3.	असम	11.00		9.12	0.94	–	3.26	–	3.26
4.	बिहार	36.00		14.45	4.39	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	13.00	2.34	9.10	–	–	–	13.00	–
6.	गुजरात	6.00	2.10	–	–	–	3.95	6.04	–
7.	गोवा(*)	–		–	–	–	0.34	–	–
8.	हरियाणा	2.00	1.35	–	1.89	–	0.07	3.23	–
9.	हिमाचल प्रदेश	2.00		–	0.79	2.00	0.79	–	–
10.	झारखंड	21.00		–	–	21.00	–	–	–
11.	जम्मू-कश्मीर	3.00		–	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	55.00	1.82	–	1.82	10.00	–	–	–
13.	केरल	2.00	0.44	–	0.44	2.00	0.58	–	–
14.	मध्य प्रदेश	24.00		14.95	0.62	24.00	0.62	–	–
15.	महाराष्ट्र	12.00	3.51	6.19	–	–	–	–	–
16.	मणिपुर	3.00		–	–	–	0.40	–	–
17.	मेघालय	3.00		–	–	–	–	3.93	–
18.	मिजोरम	2.00		–	–	–	–	2.00	–
19.	नागालैंड	3.00		–	–	–	–	3.00	–
20.	उड़ीसा	19.00		–	–	19.00	3.14	–	–
21.	पंजाब	1.00	0.86	–	–	–	4.43	–	–
22.	राजस्थान	12.00		7.87	–	–	2.57	–	–
23.	सिक्किम	1.00		0.94	0.41	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	तमिलनाडु	6.00		–	–	–	2.36	16.32	–
25.	त्रिपुरा	1.00		–	0.45	–	–	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	34.00		–	8.99	25.30	–	–	–
27.	उत्तराखंड	3.00	1.68	–	–	–	–	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	11.00	2.21	10.50	1.00	5.02	1.00	–	2.21
	योग	250.00	19.35	86.62	26.21	121.32	24.33	47.52	9.47

परिवर्णी शब्द: बीआरजीएफ: बैकवार्ड रीजन्स ग्रांट फंड (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि), आरजीएसवाई: राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना
(*) गोवा बीआरजीएफ के तहत कवर नहीं है।

मेडिकल कालेजों के उन्नयन हेतु धनराशि

1426. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान उड़ीसा राज्य सरकार से राज्य में मेडिकल कालेजों के उन्नयन हेतु और धनराशि के आबंटन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) केन्द्र सरकार को 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय वित्तपोषण के जरिए सरकारी मेडिकल कालेजों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन की योजना के अधीन निधियों के आबंटन के लिए उड़ीसा के निम्नलिखित मेडिकल कालेजों से तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:-

1. एस.सी.बी. मेडिकल कालेज, कटक
2. वी.एस.एस. मेडिकल कालेज, बुरला
3. एम.के.सी. मेडिकल कालेज, बरहामपुर

मेडिकल कालेजों को 11वीं योजना अवधि के दौरान नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही निधियां आबंटित करने की परिकल्पना की गई है।

सार्क सम्मेलन

1427. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीलंका में हाल ही में सार्क सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में कितने सदस्य देशों ने भाग लिया था;

(ग) सम्मेलन के दौरान किन-किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई तथा भारत द्वारा कौन-कौन से मुद्दे उठाए गए; और

(घ) बैठक के दौरान चर्चा किए गए मुद्दों के समाधान हेतु क्या भावी रणनीति बनाई गयी है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) 15वां सार्क शिखर सम्मेलन 2-3 अगस्त, 2008 को कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित किया गया।

(ख) सभी आठ सार्क सदस्य राष्ट्रों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका ने शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया।

(ग) शिखर सम्मेलन के दौरान विचार-विमर्श किए गए प्रमुख मुद्दे सार्क को घोषणात्मक से कार्यान्वयन अवस्था में परिवर्तित करना, सार्क विकास निधि को कार्यात्मक करना और दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार करार (साफ्टा) के माध्यम से अंत:क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाना थे।

चार करार (1) सार्क विकास निधि का चार्टर (2) आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता पर सार्क अभिसमय (3) अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य का साफ्टा में प्रवेश संबंधी प्रोटोकाल, और (4) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन (सार्सो) की स्थापना पर करार पर हस्ताक्षर किए गए।

सार्क और प्रेक्षकों तथा सार्क और अंतर्सरकारी संगठनों के बीच सहयोग के तौर-तरीकों को भी अंतिम रूप दिया गया।

(घ) विकास के लिए चिन्हित क्षेत्रों में अंत: क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना तथा क्रियान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाना।

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान

1428. श्री विजय कृष्ण: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संस्थान की स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में ब्राहमणी नदी की सफाई

1429. श्री जुएल ओराम: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में ब्राहमणी नदी को साफ करने के प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ख) उपर्युक्त नदी को साफ करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के आधार पर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत उड़ीसा में ब्राहमणी नदी के प्रदूषण उपशमन के प्रयोजनार्थ धर्मशाला में दो परियोजनाओं तथा तलचेर में सात परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। इन नौ परियोजनाओं की स्वीकृत लागत 389.83 लाख रु. है। इनमें दो सीवेज शोधन संयंत्रों से संबंधित दो स्कीमें इंटरसेप्शन और डायवर्शन से संबंधित दो परियोजनाएं अल्प लागत सफाई, दो परियोजनाएं काष्ठ आधारित शवदाहगृहों तथा एक स्कीम नदी मुहाना विकास से संबंधित है। 389.83 लाख रु. की कुल स्वीकृत लागत में से भारत सरकार का हिस्सा 382.33 लाख रु. और उड़ीसा राज्य सरकार का हिस्सा 7.5 लाख रु. है। नौ स्वीकृत परियोजनाओं में से छह परियोजनाएं पहले ही पूरी कर लिए जाने की सूचना है और शेष तीन परियोजनाएं नामत: तलचर में सीवेज शोधन संयंत्रों (I और II) का निर्माण और अल्प लागत सफाई से संबंधित एक स्कीम का कार्य प्रगति के विभिन चरणों में है।

तेंदुओं का अवैध शिकार

1430. श्री नवजोत सिंद सिद्धू:
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जानकारी में तेंदुओं के अवैध शिकार के मामले आए हैं, जैसा कि दिनांक 22 जून, 2006 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) जी, हां। मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस ने 21.6.2008 को नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले में दो तेंदुओं की खालों को जब्त किया है। इस संबंध में एक व्यक्ति नामश: श्री सत्यवीर त्यागी, पुत्र ज्ञानचंद्र त्यागी, ग्राम कैली पुलिस थाना खारखोदा, जिला मेरठ को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 9, 44, 44ए, 48ए, 49बी, 51 और 52 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन सेक्टर 20, नोएडा (गौतम बुद्ध नगर) में एक एफ आई आर 721/21.6.08 और केस संख्या 885/08 दर्ज की गई थी।

कोयला विनियामक प्राधिकरण

1431. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) से देश में कोयले की बढ़ती भावी मांग को पूरा करने तथा सीआईएल की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए उसे 136 कोयला ब्लाकों को बनाए रखने की अनुमति देने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार कोयला विनियामक प्राधिकरण (सीआरए) की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या मजदूर संघों ने सीआरए की स्थापना के सरकार के प्रस्ताव पर आपत्ति की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. ने कुल लगभग 57.57 बिलियन टन भंडार वाले 138 कोयला ब्लाकों को बनाए रखने का प्रस्ताव भेजा है ताकि देश में बढ़ती हुई कोयले की मांग को पूरा किया जा सके।

(ग) और (घ) एक स्वतंत्र कोयला विनियामक प्राधिकरण गठित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। विभिन्न समितियों तथा विशेषज्ञ समूहों ने इस संबंध में विगत में सिफारिशें की थीं। जिस शंकर समिति का गठन कोयला क्षेत्र का रोड मैप सुझाने के लिए किया गया था, उसने भी निजी तथा राज्य स्तर की सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों से कोयला क्षेत्र में काफी नए और छोटे प्रवेशकों की संख्या पर विचार करते हुए, एक स्वतंत्र विनियामक का गठन करने का सुझाव दिया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न के भाग (ङ) के उपरोक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सर्प विष संग्रह केन्द्र

1432. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की महाराष्ट्र राज्य सरकार से सर्प विष संग्रह केन्द्र की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) मुख्य वन्यजीव वार्डन, महाराष्ट्र ने विष की सतत आपूर्ति के लिए सर्प-पालन के लिए दिशा-निर्देश मांगे थे। इस संबंध में मंत्रालय ने मुख्य वन जीव वार्डन महाराष्ट्र को सूचित किया है कि जीवन रक्षक दवाइओं को बनाने के लिए विष के निष्कर्षण के लिए सांपों को पकड़ने की अनुमति वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के अनुसार मुख्य वनजीव वार्डन द्वारा प्रदान की जा सकती है। तथापि, यदि सांप जनता को प्रदर्शित किए जाते हैं तब यह "चिड़ियाघर की परिभाषा के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा जिसके लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से अनुमोदन अपेक्षित होगा।

[अनुवाद]

"ए" ग्रेड कोयले का उत्पादन

1433. श्री श्रीपाद येसो नाईक:
श्री मदन लाल शर्मा:
प्रो. एम. रामदास:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में कोयले का वार्षिक उत्पादन, इसकी मांग तथा बिक्री कितनी रही; और

(ख) देश में कोयले के कुल उत्पादन में "ए" ग्रेड के कोयले का हिस्सा कितना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) पिछले तीन वर्षों के कोयला उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(आंकड़े मिलियन टन में)

कंपनी	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4
ईसीएल	31.114	30.466	24.059
बीसीसीएल	23.311	24.205	25.215
सीसीएल	40.513	41.319	44.146

1	2	3	4
एनसीएल	51.518	52.158	59.623
डब्ल्यूसीएल	43.204	43.212	43.512
एसईसीएल	83.024	88.502	93.791
एमसीएल	69.604	80.001	98.012
एनईसी	1.101	1.050	1.101
सीआईएल की कुल मात्रा	343.389	360.913	379.459
मूल्य करोड़ रु. में	33,997.19	35,129.17	38,865.70
एससीसीएल (मात्रा)	36.138	3707	40.604
मूल्य करोड़ रु. में	4285.81	4523.18	5376.13
मि.ट. में अखिल भारतीय कोयले की मांग	435.25	463.87	493.86

(ख) सीआईएल के कुल उत्पादन में "ए" ग्रेड कोयले का हिस्सा नीचे दिया गया है:

	2005-06	2006-07	2007-08
सीआईएल का कुल कोयला उत्पादन	343.389	360.913	379.459
"ए " ग्रेड कोयला उत्पादन मि.ट. में	4.599	4.958	4.901
"ए" ग्रेड कोयला उत्पादन का प्रतिशत	1.34	1.37	1.29

एससीसीएल में "ए" ग्रेड कोयले का कोई उत्पादन नहीं है।

सी आई एल की कोयला खानें

1434. **श्री मदन लाल शर्मा:**
प्रो. एम. रामदास:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की कोयला खानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इन खानों से कितनी मात्रा में कोयला निकाला गया है; और

(ग) इन खानों में काम करने वाले कामगारों के कल्याण के लिए क्या कार्यकलाप प्रस्तावित हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) देश में सीआईएल की कार्यशील कोयला खानों की (दिनांक 01.04.2008 के अनुसार) राज्यवार संख्या नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	राज्य	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)			
		यूजी	ओसी	मिश्रित	कुल
1.	पश्चिम बंगाल	77	14	7	98
2.	झारखंड	82	56	22	160
3.	मध्य प्रदेश	50	18	5	73
4.	उत्तर प्रदेश	0	5	0	5
5.	छत्तीसगढ़	39	12	1	52
6.	महाराष्ट्र	21	31	0	52
7.	उड़ीसा	9	17	0	26
8.	असम	5	2	0	7
	कुल	283	155	35	473

(ख) पिछले तीन वर्ष तथा चालू वर्ष (सितम्बर, 2008 तक) का कोयला उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(आंकड़े मि.ट. में)

कंपनी	2008-09 (सित. 2008 तक)	2007-08	2006-07	2005-06
1 2	3	4	5	6
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल)	11.437	24.059	30.466	31.114
भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लि. (बीसीसीएल)	10.192	25.215	24.205	23.311
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल)	14.048	44.146	41.319	40.513
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल)	28.004	59.623	52.158	51.518

1	2	3	4	5	6
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल)		20.347	43.512	43.212	43.204
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल)		46.375	93.791	88.502	83.024
महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल)		37.135	88.012	80.001	69.604
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एनईसी)		0.280	1.101	1.050	1.101
कुल		167.818	379.459	360.913	343.389

(ग) कोयला खानों में मजदूरों के कल्याण के लिए विद्यमान कार्यकलापों में आवास, जलापूर्ति, शैक्षिक संस्थाएं, चिकित्सा सुविधाएं, कैंटीन, को-आपरेटिव और बैंक शाखाएं/विस्तार पटल शामिल हैं। इन कार्यकलापों को कोयला खानों के कर्मचारियों के कल्याण के लिए जारी रखा जाएगा।

परमाणु संयंत्रों के लिए अधिग्रहीत भूमि

1435. श्री परसुराम माझी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ने अपने नए विद्युत संयंत्रों के लिए भूमि अधिग्रहीत की है; और

(ख) यदि हां, तो अधिग्रहीत भूमि का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ किन स्थलों की पहचान की गई है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) उन भावी नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं के संबंध में किसी भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें मौजूदा स्थलों नामत: ककरापार (गुजरात), रावतभाटा (राजस्थान) और कुडनकुलम (तमिलनाडु) पर विस्तार परियोजनाओं के रूप में लगाए जाने की योजना है। जैतापुर (महाराष्ट्र), एक नया स्थल है, जिसके मामले में, परमाणु संयंत्र तथा उसके अपवर्जन क्षेत्र के लिए लगभग 700 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। इस परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

इसरो से वैज्ञानिकों का पलायन

1436. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में कार्यरत अंतरिक्ष वैज्ञानिक निजी क्षेत्र में नौकरी करने के उद्देश्य से सरकारी नौकरी छोड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को नौकरी में बरकरार रखने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) इसरो में वैज्ञानिकों के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में कार्यरत अन्तरिक्ष वैज्ञानिक, निजी क्षेत्र में नौकरी करने हेतु, काफी संख्या में नौकरी छोड़ रहे हैं।

(ख) पिछले चार वर्षों के दौरान, इसरो छोड़ने वाले वैज्ञानिक/इंजीनियरों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	इसरो छोड़ने वाले वैज्ञानिकों की संख्या
2004	105
2005	100
2006	187
2007	239

(ग) सरकार ने छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अनुमोदन प्रदान किया है तथा वैज्ञानिकों/इंजीनियरों के वेतन तथा भत्ते में सुधार हुआ है। देश के उत्कृष्ट युवकों को आकर्षित करने एवं बरकरार रखने के उद्देश्य से इसरो के वैज्ञानिकों/इंजीनियरों के लिए एक विशेष प्रतिपूर्ति पैकेज का विकास किया गया है जो कि समीक्षाधीन है।

(घ) इसरो केन्द्रीकृत भर्ती बोर्ड द्वारा वार्षिक रूप में इसरो छोड़ने की वजह से हुई वैज्ञानिकों/इंजीनियरों की रिक्तियों को भरने का कार्य हो रहा है।

'आदित्य' सेटेलाइट का प्रक्षेपण

1437. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार सूर्य का अध्ययन करने के लिए 'आदित्य' नामक सेटेलाइट का प्रक्षेपण अब तक करने पर विचार कर रही है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 2012-2015 के समय ढांचे में आदित्य उपग्रह को प्रमोचित करने का प्रस्ताव अध्ययनाधीन है। आदित्य सौर किरीट व सूर्य का अध्ययन करने वाला एक उपग्रह है।

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र न भेजा जाना

1438. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय से प्राप्त निधियों के संबंध में बड़ी संख्या में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा धनराशि उपयोग प्रमाण-पत्र न भेजने के लिए विशिष्ट कारण क्या हैं;

(ख) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों से धनराशि की वसूली हेतु कोई प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस पहलू की कोई जांच करने के आदेश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) और (ख) सरकार उपयोगिता प्रमाणपत्र न प्रस्तुत करने की अनदेखी नहीं कर सकती है। युवाओं और किशोरों के गैर-सरकारी संगठनों के लिए सहायता अनुदान की योजना को 2005-06 में सरल और कारगर बना दिया गया है जिसमें मंत्रालय के विचारार्थ गैर-सरकारी संगठनों के जांच-पड़ताल, पूर्व-मूल्यांकन तथा प्राथमिकता देने के संदर्भ में राज्य सरकारों को बेहतर भूमिका दी गई है। वर्ष 2007-08 से प्रभावी वित्तीय वर्ष से ई.सी.एस. के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण किया जा रहा है तथा भेजी गई स्वीकृतियां मंत्रालय की वेबसाइट पर दिखायी जाती हैं।

(ग) और (घ) हाल ही में, मंत्रालय ने चूककर्ता गैर-सरकारी संगठनों को आखिरी नोटिस जारी किया है जिसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि उपयोगिता प्रमाणपत्र न भेजने की स्थिति में सरकार उन संगठनों को काली सूची में डालने के अलावा उनके तथा उनके कार्यकारी/बोर्ड सदस्यों के विरुद्ध सरकारी धन के दुरुपयोग के लिए सिविल/आपराधिक कार्रवाई भी करेगी।

आयुर्वेद में नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

1439. श्रीमती सी.एस. सुजाता: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आयुर्वेद में नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु केरल सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी हां, 2007-08 में केरल सरकार ने निम्नांकित तीन राजकीय कालेजों में आयुर्वेद में नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आवेदन पत्र भेजे थे:

1. वैद्यरत्नम पी.एस. वरियर आयुर्वेद कालेज, कोट्टाकल
2. राजकीय आयुर्वेद कालेज, त्रिपुनीतुरा
3. राजकीय आयुर्वेद कालेज, कन्नूर

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (सीसीआईएम) ने इन कालेजों का विधिवत निरीक्षण किया था। केन्द्र सरकार ने प्रत्येक विषय में चार सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ (1) द्रव्य गुण, (2) पंचकर्म, तथा (3) स्वास्थ्य वृत्त में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए वैद्यरत्न पी.एस. वरियर आयुर्वेद कालेज, कोट्टाकल तथा प्रत्येक विषय में चार सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ (1) द्रव्य गुण, (2) रसशास्त्र, (3) शालक्य तंत्र, तथा (4) पंचकर्म में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए राजकीय आयुर्वेद कालेज, त्रिपुनीतुरा को अनुमति पत्र जारी किया है। राजकीय आयुर्वेद कालेज, कन्नूर को इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकी क्योंकि कालेज के पास संबंधित विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्मिक और अवसंरचना उपलब्ध नहीं थी।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर में घटता वन क्षेत्र

1440. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री किरेन रिजीजू:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेड़ों के काटे जाने के कारण पूर्वोत्तर में वन क्षेत्र काफी घट गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में वन आयुक्त ने सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों तथा इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) वर्ष 2003 के आकलन की तुलना में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 2005 में किए गए आकलन के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में 278 वर्ग कि.मी. की हानि देखी गई है। क्षेत्र में राज्यवार वन क्षेत्र पिछले आकलन की तुलना में परिवर्तनों के साथ नीचे सारणी में दिया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन आवरण

(क्षेत्र वर्ग कि.मी.)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र	वन आवरण (2005 आकलन)				भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत	2003 के आकलन की तुलना में परिवर्तन
		अत्यधिक घने वन	कम घन वन	खुले वन	कुल वन		
अरुणाचल प्रदेश	83,743	14,411	37,977	15,389	67,777	80.93	85
असम	78,438	1,444	11,387	14,814	27,645	35.24	-90
मणिपुर	22,327	923	5,541	10,622	17,086	76.53	-173
मेघालय	22,429	338	6,808	9,842	16,988	75.74	63
मिजोरम	21,081	133	6,173	12,378	18,684	88.63	101
नागालैंड	16,579	236	5,602	7,881	13,719	82.75	-296
त्रिपुरा	10,486	61	4,969	3,125	8,155	77.77	32
कुल	255,083	17,546	78,457	74,051	170,054	66.67	-278

हानि के मुख्य कारण झूम खेती, बांस पुष्पण और क्षेत्र के कुछ भागों में वृक्षों की अवैध कटाई है।

(ग) जी, हां। राष्ट्रीय वन आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की थी।

(घ) 'पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन' अध्याय पर सिफारिशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। रिपोर्ट की पूर्ण प्रति मंत्रालय की वेब साइट (www.envfor.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ङ) राष्ट्रीय वन आयोग की रिपोर्ट को प्रशासनिक संभाव्यता, वित्तीय संभाव्यता, कानूनी संभाव्यता के दृष्टिकोण से जांचा गया था। उसके बाद, मंत्रिमंडल सचिवालय से आवश्यक कार्रवाई के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ राष्ट्रीय वन आयोग से सुझाव लेने का अनुरोध किया गया। इस बीच, यह मंत्रालय आयोग की सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही स्कीमों और साथ ही साथ नीति हस्तक्षेपों के माध्यम से उपाय कर रहा है।

विवरण

''पूर्वोत्तर वन क्षेत्रों'' पर राष्ट्रीय वन आयोग की सिफारिशें

* पूर्वोत्तर लोगों के पारम्परिक अधिकारों का सम्मान किया जाए। उनके पास अपने वनों का संरक्षण, प्रबंधन और उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए।

* बेहतर पशु पालन, बागवानी, व्यवस्थित कृषि, मधुमक्खी पालन और अन्य उचित कृषीय और पशुचारी प्रणालियों

और व्यवसायों द्वारा झूम खेती से झूमियां को हटाना। इस संबंध में यह नोट करना संगत है कि भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद (1989) ने सूचित किया है कि इस क्षेत्र में लगभग 4.5 लाख परिवार झूम खेती कर रहे थे और एक परिवार को झूम खेती से हटाने की कुल लागत 50,000/- रु. थी। इससे 2250 करोड़ रु. का कुल परिव्यय बनेगा जो कि 10 अथवा 15 वर्षों में चरणबद्ध रूप से खत्म करने के लिए बहुत अधिक आवश्यक नहीं था। स्थिति परिवर्तित हो सकती थी लेकिन स्वीकार्य विकल्पों और वित्तीय आवश्यकताओं का विस्तृत आकलन करने की आवश्यकता है और प्रशासनिक ध्यान तथा आबंटन को उच्च प्राथमिकता दी जाए।

* जब तक कि झूम खेती से लोगों को हटाने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए, इस बीच

  (क) झूम खेती के क्षेत्रों के वर्गीकरण पर पुनर्विचार और खाली अवधि में अनुकूली वन प्रबंध के साथ उन्हें कृषीय भूमि में वर्गीकृत करते हुए अन्तरण कृषकों के लिए दोनों कृषीय और खाली चरणों के लिए भू-धारण अधिकार की सुरक्षा को बढ़ाना।

  (ख) उन्नत स्थानीय स्तर शासन, आदिवासियों का प्रबंध समुदाय आधारित प्राकृतिक संसाधन और आवधिक पहुंच और नियंत्रण के लिए कस्टमरी संस्थानों को सुदृढ़ और योग्य बनाना।

  (ग) मौजूदा ऋण नीतियों को उन स्थितियों के लिए संवेदनशील और प्रोएक्टिव बनाने के लिए पुन: अनुकूलित करना जहां सामूहिक सम्पदा सामाजिक व्यवस्था लागू होती है।

  (घ) विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना जिनके पास अन्तरण कृषि के पहलुओं के लिए जिम्मेदारी है विशेषत: वानिकी, कृषि, ग्रामीण विकास।

* झूम के विकल्प के रूप में इस क्षेत्र में भू-स्वामियों को देने के लिए पूर्वोत्तर में औषधीय पौधों का प्रचार और विक्रय बहुत ही आशाजनक प्रस्ताव होगा। इस संबंध में एक विशेष पारि-स्थितिकीय सतत कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

* बांस पूर्वोत्तर की सर्वाधिक बहुमुखी फसल है और इसका प्रबंध तथा सुरक्षा अच्छे ढंग से की जा सकती है, यदि प्रचार, खेती, प्रबंध, पैदावार, मूल्य संवर्धन और विपणन 'मिशन मोर्ड' के द्वारा किया जाए और अधिदेश पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पास हो। बांस एक अग्नि पौधा है और पूर्वोत्तर में प्रचुरता से उगता है। इसके वाणिज्यिक उपयोग के लिए सुविधाएं होनी चाहिए।

* कृषि वानिकी एक अन्य व्यवहार्य विकल्प है। लेकिन इसकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद की फसल, लाने ले जाने और बिक्री में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। मिजोरम ने बड़े पैमाने पर सागौन की खेती की है। लेकिन किसानों को सरकारी स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना इस वृक्ष को उखाड़ने/निकालने का अधिकार अवश्य होना चाहिए।

* आई सी ए आर, सेन्टर बागवानी ने जीवन यापन को स्वत: संपोषित और लाभकारी बनाने के लिए बागवानी/कुक्कुट पालन के साथ व्यवस्थित कृषि के कृषि जलवायिक जोन बनाने के लिए कई माडल्स विकसित किए हैं। इस कार्य को प्रोत्साहित और समर्थित करने की आवश्यकता है।

* केन्द्र सरकार और पूर्वोत्तर परिषद वन संरक्षण और झूम कृषि को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने में अधिक प्रोएक्टिव भूमिका निभा सकती है। इसमें वृहत्तर वित्तीय आबंटन, वनीकरण के लिए अधिक स्कीम, पुनरुद्धार, पारि-विकास, कृषि, पशु पालन, स्थानीय कला और शिल्प का विकास शामिल होगा।

* ग्राम परिषदों और व्यक्तियों ने उद्यानों और अभयारण्यों को बनाने के लिए भूमि दान में दी है और कुछ घटनाओं में वन भूमियों को बेचा भी है। मिजोरम में मुरलेन और दाम्पा, अरुणाचल प्रदेश में मेहाऊ और मेघालय में नोक्रेक कुछ उदाहरण है। इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और स्थानीय लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों के साथ जोड़ा जाना चाहिए और पर्यटन के माध्यम से आर्थिक लाभ अवश्य प्राप्त करने चाहिए। मुरलेम के लोग, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान में और 50 वर्ग कि.मी. जोड़ने को तैयार है यदि गांव की ओर उनके लिए वैकल्पिक मार्ग विकसित किया जाता और कुछ पारि विकास कार्य शुरू किया जाता है।

* जहां भी संभव हो, अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक भूमियों तथा पवित्र उपवनों (मेघालय में लिंगदोहस के नाम से जाना जाने वाला) पर वन्यजीव (सुरक्षा) सामुदायिक रिजर्व स्थापित किए जाएं तथा इनके संरक्षण तथा प्रबंधन में संबंधित जनजातिय समुदायों को शामिल किया जाए तथा इन सुरक्षित क्षेत्रों में गर्व की भावना मन में बैठानी चाहिए। इस संबंध में;

इस क्षेत्र में पवित्र वनों की सम्पूर्ण सूची तैयार की जाए। इन्हें या तो स्वायत्त जिला परिषद अथवा राज्य वन विभाग के पास मौजूदा अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत पंजीकृत कराया जाना चाहिए।

प्रत्येक पवित्र वन में जैव-विविधता के विभिन्न घटकों के लिए सर्वेक्षण अविलंब आधार पर पूरा किया जाना चाहिए।

पवित्र वनों को, भूमि स्वामित्व स्थिति में परिवर्तन किए बिना, सामुदायिक रिजर्वों सहित, सुरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत लाया जाए। अवक्रमित वनों जैसे मामले में, यदि आवश्यक ही हो तो, सरकारी अभिकरण समुदायों के साथ संयुक्त रूप से अंत: क्षेप डिजाइन कर सकते हैं। ऐसे अंतक्षेपों को शुरू करने से पहले, इन पवित्र वनों को चलाने वाले परम्परागत संस्थानों से यथा अनुमोदन अवश्य लेना चाहिए।

पवित्र वनों सहित सामुदायिक वन क्षेत्रों के संरक्षण के लिए सरकार की एक अम्ब्रैला स्कीम होनी चाहिए। आस-पास के सामुदायिक वन क्षेत्रों का विकास समुदाय की जैवमंडलीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनिवार्य है, जिससे पवित्र वनों पर दबाव कम होगा। ऐसी स्कीमें वन विभाग तथा संबंधित परम्परागत संस्थानों के द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित की जानी चाहिए। स्कीम के अंतर्गत, वे जनजातीय लोग जो पवित्र वनों का संरक्षण/परिरक्षण करते हैं, के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान किया जाना चाहिए।

पवित्र वनों को केवल धार्मिक विश्वासों के आधार पर और अधिक सुरक्षित नहीं किया जा सकता। इसलिए, ऐसे वनों के वैज्ञानिक मूल्य के बारे में लोगों को शिक्षित करना अनिवार्य है तथा संरक्षण प्रवृत्ति को धार्मिक विश्वासों के साथ मिलाकर चलना चाहिए।

पवित्र वनों से निकलने वाली पारि-प्रणाली सेवाओं की विविधता को अवश्य ही अभिज्ञात किया जाए तथा ऐसी सेवाओं का मूल्यांकन भी अवश्य किया जाना चाहिए। इन सेवाओं के संबंध में 'यूजर पे' सिद्धांत को अपनाने के लिए अवश्य ही नीति विकसित की जानी चाहिए तथा वे लोग जो इन पवित्र वनों की सुरक्षा करते हैं, उन्हें लाभ भी प्रदान किए जाए।

* वनों में, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं उपद्रव प्रभावी क्षेत्रों में अवैध कटाई, अवक्रमण, घुसपैठ, तस्करी एवं अवैध शिकार को रोकने के लिए संगठन की और प्रवृत्त अथवा वृहत्त स्तर उल्लंघनों अथवा उपद्रवों, विशेष सुरक्षा अथवा अर्ध-सैनिक बल की नियुक्ति करने की जरूरत है।

* वनावरण के स्वरूप में विदेशी प्रजातियों के हमलों एवं परिवर्तनों की सीमा सहित गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तनों का आकलन करने के लिए वन क्षेत्रों तथा वनावरण के विस्तृत दूरस्थ संवेदी कार्य को समय-समय पर करने के काम को भारतीय वन सर्वेक्षण को सौंपे जाने की आवश्यकता है।

* विभिन्न समुदायों, व्यक्तियों एवं स्वयं वन विभागों के वनों का भूकर मानचित्र सर्वेक्षण तथा उन्हें वास्तविक रूप से चिन्हित एवं चित्रित किए जाने की आवश्यकता है।

* उत्तर-पूर्वी राज्यों की विवादास्पद सीमाओं के बीच नियंत्रण की कमी के परिणामस्वरूप अतिक्रमण एवं अवैध कटाई की दिक्कतें पैदा हुई हैं। भारत सरकार के तत्वाधान में सीमा विवादों को यथाशीघ्र अविलंब निपटाया जाए।

* एक तरफ उत्तर-पूर्वी राज्यों और म्यांमार तथा दूसरी और बंगलादेश के बीच काष्ठ, वन्यजीवों एवं नव उत्पादों की अवैध आवा-जाही है। सीमाओं पर अर्ध सैनिक बलों द्वारा इसे अवश्य ही रोका जाना चाहिए।

गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

1441. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र की विभिन्न योजनाओं के लिए आपके मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में प्राप्त धनराशि तथा किए गए व्यय का गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे गैर-सरकारी संगठनों ने उक्त अवधि के लिए धनराशि उपयोग प्रमाण-पत्र भेजे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसी सहायता किन योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) से (ग) महाराष्ट्र में गैर-सरकारी संगठनों, जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त की है; के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

वर्ष 2006-07 और 2008 में किशोरों के विकास और सशक्तीकरण तथा राष्ट्रीय एकीकरण संवर्धन योजना के अंतर्गत दस मामलों को छोड़कर सभी गैर-सरकारी संगठनों, जिन्होंने वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान अनुदान प्राप्त किए हैं, ने उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिए हैं। उपर्युक्त दस मामलों के सिवाए सभी गैर-सरकारी संगठनों ने खर्च पूर्णत: किया है।

(घ) गैर-सरकारी संगठनों के पास लेखा प्रक्रिया, प्रलेखन और रिपोर्ट आदि की तैयारी की दृष्टि से सीमित क्षमता है। वे उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने में आवश्यक प्रलेखों की तैयारी करने के लिए प्रमाणित चार्टर्ड लेखाकारों सहित अन्यों से सहायता लेते हैं जिससे विलंब होता है।

(ङ) खेल अवसंरचना के सृजन, राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन, साहस का संवर्धन, युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण तथा किशोरों के विकास एवं सशक्तीकरण के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

विवरण

(लाख रु.)

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठनों का नाम	योजना का नाम	जारी की गई निधि	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ (हां/नहीं)
1	2	3	4	5
2005-06				
1.	लोक सेवा शिक्षण प्रसारक मंडल, तह. उमेरखेड़, जिला-यवतमाल	राष्ट्रीय एकीकरण	1.25	हां
		युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण	0.65	हां
2.	ख्वाजा गरीब नवाज चेरिटेबल मेडिकल एड और समाज स्वास्थ्य कल्याण संघ, गुजरी रोड, पुसाद, यवतमाल	राष्ट्रीय एकीकरण	1.25	हां
		साहस का संवर्धन	0.63	हां
3.	हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, हनुमान व्यायाम नगर, अमरावती	साहस का संवर्धन	0.86	हां
4.	जोगाई माता खादी और ग्रामोद्योग संस्था, मच्छी बाजार, जिला-धुले	युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण	0.26	हां
5.	नाइस टेक्निकल इंस्टीट्यूट, 5603 दिल्ली गेड, अहमदनगर	युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण	0.26	हां
6.	स्नेह दीप एजूकेशन सोसायटी, एन-9/ए, 115/ए, 5/3, शिवनारी कालोनी, सिडको, औरंगाबाद	युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण	1.31	हां
7.	प्रबोधन सार्वजनिक विकास संस्थान, 28 संत गाडज महाराज कालोनी, देवपुर, धुले	युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण	0.14	हां

1	2	3	4	5
8.	जनहितार्थ बहुउद्देशीय शिक्षण और सेवाई भाई महिला संस्था, जहांगिरधर काम्पलेक्स, वार्ड नं. 82, मालीवाडा, जूना बाजार, औरंगाबाद	युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण	0.65	हां
9.	सौरभ बहुउद्देशीय कल्याणकारी संस्थान, ओल्ड बाबुलखेड़ा, प्लाट नं. 42, नागपुर	युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण	0.26	हां
10.	महाराष्ट्र तांत्रिक शिक्षण माडल, अहमदनगर, कौस्तुभ सेवा नगर, सोवेडी रोड, अहमदनगर	युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण	0.24	हां
11.	नेहरू युवा केन्द्र, नं. 4, प्लाट नं. 11 शास्त्री नगर, अकोला	युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण	0.54	हां
12.	नेहरू युवा केन्द्र पितृछाया बिल्डिंग, डांडे प्लाट, डांडे लेआउट, बुलढाना	युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण	0.73	हां
13.	नेहरू युवा केन्द्र, 7/1 शास्त्री नगर, टोप नगर अमरावती के समीप	युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण	0.73	हां
14.	नेहरू युवा केन्द्र 349/2, कस्तूरबा भवन, बजाज नगर, नागपुर	युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण	0.73	हां
15.	रामतक शिक्षण विकास संस्था, नागपुर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.35	हां
16.	श्री विश्वकर्मा शिक्षण प्रसारक मंडल, धुले	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	0.75	हां
17.	लक्ष्मीबाई सेवाभावी ग्राम विकास मंडल, जालना	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.75	हां
18.	चेतन कृषि ग्रामीण विकास, सेवाभावी संस्थान, धुले	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	0.75	हां
19.	प्रगति मल्टीपर्पज महिला कल्याण मंडल, बुलढाना	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.35	हां
20.	शिव शक्ति प्रतिष्ठान, धुले	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.56	हां
21.	इंदिरा महिला बाल कल्याण और अपांग पुनर्वासन विकास मंडल, धुले	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	2.73	हां
22.	जोगइ माता सांस्कृतिक सामाजिक शिक्षणिक मंडल, धुले	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.56	हां
23.	रेणुका देवी महिला मंडल, लातूर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	2.58	हां
24.	सार्क मल्टीपर्पज सोसायटी, नागपुर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.35	हां

*दशमलव के बाद दो अंकों को पूर्णांकित कर दिया गया।

1	2	3	4	5
25.	जोगेश्वरी ग्रामीण विकास सेवाभावी संस्था, धुले	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.35	हां
26.	आशापुरी देवी शैक्षणिक एवं सामाजिक, धुले	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.19	हां
27.	प्रगति महिला मंडल, लातूर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	2.17	हां
28.	अंकुर कंप्यूटर अकादमी, सतारा	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	9.06	हां
29.	आजाद शिक्षण प्रसारक मंडल, धुले	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	2.34	हां
30.	नेहरू युवा मंडल, धुले	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	0.75	हां
31.	किशोर कुमार जल कल्याण शिक्षण प्रसारक मंडल, जालना	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.30	हां
32.	जागृति मल्टीपर्पज युवक शिक्षण प्रसारक मंडल, बुलढाना	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.75	हां
33.	जन सेवा एजूकेशन सोसायटी, लातूर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.75	हां
34.	मानव सेवा लोक कल्याण महासंघ, नागपुर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.35	हां
35.	सेंट्रल एजूकेशन सोसायटी, नागपुर	खेल अवसंरचना का सृजन	45.00	हां
2006–07				
1.	जिला युवक समन्वयक, नेयुके, अहमदनगर	राष्ट्रीय एकीकरण	0.68	हां
2.	प्रवारा इंस्टीट्यूट आफ रिसर्च एंड एजूकेशन इन नेचुरल एंड सोशल सर्विस लोनी बीके, तालुका-राहता, अहमदनगर	युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण	0.79	हां
3.	जीवनधारा शैक्षणिक वाया सामाजिक प्रतिष्ठान, केअर आफ लक्ष्मी हास्पिटल, बश्वेश्वर चौ, कावा रोड, लातूर	युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण	0.53	हां
4.	प्रियदर्शिनी ग्रामीण और आदिवासी सेवाभावी संस्था, दीपराज काम्पलेक्स, अहमदनगर	युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण	0.38	हां
5.	स्नेहदीप एजूकेशन सोसायटी एन-9/आर-26, मकान नं. 134, सिडको, रायगढ़ नगर, औरंगाबाद-3	युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण	1.31	हां
		किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.10	हां
6.	नारायना व्यायामशाला और क्रीडा मंडल, सिडको, एन-7, एफ-48/7, अयोध्या नगर, औरंगाबाद-3	युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण	0.43	हां
		किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	0.85	हां

1	2	3	4	5
7.	ग्रामीण विविध कल्याणकारी शैक्षणिक संस्था, 10, त्रिशरन नगर, खामला, नागपुर-25	युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण	0.43	हां
		किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	3.12	हां
8.	श्री राम बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, खरोसा रफीक, औसा, जिला-लातूर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.95	हां
9.	पदमावती बहुउद्देशीय महिला मंडल, प्लाट नं. 1 शिवेश्वर कालोनी, जीतू कम्युनिकेशन मयूर पार्क रोड के समीप, औरंगाबाद	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	0.85	हां
10.	ग्राम विकास सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक युवक सेवाभावी संस्था, 1/11/86, वसंतनगर, नांदेड	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.10	हां
11.	राष्ट्रीय भवन सामाजिक संगठन, पो. इंदिरा नगर, नागपुर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.04	हां
12.	क्रांति ज्योति सावित्रीबाई, धुले महिला बहुउद्देशीय संस्था, जलगांव, 18-ए, शिक्षकवाणी पीपुल क्वापरेटिव बैंक के सामने, जलगांव	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	3.12	हां
13.	स्वर्गवासी दादा पाटिल बहुउद्देशीय संस्था, लमन गांव, कन्नड़, औरंगाबाद	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	2.38	नहीं
14.	मराठवाड़ा, ग्रामीण विकास संस्था, जिला-औरंगाबाद	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	3.12	हां
15.	ऐश्वर्य बहुउद्देशीय संस्था, नागपुर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.95	नहीं
16.	विकल्प सोसायटी फार संस्टेनेबुल डेवलपमेंट, 162, पांडे लेआउट, खामला, नागपुर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.04	हां
17.	शिवशक्ति महिला मंडल, तालुका-करमला, जिला-सोलापुर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.10	हां
18.	लोक विकास सेवा संस्था दरफाल तलमधा, जिला-सोलापुर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.10	नहीं
19.	सोसायटी फार एक्शन इन मल्टीपर्पज एक्टीविटीज एंड ट्राइवल अवेयरनेस गढ़चिरौली, राम नगर वार्ड, जिला-गढ़चिरौली	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	0.50	हां
20.	लक्ष्मी महिला मंडल लखमपुरी, पो. सुखापुरी, तालुका-अम्बाद, जिला-जालना	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	0.85	हां

1	2	3	4	5
21.	ग्राम विकास संस्था औरंगाबाद	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.10	नहीं
22.	श्री दत्ता प्रभु शिक्षण प्रसारक मंडल, ए 16/4, 11वीं स्कीम गरखेड़ा एरिया, सिडको, औरंगाबाद	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	0.85	नहीं
23.	नेहरू युवक क्रीडा मंडल, खरोसा, लातूर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.10	हां
24.	विद्या वर्धनी युवा और महिला बहुउद्देशीय संस्था, बडगांव	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.73	हां
25.	श्री संत धनेश्वर ग्रामीण बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडल, लातूर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.73	हां
26.	स्वर्गीय अन्ना साहिब तथा सुधीर बाबू राव पेठाकर शिक्षण प्रसारक संस्था, मालेगांव	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	3.12	हां
27.	सिद्धिविनायक बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, लातूर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	2.24	हां
28.	एकता युवा मंडल, लातूर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.10	हां
29.	जन सेवा प्रतिष्ठान, सांगली	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.10	हां
30.	छत्रपति शिवाजी महाराज, अपेक्षपुरम व्यसनमुक्ति केन्द्र, राम नगर, उस्मानाबाद	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	2.07	हां
31.	आई देवमोग्रा महिला मंडल, धुले	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	3.12	हां
32.	मधुमती महिला मंडल, लातूर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	3.12	हां
33.	मानव जीवन विकास प्रतिष्ठान, लातूर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	3.12	हां
34.	सुखशांति महिला विकास मंडल, औरंगाबाद	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.10	हां
35.	ऋषिकेश महिला विकास बहुउद्देशीय संस्थान, औरंगाबाद	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	3.12	हां
36.	तुलजाभवानी सेवाभावी संस्थान, यवतमाल	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	0.90	हां
37.	नील कमल एजूकेशन सोसायटी और रिसर्च सेंटर, सोलापुर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	3.12	हां
38.	भाग्योदय बहुउद्देशीय, सोलापुर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.00	हां
39.	स्वर्गीय अब्दुल्ला कादरी मेमोरियल मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर, उदयगीर, लातूर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.73	हां

1	2	3	4	5
40.	एग्रोवेट सेटी ग्राम विकास मंडल, लातूर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	3.12	हां
41.	सर्वोदय बहुउद्देशीय, उस्मानाबाद	किशोरों का विकास और सशक्तिकरण	1.50	हां
42.	जिजौ बहुउद्देशीय, धुले	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.28	हां
43.	श्री चन्द्रिका ग्राम विकास मंडल, धुले	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.73	हां
44.	यूथ वेलफेयर एसोसिएशन, बुलढाना	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.00	हां
45.	इंदिरा शिक्षण क्रीडा व ग्राम विकास मंडल, प्रभानी	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.00	हां
46.	आधार हुडको कार्नर, औरंगाबाद	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.10	हां
47.	प्रबोधन संस्था, जलगांव	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.10	हां
48.	श्री साईं सेवाभावी संस्था, लातूर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	3.12	हां
49.	स्वर्गीय रामाराव बहुउद्देशीय संस्था, लातूर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.10	हां
50.	श्रीराम क्रीडा और शिक्षण प्रसारक मंडल, लातूर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.10	हां
51.	विद्या विकास शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्था, लातूर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.28	हां
52.	लिबरल फ्रेंडस एसोसिएशन, अमरावती	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	2.34	हां
53.	छत्रपति शिवाजी सार्वजनिक शैक्षिक बहुउद्देशीय संस्था, धुले	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	0.50	हां
54.	सांगली जिला नेहरू युवा फेडरेशन, सांगली	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.10	हां
55.	रुग्ण सेवा प्रकल्प, सांगली	किशोरो का विकास और सशक्तीकरण	1.10	हां
56.	गोविन्द राज शिक्षण प्रसारक मंडल, लातूर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.28	हां
57.	जयकाली सांस्कृतिक मंडल, औरंगाबाद	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.10	हां
58.	लोक आदर्श बहुउद्देशीय संस्था, धुले	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.10	हां
59.	संकेत खादी ग्रामोद्योग बहुउद्देशीय संस्था, अकोला	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	0.90	हां
60.	संत कबीर शिक्षण प्रसारक मंडल, औरंगाबाद	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	2.30	हां
61.	आस्था क्रीडा व्यायाम एंड सांस्कृतिक युवक मंडल, सांगली	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.10	हां
62.	संजीवनी एजुकेशन सोसायटी, धुले	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	0.50	हां
63.	नेहरू युवा मंडल, धुले	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	0.50	हां

1	2	3	4	5
64.	नेहरू युवा मंडल, गोंडइ, धुले	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.10	हां
65.	मातोसी गुजराती भामरे सावजनिक वाचनालय, धुले	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.10	हां
66.	सुयोग बहुउद्देशीय शैक्षणिक सामाजिक सेवाभावी संस्था, धुले	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	0.50	हां
67.	आदिवासी कल्याण सेवा संस्था, धुले	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	0.50	हां
68.	कई सौ पार्वती बाइ थोर मगस महिला सार्वजनिक वाचनालय, सोलापुर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.10	हां
69.	मंडल साइन मोहित पाटिल, बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, सोलापुर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	0.79	हां
70.	काशीबाई मेगावर्गीय बहुउद्देशीय संस्था, सोलापुर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.10	हां
71.	प्रबोधन सार्वजनिक विकास संस्था, धुले	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.10	हां
72.	क्रांति सोसल कल्चरल क्लब, धुले	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.00	हां
73.	आजाद शिक्षण प्रसारक संस्था, धुले	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.28	हां
74.	चिरइदेवी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, धुले	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	0.50	हां
75.	तिरूपति बहुउद्देशीय संस्था, धुले	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.00	हां
76.	स्वर्गीय विराल राव दाक हैल्थ स्कूल एवं क्रीडा मंडल, नांदेड़	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	0.50	हां
77.	तेहमिराज एजुकेशन सोसायटी, सांगली	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.10	हां
78.	गुराव लोखित वार्ड हाक मंडल, रतनगिरि	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.10	हां
79.	नेशनल हेल्थ एवं ला रिसर्च इंस्टीट्यूट, थाने	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.00	हां
80.	सोनाली मागसवर्गीय महिला मंडल, हलेमपुरा, नांदेड़	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.10	हां
81.	सोनाली शिक्षण संस्थान, गढ़चिरौली	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	3.12	हां
82.	अविश बहुउद्देशीय युवक मंडल, भान्द्रा	किशोरों का विकास और सशक्तोकरण	1.28	हां
83.	महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल, नांदेड़	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.28	हां
84.	गिरिजा सेवाभावी संस्था, परभनी	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.10	हां
85.	पराडिग्रु इंस्टीट्यूट आफ सोसल सर्विस, पुणे	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.17	हां
86.	महुश्यबाइ विकास व श्रीसोदहन बहुउद्देशीय संस्था, गोंडिया	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.28	हां

1	2	3	4	5
87.	लोकमान्य शिक्षण प्रसारक मंडल, लातूर	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.73	हां
88.	राजा लखूजी राव ददहेव शिक्षण संस्था, बुलडाना	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.00	हां
89.	लक्ष्मीबाई वाचनालय और बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, जालना	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	0.50	हां
90.	लक्ष्मीबाई सेवाभीव ग्राम विकास मंडल, जालना	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	1.73	हां
91.	जय किसान सेवाभावी विकास मंडल, जालना	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	0.50	हां
92.	किशोर कुमार जन कल्याण शिक्षण प्रसारक मंडल, जालना	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	0.50	हां
93.	श्री महिला बाल कल्याण और अपंग पुनर्वासन विकास मंडल, धुले	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	0.50	हां
94.	ग्राम विकास बहुउद्देशीय संस्था, जलगांव	किशोरों का विकास और सशक्तीकरण	0.50	हां
95.	प्रबोधन फाउंडेशन फार ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट परवारा नगर, जिला-अहमदनगर	खेल अवसंरचना का सृजन	90.00	इस मामले में उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपेक्षित नहीं है क्योंकि यह प्रमाण-पत्र और लेखे आदि के समापन के आधार पर प्रथम और अंतिम किश्त है।
2007-08				
1.	महावीर महाविद्यालय, कोल्हापुर	राष्ट्रीय एकीकरण	1.66	हां
2.	आई देव माग्रा महिला मंडल, चेन्नई रोड, धुले	राष्ट्रीय एकीकरण	0.83	नहीं
3.	संत टुकोजी महाराज आदिवासी बहुउद्देशीय संस्था, धनकइ, यवतमाल	राष्ट्रीय एकीकरण	0.83	नहीं
4.	श्री गुरुदेव बहुउद्देशीय विकास संस्था, पाटन, जिला यवतमाल	राष्ट्रीय एकीकरण	0.83	नहीं
5.	अंतरंग सामाजिक विकास संस्था, नागपुर	राष्ट्रीय एकीकरण	0.83	हां
6.	परिवर्तन प्रतिष्ठान बीड	राष्ट्रीय एकीकरण	0.83	हां
7.	जुगइ माता सांस्कृतिक सामाजिक शैक्षणिक मंडल, धुले	राष्ट्रीय एकीकरण	0.83	नहीं

1	2	3	4	5
8.	सांगली जिला नेहरू युवा फेडरेशन, आस्था, जिला सांगली	राष्ट्रीय एकीकरण	0.83	हां
9.	आस्था क्रीडा व्यायाम और सांस्कृतिक युवक मंडल, जिला सांगली	राष्ट्रीय एकीकरण	0.83	नहीं
10.	महात्मा बशेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल, सोलापुर	राष्ट्रीय एकीकरण	0.70	हां
11.	सोनाली शिक्षण संस्था वाया ए.ए. उकाय, सिविल अस्पताल के पीछे, जिला-गढ़चिरौली	राष्ट्रीय एकीकरण	0.83	हां
12.	श्री वैश्वी महिला व आदिवासी विकास संस्था, शिवरपन, वीएम परिसर, वालगांव रोड, अमरावती	युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण	0.87	हां
13.	सोसायटी फार एक्शन मल्टीपर्पज एक्टीविटी एंड ट्राइबल अवेयरनेस, केशवसुत, स्नेह नगर, गढ़चिरौली-5	युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण	0.43	हां
14.	स्वर्गवासी दादापाटिल बहुउद्देशीय संस्था आर.एम. 293, बजाज नगर, एमआईडीसी वालेज, तह-गंगापुर, औरंगाबाद	युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण	0.43	हां
15.	ऋषिकेश महिला विकास बहुउद्देशीय संस्था, ए-16/4, शिवाजी नगर, सिडको, औरंगाबाद	युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण	0.43	हां
16.	क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले, महिला बहुउद्देशीय संस्था, पारसी, जिला-जलगांव	युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण	0.43	हां
17.	विद्या वर्धिनी युवा और महिला विकास बहुउद्देशीय संस्था, 3 जीवन विकास कालोनी, जिला-जलगांव	युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण	0.43	हां
2008-09				
1.	महात्मा बशेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल, 857 न्यू पच्छा पेथ, अशोक चौक, सोलापुर	राष्ट्रीय एकीकरण	0.23	हां
2.	परिवर्तन प्रतिष्ठान, अग्रवाल काम्पलेक्स बसीर गुंज, बीड	राष्ट्रीय एकीकरण	1.16	हां
3.	सोलानी शिक्षण संस्थान वाया जागेश्वर बेसन, टावर टैंक के पीछे, पो.-गढ़चिरौली, जिला-गढ़चिरौली	राष्ट्रीय एकीकरण	0.27	हां
4.	ख्वाजा गरीब नवाज चेरिटेबुल मेडिकल एड एंड सोसल वेलफेयर एसोसिएशन, पुशाद, जिला-यवतमाल	साहस का संवर्धन	0.28	हां

[अनुवाद]

अस्पताल प्रबन्धन पाठ्यक्रम

1442. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अस्पताल प्रबन्धन पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले मान्यता प्राप्त/सम्बद्ध कालेजों/संस्थानों की स्थान-वार संख्या कितनी है; और

(ख) ऐसे कालेजों/संस्थानों में सीटों के आरक्षण सहित प्रवेश संबंधी मानदण्डों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विभिन्न राज्यों को विशेष पैकेज

1443. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु गुजरात सहित देश के विभिन्न राज्यों को विशेष पैकेज प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में तत्संबंधी राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पैकेजों के अंतर्गत प्राप्त तथा उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) भारत सरकार सामान्यत: राज्य विशिष्ट विशेष-पैकेजों के लिए निधियां जारी नहीं करती है। फिर भी राज्य विशिष्ट आवश्यकता आधारित विशेष वितरण वार्षिक/पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान कार्यक्रमों/स्कीमों के माध्यम से जब और जैसा अपेक्षित होता है, किया जाता है।

सीमेंट फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषण

1444. श्री वी.के. ठुम्मर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमेंट फैक्ट्रियों के शुरू होने से वनों का अनाच्छादन होने लगा है और प्रदूषण फैलने लगा है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) देश में कुल 132 सीमेंट संयंत्र हैं। इनमें से निम्नलिखित 2 संयंत्र अनुपालना नहीं कर रहे हैं:

(1) मैसर्स सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, बोकाजन सीमेंट फैक्टरी, असम।

(2) मैसर्स डायमण्ड सीमेंट (मैसर्ज मैसूर सीमेंट लिमिटेड की एक इकाई), दमोह, मध्य प्रदेश।

गुजरात में 10 सीमेंट संयंत्र चल रहे हैं। सूचना के अनुसार ये सभी अनुपालना कर रहे हैं।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोगों के लिए वन भूमि के अपवर्तन हेतु राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वन क्षेत्र में सीमेंट फैक्टरी की स्थापना एक वनेत्तर उपयोग है तथा तद्नुसार जब भी ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है, इसे प्राथमिकता आधार पर प्रोसेस किया जाता है तथा यदि अपरिहार्य पाया जाता है तो वन एवं पर्यावरण पर ऐसे उद्योग के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के अनुबंध के साथ, इस उद्देश्य के लिए भूमि अपवर्तित कर दी जाती है।

(ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु (प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18(1) (ख) के अंतर्गत असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को गैर-अनुपालना करने वाली इकाइयों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निदेश जारी किए हैं।

[अनुवाद]

वन्यजीव संरक्षण हेतु धनराशि

1445. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य सरकारों से वन्यजीव संरक्षण के लिए धनराशि के अनुरोध वाले प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनमें से प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम जैसे कि 'राष्ट्रीय उद्यानों का विकास' 'बाघ परियोजना' तथा 'हाथी परियोजना' के अंतर्गत वन्यजीव संरक्षण हेतु वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के लिए महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ऐसे प्रस्तावों पर प्रक्रिया मंत्रालय में निधियों की उपलब्धता तथा आवश्यक प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के पूरा होने के अधीन हैं। चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2008-09 के दौरान महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों को अब तक जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	2008-09 में (अब तक) जारी की गई धनराशि (रु. लाख में)		
		राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों का विकास	बाघ परियोजना	हाथी परियोजना
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	73.48	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	92.378	26.083	25.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	168.17	–	65.00
4.	असम	139.90	27.5694	130.00
5.	बिहार	37.558	49.6731	–
6.	छत्तीसगढ़	243.86	92.1297	–
7.	दादरा और नगर हवेली	15.62	–	–
8.	दमन और दीव	6.12	–	–
9.	दिल्ली	–	–	–
10.	गोवा	41.94	–	–
11.	गुजरात	263.48	–	–
12.	हरियाणा	48.02	–	–
13.	हिमाचल प्रदेश	228.09	–	–
14.	जम्मू-कश्मीर	169.70	–	–
15.	झारखंड	88.42	48.2165	80.00
16.	कर्नाटक	408.56	132.2428	150.00
17.	केरल	322.73	56.60	100.00
18.	मध्य प्रदेश	428.48	1851.664	–
19.	महाराष्ट्र	317.08	233.1276	50.00

1	2	3	4	5
20.	मणिपुर	82.85	–	–
21.	मेघालय	58.01	–	50.00
22.	मिजोरम	152.70	80.00	–
23.	नागालैंड	23.50	–	12.00
24.	उड़ीसा	379.00	473.76	110.00
25.	पंजाब	19.29	–	–
26.	राजस्थान	237.46	2477.3026	–
27.	सिक्किम	139.38	–	–
28.	तमिलनाडु	258.10	208.836	160.00
29.	त्रिपुरा	–	–	15.00
30.	उत्तर प्रदेश	253.67	157.51	30.00
31.	उत्तराखंड	109.68	136.55	157.20
32.	पश्चिम बंगाल	250.00	111.5694	102.00
	कुल	5057.226	6162.8341	1236.20

भारतीय औषधियों पर प्रतिबन्ध

1446. श्रीमती मेनका गांधी:
श्री एम. अप्पादुरई:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भेषज कंपनियों द्वारा निर्मित कुछ औषधियों पर अमरीका में प्रतिबन्ध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन औषधियों और इन्हें बनाने वाली कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या ऐसी औषधियां देश में अभी भी बेची जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) यू.एस.एफ.डी.ए. द्वारा मैसर्स रैनबैक्सी लैब्स प्राइवेट लिमिटेड की कुछ औषधों के आयात को रोकने के संबंध में प्रेस में रिपोर्टें छपी थीं।

(ख) भारत सरकार द्वारा औषधों एवं कम्पनियों के ब्यौरे के संबंध में यू.एस.एफ.डी.ए. से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) इस संबंध में यू.एस.एफ.डी.ए. से सूचना प्राप्त होने पर मामले की जांच की जाएगी।

[हिन्दी]

नेशनल हाइवे पेट्रोलिंग स्कीम

1447. श्री सुभाष महरिया: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नेशनल हाइवे पेट्रोलिंग स्कीम के अंतर्गत क्रेन तथा एंबुलेंस परियोजना हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को एंबुलेंस भी उपलब्ध कराती है;

(घ) यदि हां, तो गैर-सरकारी संगठनों को उपलब्ध कराई गई एंबुलेंसों का राजस्थान सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना राहत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां। यह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों को क्रेनों और एंबुलेंसों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों को क्रेनों और एंबुलेंसों के रूप में दी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 2005-06 के दौरान कोई भी क्रेन और एंबुलेंस प्रदान नहीं की गई।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत सैल्फ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जयपुर, राजस्थान को एक एंबुलेंस प्रदान की गई थी। गैर-सरकारी संगठनों को दी गई एंबुलेंसों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं का पता लगाना और सड़क दुर्घटना पीड़ित को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना मूल रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यह मंत्रालय सड़क दुर्घटना पीड़ित को निकटतम चिकित्सा केन्द्र तक ले जाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों को राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत एंबुलेंस प्रदान करता रहा है। वर्ष 2000-01 से 2007-08 तक की अवधि के दौरान, विभिन्न राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों को इस स्कीम के अंतर्गत 437 एंबुलेंसें प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उन्हें सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के पूर्ण हो चुके खंडों पर, अपने प्रचालन एवं अनुरक्षण ठेकों/निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण करारों के तहत प्रत्येक 50 किमी. के अंतराल पर एक एंबुलेंस प्रदान करता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर 125 एंबुलेंसें तैनात की गई हैं। कुछ खंडों के महत्वपूर्ण स्थानों पर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कैमरे लगाए गए हैं जिनसे सड़क दुर्घटनाओं का शीघ्र पता लगाना आसान हो जाता है।

9वीं और 10वीं योजनाओं के दौरान, स्वास्थ्य एवं परिवार एवं कल्याण मंत्रालय एक स्कीम चला रहा था जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित राज्य सरकारों के अस्पतालों को अपनी आपात सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 1.50 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जा रही थी। इस स्कीम के अंतर्गत, 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकारों के 113 अस्पतालों को वित्तीय सहायता दी गई थी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किए जाने के लिए अब एक स्कीम तैयार की है जिसमें वित्तीय सहायता प्रदान करके स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम महामार्गों पर स्थित राज्य सरकारों के अस्पतालों/मेडिकल कालेजों में अभिघात सेवा केंद्रों का एकीकृत नेटवर्क स्थापित कराए जाने का प्रस्ताव है।

यह मंत्रालय, वर्ष 2008-09 से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से सरकारी अस्पतालों को एंबुलेंस प्रदान करेगा।

विवरण

राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के दौरान क्रेनें और एंबुलेंस प्रदान की गई हैं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/गैर-सरकारी संगठन का नाम	क्रेन	एंबुलेंस	राज्य
1	2	3	4	5
1.	पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, आंध्र प्रदेश	–	5	आंध्र प्रदेश
2.	पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, अरुणाचल प्रदेश	1	3	अरुणाचल प्रदेश

1	2	3	4	5
3.	पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, असम	–	3	असम
4.	पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, बिहार	2	3	बिहार
5.	पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, चंडीगढ़	–	2	चंडीगढ़
6.	पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, गुजरात	4	7	गुजरात
7.	पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, हरियाणा	–	6	हरियाणा
8.	पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, हिमाचल प्रदेश	–	3	हिमाचल प्रदेश
9.	पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, केरल	4	8	केरल
10.	पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, मध्य प्रदेश	3	6	मध्य प्रदेश
11.	परिवहन विभाग, मध्य प्रदेश	2	2	मध्य प्रदेश
12.	पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, महाराष्ट्र	–	7	महाराष्ट्र
13.	पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, मेघालय	1	1	मेघालय
14.	पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, मिजोरम	–	2	मिजोरम
15.	परिवहन विभाग, उड़ीसा	2	5	उड़ीसा
16.	पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, पंजाब	3	6	पंजाब
17.	पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, राजस्थान	–	3	राजस्थान
18.	परिवहन विभाग, राजस्थान	3	7	राजस्थान
19.	परिवहन विभाग, सिक्किम	–	1	सिक्किम
20.	परिवहन विभाग, त्रिपुरा	–	2	त्रिपुरा
21.	पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, उत्तराखंड	–	1	उत्तराखंड
22.	पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश	–	6	उत्तर प्रदेश
23.	परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश	4	2	उत्तर प्रदेश
24.	पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, पश्चिम बंगाल	–	4	पश्चिम बंगाल
25.	परिवहन विभाग, पश्चिम बंगाल	1	1	पश्चिम बंगाल
	गैर-सरकारी संगठन			
26.	लाइफ लाइन फाउंडेशन, गुजरात	–	1	गुजरात
27.	श्री विमलेश्वर आटोमोबाईल्स ट्रेड रियल प्रेक्टिकल ट्रेनिंग संस्था, कोल्हापुर, महाराष्ट्र	–	1	महाराष्ट्र
28.	सेल्फ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूड, जयपुर, राजस्थान	–	1	राजस्थान
29.	ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी, गढ़वाल, उत्तराखंड	–	1	उत्तराखंड
	जोड़	30	100	

राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान क्रेनें और एंबुलेंसें प्रदान की गई हैं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/गैर-सरकारी संगठन का नाम	क्रेन	एंबुलेंस	राज्य
1.	पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, यातायात, गोवा	2	–	गोवा
2.	पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, झारखंड	2	4	झारखंड
3.	परिवहन विभाग, मध्य प्रदेश	6	10	मध्य प्रदेश
4.	परिवहन विभाग, नागालैंड	2	2	नागालैंड
5.	परिवहन विभाग, उड़ीसा	5	10	उड़ीसा
6.	परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़	3	5	छत्तीसगढ़
7.	पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, पंजाब	5	10	पंजाब
8.	पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, सिक्किम	–	1	सिक्किम
9.	परिवहन विभाग, सिक्किम	–	1	सिक्किम
10.	पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, उत्तराखंड	–	2	उत्तराखंड
11.	परिवहन विभाग, उत्तराखंड	–	2	उत्तराखंड
12.	पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश	5	10	उत्तर प्रदेश
13.	परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश	–	10	उत्तर प्रदेश
	गैर-सरकारी संगठन			
14.	मै. एसोसिएशन फार वेलफेअर आफ डिसेबिल्ड 17/194ए, एम स्क्वायर कामालेश्वर, पवमनई रोड, कालीकट-673001	–	1	केरल
15.	मै. पद्मश्री डा. विठ्ठलराव विखे पाटील प्रतिष्ठान, डा. विखे पाटील मेमोरियल अस्पताल और मेडिकल कालेज, विलाद पो. पोस्ट एम.आई.डी.सी. अहमदनगर-414111	–	1	महाराष्ट्र
16.	सर्वजन कल्याण समिति, 484/275, कटघर, इलाहाबाद-211003, उत्तर प्रदेश	–	1	उत्तर प्रदेश
17.	मै. ग्राम विकास सोसाइटी, अगलाकुर्की-562101, चिकबल्लारपुर-तालुक, कोलार-जिला, कर्नाटक	1	1	कर्नाटक
	जोड़	31	71	

राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के दौरान क्रेनें और एंबुलेंसें प्रदान की गई हैं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/गैर-सरकारी संगठन का नाम	क्रेन	एंबुलेंस	राज्य
1.	पुलिस आयुक्त (यातायात), आंध्र प्रदेश	1	1	आंध्र प्रदेश
2.	परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़	3	3	छत्तीसगढ़
3.	परिवहन विभाग, चंडीगढ़, हरियाणा	5	5	हरियाणा
4.	परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश	4	8	हिमाचल प्रदेश
5.	परिवहन विभाग, जम्मू-कश्मीर	2	2	जम्मू-कश्मीर
6.	उप महानिदेशक, जम्मू-कश्मीर	5	5	जम्मू-कश्मीर
7.	पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, झारखंड	4	4	झारखंड
8.	पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कर्नाटक	6	6	कर्नाटक
9.	परिवहन विभाग, कर्नाटक	–	6	कर्नाटक
10.	परिवहन विभाग, केरल	6	6	केरल
11.	परिवहन विभाग, मध्य प्रदेश	4	4	मध्य प्रदेश
12.	पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, महाराष्ट्र (पुणे पुलिस आयुक्त)	2	4	महाराष्ट्र
13.	पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, मेघालय	–	2	मेघालय
14.	परिवहन विभाग, मिजोरम	–	3	मिजोरम
15.	परिवहन विभाग, उड़ीसा	2	2	उड़ीसा
16.	पुलिस महानिदेशक, सिक्किम	–	2	सिक्किम
17.	परिवहन विभाग, त्रिपुरा	6	8	त्रिपुरा
18.	परिवहन विभाग, उत्तराखंड	2	2	उत्तराखंड
19.	महानिदेशक/महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश	8	8	उत्तर प्रदेश
20.	परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश	–	4	उत्तर प्रदेश
	गैर-सरकारी संगठन			
21.	मै. डाउन टाउन चैरिटी ट्रस्ट, जीएस रोड, दिसपुर, गुवाहाटी-781006	–	1	असम
22.	मै. लाइफ लाइन फाउंडेशन, 18-सी, रत्नादीप पार्क, पानी की टंकी के पास, गोत्री, वडोदरा-390021	–	1	गुजरात
23.	मै. दिव्यज्योति विद्या केन्द्र, बंगलौर, कर्नाटक	1	1	कर्नाटक
24.	मै. वांगजिंग टेंथ फार्मर्स डेवलपमेंट एसोसिएशन (डब्ल्यूएटीईएफएडीईएएस), वांगजिंग, मणिपुर	–	1	मणिपुर
25.	मै. प्रबुद्ध भारती शिशुतीर्थ, पश्चिमी मेदनीपुर, पश्चिम बंगाल	–	1	पश्चिम बंगाल
	जोड़	61	90	

[अनुवाद]

बच्चों हेतु एच.आई.वी. टीके

1448. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए उन्हें हीमोफिल्स इंफ्लूएंजा टाइप की (एच.आई.वी.) टीके लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार निमोनिया की रोकथाम करने के लिए रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम में पेंटावेलेंट वैक्सीन में एच.आई.वी. वैक्सीन शुरू करने पर विचार कर रही है। तथापि, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेल उपरि पुल का निर्माण

1449. श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री मो. ताहिर:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने रेल उपरि पुलों का राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पुलों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा सहित इन पुलों के निर्माण हेतु जारी की गई और खर्च की गई राशि का ब्योरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेल-उपरि पुलों के निर्माण हेतु विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित सड़क रेल उपरि पुलों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। विकास कार्यों के लिए धनराशि का आबंटन राज्य-वार पर किया जाता है और रेल उपरि पुलों के लिए अलग से कोई आबंटन नहीं किया जाता। इन रेल उपरि पुलों का निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपरि पुलों के निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्तावों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत रेल-उपरि पुलों का निर्माण, राजमार्गों को 4/6 लेन का बनाने की परियोजना के भाग के रूप में किया जाता है।

विवरण I

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्मित रेल उपरि पुलों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	रारा सं.	निर्मित रेल उपरि पुलों का स्थान (रारा का किमी. एवं चैनेज)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5	विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड का 344+860/स्वर्णिम चतुर्भुज के चेन्नै-कोलकाता कारीडोर का 754.399
		5	विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड का 326+112/स्वर्णिम चतुर्भुज के चेन्नै-कोलकाता कारीडोर का 773.607
		5	चैनेज 130.98 (पुराना) चैनेज 572.224 (नया)
		5	चैनेज 148.707 (पुराना) चैनेज 554.497 (नया)

1	2	3	4
		5	चैनेज 208.234 (पुराना) चैनेज 494.97 (नया)
		5	डोरावरीचत्रम एवं नायडुपेट स्टेशनों के निकट
		5	चैनेज 186.484 से चैनेज 186.496
		5	चैनेज 131.764 से चैनेज 132.153
		5	चैनेज 119.328
		5	चैनेज 106.76
		5	चैनेज 292.000 से 292.905
		5	चैनेज 14.727
		5	इलूरू बापिास का चैनेज 0.800
		5	इलूरू बापिास का चैनेज 17.2
		5	गुंटूर बाइपास का चैनेज 9/4
		5	कृष्णा पुल पहुंच मार्गों का चैनेज 7/2
		5	चैनेज 152.48
		5	चैनेज 166.574
		5	चैनेज 178.795
		5	चैनेज 239.251
2.	असम	44	किमी. 0.290 (करीमगंज)
		44	किमी. 1.850 (करीमगंज)
3.	बिहार	2	किमी. 143
4.	गुजरात	8	किमी. 411.128
		8	किमी. 422.237
		8	किमी. 430.672
		8	किमी. 465.950
		8	किमी. 411+128
		8	किमी. 422+237
		8	किमी. 430+672
		8	किमी. 465+950

1	2	3	4
5.	झारखंड	2	किमी. 283
6.	कर्नाटक	4	किमी. 501.475
		7	किमी. 540
		7	किमी. 550
		4	किमी. 50+650
		4	किमी. 56+200
		4	किमी. 55+900
		4	किमी. 64+900
		4	किमी. 321 (चेन्नै-कोलार-बंगलौर खंड)
7.	केरल	17	किमी. 196/300 (कोरोड)
		47	चकई
8.	मध्य प्रदेश	7	किमी. 229/2 से किमी. 243/6 (रीवा बाइपास)
		7	किमी. 361/2 से किमी. 373/4 (कटनी बाइपास)
9.	महाराष्ट्र	4	किमी. 616.460
		4	किमी. 613.460
		4B	किमी. 5.200
		4B	किमी. 0.090
10.	उड़ीसा	215	चैनेज 118.322
11.	पंजाब	22	किमी. 32.08 (डेराबासी)
		21	किमी. 26.428 (कुराली)
12.	राजस्थान	79	किमी. 96+100
		79	किमी. 121+000
		79	किमी. 121+068
		76	किमी. 120+000 से 146+000
13.	तमिलनाडु	46	केपीडी-वीएम खंड में वेल्लोर कस्बे और कटपाडी के बीच
		7	सलेम-वृद्धाचलम खंड में सलेम के समीप रेलवे किमी. 194/11-12 पर
		46	किमी. 45.42
		46	किमी. 47.913

1	2	3	4
		46	एजेजे-जेटीजे खंड में वनियामबाड़ी और केटांडापट्टी स्टेशनों के बीच
		46	एजेजे-जेटीजे खंड में वनियामबाड़ी और पचकुप्पम स्टेशनों के बीच किमी. 174/30-32
		46	किमी. 33.859
14.	उत्तर प्रदेश	2	किमी. 246.500
		24	किमी. 160.55
		24	किमी. 166.13
		2	किमी. 320
		3	किमी. 25
		58	किमी. 88 (सकौती टाडा)
15.	पश्चिम बंगाल	2	बेलघोरिया एक्सप्रेस मार्ग पर चैनेज 0.800
		2	बेलघोरिया एक्सप्रेस मार्ग पर चैनेज 5.100

विवरण II

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेल उपरि पुलों के निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	रारा सं.	प्राप्त रेल उपरि पुल प्रस्ताव की स्थिति	प्रस्ताव पर की गई कार्रवाई
1.	गुजरात	59	किमी. 144/4-6	जांच की जा रही है
2.	हरियाणा	10	किमी. 255.80 (सिरसा)	संस्वीकृत
3.	मध्य प्रदेश	7	किमी. 301/10 (मैहर बाइपास)	जांच की जा रही है
		3	किमी. 515 (शाजपुर)	जांच की जा रही है
4.	उड़ीसा	23	किमी. 5.287 (चंपल)	संस्वीकृत
5.	राजस्थान	11ए विस्तार	किमी. 0/0 से किमी. 1/050 (दौसा)	संस्वीकृत
6.	उत्तर प्रदेश	27	किमी. 13 (इरादत गंज)	संस्वीकृत
7.	उत्तराखंड	72	किमी. 174.360 से किमी. 175 (लच्छीवाल)	संस्वीकृत

[अनुवाद]

जैव चिकित्सीय कचरे की चोरी

1450. श्री उदय सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश अस्पताल अपने जैव चिकित्सीय कचरे का निपटान दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अस्पताल के कचरे की चोरी से रोगियों और अस्पताल के आस-पास रहने वाले लोगों को खतरा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जैव चिकित्सीय कचरे का समय से निपटान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) जहां तक केन्द्र सरकार के अस्पतालों अर्थात् डा. आर.एम.एल. अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, एलएचएमसी तथा सम्बद्ध अस्पतालों का संबंध है, जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट का जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध एवं प्रहस्तन) नियमावली, 1998 के अनुसार एकत्रण पृथक्करण, परिवहन, भंडारण, संसाधन एवं निपटान किया जाता है। प्रत्येक अस्पताल में एक संक्रमण नियंत्रण समिति है जो जब कभी अपेक्षित हो, समीक्षा, अनुवीक्षण और समुचित कार्रवाई शुरू करती है। जैव-चिकित्सीय कचरे के सुरक्षित प्रहस्तन के संबंध में डाक्टरों, नर्सों, परा-चिकित्सा स्टाफ एवं अन्यों को आवधिक तौर पर प्रशिक्षण दिया जाना सुग्राही बनाया जाता है। इसके अलावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय दिशा-निर्देश तैयार किए हैं और उन्हें सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अनुपालनार्थ परिचालित किया है।

कोसी बांध पर नेपाल से बातचीत

1451. **श्रीमती जयाप्रदा:**
श्री संतोष गंगवार:
श्री भाईलाल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोसी बांध टूटने का मामला नेपाल सरकार के साथ उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उसके बाद सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां। इस मामले को 14-18 सितंबर, 2008 तक नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत की हाल की यात्रा के दौरान उच्चतम राजनैतिक स्तर सहित नेपाल सरकार के साथ उठाया गया है। नेपाल सरकार ने इस समस्या को हल करने में अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। 29 सितंबर से 1 अक्तूबर, 2008 तक काठमांडू, नेपाल में आयोजित जल संसाधन पर संयुक्त आयोग (जेसीडब्ल्यूआर) की बैठक में भी इस मामले पर चर्चा की गई थी। जेसीडब्ल्यूआर ने समस्याओं का पता लगाने, वार्षिक कार्य योजना तैयार करने और उसे अनुमोदित करने तथा इसके कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए मौजूदा अंतर-सरकारी "कोसी और गंडक परियोजना संबंधी संयुक्त समिति" के वित्तीय और प्रकार्यात्मक प्राधिकार के साथ अधिकार प्रदान करने का निर्णय लिया है।

कोसी तटबंध की मरम्मत और पुनरुद्धार पर आगे की कार्य योजना निर्धारित करने के लिए हाल ही के महीनों में केंद्र और बिहार राज्य सरकार के विशेषज्ञों की कई टीमों ने भी नेपाल का दौरा किया है।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में शुरू की गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

1452. **श्री पुन्नूलाल मोहले:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तारीख के अनुसार उनमें से प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान उक्त परियोजनाओं के लिए आबंटित और उन पर खर्च की गई निधियों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरी होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई परियोजनाओं के ब्यौरे, संस्वीकृत लागत और उनकी वर्तमान स्थिति के साथ संलग्न विवरण-I, II, III में दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों को धनराशि का आबंटन समग्र रूप में किया जाता है न कि परियोजना-वार। तीन निष्पादन एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के विकास हेतु गत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ के लिए वर्ष-वार आबंटन और व्यय इस प्रकार है:-

एजेंसी: राज्य लोक निर्माण विभाग (करोड़ रु.)

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
आबंटन	49.90	37.00	39.00	54.00
व्यय	49.34	36.75	38.78	22.18

एजेंसी: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (करोड़ रु.)

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
आबंटन	0.00	24.03	0.9	17.34
व्यय	0.00	6.81	13.36	2.45

एजेंसी: सीमा सड़क संगठन (करोड़ रु.)

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
आबंटन	22.26	28.47	29.92	50.29
व्यय	22.26	28.47	29.92	20.15

विवरण I

क्र.सं.	राग सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति की तारीख	स्वीकृत लागत	स्थिति	पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	6	राग 6 से 157-160 किमी. तक सड़क गुणता सुधार	02.08.05	1.03	पूरा हो गया	
2.	12ए	राग 12ए के 241/8 से 255 किमी. में चुनिंदा खंडों को दो लेन का बनाना	03.08.05	1.05	पूरा हो गया	
3.	221	राग 221 के 15/4-25/4 किमी. में दो लेन बनाना	08.08.05	3.18	पूरा हो गया	
4.	217	राग 217 के 21-25 किमी. में विद्यमान एकल लेन को दो लेन का बनाना और ऊंचा उठाना	15.09.05	2.43	पूरा हो गया	
5.	221	राग 221 के 29/4, 47/2, 50/4, 60/6 और 89/2 किमी. में पुलों की मरम्मत	16.09.05	0.52	पूरा हो गया	
6.	200	राग 200 के 294/4 किमी. पर रायगढ़ लेवल क्रासिंग पर आरओबी के निर्माण के लिए साध्यता अध्ययन/विस्तृत इंजीनियरी के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति	16.09.05	0.11	प्रगति पर	मार्च-2009
7.	200	राग 200 के 196/6 किमी. पर चंपा लेवल क्रासिंग पर आरओबी के निर्माण के लिए साध्यता अध्ययन/विस्तृत इंजीनियरी के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति	16.09.05	0.11	प्रगति पर	मार्च-2009
8.	78	राग 78 पर अंबिकापुर शहर में बाइपास के लिए साध्यता अध्ययन/विस्तृत इंजीनियरी के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति	16.09.05	0.10	प्रगति पर	मार्च-2009
9.	43	राग 43 पर कांकेर शहर में बाइपास के लिए साध्यता अध्ययन/विस्तृत इंजीनियरी के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति	16.09.05	0.10	प्रगति पर	मार्च-2009
10.	43	राग 43 के केशकल घाट खंड 163-167 किमी. में सुरक्षा दीवार और संरक्षण दीवार का निर्माण	16.09.05	0.38	पूरा हो गया	
11.	200	राग 200 पर 66/2-8 किमी. में नंदघाट में नए उच्चस्तरीय पुल और पहुंच मार्गों का निर्माण	22.09.05	14.54	पूरा हो गया	
12.	43	राग 43 पर 37/2 से 37/6, 46/4 से 46/6 और 49/10 से 50/2 किमी. में पेव्ड शोल्डर और नाली का निर्माण	07.10.05	0.36	पूरा हो गया	

1	2	3	4	5	6	7
13.	43	राग 43 पर 58/8 से 59/8 और 62/8 से 63/4 किमी. में पेव्ड शोल्डर और नाली का निर्माण	07.10.05	0.42	पूरा हो गया	
14.	43.	राग 43 पर 53/6 से 56/6 किमी. में पेव्ड शोल्डर और नाली का निर्माण	07.10.05	0.49	पूरा हो गया	
15.	16	राग 16 पर 500/10 किमी. में पहुंच मार्गों सहित छोटे पुल का चौड़ीकरण	09.11.05	0.45	पूरा हो गया	
16.	78	राग 78 के 340-354 किमी. में एकल लेन को दो लेन का बनाना	09.11.05	2.44	पूरा हो गया	
17.	6	राग 6 पर 152/4 किमी. में नए उच्चस्तरीय छोटे पुल बाक्स टाइप और पहुंच मार्गों का निर्माण	02.12.05	0.53	पूरा हो गया	
18.	200	राग 200 के 183/6 से 184/10, 199/चै. 100 से 700 मी. और 200/6 से 203/2 किमी. में सड़क का सुदृढ़ीकरण	02.12.05	3.49	पूरा हो गया	
19.	216	राग 216 के 81/2 किमी. में नए उच्चस्तरीय छोटे पुल बाक्स टाइप और पहुंच मार्गों का पुनर्निर्माण	06.12.05	0.50	पूरा हो गया	
20.	6	राग 6 में 142/2 किमी. में नए उच्चस्तरीय छोटे पुल बाक्स टाइप और पहुंच मार्गों का पुनर्निर्माण	10.01.06	1.16	पूरा हो गया	
21.	216	राग 216 के 77/8 किमी. में नए उच्चस्तरीय छोटे पुल बाक्स टाइप और पहुंच मार्गों का पुनर्निर्माण	20.01.06	0.52	पूरा हो गया	
22.	200	राग 200 के 144.625 से 163.300 किमी. में दो लेन बनाना	20.01.06	6.90	प्रगति पर	दिसंबर-2008
23.	216	राग 216 के 5/2, 14/8, 15/8, 18/10, 20/4, 33/4, 57/8, 59/4, 59/8, 60/8, 62/10, 63/6 और 66/8 किमी. में (13) पुलियों का पुनर्निर्माण	20.01.06	1.17	पूरा हो गया	
24.	43	राग 43 पर 236 से 245 किमी. में सड़क गुणता सुधार	31.01.06	2.37	पूरा हो गया	
25.	78	राग 78 के 355-366 किमी. में एकल लेन को दो लेन का बनाना	23.02.06	1.75	पूरा हो गया	
26.	200	राग 200 के 114/4 किमी. में तीफरा लेवल क्रासिंग पर आरओबी का निर्माण	29.03.06	15.75	प्रगति पर	दिसंबर-2008
27.	217	राग 217 पर बागबहरा में बाइपास के लिए साध्यता अध्ययन/विस्तृत इंजीनियरी हेतु परामर्शदाता क नियुक्ति	21.09.06	0.09	प्रगति पर	दिसंबर-2008
28.	78	राग 78 के 579.565 से 587.565, 598 और 599 किमी. तक दो लेन बनाना	17.11.06	2.86	पूरा हो गया	
29.	200	राग 200 के 255/8, 256/10, 257/4, 257/6ए, 257/6बी और 257/10 किमी. पर पुलियों का पुनर्निर्माण	17.11.06	0.62	पूरा हो गया	
30.	12ए	राग 12ए के 293/295/6 किमी. में पेव्ड शोल्डर और 294/6-295/6 किमी. में आरसीसी नाली का निर्माण	21.11.06	0.86	प्रगति पर	दिसंबर-2008

1	2	3	4	5	6	7
31.	221	रारा 221 के 99/6, 123/8, 128/10, 145/8 और 164/2 किमी. में पुल की मरम्मत	22.11.06	0.17	प्रगति पर	दिसंबर-2008
32.	217	रारा 217 के 26 से 35 किमी. में दो लेन बनाना	22.11.06	3.55	पूरा हो गया	
33.	200	रारा 200 पर 99/10, 100/6, 100/8, 101/2, 102/2, 104/4, 122/2, 122/4, 131/2, 136/8, 137/8, 139/8 और 140/2 किमी. में पुलियों का पुनर्निर्माण	22.12.07	0.83	प्रगति पर	मार्च-2009
34.	6	रारा 6 के 124 से 133 किमी. में सुदृढ़ीकरण	08.01.07	5.91	पूरा हो गया	
35.	78	रारा 78 के 246 से 265.800 किमी. में दो लेन बनाना	08.01.07	6.64	प्रगति पर	फरवरी-2009
36.	200	रारा 200 के 124/4 किमी. में लालखदान और 260/8 किमी. में रानी सागर में आरओबी के निर्माण के लिए साध्यता अध्ययन और विस्तृत इंजीनियरी	12.01.07	0.21	प्रगति पर	मार्च-2009
37.	216	रारा 216 के सारनगढ़ कस्बे में बाइपास के निर्माण के लिए साध्यता अध्ययन और विस्तृत इंजीनियरी	12.01.07	0.11	प्रगति पर	मार्च-2009
38.	6	रारा 6 पर शक्तिनाला टाल प्लाजा पर 234/6-8 किमी. में सड़क की मरम्मत	23.01.07	.38	पूरा हो गया	
39.	12ए	रारा 12ए पर 256 से 269.500 किमी. तक माध्यमिक लेन को दो लेन बनाना	07.02.07	5.91	प्रगति पर	फरवरी-2009
40.	12ए	रारा 12ए पर 195/8, 199/6 से 204/4 और 209/2-4 किमी. में संरक्षण दीवार का निर्माण	01.03.07	0.40	पूरा हो गया	
41.	200	रारा 200 पर 270.00 से 284.00 किमी. तक दो लेन बनाना	15.03.07	9.69	प्रगति पर	फरवरी-2009
42.	221	रारा 221 के 24.400 से 42.000 किमी. तक चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	30.03.07	8.84	प्रगति पर	मई-2009
43.	216	रारा 216 के 52 से 59 और 67 से 75.600 किमी. तक दो लेन बनाना	31.03.07	8.57	प्रगति पर	फरवरी-2009
44.	200	रारा 200 के 178.00 से 182.400, 184.00 से 193.175, 193.460 से 198.00 और 198.700 से 199.400 किमी. तक सड़क का चौड़ीकरण और आंशिक सुदृढ़ीकरण	31.03.07	7.76	प्रगति पर	अप्रैल-2009
45.	78	रारा 78 के 516.400 से 541.800 किमी. तक दो लेन बनाना	31.03.07	14.21	प्रगति पर	मई-2009
46.	43	रारा 43 के 192/6 किमी. में उच्चस्तरीय पुल और पहुंच मार्गों का निर्माण	31.03.07	4.08	प्रगति पर	जून-2009
47.	6	रारा 6 के 201 से 220 किमी. में सुदृढ़ीकरण	31.03.07	7.61	प्रगति पर	दिसम्बर-2008
48.	200	रारा 200 के 293.600 से 306.00 किमी. तक दो लेन बनाना	31.03.07	3.81	प्रगति पर	दिसम्बर-2008

1	2	3	4	5	6	7
49.	6	रारा 6 के 134 से 145 किमी. में सड़क गुणता सुधार	12.10.07	3.59	प्रगति पर	दिसम्बर-2008
50.	216	रारा 216 के 75.600 से 90.460 किमी. में सड़क गुणता सुधार	26.10.07	4.14	प्रगति पर	दिसम्बर-2008
51.	221	रारा 221 के 42.000 से 51.000 किमी. में एकल लेन के विद्यमान मार्ग को दो लेन का बनाना	06.11.07	6.63	निविदा स्तर पर	
52.	78	रारा 78 के 400.00 से 422.00 किमी. में विद्यमान एकल लेन और मध्यम लेन के मार्ग को दो लेन का बनाना	08.11.07	12.21	प्रगति पर	नवंबर-2009
53.	216	रारा 216 के 78/6, 82/4, 82/10, 83/4, 83/8, 89/4 और 89/10 किमी. में पुलियों का निर्माण	14.11.07	0.19	प्रगति पर	दिसम्बर-2008
54.	12ए	रारा 12ए के 237/8 किमी. में छोटे पुल के निर्माण सहित 237/6 से 237/10 किमी. तक सड़क का ज्यामितीय सुधार	14.11.07	0.40	प्रगति पर	दिसम्बर-2008
55.	12ए	रारा 12ए के 236/2 किमी. में छोटे पुल के निर्माण सहित 235/8 से 236/4 किमी. तक सड़क का ज्यामितीय सुधार	22.11.07	0.43	प्रगति पर	दिसम्बर-2008
56.	217	रारा 217 के 39/8, 46/6, 47/6, 48/8 और 49/4 किमी. में पुलियों का निर्माण	22.11.07	0.62	प्रगति पर	जनवरी-2009
57.	78	रारा 78 के 314.000 से 331.000 किमी. में दो लेन बनाना	22.11.07	5.52	प्रगति पर	मार्च-2009
58.	78	रारा 78 के 485.00 से 489.00 (झंडा घाट) किमी. में दो लेन बनाना	22.11.07	1.27	प्रगति पर	दिसम्बर-2009
59.	43	रारा 43 के 223/2 से 230/10 किमी. तक कोंडगांव बाइपास और रारा 200 पर शक्ति बाइपास और रारा 217 के 5/2 से 15/2 किमी. महासमुंद बाइपास के लिए साध्यता अध्ययन और विस्तृत इंजीनियरी	22.11.07	0.59	प्रगति पर	मार्च-2009
60.	216	रारा 216 के 30/10 से 31/10 किमी. में महानदी पुल की मरम्मत	22.11.07	0.78	प्रगति पर	दिसम्बर-2008
61.	216	रारा 216 के 61/8 किमी. में बायस पुलिया का निर्माण	27.11.07	0.31	प्रगति पर	दिसम्बर-2008
62.	200	रारा 200 के 240.600-242.400 और 257.150-270.000 किमी. तक पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन बनाना	27.11.07	8.97	निविदा स्तर पर	
63.	78	रारा 78 के 551.00 से 559.00 किमी. (लोरो घाट) तक दो लेन बनाना	27.11.07	5.10	प्रगति पर	जून-2009
64.	43	रारा 43 के 122/2 किमी. में पुल का निर्माण	16.01.08	1.15	निविदा स्तर पर	
65.	6	डीजीआर द्वारा प्रायोजित पूर्व सैनिकों द्वारा रारा 6 के 235/2 किमी. में शक्ति नाला पुल पर पथकर संग्रहण सेवाएं	22.01.08	0.34	प्रगति पर	मार्च-2009
66.	78	रारा 78 462.00 से 471.600 किमी. तक दो लेन बनाना	27.02.08	4.94	प्रगति पर	जून-2009
67.	217	रारा 217 पर सितली नाले पर 12/2 किमी. में पुल का निर्माण	27.02.08	1.74	प्रगति पर	अप्रैल-2009
68.	रा.रा.	बिलासपुर सर्कल में बड़े/छोटे पुलों के लिए डीपीआर हेतु साध्यता अध्ययन एवं विस्तृत इंजीनियरी	11.03.08	0.33	निविदा स्तर पर	

1	2	3	4	5	6	7
69.	रा.रा.	रायपुर सर्कल में बड़े/छोटे पुलों के लिए डीपीआर हेतु साध्यता अध्ययन एवं विस्तृत इंजीनियरी	11.03.08	0.46	निविदा स्तर पर	
70.	43	रारा 43 पर मारकंडी नदी पर 270/2 किमी. में पुल का निर्माण	13.03.08	8.73	निविदा स्तर पर	
71.	200	रारा 200 पर छोकरा नाले पर 142/2 किमी. में पुल का निर्माण	31.03.08	3.31	प्रगति पर	अप्रैल-2009
72.	6	रारा 6 के 145.000 से 156.000 किमी. तक सड़क गुणता सुधार	21.07.08	5.09	प्रगति पर	मार्च-2009
73.	43	रारा 43 के 16.000 से 25.000 किमी. तक सड़क गुणता सुधार	21.07.08	3.30	प्रगति पर	मार्च-2009
74.	200	रारा 200 के 202.200 से 212.000 किमी. तक सड़क गुणता सुधार	31.07.08	3.53	प्रगति पर	मार्च-2009
75.	43	रारा 43 के 271.000 से 278.000 किमी. तक सड़क गुणता सुधार	31.07.08	2.59	प्रगति पर	मार्च-2009
76.	217	रारा 217 के 35.000 से 46.000 किमी. तक सड़क गुणता सुधार	31.07.08	4.06	प्रगति पर	मार्च-2009
77.	217	रारा 217 के 14.355 से 25.000 किमी. तक सड़क गुणता सुधार	31.07.08	4.01	प्रगति पर	मार्च-2009
78.	78	रारा 78 के 422.000 से 431.000 किमी. तक सड़क गुणता सुधार	31.07.08	4.28	प्रगति पर	मार्च-2009
79.	78	रारा 78 पर 431.00 से 442.000 किमी. पर दो लेन बनाना	01.09.08	6.81	निविदा स्तर पर	

विवरण II

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति की तारीख	धनराशि (करोड़ रु.)	स्थिति	पूरा करने की लक्ष्य तारीख
1.	बीओटी आधार पर रारा 6 के रायपुर-औरांग खंड को चार लेन का बनाना	अप्रैल, 2006	190.00	कार्य प्रगति पर	अक्तूबर, 2009
2.	दुर्ग बाइपास के सिरे से-छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा तक चार लेन बनाना	जनवरी, 2008	464.00	कार्य प्रगति पर	जनवरी, 2011

विवरण III

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति की तारीख	धनराशि (करोड़ रु.)	स्थिति	पूरा होने की लक्ष्य तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	छत्तीसगढ़ में रारा 16 की पत्तागुदम-बगदलपुर सड़क पर 292 से 302 किमी. तक चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण (कुल लंबाई 9.90 किमी.) (सतह कार्य)	29.4.2008	8.89	कार्य प्रगति पर	मार्च 2010
2.	छत्तीसगढ़ में रारा 16 की पत्तागुदम-बगदलपुर सड़क पर 302 किमी. में चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण (कुल लंबाई 9.90 किमी.)	29.4.2008	33.00	कार्य प्रगति पर	मार्च 2010

1	2	3	4	5	6
3.	छत्तीसगढ़ में पत्तागुदम-जगदलपुर सड़क (रारा 16) पर मार्ग परिवर्तन कार्यों सहित 307.040 किमी. पर 34.20 मीटर लंबी (प्रत्येक 10 × 6 मी. ट्रिपल सैल) एक मल्टी सैल बाक्स पुलिया का निर्माण	06.08.2008	2.33	कार्य शुरू किया जा रहा है	मार्च 2010
4.	छत्तीसगढ़ में रारा 16 पर 342 से 352 किमी. तक पत्तागुदम-जगदलपुर सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	18.10.2002	28.72	कार्य प्रगति पर	मार्च 2009
5.	छत्तीसगढ़ में रारा 16 की पत्तागुदम-जगदलपुर सड़क पर 365.250 किमी. पर भिंगपाल में विद्यमान बड़े पुल के सुरक्षा कार्य (बीआर विनियमों के पैरा 559 के तहत)	06.12.2007	0.36	कार्य प्रगति पर	मार्च 2009
6.	छत्तीसगढ़ में रारा 16 की पत्तागुदम-जगदलपुर सड़क को 400-415 किमी. तक दो लेन का बनाना (निर्माण एवं पेवमेंट) (कुल लंबाई 14.647 किमी.)	18.06.2008	13.60	कार्य प्रगति पर	मार्च 2010
7.	छत्तीसगढ़ में रारा 16 की पत्तागुदम-जगदलपुर सड़क को 400.00 से 415.00 किमी. तक सुदृढ़ीकरण (सतह कार्य) (कुल लंबाई 14.649 किमी.)	16.10.2008	6.69	कार्य प्रगति पर	मार्च 2010
8.	छत्तीसगढ़ में रारा 16 की पत्तागुदम-जगदलपुर सड़क पर 415 से 430 किमी. तक दो लेन के रारा विनिर्देशों के अनुरूप चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण (कुल लंबाई 15.121 किमी.) (निर्माण एवं पेवमेंट)	07.02.2008	16.70	कार्य प्रगति पर	मार्च 2009
9.	छत्तीसगढ़ में रारा 16 की पत्तागुदम-जगदलपुर सड़क पर 415 से 430 किमी. तक दो लेन के रारा विनिर्देशों के अनुरूप निर्माण/सुधार (कुल लंबाई 15.121 किमी.) सतह कार्य	01.08.2008	9.00	कार्य प्रगति पर	मार्च 2010
10.	छत्तीसगढ़ में (रारा 16) की पत्तागुदम-जगदलपुर सड़क पर अनिवार्य पहुंच मार्ग कार्यों सहित 428.400 किमी. पर हेनार नाले पर 30 मी. लंबे स्पैन वाले बड़े स्थायी पीएससी पुल की डिजाइन और निर्माण	11.02.2008	0.94	कार्य प्रगति पर	मार्च 2009
11.	छत्तीसगढ़ में (रारा 16) की पत्तागुदम-जगदलपुर सड़क पर अनिवार्य संरक्षण और मार्ग परिवर्तन कार्यों सहित 423.125 किमी. पर 12 मी. स्पैन के छोटे स्थायी पुल और 423.471 किमी. पर 18 मी. स्पैन के छोटे पुल का निर्माण	03.12.2008	1.07	कार्य प्रगति पर	मार्च 2009
12.	छत्तीसगढ़ में रारा 16 की पत्तागुदम-जगदलपुर सड़क पर 430 से 440 किमी. तक दो लेन के रारा विनिर्देशों के अनुरूप निर्माण/सुधार (कुल लंबाई 10.000 किमी.)	14.7.2006	8.69	कार्य शुरू किया जा रहा है	मार्च 2009
13.	छत्तीसगढ़ में (रारा 16) की पत्तागुदम-जगदलपुर सड़क पर 430 से 440 किमी. तक सतह निर्माण कार्य (कुल लंबाई 9.897 किमी.)	20.12.2007	2.36	कार्य प्रगति पर	मार्च 2009

1	2	3	4	5	6
14.	छत्तीसगढ़ में राश 16 की पत्तागुदम-जगदलपुर सड़क पर अनिवार्य पहुंच मार्गों सहित 432.490 किमी. पर 70 मीटर बड़े स्थायी पीएससी पुल की डिजाइन और निर्माण	02.01.2008	2.68	कार्य प्रगति पर	मार्च 2009
15.	छत्तीसगढ़ में (राश 16) की पत्तागुदम-जगदलपुर सड़क पर अनिवार्य संरक्षण और मार्ग परिवर्तन कार्यों सहित 430.639 किमी. पर 8 × 7 मी., 435.495 किमी. पर 8 × 5 मी. की एकल सैल बाक्स पुलियों और 439.80 किमी. पर 24 मीटर स्पैन के छोटे पुल का निर्माण	02.01.2008	0.45	कार्य प्रगति पर	मार्च 2009
16.	छत्तीसगढ़ में (राश 16) की पत्तागुदम-जगदलपुर सड़क पर 440 से 450 किमी. में राश 16 का सतह निर्माण/सुधार	08.01.2008	10.06	कार्य प्रगति पर	मार्च 2009
17.	छत्तीसगढ़ में (राश 16) की पत्तागुदम-जगदलपुर सड़क पर 440 से 450 किमी. में राश 16 का सतह निर्माण/सुधार	30.03.2007	9.74	कार्य प्रगति पर	मार्च 2009
18.	444.215 और 445.380 किमी. पर दो ट्रिपलेट सैल का निर्माण	12.02.2007	2.58	पूरा हो गया	
19.	छत्तीसगढ़ में (राश 16) की पत्तागुदम-जगदलपुर सड़क पर 440 से 450 किमी. में राश 16 का सतह निर्माण/सुधार	27.12.2005	3.83	पूरा हो गया	
20.	राश 16 की पत्तागुदम-जगदलपुर सड़क पर 450 से 455 किमी. तक सतह सुदृढ़ीकरण कार्य (कुल लंबाई 5.385 किमी.) (सतह निर्माण कार्य)	14.12.2007	8.22	कार्य प्रगति पर	मार्च 2010
21.	छत्तीसगढ़ में राश 16 की पत्तागुदम-जगदलपुर सड़क पर 455 से 460 किमी. तक चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	30.3.2005	6.53	पूरा हो गया	
22.	छत्तीसगढ़ में राश 16 की पत्तागुदम-जगदलपुर सड़क पर 460 से 470 किमी. तक चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	09.3.2004	16.84	पूरा हो गया	
23.	छत्तीसगढ़ में (राश 16) की पत्तागुदम-जगदलपुर सड़क पर अनिवार्य संरक्षण और मार्ग परिवर्तन कार्यों सहित 465.175 किमी. पर 18 मी. स्पैन के छोटे पुल और 467.740 किमी. पर अर्थ कुशन के बगैर 8 × 6 मी. के एकल सैल का निर्माण	08.10.2007	1.64	कार्य प्रगति पर	मार्च 2009
24.	छत्तीसगढ़ में (राश 16) की पत्तागुदम-जगदलपुर सड़क पर अनिवार्य संरक्षण और मार्ग परिवर्तन कार्यों सहित 467.00 किमी. पर 12 मीटर स्पैन के छोटे पुल का निर्माण	03.01.2008	1.06	कार्य प्रगति पर	मार्च 2009
25.	छत्तीसगढ़ में (राश 16) की पत्तागुदम-जगदलपुर सड़क पर 477.260 किमी. और 481.260 किमी. पर 24 मी. स्पैन के और 489.535 किमी. पर 18 मी. स्पैन के तीन पुलों का निर्माण	22.12.2005	2.06	पूरा हो गया	
26.	छत्तीसगढ़ में (राश 16) की पत्तागुदम-जगदलपुर सड़क पर 479.075 किमी. पर अनिवार्य संरक्षण और मार्ग परिवर्तन कार्यों सहित 10 मी. स्पैन के आरसीसी सालिड स्लैब पुल का निर्माण	11.07.2006	0.63	पूरा हो गया	

1	2	3	4	5	6
27.	छत्तीसगढ़ में रारा 16 की पत्तागुदम-जगदलपुर सड़क पर 470 से 492 किमी. तक चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	29.01.2002	36.27	पूरा हो गया	
28.	छत्तीसगढ़ में रारा 16 की पत्तागुदम-जगदलपुर सड़क के 228.00 से 441.60 किमी. तक निर्माण/चौड़ीकरण के लिए 131.32 एकड़ निजी भूमि एवं संपत्ति का अधिग्रहण	23.9.2004	1.80	पूरा हो गया	
29.	छत्तीसगढ़ में रारा 16 की पत्तागुदम-जगदलपुर सड़क 288 से 292 किमी. तक सड़क क्षेत्र के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना (विभागीय स्तर पर)	07.05.2007	0.01	कार्य शुरू किया जा रहा है	मार्च 2009
30.	छत्तीसगढ़ में रारा 16 की पत्तागुदम-जगदलपुर सड़क पर 369 से 400 किमी. तक सड़क क्षेत्र के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना (विभागीय स्तर पर)	07.05.2007	0.09	कार्य अभी शुरू किया जा रहा है	मार्च 2009
31.	छत्तीसगढ़ में रारा 16 की पत्तागुदम-जगदलपुर सड़क पर 432 और 435 किमी. के बीच गीदम कस्बा क्षेत्र में पेय जल आपूर्ति पाइपलाइन का स्थानांतरण	17.11.2007	0.11	पूरा हो गया	
32.	छत्तीसगढ़ में (रारा 16) की भोपालपट्टनम-जगदलपुर सड़क पर 365.400, 368.200, 372.200, 374.200, 378.500 और 379.400 किमी. पर 6 बड़े/छोटे पुलों के लिए सर्वेक्षण, जांच और जलीय आंकड़े तैयार करना	21.11.2007	0.13	कार्य प्रगति पर	मार्च 2009
33.	छत्तीसगढ़ में (रारा 16) की भोपालपट्टनम-जगदलपुर सड़क पर 414.600, 422.100, 423.600, 428.400, 430.631, 435.490 और 439.415 किमी. पर 7 बड़े/छोटे पुलों के लिए सर्वेक्षण, जांच और जलीय आंकड़े तैयार करना	21.11.2007	0.21	पूरा हो गया	
34.	छत्तीसगढ़ में (रारा 16) की भोपालपट्टनम-जगदलपुर सड़क पर 303.245, 307.040, 309.360, 318.420 और 320.110 किमी. पर 5 बड़े/छोटे पुलों के लिए सर्वेक्षण, जांच और जलीय आंकड़े तैयार करना	05.06.2008	0.30	कार्य प्रगति पर	मार्च 2009
35.	छत्तीसगढ़ में (रारा 16) की भोपालपट्टनम-जगदलपुर सड़क पर 400.656, 404.110, 405.256 और 413.030 किमी. पर 6 बड़े/छोटे पुलों के लिए सर्वेक्षण, जांच और जलीय आंकड़े तैयार करना	05.06.2008	0.13	कार्य प्रगति पर	मार्च 2009

[अनुवाद]

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम हेतु निधियां

1453. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय से तंबाकू उत्पादों पर के माध्यम से एकत्रित अतिरिक्त निधियां आबंटित करने का अनुरोध किया है जैसा कि दिनांक 17 सितम्बर, 2008 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) कितनी निधियां प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में निधियां जुटाने हेतु अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) यह मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

भारत द्वारा छोड़े गए उपग्रह

1454. श्री महावीर भगोरा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत द्वारा छोड़े गए अंतरिक्ष उपग्रहों की वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा इन पर खर्च की गयी निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उपग्रहों से एकत्र की गई सूचना का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ प्राप्त हुए?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) पिछले तीन वर्ष 2005-2008 के दौरान तथा चालू वर्ष 2008-09 में अक्तूबर 2008 तक, भारत ने 10 उपग्रहों का प्रमोचन किया है जैसे: कार्टोसैट-1, कार्टोसैट-2, कार्टोसैट-2ए, भारतीय लघु उपग्रह आई.एम.एस.-1, इन्सैट-4ए, इन्सैट-4बी, इन्सैट-4सीआर, हैमसैट, एस.आर.ई.-1 तथा हाल ही में प्रमोचित चन्द्रयान-1। सभी उपग्रह संतोषजनक रूप में कार्य कर रहे हैं। एसआरई-1 ने मिशन के उद्देश्यों को पूरा कर लिया है तथा कक्षा से पुन: प्राप्त भी कर लिया गया है। उक्त अवधि के दौरान इन उपग्रहों पर किया गया खर्च 1286 करोड़ रुपये है। उक्त अवधि के दौरान भारत ने मैसर्स एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक वाणिज्यिक करार के तहत 10 विदेशी उपग्रहों का भी प्रमोचन किया है।

(ग) सुदूर संवेदन उपग्रह जैसे कार्टोसैट-1, कार्टोसैट-2ए, तथा आई.एम.एस.-1 ने देश के प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित सूचना को संग्रहित किया है जिससे प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, शहरी क्षेत्र योजना व विकास, ग्रामीण विकास तथा आपदा प्रबंधन सहायता के लिए लाभ हुआ है। इन्सैट-4ए, 4बी, 4सीआर ने दूर-शिक्षा, दूर-चिकित्सा, डीटीएच संप्रेक्षण, ग्रामीण संचार तथा आपात संचार उपयोग को लाभ पहुंचाते हुए देश की संचार अवसंरचना का संवर्धन किया है। एसआरई-1 प्रौद्योगिकी प्रदर्श उपग्रह है। हाल ही में प्रमोचित चन्द्रयान-1 के प्रेक्षित लाभों में चन्द्रमा को वैज्ञानिक रूप में समझना, देश में प्रौद्योगिक आधार का उन्नयन तथा युवापीढ़ियों को अंतरिक्ष विज्ञान व ग्रामीण अनुसंधान में प्रोत्साहित करना शामिल है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाली बाईपास सड़कें

1455. श्री पी. राजेन्द्रन:
श्री पी.सी. थामस:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में निर्माणाधीन बाईपास सड़कों की वर्तमान स्थिति सहित विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली बनी हुई बाईपास सड़कों और बनाई जाने वाली संभावित बाईपास सड़कों का ब्योरा क्या है;

(ख) उनमें से प्रत्येक बाईपास सड़क पर हुए खर्च की अनुमानित लागत क्या है और इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) ये बाईपास सड़कें कब तक पूरी होने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) विभिन्न राज्यों ने राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ते हुए निर्मित/निर्माण किए जाने के लिए संभावित बाईपास सड़कों के ब्योरे और केरल में निर्माणाधीन बाईपास सड़कों की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। ये बाईपास अलग-अलग निर्माण पैकेज का हिस्सा होते हैं और इसलिए लागत की अलग से गणना नहीं की जाती। केरल में निर्माणाधीन बाईपास सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III में शामिल की गई हैं और इन्हें दिसंबर, 2012 तक पूरा किया जाना है।

विवरण

निर्मित/निर्माण किए जाने के लिए संभावित बाईपास सड़कों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	रारा सं.	स्थान	स्थिति	पूरा होने की तारीख/ संभावित तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	205 व 219	रारा 205 के किमी. 166/648 से रारा 219 के किमी. 3/245 तक मदनपल्ली कस्बे के लिए बाइपास	प्रगति पर	जुलाई, 2009
		5	नेल्लोर बाईपास (लंबाई 17.166 किमी.)	पूर्ण	सितंबर, 2004
2.	असम	53	कटकल बाईपास (लंबाई 5.64 किमी.)	प्रगति पर	दिसंबर, 2009
		44	करीमगंज बाईपास (लंबाई 3.84 किमी.)	प्रगति पर	मार्च, 2009
		37	गुवाहाटी बाईपास (लंबाई 10.50 किमी.)	पूर्ण	जून, 2004
		37	गुवाहाटी बाईपास (लंबाई 8.0 किमी.)	पूर्ण	दिसंबर, 2003
		37	फ्लाईओवर एवं सर्विस रोड सहित गुवाहाटी बाईपास (लंबाई 10.0 किमी.)	प्रगति पर	दिसंबर, 2008
		37	नगांव बाईपास (लंबाई 23 किमी.)	प्रगति पर	जून, 2009
		44	रारा 44 को जोड़ते हुए पातेरकंडी बाईपास (लंबाई 9 किमी.) (नया प्रस्ताव)	भूमि अधिग्रहण प्रगति पर	दिसम्बर, 2012
3.	छत्तीसगढ़	6	दुर्ग बाईपास (लंबाई 180 किमी.)	दो लेन के रूप में पूर्ण	जनवरी, 2001
		6	दुर्ग बाईपास के सिरे से छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा (लंबाई 82.685 किमी.)	प्रगति पर	जनवरी, 2011
4.	गुजरात	8	अहमदाबाद बाईपास (लंबाई 15 किमी.)	पूर्ण	मार्च, 2008
		8बी	राजकोट बाईपास एवं गौंडल जैतपुर (लंबाई 36.00 किमी.)	पूर्ण	मार्च, 2008
5.	हिमाचल प्रदेश	21	कुल्लू बाइपास का निर्माण	पूर्ण	जून, 2008
6.	जम्मू-कश्मीर	1ए	जम्मू-उधमपुर खंड पर जम्मू बाईपास (लंबाई 20.10 किमी.)	शेष कार्य सौंपा जाना है	
		1ए	जम्मू से कुंजवानी (जम्मू बाइपास) (लंबाई 15.0 किमी.)	प्रगति पर	दिसंबर, 2009
		1ए	श्रीनगर बाईपास सड़क खंड (लंबाई 1.80 किमी.)	प्रगति पर	सितंबर, 2009
		1ए	श्रीनगर बाईपास-पुल खंड	प्रगति पर	दिसंबर, 2009
7.	कर्नाटक	63	होसपेट बाईपास (लंबाई 5.23 किमी.)	कार्य सौंपा जाना है	

1	2	3	4	5	6
		4	बेलगांव बाईपास (लंबाई 18 किमी.)	पूर्ण	जून, 2008
		4	चित्रदुर्ग बाईपास (लंबाई 18 किमी.)	प्रगति पर	अप्रैल, 2009
		4	सीरा बाईपास (लंबाई 5.80 किमी.)	पूर्ण	अप्रैल, 2002
		4	तुमकुर बाईपास (लंबाई 13 किमी.)	शेष कार्य सौंपा जाना है	
8.	केरल	17	पैक्कनूर (लंबाई 4.10 किमी.)	कार्य सौंपा जाना है	
		17	तालीपरंबा (लंबाई 5.67 किमी.)	कार्य सौंपा जाना है	
		17	कन्नूर (लंबाई 18 किमी.)	कार्य सौंपा जाना है	
		17	तलसेरी, माहे (लंबाई 17 किमी.)	कार्य सौंपा जाना है	
		17	कोयलंडी (लंबाई 11 किमी.)	कार्य सौंपा जाना है	
		17	कोझिकोड (लंबाई 32 किमी.)	कार्य सौंपा जाना है	
		17	कोटक्कल-इदरीकोडे (लंबाई 4.30 किमी.)	कार्य सौंपा जाना है	
		17	वलनचेरी (लंबाई 4.50 किमी.)	कार्य सौंपा जाना है	
		17	पोन्नानी (लंबाई 14.655 किमी.)	कार्य सौंपा जाना है	
		17	चावक्कड (लंबाई 2.45 किमी.)	कार्य सौंपा जा ना है	
		17	वदनपल्ली (लंबाई 3.50 किमी.)	कार्य सौंपा जाना है	
		17	तरिप्पापर-चेलापद (लंबाई 3.20 किमी.)	कार्य सौंपा जाना है	
		17	चेंद्रपिन्नी (लंबाई 1.95 किमी.)	कार्य सौंपा जाना है	
		17	मुनुपीदिका (लंबाई 2.14 किमी.)	कार्य सौंपा जाना है	
		17	मथीलाकम खंड I (लंबाई 4.485 किमी.)	कार्य सौंपा जाना है	
		17	मथीलाकम खंड II (लंबाई 0.47 किमी.)	कार्य सौंपा जाना है	
		17	कोट्टंगसूर (लंबाई 3.035 किमी.)	निविदा स्तर पर है	
		17	परवूर (लंबाई 10.51 किमी.)	कार्य सौंपा जाना है	
		17	इडापल्ली मंचूमलकवस्त्र (लंबाई 3.32 किमी.)	कार्य सौंपा जाना है	
		47	अलप्पुझा (लंबाई 6.70 किमी.)	कार्य सौंपा जाना है	
		47	कोल्लम (लंबाई 13 किमी.)	कार्य सौंपा जाना है	
		47	अरिंगल (लंबाई 11 किमी.)	कार्य सौंपा जाना है	
		47	विद्यमान बाइपास के किमी. 22.600 को जोड़ते हुए किमी. 43.00 तक तिरुवनंतपुरम बाइपास (लंबाई 20.40 किमी.)	कार्य सौंपा जाना है	

1	2	3	4	5	6
		47	अलप्पुझा बाईपास चरण-II	पूर्ण	जून, 2008
		17	कालीकट बाईपास चरण-IV	पूर्ण	मार्च, 2008
		17	कालीकट बाईपास चरण-II	निविदा स्तर पर	
9.	मध्य प्रदेश	75, 3	ग्वालियर बाईपास (लंबाई 42 किमी.)	कार्यान्वयन के अधीन	अक्तूबर, 2009
		25, 76	शिवपुरी बाईपास एवं मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा तक (लम्बाई 53 किमी.)	पूर्ण	अक्तूबर, 2008
		3	मुरैना-राढडू (ग्वालियर बाईपास से प्रारंभ) (लंबाई 18 किमी.)	पूर्ण	दिसंबर, 2005
		3	गुना बाईपास (लंबाई 14.00 किमी.)	पूर्ण	दिसंबर, 2007
		7	रीवा बाईपास किमी. 229/2 से 243/6	पूर्ण	अप्रैल, 2007
		7	कटनी बाईपास किमी. 361/2 से 373/6	पूर्ण	जनवरी, 2008
		26	सागर बाईपास (लंबाई 26 किमी.)	प्रगति पर	नवंबर, 2009
		7	किमी. 299/6 से 304/6 तक मैहर बाईपास का निर्माण	कार्य सौंपा जाना है	
10.	महाराष्ट्र	204	किमी. 114/640 से 115/300 तक चाकरखेड़ी बाईपास	पूर्ण	जनवरी, 2006
		6	अमरावती बाईपास (लंबाई 17.40 किमी.)	दो लेन के रूप में पूर्ण	जनवरी, 2003
		7	कंपटी कानून और नागपुर बाईपास सहित मध्य प्रदेश/ महाराष्ट्र सीमा से नागपुर के बीच बाईपास (लंबाई 95.00 किमी.)	शेष कार्य सौंपा जाना है	
		6	अकोला बाईपास	प्रगति पर	मार्च, 2009
11.	पंजाब	64	पटियाला बाईपास (लंबाई 18.70 किमी.)	प्रगति पर	दिसंबर, 2010
		1	जालंधर बाईपास (लंबाई 14.40 किमी.)	पूर्ण	जून, 2004
12.	राजस्थान	11ए विस्तार	रारा 11 के किमी. 181/950 से प्रारंभ और रारा 11 विस्तार के किमी. 5/950 पर समाप्त दौसा बाईपास	पूर्ण	मार्च, 2008
		11ए विस्तार	किमी. 0 से 1.05 तक दौसा बाईपास पर आरओबी	कार्य सौंपा जाना है	
		79	भीलवाड़ा बाइपास-चित्तौड़गढ़ (लंबाई 66 किमी.)	पूर्ण	मई, 2004
		79	गुलाबपुरा-भीलवाड़ा बाईपास (लंबाई 50 किमी.)	पूर्ण	सितंबर, 2004
		79, 76	चित्तौड़गढ़ बाईपास (लंबाई 30 किमी.)	प्रगति पर	दिसंबर, 2008
		76	कोटा बाईपास (लंबाई 25 किमी.)	प्रगति पर	दिसंबर, 2009
		76	चित्तौड़गढ़ बाईपास (लंबाई 40 किमी.)	प्रगति पर	दिसंबर, 2008

1	2	3	4	5	6
		8	जयपुर बाईपास चरण-I (लंबाई 14 किमी.)	पूर्ण	जनवरी, 2001
		8	जयपुर बाईपास चरण-II (लंबाई 34.70 किमी.)	पूर्ण	मार्च, 2005
13.	तमिलनाडु	45बी	त्रिची बाईपास के सिरे से तोवारनकुरची (लंबाई 60.95 किमी.)	प्रगति पर	मार्च, 2009
		4, 45	चेन्नै बाईपास चरण-I (लंबाई 19 किमी.)	दोन लेन के रूप में पूर्ण	नवंबर, 2001
		45, 4 एवं 5	चेन्नै बाईपास चरण-II (लंबाई 32 किमी.)	प्रगति पर	जून, 2009
		46	पालीकोंडा-रानीपेट और वालजापेट बाईपास (लंबाई 45 किमी.)	पूर्ण	जनवरी, 2006
		7	मदुरै बाईपास (लंबाई 42 किमी.)	प्रगति पर	मार्च, 2009
		7	करूर बाईपास (लंबाई 9.36 किमी.)	पूर्ण	सितंबर, 2002
		7	सलेम बाईपास (लंबाई 8.40 किमी.)	पूर्ण	जनवरी, 2003
14.	त्रिपुरा	44	अगरतला बाईपास (लंबाई 12.908 किमी.)	प्रगति पर	दिसम्बर, 2010
15.	उत्तर प्रदेश	2, 3	आगरा बाईपास (लंबाई 32.8 किमी.)	प्रगति पर	अक्तूबर, 2010
		2	इलाहाबाद बाईपास ठेका-I (पुल)	पूर्ण	अक्तूबर, 2008
		2	इलाहाबाद बाईपास ठेका-II (लंबाई 38.987 किमी.)	प्रगति पर	दिसंबर, 2008
		2	इलाहाबाद बाईपास ठेका-III (लंबाई 44.708 किमी.)	प्रगति पर	फरवरी, 2009
		2	इटावा बाईपास (शेष कार्य) (लंबाई 13.60 किमी.)	पूर्ण	मई, 2008
		56ए एवं बी	लखनऊ बाईपास (लंबाई 22.85 किमी.)	पुन: निविदा दी जानी है	
		2, 25	कानपुर बाईपास (लंबाई 30 किमी.)	शेष कार्य सौंपा जाना है	
		24	गाजियाबाद-हापुड़ एवं हापुड़ बाईपास (लंबाई 33 किमी.)	पूर्ण	सितंबर, 2002
		24	मुरादाबाद बाईपास (लंबाई 18 किमी.)	दो लेन के रूप में पूर्ण	जून, 2002
		28	गोरखपुर बाईपास (लंबाई 32.60 किमी.)	प्रगति पर	अक्तूबर, 2009
		25	झांसी बाईपास	प्रगति पर	दिसंबर, 2009
		24-ए	लखनऊ शहर के चारों ओर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 और राष्ट्रीय राजमार्ग 28 को जोड़ते हुए 10.794 किमी. लंबाई में दो लेन की विद्यमान सड़क (लखनऊ बाईपास) को चार लेन का दोहरा कैरिजवे बनाना और सुदृढ़ीकरण	प्रगति पर	मार्च, 2009
16.	पश्चिम बंगाल	34	डनकोल्ल बाईपास	प्रगति पर	मार्च, 2009

सड़क सुरक्षा में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी

1456. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा गतिविधियों में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें शामिल किए गए गैर-सरकारी संगठनों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन गैर-सरकारी संगठनों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा क्या कार्य किया गया है; और

(घ) इन गैर-सरकारी संगठनों के कार्य-निष्पादन की जांच हेतु क्या कोई तंत्र विकसित किया गया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करता है। गैर-सरकारी संगठनों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

हरियाणा/राजस्थान	एम एन टंडन मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट
गुजरात/महाराष्ट्र	लाइफलाइन फाउंडेशन
दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल	इंस्टीट्यूट आफ रोड ट्रेफिक एजूकेशन
सभी राज्य (पीआईयू/सीएमयू के माध्यम से)	कुमारी राजश्री परमार मेमोरियल फाउंडेशन

सहायता के ब्यौरे इसे प्रकार हैं:-

नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 सितंबर, 2009 तक
एम.एन. टंडन मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट	9.22 लाख रुपए	7.82 लाख रुपए	-	-
लाइफलाइन फाउंडेशन	-	-	-	-
इंस्टीट्यूट आफ रोड ट्रेफिक एजूकेशन	-	28 लाख रुपए	24 लाख रुपए	32 लाख रुपए
कुमारी राजश्री परमार मेमोरियल फाउंडेशन	1.65 लाख रुपए	3.85 लाख रुपए	-	-

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्य इस प्रकार हैं:-

(1) एन.एन. टंडन मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट-इस संगठन को राष्ट्रीय राजमार्ग-08 के गुड़गांव-जयपुर खंड पर सड़क दुर्घटनाओं, मृत्युदर और विकृतिदर में कमी लाने के लिए कम्यूनिटी आधारित प्रयास के लिए नियुक्त किया गया है।

(2) लाइफलाइन फाउंडेशन-इस संगठन को रतनपुर से दहीसर तक राष्ट्रीय राजमार्ग-08 पर हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करने की अनुमति दी गई है।

(3) इंस्टीट्यूट आफ रोड ट्रेफिक एजूकेशन-इस संगठन को प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से स्वर्णिम चतुर्भुज के दिल्ली-कोलकाता खंड पर सड़क सुरक्षा संबंधी लोक शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया है।

(4) कुमारी राजश्री परमार मेमोरियल फाउंडेशन-इस संगठन को सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए कार्टून पुस्तकें तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया है। ये पुस्तकें सभी राज्यों में पीआईयू के माध्यम से सड़क प्रयोक्ताओं में बांटी गई हैं।

सामान्यत:, अपेक्षित परिणाम/आउट को विनियमित करने वाले निबंधन एवं शर्तों के साथ गैर-सरकारी संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं जिसके अनुपालन पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परियोजना निदेशकों द्वारा निगरानी रखी जाती है ताकि उक्त निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन में इन एजेंसियों का कार्य-निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

अमेरिका की विदेश मंत्री की भारत यात्रा

1457. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका की विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई बातचीत और करार पर हस्ताक्षर संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) डा. कोंडोलीजा राइस, अमेरिका की विदेश मंत्री ने 4-5 अक्तूबर, 2008 को नई दिल्ली की यात्रा की थी। विदेश मंत्री राइस ने विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की और परस्पर हित के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की तथा इस क्षेत्र में स्थिति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने नोट किया कि विगत कुछ वर्षों के दौरान, भारत-अमेरिका संबंध सुदृढ़ हुए हैं और इसमें विविधता आई हुई है। विदेश मंत्री राइस ने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की तथा विपक्ष के नेता से भी मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान किसी भी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

[हिन्दी]

भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मेडिकल कालेजों का निरीक्षण

1458. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री काशीराम राणा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में मेडिकल कालेजों की शिक्षा के गिरते स्तर के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निरीक्षित इन मेडिकल कालेजों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कालेजों में शिक्षा के गिरते स्तर को रोकने/बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद देश में चिकित्सा शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार मेडिकल कालेजों का आवधिक निरीक्षण करती है। चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता के विरुद्ध शिकायतों के संबंध में समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। केन्द्र सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/संस्थानों से आवश्यक स्पष्टीकरण/ इन्पुट प्राप्त करने के पश्चात् भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों पर निर्णय लेती है और आवश्यकता पड़ने पर, अपने विशेष दल से इसकी जांच भी करवाती है। चिकित्सा महाविद्यालयों को अपनी कमियां दूर करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। चिकित्सा महाविद्यालयों की तरफ से समुचित कार्रवाई न किए जाने की स्थिति में मेडिकल डिग्री की मान्यता रद्द करने के कदम उठाए जाते हैं। वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निरीक्षण किए गए चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या क्रमश: 207, 219, 217 और 213 है।

[अनुवाद]

औषधीय पादपों की कृषि

1459. श्री पी.सी. थामस:
श्री वरकला राधाकृष्णन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल राज्य सरकार से औषधीय पादपों की कृषि हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) वित्तीय सहायता के लिए चालू वर्ष के दौरान केरल राज्य सरकार से औषधीय पादपों की कृषि हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

औषधीय पादपों पर राष्ट्रीय मिशन संबंधी एक नई केंद्र प्रायोजित स्कीम सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई है जिसके अंतर्गत उत्पादकों, स्वयं सहायता समूहों, उद्योग जगत, उत्पादक सहकारी समितियों आदि के माध्यम से चिन्हित समूहों में कृषि कार्य शुरू करना प्रस्तावित है। यह स्कीम राज्य स्तर पर राज्य बागवानी मिशन द्वारा समन्वित की जाएगी।

अतएव, केरल राज्य सरकार से प्राप्त औषधीय पादपों की, कृषि हेतु प्रस्तावों को औषधीय पादपों पर राष्ट्रीय मिशन संबंधी नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अनुसार राज्य स्तर पर निपटान करने हेतु वापिस किया गया।

भेषज कंपनियों को लाइसेंस

1460. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दवाओं को बनाने वाली भेषज कंपनियों को लोकहित में अनिवार्य लाइसेंस जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गिरिडीह में कोक ओवन संयंत्र

1461. श्री टेकलाल महतो: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की गिरिडीह परियोजना के अंतर्गत कोक ओवन संयंत्र अब चालू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर उपगत व्यय का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) और (ख) सेन्ट्रल कोलफील्ड लि. (सीसीएल) की गिरिडीह परियोजना के अधीन कोक ओवन संयंत्र इस समय प्रचालन में नहीं है। कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने बताया है कि विशेष रूप से गिरिडीह परियोजना की गिरिडीह कोलफील्ड्स में कोक ओवन संयंत्र में कोक बनाने हेतु उपयुक्त कोकिंग कोयला उपलब्ध नहीं है।

(ग) 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार गिरिडीह कोक ओवन संयंत्र पर खर्च किया गया पूंजीगत व्यय लगभग 1.98 करोड़ रु. था।

[अनुवाद]

डाक्टरों की अनिवार्य ग्रामीण तैनाती

1462. श्री सुकदेव पासवान: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की एक वर्ष तक तैनाती को अनिवार्य बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की-गई-कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने सैद्धान्तिक रूप से यह निर्णय लिया है कि राज्य सरकारों के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक वर्षीय संयुक्त ग्रामीण नियुक्ति, स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिलें की पात्रता के लिए एक अनिवार्य शर्त होगी।

[हिन्दी]

अमरीका स्थित कंपनियों को परमाणु ऊर्जा के अनुबंध

1463. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अमरीका स्थित कंपनियों को 10,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के अनुबंध हेतु प्रस्ताव करने का है, जैसाकि दिनांक 20 सितंबर, 2008 के "द हिन्दु" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन अनुबंधों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में आशय-पत्र प्रदान कर दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (घ) सरकार ने, परस्पर स्वीकार्य ऐसी तकनीकी

तथा वाणिज्यिक शर्तों के आधार पर, जो उत्पादित बिजली के लिए एक संभाव्य शुल्क व्यवस्था बनाने में सहायक हैं, परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने में अमरीका की नाभिकीय ऊर्जा फर्मों के साथ सहकार करने की अपनी मंशा के बारे में, संयुक्त राज्य अमरीका को सूचित कर दिया है।

उत्तर प्रदेश में नाभिकीय विद्युत संयंत्र

1464. श्री मित्रसेन यादव: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में नए नाभिकीय संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए किन स्थानों की पहचान की गई है तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) नए संयंत्रों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) उत्तर प्रदेश में कार्यरत नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने, कुडनकुलम (तमिलनाडु), जैतापुर (महाराष्ट्र), ककरापार (गुजरात), और रावतभाटा (राजस्थान) में भावी नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों की स्थापना के लिए सिद्धांतत: अनुमोदन दे दिया है। अन्य और स्थल भी सरकार के विचाराधीन हैं। अनुमोदित स्थलों पर परियोजना-पूर्व के कार्य हाथ में ले लिए गए हैं। इन परियोजनाओं से 12वीं योजना और उससे आगे की अवधि में लाभ होगा।

(घ) 220 मेगावाट-ई क्षमता वाले दो विद्युत रिएक्टरों वाला नरोरा परमाणु बिजलीघर, उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में नरोरा में परिचालनरत है।

[अनुवाद]

यात्रियों के लिए 'स्मार्ट टैग'

1465. श्री किन्जरपु येरनायडु: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों द्वारा टाल बैरियर को पार करने के लिए स्मार्ट टैग का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गुड़गांव एक्सप्रेसवे सहित टाल बैरियर-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्मार्ट कार्ड की कमी से यात्रियों को कठिनाइयां हो रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन टैगों की पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली और हरियाणा राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के 14.300 से 42.000 किमी. तक पहुंच नियंत्रित राजमार्ग के दिल्ली-गुड़गांव खंड पर 24.000 किमी. (सीमा प्लाजा), 42.000 किमी. (खेरकी धौला) और इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्मार्ट टैगों का प्रयोग किया जा रहा है।

(ग) रियायतग्राही जो दिल्ली-गुड़गांव पहुंच नियंत्रित राजमार्ग का प्रचालन और अनुरक्षण कर रहा है, द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सीमा शुल्क निकासी में विलंब के कारण काफी पहले स्मार्ट टैगों की कमी की सूचना थीं।

(घ) रियायतग्राही से टैगों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विजन दस्तावेज

1466. डा. अरुण कुमार शर्मा:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के विकास के लिए दीर्घकालीन विजन दस्तावेज को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं; और

(ग) इस संबंध में उठाई जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई?

पंचायती राज मंत्री, तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विजन 2020 दस्तावेज को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह दस्तावेज पूर्वोत्तर

परिषद द्वारा 12-13 मई, 2008 को अगरतला में आयोजित इसकी 56वीं बैठक में अंगीकार किया गया था। इस दस्तावेज का औपचारिक रूप में 2 जुलाई, 2008 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विमोचन किया गया था। इसे 22 अक्तूबर, 2008 को लोक सभा के पटल पर रखा गया था।

(ख) विजन दस्तावेज में संपूर्ण राष्ट्रीय विकास दर के अनुसार उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विकास दर के मद्देनजर इस क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। चुनौतियां बताई गई हैं और क्षेत्रीय तथा सैक्टोरल कार्यान्वयन रणनीति का सुझाव दिया गया है।

इस दस्तावेज में इस क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए 6 सूत्री रणनीति का सुझाव दिया गया है।

* सबसे निचले स्तर पर तैयार आयोजना के माध्यम से अधिकतम स्वशासन और भागीदारीपूर्ण विकास द्वारा लोगों का सशक्तीकरण।
* ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि में उपलब्धता बढ़ाकर और संबद्ध कार्यक्रमों में जैसे पशुपालन, बागवानी, पुष्पकृषि, मत्स्यपालन और ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार के माध्यम से आजीविका विकल्पों के लिए विकास संबंधी अवसरों का सृजन।
* इस क्षेत्र में सेक्टरों का विकास करना जिसमें तुलनात्मक लाभ हो। जैसे- कृषि प्रसंस्करण एवं जल विद्युत उत्पादन।
* लोगों की कुशलता और क्षमता में वृद्धि करना तथा सरकारी और इससे अलग संस्थाओं के लिए क्षमता का निर्माण।
* निजी क्षेत्र द्वारा खासतौर पर अवसंरचना के लिए निवेश बढ़ाने के लिए सुगम निवेश वातावरण तैयार करना।
* विजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के संसाधनों का दोहन करना।

कुल मिलाकर विजन दस्तावेज में कृषि और संबद्ध सेक्टरों पर बल दिया गया है तथा वास्तविक अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने तथा सहभागी विकास और स्वशासन को शामिल किया गया है।

(ग) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने संबद्ध मंत्रालयों, इस क्षेत्र के राज्य सरकारों और सैक्टोरल विशेषज्ञों को शामिल करके 16 थिमेटिक कार्य-दलों का गठन किया है। इस थिमेटिक कार्यदल ने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विजन दस्तावेज से संबंधित कार्रवाई योजना तैयार की है। कार्रवाई योजना, पूर्वोत्तर परिषद के मुख्यालय शिलांग में 3 और 4 दिसंबर, 2008 को प्रस्तुत किए गए थे।

संवेदनशील पदों के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा उठाए गए कदम

1467. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के केन्द्रीय सतर्कता अधिकारियों से संवेदनशील पदों की सूची प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संवेदनशील पदों पर तैनात अधिकारियों के चक्रानुक्रम के संबंध में सीवीसी द्वारा जारी किए गए आदेश के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सीवीसी द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (ग) आयोग को अधिकांश मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं।

आयोग ने अपने दिनांक 15.4.1999 और 2.11.2001 के परिपत्र सं. 98/वीजीएल/60 और दिनांक 1.5.2008 के परिपत्र सं. 17.4.08 में विहित मार्गदर्शी सिद्धांतों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के संबंध में संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को लिखा है।

[हिन्दी]

जनजातीय/ग्रामीण/पर्वतीय क्षेत्रों के लिए आबंटित निधियां

1468. श्री रामदास आठवले: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान जनजाति/ग्रामीण/पर्वतीय क्षेत्रों के लिए आबंटित निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने उक्त अवधि के दौरान उक्त क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त निधियों को संस्वीकृत करने हेतु कोई प्रस्ताव/मांग प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आबंटित निधियां नीचे दी गई हैं:

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	क्षेत्र	वर्ष			
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	अनुच्छेद 275(1) के तहत जनजातीय उप योजना (टीएसपी) तथा अनुदान हेतु मिलने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) सहित जनजाति विकास के लिए जनजातीय मामले मंत्रालय	1498.82	1656.90	1719.71	2180.50
2.	ग्रामीण क्षेत्र	16329.89	18286.17	22105.73	26412.04
3.	पश्चिमी घाट विकास सहित पर्वतीय क्षेत्र	160.00	250.00	250.00	302.16

(ख) और (ग) जी, नहीं।

[अनुवाद]

पत्तन व गोदी कामगारों के लिए जैन समिति प्रतिवेदन

1469. **श्री अनन्त नायक:**
श्री वसुदेव आचार्य:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पत्तन व गोदी कामगारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सिफारिश देने के लिए गठित जैन समिति प्रतिवेदन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या हाल ही में अखिल भारतीय पत्तन और गोदी कामगार परिसंघ तथा भारतीय पत्तन संघ के प्रबंधन के बीच बाइपारटाईट वेज नेगोशियेटिंग कमेटी (बीएमएनसी) के स्तर की बैठक हुई थी;

(ग) यदि हां, तो बैठक के निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार मुंबई पत्तन सहित कतिपय प्रमुख पत्तनों का निजीकरण करने का है जैसा कि दिनांक 27 जून, 2008 के "बिजनेस लाइन" में समाचार प्रकाशित हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) पत्तन और डाक कामगारों पर आर.के. जैन समिति की रिपोर्ट की प्रमुख बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) आल इंडिया पोर्ट एंड डाक वर्करस फेडरेशन सहित पांच श्रमिक संघों और भारतीय पत्तन संघ के प्रबंधन अधिकारियों के बीच बाईपारटाईट वेज नेगोशिएशन कमेटी की 11वीं बैठक 21.10.2008 को नई दिल्ली में की गई।

(ग) इस बैठक के दौरान, 10वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। संघों ने इस बात पर जोर दिया कि 5 वर्षों के लिए समाशोधन की आवधिकता के मामले का निपटारा किया जाए।

(घ) से (च) महापत्तनों का निजीकरण किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने वर्ष 1996 और 1998 में जारी किए गए गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार, बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कर दो के आधार पर कुछ परियोजनाओं को अनुमोदित किया है।

विवरण

पत्तन और डाक कामगारों पर आर.के. जैन समिति की रिपोर्ट की प्रमुख बातें

समिति को बात-चीत और पत्तनों के दौरों के दौरान, एक सामान्य अनुभूति हुई कि कर्मचारियों की ऐसी कई श्रेणियां हैं जिनमें मौजूदा संख्या अपर्याप्त है। पत्तन ठेके पर रोजगार देकर और आउटसोर्सिंग (बाहर से काम करवा कर) की मदद से काम चला रहे हैं। यह श्रेणियां कई विभागों में और कई स्तरों पर मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर वह श्रेणियां जिनमें किसी न किसी पत्तन में कमी है, मकैनिकल विभाग में फिटर, मोटर मकैनिक, विंच आपरेटर, क्रेन आपरेटर, मशीनिस्ट, कनिष्ठ अभियंता (इलैक्ट्रीकल और मकैनिकल दोनों) आदि, समुद्री विभाग में पायलेट, समुद्री इंजीनियर, लास्कर्स, टग स्टाफ, सेरांग्स अग्निशामक, बर्थिंग मास्टर, वरिष्ठ मास्टर आदि, चिकित्सा विभाग में डाक्टर, एक्स-रे तकनीशीयन

और प्रयोगशाला तकनीशीयन, नर्सें, फार्मासिस्ट, फर्स्ट एडर्स आदि, पत्तन रेलवे में लोको ड्राइवर, सिग्नलमैन, कपलिंग पोर्टर्स आदि, यातायात विभाग में टैली कलर्क, शैड कलर्क आदि। इसी प्रकार अन्य विभागों में रिक्तियां हैं। समिति ने उपलब्ध सामग्री पर विचार करने, विचार-विमर्श करने और पहले के अध्यायों में यथा प्रस्तुत इसका विश्लेषण करने के बाद, निम्नलिखित सिफारिशें कीं:-

(1) कुछ ऐसे तकनीकी और प्रचालन संबंधी पद हैं जिनमें और अधिक पदों को समाप्त करना और कम से कम दो तिहाई रिक्तियों को समाप्त करने की वार्षिक सीधी भर्ती योजना की अपेक्षा को पूरा कर पाना संभव नहीं है। समिति यह सिफारिश करती है कि उन पदों से, जिनकी सूची नीचे दी गई है, पदों को भरने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया जाए और इन श्रेणियों में जरूरत के आधार पर होने वाली सभी रिक्तियों को पत्तन के स्तर पर भरने की अनुमति दी जाए:

(1) पायलेट,

(2) मेरिन इंजीनियर्स,

(3) टग मास्टर,

(4) ड्रेज मास्टर,

(5) कंट्रोल स्टेशन में सिग्नलमैन,

(6) वी टी ए एस प्रचालक,

(7) अग्निशामक

(2) उपरोक्त सिफारिश (1) में उल्लिखित पदों के अलावा अन्य सभी पदों पर कम से कम दो तिहाई रिक्तियां समाप्त करने की शर्त लागू की जा सकती है। तथापि, पत्तन को वर्ग 2, 3 और 4 के पद, जैसे ही और जब भी रिक्तियां हों पत्तन स्तर पर स्क्रीनिंग समिति के तंत्र के माध्यम से केन्द्र सरकार की अनुमति के बगैर भरे जाने का अधिकार दिया जाए, बशर्ते इस प्रकार भरे गए पदों की संख्या वार्षिक सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत अनुमत हो और पत्तन मंत्रालय को वार्षिक आधार अथवा मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई कम अवधि पर इस प्रकार की भर्ती की जानकारी दें।

(3) जहां तक वर्ग-1 के पदों का संबंध है समिति यह महसूस करती है कि कुछ तकनीकी और प्रचालनात्मक श्रेणियों में रिक्तियों को भरने का अधिकार भी पत्तनों को दिया जाए बशर्ते इस प्रकार भरे गए पदों की संख्या वार्षिक सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत अनुमत हो और पत्तन मंत्रालय को वार्षिक आधार अथवा मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई कम अवधि पर इस प्रकार की भर्ती की जानकारी दें। यह श्रेणियां निम्नलिखित में तकनीकी और प्रचालन वर्ग-I के अधिकारियों, यदि कोई हों तो, की हैं:-

(1) क्रेनों और फ्लोटिला का प्रचालन

(2) यांत्रिकृत संभलाई संयंत्रों का प्रचालन और रखरखाव

(3) पत्तन लोको और रेलवे का प्रचालन

(4) चिकित्सा सेवाएं

(5) सीमा शुल्क द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में सुरक्षा

(6) इलैक्ट्रिक सब-स्टेशन पर तैनाती

(7) पत्तनों में वाकी टाकी और संप्रेषण प्रणालियों का रखरखाव और प्रचालन

(8) पी सी एस सैल

(9) आई एस पी एस सैल

(4) मौजूदा निर्देशों के अनुसार, यदि पदों को रिक्ति के एक वर्ष के भीतर नहीं भरा जाए तो पद समाप्त हो जाते हैं। यह समय सीमा विभिन्न कारणों से कुछ मामलों में पार हो गई। एक तिहाई रिक्तियों तक भरे जाने की समग्र सीमा और संस्वीकृत पदों के 1% की सीमा को देखते हुए एक वर्ष से अधिक खाली रहने वाले पदों को समाप्त करने का नियम पत्तनों पर लागू किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(5) समिति इस बात को मानती है कि आउटसोर्सिंग के कुछ लाभ हैं और कई बार इससे बचा भी नहीं जा सकता। फिर भी, समिति यह महसूस करती है कि महत्व, संवेदनशील और सुरक्षा कारणों को देखते हुए, तकनीकी प्रकृति की निम्नलिखित गतिविधियों को सामान्यत: आउटसोर्स नहीं किया जाए:

(1) वी टी एम एस और सिग्नल स्टेशन का प्रचालन

(2) सीमा शुल्क द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में सुरक्षा

(3) वाकी टाकी संप्रेषण क्षेत्र में सुरक्षा

यह स्पष्ट किया जाता है कि समिति आउटसोर्सिंग और ठेके पर रोजगार दिए जाने के बीच अंतर कर रही है। अत:, जबकि उदाहरण के लिए टी वी एम एस प्रचालक को ठेके पर काम पर रखना संभव है, एक गतिविधि के रूप में वी टी एम एस प्रचालनों को आउटसोर्स नहीं

किया जाना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इससे सी आई एस एफ और/अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी की तैनाती को वर्जित करने का आशय नहीं है।

(6) विभिन्न कारणों से पत्तनों में कुछ स्टाफ अतिरिक्त हो सकता है। इस प्रकार के अतिरिक्त स्टाफ के सेवानिवृत्त हो जाने अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त हो जाने पर उन्हें भरना आवश्यक नहीं है। पहले के समय में, कई पदों को उस समय में यथास्थिति स्टाफ के प्रतिरूपण के रूप में अपग्रेड किया गया है। ऐसे पदों का ग्रेड, पदधारी द्वारा खाली कर दिए जाने पर, निम्न कर दिया जाए, यदि पहले से ही ऐसा नहीं कर दिया गया है, बशर्ते इस प्रकार का अपग्रेडेशन सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो।

(7) पद, खासतौर पर विशेष वी आर एस के कारण, केवल सबसे निचले स्तर पर ही नहीं समाप्त किए जाने चाहिए बल्कि दूसरे सत्रों पर भी किए जाने चाहिए ताकि भर्ती स्तर पर पर्याप्त संख्या में व्यक्ति भर्ती हो सके। विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति केवल निर्धारित अतिरिक्त पदों में काम कर रहे कर्मचारियों को ही दी जाए।

(8) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अर्हता की अवधि प्रतीक्षा कर रहे अथवा सितंबर, 2009 तक योग्य हो जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष तक बढ़ा दी जाए क्योंकि सेवानिवृत्ति की आयु 58 से 60 वर्ष कर दिए जाने के कारण अगले दो वर्ष तक सेवानिवृत्ति के कारण कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होगी।

(9) श्रम विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं, जिनमें विभिन्न पत्तनों में ठेके पर श्रमिकों को रखने की मनाही की गई है, पर पुन: विचार करने की जरूरत है ताकि प्रतिबंधित गतिविधियों को मौजूदा समय की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाया जा सके।

(10) पत्तनों को रिक्तियां भरते समय, तैनाती के दरमानों के संबंध में राष्ट्रीय औद्योगिक ट्राइब्यूनल, कोलकाता के फैसले को ध्यान में रखना चाहिए। फैसले में शामिल नहीं की गई श्रेणियों के लिए, पत्तनों को जरूरत की व्यवहारिकता पर विचार करना चाहिए। पत्तनों को रिक्तियां भरते समय गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी अथवा अन्य कारकों जैसे कि कार्गो का स्थानांतरण आदि को भी ध्यान में रखना चाहिए।

भारतीय समुद्री जल सीमा के भीतर जलपोतों का प्रचालन

1470. श्री अधीर चौधरी:
श्री निखिल कुमार:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय समुद्रीय जल-सीमा के भीतर जलपोतों के प्रचालन के लिए नए नियम जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए नियमों से भारतीय तेल कंपनियों के अपतटीय प्रचालन प्रभावित हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपतटीय प्रचालनों में संलग्न भारतीय कंपनियों के प्रचालन प्रभावित न हो, क्या कदम उठाए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में पोत परिवहन विकास से संबंधित निम्नलिखित परिपत्र जारी किए हैं:

(1) पोत परिवहन विकास (एसडी) परिपत्र सं. 1/2008 दिनांक 25.04.2008

(2) एस डी परिपत्र सं. 1/2008 दिनांक 22.07.2008 में संशोधन

(3) एस डी परिपत्र सं. 1/2007 दिनांक 23.01.2007

(4) एस डी परिपत्र सं. 1/2007 दिनांक 30.09.2008 में संशोधन

(5) ऊपर क्रम संख्या (3) और (4) में दिए गए परिपत्रों का अधिक्रमण करते हुए एस डी परिपत्र सं. 3/2008 दिनांक 23.10.2008

एस डी परिपत्र सं. 1/2008 दिनांक 25.04.2008 के अनुसार, तेल की खोज वाले क्षेत्र में और उसके आस-पास चलाए जाने के प्रयोजन से काम पर लगाए गए सभी अपतटीय समर्थन जलयान 25 वर्ष से कम आयु के होने चाहिए और उन्हें इंडियन रजिस्टर आफ शिपिंग में अवश्य वर्गीकृत किया गया होना चाहिए। तथापि, उक्त परिपत्र संख्या 1/2008 को 22.07.2008 को संशोधित किया गया।

किए गए संशोधन के अनुसार, तेल की खोज वाले क्षेत्र में और उसके आस-पास चलाए जाने के प्रयोजन से काम पर लगाए गए अपतटीय समर्थन जलयान इंडियन रजिस्टर आफ शिपिंग में अथवा किसी इंटरनेशनल एसोसिएशन आफ क्लासिफिकेशन सोसाइटीज श्रेणी की सोसाइटी के साथ रजिस्टर किए जाने हैं और यदि जलयान इंडियन रजिस्टर आफ शिपिंग में रजिस्टर्ड नहीं है और 25 वर्ष से अधिक आयु का है तो उसे कार्य प्रारंभ करने से पहले इंडियन रजिस्टर आफ शिपिंग द्वारा वार्षिक सांविधिक सर्वेक्षण के समकक्ष निरीक्षण और एक मध्यवर्ती इंटरनेशनल सेफ्टी मैनेजमैंट परीक्षण से गुजरना होगा। उक्त संशोधन में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि यदि जलयान में कोई कमियां हों तो उन्हें तुरंत सुधारा जाए जिसमें असफल रहने पर उस जलयान को दिया गया लाइसेंस नौवहन महानिदेशालय द्वारा रद्द किया जा सकता है।

एस डी परिपत्र सं. 1/2007 दिनांक 23.01.2007 के अनुसार, पोत प्रचालन कर्मीदल के अलावा 12 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति ले जाने वाले सभी अपतटीय जलयानों के लिए विशेष प्रयोजनीय पोत संहिता के अनुसार अतिरिक्त प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक है। एस डी परिपत्र सं. 1/2007 दिनांक 30.09.2008 में किए गए संशोधन के अनुसार, विशेष प्रयोजनीय पोत संहिता के प्रावधानों का पूरा अनुपालन करने से कुछ रियायत प्रदान की गई बशर्ते वह जलयान केवल अनुकूल मौसम के समय में ही कार्य करे।

एस डी परिपत्र सं. 3/2008 के अनुसार (जो कि एस डी परिपत्र सं. 1/2007 और उसके दिनांक 30.09.2008 के संशोधन का अधिक्रमण करता है), मौजूदा अपतटीय समर्थन जलयानों से पोत की ढांचागत व्यवस्था के आधार पर व्यवहारिक सीमा तक एस पी एस संहिता के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है और इस प्रकार के जलयानों को किसी प्रकार के प्रतिबंध के बिना कार्य करने की अनुमति है बशर्ते पोत स्वामी/प्रचालक उचित सचेतना से काम लें और समुद्र और मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी अनिवार्य सुरक्षा सावधानियों से काम लें।

(ग) से (ङ) अपतटीय प्रचालकों को पोत परिवहन विकास परिपत्र सं. 1/2007 और 1/2008 की अपेक्षाओं का पूरी तरह से अनुपालन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अत: सरकार ने उद्योग के विचार जानने के बाद और तकनीकी विशेषज्ञों के परामर्श से यह सुनिश्चित किए जाने के लिए दोनों परिपत्रों में संशोधन किया कि अपतटीय खोज उद्योग पर प्रभाव नहीं पड़े।

[हिन्दी]

गंगा में प्रदूषण को रोकना

1471. श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने से संबंधित कार्य में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नदी की सफाई करने के लिए किसी समिति का गठन किया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए कोई स्वैच्छिक संगठन सामने आया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) गंगा नदी में प्रदूषण उपशमन कार्य शुरू करने के लिए, वर्ष 1985 में गंगा कार्य योजना (जीएपी), चरण-I शुरू किया गया था, जिसे 869 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की सीवेज शोधन क्षमता के सृजन के साथ मार्च, 2000 में पूरा हुआ घोषित किया गया। तत्पश्चात् जी ए पी चरण-I, जिसमें गंगा के अतिरिक्त इसकी प्रमुख सहायक नदियों नामश: यमुना, गोमती, दामोदर और महानन्दा के लिए योजनाएं शामिल है, को 1993 से आगे चरणों में अनुमोदित किया गया। इस समय जी ए पी चरण-II के अंतर्गत कार्य का विभिन्न राज्यों में क्रियान्वयन किया जा रहा है। शुरू किए गए प्रदूषण उपशमन कार्यों में नदियों में बहने वाले अशोधित सीवेज का शोधन हेतु अवरोधन और दिशा परिवर्तन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना, अल्प लागत शौचालयों का निर्माण, विद्युत/उन्नत काष्ट आधारित शवदाहगृह, नदी तट विकास आदि शामिल हैं। सितम्बर, 2008 तक जी ए पी चरण-II के अंतर्गत 425 एम एल डी सीवेज शोधन क्षमता के सृजन के साथ प्रदूषण उपशमन की 518 स्कीमें पूरी की गई हैं। जी ए पी चरण-I और II के अंतर्गत प्रदूषण उपशमन कार्यों के पूरा होने के साथ, गंगा नदी में प्रमुख मानीटरिंग स्थलों पर जैव रसायन आक्सीजन मांग (बी ओ डी) के संबंध में जी ए पी पूर्व की स्थिति की तुलना में जल गुणता में सुधार आया है। यह केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस पी सी बी), भारत हैवी

इलेक्ट्रिकल्स लि. (बी एच ई एल), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी), कानपुर और इंडियन टाक्सीकालाजिकल रिसर्च सेन्टर (आई टी आर सी), लखनऊ जैसे स्वतंत्र प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा की गई जल गुणता मानीटरी से प्रमाणित होता है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण (एन आर सी ए) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन आर सी पी) के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शक नीति निर्देश मुहैया कराता है। एन आर सी ए की सहायता के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक संचालन समिति है जिसमें कार्यक्रम क्रियान्वयन के समन्वय के लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

नदी संरक्षण बहुत बड़ा कार्य है जिसके लिए सभी स्टेक-होल्डर्स की सहभागिता अपेक्षित है। शहरी जलापूर्ति और स्वच्छता राज्य का विषय है और यह राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों (यू एल बी) का दायित्व है कि वे राज्य योजना निधि से घरेलू अपशिष्ट जल शोधन स्कीमों सहित जल आपूर्ति स्वच्छता परियोजनाओं का नियोजन, डिजाइन, निष्पादन, प्रचालन और रखरखाव करें। केन्द्र सरकार अभिनिर्धारित प्रदूषित क्षेत्रों में पूंजीगत कार्यों के लिए अनुदान मुहैया कराकर सीवेज प्रबंधन और निपटान आदि के लिए सिविल अवसंरचना के सृजन में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। राज्य सरकारों और यू एल बी के प्रयासों की इन कार्यक्रमों के मार्गनिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करवाकर सहायता के लिए केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत अन्य केन्द्रीय कार्यक्रम भी प्रचालन में हैं। नामश: जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम) और छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम (यू आई डी एस एस एम टी)। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत सीवरेज और सीवेज शोधन (अर्थात् घरेलू अपशिष्ट जल शोधन) अनुमति घटक हैं।

(घ) और (ङ) वाराणसी में उत्पन्न होने वाले प्रदूषण भार से निपटने के लिए वाराणसी के संकट मोचन फाउण्डेशन (एस एम एफ) नामक एक गैर-सरकारी संगठन ने प्रोजेक्ट फीजेबिलिटी रिपोर्ट (पी एफ आर) के रूप में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

वाराणसी में रामना में 37 एम एल डी मलजल शोधन संयंत्र की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार करने और घाटों तथा वाराणसी शहर के आस-पास के क्षेत्रों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए विस्तृत डी पी आर तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से एस एफ एफ के साथ सहयोग करने को कहा गया है।

[अनुवाद]

ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र

1472. श्री अमिताभ नन्दी: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण व्यवसाय केन्द्रों के विकास के लिए पहचाने गए स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन केन्द्रों को स्थापित करने के लिए कितनी निधियों की आवश्यकता होगी?

पंचायती राज मंत्री, तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) वर्तमान में, संलग्न विवरण के अनुसार ग्रामीण व्यवसाय केन्द्रों के विकास के लिए 17 राज्यों में 33 पायलट जिलों को अभिचिह्नित किया गया है।

(ख) इन ग्रामीण व्यवसाय केन्द्रों के निधीयन के लिए वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान 2 करोड़ रुपये उद्दिष्ट किए गए हैं। ग्रामीण व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना के लिए निधियों की आवश्यकता परियोजना की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसे केन्द्र तथा राज्य सरकारों एवं वित्तीय व अन्य संस्थानों द्वारा प्रोत्साहित विभिन्न योजनाओं के जरिए उपलब्ध हो रहे संसाधनों के अभिसरण के माध्यम से पूरा किया जाना प्रत्याशित है। पंचायती राज मंत्रालय की ओर से प्रत्येक ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र के लिए सहायता की सीमा 10 लाख रुपये है।

विवरण

ग्रामीण व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना के लिए पायलट जिले

क्र.सं.	राज्य	प्रस्तावित जिला
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर
2.		मेडक
3.	असम	कोकराझार
4.		हैलाकांडी
5.	बिहार	दरभंगा
6.		पटना
7.	छत्तीसगढ़	बस्तर

1	2	3
8.		रायगढ़
9.	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर
10.	झारखंड	रांची
11.		देवघर
12.	कर्नाटक	बीदर
13.		देवनगिरि
14.	केरल	पलाक्काड
15.		वायनाड
16.	मध्य प्रदेश	बुरहानपुर
17.		खरगौन
18.	महाराष्ट्र	अहमद नगर
19.		यवतमल
20.	मेघालय	री-भोई
21.	मणिपुर	चुड़ाचांदपुर
22.	उड़ीसा	कोरापुट
23.		फूलबानी
24.	राजस्थान	बांसवाड़ा
25.		उदयपुर
26.		सवाई माधोपुर
27.	तमिलनाडु	कृष्णागिरि
28.		नागापट्टिणम्
29.		विल्लुपुरम्
30.	उत्तरांचल	चमोली
31.		चंपावत
32.	पश्चिम बंगाल	वीरभूम
33.		पुरूलिया

पत्तन का विकास तथा विस्तार

1473. श्री के.एस. राव: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बढ़ते आयात और निर्यात के प्रबंधन के लिए भारतीय पत्तनों के विकास और विस्तार हेतु चालू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार पत्तनों के विकास के लिए विदेशी कंपनियों की सेवाएं लेने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) भविष्य के लिए जहाजीमाल की संभावनाओं और समुद्रीय व्यापार की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए नये घाटों और टर्मिनलों का निर्माण कराकर पत्तनों का विकास और क्षमता वृद्धि करना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में महापत्तनों में आरंभ की गई कुछ प्रमुख परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) सरकार की विद्यमान नीति के अनुसार पत्तनों और बंदरगाहों का निर्माण और अनुरक्षण में स्वत: मार्ग के अंतर्गत शत-प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। महापत्तनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी एक खुली प्रतिस्पर्द्धा बोली मैकेन्जिम के माध्यम से, जिसमें सबसे अधिक राजस्व देने वाले बोलीदाता को सफल घोषित किया जाता है, बनाओ, चलाओ और स्थानांतरित (बी ओ टी) करो प्रणाली द्वारा घाटों और टर्मिनलों के निर्माण तथा प्रचालन में निजी क्षेत्र भागीदारी की परिकल्पना की गई है। महापत्तनों में निजी क्षेत्र निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने एक माडल रियायत करार (एम सी ए) को तथा संपूर्ण बोली प्रक्रिया में एक रूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अर्हता के माडल अनुरोध (आर एफ क्यू) और भागीदारी के लिए अनुरोध (आर एफ पी) दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया है।

विवरण

कोलकाता पत्तन न्यास

(1) हल्दिया डाक परिसर (एच डी सी) के इम्पाउंडिड डाक के भीतर बहुप्रयोजन घाट (घाट सं. 2) का निर्माण

(2) एच डी सी के इम्पाउंडिड डाक के भीतर बहु प्रयोजन घाट (घाट सं. 13) का निर्माण

विशाखापट्टनम पत्तन न्यास

(1) आंतरिक बंदरगाह के उत्तरी बाहु में दो बहुप्रयोजन घाटों ई क्यू-8 तथा ई क्यू-9 का निर्माण

चेन्नई पत्तन न्यास

(1) 2 कंटेनर टर्मिनल का विकास

इन्नौर पत्तन लिमिटेड

(1) समुद्रीय तरल टर्मिनल का निर्माण

(2) कोयला टर्मिनल का निर्माण

(3) लौह अयस्क टर्मिनल का निर्माण

तूतीकोरिन पत्तन न्यास

(1) घाट सं. 9 का निर्माण

कोचीन पत्तन न्यास

(1) अन्तर्राष्ट्रीय कंटेनर यातायात टर्मिनल का विकास

(2) बी पी सी एल कोच्चि रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल संभलाई सुविधा

नव मंगलूर पत्तन न्यास

(1) गहरे ड्राफ्ट बहु-प्रयोजन घाट का निर्माण

मुरगांव पत्तन न्यास

(1) घाट सं. 5ए और 6ए का निर्माण

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास

(1) तीसरे कंटैनर टर्मिनल का निर्माण

मुम्बई पत्तन न्यास

(1) दो अपतटीय कंटेनर टर्मिनलों का निर्माण

कांडला पत्तन न्यास

(1) 12वें हजारी माल घाट का निर्माण

(2) वाडीनार में तेल जेट्टियों के लिए पत्तन सुविधाओं का निर्माण

सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय

1474. श्री कृष्ण किशोर श्रिवास्तव: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 एवं वर्तमान वर्ष के दौरान सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में रक्षा तथा पूंजीगत क्षेत्रों में व्यय में हुई वृद्धि की तुलना में सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय की प्रतिशतता में हाल में कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में सामाजिक क्षेत्र योजनाओं की प्रत्यक्ष रूप से निगरानी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) भारत सरकार के वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के व्यय बजट में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2006-07 (संशोधित अनुमान), 2007-08 (संशोधित अनुमान) तथा 2008-09 (बजट अनुमान) के लिए मुख्य सामाजिक क्षेत्रकों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास के लिए रक्षा व्यय/आबंटन (पूंजी + राजस्व) तथा योजना व्यय/आबंटन (मंत्रालय-वार) का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

	सामाजिक क्षेत्रक (योजना व्यय)			
	रक्षा (गैर-योजना)	शिक्षा	स्वास्थ्य	महिला एवं बाल विकास
2006-07 (संशोधित अनुमान)	86,000.00	20,745.00	10,340.63	4839.85
2007-08 (संशोधित अनुमान)	92,500.00	25,452.95	13,390.00	5793.00
2008-09 (बजट अनुमान)	1,05,600.00	34,400.00	16,534.00	7200.00

(ग) से (ङ) एनडीसी द्वारा अनुमोदित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में यथा सूचीबद्ध मानीटरण योग्य लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. मानीटरण योग्य राष्ट्रीय लक्ष्य

राष्ट्रीय स्तर पर सत्ताइस लक्ष्यों को छः मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। छः श्रेणियां हैं:- (क) आय एवं गरीबी; (ख) शिक्षा; (ग) स्वास्थ्य; (घ) महिलाएं एवं बच्चे; (ङ) अवसंरचना; तथा (च) पर्यावरण। इनमें से प्रत्येक श्रेणी के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं।

(क) आय एवं गरीबी

(1) ग्यारहवीं योजना अवधि में 9 प्रतिशत प्रति वर्ष औसत सकल घरेलू उत्पाद विकास दर।

(2) 4 प्रतिशत प्रति वर्ष के औसत पर कृषि सकल घरेलू उत्पाद विकास दर।

(3) 70 मिलियन नए कार्य अवसरों का सृजन।

(4) शिक्षित लोगों में बेरोजगारी को 5 प्रतिशत से भी कम स्तर तक घटाना।

(5) अकुशल कामगारों की वास्तविक मजदूरी दर में बीस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी।

(6) उपभोग गरीबी के हैड काउंट अनुपात में 10 प्रतिशतता बिन्दुओं तक कमी।

(ख) शिक्षा

(1) ग्यारहवीं योजना के अंत तक प्राथमिक स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दरों में 2003-04 में 52.2 प्रतिशत से वर्ष 2011-12 तक 20 प्रतिशत की कमी करना।

(2) गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, प्राथमिक स्कूलों में शैक्षिक प्राप्ति के न्यूनतम मानकों का विकास करना।

(3) वर्ष 2011-12 तक 7 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए साक्षरता दर में 85 प्रतिशत तक की वृद्धि करना।

(4) वर्ष 2011-12 तक साक्षरता में लिंग अनुपात को 10 प्रतिशतता बिन्दुओं तक कम करना।

(5) उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले प्रत्येक कोहर्ट के वर्तमान प्रतिशतता में, वर्ष 2011-12 तक 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी करना।

(ग) स्वास्थ्य

(1) ग्यारहवीं योजना के अंत तक शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में 28 तक तथा मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) में 1 प्रति 1000 जीवित जन्मों तक कम करना।

(2) ग्यारहवीं योजना के अंत तक कुल जनन क्षमता दर 2.1 तक कम करना।

(3) यह सुनिश्चित करते हुए कि ग्यारहवीं योजना के अंत तक कोई स्लिप-बैक न हो, वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना।

(4) ग्यारहवीं योजना के अंत तक 0-3 वर्ष की आयु के बच्चों में होने वाले कुपोषण स्तर को वर्तमान स्तर से आधे तक घटाना।

(5) ग्यारहवीं योजना के अंत तक महिलाओं एवं लड़कियों में होने वाली खून की कमी (एनीमिया) के वर्तमान स्तर को घटाकर आधे तक लाना।

(घ) महिलाएं एवं बच्चे

(1) 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए लिंग अनुपात को वर्ष 2011-12 तक 935 व 2016-17 तक 950 तक बढ़ाना।

(2) यह सुनिश्चित करना कि सभी सरकारी स्कीमों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभार्थियों में कम से कम 33 प्रतिशत महिलाएं व लड़कियां हैं।

(3) यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे कार्य करने संबंधी बिना किसी बाध्यता के सुरक्षित बचपन का आनंद उठाएं।

(ङ) अवसंरचना

(1) सभी ग्रामीणों व बीपीएल परिवारों को वर्ष 2009 तक विद्युत कनेक्शन और योजना के अंत तक विश्वसनीय बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(2) वर्ष 2009 तक 1000 और उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी आवासों (पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में 500) के लिए सभी मौसमों में सड़क संपर्कता सुनिश्चित करना और 2015 तक सभी महत्वपूर्ण आवासों की कवरेज सुनिश्चित करना।

(3) वर्ष 2012 तक प्रत्येक गांव को टेलिफोन से जोड़ना और सभी गांवों को ब्राडबैंड सम्पर्कता उपलब्ध कराना।

(4) वर्ष 2012 तक सभी को रहने योग्य स्थान उपलब्ध कराना और वर्ष 2016-17 तक सभी गरीबों को कवर करने के लिए ग्रामीण गरीबों हेतु किए जा रहे गृह निर्माण में तेजी लाना।

(च) पर्यावरण

(1) वन व वृक्ष कवर को 5 प्रतिशतता बिन्दु तक बढ़ाना।

(2) सभी बड़े शहरों में वर्ष 2011-12 तक वायु गुणवत्ता के डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित मानकों को प्राप्त करना।

(3) नदी-जल को स्वच्छ करने के लिए वर्ष 2011-12 तक सभी शहरी अपशिष्ट जल का शोधन करना।

(4) वर्ष 2016-17 तक ऊर्जा क्षमता को 20 प्रतिशतता बिन्दु तक बढ़ाना।

2. राज्य विशिष्ट लक्ष्य

ग्यारहवीं योजना इस प्रकार तैयार की गई है कि इसमें राष्ट्रीय स्तर पर मानीटरण योग्य 27 लक्ष्यों में से 13 अलग-अलग राज्यों हेतु उपयुक्त लक्ष्यों में विभक्त किए गए हैं। ये हैं-

(क) जीडीपी विकास दर

(ख) कृषि विकास दर

(ग) नए कार्य अवसर

(घ) गरीबी अनुपात

(ङ) प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर

(च) साक्षरता दर

(छ) साक्षरता दर में लिंग अंतराल

(ज) शिशु मृत्यु दर (आईएमआर)

(झ) मातृ मृत्यु दर (एमएमआर)

(ञ) कुल जनन क्षमता दर (टीएफआर)

(ट) बाल कुपोषण

(ठ) महिलाओं और लड़कियों में रक्त की कमी

(ड) लिंग अनुपात

विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वैश्विक निगरानी प्रतिवेदन

1475. श्री मधु गौड़ यास्की:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की वैश्विक निगरानी रिपोर्ट के अनुसार भारत द्वारा 2015 तक सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) के संबंध में निर्धारित अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें लक्ष्य प्राप्ति की संभावना नहीं है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित वैश्विक निगरानी रिपोर्ट, 2008 में इसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि भारत वर्ष 2015 तक सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अलग से कोई कार्यक्रम नहीं बनाया है। तथापि सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य पंचवर्षीय योजना में दिए गए उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के समान ही है। वास्तव में गरीब उपशमन, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, स्कूल नामांकन आदि से संबंधित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में यथा निर्धारित कुछ लक्ष्य सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों से अधिक महत्वाकांक्षी हैं। इन्हें हासिल करने के लिए, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना ने योजना अवधि (2007-12) के दौरान अर्थव्यवस्था का प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत विकास लक्ष्य निर्धारित किया है तथा योजना अवधि की समाप्ति तक अर्थव्यवस्था के धारणीय विकास पथ को लगभग 10 प्रतिशत विकास दर पर लाना है। ग्यारहवीं योजना के तीव्र एवं समावेशी विकास के उद्देश्यों को आय एवं गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल मुद्दों अवसंरचना एवं पर्यावरण के क्षेत्रों में मानीटरण योग्य समाजार्थिक लक्ष्यों के सेट में संक्षेप में रखा गया है। सरकार कई ऐसे कार्यक्रम कार्यान्वित करती रही है, जो अनिवार्य रूप से एमडीजी के उद्देश्यों और लक्ष्यों से संबंधित हैं। गरीबी उपशमन और गरीबों के जीवन स्तर में सुधार हेतु जो मुख्य कार्यक्रम/स्कीमें चलाई जा रही हैं वे हैं (1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसमें एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार, निर्धन अथवा जो निर्धन नहीं है, तथा जिनके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल मैनुअल कार्य करने को उत्सुक हों उसे कम से कम 100 दिन का मजदूरी रोजगार प्रदान करने की विधिक गारंटी की व्यवस्था, (2) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, एक समग्र कार्यक्रम जिसमें स्व-रोजगार के सभी पहलू कवर किए गए हैं जैसे- ग्रामीण गरीबों का स्व-सहायता समूहों में संगठन तथा उनकी क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, क्रिया-कलाप क्लस्टरों की आयोजना, अवसंरचना विकास, बैंक क्रेडिट और सब्सिडी तथा विपणन समर्थन आदि से वित्तीय सहायता। (3) इंदिरा आवास योजना जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण परिवारों के लिए ड्वेलिंग यूनिटों के निर्माण तथा खराब हो चुके वर्तमान कच्चे घरों के उन्नयन हेतु सहायता प्रदान की जाती है। (4) एकीकृत बाल विकास सेवाएं जिसमें 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को स्वास्थ्य, पोषाहार और शैक्षिक सेवाओं का एक एकीकृत पैकेज दिया गया है। (5) मिड-डे-मिल स्कीम जिसे बच्चों का स्कूल में नामांकन बढ़ाने, उनका प्रतिधारण तथा उपस्थित के साथ-साथ उनके पोषाहार स्तर में सुधार करने की दृष्टि से शुरू किया गया है। स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना, शहरी गरीबों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करना है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबों को कम दाम पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। अंत्योदय अन्न योजना गरीब से गरीब परिवारों को उच्च रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराता है।

सामाजिक क्षेत्रक विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कई कार्यक्रम/स्कीमें शुरू की गई हैं। स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। शिक्षा के लिए सर्वशिक्षा अभियान कार्यान्वित किया जा रहा है। जलापूर्ति एवं स्वच्छता के लिए क्रमश: त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम एवं संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों को राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

नए नाभिकीय संयंत्रों को स्थापित किया जाना

1476. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा आठ नए नाभिकीय संयंत्र स्थापित किए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संयंत्रों को स्थापित किए जाने की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इनसे कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किए जाने की संभावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां। परमाणु विद्युत के जरिए क्षमता में वृद्धि करना, सभी स्रोतों से क्षमता में समग्र वृद्धि करने के कार्यक्रम का एक हिस्सा है।

(ख) 700 मेगावाट-ई क्षमता वाले आठ स्वदेशी दाबित भारी पानी रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआई) को यूनिट आधार पर स्थापित किए जाने की योजना है।

(ग) इन रिएक्टरों को स्थापित करने पर आने वाली अनुमानित लागत, वर्ष 2008 के मूल्य स्तर पर लगभग 8.5 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट-ई है।

(घ) इन रिएक्टरों से परमाणु विद्युत क्षमता में 5600 मेगावाट-ई की वृद्धि होगी।

[अनुवाद]

नाभिकीय ईंधन प्रौद्योगिकी की आपूर्ति

1477. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री मोहन सिंह:
श्री अमिताभ नन्दी:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नाभिकीय ईंधन तथा प्रौद्योगिकी की आपूर्ति के लिए विभिन्न देशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने का है जैसाकि दिनांक 21 सितंबर, 2008 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें अंतर्विष्ट निबंधन व शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत उत्पादन की लागत प्रभावकारिता को भी ध्यान, में रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नाभिकीय संयंत्रों से उत्पादित होने वाली विद्युत की प्रति मेगावाट लागत तथा विद्युत की प्रति इकाई लागत कितनी है;

(ङ) समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् नाभिकीय संयंत्रों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के संबंध में सहयोग करने के लिए भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के बीच एक करार पर 10.10.2008 को हस्ताक्षर किए गए थे। नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के विकास के बारे में भारत गणराज्य की सरकार और फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच एक और करार पर 30.09.2008 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा, कुडनकुलम स्थल पर अतिरिक्त नाभिकीय विद्युत संयंत्र इकाइयों के निर्माण और उसके साथ-साथ भारत गणराज्य में नए स्थलों पर रूस द्वारा डिजायन किए गए नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के निर्माण में भी सहयोग करने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और रूसी परिसंघ की सरकार के बीच एक करार पर 11.02.2008 को आद्यक्षर किए गए और इस पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने की आशा है।

(ग) जी, हां।

(घ) इन रिएक्टरों से प्राप्त परमाणु विद्युत का वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य होना जरूरी है और इसलिए, इसकी उत्पादन लागत को, बिजली के उत्पादन के अन्य समकालीन विकल्पों के तुलनीय होना होगा। वाणिज्यिक करारों को करने से पहले, विद्युत की प्रति मेगावाट लागत तथा प्रति यूनिट लागत सहित सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

(ङ) 11वीं योजना में काम शुरू करने, और 12वीं योजना से लेकर आगे की अवधि में रिएक्टरों को क्रमिक रूप से स्थापित किए जाने की योजना है।

(च) सरकार ने, कुडनकुलम (तमिलनाडु) और जैतापुर (महाराष्ट्र) में नए रिएक्टरों के लिए 'सिद्धांततः' अनुमोदन दे दिया है।

स्टेम सेल का अवैध उपयोग

1478. श्री नन्द कुमार साय:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में देश में स्टेम कोशिकाओं के अवैध उपयोग का मामला आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने इसके लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार को विभिन्न समाचार-पत्रों/प्रकाशनों/वेब समाचारों के माध्यम से स्टेम कोशिकाओं के अवैध उपयोग के बारे में पता लगता है। तथापि, ऐसे अवैध कार्यों का रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने संयुक्त रूप से वैज्ञानिकों और नैदानिक विदों की सहायता करने के लिए स्टेम कोशिका अनुसंधान एवं चिकित्सा हेतु दिशानिर्देश तैयार किए हैं। ये दिशानिर्देश स्टेम कोशिका अनुसंधान और चिकित्सा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को कवर करते हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार नैदानिक उपयोग के लिए इसकी क्षमता को देखते हुए देश में स्टेम कोशिका अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वयस्कों से लिए गए स्टेम कोशिकाओं के आधार पर अनुसंधान अस्थिमज्जा अथवा फीटल कोर्ड रक्त को समुचित सोच समझ कर दी गई सहमति प्राप्त करने के पश्चात और सुरक्षा संबंधी पर्याप्त उपायों सहित शुरू किया जा सकता है। भ्रूणीय स्टेम कोशिका अनुसंधान के लिए भ्रूणों को स्टेम कोशिकाएं प्राप्त करने के एकमात्र प्रयोजन के लिए सृजित नहीं किया जाना चाहिए। केवल फालतू, अतिरिक्त अथवा अधिसंख्य भ्रूणों का उपयोग पति-पत्नी दोनों की सोची-समझी सहमति प्राप्त करने के पश्चात किया जा सकता है। भ्रूणों का ऐसा संग्रहण केवल पंजीकृत सहायता प्राप्त तकनीक (ए.आर.टी.) क्लीनिकों से किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए यह भी देखा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को शामिल करते हुए स्टेम कोशिका अनुसंधान को अनिवार्यत: राष्ट्रीय सरकार की औपचारिक क्लीएरेंस के पश्चात ही शुरू किया जाना चाहिए।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मामले

1479. श्री जसुभाई धाभाई बारड़:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को सूचना का अधिकार अधिनियम के बनाए जाने से लेकर अब तक कितने आवेदन/मामले प्राप्त हुए हैं;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों से कुल कितने मामले प्राप्त हुए हैं;

(ग) कितने मामले उत्तर देने हेतु लम्बित हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) कुल कितने मामले पुनर्विचार हेतु दायर किए गए हैं;

(ङ) कितने मामलों में सीआईसी के आदेशों का पालन नहीं करने की सूचना मिली है;

(च) कितने मामलों में सूचना देने में विलम्ब करने की जानकारी मिली है;

(छ) कितने मामलों में दण्ड देने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और कितने में अंतिम रूप अर्थदण्ड दिया गया;

(ज) कितने मामलों में अर्थदण्ड लगाए जाने के बाद वापस ले लिया गया;

(झ) कितने मामलों का बिना सुनवाई के ही निपटान कर दिया गया है; और

(ञ) सरकार ने बकाया लम्बित मामलों की संख्या कम करने और सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु क्या प्रभावशाली कदम उठाए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) केन्द्रीय सूचना आयोग के गठन से लेकर दिनांक 30.09.2008 तक इसे 24145 शिकायतें और अपीलें प्राप्त हुई हैं।

(ख) इस बारे में कोई जानकारी नहीं रखी जाती है।

(ग) कार्यभार की तुलना में सूचना आयुक्तों की संख्या में कमी जैसे कारणों से दिनांक 30.9.2008 की स्थिति के अनुसार 8,670 मामले निपटान के लिए लम्बित थे।

(घ) और (ङ) इस बारे में कोई जानकारी नहीं रखी जाती है।

(च) आयोग को प्राप्त होने वाली अपीलों और शिकायतों के सभी मामले, सूचना मिलने में विलम्ब अथवा सूचना नहीं देने संबंधी होते हैं। सूचना देने में विलम्ब अथवा सूचना नहीं देने के मामलों की संख्या से संबंधित जानकारी अलग से नहीं रखी जाती है।

(छ) शास्तियां लगाए जाने के लिए जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों की संख्या के संबंध में जानकारी नहीं रखी जाती है। तथापि, 211 मामलों में शास्तियां लगाई गई हैं।

(ज) सात।

(झ) इस बारे में कोई जानकारी नहीं रखी जाती है।

(ञ) मामलों के शीघ्र निपटान करने तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की दृष्टि से सरकार ने हाल ही में आयोग में चार और सूचना आयुक्त नियुक्त किए हैं।

[हिन्दी]

थोरियम आधारित ऊर्जा परियोजना

1480. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भविष्य में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए थोरियम आधारित ऊर्जा परियोजनाओं के विकल्प पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में थोरियम के भंडार की पहचान की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक यूनिट है ने, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा तथा बिहार राज्यों में नदी तटीय/टैरी और पुलिन बालूका प्लेसर निक्षेपों में 10.21 मिलियन मीटरी टन मोनाजाइट स्रोतों का पता लगाया है। मोनाजाइट स्रोतों में लगभग 9-10% थोरियम आक्साइड है। उक्त मोनाजाइट स्रोतों में से लगभग 8,07,713 मीटरी टन थोरियम प्राप्त किया जा सकता है, जिसका उपयोग, परमाणु ऊर्जा विभाग के भावी कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा।

[अनुवाद]

नदियों की सफाई

1481. श्री परसुराम माझी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की उन नदियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जो प्रदूषित हो गई हैं;

(ख) क्या ग्यारहवीं योजना के दौरान सभी प्रदूषित नदियों की सफाई करने हेतु कोई योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु कितनी निधियां निर्धारित की गई हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई विदेशी सहायता दी जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार देश में 71 प्रदूषित नदी क्षेत्रों की पहचान की गई है। इन क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पहली नदी कार्य योजना अर्थात् गंगा कार्य योजना 1985 में शुरू की गई थी। चरणबद्ध ढंग से देश की सभी नदियों को जोड़ने के लिए इसके क्षेत्र में वृद्धि की गई थी और 1995 में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) कर दिया गया था। इस समय केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) में देश में 20 से अधिक राज्यों के 164 शहरों में फैली 35 प्रमुख नदियों के पहचान किए गए प्रदूषित नदी क्षेत्र शामिल हैं जिसकी अनुमोदित लागत 4863.75 करोड़ रु. है। योजना के अंतर्गत शामिल प्रमुख नदियों में सतलज, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी सहित गंगा, यमुना, गोमती, दामोदर और महानंदा नदियां शामिल हैं।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शुरू किए गए प्रदूषण उपशमन कार्यों में नदियों में बह रहे अशोधित सीवेज को रोकने के लिए उसके अवरोधन और दिशापरिवर्तन सहित शोधन, सीवेज शोधन संयंत्रों की स्थापना, अल्प लागत शौचालयों का निर्माण, विद्युत/उन्नत काष्ठ शवदाहगृह, नदी मुहाना विकास आदि शामिल हैं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के लिए आवंटन 2100 करोड़ रु. है। शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता राज्य का विषय है और जल आपूर्ति तथा राज्य योजना निधियों से सफाई परियोजनाओं की योजना बनाने, डिजाइन बनाने, एग्जीक्यूट, संचालित करने और रखरखाव सहित घरेलू अपशिष्ट जल शोधन स्कीमों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की है। केन्द्र सरकार, केवल पहचान किए गए प्रदूषित क्षेत्रों में पूंजीगत कार्यों के लिए एक बार मंजूरी देकर सीवेज प्रबंधन और निस्तारण आदि के लिए नगरीय अवसंरचना बनाने में राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है। स्कीमों के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों को पूरा करने के लिए इस समय केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अधीन अन्य केन्द्रीय योजनाएं नामशः जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूनवल मिशन (जे एन एन यू आर एम) और लघु एवं मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम (यू आई डी एस एस एम टी) भी संचालित हैं। सीवरेज और सीवेज शोधन (अर्थात् घरेलू अपशिष्ट जल शोधन) स्कीमें इन कार्यक्रमों के स्वीकार्य घटकों में हैं।

(घ) और (ङ) जापान बैंक फार इंटरनेशनल कोआपरेशन से 13.33 बिलियन येन की वित्तीय सहायता से तीन राज्यों उ.प्र., दिल्ली और हरियाणा में दिसम्बर, 2004 में यमुना कार्य योजना (वाई ए पी) चरण-II शुरू की गई है। हरियाणा के 6 शहरों, उ.प्र. के 8 शहरों और दिल्ली में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 624 करोड़ रु. की अनुमानित लागत को मंजूरी दी गई है। अब तक 333.66 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 25 प्रदूषण उपशमन स्कीमें मंजूर की गई हैं जिसमें से 3 स्कीमें पूरी हो गई हैं।

विवरण

71 प्रदूषित नदी क्षेत्र

नदी	प्रदूषित क्षेत्र		राज्य
1	2		3
1. गोदावरी	• पोलावरम से राजामुंदरी के डी/एस तक	बी ओ डी-6-12	आंध्र प्रदेश
2. नागावल्ली	• थोटापल्ली रेग्यूलेटर के निकट नागवल्ली	बी ओ डी-6-10	आंध्र प्रदेश
3. मूसी	• हैदराबाद का डी/एस	बी ओ डी-16-44	आंध्र प्रदेश
4. कालोग	• एलिनाबील प्रणाली	बी ओ डी-10-70	असम
5. भारलू	• गुवाहाटी डी/एस	बी ओ डी-38	असम
6. यमुना	• वजीराबाद से ओखला	बी ओ डी-6-77	दिल्ली
7. स्वर्ण रेखा	• रांची से जमशेदपुर के डी/एस तक	बी ओ डी>6	झारखंड

1		2		3
8.	साबरमती	• अहमदाबाद से वोथा के डी/एस तक	बी ओ डी-56-504	गुजरात
9.	अमलाखादी	• अंकलेश्वर से आगे	बी ओ डी-138-920, अमोनिया-117.6-201.60	गुजरात
10.	शेदी	• एलांग खेड़ा	बी ओ डी-8-19	गुजरात
11.	दमनगंगा	• वापी डी/एस से समुद्र में गिरने तक	बी ओ डी-9-10	गुजरात
12.	अंबिका	• बिलिमोडा डी/एस	बी ओ डी-18	गुजरात
13.	भादर	• जेतपुर से रतिया (जूनागढ़)	बी ओ डी-33	गुजरात
14.	खारी	• लाली गांव, अहमदाबाद	बी ओ डी-92-675	गुजरात
15.	कोलाक	• वापी से पाटलिया	बी ओ डी-11-35	गुजरात
16.	पार	• वापी से पाटलिया	बी ओ डी-27	गुजरात
17.	घग्गर	• पंजाब के साथ लगत इंटरस्टेट बार्डर सिरसा में ओट्टू बियर तक	बी ओ डी-8-50	हरियाणा
18.	यमुना	• ओखला से कोसी कलां	बी ओ डी-16	हरियाणा
19.	मार्कंडा	• कला अंब डी/एस से हरियाणा बार्डर	बी ओ डी-55 कलर-1009 हाजेन	हिमाचल प्रदेश
20.	भद्रा	• मालेश्वरम से भद्रावती डी/एस तक	बी ओ डी-7.2	कर्नाटक
21.	तुंगा	• शिमोगा का डी/एस	बी ओ डी-6	कर्नाटक
22.	काली	• डांडेली शहर के आगे	बी ओ डी-6	कर्नाटक
23.	तुंगभद्रा	• हरिहर डी/एस से हारा ईबली ब्रिज	बी ओ डी-6-8	कर्नाटक
24.	खान रिवर	• इंदौर शहर से क्षिप्रा संगम तक	बी ओ डी-65-120	मध्य प्रदेश
25.	क्षिप्रा	• उज्जैन से चंबल संगम तक	बी ओ डी-8-24]	मध्य प्रदेश
26.	चंबल	• नागदा का डी/एस	बी ओ डी-8-24	मध्य प्रदेश
27.	तापी	• नापनगर के डी/एस से बुरहानपुर शहर	बी ओ डी-6	मध्य प्रदेश
28.	गोदावरी	• नासिक से (राहेड़) नांदेड़	बी ओ डी-6-66	महाराष्ट्र
29.	कालु	• अटाली गांव से उल्हास संगम तक	बी ओ डी-6-10	महाराष्ट्र
30.	उल्हास	• मोहाने से बद्दपुर	बी ओ डी-6-8	महाराष्ट्र
31.	वेनगंगा	• डी/एस आशती	बी ओ डी-6-7	महाराष्ट्र
32.	पेंच गंगा	• एलांग इच्छालकरंजी	बी ओ डी-7-25	महाराष्ट्र

1	2		3
33. वर्धा	• एलांग राजूरा ग्राम	बी ओ डी-6-8	महाराष्ट्र
34. भीमा	• परगांव से नदी के संगम तक	बी ओ डी-6.5	महाराष्ट्र
35. मुला एवं मुथा	• डी/एस पुणे सिटी	बी ओ डी-6.7	महाराष्ट्र
36. भटसा	• शाहपुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप का डी/एस	बी ओ डी-6	महाराष्ट्र
37. पातालगंगा	• खोपाली से एम्बुआरान्न रीजन	बी ओ डी-6	महाराष्ट्र
38. कुंडालिका	• एलांग रोहा सिटी	बी ओ डी-6-6.5	महाराष्ट्र
39. कृष्णा	• डोमडैम से सांगली	बी ओ डी-6-8	महाराष्ट्र
40. तापी	• एम पी बार्डर से भुसावल	बी ओ डी-6-9	महाराष्ट्र
41. गिरना	• मालेगांव से तापती नदी संगम तक	बी ओ डी-6-12	महाराष्ट्र
42. नीरा	• एलांग पुलगांव	बी ओ डी-6-21	महाराष्ट्र
43. खारखला	• नियर सुतगा खलीरी जयन्तिया हिल्स	बी ओ डी-8-10	मेघालय
44. ब्राह्मणी	• पेंपोश डी/एस से धर्मशाला	बी ओ डी 6-7	उड़ीसा
45. इब	• सुंदरगढ़ से महानदी संगम तक	बी ओ डी 6-9	उड़ीसा
46. महानदी	• कटक डी/एस	बी ओ डी 6-8	उड़ीसा
47. कुआखाई	• एलांग भुवनेश्वर	बी ओ डी-7	उड़ीसा
48. कथजोड़ी	• एलांग कटक	बी ओ डी 6-12.3	उड़ीसा
49. सतलज	• डी/एस लुधियाना	बी ओ डी 8-14.4	पंजाब
50. व्यास	• डी/एस आफ मुकोरियन	बी ओ डी-8.4-20	पंजाब
51. घग्गर	• मुबारकपुर से सार्दूलगढ़	बी ओ डी-6.4-50	पंजाब
52. घग्गर	• ओटू वियर से हनुमानगढ़	बी ओ डी-6	राजस्थान
53. चंबल	• डी/एस कोटा सिटी	बी ओ डी 6-6.4	राजस्थान
54. बनास/बेराच नदी	• उदयपुर से चित्तौड़गढ़	बी ओ डी-6	राजस्थान
55. वैगई	• एलांग मदुरै	बी ओ डी-7-9	तमिलनाडु
56. पालार	• वनियामबादी	बी ओ डी-6	तमिलनाडु
57. अडयार	• एलांग चेन्नई	बी ओ डी-6	तमिलनाडु
58. कूवम	• एलांग चेन्नई	बी ओ डी-6	तमिलनाडु
59. ताम्रापर्णी	• पापाविनाशम से अरुणुगांगेरी	बी ओ डी-6-13	तमिलनाडु
60. नाय्यल	• एलांग कोयम्बटूर, तिरुपुर, आलीयांकोटी	बी ओ डी-6	तमिलनाडु

1	2		3
61. कावेरी	• डी/एस आफ मैटूर डैम से इरोड सिटी	बी ओ डी-6.4-7	तमिलनाडु
62. रानीछू	• रानीपुर से आगे	बी ओ डी-24	सिक्किम
63. यमुना	• कोसी कलां से चंबल संगम तक	बी ओ डी-6-37	उत्तर प्रदेश
64. हिंडन	• सहारनपुर से यमुना संगम तक	बी ओ डी-9-36	उत्तर प्रदेश
65. वेस्टर्न काली	• मुजफ्फरनगर से हिंडन संगम तक	बी ओ डी-21-44	उत्तर प्रदेश
66. बूढ़ी यमुना	• पिलखनी से यमुना संगम तक	बी ओ डी-6	उत्तर प्रदेश
67. काली नदी ईस्टर्न	• मेरठ से कन्नौज	बी ओ डी-43-135	उत्तर प्रदेश
68. गोमती	• लखनऊ से गंगा संगम तक	बी ओ डी 6-8.2 बी ओ डी 6-7.6	उत्तर प्रदेश
69. गंगा	• कन्नौज से कानपुर डी/एस	बी ओ डी 6-10	उत्तर प्रदेश
70. गंगा	• वाराणसी डी/एस	बी ओ डी 6.5-16.5	उत्तर प्रदेश
71. दामोदर	• दुर्गापुर से हल्दिया	बी ओ डी 6.4-32	पश्चिम बंगाल

डाटाबेस का सृजन

1482. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डाटाबेस के सृजन जैसा कि राज्यों को सहायता देने हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा निर्धारित है, की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) डाटाबेस में कितने घटकों को सम्मिलित किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस डाटाबेस के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) व्यय वित्त समिति ने 148 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मोटर वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिए राज्यीय एवं राष्ट्रीय रजिस्टर के सृजन संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। यह प्रस्ताव माननीय पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और माननीय वित्त मंत्री द्वारा भी अनुमोदित कर दिया गया है। इससे संपूर्ण देश में ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण-पत्र से संबंधित सामग्री की अंतर-प्रचालनीयता आसान हो जाएगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) इस परियोजना का निष्पादन कर रहा है। इस मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगने हेतु अपने पक्के प्रस्ताव तैयार करें।

(ग) इस परियोजना को 11वीं योजना अवधि के दौरान पूरा करने का प्रस्ताव किया गया है।

उपग्रहों का प्रक्षेपण

1483. श्रीमती मेनका गांधी:
श्री अनन्त नायक:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण एशियाई क्षेत्र हेतु एक व्यापक मार्गदर्शन प्रणाली बनाने के लिए भू-समकालिक कक्षा में सात उपग्रह स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप क्या-क्या लाभ होने की संभावना है;

(ग) इस संबंध में व्यय की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन उपग्रहों को भू-समकालिक कक्षा में कब तक स्थापित कर लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान प्रक्षेपण हेतु प्रस्तावित अन्य उपग्रहों का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का 3 भू-तुल्यकारी (जी.एस.ओ.) तथा 4 गैर भू-तुल्यकाली (एन.जी.एस.ओ.) उपग्रहों से युक्त एक भारतीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (आई.आर.एन.एस.एस.) को कक्षा में स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह परियोजना 1420 करोड़ रुपये की कुल लागत पर सरकार द्वारा मई 2006 में अनुमोदित की गई है। आई.आर.एन.एस.एस. भारत में तथा आस-पास के क्षेत्रों में प्रयोक्ताओं को निरंतर अवस्थापन, नौवहन एवं कालन सेवाएं प्रदान करेगी। यह सेवा स्वदेशी होगी तथा जी.पी.एस., ग्लोनास, गैलीलियो आदि जैसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणालियों से स्वतंत्र होगी।

(ग) जी, हां। आई.आर.एन.एस.एस. की स्थापना हेतु सरकार ने 1420 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

(घ) आई.आर.एन.एस.एस. प्रणाली के 6 वर्षों के अन्दर स्थापित हो जाने की संभावना है।

(ङ) वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के समय ढांचे में कार्टोसैट-2ए, चन्द्रयान, ओशनसैट, रिसैट-4, इन्सैट-4जी तथा जीसैट-5 के प्रमोचन का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

नसबंदी आपरेशन की असफलता हेतु क्षतिपूर्ति

1484. श्री सुभाष महरिया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परिवार योजना की असफलता के कारण क्षतिपूर्ति के लिए लंबित मामलों की राज्य-वार और अस्पताल-वार संख्या क्या है;

(ख) पति की वेसेक्टामी और पत्नी की ट्यूबेक्टामी के बाद पैदा हुए बच्चों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्षतिपूर्ति का भुगतान न करने के राजस्थान सहित राज्य-वार क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) ओरिएन्टल बीमा कम्पनी द्वारा 29.11.2005 से 31.12.2007 तक तथा 01.01.2008 से 31.12.2008 तक की अवधि के लिए अब तक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के द्वारा परियोजना नियोजन बीमा स्कीम के अंतर्गत बन्ध्याकरण की असफलता के लिए क्षति-पूर्ति के विलम्बित मामलों की संख्या के ब्यौरे से संबंधित राज्य-वार/अस्पताल-वार संलग्न विवरण-I मे दिए गए हैं।

(ख) इस तरह का बाल-जन्म का कोई भी मामला किसी महिला द्वारा जहां पति और पत्नी का बन्ध्याकरण हो चुका है, सूचित नहीं किया गया है। फिर भी, परिवार नियोजन बीमा स्कीम के प्रारम्भ होने के बाद 750 बाल-जन्म हुए हैं, जहां विभिन्न जिला स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा बन्ध्याकरण की विफलता के लिए पैरा (क) में उल्लिखित बीमाकर्ताओं को प्रस्तुत किए गए दावा कागजात के अनुसार माता-पिता में किसी एक ने बन्ध्याकरण आपरेशन कराया है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(ग) ओ.आई.सी. के साथ पालिसी की समाप्ति के बाद जिला स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दावा कागजातों के साथ-साथ बीमाकर्ताओं को प्रस्तुत किए गए दावों में कई कमियां थीं। कमियों को दूर करने के लिए तीन से चार संसूचनों और संबंधित जिला स्वास्थ्य प्राधिकारियों को शामिल करते हुए राज्य मुख्यालयों में कैम्प आयोजित करने के बावजूद, 295 दावों के मामलों से संबंधित कमियां अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। ओआईसी के साथ समाप्त पालिसी की छूट अवधि 31.3.2008 को समाप्त हो चुकी थी जिसे आगे बढ़ा कर 30.6.2008 तक कर दिया गया था। कमियों को पूरा करने के लिए ओआईसी अभी भी संबंधित जिला स्वास्थ्य प्राधिकारियों के साथ कार्रवाई कर रही है।

आईसीआईसीआई के विलम्बित 131 मामलों में से जिला स्वास्थ्य प्राधिकारियों ने गलती से 35 मामले आईसीआईसीआई को प्रस्तुत किए हैं जिन्हें ओआईसी को समय पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, क्योंकि संबंधित अस्पतालों में बन्ध्याकरण की असफतला की सूचना ओआईसी की पालिसी अवधि के लिए है। चेक के प्रेषण के लिए 17 दावे प्रक्रिया के अधीन हैं। चूंकि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के पास अब तक 79 शेष लम्बित मामले हैं, बीमाकर्ता के राज्य समन्वयक दस्तावेजों के अनुपालन के लिए जिला स्वास्थ्य प्राधिकारियों के नियमित सम्पर्क में हैं। जिला स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए अधिकांश दावों में निम्न कमियां हैं:-

1. बन्ध्याकरण प्रमाणपत्र/सहमति फार्म की प्रति सत्यापित नहीं है।
2. दावा फार्म/गुणवत्ता बीमा समिति रिपोर्ट का मूल न होना।
3. बन्ध्याकरण असफलता पहचान रिपोर्ट की प्रति सत्यापित नहीं है।

विवरण I(क)

पालिसी अवधि 22.11.2005 से 31.12.2007 तक ओरिएन्टल बीमा कम्पनी के विलम्बित दावों की सूची

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	क्षेत्र/राज्य	जिला अस्पताल/स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र	बन्ध्याकरण की तारीख	कागजातों की जमा करने की तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	हेम लता	छत्तीसगढ़	दुर्ग	19.06.2006	18.04.2008
2.	अशोका बाई	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	06.12.2006	18.04.2008
3.	प्रतिभा बाई	छत्तीसगढ़	जंजगीर चाम्पा	11.01.2006	18.04.2008
4.	सुप्रीत सिंह	छत्तीसगढ़	जंजगीर चाम्पा	22.09.2006	18.04.2008
5.	अंजू लता	छत्तीसगढ़	जंजगीर चाम्पा	19.02.2007	18.04.2008
6.	चंद्रिकाबाई	छत्तीसगढ़	जंजगीर चाम्पा	01.09.2006	18.04.2008
7.	अनीता टिरकी	छत्तीसगढ़	रायगढ़	04.11.2006	18.04.2008
8.	लला बाई	छत्तीसगढ़	महासमुन्द	03.02.2006	18.04.2008
9.	सुलोचना	छत्तीसगढ़	महासमुन्द	16.01.2006	18.04.2008
10.	संतोषी बाई	छत्तीसगढ़	राजनंद गांव	11.08.2007	18.04.2008
11.	उमा देवी	छत्तीसगढ़	सरगुजा	05.12.2007	18.04.2008
12.	मंजू साहू	छत्तीसगढ़	सरगुजा	13.12.2006	18.04.2008
13.	बसंती बाई	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	06.10.2007	18.04.2008
14.	सुरेखा	छत्तीसगढ़	दुर्ग	27.01.2006	26.06.2008
15.	कौशल्या	छत्तीसगढ़	सरगुजा	11.11.2006	26.06.2008
16.	संतोषी सिन्हा	छत्तीसगढ़	दुर्ग	27.01.2006	26.06.2008
17.	लक्ष्मी	छत्तीसगढ़	दुर्ग	10.01.2006	26.06.2008
18.	चित्र रेखा	छत्तीसगढ़	दुर्ग	19.12.2005	26.06.2008
19.	केसर बाई	छत्तीसगढ़	दुर्ग	30.01.2006	26.06.2008
20.	बेट्टल मद्या	छत्तीसगढ़	बस्तर	05.03.2006	26.06.2008
21.	निर्मला	छत्तीसगढ़	जंजगीर चाम्पा	18.09.2006	26.06.2008
22.	पुन्नी बाई	छत्तीसगढ़	महासमुन्द	13.02.2006	26.06.2008
23.	सीमा देवी	छत्तीसगढ़	महासमुन्द	21.11.2006	26.06.2008

1	2	3	4	5	6
24.	सकनुन बीबी	छत्तीसगढ़	सरगुजा	24.12.2005	26.06.2008
25.	महादेव मध्या	छत्तीसगढ़	सरगुजा	05.03.2006	26.06.2008
26.	बसंती बाई	छत्तीसगढ़	दुर्ग	27.01.2006	26.06.2008
27.	उर्मिला बाई	छत्तीसगढ़	राजनन्दगांव	29.12.2005	26.06.2008
28.	भरत	छत्तीसगढ़	बस्तर	05.03.2006	26.06.2008
29.	ललिता बाई	छत्तीसगढ़	सरगुजा	05.01.2007	26.06.2008
30.	रोहिणी रोज	छत्तीसगढ़	दुर्ग	28.12.2006	26.06.2008
31.	राधिका बाई	छत्तीसगढ़	दुर्ग	21.12.2006	26.06.2008
32.	कुमारी बाई	छत्तीसगढ़	दुर्ग	09.02.2007	26.06.2008
33.	राधिका बाई	छत्तीसगढ़	दुर्ग	09.02.2007	26.06.2008
34.	गायत्री प्रवीण	छत्तीसगढ़	दुर्ग	02.05.2006	26.06.2008
35.	मोरगा बाई	छत्तीसगढ़	दुर्ग	07.09.2007	26.06.2008
36.	साधना बाई	छत्तीसगढ़	दुर्ग	20.02.2007	26.06.2008
37.	शकुन्तला शर्मा	छत्तीसगढ़	जंजगीर चाम्पा	10.01.2007	26.06.2008
38.	मंगनीन बाई	छत्तीसगढ़	दुर्ग	21.12.2006	26.06.2008
39.	अम्बा बाई	छत्तीसगढ़	दुर्ग	19.03.2007	26.06.2008
40.	अम्बा बाई	छत्तीसगढ़	दुर्ग	19.03.2007	26.06.2008
41.	मन बाई	छत्तीसगढ़	महासमुन्द	07.09.2006	05.07.2008
42.	लक्षवंतीर बाई	छत्तीसगढ़	महासमुन्द	16.02.2006	05.07.2008
43.	अहिल्या बाई	छत्तीसगढ़	दुर्ग	23.03.2006	24.07.2007
44.	बेदु बाई	छत्तीसगढ़	दुर्ग	23.01.2006	24.07.2007
45.	मोहिनी	गोवा	गोवा	16.02.2006	05.07.2008
46.	कैलाश बेन	गुजरात	हिम्मतनगर	24.02.2006	01.07.2008
47.	पुर्जी बेन	गुजरात	भरूच	03.12.2005	01.07.2008
48.	वर्षा बेन	गुजरात	भावनगर	28.11.2007	01.07.2008
49	आयशा बानो	गुजरात	गोधरा	06.03.2007	01.07.2008
50	भानी बेन	गुजरात	पालनपुर	22.02.2007	01.07.2008
51.	गीता बेन	गुजरात	अमरेली	20.04.2006	01.07.2008

1	2	3	4	5	6
52.	सत्यजीत शील	गुजरात	जाम नगर	21.02.2007	01.07.2008
53.	सुनील कुमार	गुजरात	कच्छ	21.02.2007	05.07.2008
54.	तरसेम सिंह	गुजरात	जाम नगर	21.02.2007	05.07.2008
55.	रत्नेश कुमार सिंह	गुजरात	जाम नगर	21.02.2007	05.07.2008
56.	विवेकानंद	गुजरात	जाम नगर	21.02.2007	05.07.2008
57.	डी.ए. कुलकर्णी	गुजरात	जाम नगर	21.02.2007	05.07.2008
58.	राजीव नाथ झा	गुजरात	जाम नगर	21.02.2007	05.07.2008
59.	ए.ए. अमृते	गुजरात	जाम नगर	21.02.2007	05.07.2008
60.	श्री कृष्णा	गुजरात	जाम नगर	21.02.2007	05.07.2008
61.	कंचन देवी	हिमाचल प्रदेश	ऊना	27.12.2005	01.07.2008
62.	सीमा देवी	हिमाचल प्रदेश	ऊना	23.02.2007	01.07.2008
63.	गोपाल	हिमाचल प्रदेश	लाहुल स्पिति	20.06.2006	02.07.2008
64.	ओमलता	हिमाचल प्रदेश	ऊना	22.09.2006	02.07.2008
65.	सुमन	हिमाचल प्रदेश	कालका	28.09.2006	02.07.2008
66.	सुमन	हिमाचल प्रदेश	कालका	09.02.2006	02.07.2008
67.	सुनीता	हिमाचल प्रदेश	कालका	12.01.2006	02.07.2008
68.	कमलेश	हिमाचल प्रदेश	कालका	19.10.2006	02.07.2008
69.	बिन्दु	हरियाणा	पंचकुला	26.05.2006	01.07.2008
70.	सर्व भानु	जम्मू और कश्मीर	अनन्त नाग	22.02.2007	01.07.2008
71.	थान सिंह	महाराष्ट्र	गोन्दिया	28.02.2007	01.07.2008
72.	वनिता कृष्णा	महाराष्ट्र	नागपुर	11.06.2007	01.07.2008
73.	कान्ता बाई	महाराष्ट्र	बीड	17.06.2006	01.07.2008
74.	एन.टी. सहदेव	महाराष्ट्र	सतारा	22.06.2005	01.07.2008
75.	गीता बाई	महाराष्ट्र	जलगांव	05.12.2007	05.07.2008
76.	विजय गुप्ता	महाराष्ट्र	मुम्बई	27.07.2006	05.07.2008
77.	भरत मोतीराम	महाराष्ट्र	मुम्बई	02.04.2007	05.07.2008
78.	अनुराधा	महाराष्ट्र	अकोला	19.08.2007	05.07.2008
79.	मीना रामदास	महाराष्ट्र	अहमदनगर	18.02.2007	05.07.2008

1	2	3	4	5	6
80.	जी.ए. धिन्कर	महाराष्ट्र	अमरावती	04.12.2007	05.07.2008
81.	चन्द्रप्रभा	मध्य प्रदेश	टीकमगढ़	28.12.2006	17.04.2008
82.	रेखा	मध्य प्रदेश	सिधी	18.01.2007	18.04.2008
83.	शिव प्रसाद	मध्य प्रदेश	सिवनी	12.12.2007	18.04.2008
84.	छाया	मध्य प्रदेश	खरगौन	28.03.2007	18.04.2008
85.	सुंदामा लोधी	मध्य प्रदेश	बालाघाट	17.2.2006	14.04.2008
86.	अनिता ठाकरे	मध्य प्रदेश	बालाघाट	03.04.2006	14.04.2008
87.	राज कुमारी	मध्य प्रदेश	सिवानी	24.02.2006	14.04.2008
88.	रतन सिंह	मध्य प्रदेश	सिद्दी	05.02.2006	14.04.2008
89.	संतोषी	मध्य प्रदेश	शहडोल	21.01.2006	14.04.2008
90.	विद्या बाई	मध्य प्रदेश	शहडोल	08.12.2006	14.04.2008
91.	सुनिता बाई	मध्य प्रदेश	सिहोर	28.11.2006	14.04.2008
92.	सोमना बाई	मध्य प्रदेश	सिहोर	14.12.2005	14.04.2008
93.	राधा केवट	मध्य प्रदेश	सिहोर	14.02.2006	14.04.2008
94.	संतोषी	मध्य प्रदेश	सिहोर	21.01.2006	21.06.2008
95.	सोमता बाई	मध्य प्रदेश	कटनी	14.12.2005	21.06.2008
96.	फूल बाई	मध्य प्रदेश	पन्ना	27.11.2006	21.06.2008
97.	शंकर लाल	मध्य प्रदेश	बालाघाट	16.12.2005	21.06.2008
98.	राम कुमार	मध्य प्रदेश	पन्ना	24.12.2006	26.06.2008
99.	रामजीवन गुप्ता	मध्य प्रदेश	सिद्दी	14.12.2006	06.06.2008
100.	ममता रावत	मध्य प्रदेश	मुरेना	22.12.2006	26.06.2008
101.	कृष्णा बाई	मध्य प्रदेश	रायसेन	24.12.2006	26.06.2008
102.	रामो बाई	मध्य प्रदेश	रायसेन	26.12.2006	26.06.2008
103.	पार्वती बाई	मध्य प्रदेश	दिनदोरी	11.12.2006	26.06.2008
104.	राम बाई	मध्य प्रदेश	रायसेन	07.12.2006	26.06.2008
105.	सतीश	मध्य प्रदेश	शाहजहांपुर	09.12.2005	26.06.2008
106.	मोनिका	मध्य प्रदेश	बदवानी	21.01.2006	26.06.2008
107.	माया बाई	मध्य प्रदेश	नरसिंहपुर	05.12.2005	26.06.2008

1	2	3	4	5	6
108.	प्रोमिला बाई	मध्य प्रदेश	धामतारी	19.06.2006	26.06.2008
109.	नारू	मध्य प्रदेश	मंदसोर	18.11.2006	26.06.2008
110.	यशोदा बाई	मध्य प्रदेश	गुना	23.01.2006	26.06.2008
111.	पिन्ढा बाई	मध्य प्रदेश	रायसेन	21.12.2006	26.06.2008
112.	सूमतिया बाई	मध्य प्रदेश	रायसेन	12.07.2007	26.06.2008
113.	गोमती बाई	मध्य प्रदेश	भोपाल	04.01.2007	26.06.2008
114.	अकिला बाई	मध्य प्रदेश	सिहोर	20.12.2007	26.06.2008
115.	अकिला बाई	मध्य प्रदेश	सिहोर	20.12.2007	26.06.2008
116.	संजुला	मध्य प्रदेश	बदवानी	06.07.2006	28.06.2008
117.	सुंदर बाई	मध्य प्रदेश	हर्दा	31.01.2006	28.06.2008
118.	भुजारम	मध्य प्रदेश	हर्दा	11.01.2006	28.06.2008
119.	सवंती बाई	मध्य प्रदेश	हर्दा	21.01.2006	29.06.2008
120.	रांगा	मध्य प्रदेश	बदवानी	16.02.2006	28.06.2008
121.	प्रमिला बाई	मध्य प्रदेश	बदवानी	03.08.2006	28.06.2008
122.	गुलाब बाई	मध्य प्रदेश	विदिशा	08.12.2006	28.06.2008
123.	सुमन बाई	मध्य प्रदेश	पन्ना	25.12.2006	28.06.2008
124.	रेखा सोनी	मध्य प्रदेश	सिवनी	31.12.2006	28.06.2008
125.	बबीता	मध्य प्रदेश	हर्दा	31.12.2006	28.06.2008
126.	नाबू बाई	मध्य प्रदेश	हर्दा	31.01.2007	28.06.2008
127.	सुन्नीता	मध्य प्रदेश	बदवानी	22.12.2006	28.06.2008
128.	अमरावती	मध्य प्रदेश	हर्दा	02.01.2007	28.06.2008
129.	कृष्णा	मध्य प्रदेश	रायसेन	21.12.2006	28.06.2008
130.	सूरज बाई	मध्य प्रदेश	खरगौन	27.01.2007	28.06.2008
131.	मो. अतीक	मध्य प्रदेश	खरगौन	29.01.2006	28.06.2008
132.	सावित्री बाई	मध्य प्रदेश	राजगढ़	17.12.2005	28.06.2008
133.	गोबिन्द	मध्य प्रदेश	खरगौन	29.01.2006	28.06.2008
134.	मिया बाती	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	15.12.2005	28.06.2008
135.	बन्दा बाई	मध्य प्रदेश	सिवनी	28.12.2005	28.06.2008

1
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

1	2	3	4	5	6
136.	भूपेन्द्र	मध्य प्रदेश	सिद्दी	21.01.2006	28.06.2008
137.	इकबाल खान	मध्य प्रदेश	शाहजहांपुर	10.12.2005	28.06.2008
138.	हक्की बाई	मध्य प्रदेश	पन्ना	27.11.2006	28.06.2008
139.	निर्मल बाई	मध्य प्रदेश	सेहोर	28.11.2006	28.06.2008
140.	गंगा बाई	मध्य प्रदेश	सेहोर	03.02.2006	28.06.2008
141.	मिथिला	मध्य प्रदेश	छत्तरपुर	23.12.2005	28.06.2008
142.	सुरेश चन्द्र जैन	मध्य प्रदेश	नीमच	13.11.2006	28.06.2008
143.	रतन बाई	मध्य प्रदेश	राजगढ़	17.12.2005	28.06.2008
144.	निर्मला देवी	मध्य प्रदेश	सिवनी	27.12.2005	28.06.2008
145.	ऊषा बाई	मध्य प्रदेश	बालाघाट	16.02.2006	28.06.2008
146.	इन्दिरा माहेश्वरी	मध्य प्रदेश	बालाघाट	19.01.2006	28.06.2008
147.	ममता धाकड़	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	20.03.2006	28.06.2008
148.	रेवाती बाई	मध्य प्रदेश	सागर	07.12.2006	28.06.2008
149.	मान्य बाई	मध्य प्रदेश	सेहोर	06.12.2006	28.06.2008
150.	सुशीला बाई	मध्य प्रदेश	राजगढ़	16.12.2006	28.06.2008
151.	गंगा राम	मध्य प्रदेश	अशोक नगर	06.12.2006	28.06.2008
152.	संगीता	मध्य प्रदेश	रायसेन	17.01.2007	28.06.2008
153.	ऊषा बाई	मध्य प्रदेश	रायसेन	04.12.2005	28.06.2008
154.	ममता मिश्रा	मध्य प्रदेश	भोपाल	27.02.2006	28.06.2008
155.	प्रेम दास	मध्य प्रदेश	मन्दसौर	17.11.2006	28.06.2008
156.	शीला बाई	मध्य प्रदेश	पन्ना	28.01.2006	28.06.2008
157.	कली बाई	मध्य प्रदेश	राजगढ़	09.12.2006	28.06.2008
158.	ज्योति बाई	मध्य प्रदेश	दिनदोरी	21.11.2007	28.06.2008
159.	ऊषा बाई	मध्य प्रदेश	भोपाल	16.02.2006	01.07.2008
160.	चिन्ता बाई	मध्य प्रदेश	सेहोर	13.12.2005	01.07.2008
161.	इन्दिरा	मध्य प्रदेश	रायसेन	16.11.2006	01.07.2008
162.	सिमरन	मध्य प्रदेश	भोपाल	26.01.2006	01.07.2008
163.	राम प्यारी	मध्य प्रदेश	विदिशा	22.12.2006	01.07.2008

1	2	3	4	5	6
164.	मोहन बाई	मध्य प्रदेश	विदिशा	22.12.2006	01.07.2008
165.	छोटी बाई	मध्य प्रदेश	रायसेन	21.12.2006	01.07.2008
166.	गोमती बाई	मध्य प्रदेश	भोपाल	04.01.2007	01.07.2008
167.	ज्योति बाई	मध्य प्रदेश	दिनदोरी	31.01.2007	01.07.2008
168.	सन्नो बाई	मध्य प्रदेश	रायसेन	22.01.2007	01.07.2008
169.	कमला	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	01.09.2007	01.07.2008
170.	विमला बाई	मध्य प्रदेश	विदशा	01.01.2006	01.07.2008
171.	कमला सिंह	मध्य प्रदेश	सेहोर	07.12.2005	01.07.2008
172.	बलराम सेन	मध्य प्रदेश	कटनी	01.06.2006	01.07.2008
173.	नर्बदा	मध्य प्रदेश	विदिशा	09.12.2005	01.07.2008
174.	बसन्ती बाई	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद	16.01.2006	02.07.2008
175.	गौरी शंकर	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद	24.01.2007	01.07.2008
176.	बैजन्ती बाई	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद	21.12.2007	01.07.2008
177.	भागवती बाई	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद	04.01.2007	01.07.2008
178.	रूकमणि बाई	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद	11.12.2006	01.07.2008
179.	दद्दु	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद	26.01.2007	01.07.2008
180.	श्रीमती विपतिया बाई	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद	23.11.2006	01.07.2008
181.	सविता	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद	07.11.2006	01.07.2008
182.	प्रेम बाई	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद	07.12.2006	01.07.2008
183.	नल्का	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद	04.01.2007	01.07.2008
184.	लता बाई	मध्य प्रदेश	सिवनी	29.03.2006	05.07.2008
185.	राजकुमारी	मध्य प्रदेश	पन्ना	12.12.2005	05.07.2008
186.	भूरी बाई	मध्य प्रदेश	गुना	25.01.2006	05.07.2008
187.	पान बाई	मध्य प्रदेश	राजगढ़	22.12.2006	05.07.2008
188.	शम्भु प्रसाद	मध्य प्रदेश	कटनी	01.12.2006	05.07.2008
189.	राधा इकबालिया	मध्य प्रदेश	उज्जैन	15.06.2007	05.07.2008
190.	राजकल्ली	मध्य प्रदेश	पन्ना	18.12.2006	05.07.2008
191.	हक्कन बाई	मध्य प्रदेश	पन्ना	04.12.2006	05.07.2008

1	2	3	4	5	6
192.	नीता	मध्य प्रदेश	पन्ना	20.12.2006	05.07.2008
193.	विनीता देवी	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	01.12.2006	17.04.2008
194.	सरोजा देवी	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	20.12.2006	17.04.2008
195.	श्रीमती अनुराधा गुप्ता	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	15.01.2007	17.04.2008
196.	सविता देवी	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	14.12.2006	17.04.2008
197.	अरुण कुमार	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	12.01.2007	18.04.2008
198.	जय भूनिशा	उत्तर प्रदेश	बरेली	02.02.2006	18.04.2008
199.	कमला देवी	उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर	20.12.2005	18.04.2008
200.	सीता देवी	उत्तर प्रदेश	बरेली	09.12.2005	18.04.2008
201.	असमाबिगा फुधीन	उत्तर प्रदेश	बरेली	06.07.2007	18.04.2008
202.	अनिता देवी	उत्तर प्रदेश	बरेली	10.01.2006	18.04.2008
203.	शल्या देवी	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	02.01.2006	18.04.2008
204.	ऊर्मिला देवी	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	24.12.2005	18.04.2008
205.	गुलबहार	उत्तर प्रदेश	एटा	12.12.2005	18.04.2008
206.	बबीता	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	24.11.2006	18.04.2008
207.	अशोक कुमार	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	16.12.2005	14.06.2008
208.	सोना देवी	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	24.11.2006	24.06.2008
209.	भगवान देवी	उत्तर प्रदेश	बरेली	28.01.2006	25.06.2008
210.	नगीना	उत्तर प्रदेश	काशीराम नगर	22.01.2007	25.06.2008
211.	मीना देवी	उत्तर प्रदेश	काशीराम नगर	22.12.2006	25.06.2008
212.	शाहजहां	उत्तर प्रदेश	काशीराम नगर	10.12.2006	25.06.2008
213.	सुनीता देवी	उत्तर प्रदेश	काशीराम नगर	12.12.2006	25.06.2008
214.	प्रभा	उत्तर प्रदेश	औराई	19.12.2006	25.06.2008
215.	सुशीला	उत्तर प्रदेश	मथुरा	08.12.2006	25.06.2008
216.	सुख देवी	उत्तर प्रदेश	काशीराम नगर	09.02.2007	25.06.2008
217.	किरन	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	19.12.2005	25.06.2008
218.	गुड़िया	उत्तर प्रदेश	मथुरा	10.12.2005	25.06.2008
219.	गीता	उत्तर प्रदेश	मथुरा	27.10.2006	25.06.2008

1	2	3	4	5	6
220.	सुंदरी देवी	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	14.01.2006	25.06.2008
221.	ऊषा देवी	उत्तर प्रदेश	एटा	27.11.2006	25.06.2008
222.	शकुन्तला	उत्तर प्रदेश	हाथरस	13.06.2006	25.06.2008
223.	अरुण कुमार	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	28.01.2006	25.06.2008
224.	सर्वेश	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	22.12.2005	25.06.2008
225.	सुनीता	उत्तर प्रदेश	कानपुर-देहात	16.02.2006	25.06.2008
226.	सुष्मा देवी	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	06.11.2006	25.06.2008
227.	नेमवती	उत्तर प्रदेश	लखीमपुर खीरी	24.01.2006	25.06.2008
228.	अनारकली	उत्तर प्रदेश	एटा	29.12.2005	25.06.2008
229.	राम प्यारी	उत्तर प्रदेश	लखीमपुर खीरी	28.01.2006	25.06.2008
230.	सुशीला देवी	उत्तर प्रदेश	लखीमपुर खीरी	10.02.2006	25.06.2008
231.	चंद्रावती	उत्तर प्रदेश	लखीमपुर खीरी	23.03.2006	25.06.2008
232.	पूनम देवी	उत्तर प्रदेश	लखीमपुर खीरी	14.02.2006	25.06.2008
233.	रेखा मिश्रा	उत्तर प्रदेश	लखीमपुर खीरी	05.01.2006	25.06.2008
234.	कमला बाई	उत्तर प्रदेश	मथुरा	07.11.2006	25.06.2008
235.	मंजू	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	09.01.2006	25.06.2008
236.	गुड्डी देवी	उत्तर प्रदेश	लखीमपुर खीरी	03.02.2006	25.06.2008
237.	जानकी देवी	उत्तर प्रदेश	लखीमपुर खीरी	21.02.2006	25.06.2008
238.	राधा	उत्तर प्रदेश	हाथरस	02.12.2006	26.06.2008
239.	रेशमा	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	07.05.2007	26.06.2008
240.	पूरण देवी	उत्तर प्रदेश	एटा	12.12.2006	26.06.2008
241.	कान्ति देवी	उत्तर प्रदेश	एटा	29.12.2006	26.06.2008
242.	कमलेश कुमारी	उत्तर प्रदेश	एटा	18.12.2006	26.06.2008
243.	सीमा	उत्तर प्रदेश	लखीमपुर खीरी	18.01.2006	26.06.2008
244.	मीर देवी	उत्तर प्रदेश	लखीमपुर खीरी	21.12.2006	26.06.2008
245.	सतारा	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	27.12.2006	26.06.2008
246.	शारदा देवी	उत्तर प्रदेश	मोरादाबाद	17.04.2006	26.06.2008
247.	बाला देवी	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	21.01.2006	26.06.2008
248.	मीरा बाई	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	07.02.2006	28.06.2008

1	2	3	4	5	6
249.	पूरण देवी	उत्तर प्रदेश	एटा	22.12.2006	01.07.2008
250.	सुमन	उत्तर प्रदेश	एटा	01.06.2007	01.07.2008
251.	लक्ष्मी बाई	उत्तर प्रदेश	बरेली	28.01.2006	01.07.2008
252.	राधा देवी	उत्तर प्रदेश	बरेली	21.03.2006	05.07.2008
253.	नन्ही देवी	उत्तर प्रदेश	बरेली	07.11.2006	05.07.2008
254.	शीला देवी	उत्तर प्रदेश	जौनपुर	27.01.2006	05.07.2008
255.	अनीता देवी	उत्तर प्रदेश	कौशाम्बी	09.02.2007	05.07.2008
256.	वेलावली	उत्तर प्रदेश	बरेली	19.12.2006	05.07.2008
257.	अमीना	उत्तर प्रदेश	मोरादाबाद	16.02.2007	05.07.2008
258.	ईशरात	उत्तर प्रदेश	बहारख	04.12.2006	05.07.2008
259.	निर्मला	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	05.12.2006	27.08.2008
260.	आशा देवी	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	19.01.2007	27.08.2008
261.	शशिकला	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	19.04.2007	27.08.2008
262.	मधु रानी	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	11.08.2006	27.08.2008
263.	निर्मला	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	19.10.2007	27.08.2008
264.	श्रीमती रान्ना	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	14.02.2006	27.08.2008
265.	किरन	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	19.12.2006	27.08.2008
266.	विजय लक्ष्मी	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	13.12.2006	27.08.2008
267.	फूल बाई	उत्तर प्रदेश	सीतापुर		12.09.2008
268.	शीला देवी	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	22.12.2006	03.10.2008
269.	गंगा श्री	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	29.12.2006	03.10.2008
270.	गोपाल सिंह	उत्तराखण्ड	अल्मोड़ा	28.11.2006	01.07.2008
271.	पवित्रा देवी	उत्तराखण्ड	टिहरी गढ़वाल	26.10.2006	01.07.2008
272.	पुष्पा देवी	उत्तराखण्ड	टिहरी गढ़वाल	10.01.2006	01.07.2008
273.	इन्दर देवी	उत्तराखण्ड	अल्मोड़ा	01.12.2006	01.07.2008
274.	सुशील कुमार	उत्तराखण्ड	हरिद्वार	22.06.2006	01.07.2008
275.	भगवती देवी	उत्तराखण्ड	टिहरी गढ़वाल	21.02.2006	01.07.2008
276.	रेखा देवी	उत्तराखण्ड	टिहरी गढ़वाल	20.12.2005	01.07.2008

1	2	3	4	5	6
277.	गुलाबी देवी	उत्तराखण्ड	पौड़ी गढ़वाल	29.01.2007	01.07.2008
278.	सुनीता देवी	उत्तराखण्ड	टिहरी गढ़वाल	22.12.2006	01.07.2008
279.	कमला देवी	उत्तराखण्ड	अल्मोड़ा	03.12.2006	01.07.2008
280.	आनन्द सिंह	उत्तराखण्ड	अल्मोड़ा	29.11.2006	01.07.2008
281.	दीना देवी	उत्तराखण्ड	टिहरी गढ़वाल	29.11.2006	01.07.2008
282.	राधा देवी	उत्तराखण्ड	पौड़ी गढ़वाल	18.12.2006	01.07.2008
283.	संतोषी देवी	उत्तराखण्ड	देहरादून	27.01.2007	01.07.2008
284.	पवित्रा देवी	उत्तराखण्ड	पौड़ी गढ़वाल	20.12.2006	01.07.2008
285.	ज्योति देवी	उत्तराखण्ड	पौड़ी गढ़वाल	16.01.2007	01.07.2008
286.	बबली देवी	उत्तराखण्ड	पौड़ी गढ़वाल	30.11.2006	01.07.2008
287.	मीना देवी	उत्तराखण्ड	पौड़ी गढ़वाल	24.01.2007	01.07.2008
288.	सुमित्रा देवी	उत्तराखण्ड	पौड़ी गढ़वाल	19.12.2005	02.07.2008
289.	कान्ति देवी	उत्तराखण्ड	पौड़ी गढ़वाल	12.01.2006	02.07.2008
290.	रोशनी देवी	उत्तराखण्ड	पौड़ी गढ़वाल	28.10.2006	02.07.2008
291.	शकुन्तला देवी	उत्तराखण्ड	पौड़ी गढ़वाल	10.12.2005	02.07.2008
292.	अनिता देवी	उत्तराखण्ड	पौड़ी गढ़वाल	30.01.2006	02.07.2008
293.	कमला देवी	उत्तराखण्ड	पौड़ी गढ़वाल	22.12.2005	02.07.2008
294.	गायत्री देवी	उत्तराखण्ड	पौड़ी गढ़वाल	02.12.2005	02.07.2008
295.	अंजला देवी	उत्तराखण्ड	देहरादून	02.12.2007	05.07.2008

विवरण I(ख)

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड द्वारा सूचित 1.1.2008 से अब तक की अवधि के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में लम्बित दावों की राज्य/अस्पताल-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	अस्पताल का नाम	कुल
1	2	3	4
1.	छत्तीसगढ़	जिला अस्पताल राजनंदगांव	1
2.		एलटीटी कैम्प सीएचसी ए कावकी, राजनंदगांव	1
3.		ब्लाक गवर्नमेंट हास्पिटल	2

1	2	3	4
4.		जिला गवर्नमेंट हास्पिटल	1
5.		जिला गवर्नमेंट हास्पिटल	1
6.		जिला गवर्नमेंट हास्पिटल	2
7.	हरियाणा	जनरल हास्पिटल हिसार	1
8.		सीएचसी आसंध	1
9.		सिविल हास्पिटल भिवानी	2
10.		एफपीएआई यमुना नगर	1
11.		उपलब्ध नहीं	4
12.		पीएचसी नारनौल	1
13.		जनरल हास्पिटल नारनौल	1
14.		सिविल हास्पिटल रोहतक	2
15.	हिमाचल प्रदेश	डीडीयू हास्पिटल शिमला	1
16.	जम्मू	पीएचसी पलानवाला	1
17.	झारखण्ड	सदल हास्पिटल	1
18.	मध्य प्रदेश	सीएचसी बारघट सेओनी	1
19.		गवर्नमेंट हास्पिटल केओलारी सीएचसी केवलारी	1
20.		सीएचसी कुराई	1
21.		एनए	1
22.		जिला हास्पिटल सेओनी	1
23.		जय प्रकाश हास्पिटल, भोपाल	1
24.		गवर्नमेंट हास्पिटल, बरघट	2
25.	महाराष्ट्र	रावली कैम्प मैटरनिटी होम	1
26.		रावली कैम्प मैटरनिटी होम	1
27		रावली कैम्प मैटरनिटी होम	1
28.	मिजोरम	सिविल हास्पिटल आइजोल	1
29.		संगपुई पीएचसी मिजोरम	1
30.		लालंगमाविया एचएमएआर/सिविल हास्पिटल आईजोल	1
31.	नई दिल्ली	ईएसआई हास्पिटल	1

1	2	3	4
32.	उड़ीसा	पीएचसी मण्डासानी	1
33.		जिला हास्पिटल	1
34.		पीएचसी ब्रम्हपुरा	1
35.		सीएचसी रघुनाथपुर	1
36.		सीएचसी नियाली	2
37.		जयदेव मेहर/सीएचसी खरियर रोड	1
38.	राजस्थान	देवेन्दर सावारंकर	1
39.		सीएचसी रामपुरा	1
40.		सीएचसी सुल्तानपुर	1
41.		सीएचसी बसई जयपुर	1
42.		सीएचसी	1
43.		सीएचसी सांगोड	1
44.		सीएचसी रामगंज मंडी	4
45.		मनोहर मलेट्री एंड नर्सिंग होम, नाथवाड़ा रोड कंकरोली-313324	1
46.		प्राइमरी हेल्थ सेंटर, शिवपुर	2
47.		गवर्नमेंट हास्पिटल, गंगापुर सिटी	5
48.		उपलब्ध नहीं	2
49.		जिला गवर्नमेंट हास्पिटल	1
50.		सीएचसी सुरतागढ़	1
51.		जिला गवर्नमेंट हास्पिटल बसाई नरवाह	1
52.		जनरल हास्पिटल नारनौल	1
53.		पीएचसी कर्दा	2
54.	सिक्किम	चिंता मणी शर्मा/एसटीएनएम हास्पिटल, गंगटोक	1
55.	उत्तर प्रदेश	प्राइमरी हेल्थ सेंटर बर्साना, मथुरा	1
56.		सीएचएस जमारिया जिला अस्पताल	1
57.		पीएचसी बराठल्ली अहीर	2
58.		मोहन लाल गौदम हास्पिटल अलीगढ़	2

1	2	3	4
59.		सीएचसी मचहरिहर, सीतापुर	10
60		सीएचसी मिसरिख	2
61.		पीएचसी अकोला	1
62.		जिला हास्पिटल	1
63.		पीएचसी समसाबाद	1
64.		पीएचसी फतेहपुर, सीकन	1
65.		पीएचसी	1
66.		पीएचसी	1
67.		पीएचसी सैयान	1
68.		एमएलबी मेडिकल कालेज, झांसी	1
69.		पीएचसी, बस्ती	1
70.		सीएचसी अवलखेरा	1
71.		जिला अस्पताल मेरठ	1
72.		पीएचसी मट	1
73.		पीएचसी	1
74.		पीएचसी एतुरवतपुर, आगरा	1
75.		सीएचसी, मथुरा	1
76.		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मट	1
77.		पीपीसी कोशीकलां, मथुरा	1
78.	उत्तरांचल	सीएचसी विकास नगर	1
79		जिला अस्पताल, गोपेश्वर	2
80.		श्रीमती जेबी पंत हास्पिटल, नैनीताल	1
81.		सीएचसी डोइवाला, देहरादून	1
82.		जिला सरकारी अस्पताल, गोपेश्वर	1
83.		सरकारी अस्पताल, टिहरी गढ़वाल	1
84.		जिला सरकारी अस्पताल गोपेश्वर	1
85.		दून अस्पताल देहरादून	1
86.		जिला अस्पताल देहरादून	1

1	2	3	4
87.		पीपीसी विकास नगर	1
88.		पीएचसी नौगांव	1
89.		पीएचसी, भटवारी, उत्तरकाशी	1
90.		अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चमोली	3
91.		जिला स्वास्थ्य केन्द्र, चमोली	1
92.	पश्चिम बंगाल	लेडी डफरिन विक्टोरिया हास्पिटल	1
93.		लेडी डफरिन विक्टोरिया हास्पिटल	2
94.		राज्य प्रशिक्षण विभाग, स्वा. परि. कल्याण, जिला अस्पताल	1
		कुल	131

विवरण II

बीमाकर्ताओं द्वारा सूचित बंध्याकरण की असफलता (पुरुष/महिला) के बाद बाल-जन्म का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	बंध्याकरण असफलता			कुल जन्म
		पुरुष	महिला	दोनों	
1	2	3	4	5	6
1.	बिहार	0	0	0	0
2.	छत्तीसगढ़	11	33	0	44
3.	गोवा	0	0	0	0
4.	गुजरात	1	2	0	3
5.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
6.	हरियाणा	0	4	0	4
7.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0
8.	महाराष्ट्र	4	5	0	9
9.	मध्य प्रदेश	57	222	0	279
10.	उत्तर प्रदेश	48	121	0	169
11.	उत्तराखंड	5	14	0	19
12.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	0	2
13.	मिजोरम	1	0	0	1

1	2	3	4	5	6
14.	उड़ीसा	1	2	0	3
15.	पश्चिम बंगाल	0	1	0	1
16.	असम	0	1	0	1
17.	दिल्ली	2	3	0	5
18.	झारखंड	0	0	0	0
19.	पंजाब	1	3	0	4
20.	कर्नाटक	5	19	0	24
21.	केरल	0	0	0	0
22.	पुद्दुचेरी	1	3	0	4
23.	मेघालय	0	0	0	0
24.	त्रिपुरा	0	0	0	0
25.	नागालैंड	0	0	0	0
26.	मणिपुर	0	0	0	0
27.	आंध्र प्रदेश	3	4	0	7
28.	तमिलनाडु	8	33	0	41
29.	राजस्थान	28	102	0	130
	कुल	177	573	0	750

[अनुवाद]

मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 की समीक्षा

1485. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के क्षेत्राधिकार से नेत्रदान को हटाने का है, जैसाकि 'द हिन्दू' के 10 सितम्बर, 2008 के अंक में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के प्रावधानों से नेत्रदान को हटाने संबंधी कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ नहीं है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में परमाणु संयंत्र की स्थापना

1486. श्रीमती जयाप्रदा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में परमाणु संयंत्र की स्थापना की तकनीकी आर्थिक संभाव्यता का अध्ययन करने हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संयंत्रों के संबंध में सुरक्षा एवं संरक्षा के पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (घ) मेघालय/पूर्वोत्तर क्षेत्र में नाभिकीय विद्युत

रिएक्टर स्थापित करने की संभावना का पता लगाने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया गया है। यह दल मुख्यत:, स्थल का मूल्यांकन करने और नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों के वर्तमान डिजायनों की उपयुक्तता की जांच करने के लिए बना है। इस संबंध में आपसी बातचीत के लिए मेघालय सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

वनभूमि में खनिजों की खुदाई

1487. श्री महावीर भगोरा:
श्री चन्द्रभान सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत देश की वनभूमि में स्थित खनिज भंडारों के खनन को अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा कब तक अनुमति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् देश के वनभूमि क्षेत्र में स्थित खनिज संसाधनों का खनन एक सतत प्रक्रिया है। अभी तक 1548 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है जिसमें अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार देश के 23 राज्यों में लगभग 1,15,618 हैक्टेयर वन भूमि को डायवर्ट किया गया है। इस तरह के अनुमोदनों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

(23.10.2008 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	अनुमोदित+सिद्धांत रूप से अनुमोदित मामलों की सं.	डायवर्ट की गई कुल भूमि (है. में)
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8	19.59
आंध्र प्रदेश	185	18,178.55
अरुणाचल प्रदेश	12	59.625
असम	72	152.201
बिहार	10	418.174
चंडीगढ़	0	0
छत्तीसगढ़	111	21,421.42
दादरा और नगर हवेली	0	0
दमन और दीव	0	0
दिल्ली	0	0
गोवा	45	1,464.02
गुजरात	54	9,866.41
हरियाणा	0	0
हिमाचल प्रदेश	49	1,652.35
जम्मू-कश्मीर	0	0
झारखंड	103	9,501.26
कर्नाटक	162	11,046.21
केरल	1	29.196
लक्षद्वीप	0	0
मध्य प्रदेश	157	11,970.08
महाराष्ट्र	127	3,638.29
मणिपुर	0	0
मेघालय	0	0
मिजोरम	0	0
नागालैंड	0	0
उड़ीसा	155	18,075.71
पांडिचेरी	0	0
पंजाब	1	0.002
राजस्थान	229	5,188.03
सिक्किम	1	0.046

1	2	3
तमिलनाडु	29	362.366
त्रिपुरा	7	8.278
उत्तर प्रदेश	5	2,006.44
उत्तरांचल	20	283.166
पश्चिम बंगाल	5	276.91
कुल	1548	115,618.32

[अनुवाद]

राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में असमानता

1488. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति आय में असमानता, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस असमानता को दूर करने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2005-06 के लिए राज्यवार प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद के अनुरूप मापित) संलग्न विवरण में दी गई है। इसके अनुसार, प्रति व्यक्ति आय गोवा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अधिक है और बिहार, उत्तर प्रदेश व उड़ीसा में कम है। राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में असमानताएं विभिन्न कारणों से हैं जैसे नैसर्गिक संसाधनों में भिन्नताएं, भौगोलिक और ऐतिहासिक विशेषताएं तथा अवसंरचना की उपलब्धता।

(ख) और (ग) सरकार प्रतिव्यक्ति आय में अन्तर्राज्यीय असमानताएं कम करने के लिए बहुत से उपाय करती रही है। इससे संबंधित नीति प्रपत्रों में, कम विकसित राज्यों की सहायता के लिए केन्द्र से राज्यों को संसाधनों का योजना और गैर-योजनागत अंतरण, सार्वजनिक क्षेत्र एककों की स्थापना, पिछड़े क्षेत्रों में निजी उद्योगों की स्थापना हेतु कर प्रोत्साहन, इत्यादि शामिल हैं। राज्यों में आय-असमानता कम करने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इनमें शामिल हैं, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ), पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम इत्यादि।

विवरण

राज्यों के संबंध में प्रति व्यक्ति आय (2005-06)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्तमान कीमतों पर रुपयों में
1	2
आंध्र प्रदेश	15507
अरुणाचल प्रदेश	13990
असम	12282
बिहार	5789
झारखंड	11549
गोवा	42296
गुजरात	18864
हरियाणा	23121
हिमाचल प्रदेश	20806
जम्मू-कश्मीर	13745
कर्नाटक	16703
केरल	19294
मध्य प्रदेश	12384
छत्तीसगढ़	11761
महाराष्ट्र	23011
मणिपुर	13260
मेघालय	14359
मिजोरम	16443
नागालैंड	13819
उड़ीसा	10567

1	2
पंजाब	25611
राजस्थान	13619
सिक्किम	14890
तमिलनाडु	19378
त्रिपुरा	14119
उत्तर प्रदेश	9719
उत्तरांचल	13516
पश्चिम बंगाल	15826
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	24005
चंडीगढ़	41386
दिल्ली	38673
पांडिचेरी	30865

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

टीका और सिरम की कमी

1489. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में विभिन्न टीकों और सिरम विशेषकर सर्पदंश संबंधी सिरम की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा प्रभावी इलाज हेतु टीकों और सिरम की आपूर्ति बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारत सरकार के व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत, राज्यों को छ: वैक्सीने नामत: ओपीवी, बीसीजी, खसरा, डीपीटी, डीटी और टीटी प्रदान की जाती हैं। इनके अतिरिक्त, चुनिन्दा राज्यों/जिलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जापानी एन्सेफेलाइटिस और हैपेटाइटिस बी की वैक्सीनों की आपूर्ति की जाती है। सांप के काटने की सिरम सहित अन्य वैक्सीने एवं सिरम राज्यों द्वारा सीधे निर्माता से खरीदी जाती हैं। पश्चिम बंगाल से प्राप्त सूचना के अनुसार, सांप के काटने की सिरम की कमी होने की कोई सूचना नहीं है।

व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत ओपीवी और बीसीजी वैक्सीनों की कोई कमी नहीं है। तथापि, पश्चिम बंगाल सहित राज्यों में डीपीटी, डीटी, टीटी और खसरा वैक्सीनों की कमी है।

वैक्सीनों की यह कमी वैक्सीनों की खरीद की समस्या के कारण है।

(ग) भारत सरकार ने व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2008-09 हेतु वैक्सीन निर्माता को वैक्सीनों की आपूर्ति करने का आर्डर दिया है।

[हिन्दी]

सिक्किम के "फिंगर" क्षेत्र पर चीन का दावा

1490. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने सिक्किम के "फिंगर" क्षेत्र पर अपना दावा किया है और इसे अपने राज्य क्षेत्र का एक भाग घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त मुद्दे पर दोनों देशों के बीच कोई वार्ता हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चक्रवात के कारण खाड़ी क्षेत्र में लापता हुए भारतीय

1491. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाड़ी देशों में अधिक संख्या में भारतीय लापता हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लापता हुए व्यक्तियों की खोज/पहचान की गयी है/ भारत को प्रत्यावर्तित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) ओमानी प्राधिकारियों द्वारा जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5-6 जून, 2007 को ओमान सल्तनत के तटीय क्षेत्रों में आए चक्रवाती तूफान में सात भारतीयों की मृत्यु हो गयी तथा पांच भारतीय अभी भी गुमशुदा हैं। इसके अलावा एमवी दुबई ट्रांस जहाज, जो 6 जून, 2007 को ओमान की खाड़ी में रस अल हद् पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, के चालक दल के चार भारतीय सदस्य भी गुमशुदा हैं।

कुवैत में 25 फरवरी, 2008 को कुवैत की समुद्री सीमा में चक्रवात के कारण मृत्यु का एक मामला मिशन की जानकारी में आया है। श्री रामहुजूर सिंह को ले जा रही एक नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी जिनका पार्थिव शरीर भारत भेज दिया गया था।

(ख) से (घ) मृत तथा गुमशुदा भारतीय राष्ट्रिकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ओमान में चक्रवात में कथित गुमशुदा भारतीय राष्ट्रिकों की तलाश अभी भी जारी है।

जहां तक सउदी अरब का प्रश्न है, अभी तक वर्ष 2008 के दौरान, भारतीय मिशनों में स्पष्ट रूप से गुम हुए भारतीय राष्ट्रिकों के 72 मामलों की सूचना प्राप्त हुई है। यह संख्या उन मामलों को दर्शाती है जहां मिशन/केन्द्र ने भारत में रह रहे परिवार के सदस्यों से सउदी अरब में कार्य कर रहे अपने रिश्तेदारों की सलामती और खोज-खबर से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध प्राप्त किया है।

संयुक्त अरब अमीरात के मामले में, वर्ष 2007 के दौरान, 18 भारतीय राष्ट्रिकों के गुम होने की सूचना मिली, जिनमें से 11 व्यक्तियों का पता लगा लिया गया है और उन्हें वापस भारत भेज दिया गया। वर्ष 2008 के दौरान, एक भारतीय राष्ट्रिक के गुम होने की सूचना मिली। गुमशुदा हुए व्यक्तियों के परिवारों से और अधिक जानकारी मांगी गई है ताकि स्थानीय प्राधिकारियों को उन्हें ढूंढने में मदद मिल सके।

(ङ) भारत सरकार संबंधित खाड़ी देशों में स्थित अपने मिशनों के माध्यम से स्थानीय प्राधिकारियों के साथ नियमित संपर्क बनाए हुए हैं। यदि कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है, तो उनके संबंधियों को तत्काल इसकी सूचना दी जाएगी। जब कभी भी किसी भारतीय के गुम होने की सूचना मिलती है, विदेश स्थित हमारे मिशन स्थानीय प्राधिकारियों के माध्यम से परिवार के सदस्यों, प्रायोजकों द्वारा दिए गए विवरणों के आधार पर उन्हें ढूंढ़ने की कोशिश करते हैं।

विवरण

नाम		मृत/गुमशुदा
1		2
ओमान		
1.	आर.एस. मैन्नियाह	मृत-पार्थिव शरीर आई.सी.-978 द्वारा 13.06.2007 को भारत (बंगलौर) भेजा गया।
2.	प्रीतपाल सिंह	मृत-पार्थिव शरीर आई.सी.-886 द्वारा 14.06.2007 को भारत (दिल्ली) भेजा गया।
3.	श्रवण कुमार बलई	मृत-पार्थिव शरीर आई.सी.-886 द्वारा 12.06.2007 को भारत (दिल्ली) भेजा गया।
4.	बोक्का श्रीनू	मृत-पार्थिव शरीर आई.सी.-978 द्वारा 18.06.2007 को भारत (हैदराबाद) भेजा गया।
5.	शोभना रातेश शर्मा	मृत-उनके पति की सहमति से पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार 14.06.2007 को स्थानीय रूप से कर दिया गया।
6.	मोहम्मद अली पुवाली पारांबिल बीरान	मृत-परिवार की सहमति से पार्थिव शरीर को 17.06.2007 को स्थानीय रूप से दफना दिया गया।
7.	अनिल कुमार वादिका वीतुपरांबिल	मृत-परिवार की सहमति से पार्थिव शरीर का स्थानीय रूप से अंतिम संस्कार कर दिया गया।
8.	सजीत कुमार	अभी गुमशुदा
9.	सी.एस. उदयन	अभी गुमशुदा

1		2
10.	सामी	अभी गुमशुदा
11.	बिनू पोलोस	अभी गुमशुदा
12.	गोविंदभाई राजेंद्र कुमार मिस्त्री	अभी गुमशुदा
कुवैत		
1.	रामहुजूर सिंह	मृत-पार्थिव शरीर भारत भेजा गया।
चक्रवात के अलावा अन्य कारणवश खाड़ी क्षेत्र में गुए हुए भारतीय		
	बहरीन	शून्य
	कतर	शून्य
	सउदी अरब	72 गुमशुदा- यह संख्या उन मामलों को दर्शाती है जहां परिवार के सदस्यों ने सउदी अरब में कार्य कर रहे अपने रिश्तेदारों से कोई सूचना/प्रेषण प्राप्त न होने पर उनकी सलामती और खोज-खबर के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए मिशन/केन्द्र से संपर्क किया है।
	संयुक्त अरब अमीरात	30 गुमशुदा- जिनमें से 13 को खोज निकाला गया, पहचान की गई और वापस भारत भेज दिया गया। शेष व्यक्तियों के मामलों में, परिवार के सदस्यों से और अधिक जानकारी मांगी गई है ताकि स्थानीय प्राधिकारी उनका पता लगा सके।

[हिन्दी]

काला-अजार, चिकनगुनिया, फाइलेरिया और मलेरिया हेतु धनराशि का आबंटन

1492. श्री टेकलाल महतो: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान काला-अजार, फाइलेरिया, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी विभिन्न बीमारियों को खत्म करने के लिए राज्य सरकारों को आबंटित और जारी की गई अनुदान राशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): वेक्टर जन्य छः रोगों नामतः मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, जापानी एन्सेफेलाइटिस, डेंगू एवं चिकनगुनिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राज्यों को पूर्ण नकद सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्यों को सामग्री सहायता भी प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को नगद राशि और सामग्री के रूप में जारी एवं आबंटित अनुदानों का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक आबंटन एवं जारी धनराशियां

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
		आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी (20.10.08 तक की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1983.58	1019.25	1910.55	1209.76	1973.85	1961.17	2277.79	416.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	405.44	484.66	625.30	480.58	878.08	566.99	1284.60	675.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	1964.82	1360.06	3363	1979.85	3341.9	3582.09	3755.69	1786.25
4.	बिहार	5561.60	2883.42	2633.31	1922.27	2066.5	2019.63	3447.91	779.02
5.	छत्तीसगढ़	2042.45	2060.91	2181.79	2579.43	2228.86	2668.39	2405.16	673.65
6.	गोवा	26.85	38.64	56.86	27.40	178.45	118.2	107.81	0.00
7.	गुजरात	1744.79	740.53	1351.55	1059.80	1702.84	1608.85	1324.39	93.73
8.	हरियाणा	266.43	69.22	195	283.96	142.84	172.39	221.58	12.48
9.	हिमाचल प्रदेश	20.90	18.12	46.35	0.00	17.8	5.3	14.80	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	45.13	17.51	46.91	6.49	18.6	4.5	34.78	10.55
11.	झारखंड	1738.50	1746.71	3352.46	2862.64	2975.08	2076.75	3448.43	797.17
12.	कर्नाटक	372.25	520.73	583.56	693.67	911.15	364.26	841.34	451.14
13	केरल	158.45	282.60	409.58	431.44	297.92	855.26	520.82	29.97
14.	मध्य प्रदेश	2822.93	1432.67	2074.02	1569.17	2179.13	1630.68	2011.79	281.77
15.	महाराष्ट्र	2018.58	815.11	1523.84	1272.01	1905.85	1851.39	1680.83	141.54
16.	मणिपुर	176.77	269.66	488.61	367.15	688.29	369.13	595.05	200.74
17.	मेघालय	298.30	422.67	693.61	496.08	709.74	542.51	960.01	144.22
18.	मिजोरम	314.93	387.87	549.68	507.05	685.72	498.52	739.63	173.58
19.	नागालैंड	379.95	432.41	748	695.28	790.02	549.27	838.17	211.34
20.	उड़ीसा	4750.67	2804.47	4625.94	3577.27	3741.83	5166.04	3863.83	737.32
21.	पंजाब	104.79	60.41	114.87	40.98	96.93	57.07	212.39	28.78
22.	राजस्थान	1589.94	917.04	1184.22	877.36	1896.29	1701.78	1985.50	218.96
23.	सिक्किम	24.27	25.16	33.97	12.93	20.61	4.98	20.01	10.49
24.	तमिलनाडु	355.81	347.31	596.71	753.49	606.79	751.38	923.94	6.88
25.	त्रिपुरा	483.24	648.44	731.07	668.29	858.32	905.65	1094.07	209.96
26.	उत्तर प्रदेश	1208.20	2938.63	1937.34	2159.32	2151.5	1617.55	3183.08	89.45
27.	उत्तरांचल	53.01	66.83	53.01	29.12	210.59	47.26	57.47	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	874.69	1027.83	2138.17	1433.20	2513.67	1726.42	5373.06	158.55
29.	दिल्ली	62.39	75.74	122.85	249.75	156.67	236.7	141.96	0.00
30.	पुड्डुचेरी	34.88	39.60	51.46	154.79	40.08	18.58	71.49	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	228.29	297.61	247.39	429.42	53.1	365.58	315.78	130.71
32.	चंडीगढ़	48.70	52.24	57.29	40.13	27.95	56.81	94.16	57.75
33.	दादरा और नगर हवेली	46.35	43.71	56.01	41.95	16.6	51.26	69.16	17.50
34.	दमन और दीव	28.59	24.15	26.91	20.36	12.93	24.66	27.54	6.00
35	लक्षद्वीप	21.53	20.29	18.86	12.65	11.52	2.8	59.75	14.37
	कुल	32258.00	24392.20	34829.70	28945.04	36108.00	34179.8	44003.77	8565.60

[हिन्दी]

खनन के लिए भूमि का अधिग्रहण

1493. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयला खनन को प्रोत्साहन देने हेतु भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल सहित राज्यों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या खानों के बंद हो जाने के कारण कुछ क्षेत्र अप्रयुक्त पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जनजातीय क्षेत्रों में यूथ होस्टल

1494. श्री प्रभुनाथ सिंह:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जनजातीय व्यक्तियों की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने हेतु जनजातीय क्षेत्रों में यूथ होस्टलों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी झारखंड सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) और (ख) जी, हां। जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे यूथ हास्टल के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	राज्य	यूथ हास्टल की स्थिति	अनुमोदित राशि (लाख रु.)
1.	अरुणाचल प्रदेश	रोइंग	183.51
2.	मणिपुर	(1) थाउबाल	186.58
		(2) चुराचांदपुर	202.50

इस समय, झारखंड में निर्माणाधीन यूथ हास्टल कोई नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर जलापूर्ति पाइपलाइनें बिछाना

1495. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर जलापूर्ति पाइपलाइनें बिछाने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों का ब्योरा क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों को स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए खंडों के लिए उनसे अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

(ख) यह अनुमति, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान की जाती है।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए प्रस्तावों के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) ये प्रस्ताव, इस संबंध में दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी स्वीकार्यता के अध्यधीन स्वीकृत किए जाते हैं। अनुमोदन/स्वीकृति के लिए अपेक्षित समय, प्रस्तुत प्रस्ताव की गुणता पर निर्भर करता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों के ब्योरे	टिप्पणियां
1	2	3	4
1.	राजस्थान	रारा 8 के जयपुर-किशनगढ़ खंड के किनारे और रारा 8 पर 363.200 और 357.100 किमी. पर पाइपलाइनों के लिए पीएचईडी राजस्थान सरकार से तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।	कार्रवाई की जा रही है, सभी अपेक्षित शर्तों को पूरा करने पर दिसंबर, 2008 तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है।
2.	गुजरात	415.390 और 415.410 किमी. के बीच पाइपलाइन के लिए तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।	कार्रवाई की जा रही है, सभी अपेक्षित ब्योरों को पूरा करने पर दिसंबर, 2008 तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है।
3.	कर्नाटक	कर्नाटक शहरी अवसंरचना विकास और वित्त निगम से रारा 17, 48 एवं 13 पर और उसके किनारे 13.15 किमी. लंबाई में पाइपलाइनें डालने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।	इस प्रस्ताव के लिए मंत्रालय के दिशानिर्देशों में छूट अपेक्षित है और कार्रवाई चल रही है।
4.	तमिलनाडु	रारा 7ए पर 4.00 से 51.200 किमी. खंड में पाइपलाइन के लिए दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।	अनुमोदन की प्रतीक्षा है और दिसंबर, 2008 तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है।
5.	तमिलनाडु	तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; रारा 45 पर पाइपलाइन डालने के संबंध में दो और रारा 45बी पर पाइपलाइन डालने के संबंध में एक।	कार्रवाई की जा रही है, मंत्रालय के 19.11.1976 के संदर्भ में सभी अपेक्षित ब्यौरे प्रदान किए जाने पर निर्णय ले लिए जाने की संभावना है।
6.	राजस्थान	रारा 3 पर 49.500 और 50.500 किमी. के बीच पाइपलाइन डालने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।	कार्रवाई की जा रही है, सभी अपेक्षित शर्तों को पूरा करने पर दिसंबर, 2008 तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है।
7.	आंध्र प्रदेश	पीआईयू-विजयवाड़ा के अधीन रारा 5 पर 3.400 से 5.000 किमी. तक पाइपलाइन के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।	कार्रवाई की जा रही है, सभी अपेक्षित शर्तों को पूरा करने पर दिसंबर, 2008 तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है।
8.	आंध्र प्रदेश	पीआईयू-राजमुंदरी से रारा 5 के 914.433 से 918.48 किमी. के बीच पाइपलाइन डालने के लिए अधिशासी अभियंता आरडब्ल्यूएस राजमुंदरी से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।	यह खंड 6 लेन बनाए जाने के लिए लिया गया है और अभी अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। तदनुसार पीडी को 6 लेन बनाए जाने के संबंध में प्रस्ताव की पुनः जांच करने के लिए कहा गया है।

1	2	3	4
9.	मध्य प्रदेश	रारा 3 पर 86.350 से 88.500 किमी. तक नर्मदा नदी से जलापूर्ति पाइपलाइन के लिए खेतान केमिकल्स से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।	कार्रवाई की जा रही है, सभी अपेक्षित शर्तों को पूरा करने पर दिसंबर, 2008 तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है।
10.	छत्तीसगढ़	रारा 6 पर 268 से 280 किमी. तक राज्य पीएचईडी से पाइपलाइन के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।	कार्रवाई की जा रही है, सभी अपेक्षित शर्तों को पूरा करने पर दिसंबर, 2008 तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है।
11.	महाराष्ट्र	रारा 7 पर और उसके किनारे 18.765 से 34.140 किमी. तक महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लि. से जलापूर्ति के लिए वाटर ट्रांसमीशन मेन (रा वाटर राइजिंग मेन) के लिए और महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी द्वारा रारा 7 पर 30.40 से 34.15 किमी. तक पानी की लाइन डालने का प्रस्ताव।	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

तटवर्ती विनियमनों का उल्लंघन

1496. श्री के.एस. राव:
श्री प्रशांत प्रधान:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समुद्र तट से समुद्र की ओर तटवर्ती विनियमन जोन (सीआरजेड) में शामिल किए गए क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) सीआरजेड नियमों का उल्लंघन करके सीआरजेड क्षेत्रों में कितने आवासीय और अन्य अवसंरचनात्मक निर्माण तथा कितने अन्य कार्य किए गए;

(ग) इस समस्या का निवारण करने हेतु सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या इन उल्लंघनों से मछुआरों की आजीविका प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है; और

(ङ) सरकार द्वारा समस्याओं का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जोन में कार्यों को विनियमित करने के लिए 19.2.1991 को जारी की गई तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, की हाई टाइड लाइन से 500 मीटर तक तथा इंटरटाइडल क्षेत्र अर्थात् लोटाइडलाइन और हाई टाइड लाइन के बीच के भू क्षेत्र तक क्षेत्राधिकार है। उक्त अधिसूचना में हाई टाइनलाईन से 100 से लेकर 150 मीटर तक का क्षेत्र अथवा संकरी खाडियों, नदियों, बैकवाटर्स की चौड़ाई, जो भी कम हो, को भी शामिल किया गया है। विभिन्न तटीय राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से उल्लंघन/शिकायतों से संबंधित मामलों की सूचना प्राप्त होते हैं जिनमें आवासीय निर्माण और अन्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं से संबंधित मामले शामिल होते हैं।

(ग) से (ङ) तटीय विनियमन जोन, अधिसूचना 1991 के उपबंधों के प्रवर्तन और उनके कार्यान्वयन की मानीटरिंग करने तथा उल्लंघन आदि के मामले में कार्रवाई करने के प्रयोजन से पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा तेरह राज्य/केन्द्र शासित तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरणों का गठन किया गया है। इन सभी प्राधिकरणों के कार्य में (1) तटीय पर्यावरण की सुरक्षा करना तथा उसकी गुणवत्ता में सुधार करना, (2) तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) क्षेत्रों के वर्गीकरण में परिवर्तन अथवा संशोधन के प्रस्तावों की जांच करना, (3) सीआरजेड अधिसूचना 1991 के उपबंधों के कथित उल्लंघनों के मामलों की जांच करना और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5, 10 और 19 के अंतर्गत उपयुक्त निर्णय लेना, (4) सीआरजेड क्षेत्रों में प्रस्ताव सभी परियोजनाओं की जांच करना और अपनी सिफारिशें देना, और (5) तटीय जोन से संबंधित पारिस्थितिकी आर्थिक और अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना तथा क्षेत्र विशिष्ट प्रबंधन योजनाएं तैयार करना शामिल है।

उड़ीसा में खेल परियोजनाएं

1497. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान युवक कार्यक्रम और खेल के क्षेत्र में उड़ीसा में केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही खेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य में उक्त अवधि के दौरान ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिए आबंटित और खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा 2008-09 में खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदान की स्कीम तथा सिंथेटिक खेल सतह बिछाने के लिए अनुदान की स्कीम के अंतर्गत खेल अवस्थापना परियोजनाओं के लिए उड़ीसा राज्य को प्रतिबद्ध देयता के लिए प्रदान की गई निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। यह स्कीम 1.4.2005 से केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई थी इसलिए केन्द्र सरकार की प्रतिबद्ध देयता के लिए राशि जारी की जाती है। भारतीय खेल प्राधिकरण जो कि इस मंत्रालय का एक स्वायत्तशासी निकाय है, ने भी खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अपने कोलकाता केन्द्र (भा.खे.प्रा. पूर्वी केन्द्र, कोलकाता) को राशि जारी की है। उड़ीसा राज्य इस केन्द्र के अंतर्गत आता है। पिछले तीन वर्ष के दौरान तथा 2008-09 में भा.खे.प्रा. पूर्वी केन्द्र को जारी की गई राशि तथा व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा 2008-09 में खेल अवस्थापना तथा सिंथेटिक खेल सतह बिछाने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार को प्रतिबद्ध देयता के लिए प्रदान की गई निधि का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	परियोजना का नाम	जारी की गई राशि (लाख रु.)	टिप्पणी
2005-06	शून्य	शून्य	शून्य
	(1) गधाधरपुर हाई स्कूल तिगिरी, कटक में फुटबाल फील्ड का निर्माण	0.75	कार्य चल रहा है, राज्य सरकार को कार्य पूरा करवाना है।
	(2) चिंदागौरा, जिला-नौपारा में इंडोर स्टेडियम	10.00	-वही-
	(3) खेल अकादमी, राउरकेला में सिंथेटिक हाकी सतरह	50.00	परियोजना पूरी हो गई
2007-08	शून्य	शून्य	शून्य
2008-09	शून्य	शून्य	शून्य

विवरण II

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान खेल अवस्थापना के सृजन के लिए भा.खे.प्रा. पूर्वी केन्द्र, कोलकाता, जिसके अंतर्गत उड़ीसा राज्य आता है, को जारी की गई राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(लाख रु.)

परियोजना का नाम	आबंटित निधि	व्यय
सिंथेटिक हाकी सतह बिछाना	290.00	290.00
100 बिस्तरों वाले छात्रावास का निर्माण	552.00	75.00

गंगा नदी में प्रदूषण

1498. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री नरहरि महतो:
श्री के.सी. सिंह 'बाबा':
श्री सुव्रत बोस:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कानपुर स्थित चर्मशोधनशालाएं गंगा को सबसे अधिक प्रदूषित करती है जैसाकि दिनांक 27 सितंबर, 2008 के 'द मिंट' में समाचार प्रकाशित हुआ है;'

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन चर्मशोधनशालाओं द्वारा नदी में कौन-कौन से हानिकारक अवयव पदार्थ छोड़े जा रहे हैं;

(ग) गंगा नदी को प्रदूषित कर रहे शहर के बड़े उद्योगों, कारखानों, मिलों और सीवेज का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कानपुर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले लगभग कुल 439 मिलियन लीटर अपशिष्ट जल की तुलना में अभी तक प्रतिदिन 171 मि.ली. (चर्म उद्योग यूनिटों से उत्पन्न होने वाले प्रतिदिन 9 मि.ली. अपशिष्ट जल सहित) की शोधन क्षमता तैयार की गई है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कानपुर में 404 चर्म उद्योग यूनिटों की पहचान की है जिसमें से 206 यूनिटें क्रोम टैनिंग प्रक्रिया पर आधारित है और 198 यूनिटें वैजीटेबल टैनिंग प्रक्रिया पर आधारित है। क्रोम आधारित 206 चर्म उद्योगों में से 169 चर्म उद्योगों ने या तो अपना क्रोम रिकवरी संयंत्र स्थापित कर लिए हैं अथवा क्रोमियम रिकवरी और रियूज जो हैवी मैटल है और स्वरूप से जहरीला है, के लिए सामूहिक क्रोम रिकवरी यूनिट के सदस्य हैं। शेष क्रोम आधारित 37 चर्म उद्योग विभिन्न कारणों से बंद हो गए हैं। वैजीटेबल टैनिंग यूनिटों के संबंध में 102 चर्म उद्योगों ने प्राइमरी बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित कर लिए हैं, 23 चर्म उद्योग ड्राई प्रक्रिया पर आधारित है और शेष 73 चर्म उद्योग विभिन्न कारणों से बन्द हो गए हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह भी सूचना दी है कि चर्म उद्योगों के प्राइमरी बहिस्राव शोधन संयंत्रों और संयुक्त बहिस्राव शोधन संयंत्र के शोधित बहिस्रावों को सामान्यतया सिंचाई नहरों में निस्तारित किया जाता और न कि नदी में सीधे छोड़ा जाता है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2001 में किए गए आकलन के अनुसार गंगा नदी के किनारे स्थित श्रेणी I और II के विभिन्न शहरों से प्रतिदिन कुल 2538 मि.ली. सीवेज प्रदूषण भार उत्पन्न होता है जिसके लिए गंगा कार्य योजना चरण I और II की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत अब तक प्रतिदिन कुल 999 मि.ली. सीवेज शोधन क्षमता तैयार की गई है। उद्योगों से होने वाले प्रदूषण का निपटान संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा लागू वर्तमान पर्यावरणीय कानूनों को लागू करके किया जाता है. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया है गंगा किनारे स्थित पहचान किए गए 146 घोर प्रदूषणकारी औद्योगिक यूनिटों में से 91 यूनिटें अपने बहिस्राव शोधन संयंत्रों का संतोषजनक ढंग से प्रचालन कर रही हैं, 21 यूनिटें अपने बहिस्राव शोधन संयंत्रों बोर्डों द्वारा औद्योगिक यूनिटों की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है और दोषी यूनिटों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता का आकलन

1499. श्री नन्द कुमार साय:
श्री रामकृपाल यादव:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भोजन, पानी, बिजली, आवास, सड़क आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं की प्रति व्यक्ति मांग और उपलब्धता का आकलन किया है और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितनी सफल रही है;

(ग) ऐसी मूलभूत सुविधाओं हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) भोजन, पानी, बिजली, आवास, सड़क आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं का आकलन करने की कोई समान पद्धति नहीं है। कुछ मामलों में इसका आकलन प्रति व्यक्ति आधार पर किया जाता है, जबकि अन्य मामलों में आकलन कुल योग के आधार पर किया जाता है। तदनुसार लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। खाद्यान्नों की मानक आवश्यकता के आधार पर, दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक खाद्यान्नों की मांग 221.4 मिलियन टन है। "दसवीं योजना के लिए फसल उत्पादन, मांग एवं आपूर्ति अनुमान तथा कृषि इनपुट" दसवें कार्यदल ने व्यवहारिकी दृष्टिकोण के आधार पर दसवीं पंचवर्षीय योजना (2006-07) के अंत तक 236 मिलियन टन के खाद्यान्न की मांग का अनुमान लगाया था। प्रति व्यक्ति के संबंध में, क्रमश: 195 किलोग्राम तथा 208 किलोग्राम की खाद्यान्न आवश्यकता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता तालिका-1 में दी गई है।

तालिका 1 : दसवीं योजना के दौरान खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

वर्ष	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (किलोग्राम प्रतिव्यक्ति/वर्ष)
2002	180.4
2003	159.7
2004	168.9
2005	154.2
2006	162.3

ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति की व्यवस्था का मानक प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मानकर 40 लीटर है। शहरी क्षेत्रों में, दसवीं योजना में 100 प्रतिशत जनसंख्या को जल आपूर्ति करने का लक्ष्य था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के लिए "शहरी विकास, शहरी जलापूर्ति और स्वच्छता एवं शहरी पर्यावरण" संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार, 31.3.2004 तक 91% शहरी जनसंख्या को जलापूर्ति की गई। दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में बिजली की प्रति व्यक्ति आवश्यकता तथा उपलब्धता तालिका 2 में दी गई है।

तालिका 2 : दसवीं योजना के दौरान विद्युत की प्रति व्यक्ति आवश्यकता तथा उपलब्धता

वर्ष	प्रति व्यक्ति आवश्यकता (किलोवाट)	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (किलोवाट)
2002-03	517.5	471.9
2003-04	521.4	484.3
2004-05	542.6	502.9
2005-06	570.5	522.8
2006-07	614.4	555.6

दसवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रमश: 8 मिलियन निवास यूनिटों तथा 8.89 मिलियन निवास यूनिटों की कमी का अनुमान किया गया था। दसवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य वर्ष 2012 तक "सभी के लिए आश्रय" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से आवास कार्यक्रम पर बल देना था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना संबंधी ग्रामीण आवासीय कार्य दल ने वर्ष 2005 में 14.833 मिलियन ग्रामीण आवासों की कमी का उल्लेख किया था। सड़क निर्माण लक्ष्य प्रति व्यक्ति के आधार पर नहीं बनाया जाता है।

(ग) ग्यारहवीं योजना की कुछ सुविधाओं के क्षेत्रवार लक्ष्य निम्नलिखित हैं: (1) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के प्रतिपादन के लिए बनी कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र संबंधी संचालन समिति की रिपोर्ट के अनुसार, ग्यारहवीं योजना के अंत तक राष्ट्रीय कृषि अर्थव्यवस्था तथा नीति अनुसंधान केन्द्र (एनसीएपी) द्वारा लगभग 251 मिलियन टन तथा योजना आयोग के कार्यदल द्वारा 245 मिलियन टन के खाद्यान्नों के कुल मांग का अनुमान किया गया है। (2) विद्युत के क्षेत्र में, 78577 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता सृजन का लक्ष्य रखा गया है। (3) जहां तक सड़क क्षेत्र (राष्ट्रीय राजमार्ग) का संबंध है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) चरण-I तथा II एवं चरण III के पहले चरण के तहत बकाया कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए उच्च प्राथमिकता दी गई है। (4) आवास के क्षेत्र में, ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य इंदिरा आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 150 लाख घरों का निर्माण करना है। शहरी आवासों के लिए पिछले बकाए तथा अतिरिक्त आवश्यकताओं सहित 26.53 मिलियन निवास यूनिटों की कुल आवास आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। (5) पेयजल के मामले में, ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है तथा यह भी सुनिश्चित करना है कि ग्यारहवीं योजना के अंत तक कोई भी इस सुविधा से वंचित न रहे।

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में योजना अवधि (2007-12) के लिए प्रति वर्ष 9 प्रतिशत की अर्थव्यवस्था का विकास लक्ष्य रखा गया है तथा इसका उद्देश्य इस अवधि के अंत तक अर्थव्यवस्था को लगभग 10 प्रतिशत विकास के साथ संधारणीय विकास पथ पर ले जाना है। विशेषकर, विभिन्न सुविधाओं अर्थात् खाद्य के लिए ग्यारहवीं योजना में किसानों को प्रौद्योगिकी की जानकारी देना, निवेश क्षमता में सुधार करना, सहायक प्रणाली को बढ़ाना तथा सब्सिडियों को युक्तिसंगत बनाने की परिकल्पना की गई है ताकि कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सामूहिक दृष्टिकोण के माध्यम से गरीबों को आसानी से भूमि ऋण और बेहतर दक्षता प्राप्त हो सके। ग्रामीण जलापूर्ति के क्षेत्र में, कवर न किए गए सभी आवास स्थलों को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने और छूटे हुए कार्यों को पूरा करने और जल गुणवत्ता प्रभावित आवास स्थलों की समस्याओं का निदान करने का लक्ष्य है। इस प्रयोजनार्थ त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) बनाया गया है। वर्तमान में एआरडब्ल्यूएसपी को राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन (आरजीएनडीडब्ल्यूएम) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। शहरी अवसंरचना और शासन में सुधार लाने के लिए और शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं मुहैया कराने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शुरू किया गया है। शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति कार्यक्रम की सहायता के लिए जेएनएनयूआरएम बनाया गया है और यह शहरों में अवसंरचना के स्तर एवं जनोपयोगी सेवाओं को बढ़ाने का मुख्य साधन है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य सभी गांवों और आवास स्थलों का विद्युतीकरण करना और बिजली पहुंचाना है। इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों के लिए वर्तमान

अप्रयोज्य कच्चे घरों के उन्नयन और आवास यूनिटों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का लक्ष्य असम्बद्ध ग्रामीण आवास स्थलों को कनेक्टिविटी मुहैया कराना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्यारहवीं योजना में कई स्कीमें प्रस्तावित हैं, जिनमें शामिल हैं (कोष्ठक में ग्यारहवीं योजना के दौरान 2006-07 की कीमतों पर अनुमानित सकल बजटीय सहायता के साथ), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (22104 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन (4317 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (7788 करोड़ रुपए), ग्रामीण पेयजल (34916 करोड़ रुपए), एकीकृत जलसंभर विकास कार्यक्रम (15359 करोड़ रुपए), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (38240 करोड़ रुपए) ग्रामीण आवास (23768 करोड़ रुपए), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (36238 करोड़ रुपए) आदि। बिजली, सड़क, सिंचाई, जलसंभर विकास, जलापूर्ति, इत्यादि के लिए अवसंचना में निवेश को वर्ष 2006-07 के 5.4 प्रतिशत की तुलना में 2011-12 तक जीडीपी के 9.3 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

मानसिक रोग से पीड़ित बच्चे

1500. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार देश में लगभग 7.15 प्रतिशत बच्चे गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बच्चों में ऐसे मानसिक रोगों की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भारत में बच्चों में मानसिक विकारों की मात्रा की समीक्षा करने के लिए कोई देशव्यापी सामुदायिक अध्ययन नहीं किया है। तथापि, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1995-2000 के दौरान बैंगलोर और लखनऊ में किए गए एक अध्ययन से यह अनुमान लगाया गया है कि 0-16 वर्ष की आयु के 12-13% बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं (केवल विशिष्ट रूप से सीखने में अक्षम बच्चों को छोड़कर)।

यह अध्ययन केवल प्रणाली एवं ग्रामीण-शहरी भिन्नताओं के पेटर्न पर आधारित था। सूचित किया गया सबसे अधिक सामान्य विकार नोक्चूरल एनूरेसिस था। भय,. हकलाना, अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसोर्डर, अपोजिशनल डेफिएंट डिसोर्डर अन्य सामान्य नैदानिक समस्याएं थीं। शहरी बालकों के बीच व्यापता दर विशिष्ट रूप से अधिक थी।

(ग) भारत सरकार मानसिक रूप से बीमार बच्चों सहित जनसंख्या को बुनियादी मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। सरकार ने मानसिक विकारों के निदान एवं रोकथाम के लिए विद्यालयों में जीवन कुशलता शिक्षा एवं परामर्श सेवाओं के नए घटक और विद्यालयों के बाहर के बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पर नवीन योजनाएं शामिल करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की परिकल्पना की है।

सीआईएल द्वारा कोयले का उत्पादन

1501. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:**
श्री अनन्त नायक:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के प्रथम तिमाही के दौरान कोयले के उत्पादन हेतु कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की विभिन्न अनुषंगी इकाइयों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन अनुषंगी कंपनियों द्वारा लक्ष्य की तुलना में कोयले का वास्तविक उत्पादन कितना है;

(ग) प्रत्येक अनुषंगी इकाई द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कोयले के कम उत्पादन के क्या कारण हैं; और

(घ) उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) और (ख) मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान कोयला उत्पादन के लिए कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की विभिन्न सहायक यूनिटों के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं इन सहायक यूनिटों द्वारा कोयले का वास्तविक उत्पादन निम्नवत है:

(मि. टन में)

कंपनी	पहली तिमाही (अप्रैल से जून, 2008)		
	लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धि का %
1	2	3	4
ईसीएल	7.107	6.310	88.79
बीसीसीएल	5.300	5.178	97.79

1	2	3	4
सीसीएल	9.242	7.481	80.94
एनसीएल	13.950	13.519	96.91
डब्ल्यूसीएल	10.327	10.789	104.47
एसईसीएल	21.507	23.242	108.07
एनसीएल	23.760	19.253	82.17
एनईसी	0.237	0.206	86.91
सीआईएल	91.430	86.248	94.33

(ग) और (घ) सहायक कंपनीवार कमी के कारण तथा उत्पादन में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम निम्नवत् हैं:

ईसीएल

कमी के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं-

(1) इस वर्ष मानसून जल्दी आ जाने के कारण तथा बार-बार, लगभग प्रत्येक दिन वर्षा, जो कई दिनों तक रुक-रुक कर होती रही के कारण भी सभी ओपनकास्ट खानों से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

(2) एनटीपीसी के विद्युत गृहों को एमजीआर के द्वारा कोयले के कम प्रेषण के कारण भंडार का संचय हो जाने की वजह से राजमहल ओसीपी का उत्पादन काफी प्रभावित रहा। असामाजिक तत्वों की गतिविधियों के कारण मई और जून, 2008 के दौरान अनेक बार रेक गंभीर रूप से पटरी से उतर गए।

(3) पीओएल मूल्यों में वृद्धि के विरोध में राजनीतिक पार्टियों द्वारा दिनांक 5 और 7 जून, 2008 को की गई हड़ताल के कारण रानीगंज कोलफील्ड से उत्पादन पूर्ण रूप से बंद रहा।

(4) डीवीसी, डब्ल्यूबीएसईडी, डीपीएल, जेएसईबी और डीपीएसई जैसी विभिन्न विद्युत उपयोगिताओं से बार-बार लोड शेडिंग और लोड प्रतिबंधों के कारण यूजी खानों से उत्पादन कुछ सीमा तक प्रभावित रहा।

उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए किए गए उपाय:

1. राजमहल क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्य प्रशासन के समक्ष मामले को उठाया गया तथा बदमाशों की गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस की देखरेख में एमजीआर के द्वारा अतिरिक्त प्रेषण किया गया।

2. ओसी उत्पादन में सुधार लाने के वास्ते राजमहल ओसीपी और अन्य ओसीपी के लिए अतिरिक्त हैम की खरीद की कार्रवाई में तेजी लाई गई है।

3. यूजी उत्पादन में सुधार लाने के लिए कुछ और एसडीएल लगाए जा रहे हैं।

4. यूजी उत्पादन में सुधार लाने के लिए लोड प्रतिबंध और लोड शेडिंग को न्यूनतम करने हेतु सभी विद्युत उपयोगिताओं से अनुरोध किया गया है।

5. अतिरिक्त उत्पादन हेतु कुछ और किराए पर लिए गए ओसी पैचों को आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है।

डब्लूसीएल

कमी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

(1) भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास समस्याओं के कारण अनेक ओपनकास्ट परियोजनाओं जैसे मुरईडीह ओसी, ब्लाक-II, ब्लाक-IV, तेतुलमारी, विश्वकर्मा और सुदामडीह ओसीपी का खनन गंभीर रूप से प्रभावित रहा। भूमि अधिग्रहण की समस्याओं के कारण अनेक ओपनकास्ट खानों में टाप बेंचों में प्रतिबंधित प्रगति से निचली बेंचों में कारण अनेक ओपनकास्ट खानों में टाप बेंचों में प्रतिबंधित प्रगति से निचली बेंचों में खनन की अधिकता रही, जिसमें भारी मात्रा में सामग्रियों का पुन: संचालन अपेक्षित था।

(2) वन विभाग के साथ विवाद निपटान में विलम्ब जिससे धानूडीह ओसी और मुरईडीह ओसी से उत्पादन प्रभावित रहा।

(3) जून, 2008 में अत्यधिक वर्षा होने के कारण परिवहन कठिनाइयों की वजह से मुहाने से सतह और सतह से साइडिंग तक कोयला की ढुलाई सीमित रही।

(4) एसडीएल/एलएचडी जैसी मशीनों के पुराने हो जाने के कारण भूमिगत उत्पादन में कमी आई। यूक्रेनियम फर्म के मुकर जाने के कारण वैश्विक निविदा के द्वारा मूनीडीह भूमिगत परियोजना के लिए लांगवाल पैकेज में विलम्ब हुआ।

उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने हेतु किए गए उपाय:

1. सीआईएल की अनुमोदित आर एंड आर नीति के अनुसार विवादों का निपटारा करने के लिए भूमि अधिग्रहण के मामलों पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है।

2. सर्वे आफ मानकों के अनुसार पुराने हो चुके हैम, एसडीएल/एलएचडी को बदलने की कार्रवाई की गई।

3. वनभूमि से संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए राज्य सरकार और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ नियमित बैठकें और अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

4. एल 1 बोलीदाता को कार्य अवार्ड करने के लिए बोर्ड की आगामी बैठक में मूनीडीह XVI के लिए लांगवाल पैकेज हेतु खोली गई मूल्य बोली प्रस्तुत की जा रही है।

5. भूमिगत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ब्लाक-II भूमिगत खान और धनसार में सतत खनिज प्रौद्योगिकी की तैनाती का प्रस्ताव किया गया है।

सीसीएल

कमी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

(1) प्रत्येक माह में उग्रवादियों द्वारा लगभग 5 बंद का आह्वान किया गया जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी आई।

(2) भीषण तूफान से विद्युत आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुई जिसे अनेक क्षेत्रों में दुरुस्त करने में 2 दिन लगे।

उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने हेतु किए गए उपाय:

1. विभिन्न बंदो के दौरान ओबी रिमूवल पर बल दिया गया जिसके परिणामस्वरूप

(1) ओबीआर लक्ष्य की 105% उपलब्धि हुई।

(2) संयुक्त उत्पादन में 100% उपलब्धि हुई।

2. सर्वे आफ के मुकाबले नए उपकरण प्रदान करके हैम की स्थापना निम्नानुसार बढ़ाने हेतु पहले ही कार्रवाई की गई है:

शावेल	:	15
डम्पर	:	98
ड्रिल	:	11
डोजर	:	23
लोडर	:	13

3. कारो, कोनार, अर्थ उरीमारी और तापिन नार्थ पीएच-II की शीघ्र वानिकी मंजूरी हेतु अनुवर्ती कार्रवाई जिससे वर्ष 2008-09 के दौरान 5.9 मि.ट. कोयला उत्पादित किए जाने की संभावना है।

एनसीएल

मानसून के शीघ्र आने और कुछ अन्य कारणों से उत्पादन में मामूली कमी हुई है। उत्पादन की मामूली कमी की आगमी महीनों में भरपाई कर ली जाएगी।

डब्ल्यूसीएल

लक्ष्य के मुकाबले उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई।

एसईसीएल

लक्ष्य के मुकाबले उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई।

एमसीएल

कमी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

(1) विशेषकर तालचर कोलफील्ड में शर्तों से बाहर रोजगार की मांग करते हुए ग्रामीणों द्वारा बार-बार आंदोलन तथा कानून और व्यवस्था की आम समस्या, जिससे कोयले का उत्पादन/परिवहन रुक गया और कंपनी के समग्र कोयला उत्पादन और ओबी रिमूवल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(2) वनभूमि के अधिग्रहण में असामान्य विलम्ब।

(3) दिनांक 15.06.2008 से 21.06.2008 तक की अवधि के दौरान ठेकेदारों के ड्राइवरों की हड़ताल के कारण तालचर कोलफील्ड में कोयला उत्पादन और परिवहन पूर्ण रूप से बाधित रहा।

(4) ईएसएम कंपनियों द्वारा स्वीकृत क्षमता से कम संख्या में टिप्परों की तैनाती से कोयला उत्पादन और परिवहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(5) गर्मी के महीनों के दौरान, उड़ीसा सरकार के निर्देश के अनुसार तेज लू के कारण 11.30 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक कार्य बंद रहा।

(6) हेम का पुराना होना। कुल 615 मूल हैमों में से 196 हैम ने पहले ही 100% जीवनकाल पूरा कर लिया है तथा अब उनकी उपलब्धता और उपयोगिता अत्यन्त कम है।

उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए किए गए उपाय:

1. कंपनी के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक माह के आरंभ में मौजूदा स्थिति में खानवार मौजूदा उत्पादन क्षमता का पूनर्मूल्यांकन किया गया है और तदनुसार आंतरिक लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं।

2. कुल ओबी रिमूवल में बढ़ोत्तरी करने तथा कोयले को पर्याप्त रूप से प्रकट करने के लिए कुछ खानों में ओबी रिमूवल आउटसोर्सिंग को पहले ही अवार्ड कर दिया है तथा कार्य अवार्ड करने हेतु अन्य प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई की जा रही है।

3. कम से कम 1.00 मिलियन टन प्रति माह पिट हेड कोयला स्टाक का परिसमापन करने के प्रयास किए जाते हैं। इससे वर्ष 2008-09 की बाद की अवधि में अधिक उत्पादन को प्राप्त करना आसान होगा।

4. कोयला उत्पादन और परिवहन के लिए टिप्परों को अधिकतम संख्या में तैनात करने के लिए क्षेत्रीय और मुख्यालय स्तर पर ठेकेदारों के साथ बैठक नियमित रूप से आयोजित की जा रही है।

5. कार्य की बार-बार बंदी/रुकावट जिससे उत्पादन में हानि होती है, को रोकने के लिए सभी क्षेत्रीय सीजीएम/जीएम को ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित करने तथा सिविल प्रशासन के साथ बेहतर सम्पर्क बनाए रखने की सलाह दी गई है।

एनईसी

कमी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

(1) कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली से अंतिम ईएमपी मंजूरी नहीं मिलने के कारण लेडो ओसी से उत्पादन आरंभ नहीं किया जा सका।

(2) इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र में भारी वर्षा हुई जिसके कारण एनईसी खानों को बचाने के लिए मुख्य रूप से पंपिंग कार्य पर ही केन्द्रित होना पड़ा।

(3) इस अवधि के दौरान ओपी खानों से कोयले का उत्पादन करने के लिए शायद ही कोई सूखा समय उपलब्ध हो।

काला-अजार का उन्मूलन

1502. श्री टेकलाल महतो:
श्री अनन्त नायक:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कालाजार के उन्मूलन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किस वर्ष तक इस बीमारी का उन्मूलन कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) कालाजार के प्रसार का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इसे रोकने में कितनी प्रगति हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति दस्तावेज में वर्ष 2010 तक काला-अजार के उन्मूलन की परिकल्पना है।

(ग) राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। भारत सरकार द्वारा कालाजार को फैलने से रोकने के लिए किंए गए विभिन्न उपाय इस प्रकार है:

(1) तेजी से निदान के कारण उपचार के अनुपालन को बढ़ाने हेतु नए और उपकरणों अर्थात् द्रुत नैदानिक किट और खाई जाने वाली औषध मिल्टेफोसाइन का विस्तार;

(2) बिहार में रोगी को मुफ्त आहार और एक परिचर तथा 50/- रुपए प्रतिदिन की दर से प्रोत्साहन;

(3) रोगी को भेजने तथा पूरा उपचार सुनिश्चित करने के लिए काला-अजार कार्यकर्ता को प्रोत्साहन;

(4) काला-अजार पखवाड़े के माध्यम से काला-अजार रोगी की खोज तेज करना;

(5) कड़े पर्यवेक्षण और मानीटरिंग के तहत केन्द्रित कार्यकलाप विशेषतौर से आन्तरिक अवशिष्ट छिड़काव (आईआरएस);

(6) रोगी कोडिंग योजना का आरंभ;

(7) ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से सबसे बुरी तरह से प्रभावित गरीबों के लिए पक्के घरों का निर्माण।

बिहार में काला-अजार के और रोगियों का पता लगाया गया और उनका उपचार किया गया है। जैसाकि ऊपर बताया गया है कि बिहार में कालाजार के रोगियों की संख्या में वृद्धि अनेक प्रोत्साहन शुरू करने के कारण है जिससे काफी संख्या में रोगियों को निजी क्षेत्र से सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की ओर लिया गया है। पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश में कालाजार के रोगियों की संख्या में कमी हुई है।

विवरण

भारत में वर्ष 2002 से काला-अजार की स्थिति

क्र.सं.	प्रभावित राज्य	2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008 (अनंतिम)	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1.	बिहार	9684	160	13960	187	17324	107	23383	124	29711	162	37819	172	14674	69
2.	दिल्ली	74	2	126	10	78	9	62	4	31	4	19	1	26	0
3.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	0	0
4.	उत्तर प्रदेश	32	1	34	1	34	2	73	2	83	0	69	1	33	0
5.	पश्चिम बंगाल	1592	5	1487	7	3015	23	2706	15	1843	10	1817	9	926	3
6.	झारखंड	758	0	2607	5	4028	14	6578	12	7508	11	4803	20	2106	3
7.	असम	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	93	0
8.	मध्य प्रदेश													1	0
9.	सिक्किम													4	1
	कुल	12140	168	18214	210	24479	155	32803	157	39178	187	44531	204	17836	76

वर्ष	रोगी	मौतें
2002	12140	168
2003	18214	210
2004	24479	155
2005	32803	157
2006	39178	187
2007	44533	203
2008 (अगस्त तक)	17836	76

सांप और बंदरों के काटने की घटनाएं

1503. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सांप और बंदरों के काटने की घटनाएं विश्व के अन्य भागों से बहुत अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो सांप और बंदरों के कारण कितने व्यक्तियों के मारे जाने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार की सांप और बंदरों द्वारा काटे गए व्यक्तियों के उपचार हेतु राष्ट्रीय नीति बनाने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़े के अनुसार देश में वर्ष 2006, 2007 के दौरान एवं 2008 में अब तक सांप के काटे जाने वाले व्यक्तियों एवं इस कारण होने वाली मौतों की संख्या निम्नलिखित है।

वर्ष	रोगी	मृत्यु
2006	61,507	1,124
2007	76,948	1,359
2008 में अब तक	45,001	464

यद्यपि बंदर के काटे जाने वाली घटनाओं से संबंधित आंकड़ा पृथक रूप से नहीं रखा जाता है तथापि कुत्ते के बाद बंदर दूसरा सर्वाधिक आम रूप से काटने वाला पशु है जो रेबीज के संक्रमण के लिए जिम्मेदार है। रेबीज के कारण होने वाले रोगियों/मौतों की

अभिपुष्ट संख्या वर्ष 2006 में 361, वर्ष 2007 में 244 एवं वर्ष 2008 में अब तक 132 है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार ने सांप के काटने के समुचित उपचार के लिए सांप के काटने के उपचार संबंधी राष्ट्रीय प्रोटोकाल को अंतिम रूप दे दिया है और इसे सभी राज्य सरकारों में परिचालित कर दिया है।

भारत सरकार, बंदर के काटने सहित अन्य पशु के काटने की घटना की रोकथाम एवं उपचार प्रबंधन के लिए तनकीकी सहायता एवं मार्गनिर्देश देती है। इसके अतिरिक्त, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में नई पहलों के अंतर्गत मानव रेबीज की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए एक प्रायोगिक परियोजना भी शुरू की गई है।

पश्चिमी तट पर कंटेनर कार्गो हैंडलिंग

1504. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पश्चिमी तट पर कंटेनर कार्गो की क्षमता और आवश्यकताओं की जांच करने हेतु स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार कार्गो हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि करने हेतु मुम्बई पत्तन न्यास का जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के साथ विलय करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने देश के पूर्वी और पश्चिमी तट पर महापत्तनों में कंटेनर संभलाई सुविधाओं के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। समिति महापत्तनों में कंटेनर संभलाई के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं, भीड़-भाड़ की अड़चनों और समस्याओं का पता लगाने आदि, संपूर्ण संभार तंत्र में सुधार के क्षेत्रों को ढूंढना, तथा बढ़ते हुए कंटेनर यातायात की चुनौतियों का सामना करने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन सिफारिशें करने संबंधी अध्ययन करेगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

राजधानी में क्षयरोग के मामलों में चिंताजनक वृद्धि

1505. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजधानी में क्षय रोग के मामलों में चिंताजनक वृद्धि की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राजधानी में क्षय रोग के मामलों में चिंताजनक वृद्धि को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को व्यापक रूप से डोट्स के रूप में जाना जाता है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संस्तुत कार्यनीति है। इसे देश में वर्ष 1997 से एक शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में चरणवार ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नए थूक पाजिटिव रोगियों की 85 प्रतिशत रोगियों की व्यवस्था दर प्राप्त करना और कम से कम 70 प्रतिशत ऐसे रोगियों का पता लगाना है। 23 मार्च, 2006 तक दिल्ली सहित देश के सभी राज्य संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं। इससे देश के सभी क्षयरोगियों को डोट्स की सुविधा मिलती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी क्षयरोगियों को क्षयरोग-रोधी औषधों की आपूर्ति सहित निदान और उपचार की सुविधाएं नि:शुल्क प्रदान की जाती है। गुणवत्तायुक्त निदान के लिए सामान्य क्षेत्रों में प्रति एक लाख जनसंख्या के लिए नि:शुल्क प्रदान की जाती है। गुणवत्तायुक्त निदान के लिए सामान्य क्षेत्रों में प्रति एक लाख जनसंख्या के लिए और आदिवासी, पर्वतीय, और दुर्गम क्षेत्रों में प्रति 50,000 की जनसंख्या के लिए नामित सूक्ष्मदर्शी केंद्रों की स्थापना की गई है। एक्सरे की बजाय थूक सूक्ष्मदर्शी अधिनिदान को रोकता है और संक्रामक रोगियों का पता लगाता है। देश में 12,250 से अधिक सूक्ष्मदर्शी केन्द्र स्थापित किए गए हैं। क्षयरोगियों को यह सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपचार के लिए पंजीकृत रोगी के लिए उपचार के पूरे कोर्स हेतु सभी औषधों के लिए दिन निर्धारित किया जा सके, रोगी-वार डिब्बे में औषधें दी जाती हैं।

उपचार केन्द्र (डोट्स केन्द्र) यथासंभव रोगियों के आवास के निकट स्थापित किए गए हैं। सभी सरकारी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप-केन्द्र डोट्स केन्द्र हैं। इसके अतिरिक्त, संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल गैर-सरकारी संगठन निजी चिकित्सा व्यवसायी, सामुदायिक स्वयं सेवक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला सेवादल इत्यादि भी डोट प्रदायकों, डोट्स केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं। औषधें सीधी देखरेख में प्रदान की जाती है और रोगियों को मानीटर किया जाता है ताकि वे अपना उपचार पूरा कर सकें।

दिल्ली में 24 कक्ष क्लीनिकों, 188 सूक्ष्मदर्शी केन्द्रों और 580 डोट केन्द्रों के माध्यम से संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है। सामुदायिक और चिकित्सा व्यवसायी को क्षयरोग के शुरू के चिन्हों और लक्षणों से अवगत कराया जाता है ताकि रोगी अपने आप रिपोर्ट कर सकें और उनको शुरू में ही निदान और उपचार के लिए भेजा जा सके।

दिल्ली में रोगी का पता लगाने और डोट्स के अंतर्गत उपचार पर रखे गए नए थूक पाजिटिव रोगियों की सफलता दर क्रमशः 90 और 85 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है।

पैकेज्ड फूड पर लेबल लगाने संबंधी मानदंड

1506. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पैकेज्ड फूड उत्पादों पर पोषण संबंधी सूचना दर्शाते हुए उन पर लेबल लगाने हेतु कोई मानदंड हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 32क के उपबंधों के अंतर्गत कोई भी खाद्य पदार्थ जिसे खनिजों, प्रोटीनों अथवा विटामिनों जैसे पोषकों से पुष्ट बनाए जाने का दावा किया गया है, उसके लेबल पर जोड़े गए ऐसे पोषकों की मात्राओं का ब्यौरा दिया जाएगा। तथापि, प्रीपेकेज्ड के खाद्य पदार्थ के लेबल लगाने से संबंधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 32 में संशोधन के ब्यौरे को सा.का.नि.सं. 664(ङ) दिनांक 19.9.2008 के तहत अधिसूचित किया गया है। यह संशोधन दिनांक 19.3.2009 से लागू हो जाएगा।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

खाद्य और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं

1507. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खाद्य और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2008-09 के दौरान देश में ऐसी और प्रयोगशालाएं स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है और ऐसे स्थान की पहचान हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में स्थित मौजूदा खाद्य और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन करने का है;

(ङ) चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि का प्रयोगशाला-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन पर किए गए अथवा संभावित खर्च का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) देश में केन्द्रीय खाद्य एवं औषधि जांच प्रयोगशालाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है, वर्ष 2008-09 के दौरान ऐसी और प्रयोगशालाएं स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) खाद्य और औषधि जांच प्रयोगशालाओं की सुविधाओं का उन्नयन एक सतत और निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि संबंधित प्रयोगशालाओं की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है।

विवरण

केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की सूची

क्र.सं.	नाम
1	2
1.	केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, थाणे, मुम्बई-400804 (महाराष्ट्र)

1	2
2.	केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता-700016 (पश्चिम बंगाल)
3.	केन्द्रीय भारतीय फार्माकोपिया प्रयोगशाला, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)
4.	केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चेन्नई-600003 (तमिलनाडु)
5.	क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, गुवाहाटी (असम)
6.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (हिमाचल प्रदेश)
7.	क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चंडीगढ

केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं की सूची

क्र.सं.	नाम
1	2
1.	केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, मुम्बई (महाराष्ट्र)
2.	केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, मार्फत राज्य जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, स्टेवली रोड, पुणे-411001 (महाराष्ट्र)
3.	केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, 3, किड स्ट्रीट, कोलकाता-700016 (पश्चिम बंगाल)
4.	खाद्य अनुसंधान एवं मानक प्रयोगशाला, गाजियाबाद-201001 (उत्तर प्रदेश)
5.	केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, सनौली (उत्तर प्रदेश)
6.	केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, मार्फत केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर-570013 (कर्नाटक)
7.	केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, रक्सौल (बिहार)

विदेश मंत्री की विदेश यात्राएं

1508. श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री अधीर चौधरी:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने हाल में अमरीका और अन्य देशों की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी यात्रा के दौरान की गयी चर्चाओं और हस्ताक्षरित समझौतों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (ग) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

यात्रा का स्थान/देश	यात्रा की तारीख	किए गए विचार-विमर्श	हस्ताक्षरित करार
1	2	.3	4
केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका	10-11 मई, 2008	आईबीएसए त्रिपक्षीय मंत्रालयीय आयोग की पांचवीं बैठक।	एक विज्ञप्ति जारी की गयी।
यूएई	12-14 मई, 2008	यूएई के विदेश मंत्री एचएच. शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहियान तथा अबू धाबी के शहजादे व शस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर एच.एच. जनरल शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर पर्याप्त तथा सफल विचार-विमर्श।	शून्य

1	2	3	4
येकातरिनबर्ग (रूस)	14-16 मई, 2008	भारत, रूस तथा चीन के विदेश मंत्रियों की चौथी पृथक त्रिपक्षीय बैठक तथा ब्राजील, रूस, भारत व चीन बीआरआईसी के विदेश मंत्रियों की पहली पृथक बैठक क्रमश: 15 व 16 मई, 2008 को आयोजित की गई थी। इन बैठकों में साझा हितों के साथ-साथ त्रिपक्षीय तथा चतुर्पक्षीय प्रारूपों में सहयोग से संबंधित क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था। विदेश मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री श्री सेगई लावरोव, चीन के विदेश मंत्री श्री यांग जिएची तथा स्वर्डलोवस्क क्षेत्र (येकातरिनबर्ग जिसकी राजधानी है) के राज्यपाल श्री ई.ई. रस्सल के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की।	त्रिपक्षीय तथा बीआरआईसी बैठकों की संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गयी।
इस्लामाबाद, पाकिस्तान	20-21 मई, 2008	संयुक्त वार्ता के चौथे दौर की समीक्षा।	भारत तथा पाकिस्तान के पध्य कोंसुलर सहायता पर करार।
जनवादी गणराज्य चीन	4-7 जून, 2008	विदेश मंत्री ने चीन के उप राष्ट्रपति श्री झि जिनपिन से मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों नेताओं ने भारत चीन संबंधों तथा 21वीं शताब्दी के विश्व में दोनों देशों की भूमिका के महत्व पर सकारात्मक विचार-विमर्श किया। अपने विचार-विमर्श के दौरान विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री श्री यांग जिएची ने जनवरी, 2008 में प्रधान मंत्री के चीन दौरे के दौरान हुई सहमति की समीक्षा की तथा यह विचार-विमर्श भी किया कि और विश्वास तथा सूझबूझ को ठोस रूप से किस प्रकार संवर्धित किया जाए।	ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ के मौसम में चीन द्वारा भारत को जल विज्ञान संबंधी सूचना की व्यवस्था के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
आस्ट्रेलिया	23 जून, 2008	विदेश मंत्री ने भारत आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की ढांचागत वार्ता के पांचवें दौर के लिए कैनबरा का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री के साथ-साथ प्रधान मंत्री से मुलाकात की तथा द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। इस दौरे से विविध क्षेत्रों में गठबंधन को मजबूत बनाने के साधनों तथा द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति का जायजा लेने का अवसर प्राप्त हुआ।	इस दौरे के दौरान प्रत्यर्पण संधि तथा पारस्परिक विधिक सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।
मिश्र	1-3 जुलाई, 2008	राष्ट्रपति हुस्ने मुबारक से मुलाकात की तथा मिस्र के विदेश मंत्री अहमद अबुल घिएट के साथ विचार-विमर्श किया। इन बैठकों के दौरान द्विपक्षीय संबंधों तथा साथ ही इस क्षेत्र की स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया गया था।	इस दौरे के दौरान किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

1	2	3	4
		विदेश मंत्री ने अरब लीग राज्य के महासचिव श्री अमरे मूसा से भी मुलाकात की तथा अरब लीग के साथ-साथ इसके सदस्य देशों के साथ भारत के संबंधों की समीक्षा की।	
तेहरान	29-30 जुलाई, 2008	गुट निरपेक्ष आंदोलन के 15वें मंत्रालयी सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया; ईरान, क्यूबा, श्रीलंका, बेलारूस, साइप्रस व अल्जीरिया के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की तथा ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के साथ मुलाकात की।	कोई नहीं।
कोलंबो, श्रीलंका	31 जुलाई- 3 अगस्त, 2008	मंत्रिपरिषद तथा 15वां सार्क सम्मेलन। सार्क से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया।	चार करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे: (1) सार्क विकास कोष (एसडीएफ) की स्थापना से संबंधित चार्टर (2) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन (सारसो) की स्थापना से संबंधित करार (3) आपराधिक मामलों में पारस्परिक सहायता (एमएसीएम) से संबंधित सार्क अधिसमय (4) साफ्ता से संबंधित करार में अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य के अधिग्रहण का प्रोतोकोल
न्यूयार्क	28 सितंबर- 2 अक्तूबर, 2008	अन्तर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस (2 अक्तूबर) को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनौपचारिक बैठक; अलमाटी कार्य योजना की मध्यावधि समीक्षा (2 अक्तूबर) पर यूएनजीए की उच्च स्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यूएनजीए की बैठक के आयोजन के अवसर पर निम्नलिखित बैठकों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया: भारत जीसीसी राजनीतिक वार्ता (29 सितंबर) का चौथा दौर	कोई नहीं

1	2	3	4
		यूएनजीए (29 सितंबर) की बैठक के अवसर पर आईबीएसए पहल के संबंध में मंत्रालीय बैठक यूएनजीए की बैठक के अवसर पर चेकोस्लाविया गणराज्य, जार्डन, नेपाल नाईजीरिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, व त्रिनिडाड तथा टोबेगो के विदेश मंत्रियों व महासभा के अध्यक्ष तथा संयुक्त राष्ट्र महा सचिव के साथ द्विपक्षीय बैठकें आयोजित कीं।	
वाशिंगटन, यूएसए	10-11 अक्तूबर, 2008	इस यात्रा का उद्देश्य भारत-यूएस के मध्य असैनिक परमाणु करार पर हस्ताक्षर करना था।	भारत-यूएस असैनिक परमाणु करार।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1509. श्री नन्द कुमार साय: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण में प्रत्यक्ष विदेश निवेश का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु किन परियोजनाओं की पहचान की गई है और इस संबंध में किए गए कार्य की स्थिति क्या है तथा वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान इस उद्देश्य हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति प्रदान की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत सभी परियोजनाओं को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी निविदा प्रक्रिया के आधार पर सौंपा जाता है।

(ख) सौंपी गई एफडीआई परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। एफडीआई के लिए अलग से कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि सभी परियोजनाओं को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी निविदा प्रक्रिया के आधार पर सौंपा जाता है।

विवरण

एफडीआई परियोजनाएं-31 अक्तूबर, 2008 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	खंड	एच सं.	लंबाई	कुल लागत	स्थिति	एजेंसी और राष्ट्रीयता		ऋणदेयक एवं राष्ट्रीयता	
1	2	3	4	5	6	7		8	
1.	गुड़गांव-कोटपुतली	8	126	251	4 लेन	पीएसपी-आरपीएम-पीएचआई (सं.उ.)	भारत-इंजी. मलेशिया सं.उ.	एसएचसी लि.	आस्ट्रेलिया
2.	कोटा से चित्तौड़गढ़ (आरबे-7)	76	63	503.66	कार्यान्वयन के अधीन	सीईसी-हिन्दुस्तान कंस्ट्र. कं. लि. (सं.उ.)	चीन-भारत सं.उ.	स्टानले कंसलटेंट्स	यूएसए
3.	राजमार्ग चौराहा से लखनादून (एडीबी-II/सी-8)	26	54	251.03	कार्यान्वयन के अधीन	ससंगयोंग इंजीनियरिंग कंस्ट्र. कं.	द. कोरिया	रेनार्डेट एसए-आईसीटी प्रा.लि. (सं.उ.)	स्विट्जरलैंड-भारत
4.	सागर-राजमार्ग चौराहा (एडीबी-II/सी-6)	26	44	203.43	कार्यान्वयन के अधीन	ससंगयोंग इंजीनियरिंग कंस्ट्र. कं.	द. कोरिया	ऐटन इंटरनेशनल-सीईसी लि. (सं.उ.)	यूके-भारत
5.	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-II/सी-12)	7	42.6	239.19	कार्यान्वयन के अधीन	कोंटिनेंटल इंजी. कार्पो.	ताईवान	सीईसी भारत	भारत

1	2	3	4	5	6	7		8	
6.	रत्न/म.प्र. सीमा से कोटा	76	43.15	259.43	कार्यान्वयन के अधीन	रत्नये कंस्ट्रक्शन लि.	मलेशिया	विलमर लिमय इंजीनियर्स	यूएसए
7.	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-II/सी-10)	7	40	194.8	कार्यान्वयन के अधीन	सीजीजीसी-सोमा (सं.उ.)	चीन-भारत सं.उ.	सीईएस भारत	भारत
8.	चित्तौड़गढ़ बाइपास (आरबे-6)	76	40	447.9	कार्यान्वयन के अधीन	चीन गेझौबा ग्रुप और फ्यर (ग्रुप) कं.लि.	चीन	स्टानले कंसलटेंट्स	यूएसए
9.	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-II/सी-15)	7	45.6	243.64	कार्यान्वयन के अधीन	सीजीजीसी-सोमा (सं.उ.)	चीन-भारत सं.उ.	स्टेक्टीस्ट-फ्रांस	भारत-फ्रांस
10.	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-II/सी-11)	7	42.4	208.46	कार्यान्वयन के अधीन	सीजीजीसी-सोमा (सं.उ.)	चीन-भारत सं.उ.	सीईएस भारत	भारत
11.	चित्रदुर्ग-सीरा	4	66.7	304	4 लेन	यूईएम-एस्सार (सं.उ.)	मलेशिया-भारत सं.उ.	तुईस बर्जर	भारत
12.	नंदीगांव-विजयवाड़ा	9	48	0	4 लेन	वीएसपी-आरवीएम-पीएटीआई (सं.उ.)	भारत-मलेशिया सं.उ.		
13.	रानीगंज-धनबाद	2	42	137	4 लेन	वीएसपी-आरवीएम-पीएटीआई (सं.उ.)	भारत-मलेशिया सं.उ.	सयमंद्स ट्रेवर्स मोरगन लि.	यूके
14.	इलूरु-विजयवाड़ा पैकेज-V	5	72	134	4 लेन	मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लि.-बीकानेर (सं.उ.)	भारत-मलेशिया सं.उ.	कैम्पसाक्स ईदर सं.उ.	डेनमार्क-यूके
15.	अतुल-कच्छली	8	38.6	174.59	4 लेन	एलबी एंबी. और कंस्ट्रक्शन लि.-पटेल इंजीनियरिंग	कोरिया-भारत सं.उ.	सीईएस-सीसीईओएम-सकैटीस्ट इन-ट्रास्ट्स	भारत-फ्रांस-फ्रांस-भारत
16.	सूरत (चलथन)-अतुल	8	79.6	504.6	4 लेन	एसकेईसी-डोडसल	कोरिया-भारत सं.उ.	सीईएस-सीसीईओएम-सकैटीस्ट इन-ट्रास्ट्स	भारत-फ्रांस-भारत-फ्रांस
17.	बरवा अड्डा-बरकट्ठ	2	43	120	4 लेन	वीएसपी-आरवीएम-पीएटीआई (सं.उ.)	भारत-मलेशिया सं.उ.	सयमंद्स ट्रेवर्स मोरगन लि.	यूके
18.	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-14)	7	42	205.92	कार्यान्वयन के अधीन	सीजीजीसी-सोमा (सं.उ.)	चीन-भारत सं.उ.	स्कैटीस्ट-फ्रांस	भारत-फ्रांस
19.	ओरई से झांसी (यूपी-4)	25	66	451.97	कार्यान्वयन के अधीन	रत्नये कंस्ट्रक्शन लि.	मलेशिया	रेंकाडेट एस ए	लिक्टनस्टीड
20.	गडगपोड़ से बामनबोर (पैकेज-III)	8ए	71.4	380.7	कार्यान्वयन के अधीन	डोलिम इंडस्ट्रीयल कार्पो. लि.-जगदीश कंस्ट्रक्शन कं.लि. (सं.उ.)	कोरिया-भारत सं.उ.	मे. स्टानले-सीईएस भारत प्रा.लि.	यूएसए-भारत
21.	जेतपुर से पिसावी (पैकेज-III)	8बी	64.5	508.5	कार्यान्वयन के अधीन	लॉगचिवान रोड एंड ब्रिज लि.	चीन	मे. स्टानले-सीईएस भारत प्रा.लि.	यूएसए-भारत
22.	पिसावी से पोरबंदर (पैकेज-I)	8बी	50.5	276.07	4 लेन	लीमक-सोमा (सं.उ.)	हुर्जा-भारत सं.उ.	मे. स्टानले-सीईएस भारत प्रा.लि.	यूएसए-भारत
23.	रायबार्ग चौराहा से लखनादून (एडीबी-II/सी-9)	26	54.7	229.91	कार्यान्वयन के अधीन	सवांगयोंग इंजीनियरिंग कंस्ट्र. कं.	द. कोरिया	रेंकाडेट एसए-आईसीटी प्रा.लि. (सं.उ.)	लिक्टनस्टीड-भारत
24.	सिमपुरी बाइपास से म.प्र./उत्त. सीमा (डब्ल्यू-II-एसपी-1)	25.76	53	360.34	4 लेन	सीएसपीएमके-सोमा (सं.उ.)	चीन-भारत सं.उ.	रेंकाडेट एसए	लिक्टनस्टीड
25.	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-II/सी-13)	7	40	243.38	कार्यान्वयन के अधीन	कोटिरेंगा इंबी. कार्पो.	कर्नाटक	स्कैटीस्ट-फ्रांस	भारत-फ्रांस

1	2	3	4	5	6	7		8	
26.	झांसी-शिवपुरी (एडब्ल्यू-II-एनबी-2)	25	35	213.69	कार्यान्वयन के अधीन	आईटीडी-जीएम इंडिया (सं.उ.)	यूके-भारत सं.उ.	रेनाडेट एसए	स्विट्जरलैंड
27.	गागोधरा से गागमेड (पैकेज-IV)	15, 8V	90.3	479.54	कार्यान्वयन के अधीन	डेलिम इंडस्ट्रीयल कार्पो. लि.-नगार्जुन कंस्ट्रक्शन कं.लि. सं.उ.	कोरिया-भारत सं.उ.	मे. खर्स ब्रोस	डेनमार्क
28.	दोस्त से राघनपुर (पैकेज-VI)	14	85.4	479.74	4 लेन	डेलिम इंडस्ट्रीयल कार्पो. लि.-नगार्जुन कंस्ट्रक्शन कं.लि.	कोरिया-भारत सं.उ.	मे. खर्स ब्रोस	डेनमार्क
29.	खगर खाचरस (एडीबी-2/सी-V)	26	26	151.3	कार्यान्वयन के अधीन	सलांगयोंग इंजीनियरिंग कंस्ट्र. कं.	द. कोरिया	रोटन इंटरनेशनल-सीईसी लि. (सं.उ.)	यूके-भारत
30.	ललितपुर-खगर (एडीबी-II/सी-4)	26	55	225	कार्यान्वयन के अधीन	आईवेएम कार्पो.	मलेशिया	रोटन इंटरनेशनल-सीईसी लि. (सं.उ.)	यूके-भारत
31.	राघनपुर से गागोधर (पैकेज-V)	15	106.2	410.24	4 लेन	चिलिन-सद्भाव (सं.उ.)	चीन-भारत सं.उ.	मे. खर्स ब्रोस	डेनमार्क
32.	चनगढ़-पलसित	2	64.457	350	4 लेन	गमुद्रा मलेशिया-डब्ल्यूबीटी मलेशिया	मलेशिया	इतालभो लि.	यूके
33.	अंकापल्ली-तुनी	5	58.947	283.2	4 लेन	जीएमआर-तुनी-अंकापल्ली एक्सप्रेस लि.	भारत-मलेशिया सं.उ.	डोर्च कंसल्टेंट्स	जर्मनी
34.	पलसित-दनकुनी	2	65	432.4	4 लेन	कंसोर्टियम आफ गोमुद्रा (मलेशिया) और डब्ल्यूसीटी इंजीनियरिंग (मलेशिया)	मलेशिया	डोर कंसल्टेंट	जर्मनी
35.	ग्वालियर-झांसी	75	80	604	कार्यान्वयन के अधीन	डीएसडी-अशोका कंसोर्टियम	भारत-यूके सं.उ.	ग्रांटशिप खर्स ब्रोस-ईएमए (सं.उ.)	डेनमार्क-भारत
36.	तंबरम-टिंडीवनम	45	93	375	4 लेन	तंबरम-टिंडीवनम एक्सप्रेसवे प्रा.लि. (कंसोर्टियम आफ जीएमआर कंसोर्टियम और चूं मलेशिया)	भारत-मलेशिया सं.उ.		
37.	विवेकानंद पुल और पहुंचमार्ग	2	6	641	4 लेन	एसबीबीटीजी कंसोर्टियम आफ पेसेफिक अलायंस इन-पीबीआईडीसी-एसटीआरएडीसी इन. सर्वेइस और एस एंड टी	यूएसए-फिलिपिन्स-भारत	मे. स्कलेच बर्जरमेन एंड पार्टनर	जर्मनी
38.	सलेम से कूर (एनएस-2/टीएन-2)	7	41.55	253.5	कार्यान्वयन के अधीन	मे. एमवीआर-एआरके-जेआईसी (सं.उ.) [एमवीआर इंफ्रा. एंड टोलवे प्रा.लि.]	भारत-चीन सं.उ.	स्पैन कंसल्टेंट	भारत
39.	चित्कासूरीपेट-विजयवाड़ा (6 लेन)	5	82.5	572.3	कार्यान्वयन के अधीन	आईवेएम कार्पो. बरहार्ड-आईडीएफसी लि.	मलेशिया-भारत		
40.	सूरत-दहीसर (6 लेन)	8	239	1405.57	कार्यान्वयन के अधीन	आईआरबी इन्फ्रा. डेवलपर्स लि. डायशे बैंक एजी	भारत-सिंगापुर		
41.	मधुआ-जबपुर	11	108	483	कार्यान्वयन के अधीन	जेएमटीपीएल (1) कार्पो. प्रोजेक्ट	मलेशिया	आईसीटी	भारत
42.	औरंग-राबपुर	6	45	190	कार्यान्वयन के अधीन	अशोका (यूके)-जेएलआई (यूके)-डीएसडी (भारत)-एलजेआर (यूके) कंसोर्टियम	यूके-भारत सं.उ.	रेनाडेट एसए-पौडवैक टर्नकी इंजीनियर्स	स्विट्जरलैंड-भारत

1	2	3	4	5	6	7		8	
43.	जसू-डबलेट-जडलपुर (पैकेज-VI-बी)	45	92.75	460	कार्यान्वयन के अधीन	आईवेएम-कमूर्ती पावोबी (सं.उ.) (त्रिची टोलवे प्रा.लि.)	मलेशिया-भारत सं.उ.		
44.	दिल्ली-गुड़गांव खंड (चूंगी नियंत्रित 8/6 लेन)	8	27.7	710	8 लेन	जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लि.-डीएस कंस्ट्र. लि.	भारत-भारत	मे. खट्टर लि.-सेलडिया-एलआर कांडिवाली (सं.उ.)	भारत-यूएसए
45.	नेल्लोर-टाडा (एपी-7)	5	110.517	621.35	4 लेन	सीआईडीसीआई मलेशिया	मलेशिया	लुईस बर्जर ग्रुप इन.	यूएसए
46.	सीतापुर-लखनऊ	24	75	322	कार्यान्वयन के अधीन	अफेल्ते (फ्रांस)-वेस्टमाई (फ्रांस)-डीएसवी (भारत)-एलओआर (फ्रांस) कंसोर्टियम	फ्रांस-भारत सं.उ.	विलफर जिम इंजीनियर्स इन. (यूएसए)-डब्ल्यूएसए प्रा.लि. (भारत)	यूएसए-भारत
47.	चनोदा-खासंघर (6 लेन)	1	291	2288	कार्यान्वयन के अधीन	आइसोलक्स कोर्सन कंसेशन्स एसए-कोर्सन कोर्विम कंस्ट्रक्शंस एसए-सोम एन्टराग्रुप लि.	स्पेन-भारत		
48.	नंदीगांव-विजयवाड़ा	9	35	138.65	4 लेन	सीआईडीसीआई मलेशिया	मलेशिया	एसपीसीआई	यूएसए
49.	गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर (6 लेन)	8	225.6	1673.7	कार्यान्वयन के अधीन	अमीरात ट्रेडिंग एजेंसी एसएसी-केएमसी कंस्ट्रक्शन लि.	दुबई-भारत		
50.	नैनी के निकट यमुना नदी पर केबल आधारित पुल	27	6	219.78	4 लेन	हुर्दा-हिंदुस्तान कंस्ट्र. कं.लि.	कोरिया-भारत सं.उ.	सीओवाय्यूआई-स्पेन सं.उ.	डेनमार्क-भारत
51.	विजयवाड़ा-चिल्कालूरीपेट पैकेज-II	5	32	80	4 लेन	आईवेएम-गवणी	मलेशिया-भारत सं.उ.	लुईस बर्जर-निप्पन-केअोआई-जीईएस (सं.उ.)	यूएसए-जापान-भारत
52.	विजयवाड़ा-चिल्कालूरीपेट पैकेज-I	5	25	60	4 लेन	आईवेएम-गवणी	मलेशिया-भारत सं.उ.	लुईस बर्जर-निप्पन-केअोआई-जीईएस (सं.उ.)	यूएसए-जापान-भारत
53.	विजयवाड़ा-चिल्कालूरीपेट पैकेज-III	5	23.78	68	4 लेन	आईवेएम-गवणी	मलेशिया-भारत सं.उ.	लुईस बर्जर-निप्पन-केअोआई-जीईएस (सं.उ.)	यूएसए-जापान-भारत
54.	धनकुनी-कोलकाटा (डब्ल्यूबी-I)	6	54.4	393	4 लेन	आरवीएम-पीएटीआई (सं.उ.)	मलेशिया	आईवीटी-एसएमसी सेक्यूरिटास	भारत-कनाडा
55.	चेन्नै बाइपास चरण-I	4, 45	19	75	2 लेन	आईवेएम-डायम कंस्ट्रक्शन लि.	मलेशिया-भारत सं.उ.	जीईएस भारत लि.	भारत
56.	रात संपर्क से आईसीटीटी कलमारपदम	47सी	17.2	557	कार्यान्वयन के अधीन	सनकॉन-सोम (सं.उ.)	मलेशिया-भारत सं.उ.	ली इलेक्ट्रिकल्स डायग एशिया (प्रा.) लि.	भारत
57.	गुलबर्गा-चीतापुर बाइपास (केयू-III)	79	50	164.25	4 लेन	ईसीएसवी-केएसआरसी (सं.उ.)	मलेशिया-भारत सं.उ.	एसएमसी सेक्यूरिटास इंटरनेशनल	कनाडा
58.	कटराज-सरोले (पीएस-III)	4	28.5	97.9	4 लेन	सत्य कंस्ट्र. प्रा.लि. एंड टेक्न टेक्सस	भारत-ईरान सं.उ.	स्पेन कंसलटेंट्स-सत्यमंट्स (सं.उ.)	भारत
59.	धोपुरघाट खंड (एनएस/14)	7	7.4	33.74	4 लेन	पी.टी. सुम्बेर निप जय	इंडोनेशिया	मे. खट्टर लि.	भारत
60.	कस्बर आरओबी का निर्माण	7	0.84	12.15	4 लेन	पी.टी. सुम्बेर निप एंड जय एंड पुंज लाम्ब	इंडोनेशिया-भारत सं.उ.	मे. खट्टर लि.	भारत

1	2	3	4	5	6	7		8	
61.	चंबल पुल (आरजे-5)	76	1.4	281.31	कार्यान्वयन के अधीन	हुदई इंजी. कंस्ट्र. कं. लि.-मे. गैमन इंडिया लि.	कोरिया-भारत सं. 3	सुई वर्कर-सीओडब्ल्यूआई	यूएस-डेनमार्क
62.	कोटा बाइपास (आरजे-4)	76	25	250.39	कार्यान्वयन के अधीन	आईटीडी-सीम इंडिया (सं.उ.)	थाईलैंड-भारत सं.उ.	वैदुन-लीग एसएनडी जीएचडी-आर्टईफेक्ट प्रोजेक्ट्स (सं.उ.)	मलेशिया-भारत
63.	असम/प बं. सीमा से गैरकाटा (डब्ल्यूबी-1)	31सी	32	221.82	कार्यान्वयन के अधीन	टिलिंग थाई डव. प्रोजेक्ट्स कं. लि.	थाईलैंड	मे. लुईस बर्जर ग्रुप. इन	यूएसए
64.	हरंगाजो से मैवेंग (एएस-22)	54	24	196	कार्यान्वयन के अधीन	कॉन्टिनेंटल इंजी. कार्प.	दक्षिण		
65.	हरंगाजो से मेवेंग (एएस-21)	54	26	212	कार्यान्वयन के अधीन	कॉन्टिनेंटल इंजी. कार्प.	दक्षिण		
66.	बेलगांव-धारवाड़	4	62	279	4 लेन	सनबे कंस्ट्रक्शन लि. बी एंड आर इन्फ्रा एंड कं.	मलेशिया-भारत सं.उ.	रोटन इंटरनेशनल-सीईजी	यूके-भारत
67.	चिलकलूरीपेट-ओंगोले (एपी-13)	5	66	319.21	4 लेन	आईवेएस-गम्मन	मलेशिया-भारत सं.उ.	केएम इंटरनेशनल और सेक्कॉम सर्वेय लि.	स्वीडन-भारत
68.	बेलगांव बाइपास	4	18	115.9	4 लेन	सनबे कंस्ट्रक्शन लि. बी एंड आर इन्फ्रा कंड कं.	मलेशिया-भारत सं.उ.	रोटन इंटरनेशनल-सीईजी	यूके-भारत
69.	चित्तौड़गढ़-मगलवाड़ (केवी-V)	76	48	161.2	4 लेन	मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लि.-बीनपुरी (सं.उ.)	भारत-मलेशिया सं.उ.	एसएमईसी इंटरनेशनल पैटीचार्ड लि.	आस्ट्रेलिया
70.	बालाघोर-भादक (ओआर-III)	5	62.64	227.25	कार्यान्वयन के अधीन	एस्ट्राबेस-टीडब्ल्यूएस शंकर नारायण रोड्डी (सं.उ.)	स्पेन-भारत सं.उ.	सेटराडिस एसोसिएट्स इन.	यूएसए
71.	रतनपुर-हिम्मतनगर (एचडी-III)	8	54.6	182.29	4 लेन	मुखर्जा-आईआरबी	मलेशिया-भारत सं.उ.	एसटीयूपी कंसलटेंट्स लि.-बंगलादेश कंस्ट्र.	भारत-बंगलादेश
72.	ओंगोले-कनाली (एपी-12)	5	72	321.41	4 लेन	एचजो-एचयूपी-सिम्प्लेक्स (सं.उ.)	मलेशिया-भारत सं.उ.	के एम इंटरनेशनल और सेक्कॉम सर्वेय लि.	स्वीडन-भारत
73.	गोचामी-गुंटुगोलनु (एपी-18)	5	81.08	323.35	4 लेन	लीमक-जोम (सं.उ.)	कुवैत-भारत सं.उ.	एसएमजी-लेवलीन इंट. आरवी एसोसिएट्स	कनाडा-भारत
74.	खुर्दा-सुनखला (ओआर-VI)	5	52.058	189.68	4 लेन	पैटी सुन्दर मिश्र चन्द-रोहित कुमार-श्री दुर्गा कंस्ट्रक्शन (सं.उ.)	इंडोनेशिया-भारत सं.उ.	डीएचवी इंटरनेशनल यीवी	नीदरलैंड
75.	भोगपुर से जालंधर (एनएस-16/पीबी)	1ए	21.77	71.18	4 लेन	दुधी इर्थ्रो	मलेशिया	मै. इंजी. एंड मैनेज. एसोसिएट्स	भारत
76.	अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे चरण-I	8	43.4	165	4 लेन	पैटी सुन्दर मिश्र चन्द	इंडोनेशिया	सीईएस-इलाक्को एसोसिएशन	भारत-यूके
77.	अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे चरण-II	एनए	50	365	4 लेन	एलवी इंजी. और कंस्ट्रक्शन लि.-जयपुरिया कंस्ट्रक्शन कं. लि.	कोरिया-भारत सं.उ.	सीईएस-इलाक्को एसोसिएशन	भारत-यूके

1	2	3	4	5	6	7		8	
78.	गोहार-बरवा अड्डा (टीएनएचपी/V-सी)	2	78.75	399.745	कार्यान्वयन के अधीन	प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि.-सनमे धराइर्ड (सं.उ.)	भारत-मलेशिया सं.उ.	एमएमईसी भारत	भारत
79.	सिकंदरा-धौंटी (टीएनएचपी/II-ए)	2	62	323.62	4 लेन	आईटी चर्च एंड सेमरत विल्डर्स इंडिया (सं.उ.)	फ्रांसिस-भारत	वीईसीओएल-एसटीपूपी-आरवी	फ्रांस-भारत
80.	फलोदपुर-खाजा (टीएनएचपी/II-सी)	2	77	372.4	कार्यान्वयन के अधीन	सेन्ट्रोडोरस्ट्रोय रसिया	रसिया	वीईसीओएल-एसटीपूपी-आरवी	फ्रांस-भारत
81.	इंटाव-राजपुर (जीटीआरआईपी/I-सी)	2	72.825	348.444	4 लेन	पैरटीआर्ड-चीईस्ट (सं.उ.)	मलेशिया-भारत सं.उ.	सीईएस भारत लि. चीईसीए (सं.उ.)	भारत-यूकीसैड
82.	मोहनिया-डालगाम (टीएनएचपी/IV-सी)	2	45	230.55	4 लेन	एलपी इंफ्रा. और कंस्ट्रक्शन लि.	द. कोरिया	आईवीटी प्रा.लि.	भारत
83.	डेहरी-आन-सोन-औरंगाबाद (टीएनएचपी/IV-डी)	2	40	242.61	4 लेन	सामंगवोन कोरिया-ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्रा.लि.	कोरिया-भारत सं.	आईवीटी प्रा.लि.	भारत
84.	बरवासी-मोहनिया (जीटीआरआईपी/IV-ए)	2	76	467.93	कार्यान्वयन के अधीन	प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि.-सनमे धराइर्ड (सं.उ.)	भारत-मलेशिया सं.उ.	एन.जी.सी. इंटरनेशनल	कनाडा
85.	इंडिया-वाराणसी (टीएनएचपी/IV-सी)	2	72	286	4 लेन	सेन्ट्रोडोरस्ट्रोय रसिया	रसिया	एमएमईसीएसआरडीटी (सिंगापुर) प्रा.लि.	सिंगापुर

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मेडिकल तथा ई-कचरा

1510. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री चन्द्रभूषण सिंह:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रतिवर्ष भारी मात्रा में हानिकारक मेडिकल तथा ई-कचरे का पाटन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कचरे के शीघ्र निपटान तथा ऐसे कचरे के पाटन को रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार दिल्ली में प्रति वर्ष लगभग 2400 टन जैव चिकित्सा अपशिष्ट पैदा होता है। दिल्ली में दो सामूहिक जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधाएं प्रचालन में हैं। इसके अलावा 22 स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाएं हैं जहां जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधाएं उपलब्ध हैं। उ.प्र. में तीन सी बी डब्ल्यू टी. एफ, हरियाणा में तीन सी बी डब्ल्यू टी एफ और राजस्थान में एक सी बी डब्ल्यू टी एफ है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सहित अपने-अपने राज्य में पैदा होने वाले जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का शोधन कर रहे हैं।

ई-वेस्ट की समस्या पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) ई-वेस्ट का पर्यावरणीय अनुकूल प्रबंधन करने संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और अनुमोदित दिशानिर्देश पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट्स (अर्थात् क्रमश: www.envfor.nic.in और www.cpcb.nic.in) पर उपलब्ध कराए गए हैं।

इन दिशानिर्देशों में ई-वेस्ट की पर्यावरणीय अनुकूल प्रबंधन प्रणाली और कार्यपद्धति का उल्लेख किया गया है जिनमें ई-वेस्ट की संरचना, आर्थिक महत्व की वस्तुओं के पुन: चक्रण की संभावना तथा ई-वेस्ट में संभावित परिसंकटमय पदार्थों की पहचान का विवरण दिया गया है। दिशानिर्देशों

में पुन: चक्रण, पुन: प्रयोग और रिकवरी विकल्पों, शोधन और निपटान विकल्पों तथा पर्यावरणीय अनुकूल ई. वेस्ट शोधन प्रौद्योगिकियों आदि का उल्लेख भी किया गया है।

2. परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियमावली, 2008 के उपबंधों के अनुसार उक्त नियमों की अनुसूची-4 में क्रम सं. 18 पर सूचीबद्ध परिसंकटमय इलैक्ट्रानिक अपशिष्ट का पुन:चक्रण अथवा पुन: संसाधित करने वाली इकाइयों के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है ताकि इन अपशिष्टों के संबंध में पर्यावरणीय दृष्टि से बेहतर प्रौद्योगिकियां अपनाई जा सकें।

[अनुवाद]

रेडिएशन एमरजेन्सी रेसपोन्स सेन्टर

1511. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार परमाणु आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए देश के विभिन्न भागों में रेडिएशन एमरजेन्सी रेसपोन्स सेन्टर का एक नेटवर्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी लागत सहित मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ होने की संभावना है; और

(घ) देश में ऐसे केन्द्र कब तक कार्यशील हो जाने की संभावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने, 10.00 करोड़ रुपए की लागत पर देश भर में परमाणु ऊर्जा विभाग की विभिन्न संस्थापनाओं में अठारह आपातकालीन प्रतिक्रिया केन्द्र (डीएई-ईआरसीज) स्थापित किए हैं। डीएई-ईआरसीज के पास, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा, विकिरणात्मक स्थिति का तुरंत आकलन करने के लिए विभिन्न विकिरण मानीटरन प्रणालियां हैं। विभिन्न मानीटरन प्रणालियों के रख-रखाव और प्रशिक्षण पर प्रतिवर्ष लगभग 30.00 लाख रुपए की लागत आती है।

(ग) डीएई-ईआरसीज, आबादी वाले क्षेत्र को प्रभावित करने वाली नाभिकीय/विकिरणात्मक आपात स्थितियों की अप्रत्याशित संभाव्य घटनाओं की स्थितियों से निपटने के लिए समय पर कार्रवाई करने में 'आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (ईआरटी)' की सहायता करने के अलावा, उपर्युक्त स्थितियों का सामना करने के लिए स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा एजेंसियों को उपयुक्त प्रत्युपाय/बचाव के उपाय करने में सलाह देंगे और उनकी सहायता करेंगे।

(घ) ये सभी अठारह डीएई-ईआरसीज काम कर रहे हैं, और विकिरण मानीटरन प्रणाली/सुरक्षात्मक साज-समान को उन्नत बनाने के लिए कार्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

होम्योपैथिक दवाओं की कीमतें

1512. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में होम्योपैथिक दवाएं महंगी हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इनकी बढ़ती कीमतों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने हेतु कानून बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय होम्योपैथिक विनिर्माता परिसंघ (एफओएचएमआई) ने कहा है कि अधिकांश विनिर्माताओं ने निवेश, विनिर्माण लागत, मजदूरी, परिवहन आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण औषधियों के मूल्यों का 7% से 10% तक बढ़ा दिया है।

(ग) होम्योपैथिक औषधियों की कीमतों का अनुवीक्षण करने संबंधी कोई भी संस्थागत तंत्र विद्यमान नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) लागू नहीं।

राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ पौधरोपण

1513. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ पौधरोपण कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तमिलनाडु सहित राजमार्गों के वे कौन-कौन से खंड हैं जहां पर पौधरोपण किया गया है अथवा किया जा रहा है;

(ग) क्या उचित देखभाल के अभाव में बड़ी संख्या में पेड़ मर गए हैं या सूख गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां।

(ख) राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	खंड	राज्य	राष्ट्रीय राजमार्ग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	62.5 किमी. से 117.0 किमी.	गुजरात	8बी	पौधरोपण प्रगति पर
2.	11.38 किमी. से 75.5 किमी.	उत्तर प्रदेश	25	पौधरोपण प्रगति पर
3.	लखनऊ बाइपास	उत्तर प्रदेश	25	पौधरोपण प्रगति पर
4.	75.5 किमी. से 80.6 किमी.	उत्तर प्रदेश	25	पौधरोपण प्रगति पर
5.	449 किमी. से 422 किमी.	उत्तर प्रदेश	2	पौधरोपण प्रगति पर
6.	255 किमी. से 220 किमी.	उत्तर प्रदेश	25	पौधरोपण प्रगति पर
7.	410.700 कि.मी. से 420.300 कि.मी.	बिहार	31	पौधरोपण प्रगति पर
8.	447.00 से 470.00 किमी. और 475.150 किमी. से 498.800 किमी.	पश्चिम बंगाल	31	पौधरोपण प्रगति पर
9.	आगरा-शिकोहाबाद (जीटीआरआईपी/1-ए) 199.66 किमी. से 250.500 किमी.	उत्तर प्रदेश	2	वन विभाग द्वारा पौधरोपण कार्य शुरू किया जा रहा है जिसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वन विभाग को धनराशि पहले ही जमा करा दी गई है।
10.	शिकोहाबाद-इटावा (जीटीआरआईपी/1-बी) 250.500 किमी. से 307.500 किमी.	उत्तर प्रदेश	2	
11.	इटावा बाइपास शेष कार्य 307.500 किमी. से 321.100 किमी.	उत्तर प्रदेश	2	
12.	इटावा राजपुर (जीटीआरआईपी/1-सी) 321.00 किमी. से 393.00 किमी	उत्तर प्रदेश	2	
13.	खागा-हंडिया (टीएनएचपी/IIIए) 115 किमी. से 158 किमी.	उत्तर प्रदेश	2	वन विभाग द्वारा पौधरोपण कार्य पूरा किया गया
14.	हंडिया-वाराणसी (टीएनएचपी/IIIसी) 245 किमी. से 317 किमी.	उत्तर प्रदेश	2	वन विभाग द्वारा पौधरोपण कार्य पूरा किया गया
15.	IV डी देहरी-ऑन सोन-औरंगाबाद (140 किमी. से 180 किमी.)	बिहार	2	सिविल पैकेज के बी ओ क्यू उपबंध, के अनुसार ठेकेदार द्वारा रोड साइड के साथ-साथ पौधरोपण कार्य किया गया

1	2	3	4	5
16.	Vए औरंगाबाद-बाराचट्टी (180 किमी. से 240 किमी.)	बिहार	2	सड़क के साथ एवेन्यू पौधरोपण का प्रावधान किया गया है और पौधरोपण किया गया। तथापि, इसको पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि यह खंड अब राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण V के अंतर्गत 6 लेन का होगा।
17.	टिंडीवनम-उलनडूरपेट (121.10 किमी. से 192.95 किमी.)	तमिलनाडु	45, 45बी	पौधरोपण प्रगति पर
18.	उलनडूरपेट-पैडालूर (192.25 किमी. से 285.00 किमी.)	तमिलनाडु	45, 45बी	पौधरोपण प्रगति पर
19.	चेन्नै-टाडा	तमिलनाडु	5	राष्ट्रीय राजमार्गों पर पौधरोपण कार्य किया गया
20.	टाडा-नेल्लौर	आंध्र प्रदेश	5	-वही-
21.	नेल्लौर-विजयवाड़ा और विजयवाड़ा से गुंडुगुलानू	आंध्र प्रदेश	5	-वही-
22.	गुंडुगुलानू से अनकापल्ली	आंध्र प्रदेश	5	-वही-
23.	विशाखापट्टनम से इच्छापुरम	आंध्र प्रदेश	5	-वही-
24.	सोनखला से खुर्दा	उड़ीसा	5	-वही-
25.	भुवनेश्वर से चंडीखोल	उड़ीसा	5	-वही-
26.	तुमकूर-नीलमंगला (29-5 किमी. से 62 किमी.) - 32.5 किमी. लंबाई	कर्नाटक	4	पौधरोपण प्रगति पर
27.	तुमकुर-सिरा (75 किमी. से 116.4 किमी) 41.4 किमी. लंबाई	कर्नाटक	4	पौधरोपण प्रगति पर
28.	सिरा बाइपास (116.4 किमी. से 122 किमी.) - 5.9 किमी. लंबाई	कर्नाटक	4	पौधरोपण प्रगति पर
29.	340 किमी. से 385.600 किमी.	कर्नाटक	4	पूरा किया गया (मध्यवर्ती पौधरोपण)
30.	385.600 किमी. से 404 किमी.	कर्नाटक	4	पूरा किया गया (मध्यवर्ती पौधरोपण)
31.	433 किमी. से 454 किमी.	कर्नाटक	4	पूरा किया गया (मध्यवर्ती पौधरोपण)
32.	454 किमी. से 495 किमी.	कर्नाटक	4	पूरा किया गया (मध्यवर्ती पौधरोपण)
33.	495 किमी. से 515 किमी.	कर्नाटक	4	पूरा किया गया (मध्यवर्ती पौधरोपण)
34.	515 किमी. से 592.240 किमी.	कर्नाटक	4	पूरा किया गया (मध्यवर्ती पौधरोपण)
35.	राष्ट्रीय राजमार्ग 202 के 9/0 किमी. से 18/740 किमी. का चार लेन चौड़ीकरण			
36.	राष्ट्रीय राजमार्ग 202 के 18/740 किमी. से 30/0 किमी. तक चार लेन चौड़ीकरण			

खसरे के टीके के कारण बच्चों की मृत्यु

1514. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री वाडिगा रामकृष्णा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लगाए जाने वाले खसरे के टीके के कारण हाल ही में तमिलनाडु में बच्चों की मृत्यु के कुछ मामलों की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मृत्यु के कारणों की कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने तथा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। तमिलनाडु के थिरूवल्लुर जिले के दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से 23 अप्रैल, 2008 को खसरा वैक्सीन के लगाने के पश्चात् चार शिशुओं की मृत्यु की सूचना दी गई है।

(ग) और (घ) शिशुओं की सूचित मौतों की जांच करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित एक केन्द्रीय विशेषज्ञ दल ने पाया कि मृत्यु का संभावित कारण एनाफिलेक्टिक शॉक हो सकता है।

(ङ) राज्य सरकार ने एक जांच समिति गठित की है और जांच होने तक संबंधित स्टाफ, ग्राम स्वास्थ्य नर्सों और फार्मासिस्ट को निलम्बित कर दिया है।

नर्सिंग सेवाओं का विकास

1515. **श्रीमती मेनका गांधी:**
श्री के.एस. राव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नर्सिंग सेवाओं के विकास के लिए नई योजना में की गई परिकल्पना के अनुसार सेन्टर्स आफ एक्सिलेन्स आफ नर्सिग की स्थापना के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ निर्धारित की गई तथा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) उत्कृष्टता वाले नर्सिंग केन्द्र सहित विभिन्न नर्सिंग संस्थानों की 2900 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से स्थापना करने के लिए व्यय वित्त समिति ज्ञापन को सभी संबंधित विभागों में परिचालित किया गया। नर्सिंग के उत्कृष्टता वाले केन्द्र की स्थापना के लिए एक शर्त राज्यों द्वारा भूमि का आवंटन करना है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे संस्थान की स्थापना के प्रयोजनार्थ आवश्यक भूमि का पता लगाएं एवं उसका आबंटन करें। राज्यों से प्राप्त होने वाली अनुक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए व्यय वित्त समिति एवं मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। व्यय वित्त समिति एवं मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन के बाद निधि को जारी करने का प्रश्न उठता है।

पर्यावरणीय वनीकरण के लिए गुणवत्ता वाले पौधे

1516. **श्री किसनभाई वी. पटेल:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्धारित वन क्षेत्रों के बाहर वनों के विस्तार के लिए नर्सरियों तथा पर्यावरणीय इकाइयों में अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे तैयार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सरकार के समक्ष लंबित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अधिनियमित वन क्षेत्रों के बाहर वनों के विस्तार की एक योजना तैयार की गई है जिसमें अच्छी किस्म के पौध के उत्पादन की परिकल्पना है। इस स्कीम का अभी अनुमोदन किया जाना है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त टिप्पणियां

1517. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (यूएनएचसीएचआर) ने कोई वक्तव्य जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त वक्तव्य का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय द्वारा जारी वक्तव्य नीचे उद्धृत किया गया है:

मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय भारत शासित कश्मीर में हुए हाल ही के हिंसक प्रदर्शनों के बारे में चिंतित है, जिसके परिणामस्वरूप नागरिक के हताहत होने तथा साथ ही एकत्र होने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध की सूचना मिली है। मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय ने भारतीय प्राधिकारियों तथा विशेष रूप से सुरक्षा बलों को अभिव्यक्ति तथा एकत्र होने की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करने तथा प्रदर्शनकारियों पर नियंत्रण करने में अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधी सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहा है। बल का प्रयोग, उपस्थित जोखिम के अनुपात में किया जाना चाहिए तथा हथियारों का उपयोग केवल मृत्यु अथवा गंभीर क्षति के आसन्न खतरे के विरुद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए ही किया जाना चाहिए। कार्यकारी उच्चायुक्त ने अब तक हुई सभी मौतों की पूरी तरह तथा स्वतंत्र जांच करने के लिए कहा है। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों को भी केवल शांतिपूर्ण तरीकों का प्रयोग करके प्रदर्शन करने के लिए कहा है। विभिन्न प्रदर्शनकारी समूहों के नेताओं का यह दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो तथा प्रदर्शनकारी लाठी, बंदूकें अथवा अन्य हथियारों से युक्त नहीं हों तथा वे डराने-धमकाने से बचें। राजनैतिक नेताओं से यह कहा गया है कि वे कम उम्र के बच्चों सहित 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को हिंसा से बचाने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करें तथा अपने राजनैतिक उद्देश्यों के लिए उनका इस्तेमाल न करें।

विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी किया है, जो नीचे दिया गया है:

"हमें खेद है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय (ओएचसीएचआर) ने जम्मू तथा कश्मीर की स्थिति पर एक वक्तव्य जारी किया है। यह अवांछित तथा गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य है; भारत को अपने नागरिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा करने तथा उनका संवर्धन करने के संबंध में किसी सलाह की आवश्यकता नहीं है। मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय को यह ज्ञात होना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर राज्य लगभग दो दशकों से आतंकवादी हिंसा का शिकार रहा है तथा इस पूरी तरह के दौरान प्राधिकारियों ने कानून के अंतर्गत तथा संयम से कार्य किया है। आतंकवादी समूहों ने नागरिकों को निशाना बनाया है। जम्मू व कश्मीर में हाल ही में हुई घटनाओं के अनुसार वे महिलाओं तथा बच्चों को बंधक बनाने से भी बाज नहीं आए हैं। आतंकवादियों के विरुद्ध अपनी सभी कार्रवाइयों में सुरक्षा बलों के कार्मिकों ने यह सुनिश्चित करना चाहा है कि किसी निर्दोष व्यक्ति की जान न जाए तथा कई बार इस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है।"

(ग) न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि से यह कहा गया है कि वे इस वक्तव्य पर भारत का असंतोष व्यक्त करें तथा संयुक्त राष्ट्र महासचिव को यह सुनिश्चित करने के लिए कहें कि संयुक्त राष्ट्र के संगठन/अधिकारी जम्मू कश्मीर पर कोई वक्तव्य/टिप्पणी जारी न करें।

युवक कार्यक्रम और खेल परियोजनाएं

1518. श्री मधु गौड यास्खी:
श्रीमती शिवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों में युवक कार्यक्रम और खेलों से संबंधित सरकार द्वारा लागू की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप परियोजना-वार कितनी सफलता हासिल की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) और (ख) इस मंत्रालय द्वारा युवा कार्य और खेल के क्षेत्र में परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यवार धनराशि अलग नहीं रखी जाती है। तथापि, पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को युवा

छात्रावासों के निर्माण के लिए जारी किये गये अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण दिया जाता है।

(ग) हुबली तथा विशाखापट्टनम में दो युवा छात्रावास पूरे हो चुके हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान युवा छात्रावासों के निर्माण/विकास के लिए जारी राज्यवार धनराशि

(लाख रु.)

राज्य का नाम	जारी किया गया अनुदान			
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (तारीख तक)
आंध्र प्रदेश	–	120.00	21.00	45.42
अरुणाचल प्रदेश	20.00	–	–	–
हरियाणा	111.38	43.20	20.17	–
कर्नाटक	–	–	5.00	–
हिमाचल प्रदेश	4.85	–	–	–
मध्य प्रदेश	–	0.64	–	–
मणिपुर	30.00	50.00	75.00	–
पंजाब	4.85	–	20.00	–
राजस्थान	160.42	23.20	5.08	–
उड़ीसा	24.23	–	–	–
तमिलनाडु	40.00	40.00	6.69	–
उत्तर प्रदेश	10.36	–	1.60	–
उत्तराखंड	50.00	50.00	20.45	30.76
कुल	456.09	327.04	174.99	76.18

[हिन्दी]

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में अनियमितताएं

1519. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में अनियमितताओं के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) 1 जनवरी, 2007 से 30 सितंबर, 2008 की अवधि के दौरान पासपोर्ट कार्यालयों में अनियमितताओं के संबंध में कुल 135 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये भ्रष्टाचार और प्रक्रियागत अनियमितताओं जैसे मुद्दों से संबंधित हैं।

(ग) सरकार ने संबंधित जांच एजेंसियों से अभियोजन की स्वीकृति देकर तथा उपयुक्त विभागीय कार्रवाई करके भ्रष्ट अधिकारियों

के विरुद्ध यथावश्यक कार्रवाई की है। सरकार ने विभिन्न सुधारात्मक उपाय भी किए हैं। इनमें पासपोर्ट कार्यालयों में सतर्कता निरीक्षण सहित समय-समय पर औचक निरीक्षण, केंद्रीय पासपोर्ट संगठन में सतर्कता तंत्र को सुदृढ़ करना तथा पासपोर्ट कार्यालयों की कार्यशैली में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करना शामिल है।

नैदानिक परीक्षणों के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुमति प्रदान किया जाना

1520. **श्री कीरेन रिजीजू:**
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में नैदानिक परीक्षण करने के लिए विदेशी फार्मास्युटिकल कंपनियों को अनुमति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि फार्मास्युटिकल कंपनियां नैदानिक परीक्षणों के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं करती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) विदेशी और स्वदेशी फार्मास्युटिकल कम्पनियों को नैदानिक परीक्षण करने की अनुमति दी जाती है। औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची वाई (वर्ष 2005 में संशोधित) देश में नैदानिक परीक्षण करने के लिए दिशा-निर्देश और अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट करती है। यह भारत में नैदानिक परीक्षण के लिए विदेशी और स्वदेशी फार्मास्युटिकल कम्पनियों पर लागू हैं। उक्त अनुसूची के अनुसार भारत सरकार द्वारा प्रकाशित अच्छी नैदानिक पद्धति (जीसीपी) दिशा निर्देश (2001) के अनुसार नैदानिक परीक्षण करने के लिए भी यह अनिवार्य है। नैदानिक परीक्षण करने के लिए आवेदन को निर्धारित शुल्क और रसायन एवं भेषजीय सूचना, पशु और औषध वैज्ञानिक, विष-वैज्ञानिक आंकड़ा, सुरक्षा और प्रभावकारिता इत्यादि के मानव नैदानिक आंकड़ों आदि सहित प्रपत्र-44 में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(ग) भारत के औषध महानियंत्रक को ऐसी कोई शिकायत कि फार्मास्युटिकल कम्पनियां नैदानिक परीक्षणों से संबंधित नियमों का पालन नहीं करती, प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोयला ब्लाकों का आबंटन

1521. **श्री बालासाहिब विखे पाटील:**
श्री संजय धोत्रे:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी ने इस्पात, सीमेंट और स्पांज आयरन कंपनियों को 23 रक्षित कोयला खान ब्लाकों के आबंटन की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोयला ब्लाकों के आबंटन हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या हैं; और

(घ) आबंटित कोयला ब्लाकों को कार्यशील बनाने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) और (ख) जांच समिति ने 22 कोयला ब्लाकों के संबंध में अपनी सिफारिशें दे दी हैं, और एक ब्लाक वापस ले लिया गया। समिति ने लौह और इस्पात (स्पंज आयरन सहित) यूनिटों को 12 कोयला ब्लाकों, सीमेंट यूनिटों को 2 कोयला ब्लाकों तथा लौह और इस्पात एवं सीमेंट यूनिटों को संयुक्त रूप से 8 कोयला ब्लाकों के आबंटन की सिफारिश की है।

(ग) केप्टिव ब्लाक के लिए प्रतिस्पर्धी आवेदकों के बीच कोयला ब्लाक के आबंटन के लिए परस्पर प्राथमिकता निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाती है:

* प्रगति की स्थिति (चरण) का स्तर और परियोजनाओं की तैयारी की स्थिति;
* आवेदक कंपनी का निवल मूल्य;
* आवेदन में यथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता;
* आवेदन में यथा प्रस्तावित अधिकतम निष्कर्षण-योग्य भंडार;
* आवेदन में यथा प्रस्तावित केप्टिव खान के आरंभ होने की तारीख;
* आवेदन में यथा प्रस्तावित विस्तृत अन्वेषण (केवल गैर-अन्वेषित ब्लाकों के मामले में) की पूर्णता की तारीख;
* तकनीकी अनुभव (कोयला/लिग्नाइट खनन और विशिष्ट अन्य उपयोग में मौजूदा क्षमताओं के अनुसार);

* संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिश;

* राज्य सरकार (अर्थात् जहां केप्टिव ब्लाक स्थित है) की सिफारिश;

* कंपनी का ट्रैक रिकार्ड और वित्तीय क्षमता।

(घ) दिशा-निर्देशों के अनुसार केप्टिव कोयला ब्लाक से कोयला उत्पादन आबंटन की तारीख से ओपनकास्ट खानों के मामले में 36 महीने (42 महीने यदि क्षेत्र वन भूमि में आता है) और भूमिगत खान के मामले में 48 महीने (54 महीने यदि क्षेत्र वन भूमि में पड़ता है) के भीतर आरंभ हो जाना चाहिए। यदि कोयला ब्लाक का अन्वेषण नहीं किया जाता है तो विस्तृत अन्वेषण और भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए अतिरिक्त दो वर्षों की अनुमति दी जाती है।

विकास के लिए कोयला रायल्टी हिस्सा

1522. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयला कंपनियों द्वारा राज्य सरकार को दी गई रायल्टी राशि में से कितनी प्रतिशत राशि स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए खर्च की जा रही है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): कोयले पर रायल्टी से प्राप्त होने वाले राजस्व को संबंधित राज्य सरकारों की समेकित निधियों में जमा करा दिया जाता है। चूंकि राज्य सरकारों द्वारा आरंभ किए गए स्थानीय क्षेत्र के क्रियाकलापों को उनके वार्षिक बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है इसलिए रायल्टी से प्राप्त होने वाले राजस्व और स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यकलापों को बजटीय सहायता के बीच कोई प्रत्यक्ष सह-संबंध निर्धारित करना कठिन है।

प्रत्येक जिले में नेत्र बैंक

1523. श्री सुग्रीव सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीबी) के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में नेत्र बैंक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन नेत्र बैंकों को कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में नेत्र बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम में योजना-दर-योजना आधार पर देश में नेत्र बैंक स्थापित करने/सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत संसाधनों एवं निधियों के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से संपूर्ण देश को कवर करने के उद्देश्य से प्रत्येक नेत्र बैंक को 15 लाख रु. तक अनावर्ती सहायता प्रदान करके 30 नेत्र बैंकों को बढ़ावा देना है।

रिटायर खिलाड़ियों को पेंशन

1524. श्री नवीन जिन्दल: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके रिटायर खिलाड़ियों को कोई पेंशन दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय खेल जगत में उनके योगदान को मान्यता देते हुए पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) और (ख) जी, हां। खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि योजना और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली खिलाड़ी अथवा दरिद्र अवस्था में रहने वाले खिलाड़ी, वित्तीय सहायता के पात्र हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि योजना और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना के अंतर्गत दरिद्र अवस्था में रहने वाले खिलाड़ियों और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए 1.7.2008 से वित्तीय सहायता बढ़ा दी है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(क) खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि योजना

(1) दरिद्र अवस्था में रहने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए पात्रता की अधिकतम सीमा 36,000 रु. प्रति वर्ष से संशोधित करके 2.00 लाख रु. प्रति वर्ष तक दी गयी है।

(2) खिलाड़ी को लगी घातक चोट के लिए सहायता 1.00 लाख रु. से बढ़ाकर 5.00 लाख रु. तक कर दी गयी है।

(3) घातक चोट के अलावा किसी अन्य चोट के लिए सहायता 40,000 रु. से बढ़ाकर 2.00 लाख रु. कर दी गयी है।

(4) स्थायी रूप से विकलांग उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए पेंशन 2500/- रु. प्रतिमाह से बढ़ाकर 10,000/- रु. प्रतिमाह कर दी गयी है।

(5) अन्य मामलों में पेंशन 2,000/- रु. प्रतिमाह से बढ़ाकर 8,000/- रु. प्रतिमाह कर दी गयी है।

(6) दरिद्र खिलाड़ियों के परिवारों को सहायता 40,000/- रु. से बढ़ाकर 2.00 लाख रु. कर दी गयी है।

(7) चिकित्सा उपचार के लिए सहायता 40,000/- रु. से बढ़ाकर 2.00 लाख रु. कर दी गयी है।

(8) प्रसिद्ध कोचों, रैफरियों और अम्पायरों को सहायता 20,000/- रु. से बढ़ाकर 50,000 रु. कर दी गयी है।

(ख) प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन

बढ़ोत्तरी के बाद पेंशन की संशोधित दरें निम्नलिखित होंगी:-

प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की श्रेणी	पूर्व संशोधित पेंशन (रु./प्रतिमाह)	संशोधित पेंशन (रु./प्रतिमाह)
ओलंपिक खेलों में पदक विजेता	5000	10000
ओलंपिक तथा एशियाई खेल विधाओं में विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता	4000	8000
ओलंपिक तथा एशियाई खेल विधाओं में विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप में रजत तथा कांस्य पदक विजेता	3500	7000
एशियाई/राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता	3500	7000
एशियाई/राष्ट्रमंडल खेलों के रजत तथा कांस्य पदक विजेता	3000	6000
पैरा-ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता	2500	5000
पैरा-ओलंपिक खेलों के रजत पदक विजेता	2000	4000
पैरा-ओलंपिक खेलों के कांस्य पदक विजेता	1500	3000

काबुल में भारतीय दूतावास पर हमला

1525. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अफगानिस्तान सरकार ने काबुल में भारतीय दूतावास पर आसन्न हमले की सूचना दी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त हमले को रोकने के लिए कौन से निवारणात्मक कदम उठाए गए थे?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) अफगानिस्तान सरकार से संकेत मिले थे कि भारत के प्रति शत्रुता रखने वाले तत्व काबुल स्थित भारतीय राजदूतावास को निशाने पर रखकर हमला करने की योजना बना रहे हैं। भारतीय राजदूतावास द्वारा निवारक सुरक्षा उपाय करते हुएं एचईएससीओ बुर्ज और बूम अवरोधकों की स्थापना करवाई गई ताकि प्रत्याशित विस्फोट के प्रभावों को न्यूनतम किया जा सके। अफगानिस्तान सरकार ने भी किसी भी प्रकार के हमले के प्रयास को नाकाम करने के लिए 24 घंटे चौकसी को बढ़ाकर सशस्त्र कार्मिकों की संख्या में वृद्धि की है।

कोयला दुलाई में अनियमितताएं

1526. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कोयला दुलाई में अनियमितता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मामलों की जांच के लिए इन्हें सी.बी.आई. को सौंपा है अथवा सी.बी.आई. जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जांच की वर्तमान स्थिति क्या है और दोषियों को पकड़ने के लिए जांच में तेजी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले की ढुलाई में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए प्राप्त शिकायतों का कंपनी-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है-

कंपनी का नाम	प्राप्त शिकायतों की संख्या
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)	06
भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लिमिटेड (बीसीसीएल)	02
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)	11
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	01
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	07
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	08
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	02

(ग) और (घ) सीबीआई द्वारा की गई जांच तथा सीबीआई को भेजे गए मामलों के संबंध में कंपनीवार सूचना नीचे दिए अनुसार है:-

कंपनी का नाम	मामलों की संख्या	वर्तमान स्थिति
ईसीएल	01	जांचाधीन है।
बीसीसीएल	शून्य	-
सीसीएल	03	जांच पूरी हो गई है। दो मामलों पर कार्रवाई चल रही है और एक मामले में दोषी पाई गए कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई है।
एनसीएल	शून्य	-
डब्ल्यूसीएल	01	जांचाधीन है।
एसईसीएल	01	जांचाधीन है।
एमसीएल	शून्य	जांचाधीन है।

राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए निधियां

1527. श्री जसुभाई धनाभाई धारड़: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली सरकार द्वारा राष्ट्रमंडल खेल 2010 की मेजबानी करने के लिए कितनी धनराशि की मांग की गई है;

(ख) यह धनराशि किन विभिन्न शीर्षों पर खर्च की जाने की संभावना है;

(ग) क्या दिल्ली सरकार को उसकी आवश्यकतानुसार धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) और (ख) दिल्ली सरकार ने राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की मेजबानी करने के लिए 770.00 करोड़ रु. की कार्य योजना स्कीम तैयार की थी। इसे निम्नलिखित शीर्षों पर खर्च करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था:

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	विभाग	अपेक्षित निधियां
1.	दिल्ली नगर निगम	75.55
2.	लोक निर्माण विभाग	165.00
3.	परिवहन	270.00
4.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	45.60
5.	नई दिल्ली नगर परिषद	33.75
6.	दिल्ली जल बोर्ड	40.00
7.	शहरी विकास/लो.नि.वि.	100.00
8.	शिक्षा निदेशालय	40.00
	कुल	770.00

(ग) जी, हां। सैद्धांतिक रूप में दिल्ली सरकार को धनराशि आबंटित की गई है।

(घ) उपर्युक्त 770.00 करोड़ रु. के विशेष आबंटन के अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने निम्नलिखित शीर्षों में खर्च करने के लिए राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए अपने सामान्य योजना स्कीमों में से 582.20 करोड़ रु. अतिरिक्त रखा है और इसकी व्यवस्था की है:

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	विभाग	अपेक्षित निधियां
1.	दिल्ली नगर निगम	114.45
2.	लोक निर्माण विभाग	433.60
3.	नई दिल्ली नगर परिषद	16.25
4.	स्वास्थ्य	17.90
	कुल	582.20

पाकिस्तान द्वारा सहायता का दुरुपयोग

1528. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान अमरीकी सहायता का प्रयोग भारत के विरुद्ध युद्ध की योजना बनाने के लिए कर रहा है जैसाकि दिनांक 6 सितंबर, 2008 के ''द टाइम्स आफ इंडिया'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस मामले को समुचित स्तर पर उठाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) सरकार इससे अवगत है कि अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दी गई सूचना से पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं में वृद्धि हुई है। इस संबंध में भारत सरकार की स्थिति सुविदित है। हम अपनी सुरक्षा की संरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।

फसल उपरांत अवशिष्ट डंठलों को जलाया जाना

1529. श्री नन्द कुमार साय: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में फसल उपरांत अवशिष्ट डंठलों को जलाए जाने से उत्पन्न हुए प्रदूषण को रोकने के लिए नीति मानदण्ड बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इससे कार्बन क्रेडिट अर्जित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी, नहीं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और संघ शासित प्रदेशों की प्रदूषण नियंत्रण समितियां अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार पूरे देश में पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और उनके अंतर्गत अधिसूचित नियमों को कार्यान्वित कर रहे है। इन अधिनियमों के अंतर्गत प्रावधान मुख्यत: उद्योग द्वारा प्रदूषण, संचालन अथवा प्रोसेस प्रदूषण नियंत्रण मानकों की स्थापना और ऐसे मानदण्डों के अनुपालन से संबंधित हैं।

(ग) और (घ) फसल उपरांत अवशिष्ट डंठलों को जलाए जाने से उत्पन्न कार्बन क्रेडिट को अर्जित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है चूंकि यह एक संगठित कार्य है और इसे अज्ञानतावश किसानों द्वारा किया जाता है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस संबंध में किसानों को शिक्षित करने के लिए एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है।

[हिन्दी]

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

1530. श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री मो. ताहिर:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए कार्बन उत्सर्जन के स्तर को कम करने हेतु कोई विधान अधिनियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इस फलस्वरूप क्या लाभ मिलने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) भारत, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन

आन क्लाइमेट चेंज के क्योटो प्रोटोकाल का एक पक्षकार है जो पक्षकारों के लिए विशिष्ट बाध्यताओं के साथ-साथ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों को कम करने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले उपाय निर्धारित करता है। प्रोटोकाल के अनुसार, केवल अनुबंध-1 के पक्षकारों, अर्थात् औद्योगिक देश पक्षकारों के लिए क्वांटिफाइड एमिशन लिमिटेशन रिडक्शन संबंधी लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। भारत सहित विकासशील देशों द्वारा इस प्रकार के एमिशन रिडक्शन संबंधी कोई लक्ष्य नहीं रखे गए हैं। तथापि, सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन की समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए सह-लाभ मुहैया कराने के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा हेतु पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने सहित अनेक नीतियों और कार्यक्रमों के जरिए एक सतत विकास का मार्ग अपनाया जा रहा है।

सरकार द्वारा उठाए कुछ कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ, ब्यूरो आफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना करना और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना, ऊर्जा क्षमता लेबलिंग की शुरूआत करना, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, पावर सैक्टर सुधार, परिवहन के लिए स्वच्छ और कम कार्बन इंटेसिव ईंधन का उपयोग करना, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करना, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, गैस फ्लेयरिंग में कमी, मास रेपिड ट्रांसपोर्ट प्रणालियों को प्रोत्साहित करना तथा सभी क्षेत्रों के लिए पर्यावरण गुणवत्ता प्रबंधन करना शामिल हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने प्रथमत: जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन के लिए तथा दूसरे भारत के विकास पथ की पारिस्थितिकीय स्थायिता को बढ़ाने के लिए जून, 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है। एन ए पी सी सी में जलवायु परिवर्तन तथा ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन सरोकारों का समाधान करने के लिए अनेक थीमेटिक क्षेत्रों, जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन, नेशनल मिशन फार एन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिप्रणाली के स्थायित्व के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, नेशनल मिशन आन स्ट्रैटेजिक नालेज फार क्लाइमेट चेंज जैसे आठ राष्ट्रीय मिशनों के क्रियान्वयन पर विचार किया गया है।

[अनुवाद]

अनियंत्रित ग्लोबल वार्मिंग का संकट

1531. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जलवायु परिवर्तन समिति ने कहा है कि यदि समय रहते ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित नहीं किया गया तो पृथ्वी पर कुछ प्रजातियों के लुप्त होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बड़े पैमाने पर हिमालय हिम नदों के पिघलने से गंगा के मैदानों में भारी तबाही होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) इटरगवर्मेंटल पेनल आन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट में सूचित निष्कर्षों के अनुसार, वैश्विक माध्य तापमान में पूर्व-औद्योगिकीकरण स्तरों से 2° से 3° की वृद्धि के कारण लगभग 20 से 30% पौध प्रजातियों और पशु प्रजातियों के विलुप्त होने का अत्यधिक खतरा है।

(ग) और (घ) हिमालय हिमनदों के पिघलने से गंगा के मैदानों में भारी तबाही होने के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ङ) प्रधानमंत्री द्वारा 30 जून, 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) जारी की गई थी। राष्ट्रीय कार्य योजना में मुख्य रूप से सौर ऊर्जा, संवर्धित ऊर्जा क्षमता, सतत पर्यावास, जल, हिमालयी पारि-प्रणाली सततता, ग्रीन इंडिया, जलवायु परिवर्तन के लिए सतत कृषि और रणनीति ज्ञान, जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में आठ मिशनों को रेखांकित किया है। हिमालयी पारितंत्र की सततता के लिए राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य हिमालयी हिमनदों और पर्वत प्रणाली की सततता और रक्षोपायों हेतु प्रबंधन उपायों को शामिल करना है।

भारत सरकार ने ग्लेशियरों के पीछे हटने को कम करने के लिए संभव उपायों की पहचान की हैं जिनमें संरक्षण कार्य जैसे वनीकरण, कचरा निकालना, ग्लेशियरों पर मानव हस्तक्षेपों की रोक और सतत पारि-पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है।

भारत तथा चीन में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय

1532. श्री विजय कृष्ण: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत तथा चीन के संबंध में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय तथा औसत इम्प्यूटेड सर्जिकल दर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आबंटित तथा उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा "शल्य-चिकित्सा की वैश्विक संख्या का एक अनुमान: उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर एक आदर्श कार्यनीति" के शीर्षक से चलाए गए अध्ययन के अनुसार चीन और भारत के स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय और बताई गई औसत शल्य-चिकित्सा दर इस प्रकार है:-

विवरण	चीन	भारत
जनसंख्या (2004)	1323344591	1103370802
स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय (अमेरिकी डालर: 2004)	277	91
बताई गई औसत शल्य चिकित्सा दर (प्रति 1,00,000 जनसंख्या)	2659	369

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन की निधियां द्विवार्षिक आधार पर आबंटित की जाती हैं। पिछले दो वर्षों अर्थात् 2006-07 और चालू द्विवार्षिक अर्थात् 2008-09 के दौरान धन के आबंटन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। द्विवार्षिक 2006-07 के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शत-प्रतिशत धन का उपयोग कर लिया गया था।

विवरण

वर्ष 2006-07 के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन को निधियों का आबंटन

कार्य क्षेत्र की संख्या	कार्य का क्षेत्र	2006-07				
		कार्यकलाप (क)	सहभागिता			कुल (ग) (क+ख)
			देश में (भारत में)	विदेश में (भारत से बाहर)	कुल सहभागिता (ख)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	संचारी रोग की रोकथाम और नियंत्रण (पूर्ववर्ती सीपीसी 001+सीपीसी002)	100,000	52,500	22,500	75,000	175,000
2.	संचारी रोग अनुसंधान (कार्य का नया क्षेत्र)	50,000	–	–	–	50,000
3.	महामारी सतर्क एवं अनुक्रिया	150,000	101,500	43,500	145,000	295,000
4.	मलेरिया	100,000	35,000	15,000	50,000	150,000
5.	क्षय रोग	75,000	35,000	15,000	50,000	125,000
6.	एच आई वी/एड्स	100,000	63,000	37,000	90,000	190,000
7.	चिरकालिक रोगों की निगरानी, रोकथाम और उपचार (पूर्ववर्ती एनसीडी001+एनसीडी002+ एनसीडी003)					
	गैर संचारीरोग निगरानी					
	कैंसर नियंत्रण					
	कार्डियोवास्कुलर रोग	1,075,000	140,000	60,000	200,000	1,275,000
	मुख स्वास्थ्य					
	अन्य गैर संचारी रोग					
	दृष्टिहीनता					
	बधिरता					

1	2	3	4	5	6	7
8.	स्वास्थ्य संवर्धन (पूर्ववर्ती एचपीआर + प्रौढ़ स्वास्थ्य परिचर्या)	175,000	84,000	36,000	120,000	295,000
9.	मानसिक स्वास्थ्य और पदार्थ दुरूपयोग	300,000	98,000	42,000	140,000	440,000
10.	तम्बाकू	600,000	–	–	–	600,000
11.	पोषण	100,000	70,000	30,000	100,000	200,000
12.	स्वास्थ्य एवं पर्यावरण (पूर्ववर्ती पी एच ई 001+पीएचई 002)	150,000	56,000	24,000	80,000	230,000
13.	खाद्य सुरक्षा	200,000	14,000	5,000	20,000	220,000
14.	हिंसा, चोट और अपंगता	75,000	48,000	21,000	70,000	145,000
15.	प्रजनन स्वास्थ्य (कार्य का नया क्षेत्र)		140,000	60,000	200,000	000
16.	गर्भावस्था को सुरक्षित बनाना	300,000	140,000	60,000	2000,000	500,000
17.	लिंग, महिला और स्वास्थ्य	50,000	–	–	–	50,000
18.	बाल एवं किशोर स्वास्थ्य (पूर्ववर्ती एसीएच 001+सीएएच 002)	310,000	105,000	45,000	150,000	460,000
19.	रोग प्रतिरक्षण और टीका विकास	–	–	–	–	–
20.	अनिवार्य औषधि (पूर्ववर्ती पारम्परिक औषधि+ईडीएम 001+ ईडीएम 002)	725,000	21,000	9,000	30,000	755,000
21.	अनिवार्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियां	50,000	21,000	9,000	30,000	80,000
22.	विकास में स्वास्थ्य के लिए नीति निर्माण (पूर्ववर्ती जी पी ई 002+ईसी 2)	200,000	28,000	12,000	40,000	240,000
23.	स्वास्थ्य प्रणाली नीति और सेवा प्रदानगी (पूर्ववर्ती एच एस डी 001)	800,000	301,000	129,000	430,000	1,230,000
24.	स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन [पूर्ववर्ती ओएसडी 001 (उपचर्या) एवं प्रशिक्षण सहित कार्य का नयाक्षेत्र]	400,000	140,000	60,000	200,000	600,000
25.	स्वास्थ्य वित्त पोषण एवं सामाजिक सुरक्षा (पूर्ववर्ती जी पी ई 002-ईसी 1)	200,000	–	–	–	200,000
26.	स्वास्थ्य संवर्धन, साक्ष्य और अनुसंधान नीति (पूर्ववर्ती जीपीई 001+आरपीसी 001) (आईसीएमआर)	150,000	35,000	15,000	50,000	200,000
27.	आपातकालीन तैयारी और अनुक्रिया	50,000	21,000	9,000	30,000	80,000
	(क) देश कार्यक्रम कुल	6,485,000	1,750,000	750,000	2,500,000	8,985,000

2008-09 के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन निधियों का आबंटन कार्यनीतिक उद्देश्यों द्वारा बजट सार (2008-09)

कार्यनीतिक उद्देश्य		कार्यकलापों हेतु अनुमानित बजट (अमरीकी $)	फैलोशिप (अमरीकी $)	कुल अमरीकी $ के समक्ष
1		2	3	4
एसओ 1	संचारी रोगों का स्वास्थ्य, सामाजिक एवं आर्थिक भार कम करना।	300,000	350,000	650,000
एसओ 2	एचआईवी/एड्स, मलेरिया एवं क्षयरोग का सामना करना।	275,000	100,000	375,000
एसओ 3	तीव्र गैर-संचारी स्थितियों, मानसिक विकारों, हिंसा एवं घावों से रोगों, अपंगता एवं समय से पहले मौत को कम करना एवं रोकथाम।	1,350,000	350,000	1,700,000
एसओ 4	यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य को उन्नत करते और सभी के लिए सक्रिय एवं स्वस्थ आयु को बढ़ावा देते हुए गर्भावस्था, शिशु जन्मु, प्रसवपूर्व अवधि, बचपन एवं किशोरावस्था सहित जीवन की मुख्य स्थितियों के दौरान रुग्णता एवं मृत्यु को घटाना एवं स्वास्थ्य को उन्नत करना।	610,000	350,000	960,000
एसओ 5	आपातकाल, विपदाओं, कठिन समय एवं आपदाओं के स्वास्थ्य दुष्परिणामों को कम करना और उनके सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों को घटाना।	50,000	50,000	100,000
एसओ 6	तम्बाकू, एल्कोहल, ड्रग्गो एवं साइकोएक्टिव सब्सटेंस के प्रयोग, अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक निष्क्रियता एवं असुरक्षित यौनाचार से जुड़ी स्वास्थ्य स्थितियों हेतु जोखिम कारकों को घटाना एवं रोकथाम और स्वास्थ्य एवं विकास को बढ़ाना।	875,000	70,000	945,000
एसओ 7	स्वास्थ्य साम्यता को बढ़ाने एवं गरीबोन्मुखी, लिंगोन्मुखी एवं मानवाधिकार आधारित पहलों को एकीकृत करने वाली नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य के मुख्य सामाजिक एवं आर्थिक कार्यकलापों को पूरा करना।	850,000	200,000	1,050,000
एसओ 8	सभी क्षेत्रों में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देना, प्राथमिक रोकथाम को सुग्राही बनाना एवं सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करना ताकि स्वास्थ्य के प्रति वातावरणीय चुनौतियों के मुख्य कारणों को दूर किया जा सके।	150,000	30,000	180,000

1		2	3	4
एसओ 9	जन स्वास्थ्य एवं सतत विकास के पक्ष में एवं जीवनचक्र के दौरान पोषण और खाद्य सुरक्षा बढ़ाना।	300,000	100,000	400,000
एसओ 10	विश्वसनीय एवं पहुंच वाले साक्ष्य एवं अनुसंधान द्वारा सूचित बेहतर प्रशासन, वित्तपोषण, स्टाफ एवं प्रबंधन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करना।	950,000	500,000	1,450,000
एसओ 11	चिकित्सीय उत्पादों एवं प्रौद्योगिकियों की उन्नत पहुंच, गुणवत्ता एवं उपयोग सुनिश्चित करना।	775,000	400,000	1,175,000
	कुल (अमरीकी $)	6,485,000	2,500,000	8,985,000

योग विद्यालयों/संस्थानों के लिए विनियामक निकाय

1533. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में योग विद्यालयों/संस्थाओं के लिए विनियामक निकाय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न योग विद्यालयों/संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे योग प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों के मानकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक स्वत: विनियामक निकाय अर्थात् भारतीय रोग एसोसिएशन जो भारत में प्रख्यात योग विद्यालयों की एसोसिएशन से संबद्ध है, हाल ही में स्थापना की गई है और इसे आयुष विभाग द्वारा प्रायोजित किया जाता है। इस स्वत: विनियामक निकाय के उद्देश्यों में से एक यह है कि योग में शिक्षा और प्रशिक्षण देने के प्रयोजनार्थ विभिन्न पाठ्यक्रमों को विनियत करने के साथ-साथ विभिन्न योग संबंधी शिक्षा, उपचार, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या विनिर्धारित की जाए।

यह स्वत: विनियामक निकाय आयुष विभाग के एक स्वायत्त संस्थान मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के परिसर में अवस्थित है।

प्रसाधन सामग्रियों का जानवरों पर परीक्षण

1534. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसाधन सामग्रियों के जानवरों पर परीक्षण पूर्ण प्रतिबंध लागने के लिए पीपुल फार इथिकल ट्रीटमेंट आफ एनिमल्स (पीइटीए) से कोई पत्र प्रधान मंत्री तथा उनके मंत्रालय को प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) जी, हां। श्री धर्मेश सोलंकी, पीपल फार इथिकल ट्रीटमेंट आफ एनिमल्स (पीईटीए) ने 17 जून, 2008 को प्रधान मंत्री और अन्य केन्द्रीय मंत्रियों को सम्बोधित पत्र की प्रति संलग्न की थी, जिसे संलग्नक के रूप में 8.8.2008 को एक आवेदन के साथ आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत मंत्रालय में 3.9.2008 को प्राप्त किया गया था। आवेदक को यह सूचित कर दिया था कि प्रसाधन सामग्रियों का जानवरों पर परीक्षण 25.10.1996 से आप्शनल बना दियागया है।

वाणिकी संबंधी आंकड़ों की अनुपलब्धता

1535. श्री के.सी. पल्लानी शामी:
श्री सुभाष महरिया:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वानिकी क्षेत्र से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वानिकी संपदा की अद्यतन जानकारी हेतु डाटाबेस तैयार करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में घटते वनक्षेत्र के कारण इमारती लकड़ी, इमारती लकड़ी उत्पादों, औषधीय पौधों, कागज, गोंद, रबर, कच्ची सामग्रियों तथा फलों की कमी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(छ) इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ज) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश के वनों से अर्जित राजस्व का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून वन आवरण, वृक्ष आवरण और वनों/वृक्षों के बढ़ते स्टाक पर द्विवार्षिक रूप से सांख्यिकीय आंकड़े तैयार करता है, जो वानिकी क्षेत्र की आंशिक जरूरतों को पूरा करते हैं। तथापि, वानिकी क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों में काफी अंतर है। पिछले कुछ वर्षों से आंकड़ों की रिपोर्ट न की गई अनुमानित मात्रा 20% से 35% के बीच है।

(ख) राज्यों द्वारा पिछले कुछ वर्षों के दौरान निम्नलिखित पैरामीटरों पर आंकड़े लगातार सूचित नहीं किए जा रहे हैं।

(1) वनीकरण

(2) संयुक्त वन प्रबंध

(3) बीज उत्पादन क्षेत्र

(4) दावानल

(5) गैर-इमारती वन उत्पाद

(ग) और (घ) जी, हां। मंत्रालय ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में ''वन प्रभाग की सुदृढ़ता'' पर एक स्कीम तैयार की है। ''राष्ट्रीय वानिकी सूचना प्रणाली'' इस स्कीम के घटकों में से एक है। इस स्कीम का उद्देश्य व्यापक राष्ट्रीय वानिकी डाटाबेस प्रबंध प्रणाली (एनएफडीएमएस) के विकास के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करना है, ताकि विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावपूर्ण ढंग से मानीटर किया जा सके और राज्य/संघ शासित वन विभागों के साथ उपर्युक्त वन आंकड़े डाटाबेस विकसित किए जा सकें। डाटाबेस इमारती, काष्ठ रहित वानिकी उत्पादों, वन व्यापार वानिकी उत्पादों आदि के निर्यात और आयात के अवसरों सहित वानिकी उत्पादों के उत्पादन और उपभोग पैटर्न पर सूचनाओं को संग्रहित, संकलित और प्रसारित करेगा।

(ङ) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जननी सुरक्षा योजना

1536. एडवोकेट सुरेश कुरूप:
श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) में शामिल किए गए प्रावधानों के साथ-साथ इस संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) का वर्तमान बजटीय आबंटन अपर्याप्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान किए गए बजटीय आबंटनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पागाबाका लक्ष्मी): (क) जननी सुरक्षा योजना में शामिल प्रावधानों के संक्षिप्त ब्यौरे एवं प्रमुख मार्गनिर्देश संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) व्यय के संबंध में पिछले रुझानों के आधार पर बजट अनुमान में पर्याप्त निधियों का प्रावधान किया जाता है और आरसीएच फ्लेक्सीपूल के भाग के रूप में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए इन निधियों को जारी किया जाता है। यदि आबंटित निधियों का पूरी तरह उपयोग किया जाता है तो संशोधित अनुमान के जरिए अतिरिक्त निधियां भी प्रदान की जाती हैं। तथापि, वर्ष 2005-06 से वर्ष 2007-08 के दौरान और चालू वर्ष में स्कीम पर सूचित व्यय इस प्रकार है:-

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपए में)
2005-06	38.29
2006-07	258.22
2007-08	755.01
2008-09	501.58# (30.9.2008 तक)

#राज्यों से आगे की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कोई परिवर्तन होने के अध्यधीन।

पिछले तीन वर्षों के दौरान (चालू वर्ष सहित) स्कीम के कार्यान्वयन पर हुए व्यय के राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

जननी सुरक्षा योजना

जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सुरक्षित मातृत्व कार्यकलाप है जो निर्धन गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए 12 अप्रैल, 2005 को शुरू की गई थी। यह योजना सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। जननी सुरक्षा योजना शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है।

2. इस स्कीम में निर्धन गर्भवती महिलाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है जिसमें कम संस्थागत प्रसव दर वाले राज्यों नामत: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा, राजस्थान एवं जम्मू व कश्मीर के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जहां इन राज्यों को निम्न कार्यनिष्पादन वाले राज्यों (एलपीएस) के रूप में वर्गीकृत किया गया है वहीं शेष राज्यों को उच्च कार्यनिष्पादन वाले राज्यों के रूप में। मातृ परिचर्या के अतिरिक्त, इस स्कीम में प्रसव परिचर्या के लिए सभी पात्र माताओं को नकद सहायता प्रदान की जाती है।

3 योजना में निम्न कार्यनिष्पादन वाले 10 राज्यों अर्थात् अधिकार प्राप्त कार्यदल वाले 8 राज्य और असम एवं जम्मू व कश्मीर तथा शेष पूर्वोत्तर राज्यों में सरकार एवं निर्धन गर्भवती महिलाओं के बीच एक प्रभावकारी कड़ी के रूप में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा को निर्धारित किया गया है। उसका मुख्य कार्य गर्भवती महिलाओं को मातृ परिचर्या सेवाएं प्राप्त करने में सहायता करना एवं रेफरल परिवहन की व्यवस्था करना है।

4. नकद सहायता के लिए पात्रता:

निम्न कार्यनिष्पादन वाले राज्यों में	सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों जैसे कि उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्रथम रेफरल एकक/जिला एवं राज्य अस्पतालों या मान्यताप्राप्त प्राइवेट संस्थानों के जनरल वार्डों में प्रसव कराने वाली सभी महिलाएं जिनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों की महिलाएं शामिल हैं।
उच्च कार्यनिष्पादन वाले राज्यों में	19 वर्ष एवं इससे अधिक आयु की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली गर्भवती महिलाएं और अनुसूचित जाति एवं जनजाति की गर्भवती महिलाएं

5. संस्थागत प्रसव के लिए नकद सहायता का स्तर (रुपए में)

श्रेणी	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र	
	मां का पैकेज	आशा का पैकेज	मां का पैकेज	आशा का पैकेज
निम्न कार्य निष्पादन वाले राज्य	1400	600	1000	200
उच्च कार्य निष्पादन वाले राज्य	700		600	

6. संस्थागत प्रसव के लिए नकद सहायता की सीमाएं:

निम्न कार्य निष्पादन वाले राज्य	स्वास्थ्य केन्द्र-सरकारी या मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्वास्थ्य संस्थानों में कराए गए सभी प्रसव
उच्च कार्य निष्पादन वाले राज्य	2 जीवित जन्मों तक

7. आशा पैकेज, निम्न कार्यनिष्पादन वाले राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों और सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के आदिवासी जिलों में उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

- प्रसव के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र जाने के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए रेफरल परिवहन हेतु नकद सहायता।
- आशा द्वारा दी गई सेवाओं के बदले उसका भुगतान की जाने वाली शेष राशि

8. इस योजना में ऐसे सरकारी संस्थानों में, जहां सरकारी विशेषज्ञ कार्यरत नहीं हैं, सीजेरियन सेक्सन या प्रसूति संबंधी जटिलताओं के प्रबंधन की लागत को प्रत्येक प्रसव के लिए 1500 रुपए तक रियायत प्रदान की जाती है।

9. निम्न कार्यनिष्पादन एवं उच्च कार्यनिष्पादन वाले राज्यों में 19 वर्ष एवं इसे अधिक आयु की ऐसी सभी गरीबी रेखा से नीचे की गर्भवती महिलाएं जो घर पर प्रसव करना चाहती हैं, दो जीवित जन्मों तक प्रत्येक प्रसव के लिए 500 रुपए नकद सहायता प्राप्त करने की हकदार हैं।

विवरण II

जननी सुरक्षा योजना 2005 के अंतर्गत आबंटन में से वित्तीय कार्यनिष्पादन का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2005-06 व्यय	2006-07 व्यय	2007-08* व्यय	2008-09** व्यय	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7
क.	अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य					
1.	बिहार	0.77	4.42	0.00	65.76	70.95
2.	छत्तीसगढ़	2.23	4.90	10.20	3.87	21.20
3.	हिमाचल प्रदेश	0.02	0.35	0.58	0.29	1.23
4.	जम्मू-कश्मीर	0.14	1.22	2.80	0.37	4.53
5.	झारखंड	0.00	2.21	7.79	20.59	30.58
6.	मध्य प्रदेश	4.15	48.64	194.31	85.01	332.11
7.	उड़ीसा	2.54	24.44	71.60	38.03	136.60
8.	राजस्थान	0.22	30.57	130.05	70.27	231.11
9.	उत्तर प्रदेश	2.58	19.64	118.56	107.70	248.48
10.	उत्तराखंड	0.16	1.91	8.32	5.23	15.62
	उप-योग	12.81	138.28	544.21	397.12	1092.42
ख.	पूर्वोत्तर राज्य					
11.	अरुणाचल प्रदेश	0.24	0.12	0.45	0.31	1.12
12.	असम	1.14	29.94	54.73	26.39	112.20
13.	मणिपुर	0.00	0.57	0.44	0.40	1.41
14.	मेघालय	0.01	0.47	0.65	0.44	1.57
15.	मिजोरम	0.28	0.59	0.91	0.65	2.43
16.	नागालैंड	0.00	0.42	1.35	0.17	1.94
17.	सिक्किम	0.06	0.10	0.23	0.03	0.42
18.	त्रिपुरा	0.50	0.33	1.13	0.77	2.73
	उप-योग	2.23	32.54	59.89	29.16	123.82

1	2	3	4	5	6	7
ग.	अधिक ध्यान नहीं दिए जाने वाले राज्य					
19.	आंध्र प्रदेश	15.38	26.19	38.50	19.16	99.22
20.	गोवा	0.00	0.03	0.07	0.03	0.13
21.	गुजरात	2.12	8.92	9.55	3.03	23.61
22.	हरियाणा	0.19	2.15	2.40	1.25	5.98
23.	कर्नाटक	1.35	9.67	18.28	14.35	43.64
24.	केरल	1.69	3.28	14.83	5.80	25.60
25.	महाराष्ट्र	2.03	3.78	16.69	5.93	28.43
26.	पंजाब	0.35	1.05	1.64	1.01	4.06
27.	तमिलनाडु	0.00	20.03	21.04	6.28	47.35
28.	पश्चिम बंगाल	0.11	12.10	27.15	17.62	56.97
	उप-योग	23.21	87.18	150.15	74.44	334.99
घ.	छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र					
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
31.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.01	0.45	0.71	1.16
34.	लक्षद्वीप	0.01	0.00	0.02	0.01	0.04
35.	पांडिचेरी	0.03	0.15	0.29	0.12	0.59
	मुख्यालय					
	उप-योग	0.03	0.22	0.76	0.86	1.87
	कुल योग	38.29	258.22	755.01	501.58	1553.10

*एफएमआर के अनुसार व्यय

**30.9.2008 तक

समुद्री श्रमिक समझौता (मैरीटाइम लेबर कंवेंशन), 2006 की अभिपुष्टि

1537. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मैरीटाइम लेबर कंवेंशन, 2006 की समय पर अभिपुष्टि करने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ होने की संभावना है;

(ग) क्या भारत उक्त कंवेंशन की अभिपुष्टि करने वाले कई देशों की तुलना में काफी पीछे है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) समुद्री श्रमिक समझौता (मैरीटाइम लेबर कंवेंशन) इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन द्वारा 7.2.2006 को अपनाया गया। यह समझौता, विश्व के कम से कम 33% टनभार वाले इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन के 30 सदस्य राष्ट्रों द्वारा इसका अनुसमर्थन किए जाने के पश्चात लागू होगा। इस समय केवल तीन देशों ने इसका अनुसमर्थन किया है। यह मामला भारत सरकार के ध्यान में है और इसकी जांच-पड़ताल की जा रही है।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री का विदेश दौरा

1538. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री ने अक्तूबर-नवम्बर, 2008 के दौरान किन-किन देशों का दौरा किया; और

(ख) उनकी यात्रा के दौरान की गई वार्ता तथा हस्ताक्षरित समझौतों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

यात्रा का देश (तारीख सहित)	की गई वार्ता के विवरण और हस्ताक्षर किए गए करार
1 2	3
जापान 22-23 अक्तूबर, 2008	प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री तारो असो से बातचीत की, सम्राट, जापान के विदेश मंत्री, आर्थिक मामले, व्यापार और उद्योग मंत्री, और जापान के न्यू कोमीटी पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच साझे हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। भारत और जापान के बीच सामरिक और वैश्विक भागीदारी की बढ़त पर एक संयुक्त वक्तव्य और भारत एवं जापान के बीच सुरक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा पर दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
चीन 24-25 अक्तूबर, 2008	प्रधानमंत्री ने बीजिंग में आयोजित 7वीं एशिया-यूरोप बैठक (एसेम) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और सतत् विकास पर पूर्ण सत्र को संबोधित किए। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति पर भी अपने विचार प्रकट किए। नेताओं के लिए आयोजित कार्याविधिक भोज के दौरान प्रधानमंत्री ने सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) पर विचार प्रकट किए। 7वें एसेम शिखर सम्मेलन में (1) सतत विकास पर बीजिंग घोषणा; (2) अध्यक्ष के वक्तव्य; और (3) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति पर एक वक्तव्य जारी किए गए। 25 अक्तूबर, 2008 को प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति हू जिन्ताओ से मुलाकात की। दोनों पक्षों द्वारा साझे वित्त के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

1	2	3
	ओमान 8-9 नवंबर, 2008	प्रधानमंत्री ने ओमान के उप प्रधानमंत्री और महामहिम सुल्तान से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों पक्ष द्रुत विकास और दोनों देशों के परस्पर लाभ के लिए ऐतिहासिक द्विपक्षीय संबंधों को सामरिक संबंधों में परिवर्तित करने पर सहमत हुए। जनशक्ति और भारत-ओमान संयुक्त निवेश निधि की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
	कतर 9-10 नवंबर, 2008	प्रधानमंत्री ने कतर राष्ट्र के अमीर से मुलाकात की और कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ शिष्टमंडल स्तरीय वार्ता की। दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में, जिनमें शिक्षा, हाइड्रोकार्बन, भारत को अतिरिक्त गैस की आपूर्ति, भारत में कतर के निवेश और कतर में भारतीय निवासियों का क्षेत्र भी शामिल है, द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के लिए मिलकर कार्य करने के प्रति अपनी वचनबद्धता की फिर से पुष्टि की। सुरक्षा और कानूनों के प्रवर्तन संबंधी मामलों में सहयोग और रक्षा सहयोग पर दो करारों पर हस्ताक्षर किए गए। ये करार रक्षा और सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए संस्थागत तंत्र की व्यवस्था करेंगे और दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच नियमित परामर्शों को सुकर बनाएंगे।
	अमेरिका 14-15 नवंबर, 2008	प्रधानमंत्री ने वाशिंगटन में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। शिखर सम्मेलन में जी-20 देशों के नेताओं ने वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने के लिए कदम उठाने का वचन दिया और सहयोग बढ़ाने और वैश्विक विकास की पुनर्स्थापना करने एवं विश्व की वित्तीय प्रणाली में जरूरी सुधार करने के प्रति अपने दृढ़ निश्चय को अभिव्यक्त किया। वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन की घोषणा जारी की गई।

बिहार में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

1539. श्री गिरिधारी यादव: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में चल रहे उन गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है;

(ख) कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई तथा उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिसके अंतर्गत इन गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान अनियमितताओं में संलिप्त पाए गए गैर-सरकारी संगठनों के नाम तथा ब्यौरे क्या हैं तथा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) ग्रामीण युवा समन्वय केन्द्र, सड़क संख्या 2, मानस मार्ग, हाऊस नं. 15 विद्याअम्बिका अपार्टमेंट, पश्चिमी शिवपुरी, जिला पटना-800023 राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है। यह एक विकेन्द्रित अभियान है जो कि राज्यों में कुछ अभिनिर्धारित संगठनों में कार्यान्वित किया जाता है जो कि देश के विशिष्ट राज्यों/क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय संसाधन एजेंसियों के रूप में अभिनामित किए जाते हैं। क्षेत्रीय संसाधन अभिकरण भागीदार संगठनों को धनराशि वितरित करते हैं। गैर-सरकारी संगठनों को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दी गई वित्तीय सहायता नीचे दी गई है:

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
धनराशि (रु. में)	43,13,000/-	30,33,000/-	33,03,000/-	39,85,000/-

(ग) शून्य।

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों का आधुनिकीकरण

1540. श्री शिशुपाल एन. पटले: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली तथा इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों का आधुनिकीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नोएडा, गाजियाबाद और विवेक विहार के औषधालयों को छोड़कर सभी औषधालयों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।

[हिन्दी]

राजकोट दूरदर्शन का उन्नयन

1541. श्री वी.के. दुम्मर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात में राजकोट दूरदर्शन के अपलिंकिंग की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पास राजकोट दूरदर्शन से क्षेत्रीय समाचार प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, समाचार में योगदान देने के लिए राजकोट सहित विभिन्न स्थानों पर वी-सैट के प्रावधान से संबंधित स्कीम को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। सरकार के पास राजकोट दूरदर्शन केन्द्र से क्षेत्रीय भाषाई समाचार प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद से गुजराती में प्रसारित किए जा रहे दैनिक क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन को दूरदर्शन केन्द्र राजकोट द्वारा रिले किया जाता है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी

1542. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में सहायता प्रदान की गई तथा मंजूरी दी गई पर्यावरणीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक मंजूर किए गए प्रस्तावों की कुल लागत कितनी है; और

(घ) लंबित परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दी जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) मंत्रालय परियोजना प्रस्तावकों को कोई सहायता प्रदान नहीं करता है।

पिछले दो वर्षों के दौरान औद्योगिक, ताप विद्युत संयंत्र, खनन (कोयला और गैर-कोयला), भवन और निर्माण, नदी घाटी एवं जल विद्युत अवसंरचना और विविध परियोजनाओं सहित कुल 571 परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई है।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी के लिए 54 परियोजनाएं प्रस्तुत की गई हैं जिनमें ताप विद्युत संयंत्र, खनन (कोयला और गैर कोयला), भवन एवं निर्माण, नदी घाटी एवं जल विद्युत, अवसंरचना एवं विविध परियोजनाएं शामिल हैं।

(ग) चूंकि दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की ईआईए अधिसूचना में निवेश मानदंड को हटा दिया गया है, परियोजनाओं की लागत का विवरण इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

(घ) ईआईए अधिसूचना 2006 में व्यवस्था है कि परियोजना प्रस्तावकों से पूर्ण सूचना प्राप्त होने के पश्चात् पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने की समय-सीमा 105 दिन है।

ओजोन क्षरण को कम करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समझौते

1543. श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओजोन क्षरण को कम करने के लिए विभिन्न योजनाओं के संबंध में सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रदत्त निधियों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) ओजोन परत की सुरक्षा के लिए वियाना कन्वेंशन एकमात्र ओजोन परत सुरक्षा ट्रीटी है। इसके अलावा, मांट्रियल प्रोटोकाल की संस्थापना ओजोन क्षयकारी पदार्थों को समाप्त करने के लिए 1987 में की गई थी। भारत 19 जून, 1991 को ओजोन परत सुरक्षा संबंधी वियाना कन्वेंशन का तथा 17 सितंबर, 1992 को ओजोन परत का क्षय करने वाले पदार्थों से संबंधित मांट्रियल प्रोटोकाल का पक्षकार बना था। इसके अतिरिक्त, भारत ने 3 मार्च, 2003 को मांट्रियल प्रोटोकाल के कोपेनहैगन, मांट्रियल और बीजिंग संशोधनों का समर्थन किया था।

(ख) मांट्रियल प्रोटोकाल के कार्यान्वयन के लिए बहुपक्षीय कोष (एमएलएफ) की कार्यकारी समिति ने 296 परियोजनाओं को अनुमोदित किया था जो 12405 ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल टन ओ डी एस के खपत क्षेत्र से तथा 33683 ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल टन ओ डी एस के उत्पादन क्षेत्र से हटाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रु. के निधियन से संबंधित थीं।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक महाविद्यालयों का कार्यकरण

1544. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में बिहार तथा उत्तर प्रदेश सहित देश में कितने आयुर्वेदिक महाविद्यालय कार्यरत हैं; और

(ख) उक्त महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में कुल कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) बिहार, उत्तर प्रदेश सहित देश में 248 आयुर्वेदिक कालेज कार्य कर रहे हैं।

(ख) इन कालेजों में 1173 छात्र स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रहे हैं।

झारखण्ड में चिरंजीवी योजना

1545. डा. धीरेंद्र अग्रवाल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने झारखंड में चिरंजीवी योजना कार्यान्वित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना किस तिथि से कार्यान्वित की गई;

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितने लोगों के सहायता प्रदान की गई; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत झारखंड को कितनी राशि आवंटित की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

आम आदमी को केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा

1546. श्री सुभाष महरिया: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड सुविधा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की उनके मासिक वेतन से कुछ राशि की कटौती किए जाने के एवज में दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या आम आदमी को भी ऐसी सुविधा प्रदान करने का कोई प्रयास किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। केन्द्र सरकार के सभी पात्र कर्मचारियों को उनके वेतन से मासिक अंशदान लिए जाने पर सीजीएचएस कार्ड प्रदान किए जाते हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना केवल केन्द्र सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के लिए ही है (जो सीजीएचएस शहरों में रह रहे हैं)।

चिकित्सा महाविद्यालयों में आंकोलाजी विभाग स्थापित किया जाना

1547. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चिकित्सा महाविद्यालयों में आंकोलाजी विभाग स्थापित करने तथा कैंसर को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अर्बुद विज्ञान खण्ड के विकास और जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों/सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों को वित्तीय सहायता दी जाती है। सहायता अनुदान केवल संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर ही दी जाती है। अर्बुत विज्ञान खण्ड के विकास के लिए 3.00 करोड़ रुपए की एकबारगी अनुदान राशि तथा जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 5 वर्ष की समयावधि में 90.00 लाख रुपए की अनुदान राशि सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों को दी जाती है। वर्तमान वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्यवार व्यय

क्र.सं.	राज्य का नाम	संस्था का नाम	योजना का नाम	वर्ष	सहायता अनुदान की राशि (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	इंडिया रेड क्रास सोसाइटी, नेल्लोर	आंकोलाजी	2007-08	50.00
		वेंकटेश्वर, तिरूपति	आंकोलाजी	2006-07	300.00
		जीएमसी, अनन्तपुरा	आंकोलाजी	2005-06	200.00
		जीजीएच, काकीनाडा	आंकोलाजी	2005-06	100.00
2.	असम	बरपेटा नलबाडी एवं डरांग	डीसीसीपी	2007-08	22.00
		एएमसी, डिब्रूगढ़	आंकोलाजी	2006-07	218.00
		मेडिकल कालेज, सिल्चर	आंकोलाजी	2005-06	200.00
		बीबीसीआई, गोवाहाटी	आंकोलाजी	2005-06	16.00
3.	चंडीगढ़	जिपमेर, चण्डीगढ़	आंकोलाजी	2005-06	264.00
4.	गुजरात	जीसी एंड आरआई, अहमदाबाद	डीसीसीपी	2008-09	17.00
		आरसीसी, अहमदाबाद	डीसीसीपी	2006-07	6.99
		एमजीआईसी, वर्धा	आंकोलाजी	2006-07	200.00
		आरसीसी, अहमदाबाद	डीसीसीपी	2005-06	15.00
5.	जम्मू-कश्मीर	जीएमसी, श्रीनगर	आंकोलाजी	2006-07	114.00
		जीएमसी, जम्मू	आंकोलाजी	2005-06	200.00

1	2	3	4	5	6
6.	कर्नाटक	वीआईएमएस, वेल्लारी	आंकोलाजी	2005-06	100.00
7.	केरल	आरसीसी, त्रिवेन्द्रम	डीसीसीपी	2007-08	17.00
		कोट्टायम	आंकोलाजी	2007-08	100.00
		जीएमसी, कालीकट	आंकोलाजी	2005-06	150.00
		जीएच, एर्नाकुलम	आंकोलाजी	2005-06	270.00
		आरसीसी, त्रिवेन्द्रम	डीसीसीपी	2005-06	22.00
8.	मध्य प्रदेश	कैंसर हास्पिटल, ग्वालियर	डीसीसीपी	2008-09	22.00
		शिवपुरी, गुना एवं अशोकनगर	डीसीसीपी	2007-08	22.00
		दतिया, छतरपुर एवं टीकमगढ़	डीसीसीपी	2007-08	22.00
		सेओनी एवं बालाघाट	डीसीसीपी	2007-08	22.00
		भिण्ड एवं मुरैना	डीसीसीपी	2007-08	22.00
		भोपाल एवं रायसेन	डीसीसीपी	2007-08	22.00
		आरसीसी, ग्वालियर	डीसीसीपी	2007-08	44.00
		जीआरएमसी, ग्वालियर	आंकोलाजी	2005-06	300.00
9.	मणिपुर	आरआईएमएस, इम्फाल	आंकोलाजी	2005-06	300.00
10.	मिजोरम	सिविल हास्पिटल आइजोल	आंकोलाजी	2007-08	100.00
		आरसीसी, मिजोरम	डीसीसीपी	2005-06	22.00
11.	नागालैंड	नागा हास्पिटल, कोहिमा	आंकोलाजी	2008-09	90.00
12.	पंजाब	जीजीएसएमसी, फरीदकोट	आंकोलाजी	2008-09	300.00
		एसजीटीबीएच, अमृतसर	आंकोलाजी	2005-06	200.00
13.	राजस्थान	एस.एन. मेडिकल कालेज, जोधपुर	आंकोलाजी	2008-09	150.00
		आचार्य तुलसी बीकानेर	डीसीसीपी	2008-09	17.00
		आरएनटी उदयपुर	आंकोलाजी	2007-08	196.00
		बीकानेर	डीसीसीपी	2007-08	22.00
14.	त्रिपुरा	अगरतला	डीसीसीपी	2008-09	22.00
15.	उत्तराखंड	दून हास्पिटल, देहरादून	डीसीसीपी	2006-07	66.00
		दून हास्पिटल, देहरादून	आंकोलाजी	2005-06	62.00

1	2	3	4	5	6
16.	उत्तर प्रदेश	जेके कैंसर इंस्टीट्यूट, कानपुर	आंकोलाजी	2006-07	250.00
		केजीएमसी, लखनऊ	आंकोलाजी	2006-07	278.00
		एसजीपीजीआई, लखनऊ	आंकोलाजी	2005-06	100.00
17.	पश्चिम बंगाल	आरजी कार हास्पिटल, कोलकाता	आंकोलाजी	2007-08	98.00
		एमसीएच, कोलकाता	आंकोलाजी	2006-07	100.00

[अनुवाद]

भारत और फ्रांस सरकार के बीच सिविल परमाणु सहयोग संबंधी समझौता

1548. श्री अनन्त नायक:
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिविल परमाणु सहयोग पर भारत और फ्रांस सरकार के बीच किए गए समझौते की निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त समझौते के अनुसरण में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या किसी अन्य देश ने भारत के साथ इसी प्रकार का समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के विकास में सहयोग करने के बारे में भारत गणराज्य की सरकार और फ्रांस गणराज्य की सरकार ने एक करार पर 30.09.2008 को हस्ताक्षर किए हैं। यह करार अभी लागू किया जाना है।

(ख) इस करार को अनुसमर्थन देने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं।

(ग) से (ङ) नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के संबंध में सहयोग करने के लिए भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के बीच एक करार पर 10.10.2008 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

कुडनकुलम स्थल पर अतिरिक्त नाभिकीय विद्युत संयंत्र इकाइयों के निर्माण में और उसके साथ-साथ भारत गणराज्य में नए स्थलों पर रूस द्वारा डिजाइन किए गए नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के निर्माण में भी सहयोग करने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और रूसी परिसंघ की सरकार के बीच एक करार पर 05.12.2008 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

समेकित वन संरक्षण योजना

1549. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को वर्ष 2008-09 में केरल सरकार से समेकित वन संरक्षण योजना के अंतर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत वर्ष के दौरान समेकित वन संरक्षण योजना के वार्षिक कार्य कार्यक्रम हेतु प्रत्येक राज्यों को किए गए आबंटन का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी, हां।

(ख) उक्त प्रस्ताव के निम्नलिखित घटक और वित्तीय प्रक्षेप हैं:

	घटक	वित्तीय प्रक्षेप
1.	दावानल नियंत्रण एवं प्रबंधन	318.00 लाख
2.	विशेष और संकटापन्न प्रजातियों की सुरक्षा जैसे चंदन, रोजवुड शेन्डर्नी	180.00 लाख
3.	वन सुरक्षा की अवसंरचना को मजबूत बनाना	512.00 लाख
4.	कार्य योजना/सर्वेक्षण और सीमांकन की तैयारी	168.00 लाख
	कुल	1178.00 लाख

(ग) एकीकृत वन संरक्षण योजना के वार्षिक कार्य कार्यक्रम के लिए पिछले वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2007-08
1	2	3
	अन्य राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	179.772
2.	बिहार	83.736
3.	छत्तीसगढ़	613.012
4.	गोवा	18.53
5.	गुजरात	568.825
6.	हरियाणा	96.04
7.	हिमाचल प्रदेश	124.066
8.	जम्मू-कश्मीर	शून्य
9.	झारखंड	221.875
10.	कर्नाटक	159.60
11.	केरल	283.72
12.	मध्य प्रदेश	665.02
13.	महाराष्ट्र	232.84
14.	उड़ीसा	180.61
15.	पंजाब	शून्य* (100.00)
16.	राजस्थान	99.692
17.	तमिलनाडु	431.5775
18.	उत्तर प्रदेश	235.73
19.	उत्तराखंड	283.41
20.	पश्चिम बंगाल	187.425
	कुल	4665.4405
	उत्तर पूर्वी एवं सिक्किम	
1.	असम	496.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	308.42
3.	मणिपुर	143.55
4.	मेघालय	86.00
5.	मिजोरम	414.37
6.	नागालैंड	365.4264
7.	सिक्किम	120.6648
8.	त्रिपुरा	98.593
	कुल	2033.0242
	केन्द्र शासित प्रदेश	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य
2.	चंडीगढ़	शून्य
3.	दादरा और नगर हवेली	शून्य
4.	दमन और दीव	शून्य
5.	लक्षद्वीप	शून्य
6.	नई दिल्ली	शून्य
7.	पांडिचेरी	शून्य
	कुल	शून्य
	कुल योग	6698.4647

*पुन: वैध की गई धनराशि को इंगित करता है।

केबल नेटवर्क संबंधी इक्विटी सीमा

1550. श्री वाडिगा रामकृष्णा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केबल नेटवर्क में प्रसारण कंपनियों पर 20 प्रतिशत की इक्विटी सीमा की पुनरीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से डायरेक्ट-टू-होम पर लगे प्रतिबंधों की पुनरीक्षा करने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में शेयरधारकों से चर्चा की है; और

(च) यदि हां, तो इन चर्चाओं के क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) केबल टी वी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम में केबल नेटवर्क में प्रसारण कम्पनियों पर कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अधिनियम में केबल नेटवर्क सेवा में कम्पनियों के लिए केबल 49% की विदेशी निवेश की सीमा निर्धारित की गई है।

(ग) जी, हां। सरकार ने दिनांक 22.9.2008 को डीटीएच सहित विभिन्न प्रसारण खंडों में प्रदत्त पारस्परिक मीडिया एवं स्वामित्व प्रतिबंधों पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशें मांगी हैं।

(घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने इस मामले में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पत्तनों का विकास

1551. श्री के.एस. राव: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान लक्ष्य की तुलना में देश के प्रमुख पत्तनों पर सृजित तथा प्रदत्त वर्षों का ब्यौरा क्या है तथा यदि कोई कमी रही, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार द्वारा पत्तनों के विकास हेतु वार्षिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पत्तन निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा बड़ी परियोजनाओं वाली दीर्घकालिक संदर्शी योजना तैयार करने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) अतिरिक्त घाटों के परिवर्णन और उत्पादकता में सुधार के कारण महापत्तनों की क्षमता वर्ष 2005-06 में 456.20 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़कर 2007-08 में 532.07 मिलियन टन प्रति वर्ष हो गई है। पिछले तीन वर्षों में बनाए गए और बनाए जाने का काम सौंपे गए नए घाटों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) व्यापार की अपेक्षाओं और भविष्य में यातायात के अनुमान के आधार पर पत्तनों का विकास एक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है और यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग-अलग पत्तनों की जरूरतों के आधार पर परियोजनाएं प्रारंभ की जाती हैं। पत्तनों में घाटों आदि के विकास के लिए अपेक्षित बड़े निवेश की जरूरत के समाधान के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र से निवेश की आवश्यकता है। पत्तन क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र को आकर्षित और प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने अर्हता के आदर्श अनुरोध, प्रस्ताव के अनुरोध और माडल रियायत करार को अंतिम रूप दे दिया है जिससे बोली की प्रक्रिया में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। गैर-सरकारी प्रचालकों को बोली के आधार पर सौंपे जाने वाले घाटों और टर्मिनलों के लिए प्रशुल्क के अग्रिम निर्धारण के लिए नए दिशानिर्देशों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है ताकि संभावित बोलीदाताओं को संबंधित परियोजनाओं से होने वाले राजस्व की अनुमानित प्राप्ति की जानकारी हो। महापत्तनों के लिए लंबी अवधि के एक परिदृश्य को अंतिम रूप दिए जाने हेतु प्रत्येक महापत्तन के लिए एक पत्तन व्यापार योजना के रूप में परिप्रेक्ष्यात्मक योजना के साथ-साथ पत्तन विकास की एक समेकित योजना भी तैयार की गई है।

विवरण

कोलकाता पत्तन न्यास

(1) हल्दिया डॉक कांपलैक्स के परिबद्ध डॉक के भीतर बहुउद्देशीय घाट (घाट संख्या 2) का निर्माण

(2) हल्दिया डॉक कांपलैक्स के परिबद्ध डॉक के भीतर बहुउद्देशीय घाट (घाट संख्या 13) का निर्माण

विशाखापट्टनम पत्तन न्यास

(1) बंदरगाह की उत्तरी शाखा में दो बहुउद्देशीय घाटों ई क्यू-8 और ई क्यू-9 का निर्माण।

चेन्नई पत्तन न्यास

(1) दूसरे कंटेनर टर्मिनल का विकास

इन्नौर पत्तन लिमिटेड

(1) समुद्री तरल टर्मिनल का निर्माण

(2) कोयला टर्मिनल का निर्माण

(3) लौह अयस्क टर्मिनल का निर्माण

तूतीकोरिन पत्तन न्यास

(1) घाट संख्या 9 का निर्माण

कोचीन पत्तन न्यास

(1) अन्तर्राष्ट्रीय कंटेनर यानांतरण टर्मिनल का विकास

(2) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की कोच्चि रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल की संभलाई की सुविधा

नव मंगलूर पत्तन न्यास

(1) गहरे डुबाव वाले बहुउद्देशीय घाट का निर्माण

मुरगांव पत्तन न्यास

(1) घाट संख्या 5ए और 6ए का निर्माण

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास

(1) तीसरे कंटेनर टर्मिनल का निर्माण

मुंबई पत्तन न्यास

(1) दो अपतटीय कंटेनर टर्मिनलों का निर्माण

कांडला पत्तन न्यास

(1) 12वें कार्गो घाट का निर्माण

(2) वाडिनार में तेल जेट्टियों के लिए पत्तन सुविधाओं का निर्माण

सर-क्रीक पर पाकिस्तान के साथ समझौता

1552. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सर क्रीक समुद्री सीमा विवाद पर पाकिस्तान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते की प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके अनुसरण में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में रिक्त पड़े पद

1553. श्री एस.के. खारवेलवन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रिक्त पदों को भरने के लिए कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रिक्त पदों को कब तक भर दिए जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) दिनांक 01.11.2008 की स्थिति के अनुसार, 5,960 स्वीकृत पदों में से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विभिन्न ग्रेडों में 1404 पद रिक्त पड़े हुए हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:-

संवर्ग	स्वीकृत पद संख्या	वास्तविक संख्या	रिक्त पद
कार्यकारी	4077	3209	868
विधायी	230	156	74
तकनीकी	155	50	105
अनुसचिवीय	1284	958	326
समूह 'घ'	144	125	19
कैंटीन स्टाफ	70	58	12

(ग) और (घ) सरकार ने समय से रिक्तियों का भरा जाना सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को आकर्षित करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर तक वेतन-महंगाई भत्ते के 25% की दर से और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए 15% की दर से विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिया जाना।

(2) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विभिन्न पदों की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु भर्ती नियमों में समय-समय पर संशोधन।

(3) भर्ती में तेजी और निर्बाधता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर निरीक्षकों के प्रवेश हेतु अधिकारों का विकेन्द्रीकरण।

(ङ) चूंकि रिक्तियों का होना तथा उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है अत: उसके लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव संबंधी अध्ययन

1554. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को जानने के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा पहला अध्ययन किस वर्ष किया गया है;

(ख) पहला अध्ययन करने वाली समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं तथा इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या उक्त समिति ने निष्कर्षों के आधार पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पहले अध्ययन में इस समिति को अपनी सहायता देने वाले अनुसंधान संगठनों के नाम क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा डॉ. आर. चिदंबरम, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में वर्ष 2007 में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इस समिति को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन करने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन के लिए उपाय सुझाने का कार्य सौंपा गया है। इस समिति ने छ: क्षेत्रों नामत: जल संसाधन, कृषि, प्राकृतिक पारिप्रणाली, स्वास्थ्य, तटीय जोन प्रबंध और जलवायु परिवर्तन सिनेरियोज के संबंध में स्टेटस पेपर्स तैयार किए हैं।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त समिति के गठन से पूर्व एक व्यापक सहभागिता प्रणाली के जरिए जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर सूचना तैयार की गई थी जिसमें अनुसंधान और विकास संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों तथा जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन से संबंधित भारत का प्रारंभिक राष्ट्रीय पत्र तैयार करने हेतु देशव्यापी स्तर पर गठित उद्योग संघों से ली गई 131 रिसर्च टीमों को शामिल किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैरा की गई थी और इसे प्रधान मंत्री द्वारा 30 जून, 2008 को जारी किया गया था। इस राष्ट्रीय कार्य योजना में सौर, वर्धित ऊर्जा क्षमता, सतत पर्यावास, जल, हिमालयी पारिप्रणाली को बनाए रखना, हरित भारत, जलवायु परिवर्तन के लिए सतत कृषि और कार्यनीतिक ज्ञान जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में आठ मिशनों का उल्लेख किया गया है। ऊपर उल्लिखित स्टेट्स पैपर्स में निहित सूचना व्यापक मिशन दस्तावेज तैयार करने हेतु स्रोत सामग्री का करती है।

[हिन्दी]

चिकनपाक्स तथा स्मालपाक्स के मामले पुन: सामने आना

1555. श्री गणेश सिंह:
श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री रशीद मसूद:
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 'चिकनपाक्स' तथा 'स्माल पाक्स' के मामले पुन: सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन रोगों से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अधिकांश सरकारी अस्पतालों में 'चिकनपाक्स' तथा 'स्माल पाक्स' के टीके उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकारी अस्पतालें में इन टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) ऐसे रोगों को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सीमा सड़क संगठन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव

1556. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिजोरम तथा असम के सीमा क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ.) द्वारा अनुरक्षित राष्ट्रीय राजमार्गों की दशा खराब है;

(ख) यदि हां, तो उनकी दशा तथा सड़कों के रख-रखाव की स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन सड़कों के रख-रखाव के लिए बी.आर.ओ. को कोई धनराशि उपलब्ध कराई जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) असम सहित पूर्वोत्तर के सीमान्त जिलों में सड़कों की दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और इन्हें धनराशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ग) और (घ) सीमा सड़क संगठन के लिए राज्य विशिष्ट आबंटन नहीं किया जाता। वर्ष 2008-09 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए सीमा सड़क संगठन को 26.35 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

(ङ) यह मंत्रालय मुख्यत: देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए जिम्मेदार है और पूर्वोत्तर राज्यों के सीमावर्ती जिलों में सड़कों के सुधार की कोई स्कीम नहीं है। सीमावर्ती जिलों में सड़कों के सुधार के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होती है।

कोयले का आयात

1557. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री मदन लाल शर्मा:
प्रो. एम. रामदास:
श्री गणेश सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया का कोयला आयात करने का प्रस्ताव है जैसाकि दिनांक 6 सितम्बर, 2008 के "द हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक देश से कितनी मात्रा में कोयले का आयात किया गया है;

(ग) देश में उत्पादित कोयले की तुलना में आयोजित कोयले की लागत कितनी है; और

(घ) कोल इंडिया द्वारा अपने उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) और (ख) योजना आयोग में सितम्बर, 2008 में बुलाई गई बैठक के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत उपयोगिता की अनुमानित मांग तथा निर्धारित आयात सहित विभिन्न स्रोतों से कोयले की आपूर्ति को देखते हुए 2008-09 के दौरान विद्युत उपयोगिताओं को कोयले की आपूर्ति से संबंधित स्थिति पर चर्चा हुई थी तथा यह निर्णय लिया गया कि विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने एवं कोयले की आपूर्ति में कुछ लचीलापन लाने के लिए 11 मिलियन टन अतिरिक्त कोयले का आयात करने की आवश्यकता है, जिसमें से सीआईएल को 4 मिलियन टन कोयले का आयात करने की सलाह दी गई थी। कोल इंडिया लि. (सीआईएल) बोर्ड ने नवम्बर, 2008-मार्च, 2009 के दौरान विद्युत उपयोगिताओं हेतु सीआईएल द्वारा 4 मिलियन टन कोयले के आयात का अनुमोदन कर दिया है।

पिछले तीन वर्षों सहित विगत के दौरान सीआईएल ने किसी कोयले का आयात नहीं किया था। 2008-09 के दौरान 4 मिलियन टन के आयात का प्रस्ताव है और संबंधित अधिकरणों के परामर्श से सीआईएल द्वारा तौर-तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) आयायित कोयले की लागत विभिन्न कारकों जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मांग, उपलब्धता, उपभोक्ता की अवस्थिति आदि पर निर्भर करती है। कुछ विशिष्ट तटीय आधारित स्थानों को छोड़कर कुल मिलाकर इस समय आयातित कोयले की लागत स्वदेशी कोयले की लागत से तुलनात्मक आधार पर अधिक है।

(घ) कोल इंडिया लि. द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं-

(1) ओपनकास्ट खानों में उच्च क्षमता के शोवेल और डम्परों की खरीद की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(2) भूमिगत खानों में यंत्रीकरण हेतु स्थानों का पता लगा लिया गया है।

(3) उपकरणों की खरीद करने तथा प्रमुख विकास क्रियाकलापों हेतु निविदाओं को अंतिम रूप देने में होने वाले विलम्ब से बचने के लिए मानक निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) तैयार किए जा रहे हैं।

(4) 66.36 मिलियन टन प्रति वर्ष की चरम क्षमता की बढ़ोत्तरी के लिए 2007-08 (फरवरी, 2008 तक) 18 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

भारत और पाकिस्तान में ऐतिहासिक सिख धर्मस्थलों के बीच एक्सप्रेस लिंक

1558. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा:
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:
डा. रतन सिंह अजनाला:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान के करतारपुर साहिब तथा भारत के डेरा बाबा नानक के बीच स्थित ऐतिहासिक सिख धर्मस्थलों के बीच सीधा एक्सप्रेस लिंक उपलब्ध कराने में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): अक्तूबर, 2005 में मौजूदा धर्मस्थलों की यात्रा संबंधी प्रोतोकाल, 1974 को संशोधित करने के लिए एक मसौदा पाकिस्तान को सौंपा गया था। इस मसौदे में करतारपुर साहिब सहित यात्रा किये जाने वाले धर्मस्थलों के साथ-साथ तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि करने का भी प्रस्ताव किया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की जून, 2008 में भारत की यात्रा के दौरान तीर्थयात्रा के तौर-तरीकों को तय करने के लिए भारत के एक दल के करतारपुर साहिब भेजने का प्रस्ताव किया गया था। इन दोनों प्रस्तावों पर पाकिस्तान का उत्तर प्रतीक्षित है।

[हिन्दी]

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

1559. श्री महावीर भगोरा: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग का कतिपय भाग अभी भी बनाया जाना शेष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वार्षिक योजना 2007-08 के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग-65 का 32 कि.मी. लंबाई में और राष्ट्रीय राजमार्ग-11ए का 3 कि.मी. लंबाई में अभी निर्माण किया जाना है।

(ग) वार्षिक योजना 2007-08 के लिए केंद्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चीनी धातु कर्मीय कोक का पाटन

1560. श्री हितेन बर्मन:
श्री सुव्रत बोस:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत कोकिंग कोल लि. से घरेलु कोयला क्षेत्र को बनाए रखने के लिए चीनी धातु कर्मीय कोक के पाटन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आयात किए गए धातुकर्मीय कोक का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

लोक वानिकी कार्यक्रम

1561. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को लोक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत 10 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि की प्रबंधन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु समिति का गठन करने के लिए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी, हां। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश सरकार से लोक वानिकी स्कीमों के अंतर्गत 10 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र वाली प्रबंधन स्कीमों को मंजूरी देने की प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए एक समिति गठित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ख) पर्यावरण एवं वन मंत्री, भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव की जांच की गई थी और यह पाया गया था कि ऐसी प्रबंधन योजना की मंजूरी के लिए एक समिति गठित करने हेतु प्रस्ताव, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिए गए आदेशों के अनुरूप नहीं था और तद्नुसार राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नशा मुक्ति केन्द्र

1562. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तंबाकू के आदी लोगों के उपचार हेतु देश में नशा मुक्ति केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस उद्देश्य हेतु 'स्थानों' की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस नशा मुक्ति केन्द्रों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) वर्ष 2007-08 में 18 जिलों में शुरू किए गए राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रायोगिक चरण के अंतर्गत सरकार चिकित्सा/दंत चिकित्सा कालेजों में या जिला अस्पतालों में प्रत्येक जिले के लिए एक-एक तम्बाकू सेवन समाप्ति/दुर्व्यसन निवारण सुविधा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव कर रही है। ये देश के विभिन्न भागों में पहले से ही कार्य कर रहे 19 तम्बाकू सेवन समाप्ति केन्द्रों के अतिरिक्त हैं। वर्ष 2008-09 में प्रायोगिक जिलों की संख्या 18 से बढ़ाकर 42 की जा रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्रत्येक जिले में कम से कम एक तम्बाकू सेवन समाप्ति केन्द्र/दुर्व्यसन निवारण केन्द्र उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

रांची से डाल्टनगंज रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

1563. श्री घुरन राम: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड में रांची से डाल्टनगंज तक की सड़क की घोषणा राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे किस तिथि को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास व मरम्मत के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) रांची-डाल्टनगंज-गढ़वा-नगर उन्तारी-उत्तर प्रदेश सीमा सड़क जिसकी झारखंड में कुल लंबाई 261.00 किमी. है, को दिनांक 12.10.2000 को राष्ट्रीय राजमार्ग-75 के रूप में घोषित किया गया था।

(ग) झारखंड में रारा-75 का 112 किमी. में दो लेन का कैरिजवे है और शेष 149 किमी में मध्यम कैरिजवे लेन का है।

(घ) वर्ष 2008-09 के दौरान झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और मरम्मत के लिए 106.88 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

[अनुवाद]

इसरो द्वारा उपग्रहों का प्रक्षेपण

1564. श्री अबु अयीश मंडल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने श्रीहरिकोटा से एकल वाहन का प्रयोग करते हुए 10 (दस) उपग्रहों का कक्षा में प्रक्षेपित करने का विश्व कीर्तिमान बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामत: क्या लाभ होने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) भारत ने एक ही प्रमोचक राकेट द्वारा दस (10) उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रमोचित करने का विश्व में रिकार्ड स्थापित किया है। यह प्रमोचन पी.एस.एल.वी. की 9वीं उड़ान के साथ श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से दिनांक 28.04.2008 को प्रमोचित किया गया। प्रमोचित उपग्रहों में से भारत के कार्टोसैट-2ए, आई.एम.एस.-1; एन.एल.एस.-4 (जिसमें छः उपग्रह सी.ए.एन.एक्स2, क्यूट-1.7 डेल्फी-सी3, औसैट-II, कम्पास-1 और सीड्स का समूह शामिल है) और स्पेस फ्लाइट प्रयोगशाला टोरंटो विश्वविद्यालय, कनाडा के एन.एल.एस.-5 एवं कासमास अन्तर्राष्ट्रीय जर्मनी से रूबीन-8 शामिल हैं।

(ग) एक ही समय में विभिन्न उद्देश्यों के बहुप्रयोजन उपग्रहों को प्रमोचित करने, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय नीतभारों हेतु अवसर प्रदान करने और प्रमोचन लागत को कम करने में यह क्षमता सफल सिद्ध हुई है।

[हिन्दी]

इन्विट्रो फर्टिलाइजेशन सेन्टर्स

1565. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:
श्री रशीद मसूद:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इन्विट्रो फर्टिलाइजेशन (आई.वी.एफ.) केंद्रों की बेरोक-टोक वृद्धि को रोकने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को आईवीएफ तकनीकों के संबंध में आईसीएमआर के पूर्व महानिदेशक से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस रिपोर्ट का कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारत में सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी औषधालयों का पर्यवेक्षण और विनियमन करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी (भारत) के साथ "भारत में एआरटी औषधालयों के प्रत्यायन, पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश" बनाये हैं।

ये दिशानिर्देश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाईट (www.inohfw.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ग) से (ङ) भारत में ए आर टी औषधालयों के प्रत्यायन, पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश आईसीएमआर के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्व महानिदेशक, आईसीएमआर के कार्यकाल के दौरान बनाए गए थे।

दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के निर्देश सहित ए आर टी दिशानिर्देशों को देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित कर दिया गया है।

भारत में डोपिंग सेन्टर को मान्यता

1566. श्री हंसराज गं. अहीर:
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ल्ड एन्टि-डोपिंग एजेंसी (डब्ल्यूएडीए) ने देश में स्थित डोपिंग सेन्टरों को मान्यता दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन के लिए स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कार्यात्मक बनाने के लिए सरकार द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) जी, हां।

(ख) डोप नियंत्रण केन्द्र (डीसीसी) जो पहले भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य कर रहा था, अब स्वतंत्र इकाई नामत: राष्ट्रीय डोप जांच प्रयोगशाला (एनडीटीएल) के रूप में पंजीकृत हो गया है। इसे 20 सितम्बर, 2008 से विश्व डोपिंग-रोधी एजेंसी (वाडा) के रूप में स्थायी मान्यता मिल गई है तथा वर्तमान में यह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में कार्यरत है।

(ग) यह पूर्णतया भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। वर्ष 2007-2008 के दौरान राष्ट्रीय डोप नियंत्रण प्रयोगशाला के संचालन के लिए उसे छः करोड़ रु. प्रदान किए गए थे।

[अनुवाद]

दृष्टिहीनता नियंत्रण हेतु संशोधित राष्ट्रीय कार्यक्रम

1567. श्री एस. अजय कुमार:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दृष्टिकोण नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम में संशोधन करने का निर्णय लिया है जैसा कि 4 अक्तूबर, 2008 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पूरे देश में आवश्यक उपकरणों के साथ 'दृष्टि केन्द्र' स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में दृष्टिहीनता पर नियंत्रण के लिए विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम की सहायता के संशोधित पैटर्न को आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमण्डल समिति द्वारा 3 अक्तूबर, 2008 को आयोजित उसकी बैठक में अनुमोदित कर दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं:-

(क) दृष्टिहीन की पहचान और उसके उपचार के माध्यम से दृष्टिहीनता की संख्या को कम करना।

(ख) प्रत्येक जिले में व्यापक नेत्र परिचर्या सुविधाओं का विकास।

(ग) नेत्र परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए मानव संसाधनों का विकास करना।

(घ) सेवा प्रदानगी गुणवत्ता में सुधार लाना।

(ङ) नेत्र परिचर्या में स्वेच्छिक संगठनों/निजी व्यवसायियों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

(च) नेत्र परिचर्या के बारे में सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना।

(ग) और (घ) संशोधित योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में देश में प्रति केन्द्र पर 50,000 लोगों को मूलभूत नेत्र परीक्षण उपकरण की व्यवस्था के साथ 3000 नेत्र केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।

(ङ) वर्ष 2007-08 के दौरान देश में दृष्टिहीनता समाप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपए में)

मुख्य राज्य	2007-08 जारी की गई राशि
1	2
आंध्र प्रदेश	1481.60
बिहार	138.13
छत्तीसगढ़	360.26
गोवा	25.00
गुजरात	788.66
हरियाणा	128.50
हिमाचल प्रदेश	43.50
जम्मू-कश्मीर	91.00
झारखंड	305.59
कर्नाटक	729.00
केरल	263.52
मध्य प्रदेश	1249.37
महाराष्ट्र	1578.00
उड़ीसा	422.50
पंजाब	72.00
राजस्थान	1569.50

1	2
तमिलनाडु	2286.45
उत्तर प्रदेश	1313.25
उत्तरांचल	249.42
पश्चिम बंगाल	645.35
उप-योग	13740.60
पूर्वोत्तर राज्य	
अरुणाचल प्रदेश	66.75
असम	342.15
मणिपुर	139.50
मेघालय	193.51
मिजोरम	78.22
नागालैंड	181.00
सिक्किम	69.50
त्रिपुरा	199.63
उप-योग	1270.26
संघ राज्य क्षेत्र	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.00
चंडीगढ़	85.85
दादरा और नगर हवेली	21.28
दमन और दीव	4.00
दिल्ली	150.94
लक्षद्वीप	16.00
पांडिचेरी	17.00
उप-योग	298.07
कुल योग	15308.93

भारत-ईरान संयुक्त आयोग की बैठक

1568. श्री वसुदेव आचार्य: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में तेहरान में हुई भारत-ईरान संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान हुई द्विपक्षीय चर्चाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) दोनों देशों के बीच किन क्षेत्रों में समन्वित कार्रवाई की सहमति हुई है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) भारत-ईरान संयुक्त आयोग (जेसीएम) का 15वां सत्र 1-2 नवम्बर, 2008 को तेहरान में आयोजित हुआ जिसकी सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री और ईरान के आर्थिक कार्य एवं वित्त मंत्री ने की। इसमें भारत-पाकिस्तान-ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना सहित ऊर्जा एवं विद्युत, व्यापार एवं वाणिज्य एवं बैंकिंग और वित्त से संबंधित मुद्दों, निवेश का संरक्षण एवं संवर्धन, उद्योग और खनन, सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति एवं पर्यटन, कोंसुली मुद्दों तथा रेलवे के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने पर चर्चा हुई।

बैठक के दौरान निम्नलिखित करार एवं समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए:-

(1) प्रत्यर्पण संधि

(2) आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संधि

(3) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) एवं ईरान अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कं. (आई आई ई सी) के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन

(4) वर्ष 2009-2010 के लिए कृषि पर कार्य योजना

(5) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुम्बई, भारत और ईरान के शाहिद रजायी पत्तन के बीच सहयोगी पत्तन संबंध पर समझौता ज्ञापन।

'प्रोसेसिंग फी' को वापस लौटाया जाना

1569. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उस योजना को समाप्त कर दिया है जिसके अंतर्गत 2006-07 में दूरदर्शन द्वारा फीचर फिल्म आमंत्रित की जाती थी;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी फीचर फिल्मों के लिए ली गई 'प्रोसेसिंग फी' को लौटाया गया है;

(ग) क्या ऐसी फी को वापस लौटाया जाना निर्धारित मानदण्ड/वित्तीय नियमों के अंतर्गत था और इससे सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या जिम्मेदारी तय की गयी है; और

(ङ) इस संबंध में की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (ग) जी, हां। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उन्होंने दूरदर्शन केन्द्र, मुंबई के स्टाफ के विरुद्ध विभिन्न शिकायतें प्राप्त होने के बाद उस स्कीम को समाप्त कर दिया है जिसके अंतर्गत वर्ष 2006 में दूरदर्शन फीचर फिल्में आमंत्रित कर रहा था। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि इस स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव पेश करने वाले व्यक्तियों द्वारा जमा कराये गए प्रक्रमण शुल्क को पहले ही वापिस कर दिया गया है और प्रक्रमण शुल्क की वापसी मानकों के अंतर्गत की गई थी।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

जनजातीय क्षेत्रों में मातृ मृत्यु दर

1570. श्री जुएल ओराम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के जनजातीय क्षेत्रों में मातृ मृत्यु दर में मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मातृ मृत्यु को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) भारत के महापंजीयक-नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा वर्ष 2006 में प्रकाशित: ''भारत में मातृ मृत्यु: 1997-2003 रूझान, कारण एवं जोखिम कारक'' नामक नवीनतम सर्वेक्षण रिपोर्ट से आदिवासी क्षेत्रों में मातृ मौतों के बारे में आंकड़ा प्राप्त नहीं होता है।

वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005-2012) और इसके अंतर्गत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण-II का उद्देश्य देश के ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में विशेषकर निर्धन महिलाओं एवं बच्चों के लिए समान, वहनीय, भरोसेमंद एवं प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की सुलभता बढ़ाना है जिसमें खराब जन स्वास्थ्य सूचकों और कमजोर बुनियादी ढांचे वाले 18 राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस मिशन के अंतर्गत मातृ मृत्यु में कमी लाने की गति को तेज करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियां एवं कार्यकलाप चलाये जा रहे हैं नामत: जननी सुरक्षा योजना, गरीबी रेखा से नीचे की और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने संबंधी नकदी लाभ योजना; प्रथम रेफरल एकक के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चलाना और सातों दिन चौबीसों घंटे सेवाओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चलाना; कुशल जन्म परिचर जैसे विभिन्न कौशल आधारित प्रशिक्षण द्वारा कुशल जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ाना; जीवन रक्षक एनेस्थेटिक कौशलों और सीजेरियन सेक्शन सहित आपातकालीन प्रसूति परिचर्या में एम बी बी एस डाक्टरों का प्रशिक्षण; प्रसव पूर्व एवं प्रसवोत्तर परिचर्या सेवाएं प्रदान करना; गर्भावस्था एवं स्तनपान के दौरान आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियों की संपूरक खुराक द्वारा रक्ताल्पता की रोकथाम एवं उपचार; आंगनवाड़ी केन्द्रों में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजित करना; गर्भवती महिलाओं सहित समुदाय द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की सुविधा का लाभ उठाने को सुगम बनाने के लिए मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति; सेवा प्रदानगी को बेहतर करने के लिए स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों अर्थात् जिला अस्पतालों, समुदाय स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों को असंबद्ध अनुदान, वार्षिक अनुरक्षण अनुदान एवं कार्पस निधि सहित निधियां प्रदान करके उनका सुदृढ़ीकरण।

मलेशिया में भारतीय कामगारों का शोषण

1571. श्री अभिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मलेशिया में भारतीय कामगारों को कम तनख्वाह दिये जाने और भर्ती एजेन्टों और उनके नियोक्ताओं द्वारा पीटे जाने की सूचना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) मलेशिया सहित विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय कामगारों से अपंजीकृत/पंजीकृत भर्ती एजेंटों द्वारा विदेशों में रोजगार के लिए भारतीय कामगारों की अवैध भर्ती

के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती है जिनके परिणामस्वरूप प्राय: नियोक्ताओं के हाथों उनका शोषण और उनके साथ दुर्व्यवहार होता है।

अवैध/अपंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्रवाई की जाती है और उनके मामलों को संबंधित राज्य सरकारों के पुलिस प्राधिकारियों और संबंधित उत्प्रवास संरक्षियों को भेजा जाता है। वर्ष 2006, 2007 और 2008 (30.11.2008 तक) के दौरान क्रमश: 78, 41 और 87 शिकायतें अपंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए राज्य पुलिस प्राधिकारियों और उत्प्रवास संरक्षियों को भेजी गई थी। इस संबंध में 2006, 2007 और 2008 के दौरान क्रमश: 21, 07, 34 अभियोजनों की स्वीकृतियां दी गई हैं।

जब कभी किसी पंजीकृत भर्ती एजेंट के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है, संबंधित भर्ती एजेंट को एक निश्चित समयावधि के दौरान शिकायत को दूर करने का निदेश दिया जाता हैं। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसका पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलंबित/रद्द करने के लिए कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामलों में जहां शिकायत के स्वरूप को मद्देनजर रखते हुए पंजीकृत भर्ती एजेंट के आचरण पर विशेष रूप से नजर रखने की आवश्यकता है, उन्हें आंतरिक जांच सूची में रखा जाता है। वर्ष 2006, 2007 और 2008 (30.11.2008 तक) के दौरान क्रमश: 80, 12 और 24 पंजीकरण प्रमाण-पत्रों को निलंबित/रद्द किया गया है।

विदेशी नियोक्ताओं, जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं, को संबंधित भारतीय मिशन की सिफारिश पर उनके नाम पूर्व अनुमोदन श्रेणी (पीएसी/काली सूची) में रखकर काली सूची में डाला जाता है। यदि उसके बाद आवश्यकता होती है तो उन्हें भारत से कामगारों की और भर्ती करने पर रोक लगा दी जाती है। 30.11.2008 तक ऐसी 345 कंपनियों को पूर्व अनुमोदन श्रेणी में रखा गया है।

(ग) विदेश जाने वाले भारतीय कामगारों के हितों का संरक्षण करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं:

* कामगारों की सभी श्रेणियों (कुशल और अकुशल) के लिए 6 देशों अर्थात् यमन, लेबनान, लीबिया, जोर्डन, सूडान और कुवैत के संबंध में रोजगार दस्तावेजों का संबंधित भारतीय मिशनों से सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है जबकि सभी ईसीआर देशों के लिए उपेक्षित श्रेणियों जैसे कि घरेलू आयाओं/घरेलू नौकरों और अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार दस्तावेजों का भारतीय मिशनों से सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

* 500 अथवा अधिक कामगारों की सभी मांगों के मामले में संबंधित भारतीय मिशनों द्वारा विदेशी नियोक्ता के साथ-साथ उसकी मांग की वास्तविकता की जांच की जाती है।

* मंत्रालय की सतर्कता सूची में दर्ज भर्ती एजेंटों की सभी मांगों को स्वीकृति देने से पूर्व संबंधित भारतीय मिशन द्वारा सत्यापित कराया जाता है। उत्प्रवास संरक्षियों को कहा गया है कि मंत्रालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उत्प्रवास स्वीकृति देते समय उचित जांच और कड़ी सावधानी बरती जाए।

* उत्प्रवासी कामगारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन किए हैं और कतर के साथ विद्यमान करार को अद्यतन बनाया है। मलेशिया और बहरीन के साथ समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। ओमान के साथ बातचीत जारी है। अन्य श्रमिक आयातक देशों के साथ समझौता ज्ञापन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन समझौता ज्ञापनों में एक संयुक्त समिति का प्रावधान होता है जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि होते हैं जो कामगारों की शिकायतों पर चर्चा करते हैं और उनका समाधान करते हैं।

* उत्प्रवासियों के उपेक्षित वर्गों जिनमें महिला उत्प्रवासी शामिल हैं, के बेहतर संरक्षण और कल्याण के लिए विशेष उपाय किए गए हैं:

    1. ईसीआर पासपोर्टों पर उत्प्रवास करने वाली सभी महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 कर दी गई है।

    2. मेजबान देशों में उत्प्रवासियों की जानकारी और सहायता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकल सेवा द्वार के रूप में कार्य करने के लिए प्रवासी भारतीय कामगार स्रोत केन्द्र खोले गए हैं।

    3. 24 घंटे सातों दिन की एक हेल्प लाइन अर्थात् प्रवासी भारतीय स्रोत केन्द्र स्थापित किया गया है ताकि उत्प्रवासी/संभावित उत्प्रवासी जानकारी प्राप्त कर सकें और भर्ती एजेंटों/विदेशी नियोक्ताओं के विरुद्ध शिकायतें दर्ज करा सकें।

* एक व्यापक बीमा योजना अर्थात् प्रवासी भारतीय बीमा योजना, 2006 विद्यमान है जिसमें प्रत्येक उत्प्रवासी कामगार के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वह उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त करते समय योजना के अंतर्गत शामिल हो। योजना में अन्य बातों के अलावा कामगारों को जीवन

बीमा, चिकित्सा खर्च, कानूनी खर्च और साथ ही जब कभी आवश्यकता हो स्वदेश वापसी का खर्च शामिल होता है। 1.4.2008 से अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हुए प्रीमियम की दरों को कम करके योजना को प्रोन्नत किया गया है। कामगारों को अब 10 लाख रुपये का जीवन बीमा (पहले 5 लाख रुपये के स्थान पर), चिकित्सा खर्च 75 हजार रुपये (पहले 50 हजार रुपये के स्थान पर), परिवार के अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के रूप में 50 हजार रुपये (पहले 25 हजार रुपये के स्थान पर), मातृत्व खर्च 25 हजार रुपये (पहले 20 हजार रुपये के स्थान पर) और कानूनी खर्च 30 हजार रुपये (पहले 25 हजार रुपये के स्थान पर) आदि दिया जाता है। बीमा प्रीमियम की राशि को कम करके दो वर्ष की बीमा अवधि के लिए 275 रुपये तीन वर्ष की अवधि के लिए 375 रुपये कर दिया गया है।

* कानूनी और अवैध उत्प्रवास के क्रमशः लाभों और परेशानियों का प्रचार करने के लिए श्रमिकों और अन्य उपेक्षित वर्गों जैसे महिला उत्प्रवासियों को शिक्षित करने के लिए समाचार पत्र-पत्रिकाओं और इलैक्ट्रानिक मीडिया की मार्फत व्यापक प्रचार अभियान शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

यूरेनियम उत्पादन

1572. **डा. चिन्ता मोहन:**
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री कीरेन रिजीजू:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक किन स्थानों पर कितनी मात्रा में यूरेनियम भण्डार का पता चला है;

(ख) स्वदेशी स्रोतों से कितनी मात्रा में यूरेनियम प्राप्त होने का अनुमान है;

(ग) वर्तमान परमाणु विद्युत संयंत्रों को उनकी अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता के अनुसार चलाने के लिए कितनी मात्रा में यूरेनियम की आवश्यकता है;

(घ) क्या सरकार ने देश में यूरेनियम के उत्पादन को बढ़ाने का कोई निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग का एक यूनिट है, द्वारा देश में 01.10.2008 की स्थिति के अनुसार जिन स्थानों पर और जितनी मात्रा में यूरेनियम भंडारों का पता लगाया गया है, वे निम्नानुसार हैं:-

राज्य	U_3O_8 के स्वस्थाने कुल भंडार (मीटरी टन में)
झारखंड	47,809
मेघालय	17,245
आंध्र प्रदेश	36,196
छत्तीसगढ़	3,986
कर्नाटक	4,233
राजस्थान	4,880
उत्तर प्रदेश	785
हिमाचल प्रदेश	784
महाराष्ट्र	355
उत्तरांचल	100
कुल	1,16,373

(ख) और (ग) देश में यूरेनियम उत्पादन के बारे में बताना जनहित में नहीं है।

(घ) जी, हां। परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) ने, देश में यूरेनियम का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक विस्तार कार्यक्रम हाथ में लिया है।

(ङ) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने, अपने विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाएं हाथ में ली हैं:-

यूनिट	राज्य
मोहुलडीह खनन परियोजना	झारखंड
तुरूमडीह संयंत्र का विस्तार	झारखंड
जादुगुडा संयंत्र का विस्तार	झारखंड
बदुंहुरंग खान का विस्तार	झारखंड
तुरूमडीह खान का विस्तार	झारखंड
तुम्मल्लापल्ली खनन तथा पोषण परियोजना	आंध्र प्रदेश

(च) नई यूरेनियम खनन तथा पोषण परियोजनाएं विकसित करने के लिए संगठित प्रयास किए जा रहे हैं। नए यूरेनियम निक्षेपों का पता लगाने के लिए देश के विभिन्न भागों में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण संबंधी कार्यकलाप बढ़ाए गए हैं।

[अनुवाद]

बाल स्वास्थ्य परिचर्या हेतु बजट आबंटन

1573. श्री के. सुब्बारायणः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तक चालू वर्ष के दौरान छह वर्ष से कम आयु के बच्चों पर केंद्रीय बजट का औसतन कितना प्रतिशत व्यय किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार छह वर्ष से कम आयु के बच्चों की स्वास्थ्य परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए इस शीर्ष के अंतर्गत बजटीय आबंटन को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण-3 के अनुसार छह वर्ष से न्यून आयु के बच्चों की स्वास्थ्य दशा कैसी है;

(ङ) हाल के सर्वेक्षण में कितना प्रतिशत सुधार हुआ है; और

(च) छह वर्ष से न्यून आयु के बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (च) छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय के संबंध में कोई सूचना एकत्र नहीं की जाती है। तथापि, बाल स्वास्थ्य के लिए किए जाने वाले कार्यकलाप, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के भाग के रूप में मार्च, 2005 से शुरू किए गए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के चरण-II के भाग है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-II कार्यक्रम में समग्र एनआरएचएम बजट का प्रमुख घटक शामिल है। वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कुल बजट का 25.85 प्रतिशत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-II कार्यक्रम से संबंधित है। वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कुल बजट का 17.82 प्रतिशत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-II कार्यक्रम से संबंधित था और वित्तीय वर्ष 2006-07 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कुल आबंटन का 26 प्रतिशत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-II कार्यक्रम से संबंधित था। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-II कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ मातृ स्वास्थ्य कार्यकलाप भी शामिल हैं।

सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की अवधि (2005-12) में स्वास्थ्य आबंटन को सकल घरेलू उत्पाद के 2 से 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत करने के लिए वचनबद्ध है। बजट में यह वृद्धि उन राज्यों की भागीदारी से की गई है जो साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अपने बजट आबंटन बढ़ा रहे हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 से लिये गये प्रमुख बाल स्वास्थ्य सूचकों में सुधार से संबंधित राज्यवार सांख्यिकी रिपोर्ट जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पिछले सर्वेक्षणों की तुलना में परिवर्तन का प्रतिशत दिया गया है, विवरण के रूप में संलग्न है।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-II कार्यक्रम के भाग के रूप में सरकार ने एकीकृत नवजात एवं बाल्यवस्था रूग्णता प्रबंधन प्रचालित किया है। इस पहल में सेप्सिस, तीव्र श्वसनीय रोग, अतिसार, खसरे, मलेरिया आदि सहित नवजात शिशु एवं बाल मृत्यु के आम कारणों के प्रबंधन के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है। विटामिन ए, आइरन फोलिक एसिड और जिंक सूक्ष्म पोषक तत्व के सम्पूरण को बेहतर करने के लिए उपाय भी किये गये हैं। रोग प्रतिरक्षण, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-II कार्यक्रम का दूसरा अभिन्न भाग है जिसका उद्देश्य छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर करना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जन स्वास्थ्य प्रणाली में समग्र सुधार से देश के सभी भागों में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता में वृद्धि हो रही है।

विवरण

बाल स्वास्थ्य सूचकांक (5 वर्ष पूर्व सर्वेक्षण)-अखिल भारतीय

क्र.सं.		सूचकांक	एनएफएचएस-3 (2005	एनएफएचएस-2 (1998-
1		2	3	4
1.	शिशु एवं बाल मृत्यु	-नवजात मृत्यु	39.0	43.4
		-प्रसवोत्तर मृत्यु	18.0	लागू नहीं

1		2	3	4
		-शिशु मृत्यु दर	57.0	67.6
		-बाल मृत्यु दर	18.4	29.3
		-पांच वर्ष के भीतर मृत्यु	74.3	94.9
2.	बाल रोग प्रतिरक्षण और विटामिन ए सम्पूरण	12-13 माह के बच्चे पूर्ण रूप से रोग प्रतिरक्षित हैं। (बी सी जी, खसरा और पोलियो एवं डी पी टी प्रत्येक की तीन खुराक (%)	43.5	42.0
		12-23 माह के बच्चे जिन्होंने बी सी जी प्राप्त किये हैं (%)	78.1	71.6
		12-23 माह के बच्चे जिन्होंने डी पी टी वैक्सीन का 3 खुराक प्राप्त किये हैं (%)	55.3	62.8
		12-23 माह के बच्चे जिन्होंने पोलियो वैक्सीन के 3 खुराक प्राप्त किए हैं (%)	78.2	55.1
		12-23 माह के बच्चे जिन्होंने मीजल्स वैक्सीन प्राप्त किए हैं (%)	58.8	50.7
		12-35 माह के बच्चे जिन्होंने पिछले छ माह में विटामिन ए की खुराक प्राप्त किए हैं (%)	25.1	लागू नहीं
3.	अतिसार एवं ए आर आई	पिछले 2 सप्ताह में अतिसार से ग्रस्त बच्चे (5 वर्ष की आयु से कम) जिन्होंने ओ आर एस प्राप्त किया (%)	26.0	लागू नहीं
		पिछले 2 सप्ताह में अतिसार से ग्रस्त बच्चे (5 वर्ष की आयु से कम) जिन्होंने स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त किया (%)।	59.8	लागू नहीं
		पिछले 2 सप्ताह में तीव्र श्वसन संक्रमण या बुखार से ग्रस्त बच्चे जिन्होंने स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त किया (%)	69.0	लागू नहीं

1		2	3	4
		जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान करवाए जाने वाले	24.5	लागू नहीं
4.	बाल स्तनपान कार्य और बच्चों की पोषण स्थिति	5 वर्ष की आयु से कम वाले बच्चे (%)।		
		5 वर्ष से कम आयु वाले अविकसित बच्चे (%)।	48.0	लागू नहीं
		5 वर्ष से कम आयु वाले दुर्बल बच्चे (%)।	19.8	लागू नहीं
		5 वर्ष से कम आयु वाले कम वजन वाले बच्चे (%)।	42.5	लागू नहीं
5.	बच्चों में रक्ताल्पता	6-59 माह की आयु वाले बच्चे जो रक्ताल्पता से ग्रस्त हैं (%)।	69.5	लागू नहीं

काबुल में भारतीय मिशन पर आत्मघाती हमला

1574. **श्री किन्जरपु येरननायडु:**
डा. एम. जगन्नाथ:
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्री पंकज चौधरी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अफगानिस्तान में भारतीय मिशन पर हुए आत्मघाती हमले में पाकिस्तान का हाथ होने पर चिंता जताई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने हमारे राजदूतावास पर हमले को अफगानिस्तान और हमारे क्षेत्र में अमन के दुश्मनों द्वारा जारी कायराना आतंकवादी हमले के रूप में गंभीरता से लिया है। हमले में पाकिस्तानी तत्वों की संलिप्तता के संबंध में पाकिस्तान की सरकार को निम्नलिखित बैठकों में बार-बार बताया जाता रहा है:-

(1) समग्र वार्ता के पांचवें दौर को शुरू करने के लिए 21 जुलाई, 2008 को नई दिल्ली में विदेश सचिव स्तर की वार्ता।

(2) सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान 31 जुलाई, 2008 को कोलंबों में आयोजित विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच बैठक।

(3) भारत के माननीय प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के बीच सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान 2 अगस्त, 2008 को कोलंबों में हुई बैठक।

(4) भारत के माननीय प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा की 24 सितम्बर, 2008 को न्यूयार्क में हुई बैठक के दौरान आयोजित बैठक।

(5) संयुक्त आतंकवाद-रोधी तंत्र के विशेष सत्र की 24 अक्तूबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक।

(ग) और (घ) कोलंबों में 2 अगस्त, 2008 को हुई अपनी बैठक के दौरान पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने हमारे प्रधान मंत्री को यह सूचित किया था कि वे इसकी स्वतंत्र जांच करवाएंगे। संयुक्त आतंकवाद-रोधी तंत्र के विशेष सत्र की 24 अक्तूबर, 2008 को हुई बैठक के दौरान काबुल स्थित भारतीय राजदूतावास पर हुई

बमबारी के संबंध में सूचना प्रदान की गई। पाकिस्तान द्वारा कार्रवाई अभी प्रतिक्षित है।

असम में डाक्टरों की कमी

1575. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान असम में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी और योगा में विषय-वार कितने डाक्टर नियुक्त किए गए;

(ख) असम में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) को अभी उन्नत किया जाना है और मेडिकल तथा पैरामेडिकल स्टाफ में कुल कितने कर्मचारियों की कमी है;

(ग) सरकार द्वारा इन पीएचसी में पर्याप्त मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) असम में डाक्टरों की नियुक्ति में कमी/विलम्ब के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सुविधाओं का सृजन करने और उनका उन्नयन करने के लिए असम राज्य सहित संबंधित राज्य सरकारों द्वारा चिकित्सकों सहित कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति केवल संविदा आधार पर की जाती है। 31 अगस्त, 2008 की स्थिति के अनुसार असम राज्य में कुल 249 आयुष चिकित्सकों की संविदा आधार पर नियुक्ति की गई है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन सहित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त घटकों के लिए असम राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं। उन्नयन किए जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या राज्य सरकारों द्वारा वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना, जिसकी जांच एवं अनुमोदन राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति द्वारा एन आर एच एम के अंतर्गत किया जाता है, में दर्शायी गई उनकी प्राथमिकता पर निर्भर करती है।

नियमित कर्मचारी राज्य द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तथापि, कमी की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जारी की जा रही निधियों से चिकित्सकों, विशेषज्ञों और पराचिकित्सालयों सहित कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा आधार पर की जा रही है। 31 अगस्त, 2008 की स्थिति के अनुसार, 26225 आशाओं का चयन किया गया है, 5029 सामुदायिक केन्द्र एक सहायक नर्सधात्री से संचालित हैं और 1694 सामुदायिक केन्द्र दो सहायक नर्सधात्रियों से संचालित हैं। कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिना चिकित्सक के कार्य नहीं कर रहा है और 149 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 3 स्टाफ नर्सों सहित कार्य कर रहे हैं। नियमित विशेषज्ञों के अलावा 117 विशेषज्ञों और 2230 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए की गई है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत गठित एक कार्य दल ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपायों की संस्तुति की है जिसे असम सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित किया गया है:

- गृह नगर के समीप नियुक्ति को प्राथमिकता देते हुए चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करना;
- जिला स्तर पर भर्ती का विकेन्द्रीकरण;
- ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति के लिए वेतन में एक तिहाई वृद्धि;
- एनेस्थेसिया में डिप्लोमा पाठ्यक्रम पुन: शुरू करना;
- वर्तमान में प्रणाली में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों के लिए एनेस्थेसिया में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले एक वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू करना;
- उपरोक्त पाठ्यक्रम के आयोजन के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए पांच सौ बिस्तरों वाले अस्पतालों को मान्यता देना;
- अलग-अलग रोग के आधार पर निजी व्यवसायियों को भुगतान करना।

नियमित कर्मचारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

चिड़ियाघरों/प्राणी उद्यानों को आवंटन

1576. श्री पी.सी. गद्दीगउडर:
श्री अजीत जोगी:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थान-वार प्राणी उद्यानों/चिड़ियाघरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इन उद्यानों/चिड़ियाघरों को प्रदान की जा रही धनराशि और अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राणी उद्यानों के नियत मानदंडों के अनुरूप जानवरों की देखभाल की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितने पर्यटकों ने इन उद्यानों का दौरा किया; और

(च) सरकार द्वारा इन उद्यानों में पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) देश में प्राणी उद्यानों/चिड़ियाघरों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) चिड़ियाघर का विकास और प्रबंधन चिड़ियाघर संचालक का है। पर्यावरण और वन मंत्रालय, केन्द्रीय चिड़ियाघरों को पशुओं के आवास का निर्माण/उसमें सुधार, पशुचिकित्सा सुविधाओं और अनुसंधान/प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए 100% आधार पर निधियां प्रदान करता है, जबकि, चिड़ियाघरों में फुटपाथों, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क, जल आपूर्ति, ड्रेनेज/मल-जल प्रणाली, सुरक्षा बोर्ड लगाने, चारदीवारी आदि जैसे अवसंरचना के विकास हेतु केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण 50% आधार पर निधियां शेयर करता है। गत तीन वित्तीय वर्षों (2005-06, 2006-07 और 2007-08) के दौरान विभिन्न चिड़ियाघरों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) देश में सभी मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर, चिड़ियाघर नियमावली, 1992 को मान्यता के अनुसार विनियमित किए जाते हैं। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, चिड़ियाघरों, सशर्त मान्यता देता है और शर्तों के अनुपालन हेतु समय-समय पर मूल्यांकन करता है।

(घ) चिड़ियाघर नियमावली, 1992 को मान्यता का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) और (च) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण चिड़ियाघर का दौरा कर रहे पर्यटकों के संबंध सूचना एकत्रित नहीं करता है। चिड़ियाघर के स्तर पर, चिड़ियाघरों में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने का कार्य भी किया जाता है।

विवरण I

देश में मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों की सूची

राज्य का नाम	चिड़ियाघर का प्रकार	क्र.सं.	प्रतिष्ठान का नाम	शहर का नाम
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	छोटा चिड़ियाघर	1.	मिनी जू, हाडू	पोर्टब्लेयर
आंध्र प्रदेश	बड़ा चिड़ियाघर	2.	इन्दिरा गांधी जूओलिजिकल पार्क	विशाखापट्टनम
		3.	नेहरू जूओलिजिकल पार्क	हैदराबाद
		4.	श्री वेंकेटेश्वर जूओलिजिकल पार्क	तिरूपति
	लघु चिड़ियाघर	5.	डिअर पार्क-सत्यम टैक्नोलोजी सेंटर	रंगा रेड्डी
		6.	डिअर पार्क, चित्तौड़ रिजर्व फारेस्ट	चित्तौड़ ईस्ट डिवीजन
		7.	डिअर पार्क, कन्डलेरू	कन्डलेरू
		8.	डिअर पार्क, केसोराम सीमेंट	बसंत नगर
		9.	डिअर पार्क, एन एफ सी एल ग्रीन बेल्ट	काकीनाडा
		10.	जी.वी.के. इंडस्ट्रियल डिअर पार्क	हैदराबाद
		11.	हिमायत सागर मिनी जू	रंगा रेड्डी

1	2	3	4	5
		12.	जवाहर लेक टूरिस्ट काम्पलेक्स	श्यामीरपेट
		13.	किन्नर सारी डिअर पार्क	किन्नर सारी
		14.	पिल्लालामरी डिअर पार्क	पिल्लालामरी काम्पलेक्स, महबूब नगर
		15.	वन विज्ञान केन्द्र, हंटर रोड, हनामकोंड	वारंगल
	बचाव केन्द्र	16.	विशाखा सिक्योरिटी फार प्रिवेंशन आफ क्रुयूल्टी आफ एनीमल्स	विशाखापट्टनम
अरुणाचल प्रदेश	छोटा चिड़ियाघर	17.	बायोलाजिकल पार्क, ईटानगर	ईटानगर
	लघु चिड़ियाघर	18.	मायो मिनी जू	मायो
		19.	मिनी जू, रोइंग	रोइंग
	बचाव केन्द्र	20.	सेंटर फार बिअर रिहेबलीटेशन एण्ड कन्जरवेशन	पाकी
असम	बड़ा चिड़ियाघर	21.	असम स्टेट जू काम बाटनिकल गार्डन	गुवाहाटी
	बचाव केन्द्र	22.	सेंटर फार वाइल्डलाइफ रिहेबलीटेशन एण्ड कन्जरवेशन	गोलचाट
	सर्कस	23.	मूनलाइट सर्कस	खेलमाटी
		24.	राइनो सर्कस	लखिमपुर
बिहार	बड़ा चिड़ियाघर	25.	संजय गांधी बायलोजिकल पार्क	पटना
छत्तीसगढ़	छोटा चिड़ियाघर	26.	मैत्री बाग जू	भिलाई
	लघु चिड़ियाघर	27.	कानन पंडारी जू	बिलासपुर
		28.	नानंदन वन	रायपुर
दादरा और नगर हवेली	लघु चिड़ियाघर	29.	लायन सफारी-वसोना	वसोना
दिल्ली	बड़ा चिड़ियाघर	30.	नेशनल जुलोजिकल पार्क	दिल्ली
	सर्कस	31.	जेमिनी सर्कस	पड़पड़गंज
गोवा	छोटा चिड़ियाघर	32.	बोनडिला जू	ठसगांव
गुजरात	बड़ा चिड़ियाघर	33.	कमला नेहरू जुलोजिकल गार्डन	अहमदाबाद
		34.	सक्कर बाग जू	जुनागढ़
	मध्यम आकार के चिड़ियाघर	35.	इन्द्रोदा नेचनर पार्क	गांधी नगर
		36.	सायाजी बाग जू	वड़ोदरा
	छोटा चिड़ियाघर	37.	डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जुलोजिकल गार्डन, सार्थना	सूरत

1	2	3	4	5
		38.	राजकोट मुन्शीपल कारपोरेशन जू	राजकोट
		39.	सर पिटर स्काट नेचर पार्क	जामनगर
		40.	सुंदर वन नेचर डिस्कवरी सेंटर	जोधपुर टेकरा
	सर्कस	41.	ग्रेट गोल्डन सर्कस	अहमदाबाद
हरियाणा	छोटा चिड़ियाघर	42.	रोहतक जू	रोहतक
	लघु चिड़ियाघर	43.	डिअर पार्क, हिसार	हिसार
		44.	मिनी जू, भिवानी	भिवानी
		45.	मिनी जू, पीपली	पीपली
	बचाव केन्द्र	46.	हनुमान वाटिका-रिसर्च सेंटर	गुड़गांव
		47.	रिसर्च सेंटर एट मेहम	जी.टी. रोड, मेहम के पास
		48.	वाइल्डलाइफ रिसर्च सेंटर	गुड़गांव
		49.	वल्चर कंर्जवेशन ब्रिडिंग सेंटर	पींजोर
हिमाचल प्रदेश	छोटा चिड़ियाघर	50.	हिमालयान नेशनल पार्क (कूफरी)	कूफरी
	लघु चिड़ियाघर	51.	धोलाधार नेशनल पार्क	गोपालपुर
		52.	रेनूके जू/लाइन सफारी	सिरमौर
		53.	फिजिनटरी एंड एवेरी एंड मस्क डियर फार्म	सराहन
	बचाव केन्द्र	54.	रिसर्च एंड रिहेब्लिटेशन होम	तुतीकोरिनंद
		55.	रिसर्च एंड रिहेब्लिटेशन सेंटर, मनाली	मनाली
झारखंड	मध्यम आकार के चिड़ियाघर	56.	भगवान बिरसा बायोलोजिकल, पार्क	रांची
	छोड़ा चिड़ियाघर	57.	जवाहर लाल नेहरू बायोलोजिकल, पार्क	बोकारो
		58.	टाटा स्टील जुलोजिकल, पार्क	जमशेदपुर
	लघु चिड़ियाघर	59.	बिरसा मृग विहार	कालीमती
		60.	डिअर पार्क मेथान	हजारीबाग
		61.	सतसंग जू फार चिल्ड्रन एजुकेशन	सतसंग
कर्नाटक	बड़ा चिड़ियाघर	62.	श्री चामराजेन्द्रा जुलोजिकल गार्डन	मैसूर
	मध्य आकार के चिड़ियाघर	63.	नेशनल पार्क, बनेरघाटा जुलोजिकल गार्डन	बनेरघाटा

1	2	3	4	5
		64.	डा. के. शिवराम्मा करनथ पिल्लीकुला बायोलोजिकल पार्क	मंगलौर
	छोटा चिड़ियाघर	65.	बिलारी चिल्ड्रन पार्क-कम-जू	बिलारी
		66.	चिल्ड्रन पार्क एण्ड जू	गडग
		67.	टाइगर एंड लाइन सरकारी, थायरेकोप्पा	शिमोगा
	लघु चिड़ियाघर	68.	डिअर पार्क एट श्री क्षेत्र सोगल	सोनचत्ती
		69.	डिअर पार्क, एन.एम.डी.सी.एल.टी.डी.	बिल्लारी
		70.	इन्दिरा प्रिय दर्शनी संग्रहालय	दावनगेरे तालुक
		71.	किल्लूर रानी चेन्नम्मा निसर धमा	बेलगाम
		72.	मिनी जू ए.एम. गुड्डी बलवाना	चित्रदुर्गा
		73.	मिनी जू एट गेंदकट्टे	हसन
		74.	मिनी जू कम चिल्ड्रेन पार्क	गुलबरगा
		75.	नामद्दचील डिअर पार्क	तुमकूर
		76.	नूनभद्रा डेम मिनी जू	बिलारी
	बचाव केन्द्र	77.	पीपल फार एनीमल	बंगलौर
		78.	वाइल्डलाइफ रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर	बंगलौर
केरल	बड़ा चिड़ियाघर	79.	तिरुवनंतपुरम जू	तिरुवनन्तपुरम
	मध्यम आकार के चिड़ियाघर	80.	स्टेट म्यूजियम एण्ड जू	थ्रीसूर
	लघु चिड़ियागर	81.	लाइन सफारी पार्क एट नइयर धाम	तिरुवनन्तपुरम
		82.	पारसीनिक्कादवो स्नेक पार्क	नन्नूर
	सर्कस	83.	अमर सर्कस	कालीकट
		84.	ग्रेट बाम्बे सर्कस	तिल्लीचेरी
		85.	ग्रेट रायमन सर्कस	कोचीन
		86.	जम्बो सर्कस	वारम
		87.	जमुना सर्कस	रायगढ़
		88.	राज कमल सर्कस	धरमधाम
मध्य प्रदेश	छोटा चिड़ियाघर	89.	गांधी जुलोजिकल पार्क	ग्वालियर

1	2	3	4	5
		90.	कमला नेहरू पूरनी संग्रहालय जू	इंदौर
		91.	वन विहार नेशनल पार्क	भोपाल
महाराष्ट्र	बड़ा चिड़ियाघर	92.	वीरमाता जीजाबाई भोंसले उद्यान एंड जू	मुम्बई
		93.	राजीव गांधी जुलोजिकल पार्क एण्ड वाइल्डलाइफ रिसर्च सेंटर	पुणे
	छोटा चिड़ियागर	94.	औरंगाबाद म्यूनिसिपल जू	औरंगाबाद
		95.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जू	सोलापुर
		96.	नीसारगाकावी बहीनाबाई चौधरी प्रनिसानगहाले	पुणे
	लघु चिड़ियाघर	97.	महाराजा शाहजी छत्रपति जू	कोल्हापुर
		98.	महाराजा बाग जू	नागपुर
		99.	संजय गाधी नेशनल पार्क	बोरिवली
		100.	स्नेक पार्क शिक्षण मंडल	कोल्हापुर
	बचाव केन्द्र	101.	ऐमेटिस एनीमल, ए आर के	वर्धा
		102.	लिओपाड रेस्क्यू सेंटर	मनीक्दो
		103.	रानी बाग इनफरमरी	बल्डाना
	सर्कस	104.	रैम्बो सर्कस	पुणे
		105.	द ग्रेट रायल सर्कस	नामाडिक
मणिपुर	मध्यम आकार के जू	106.	मणिपुर जुलोजिकल गार्डन	इम्फाल
मेघालय	छोटा चिड़ियाघर	107.	लेडी हायड्री पार्क, एनीमल लैण्ड	शिलांग
	लघु चिड़ियाघर	108.	नेहरू पार्क जू, दनकगेरे, टूरा	अखोनगिनी टूरा
मिजोरम	छोटा चिड़ियाघर	109.	ऐजवाल जू	ऐजवाल
	लघु चिड़ियाघर	110.	डियर पार्क, थेनजवाल	थेनजवाल
नागालैंड	लघु चिड़ियाघर	111.	नागालैण्ड जुलाजिकल पार्क, रंगापहार	दीमापुर
		112.	जुलोजिकल पार्क, कोहिमा	कोहिमा
	बड़ा चिड़ियाघर	113.	नंदनकानन बायोलाजिकल पार्क	भुवनेश्वर
	छोड़ा चिड़ियाघर	114.	इन्दिरा गांधी पार्क जू व डियर पार्क	राऊरकेला
	लघु चिड़ियाघर	115.	घरियाल रिसर्च व संरक्षण इकाई	टिकरापारा
		116.	एच.ए.एल. डियर पार्क, कोरापुट	सुनाबेडा

1	2	3	4	5
		117.	कपिलास जू	धेनकनाल
		118.	कुआंरिया डिअर पार्क नयागढ़ वन प्रभाग	नयागढ़
		119.	तप्तापानी डियर पार्क	परलाखमुंडी
		120.	वन्य पशु संरक्षण केन्द्र मोतीझरा	सम्बलपुर
पंजाब	बड़ा चिड़ियाघर	121.	महेन्द्र चौधरी जुलोजिकल पार्क	छतबीर
	छोटा चिड़ियाघर	122.	डियर पार्क, बीर मोती बाघ	पटियाला
	लघु चिड़ियाघर	123.	डियर पार्क, बीर तलब	भटिन्डा
		124.	डियर पार्क नीलान	लुधियाना
		125.	लुधियाना जू	लुधियाना
राजस्थान	बड़ा चिड़ियाघर	126.	जयपुर जू	जयपुर
	छोटा चिड़ियाघर	127.	जोधपुर जू	जोधपुर
		128.	उदयपुर जू	उदयपुर
	लघु चिड़ियाघर	129.	डियर पार्क, श्री गोवर्धन ट्रस्ट	उदयपुर
		130.	कोटा जू	कोटा
		131.	पंचवटी डियर पार्क	पिलानी
		132.	सफारी पार्क, हरिदास जी-की-मगरी	उदयपुर
सिक्किम	लघु चिड़ियाघर	133.	हिमालय जुलोजिकल पार्क, बुलबुले	गंगटोक
तमिलनाडु	बड़ा चिड़ियाघर	134.	अरिगनार अन्ना जुलोजिक पार्क	वंडालूर
		135.	मद्रास मगरमच्छ पार्क ट्रस्ट/सेन्टर फार हरपेटोलाजी	महाबलीपुरम
	मध्यम आकार के जू	136.	चेन्नई स्नेक पार्क ट्रस्ट	गिंडी
		137.	चिल्ड्रेन्स कार्नर	गिंडी
	छोटा चिड़ियाघर	138.	अमीरधी चिड़ियाघर	वेल्लौर
		139.	बी.ओ.सी. पार्क मिनी जू	कोयम्बटूर
	लघु चिड़ियाघर	140.	डियर पार्क, उधगल, नीलगिरी	नीलगिरी जिला
		141.	कुरम्बापट्टी जुलोजिकल पार्क	सलेम
		142.	शिवगंगा गार्डन मिनी जू	तंजावूर
त्रिपुरा	बड़ा चिड़ियाघर	143.	सेपाहीजाला जुलोजिकल पार्क	सेपाहीजाला

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	बड़ा चिड़ियाघर	144.	कानपुर जुलोजिकल पार्क	कानपुर
		145.	लखनऊ जूओलिजिकल पार्क	लखनऊ
	लघु चिड़ियाघर	146.	डिअर पार्क, बरेली	बरेली
		147.	नवाबगंज डिअर पार्क	उन्नाव
		148.	सारनाथ डिअर पार्क	वाराणसी
		149.	वन प्रणाली उद्यान, आई.वी.आर.आई.	इज्जतनगर
		150.	विनोद वन लघु जू, रामगढ़	गोरखपुर
	रेस्क्यू सेंटर	151.	वाईल्ड लाईफ सास आगरा बीआर रेस्क्यू फेसिलिटी	आगरा
	सर्कस	152.	अपोलो सर्कस	वाराणसी
		153.	ग्रेट अपोलो सर्कस	हमीरपुर
		154.	राजमहल सर्कस	हमीरपुर
उत्तराखंड	छोटा चिड़ियाघर	155.	पंडित गोविन्द वल्लभ पंत हाई अल्टीचुड जू	नैनीताल
	लघु चिड़ियाघर	156.	डिअर पार्क, नारायण तिवारी देवल	अल्मोड़ा
		157.	मल्सी डिअर पार्क	देहरादून
पश्चिम बंगाल	बड़ा चिड़ियाघर	158.	अलीपुर जूओलिजिकल गार्डेन	कोलकाता
	मध्यम चिड़ियाघर	159.	कलकत्ता सर्प उद्यान	बादू
	छोटा चिड़ियाघर	160.	झाड़ग्राम डिअर पार्क	झाड़ग्राम
		161.	मार्बल पैलेस जू	कोलकाता
		162.	पद्मजा नायडु हिमालयन जूलॉजिकल पार्क	दार्जिलिंग
		163.	राम बागान वाईल्ड लाइफ सैंक्चुअरी-लघु चिड़ियाघर, बर्दवान	कोलकाता
	लघु चिड़ियाघर	164.	अदीना डिअर पार्क	मालदा
		165.	गर चुमुक (उलूघाटा) डिअयर पार्क	हावड़ा
		166.	कुमारी कंगसाबुटी डिअर पार्क बोंपाकुरिया	बोंपाकुरिया, बांकुड़ा
		167.	वेस्ट बंगाल स्नेक पार्क एण्ड लेबोरेटरी बादू	बादू
		168.	कुन्नानगर ईको-पार्क	जलपाईगुड़ी
		169.	साउथ खैरबाड़ी लियोपार्ड सफारी एण्ड रिहेब्लिटेशन सेंटर	मदारीहाट

1	2	3	4	5
		170.	घड़ियाल रेसिक्यू सेंटर एण्ड डिअर पार्क रसिकबिल	कोलकाता
		171.	एनीमल रेसिक्यू सेंटर, पुरूलिया	पुरूलिया
	रेस्क्यू सेंटर	172.	पुगमार्क्स-पी.एफ.ए. शांतिनिकेतन	कोलकाता
	सर्कस	173.	अजंता सर्कस	कोलकाता
		174.	एशियाड सर्कस	कोलकाता
		175.	इमपाईर सर्कस	कोलकाता
		176.	फेमस सर्कस	कोलकाता
		177.	कोहिनूर सर्कस	कोलकाता
		178.	नटराज सर्कस	कोलकाता
		179.	ओलम्पिक सर्कस	कोलकाता
		180.	वेस्टर्न सर्कस	इलिओट
	कुल योग			180

विवरण II

राज्य का नाम	जू का नाम	जारी की गई राशि (लाख में रु.)		
		2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	इंदिरा गांधी जूलोजिकल पार्क, विशाखापत्तनम	106.00	20.00	63.30
	नेहरू जलोजिकल पार्क, हैदराबाद	50.00	65.85	57.00
	श्री वेंकटेश्वर जूलोजिकल पार्क, तिरूपति	211.10	20.00	54.05
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	मिनी जू, हाडू, पोर्ट ब्लेयर	–	126.14	–
अरुणाचल प्रदेश	ईटा नगर बायोलोजिकल पार्क, ईटा नगर	155.49	116.41	–
असम	असम स्टेट जू कम बोटनीकल, गार्डन गोवाहाटी	–	–	52.19
बिहार	संजय गाधी बायोलोजिकल पार्क, पटना	23.00	19.19	–
दिल्ली	नेशनल जूलोजिकल पार्क, दिल्ली	105.70	77.00	189.53
गुजरात	नेचर पार्क, सुरत	41.52	–	–
	सायाजी बौग जू, वड़ोदरा	16.12	86.50	30.20

1	2	3	4	5
	सक्कर बाग जू, जूनागढ़	–	28.50	21.00
	कमला नेहरू जूलोजिकल गार्डन, अहमदाबाद	–	17.91	42.62
हरियाणा	रोहतक जू, रोहतक	50.00	–	–
हिमाचल प्रदेश	फियसंटेरी, एवेरी एण्ड मास्क डियर फार्म सहारन	30.00	49.00	–
झारखंड	भगवान बिरसा बायोलोजिकल पार्क, रांची	9.00	53.97	106.49
कर्नाटक	श्री चामराजेन्द्र जूलोजिकल गार्डन, मैसूर	25.75	42.65	15.45
	वरेनघटा जूलोजीकल गार्डन, बंगलौर	98.30	106.36	107.00
	टाइगर एण्ड लायन साफरी सिमोगा	21.00	6.00	–
केरल	तिरूवनंतपुरम जू तिरूवनंतपुरम	30,00	47.90	–
मध्य प्रदेश	कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, इंदौर	40.35	100.35	74.00
	वन विहार नेशनल पार्क, भोपाल	25.00	–	90.49
	गांधी जूलोजिकल पार्क, ग्वालियर	–	20.45	–
महाराष्ट्र	राजीव गांधी जूलोजिकल पार्क, पुणे	50.00	98.77	50.62
	संजय गांधी नेशनल पार्क, बोरीवली ईस्ट मुंबई	–	–	22.62
मणिपुर	मणिपुर जूलोजिकल गार्डन, इम्फाल	–	–	4.25
मिजोरम	आईजोल जू, आईजोल	133.50	94.60	103.10
	थेंजवाल डियर पार्क	–	–	7.39
नागालैंड	नागालैंड जूलोजिकल पार्क, रंगापहाड़	48.50	68.41	89.06
उड़ीसा	नंदन कानन बायोलोजीकल पार्क, भुवनेश्वर	72.80	75.75	56.00
पंजाब	एम.सी. जूलोजिकल पार्क, छत्तरबीर	–	79.05	25.86
राजस्थान	जोधपुर जू जोधपुर	11.30	–	0.50
	नेहरूघर बायोलाजिकल पार्क, जयपुर	52.23	53.17	68.26
	उदयपुर जू, उदयपुर	–	0.50	–
सिक्किम	हिमालयन जूलोजिकल पार्क, गंगटोक	38.50	29.24	–
तमिलनाडु	अरीगनार अन्ना जूलोजिकल पार्क, वेंडालू, चेन्नई	48.44	202.74	163.53

1	2	3	4	5
	चेन्नई स्नेक पार्क ट्रस्ट, चेन्नई	–	5.00	2.88
	चिल्ड्रेन्स कार्नर, गंडी	–	8.56	–
उत्तर प्रदेश	लखनऊ जू, लखनऊ	19.43	–	–
	डियर पार्क, कुलरेल	–	4.00	3.94
	कानपुर जू, कानपुर	–	7.50	–
उत्तराखंड	पं. जी.बी. पंत हाई अलटीयूड जू, नैनीताल	6.39	–	–
पश्चिम बंगाल	साऊथ खेराबाड़ी रेस्क्यू सेंटर, मदारीहट	35.37	57.40	59.43
	जूलोजिकल गार्डन, अलीपुर	–	18.60	14.25
	पदमजा नायडु हिमालयन जूलोजिकल पार्क, दार्जिलिंग	–	51.44	–

विवरण III

चिड़ियाघर मान्यता नियम, 1992

*(2004 तक किए गए संशोधनों सहित)**

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चिड़ियाघर मान्यता नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "अधिनियम" से अर्थ है वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53);

(ख) "बाड़ा" से अर्थ है चिड़ियाघर के पशुओं के लिए उपलब्ध किया गया कोई आवास;

(ग) "बाड़ा अवरोध" से अर्थ है किसी पशु को बाड़े के भीतर रोकने के लिए बनाया गया अवरोध;

[1](घ) "संकटग्रस्त प्रजाति" से अर्थ है अधिनियम की अनुसूची 1 और 2 में सम्मिलित प्रजातियां;

[2](घ)(घ) संकटग्रस्त प्रजाति का अर्थ बाघ, एशियाई शेर और चीता को छोड़कर जिनकी संख्या सभी चिड़ियाघरों में मिलाकर 200 से अधिक नहीं है।

(ङ) "प्रारूप" से अर्थ है इन नियमों के परिशिष्ट-क में उपवर्णित कोई प्रारूप;

(च) "तमाशाई कार्य" से अर्थ है कोई ऐसा प्रयास जिसके द्वारा सरकार के करतब दिखाने सहित अस्वाभाविक कार्य करने के लिए पशु को बाध्य किया जाता है;

[3](चच) बचाव केन्द्र को तात्पर्य देखरेख के लिए स्थापित केन्द्र जैसाकि अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, जो जनता को नहीं दिखाए जाने हैं;

(छ) "स्टैण्ड आफ बैरियर" से अर्थ है वह भौतिक अवरोध जो बाड़ा अवरोध के बाहरी किनारे से पीछे बनाया गया हो;

(ज) "चिड़ियाघर संचालक" से अर्थ है वह व्यक्ति जिसका चिड़ियाघर के कार्यों पर अंतिम नियंत्रण हो परन्तु:

* चिड़ियाघर मान्यता नियमावली को पहली बार 4 अगस्त, 1992 को जी एस आर 711 (ई) द्वारा अधिसूचित किया गया था। तब से इसे दो बार जी एस आर 520 (ई) दिनांक 10.7.2001 और 106 (ई) दिनांक 6.2.2004 को संशोधित किया गया।

[1] संशोधित नियमावली 2001 द्वारा संशोधित 10.7.2001 को अंत:स्थापित

[2] संशोधित नियमावली 2004 द्वारा संशोधित 06.2.2004 को अंत:स्थापित

[3] संशोधित नियमावली 2004 द्वारा संशोधित 06.2.2004 से प्रविष्ट

(1) किसी फर्म अथवा व्यक्तियों के संघ की दशा में उसका कोई एक भागीदार अथवा कोई एक सदस्य चिड़ियाघर संचालक माना जाएगा।

(2) किसी कंपनी की दशा में चिड़ियाघर के कार्यों के लिए प्रभारी और कंपनी के प्रति जवाबदेह किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी को चिड़ियाघर संचालक माना जाएगा।

(3) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन किसी चिड़ियाघर के मामले में यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चिड़ियाघर के कार्यों के प्रबंधन हेतु नियुक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को चिड़ियाघर संचालक माना जाएगा।

3. मान्यता के लिए आवेदन पत्र

किसी चिड़ियाघर को मान्यता देने के लिए अधिनियम की धारा 38(ज) के अधीन आवेदन प्रारूप 'क' में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को किया जाएगा।

4. आवेदन के लिए शुल्क

(क) नियम 3 के अधीन प्रत्येक आवेदन के लिए 500 रुपए के शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

(ख) शुल्क की रकम का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर के माध्यम से केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली के पक्ष में किया जाएगा।

5. आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज और उसमें दिए जाने वाले ब्यौरे

प्रत्येक आवेदन के साथ विहित शुल्क के साथ-साथ प्रारूप 'क' में विनिर्दिष्ट मामलों में स्पष्ट ब्यौरे दिए जाएंगे।

6. पूछ-ताछ करने और जानकारी मंगाने की शक्तियां

अधिनियम की धारा 38(ज) के अधीन चिड़ियाघर को मान्यता देने से पूर्व केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण चिड़ियाघर द्वारा प्रारूप 'क' में अपने आवेदन में दी गई जानकारी के संबंध में ऐसी पूछताछ कर सकता है और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देने की मांग कर सकता है जो वह उचित समझे।

7. मान्यता का स्वरूप

किसी चिड़ियाघर को दी गई मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्

(क) जब तक स्थाई आधार पर मान्यता प्रदान नहीं की जाती तब तक मान्यता ऐसी अवधि तक दी जाएगी जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, जैसा मान्यता में विनिर्दिष्ट हो।

(ख) चिड़ियाघर ऐसे मानकों अथवा मानदण्डों के अनुपालन करेगा जो समय-समय पर अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अधीन विहित या अधिरोपित किए गए हैं या किए जाएं।

8. मान्यता का नवीकरण

(क) अपनी मान्यता का नवीकरण कराने का इच्छुक कोई मान्यताप्राप्त चिड़ियाघर मान्यता की अवधि समाप्त होने से 3 मास पूर्व प्रारूप 'क' में आवेदन केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को भेजेगा।

(ख) नियम 3, नियम 4, नियम 5, नियम 6 और नियम 7 के उपबंध मान्यता के नवीकरण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार मान्यता देने के संबंध में लागू होते हैं सिवाय इसके कि मान्यता नवीकरण के लिए आवेदन के साथ शुल्क के बतौर दो सौ रुपए देना होगा।

9. चिड़ियाघरों का वर्गीकरण

चिड़ियाघरों की मान्यता के लिए मानकों और मानदण्डों के निर्धारण और चिड़ियाघरों के कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए चिड़ियाघरों को उनके क्षेत्र, पशुओं की संख्या और उनके प्रदर्शन की किस्म और दर्शकों की संख्या के आधार पर नीचे विनिर्दिष्ट चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा।

चिड़ियाघरों का प्रवर्ग	बड़ा	मध्यम	छोटे	लघु
प्रदर्शित पशुओं की संख्या	750 से अधिक	500-750	200-499	200 से कम
प्रदर्शित पशुओं की किस्में	75 से अधिक पशु	50-75 पशु	20-49 पशु	20 पशुओं से कम
प्रदर्शित संकटग्रस्त प्रजातियां	15 से अधिक	10-15	5-9	-
प्रदर्शित संकटग्रस्त प्रजातियां	150 से अधिक	100-149	50-99	-

(9ए) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सुपरवाईजरी स्तर के स्टाफ जिसमें पशुचिकित्सक भी है की तैनाती सहित पशुओं के स्वास्थ्य, परिचर्या सुविधाओं और देखरेख के संबंध में इसके द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के अध्यधीन संकटमय प्रजातियों के पशुओं को रखने के लिए मिनी चिड़ियाघर की भी अनुमति दे सकता है।

10. मानक और मानदण्ड जिनके अधीन अधिनियम की धारा 38(ञ) के अंतर्गत मान्यता दी जाएगी

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के हितों तथा निम्नलिखित मानकों तथा अन्य मामलों पर यथोचित विचार करने के बाद मान्यता प्रदान करेगा।

[4](1) किसी चिड़ियाघर के संचालन का प्रमुख उद्देश्य वन्यजीवों का संरक्षण करना होगा और कोई चिड़ियाघर ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो इस उद्देश्य से असंगत हो।

(2) अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों का उल्लंघन करके कोई चिड़ियाघर किसी पशु को प्राप्त नहीं करेगा।

[5](3क) कोई भी चिड़ियाघर किसी भी पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1968 (1960 का 59) में यथा परिभाषित क्रूरता नहीं होने देगा।

[6](3ख) पशु जो उन प्रजातियों से संबंधित है, जिनकी पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 (1960 का 59) के अंतर्गत प्रदर्शित किए जाने पर रोक है, को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जाएगा।

(4) कोई चिड़ियाघर मैदानी भागों में हाथी और पहाड़ी भागों में याक को छोड़कर अन्य किसी भी पशु को सवारी ढोने अथवा किसी वाहन को खींचने के काम में नहीं लगाएगा।

(5) कोई भी चिड़ियाघर किसी पशु को लोहे की जंजीर से या रस्सी से तब तक बांधकर नहीं रखेगा जब तक ऐसा करना उसके हित के लिए अनिवार्य न हो।

(6) कोई भी चिड़ियाघर किसी ऐसे पशु को प्रदर्शित नहीं करेगा जो गंभीर रूप से बीमार, घायल या दुर्बल हो।

(7) प्रत्येक चिड़ियाघर कम से कम सप्ताह में एक बार दर्शकों के लिए बन्द रहेगा।

(8) प्रत्येक चिड़ियाघर एक चारदीवारी से घिरा होगा जिसकी ऊंचाई भूमि स्तर से कम से कम दो मीटर होगी। सफारी और हिरण पार्कों के रूप में विद्यमान चिड़ियाघरों में चेन लिंक, उचित डिजाइन और आकार के बाड़े बनाए जाएंगे।

(9) चिड़ियाघर संचालक वृक्षारोपण करके, हरी पट्टियां बनाकर और लॉन एवं फुलवारी आदि बनाकर चिड़ियाघर में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करेगा।

(10) किसी भी चिड़ियाघर में निर्मित क्षेत्र चिड़ियाघर के कुल क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। निर्मित क्षेत्र में प्रशासनिक भवनों, भण्डार, अस्पताल, रेस्टोरेण्ट, किओस्क और आगंतुक विश्राम शेड आदि, पशु गृह और पक्की सड़कें शामिल हैं।

(11) किसी भी चिड़ियाघर के मुख्य परिसर में कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर नहीं होंगे। इस प्रकार के परिसरों को, यदि कोई हों, भूमि स्तर से कम से कम 2 मीटर ऊंची चारदीवारी बनाकर चिड़ियाघर के मुख्य परिसर से अलग किया जाएगा।

[7](11ए) प्रत्येक चिड़ियाघर भूमि, जल, बिजली की उपलब्धता और क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति का विधिवत ध्यान रखते हुए चिड़ियाघर में रखे गए और प्रदर्शित पशुओं का संग्रहण प्लान तैयार करेगा।

[8](11बी) बचाव केन्द्र: (रेस्क्यू सेन्टर्स) उनके पास लाए गए वन्य पशुओं को मुख्य वन्यजीव वार्डन को सूचित करते हुए स्वीकार करेंगे।

प्रशासनिक और स्टाफिंग पद्धति

[9](12) प्रत्येक चिड़ियाघर में चिड़ियाघर का प्रभारी एक पूर्णकालिक अधिकारी होगी। उस अधिकारी को चिड़ियाघर के पशुओं के उचित रख-रखाव और देखरेख के लिए आवश्यक उपयुक्त प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान की जाएंगी।

[10](13) प्रत्येक बड़े और मझोले चिड़ियाघर में कम से कम एक पूर्णकालिक क्यूरेटर होगा जो पशुओं के रख-रखाव और पशु बाड़ों के रख-रखाव के लिए पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा। जो जन्तु विज्ञान में मास्टर डिग्री रखता हो।

(14) प्रत्येक बड़े चिड़ियाघर में कम से कम दो पूर्णकालिक पशु चिकित्सक, मझोले व छोटे चिड़ियाघर में कम से

[4] संशोधित नियमावली 2004 द्वारा संशोधित 06.2.2004 को प्रतिस्थापित
[5] संशोधित नियमावली 2004 द्वारा संशोधित 06.2.2004 से प्रविष्ट
[6] संशोधित नियमावली 2004 द्वारा संशोधित 06.2.2004 से प्रविष्ट
[7] संशोधित नियमावली 2004 द्वारा संशोधित 06.2.2004 को अंत:स्थापित
[8] संशोधित नियमावली 2004 द्वारा संशोधित 06.2.2004 से प्रविष्ट
[9] संशोधित नियमावली 2001 द्वारा संशोधित 10.7.2001 को अंत:स्थापित
[10] संशोधित नियमावली 2001 द्वारा संशोधित 10.7.2001 को अंत:स्थापित

कर्म एक पूर्णकालिक पशु चिकित्सक होगा। बहुत छोटे चिड़ियाघर में किसी बाहरी पशु चिकित्सक की व्यवस्था हो सकती है जो पशुओं की देखभाल के लिए प्रतिदिन चिड़ियाघर आया करेगा।

[11](14ए) प्रत्येक चिड़ियाघर में निम्नलिखित विवरण और शैक्षणिक अर्हताओं, सहित पशु चिकित्सक होंगे; नामत:

वर्ग	वरिष्ठ पशुचिकित्सक	कनिष्ठ पशुचिकित्सक
बड़े चिड़ियाघर	1	1
मध्यम चिड़ियाघर	1	0
लघु चिड़ियाघर	1	0

वरिष्ठ पशुचिकित्सक: बी.वी. साईन्स और ए.एच. की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अथवा समकक्ष सहित केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किसी मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर में कार्य करने का 5 वर्षों का अनुभव और राज्य पशुचिकित्सा परिषद अथवा भारतीय पशुचिकित्सा परिषद में विधिवत रूप से पंजीकृत हो।

कनिष्ठ पशुचिकित्सक: बी.वी. साईन्स और ए.एच. की न्यूनतम अर्हता सहित चिड़ियाघर और वन्यजीव पशु स्वास्थ्य परिचर्या प्रबंध में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वन्यजीव रोग और प्रबंध में स्नातकोत्तर डिग्री और राज्य पशुचिकित्सा परिषद अथवा भारतीय पशुचिकित्सा परिषद में विधिवत् रूप से पंजीकृत हो।

पशु बाड़े का डिजाइन, आयाम और अन्य जरूरी विशेषताएं

(15) प्रत्येक चिड़ियाघर में पशु बाड़ों का डिजाइन इस तरह से बनाया जाएगा ताकि पशुओं, रखवालों और दर्शकों की सुरक्षा पूर्णत: सुनिश्चित की जा सके। दर्शकों को पशुओं से सुरक्षित दूरी पर रखने के लिए स्टैण्ड बैरियरों और पर्याप्त चेतावनी संकेतों की व्यवस्था की जाएगी।

[12](16) किसी चिड़ियाघर में सभी पशु बाड़े इस प्रकार से डिजाइन किए जाएंगे कि उनके भीतर रखे गए पशुओं की सभी जैविक जरूरतें पूरी की जाएं। बाड़े ऐसे आकार के होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पशु अपने स्वच्छन्द विचरण और व्यायाम के लिए स्थान पा सके और झुंडों में रहने वाले पशुओं पर किसी एक का अनुचित आधिपत्य न बन सके। ऐसी प्रजातियों के मामले में जिन्हें उनके व्यवहार अथवा जैवीय कारणों से समूह में नहीं रखा जा सकता, ऐसे प्रत्येक पशु के लिए अलग-अलग बाड़े प्रदान किए जाएंगे। बाड़े, इन नियमों के परिशिष्ट दो में दिए गए आयामों से छोटे नहीं होने चाहिए। ये आयाम सर्कसों पर लागू नहीं होंगे। तथापि, जब पारगमन में न हो, ये सर्कस, पशुओं को विचरण करने और व्यायाम करने के लिए स्थान प्रदान करेंगे।

[13](16ए) चिड़ियाघर संचालक आस-पास के बाड़ों के बीच उचित आड़ (स्क्रीनिंग) का उपाय करेंगे ताकि अन्य बाड़ों में पशुओं के दिखाई देने से अन्य पशुओं को उत्तेजित अथवा तनाव में रहने से बचाया जा सके।

[14](17) चिड़ियाघर संचालक पशु बाड़ों में यथासंभव प्राकृतिक वास स्थलों के अनुरूप परिस्थितियां बनाने का प्रयास करेंगे। छाया प्रदान करने के लिए वृक्षों की ऐसी उपयुक्त प्रजातियों का पौधरोपण तथा ऐसे आश्रय स्थलों का निर्माण भी किया जाएगा जो पशु बाड़े के समग्र वातावरण में घुलमिल जाएं। भूमि की उपलब्धता और तकनीकी व्यवहार्यता की निर्भरता पर बाड़ा अवरोधों के रूप में खाइयां बनाई जाएंगी।

[15](18) चिड़ियाघर में प्रत्येक स्तनपायी को आहार प्रकोष्ठ/विश्राम हेतु कोठरी अथवा फीडिंग काल के अंदर आहारप्रदान किया जाएगा। आहार प्रकोष्ठ अथवा काल की संख्या और आकार इस प्रकार होना चाहिए कि आधिपत्य करने वाले पशु अन्य पशुओं को पर्याप्त भोजन करने से वंचित न रख सकें। संकटापन्न स्तनपायी प्रजातियों को इन नियमों के परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट किए अनुसार आयामों की आहार प्रकोष्ठ और विश्राम कक्ष प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक कोठरी अथवा प्रकोष्ठ में प्रजातियों की जैविक आवश्यकताओं के अनुसार विश्राम, खाना खिलाने, पानी पिलाने और व्यायाम करने की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। प्रत्येक प्रकोष्ठ अथवा कोठरी अथवा बाड़े में पशुओं के आराम और कल्याण उचित हवा और प्रकाश की व्यवस्था होगी। ये आयाम ट्रांजिट में सर्कसों पर लागू नहीं होंगे।

(19) प्रत्येक कक्ष/विश्राम कक्ष/बाड़े में अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए नालियों की उचित व्यवस्था और पशुविष्ठा व अवशिष्ट पानी को निकालने की व्यवस्था की जाएगी।

(20) संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए किसी नए बाड़े के डिजाइन को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जाएगा।

[11] संशोधित नियमावली 2004 द्वारा संशोधित 06.2.2004 को अंत:स्थापित
[12] संशोधित नियमावली 2004 द्वारा संशोधित 06.2.2004 से प्रविष्ट
[13] संशोधित नियमावली 2001 द्वारा संशोधित 10.7.2001 को प्रविष्ट
[14] संशोधित नियमावली 2001 द्वारा संशोधित 10.7.2001 को अंत:स्थापित
[15] संशोधित नियमावली 2004 द्वारा संशोधित 06.2.2004 को अंत:स्थापित

स्वच्छता, पोषण और रख-रखाव

(21) प्रत्येक चिड़ियाघर अलग-अलग पशुओं की जरूरतों के अनुसार प्रत्येक पशु के लिए पर्याप्त मात्रा में पूर्ण और बिना-मिलावटी भोजन की समय पर सप्लाई सुनिश्चित करेगा ताकि किसी भी पशु को कम भोजन न मिले।

(22) प्रत्येक चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में उत्पन्न ठोस और तरल दोनों प्रकार के कचरों की साफ-सफाई के लिए उपयुक्त कचरा निपटान प्रणाली की व्यवस्था करेगा।

(23) प्रत्येक बाड़े से अवशिष्ट भोजन, पशु विष्ठा और कचरे को नियमित रूप से हटाया जाएगा और ऐसे तरीके से निपटाया जाएगा जो चिड़ियाघर की सामान्य साफ-सफाई के अनुरूप हो।

(24) चिड़ियाघर संचालक प्रत्येक कक्ष/बाड़े/विश्राम कक्ष में पीने के लिए पेय जल की निरन्तर आपूर्ति करायेंगें।

(25) चिड़ियाघर के प्राधिकृत पशु चिकित्सा अधिकारी के निदेशों के अनुसार प्रत्येक बाड़े में समय-समय पर संक्रमण-रोधक दवाओं का छिड़काव किया जाएगा।

पशुओं की देखभाल, स्वास्थ्य और उपचार

(26) पशुओं को केवल उन्हीं कर्मचारियों द्वारा हैण्डल किया जाएगा जिन्हें विशिष्ट पशुओं को हैण्डल करने का अनुभव हो या प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। किसी पशु को बेचैनी, व्यवहार संबंधी तनाव अथवा शारीरिक क्षति से बचाने के लिए पूरी सावधानी बरती जाएगी।

(27) चिड़ियाघर में सभी जानवरों की दशा और स्वास्थ्य की रोजाना जांच उनकी देखभाल के प्रभारी अधिकारी द्वारा की जाएगी। यदि किसी पशु को बीमार, घायल अथवा अनावश्यक तनाव की हालत में पाया जाएगा तो उसकी रिपोर्ट इलाज के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी को दी जाएगी।

(28) परजीवी जांच सहित रोजमर्रा की जांच नियमित रूप से की जाएगी तथा ऐसे अन्तरालों पर, जैसा कि प्राधिकृत पशु चिकित्सा अधिकारी निश्चित करे, पशुओं को टीका लगाने सहित निवारक औषधियां दी जाएंगी।

(29) चिड़ियाघर संचालक कम से कम प्रत्येक छः मास में एक बार पशुओं के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों की चिकित्सा जांच की व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए करेंगे कि वे ऐसी बीमारियों से संक्रामित नहीं हैं जो चिड़ियाघर के पशुओं को लग जाए।

(30) प्रत्येक चिड़ियाघर केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा पहचानी गई संकटग्रस्त प्रजातियों के प्रत्येक पशु के संबंध में पशु हिस्ट्रीशीट और उपचार कार्ड रखेगा।

पशु चिकित्सा सुविधाएं

[16](31) प्रत्येक बड़े और मझोले चिड़ियाघर के पास पूर्ण विकसित पशु चिकित्सा सुविधाएं होनी चाहिएं जिसमें उपयुक्त रूप से सज्जित एक पशु चिकित्सा अस्पताल, बुनियादी निदान सुविधाएं और पूरी औषधियां होंगी। प्रत्येक पशु अस्पताल में नए आने वाले पशुओं और बीमार पशुओं के लिए अलग और संगरोध वार्ड होंगे। ये वार्ड इस प्रकार अलग होने चाहिए जिससे कि चिड़ियाघर के दूसरे पशुओं में छूत की बीमारी न फैल सके।

[17](31ए) प्रत्येक चिड़ियाघर संचालक, चिड़ियाघर के पशुओं की परिचर्या में पशुचिकित्सकों की मदद करने के लिए योग्यता प्राप्त प्रयोगशाला सहायक/कम्पाऊंडर प्रदान करेगा।

[18](32) प्रत्येक चिड़ियाघर में वन्य पशुओं पर काबू पाने और उन्हें हैन्डल करने की सुविधाएं होनी चाहिएं।

[19](33) जिन छोटे और बड़े चिड़ियाघरों में पूर्ण विकसित पशु चिकित्सा अस्पताल उपलब्ध नहीं हैं, उनमें चिड़ियाघर के परिसर में कम से कम एक उपचार कक्ष होगा जहां पशुओं की रुटीन जांच की जा सके और तत्काल उपचार किया जा सके।

[20](34) चिड़ियाघर में किसी भी पशु की मृत्यु होने पर उसका राज्य पशुचिकित्सा परिषद अथवा भारतीय पशुचिकित्सा परिषद में पंजीकृत पशुचिकित्सा द्वारा विस्तृत शव परीक्षा भी जाएगी तथा उसके निष्कर्षों को दर्ज किया जाएगा और उसे कम से कम 6 वर्षों की अवधि के लिए अनुरक्षित रखा जाएगा।

[21](35) प्रत्येक चिड़ियाघर के पास पिंजरों के निपटान के लिए उपयुक्त सुविधा होनी चाहिए जिससे कि चिड़ियाघर की सफाई पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तथापि, बड़ी बिल्लियों पिंजरों का निपटान निदेशक अथवा निदेशक विधिवत् द्वारा प्राधिकृत क्योरेटर के पद से बराबर के अधिकारी की उपस्थिति में जलाकर किया जाएगा।

---

[16] संशोधित नियमावली 2004 द्वारा संशोधित 06.2.2004 को अंत:स्थापित
[17] संशोधित नियमावली 2001 द्वारा संशोधित 10.7.2001 से प्रविष्ट
[18] संशोधित नियमावली 2004 द्वारा संशोधित 06.2.2004 को अंत:स्थापित
[19] संशोधित नियमावली 2004 द्वारा संशोधित 06.2.2004 को अंत:स्थापित
[20] संशोधित नियमावली 2004 द्वारा संशोधित 06.2.2004 को प्रतिस्थापित
[21] संशोधित नियमावली 2001 द्वारा संशोधित 10.7.2001 को प्रतिस्थापित

पशुओं का प्रजनन

[22](36) प्रत्येक चिड़ियाघर अपने संग्रहण में केवल उतने पशुओं की संख्या और ऐसी प्रजाति के पशुओं को रखेगा जिनके लिए आवासीय सुविधा मौजूद है। चिड़ियाघर प्रचालन यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि चिड़ियाघर में किसी भी प्रजाति के पशुओं की संख्या उपलब्ध बाड़ों की क्षमता से अधिक न हो। और अधिक संख्या में पशुओं को रखने के लिए आवासीय मानकों की गुणता पर समझौता न किया जाए।

[23](37) प्रत्येक चिड़ियाघर पशुओं को समुचित सामाजिक दलों में रखेंगे। किसी भी पशु को बिना साथी के एक वर्ष की अवधि से अधिक तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि ऐसा करने के लिए कोई वैध कारण न हो या पशु की प्रजनन शक्ति समाप्त हो गई हो और वह प्रजनन के लिए निष्क्रिय हो गया हो। यदि किसी चिड़ियाघर को, इस अवधि के भीतर किसी अकेले पशु के लिए कोई साथी नहीं मिलता है तो उस पशु को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जाएगा।

(38) किसी भी चिड़ियाघर को किसी भी किस्म के अकेले पशु को प्राप्त करने की तब तक अनुमति न दी जाएगी जब तक ऐसा करना उस चिड़ियाघर में रखे गए अकेले पशु के लिए साथी ढूंढ़ने के लिए या किसी कैप्टिव ब्रीडिंग ग्रुप में रक्त को बदलने के लिए ऐसा करना अनिवार्य न हो।

[24](39) प्रत्येक चिड़ियाघर राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन के परामर्श से केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संकटापन्न प्रजातियों के नियमित प्रजनन कार्यक्रम हाथ में लेगा। इस प्रयोजनार्थ, चिड़ियाघर संचालक, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के निदेशों के अनुसार ऋण, उपहार तथा इसी तरह से चिड़ियाघरों के बीच पशुओं का आदान-प्रदान करेगा।

(40) अधिक बच्चे पैदा करने वाले पशुओं की आबादी में अनियंत्रित वृद्धि के विरुद्ध सुरक्षा उपाय के रूप में प्रत्येक चिड़ियाघर नर और मादा को अलग रखने, नसबन्दी, नर बंध्याकरण और मादा बंध्याकरण और पैलेट आरोपण जैसे उचित आबादी नियंत्रक उपायों को लागू करेगा।

(41) कोई भी चिड़ियाघर पशुओं अलग-अलग प्रजातियों के अलावा एक ही प्रजाति के पशुओं के अलग-अलग वंशों के बीच संकर प्रजनन की अनुमति नहीं देगा।

रिकार्ड-रखना और केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को सूची भेजना

(42) प्रत्येक चिड़ियाघर सभी पशुओं के जन्म, प्राप्ति, बिक्री, निपटान और मृत्यु का रिकार्ड रखेगा। प्रत्येक चिड़ियाघर में रखे गए पशुओं की सूची जो प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार होगी, उस वर्ष के 30 अप्रैल तक केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को भेज दी जाएगी।

[25](43) प्रत्येक चिड़ियाघर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए चिड़ियाघर में पशुओं की मौत का संक्षिप्त सार, शव-परीक्षा रिपोर्टों के आधार पर मौत के अभिज्ञात कारणों और अन्य नैदानिक जांचों सहित अगले वर्ष की 30 अप्रैल तक प्रस्तुत करेगा। गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजातियों के पशुओं की मौत के मामले में उपरोक्त वर्णित ब्यौरे सहित, रिपोर्ट 24 घंटों के भीतर केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।

[26](44) प्रत्येक चिड़ियाघर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान, चिड़ियाघर की गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा। मिनी चिड़ियाघरों के संदर्भ में, संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

शिक्षा और अनुसंधान

(45) चिड़ियाघर के प्रत्येक बाड़े में एक साइन बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें उस बाड़े में दिखाए जा रहे पशुओं के बारे में वैज्ञानिक सूचना दी जाएगी।

(46) प्रत्येक चिड़ियाघर लीफलेट, पुस्तिकाएं और मार्गदर्शक पुस्तिकाएं प्रकाशित करेगा तथा उन्हें नि:शुल्क अथवा उचित कीमत पर दर्शकों को उपलब्ध कराएगा।

(47) प्रत्येक बड़े और मझोले चिड़ियाघर केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के निदेशों के अनुसार प्रदर्शित पशुओं के बीच वैज्ञानिक व्यवहार, जनसंख्या और पशु चिकित्सा देखभाल के बारे में लिखित रूप से विस्तृत टिप्पणियां रिकार्ड करने की व्यवस्था करेगा ताकि ब्यौरेवार डाटा-बेस तैयार किए जा सकें। इन डाटा-बेस या अन्य चिड़ियाघरों तथा केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के साथ आदान-प्रदान किया जाएगा।

---

[22] संशोधित नियमावली 2001 द्वारा संशोधित 10.7.2001 को प्रतिस्थापित

[23] संशोधित नियमावली 2004 द्वारा संशोधित 06.2.2004 को प्रतिस्थापित

[24] संशोधित नियमावली 2004 द्वारा संशोधित 06.2.2004 को प्रतिस्थापित

[25] संशोधित नियमावली 2001 द्वारा संशोधित 10.7.2001 को प्रतिस्थापित

[26] संशोधित नियमावली 2001 द्वारा संशोधित 10.7.2001 को प्रतिस्थापित

दर्शकों के लिए सुविधाएं

(48) चिड़ियाघर संचालक दर्शकों के लिए सुविधाजनक स्थानों पर शौचालयों, दर्शक शेड और पेय जल जैसी उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था करेंगे।

(49) चिड़ियाघर के परिसरों में विषरोधी दवाओं सहित प्राथमिक चिकित्सा उपकरण आसानी से उपलब्ध रहेंगे।

(50) व्हील चेयर पर आने वाले दर्शकों समेत सभी विकलांग दर्शकों के लिए चिड़ियाघर में पहुंचने की विशेष व्यवस्था की जाएगी।

विकास और आयोजना

(51) प्रत्येक चिड़ियाघर अपने विकास के लिए एक दीर्घकालिक योजना तैयार करेगा। चिड़ियाघर एक प्रबंध योजना भी तैयार करेगा जिसमें अगले 6 वर्षों के लिए विकास के प्रस्ताव और गतिविधियों का ब्यौरा दिया जाएगा। उन योजनाओं की प्रतिलिपियां केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को भेजी जाएंगी।

[27](10ए) सर्कसों और बचाव केन्द्रों के मामले में नियम 10 की व्यवहार्यता:-

(i) नियम 10 के अंतर्गत सर्कसों को मान्यता प्रदान करने के मामले में, खंड (8), (9), (10), (11), (17), (46), (47) और (51) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

(ii) नियम 10 के अंतर्गत बचाव केन्द्रों को मान्यता प्रदान करने के मामले में खंड (10), (38), (46) और (51) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

बंदी अवस्था में पशुओं की महत्वपूर्ण स्तनपोषी प्रजातियों के लिए भोजन करने/आराम करने के लिए कोठरी हेतु न्यूनतम निर्धारित आकार

प्रजातियों के नाम	[28]भोजन देने/रात्रि विश्राम हेतु कोठरी का आकार (मीटर में)		
	लंबाई	चौड़ाई	ऊंचाई
1	2	3	4
फैमिली फेलिडे			
टाईगर एण्ड लायन्स	2.75	1.80	3.00
पैंथर	2.00	1.50	2.00
कलर्ड, लियोपार्ड एण्ड स्नो लियोपार्ड	2.00	1.50	2.00
स्माल कैट्स	1.80	1.50	1.50
फैमिली-एलीफेन्टीडे			
एलीफैन्ट	8.0	6.0	5.5
फैमिली रिनोसिरोटीडे			
वन-हार्न्ड इंडियन रिनोसिरोज	5.0	3.0	2.5
फैमिली सर्विडे			
ब्रो एंडलर्ड डीयर	3.0	2.0	2.5
हैंगुल	3.0	2.0	2.5
स्वाम्प डीयर	3.0	2.0	2.5
मास्क डीयर	2.5	1.5	2.0
माउस डीयर	1.5	1.0	1.5
फैमिली बोविडे			
नीलगिरी लहर	2.5	1.5	2.0
चिंकारा	2.5	1.5	2.0
फार हार्न्ड एंटिलोप	2.5	1.5	2.0
वाईल्ड बफेलो	3.0	1.5	2.0
इंडियन बिसन	3.0	2.0	2.5
याक	4.0	2.0	2.5
भारल, गोरल, वाईल्ड शीप एण्ड मारखोर	2.5	1.5	2.0
फैमिली-इक्वीडे			
वाईल्ड एस	4.0	2.0	2.5
फैमिली-अर्सिडे			
सभी प्रकार के भारतीय भालू	2.5	1.8	2.0
फैमिली-कैनिडे			
गीदड़, भेड़िया और जंगली कुत्ता	2.0	1.5	1.5

[27] 6.10.2006 से संशोधन नियम 2004, द्वारा प्रविष्ट

[28] दिनांक 10.7.2001 से प्रभावी संशोधन नियमावली 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

1	2	3	4
फैमिली-विविरिडे			
पाम सिवेट	2.0	1.0	1.0
लार्ज इंडियन सिवेट एण्ड बिंटरंग	2.0	1.5	1.0
फैमिली मस्टीलिडे			
आट्र्स आल टाईप्स	2.5	1.5	1.0
रैटेल/हागबर्गर	2.5	1.5	1.0
मर्टेन्स	2.0	1.5	1.0
फैमिली-प्रोसाईनाइड			
रेड पंडा	3.0	1.5	1.0
फैमिली-लोरिसिडे			
स्लो लोरिस एण्ड सलेन्डर लोरिस	1.0	1.0	1.5
फैमिली-सर्कोपिथेसिडे			
मन्किज एण्ड लंगूर्स	2.0	1.0	1.5

बंदी अवस्था में पशुओं की महत्वपूर्ण स्तनपोषी प्रजातियों के लिए आउटडोर खुले बाड़े के लिए न्यूनतम निर्धारित आकार

क्र.सं.	प्रजातियों के नाम	आउटडोर बाड़ों का (प्रति जोड़ा) न्यूनतम आकार स्क्वायर मीटर	प्रति अतिरिक्त पशु अतिरिक्त न्यूनतम क्षेत्र
1	2	3	4
	फैमिली-फेलिडे		
1.	टाईगर एण्ड लायन्स	1000	250
2.	पैंथर	500	60
3.	क्लाउडेड लियोपार्ड	400	40
4.	स्नो लियोपार्ड	450	50
	फैमिल-रिनोसिरोटीडे		
5.	वन-हार्न्ड इंडियन रिनोसिरोज	2000	375
	फैमिली-सर्विडे		
6.	ब्राव एंटलर्ड डीयर	1500	125
7.	हैंगु	1500	125
8.	स्वाम्प डीयर	1500	125
	फैमिली-बोविडे		
9.	वाईल्ड बफेलो	1500	200
10.	इंडियन बिसन	1500	200
11.	भार, गोरल, वाईल्ड शीप और सेरोव	350	75
	फैमिली-इक्वीडे		
12.	वाईल्ड एस	1500	200
	फैमिली-अर्सीडे		
13.	आल टाईप्स आफ इंडियन बीयर्स	1000	100
	फैमिली-कैनिडे		
14.	जैकाल, वुल्फ और वाईल्ड डाग	400	50
	फैमिली-प्रोसाईओनाइड		
15.	रेड-पंडा	300	30
	फैमिली-सर्कोपिथेसाईडे		
16.	मंकीज एण्ड लंगूर्स	500	20

टिप्पणी:

1. केवल प्रजातियों के संदर्भ में, न्यास दिए गए हैं, जो चिड़ियाघरों में सामान्य रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं।
2. चिंकारा और चौसिंघा के आउटडोर बाड़े के लिए किसी आवास का निर्धारण, आपसी लड़ाई में चोट की समस्या के कारण नहीं किया गया है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा सुझाए गए न्यास के बैटरी टाईप बाड़ों में इन पशुओं को रखा जा सकता है।
3. शेड्यूल-1 के प्रजातियों, जो इस परिशिष्ट के द्वारा कवर नहीं किए गए, के लिए बाड़ों के डिजाइनों को, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की सहमति के बाद अग्रिम रूप दिया जाना चाहिए।

गैंडों की संख्या में कमी

1577. श्री परसुराम माझी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) काजीरंगा राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में गैंडों की संख्या में कमी के क्या कारण हैं;

(ख) उस उद्यान में बाढ़ के परिणामस्वरूप मृत गैंडों की संख्या कितनी है; और

(ग) गैंडों को असामयिक और अप्राकृतिक मौत से बचाने के लिए क्या प्रयास किये गए/किये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में गैंडों की संख्या में कमी नहीं हो रही है।

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ के कारण मारे गए गैंडों की संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	बाढ़ में मारे गए गैंडों की संख्या
2004	11
2005	0
2006	0
2007	3
2008	2

(ग) गैंडों सहित वन्यजीव की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:-

1. केन्द्रीय सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के मुद्दे से निपटने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 अधिनियमित किया है। अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों पर सख्त शास्तियां लगाई गई हैं।
2. गैंडों (राइनोसेरस यूनीकोर्निस) को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल करके उसे उच्चतम कोटी की सुरक्षा प्रदान की जा रही है।
3. वन्यजीव अपराध के नियंत्रण के लिए पांच क्षेत्रीय और तीन उप क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क सहित वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित किया गया है।
4. गैंडों और उनके वास-स्थलों सहित वन्यजीव के संरक्षण और सुरक्षा हेतु राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, नामश: 'राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास' 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
5. गैंडों के संरक्षण हेतु अन्य कानून प्रवर्तन अभिकरणों के साथ समन्वयन में संवेदनशील क्षेत्रों की गहन रूप से गश्त की जाती है।
6. आम जनता के लिए नियमित रूप से प्रकृति के प्रति जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं।
7. संरक्षण में लोगों की भागीदारी हेतु सीमान्त गांवों के पारि-विकास गतिविधियां प्रारम्भ की गई हैं।
8. गैंडों में महामारी फैलने से रोकने के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के सीमान्तवर्ती गांवों में मवेशियों में टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
9. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ के दौरान पशुओं को पर्याप्त आश्रय स्थल प्रदान करने के लिए मिट्टी के चबूतरों को ऊंचा उठाया गया है।
10. वर्ष 2001 में असम में बोकाखाट के नजदीक पनबारी में वन्यजीव पुनर्वास और संरक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है।
11. बाढ़ के दौरान बाढ़ में फंसे हुए पशुओं को बचाने के लिए विशेष बचाव टीमें गठित कर दी गई हैं।

कीट पतंगों का अवैध शिकार

1578. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कीट-पतंगों के अवैध शिकार के मामलों में वृद्धि हो रही है जैसाकि दिनांक 25 अगस्त, 2008 के 'मिंट' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं; और

(ग) देश में कीट-पतंगों के अवैध शिकार पर काबू पाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) इस मंत्रालय के ध्यान में कीट-पतंगों के अवैध शिकार में छिट-पुट मामले लाए गए हैं। मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, ऐसे एक मामले में, चेकोस्लोवाकिया से दो व्यक्ति, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में जुलाई 2008 के दौरान भृंग (बीटल), पतंगा (मॉथ) और इल्ली (लार्वे) सहित कीट-पतंगों की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किए गए थे। कीट-पतंगों की अन्य जब्ती मुंबई से अप्रैल, 2008 के दौरान की गई थी जहां तितलियों सहित चार त्रिकोणाकार लैम्प शेड जब्त किए गए थे। तथापि, देश में कीट-पतंगों के अवैध शिकार में वृद्धि दिखाते हुए कोई सूचना नहीं है।

(ग) कीट-पतंगों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. केन्द्रीय सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के मुद्दे से निपटने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 अधिनियमित किया है। अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों पर सख्त शास्तियां लगाई गई हैं।

2. कीट-पतंगों की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियों में शामिल करके उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

3. वन्यजीव अपराध के नियंत्रण के लिए पांच क्षेत्रीय और तीन उप क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क सहित वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित किया गया है।

4. कीट-पतंगों और उनके वास-स्थलों सहित वन्यजीव के संरक्षण और सुरक्षा हेतु राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें, नामश: 'राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास' 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना'' के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

5. वन्यजीव के संरक्षण हेतु अन्य कानून प्रवर्तन अभिकरणों के साथ समन्वय में संवेदनशील क्षेत्रों की गहन रूप से गश्त की जाती है।

6. आम जनता के लिए नियमित रूप से प्रकृति के प्रति जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं।

7. संरक्षण में लोगों की भागीदारी हेतु सीमान्त गांवों में पारि-विकास गतिविधियां प्रारम्भ की गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पक्षी 'मोर' की गणना

1579. श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पक्षी 'मोर' की कोई गणना करायी है;

(ख) यदि हां, तो देश में इस समय राज्य-वार मोरों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में मोरों की संख्या कम हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान मोरों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा जारी की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा राष्ट्रीय पक्षी को बचाने तथा उनकी संख्या में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) कतिपय फ्लैगशिप प्रजातियों/मेगा-फॉना के संदर्भ में जनगणना आकलन राज्य सरकारों द्वारा आवधिक अंतराल पर किया जाता है। तथापि, मोरों के संबंध में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) वन्यजीवों की संख्या में उतार-चढ़ाव एक प्राकृतिक घटना है। मोरों की संख्या में कमी के रुझान दर्शाती हुई कोई रिपोर्टें नहीं हैं। गणना में उतार-चढ़ाव के लिए उत्तरदायी घटकों में प्रिडेशन, प्राकृतिक रूप से मृत्यु, कीट नाशक युक्त बीजों का सेवन, वास-स्थलों का अवक्रमण आदि शामिल हैं।

(ङ) केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों नामश: 'राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास' 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' के अंतर्गत मोरों सहित वन्यजीव के संरक्षण हेतु राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। गत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान स्कीमों के तहत राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I से III में दिया गया है।

(च) मोरों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं:-

(1) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में मोरों को शामिल करके उन्हें उच्चतम कोटि की सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

(2) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत मोरों का शिकार प्रतिबन्धित है।

(3) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार, मोरों के महत्वपूर्ण वास-स्थलों को सुरक्षित रूप में घोषित किया गया है।

(4) वन्यजीव अपराध के नियंत्रण के लिए 5 क्षेत्रीय और तीन उप-क्षेत्रीय कार्यालय के नेटवर्क सहित वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो गठित किया गया है।

(5) मोरों सहित वन्यजीव के संरक्षण और सुरक्षा हेतु राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, नामत: 'राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास' 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

विवरण I

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास" के तहत जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	63.55	57.75	82.86	73.48
2.	आंध्र प्रदेश	104.245	143.238	168.06	92.378
3.	अरुणाचल प्रदेश	144.845	78.602	125.05	161.17
4.	असम	193.205	161.79	81.78	139.10
5.	बिहार	–	10.50	4.00	37.558
6.	चंडीगढ़	–	–	0.00	–
7.	छत्तीसगढ़	359.817	377.863	379.20	243.86
8.	दादरा और नगर हवेली	20.00	14.50	11.78	15.62
9.	गोवा	14.40	5.00	31.59	41.94
10.	गुजरात	275.93	328.675	332.08	263.48
11.	हरियाणा	24.20	60.45	70.03	48.02
12.	हिमाचल प्रदेश	283.83806	261.56	233.32	228.09
13.	जम्मू-कश्मीर	113.50	173.68	221.54	169.70
14.	झारखंड	124.90	98.54	98.13	88.42
15.	कर्नाटक	474.9931	490.582	630.64	408.56
16.	केरल	284.5412	362.115	493.574	322.73
17.	मध्य प्रदेश	613.553	759.46	800.92	428.48
18.	महाराष्ट्र	241.68	223.855	331.33	317.08
19.	मणिपुर	101.03	96.986	105.89	82.85
20.	मेघालय	59.30	38.20	64.88	58.01
21.	मिजोरम	221.28	136.066	169.46	152.70
22.	नागालैंड	1.50	16.38	19.11	23.50
23.	उड़ीसा	325.649	340.855	357.08	379.00

1	2	3	4	5	6
24.	पंजाब	–	3.00	0.00	19.29
25.	राजस्थान	192.62	207.665	347.24	237.46
26.	सिक्किम	118.84	140.376	159.22	139.38
27.	तमिलनाडु	197.20	205.24	274.64	258.10
28.	त्रिपुरा	–	31.60	36.00	–
29.	उत्तर प्रदेश	345.63	290.38	332.36	253.67
30.	उत्तराखंड	85.65	100.12	76.67	109.68
31.	पश्चिम बंगाल	313.9437	357.225	356.22	250.00
32.	दिल्ली	19.50	–	0.00	–
33.	दमन और दीव	–	–	4.721	6.12
	कुल	5319.34	5572.252	6399.36	5057.226

विवरण II

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, "बाघ परियोजना" के तहत जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र.सं.	बाघ रिजर्व रेन्ज राज्य का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	68.7926	46.675	73.92	26.083
2.	अरुणाचल प्रदेश	172.418	237.3725	110.25	54.7805
3.	असम	86.4896	87.431	95.61	221.269
4.	बिहार	6.4918	69.9554	98.32	–
5.	छत्तीसगढ़	24.3343	10.00	35.23	92.1296
6.	कर्नाटक	453.2246	286.277	1159.71	235.7748
7.	केरल	116.1708	109.00	153.24	86.60
8.	झारखंड	164.1784	155.967	45.16	48.2165
9.	मध्य प्रदेश	777.2676	197.942	2975.94	2083.6589
10.	महाराष्ट्र	334.19	238.56	295.72	233.1276
11.	मिजोरम	65.156	115.16	82.90	80.00

1	2	3	4	5	6
12.	उड़ीसा	107.0024	183.8717	43.28	398.76
13.	राजस्थान	281.2458	176.541	410.68	2477.3026
14.	तमिलनाडु	136.9528	108.535	45.40	208.836
15.	त्रिपुरा	0.50	–	0.00	–
16.	उत्तराखंड	159.9212	192.78	202.005	270.84
17.	उत्तर प्रदेश	162.8782	183.265	134.89	157.51
18.	पश्चिम बंगाल	228.235	190.5283	308.67	111.5693
	कुल	3345.507	2589.8609	6270.925	6786.4578

विवरण III

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, "हाथी परियोजना" के तहत जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	60.00	64.774	60.00	25.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	71.50	61.00	54.50	65.00
3.	असम	40.00	75.00	144.00	130.00
4.	झारखंड	75.00	74.446	132.17	80.00
5.	कर्नाटक	168.00	167.82	212.65	150.00
6.	केरल	170.00	169.40	147.70	100.00
7.	महाराष्ट्र	–	25.00	56.86	50.00
8.	मेघालय	30.00	61.55	68.39	50.00
9.	नागालैंड	48.00	52.45	26.60	12.00
10.	उड़ीसा	114.00	153.94	148.50	110.00
11.	तमिलनाडु	112.00	153.41	124.98	160.00
12.	उत्तराखंड	137.70	153.12	126.46	157.20
13.	पश्चिम बंगाल	181.00	160.89	185.73	102.00
14.	त्रिपुरा	–	–	12.00	15.00

1	2	3	4	5	6
15.	मिजोरम	–	–	1.33	–
16.	उत्तर प्रदेश	–	6.20	55.33	30.00
17.	चंडीगढ़	–	80.00	83.77	–
18.	हरियाणा	–	50.00	–	–
	कुल	1207.20	1509.00	1640.963	1236.20

पर्यावरण की दृष्टि से बांधों की समीक्षा

1580. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण की दृष्टि से कुछ बांधों की समीक्षा करने हेतु एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समिति द्वारा किन-किन बांधों और उनके पहलुओं का अध्ययन किए जाने की संभावना है; और

(घ) समिति द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) विद्युत मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मै. नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन द्वारा उत्तराखंड में लौहारियांग पाला हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के निर्माण के मद्देनजर भागीरथी नदी में अपेक्षित बहाव सुनिश्चित करने से जुड़े विभिन्न तकनीकी मुद्दों की जांच के लिए मै. नेशनल थर्मल पावर कार्पो. (एनटीपीसी) लि. द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया गया है।

(घ) एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा अपनी रिपोर्ट तीन माह के भीतर सौंपी जानी थी, इसे 8 दिसम्बर, 2008 तक का समय विस्तार दिया गया है।

[अनुवाद]

डिब्रूगढ़ दूरदर्शन केन्द्र का विस्तार

1581. श्री सर्वानन्द सोनोवाल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने डिब्रूगढ़ दूरदर्शन केन्द्र की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो मामले में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार ने रिक्त पड़े विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इन रिक्तियों को भरने में कितनी प्रगति हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) दूरदर्शन केन्द्र, डिब्रूगढ़ की प्रसारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए इस समय कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने दूरदर्शन केन्द्र, डिब्रूगढ़ सहित विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों में रिक्त पदों को आंशिक रूप से भरने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है और इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

बाइपास और रिंग रोड का निर्माण

1582. श्री रशीद मसूद: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य के सहारनपुर जिले में यमुना नदी पर एक बाइपास और पुल बनाने संबंधी परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उक्त बाइपास और पुल का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर बाइपास के लिए प्रस्तावित संरेखण प्रस्तुत किया था जिसे मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया है। तथापि, भूमि अधिग्रहण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आदि जैसे अगले प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। जहां तक, यमुना नदी पर पुल का संबंध है, राज्य सरकार ने 29.27 करोड़ रु. का एक प्राक्कलन प्रस्तुत किया है जिसे अनुमोदित नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण को अंतिम रूप नहीं दिया है। उपर्युक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख अभी बता पाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

खसरे के टीके से बच्चों की मौत

1583. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर महाराष्ट्र में हाल ही में खसरे के टीके से बच्चों की मौत होने के मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2008 के दौरान खसरे के टीके के कारण हुई मौतों के राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

राज्य	सूचित मौतों की संख्या
तमिलनाडु	04
असम	04
महाराष्ट्र	04
आंध्र प्रदेश	01
कुल	13

(ग) भारत सरकार ने इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. ऐसी घटनाओं की जांच और उन पर कार्रवाई करने के लिए सभी राज्यों में राष्ट्रीय एईएफआई समिति और एईएफआई समितियां गठित की गई हैं।
2. कोल्ड चैन और संभारतंत्र की आवधिक मानिटरिंग और पुनरीक्षा की जाती है।
3. टीकाकरण के दौरान सभी एहितायत बरतने के लिए स्वास्थ्य कामगारों (टीका लगाने वालों) के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना।
4. राज्यों/संघ राज्यों को "सुरक्षित प्रतिरक्षण प्रक्रियाओं के दिशानिर्देशों" का वितरण करना।

[हिन्दी]

सरकारी मेडिकल कालेजों की मान्यता रद्द करना

1584. योगी आदित्यनाथ:
श्री अनंत कुमार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) ने देश में कुछ सरकारी मेडिकल कालेजों की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा परिषद ने केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के संबंध में मान्यता को समाप्त करने की सिफारिश की है:-

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम
1	2
मध्य प्रदेश	
1.	एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
2.	श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा

1	2
3.	गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल
4.	गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर
5.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर उत्तर प्रदेश
6.	बीआरडी चिकित्सा महाविद्यालय, गोरखपुर

भारतीय चिकित्सा परिषद ने यह पाया है कि इन चिकित्सा महाविद्यालयों में संसाधनों और चिकित्सा शिक्षकों की भारी कमी है। अंतिम निर्णय लेने से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार से परामर्श किया जाता है।

[अनुवाद]

लुप्तप्राय तिब्बती हिरन (चीरु)

1585. श्री सुव्रत बोस: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में तिब्बती हिरन (चीरु) किन-किन स्थानों पर पाये जाते हैं तथा उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन हिरनों का बड़े पैमाने पर शिकार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा अवैध शिकारियों के विरुद्ध तथा इन हिरनों के सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जम्मू कश्मीर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार तिब्बती हिरन (पेंटालोपस होडगसोनी) आमतौर पर चीरु के नाम से जाने वाले मुख्यत: तिब्बती पठार की सीमा में है। ग्रीष्म के मौसम में कुछ तिब्बती हिरन जम्मू कश्मीर के पूर्वी भागों में यथा चांगभांग वन्यजीव अभयारण्य और लद्दाख के लेह जिले में काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य में दौलत बेग ओल्डी (डीवीओ) में प्रवसन करते हैं। डीबीओ और चांगा चेनामो क्षेत्र में तिब्बती हिरन की संख्या लगभग क्रमश: 250-300 और 50-60 है।

(ख) जी नहीं, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जम्मू-कश्मीर सरकार ने तिब्बती हिरन की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। तिब्बती हिरनों के मुख्य पर्यावासों को बनाने वाले दो क्षेत्रों को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है नामत: काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य (डीबीओ क्षेत्र सहित) और चांग थांग कोल्ड मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य (चांगचेनमों क्षेत्र सहित)। इसके अलावा, जम्मू कश्मीर वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1978 की अनुसूची 1 में तिब्बती हिरनों को शामिल किया गया है तथा इसके द्वारा इन्हें उच्चतम सुरक्षा प्रदान की गई है। केन्द्र सरकार जम्मू कश्मीर सरकार को तिब्बती हिरनों के पर्यावासों सहित सुरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण और प्रबंध के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है।

[हिन्दी]

कोयले की मांग और आपूर्ति

1586. डा. सत्यनारायण जटिया:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयले के लिए की गई मांग और उस मांग के अनुरूप कोयले की आबंटित की गयी मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विद्युत कंपनियों द्वारा इस प्रकार की गई मांग को पूरा किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विद्युत संयंत्रों की मांग के अनुसार कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) योजना आयोग विद्युत उपयोगिताओं सहित विभिन्न क्षेत्रों की कोयले की मांग का मूल्यांकन करता है। ऐसी अनुमानित मांग के आधार पर कोयला मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा आपूर्ति योजना तैयार की जाती है। मांग के ये मूल्यांकन क्षेत्र के आधार पर किए जाते हैं न कि यूनिट-वार। वार्षिक योजना में तैयार किए गए अनुसार विद्युत क्षेत्र हेतु मांग की तुलना में आपूर्ति योजना नीचे दी गई है:-

(आंकड़े मिलियन टन में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
मूल्यांकित मांग स्वदेशी आपूर्ति योजना	307.16	322.00	330.00	373.00*
कोल इंडिया लि. (सीआईएल)	255.65	272.63	279.40	292.93
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल)	25.10	27.39	27.75	28.88
अन्य (टीपीएस के कैप्टिव श्रोत)	7.08	7.33	12.08	14.88
कुल	287.83	307.35	319.23	336.69
मांग और आपूर्ति योजना में अंतर	19.33	14.65	10.77	36.31

*मौजूदा वित्त वर्ष के लिए मांग में भंडार निर्माण के लिए 8 मि. टन कोयला शामिल है।

(ख) और (ग) विद्युत उपयोगिताओं की मूल्यांकित मांग और स्वदेशी आपूर्ति योजना के बीच अंतर था इसलिए वार्षिक योजना में विद्युत उपयोगिताओं सहित विभिन्न क्षेत्रों द्वारा कोयले के आयात हेतु विचार किया जाता है। कुल मिलाकर कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) विद्युत उपयोगिताओं के लिए कोयले की आपूर्ति हेतु वार्षिक योजना लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हुई हैं। तथापि, लदान/उतराई तथा संचलन बाधाओं, लिंक्ड स्रोत में अल्पावधि उत्पादन बाधाओं, संयंत्र लोड कारक (पीएलएफ) में वृद्धि, प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन की कोयला खपत में वृद्धि तथा विद्युत उपयोगिताओं द्वारा लक्षित आयात में कमी करने सहित विभिन्न कारणों की वजह से कोयले के तिमाही नियोजित कोयला संचलन की तुलना में कमी आने के कारण विद्युत संयंत्रों में कोयले के भंडारण में पूर्णरूप से कमी आई है।

(घ) स्वदेशी कोयले की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, विद्युत मंत्रालय ने 2008-09 के दौरान विद्युत उपयोगिताओं को 20 मिलियन टन कोयले का आयात करने की सलाह दी है। इसके अलावा, सितम्बर, 2008 में योजना आयोग में बुलाई गई बैठक के दौरान विद्युत उपयोगिताओं की अनुमानित मांग तथा नियोजित आयात सहित विभिन्न स्रोतों से कोयले की आपूर्ति को देखते हुए विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने एवं कोयले की आपूर्ति में कुछ लचीलापन लाने के उद्देश्य से 11 मिलियन टन अतिरिक्त कोयले के आयात की आवश्यकता है।

ग्वालियर से भोगांव तक के रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

1587. डा. रामलखन सिंह: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्वालियर (मध्य प्रदेश) से भोगांव (उ.प्र.) तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग-92 के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो घोषणा की तारीख सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख तक वर्ष-वार उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत और उसमें से कितनी राशि खर्च की गई;

(घ) आज की तारीख के अनुसार कितना काम किया गया है और उस पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ङ) निर्माण और विकास कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग-92 मध्य प्रदेश में ग्वालियर से प्रारंभ होता है और भिंट-इटावा से गुजरता है और उत्तर प्रदेश में भोगांव में राष्ट्रीय राजमार्ग-91 से मिलता है। इसकी लंबाई 171 कि.मी. है। इसे 12.10.2000 को राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 92 घोषित किया गया था।

(ग) और (घ) यह मंत्रालय धनराशि का राज्य-वार आबंटन करता है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग-वार। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग-92 के निर्माण हेतु अब तक स्वीकृत राशि और लंबाई के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग-92 पर स्वीकृत कार्यों के मार्च, 2010 तक पूरे हो जाने की संभावना है।

विवरण

क्र.सं.	वर्ष	रारा-92 पर स्वीकृत धनराशि (लाख रु.)		राज्य को आबंटित धनराशि (करोड़ रु.)		रारा-92 की स्वीकृत लंबाई (कि.मी.)	
		मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश
1.	2001-02	123.37	–	65.00	120.00	9	–
2.	2002-03	–	–	83.00	122.00	–	–
3.	2003-04	–	891.0	72.52	89.05	–	51
4.	2004-05	187.14	773.5	83.00	172.00	11	23.8
5.	2005-06	431.18	–	74.07	186.00	11	–
6.	2006-07	491.41	–	84.09	91.40	9	–
7.	2007-08	–	1631.2	133.79	130.00	–	24.77
8.	2008-09	317.43	–	65.00	152.00	11	–

[अनुवाद]

पर्यावरण में सुधार संबंधी परियोजनाएं

1588. श्री नरहरि महतो: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पर्यावरण में सुधार हेतु कार्यान्वित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ग) क्या भविष्य में ऐसी किसी परियोजना पर काम करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पर्यावरण सुधार के लिए अनुमोदित परियोजनाओं/स्कीमों तथा उपलब्धियों/कार्यनिष्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) ये परियोजनाएं योजना आयोग द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखने के लिए अनुमोदित की गई है और सतत स्वरूप की हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पर्यावरण सुधार के लिए शुरू की गई परियोजनाओं/उपलब्धियों का ब्यौरा (अप्रैल-सितंबर, 2008)

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
		परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	39.00	38.46	42.90	37.57	45.00	37.50	34.5	17.25
2.	निवारक कार्य नीति द्वारा औद्योगिक प्रदूषण उपशमन	1.00	0.24	1.00	0.94	1.00	0.96	1.5	0.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	सामूहिक बहि:स्राव शोधन संयंत्र	4.40	4.37	4.40	4.36	4.00	3.90	4.45	1.02
4.	पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरणों की स्थापना	4.00	3.50	3.30	2.93	3.00	3.38	2	1.53
5.	प्रदूषण उपशमन के लिए सहायता	4.00	4.99	4.00	6.03	4.50	4.28	5	1.90
6.	स्वच्छ प्रौद्योगिकी	1.50	0.59	1.50	1.47	1.50	3.39	3.05	0.68
7.	पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन	2.50	2.16	2.50	2.21	3.20	2.48	3.5	2.03
8.	परिसंकटमय पदार्थ प्रबंधन	6.00	5.28	6.00	7.66	8.00	6.79	9	2.34
9.	भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण	12.00	8.13	11.00	8.31	10.00	9.97	18	3.32
10.	भारतीय प्राणी सर्वेक्षण	10.81	9.72	9.81	10.59	11.00	9.80	11.15	6.96
11.	जी वी पन्त हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान	7.50	7.30	7.50	8.64	8.50	8.49	9.45	4.37
12.	जैव मण्डल रिजर्व	8.00	5.41	8.20	8.90	11.00	10.60	11	4.17
13.	कच्छ वनस्पतियों, प्रवाल भित्तियों और नमभूमियों का संरक्षण	12.00	10.81	12.00	16.27	17.19	17.98	19	9.33
14.	वनस्पति बागान हेतु सहायता	2.00	1.47	2.00	1.74	2.00	1.75	2.2	0.82
15.	जैव विविधता संरक्षण	3.00	3.48	3.00	5.09	4.00	2.80	4.45	1.36
16.	वर्गिकी क्षमता निर्माण	2.00	3.35	2.00	2.26	2.50	2.50	2.75	1.04
17.	अनुसंधान और विकास	4.00	4.22	4.20	4.32	5.00	4.96	6	4.22
18.	पर्यावरण शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता	35.00	34.40	35.00	36.18	40.00	38.75	53.5	27.88
19.	राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय	6.50	4.73	6.00	4.67	9.00	6.47	10	2.02
20.	उत्कृष्टता केन्द्र	7.50	5.80	7.50	7.30	7.50	7.00	8.5	2.07
21.	पर्यावरण सूचना प्रणाली	5.00	4.97	5.00	4.87	5.26	4.74	6	3.41
22.	राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत प्रबंधन प्रणाली	10.00	9.00	10.00	9.89	10.00	4.80	6	1.66
23.	भारत सरकार-यूएनडीपी-सीसीएफ कार्यक्रम	4.00	0.38	4.00	3.51	5.00	5.00	5	3.70
24.	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	2.00	2.20	3.00	2.84	3.00	2.78	3	2.15
25.	पर्यावरण स्थिति परियोजना	1.50	1.37	0.90	0.99	0.50	0.34	0.5	0.16
26.	सूचना प्रौद्योगिकी	10.00	5.53	6.23	2.03	30.00	13.67	16.5	1.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	जलवायु परिवर्तन	2.16	2.02	5.67	4.06	3.39	4.06	3.5	0.61
28.	सिविल निर्माण एकक	2.02	1.77	2.02	1.79	2.01	1.78	0	0.00
29.	संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण और पर्यावरणीय आयोजना और सहयोग का रीपोजीशनिंग संगठन-मध्य प्रदेश और नागालैंड में प्राकृतिक स्रोत प्रबंधन और किसानों की आजीविका का सुदृढ़ीकरण			1.59	0.90	2.00	2.00	0.5	0.37
30.	राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम			0.10	0.00	0.10	0.52	1.37	0.52
31.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय	5.00	11.09	5.00	4.46	6.00	4.84	6	1.79
32.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	350.00	274.20	370.00	280.76	254.00	252.98	254	155.92
33.	राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना	70.00	60.72	60.00	59.93	80.00	63.21	80	20.20
	समग्र पर्यावरण**	634.39	531.66	647.32	547.47	599.15	544.47	601.37	286.20

*अप्रैल-सितंबर, 2008

**प्रस्तावित/पूरी हो चुकी स्कीमों के लिए 2005-06 में 0.02 करोड़, 2006-07 में 0.22 करोड़, 2007-08 में 0.01 करोड़ रुपये के नोशनल परिव्यय सहित।

बीजिंग ओलम्पिक-2008 में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन

1589. **श्री रूपचन्द मुर्मू:**
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री रामदास आठवले:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बीजिंग ओलम्पिक-2008 में भारतीय खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं;

(ख) क्या अन्य प्रतिस्पर्धी देशों के खिलाड़ियों की तुलना में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में खराब प्रदर्शन के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (ट्राई) जिम्मेदार है;

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में नियत की गई जिम्मेदारी का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने बीजिंग ओलम्पिक में इस प्रदर्शन का आलोचनात्मक आकलन किया है; और

(छ) यदि हां, तो लंदन में होने वाले अगले ओलम्पिक खेलों सहित आगामी अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगियों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) से (ग) भारत ने बीजिंग ओलंपिक, 2008 में निशानेबाजी में एक स्वर्ण पदक तथा; मुक्केबाजी और कुश्ती की खेल विधाओं में एक-एक; कुल दो कांस्य पदक जीते। पहले के ओलंपिक खेलों की तुलना में बीजिंग ओलंपिक 2008 में पदक तालिका में भारत का प्रदर्शन बेहतर था। बीजिंग ओलंपिक में भाग लेने वाले 204 देशों में से पदक तालिका में भारत का 51वां स्थान था।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, जिनमें बीजिंग ओलंपिक भी शामिल है, में देश के प्रदर्शन का मूल्यांकन और आकलन एक सतत प्रक्रिया है। पूर्व में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों

में देश का समग्र प्रदर्शन आशावादी नहीं रहा है क्योंकि उन शीर्ष खिलाड़ियों की संख्या काफी कम थी जिनमें से प्रतिभाओं को छांटा जाता है। इस मामले को देखने के लिए, मंत्रालय ने हाल ही में ''पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान'' नामक केन्द्र प्रायोजित योजना प्रारंभ की है जिसका उद्देश्य आधारभूत स्तर पर बुनियादी खेल अवसंरचना उपलब्ध कराना तथा खेल प्रतियोगिताओं का संवर्धन करना है। दीर्घकाल में खेलों में अधिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के अलावा, उभरते हुए उच्च प्रदर्शन वाले एथलीटों के लिए प्रतिभा के पूल का विस्तार करने की उम्मीद है जिससे अंततः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त होगा।

सरकार ने हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में सहभागिता के लिए हमारे एथलीटों की तैयारी के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की है जिसमें अधिक लम्बी अवधि के प्रशिक्षण, अत्याधुनिक उपकरण, अंतर्राष्ट्रीय अवसरों की दीर्घ अवधि, तथा बृहत खेल औषधि समर्थन की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

हाथियों का अवैध व्यापार

1590. श्री अजीत जोगी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार हाथियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में हाथियों का अवैध व्यापार करने की बात आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में हाथियों का अवैध व्यापार रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जंगली हाथियों की संख्या का राज्यवार आंकलन संबंधी ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत, व्यापार अर्थात् देश में हाथियों की बिक्री और खरीद प्रतिबंधित है। किसी भी राज्य ने मंत्रालय को हाथियों के अवैध व्यापार के बारे में जानकारी नहीं दी है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अनुमानित संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	28
2.	अरुणाचल प्रदेश	1690
3.	असम	5281
4.	छत्तीसगढ़	122
5.	झारखंड	624
6.	कर्नाटक	4035
7.	केरल	6068
8.	महाराष्ट्र	7
9.	मेघालय	1811
10.	नागालैंड	152
11.	उड़ीसा	1862
12.	तमिलनाडु	3867
13.	उत्तर प्रदेश	380
14.	उत्तराखंड	1346
15.	पश्चिम बंगाल	325-375

[अनुवाद]

आयुष में एक्स्ट्रा म्युअरल अनुसंधान हेतु योजना

1591. श्री पी.एस. गड़वी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग, नेचुरोपेथी (प्राकृतिक चिकित्सा) और होम्योपैथी (आयुष) में एक्स्ट्रा म्युअरल अनुसंधान हेतु एक संशोधित योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए संशोधित स्कीम को विभाग की वेबसाइट (www.indianmedicine.nic.in) और सभी अनुसंधान परिषदों की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है। स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं को समय-समय पर प्रमुख समाचार पत्रों में खुले विज्ञापनों के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। स्कीम की प्रतियां देश के प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों को भेजी जाती हैं ताकि वे गुणवत्ता प्रस्तावों को प्रस्तुत कर सकें। इसके अतिरिक्त, स्कीम के वित्तीय आबंटन को 10वीं योजना में 36 करोड़ रु. से बढ़ाकर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 60.00 करोड़ रु. कर दिया गया है।

[हिन्दी]

वनभूमि पर खनन परियोजना

1592. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान वन भूमि पर खनन परियोजनाओं संबंधी राज्य-वार कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई;

(ख) इस परियोजनाओं में कितने हेक्टेयर भूमि क्षेत्र शामिल है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप राज्य-वार कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं; और

(घ) विदेशी कंपनियों सहित कौन-कौन सी कंपनियां इसमें कार्यरत हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) अब तक 523 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है जिसके अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में खनन गतिविधियों के लिए लगभग 36,324 हेक्टेयर वन भूमि को डायवर्ट किया गया है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) खनन के लिए वन-भूमि को डायवर्ट करने के कारण प्रभावित हुए व्यक्तियों को राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राहत और पुनर्वास नीति के अनुरूप उनकी अपनी-अपनी राहत व पुनर्वास नीति के अनुसार पुनर्वासित किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों के विवरण का रख-रखाव राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है।

(घ) 523 प्रस्तावों के डायवर्शन में शामिल कम्पनियों तथा विदेशी कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण-II में दिये गए हैं।

विवरण I

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	01.04.2005 से 31.03.2006 की अवधि		01.04.2006 से 31.03.2007 की अवधि		01.04.2007 से 31.03.2008 की अवधि		01.04.2008 से 30.11.2008 की अवधि	
	अनुमोदित मामलों की संख्या	परिवर्तित वन क्षेत्र (है.)	अनुमोदित मामलों की संख्या	परिवर्तित वन क्षेत्र (है.)	अनुमोदित मामलों की संख्या	परिवर्तित वन क्षेत्र (है.)	अनुमोदित मामलों की संख्या	परिवर्तित वन क्षेत्र (है.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	13	1,228.78	19	364.843	13	291.873	40	3,661.30
अरुणाचल प्रदेश	0	0	6	41.695	1	1.15	1	2.55
असम	16	23.919	22	25.008	12	12.433	13	21.006
बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	17	998.72	25	5,945.51	2	77	8	1,458.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
गोवा	8	189.282	2	39.56	0	0	12	671.243
गुजरात	0	0	2	202.63	0	0	0	0
हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	3	179.88	7	242.316	3	3.229	3	4
जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0
झारखंड	8	354.261	5	1,257.30	5	447.407	17	1,989.97
कर्नाटक	2	70.6	37	3,917.78	13	230.421	7	371.4
केरल	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	7	473.763	16	898.398	12	996.756	5	235.4
महाराष्ट्र	11	184.68	12	1,121.15	4	7.425	3	272.59
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	21	1,104.26	16	1,601.48	16	1,698.24	22	2,583.41
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
पंजाब	1	0.002	0	0	0	0	0	0
राजस्थान	5	116.664	9	148.784	11	139	1	12.375
सिक्किम	0	0	1	0.046	0	0	0	0
तमिलनाडु	2	5.162	1	3.36	0	0	5	118.666
त्रिपुरा	0	0	0	0	4	3.757	3	6.72
उत्तर प्रदेश	0	0	2	257.6	0	0	0	0
उत्तरांचल	0	0	0	0	1	8.9	0	0
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0
जोड़	114	4,929.97	182	16,067.46	87	3,917.59	140	11,408.93

विवरण II

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला	मांगा गया क्षेत्र (है.)	कार्रवाई की तारीख	परिवर्तित क्षेत्र है.
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैसर्स एससीएल, बेलमपल्लाय के पक्ष में सीसीपी 2 के लिए तन्दुरीबाना रेंज में वनभूमि का वनेतर	आंध्र प्रदेश	अदीलाबाद	28.62	06.07.06	28.62
2.	पोडावागु परियोजना के लिए प्रस्तावित स्टोन क्वेरी	आंध्र प्रदेश	-वही-	5	21.06.06	5
3.	एडीए(वी) आसीफाबाद मण्डल के निकट प्रस्तावित वीडावागु परियोजना के लिए नहर निर्माण और पहुंच मार्ग के लिए स्टोन क्वेरी के लिए वनभूमि वनेतर	आंध्र प्रदेश	-वही-	5	21.06.06	5
4.	शांति खान एक्सटेंशन ब्लाक के लिए एससीसीएल का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	-वही-	290.77	20.12.05	290.77
5.	सिंगरेनी कोलरी कं. लि. के पक्ष में गंचरियाल दिन में श्रीरामपुर इन्दराम आ.व. में श्रीरामपुर ओपनकास्ट परि. 2 के खनन के लिए वनभूमि का वनेतर	आंध्र प्रदेश	-वही-	100.82	26.08.08	100.82
6.	मैसर्स एससीसीएल के पक्ष में इन्दराम एक्सटेंशन खनन के लिए वनभूमि का वनेतर	आंध्र प्रदेश	-वही-	437	13.04.06	180.88
7.	डी हरचल मंडल, अनन्तपुर जिला में मै. ओबुलापुरम माइनिंग (प्रा.) लि. के सर्वे सं. 1/पी में आयरन ओर उत्खनन के लिए वनभूमि के 2598 है. के क्षेत्र में खनन पट्टे का नवीकरण	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	25.98	27.07.07	25.98
8.	एस.आर. मिनरल्स के पत्र में अनंतपुर दिन के भालापन्डुड (वी) बेल्लारी आ वन में सर्वे सं. 1 (पी) में आयरन ओर उत्खनन के लिए 18.00 है. वन भूमि का वनेतर	आंध्र प्रदेश	-वही-	18	21.10.05	18
9.	मैसर्स नागालिंगेश्वर माइन्स और मिनरल्स का आवेदन	आंध्र प्रदेश	-वही-	4	15.5.08	4
10.	ओबुलपुरम माइनिंग, अनंतपुर जिला के पक्ष में आयरन ओर खनन के लिए कल्याणदुर्ग के बेल्लारी आ.व. में वनभूमि का वनेतर	आंध्र प्रदेश	-वही-	39.50	15.05.08	39.50
11.	मैसर्स ओबलपुरम माइनिंग, अनंतपुर जिला के पक्ष में अनंतपुर दिन में कल्याणदुर्ग के बेल्लारी आरक्षित वन में आयरन ओर का खनन	आंध्र प्रदेश	-वही-	68.5	08.01.07	68.5
12.	मै. सिद्धार्थ ग्रेनाइट के पक्ष में चित्तूर जिला के चित्तूर (पश्चिम) दिन के पारदर्शी के कं. नं. 213 में ब्लैक ग्रेनाइट के उत्खनन के लिए वनभूमि के 4.90 है. का वनेतर	आंध्र प्रदेश	-वही-	4.9	27.11.07	4.9
13.	मैसर्स व्हाइट फील्ड के गोरीरेंज में स्टीटाइट के उत्खनन के लिए मुत्रचुकोट आ.व. में वनेतर	आंध्र प्रदेश	-वही-	4.1	03.12.07	4.1
14.	काले ग्रेनाइट के लिए मैसर्स सत्यम माइनिंग कार्पोरेशन, जिला चित्तूर 4.00 हेक्टेयर वन भूमि के वनेतर उपयोग हेतु खनन पट्टा की मंजूरी	आंध्र प्रदेश	-चित्तूर-	4	17.01.08	4

1	2	3	4	5	6	7
15.	मैसर्स श्री लक्ष्मी ग्रेनाइट एंड एक्सपोर्ट्स को काले ग्रेनाइट के खनन के लिए	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	3.25	21.04.05	3.25
16.	कंपोजिट नं. 218 वीरसेट्टीपल्ली बी.आर.एफ., चित्तूर (प.) डिविजन में मैसर्स विष्णु ग्रेनाइट के पक्ष में काले ग्रेनाइट के खनन हेतु 2.50 हेक्टेयर वन भूमि के वनेतर उपयोग हेतु खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	-वही-	2.5	03.04.07	2.5
17.	कंपोजिट नं. 213, पाराधर्मी आर एफ चित्तूर पश्चिम डिवीजन में मैसर्स पदमावती ग्रेनाइट, चित्तूर के पक्ष में 3.00 हेक्टेयर वन भूमि में काले ग्रेनाइट के खनन पट्टे की मंजूरी हेतु आवेदन पत्र	आंध्र प्रदेश	-वही-	3	21.04.03	3
18.	चित्तूर पश्चिम डिवीजन में वीरसेट्टीपल्ली आर एफ राचूर डीईएटी में काले ग्रेनाइट के खनन हेतु मैसर्स जयश्री ग्रेनाइट के पक्ष में वन भूमि का वनेतर उपयोग हेतु खनन पट्टे की मंजूरी	आंध्र प्रदेश	-वही-	3.2	11.05.07	3.2
19.	मैसर्स शिवा ग्रेनाइट के पक्ष में काले ग्रेनाइट के खनन हेतु खनन पट्टे की मंजूरी	आंध्र प्रदेश	-वही-	5	21.04.08	5
20.	मैसर्स नागमणि ग्रेनाइट्स के पक्ष में काले ग्रेनाइट के खनन हेतु वन भूमि का वनेतर उपयोग हेतु खनन पट्टे की मंजूरी	आंध्र प्रदेश	-वही-	5.4	26.05.05	5.4
21.	मैसर्स श्री लक्ष्मी ग्रेनाइट्स एंड एक्सपोर्ट्स के पक्ष में काले ग्रेनाइट के खनन हेतु चित्तूर जिले के बसवापल्ली आर एफ में वनभूमि का वनेतर उपयोग हेतु मंजूरी	आंध्र प्रदेश	-वही-	3.25	21.04.05	3.187
22.	रागी मेनु पेन्टा आरएफ के काम्प्न नं. 209 में काले ग्रेनाइट के खनन हेतु 5 हेक्टेयर वन भूमि का वनेतर उपयोग हेतु मैसर्स श्री साईं रोक्स के पक्ष में खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	-वही-	5	23.10.08	5
23.	रागीनामुपेन्टा आर एफ में काले ग्रेनाइट के खनन हेतु मैसर्स विष्णु ग्रेनाइट्स के पक्ष में 4.5 हेक्टेयर वनभूमि के वनेतर उपयोग हेतु खनन पट्टे की मंजूरी	आंध्र प्रदेश	-वही-	4.5	06.02.08	4.5
24.	मैसर्स वैष्णव ग्रेनाइट्स के पक्ष में काले ग्रेनाइट के खनन हेतु वन भूमि के वनेतर उपयोग हेतु खनन पट्टे की मंजूरी	आंध्र प्रदेश	-वही-	4.9	10.04.07	4.9
25.	काथालचेरुवू (वी) के रागीमेनुपेन्टा आर एफ में काले ग्रेनाइट के खनन हेतु मैसर्स ज्योतीश्वरन ग्रेनाइट के पक्ष में खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	-वही-	2.25	10.05.07	2.25
26.	मैसर्स शिवशक्ति ग्रेनाइट के पक्ष में काले ग्रेनाइट के खनन हेतु खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	-वही-	2.5	13.09.06	2.5
27.	मैसर्स प्रशांति ग्रेनाइट्स के पक्ष में काले ग्रेनाइट को अलग करने के लिए खनन पट्टे के ग्रेनाइट के लिए वनभूमि का वनेतर उपयोग	आंध्र प्रदेश	-वही-	3.8	04.08.06	3.8
28.	श्री वी. रमेश कुमार, चित्तूर (प.) डिवीजन के पक्ष में चित्तपाड़ा आर एफ के कंपोजिट नं. 222 में काले ग्रेनाइट के खनन पट्टे के नवीकरण के लिए 200 हेक्टेयर वन भूमि का वनेतर उपयोग	आंध्र प्रदेश	-वही-	2	24.01.07	2

1	2	3	4	5	6	7
29.	मैसर्स देवकी ग्रेनाइट्स के पक्ष में चित्तूर (पं.) डिवीजन में पैराडर्मी आर एफ के कंपोजिट सं. 213 में काले ग्रेनाइट को अलग करने के लिए 4.90 हेक्टेयर वनभूमि का वनेतर उपयोग	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	4.9	01.05.08	4.9
30.	मैसर्स मारूति ग्रेनाइट्स के पक्ष में काले ग्रेनाइट को अलग करने के लिए वनभूमि का वनेतर उपयोग	आंध्र प्रदेश	-वही-	2	22.01.07	2
31.	मैसर्स श्रीनिवास ग्रेनाइट्स, चित्तूर के पक्ष में काले ग्रेनाइट के खनन के लिए चित्तूर जिले के चित्तूर (पं.) डिवीजन के पैराडर्मी आर एफ के कंपोजिट सं. 213 में 4.90 हेक्टेयर वनभूमि का वनेतर उपयोग	आंध्र प्रदेश	-वही-	4.9	29.07.08	4.9
32.	श्री वेंकटेश्वर ग्रेनाइट्स, चित्तूर (प.) डिवीजन के पक्ष में चिन्नापाड़ा आर एफ में काले ग्रेनाइट को अलग करने के लिए 3.50 हेक्टेयर वनभूमि का वनेतर उपयोग	आंध्र प्रदेश	-वही-	3.5	23.10.08	3.5
33.	मैसर्स दिव्या ग्रेनाइट्स, हैदराबाद के पक्ष में पैराडर्मी आर एफ के कंपोजिट सं. 213 में काले ग्रेनाइट को अलग करने के लिए 4.90 हेक्टेयर वनभूमि का वनेतर उपयोग	आंध्र प्रदेश	-वही-	4.9	01.05.08	4.9
34.	चित्तूर जिले के चित्तूर (पूर्व) डिवीजन में मैसर्स विष्णु ग्रेनाइट्स एंड एक्सपोर्टस के पक्ष में काले ग्रेनाइट को अलग करने के लिए बासवापल्ली आर एफ के कंपोजिट सं. 457 में 4.8 हेक्टेयर वनभूमि का वनेतर उपयोग	आंध्र प्रदेश	-वही-	4.8	17.04.09	4.8
35.	मैसर्स सक्कू ग्रेनाइट्स के पक्ष में चित्तूर पश्चिम डिवीजन में वीरासेट्टिपल्ली 'बी' आ. वन में कंपोजिट सं. 218 में 3.00 हेक्टेयर वनभूमि का वनेतर उपयोग	आंध्र प्रदेश	-वही-	3	21.07.08	3
36.	चित्तूर जिले के चित्तूर (पश्चिम) डिवीजन में मैसर्स गुलशन ग्रेनाइट्स के पक्ष में काले ग्रेनाइट को अलग करने के लिए कीनातम्पासी आ. वन के कंपोजिट सं. 228 में 7.00 हेक्टेयर वनभूमि का वनेतर उपयोग	आंध्र प्रदेश	-वही-	7	29.07.08	7
37.	गुडीपाला (एम) में मैसर्स हरीश ग्रेनाइट्स के पक्ष में चित्तापारा आ. वन के कंपोजिट सं. 222 में काले ग्रेनाइट को अलग करने के लिए 4.00 हेक्टेयर वनभूमि का वनेतर उपयोग	आंध्र प्रदेश	-वही-	4	21.07.08	4
38.	मैसर्स न्यू इंडिया स्टोन्स, वेणुकोंडा, श्री आर. निवास राव के पक्ष में स्लेट स्टोन मैटीरियल को अलग करने के लिए वनभूमि का वनेतर उपयोग	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	2.09	01.10.07	2.09
39.	डा. काडियाला राजेंद्र, हैदराबाद के पक्ष में विनुकोंडा रेंज के नईमूलाम बीर में स्टेट स्टोन की मंजूरी के लिए वनभूमि का वनेतर उपयोग	आंध्र प्रदेश	-वही-	2	28.11.05	2

1	2	3	4	5	6	7
40.	गुंटूर जिले में मैसर्स के सी पी लिमिटेड के पक्ष में एरिथल रोप्वे के लिए कांडला गुंटूर एक्सटेंशन आ. वन के 6.77 हेक्टेयर वन क्षेत्र में और स्टेकर वरीक्लेमर के लिए महानदी ब्लाक 2 में 1.41 हेक्टेयर वनभूमि का खनन पट्टे के लिए नवीनीकरण	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	8.18	15.12.05	8.18
41.	मैसर्स जुरासिक स्टोन्स के पक्ष में वेनुकोंडा एफबी में खनन पट्टे की मंजूरी	आंध्र प्रदेश	-वही-	3.625	31.10.06	3.625
42.	एम एंड एम मोरकापुर की श्रीमती इंदु यादव के पक्ष में वेनुकोंडा रेंज के बोल्लापल्लियर में स्टेट स्टोन को अलग करने के लिए वनभूमि का वनेतर उपयोग	आंध्र प्रदेश	-वही-	2	12.12.05	2
43.	पेरेचरला (वी), गुंटूर जिले के श्री एन. सिवाराम प्रसाद के पक्ष में रोड मेटल खनन के लिए अमीनाबाद बीट, गुंटूर डिवीजन के कोंअवीडू आठ वन क्षेत्र में 1.387 हेक्टेयर वन भूमि का वनेतर उपयोग	आंध्र प्रदेश	-वही-	1.387	27.10.06	1.387
44.	बोलापल्ली आ. वनक्षेत्र में खनन पट्टे की मंजूरी के लिए मैसर्स जुरासिक स्टोन्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	-वही-	8.215	16.10.08	8.215
45.	श्री एस.वी.एस. अप्पाराव, वेनुकोंडा के पक्ष में स्लेट स्टोन के खनन के लिए बोलापल्ली आ. वन क्षेत्र रावुलापुरमबीर के कंपोजिट सं. 33 के 4.415 हेक्टेयर वनक्षेत्र का वनेतर उपयोग	आंध्र प्रदेश	-वही-	4.415	16.10.08	4.415
46.	मैसर्स श्री दुर्गा स्टोन्स, विनुकोंडा के पक्ष में स्लेट स्टोन के खनन के लिए बोलापल्ली आ. वन क्षेत्र में, रावलापुरम बीट के कंपार्टमेंट सं. 33 में वन भूमि के 3.827 में वनभूमि का वनेतर उपयोग	आंध्र प्रदेश	-वही-	3.827	10.06.08	3.827
47.	परमाणु ऊर्जा विभाग/परमाण्विक खनिज निदेशालय (डीएई/एएमडी) (कोयला खनन) के पक्ष में कडप्पा डिवीजन के गांडी-मडक्कासाबोडू केहडुपुल्लय्या-रेड्डलाचेरबू आ. वन क्षेत्र में यूरेनियम और अन्य परमाण्विक खनिजों के सर्वेक्षण और एक्स्प्लोरेशन के लिए सर्वेक्षण की अनुमति।	आंध्र प्रदेश	कडप्पा	150	22.08.08	0
48.	मैसर्स हरिहर माइंस एंड मिनरल्स इंडस्ट्रीज के पक्ष में कच्चे लोहे लोहे के खनन पट्टे के लिए एडवाइजरी रामपुर बीट, करीमनगर (ईस्ट) डिवीजन के कम्मावल्ली आ. वन क्षेत्र के कंपार्टमेंट सं. 452 के एसवाई सं. 617 में 2.00 हेक्टेयर वन भूमि का वनेतर उपयोग	आंध्र प्रदेश	करीमनगर	2	10.06.08	2
49.	मैसर्स कोलेटी माइंस इंड मिनरल्स इंडस्ट्रीज के पक्ष में कम्मापल्ली आ. वन क्षेत्र, अडावियरी रामपुर बीट, करीमनगर (ईस्ट) डिवीजन केएसवाई सं. 617 के कंपार्टमेंट सं. 452 में 2.00 हेक्टेयर वन भूमि का वनेतर उपयोग।	आंध्र प्रदेश	-वही-	2	10.06.08	2

1	2	3	4	5	6	7
50.	मैसर्स एससीसीएल के पक्ष में भूमिगत खनन जिसमें से 247 हेक्टेयर जीडीके-9, वकीलपल्ली ब्लाक ए-10 एवं 10ए इन्क्लाइन्स इन रामगुंडम 2 और ओसी प्रोजेक्ट-1 एक्सप्लोरेशन के लिए सतह का उपयोग	आंध्र प्रदेश	करीमनगर	412.4	02.05.08	412.4
51.	मैसर्स एससीसीएल के पक्ष में वेंकटेसखानी 7 इनक्लाइन के नल्लावर का रीयलाइनमेंट	आंध्र प्रदेश	खम्मम	11.96	31.08.05	11.96
52.	एससीसीएल के पक्ष में येलांदु में इनक्लाइन सेनेटरी	आंध्र प्रदेश	-वही-	4.77	04.11.08	4.77
53.	सिंगरेनी कोलिरीज कंपनी के पक्ष में ओपनकास्ट कोयला खनन (ओसीपी-2 कोथागुडेम) के लिए कोथागुडेम वन प्रभाग में वनभूमि का वनेतर उपयोग	आंध्र प्रदेश	-वही-	231.94	08.01.08	231.94
54.	एससीसीएलके पक्ष में ओपन कास्ट कोयला खनन (ओसीपी-2 कोथागुडेम) के लिए कोथागुडेम वन प्रभाग में वनभूमि का वनेतर उपयोग	आंध्र प्रदेश	-वही-	13.12	10.07.08	13.12
55.	कोंडापुर/एक्सटेंशन 1 आफ अश्वपुरा रेंज में ओसीपी-II पीएच III मानुगुरु के लिए एससीसीएल के पक्ष में खनन पट्टे का नवीनीकरण	आंध्र प्रदेश	-वही-	125.9	14.0.08	125.9
56.	येलांदु ओसीपी-II के लिए मैसर्स एससीसीएल लिमिटेड के पक्ष में खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	-वही-	48	25.07.08	42.5
57.	मैसर्स एससीसीएल के पक्ष में गोधम स्वामी ओपन कास्ट परियोजना के फेज-III के लिए कोथागुंडम डिवीजन में रामावरम रिजर्व वन के कम्पार्टमेंट नं. 11, 12 और 13 में खनन	आंध्र प्रदेश	-वही-	154.96	15.07.08	154.96
58.	सत्तरीगुदा ब्लाक रिजर्व वन, ऐश्वापुरम रेंज, पोलंचा डिवीजन में पत्थर और धातु खनन के लिए 2.00 है. वनभूमि का वनेतर	आंध्र प्रदेश	-वही-	2	29.10.08	2
59.	भद्राचलम साउथ डिवीजन में गोपालराजू खनन वर्क्स के पक्ष में ग्रेफाइट माइनिंग लीज के लिए नवीकरण के लिए वन भूमि का पथानान्तरण (लीज को आगे श्री ए. जगन, मै. विजया मेकना ग्रेफाइट्स, खम्माम के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिया गया है।	आंध्र प्रदेश	-वही-	0.5	20.11.07	0.5
60.	पालोंछा वन प्रभाग में सिंगारेनी कोलीरीज कम्पनी लिमिटेड (कोल माइनिंग) के पक्ष में ओपन कास्ट कोल माइनिंग (ओसीपी-2 मानुगुरु) के लिए वन भूमि का वनेतर उपयोग	आंध्र प्रदेश	-वही-	175.69	24.10.08	175.69
61.	आर एस नं. 1, कोंडापाली गांव, इब्राहिमपट्टनम मन्डल, विजयवाड़ा प्रभाग, जिला कृष्णा में रोड मैटल के खनन के लिए मै. स्वरूप ग्रेनाइट मैटल वर्क्स के पक्ष में 2.429 है. वन भूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	2.429	25.04.08	2.429
62.	आर एस नं. 1, कोंडापाली गांव, इब्राहिमपट्टनम मन्डल, विजयवाड़ा प्रभाग, जिला कृष्णा में रोड मैटल के खनन के लिए श्री एस. केडारेश्वरा राव के पक्ष में 2.024 है. वन भूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	-वही-	2.024	25.04.08	2.024

1	2	3	4	5	6	7
63.	आर एस नं. 1, कोंडापल्ली गांव, इब्राहिमपट्टनम मन्डल, विजयवाड़ा प्रभाग, जिला कृष्णा में रोड मैटल के खनन के लिए मैसर्स वेंगम्माम्बा इंजीनियरिंग कंपनी के पक्ष में 2.429 हैक्टेयर वन भूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	2.429	25.04.08	2.429
64.	आर एस नं. 1, कोंडापाली गांव, इब्राहिमपट्टनम मन्डल, विजयवाड़ा प्रभाग, जिला कृष्णा में रोड मैटल के खनन के लिए मैसर्स चेतन्य ग्रेनाइट मैटल वर्क्स के पक्ष में 3.643 हैक्टेयर वन भूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	-वही-	3.643	25.04.08	3.643
65.	श्री पी. करुणाकर के पक्ष में वन भूमि लीज का पर्यांतरण	आंध्र प्रदेश	-वही-	2.429	25.04.08	2.429
66.	आरएस. नं. 1, कोण्डा पाली गांव, इब्राहिमपट्टनम मंडल, विजयवाड़ा प्रभाग, जिला कृष्णा में रोड मैटल के खनन के लिए मैसर्स वेंकटरामन ग्रेनाइट मैटल वर्क्स के पक्ष में 1.620 हैक्टेयर वन भूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	-वही-	1.620	25.04.08	1.620
67.	आर.एस. नं. 1, कोण्डा पाली गांव, इब्राहिमपट्टनम मंडल, विजयवाड़ा प्रभाग, जिला कृष्णा में रोड मैटल के खनन के लिए मैसर्स बाजीबाबू कंस्ट्रक्शन के पक्ष में 1.406 हैक्टेयर वन भूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	-वही-	1.406	25.04.08	1.406
68.	आर.एस. नं. 1, कोण्डा पाली गांव, इब्राहिमपट्टनम मंडल, विजयवाड़ा प्रभाग, जिला कृष्णा में रोड मैटल के खनन के लिए श्री एस. केदारेश्वरा के पक्ष में 1.620 हैक्टेयर वन भूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	-वही-	1.620		1.620
69.	आर.एस. नं. 1, कोण्डा पाली गांव, इब्राहिमपट्टनम मंडल, विजयवाड़ा प्रभाग, जिला कृष्णा में रोड मैटल के खनन के लिए श्री एस. रघुराम के पक्ष में 1.406 हैक्टेयर वन भूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	-वही-	1.406	25.04.08	1.406
70.	श्री वी. रामामोहन राव के पक्ष में वन भूमि लीज का पर्यांतरण	आंध्र प्रदेश	-वही-	1.215	16.01.07	1.215
71.	आर.एस. नं. 1, कोण्डा पाली गांव, इब्राहिमपट्टनम मंडल, विजयवाड़ा प्रभाग, जिला कृष्णा में रोड मैटल के खनन के लिए मै. विजया ज्योति स्टोन क्रसर के पक्ष में 1.103 हैक्टेयर वन भूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	-वही-	1.013	26.11.07	1.013
72.	कंपार्टमेंट नं. 77, एम्बॉय आरएफ रामाला कोटा बीट श्री पी.बी. जोशी, मै. बी.वी. जोशी माइन्स एंड मिनरल्स, सिकन्दराबाद के पक्ष में 19.00 हैक्टेयर क्षेत्र पर लौह अयस्क के लिए खनन पट्टे का नवीकरण	आंध्र प्रदेश	कुर्नूल	19	04.11.08	19
73.	वन भूमि का पर्यांतरण-कुर्नूल प्रभाग में स्टेटाइट एवं डोलोमाइट हेतु डा. बी. संजीव रोड्डी, नांदल का आवेदन	आंध्र प्रदेश	-वही-	4.96	18.09.06	4.96

1	2	3	4	5	6	7
74.	स्टेटाइट एवं डोलोमाइट हेतु डा. बी. संजीव रेड्डी, नांदल का आवेदन	आंध्र प्रदेश	कुर्नूल	4.96	18.09.05	4.96
75.	रायावरम और निडगुल रिजर्व फारेस्ट ब्लाक में निदेशक, एटोमिक मिनरल अन्वेषण एवं शोध निदेशालय द्वारा यूरेनियम और अन्य संबंधित एटोमिक मिनरल के सर्वे एवं इनवेस्टिगेशन के उपयोग हेतु	आंध्र प्रदेश	नलगोंडा	2000	12.09.05	0
76.	यूरेनियम कार्पोरेशन आफ इंडिया लि., डिपार्टमेंट आफ एटोमिक एनर्जी द्वारा लम्बापुर पेडागाटू क्षेत्र में यूरेनियम उत्पादन	आंध्र प्रदेश	-वही-	447.22	23.08.05	447.22
77.	चागनम गांव, शैदपुरम मंडल, नैल्लोर जिले में श्रीमती एस.के. बीबीजन के पक्ष में सं. 553 में 2.00 हैक्टेयर क्षेत्र पर क्वार्टज, वर्मीक्लेट, माइका, फेलसर के लिए खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	नैल्लोर	2	03.01.07	2
78.	तुरीमेला रेंज, गिद्दालुर डि. प्रकाशम जिला-श्री एस. शंकरा रेड्डी का प्रस्ताव, कम्पार्टमेंट सं. 755 में 1.97 हैक्टेयर क्षेत्र पर ब्राइट्स के लिए एम एंड एम-एमएल	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम	2.69	30.05.06	2.69
79.	ओंगल रेंज चेमाकुर्थी में ब्लैक ग्रेनाइट के खनन हेतु खनन पट्टा प्रदान करने के लिए 5.0 है. वन भूमि का पथांतरण	आंध्र प्रदेश	-वही-	5	13.09.06	5
80.	स्लेटपत्थर के खनन के लिए मैसर्स यमुना स्लेट इंडस्ट्रीज, मरकापुर के पक्ष में राउलापुरम बीट, बोलापाली के कम्पार्टमेंट सं. 33 में 4.596 है. वन भूमि का पथांतरण	आंध्र प्रदेश	-वही-	4.596	04.09.08	4.596
81.	ग्रेनाइट मेटल खनन के लिए मुगदा गांव की श्रीमती टी. सत्यावती वन भूमि का पथांतरण	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम	1.25	23.03.07	1.25
82.	ग्रेनाइट स्टोन एवं मेटल खनन के लिए पेडाकोंडा में श्री वेणुगोपाल नायडु, बोबिल्ली, विजयनगरम जिला में वन भूमि का पथांतरण-1.153 है.	आंध्र प्रदेश	-वही-	1.2	15.09.08	1.2
83.	सीलेरू वन ब्लाक, जेरेला (वी) एवं नर्सी पट्टनम वन प्रभाग में मै. एपीएमसी लि. के पक्ष में बाक्साइट खनन	आंध्र प्रदेश	-वही-	12.12	12.08.08	12.12
84.	वारंगल प्रभाग ने ब्लाक ग्रेनाइट खनन के लिए मै. एग्जोटिक ग्रेनाइट्स एंड एक्सपोर्टस के पक्ष में वन भूमि का पथांतरण	आंध्र प्रदेश	वारंगल	4.916	22.11.06	4.196
85.	मै. एससीसीएल को काकतीया खानी 9 और 9ए इनक्लाइन अंडर क्लाउन माइन को खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	-वही-	431.85	17.5.05	431.85
86.	मनाबुम, नौआ डींग, नामसेआई, कोरेपानी, कोठा और मेओ में आयल इंडिया लि., के पक्ष में पेट्रोलियम खोज के लिए सिसमिक सर्वे	आंध्र प्रदेश	अमोरटोला	9250	24.11.06	0
87.	नीमचिक-नामफुक कोल फील्ड में कोयला खनन के लिए एपीएमडीटीसीएल का खनन पट्टा	अरुणाचल प्रदेश	चांगलांग,	128.97	10.04.06	39.02

1	2	3	4	5	6	7
88.	नामचिक-नामफुल आ. वन में खरसांग-शोनकिंग क्षेत्र में और आसपास मै. आयल इंडिया लि. द्वारा पैट्रोल की खोज के लिए 2डी सिस्मिक सर्वे आपरेशन	अरुणाचल प्रदेश	चांगलांग	19400	24.08.06	0
89.	तेल और गैस खोज के लिए चांगलांग जिला के नामयोंग वन डिवीजन के जनरल क्षेत्र में 2डी और 3डी सिस्मिक सर्वे आपरेशन	अरुणाचल प्रदेश	-वही-	29500	03.04.06	0
90.	लोकेशन जेपी 3-एल में खोज ड्रिलिंग की तैयारी के लिए वनभूमि का वनेतर	अरुणाचल प्रदेश	-वही-	2.55	31.10.08	2.55
91.	जीओ पैट्रोल इंट. इंक द्वारा लोकेशन जेपी 1-ए पर एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग वैल के लिए पहुंच सड़क और ड्रिलिंग प्लिंथ की तैयारी के लिए वनभूमि का वनेतर	अरुणाचल प्रदेश	-वही-	1.15	02.08.07	1.15
92.	आयल इंडिया लि. द्वारा पैट्रोलियम खोज के लिए पासीघाट और पोबा आ.व. क्षेत्र में और आसपास 2डी सिस्मिक सर्वेक्षण आपरेशन के लिए मंजूरी	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वी सियांग	69500	03.04.06	0
93.	आयल ड्रिलिंग लोकेशन एनएसए के लिए वनभूमि का वनेतर	अरुणाचल प्रदेश	लोहित	2.675	27.03.07	2.675
94.	ए आई वैली डिव. के अंतर्गत नकारी हिल्स स्टोन क्वैरी नं. 1 और नकारी हिल्स स्टोन क्वैरी नं. 3 का नवीकरण अनुमोदन	असम	बोंगईगांव	2	18.11.05	2
95.	ए आई ई वैली डिव. के अंतर्गत नकारी हिल स्टोन का नवीकरण अनुमोदन	असम	-वही-	1	18.11.05	0.5
96.	डोयांग के अंतर्गत ड्रिलिंग लोकेशन एम आर ए एच	असम	धीमाजी	1.8	12.06.08	1.8
97.	धीमाजी डिव. के अंतर्गत अपर सुबनसिरी सैण्ड/ग्रावेल महल के नवीकरण अनुमोदन प्रस्ताव	असम	-वही-	1	13.11.06	1
98.	ड्रिलिंग लोकेशन	असम	-वही-	2.896	01.07.08	2.896
99.	नामबोर रिजर्व वन के अंतर्गत ड्रिलिंग लोकेशन केएसएबी	असम	-वही-	1.8	12.06.08	1.8
100.	धुबरी वन डिव. के अंतर्गत दुधनाथ हिल स्टोन महल नं. 1 का नवीकरण अनुमोदन	असम	धुबरी	0.5	02.12.05	0.5
101.	धुबरी वन डिव. के अंतर्गत दुधनाथ स्टोन महल नं. 4 और दुधनाथ स्टोन महल 5 पर दोना महल का ओपनिंग अप	असम	-वही-	2	02.12.05	2
102.	डिब्रूगढ़ डिव. के अंतर्गत नदी तल से पत्थर सामग्री का संग्रहण	असम	डिब्रूगढ़	2.5	13.03.06	2.5
103.	गोलपाड़ा डिव. के अंतर्गत बेरविरा स्टोन क्वेरी नं. 2 और चित्तालगारी स्टोन क्वेरी का नवीकरण	असम	गोलपाड़ा	2	29.08.07	2
104.	दोयांग रिजर्व वन के अंतर्गत ड्रिलिंग लोकेशन रील. 13	असम	गोलघाट	1.8	12.06.08	1.8
105.	गोलाघाट डिव. के अंतर्गत ड्रिलिंग लोकेशन इलाव को अंतर्गत 1.99 है. वन भूमि का वनेतर	असम	-वही-	1.99	21.12.05	1.99

1	2	3	4	5	6	7
106.	गोलघाट डिव. के अंतर्गत साउथ नागशर आ.व. में ड्रिलिंग लोकेशन के लिए वनभूमि का वनेतर	असम	गोलघाट	5.5	20.12.06	5.5
107.	दोयांग आ.व. के अंतर्गत ड्रिलिंग लोकेशन के पी ए बी	असम	-वही-	1.73	12.06.08	1.73
108.	गोलघाट डिव. के अंतर्गत ड्रिलिंग लोकेशन दयांग आ.व. के लिए वन भूमि के वनेतर का प्रस्ताव	असम	-वही-	1.91	20.12.06	1.91
109.	गोलपाड़ा डिव. के अंतर्गत ड्रिलिंग लोकेशन केपीएए के लिए 1.735 है. वन भूमि का वनेतर	असम	-वही-	1.735	21.12.05	1.735
110.	गोलपाड़ा वन डिव. के अंतर्गत दस वर्ष की अवधि के लिए स्टोन क्वेरी नवीकरण अनुमोदन	असम	-वही-	5	26.09.05	5
111.	कामरूप ईस्ट डिव. के अंतर्गत नोटिन रानी रिजर्व में नोटिन रानी महल स्टोन का नवीकरण अनुमोदन	असम	कामरूप	0	30.08.06	0
112.	कामरूप वन डिव. के अंतर्गत नोटिन रानी रिजर्व वन में दियोचूटल स्टोन महल व सी.के. अनुमोदन का प्रस्ताव	असम	-वही-	0.5	31.08.06	0.5
113.	कामरूप ईस्ट डिव. के अंतर्गत नोटिन रानी रिजर्व में नोटिन रानी स्टोन महल के नवीकरण अनुमोदन का प्रस्ताव	असम	-वही-	0.5	30.08.06	0.5
114.	नार्थ कामरूप डिव. गंगिया के अंतर्गत अनथधुरी स्टोन क्वेरी से पत्थर सामग्री के लिए अगथधुरी में वन मंजूरी प्रस्ताव	असम	-वही-	0.9	26.10.07	0.9
115.	कामरूप ईस्ट डिव. के अंतर्गत नोटिन रानी रिजर्व में नोटिन रानी स्टोन हल के नवीकरण अनुमोदन का प्रस्ताव	असम	-वही-	0.5	30.08.06	0.5
116.	कामरूप ईस्ट डिव. के अंतर्गत प्लाटासिल स्टोन महल का नवीकरण अनुमोदन प्रस्ताव	असम	-वही-	0.5	30.10.07	0.5
117.	नार्थ कामरूप डिव. के अंतर्गत ब्रान्डी सब स्टोन महल नं. 1 का नवीकरण अनुमोदन प्रस्ताव	असम	-वही-	0.6	08.11.07	0.6
118.	ईस्ट कामरूप डिव. के अंतर्गत दीयोचूटल सैण्ड स्टोन महल न. बी 4	असम	-वही-	0.5	28.02.08	0.5
119.	ईस्ट कामरूप डिव. के अंतर्गत फाटसिल सैण्ड स्टोन महल नं. 1 का नवीकरण अनुमोदन प्रस्ताव	असम	-वही-	1	30.10.07	1
120.	ईस्ट कामरूप डिव. के अन्तर्गत रानी रिजर्व वन दीयोचोटल नवीकरण अनुमोदन प्रस्ताव	असम	-वही-	0.5	31.08.06	0.5
121.	कामरूप जिला में स्टोन महल 8 अदद के फाटसिल 1, 2, 3, दीयोचूटल सी एण्ड बी, चमाता ए एण्ड बी (नए) नाटुन रानी, हालागोग (नवीकरण) वन अनुमोदन	असम	-वही-	0.5	13.04.06	0.5
122.	माता पहाड़ आ.व. में हीलागोग स्टोन महल का नवीकरण अनुमोदन	असम	-वही-	0.5	13.04.06	0.5
123.	पश्चिम कामरूप वन डिव. के कसुसिए के अंतर्गत कुलसी बागवानी नदी बालू महल का अनुमोदन नवीकरण	असम	-वही-	0.8	25.07.06	0.8

1	2	3	4	5	6	7
124.	गोपेश्वर रिजर्व वन में गोपेश्वर स्टोन क्वेरी में पत्थर खनन के लिए वन भूमि के वनेतर का प्रस्ताव	असम	कामरूप	1	14.08.08	1
125.	गोपेश्वर क्वेरी नं. 3 से गोपेश्वर आरक्षित वन से पत्थर खनन का प्रस्ताव	असम	-वही-	1	18.11.08	1
126.	कामरूप जिले में कामरूप पूर्व डिव. के फटीसिल स्टोन महल नं. 2 के नवीकरण अनुमोदन का प्रस्ताव	असम	-वही-	1	13.10.06	1
127.	कामरूप पश्चिम डिव. में बाघा बालू मंडल नं. 1 का नवीकरण को अनुमोदन प्रस्ताव	असम	-वही-	1	04.12.07	1
128.	कामरूप ईस्ट डिव. में रानी आ.व. में दीयोचूटल स्टोन महल सी का अनुमोदन प्रस्ताव	असम	-वही-	0.5	31.08.06	0.5
129.	कोकराझार जिला में कोचूगांव वन डिव. 1 ईएचईएल नदी बालू और ग्रावल महल, गरूफीला नदी बालू और गारूचीला महल, गालगोग नदी बालू और बांगोपा बुल्डर ग्रेवल महल का 4 अदद नवीकरण अनुमोदन	असम	कोकराझार	3.5	13.04.06	3.5
130.	कोकराझार जिला में सामुखार नदी बालू और ग्रावेल और बुल्डर महल के अंतर्गत हालतुगांव डिव. के नवीकरण अनुमोदन का प्रस्ताव	असम	-वही-	1	13.11.06	1
131.	लखीमपुर डिव. में कनानदी ग्रावेल महल और कौमिन बालू और ग्रावेल महल का अनुमोदन नवीकरण	असम	लखीमपुर	2	30.08.07	2
132.	नागांव डिव. के अंतर्गत काचल गोरी स्टोन क्वेरी महल नं. 1 में नए ओपनिंग प्रस्ताव	असम	नौगांव	0.25	18.11.05	0.2
133.	नौगांव डिव. के अंतर्गत सोनीकुची आ.व. में बोरझान स्टोन क्वेरी नं. 4 का अनुमोदन नवीकरण	असम	-वही-	0.2	10.10.07	0.2
134.	सोनीकुची आ.व. में जागी रोड स्टोन क्वेरी महल नं. एफ (1) की नई स्टोन क्वेरी की ओपनिंग अप	असम	-वही-	1	09.10.06	1
135.	नौगांव डिव. के अंतर्गत दक्षव का आ.व. के भीतर लंकाबूरी स्टोन महल के संबंध में नदी तल महल शुरू करने के लिए वनभूमि का वनेतर	असम	-वही-	0.9	30.09.08	0.9
136.	नौगांव वन डिव. में स्टोन महल 1 ई धौलपहाड़ स्टोन क्वेरी नं. 2 का अनुमोदन नवीकरण	असम	-वही-	0.25	27.04.06	0.25
137.	सोनीकुची आ.व. के अंतर्गत जागी रोड स्टेन क्वेरी नं. एफ (2) की ओपनिंग अप प्रस्ताव	असम	-वही-	0	19.12.05	1
138.	नौगांव डिव. के अंतर्गत तीतिलया-भागरा में भागरा स्टोन क्वेरी महल नं. 10 में नई स्टोन क्वेरी की ओपनिंग अप	असम	-वही-	1	10.10.07	1
139.	नौगांव डिव. के अंतर्गत दक्षका आ.व. में बिथिन स्टोन महल के अनुमोदन नवीकरण का प्रस्ताव	असम	-वही-	1	23.05.08	1

1	2	3	4	5	6	7
140.	कथालगोरी स्टोन क्वेरी महल नं. 2 की ओपनिंग अप	असम	नौगांव	0.25	16.12.05	0.25
141.	नौगांव डिव. के अंतर्गत कथलगोरी स्टोन क्वेरी महल नं. 1(बी) में नए महल की ओपनिंग अप का प्रस्ताव	असम	-वही-	0.25	18.11.05	0.25
142.	नौगांव डिव. में सोनीकुची आ. वन में बोरनोंग स्टोन क्वेरी नं. 2 के नवीकरण अनुमोदन का प्रस्ताव	असम	-वही-	0.25	27.07.08	0.25
143.	धोलपहाड़ आ.व. में धौलपहाड़ स्टोन क्वेरी के स्टोन महल का नवीकरण अनुमोदन	असम	-वही-	0.25	27.04.06	0.25
144.	नौगांव डिव. में सोनीकुची आ.व. में बोरजंग स्टोन क्वेरी नं. 3 नवीकण अनुमोदन	असम	-वही-	0.2	10.10.07	0.2
145.	नौगांव डिव. में धोलपहाड़ स्टोन क्वेरी महल नं. 1 नवीकरण अनुमोदन प्रस्ताव	असम	-वही-	0.25	03.11.08	0.25
146.	नौगांव वन में धोलपहाड स्टोन क्वेरी महल नं. 1 और बोरजोंग स्टोन क्वेरी नं. 1 का नवीकरण अनुमोदन	असम	-वही-	0.5	19.12.05	0.5
147.	स्टोन और सैंड महल अर्थात् बूढ़ीगंगा खालू महल, मोडरतोली स्टोन महल और भोगीराम बस्ती स्टोन महल का नवीकरण अनुमोदन प्रस्ताव	असम	-वही-	2.3	01.05.06	2.3
148.	नौगांव डिव. में नए महल की ओपनिंग	असम	-वही-	1.5	06.04.05	1.5
149.	शिवसागर डिव. के अंतर्गत गालकी आ.व. में ड्रिलिंग लोकेशन जीकेबीके	असम	शिवसागर	4.09	03.11.08	4.09
150.	शिवसागर डिव. के अंतर्गत गालकी आ.व. में ड्रिलिंग लोकेशन जीकेबीके	असम	-वही-	2.49	04.11.08	2.49
151.	बालीपाड़ा आ.व. में सोनी नाला सैण्ड स्टोन महल का नवीकरण अनुमोदन प्रस्ताव	असम	सोनितपुर	1	03.08.07	1
152.	सोनितपुर जिला में सोनितपुर पश्चिम डिव. में 16वें माइल सैन्ड दौर बुल्डर महल का नवीकरण अनुमोदन प्रस्ताव	असम	-वही-	0.998	27.02.07	0.998
153.	सोनितपुर पश्चिम डिव. में 18वें माइल स्टोन महल का नवीकरण अनुमोदन प्रस्ताव	असम	-वही-	1	13.11.06	1
154.	सोनितपुर पश्चिम डिव. में बालीपाड़ा आ. वन में अपर छतीनाला सैन्ड, ग्रावल महल का नवीकरण अनुमोदन प्रस्ताव	असम	-वही-	0.995	30.07.07	0.995
155.	डूम डूमा डिव. में आयल इंडिया लि. द्वारा ड्रिलिंग लोकेशन डिव. के लिए वनभूमि का वनेतर	असम	-वही-	2.944	14.03.06	2.944
156.	डिग्बोई डिव. में आयल इंडिया लि. द्वारा ड्रिलिंग लोकेशन एचक्यूक्यू के लिए वनभूमि का वनेतर	असम	-वही-	2.038	08.06.07	2.038

1	2	3	4	5	6	7
157.	सदस्य सचिव, परि-कार्यान्वयन यूनिट गांव दिहीपारा में स्टोन क्वेरी	छत्तीसगढ़	बस्तर	0.92	29.08.05	0.92
158.	प्र. मंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव चिपवांड में मुरूम खनन	छत्तीसगढ़	-वही-	0.4	29.09.05	0.4
159.	प्र. मंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव कासियाबाड़, जीआईटीटी	छत्तीसगढ़	-वही-	1	29.09.05	1
160.	खनिज विकास निगम लि. के पक्ष में कोरंडम खनन पट्टा का एक्सटेंशन	छत्तीसगढ़	-वही-	3.7	31.01.07	1.9545
161.	प्र. मंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव उदयपाल के पत्थर खनन	छत्तीसगढ़	-वही-	0.6	29.09.05	0.6
162.	प्र. मंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव दिलमिली में पत्थर खनन	छत्तीसगढ़	-वही-	0.4	29.09.05	0.4
163.	कार्यकारी इंजीनियर, परियोजना कार्यान्वयन यूनिट के पक्ष में गांव पिपरा में स्टोन क्वेरी	छत्तीसगढ़	-वही-	0.5	19.08.05	0.5
164.	प्र. मंत्री ग्राम सड़क योजना के पक्ष में गिट्टी खनन पट्टे का निर्माण	छत्तीसगढ़	-वही-	1.4	22.03.06	1.4
165.	भिलाई स्टील प्लांट का कलवार-नागौर खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	-वही-	70	07.01.08	17
166.	मै. बजरंग मैटैलिक प्रा.लि. के पक्ष में कम्पार्टमेंट नं. 364 और 365 में आयरन ओर खनन संभावना	छत्तीसगढ़	-वही-	75	16.05.05	75
167.	मै. पुष्प स्टील माइनिंग प्रा.लि. द्वारा हाहल्दी क्षेत्र, मिचीगांव, लोहाटा आ.व. में आयरन ओर संभावना	छत्तीसगढ़	-वही-	705.33	05.04.06	0
168.	मै. मिनरल एंड लोजिस्टिक के पक्ष में क. नं. 334 (पी) में आयरन ओर संभावना	छत्तीसगढ़	-वही-	71	23.06.05	0
169.	मै. नवभारत क्यूब कं. लि. के पक्ष में कं. नं. 338, 339 में आयरन ओर संभावना	छत्तीसगढ़	-वही-	400	23.06.05	0
170.	मैं. विना इंडस्ट्रीज लि. गांव रासूली में कं. नं. 334, 337 में आयरन ओर संभावना	छत्तीसगढ़	-वही-	180	23.06.05	0
171.	मै. प्रकाश इंडस्ट्रीज लि. गांव बिलासपुर में कं. नं. 321 में आयरन ओर संभावना	छत्तीसगढ़	-वही-	137	13.05.05	137
172.	मै. भिलाई स्टील प्लांट की रोघाट आयरन ओर खनन संभावना	छत्तीसगढ़	-वही-	883.22	21.11.08	883.22
173.	मैसर्स टाटा स्टील लि. के पक्ष में बेदिला रेंज, दांतेवाड़ा डिव. जगदलपुर वन सर्कल में ड्रिलिंग सहित आयरन ओर खनन संभावना	छत्तीसगढ़	दंतेवाड़ा	2500	30.05.08	0
174.	जयसवाल नीको लि. (नागपुर अलाय कास्टिंग लि.) का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	जगदलपुर	192.25	18.01.07	35.74
175.	मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लि. के पक्ष में अन्डर ग्राउंड/ओपन कास्ट माइनिंग के लिए वनभूमि का वनेतर	छत्तीसगढ़	जांजगीर	726.349	29.03.06	188.326
176.	आणविक ऊर्जा विभाग (टी एस नं. 54 जी 16) के पक्ष में साकती वन डिविजन में कम्पार्टमेंट नं. 2442 से 2448 और 2478 के भाग में यूरेनियम की संभावना/सर्वे और खोज	छत्तीसगढ़	-वही-	1200	14.09.06	0

1	2	3	4	5	6	7
177.	मैसर्स इन्द. एग्री सिनर्वी लि. रायपुर के पक्ष में गांव हालाल्दी कम्पार्टमेंट नं. 357, 358, 359, 362, 364 और 384 में आयरन ओर संभावना	छत्तीसगढ़	कनकी	515	28.07.06	0
178.	मैसर्स अक्षय इन्वेस्टमेंट के पक्ष में हालाल्दी वन विभाग में कम्पार्टमेंट नं. 355 और 356 में आयरन ओर खान संभावना	छत्तीसगढ़	-वही-	63	26.05.06	0
179.	कम्पार्टमेंट सं. 384, 385, 386 और 389 में मै. सर्वांगी एण्ड कम्पनी लि. के पक्ष में लौह अयस्क खनन हेतु प्रोस्पेकिंटग	छत्तीसगढ़	कानके	182	25.10.06	0
180.	अरीदोनगरी तहसील भानुप्रतापपुर में मै. गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लि. के पक्ष में लौह अयस्क खनन हेतु वन भूमि का वनेतर प्रयोग	छत्तीसगढ़	-वही-	106.6	04.08.08	106.6
181.	हसदेव क्षेत्र में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल) द्वारा हल्दीबाड़ी अंडरग्राउंड खनन परियोजना	छत्तीसगढ़	कोरा	205.6	05.05.08	205.6
182.	कम्पार्टमेंट सं. 464, 517, 518, 519, 479, 501 नार्थ चिरीमिरी कोलरी, चिरीमिरी क्षेत्र में एसईसीएल के पक्ष में भूमिगत खनन के लिए खनन पट्टे का नवीकरण	छत्तीसगढ़	-वही-	550	24.04.06	550
183.	कम्पार्टमेंट सं. 493-पी से 494-पी, कोरा कोलरी, चिरीमिरी एरिया में एस ई सी एल के पक्ष में भूमिगत खनन के लिए खनन पट्टे का नवीकरण	छत्तीसगढ़	-वही-	370.142	24.04.06	232.337
184.	कोरा वन प्रभाग में कम्पार्टमेंट सं. 501 पी से 503-पी, 513 पी से 516 पी में एस ई सी एल (चिरीमिरी क्षेत्र, बैकुंठ पुर) के पक्ष में भूमिगत खनन के लिए खनन पट्टे का नवीकरण	छत्तीसगढ़	-वही-	1253.905	24.4.06	1253.905
185.	चिरीमिरी क्षेत्र के अंतर्गत डोमनहिल कोलरी की कम्पार्टमेंट सं. 517-पी, 522-पी, 523-पी और 530-पी में एस ई सी एल के पक्ष में भूमिगत खनन के लिए खनन पट्टे का नवीकरण	छत्तीसगढ़	-वही-	205.888	24.04.06	205.888
186.	मै. एस ई सी एल के पक्ष में काठकोना कोलरी की खनन लीज का नवीकरण	छत्तीसगढ़	-वही-	549.94	14.06.06	549.94
187.	चिरीमीरी क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिमी चिरीमीरी कोलरी के कम्पार्टमेंट सं. 500 पी से 520 पी में भूमिगत खनन के लिए एसईसीएल के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण	छत्तीसगढ़	-वही-	170.352	24.04.06	170.352
188.	साउथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लि. (एसईसीएल) की कुरसीया कोलरी हेतु वन भूमि का पथांतरण	छत्तीसगढ़	-वही-	469.496	24.04.06	469.496
189.	चिरीमीरी क्षेत्र के अंतर्गत कम्पार्टमेंट सं. 531 पी से 538 पी, 540 पी से 541 पी में भूमिगत खनन के लिए मै. साउथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लि. के पक्ष में खनन पट्टा खनन पट्टे का नवीकरण	छत्तीसगढ़	-वही-	989.4	24.04.06	989.4

1	2	3	4	5	6	7
190.	जीवेरा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट के लिए मै. साउथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लि. के पक्ष में खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	-वही-	100.898	05.05.08	100.696
191.	साउथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लि. के पक्ष में सरफेस राइट	छत्तीसगढ़	-वही-	20	08.01.07	20
192.	एसईसीएल के पक्ष में एक्सप्लोसिव मैगजीन का नवीकरण	छत्तीसगढ़	-वही-	2.792	31.01.07	2.792
193.	साउथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लि. (एसईसीएल) के पक्ष में जीवेरा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट	छत्तीसगढ़	-वही-	192.046	20.10.06	192.046
194.	साउथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लि. (एसईसीएल) के पक्ष में जीवेरा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट	छत्तीसगढ़	-वही-	46.198	20.10.06	46.198
195.	काठघोड़ा वन प्रभाग (जीवेरा क्षेत्र) में एसईसीएल के पक्ष में दीपका एक्सपेंशन ओपन कास्ट कोलमाइन प्रोजेक्ट	छत्तीसगढ़	-वही-	148.866	20.10.06	148.866
196.	साउथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लि. (एसईसीएल) के पक्ष में मानिकपुर ओपन कास्ट माइनिंग का नवीकरण	छत्तीसगढ़	-वही-	181.177	14.06.06	181.177
197.	काठघोड़ा वन प्रभाग के अंतर्गत एसईसीएल के पक्ष में जीवेरा ओपन कास्ट कोल माइनिंग	छत्तीसगढ़	-वही-	564.885	20.10.06	564.885
198.	साउथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लि. (एसईसीएल) के पक्ष में दीपका एक्सपेंशन ओपन कास्ट माइनिंग प्रोजेक्ट	छत्तीसगढ़	-वही-	206.638	20.10.06	206.638
199.	मै. एसईसीएल के पक्ष में राजगामर भूमिगत खनन परियोजना	छत्तीसगढ़	-वही-	461.8	14.03.06	461.8
200.	मै. साउथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लि. (एसईसीएल) के पक्ष में घरघोड़ा रेंज के कोल का खुला एक्सपेंशन ओपन कास्ट माइनिंग	छत्तीसगढ़	रायगढ़	123.899	13.12.06	123.899
201.	रायगढ़ वन प्रभाग के अंतर्गत सरायपाली-भगौरा सुरक्षित वन में कलेक्शपुर, भगौरा और सरायपाली खंड के आस-पास एटोमिक मिनरल्स, विशेषकर यूरेनियम के लिए अन्वेषक खुदाई की प्रोस्पेक्टिंग	छत्तीसगढ़	-वही-	352	23.08.06	0
202.	छोटे डोंगर रिजर्व वन में श्री बजरंग मैटेलिक प्रा.लि. के पक्ष में कम्पार्टमेंट सं. 252, 267, 268 और 269 में प्रोस्पेक्टिंग माइनिंग	छत्तीसगढ़	रायपुर	57	16.05.05	57
203.	जीवेरा क्षेत्र के दीपका एक्सपेंशन ओपन कास्ट प्रोजेक्ट के 33.84 हैक्टेयर वन भूमि के लिए अस्थाई कार्य अनुमति, एसईसीएल	छत्तीसगढ़	-वही-	424.429	24.01.06	33.84
204.	कोरबा क्षेत्र की सरायपाली ओपन कास्ट परियोजना में खनन हेतु एसईसीएल के पक्ष में	छत्तीसगढ़	-वही-	40.534	16.03.06	40.534
205.	बोरिया टिब्बू आयरन ओर प्रोजेक्ट में मै. इस्पात गोदावरी लि. सिलतरा के पक्ष में कम्पार्टमेंट 535/536 में लौह अयस्क खनन हेतु वन भूमि का वनेतर प्रयोग	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव	110	21.11.08	110
206.	दुलकी-महामाया क्षेत्र में भिलाई स्टील प्लांट (सेल) के पक्ष में लौह अयस्क का खनन	छत्तीसगढ़	-वही-	60	04.12.07	60

1	2	3	4	5	6	7
207.	आमेरा, काटकोना, परसोदिकाला और पुहुपुटारा में मै. साउथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लि. के पक्ष में आमेरा ओपन कास्ट कोल माइनिंग प्रोजेक्ट	छत्तीसगढ़	सलगूजा	51.989	05.05.08	51.989
208.	साउथ सरगुजा वन रेंज में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (आरआरवीयूएनएल) के पक्ष में कोयला खनन हेतु 70 बोर होल्स की प्रोस्पेक्टिंग	छत्तीसगढ़	-वही-	2110.519	31.07.08	0
209.	सुराला गांव में स्थित टीसी सं. 21/1954 के अंतर्गत मै. वीएस डेम्पो के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण	गोवा	उत्तरी गोवा	24.981	11.11.08	24.981
210.	अशोक कुडचाडकर के पक्ष में 100/53 खनन पट्टा	गोवा	-वही-	22.135	28.11.05	3.32
211.	टीसी सं. 87/53 के अंतर्गत पांडुरोंगा टिम्बलो इन्डस्ट्रीज के पक्ष में सगांव माइन में डीम्ड माइनिंग लीज का नवीकरण	गोवा	-वही-	12.7021	19.09.06	12.7021
212.	श्री चंद्रकांत एफ. नायक के पक्ष में टीसी सं. 63/51 में लौह एवं मैंगनीज आयस्क खनन के लिए खनन पट्टा	गोवा	-वही-	38.6001	29.11.05	38.6001
213.	अचूता वीएस वेलिंकर के पक्ष में 29/55 खनन पट्टा	गोवा	-वही-	38.87	01.12.05	17.37
214.	डा. प्रफुल्ल आर. हेगड़े के पक्ष में 30/50 खनन पट्टा	गोवा	-वही-	42.2796	24.02.06	30.5688
215.	मै. सोसीडाडे टिम्बलो इरमोस लि. के पक्ष में टी.सी. सं. 143/53 के अंतर्गत डीम्ड लौह अयस्क खनन पट्टे का नवीकरण	गोवा	-वही-	47.7603	10.01.07	26.8582
216.	श्री अशोक कुडचाडकर के पक्ष में 53/52 खनन पट्टा	गोवा	-वही-	31.439	24.11.05	6.34
217.	एसओवीए के पक्ष में 45/54 खनन पट्टा	गोवा	-वही-	85.72	25.11.05	44.9237
218.	श्री मिंगगुल मैसकरहैस को खनन पट्टा सं. 60/51	गोवा	-वही-	82.6	08.12.05	16.7
219.	मै. हैदर कासिम खान के पक्ष में लौह अयस्क के खनन के लिए सुंगेम तालुका के सुलकोरना और विच्छुडरेम गांव में टीसी. सं. 10/51 के अंतर्गत खनन पट्टे का नवीकरण	गोवा	-वही-	71.8992	17.11.08	71.8992
220.	मै. बदरुद्दीन हुसैन भाई मावनी को खनन पट्टा सं. 14/52	गोवा	-वही-	71.4128	18.01.06	31.4598
221.	मै. आत्माराम सी. पोल पालोंडीकर के पक्ष में सुंगेम तालुका के कोलम्बा और कुरपेम गांव में टीसी सं. 17/49 के अंतर्गत लौह और मैंगनीज के खनन हेतु खनन पट्टे के नवीकरण के लिए दक्षिण गोवा प्रभाग में 34.1796 हैक्टेयर वन भूमि का वनेत्तर प्रयोग	गोवा	-वही-	34.1796	10.11.08	34.1796
222.	मै. एलरे मिनरल्स एंड कं. (आयरन एंड मैंगनीज खनन) के पक्ष में टी.सी. 1/37 के अंतर्गत खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव	गोवा	दक्षिण गोवा	100	15.05.08	17.83
223.	मै. टालाडलीकर एंड संस (प्रा.) लि. के लिए खनन पट्टा सं. 2/51	गोवा	-वही-	50.3	10.09.08	33.247
224.	मै. स्पेज़ियाडेड टिम्बलो इरमोस लि. के पक्ष में संयुक्त तालुका के सिगाओ गांव में स्थित टीसी सं. 88/1952 के खनन पट्टे का नवीनीकरण	गोवा	-वही-	88.6	13.10.08	88.6

1	2	3	4	5	6	7
225.	मै. वी.एस. डेम्पो एंड कं. प्रा.लि. के पक्ष में क्यूवेम एंड संगुएम तालुका के गांव सलकोर्ना और करपेम में स्थित टीसी सं. 40/1954 एवं 3/1951 के अंतर्गत खनन पट्टे का नवीनीकरण	गोवा	दक्षिण गोवा	148.67	10.09.08	135.6175
226.	जी.एस. अग्रवाल के पक्ष में 8/41 खनन पट्टे का नवीनीकरण	गोवा	-वही-	78.23	03.10.08	78.23
227.	पी.एम. सलगांवकर ब्रदर्स प्रा.लि. के पक्ष में टी.सी. सं. 50/53 के अंतर्गत खनन पट्टे का नवीनीकरण	गोवा	-वही-	40.5555	05.09.08	28.7805
228.	मै. एम्को गोवा प्रा.लि. के पक्ष में कच्चे लोहे के खनन के लिए गांव कालेम, मालेम और सिग्नाओ के संयुक्त तालुका में टी.सी. सं. 23/53 के अंतर्गत खनन पट्टे के लिए नवीनीकरण	गोवा	-वही-	57.97	13.08.08	57.97
229.	वी.एम. सलगांवकर ब्रदर्स लि. के पक्ष में टी.सी. सं. 13/1955 में आयरन ओर ओपन कास्ट खनन पट्टे का नवीनीकरण	गोवा	-वही-	56.236	04.09.08	35.1525
230.	वी.एस. डेम्पो के पक्ष में सं. 35/52 खनन पट्टे का नवीनीकरण	गोवा	-वही-	98.46	10.09.08	64.75
231.	मै. गुजरात मिनरल डेवलपमेंट का.लि. (जीएमडीसी) के बेस मेटल के लिए खनन पट्टे का नवीनीकरण	गुजरात	बनासकांठा	1152.82	23.08.06	171.43
232.	मै. गुजरात मिनरल डे.का. के पक्ष में गांव अंबादुनगर में फ्लूओराइस्पार खनन पट्टे का नवीनीकरण	गुजरात	बड़ोदरा	31.2	17.10.06	31.2
233.	मै. रूग्गल सीमेंट वर्कस के पक्ष में बिलासपुर में सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कवाडईजाइंट का एक्सट्रैक्शन	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	4.88	8.10.05	4.88
234.	स्लेट्सके एक्सट्रैक्शन के लिए खनन पट्टे का नवीनीकरण	हिमाचल प्रदेश	चंबा	1.392	03.03.08	1.392
235.	स्टोन क्रशर पालमपुर, एफ.डी. की स्थापना के लिए मै. आरबिट मिनरल्स उद्योग एसोसिएशन के पक्ष में खनन	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	0.4852	10.04.06	0.4852
236.	रिवर बेड मिनरल्स अर्थात् रेत, पत्थर और बजरी आदि का एक्ट्रैक्शन	हिमाचल प्रदेश	किन्नूर	1.3819	26.07.07	1.3819
237.	हुरलास्थित क्रशर के लिए पत्थर खनन के लिए 10 जुलाई 2006 से पांच वर्ष के लिए वन भूमि के वनेतर उपयोग के लिए खनन पट्टे का नवीनीकरण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	1.2	02.03.07	1.2
238.	क्रशर के लिए पत्थरों का खनन	हिमाचल प्रदेश	-वही-	0.4	12.03.07	0.4
239.	वी आर ओ के पक्ष में रोहतांग टनल परियोजना के लिए स्टोन क्रशर और खनन की स्थापना	हिमाचल प्रदेश	-वही-	3.4	10.07.08	3.4
240.	खनन और स्टोन क्रशर की स्थापना	हिमाचल प्रदेश	मंडी	0.35	06.12.06	0.35
241.	मै. हरीश सीमेंट लि. के पक्ष में लाइमस्टोन खनन/सीमेंट प्लांट के लिए खनन	हिमाचल प्रदेश	-वही-	467.32	18.11.05	173
242.	राजहाट ठाकुर मै. इस्पात स्टोन इंडस्ट्रीज बनकर रपुतु संघोल के पक्ष में स्टोन क्रशर की स्थापना	हिमाचल प्रदेश	-वही-	0.081	14.06.06	0.081

1	2	3	4	5	6	7
243.	मै. सुमन एंटरप्राइजेज के पक्ष में सरगेट (निजी भूमि में स्थापना के लिए) में स्टोन क्रशर के लिए पैसेम का गठन	हिमाचल प्रदेश	शिमला	0.0263	02.04.08	0.0263
244.	रामपुर में खनन और स्टोन क्रशर की स्थापना के लिए पक्षादा	हिमाचल प्रदेश	-वही-	0.2898	18.08.06	0.2898
245.	महांतीदेवी, आर/ओ गांव-पक्षादा के पक्ष में खनन और स्टोन क्रशर की स्थापना	हिमाचल प्रदेश	-वही-	1.09	22.06.07	0.455
246.	मै. विनीता एंटरप्रीन्योर्स 1798/3/37, पक्का बाग रोपड़ (पंजाब) के पक्ष में जिंगजिंग बार में स्टोन क्रशर और हांट मिक्स प्लांट की स्थापना	हिमाचल प्रदेश	-वही-	0.5733	28.07.08	0.5733
247.	आलरेडी ब्रोकन एरिया उ.प्र. में पांच वर्ष के लिए खनन कार्य	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	2	07.12.05	2
248.	जेपी हिमाचल सीमेंट प्रोजेक्ट, कुनिहार वन प्रभाग के पक्ष में खनन	हिमाचल प्रदेश	सोलन	239.5096	02.06.06	239.5096
249.	सेंट्रल कोल फिल्ड्स लि. के पक्ष में वन चयनित छोटी भूमिगत परियोजना	झारखंड	बोकारो	70.568	17.07.08	70.568
250.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. को धौरीखास भूमिगत खनन पट्टा	झारखंड	-वही-	172.2	17.07.08	172.2
251.	सीसीएल को खास महल ओपनकास्ट खनन	झारखंड	-वही-	174.48	31.07.06	174.48
252.	करमपाडा आयरन एंड मैंगनीज ओर के लिए साइ ब्रदर्स को खनन पट्टा	झारखंड	-वही-	24.856	19.05.06	24.856
253.	सेंट्रल कोलफिल्ड्स लि. (सीसीएल) की चयनित धौरी खानों के लिए अस्थायी कार्य अनुमति	झारखंड	-वही-	258.84	28.06.06	143.05
254.	यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि. के पक्ष में बंधुहुरांग यूरेनियम परियोजना	झारखंड	पूर्वीसिंहभूमि	130.82	07.04.05	130.82
255.	कर्मा ओपनकास्ट खनन परियोजना के लिए मै. सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. को खनन पट्टा	झारखंड	हजारीबाग	134.64	30.10.08	132.28
256.	सीसीएल को सिरमा ओपनकास्ट खनन पट्टा	झारखंड	-वही-	50.8	08.08.08	50.8
257.	मै. सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. के पक्ष में सायल 'डी' परियोजना	झारखंड	-वही-	192.32	17.07.08	192.32
258.	मै. सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल) की डरमरी ओपनकास्ट परियोजना	झारखंड	-वही-	91.04	17.07.08	91.04
259.	सीसीएल की पूंडी ओपनकास्ट परियोजना	झारखंड	-वही-	52.97	06.08.08	52.97
260.	सीसीएल को राजरप्पा ओपनकास्ट खनन पट्टा	झारखंड	-वही-	510.82	15.03.07	510.82
261.	सीसीएल को गिड्डी सी ओपनकास्ट खनन पट्टा	झारखंड	-वही-	237.3	08.08.08	237.3
262.	सीसीएल को अरगाडा भूमिगत खनन पट्टा	झारखंड	-वही-	90.1	07.08.08	90.1
263.	सीसीएल एआरए ओसीपी माइंस खनन पट्टा	झारखंड	-वही-	166.9	13.08.08	166.9
264.	सीसीएल बी रोपा ओपनकास्ट परियोजना	झारखंड	-वही-	77.3	30.07.08	77.3

1	2	3	4	5	6	7
265.	सालबेरा ओपन कास्ट के लिए सेन्ट्रल कोलफील्ड का खनन पट्टा	झारखंड	हजारीबाग	196.55	13.08.08	196.55
266.	सीसीएल रीलीगारा ओसीपी खान परियोजना तथा का खनन पट्टा	झारखंड	-वही-	135.66	13.08.08	135.66
267.	सीसीएल कुजु परियोजना का खनन पट्टा	झारखंड	-वही-	115	13.08.08	115
268.	सीसीएल के पक्ष में टिपिन नार्थ ओपनकास्ट	झारखंड	-वही-	55.69	21.06.05	55.69
269.	सिमलांग कौलेरी के लिए 3.48 है. वनभूमि का वनेतर	झारखंड	पाकुर	3.48	30.11.07	3.48
270.	पनीम कोल माइन्स लि. का खनन पट्टा	झारखंड	-वही-	461.09	31.10.06	400
271.	बिननीबगड़ा लाइमस्टोन परियोजना, बीएसएमडीसी का नवीकरण	झारखंड	रांची	9.07	12.07.05	9.07
272.	के.डी. हीसलांग कोल माइन के लिए सेन्ट्रल कोलफील्ड लि. का खनन पट्टा	झारखंड	-वही-	28.95	14.09.06	28.95
273.	यूरेनियम कारपोरेशन इंडिया लि. के पक्ष में मौजू, गोडलदी, कुमहारी, ब्रह्मडुंगरी और तिरलीडीह में मोहुलदी यूरेनियम माइनिंग परियोजना के लिए वन भूमि का वनेतर	झारखंड	सरायकीला	44.6	14.11.08	44.6
274.	घाटकुरी वन में मैसर्स ऊषा मार्टिन इंडस्ट्रीज के पक्ष में आयरन ओर के लिए खनन पट्टा	झारखंड	पश्चिम सिंहभूम	29.4748	11.7.05	27.4648
275.	सेल की किरीबुरू, मेघाहातुबुरा और तिरिलडीह आयरन ओर खान के पक्ष में खनन पट्टे नवीकरण के लिए वनभूमि वनेतर	झारखंड	-वही-	24.23	11.04.05	24.33
276.	सरान्दा वन डिवीजन के अपीनाबुरु में दीपिका बिलपी के आयरन एवं मैंगनीशियम ओर खनन पट्टे का नवीकरण	झारखंड	-वही-	46.62	10.04.07	15.57
277.	टाटा आयरन एण्ड स्टील कं. लि. का खनन पट्टा	झारखंड	-वही-	762.75	07.11.07	370.92
278.	मै. सेल के पक्ष में किरीबुरु मेघाहातुबुरु आयरन ओर खनन पट्टे के तीन पट्टों का नवीकरण	झारखंड	-वही-	82	08.04.05	24.23
279.	उड़ीसा मैगनेशिस प्रा.लि. के पक्ष में धालुरी आयरन ओर खान	झारखंड	-वही-	141.447	21.10.08	141.147
280.	मै. मिश्रीलाल जैन एंड संस के पक्ष में करमपारा आयरन खान	झारखंड	-वही-	49.195	27.07.07	219.195
281.	मै. सेल के पक्ष में किरीबुरु मेघाहातुबुरु आयरन ओर खान के पक्ष में 2 अदद खनन पट्टे	झारखंड	-वही-	879.43	08.04.05	55.9
282.	मैसर्स अनिल झवीरवाल के पक्ष में आयरन ओर खनन पट्टा	झारखंड	-वही-	8.242	25.02.08	8.242
283.	सरान्दा वन डिव. में मै. रामेश्वर जूट मि. के पक्ष में आयरन ओर मैग्नीशिस के खनन पट्टे के नवीकरण के लिए वन भूमि वनेतर	झारखंड	-वही-	23.233	14.11.08	23.233
284.	श्री एच जी रंगना गोवड़ा, होस्पेट 36.50 है. के पक्ष में आयरन उत्खनन के लिए एन ई ब्लाक संदुर में खनन पट्टे 2150 का नवीकरण	कर्नाटक	बेल्लारी	36.5	21.11.06	36.5

1	2	3	4	5	6	7
285.	मै. गावी सिद्धेश्वर एन्टरप्राइजेज, बीलागू आ.व. बेल्लारी तालुका, बेल्लारी जिला के पक्ष में आयरन ओर खनन के लिए 5.67 है. वनभूमि का वनेतर	कर्नाटक	बेल्लारी	5.67	08.05.06	5.67
286.	मै. रामगढ़ मिनरल्स, आर एम ब्लाक, सन्दुर, तालुका, बेल्लारी जिला के खनन पट्टा सं. 1894 के लिए 24.28 है. का नवीकरण	कर्नाटक	-वही-	26.36	11.12.06	26.36
287.	मै. मैसूर मिनरल्स लि. बंगलौर के पक्ष में आयरन ओर माइन्स सन्दुर के पक्ष में खनन पट्टा 995 की वनभूमि का वनेतर	कर्नाटक	-वही-	36.6	15.05.06	33.6
288.	श्री के.आर. कविराज, हास्पेट के पक्ष में आयरन ओर के पृथक्करण के लिए काल्लाहटी (वी) के हास्पेट (टी) के 34.40 है. वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	-वही-	34.4	17.09.07	34.4
289.	मै. एन एच प्रेम कुमार, बेलोर के पक्ष में कालाहल्ली (वी) के हास्पेट (टी) के आयरन ओर पृथक्करण के लिए 21.97 है. वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	-वही-	21.97	12.01.07	21.97
290.	मै. लक्ष्मी मिनरल्स, हास्पेट के पक्ष में आयरन ओर के पृथक्करण के लिए जयसिंहपुर (वी) के संदूर (टी) में वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	-वही-	36.42	12.03.07	36.42
291.	बेल्लारी जिले के सांडर तालुका के एस.एम. ब्लाक के धर्मपुरा गांव में 23.75 है. में श्री एच.जी. रंगनागौडा के पक्ष में खनन पट्टे की मंजूरी	कर्नाटक	-वही-	23.75	07.12.06	23.75
292.	मै. मोग्गा गुरुशांता एवं ब्रदर्स के पक्ष में जोगा आरएफ, हास्पेट तालुक एमएल सं. 1028 के लिए वनभूमि के 28.0 हे. का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	-वही-	28	25.06.06	15.1
293.	श्री एम. हनुमंतराव के खनन पट्टे का आवेदन	कर्नाटक	-वही-	17.4	17.02.06	17.4
294.	विट्टलापुरा, बेल्लारी आरएफ/जिले में मै. हिंद ट्रेडर्स, बेल्लारी के पक्ष में एम एल सं. 111 में आयरन ओर के खनन के लिए 19.63 है. वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	-वही-	19.63	04.07.06	19.63
295.	श्री वी.एन.के. मेनन के पक्ष में रामानामलाई आरएफ ब्लाक, धर्मपुरा गांव, सांदर तालुक, बेल्लारी जिले में खनन पट्टे के लिए 10 है. वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	-वही-	10	13.02.07	10
296.	एक्टीगांव, सांदर तालुक में श्री टी. नारायण रेड्डी के पक्ष में आयरन ओर माइंस के लिए एमएल सं. 887 का नवीनीकरण	कर्नाटक	-वही-	11	15.05.06	11
297.	गोविंद सिद्देश्वर एंटरप्राइजेज के पक्ष में बेलागल आरएफ में आयरन ओर के पृथक्करण के लिए	कर्नाटक	-वही-	5.67	05.05.06	5.67
298.	गांव सिद्देश्वर में श्री एन. शैकसाब के पक्ष में खनन पट्टा	कर्नाटक	-वही-	15	09.03.07	15
299.	बेल्लारी जिले में मै. कुमार स्वामी मिनरल एक्सपोर्ट्स के पक्ष में यशवंत नगर गांव के आरएम ब्लाक में एम एल सं. 2141 में आयरन ओर के लिए 30.00 हे. अतिरिक्त वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	-वही-	30	14.12.06	30

1	2	3	4	5	6	7
300.	श्री कन्हैयालाल दुबेरिया के पक्ष में आयरन ओर खनन पट्टे के लिए आरएम ब्लाक, सांडर (टी), बेल्लारी में एमएल सं. 1672 के लिए 33.76 है. वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	बेल्लारी	33.76	12.10.07	33.76
301.	हिंद ट्रेडर्स, बेल्लारी के पक्ष में आयरन ओर के लिए एमएल	कर्नाटक	-वही-	19.63	04.07.06	19.63
302.	मै. लक्ष्मी मिनरल्स, हास्पेट, के पक्ष में आयरन ओर पृथक्करण के लिए सांडर (टी) के वेंकटागिरि गांव में वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	-वही-	24.51	21.12.06	24.51
303.	आयरन ओर खानों के लिए मै. एनएमडीसी, डोनीमलाई, सांडर के पक्ष में वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	-वही-	341.2	24.07.06	341.2
304.	एच.ई.वी. रेंज, कराईकोल, सांडर तालुक में खनन पट्टा संख्या 1626 (प्रथम बार एफ.सी. मांगते हुए) का नवीनीकरण श्री के. वृष्मनंदा, माइनंग लीज होल्डर, हास्पेट के पक्ष में खनन पट्टे के लिए वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	-वही-	58.725	08.03.07	58.725
305.	मै. सिमोरे लि. के खनन पट्टा सं. 1952 का नवीनीकरण	कर्नाटक	-वही-	378	12.03.07	148.8
306.	डोनोमलाई ब्लाक में आयरन ओर खनन के लिए मै. नदीम मिनरल्स के पक्ष में वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	-वही-	53.2	27.03.05	53.2
307.	श्रीमती वी. नगमा को खनन पट्टा	कर्नाटक	-वही-	101.17	10.05.06	50.47
308.	मै. बालाजी माइंस एंड मिनरल्स प्रा.लि. को खनन पट्टा सं. 432/631	कर्नाटक	-वही-	22.66	09.05.06	22.66
309.	मै. श्री निधि आयरन माइन के पक्ष में कालाहल्ली गांव, हास्पेट तालुक में खनन पट्टा सं. 2102 का नवीनीकरण	कर्नाटक	-वही-	45	02.03.07	45
310.	मै. अश्वथनारायना सिंह एंड कंपनी के पक्ष में खनन पट्टे के लिए एन.ई. सांडर रेंज, बेल्लारी जिले के एन ई ब्लाक में आयरन ओर पृथक्करण के लिए वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	-वही-	56.5	04.07.06	56.5
311.	एन.ई. ब्लाक, सांडर तालुक में मै. एस.बी. मिनरल्स के पक्ष में खनन पट्टा सं. 1301 का नवीनीकरण	कर्नाटक	-वही-	47.39	07.03.07	47.39
312.	मै. एम. श्रीनिवासलू के पक्ष में सांडर तालुक के डोनीमलाई आ. वनक्षेत्र के अंतर्गत आयरन ओर खनन का पृथक्करण	कर्नाटक	-वही-	134	11.12.06	134
313.	तुंगभद्रा मिनरल्स लि. को खनन पट्टा	कर्नाटक	-वही-	539.93	10.07.08	196.46
314.	हास्पेट तालुक के व्यासनाकेरे गांव में आयरन और माइंस के लिए मै. मिनरल सेल्स (प्रा.) लि. को एम एल सं. 1801 का नवीनीकरण	कर्नाटक	-वही-	347.22	08.03.07	350.78
315.	मै. विवृतिगुड्डा माइंस (प्रा.) लि. के पक्ष में आयरन ओर के पृथक्करण के लिए सांडर तालुक के वन्नाहाली गांव में वनभूमि (सड़क सहित) वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	-वही-	137	12.12.06	137

1	2	3	4	5	6	7
316.	तुंगभद्रा मिनरल्स लि. को खनन पट्टा	कर्नाटक	बेल्लारी	68.83	10.07.08	36.3
317.	मैंगनीज और आयरन ओर खनन के लिए मै. स्मिझोर लि. को खनन पट्टा सं. 1179 का नवीनीकरण	कर्नाटक	-वही-	2837	14.03.07	1628.94
318.	अब्बलगुंडी क्षेत्र, सांडर तालुक जिला बेल्लारी, कर्नाटक में मै. तुंगभद्रा मिनरल्स प्रा.लि. के एमएल सं. 823/1646 में मौजूदा ओल्ड एप्रोचरोड के उपयोग के लिए 2.051 हे. वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	-वही-	2.051	14.05.07	2.051
319.	श्री एस.पी. मंजूनाथ के पक्ष में जंबूनाथली (वी), हास्पेट (टी) में आयरन ओर पृथक्करण के लिए एफएल के 5.65 हे. वन भूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	-वही-	5.65	07.11.07	5.65
320.	मै. बेल्लारी स्टील एंड एल्लोय लि., बेल्लारी के पक्ष में आयरन ओर पृथक्करण के लिए जयसिंह पुरा (वी) के सांडर (टी) में एफ एल के 39.70 हे. वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	-वही-	39.7	11.03.08	39.7
321.	श्री के.आर. कविराज, हास्पेट के पक्ष में सुशीलनगर (की) एनई ब्लाक, सांडर (टी) में एप्रोचरोड (कुल 12.09 हे.) के लिए आपस और पृथक्करण के लिए 8.09 हे. और 4.00 हे. वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	-वही-	12.09	12.06.08	12.09
322.	श्री एन. मंजूर अहमद, हास्पेट जिला बेल्लारी के पक्ष में एम एल सं. 1324 के संबंध में आयरन ओर पृथक्करण के लिए 15.97 हे. वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	-वही-	15.97	13.10.06	15.97
323.	श्री अंजानेय पी. कदम, मिल. बेल्लारी के पक्ष में आयरन ओर के पृथक्करण के लिए सिद्दपुर (वी) सांडर (टी) में एम एल के लिए 16.99 हे. वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	-वही-	16.99	20.11.07	16.99
324.	विन्नालापुरा (वी) में एन. रत्नैया के पक्ष में आयरन ओर के पृथक्करण के लिए एम एल सं. 670 के लिए नवीनीकरण के लिए 12.00 हे. वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	-वही-	11.5	16.02.07	11.5
325.	एन.ई. ब्लाक, सांडर तालुक जिला बेल्लारी, कर्नाटक में मै. बालाजी माइंस एंड मिनरल्स प्रा.लि. के एम.एल. सं. 131 में मौजूदा ओल्ड एप्रोच रोड के उपयोग के लिए 2.52 हे. वन भूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	-वही-	2.52	14.05.07	2.52
326.	मै. वीयम (प्रा.) लि. जिला-बेल्लारी के पक्ष में एन.ई. ब्लाक, सांडर (टी) में कराडी कोल्टा (वी.) में आयरन और माइंस के पृथक्करण के लिए एम एल सं. 988 के नवीनीकरण के लिए 20.23 हे. वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	-वही-	20.23	20.11.07	20.23
327.	मै. रामगढ़ मिनरल्स एंड माइनिंग प्रा.लि. के पक्ष में गांव जयसिंहपुर, सांडर तालुक में आयरन ओर का खनन	कर्नाटक	-वही-	331.44	13.09.06	335.04

1	2	3	4	5	6	7
328.	सी. चंद्रशेखर, जिला चित्रदुर्गा के पक्ष में के.के. कवल आरएफओफ होसदुर्गा तालुक में लाइम स्टोन के पृथक्करण के लिए 4.25 है. वनभूमि का पृथक्करण	कर्नाटक	चित्रदुर्गा	4.25	29.05.08	4.25
329.	होसदुर्गा रेंज, लक्की हल्ली आरएफ, जिला-चित्रदुर्गा में मै. केनरा मिनरल्स (प्रा.) लि. बेल्लारी के पक्ष में आयरन ओर और मैंगनीज के पृथक्करण के लिए 24.50 है. वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	-वही-	24.5	10.04.08	24.5
330.	मै. एम. चेन्नाकेशव रेड्डी, जिला चित्रदुर्गा के पक्ष में लक्कीहल्ली एसएफ, होसदुर्गा (टी) में आयरन और पृथक्करण के लिए एमएल सं. 329ए के नवीनीकरण के लिए 7.85 है. वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	-वही-	7.85	13.09.07	7.85
331.	मै. केनरा मिनरल्स (प्रा.) लि. बेल्लारी जिला-चित्रदुर्गा के पक्ष में होसदुर्गा में आयरन ओर और मैंगनीज के पृथक्करण के लिए 27.82 है. वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	-वही-	27.82	20.09.07	27.82
332.	मै. गरुडाधरी इम्पेक्स प्रा.लि. बंगलौर के पक्ष में कुडरे कनिवकल (वी.) होसादुर्गा, जिला चित्रदुर्गा के एसवाई सं. 1 में आयरन ओर मैंगनीज के पृथक्करण के लिए 22.94 है. वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	-वही-	22.94	27.05.08	22.94
333.	ए.के. माधवत नारायण को खनन पट्टा	कर्नाटक	-वही-	337.91	28.08.06	163.5
334.	श्री बी.के. चंद्रशेखर सिंह के पक्ष में कुंदेकनिव कवल एफ चित्रदुर्गा डिवीजन के होसादुर्गा रेंज केएसवाई नं. 1 में 8.96 है. वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	-वही-	8.96	30.11.07	8.96
335.	मै. मद्रास सीमेंट्स (लि.) मेन्यद के पक्ष में कुदेकनिव आरएफ, होसदुर्गा (टी) कप्पनाम्म कानाहल्ली (पी) में एसवाई 10.86 व 86 लाइमस्टोन पृथक्करण के लिए 30 है. वन भूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	-वही-	30	27.03.08	30
336.	कुद्रे खानिव एसएफ में जयलक्ष्मी मिनरल्स के पक्ष में एम एल (मैंगनीज ओर)	कर्नाटक	-वही-	4.98	25.01.07	4.98
337.	कुद्रे खानिव एसएफ में जयलक्ष्मी मिनरल्स के पक्ष में एमएल (मैंगनीज ओर)	कर्नाटक	-वही-	10.2	25.01.07	10.2
338.	मै. बालाजी प्रोड्यूस कं. के पक्ष में आयरन ओर पृथक्करण के लिए लखियाहल्ली (वी) होसादुर्गा तालुक में एमएल का नवीनीकरण	कर्नाटक	-वही-	10	27.06.06	10
339.	श्री एम. श्रीनिवासालू (आयरन ओर क्लोओचर, लाइमस्टोन, मैंगनीज ओर माइनिंग) के पक्ष में होसदुर्गा रेंज के कुद्रे खनिव आ. वन क्षेत्र में कुद्रेखनिव कवल गांव के एसवाई सं. 1 में खनन के लिए वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	-वही-	74.86	22.10.08	74.86

1	2	3	4	5	6	7
340.	मेसुग्गालाम्मा गुड्डा माइनिंग एंड कंपनी बेल्लारी 10.11 हे. क्षेत्र में बेल्लारी जिले में आयरन ओर पृथक्करण के लिए एमएल के नवीनीकरण के लिए वन भूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	दावणगेरे	10.11	15.12.06	10.11
341.	श्री बी.टी. नायक इनकरवाद डिवीजन के पक्ष में गंगावाटी नदी तल में बालू निकालने के लिए खनन पट्टे के संबंध में एफएसवाई सं. 81 के डोंगरी (सी) में 0.49 वनभूमि का वनेतर उपयोग	कर्नाटक	उत्तरी कन्नड़	0.49	21.01.08	0.49
342.	मै. अम्मा लाइन्स लि., कारवाड़ के पक्ष में लेटराइट पत्थर निकालने के लिए आर/ओ खनन लीज में अम्डाली (वी), कारवाड़ (टी), ए 1 ए की एफएसवाई सं. 375 में 0.5 है. वन भूमि की रिलीज	कर्नाटक	नार्थ कन्नड़	0.5	03.01.07	0.5
343.	हसदेव क्षेत्र में साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल) द्वारा हलदीबाड़ी भूमिगत खनन परियोजना	मध्य प्रदेश	अनूपपुर	120	17.10.06	120
344.	मै. पेसेफिक मिनरल्स द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	बालाघाट	20	11.03.08	20
345.	मैंगनीज ओर इंडिया लि., भारवेली माइंस के पक्ष में खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	-वही-	29	12.06.07	29
346.	मै. एपी त्रिवेदी के पक्ष में मैंगनीज खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	-वही-	2.452	10.04.06	2.452
347.	मैंगनीज ओर इंडिया लि. के पक्ष में मैंगनीज खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	-वही-	4.734	22.03.06	4.374
348.	मै. मैंगनीज ओर इंडिया लि. (सेतापाथोर माइंस) द्वारा मैंगनीज आयस्क खनन	मध्य प्रदेश	-वही-	4.734	22.03.06	4.734
349.	मैंगनीज ओर इंडिया लि. की तिरोदी खान का नवीकरण	मध्य प्रदेश	-वही-	115.473	26.12.07	51.1714
350.	सीजीएम हसदेव क्षेत्र की साउथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लि. (एसईसीएल) के पक्ष में अनुपनगर में ग्राउंड कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत राजनगर आरओ में खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	-वही-	502	10.01.08	502
351.	मैंगनीज ओर इंडिया लि. के पक्ष में फारेस्ट कम्पार्टमेंट सं. 786 में सीतापाटोर खानों में मैंगनीज अयस्क के लिए खनन पट्टे के नवीकरण हेतु वन भूमि का वनेतर प्रयोग	मध्य प्रदेश	-वही-	48.087	18.05.05	48.087
352.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल) की उरधान ओपन कास्ट माइन	मध्य प्रदेश	-वही-	78.069	12.07.06	78.069
353.	डब्ल्यूसीएल, पाथा खेड़ा (तवामाइंस) के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	बैतूल	2.275	21.02.07	2.275
354.	पीके-2 माइंस के पाथाखेड़ा क्षेत्र में डब्ल्यूसीएल के पक्ष में सरफेस राइट का नवीकरण	मध्य प्रदेश	बैतूल	4.943	30.11.06	4.943
355.	मै. फ्रंटलाइन मिनरल्स रिसोर्सिज, भोपाल के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	छतरपुर	14.974	26.10.05	3.75

1	2	3	4	5	6	7
356.	मै. खजुराहो मिनरल्स के पक्ष में पायरोफ्लाइट माइनिंग का नवीकरण	मध्य प्रदेश	छतरपुर	4.65	11.03.08	4.65
357.	एमपी स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि. (फारचून स्टोन लि.) के पक्ष में ग्रेनाइट खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	-वही-	29.036	04.07.08	29.036
358.	एससी रिओ टिन्टो एक्सप्लोरेशन लि. के पक्ष में बोक्सवाहो रेंज में बुंदेर खनन पट्टे की प्रोस्पेक्टिंग	मध्य प्रदेश	-वही-	2329.75	05.07.06	0
359.	खजुराहो मिनरल, छतरपुर के पक्ष में डायसपोरा/पायरोफ्लाइट का नवीकरण	मध्य प्रदेश	-वही-	0	06.02.07	5
360.	वेस्टर्न कोलफील्ड लि. के खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	68.704	17.07.08	68.704
361.	नावे गांव क्षेत्र में वेस्टर्न कोलफील्ड लि. की भूमिगत कोल माइनिंग लीज का नवीकरण	मध्य प्रदेश	-वही-	63.282	17.07.08	63.282
362.	बारखुई ब्लाक में वेस्टर्न कोलफील्ड लि. की भूमिगत कोल माइनिंग लीज का नवीकरण	मध्य प्रदेश	-वही-	63.606	17.07.08	63.606
363.	डब्ल्यूसीएल के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	-वही-	10.772	18.07.08	10.772
364.	गांव जमुनिया में श्री राजेन्द्र कुमार तामराकर, दमोह द्वारा पत्थर खनन	मध्य प्रदेश	दमोह	2	04.03.08	2
365.	गांव सेवधा में श्री रविन्द्र कुमार दूबे द्वारा बालू खनन	मध्य प्रदेश	दतिया	0.975	23.08.05	0.975
366.	एमपी स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के पक्ष कछलाहरा गांव खनन	मध्य प्रदेश	झाबुआ	37.7	09.02.07	37.7
367.	बालाजी मार्बल्स एंड टाइल्स के पक्ष में माइनर मिनरल का खनन	मध्य प्रदेश	कटनी	4	22.05.07	4
368.	धर्मस्थल कोल प्रोजेक्ट के अंतर्गत मै. बीएलए इंडस्ट्रीज को खनन पट्टे	मध्य प्रदेश	नरसिंगपुर	193.999	06.12.06	193.999
369.	श्री संजय शुक्ला के पक्ष में फारसी पत्थर माइनिंग का नवीकरण	मध्य प्रदेश	सागर	1	26.11.07	1
370.	श्री दिनेश कटारे के पक्ष में फारसी पत्थर माइनिंग का नवीकरण	मध्य प्रदेश	-वही-	1	26.11.07	1
371.	श्री संजय कटारे के पक्ष में फारसी पत्थर माइनिंग का नवीकरण	मध्य प्रदेश	-वही-	1	26.11.07	1
372.	श्री केबीएस गोपाल द्वारा फारसी पत्थर खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	-वही-	2	27.02.07	2
373.	श्री रमेश अजमानी द्वारा फारसी पत्थर खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	-वही-	2	18.07.07	2
374.	एसईसीएल, हसदेव क्षेत्र के पक्ष में कपिलधारा अंडर ग्राउंड कोल माइंस का नवीकरण	मध्य प्रदेश	सहदोल	4.96	27.11.06	4.96
375.	फारसी स्टोन के लिए खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	शिवपुरी	930.73	19.07.05	217.063
376.	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि. के पक्ष में महान कोल ब्लाक की खनन योजना तैयार करने के लिए टोपोग्राफिक सर्वे और कोक ब्लाक की सीमा का चिन्हांकन करना	मध्य प्रदेश	सिद्धी	4462	20.09.06	0
377.	मै. नार्दन कोल फील्डस लि. के पक्ष में बीना परियोजना	मध्य प्रदेश	-वही-	378.935	13.08.07	378.935

1	2	3	4	5	6	7
378.	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा टोपोग्राफिक सर्वे की प्रोस्पेक्टिंग	मध्य प्रदेश	सिंद्री	2786.68	12.06.06	0
379.	मै. एनसीएल (दूधीछुआ प्रयोजना) को खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	-वही-	224	17.11.05	194.78
380.	मै. नार्दन कोल फील्डस लि. के पक्ष में ब्लाक बी, गोरबी परियोजना	मध्य प्रदेश	-वही-	447	14.09.06	447
381.	सीएमपीडीआई सिंहरोली के पक्ष में छत्तरसाल ब्लाक में कम्पार्टमेंट सं. 385-390 में कोल माइनिंग की प्रोस्पेटिंग	मध्य प्रदेश	-वही-	1223.75	12.07.06	0
382.	मै. शासन पावर लि. द्वारा जीओलोजिकल और हाइड्रोलोजिकल सर्वे के लिए अनुमति	मध्य प्रदेश	-वही-	249.07	18.07.06	0
383.	मै. धारा मिनरल्स को खनन पट्टा	महाराष्ट्र	चन्द्रापुर	4.63	09.11.05	4.63
384.	बल्लारपुर कोलरी के लिए खनन पट्टे के नवीकरण का प्रस्ताव-2 टीडब्ल्यूपी के लिए आवेदन	महाराष्ट्र	-वही-	138.03	29.12.05	0
385.	दुर्गापुर रायवाड़ी कोलरी (भूमिगत) कोल माइंस, डब्ल्यूसी लि. का खनन	महाराष्ट्र	-वही-	1172.74	11.08.06	462.43
386.	मै. वेस्टर्न कोलफील्ड लि. के पक्ष में दुर्गापुर ओपन कास्ट खनन का नवीकरण	महाराष्ट्र	-वही-	136.54	19.09.06	136.54
387.	डब्ल्यूसीएल द्वारा दुर्गापुर ओपन कास्ट खनन	महाराष्ट्र	-वही-	80.77	08.11.05	80.77
388.	वेस्टर्न कोलफील्ड लि. के पक्ष में हिंदुस्तान लालपेठ कोलरी अंडर ग्राउंड के लिए एक वर्ष की अस्थाई कार्य अनुमति प्रदान करना	महाराष्ट्र	-वही-	334.25	23.11.05	44.3
389.	हिंदुस्तान लालपेठ कोलरी चन्द्रपुर क्षेत्र में वेस्टर्न कोलफील्ड लि. द्वारा कोल माइनिंग के लिए वन भूमि का वनेत्तर प्रयोग	महाराष्ट्र	-वही-	216.25	06.05.08	216.25
390.	डब्ल्यूसीएल के पक्ष में महाकाली कोलरी के लिए अस्थाई कार्य अनुमति	महाराष्ट्र	-वही-	193.19	23.11.05	47.07
391.	मै. गढ़चीरोली मेटल्स और मिनरल्स लि. (लोयड मेटल्स और इंजीनियर्स लि.) को माइनिंग आयरन ओर ट्रांसमिशन लाइन और अपरोच रोड के लिए जुडपी वन भूमि का वनेत्तर प्रयोग	महाराष्ट्र	गढ़चिरोली	374.9	23.03.07	374.9
392.	महाराष्ट्र माइनिंग कार्पो. के पक्ष में पोटगावरी डोलोमाइट माइनिंग लीज का एक्सट्रेक्शन	महाराष्ट्र	नागपुर	0.43	22.04.08	0.43
393.	मै. सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कं. लि. के पक्ष में बेलगांव अंडर ग्राउंड कोल माइंस प्रोजेक्ट	महाराष्ट्र	-वही-	55.91	23.10.08	55.91
394.	मै. एचआर जोनसन (इंडिया) लि. के पक्ष में पेल्डस्पार और क्वार्टर्ज मिनरल का खनन	महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	4.98	07.05.07	4.98
395.	मै. राम स्टोन कं. द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	थाने	1.08	13.04.06	1.08
396.	मै. बाम्बे क्वेरीज द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	-वही-	1.29	18.04.06	1.29

1	2	3	4	5	6	7
397.	मै. सिकन्दर इब्राहिम शेख द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	थाणे	1.03	12.05.05	1.03
398.	श्री रमा दाजे कस्बे द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	-वही-	1	23.03.07	1
399.	श्री एनजी अजवानी द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	-वही-	1.42	22.03.06	1.42
400.	मै. एमए पाटील द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	-वही-	1.26	12.05.05	1.26
401.	मै. एचएम साहा द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	-वही-	1.72	09.09.05	1.72
402.	मै. मंगल सिंह एंड कं. द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	-वही-	1.47	13.04.06	1.47
403.	श्री जीएच अजेवानी द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	-वही-	1.42	22.03.06	1.42
404.	मै. श्यामसुन्दर द्वारा माइनर मिनरल्स का एक्सट्रेक्शन	महाराष्ट्र	-वही-	1.005	29.08.06	1.005
405.	श्री एआरआर बालूची के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	-वही-	0.8	14.11.06	0.8
406.	मै. पटेल क्योरीज द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	-वही-	1.165	18.04.06	1.165
407.	मै. डीआर मोहतरे द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	-वही-	1.06	09.09.05	1.06
408.	सीआईडीसीओ के पक्ष में माइनर मिनरल्स (स्टोन) का एक्सट्रेक्शन	महाराष्ट्र	-वही-	138.07	04.10.06	138.07
409.	श्री सलीम गफ्फूर के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	-वही-	0.52	12.10.07	0.46
410.	महावीर कंसट्रेक्शन कं. के पक्ष में माइनिंग लीज का एक्सट्रेक्शन	महाराष्ट्र	-वही-	0.99	03.12.07	0.99
411.	मै. चेतक स्टोन क्योरी के पक्ष में माइनर मिनरल्स के लिए माइनिंग लीज का एक्सट्रेक्शन	महाराष्ट्र	-वही-	0.995	03.12.07	0.995
412.	श्री वीके सावला द्वारा माइनिंग लीज	महाराष्ट्र	-वही-	1.4	18.10.06	1.4
413.	एमसीएल के लींग राज क्षेत्र में कनैया ओसीपी	उड़ीसा	अंगुल	2.307	13.09.05	2.307
414.	जगन्नाथ एक्सटेंशन ओसीपी को माइनिंग लीज	उड़ीसा	-वही-	58.096	09.11.05	58.096
415.	महानदी कोल फील्ड्स लि. का जगनाथ एक्सटेंशन ओपन कास्ट प्रोजेक्ट	उड़ीसा	-वही-	58.096	09.11.05	58.096
416.	मै. उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि. द्वारा छेन्दीपाड़ा तहसील में रखसारा, नंदीचोर और सिमलीशाही गांव में कोल माइनिंग	उड़ीसा	-वही-	137.02	20.10.06	137.02
417.	टाटा रिफ्रेक्टरीज को माइनिंग लीज	उड़ीसा	कटक	99.5	27.05.05	58.5
418.	मै. जेएस कंस्ट्रक्शन लि. द्वारा ब्लैकस्टोन क्वोरी	उड़ीसा	-वही-	13.86	13.09.06	4.9
419.	पास्को इंडिया प्रा.लि. (स्टील माइनिंग) द्वारा इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट और कैप्टिव पोर्ट की स्थापना के लिए वन भूमि का वनेतर उपयोग	उड़ीसा	जगतसिंहपुर	1235.225	19.09.08	1253.225
420.	रिन्यूअल आफ माइनिंग लीज टू ओस्टापाल क्रोमाइट माइन्स आफ मैसर्स फेरो एलायज कार्पोरेशन लि. (फेकोर)	उड़ीसा	जैपोर	68.424	07.02.06	64.354

1	2	3	4	5	6	7
421.	माइनिंग लीज टू मै. ओइकाथ फार कोमीट माइनिंग	उड़ीसा	जैपौर	30.259	16.05.06	14.836
422.	कामाडो क्रोमाइट माइनिंग लीज टू मै. बीसी मोहन्ती एंड संस प्रा.लि.	उड़ीसा	-वही-	101.85	28.03.08	87.44
423.	माइनिंग लीज फार महागिरि क्रोमाइट माइन्स आफ मै. इंडियन चार्ज क्रोम लि. (आईसीसीएल) इन विल्लेज कालीपानी अंडर सुकिंडा तहसील	उड़ीसा	-वही-	63.91	18.05.05	63.91
424.	डायवर्शन आफ 35.285 हे. आफ फारेस्ट बैंड फार क्रोमाइट माइनिंग इन महागिरि डीपीएफ इन सुकिंडा तहसील आफ कटक फारेस्ट डिवीजन	उड़ीसा	-वही-	35.285	10.10.06	35.285
425.	क्वार्टज एंड क्वार्टजाइर माइनिंग वाईबीएन साहू	उड़ीसा	-वही-	3.192	05.04.05	3.087
426.	माइनिंग लीज फार क्रोमाइट माइनिंग इन सुकंडी क्रोमाइट माइन्स आफ उड़ीसा माइनिंग कार्पोरेशन (ओएमसी)	उड़ीसा	-वही-	132.94	29.03.06	104.79
427.	माइनिंद लीज फार सामलेश्वरी ओसीपीवाई मै. महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल)	उड़ीसा	झारसुगुडा	145.82	24.05.06	145.82
428.	आयरन ओर माइनिंग बाई श्रीमती इन्द्राणी पटनायक इन विल्लेज ऊंचावली	उड़ीसा	क्योंझर	35.275	03.05.07	35.275
429	बालिटा आयरन माइन्स आफ एस. प्रधान	उड़ीसा	-वही-	18.347	03.01.06	18.347
430.	जोरूरी आयरन एंड माइन्स, माइन्स आफ कलिंगा माइनिंग कार्पोरेशन	उड़ीसा	-वही-	6.008	02.05.05	6.008
431.	डलपाहार आयरन एंड माइंस, माइंस आफ राइज बिहार दास	उड़ीसा	-वही-	5.7	15.10.07	5.7
432.	डायवरशन आफ 26.89 एचए फारेस्ट लैंड फोर माइनिंग आफ आयरन एंड मैंगनीज और इन नईबाग एंड कटुपल्ली विलेज आप क्योंझर डिस्ट्रिक बाय श्री तरीनी प्रसाद मोहनटी मोहनती	उड़ीसा	-वही-	26.89	19.09.08	26.89
433.	इनगंझारन आयरन एंड माइंस माइंस आफ एस. प्रधान	उड़ीसा	-वही-	15.316	20.06.06	15.316
434.	परपोजल फार टेम्पेरेरी वर्किंग परमिशन पद फेवर आफ मि. केएन राम एंड कं. ओवर आलरेडी बरोकेन यूपी एरिया	उड़ीसा	-वही-	67.098	27.10.08	27.1
435.	माइनिंग आफ और विलेज जोरुरी, जलाहुरी एंड खानदाबाहा इन फेवर आफ मि. कलिंगा माइनिंग आफ आयरन और इन विलेज जोरुरी जलाहूरी एंड खंडबंधा इन फेवर आफ मै. कलिंगा माइनंग कार्पो. विदिन द माइनिंग लीज एरिया आफ 73.228 हैक्टेयर फार सैकिंड रिन्यूवल आफ माइनिंग लीज	उड़ीसा	-वही-	120.442	19.03.08	47.214
436.	डायवरशन आफ फारेस्ट लैंड इन सिद्धमठ रिजर्व फारेस्ट इन फेवर आफ डा. सरोजनी प्रधान फार आयरन मैंगनीज और माइनिंग	उड़ीसा	-वही-	85.55	26.09.07	85.55
437.	डायवरशन आफ फारेस्ट लैंड फार माइनिंग लीज इन फेवर आफ मैसर्स उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि. इन रिसपेक्ट आफ रोइडा सी आयरन एंड मैंगनीज माइंस	उड़ीसा	-वही-	182.709	14.01.08	96.783

1	2	3	4	5	6	7
438.	माइनिंग लीज टू एस प्रधाजी फार काला पर्वत आयरन और माइंस	उड़ीसा	क्योंझर	52.002	15.01.07	52.002
439.	आयरन एंड मैंगनीज और माइनिंग इन जोडा ईस्ट आयरन माइन एंड मनोरा मैंगनीज माइन आफ मै. टिस्को लि. इन क्योंझर फारेस्ट डिविजन फार सैकेण्ड रिन्यूवल	उड़ीसा	-वही-	567.087	21.09.07	45.465
440.	ग्रांट आफ टेम्पोरेरी वर्किंग परमिशन बाय मै. उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि. ओवर आलरेडी बरोकन अप एरिया इन दुवना सकरादिही माइंस	उड़ीसा	-वही-	253.229	16.07.08	253.229
441.	रिन्यूवल आफ माइनिंग लीज फार खंड बांध आयरन एंड मैंगनीज माइंस आफ टिस्को लि.	उड़ीसा	-वही-	653.15	09.08.06	453.15
442.	माइनिंग लीज इन फेवर आफ मै. केयेपी इंटरप्राजिज फार ठाकुरानी आयरन और माइंस	उड़ीसा	-वही-	146.726	21.07.05	146.726
443.	बामबरी आयरन एंड मैंगनीज और माइनिंग बाय मै. टिस्को लि.	उड़ीसा	-वही-	145.329	25.01.07	145.326
444.	रिन्यूवल आफ माइनिंग लीज विलेज कामरबोडा, जोडा, वानसपनी, विछाकुण्डी एवं बेतरनी आर एफ इन फेवर आफ मै. टिस्को लि.	उड़ीसा	-वही-	503.678	10.08.07	436.678
445.	डायवरशन आफ फारेस्ट लैंड इन गंधामारदन ब्लाक बी बाई उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि.	उड़ीसा	-वही-	539.4047	17.08.07	232.438
446.	रिन्यूवल आफ माइनिंग लीज इन तीरिंग पहाड़ मैंगनीज माइंस आफ मै. टिस्को लि.	उड़ीसा	-वही-	52.348	28.03.07	52.348
447.	एपलीकेशन फार टेम्पोरेरी वर्किंग परमिशन बाई डा. सरोजनी प्रधान इन बरोकन अप फारेस्ट एरिया इन बेतरनी आरएफ इन देयर बेतरनी आयरन और माइनिंग लीज	उड़ीसा	-वही-	65.397	25.07.08	15.045
448.	टम्पोरेरी वर्किंग परमिशन बाई मै. डीआर पटनायक इन मुर्पावेडा माइनिंग लीज इन क्योंझर फारेस्ट डिविजन (आयरन और)	उड़ीसा	-वही-	25.859	23.09.08	25.859
449.	रोइडा आयरन और माइंस इन फेवर आफ मै. मिडईस्ट इंटीग्रेटिड स्टील्स लि. इनसिद्धमठ रिजर्व फारेस्ट नीयर विलेज टोन्टो	उड़ीसा	-वही-	96.099	19.02.08	51.99
450.	माइनिंग लीज टूडीसी जैन	उड़ीसा	-वही-	97.084	14.11.05	16.664
451.	डायवरशन आफ 9.51 हैक्टेर फारेस्ट लैंड फार माइनिंग आफ आयरन और इन खुन्टापनी आयरन और माइंस	उड़ीसा	-वही-	9.51	04.04.08	9.51
452.	आयरन और माइनिंग इन नयागढ़ आयरन और माइंस बाई के. श्री प्रधान	उड़ीसा	-वही-	20.31	08.02.08	20.31
453.	डायवरशन आफ 19.370 हैक्टेयर आफ फारेस्ट लैंड इन विलेज क्योंझर, कुलम एंड महा देवनाज आफ बारबलि तहसील इन क्योंझर डिस्ट्रिक फार आयरन और माइनिंग बाई मै. आधुनिक मैटेलिक्स लि.	उड़ीसा	-वही-	19.37	06.10.08	19.37
454.	रिन्यूवल आफ माइनिंग लीज कुतूलीपानी आयरन और माइंस इन फेवर आफ मै. गंधामरधन स्पोज इंडस्ट्रीज प्रा.लि.	उड़ीसा	-वही-	66.2661	03.10.08	46.7464

1	2	3	4	5	6	7
455.	माइनिंग लीज टू भाजा मिनरल्स लि.	उड़ीसा	क्योंझर	135.532	28.07.06	135.532
456.	माइनिंग लीज टू नालको	उड़ीसा	कोरपुट	300	14.2.2006	300
457.	जोरण्डी माइंस आफ के.एम.सी. (आयरन)	उड़ीसा	केनझर	6.008	02.05.05	6.008
458.	माइनिंग लीज टू मै. घनश्याम मिश्रा एंड संस लि. (आयरन)	उड़ीसा	मयूरभंज	518.77	13.09.06	81
459.	माइनिंग लीज टू मै. लालट्रेडर्स एंड एजेंसिज प्रा.लि. (आयरन)	उड़ीसा	-वही-	117.84	14.06.07	70.57
460.	टीडब्ल्यूपी इन फेवर आफ बुधराजा आयरन एंड मैंगनीज और माइन्स फार वन इयर ओवर 8.13 हैक्टेयर आलरेडी बरोकन एरिया	उड़ीसा	-वही-	8.13	05.11.08	8.13
461.	माइनिंग लीज फार लीलारी ओपन कास्ट माइनिंग प्रोजेक्ट इन फेवर आफ मै. महानंदी कोलफील्डस लि.	उड़ीसा	सम्बलपुर	174.9	01.06.06	174.9
462.	आयरन और माइनिंग इन विलेज काछवेडा आफ बोनाई सब डिविजन बाई मै. एमजी मोहंती	उड़ीसा	सुन्दरगढ़	12.058	29.12.05	12.058
463.	डायवरशन आफ 8.244 हैक्टेयर आफ डीएलसी फारेस्ट लैंड इन विलेज गोलुआ आफ बोआनी तहसील इन सुन्दरगढ़ डिस्ट्रिक फार आयरन एंड मैंगनीज और माइनिंग बाई श्री प्रबोध कुमार मोहंती	उड़ीसा	-वही-	8.244	03.09.07	8.244
464.	माइनिंग आफ आयरन और बाई मै. फिग्रेड एंड कं. इन बोनाई फारेस्ट डिविजन	उड़ीसा	-वही-	39.309	16.03.06	39.309
465.	प्रोस्पेक्टिंग फार यूरेनियम और इन टोढा आरएफ आफ बोनाई फारेस्ट डिविजन एटोमिक एनर्जी डिपार्टमेंट	उड़ीसा	-वही-	0.000023	28.02.06	0.000023
466.	आयरन और माइनिंग बाई श्री जे.एन. पटनायक इन विलेज भांझपल्ली एंड कोरिया	उड़ीसा	-वही-	3.921	05.06.08	3.921
467.	माइनिंग लीज टू. मै. एमजी मोहंती आफ भुवनेश्वर	उड़ीसा	-वही-	23.581	30.12.05	23.581
468.	आयरन और माइनिंग बाई मै. रुंगटा एंड संस, औरंगाट	उड़ीसा	-वही-	10.8	04.05.06	10.8
469.	माइनिंग लीज टू नेशनल इंटर प्राइजिज (आयरन)	उड़ीसा	-वही-	37.317	10.11.05	37.317
470.	टेम्पोरेरी परमिशन इन फेवर आफ मै. एमजी मोहंती और पाटावेडा आयरन एंड मैंगनीज माइंस इन बोरझन फारेस्ट डिविजन	उड़ीसा	-वही-	19.425	12.06.08	10.361
471.	माइनिंग लीज टू जिंदल स्ट्राइप्स लि. (आयरन)	उड़ीसा	-वही-	90.505	08.08.06	90.505
472.	माइनिंग लीज टू फेवर आफ मै. रुंगटा माइंस लि. (आयरन)	उड़ीसा	-वही-	53.55	16.03.06	53.55
473.	माइनिंग लीज टू आर्यन माइनिंग एंड ट्रेडिंग कं. प्रा.लि. (आयरन)	उड़ीसा	-वही-	244.327	15.11.07	244.327
474.	रिन्यूवल आफ लीज फार माहुल सुखा मैंगनीज और माइंस इन फेवर आफ एमएस एएमटीसी प्रा.लि.	उड़ीसा	-वही-	227	18.08.08	227

1	2	3	4	5	6	7
475.	एपलीकेशन आफ टेम्पोरेरी वर्किंग परमिशन समटेटिड बाई उड़ीसा मैंगनीज एंड मिनरल्स प्रा.लि. फार पतमुडा मैंगनीज और माइंस	उड़ीसा	सुन्दरगढ़	807.316	04.08.08	92.365
476.	माइनिंग लीज टू महानदी कोलफील्ड लि.	उड़ीसा	-वही-	280.86	08.08.07	227.89
477.	एपलीकेशन आफ टेम्पोरेरी वर्किंग परमिशन समटेटिड बाई उड़ीसा मैंगनीज एंड मिनरल्स प्रा.लि. ओराघूरी मैंगनीज और माइंस	उड़ीसा	-वही-	51.476	24.09.08	4.516
478.	सैंक्शन्ड रिन्यूवल माइनिंग लीज टू उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि. इन कुरमीतार आयरन और माइंस अंडर बोनई फारेस्ट डिविजन	उड़ीसा	-वही-	133.112	10.04.08	133.112
479.	माइनिंग लीज इन फेवर आफ मै. रंगटा संस प्रा.लि. (आयरन)	उड़ीसा	-वही-	61.596	19.06.06	52.742
480.	माइनिंग आफ आयरन और बाई मै. नेशनल इंटर प्राइजिज बोनाई डिविजन	उड़ीसा	-वही-	37.146	08.09.05	31.749
481.	डायवरशन आफ 15.622 हैक्टेयर आफ फारेस्ट लैंड फार फाटावेडा आयरन एंड मैंगनीज माइंस आफ मै. एमबी मोहंती	उड़ीसा	-वही-	15.622	04.04.08	15.622
482.	कुसुम दिही माइंस एंड क्वरसाइड माइनिंग आफ मै. बोनाई इंडस्ट्रीज लि. सुन्दरगढ़	उड़ीसा	-वही-	2.367	25.03.08	2.367
483.	आयरन और माइनिंग बाई पिंगुइन ट्रेडिंग एजेंसिस इन विलेजिस राइकेला इंड तंत्र इन बोनाई तहसील (आयरन और माइनिंग)	उड़ीसा	-वही-	45.585	22.05.08	45.585
484.	कोल माइनिंग इन विलेज ग्रीसुखा जमखानी मेनड्रा एंड झारपालम अंडर हेमगिरी तहसील इन फेवर और मै. भूषनपावर एंड स्टील लि.	उड़ीसा	-वही-	58.92	09.07.08	58.92
485.	डायवरशन आफ फारेस्ट लैंड फार केजेएसटी माइंस आफ लैट एसएम मोहंती बाई हिज लीगल हियर श्री प्रबोध मोहंती	उड़ीसा	-वही-	117.517	06.11.08	177.517
486.	डायवरशन आफ फारेस्ट लैंड फार आयरन एंड मैंगनीज और माइनिंग बाई मै. बोनाई इंडस्ट्रीयल कं. लि. इन विलेज नाडीकसीरा एंड रंगल वेडा आफ बोनाई तहसील (आयरन एंड मैंगनीज माइनिंग)	उड़ीसा	-वही-	63.237	24.11.08	65.237
487.	डायवरशन आफ फारेस्ट लैंड फार आयरन एंड माइनिंग इन फेवर आफ मै. गीतारानी मोहंती इन विलेज रायकेला और बोनाई तहसील	उड़ीसा	-वही-	64.148	26.08.08	64.148
488.	एपीपी. आरडी. रिटेल आउटलट आफ आईओसी लि.	पंजाब	मनसा	0.001657	31.10.05	0.001657
489.	एम/एल आफ मैसानारी स्टोन इन फेवर आफ देवानंद	राजस्थान	एलवर	1.656	12.02.07	1.656
490.	मै. मैटल माइनिंग इंडिया प्रा.लि. के पक्ष में एन/वी भाखरी, तह. घाटोल में स्वर्ण और संबंधित खनिजों की प्रोस्पेक्टिंग	राजस्थान	बांसवाड़ा	500	19.07.06	0
491.	4 एल/एच के पक्ष में ग्रेनाइट की माइनिंग लीज	राजस्थान	बाड़मेर	5.2353	19.04.06	5.2353
492.	एसीसी लि. को चम्बलेली में लाइम स्टोन के लिए माइनिंग लीज	राजस्थान	बूंदी	301.88	13.11.06	100
493.	5 एल/एच-बी के पक्ष में सैंडस्टोन की माइनिंग लीज	राजस्थान	-वही-	5.5288	07.06.06	5.5288

1	2	3	4	5	6	7
494.	16 एल एच के पक्ष में सैंडस्टोन की माइनिंग लीज	राजस्थान	बूंदी	18.2096	07.06.06	18.2096
495.	मै. नलवाया मिनरल्स इंडस्ट्रीज प्रा.लि. को शोप स्टोन एण्ड डोलोमाइट माइन्स की माइनिंग लीज	राजस्थान	डूंगरपुर	49.374	18.01.06	49.374
496.	आर एस एम डी सी के पक्ष में फ्लोरस्पार की माइनिंग लीज	राजस्थान	जालौर	10.54	12.02.07	10.54
497.	मंगलम सीमेंट लि. के पक्ष में माइनिंग लीज	राजस्थान	कोटा	139	09.08.07	139
498.	श्रीमती अमना बाई के पक्ष में सेंड स्टोन के लिए एम/एल	राजस्थान	-वही-	2.17	01.04.05	2.17
499.	मोदी मिनरल्स को माइनिंग लीज	राजस्थान	सीकर	32.5	07.10.08	12.375
500.	निवाई तहसील में मैसोनरी स्टोन का खनन	राजस्थान	टोंक	1.0142	13.11.06	1.0142
501.	श्रीमती धूपा देवी के पक्ष में मैशोनरी स्टोन का खनन	राजस्थान	-वही-	0.66	05.04.05	0.66
502.	गांव बंद के समीप शोप स्टोन खनन हेतु मै. महावीर ट्रेडिंग कंपनी के पक्ष में माइनिंग लीज सं. 6/84 का नवीकरण	राजस्थान	उदयपुर	30.24	29.06.05	30.24
503.	गांव खंडेल की पाल के समीप खनन के लिए महावीर ट्रेडिंग कंपनी के पक्ष में खनन लीज सं. 7/84 का नवीकरण	राजस्थान	-वही-	34.22	29.06.05	34.22
504.	कांतीलाल साहा के पक्ष में शोपस्टोन की माइनिंग लीज	राजस्थान	-वही-	6.6	12.02.07	6.6
505.	लाछुंग-काटोआ रोड पर सेड/स्टोन/बुलडर्स का स्थाई खनन	सिक्किम	सिक्किम (उत्तर)	0.0464	21.03.07	0.0464
506.	मै. एसोसिएटिड सीमेंट कं. लि. के पक्ष में माइनिंग लीज और अपरोच रोड का निर्माण	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	66.659	02.08.05	1.479
507.	तामीन द्वारा बेवानूर आरएफ में काठीरीअपानेकोलीमलाई में ब्लैक ग्रेनाइट के खनन के लिए 0.77 हैक्टेयर अतिरिक्त वन भूमि सहित 2.59 हैक्टेयर का वनेतर प्रयोग हेतु नवीकरण प्रस्ताव	तमिलनाडु	धर्मापुरी	3.36	06.10.06	3.36
508.	विलावन कोड तालुक मनकोड गांव में ग्रेनाइट डायमन्सनल स्टोन्स के खनन का प्रस्ताव	तमिलनाडु	कन्याकुमारी	3.6828	07.06.05	3.6828
509.	मालको द्वारा बाक्साइट खनन के लिए 1.026 है. (1.14 है. खनन प्रयोजन हेतु और 0.066 है. अप्रोचरोड हेतु) का वनेतर प्रयोग	तमिलनाडु	नमक्काल	1.206	16.09.08	1.206
510.	मालको द्वारा सेल्पुरनाडु, ब्लाक 2 आरएफ, कोली हिल्स, नमककाल डिविजन/जिले में एसएफ सं. 188 में 31.5 है. वन भूमि का वनेतर प्रयोग	तमिलनाडु	-वही-	3.15	19.09.08	3.15
511.	मै. तमिलनाडु मैग्नेसाइट लि. के पक्ष में मैग्नेसाइट और ड्यूनाइट के खनन के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	तमिलनाडु	सेलम	96.34	14.07.08	96.34
512.	तामिन द्वारा खनन कार्यों के लिए पालमलाई आरएफ, येलीकारायु बीआईटी 1 में वन भूमि के वनेत्तर प्रयोग हेतु नवीकरण प्रस्ताव	तमिलनाडु	-वही-	5.62	21.11.08	5.62

1	2	3	4	5	6	7
513.	ब्लैक ग्रेनाइट के खनन के लिए तामिन के पक्ष में पल्लामलाई आरएफ, इलीकासडु बीआईटी 2 में अतिरिक्त क्षेत्र हेतु वन भूमि के वनेत्तर प्रयोग के लिए घट्टे का नवीकरण	तमिलनाडु	सेलम	12.35	20.11.08	12.35
514.	दक्षिणी वन प्रभाग में आरजीओ #8 में अन्वेषणात्मक खुदाई के लिए वन भूमि का वनेत्तर प्रयोग	त्रिपुरा	त्रिपुरा (दक्षिण)	1.33	04.02.08	1.33
515.	तेलीयामुरा वन प्रभाग में बीआरएस-12 (बीएमएसएम) में प्राकृतिक गैस/हाइड्रोकार्बन के दोहन के लिए वन भूमि के वनेत्तर प्रयोग हेतु प्रस्ताव	त्रिपुरा	त्रिपुरा (पश्चिम)	0.809	28.02.08	0.809
516.	प्राकृतिक गैस हाइड्रोकार्बन एट बी आर एम #21 (बीएमएसएस) का वाणिज्यिक दोहन/निष्कर्षण वन भूमि का वनेत्तर इस्तेमाल और तेलियामुरा वन प्रभाग में पाइप लाइन के माध्यम से गैस का परिवहन	त्रिपुरा	-वही-	0.809	28.02.08	0.809
517.	तेलीयमुरा वन प्रभाग में प्राकृतिक गैस/हाइड्रोकार्बन का बीआरएम (बीआरएमए) में दोहन के लिए वन भूमि के व्ययवर्जन हेतु प्रस्ताव	त्रिपुरा	-वही-	0.809	28.02.08	0.809
518.	सदर वन प्रभाग में मोजा वेलूरचार में आरओएबी (एफआरओ##44) स्थान पर एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग, डीएसए एण्ड वेस्ट पिट	त्रिपुरा	-वही-	0.91	04.11.08	0.91
519.	सदर वन प्रभाग में मोजा धिलाटनी में आरओएयू (एफआरओ #41) स्थान पर एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग, डीएसए एण्ड वेस्ट पिट	त्रिपुरा	-वही-	1.38	03.11.08	1.38
520.	सदर वन प्रभाग में मोजा रंगपानीया में लोकेशन राउट पर एक्सप्लेरेटरी ड्रिलिंग, डी एस ए एण्ड वेस्ट पिट	त्रिपुरा	-वही-	4.43	03.11.08	4.43
521.	नार्दन कोलफील्ड्स लि. के पक्ष में कृष्णशीला ओपनकास्ट परियोजना	उत्तर प्रदेश	आगरा	235.99	06.07.06	235.09
522.	बीना ओपनकास्ट कोलफील्ड एक्सटेंशन	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	21.61	30.05.06	21.61
523.	मै. हल्दवानी स्टोन कं. लालकुआं के पक्ष में माइनिंग लीज का नवीकरण	उत्तरांचल	नैनीताल	8.9	26.09.07	8.9

किफायती दरों पर दवाओं की उपलब्धता

1593. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में आम आदमी को किफायती दरों पर दवाएं उपलब्ध कराने तथा स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सस्ता बनाने हेतु दवा की दुकानें खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पासपोर्ट को जारी करना/नवीकरण

1594. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पासपोर्ट जारी करने/नवीकरण के बारे में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार पासपोर्ट जारी करने/नवीकरण की निर्धारित अवधि क्या है;

(ख) क्या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा आवेदकों का पासपोर्ट निर्धारित अवधि के बाद जारी/नवीकरण किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आर.पी.ओ. वार और वर्षवार पासपोर्ट जारी और उसके नवीकरण हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा आवेदकों के पासपोर्ट को जल्द जारी करने/नवीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) सामान्य श्रेणी के अंतर्गत नए पासपोर्ट जारी करने की समय-सीमा 30 दिनों की है बशर्ते कि स्पष्ट पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो गई हो और सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हों। पासपोर्ट पुन: जारी होने वाले मामलों में पासपोर्ट जारी करने की समय-सीमा आवेदन करने की तिथि से 15 दिनों की है बशर्ते कि सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हों। ''तत्काल स्कीम'' के अंतर्गत निर्धारित शुल्कों का भुगतान करने और तत्काल स्कीम के अंतर्गत अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर पासपोर्ट 7 दिनों अथवा 14 दिनों के अंदर जारी किए जाते हैं। तत्काल स्कीम के अंतर्गत पासपोर्टों को निर्धारित शुल्क के भुगतान और निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर 3 कार्यदिवसों के अंदर पुन: जारी किया जाता है।

(ख) और (ग) जी हां। कारणों में पुलिस सत्यापन रिपोर्ट देर से प्राप्त होने और पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रतिकूल अथवा अधूरा प्राप्त होने, आवेदकों द्वारा अधूरी सूचना और/अथवा अधूरे दस्तावेज प्रस्तुत करना शामिल है।

(घ) अपेक्षित सूचना पासपोर्ट कार्यालयों से एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ङ) सरकार द्वारा समय-समय पर कई कदम उठाए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) लंबित आवेदनों को समाप्त करने के लिए विशेष अभियान,

(2) पुलिस प्राधिकारियों के साथ समन्वयन कर पुलिस सत्यापन रिपोर्ट की प्रक्रिया तीव्र करना,

(3) पश्च पुलिस-सत्यापन के आधार पर पासपोर्ट पाने वाले आवेदकों की संख्या का विस्तार करना,

(4) उन आवेदकों के पासपोर्ट बिना पुलिस सत्यापन के नवीकृत करना जिनके मौजूदा पासपोर्ट के संबंध में स्पष्ट पुलिस रिपोर्ट प्राप्त हुई है और पासपोर्ट अभिलेखों में उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं हो,

(5) कतिपय औपचारिकताओं को पूर्ण करने के अध्यधीन बिना पुलिस सत्यापन के वरिष्ठ नागरिकों, सरकारी सेवकों और अवयस्कों को पासपोर्ट जारी करना, और

(6) पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा पासपोर्ट जारी करने के पुराने मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए नियमित अन्तरालों पर पासपोर्ट अदालतें/शिविर आयोजित करना।

इसके अलावा सरकार ने नागरिकों को पासपोर्ट से संबंधित सेवाएं समय से, पारदर्शी और अधिक सुविधाजनक एवं विश्वसनीय ढंग से प्रदान करने के उद्देश्य से पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली, जिसमें इसका सूचना प्रौद्योगिकी पहलू शामिल है, पर एक समयबद्ध अध्ययन करने का कार्य नेशनल इंस्टीच्यूट आफ स्मार्ट गवर्नमेंट (एनआईएसजी) हैदराबाद को सौंपा था। सरकार ने एनआईएसजी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है जिसके परिणामस्वरूप ''पासपोर्ट सेवा परियोजना'' शुरू की गई है।

पूरे देश में 77 पासपोर्ट सेवा केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जहां पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया से जुड़े गैर-शासकीय कार्य जैसी आवेदन पत्रों की शुरूआती जांच, शुल्क प्राप्त करना, दस्तावेजों की स्कैनिंग, फोटो लेना आदि चयनित सेवा प्रदाता द्वारा किए जाएंगे। संवेदनशील कार्यकलापों जैसे पुलिस सत्यापन, पासपोर्टों का मुद्रण और प्रेषण सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जाएंगे। आशा की जाती है कि इस परियोजना के अंतर्गत तीन दिनों के भीतर पासपोर्ट जारी कर दिए जाएंगे और जहां पुलिस सत्यापन वांछित है वहां सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त तीन दिनों के भीतर पासपोर्ट जारी कर दिए जाएंगे। आशा की जाती है कि परियोजना को 2010 के शुरू में पूरे देश में पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा।

मधुमेह रोगियों के लिए अत्याधुनिक अस्पताल

1595. श्री एम. अप्पादुराई: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीजीएचएस के औषधालयों में मधुमेह रोगियों को अपनी दवाएं इन्डेंट के माध्यम से मिलती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली से शर्करा से संबंधित बीमारियों के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर दिल्ली और देश के अन्य बड़े शहरों में पूर्ण रूप से मधुमेह रोगियों के लिए अत्याधुनिक/माडल अस्पतालों की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के मधुमेह रोगियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में उपलब्ध दवाइयां प्रदान की जाती हैं। जिन औषधालयों के भंडारों में दवाइयां उपलब्ध नहीं होती हैं, तो उन्हें खरीद कर रोगियों को प्रदान किया जाता है। चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, माडल अस्पतालों से संबद्ध सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

सूचना, संचार एवं मनोरंजन संबंधी समिति

1596. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूचना, संचार एवं मनोरंजन संबंधी किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके सदस्य कौन-कौन हैं एवं इसके अधिदेश/विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) जी, हां।

(ख) समिति ने निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:-

- प्रधान मंत्री के प्रमुख सचिव, अध्यक्ष।
- सदस्य-सचिव, योजना आयोग।
- सचिव, सूचना एवं प्रसारण।
- सचिव, दूरसंचार विभाग।
- सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।
- सचिव, आर्थिक कार्य विभाग।
- सचिव, वाणिज्य विभाग।
- प्रधान मंत्री के मीडिया सलाहकार।

समिति में निम्नलिखित विशेषज्ञ भी शामिल हैं:-

- श्री शेखर कपूर
- श्री किरण कार्णिक
- श्री शशि कुमार
- श्री रवि वासुदेवन
- श्री अमित खन्ना

समिति का गठन निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए किया गया है:

- प्रधान मंत्री को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन निर्माता गिल्ड लिमिटेड द्वारा दिए गए विशिष्ट अभ्यावेदन का उत्तर देने के लिए।
- सूचना, संचार एवं मनोरंजन के क्षेत्रों में नए अवसर अभिज्ञात करना, जिनमें राज्य को काफी सक्रिय भूमिका अदा करने की जरूरत है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) समिति ने छः उप-समूहों का गठन किया था। इन उप-समूहों की रिपोर्टों को समिति की मसौदा-रिपोर्ट के रूप में समामेलित किया गया। कार्य-रणनीतिक प्रयोजनों के लिए वैश्विक उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी मुख्य सिफारिशों के बारे में यह महसूस किया गया कि निजी क्षेत्र के विकास के दृष्टिगत इस समय किसी प्रकार के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एनिमेशन एवं गेमिंग क्षेत्र के संवर्द्धन हेतु राष्ट्रीय ऐनिमेशन, गेमिंग एवं विशेष प्रभाव उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना को शामिल किया गया है।

इस प्रकार, सूचना, संचार एवं मनोरंजन समिति और उसकी मसौदा रिपोर्ट के संबंध में कार्रवाई को पूरा मान लिया जाए।

सड़क परिवहन द्वारा माल ढुलाई

1597. श्री श्रीपाद येसो नाईक: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में रेल मार्ग की तुलना में सड़क द्वारा माल ढुलाई में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सड़क द्वारा माल ढुलाई के क्या अनुमान हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सड़क से माल ढुलाई में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सड़क परिवहन द्वारा माल/भाड़ा यातायात के आवागमन में वृद्धि हुई है और यह 1950-51 के दौरान 6.0 अरब (बिलियन) टन कि.मी. से बढ़कर 2004-05 के दौरान 646 अरब टन हो गया है। जहां तक रेलवे का संबंध है, माल का यातायात 1950-51 में 37.6 अरब टन कि.मी. से बढ़कर 2004-05 में 407.4 अरब टन किमी. हो गया है।

(ग) 9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए, 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनुमान इस प्रकार है:-

11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष	सड़क द्वारा भाड़ा यातायात अरब टन किलोमीटर में
2007-08	844
2008-09	927
2009-10	1019
2010-11	1120
2011-12	1231

(घ) सड़क द्वारा माल के परिवहन में वृद्धि, मांग, परिवहन के अन्य साधनों के मुकाबले इसकी प्रतिस्पर्द्धा, बेहतर सड़क अवसंरचना आदि पर निर्भर करती है। सरकार ने देश में मोटर वाहनों के निर्बाध और शीघ्र आवागमन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की है। सरकार ने सड़क द्वारा परिवहन की आधुनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिनांक 1.10.2007 को सड़क द्वारा वहन अधिनियम, 2007 भी अधिसूचित कर दिया गया है।

वन उत्पादों की तस्करी

1598. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री नन्द कुमार साय:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वन उत्पादों की तस्करी में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इन गतिविधियों के लिए कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) देश में इन गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तिपाई मुख बांध को पर्यावरणीय मंजूरी

1599. डा. टोकचोम मैन्या: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मणिपुर में प्रस्तावित तिपाई मुख बांध को पर्यावरणीय मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह मंजूरी कब तक दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) जी, हां।

(ख) 1500 मेगावाट हाइड्रोपावर पैदा करने तथा 40,500 हैक्टेयर मीटर बाढ़ जल को नियंत्रित करने के लिए तिम्पाइमुख बहुप्रयोज्य परियोजना के लिए 24 अक्तूबर, 2008 को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गंगा को प्रदूषण-मुक्त करने के लिए सहायता

1600. श्री संतोष गंगवार: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने गंगा को प्रदूषण-मुक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों को निर्देश देने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इन राज्यों को वित्तीय सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने एमिकस क्यूरी द्वारा दायर इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन्स नं. 380-381 के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अन्य प्रतिवादियों को 1985 की रिट याचिका (सी) 3727 में 7 अगस्त, 2008 को नोटिस जारी किए हैं जिसमें उसने कहा है कि सीपीसीबी गंगा में प्रदूषण नियंत्रण करने हेतु उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निदेश देने के लिए जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ अपने अनिवार्य कार्यकलापों को निष्पादित करे।

(ग) और (घ) गंगा के प्रदूषण उपशमन हेतु वर्ष 1985 में गंगा कार्य योजना (जीएपी) चरण-I को केन्द्रीय वित्तपोषित स्कीम के रूप में शुरू किया गया था। जीएपी चरण-I को जीएपी चरण-II तक बढ़ा दिया गया जिसमें गंगा के अतिरिक्त इसकी प्रमुख सहायक नदियों नामत: यमुना, गोमती, दामोदर और महानन्दा के लिए योजनाएं शामिल हैं। इस समय जीएपी के अंतर्गत किए जा रहे प्रदूषण उपशमन कार्य राज्यों द्वारा नामित क्रियान्वयन अभिकरणों के माध्यम से केन्द्र और राज्यों के बीच लागत बंटवारा आधार पर किए जा रहे हैं।

260 प्रदूषण उपशमन स्कीमों के पूरा होने पर जीएपी चरण-I को 452 करोड़ रु. के व्यय के साथ मार्च, 2000 में पूरा हुआ घोषित किया गया। जीएपी चरण-II के अंतर्गत, गंगा (मुख्य धारा) की 185 प्रदूषण उपशमन स्कीमों के पूरा होने के साथ अब तक 373.58 करोड़ रु. के व्यय का वहन किया गया है।

गंगा नदी के किनारों पर बसे शहरों सहित पहचाने गए शहरों में लागत बटवारा आधार पर सीवरेज और सीवेज के शोधन, सहित शहरी अवसंरचना सृजित करने के लिए राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों में सहायता देने के लिए केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्रचालित जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) एक और केन्द्रीय कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

पत्तन क्षेत्र में निवेश

1601. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पोत परिवहन तथा पत्तन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए नई एवं आकर्षक योजनाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इन क्षेत्रों में किए गए निवेशों का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) गैर-सरकारी निवेश को सुकर बनाने, सेवा की गुणवत्ता को बेहतर करने तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पोत परिवहन विभाग द्वारा एक राष्ट्रीय समुद्र विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 100339 करोड़ रु. के कुल निवेश से विशिष्ट योजनाएं/परियोजनाएं चुनी गई हैं। कुल निवेश में से 55804 करोड़ रु. की धनराशि पत्तन क्षेत्र के लिए है और शेष धनराशि पोत परिवहन तथा अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्रों के लिए है। महापत्तनों में समग्र गतिविधियों अर्थात् घाटों का निर्माण/उन्नयन, जलमार्गों को गहरा किए जाने, रेल/सड़क संपर्क परियोजनाओं, उपस्करों का उन्नयन/आधुनिकीकरण किए जाने की योजनाओं तथा बैकअप सुविधाओं के निर्माण के लिए अन्य संबद्ध योजनाओं से युक्त 276 परियोजनाएं 2004-05 से 2011-12 तक की अवधि में कार्यान्वित किए जाने के लिए चुन ली गई हैं।

पोत परिवहन क्षेत्र में, इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए 44,535 करोड़ रु. के कुल निवेश से युक्त 111 परियोजनाएं 20 वर्ष की अवधि में कार्यान्वित करने के लिए चुन ली गई हैं। पोत परिवहन क्षेत्र में कार्य-कलापों में, टन भार अधिग्रहण, समुद्रीय प्रशिक्षण, तटीय पोत परिवहन, नौचालन संबंधी साधन-सुविधाएं, पोत निर्माण और अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना तैयार किया जाना शामिल हैं। राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से पत्तन क्षेत्र और पोत परिवहन क्षेत्र के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप वे वैश्विक मानदंडों की तुलना में सर्वोत्तम निष्पादन करने में सक्षम होंगे और पोत परिवहन तथा पत्तन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी।

(ग) पत्तन क्षेत्र में, 276 परियोजनाओं में से 3930.45 करोड़ रु. की कुल लागत सहित 36 परियोजनाएं पहले ही पूरी कर ली गई हैं। इसके अतिरिक्त पोत परिवहन क्षेत्र में 632.00 करोड़ रु. की लागत से युक्त दो परियोजनाएं पहले ही पूरी कर ली गई हैं।

[हिन्दी]

पावर ट्रांसमीटर्स

1602. श्री रामदास आठवले: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में टी.वी. ट्रांसमीटर्स सहित उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर्स (एच.पी.टी.)/ निम्न शक्ति वाले ट्रांसमीटर्स (एल.पी.टी.)/काफी निम्न शक्ति वाले ट्रांसमीटर्स (वी.एल.पी.टी.) की स्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो चालू सहित उक्त योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्धारित एवं प्राप्त किए गए राज्य-वार, स्थान-वार लक्ष्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त नए ट्रांसमीटर्स की स्थापना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ/आबंटित परिव्यय क्या हैं और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं तथा इन ट्रांसमीटर्स को कब तक संस्थापित किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 160 दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें से, 131 ट्रांसमीटर दसवीं योजना के दौरान और 22 ट्रांसमीटर वर्ष 2007-08 और 2008-09 (नवम्बर, 2008) के दौरान स्थापित किए गए हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया है।

विवरण

10वीं योजना के भाग के रूप में स्थापित किए गए दूरदर्शन ट्रांसमीटर

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नए ट्रांसमीटरों का लक्ष्य का लक्ष्य	10वीं योजना के दौरान नए ट्रांसमीटर स्थापित करने	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (नवंबर 2008 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19	अ.अ.ज्ञ.ट्रां., कालीघाट अ.अ.ज्ञ.ट्रां., स्वराज ग्राम				अ.ज्ञ.ट्रां., कार निकोबार (डीडी न्यूज)	उ.ज्ञ.ट्रां., पोर्टब्लेयर उ.ज्ञ.ट्रां., पोर्टब्लेयर (डीडी न्यूज) अ.अ.ज्ञ.ट्रां., कदमतला अ.अ.ज्ञ.ट्रां., हरिनगर अ.अ.ज्ञ.ट्रां., आर.के. पुरम अ.अ.ज्ञ.ट्रां., लांगआइलैंड	अ.अ.ज्ञ.ट्रां., दिगलीपुर (डीडी न्यूज) अ.अ.ज्ञ.ट्रां., मायाबंदर (डीडी न्यूज) अ.अ.ज्ञ.ट्रां., रंगत (डीडी न्यूज) अ.अ.ज्ञ.ट्रां., कैम्बल बे (डीडी न्यूज) अ.अ.ज्ञ.ट्रां., नानकावारी (डीडी न्यूज)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	10	अ.ज.टूं., काकिनाडा (डीडी न्यूज) अ.ज.टूं., नेल्लोर (डीडी न्यूज) अ.अ.ज.टूं., मदीपाडु	उ.ज.टूं., राजमुंद्री (डीडी न्यूज)	अ.ज.टूं., मिरयालगुडा अ.ज.टूं., मडगुला अ.ज.टूं., तलकोंडापल्ली अ.ज.टूं., मरीपाडु	अ.ज.टूं., कोलहापुर			
अरुणाचल प्रदेश	01		उ.ज.टूं., ईटानगर (डीडी न्यूज)					
असम	02				अ.ज.टूं., सश्साल		उ.ज.टूं., कोकराझार (अंतरिम)	
बिहार	06		अ.ज.टूं., गया (डीडी न्यूज)	अ.ज.टूं., भागलपुर अ.ज.टूं., दरभंगा (डीडी न्यूज) अ.अ.ज.टूं., मसरख अ.अ.ज.टूं., मरहौरा			उ.ज.टूं., सहरसा (अंतरिम)	
छत्तीसगढ़	03		अ.ज.टूं., पंडारिया		अ.अ.ज.टूं., देवभोग			
गुजरात	06	उ.ज.टूं., राजकोट (डीडी न्यूज) अ.ज.टूं., जामनगर डीडी (न्यूज) अ.ज.टूं., भावनगर (डीडी न्यूज)			उ.ज.टूं., बडोदरा उ.ज.टूं., बडोदरा (डीडी न्यूज)	उ.ज.टूं., राजपुर		
हरियाणा	06	अ.ज.टूं., हिसार (डीडी न्यूज)			अ.ज.टूं., फतेहाबाद अ.ज.टूं., कैथल	उ.ज.टूं., करनाल उ.ज.टूं., हिसार उ.ज.टूं., हिसार (डीडी न्यूज)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हिमाचल प्रदेश	05		अ.अ.श.ट्रां., चिरगांव अ.अ.श.ट्रां., झटिंगरी अ.अ.श.ट्रां., काजा	उ.श.ट्रां., कसौली (डीडी न्यूज)			उ.श.ट्रां., धर्मशाला	
जम्मू-कश्मीर	31	उ.श.ट्रां., नौशेरा उ.श.ट्रां., नौशेरा (डीडी न्यूज) उ.श.ट्रां., सांबा उ.श.ट्रां., सांबा (डीडी न्यूज) अ.श.ट्रां., पाटन अ.श.ट्रां., पटनीटोप अ.अ.श.ट्रां., अरनास अ.अ.श.ट्रां., बानी अ.अ.श.ट्रां., बासगो अ.अ.श.ट्रां., बोनियार अ.अ.श.ट्रां., चाननी अ.अ.श.ट्रां., धर अ.अ.श.ट्रां., डुंगी ग्राटी अ.अ.श.ट्रां., गुबरांव नगरोटा अ.अ.श.ट्रां., जव्वर कोटली अ.अ.श.ट्रां., लोरान अ.अ.श.ट्रां., मचिगाम अ.अ.श.ट्रां., मोहरी अ.अ.श.ट्रां., नगरोटा अ.अ.श.ट्रां., निमु पुलवामा अ.अ.श.ट्रां., सानासर अ.अ.श.ट्रां., शुद्ध महादेव अ.अ.श.ट्रां., तारावली अ.अ.श.ट्रां., थावरी अ.अ.श.ट्रां., तिलेल अ.अ.श.ट्रां., उरास अ.अ.श.ट्रां., युसमार्ग	अ.श.ट्रां., तिथवाल (डीडी कश्मीर) अ.अ.श.ट्रां., चकरोई	उ.श.ट्रां., तिथवाल				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
झारखंड	02	अ.ज्ञ.टूं., बोकार (डीडी न्यूज)	अ.अ.ज्ञ.टूं., रामगढ़ हिल					
कर्नाटक	09	उ.ज्ञ.टूं., मैसूर उ.ज्ञ.टूं., मैसूर (डीडी न्यूज) उ.ज्ञ.टूं., धारवाड (डीडी न्यूज) अ.ज्ञ.टूं., बेल्लारी (डीडी न्यूज) अ.ज्ञ.टूं., दावणगेरे (डीडी न्यूज) अ.अ.ज्ञ.टूं., कुडलिगी	उ.ज्ञ.टूं., रायचूर अ.अ.ज्ञ.टूं., हुविन हिप्पागी अ.अ.ज्ञ.टूं., श्रृंगेरी					
केरल	04	अ.ज्ञ.टूं., त्रिसूर (डीडी न्यूज) अ.अ.ज्ञ.टूं., एराटुपेट्टा अ.अ.ज्ञ.टूं., मुंडकायम		उ.ज्ञ.टूं., कालीकट (डीडी न्यूज)				
लक्षद्वीप	06						अ.अ.ज्ञ.टूं., अमिनी (डीडी न्यूज) अ.अ.ज्ञ.टूं., अगाती (डीडी न्यूज)	अ.अ.ज्ञ.टूं., मिनीकाय (डीडी न्यूज) अ.अ.ज्ञ.टूं., अंड्रोट (डीडी न्यूज) अ.अ.ज्ञ.टूं., कादमत (डीडी न्यूज) अ.अ.ज्ञ.टूं., कल्पेनी (डीडी न्यूज)
मध्य प्रदेश	02					उ.ज्ञ.टूं., सागर		उ.ज्ञ.टूं., छतरपुर
महाराष्ट्र	13	अ.ज्ञ.टूं., सांगली (डीडी न्यूज) अ.ज्ञ.टूं., नासिक (डीडी न्यूज) अ.ज्ञ.टूं., मालेगांव (डीडी न्यूज) अ.ज्ञ.टूं., धुले (डीडी न्यूज) अ.ज्ञ.टूं., नांदेड़ (डीडी न्यूज) अ.ज्ञ.टूं., अकोला (डीडी न्यूज) अ.ज्ञ.टूं., अमरावती (डीडी न्यूज) अ.ज्ञ.टूं., कोल्हापुर (डीडी न्यूज)	उ.ज्ञ.टूं., जलगांव अ.ज्ञ.टू., बदलापुर	उ.ज्ञ.टूं., अंबाजोगई (डीडी न्यूज) अ.ज्ञ.टूं., शिरडी अ.अ.ज्ञ.टूं., वसंतगढ़				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मणिपुर	01		उ.न.ट्रां., इम्फाल (डीडी न्यूज)					
मेघालय	02		उ.न.ट्रां., शिलांग (डीडी न्यूज)	अ.न.ट्रां., चेरापूंजी				
मिजोरम	01		उ.न.ट्रां., आइजोल (डीडी न्यूज)					
नागालैंड	01		उ.न.ट्रां., कोहिमा (डीडी न्यूज)					
उड़ीसा	01				अ.न.ट्रां., बेहलाडा			
पंजाब	01				अ.न.ट्रां., भटिंडा (डीडी न्यूज)			
राजस्थान	05		उ.न.ट्रां., अजमेर (डीडी न्यूज) अ.न.ट्रां., अलवर (डीडी न्यूज)	उ.न.ट्रां., बूंदी (डीडी न्यूज)	अ.न.ट्रां., खाजूवाला		उ.न.ट्रां., बीकानेर	
सिक्किम	02	अ.अ.न.ट्रां., जोरथांग	उ.न.ट्रां., गंगटोक (डीडी न्यूज)					
तमिलनाडु	09	अ.न.ट्रां., तिरूपत्तुर (डीडी न्यूज) अ.न.ट्रां., इरोड (डीडी न्यूज) अ.न.ट्रां., तिरूनेलवेली (डीडी न्यूज) अ.न.ट्रां., मदुरै (डीडी न्यूज)	उ.न.ट्रां., कोडैकनाल (डीडी न्यूज) अ.अ.न.ट्रां., कांचीपुरम अ.अ.न.ट्रां., तिरूवन्नामलाई			उ.न.ट्रां., धर्मापुरी उ.न.ट्रां., तिरूनेलवेली		
त्रिपुरा	01				अ.न.ट्रां., अंबासा (डीडी न्यूज)			
उत्तर प्रदेश	03	उ.न.ट्रां., कानपुर (डीडी न्यूज)	उ.न.ट्रां., फैजाबाद	उ.न.ट्रां., बरेली (डीडी न्यूज)				
उत्तराखंड	06	अ.न.ट्रां., बछेर अ.अ.न.ट्रां., दूगड्डा अ.अ.न.ट्रां., मनीला	अ.अ.न.ट्रां., देवल अ.अ.न.ट्रां., फाटा			अ.न.ट्रां., हरिद्वार (डीडी न्यूज)		
पश्चिम बंगाल	02			उ.न.ट्रां., खडगपुर		उ.न.ट्रां., कर्सियांग (डीडी न्यूज)		

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा का उत्पादन

1603. **श्री भर्तृहरि महताब:**
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इनमें से प्रत्येक संयंत्र द्वारा कितनी परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया गया;

(ख) क्या सरकार ने देश में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि के लिए कोई संदर्शी योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	इकाई-अवस्थिति	रिएक्टर का प्रकार	मौजूदा क्षमता (मेगावाट-ई)	वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की तारीख
1.	टीएपीएस-1 तारापुर, महाराष्ट्र	बीडब्ल्यूआर	160	28 अक्तूबर, 1969
2.	टीएपीएस-2 तारापुर, महाराष्ट्र	बीडब्ल्यूआर	160	28 अक्तूबर, 1969
3.	आरएपीएस-1 रावतभाटा, राजस्थान	पीएचडब्ल्यूआर	100	16 दिसंबर, 1973
4.	आरएपीएस-2 रावतभाटा, राजस्थान	पीएचडब्ल्यूआर	200	01 अप्रैल, 1981
5.	एमएपीएस-1 कलपाक्कम, तमिलनाडु	पीएचडब्ल्यूआर	220	27 जनवरी, 1984
6.	एमएपीएस-2 कलपाक्कम, तमिलनाडु	पीएचडब्ल्यूआर	220	21 मार्च, 1986
7.	एमएपीएस-1 नरोरा, उत्तर प्रदेश	पीएचडब्ल्यूआर	220	01 जनवरी, 1991
8.	एमएपीएस-2 नरोरा, उत्तर प्रदेश	पीएचडब्ल्यूआर	220	01 जुलाई, 1992
9.	केएपीएस-1 ककरापार, गुजरात	पीएचडब्ल्यूआर	220	06 मई, 1993
10.	केएपीएस-2 ककरापार, गुजरात	पीएचडब्ल्यूआर	220	01 सितंबर, 1995
11.	केजीएस-2 कैगा, कर्नाटक	पीएचडब्ल्यूआर	220	16 मार्च, 2000
12.	आरएपीएस-3 रावतभाटा, राजस्थान	पीएचडब्ल्यूआर	220	01 जून, 2000
13.	केएपीएस-1 कैगा, कर्नाटक	पीएचडब्ल्यूआर	220	16 नवंबर, 2000
14.	आरएपीएस-4 रावतभाटा, राजस्थान	पीएचडब्ल्यूआर	220	23 दिसंबर, 2000
15.	टीएपीएस-4 तारापुर, महाराष्ट्र	पीएचडब्ल्यूआर	220	12 सितंबर, 2005
16.	टीएपीएस-3 तारापुर, महाराष्ट्र	पीएचडब्ल्यूआर	220	18 अगस्त, 2006
17.	केजीएस-3 कैगा, कर्नाटक	पीएचडब्ल्यूआर	220	06 मई, 2007
	कुल		4120	

पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से उत्पादित बिजली निम्नानुसार है:-

(उत्पादन मिलियन यूनिट में)

बिजलीघर	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 नवंबर, 2008 तक
टीएपीएस-1 और 2	1657	2603	2551	1632
टीएपीएस-3 और 4	2010	3898	4789	2551
आरएपीएस-2	1401	1202	327	0
आरएपीएस-3 और 4	3039	2466	2341	1603
एमएपीएस-1 और 2	1852	2622	1749	1033
एनएपीएस-1 और 2	2138	1024	674	598
केएपीएस-1 और 2	2367	2446	2030	991
केजीएस-1 और 2	2860	2541	2085	1543
केजीएस-3	-	-	410	426
कुल	17324	18802	16956	10376

बीडब्ल्यूआर - बायलिंग वाटर रिएक्टर पीएचडब्ल्यूआर - प्रैशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर टीपीएस - तारापुर परमाणु बिजलीघर
आरएपीएस - राजस्थान परमाणु बिजलीघर एमएपीएस - मद्रास परमाणु बिजलीघर एनएपीएस - नरोरा परमाणु बिजलीघर
केजीएस - कैगा उत्पादन केन्द्र केएपीएस - ककरापार परमाणु बिजलीघर

(ख) जी, हां।

(ग) नाभिकीय विद्युत उत्पादन के लिए स्वदेशी स्रोतों का उपयोग करने की दृष्टि से, एक दीर्घावधि त्रि-चरणीय कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। पहला चरण पूर्णता के स्तर तक पहुंच गया है। दूसरे चरण का 500 मेगावाट-ई क्षमता वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निर्माणाधीन है। तीसरे चरण के लिए अनुसंधान तथा विकास कार्य भी हाथ में लिए गए हैं। निर्माणाधीन परियोजनाओं के क्रमिक रूप से पूरा होने के साथ ही, 4120 मेगावाट-ई की वर्तमान स्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता के, ग्यारहवीं योजना के अंत तक 7280 मेगावाट-ई तक पहुंच जाने की आशा है।

प्रदूषकों के प्रतिकूल प्रभाव

1604. श्री अधीर चौधरी:
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यावरण में नाइट्रोजन आक्साइड्स सहित विभिन्न प्रदूषकों ने मनुष्यों के स्वास्थ्य पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) क्या सरकार ने इन प्रदूषकों के प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा): (क) नाइट्रोजन आक्साइड सहित वायु प्रदूषक स्वास्थ्य पर एक्पोजर की सीमा, प्रदूषकों के संकेद्रण और अन्य कारकों के आधार पर स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। तथापि वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य की बीमारियों से संबंधित घटनाओं का सह संबंध स्थापित करने वाले कोई निर्णायक आंकड़े नहीं है।

(ख) से (घ) वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में शामिल है:

* आटोमोबाइल के लिए अधिक कड़े उत्सर्जन मानदंड और सीसा रहित पेट्रोल की शुरूआत से बेहतर ईंधन गुणता की आपूर्ति और पेट्रोल में बेनजीन की कमी करना।

* संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी/द्रवित) पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) जैसे स्वच्छतर ईंधनों का संवर्धन।

* सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जैसे मास रेपिड ट्रांसपोर्ट व्यवस्था (एमआरटीएस) का सुधार।

* उद्योगों और जन जागरूकता कार्यक्रमों में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की शुरूआत करना।

* प्रदूषित उद्योगों के लिए अधिक कड़े उत्सर्जन मानदंड।

* वायु मानीटरिंग नेटवर्कों को सुदृढ़ बनाना।

* अधिक संकटपूर्ण प्रदूषित क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन।

* पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना 2006 के अंतर्गत विकासात्मक कार्यों की विनिर्दिष्ट श्रेणियों के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और शर्तों को निर्धारित करना।

सरिस्का बाघ परियोजना के लिए निधियां

1605. श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी अन्य स्थान से दो बाघों को सरिस्का लाए जाने के लिए वित्तपोषण का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसमें कितनी एजेंसियां शामिल हैं तथा उन्हें कितनी राशि आबंटित एवं संवितरित की गई है; और

(ग) क्या निकट भविष्य में और बाघों को सरिस्का बाघ परियोजना में भेजा जा रहा है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) सरिस्का में अन्य स्थान से बाघों को लाकर रखने के लिए बाघ परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्य को अब तक 48.00 लाख रु. की धनराशि प्रदान की गई है।

(ख) यह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राजस्थान वन विभाग और भारतीय वन्यजीव संस्थान के बीच एक सहयोगात्मत पहल है।

(ग) भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा सुझाए गए रिकवरी प्लान के अनुसार किसी अन्यस्थान से 3 और अन्य भाग, सरिस्का बाघ रिजर्व में लाए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा हाकी खिलाड़ियों के लिए एस्ट्रो टर्फ

1606. श्री संजय धोत्रे: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने युवा हाकी खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए बीस नए एस्ट्रो टर्फ बिछाने हेतु स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) से (ग) जी, हां। 9 केन्द्रों पर नए एस्ट्रो टर्फ बिछाने का कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है। 11 केन्द्रों के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दे दिया है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बिछाए जा रहे नए एस्ट्रो-टर्फ का ब्यौरा निम्नलिखित है:

1. भा.खे.प्रा. हाई एल्टीट्यूड प्रशिक्षण केन्द्र, शिलारू (हिमाचल प्रदेश)
2. भा.खे.प्रा. एस.टी.सी., कांदीवली, मुंबई (महाराष्ट्र)
3. भा.खे.प्रा. एस.ए.जी., मेडिकेरी (कर्नाटक)
4. भा.खे.प्रा. एंस.ए.जी., सुंदरगढ़ (उड़ीसा)
5. भा.खे.प्रा. उत्तरी केन्द्र, सोनीपत (हरियाणा)
6. भा.खे.प्रा. एनएसएनआईएस, पटियाला (2) (एक नया, दूसरा बदला जा रहा है)
7. भा.खे.प्रा. पूर्वोत्तर केन्द्र, इंफाल (मणिपुर)
8. भा.खे.प्रा. एस.टी.सी., थेंजुअल (मिजोरम)
9. गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर (पंजाब)
10. खालसा कालेज, जालंधर (पंजाब)
11. भा.खे.प्रा. एस.टी.सी., कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
12. भा.खे.प्रा. एस.टी.सी., देहरादून (उत्तराखंड)

13. भा.खे.प्रा. एस.टी.सी., बरेली (उ.प्र.)

14. भा.खे.प्रा. एस.टी.सी., टीकमगढ़ (म.प्र.)

15. भा.खे.प्रा. एस.टी.सी., राजनंदगांव (छत्तीसगढ़)

16. भा.खे.प्रा. उपकेन्द्र, हजारीबाग (झारखंड)

17. भा.खे.प्रा. एस.टी.सी., औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

18. भा.खे.प्रा. एस.टी.सी., हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)

19. भा.खे.प्रा. एस.ए.जी., कोकराझार (असम)

[अनुवाद]

औषध नियामक प्रणाली

1607. डा. राजेश मिश्रा:
श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में दवाओं के विनिर्माण के लिए औषध विनियामक प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से कोई वचनबद्धता की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके अनुसरण में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

डी.टी.एच. आपरेटर्स द्वारा प्रदत्त सेवाएं

1608. श्री किरिप चालिहा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को डायरेक्ट-टु-होम (डी.टी.एच.) आपरेटरों/प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में उनके विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में तत्संबंधी कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन आपरेटरों/प्रदाताओं द्वारा दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता की जांच के लिए कोई तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) जी, हां।

(ख) सरकार, प्राप्त हुई शिकायतों के अलग से आंकड़े नहीं रखती है। तथापि, चालू और गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा प्राप्त शिकायतों की कम्पनी-वार संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	टाटा स्काई लि.	डिश टीवी	सन डायरेक्ट टीवी	रिलायन्स बिग टीवी
2005	0	2	–	–
2006	1	5	–	–
2007	31	30	0	–
2008	54	39	2	2

नोट: मैसर्स सन डायरेक्ट टीवी और मैसर्स रिलायन्स बिग टीवी ने क्रमशः वर्ष 2007 और 2008 में अपनी सेवाएं शुरू की।

(ग) से (ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दिनांक 31.8.2007 "दि डायरेक्ट-टु-होम (डीटीएच) ब्राडकास्टिंग सर्विसेज (स्टैंडर्ड आफ क्वालिटी आफ सर्विस एंड रिड्रेसल आफ ग्रिवन्सेस) रेग्यूलेशन, 2007" नामक विनियम जारी किया है जोकि दिनांक 1.12.2007 से प्रभावी है। इन विनियमों का प्रावधान उपभोक्ताओं की शिकायतों का निदान करने के लिए डीटीएच सेवा प्रदाताओं द्वारा काल सेंटरों की स्थापना एवं नोडल अधिकारियों की नियुक्ति हेतु किया गया है। शिकायतें सीधे प्राधिकरण के पास भी दर्ज करायी जा सकती हैं। प्राधिकरण ने डीटीएच सेवा प्रदाताओं के शिकायत निदान तंत्र के निरीक्षण व लेखा-परीक्षण तथा कतिपय मामलों में प्राधिकरण के हस्तक्षेप का भी प्रावधान किया है। ट्राई ने दिनांक 30.7.2008 के अपने आदेश के तहत सभी डीटीएच सेवा प्रदाताओं को प्राधिकरण के पास त्रैमासिक आधार पर पीएमआर (कार्य-निष्पादन निगरानी रिपोर्ट) प्रस्तुत करने के निदेश दिए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेल उपरि पुल

1609. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर बनाए गए/निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए रेल उपरि पुलों का स्थानवार, राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ख) इस संबंध में जारी की गई तथा खर्च की गई धनराशि का ब्योरा क्या है; और

(ग) निर्माणाधीन पुलों का निर्माण करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) संभवत: माननीय सदस्य का आशय रेल ट्रैक पर सड़क उपरि पुलों के निर्माण से है। 10वीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर सौंपे गए और निर्मित आरओबी के राज्यवार और स्थानवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। 10वीं योजना अवधि के दौरान सौंपे गए और राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माणाधीन आरओबी तथा उन्हें पूरा करने के लिए नियत समय सीमा के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। विकास कार्यों के लिए धनराशि राज्यवार आबंटित की जाती है और आरओबी के लिए अलग से कोई आबंटन नहीं किया जाता। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत आरओबी का निर्माण, राजमार्गों को 4/6 लेन बनाने की परियोजना के भाग के रूप में किया जाता है।

विवरण I

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सौंपे गए और बनाए गए सड़क उपरि पुलों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	रारा सं.	आर ओ बी का नाम/स्थान
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5	विजयवाड़ा-विशाखापटनम खंड का 344+860/स्वर्णिम चतुर्भुज के चेन्नै-कोलकाता महामार्ग का 754.399
		5	विजयवाड़ा-विशाखापटनम खंड का 328+112/स्वर्णिम चतुर्भुज के चेन्नै-कोलकाता महामार्ग का 773.607
		5	चै. 130.98 (पुराना) चै. 572.224 (नया)
		5	चै. 148.707 (पुराना) चै. 554.497 (नया)
		5	चै. 208.234 (पुराना) चै. 494.97 (नया)
		5	दारावारीचतरम और नायडुपेट स्टेशनों के समीप
		5	चै. 186.484 से चै. 186.496
		5	चै. 131.764 से चै. 132.153
		5	चै. 119.328
		5	चै. 106.76
		5	चै. 292.000 से 292.905
		5	चै. 14.727
		5	इलूरू बाइपास का चै. 0.800
		5	इलूरू बाइपास का चै. 17.2
		5	गुंटूर बाइपास का चै. 9/4

1	2	3	4
		5	कृष्णा पुल पहुंचमार्गों का चै. 7/2
		5	चै. 152.48
		5	चै. 166.574
		5	चै. 178.795
		5	चै. 202.79
		7	किमी. 464.570
		5	चै. 239.251
2.	बिहार	31	किमी. 472
		57	किमी. 251
3.	गुजरात	8	किमी. 411.128
		8	किमी. 422.237
		8	किमी. 430.672
		8	किमी. 465.950
		8	किमी. 411+128
		8	किमी. 422+237
		8	किमी. 430+672
		8	किमी. 465+950
		14	किमी. 394.70
		15	किमी. 161.200
		15	किमी. 217.400
		8बी	किमी. 175/386
		8ए	किमी. 208/228
4.	कर्नाटक	4	किमी. 501.475
		7	किमी. 540
		7	किमी. 550
		4	किमी. 50+650
		4	किमी. 56+200
		4	किमी. 64+900
		4	किमी. 321 (चेन्नै-कोलार-बंगलौर खंड)

1	2	3	4
5.	केरल	17	किमी. 196/300 (चेरोड)
		47	चकई
6.	मध्य प्रदेश	7	किमी. 229/2 से किमी. 243/6 (रीवा बाइपास)
		76	किमी. 604
		7	किमी. 361/2 से किमी. 373/4 (कटनी बाइपास)
7.	महाराष्ट्र	4	किमी. 616.460
		4	किमी. 613.460
8.	उड़ीसा	5	किमी. 271.975
9.	पंजाब	22	किमी. 32.08 (डेराबासी)
		21	किमी. 26.428 (कटनी बाइपास)
10.	राजस्थान	79	किमी. 96+100
		79	किमी. 121+000
		79	किमी. 121+068
		76	किमी. 119.469
		76	किमी. 120+000 से 146+000
11.	तमिलनाडु	7	सलेम-वृंदाचलम खंड में सलेम के निकट रेलवे पर किमी. 194/11-12
		7	किमी. 194.434
		7	किमी. 136/400
		46	किमी. 45.42
		46	किमी. 47.913
		46	किमी. 53.811
		46	किमी. 75.62
		46	किमी. 117.87
		46	किमी. 33.859
		45	किमी. 42.31 (नया चैनेज) विल्लुपुरम बाइपास
12.	उत्तर प्रदेश	2	किमी. 209.075
		2	किमी. 188.749
		2	किमी. 199.810
		58	किमी. 88 (सकौती टांडा)
13.	पश्चिम बंगाल	31	किमी. 528.63

विवरण II

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सौंपे गए और निर्माणाधीन सड़क उपरि पुलों के ब्योरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	रारा सं.	आर ओ बी का नाम/स्थान	पूरा होने की लक्ष्य तिथि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7	किमी. 261.48	सितम्बर, 2009
		7	किमी. 300.6	सितम्बर, 2009
		7	किमी. 351.320	सितम्बर, 2009
		7	किमी. 373.380	मार्च, 2009
		7	किमी. 464.570	जनवरी, 2009
		7	किमी. 471.660	मार्च, 2009
		7	किमी. 21.7	मार्च, 2009
		7	किमी. 50.75	जनवरी, 2009
		7	किमी. 85.75	जनवरी, 2009
		7	किमी. 196	मार्च, 2009
		7	किमी. 165.14	नवम्बर, 2009
		7	किमी. 158.4	नवम्बर, 2009
		7	किमी. 300.6	सितम्बर, 2009
		7	किमी. 397.02	अगस्त, 2009
		7	किमी. 421.2	अगस्त, 2009
		214	किमी. 19/8 (पिथुपुरम)	मार्च, 2010
2.	असम	53	किमी. 17.17 (सिलचर-बदरपुर)	मार्च, 2009
		53	किमी. 21.48 (सिलचर-बदरपुर)	मार्च, 2009
		31	किमी. 1113.8	जून, 2009
		31	किमी. 1075.323	जून, 2009
		31	किमी. 1029	जून, 2009
		31	किमी. 1083.085	जून, 2009
		54	किमी. 122.75	दिसम्बर, 2009
		54	किमी. 58.72	दिसम्बर, 2009
		37	किमी. 0.727	जून, 2009

1	2	3	4	5
		54	किमी. 298.98	जून, 2009
		54	किमी. 150.528	दिसम्बर, 2009
		54	किमी. 169.617	दिसम्बर, 2009
		54	किमी. 179.283	दिसम्बर, 2009
		54	किमी. 185.73	दिसम्बर, 2009
		54	किमी. 189.302	दिसम्बर, 2009
		54	किमी. 150.592	दिसम्बर, 2009
		31सी	किमी. 88.05	जून, 2009
		31सी	किमी. 79.829	जून, 2009
		37	किमी. 240.11	दिसम्बर, 2009
		37	किमी. 14.092	जून, 2009
3.	बिहार	28	किमी. 516.035	नवम्बर, 2009
		57	किमी. 238.00	मार्च, 2009
		57	किमी. 223.782	जून, 2009
		57	किमी. 210.00	जून, 2009
		57	किमी. 61.954	सितम्बर, 2009
		57	किमी. 83.84	जनवरी, 2010
		57	किमी. 105.85	जनवरी, 2010
		28	किमी. 451.927	नवम्बर, 2009
		28	किमी. 368.90	मार्च, 2010
4.	छत्तीसगढ़	6	किमी. 281.800	जनवरी, 2009
		6	किमी. 270	जनवरी, 2009
		6	किमी. 262	मार्च, 2009
		200	किमी. 114/4	मार्च, 2009
5.	गुजरात	8बी	किमी. 76.690	फरवरी, 2009
		8ए	किमी. 210.942	मार्च, 2009
		15	किमी. 281.100	जून, 2009
		8ए	किमी. 267.100	जून, 2009

1	2	3	4	5
		8ए	किमी. 272.400	जून, 2009
		8	किमी. 152.640	जुलाई, 2009
		8	किमी. 154.800	जुलाई, 2009
		8	किमी. 123.100	जुलाई, 2009
		8	किमी. 205.900	जुलाई, 2009
		8	किमी. 225.700	जुलाई, 2009
		14	किमी. 330.436	जून, 2009
		14	किमी. 282.978	जून, 2009
		8	किमी. 262.625	जुलाई, 2009
6.	जम्मू-कश्मीर	1ए	किमी. 48.45	जून, 2009
		1ए	किमी. 72.507	जून, 2009
		1ए	किमी. 2.025 (जम्मू बाइपास)	जनवरी, 2009
		1ए	किमी. 14.11	जनवरी, 2009
7.	झारखंड	33	किमी. 130 और 131 (नामकुम)	अक्तूबर, 2010
		75 विस्तार	किमी. 117 (चक्रधरपुर)	दिसम्बर, 2011
8.	कर्नाटक	17	किमी. 364.365	मार्च, 2009
		7	किमी. 24/650	नवम्बर, 2009
		7	किमी. 508.129	मार्च, 2009
		7	किमी. 518	मार्च, 2009
		7	किमी. 524	मार्च, 2009
		4	किमी. 256+762	जून, 2010
		4	किमी. 311	जून, 2010
		4	किमी. 328	जून, 2010
9.	केरल	17	किमी. 437/375 इडापल्ली	मार्च, 2009
		47	किमी. 209	मार्च, 2011
		47	किमी. 320.09	जनवरी, 2009
10.	मध्य प्रदेश	3	किमी. 537/2 में आरोबी मैक्सी का निर्माण	मार्च, 2010

1	2	3	4	5
		26	किमी. 322.369	दिसम्बर, 2010
		7	किमी. 606.00 (सिओनी बाइपास)	जून, 2010
		3, 75	रारा-3 को रारा-75 पर किमी. 1.279 पर जोड़ने वाला ग्वालियर बाइपास	अक्तूबर, 2010
		3, 75	रारा-3 को रारा-75 पर किमी. 7.792 पर जोड़ने वाला ग्वालियर बाइपास	अक्तूबर, 2010
		26	रारा-26 (सागर बाइपास किमी. 203 पर प्रस्तावित चैनेज)	नवम्बर, 2009
11.	महाराष्ट्र	7	किमी. 173.450	जून, 2009
		6	किमी. 399 (फेकड़ी)	मार्च, 2009
		7	किमी. 22.865 से किमी. 24.650	मार्च, 2009
		7	किमी. 37.417	मार्च, 2009
		7	किमी. 76.39	मार्च, 2009
		3	किमी. 445.235	अप्रैल, 2009
		3	किमी. 451.090	अप्रैल, 2009
		3	किमी. 458.978	अप्रैल, 2009
		3	किमी. 486.522	अप्रैल, 2009
		3	किमी. 265.000	मार्च, 2009
		3	किमी. 514.488	अप्रैल, 2009
		3	किमी. 494.767	अप्रैल, 2009
		6	अकोला बाइपास	दिसम्बर, 2010
12.	उड़ीसा	5	किमी. 297.154	मार्च, 2010
13.	पंजाब	1ए	किमी. 29+756	दिसम्बर, 2009
		1ए	किमी. 111+444	दिसम्बर, 2009
		1ए	किमी. 115+910	दिसम्बर, 2009
		1ए	किमी. 9+508.790	दिसम्बर, 2009
		1ए	किमी. 16+870.52	दिसम्बर, 2009
		1	किमी. 408.510 पर सं. 409/2	सितम्बर, 2009

1	2	3	4	5
		1	किमी. 415.208 पर सं. 416/1	सितम्बर, 2009
		1	किमी. 415.249 पर सं. 452/1	सितम्बर, 2009
		1	किमी. 455.672 पर सं. 456/1	सितम्बर, 2009
		21	किमी. 41.65	जून, 2010
		21	किमी. 41.001	अगस्त, 2010
14.	राजस्थान	76	चित्तोड़गढ़ बाइपास का किमी. 6.362	दिसम्बर, 2008
		76	किमी. 16.443	फरवरी, 2009
		11	किमी. 63.236	मार्च, 2009
		11	किमी. 177+788	मार्च, 2009
		3	किमी. 53.145	सितम्बर, 2010
		76	किमी. 0.406	फरवरी, 2009
		79, 76	किमी. 23.420 पर (रारा-79 के किमी. 159 को रारा-76 के किमी. 213 से जोड़ने वाला बाइपास)	दिसम्बर, 2008
15.	तमिलनाडु	7	किमी. 163/350	मार्च, 2009
		45	किमी. 215.120	जून, 2009
		45	किमी. 4.515.120 (नया चैनेज)	जून, 2009
		45	किमी. 318.614	मई, 2009
		45	किमी. 310.682	मई, 2009
		45	किमी. 165.283	मई, 2009
		45	किमी. 321.6, किमी. 321.6	मई, 2009
		45	किमी. 156.021	अप्रैल, 2009
		45बी	किमी. 3087 (नया चैनेज)	मार्च, 2009
		4, 5	किमी. 14.10-11	मार्च, 2009
		47	किमी. 23.150	मार्च, 2009
		7	किमी. 375.398	जनवरी, 2009
		7	किमी. 394.786	जनवरी, 2009
		7	किमी. 210.306	मार्च, 2009

1	2	3	4	5
		7	किमी. 232.677	मार्च, 2009
		7	किमी. 221.035	फरवरी, 2009
		7	कै. 0.290 (मदुरै बाइपास)	अप्रैल, 2009
		7	किमी. 8.844 (मदुरै बाइपास)	अप्रैल, 2009
		7	किमी. 47.136	अप्रैल, 2009
		7	किमी. 142.676	मई, 2009
		7	किमी. 153.681	मई, 2009
		7	किमी. 169.977	मई, 2009
		7	किमी. 66.872	मई, 2009
		47	किमी. 1.604	जून, 2009
		45-बी	किमी. 174/100	जनवरी, 2010
		45-बी	किमी. 259.655	जनवरी, 2011
		67	किमी. 183.4	दिसम्बर, 2008
		67	किमी. 129/183	जून, 2009
		67	किमी. 135/729	जून, 2009
		47	किमी. 20.538	मार्च, 2009
16.	त्रिपुरा	44	किमी. 10.70 (अगरता-चुरईबाड़ी)	मार्च, 2010
17.	उत्तर प्रदेश	2, 3	किमी. 34.048	अक्तूबर, 2010
		2, 3	किमी. 13.375	अक्तूबर, 2010
		2, 3	किमी. 034	अक्तूबर, 2010
		25	किमी. 96.4	दिसम्बर, 2009
		25	किमी. 121.53	दिसम्बर, 2009
		25	किमी. 218.989	दिसम्बर, 2009
		25	किमी. 101.456	दिसम्बर, 2009
		2	किमी. 219	दिसम्बर, 2009
		24	किमी. 181	अगस्त, 2009
		28	किमी. 20.45	मार्च, 2009

1	2	3	4	5
		28	किमी. 83.275	मार्च, 2009
		28	किमी. 1.25	जून, 2009
		28	किमी. 1.25	जून, 2009
		28	किमी. 1.975	जून, 2009
		28सी	किमी. 11.6	जून, 2009
		58	किमी. 69.49	मार्च, 2011
		58	किमी. 87.575	मार्च, 2011
		58	किमी. 114.3	मार्च, 2011
		2	किमी. 241	मार्च, 2009
		28	किमी. 200.838	दिसम्बर, 2009
		28	किमी. 244.200	दिसम्बर, 2009
		28	किमी. 25.893 पर बाइपास	अक्तूबर, 2009
		28	किमी. 124.115	मार्च, 2009
		28	किमी. 133.585	मार्च, 2009
		28	किमी. 124.850	मार्च, 2009
18.	पश्चिम बंगाल	41	किमी. 2.076	सितम्बर, 2010
		41	किमी. 13.056	सितम्बर, 2010
		41	किमी. 29.5	सितम्बर, 2010

वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम का पुनरुद्धार

1610. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वेक्टर जनित रोग नियंत्रण का पुनरुद्धर करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वेक्टर जनित रोगों की संभावना वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) वेक्टर जन्य क्षय रोगों अर्थात् मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, जापानी इन्सेफेलाइटिस, डेंगू एवं चिकनगुनिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाता है। इस कार्यक्रम का पुनरुद्धार करने के लिए वैक्टर जन्य रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण में प्रतिमान परिवर्तन के निम्नलिखित कारण हैं:

* मलेरिया परजीवी में औषध के प्रति प्रतिरोध क्षमता का विकसित होना।

* दुर्गम क्षेत्रों में छिड़काव कम कवरेज और समुदाय द्वारा छिड़काव को स्वीकार नहीं किया जाना।

* तुरन्त पता लगाने के लिए नए नैदानिक साधनों की उपलब्धता।

* कालाजार और लिम्फैटिक फायलेरियसिस के उन्मूलन लक्ष्य को प्राप्त करना।

* अपने घरों में और आसपास मच्छर पैदा होने की अनुकूल स्थिति को रोकने के लिए समुदाय को सुग्राही बनाना।

* जापानी इन्सेफेलाइटिस, डेंगू एवं चिकनगुनिया जैसे वायरल रोगों के लिए किसी वायरल रोधी दवा के अभाव में समुदाय के लिए व्यवहार परिवर्तन सम्प्रेषण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

(ग) वेक्टर जन्य रोगों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

मलेरिया

* क्लोरोक्वीन प्रतिरोधक क्षेत्रों में तीव्र नैदानिक जांच किटों और आर्टिसूनेट काम्बीनेशन थिरैपी का उपयोग बढ़ा दिया गया है।

* उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में संकेन्द्रित कार्यकलाप और वर्गीकरण के लिए जीआईएस मैपिंग।

* कार्यक्रम में उपयोग के लिए बेडनेट की आपूर्ति बढ़ा दी गई है।

* कार्यक्रम कार्यान्वयन विशेषकर छिड़काव का गहन पर्यवेक्षण एवं मानीटरिंग।

* राज्यों में संविदा आधार पर मलेरिया तकनीकी पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला तकनीशियन, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (पुरुष) जैसे तकनीकी मानव संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को लगाया गया है।

लिम्फैटिक फायलेरियसिस का उन्मूलन

* संचरण रोकने के लिए फायलेरिया के स्थानिकमारी वाले जिलों में वार्षिक सामूहिक औषध प्रदान किया जाना।

* लिम्फोडेमा रोगी के लिए रूग्णता प्रबन्धन और हाइड्रोसील से ग्रसित रोगियों के लिए हाइड्रोसील आपरेशन को तेज करना।

* औषध स्वीकार करने के लिए समुदाय को सुग्राही बनाने हेतु बीसीसी कार्यकलापों को गहन करना।

कालाजार

* तुरन्त निदान के कारण उपचार का अनुपालन बढ़ाने के लिए नए साधनों अर्थात् तीव्र नैदानिक किटों और खाए जाने वाले औषध मिल्टेफोसाइन का विस्तार।

* रोगी एवं एक परिचर को मुफ्त भोजन और उपचार के दौरान मजदूरियों में हुए नुकसान के लिए रोगी को 50 रुपए प्रतिदिन की दर से प्रोत्साहन।

* रोगी को रेफर करने और पूरा उपचार सुनिश्चित करने के लिए कालाजार कार्यकर्ता को प्रोत्साहन।

* कालाजार पखवाड़े के माध्यम से कालाजार रोगी को खोजने के कार्य को गहन करना।

* पर्यवेक्षण एवं मानीटरिंग के अंतर्गत विशेषकर घर में अवशिष्ट छिड़काव के दौरान संकेन्द्रित कार्यकलाप।

* रोगी कोड स्कीम शुरू करना।

* सर्वाधिक प्रभावित गरीबी लोगों (मुसहर समुदाय) के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से पक्का घरो का निर्माण।

जापानी इन्सेफेलाइटिस

* निम्नलिखित के माध्यम से तीव्र इन्सेफेलाइटिस लक्षणों/ जापानी इन्सेफेलाइटिस का सुदृढ़ीकरण।

* जापानी इन्सेफेलाइटिस रोगियों के निदान और पेरीफेरल स्तर पर निम्नलिखित द्वारा निगरानी, प्रहरी प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण।

* नियमित निगरानी के लिए 50 प्रहरी स्थलों की स्थापना।

* उन्नत निदान के लिए 12 शीर्ष रेफरल प्रयोगशालाएं।

* एईएस/जेई यूनानी के लिए मानक मार्गनिर्देश का परिचालन।

* बीआरडी मेडिकल कालेज, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में वेक्टर जन्य रोग नियंत्रण यूनिट की स्थापना।

* क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय का उप कार्यालय गोरखपुर में चल रहा है।

* बीआरडी मेडिकल कालेज, गोरखपुर में राष्ट्रीय विष विज्ञान संस्थान यूनिट की स्थापना की गई है। इस यूनिट के कार्य के लिए निधियां भारत सरकार द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के माध्यम से जारी की जा रही है।

* क्षमता निर्माण एवं गहन सूचना शिक्षा तथा सम्प्रेषण अभियान।

* जापानी इन्सेफेलाइटिस कार्यक्रम में चिकित्सा कालेजों की सहभागिता।

* शुरू में ही रोगी की सूचना देने और उनको रेफर करने पर जोर देना।

* व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 1-15 वर्ष की आयु के बच्चे को लाइफ अटैंचुएटेड एसए-14-14-2 की एकल खुराक से टीकाकरण जारी रखा गया और वर्ष 2006 में चार राज्यों में 11 जिले कवर किए गए। वर्ष 2007 में 9 राज्यों में 27 जिले और वर्ष 2008 में 9 राज्यों में 23 जिले कवर किए गए हैं।

डेंगू/चिकनगुनिया

* राज्यों द्वारा कार्यान्वयन हेतु कार्यनीतिक मार्गनिर्देश जारी किए गए।

* नियमित अंतरालों पर सेरो निगरानी कार्यकलापों का सुदृढ़ीकरण।

* असुरक्षित क्षेत्रों में वेक्टर आबादी की मानीटरिंग।

* अन्य वेक्टरजन्य रोगों के साथ-साथ राष्ट्रीय वेक्टर जन्य रोग कार्यक्रम में चिकनगुनिया (जो 30 वर्षों के अंतराल के बाद दोबारा सामने आया है) का एकीकरण।

* सामुदायिक जागरूकता के लिए पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति और परिवारों के समूह द्वारा सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण/बीबीसी को गहन करना।

* रोगी के उपचार प्रबंधन के लिए चिकित्सा अधिकारियों हेतु क्षमता निर्माण।

* पेरीफेरी में नैदानिक किटों की पर्याप्त आपूर्ति।

* जिला अस्पतालों में प्रयोगशाला सेवाओं का सुदृढ़ीकरण।

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में बड़े पत्तन की स्थापना

1611. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में एक बड़े पत्तन की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संघ राज्य क्षेत्र के लिए किसी पृथक नौवहन निगम की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ग) जी, नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

खिलाड़ियों के लिए कल्याण योजनाएं

1612. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के कल्याण के लिए कोइ योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो बनायी गई कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की कल्याण योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) से (ग) खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पहले से ही दो योजनाएं अर्थात् खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि की योजना तथा प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के लिए पेंशन की योजना चलाई जा रही हैं।

खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि की योजना के तहत ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सहायता दी जाती है जिन्होंने देश को खेलों के क्षेत्र में गौरवान्वित किया है और जो इस समय कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन कर रहे हैं। खिलाड़ियों को चिकित्सकीय उपचार व अपने परिवारों के लिए वित्तीय सहायता मासिक पेंशन के रूप में दी जाती है तथा एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाता है। उभरते हुए खिलाड़ियों को खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए नकद अथवा किसी अन्य प्रकार से (खेल उपकरण, किट इत्यादि) भी सहायता प्रदान की जाती है।

सरकार ने अभी हाल ही में खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि योजना के तहत दुर्गम परिस्थितियों में जीवनयापन

करने वाले खिलाड़ियों के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि की है जिसका विवरण निम्नलिखित है:

(1) दरिद्र अवस्था में रहने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए पात्रता की अधिकतम सीमा 36,000 रु. प्रति वर्ष से संशोधित करके 2.00 लाख रु. प्रति वर्ष तक कर दी गयी है।

(2) खिलाड़ी को लगी घातक चोट के लिए सहायता 1.00 लाख रु. से बढ़ाकर 5.00 लाख रु. तक कर दी गयी है।

(3) घातक चोट के अलावा किसी अन्य चोट के लिए सहायता 40,000 रु. से बढ़ाकर 2.00 लाख रु. कर दी गयी है।

(4) स्थायी रूप से विकलांग उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए पेंशन 2500/- रु. प्रतिमाह से बढ़ाकर 10,000/- रु. प्रतिमाह कर दी गयी है।

(5) अन्य मामलों में पेंशन 2,000/- रु. प्रतिमाह से बढ़ाकर 8,000/- रु. प्रतिमाह कर दी गयी है।

(6) दरिद्र खिलाड़ियों के परिवारों को सहायता 40,000/- रु. से बढ़ाकर 2.00 लाख रु. कर दी गयी है।

(7) चिकित्सा उपचार के लिए सहायता 40,000/- रु. से बढ़ाकर 2.00 लाख रु. कर दी गयी है।

(8) प्रसिद्ध कोचों, रैफरियों और अम्पायरों को सहायता 20,000/- रु. से बढ़ाकर 50,000 रु. कर दी गयी है।

प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को पेंशन की योजना के तहत, ऐसे खिलाड़ियों को जिनकी आयु 30 वर्ष हो चुकी है तथा जो सक्रिय खेल जीवन से रिटायर्ड हो चुके हैं और जिन्होंने ओलंपिक खेलों, विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों तथा पैरा-ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत अथवा कांस्य पदक जीते हों, को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से जीवन पर्यंत पेंशन दी जाती है। योजना के तहत पेंशन की दरें 17.2008 से संशोधित कर दी गई हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है:

		पूर्व संशोधित पेंशन	संशोधित पेंशन
(1)	ओलंपिक खेलों में पदक विजेता	5.000/- रु.	10000/- प्रतिमाह
(2)	ओलंपिक तथा एशियाई खेल विधाओं में विश्व कप/ विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता	4000/- रु.	8000/- प्रतिमाह
(3)	ओलंपिक तथा एशियाई खेल विधाओं में विश्व कप/ विश्व चैम्पियनशिप में रजत तथा कांस्य पदक जीता	3500/- रु.	7000/- प्रतिमाह
(4)	एशियाई/राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता	3500/- रु.	7000/- प्रतिमाह
(5)	एशियाई/राष्ट्रमंडल खेलों के रजत तथा कांस्य पदक विजेता	3000/- रु.	6000/- प्रतिमाह
(6)	पैरा-ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता	2500/- रु.	5000/- प्रतिमाह
(7)	पैरा-ओलंपिक खेलों के रजत पदक विजेता	2000/- रु.	4000/- प्रतिमाह
(8)	पैरा-ओलंपिक खेलों के कांस्य पदक विजेता	500/- रु.	3000/- प्रतिमाह

इस समय राष्ट्रीय कल्याण निधि योजना के तहत 30 खिलाड़ियों को पेंशन दी जा रही है तथा प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को पेंशन की योजना के तहत 476 खिलाड़ियों को पेंशन दी जा रही है।

इन योजनाओं के तहत खिलाड़ियों को पेंशन/वित्तीय सहायता का भुगतान पटियाला स्टेट बैंक में रखी गई निधियों के माध्यम से किया जाता है जिसके लिए सरकार बजटीय आबंटन में से अंशदान करती है।

[अनुवाद]

कुष्ठ रोग उपचार इकाइयों की स्थापना

1613. श्रीमती के. रानी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम (एन.एल.ई.पी.) के अंतर्गत तमिलनाडु सहित देश में स्थापित की गई कुष्ठ रोग उपचार इकाइयों का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रत्येक इकाई में कितने रोगियों का उपचार किया गया है; और

(ख) राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम (एन.एल.ई.पी.) के क्रियान्वयन में शामिल गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के नाम क्या हैं तथा इनमें से प्रत्येक को कितनी धनराशि जारी की गई एवं प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन की उपलब्धियां क्या रहीं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) वर्ष 2001-02 के आगे से सामान्य

स्वास्थ्य प्रणाली के साथ कुष्ठ निवारण कार्यक्रम का चरणबद्ध तरीके से एकीकरण हो जाने के बाद इकाइयों को बन्द कर दिया गया। इस समय सभी प्राथमिक केन्द्रों में कुष्ठ रोग का उपचार किया जाता है।

(ख) गैर-सरकारी संगठनों के नाम और उनके साथ प्रत्येक संगठन को जारी की गई निधियों के ब्यौरे (8 दिसम्बर, 2008 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार) संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

उपलब्धियां–गैर-सरकारी संगठन निम्नलिखित प्रस्तावित कार्यकलाप करते हैं:-

(1) कुष्ठ रोग और एनएलईपी के बारे में सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण।

(2) कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों की विरूपता एवं अशक्तता की रोकथाम।

(3) एमडीटी का वितरण अनुवर्ती उपचार।

विवरण

राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को जारी निधियों की सूची
(8 दिसम्बर, 2008 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार)

क्र.सं.	वी.ओ. का नाम	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8
	आंध्र प्रदेश						
1.	लेप्रोसी मिशन हास्पिटल	279330					
2.	ग्रेन्टेलएन्टेंस, गुन्टूर			663280	975000	854700	जारी न की गई
3.	फिलाडेफिया लेप्रोसी हास्पिटल, सलूर	55817					
4.	ग्रेन्टेलएन्टेंस, विशाखापट्टनम						
5.	विश्वकरुणा संगम, वारांगल	387449	96863				
6.	श्योर, आदिलाबाद		327280	335740	179480	358960	जारी न की गई
7.	श्योर मेडक			97930	97930	97930	
8.	लियो, टुबुनी			323600	50926		
9.	लिहो, गुन्टूर, अर्बन			275440			
10.	रूरल एक्टिवटी सोसायटी			97,930	97930		
	श्री वत्स रूरल डेवलपमेंट सोसायटी (एसआरडीएस), पुसापतिरेगा, जिला विजयनगरम्					201260	जारी न की गई
11.	जीएमएलएफ चिलाकापल्ली			411217	347428	357620	जारी न की गई
	कुल	722596	424143	2205137	1748694		
	असम						
1.	श्रीमन्ता शंकर मिशन नौगांव	203920	26560				
	कुल	203920	26560				

1	2	3	4	5	6	7	8
	झारखंड						
1.	स्वामी विवेकानन्द मेडिकल ट्रस्ट, जमशेदपुर		372640	27120	354760		
2.	भारत सेवा आश्रम संघ (ग्रामीण केन्द्र)	389730		97432	0		
3.	भारत सेवा आश्रम संघ (शहरी केन्द्र)	327360		76252	0		
4.	वनवासी सेवा केन्द्र			53548	0		
	कुल	717090	372640	254352	354760		
	कर्नाटक						
1.	शान्ता जीवा ज्योति, बंगलौर	172594	371827	455740	404200		
2.	बेलगांव लेप्रोसी हास्पिटल, बेलगांव						
	कुल	172594	371827	455740	404200		
	केरल						
1.	दमीयान संस्थान, झरीसर	305705	514292	466960	491690		
2.	पूवर लेप्रोसी हास्पिटल, शलाली		388188				
3.	प्रोविसिलेट सिस्टरर्स आफ होलीक्रोस क्यूलोन		333588				
4.	कोचीन अर्बन लेप्रोसी, कोच्ची		401200	350007	35007		
5.	सेंट जोन हैल्थ, पिरनपकोडे		375620	509151	491690		
	कुल	305705	2012888	1326118	1333387		
	महाराष्ट्र						
1.	अहमदनगर डिस्ट्रिक लेप्रोसी रिलीफ एसोसिएशन, अहमदनगर	224623	523959		924842	1247967	(2006-07 दूसरी किस्त)
2.	अशोक कला निकेतन ट्रस्ट, पुणे	288690	423762	573980	573980	286990	250554 (2006-07 दूसरी किस्त)
3.	अश्विन मेडिकल फाउंडेशन, पुणे	29447	556480	331672	331672	183888	183888 (2006-07 दूसरी किस्त)
4.	डा. बाबा साहिब अम्बडेकर मेडिकल ट्रस्ट, पुणे		201148		0		
5.	रिचंडसन लेप्रोसी हास्पिटल, मिराज						
6.	गांधी मेमोरियल, वर्धा-सेवा ग्राम के लिए		375620	374692	374692	181168	181168
7.	महारोगी सेवा समिति, वर्धा	13068			0		
8.	महात्मा गांधी शिक्षा संस्थान, बुलढाना		609750		एनआर		
9.	कुष्ठ रोग निवारण समिति, रायगढ़	282631	236271	327500	327500	252680	252680 (2006-07 दूसरी किस्त) (2005-06)

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	बडाला लेप्रोसी कन्ट्रोल यूनिट, अहमदनगर	326020					
11.	गांधी नगर मेमोरियल, वर्धा-शहर के लिए		469120	413400	413400	264314	264314
	कुल	1164479	3396110	2021244	2946086	1417007	1738404
	उड़ीसा						
1.	पुरी अर्बन लेप्रोसी प्रोजेक्ट, पुरी		525487	269300	135000		
2.	होइना, रायगाडा		494200	370231	185000		
	कुल		1019707	639531	320000		
	उत्तर प्रदेश						
1.	स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री कुष्ठ रोग आश्रम, आजमगढ़	149297	163010	988730			
2.	पूर्वांचल सेवा संस्थान, देवरिया	331115	856707	796620			
3.	संजय गांधी सेवा संस्थान, देवरिया	356040	242640	1337870			
4.	जवाहर लाल नेहरू सेवा संस्थान, देवरिया	351560	657152	610480			
5.	सामाजिक सेवा के लिए ट्रीन्टी			465900			
6.	नेहरू युवा चेतना केन्द्र						
7.	महिला आत्माम बाल कल्याण समिति				224248		
	कुल	1188012	1919511	4199600	224248		
	पश्चिम बंगाल						
1.	बटपारा लेप्रोसी इरेडिकेशन	253770	649342	499363	249682	499363	
2.	ग्रेटर कोलकाता लेप्रोसी ट्रीटमेन्ट एंड हेल्थ एजुकेशन स्कीम, बिहाला सेंटर	191640	298667	263616	0		
3.	ग्रेटर कोलकाता लेप्रोसी ट्रीटमेन्ट एंड हेल्थ		372640	459364	153170	306321	एजुकेशन स्कीम, धापा सेन्टर
4.	ग्रेटर कोलकाता लेप्रोसी ट्रीटमेन्ट एंड हेल्थ एजुकेशन स्कीम, खोदीर पोरे सेंटर	143708	320644	39508	125000	250000	
5.	गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन, बलरामपुर	596790	277822	783160	370110		
6.	गार्डन रीच कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम	271800	59,512	789234	155907	311814	
7.	हिन्द कुष्ठ निवारण संघ (पश्चिम बंगाल शाखा)	195129	515541	591458	552427	966730	
8.	दमदम लेप्रोसी प्रोग्राम, कोलकाता		377820	200190	200190	400380	
9.	ग्रामीण सर्वात्मक कल्याण केन्द्र, कोलकाता यूनिट	124743	107750	97333			

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	झारग्राम लेप्रोसी प्रोग्राम, झारग्राम	21462	252171	242120			
11.	टीएलएम प्रेमानंदा मेमोरियल लेप्रोसी, कोलकाता						
12.	बीएमएलएफ, पुरूलिया			117860	0	715440	
	कुल	1799042	3231909	3841086	2048606		
	गुजरात						
1.	श्रम मन्दिर ट्रस्ट, सिन्ध रोट, बडोदरा					206410	51507
2.	स्वाश्रयमकन ट्रस्ट पलड़ी, अहमदाबाद					324560	28546
3.	गुजरात रक्त पीत निवारण सेवा संघ					114184	81141
4.	सहयोग कुष्ठ यगन ट्रस्ट, राजेन्द्र नगर				100000	352909	89524
	कुल				100000		

एचआईवी/एड्स विधेयक

1614. एडवोकेट सुरेश कुरूप:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एच.आई.वी./एड्स रोग के बारे में विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या एच.आई.वी./एड्स विधेयक को तत्काल लायेजाने की क्या आवश्यकता है;

(ग) इस विधेयक को पारित कराने में लगातार हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त विधेयक की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जी हां, एचआईवी/एड्स के बारे में विधेयक इस समय विधि मंत्रालय (विधायी विभाग) के पास सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

क्षेत्रीय यूनानी-औषधि अनुसंधान संस्थान में किया गया अनुसंधान कार्य

1615. श्री मित्रसेन यादव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मुम्बई स्थित क्षेत्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान संस्थान में किए गए अनुसंधान कार्यों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या अनुसंधान कार्य करने के लिए आबंटित धनराशि का दुरुपयोग किया गया है जैसाकि उक्त अवधि के दौरान कोई भी अनुसंधान कार्य नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) गत 3 वर्षों के दौरान क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आरआरआईयूएम), मुंबई को आबंटित कार्यक्रमों में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम सहित सामान्य रोगों, चल नैदानिक अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए अनुसंधान कार्यक्रम, जीओपीडी शामिल है। इस संबंध में वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ख) आरआरआईयूएम, मुंबई को आबंटित निधि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(रु. हजार)

	योजनेत्तर	योजना
2006-07	2350	7630
2007-08	2850	8530
2008-09	3650	9175

(ग) ऐसे दुरूपयोग की कोई सूचना नहीं है।

(घ) लागू नहीं।

(ङ) लागू नहीं।

विवरण

क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, मुम्बई

वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 की अवधि के दौरान आरआरआईयूएम, मुंबई में संचालित कार्यक्रम

अनुसंधान कार्यक्रम

वर्ष	कार्य का शीर्षक
2005-06	यूनानी शास्त्रों और उनसे संबंधित समेकित शोध कार्यों के परिप्रेक्ष्य में अलजाइमर रोग से संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण
2006-07	यूनानी शास्त्रों और उनसे संबंधित समेकित शोध कार्यों के परिप्रेक्ष्य में एचआईवी/एड्स से संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण
2007-08	विषाणु जन्य नेत्र रोगों में 2 कूटीकृत यूनानी औषध योगों का तुलनात्मक परीक्षण। 100 मामलों पर अध्ययन कार्य पूरा किया गया।

सामान्य बहिरंग रोगी विभाग

वर्ष	पंजीकृत नए मामलों की सं.	परीक्षित पुराने मामलों की सं.	उपचारित रोगियों की सं.	कार्यकारी दिवसों की सं.
2005-06	3091	6049	9140	300
2006-07	3327	6962	10289	286
2007-08	2961	6162	9123	284
योग	9379	19173	28552	870

स्कूल स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम

वर्ष	स्कूल का नाम	स्कूल में शामिल छात्रों की सं.	परीक्षित छात्रों की सं.	उपचारित छात्रों की सं.	किए गए दौरों की सं.
2005-06	(क) अंजुमन-ए-इस्लाम सत्तार उच्च विद्यालय, मुंबई	750	330	139	09
	(ख) जाने मो. कासिम वाणिज्य उच्च विद्यालय, मुम्बई	750	330	139	09
2006-07	(क) अबदूसत्तार उच्च विद्यालय, मुंबई	725	670	550	29
	(ख) जान-ए-मो. विद्यालय				
2007-08	अहमद सेलर माध्यमिक विद्यालय, नागपाड़ा, मुंबई	506	154	154	09
	योग	1981	1154	843	47

चल कार्यक्रम

वर्ष	स्थल का नाम	पंजीकृत नए मामलों की सं.	परीक्षित पुराने मामलों की सं.	उपचारित रोगियों की सं.	किए गए दौरों की सं.
2005-06	गोवंडी (पूर्व) मुंबई	2135	1316	3451	43
2006-07	गोवंडी (पूर्व) मुंबई	1375	1206	2581	47
2007-08	गोवंडी (पूर्व) मुंबई	1535	2043	3578	52
योग		5045	4565	9610	142

रुग्णता एवं मृत्यु दर सर्वेक्षण कार्यक्रम

वर्ष	स्थल का नाम-शहरी/स्लम क्षेत्र	कुल जनसंख्या	घरों की सं.	शामिल घरों की सं.	किए गए दौरों की सं.
1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2008	स्लम क्षेत्र लोटस कालोनी, गोवंडी, मुंबई 40043 (महाराष्ट्र)	4017	652	637	81

पल्स पोलियो कार्यक्रम में सहभागिता

वर्ष	दौरों की संख्या	शामिल बच्चों की कुल सं.
2005-06	07	3723
2006-07	06	2744
2007-08	10	3807
योग	23	10274

[हिन्दी]

अमेरिकन एसोसिएशन आफ फिजिशियन्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

1616. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न रोगों के उपचार के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में अकेरियन एसोसिएशन ऑफ फिजिशयन्स आफ इंडियन आरिजिन के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार अप्रवासी भारतीयों के जरिए देश में कल्याण केन्द्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त केन्द्रों की स्थापना करने आ रही समस्याओं का ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने सामाजिक क्षेत्र के विकास के स्वरूप में सरकार-निजी भागीदारी को सुदृढ़ बनाने और बेहतर ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने के लिए भारत में सामाजिक क्षेत्रों में प्रवासी भारतीय संसाधनों को समाहित करने के लिए अमेरिकन एसोसिएशन आफ फिजिशयन्स आफ इंडियन ओरिजिन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों के ज्ञान और विशेषज्ञता को बांटना है। आंध्र प्रदेश और बिहार में दो प्रायोगिक परियोजनाओं की मार्फत अभिनव, स्वास्थ्य देख-भाल सुपुर्दगी प्रणाली लागू की जा रही है जिसे बाद में अन्य राज्यों में दोहराने के लिए माडल बनाया जा सकता है। परियोजनाएं दोनों राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अपोलो अस्पताल को भूमि आदि प्रदान किया जाना

1617. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपोलो (इन्द्रप्रस्थ) अस्पताल को रियायती दरों पर भूमि तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि अपोलो अस्पताल सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए संबंधित राज्य को ही अपोलो जैसे निजी अस्पताल को भूमि का आबंटन करने के लिए दिशानिर्देश बनाने होते हैं। ऐसी सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

नई कोयला वितरण नीति

1618. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई कोयला वितरण नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ होने की संभावना है; और

(घ) इस नीति का अन्य क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा नई कोयला वितरण नीति की घोषणा 18 अक्तूबर, 2007 को की गई। नीति की मुख्य विशेषताएं नीचे दिए अनुसार हैं-

(1) कोर तथा नान-कोर क्षेत्र में उपभोक्ताओं के मौजूदा वर्गीकरण की समीक्षा की गई है और उक्त को अब समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इसके बजाय, अन्य बातों के साथ-साथ, तत्संबंधी लागू विनियामक प्रावधानों तथा अन्य

संगत कारकों के मद्देनजर प्रत्येक क्षेत्र/उपभोक्ता के संबंध में गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

(2) रक्षा क्षेत्र तथा रेलवे की मांगों की इस समय अधिसूचित कीमत पर पूर्ण रूप से पूर्ति की जाएगी।

(3) यद्यपि स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी)/केप्टिव विद्युत संयंत्रों (सीपीपी) तथा उर्वरक क्षेत्र के उपभोक्ताओं सहित विद्युत उपयोगिताओं की नियामक आवश्यकता के अनुसार कोल इंडिया लि. (सीआईएल) द्वारा ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) के माध्यम से कोयले की शत-प्रतिशत मात्रा की आपूर्ति पर विचार किया जाएगा, जबकि अन्य उपभोक्ताओं/वास्तविक उपयोगकर्ताओं की नियामक आवश्यकता के अनुसार कोल इंडिया लि. (सीआईएल) द्वारा निर्धारित/घोषित/अधिसूचित किए जाने वाले निर्धारित मूल्यों पर एफएसए के माध्यम से 75% मात्रा की कोयले की आपूर्ति पर विचार किया जाएगा।

(4) 500 टन प्रति वर्ष की निर्दिष्ट मात्रा को छोटे तथा मझोले क्षेत्रीय उपभोक्ताओं के लिए बढ़ाकर 4200 टन प्रति वर्ष कर दिया गया है। निर्दिष्ट मात्रा को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य सरकार के अभिकरणों केंद्र सरकार के अभिकरणों अथवा उद्योग संघों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। शुरू में इन एजेंसियों को वितरण के लिए निर्दिष्ट मात्रा को भी बढ़ाकर 8 मि. टन प्रति वर्ष कर दिया जाएगा।

(5) लिंकेज व्यवस्था को लागू योग्य ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) की अधिक पारदर्शी द्विपक्षीय वाणिज्यिक व्यवस्था से परिवर्तित किया जाएगा।

(6) नई नीति के अनुसरण में अब नए उपभोक्ताओं को आश्वासन पत्र (एलओए) जारी करना होगा जिसकी वैधता विद्युत उपभोक्ताओं, सीपीपी तथा आईपीपी के उपभोक्ताओं/आवेदकों के लिए पहले के 30 महीने के बदले 24 महीने और अन्य उपभोक्ताओं के लिए 12 महीने की होगी। आश्वासन पत्र के आवंटी को कतिपय निर्धारित शर्तों को पूरा करना अपेक्षित होगा तथा इस अवधि के भीतर लक्ष्यों को पूरा करना होगा और उसके बाद ईंधन आपूर्ति समझौता सम्पन्न करने के लिए कोयला कंपनियों से सम्पर्क करना होगा।

(7) ई-नीलामी योजना कोयले के वितरण के उद्देश्य से ऐसे उपभोक्ताओं के लिए कोयले की पहुंच प्रदान करने के लिए आरंभ की गई जो अन्य उपलब्ध संस्थागत तंत्रों के माध्यम से कोयला प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

(8) सीआईएल या तो प्रत्यक्ष रूप से किसी अभिकरण के माध्यम से ऐसे नान-कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं का एक समयबद्ध तरीके से सत्यापन करेगा ताकि कोयले के वास्तविक उपभोक्ताओं के होने की उनकी सत्यनिष्ठा के दावे की जांच हो सके तथा तत्पश्चात् तदनुसार कार्य करे।

(ग) और (घ) इस नीति का उद्देश्य पूर्व निर्धारित मूल्य पर दीर्घकालिक आधार पर सभी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को सुनिश्चित गुणवत्ता वाला कोयला प्रदान करना है। कोर और नान-कोर क्षेत्र की अवधारणा समाप्त कर दी गई तथा प्रत्येक/उपभोक्ताओं के संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ तत्संबंधी लागू विनियामक प्रावधानों तथा अन्य संगत कारकों के मद्देनजर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा। इस नीति में यह भी परिकल्पना है कि वाणिज्यिक रूप से प्रवर्तनीय ईंधन आपूर्ति करारों (एफएसए) के माध्यम से सभी उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति की जाएगी। नई कोयला वितरण नीति का उपभोक्ताओं द्वारा कुल मिलाकर स्वागत किया गया है जैसा कि इस तथ्य से देखा जा सकता है कि 1188 यूनिटों में से 1110 यूनिटों ने पहले ही ईंधन आपूर्ति करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तथा एफएसए के माध्यम से कोयला प्राप्त कर रहे हैं।

पशुओं पर अत्याचार की घटनाएं

1619. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्षों में देश के विभिन्न भागों से प्राप्त सूचना के अनुसार पशुओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पता लगे मामलों की राज्य-वार, वर्ष-वार संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) केन्द्र सरकार द्वारा पशुओं पर क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में पशुओं पर अनावश्यक दर्द अथवा पशुओं को पीड़ा से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया था। संविधान की समवर्ती सूची में क्रूरता निवारण विहित है और इसलिए उपयुक्त कानून लागू करने की मशीनरी राज्य सरकारें/स्थानीय प्राधिकरण हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) पर्यावरण और वन मंत्रालय का सांविधिक निकाय है जो सभी राज्य सरकारों को पशुओं पर क्रूरता के संबंध में उपबंधों को लागू करने के लिए और अपराधियों को उपयुक्त रूप से निपटने के लिए

निदेश देता है। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा रिपोर्ट किए गए मामलों के संबंध में और दिनांक 21.11.2007 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 577 में दिया गया उत्तर संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य का नाम/संघ प्रदेश	वर्षों में पशुओं पर क्रूरता संबंधी मामलों की संख्या			दिए वर्षों में दोषियों की संख्या		
	2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
आंध्र प्रदेश	66	29	71	51 (2005 के लिए)	24 (2006 के लिए)	113 (अगस्त 2007 तक)
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
अंडमान और निकोबार	0	0	1	0	0	0
छत्तीसगढ़	84	51	65	14	15	14
चंडीगढ़	0	2	1	0	3	0
दादरा और नगर हवेली	0	0	1	0	0	1
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	1389	1572	1826	1389	1570	1838
गोवा	10	2	11	8	2	0
हरियाणा	90	152	255	46	97	185
हिमाचल प्रदेश	21	20	6	8	0	0
केरल	123	100	79	46	24	19
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0
पंजाब	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0
सिक्किम	0	0	0	0	0	0
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	1541	1296	1127	4265	3338	3037
उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	13918	9078	17092	207	160	178

एटमोस्फेरिक ब्राउन क्लाउड्स

1620. **श्री के.सी. सिंह "बाबा"**: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एटमोस्फेरिक ब्राउन क्लाउड्स (एबीसी) उपमहाद्वीप में मानसून वर्षा की संभावनाओं को काफी हद तक कम कर देते हैं जिससे कृषि फसलों को काफी अधिक खतरा होता है;

(ख) यदि हां, तो इस खतरे से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या देश के पर्यावरण पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (घ) एटमोस्फेरिक ब्राउन क्लाउड्स (एबीसी) वायु प्रदूषक होते हैं जैसे कि ब्लैक कार्बन और अन्य कार्बनिक गैसें और एसिड्स। यूनाइटेड नेशन्स एनवायरनमेंट प्रोग्राम (यूएनईपी) ने एटमोस्फेरिक ब्राउन क्लाउड्स से संबंधित वर्ष 2008 में छपी अपनी क्षेत्रीय मूल्यांकन रिपोर्ट, जिसमें एशिया पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, ने यह सूचित किया है कि एटमोस्फेरिक ब्राउन क्लाउड्स से प्रभावित धुंधलेपन को भारत में वर्षा और कृषि फसलों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के लिए एक सरोकार के रूप में माना गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा अन्य संगठनों ने एटमोस्फेरिक ब्राउन क्लाउड्स के कृषि स्वास्थ्य और अन्य पर्यावरणीय पैरामीटरों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए भाग लिया। तथापि, इसके प्रभाव के निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाण का अभी पता लगाया जाना है। सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) पर्यावरण (सुरक्षा) नियमावली, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित उद्योग की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित करना।

(2) आटोफ्यूल पालिसी के अनुसार वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया स्वच्छ ईंधन।

(3) कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स के लिए बेनेफिसियेटेड कोयले का उपयोग।

(4) डीजल जेनरेटर सेटों के संबंध में सख्त उत्सर्जन मानकों का कार्यान्वयन।

(5) उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के लिए वायु प्रदूषक उद्योगों की मानीटरिंग।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर होर्डिंग लगाया जाना

1621. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर**: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर होर्डिंग लगाने पर रोक लगाने के लिए नए दिशा-निर्देश बनाए हैं/बनाए जाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर होर्डिंग को लगाने को विनियमित किए जाने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित नए उपायों का ब्योरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोटा चिकित्सा महाविद्यालय को जारी की गई धनराशि

1622. **श्री रघुवीर सिंह कौशल**: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण बोर्ड (एनसीसीबी) ने कोटा चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा (राजस्थान) के कैंसर विभाग के विस्तार हेतु धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त धनराशि का उपयोग कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उपकरणों की खरीद के लिए वर्ष 2006-07 के दौरान अर्बुतविज्ञान खण्ड के विकास के लिए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और एमबीएस अस्पताल, कोटा को 2.04 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

(ग) और (घ) चिकित्सा महाविद्यालय ने निर्माण क्रियाकलापों और ब्राचीथिरेपी मशीन की खरीद के लिए 1.81 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि खर्च की है। निविदाओं में तकनीकी बाधा के कारण शेष राशि का उपयोग नहीं किया जा सका और इसलिए उसका वर्ष 2008-09 में पुर्नमान्यकरण करने के लिए अनुरोध किया गया। इस मंत्रालय ने इस संबंध में चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को पहले से ही स्वीकार कर लिया है।

[अनुवाद]

बाघों के संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन

1623. श्रीमती मेनका गांधी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने बाघों के संरक्षण हेतु पर्याप्त कदम उठाने के लिए राज्यों से एक समझौता शपथ पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में प्रत्येक राज्य को आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी हां, समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 3 में बाघ संरक्षण के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मानक मार्गनिर्देशों का अनुपालन और जिन कार्यों के लिए निधि दी गई है वह मदें और सम्बद्ध शर्तों का विवरण शामिल है।

(ग) प्रत्येक राज्य को आवंटित निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2008-09 के दौरान बाघ परियोजना के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपये)

क्र.सं.	बाघ रिजर्व रेंज राज्य का नाम	2008-09
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	26.0830
2.	अरुणाचल प्रदेश	54.7805
3.	असम	221.2690
4.	बिहार	–
5.	छत्तीसगढ़	92.1296
6.	कर्नाटक	235.7748
7.	केरल	86.6000
8.	झारखंड	48.2165
9.	मध्य प्रदेश	2083.6589
10.	महाराष्ट्र	233.1276
11.	मिजोरम	80.0000
12.	उड़ीसा	398.760
13.	राजस्थान	2477.3026
14.	तमिलनाडु	208.8360
15.	उत्तरांचल	270.8400
16.	उत्तर प्रदेश	157.5100
17.	पश्चिम बंगाल	111.5693
	कुल	6786.4578

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं

1624. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत किए गए विकास कार्यों तथा उनसे अब तक हुए लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ योजनाएं राज्य में सफल नहीं रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इनके सफल क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम परिवारों को सुलभ, वहनीय एवं भरोसेमंद गुणवत्तायुक्त

स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 12 अप्रैल, 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारम्भ किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, उड़ीसा एवं राजस्थान, आठ पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर सहित 18 राज्यों को विशेष ध्यान दिए जाने वाले राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का जोर पूर्ण कार्यशील, समुदाय की स्वामित्व वाली, विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य प्रदानगी प्रणाली स्थापित करने पर है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जल, साफ सफाई, शिक्षा, पोषण आदि जैसे समानांतर स्वास्थ्य निर्धारकों पर साथ-साथ कार्रवाई को सुगम बनाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र में संस्थागत एकीकरण किया गया है और कार्यनिष्पादन को सभी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के लिए तैयार किए गए भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप आंका जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन संबंधित वर्षों की राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की कार्यनीतियों उत्तर प्रदेश राज्य में संतोषजनक ढंग से कार्यान्वित की जा रही हैं। सरकार, राज्यों द्वारा की गई विभिन्न पहलों की सतत सहायता सुनिश्चित करती है। कार्यनिष्पादन की मानीटरिंग एवं मेनटारिंग नियमित प्रबंधन सूचना प्रणाली, स्वतंत्र एजेंसियों और अधिकारिता समुदाय एवं समुदाय आधारित संगठनों द्वारा समवर्ती थीमेटिक मूल्यांकनों के माध्यम से की जाती है।

उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य क्षेत्र का व्यापक जीर्णोद्धार किया है और संविदात्मक नियुक्ति के माध्यम से प्रमुख मानव संसाधनों में वृद्धि की है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रारम्भ होने के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, कार्यक्षेत्र, गुणवत्ता एवं उपयोग में काफी बढ़ोत्तरी हुई है।

[अनुवाद]

पत्तनों पर कंटेनर संबंधी सुविधा उपलब्ध कराना

1625. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी पत्तनों पर कंटेनर संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) देश के पत्तनों पर कंटेनर संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने भारत के पूर्वी और पश्चिम तट पर अवस्थित महापत्तनों में कंटेनर संभालने की सुविधाओं के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए दो उच्चाधिकार प्राप्त समितियां गठित की हैं। उपर्युक्त समितियां अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के बारे में जांच-पड़ताल करेंगी:-

(1) महापत्तनों में कंटेनरों को संभालने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं,

(2) भीड़-भाड़ की कठिनाइयों और समस्याओं का पता लगाना,

(3) समग्र संभार-तंत्र श्रृंखला में बेहतरी लाने के क्षेत्रों का पता लगाना, और

(4) बढ़े हुए कंटेनर यातायात की चुनौतियों को पूरा करने के लिए सुविधाजनक और दीर्घकालिक उपाए किए जाने के लिए सिफारिश करना।

(ग) महापत्तनों द्वारा संभाले गए सीधे गंतव्य को जाने वाले कंटेनर कार्गो में लगातार वृद्धि दर्शाई है और वर्ष 2007-08 के दौरान इसका प्रतिशत 67.81% रहा है। जवाहर लाल नेहरू पत्तन में, जो कि महापत्तनों द्वारा संभाले गए कंटेनर कार्गो का अधिकतम हिस्सा संभालता है, उसका वर्ष 2007-08 में सीधे गंतव्य को भेजे जाने वाले कार्गो का प्रतिशत 90.88% रहा था। देश में कंटेनर यातायात की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित के विकास के लिए परियोजनाएं सौंपी गई हैं: (1) कोचीन पत्तन में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर यानानंतरण टर्मिनल, (2) चेन्नई पत्तन में दूसरा कंटेनर टर्मिनल, (3) मुंबई पत्तन में दो अपतटीय कंटेनर। इसके अतिरिक्त विभिन्न महापत्तनों में सरकारी गैर-सरकारी भागीदारी के माध्यम से निर्मित किए जाने वाले कई कंटेनर टर्मिनल तैयार किए जाने की प्रक्रिया में हैं। कुछ परियोजनाएं, जिन्हें तैयार किया जाना है निम्नानुसार हैं:-

(1) इन्नौर पत्तन लिमिटेड में कंटेनर टर्मिनल।

(2) चेन्नई पत्तन में मेगा कंटेनर टर्मिनल।

(3) तूतीकोरिन पत्तन में कंटेनर टर्मिनल।

(4) कोलकाता पत्तन में डायमंड हार्बर में कंटेनर टर्मिनल।

(5) जवाहर लाल नेहरू पत्तन में न्हावा शेवा अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल के उत्तर में कंटेनर टर्मिनल।

(6) जवाहर लाल नेहरू पत्तन में चौथा कंटेनर टर्मिनल।

विश्व हिंदी सम्मेलन

1626. श्री नवीन जिन्दल: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगले विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन स्थल तथा तिथि निर्धारित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले सम्मेलन की सिफारिशों का क्रियान्वयन कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) और (घ) इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विश्व हिन्दी सम्मेलन की सिफारिशों का कार्यान्वयन

अब तक आठ विश्व हिन्दी सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। इन सम्मेलनों की सिफारिशें और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

1. हिन्दी भाषा का प्रचार और हिन्दी का भारतीय मूल के लोगों के बीच प्रचार-प्रसार।

की-गई-कार्रवाई

विदेशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार मंत्रालय की एक निरन्तर चलने वाली गतिविधि है। हिन्दी के प्रचार-प्रसार एवं शिक्षण कार्य में लगे हुए व्यक्तियों और शैक्षिक संस्थाओं को देने के लिए हिन्दी पुस्तकें, शब्दकोश, पाठ्यपुस्तकें, बच्चों के लिए कहानी की किताबें, शिक्षण सहायक सामग्री, सीडी और हिन्दी साफ्टवेयर नियमित रूप से भारतीय मिशनों को भेजे जाते हैं। स्थानीय हिन्दी-शिक्षकों को मानदेय का भुगतान और वित्तीय सहयोग देकर विदेशों में हिन्दी शिक्षण का भी समर्थन किया जाता है।

2. विदेशी विश्वविद्यालयों में हिन्दी पाठों की स्थापना और विदेश में हिन्दी शिक्षण संबंधी क्रियाकलापों को मजबूती प्रदान करना।

की-गई-कार्रवाई

वर्तमान में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा विदेश स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों में भारत विद्या की 19 पीठें स्थापित की गई हैं।

3. विश्व हिन्दी दिवस हर वर्ष मनाया जाना।

की-गई-कार्रवाई

मंत्रालय तथा विदेश स्थिति कई भारतीय मिशनों द्वारा 10 जनवरी, 2006 को पहली बार विश्व हिन्दी दिवस के रूप में मनाया गया। अब यह एक नियमित वार्षिक कार्यक्रम हो गया है।

4. हिन्दी वेबसाइट विकसित करना और हिन्दी के प्रचार में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग।

की-गई-कार्रवाई

18 अगस्त, 2006 को मंत्रालय की हिन्दी वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। मुख्यालय और विदेश स्थित भारतीय मिशनों दोनों में ई-मेल द्वारा भी पत्र व्यवहार हिन्दी में किया जा रहा है।

5. हिन्दी विद्वानों की एक विश्व निर्देशिका का प्रकाशन।

की-गई-कार्रवाई

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा एक निर्देशिका तैयार की गई है।

6. संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अधिकारिक भाषा के रूप में हिन्दी को मान्यता प्रदान करना।

की-गई-कार्रवाई

विदेशों में रहने वाले भारतीयों का समर्थन जुटाने के लिए एक समर्थन दस्तावेज तैयार किया गया।

7. सूरीनाम में हिन्दी शिक्षण का संवर्धन।

की-गई-कार्रवाई

सूरीनाम में हिन्दी शिक्षण सहित हिन्दी गतिविधियों को बहुत सहयोग प्रदान किया जाता है। हाल ही में हिन्दी पाठशालाओं के

लिए और हिन्दी शिक्षकों को मानदेय के भुगतान, हिन्दी पाठ्यपुस्तकों के स्थानीय प्रकाशन कार्यों के लिए सहयोग दिया गया। बड़ी संख्या में हिन्दी पुस्तकें और शब्दकोष भी भेजे हैं।

8. विश्व हिन्दी सचिवालय के कामकाज को सक्रिय एवं उद्देश्यपरक बनाने के लिए सचिवालय को भारत तथा मारीशस सरकार हर संभव प्रशासनिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करें।

की-गई-कार्रवाई

विश्व हिन्दी सचिवालय ने फरवरी, 2008 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है। भारत और मारीशस की सरकारों द्वारा प्रशासनिक एवं मूल अवसंरचनात्मक व्यवस्थाएं उपलब्ध करायी गई हैं। सचिवालय के बजट में दोनों देशों का योगदान होगा।

9. यह सम्मेलन विश्व के सभी हिंदी प्रेमियों विशेष रूप से प्रवासी भारतीयों तथा विदेशों में कार्यरत भारतीय राष्ट्रिकों से भी अनुरोध करता है कि वे विदेशों में हिन्दी भाषा, साहित्य के संवर्धन एवं प्रचार-प्रसार में सहयोग करें।

की-गई-कार्रवाई

विदेश मंत्रालय विदेश स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से विदेश स्थित हिन्दी संस्थाओं और भारतीयों से निरंतर सम्पर्क रखे हुए है, और विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में आवश्यक अवसंरचनात्मक सहयोग कर रहा है।

10. केन्द्रीय हिन्दी संस्थान भी विदेशों में हिन्दी के संवर्धन व हिन्दी पाठ्यक्रमों के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दे।

की-गई-कार्रवाई

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का केन्द्रीय हिन्दी संस्थान हिन्दी के संवर्धन में सक्रिय योगदान दे रहा है।

11. भारत द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर आयोजित की जाने वाली संगोष्ठियों व सम्मेलनों में हिन्दी को प्रोत्साहित किया जाए।

की-गई-कार्रवाई

गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग इस संबंध में समय-समय पर आवश्यक अनुदेश जारी करता रहता है।

एफ एम रेडियो

1627. श्री वाडिगा रामकृष्णा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एफ एम रेडियो पर लगे प्रतिबन्धों में ढील देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) से विचार मांगे गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (घ) निजी एजेंसियों के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार (चरण-II) संबंधी नीति के अनुसार निजी एफएम प्रसारकों को समाचार और समसामयिक मामले प्रसारित करने की अनुमति नहीं है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दिनांक 22.2.2008 को एफएम रेडियो प्रसारण के विस्तार के चरण-III से संबंधित मुद्दों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। विभिन्न मुद्दों पर सिफारिशें देते समय प्राधिकरण ने इस बात की भी सिफारिश की थी कि एफएम रेडियो प्रसारकों को आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्राधिकृत टीवी समाचार चैनलों, युनाइटेड न्यूज आफ इंडिया, प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया तथा किसी अन्य प्राधिकृत समाचार एजेंसी से विषय-वस्तु को लेकर, उसमें कोई तात्विक परिवर्तन किए बिना, समाचारों को प्रसारित करने की अनुमति दी जाए। इन सिफारिशों की जांच करने के पश्चात् मंत्रालय ने अपने विचार व्यक्त किए और इन्हें ट्राई के पास आगे की सिफारिशें करने हेतु वापस भेज दिया। ट्राई ने दिनांक 28.11.2008 को अपनी सिफारिशें भेज दी हैं जिनकी मंत्रालय में जांच की जा रही है।

गिर वन में शेर

1628. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गिर वन में शेरों की कुल संख्या कितनी थी तथा इन प्रत्येक वर्षों में कितने शेर मारे गए; और

(ख) गिर वन में शेरों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मुख्य एशियाई सेर की अनुमानित संख्या 35±10 गुजरात के वृहत्त गिर क्षेत्र में है (अप्रैल 2005 में किए गए संख्या आंकलन के आधार पर)।

पिछले दो वर्षों के दौरान मृत शेरों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	प्राकृतिक गैस	दुर्घटना	बिजली के करंट से	अवैध शिकार	कुए में गिरने से	कुल
2006	17	0	0	1	6	24
2007	33	1	6	8	7	55

(ख) गिर वनों में कोई बाघ नहीं है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा शेरों सहित वन्यजीव संरक्षण के लिए की गई कार्रवाई इस प्रकार है:-

1. केन्द्र सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के मुद्दों से निपटने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 को अधिनियमित किया है। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दोषियों पर कड़े दण्डों को लगाया गया है।

2. वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, पांच क्षेत्रीय और तीन उप क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के साथ, वन्य जीव अपराध पर नियंत्रण के लिए स्थापित किया गया है।

3. केन्द्रीयकृत समर्थित योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है जैसे कि शेर और उसके पर्यावासों सहित वन्य जीव के संरक्षण और सुरक्षा के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का विकास।

इसके अलावा, गुजरात सरकार ने गिर वनों में शेरों सहित वन्य जीव को बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. बृहत गिर क्षेत्र के रूप में संरक्षण के लिए उच्च प्राथमिकता के साथ गिर वनों और शेरों के पर्यावासों की पहचान की गई है।

2. बृहत गिर क्षेत्र में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त मानवशक्ति को तैनात किया गया है।

3. 100 मोटर साइकिलों और 10 चार चक्के वाहनों को प्रदान करते हुए संरक्षण के लिए स्टांफ की गतिशीलता को बढ़ाया गया है।

4. बेहतर संपर्क के लिए फील्ड स्टाफ और चेक पोस्टों को अतिरिक्त वायरलेस और वाकी टाकी उपस्कर प्रदान किए गए हैं।

5. फील्ड स्टाफ को अतिरिक्त आग्नेय शस्त्रों के साथ सुसज्जित किया गया है।

6. अंतर विभागीय समन्वय को विभिन्न स्तरों पर मजबूत बनाया गया है।

7. वन और वन्य जीव सुरक्षा गतिविधियों में स्थानीय निवासियों के समर्थन के लिए अनुरोध किया गया है।

8. संवेदनशील क्षेत्रों में गश्ती और मानीटरिंग को बढ़ाया गया है।

विदेशों में कार्यरत भारतीय घरेलू सेवा कामगार

1629. श्री एस.के. खारवेलमणन: क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न देशों में कार्यरत भारतीय घरेलू सेवा कामगारों (एच.एस.डब्ल्यू.) की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या भारत तथा विभिन्न अन्य देशों जहां पर भारतीय घरेलू सेवा कामगार कार्यरत हैं, के बीच द्विपक्षीय श्रमिक कल्याण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विदेशों में घरेलू सेवा कामगार के रूप में कार्यरत भारतीय महिलाओं के शोषण की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) विदेशों में भारतीय कामगारों को शोषण से संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) विदेशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों में से 90 प्रतिशत से अधिक खाड़ी देशों में हैं। भारतीय मिशनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार फिलहाल खाड़ी और महत्वपूर्ण ईसीआर देशों में घरेलू नौकरानियों के रूप में नियोजित भारतीय महिलाओं की अनुमानित संख्या 1,70,000 है।

(ख) और (ग) मंत्रालय ने उत्प्रवासी कामगारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और ओमान के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और कतर के साथ वर्तमान समझौता ज्ञापन पर एक अतिरिक्त प्रोटोकाल किया है। मलेशिया और बहरीन के साथ समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप दिया गया है। अन्य श्रम आयातक देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन समझौता ज्ञापनों में एक संयुक्त समिति का प्रावधान होता है जिसमें कामगारों की शिकायतों पर चर्चा करने और उन्हें हल करने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। उनका आशय जन-शक्ति विकास में सहयोग, जनशक्ति को जुटाने और भर्ती को कारगर बनाना, सभी संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता और अनुभव का आदान-प्रदान करना और नियोक्ता तथा कर्मचारी की शर्तें और साथ ही अधिकारों व कर्त्तव्यों का निर्धारण करना भी है।

(घ) और (ङ) भारतीय उत्प्रवासी कामगारों के शोषण की घटनाएं समय-समय पर सरकार के ध्यान में आती हैं। प्राप्त शिकायतें विभिन्न मुद्दों से संबंधित हैं जिनमें भर्ती एजेंटों द्वारा शोषण की घटनाएं शामिल हैं। गत दो वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या नीचे दिए गए अनुसार है:

अपंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध शिकायतें

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	जारी की गई अभियोजना स्वीकृतियां	कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों/ उत्प्रवास संरक्षियों को भेजे गए मामले
2006	78	21	57
2007	41	7	34
2008 (30.11.08 तक)	87	59	87

पंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध शिकायतें

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	निलम्बित/रद्द किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की संख्या	बंद कर दी गई/ हल कर दी गई शिकायतों की संख्या	लम्बित मामले जिन पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है
2006	167	167	80	84	03
2007	98	94	12	66	20
2008 (30.11.08)	102	102	24	26	52

उपरोक्त के अतिरिक्त, ऐसी शिकायतों के आधार पर 345 विदेशी नियोक्ताओं को पूर्व अनुमोदन श्रेणी में रखा गया है।

(च) विदेश जाने वाले भारतीय कामगारों के हितों का संरक्षण करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं:

* कामगारों की सभी श्रेणियों (कुशल और अकुशल) के लिए 6 देशों अर्थात् यमन, लेबनान, लीबिया, जोर्डन, सूडान और कुवैत के संबंध में रोजगार दस्तावेजों का संबंधित भारतीय मिशनों से सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है जबकि सभी ईसीआर देशों के लिए उपेक्षित श्रेणियों जैसे कि घरेलू आयाओं/घरेलू नौकरों और अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार दस्तावेजों का भारतीय मिशनों से सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
* 500 अथवा अधिक कामगारों की सभी मांगों के मामले में संबंधित भारतीय मिशनों द्वारा विदेशी नियोक्ता के साथ-साथ उसकी मांग की वास्तविकता की जांच की जाती है।
* मंत्रालय की सतर्कता सूचना में दर्ज भर्ती एजेंटों की सभी मांगों को स्वीकृति देने से पूर्व संबंधित भारतीय मिशन द्वारा सत्यापित कराया जाता है। उत्प्रवास संरक्षियों को कहा गया है कि मंत्रालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उत्प्रवास स्वीकृति देते समय उचित जांच और कड़ी सावधानी बरती जाए।
* उत्प्रवासी कामगारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन किए हैं और कतर के साथ

विद्यमान करार को अद्यतन बनाया है। मलेशिया और बहरीन के साथ समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। ओमान के साथ बातचीत जारी है। अन्य श्रमिक आयातक देशों के साथ समझौता ज्ञापन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन समझौता ज्ञापनों में एक संयुक्त समिति का प्रावधान होता है जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि होते हैं जो कामगारों की शिकायतों पर चर्चा करते हैं और उनका समाधान करते हैं।

* उत्प्रवासियों के उपेक्षित वर्गों जिनमें महिला उत्प्रवासी शामिल हैं, के बेहतर संरक्षण और कल्याण के लिए विशेष उपाय किए गए हैं:

1. ईसीआर पासपोर्टों पर उत्प्रवास करने वाली सभी महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 कर दी गई है।

2. मेजबान देशों में उत्प्रवासियों की जानकारी और सहायता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकल सेवा द्वार के रूप में कार्य करने के लिए प्रवासी भारतीय कामगार स्रोत केन्द्र खोले गए हैं।

3. 24 घंटे सातों दिन की एक हेल्प लाइन अर्थात् प्रवासी भारतीय स्रोत केन्द्र स्थापित किया गया है ताकि उत्प्रवासी/संभावित उत्प्रवासी जानकारी प्राप्त कर सकें और भर्ती एजेंटों/विदेशी नियोक्ताओं के विरुद्ध शिकायतें दर्ज करा सकें।

* एक व्यापक बीमा योजना अर्थात् प्रवासी भारतीय बीमा योजना, 2006 विद्यमान है जिसमें प्रत्येक उत्प्रवासी कामगार के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वह उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त करते समय योजना के अंतर्गत शामिल हो। योजना में अन्य बातों के अलावा कामगारों को जीवन बीमा, चिकित्सा खर्च, कानूनी खर्च और साथ ही जब कभी आवश्यकता हो स्वदेश वापसी का खर्च शामिल होता है। 1.4.2008 से अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हुए प्रीमियम की दरों को कम करके योजना को प्रोन्नत किया गया है। कामगारों को अब 10 लाख रुपये का जीवन बीमा (पहले 5 लाख रुपये के स्थान पर), चिकित्सा खर्च 75 हजार रुपये (पहले 50 हजार रुपये के स्थान पर), परिवार के अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के रूप में 50 हजार रुपये (पहले 25 हजार रुपये के स्थान पर), मातृत्व खर्च 25 हजार रुपये (पहले 20 हजार रुपये के स्थान पर) और कानूनी खर्च 30 हजार रुपये (पहले 25 हजार रुपये के स्थान पर) आदि दिया जाता है। बीमा प्रीमियम की राशि को कम करके दो वर्ष की बीमा अवधि के लिए 275 रुपये और तीन वर्ष की अवधि के लिए 375 रुपये कर दिया गया है।

* कानूनी और अवैध उत्प्रवास के क्रमशः लाभों और परेशानियों का प्रचार करने के लिए श्रमिकों और अन्य उपेक्षित वर्गों जैसे महिला उत्प्रवासियों को शिक्षित करने के लिए समाचार पत्र-पत्रिकाओं और इलैक्ट्रानिक मीडिया की मार्फत प्रचार अभियान शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

दंत रोग

1630. श्री सुभाष महरिया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दांतों से संबंधित रोग बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे रोगों से निपटने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जलवायु परिवर्तन प्रभाव संबंधी अध्ययन

1631. श्री रायापाति सांबासिवा राव: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रभाव के अध्ययन में शामिल संस्थानों/अधिकरणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे अध्ययन के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इस संबंध में कोई राष्ट्रीय योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) जलवायु परिवर्तन पर युनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन से संबंधित भारत का प्रारंभिक राष्ट्रीय पत्र तैयार करने हेतु देशव्यापी

अनुसंधान और विकासात्मक अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों और उद्योग संघ को भारत में जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव और आक्रामकता पर व्यापक भागीदार आधार के माध्यम से अध्ययन और सूचना विकास के लिए शामिल किया गया।

(ख) इस अध्ययन से संवेदनशीलता पर ज्ञान की वर्तमान अवस्था और जलवायु परिवर्तन से जल संसाधनों, कृषि, वन, पारितंत्रों और मानव स्वास्थ्य जैसे विविध सेक्टरों पर पड़ने वाले प्रभाव प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 30 जून, 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) जारी की गई थी। राष्ट्रीय कार्य योजना सौर वर्धित ऊर्जा क्षमता, सतत पर्यावास, जल, हिमालयी पारितंत्र की सततता, ग्रीन इंडिया, सतत कृषि और जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान रेखांकित करती है।

बम विस्फोटों के पीड़ितों के लिए अस्पताल

1632. **श्री फ्रांसिस फैन्थम:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास बम विस्फोटों इत्यादि से पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए कतिपय अस्पतालों की पहचान करके उनमें विशेष उपकरण उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ दिल्ली में चिन्हित अस्पताल कहां स्थित है; और

(ग) इन केन्द्रों में लगाए गए राहत उपकरणों का ब्यौरा क्या है और आपातकालीन स्थिति में प्रत्येक अस्पताल कितने घायलों का इलाज मुहैया करा सकता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) केन्द्र सरकार के अस्पतालों नामत:-एम्स, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज में बम विस्फोट आदि में पीड़ित व्यक्तियों को देखने की व्यवस्था है। एम्स और डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अति विशिष्ट सेवाओं सहित समर्पित अभिघात केन्द्र भी है। इन अस्पतालों में जनशक्ति एवं सामग्री संभारतंत्र वाली आपदा योजनाएं हैं जो अस्पताल आपदा योजना के अनुसार सक्रिय एवं सुदृढ़ की जा सकती हैं। इन अस्पतालों में समर्पित आपदा बिस्तर भी हैं जो 50-100 हताहत व्यक्तियों के लिए हैं।

[हिन्दी]

भारतीय दूतावासों में सरकारी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति

1633. **श्री गिरिधारी यादव:**
श्री काशीराम राणा:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य देशों में स्थित भारतीय दूतावासों में सरकारी कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन विहित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) भारतीय मिशनों और केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों में विदेश मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी और भारत सरकार के अन्य विभागों एवं मंत्रालयों के अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी जब विदेश स्थित मिशनों में पदस्थ होते हैं तब वे प्रतिनियुक्त पर नहीं होते। अन्य मंत्रालयों के अधिकारी जब इन पदों पर पदस्थ होते हैं तब वे अपने-अपने मूल-संवर्ग से प्रतिनियुक्ति पर होते हैं। विदेश स्थित भारतीय मिशनों में पदस्थ भारत सरकार के सभी अधिकारी विदेश सेवा बोर्ड की सहमति या अनुमोदन से भेजे जाते हैं जो इस संबंध में एक निर्धारित प्रक्रिया का अनुगमन करता है।

[अनुवाद]

आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान का बंद होना

1634. **श्री हरिन पाठक:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अहमदाबाद स्थित आयुर्वेद औषध अनुसंधान संस्थान के जल्द ही बंद किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मलेरिया रोधी औषधियों का नैदानिक परीक्षण

1635. श्री रेवती रमन सिंह:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मलेरिया रोधी औषधि क्लोरोक्वीन का उपयोग बंद करके इसके स्थान पर औषधि के एक नए सम्मिश्रण को उपयोग में लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई औषधि का कोई नैदानिक परीक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने नैदानिक परीक्षण किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अनेक नए औषध संयोजनों के नैदानिक परीक्षण देश में कराए गए हैं। तथापि, क्लारोक्विन को प्रतिस्थापित करने के लिए किसी नए औषध संयोजन का नैदानिक परीक्षण नहीं कराया गया है।

(ङ) इस मंत्रालय ने वैश्विक नैदानिक परीक्षणों सहित लगभग 1100 नैदानिक परीक्षणों की अनुमति पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में दी है। तथापि, यह मंत्रालय देश में उक्त अवधि के दौरान राज्यवार वार्षिक रूप से कराए गए नैदानिक परीक्षणों की संख्या से अवगत नहीं है, क्योंकि नैदानिक परीक्षणों का पंजीकरण फिलवक्त अनिवार्य नहीं है।

[हिन्दी]

समुद्री उद्योग के विकास हेतु समुद्री विशेषज्ञों की सेवाएं

1636. श्री वी.के. दुग्मर:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार समुद्री नीति के निर्माण और कार्यान्वयन हेतु समुद्री विशेषज्ञों की सेवाएं लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा समुद्री उद्योग के विकास हेतु समुद्री विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) समुद्रीय नीति को तैयार करने और इसके कार्यान्वयन के लिए समुद्री विशेषज्ञों की सेवाएं लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार के पास पहले ही मंत्रालय में महानिदेशालय (नौवहन), राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की स्थापनाओं में विशेषज्ञों का एक पूल है।

वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत नौवहन महानिदेशालय को नौवहन नीति से संबंधित मामलों के साथ-साथ भारतीय जलयानों के पंजीकरण, नौवहन के तकनीकी पहलुओं, भारतीय पंजीकृत जलयानों अथवा विदेशी ध्वज से युक्त जलयानों पर कार्यरत भारतीय नाविकों के कल्याण के उपायों सहित अन्य राष्ट्रीय हित पर सरकार को सलाह देने का कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंस्ट्रूमेंट के प्रावधानों को लागू करने के लिए नौवहन महानिदेशालय के पास भारत सरकार की तकनीकी जानकारी तथा इसके सलाहकारों की विशेषज्ञता अर्थात् नाटीकल सलाहकार तथा मुख्य सर्वेक्षक हैं। सरकार, आवश्यकताओं पर निर्भर रहते हुए समय-समय पर समुद्रीय क्षेत्रों में विभिन्न स्टेक होल्डरों तथा विशेषज्ञों के साथ पारस्परिक बैठकें तथा परामर्शी करती है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य क्षेत्र में अप्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश

1637. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रवासी भारतीयों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अप्रवासी भारतीयों द्वारा किया गया निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में अप्रवासी भारतीयों के निवेश हेतु तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) वर्तमान नीति के अनुसार अस्पताल क्षेत्र में 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्वचालित मार्ग के तहत अनुमत है।

अस्पताल और निदान केन्द्रों में विगत तीन वर्षों के दौरान अनिवासी भारतीयों के निवेश सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अस्पताल क्षेत्र में अनिवासी भारतीयों के निवेश के लिए कोई अलग योजना तैयार नहीं की गई है।

विवरण

वर्षवार विवरण

अप्रैल; 2005 से सितम्बर 2008 तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

अंत: प्रवाह

क्षेत्र: अस्पताल और निदान केंद्र

(मिलियन रु. में)

क्र.सं.	वर्ष	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
1.	2005-06 (अप्रैल-मार्च)	1,422.41
2.	2006-07 (अप्रैल-मार्च)	1,747.84
3.	2007-08 (अप्रैल-मार्च)	9,959.10
4.	2008-09 (अप्रैल-सितम्बर)	8,428.45
	कुल योग	21,557.80

नोट: इस राशि में एस आई ए/एफ आई पी बी मार्ग, वर्तमान शयरों के अधिग्रहण और आर बी आई स्वचालित मार्ग के जरिए प्राप्त आगम शामिल है।

डाक्टरों के लिए चिकित्सा शिक्षा

1638. श्री खेंगरा सुरेन्द्रन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डाक्टरों की कार्यकुशलता को अद्यतन बनाने के लिए साठ घंटे की चिकित्सा शिक्षा को अनिवार्य करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर डाक्टरों की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) आधुनिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों के पंजीकरण के नवीकरण से संबंधित एक प्रस्ताव अविच्छिन्न चिकित्सा शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए विचाराधीन है।

[हिन्दी]

तम्बाकू उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य चेतावनी

1639. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तम्बाकू उत्पादकों को तम्बाकू उत्पादों पर विनिर्दिष्ट अनिवार्य स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करने के लिए निदेश देने संबंधी कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) भारत सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियमावली, 2008 को दिनांक 15 मार्च, 2008 के सा.का.नि.सं. 182(अ) के तहत अधिसूचित किया है। यह नियमावली 31 मई, 2009 से प्रवृत्त होगी। इस नियमावली के अनुसार, सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के प्रत्येक पैकेज पर विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी, जैसी विनिर्दिष्ट की गई हो, रहेगी। विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के घटकों में स्वास्थ्य चेतावनियां (धूम्रपान जानलेवा है या तंबाकू जानलेवा है); तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों का सचित्र प्रदर्शन तथा स्वास्थ्य संदेश शामिल हैं।

तंबाकू उद्योग को सांविधिक उपबंधों का पालन करना होता है और ऐसे में निधियां राज्यों को इस प्रयोजनार्थ आबंटित नहीं की जाती। तथापि, 2007-08 में 1.55 करोड़ रु. 18 जिलों में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रायोगिक चरण के लिए राज्यों/जिलों को जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

पेरुम्बलम पुल का निर्माण

1640. डा. के.एस. मनोज: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केरल राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए प्रस्ताव के अनुसार वेम्बानाड झील से पेरुम्बलम द्वीप समूह तक पुल का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला आबंटन नीति

1641. श्रीमती जयाप्रदा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी कंपनियों और सरकारी क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) को कोल ब्लाक आबंटित करने की सरकारी नीति असफल रही है जैसाकि दिनांक 22 जून, 2008 के ''दि टाइम्स आफ इंडिया'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण कोयला आधारित उद्योगों और विद्युत संयंत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कोयला आधारित उद्योगों और विद्युत संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों के पास पर्याप्त भंडार हैं। इसके अलावा, स्वदेशी कोयले की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

* कोल इंडिया लि. में 10वीं पंचवर्षीय योजना में 91 परियोजनाओं की पहचान की गयी, जिनमें से 87 को अनुमोदित कर दिया गया है।
* इनके अलावा, 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 298 मिलियन टन की क्षमता के साथ 125 अन्य परियोजनाओं की पहचान की गयी है।
* सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को 198 कैप्टिव कोयला ब्लाक आबंटित किए गए हैं जिनसे 104 मिलियन टन कोयला 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष (2011-12) तक उत्पादित किए जाने की संभावना है।

निर्धनता की परिभाषा

1642. श्री एल. राजगोपाल:
श्री हन्नान मोल्लाह:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु निर्धनता मापन के लिए वर्तमान में निर्धनता की किस परिभाषा का उपयोग किया जाता है;

(ख) क्या मौजूदा मुद्रास्फीति के कारण निर्धनता रेखा से ऊपर जीवनयापन करने वाले अधिकतर लोग निर्धनता रेखा के नीचे आ गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस समय उपयोग की जा रही निर्धनता की परिभाषा/मानदंडों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश में निर्धनता को कम करने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) योजना आयोग द्वारा इस समय, गरीबी मापन के लिए प्रयोग की जा रही गरीबी की परिभाषा गरीबों के अनुपात और संख्या के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ दल (लाकड़ावाला समिति) द्वारा 1993 में की गई सिफारिशों पर आधारित है। इसका अनुपालन करते हुए योजना आयोग, राष्ट्रीय

और राज्य स्तर पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे लोगों के प्रतिशत और संख्या का अनुमान लगाने के लिए प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय जो कपड़ा, आवास, परिवहन आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से अखाद्य व्यय की न्यूनतम मात्रा सहित खाद्य उपभोग की वस्तुओं से कैलोरी की न्यूनतम मात्रा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, पर आधारित गरीबी रेखा का प्रयोग करता है। प्रति व्यक्ति उपभोग मानदंड ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 किलो कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 किलो कैलोरी की प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी आवश्यकता के मानदंड पर आधारित कुछ वस्तुओं और सेवाओं के अनुरूप राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 1973-74 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुपए प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाएं राज्य विशिष्ट मूल्य सूचकांकों और अन्तरराज्यीय मूल्य विभेदकों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय स्तर की गरीबी रेखाओं से प्राप्त की जाती हैं।

(ख) और (ग) मुद्रास्फीति के कारण गरीबी रेखाओं को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। 1973-74 की राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाओं को बाद के वर्षों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों के राज्य विशिष्ट उपभोक्ता कीमत सूचकांक (सीपीआईएएल) और शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता कीमत सूचकांक (सीपीआईआईडब्ल्यू) का प्रयोग करके अद्यतन किया जाता है। योजना आयोग गरीबी का अनुमान कीमतों के अनुसार अद्यतन की गई गरीबी रेखाओं का उपयोग करते हुए गरीबों के अनुपात और संख्या के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट में निहित रीति विधान को अपनाते हुए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा लगभग पांच वर्षों के अंतराल पर कराए गए परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से लगाता है। एनएसएसओ के 50वें दौर (जुलाई 1993-जून 1994) और 61वें दौर (जुलाई 2004-जून, 2005) के परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षण डाटा से अनुमानित गरीबी के दो नवीनतम तुलनीय अनुमान क्रमश: वर्ष 1993-94 और 2004-05 के लिए उपलब्ध हैं। इसके अनुसार, समग्र रूप में पूरे देश के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों की संख्या, जो 1993-94 में 320.4 मिलियन थी, (कुल जनसंख्या का 36 प्रतिशत) के 2004-05 में 301.7 मिलियन (कुल जनसंख्या का 27.5 प्रतिशत) तक घटने का अनुमान है। दूसरी ओर, गरीबी रेखा से ऊपर जीवन-यापन करने वाले लोगों की संख्या जो 1993-94 में 570.3 मिलियन (कुल जनसंख्या का 64 प्रतिशत) थी, बढ़कर 2004-05 में 795.4 मिलियन (कुल जनसंख्या का 72.5 प्रतिशत) हो गई।

(घ) और (ङ) योजना आयोग द्वारा लागू की जा रही गरीबी की परिभाषा/मानदंड डा. डी.टी. लाकड़ावाला की अध्यक्षता वाले गरीबों के अनुपात और संख्या संबंधी विशेषज्ञ दल, जिसमें सदस्यों के रूप में गरीबी अनुमान के क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं, की सिफारिशों पर आधारित है। यह रीति-विधान अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्य है और अपनी व्यापक स्वीकार्यता के लिए जाना जाता है। इस समय में गरीबी की परिभाषा/मानदंड के संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, योजना आयोग ने गरीबी के अनुमान संबंधी पद्धति की समीक्षा के लिए प्रो. सुरेश डी. तेन्दुलकर की अध्यक्षता में दिसम्बर, 2005 में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था।

(च) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में योजना अवधि (2007-12) के लिए अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है और इसका उद्देश्य इस अवधि के अंत तक अर्थव्यवस्था को लगभग 10 प्रतिशत विकास के साथ संधारणीय विकास पथ पर ले जाना है। ग्यारहवीं योजना में इस विकास की समावेशिता को परिलक्षित करते हुए अनेक क्षेत्रों में मानीटरण योग्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसमें चुने गए मानीटरण योग्य समाजार्थिक लक्ष्यों के साथ ग्यारहवीं योजना के दौरान गरीबी में 10 प्रतिशत बिंदु तक कमी लाना है। सामान्य विकास प्रक्रिया से आय में वृद्धि के लाभ के अतिरिक्त सरकार गरीबों की आय में वृद्धि के लिए अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इस संबंध में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख स्कीमें और कार्यक्रम हैं-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए), जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार, गरीब और गैर-गरीब को, जिसका कोई व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने की इच्छा व्यक्त करता है, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) ग्रामीण गरीबों के लिए सबसे बड़ा स्व-रोजगार कार्यक्रम है। इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे ग्रामीण परिवारों को आवासीय यूनिटों के निर्माण और मौजूदा अप्रयोज्य कच्चे घरों के उन्नयन के लिए सहायता मुहैया कराती है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) गरीबों को घटी हुई कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। अंत्योदय अन्न योजना गरीब से गरीब परिवारों को बहुत अधिक सब्सिडी प्राप्त दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर निर्माण कार्य

1643. श्री काशीराम राणा:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सूरत और मानेट के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 को छह लेन में परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना और इस पर उपरि पुलों के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना का कार्य निर्धारित समय-सीमा के अनुसार चल रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी, हां। उपरि पुलों सहित राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के सूरत से दहीसर खंड को 6 लेन का बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V के अंतर्गत डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण और प्रचालन (डीबीएफओ) पद्धति पर निष्पादन के लिए सौंप दिया गया है। रियायत करार पर 30.4.2008 को हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

(ग) से (च) इस कार्य को परियोजना के वित्तीय समापन के पश्चात् अर्थात् नियत तारीख को प्रारंभ किया जाना है। तथापि, फलस्वरूप रियायतग्राही ने नियत तारीख अर्थात् 27.10.2008 को वित्तीय समापन प्राप्त नहीं किया है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जो रियायतग्राही के साथ हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार ऐसे अनुरोधों पर विचार करता है, समय बढ़ाने का अनुरोध किया है। निर्माण अवधि नियत तारीख से 912 दिन है।

[अनुवाद]

भारत-पाकिस्तान-ईरान गैस पाइपलाइन

1644. **डा. एम. जगन्नाथ:**
श्री पंकज चौधरी:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईरान के राष्ट्रपति की हाल की भारत यात्रा के दौरान भारत-पाकिस्तान-ईरान गैस पाइपलाइन के संबंध में कोई चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) भारत और ईरान दोनों ने परियोजना के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त की है।

(ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने अपने ईरानी समकक्ष को नवम्बर, 2008 में पत्र लिखकर त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने की सिफारिश की है।

उच्च तुंगता खेल प्रशिक्षण केन्द्र

1645. **श्री पी.सी. थामस:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने राज्य में उच्च तुंगता खेल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु केन्द्रीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) जी, नहीं। मंत्रालय को केरल राज्य सरकार से राज्य में उच्च तुंगता खेल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सहायता मांगने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एकीकृत ऊर्जा नीति

1646. **श्री ई. दयाकर राव:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में एकीकृत ऊर्जा नीति तथा देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए पूर्ण-योजना आयोग की एक बैठक आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी हां, प्रधान मंत्री द्वारा देश की एकीकृत ऊर्जा नीति के प्रारूप पर चर्चा के लिए पूर्ण योजना आयोग की बैठक बुलाई गई थी।

एकीकृत ऊर्जा नीति की विशेषज्ञ समिति द्वारा अगस्त, 2006 में प्रस्तुत रिपोर्ट, प्रस्तावित एकीकृत ऊर्जा नीति तैयार करने के लिए आधार प्रदान करती है। यह नीति-दस्तावेज ऊर्जा की अधिकतम आपूर्ति और उपयोगिता और भारत में स्पर्धा हेतु ऊर्जा बाजार सृजित करने के लिए दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। भारत का ऊर्जा-मिक्स में परमाणु ऊर्जा अब भी एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में विद्यमान है।

यह निर्णय लिया गया था कि प्रस्तावित ऊर्जा नीति मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाए।

छद्म विज्ञापन

1647. श्री अभिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री मधु गौड यास्की:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न टेलीविजन नेटवर्क के प्रतिनिधियों ने छद्म/ब्रांड विस्तार के विज्ञापनों के प्रसारण पर रोक लगाने की सरकार की योजना पर विचार-विमर्श करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्री से मुलाकात की थी, जैसा कि दिनांक 17 अप्रैल, 2008 के ''मिन्ट'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रतिनिधियों द्वारा इस संबंध में क्या सुझाव दिए गए तथा किन-किन मुद्दों को उठाया गया; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) जी, हां। कुछ टीवी चैनलों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आईबीएफ) ने दिनांक 16.4.2008 को माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के साथ मुलाकात की थी।

(ख) आईबीएफ ने दिनांक 31.03.2008 के अपने अभ्यावेदन में और बैठक के दौरान दिनांक 25.02.2008 की उस अधिसूचना को वापिस लेने का अनुरोध किया जिसके तहत टीवी चैनलों पर छद्म विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया गया था क्योंकि विशुद्ध गैर-अल्कोहलिक और गैर-तम्बाकू व्यवसाय के हितों तथा विज्ञापन एवं मीडिया क्षेत्रों के हितों पर कथित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

(ग) दिनांक 25.2.2008 की अधिसूचना जारी होने से पूर्व सरकार की जानकारी में लाया गया था कि विज्ञापन-संहिता का व्यापक उल्लंघन हो रहा है क्योंकि सिगरेट, तम्बाकू उत्पादों, शराब, अल्कोहल, मदिरा अथवा अन्य मादक पदार्थों के संबंध में दिखाए जाने वाले छद्म विज्ञापनों से इन पदार्थों के उपभोग को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिल रहा है। निहित संवेदनशीलता और विशेषकर ऐसे विज्ञापनों से अवयस्कों के दिमाग पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मौजूदा नियम में संशोधन करते हुए दिनांक 25.2.2008 को अधिसूचना जारी की जिसमें यह व्यवस्था की गई ''किसी भी ऐसे विज्ञापन की अनुमति नहीं होगी जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सिगरेट, तम्बाकू उत्पादों, शराब, अल्कोहल, मदिरा या अन्य मादक पदार्थों या अन्य के उत्पादन, बिक्री या उपभोग को बढ़ावा देता हो।'' सरकार ने आई बी एफ के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था।

[हिन्दी]

एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग

1648. श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री गिरधारी लाल भार्गव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों तथा योग केन्द्रों को खोलने के साथ-साथ एमबीबीएस के पाठ्यक्रम में प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में कब तक शामिल कर लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पत्र सूचना कार्यालय का कार्यकरण

1649. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के क्या-क्या कार्य हैं तथा इसके कार्यकरण की निगरानी हेतु उपलब्ध तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में सरकार द्वारा पीआईबी पर कितना व्यय किया गया;

(ग) क्या पीआईबी के उद्देश्यों/दायित्वों के संदर्भ में सरकार ने पीआईबी के कार्यकरण का आकलन/समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पीआईबी के कार्यकरण को और प्रभावी बनाने तथा इसके कार्यकरण में पेशेवरपन तथा कुशलता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का पीआईबी को बंद कर इसके कार्यों को संबंधित मंत्रालयों के जन संपर्क प्रकोष्ठों को स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) (1) पत्र सूचना कार्यालय प्रैस विज्ञप्ति, प्रैस नोट, फीचर लेख, पृष्ठभूमि नोट, प्रैस सार, छायाचित्र, प्रैस सम्मेलन, भेंटवार्ता, प्रैस दौरे आदि जैसे संचार के विभिन्न तरीकों के माध्यम से सरकार की नीतियों, कार्यक्रम संबंधी पहलुओं और उपलब्धियों के बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया को सूचना का प्रसार करने के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। यह सरकार और प्रचार माध्यमों के बीच एक संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है और मीडिया में यथा परिलक्षित जन प्रक्रिया से सरकार को अवगत भी कराता है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जारी की गई सूचना लगभग 8,400 समाचार पत्रों और मीडिया संगठनों तक पहुंचती है।

(2) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन किसी अन्य माध्यम एकक के ही समान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संसदीय समितियों, योजना आयोग आदि द्वारा समय-समय पर कार्य-निष्पादन की समीक्षा की प्रणाली के माध्यम से पत्र सूचना कार्यालय के कार्यकरण की निगरानी की जाती है।

(ख) पत्र सूचना कार्यालय पर वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान क्रमश: 2867.37 लाख रुपए, 3055.26 लाख रुपए और 3044.30 लाख रुपए तथा चालू वर्ष (2008-09) में अक्तूबर, 2008 तक 2298.93 लाख रुपए का व्यय किया गया।

(ग) और (घ) जैसा कि उपर्युक्त (क) (2) में बताया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा साफ्ट ड्रिंक्स हेतु निर्धारित मानक

1650. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो (बिस) ने साफ्ट ड्रिंक्स के विनिर्माण हेतु मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन ड्रिंक्स में प्रयोग किए जाने हेतु अनुमत्य पदार्थों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कारोबार में लिप्त बहुराष्ट्रीय कंपनियां उक्त मानकों का उल्लंघन कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कौन-कौन से रसायन और अन्य यौगिक प्रयोग किए जाते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो का कार्बनीकृत पेय पदार्थों (आईएस 2346:1992) (दूसरा परिशोधन) के संबंध में एक मानक है जो अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद में प्रयोग की गई सामग्रियों तथा अन्य अनुमत्य पदार्थों का निर्धारण करता है।

(ग) खाद्य अपमिश्रण रोकथाम नियमावली, 1955 के अंतर्गत निर्धारित किए गए मानक अनिवार्य हैं जबकि भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश स्वैच्छिक प्रकृति के हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों समेत कंपनियों को खाद्य अपमिश्रण रोकथाम नियमावली, 1955 के अंतर्गत निर्धारित मानकों का अनुपालन करना पड़ता है और वे भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणीकरण हेतु स्वैच्छिक विकल्प का चयन कर सकती हैं। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी के अनुसार, अभी तक किसी भी कंपनी ने इस उत्पाद के लिए बीआईएस प्रमाणीकरण का विकल्प व्यक्त नहीं किया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हज कोटे का आवंटन

1651. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में हज टूर आपरेटरों की संख्या कितनी है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में जिन निजी आपरेटरों को लाइसेंस दिए गए हैं उनके नाम क्या-क्या हैं तथा इस संबंध में क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या आवंटन कोटे के संदर्भ में केरल और महाराष्ट्र के निजी हज टूर आपरेटरों को वरीयता दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस कोटे के दुरुपयोग के संबंध में इन टूर आपरेटरों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे दोषी आपरेटरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले निजी टूर आपरेटरों की संख्या एवं कोटा का आवंटन और विगत तीन वर्षों (हज 2006-I, हज 2006-II और हज 2007) और वर्तमान वर्ष (हज-2008) के दौरान पंजीकृत किए गए निजी टूर आपरेटरों की संख्या और आवंटित कोटा निम्नानुसार है:

हज वर्ष	आवेदन करने वाले निजी टूर आपरेटरों की कुल संख्या	पंजीकृत/कोटा आवंटन किए गए निजी टूर आपरेटरों की संख्या
हज 2006-I	314	278
हज 2006-II	407	291
हज 2007	672	293
हज 2008	837	297

पंजीकृत निजी टूर आपरेटरों और उन्हें आवंटित किये गए कोटा की सूची संलग्न विवरण-I से IV में दी गई है। कोटा का आवंटन पारदर्शी तरीके से किया गया है ताकि उन निजी टूर आपरेटरों अर्थात् वैसे निजी टूर आपरेटर जिन्हें पूर्व में भी कोटा आवंटित किया गया था जिन्होंने निर्धारित नियमों, विनियमों और आवश्यकताओं को हज यात्रियों के कल्याण के लिए पूरा किया है और जिनकी संघ ने विगत प्रदर्शन के आधार पर सिफारिश की थी यदि वे उन आपरेटरों में से एक थे, को पुन: कोटा आवंटित किया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) कोटा का दुरुपयोग किये जाने के लिए निजी टूर आपरेटरों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत और उन मामलों में की गई कार्रवाई का ब्यौरा विवरण-V में संलग्न है।

विवरण I

क्र.सं.	निजी टूर आपरेटर का नाम	हज 2006-I हेतु आवंटित कोटा
1	2	3
1.	तवाकल टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	150
2.	हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हज टूर्स ,अहमदाबाद	225
3.	रज्जाक एंड संस (काकीवाला टूर एंड ट्रेवेल्स), अहमदाबाद	200
4.	ख्वाजा गरीब नवाज टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	130
5.	अल हासिम हज टूर, अहमदाबाद	90
6.	जिगर टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	130
7.	अकबरी टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	100
8.	अल-अकाशा टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	100
9.	अल-फारुखी हज उमराह टूर, सावरकांठा	125

1	2	3
10.	सफर हज टूर, अहमदाबाद	100
11.	अलीफ टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	50
12.	जम जम टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	175
13.	द वफादार टूर, सावरकांठा	75
14.	अदीनवाला टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	125
15.	अल खिजर टूर, बड़ौदा	80
16.	हज कारपोरेशन आफ इंडिया, बंगलोर	100
17.	मुकद्दस टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	100
18.	सीयर हज सर्विस, बंगलोर	200
19.	अलसैय्यद टूर इंटरनेशनल, बंगलोर	200
20.	लबाइक टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	225
21.	कर्नाटक हज ग्रुप, बंगलोर	100
22.	तवाकल टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	100
23.	अल मदीना टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	100
24.	अल्ला हू अकबर टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	100
25.	अल तैय्यबा टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	100
26.	अल मानासिक टूर इंटरनेशनल, बंगलोर	100
27.	अल रहमान हज टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	80
28.	बिस्मिल्ला टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	70
29.	मदानी हज ग्रुप, गुलबर्ग	175
30.	अतीक हज टूर एंड ट्रेवेल्स, अनंतपुर	150
31.	जे एस टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	50
32.	अल आजम टूर एंड ट्रेवेल्स, हैदराबाद	50
33.	अरफात टूर हज एंड उमराह ग्रुप, हैदराबाद	100
34.	धीन हज सर्विस, चेन्नई	400
35.	अल नूर हज सर्विस, तंजावुर	250
36.	अल अमानत हज सर्विस प्रा.लि., चेन्नई	400
37.	अल हरमाइन हज सर्विस प्रा.लि., चेन्नई	150

1	2	3
38.	अल हसम ट्रेवेल्स एंड टूर इंडिया प्रा.लि., पूरासावा	300
39.	अल फतह हज सर्विस (प्रा.) लि., तमिलनाडु	150
40	शाह हज सर्विस, कोयम्बटूर	100
41.	सलामत हज सर्विस, रमनाद	80
42.	त्रिची सनसाइन हज सर्विस, रमनाद	100
43.	अल मदीना हज सर्विस, चेन्नई	50
44.	फातिमागंज हज सर्विस, रामनाथपुरम	100
45.	कालांतर हज सर्विस, पुड्डकोट्टी	100
46.	बुसरा हज सर्विस, चेन्नई	75
47.	रिजबे टूर एंड ट्रेवेल्स, कोयंबटूर	75
48.	अल सफा हज सर्विस, पुड्डकोट्टी	115
49.	अल हुदा हज सर्विस प्रा.लि., कोयंबटूर	75
50.	अल मिस्बाह हज एंड उमरा सर्विस, चेन्नई	50
51.	बादशाह टूर एंड ट्रेवेल्स, कडप्पा	100
52.	अफजल हज टूर एंड ट्रेवेल्स प्रा.लि., चेन्नई	100
53.	अल इरशाद टूर एंड ट्रेवेल्स, पट्टाम्बी	250
54.	मबरूक हज ग्रुप, मालापुरम	175
55.	एस वाई एस हज सेल, कोझीकोड्ड	700
56.	अल फलाह ट्रेवेल्स एंड हज ग्रुप, मालापुरम	600
57.	अलबान हज उमराह सर्विस, कोचीन	200
58.	अराफात हज ग्रुप, मालापुरम	220
59.	अल फारूख हज सर्विस, फिरोक	200
60.	अल हसम इंडिया हज एंड उमरा सर्विस मैनेजमेंट, कोच्ची	400
61.	अल हिंद टूर एंड ट्रेवेल्स, कालीकट	1700
62.	बकाह हज उमराह सर्विस, मालापुरम	50
63.	असलम हज टूर एंड ट्रेवेल्स, मालापुरम	150
64.	अल हिदाया हज सर्विस, केरल	100

1	2	3
65.	अल जामिया हज ग्रुप, मालापुरम	130
66.	उम्मठलखुरा हज सर्विस, मालापुरम	150
67.	द ग्रेड इंडिया टूर कं. प्रा.लि., त्रिवेंद्रम	50
68.	एयर ट्रेवेल्स इंटरप्राइजेज इंडिया लि., त्रिवेंद्रम	95
69.	अल हरमाइन हज उमरा ट्रेवेल्स, कोलम	100
70.	जम जम हज सर्विस, कालीकट	150
71.	इंडियन हज सर्विस को. तिरुवनंतपुरम	150
72.	मालाबार हज ग्रुप, मालापुरम	300
73.	नुसरद हज उमरा सर्विस टूर एंड ट्रेवेल्स, मालापुरम	285
74.	अल रिफाई हज उमराह सर्विस, पालाकड़	100
75.	केरल इस्लाम हज एंड उमराह सर्विस, कालीकट	575
76.	हिज्र हज ग्रुप, मालापुरम	200
77.	पी के एम ट्रेवेल्स, पुनाथला, केरल	150
78.	एस वाई एस हज ग्रुप, मालापुरम	200
79.	फदहिल ग्रुप टूर एंड ट्रेवेल्स, कन्नुर	50
80.	नाजथ खिदमातुल हुज्जाज, पालाकड़	350
81.	मुस्लिम टूर को., मुम्बई	400
82.	कास्मिक टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	550
83.	मर्चेंट टूर सर्विस, मुम्बई	100
84.	अरफा टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	200
85.	अल हाफिज टूर एंड ट्रेवेल्स, धुले	100
86.	अराफात ट्रेवेल्स सर्विस, ठाणे	85
87.	अल खालिद टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	350
88.	वेल्कम टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	75
89.	तम्बोली टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदनगर	400
90.	मक्का हज को., मुम्बई	300
91.	एशियन टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	250

1	2	3
92.	मिर्जा टूर एंड ट्रेवेल्स, लखनऊ	120
93.	अल उक्वा टूर एंड ट्रेवेल्स, कानपुर	100
94.	एटलस टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	800
95.	अकबर ट्रेवेल्स आफ इंडिया, मुम्बई	600
96.	बेंजी टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	600
97.	डेल्टा टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	600
98.	अल सफा टूर, मुम्बई	180
99.	मुखलिस हज एंड उमराह टूर, थाणे	50
100.	अकोला हज टूर, अकोला	200
101.	सूरत हज टूर, अकोला	80
102.	पूना टूर एंड ट्रेवेल्स, पुणे	100
103.	अल अन्सार हज एंड उमराह आर्गेनाइजर, मुम्बई	100
104.	मार्शल ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
105.	अल इरफान टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	200
106.	कादरी हज सर्विस, जबलपुर	85
107.	इकराम हज को., मुम्बई	125
108.	अल मुलताजिम हज टूर एंड ट्रेवेल्स, थाणे	50
109.	अल मदानी टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	50
110.	दरवेश टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	175
111.	कोल्हापुर हज को., कोल्हापुर	70
112.	अल अकबर टूर, मुम्बई	100
113.	हाजीपीर हज टूर, मुम्बई	150
114.	अमन टूरिज्म, कोल्हापुर	90
115.	एम के ट्रेवेल्स, मुम्बई	250
116.	सइदीना टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	225
117.	अंसार टूर एंड ट्रेवेल्स, पुणे	150
118.	काजी सरकार ट्रेवेल्स, नीमच	60

1	2	3
119.	हिना ट्रेवेल्स सर्विस, लखनऊ	50
120.	मासूम टूर एंड ट्रेवेल्स, भड़ौच	50
121.	अल हिजाज टूर एंड ट्रेवेल्स, भड़ौच	350
122.	एम के हज एंड उमराह ट्रेवेल्स, कोलकाता	100
123.	मदीना हज टूर एंड ट्रेवेल्स एजेंसी, गुवाहाटी	50
124.	तवाकल टूर, बड़ौदा	215
125.	अल अक्सा टूर एंड ट्रेवेल्स, कोलकाता	100
126.	अल हिदायत टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	80
127.	माडर्न टूर एंड ट्रेवेल्स, कोलकाता	75
128.	मुल्ताजिम हज को., थाणे	50
129.	अल अराफात हज एंड उमराह टूर, नागपुर	75
130.	मास्टर ट्रेवेल्स, पुणे	120
131.	कोलकाता टूर एंड ट्रेवेल्स प्रा.लि., कोलकाता	50
132.	मौलवी हज एंड उमराह टूर एंड ट्रेवेल्स, भड़ौच	100
133.	बिलाल हज एंड उमराह टूर एंड ट्रेवेल्स, भड़ौच	80
134.	अल हमद हज एंड उमराह टूर, मुम्बई	150
135.	स्वेज इंटरनेशनल, नवासारी	180
136.	मतीन टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
137.	अल मुल्ताजिम हज एंड उमराह सर्विस, मुम्बई	50
138.	इंडियन हज को., थाणे	80
139.	अस सीरत टूर, मुम्बई	150
140.	जी बी टूर एंड ट्रेवेल्स, लखनऊ	120
141.	रिलीफ टूर एंड ट्रेवेल्स, गोधरा	150
142.	सागर टूर एंड ट्रेवेल्स, गोरखपुर	70
143.	राजा टूर एंड ट्रेवेल्स, भीलवाड़ा	100
144.	शाहीन हज टूर एंड ट्रेवेल्स, बरेली	100
145.	गुजरात हज टूर, अहमदाबाद	300

1	2	3
146.	मोहम्मदिया टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	200
147.	अल कबा टूर एंड ट्रेवेल्स, पुणे	70
148.	सरकार ट्रेवेल्स, भीलवाड़ा	100
149.	अल अकीब ट्रेवेल्स सर्विस, थाणे	100
150.	ट्रेवेल्स हाउस ट्रेवेल्स एंड टूर, भोपाल	50
151.	अरबिया टूर एंड ट्रेवेल्स हज एंड उमराह, पुणे	200
152.	रिलायबल हज उमराह टूर, थाणे	75
153.	अल मेंहदी टूर, मुम्बई	350
154.	अल जामिल हज टूर, मुम्बई	125
155.	बाकला टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	225
156.	कादरी हज एंड उमराह टूर आर्गेनाइजर, अहमदनगर	90
157.	इमान इंटरनेशनल, मुम्बई	100
158.	एयर फ्लोट ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
159.	रुमानी इंटरप्राइजेज, मुम्बई	100
160.	अल हसन ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
161.	मौलान टूर को., मुम्बई	125
162.	स्काई शिप इंटरनेशनल प्रा.लि., मुम्बई	300
163.	अल हबीब टूर, मुम्बई	100
164.	अरफात हज टूर, विरामगाम, अहमदाबाद	100
165.	असरफ हज उमराह टूर, अमरावती	90
166.	रीगल टूर सर्विस, मुम्बई	100
167.	अलवाहा हज टूर, मुम्बई	75
168.	कोटवाला टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
169.	घोष टूर एंड ट्रेवेल्स, कर्नाटक	150
170.	मीरा टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदनगर	50
171.	एलायंस इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
172.	अकबर टूर एंड ट्रेवेल्स, केरल	450

1	2	3
173.	तवफ ए मक्का टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	250
174.	ताज टूर एंड ट्रेवेल्स, पश्चिम बंगाल	125
175.	अल अमीन टूर एंड ट्रेवेल्स, कानपुर	80
176.	अजीम टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	140
177.	अल बुरहान टूर एंड ट्रेवेल्स, बुरहानपुर	100
178.	क्रिएटिव इंटरप्राइजेज, मुम्बई	400
179.	अल जुनैद हज एंड उमराह कं., मेरठ	200
180.	अल खुद्दाम हज एंड उमराह सर्विस, श्रीनगर	150
181.	रोसन हज उमराह टूर एंड ट्रेवेल्स, महाराष्ट्र	50
182.	महदी टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	150
183.	रूबी टूर एंड ट्रेवेल्स, पुणे	140
184.	मुकद्दस हज को., थाणे	100
185.	बाखला इंटरनेशनल टूर, मुम्बई	160
186.	अरेबियन टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	160
187.	अस सफा टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	50
188.	जम जम हज टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
189.	अल मीराज टूर एंड ट्रेवेल्स, जोधपुर	100
190.	जन्नत टूर एंड ट्रेवेल्स, फैजाबाद	75
191.	अल उमर टूर एंड ट्रेवेल्स, भिवंडी	150
192.	हमदान ट्रेवेल्स सर्विस, कोलकाता	100
193.	अल हमजा ट्रेवेल्स, मुम्बई	50
194.	अल अत्तर हज को., मुम्बई	75
195.	अलसलाम हज ओ उमराह टूर, अकोला	100
196.	अल जुबी इंटरनेशनल, मुम्बई	150
197.	साहेब हज सर्विस, कर्नाटक	100
198.	अश्फहान टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
199.	तबाकल टुरिज्म को., नागपुर	90

1	2	3
200	अल अमल हज उमराह सर्विस, केरल	100
201.	मुल्ताजम टूर प्रा.लि., मुम्बई	200
202.	मरहबा हज उमराह टूर, मुम्बई	50
203.	अल बोराक टूर एंड ट्रेवेल्स, कोलकाता	50
204.	हुदा हज टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	75
205.	मौलाना हज सर्विस, मुम्बई	100
206.	अल इखलस हज को., महाराष्ट्र	50
207.	अल अमीन हज को., रायगढ़	75
208.	बैतुल्लाह टूर इंटरनेशनल, बंगलोर	350
209.	मरहबा मुकद्दस उमराह हज टूर, मुम्बई	50
210.	मिजाब ए रहमत	130
211.	कोकण टूर को., थाणे	100
212.	सौदी टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	50
213.	रहबर टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
214.	सफी हज एंड उमरा टूर, अहमदनगर	100
215.	अल मदीना हज उमराह टूर, नासिक	50
216.	ए-वन टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	125
217.	अल फिया टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	150
218.	ताशकंत टूर एंड ट्रेवेल्स, सूरत	80
219.	अल तवाफ हज-उमराह ट्रेवेल एंड टुरिज्म, कोलम	150
220.	अल हरमैनी हज ग्रुप, मालापुरम	300
221.	अल्टन ट्रेवेल्स एंड कारगा, हैदराबाद	150
222.	मदीना टूर एंड ट्रेवेल्स, हैदराबाद	80
223.	अल यासिन टूर एंड ट्रेवेल्स, हैदराबाद	250
224.	पीरजादा ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
225.	किबला हज उमराह सर्विसेज, मुम्बई	50
226.	अस-सौद टूर, नवासरी	100

1	2	3
227.	दारूल हरम टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	120
228.	लब्बाक हज टूर एंड ट्रेवेल्स, नवासरी	50
229.	रायल ट्रेवेल्स एंड कार्गो सर्विस, हैदराबाद	50
230.	गोल्डन ट्रेवेल्स, हैदराबाद	225
231.	अल हीरा टूर एंड ट्रेवेल्स, हैदराबाद	150
232.	शरीफ टूर एंड ट्रेवेल्स, हैदराबाद	100
233.	फ्लाई इंटरनेशनल, मुम्बई	100
234.	दैयार-ए-हबीब टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	225
235.	अस सफा हज टूर, नवासरी	175
236.	हज टूर को., इंदौर	100
237.	अल अकलरम हज टूर, मुम्बई	60
238.	अल हुसामी हज उमराह टूर, थाणे	50
239.	लब्बाक टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	150
240.	खादिम टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	200
241.	नवाब ट्रेवेल्स प्रा.लि., दिल्ली	50
242.	हादी टूर हज एंड उमराह, मालेगांव	80
243.	रज्जाक इंटरप्राइजेज, हैदराबाद	100
244.	शुक्रिया ट्रेवेल्स, मुम्बई	250
245.	दयार-ए-हरम टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	80
246.	मिल्लत हज सर्विस, चेन्नई	150
247.	क्लासिक टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	180
248.	क्रिएटिव टूर एंड ट्रेवेल्स (इंडिया) प्रा.लि., मुम्बई	185
249.	इफ्तेखार ट्रेवेल्स सर्विसेज, दिल्ली	150
250.	एआरके इंटरप्राइजेज ट्रेवेल्स एजेंसी, हैदराबाद	85
251.	थ्रीएन ट्रेवेल्स एंड टुरिस्ट ब्यूरो, मुम्बई	250
252.	अहलन हज एंड उमराह सर्विसेज, दिल्ली	50
253.	अल कबीर टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	150
254.	बिस्मिल्ला हज टूर एंड ट्रेवेल्स, पुणे	100
255.	अजमेरी टूर एंड ट्रेवेल्स, भीलवाड़ा,	100

1	2	3
256.	आशियाना टूर एंड ट्रेवेल्स, दिल्ली	200
257.	ए एस इंटरप्राइजेज, दिल्ली	300
258.	ग्लोबल टूर एंड ट्रेवेल्स, श्रीनगर	50
259.	हमीदिया टूर एंड ट्रेवेल्स, बॉम्बे	300
260.	सम्राट टूर एंड ट्रेवेल्स, जयपुर	300
261.	युनाइटेड टूर एंड ट्रेवेल्स, इलाहाबाद	75
262.	हिजाज टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	50
263.	युनाइटेड ट्रेवेल्स सर्विस, दिल्ली	300
264.	अल हरम टूर एंड ट्रेवेल्स, रूड़की	300
265.	इस्लामिक टूर एंड ट्रेवेल्स, लखनऊ	100
266.	अनाम टूर एंड ट्रेवेल्स, दिल्ली	135
267.	सुल्तानजी इंटरप्राइजेज, दिल्ली	100
268.	अल बुर्क ट्रेवेल्स, दिल्ली	200
269.	मादनी ट्रेवेल्स, वाराणसी	50
270.	फैज ट्रेवेल्स, मेरठ	150
271.	चिस्ती टूर एंड ट्रेवेल्स, कानपुर	100
272.	फैज ए हुसैनी ट्रस्ट, मुम्बई	2300
273.	अल अजीज टूर एंड ट्रेवेल्स, नासिक	75
274.	नुरुल हरम टूर एंड ट्रेवेल्स, रूड़की	300
275.	मेट्रो टूर एंड ट्रेवेल्स	50
276.	अल मंसूर टूर एंड ट्रेवेल्स	50
277.	अल हमद हज एंड उमराह टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	100

विवरण II

क्र.सं.	निजी टूर आपरेटर का नाम	हज 2006-II हेतु आवंटित कोटा
1	2	3
1.	तवाक्कल टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	150
2.	हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हज टूर्स, अहमदाबाद	225
3.	रज्जाक एंड संस (काकीवाला टूर एंड ट्रेवेल्स), अहमदाबाद	200

1	2	3
4.	ख्वाजा गरीब नवाज टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	130
5.	अल हासिम हज टूर, अहमदाबाद	90
6.	जिगर टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	130
7.	अकबरी टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	100
8.	अल अकाशा टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	100
9.	अल फारुखी हज उमराह टूर, साबरकांठा	125
10.	सफर हज टूर, अहमदाबाद	100
11.	आलीफ टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	50
12.	जम जम टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	175
13.	द वफादार टूर, साबरकांठा	75
14.	अदीनवाला टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	125
15.	अल खिजर टूर, बड़ौदा	80
16.	हज को. आफ इंडिया, बंगलोर	100
17.	मुकद्दस टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	100
18.	सीयर हज सर्विस, बंगलोर	200
19.	अल सैय्यद टूर इंटरनेशनल, बंगलोर	200
20.	लबाइक टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	225
21.	कर्नाटक हज ग्रुप, बंगलोर	100
22.	तवाक्कल टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	100
23.	अल मदीना टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	100
24.	अल्ला हू अकबर टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	100
25.	अल तैयब्बा टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	100
26.	अल मनासिक टूर इंटरनेशनल, बंगलोर	100
27.	अल रहमान हज टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	80
28.	बिस्मिल्ला टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	70
29.	मदानी हज ग्रुप, गुलबर्ग	175
30.	अतीक हज टूर एंड ट्रेवेल्स, अनंतपुर	150
31.	जे.एस. टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	50

1	2	3
32.	अल आजम टूर एंड ट्रेवेल्स, हैदराबाद	50
33.	अराफात टूर हज एंड उमराह ग्रुप, हैदराबाद	100
34.	दीन हज सर्विस, चेन्नई	395
35.	अल नूर हज सर्विस, तंजावुर	250
36.	अल अमानत हज सर्विस प्रा.लि., चेन्नई	395
37.	अल हरमाइन हज सर्विस प्रा.लि., चेन्नई	150
38.	अल हसम ट्रेवेल्स एंड टूर इंडिया प्रा.लि., पूरासावा	300
39.	अल फतह हज सर्विस (प्रा.) लि., तमिलनाडु	150
40	शाह हज सर्विस, कोयम्बटूर	100
41.	सलामत हज सर्विस, रमनाद	80
42.	त्रिची सनसाइन हज सर्विस, रमनाद	100
43.	अल मदीना हज सर्विस, चेन्नई	50
44.	फातिमागंज हज सर्विस, रामनाथपुरम	100
45.	कालांतर हज सर्विस, पुड्डुकोट्टी	100
46.	बुसरा हज सर्विस, चेन्नई	75
47.	रिचबे टूर एंड ट्रेवेल्स, कोयंबटूर	75
48.	अल सफा हज सर्विस, पुड्डकोट्टी	115
49.	अल हुदा हज सर्विस प्रा.लि., कोयंबटूर	75
50.	अल मिस्बाह हज एंड उमरा सर्विस, चेन्नई	50
51.	बादशाह टूर एंड ट्रेवेल्स, कडप्पा	100
52.	अफजल हज टूर एंड ट्रेवेल्स प्रा.लि., चेन्नई	100
53.	अल इरशाद् टूर एंड ट्रेवेल्स, पट्टाम्बी	250
54.	मबरूक हज ग्रुप, मालापुरम	175
55.	एस वाई एस हज सेल, कोझीकोड्ड	700
56.	अल फलाह ट्रेवेल्स एंड हज ग्रुप, मालापुरम	600
57.	अलबान हज उमराह सर्विस, कोचीन	200
58.	अराफात हज ग्रुप, मालापुरम	220
59.	अल फारूख हज सर्विस, फिरोक	200

1	2	3
60.	अल हसम इंडिया हज एंड उमरा सर्विस मैनेजमेंट, कोच्ची	395
61.	अल हिंद टूर एंड ट्रेवेल्स, कालीकट	1700
62.	बकाह हज उमराह सर्विस, मालापुरम	50
63.	असलम हज टूर एंड ट्रेवेल्स, मालापुरम	150
64.	अल हिदाया हज सर्विस, केरल	100
65.	अल जामिया हज ग्रुप, मालापुरम	130
66.	उम्मठलखुरा हज सर्विस, मालापुरम	150
67.	दी ग्रेट इंडियन टूर को. प्रा.लि., त्रिवेंद्रम	50
68.	एयर ट्रेवेल्स इंटरप्राइजेज इंडिया लि., त्रिवेंद्रम	95
69.	अल हरमाइन हज उमरा ट्रेवेल्स, कोलम	100
70.	जम जम हज सर्विस, कालीकट	150
71.	इंडियन हज सर्विस को., तिरुवनंतपुरम	150
72.	मालाबार हज ग्रुप, मालापुरम	300
73.	नुसरत हज उमरा सर्विस टूर एंड ट्रेवेल्स, मालापुरम	285
74.	अल रिफाई हज उमराह सर्विस, पालाकड़	100
75.	केरल इस्लाम हज एंड उमराह सर्विस, कालीकट	575
76.	हिज्र हज ग्रुप, मालापुरम	200
77.	पी के एम ट्रेवेल्स, पुनाथला, केरल	150
78.	एस वाई एस हज ग्रुप, मालापुरम	200
79.	फदहिल ग्रुप टूर एंड ट्रेवेल्स, कन्नुर	50
80.	नाजथ खिदमातुल हुज्जाज, पालाकड़	350
81.	मुस्लिम टूर को., मुम्बई	400
82.	कास्मिक टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	550
83.	मर्चेंट टूर सर्विस, मुम्बई	100
84.	अरफा टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	200
85.	अल हाफिज टूर एंड ट्रेवेल्स, धुले	100
86.	अराफात ट्रेवेल्स सर्विस, थाणे	85
87.	अल खालिद टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	350

1	2	3
88.	वेल्कम टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	75
89.	तम्बोली टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदनगर	400
90.	मक्का हज को., मुम्बई	300
91.	एशियन टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	250
92.	मिर्जा टूर एंड ट्रेवेल्स, लखनऊ	120
93.	अल उक्वा टूर एंड ट्रेवेल्स, कानपुर	100
94.	एटलस टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	800
95.	अकबर ट्रेवेल्स आफ इंडिया, मुम्बई	600
96.	बेंजी टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	600
97.	डेल्टा टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	600
98.	अल सफा टूर, मुम्बई	180
99.	मुखलिस हज एंड उमराह टूर, थाणे	50
100.	अकोला हज टूर, अकोला	200
101.	सूरत हज टूर, सूरत	80
102.	पूना टूर एंड ट्रेवेल्स, पुणे	100
103.	अल अन्सार हज एंड उमराह आर्गेनाइजर, मुम्बई	100
104.	मार्शल ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
105.	अल इरफान टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	200
106.	कादरी हज सर्विस, जबलपुर	85
107.	इकराम हज को., मुम्बई	125
108.	अल मुलताजिम हज टूर एंड ट्रेवेल्स, थाणे	50
109.	अल मदानी टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	50
110.	दरवेश टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	175
111.	कोल्हापुर हज को., कोल्हापुर	70
112.	अल अकबर टूर, मुम्बई	100
113.	हाजीपीर हज टूर, मुम्बई	150
114.	अमन टूरिज्म, कोल्हापुर	90
115.	एम के ट्रेवेल्स, मुम्बई .	250

1	2	3
116.	सइदीना टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	225
117.	अंसार टूर एंड ट्रेवेल्स, पुणे	150
118.	काजी सरकार ट्रेवेल्स, नीमच	60
119.	हिना ट्रेवेल्स सर्विस, लखनऊ	50
120.	मासूम टूर एंड ट्रेवेल्स, भड़ौच	50
121.	अल हिजाज टूर एंड ट्रेवेल्स, भड़ौच	350
122.	एम के हज एंड उमराह ट्रेवेल्स, कोलकाता	100
123.	मदीना हज टूर एंड ट्रेवेल्स एजेंसी, गुवाहाटी	50
124.	तवाकल टूर, बड़ौदा	215
125.	अल अक्सा टूर एंड ट्रेवेल्स, कोलकाता	100
126.	अल हिदायत टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	80
127.	माडर्न टूर एंड ट्रेवेल्स, कोलकाता	75
128.	मुल्ताजिम हज को., थाणे	50
129.	अल अराफात हज एंड उमराह टूर, नागपुर	75
130.	मास्टर ट्रेवेल्स, पुणे	120
131.	कोलकाता टूर एंड ट्रेवेल्स प्रा.लि., कोलकाता	50
132.	मौलवी हज एंड उमराह टूर एंड ट्रेवेल्स, भड़ौच	100
133.	बिलाल हज एंड उमराह टूर एंड ट्रेवेल्स, भड़ौच	80
134.	अल हमद हज एंड उमराह टूर, मुम्बई	150
135.	स्वेज इंटरनेशनल, नवासरी	180
136.	मतीन टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
137.	अल मुल्ताजिम हज एंड उमराह सर्विस, मुम्बई	50
138.	इंडियन हज को., थाणे	80
139.	अस सीरत टूर, मुम्बई	150
140.	जी बी टूर एंड ट्रेवेल्स, लखनऊ	120
141.	रिलीफ टूर एंड ट्रेवेल्स, गोधरा	150
142.	सागर टूर एंड ट्रेवेल्स, गोरखपुर	70
143.	राजा टूर एंड ट्रेवेल्स, भीलवाड़ा	100

1	2	3
144.	शाहीन हज टूर एंड ट्रेवेल्स, बरेली	100
145.	गुजरात हज टूर, अहमदाबाद	300
146.	मोहम्मदिया टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	200
147.	अल कूबा टूर एंड ट्रेवेल्स, पुणे	70
148.	सरकार ट्रेवेल्स, भीलवाड़ा,	100
149.	अल अकीब ट्रेवेल्स सर्विस, थाणे	100
150.	ट्रेवेल्स हाउस ट्रेवेल्स एंड टूर, भोपाल	50
151.	अरबिया टूर एंड ट्रेवेल्स हज एंड उमराह, पुणे	200
152.	रिलायबल हज उमराह टूर, थाणे	75
153.	अल मेंहदी टूर, मुम्बई	350
154.	अल जामिल हज टूर, मुम्बई	125
155.	बाकला टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	225
156.	कादरी हज एंड उमराह टूर आर्गेनाइजर, अहमदनगर	90
157.	इमान इंटरनेशनल, मुम्बई	100
158.	एयर फ्लोट ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
159.	रूमानी इंटरप्राइजेज, मुम्बई	100
160.	अल हसन ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
161.	मौलान टूर को., मुम्बई	125
162.	स्काई शिप इंटरनेशनल प्रा.लि., मुम्बई	300
163.	अल हबीब टूर, मुम्बई	100
164.	अरफात हज टूर, विरामगाम, अहमदाबाद	100
165.	असरफ हज उमराह टूर, अमरावती	90
166.	रीगल टूर सर्विस, मुम्बई	100
167.	अलवाहा हज टूर, मुम्बई	75
168.	रैपिड टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	–
169.	कोटवाला टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
170.	घोष टूर एंड ट्रेवेल्स, कर्नाटक	150
171.	मीरा टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदनगर	50

1	2	3
172.	एलायंस इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
173.	अकबर टूर एंड ट्रेवेल्स, केरल	450
174.	तवफ ए मक्का टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	250
175.	ताज टूर एंड ट्रेवेल्स, पश्चिम बंगाल	125
176.	अल अमहीन टूर एंड ट्रेवेल्स, कानपुर	80
177.	अजीम टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	140
178.	अल बुरहान टूर एंड ट्रेवेल्स, बुरहानपुर	100
179.	क्रिएटिव इंटरप्राइजेज, मुम्बई	400
180.	अल जुनैद हज एंड उमराह कं., मेरठ	200
181.	अलखुद्दाम हज एंड उमराह सर्विस, श्रीनगर	150
182.	रोशन हज उमराह टूर एंड ट्रेवेल्स, महाराष्ट्र	50
183.	अवालिया हज टूर, इंदौर	50
184.	महदी टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	150
185.	रूबी टूर एंड ट्रेवेल्स, पुणे	140
186.	मुकद्दस हज को., थाणे	100
187.	बाखला इंटरनेशनल टूर, मुम्बई	160
188.	अरेबियन टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	160
189.	अस सफा टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	50
190.	जम जम हज टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
191.	अल मीराज टूर एंड ट्रेवेल्स, जोधपुर	100
192.	जन्नत टूर एंड ट्रेवेल्स, फैजाबाद	75
193.	अल उमर टूर एंड ट्रेवेल्स, भिवंडी	150
194.	हमदान ट्रेवेल्स सर्विस, कोलकाता	100
195.	अल हमजा ट्रेवेल्स, मुम्बई	50
196.	अल अत्तर हज को., मुम्बई	75
197.	अल सलाम हज ओ उमराह टूर, अकोला	100
198.	अल जुबी इंटरनेशनल, मुम्बई	150
199.	साहेब हज सर्विस, कर्नाटक	100

1	2	3
200.	अश्फहान टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
201.	तबाकल टुरिज्म को., नागपुर	90
202	अल अमल हज उमराह सर्विस, केरल	100
203.	मुल्ताजम टूर प्रा.लि., मुम्बई	200
204.	मरहबा हज उमराह टूर, मुम्बई	50
205.	अल बोराक टूर एंड ट्रेवेल्स, कोलकाता	50
206.	हुदा हज टूर टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	75
207.	मौलाना हज सर्विस, मुम्बई	100
208.	अल इखलस हज को., महाराष्ट्र	50
209.	अल अमीन हज को., रायगढ़	75
210.	बैतुल्लाह टूर इंटरनेशनल, बंगलोर	350
211.	मरहबा मुकद्दस उमराह हज टूर, मुम्बई	50
212.	मिजाब ए रहमत	130
213.	कोकण टूर को., थाणे	100
214.	सौदी टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	50
215.	रहबर टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
216.	सफी हज एंड उमरा टूर, अहमदनगर	100
217.	अल मदीना हज उमराह टूर, नासिक	50
218.	ए-वन टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	125
219.	अलीफिया टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	150
220.	ताशकंत टूर एंड ट्रेवेल्स, सूरत	80
221.	अल तवाफ हज उमराह ट्रेवेल्स एंड टुरिज्म, कोलम	150
222.	अल हरमैनी हज ग्रुप, मालापुरम	300
223.	अल्टन ट्रेवेल्स एंड कारगा, हैदराबाद	150
224.	मदीना टूर एंड ट्रेवेल्स, हैदराबाद	80
225.	अल यासिन टूर एंड ट्रेवेल्स, हैदराबाद	250
226.	पीरजादा ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
227.	किबला हज उमराह सर्विसेज, मुम्बई	50

1	2	3
228.	अस-सौद टूर, नवासरी	100
229.	दारुल हरम टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	120
230.	लब्बाक हज टूर एंड ट्रेवेल्स, नवासरी	50
231.	रायल ट्रेवेल्स एंड कार्गो सर्विस, हैदराबाद	50
232.	गोल्डन ट्रेवेल्स, हैदराबाद	225
233.	अल हीरा टूर एंड ट्रेवेल्स, हैदराबाद	150
234.	शरीफ टूर एंड ट्रेवेल्स, हैदराबाद	100
235.	फ्लाई इंटरनेशनल, मुम्बई	100
236.	दयार-ए-हबीब टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	225
237.	अस सफा हज टूर, नवासरी	175
238.	हज टूर को., इंदौर	100
239.	अल अकलरम हज टूर, मुम्बई	60
240.	अल हुसामी हज उमराह टूर, थाणे	50
241.	लब्बाक टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	150
242.	खादिम टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	200
243.	नवाब ट्रेवेल्स प्रा.लि., दिल्ली	50
244.	हादी टूर हज एंड उमराह, मालेगांव	80
245.	रज्जाक इंटरप्राइजेज, हैदराबाद	100
246.	शुक्रिया ट्रेवेल्स, मुम्बई	250
247.	दयार-ए-हरम टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	80
248.	मिल्लत हज सर्विस, चेन्नई	150
249.	क्लासिक टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	180
250.	क्रिएटिव टूर एंड ट्रेवेल्स (इंडिया) प्रा.लि., मुम्बई	185
251.	इफ्तेखार ट्रेवेल्स सर्विसेज, दिल्ली	150
252.	एआरके इंटरप्राइजेज ट्रेवेल्स एजेंसी, हैदराबाद	85
253.	थ्रीएन ट्रेवेल्स एंड टुरिस्ट ब्यूरो, मुम्बई	250
254.	अहलन हज एंड उमराह सर्विसेज, दिल्ली	50
255.	अल कबीर टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	150

1	2	3
256.	बिस्मिल्ला टूर एंड ट्रेवेल्स, पुणे	100
257.	अजमेरी टूर एंड ट्रेवेल्स, भीलवाड़ा,	100
258.	आशियाना टूर एंड ट्रेवेल्स, दिल्ली	200
259.	ए एस इंटरप्राइजेज, दिल्ली	300
260.	ग्लोबल टूर एंड ट्रेवेल्स, श्रीनगर	50
261.	हमीदिया टूर एंड ट्रेवेल्स, बॉम्बे	300
262.	सम्राट टूर एंड ट्रेवेल्स, जयपुर	300
263.	युनाइटेड टूर एंड ट्रेवेल्स, इलाहाबाद	75
264.	हिजाज टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	50
265.	युनाइटेड ट्रेवल्स सर्विस, दिल्ली	300
266.	अल हरम टूर एंड ट्रेवेल्स, रूड़की	300
267.	इस्लामिक टूर एंड ट्रेवेल्स, लखनऊ	100
268.	अनाम टूर एंड ट्रेवेल्स, दिल्ली	135
269.	सुल्तानजी इंटरप्राइजेज, दिल्ली	100
270.	अल बुर्क ट्रेवेल्स, दिल्ली	200
271.	मादनी ट्रेवेल्स, वाराणसी	50
272.	फैज ट्रेवेल्स, मेरठ	150
273.	चिस्ती टूर एंड ट्रेवेल्स, कानपुर	100
274.	फैज ए हुसैनी ट्रस्ट, मुम्बई	2300
275.	संजार ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	100
276.	अल मिनार टूर एंड ट्रेवेल्स, हिम्मतनगर, अहमदाबाद	125
277.	अमन टूर एंड. ट्रेवेल्स, तारापुर, गुजरात	70
278.	नोबल टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	75
279.	अलतिमा टूर एंड ट्रेवेल्स, त्रिवेंद्रम	400
280.	एम जी टूर एंड ट्रेवेल्स, पश्चिम बंगाल	60
281.	मरियम ताज टूर, इंदौर	110
282.	रबिता हज उमराह टूर, औरंगाबाद	150
283.	अल फरीद टूर एंड ट्रेवेल्स, गुजरात	125

1	2	3
284.	फैसल टूर एंड ट्रेवेल्स, नई दिल्ली	50
285.	खानदेश हज को., जलगांव	125
286.	मोमीन हज उमराह टूर, मुम्बई	150
287.	हाजिर टूर एंड ट्रेवेल्स, सिकंदराबाद	60
288.	मेहदी टूर एंड ट्रेवेल्स, लखनऊ	50
289.	मेट्रो टूर एंड ट्रेवेल्स	50
290.	अल मंसूर टूर एंड ट्रेवेल्स	50

विवरण III

क्र.सं.	निजी टूर आपरेटर का नाम	हज 2007 हेतु आवंटित कोटा
1	2	3
1.	तवाक्कल टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	150
2.	हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हज टूर्स, अहमदाबाद	225
3.	रज्जाक एंड संस (काकीवाला टूर एंड ट्रेवेल्स), अहमदाबाद	200
4.	ख्वाजा गरीब नवाज टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	130
5.	अल हासिम हज टूर, अहमदाबाद	90
6.	जिगर टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	130
7.	अकबरी टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	100
8.	अल अकाशा टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	100
9.	अल फारुखी हज उमराह टूर, साबरकांठा	125
10.	सफर हज टूर, अहमदाबाद	100
11.	आलीफ टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	50
12.	जम जम टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	175
13.	द वफादार टूर, साबरकांठा	75
14.	अदीनवाला टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	125
15.	अल खिजर टूर, बड़ौदा	80
16.	हज को. आफ इंडिया, बंगलोर	100
17.	मुकद्दस टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	100

1	2	3
18.	सीयर हज सर्विस, बंगलोर	200
19.	अल सैय्यद टूर इंटरनेशनल, बंगलोर	200
20.	लबाइक टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	225
21.	कर्नाटक हज ग्रुप, बंगलोर	100
22.	तवाक्कल टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	100
23.	अल मदीना टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	100
24.	अल्ला हू अकबर टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	100
25.	अल तैयब्बा टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	100
26.	अल मनासिक टूर इंटरनेशनल, बंगलोर	100
27.	अल रहमान हज टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	80
28.	बिस्मिल्ला टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	70
29.	मदानी हज ग्रुप, गुलबर्ग	175
30.	अतीक हज टूर एंड ट्रेवेल्स, अनंतपुर	150
31.	जे.एस. टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	50
32.	अल आजम टूर एंड ट्रेवेल्स, हैदराबाद	50
33.	अराफात टूर हज एंड उमराह ग्रुप, हैदराबाद	100
34.	दीन हज सर्विस, चेन्नई	395
35.	अल नूर हज सर्विस, तंजावुर	250
36.	अल अमानत हज सर्विस प्रा.लि., चेन्नई	395
37.	अल हरमाइन हज सर्विस प्रा.लि., चेन्नई	150
38.	अल हसम ट्रेवेल्स एंड टूर इंडिया प्रा.लि., पूरासावा	30
39.	अल फतह हज सर्विस (प्रा.) लि., तमिलनाडु	150
40.	शाह हज सर्विस, कोयम्बटूर	100
41.	सलामत हज सर्विस, रमनाद	80
42.	त्रिची सनसाइन हज सर्विस, चेन्नई	100
43.	अल मदीना हज सर्विस, चेन्नई	50
44.	फातिमागंज हज सर्विस, रामनाथपुरम	100
45.	कालांतर हज सर्विस, पुडुकोट्टी	100

1	2	3
46.	बुसरा हज सर्विस, चेन्नई	75
47.	रिचबे टूर एंड ट्रेवेल्स, कोयंबटूर	75
48.	अल सफा हज सर्विस, पुद्दुकोट्टी	115
49.	अल हुदा हज सर्विस प्रा.लि., कोयंबटूर	75
50.	अल मिस्बाह हज एंड उमरा सर्विस, चेन्नई	50
51.	बादशाह टूर एंड ट्रेवेल्स, कडप्पा	100
52.	अफजल हज टूर एंड ट्रेवेल्स प्रा.लि., चेन्नई	50
53.	सलीम हज एंड उमराह सर्विस, चेन्नई	50
54.	अल इरशाद टूर एंड ट्रेवेल्स, पट्टाम्बी	250
55.	मबरूक हज ग्रुप, मालापुरम	175
56.	एस वाई एस हज सेल, कोझीकोड्ड	700
57.	अल फलाह ट्रेवेल्स एंड हज ग्रुप, मालापुरम	600
58.	अलबान हज उमराह सर्विस, कोचीन	200
59.	अराफात हज ग्रुप, मालापुरम	220
60.	अल फारूख हज सर्विस, फिरोक	200
61.	अल हसम इंडिया हज एंड उमरा सर्विस मैनेजमेंट, कोच्ची	395
62.	अल हिंद टूर एंड ट्रेवेल्स, कालीकट	600
63.	वाजको हज ग्रुप कोझीकोडे	550
64.	सलामत हज सर्विस, कालीकट	550
65.	बकाह हज उमराह सर्विस, मालापुरम	50
66.	असलम हज टूर एंड ट्रेवेल्स, मालापुरम	150
67.	अल हिदाया हज सर्विस, केरल	100
68.	अल जामिया हज ग्रुप, मालापुरम	130
69.	उम्मठलखुरा हज सर्विस, मालापुरम	150
70.	द ग्रेट इंडिया टूर कं. प्रा.लि., त्रिवेंद्रम	50
71.	एयर ट्रेवेल्स इंटरप्राइजेज इंडिया लि., त्रिवेंद्रम	95
72.	अल हरमाइन हज उमरा ट्रेवेल्स, कोलम	100
73.	जम जम हज सर्विस, कालीकट	150

1	2	3
74.	इंडिया हज सर्विस को., तिरुवनंतपुरम	150
75.	मालाबार हज ग्रुप, मालापुरम	300
76.	नुसरत हज उमरा सर्विस टूर एंड ट्रेवेल्स, मालापुरम	285
77.	अल रिफाई हज उमराह सर्विस, पालाकड़	100
78.	केरल इस्लाम हज एंड इमराह सर्विस, कालीकट	575
79.	हिज्र हज ग्रुप, मालापुरम	200
80.	पी के एंड ट्रेवेल्स, पुनाथला, केरल	150
81.	एस वाई एस हज ग्रुप, मालापुरम	200
82.	फदहिल ग्रुप टूर एंड ट्रेवेल्स, कन्नुर	50
83.	नाथज खिदमातुल हुज्जाज,, पालाकड़	350
84.	मुस्लिम टूर को., मुम्बई	400
85.	कास्मिक टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	365
86.	मर्चेंट टूर सर्विस, मुम्बई	100
87.	अरफा टूर एंड ट्रेवेल्स, धुले	200
88.	अल हाफिज टूर एंड ट्रेवेल्स, धुले	100
89.	अराफात ट्रेवेल्स सर्विस, थाणे	85
90.	अल खालिद टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	350
91.	वेल्कम टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	75
92.	तम्बोली टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदनगर	400
93.	मक्का हज को., मुम्बई	300
94.	एशियन टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	250
95.	मिर्जा टूर एंड ट्रेवेल्स, लखनऊ	120
96.	अल उक्वा टूर एंड ट्रेवेल्स, कानपुर	100
97.	एटलस टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	800
98.	अकबर ट्रेवेल्स आफ इंडिया, मुम्बई	600
99.	बेंजी टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	600
100.	डेल्टा टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	600
101.	अल सफा टूर, मुम्बई	180

1	2	3
102.	मुखलिस हज एंड उमराह टूर, थाणे	50
103.	अकोला हज टूर, अकोला	200
104.	सूरत हज टूर, सूरत	80
105.	पूना टूर एंड ट्रेवेल्स, पुणे	100
106.	अल अंसार हज एंड उमराह आर्गेनाइजेर, मुम्बई	100
107.	मार्शल ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
108.	अल इरफान टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	200
109.	कादरी हज सर्विस, जबलपुर	85
110.	इकराम हज को., मुम्बई	125
111.	अल मुलताजिम हज टूर एंड ट्रेवेल्स, थाणे	50
112.	अल मदानी टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	50
113.	दरवेश टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	175
114.	कोल्हापुर हज को., कोल्हापुर	70
115.	अल अकबर टूर, मुम्बई	100
116.	हाजीपीर हज टूर, मुम्बई	150
117.	अमन टूरिज्म, कोल्हापुर	90
118.	एम के ट्रेवेल्स, मुम्बई	250
119.	सइदीना टूर एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	225
120.	असंरा टूर एंड ट्रेवेल्स, पुणे	150
121.	काजी सरकार ट्रेवेल्स, नीमच	60
122.	हिना ट्रेवेल्स सर्विस, लखनऊ	50
123.	मासूम टूर एंड ट्रेवेल्स, भड़ौच	50
124.	अल हिजाज टूर एंड ट्रेवेल्स, भड़ौच	350
125.	एम के हज एंड उमराह ट्रेवेल्स, कोलकाता	100
126.	मदीना हज टूर एंड ट्रेवेल्स एजेंसी, गुवाहाटी	50
127.	तवाकल टूर, बड़ौदा	215
128.	अल अक्सा टूर एंड ट्रेवेल्स, कोलकाता	100
129.	अल हिदायत टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	80

1	2	3
130.	मार्डन टूर एंड ट्रेवेल्स, कोलकाता	75
131.	मुल्ताजिम हज को., थाणे	50
132.	अल अराफात हज एंड उमराह टूर, नागपुर	75
133.	मास्टर ट्रेवेल्स, पुणे	120
134.	कोलकाता टूर एंड ट्रेवेल्स प्रा.लि., कोलकाता	50
135.	मौलवी हज एंड उमराह टूर एंड ट्रेवेल्स, भड़ौच	100
136.	बिलाल हज एंड उमराह टूर एंड ट्रेवेल्स, भड़ौच	80
137.	अल हमद हज एंड उमराह टूर, मुम्बई	150
138.	स्वेज इंटरनेशनल, नवासारी	180
139.	मतीन टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
140.	अल मुल्ताजिम हज एंड उमराह सर्विस, मुम्बई	50
141.	इंडियन हज को., थाणे	80
142.	अस सीरत टूर, मुम्बई	150
143.	जी बी टूर एंड ट्रेवेल्स, लखनऊ	120
144.	रिलीफ टूर एंड ट्रेवेल्स, गोधरा	150
145.	सागर टूर एंड ट्रेवेल्स, गोरखपुर	70
146.	राजा टूर एंड ट्रेवेल्स, भीलवाड़ा	100
147.	शाहीन हज टूर एंड ट्रेवेल्स, बरेली	100
148.	गुजरात हज टूर, अहमदाबाद	300
149.	मोहम्मदिया टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	200
150.	अल कूबा टूर एंड ट्रेवेल्स, पुणे	70
151.	सरकार ट्रेवेल्स, भीलवाड़ा,	100
152.	अल अकीब ट्रेवेल्स सर्विस, थाणे	100
153.	ट्रेवेल्स हाउस ट्रेवेल्स एंड टूर, भोपाल	50
154	अरबिया टूर एंड ट्रेवेल्स हज एंड उमराह, पुणे	200
155.	रिलायबल हज उमराह टूर, थाणे	75
156.	अल मेंहदी टूर, मुम्बई	350
157.	अल जामिल हज टूर, मुम्बई	125

1	2	3
158.	बाकला टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	225
159.	कादरी हज एंड उमराह टूर आर्गेनाइजर, अहमदनगर	90
160.	इमान इंटरनेशनल, मुम्बई	100
161.	एयर फ्लोट ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
162.	रुमानी इंटरप्राइजेज, मुम्बई	100
163.	अल हसन ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
164.	मौलान टूर को., मुम्बई	125
165.	स्काई शिप इंटरनेशनल प्रा.लि., मुम्बई	300
166.	अल हबीब टूर, मुम्बई	100
167.	अरफात हज टूर, विरामगाम, अहमदाबाद	100
168.	असरफ हज उमराह टूर, अमरावती	90
169.	रीगल टूर सर्विस, मुम्बई	100
170.	अलवाहा हज टूर, मुम्बई	75
171.	रैपिट टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	125
172.	कोटवाला टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
173.	बोष टूर एंड ट्रेवेल्स, कर्नाटक	150
174.	मीरा टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदनगर	50
175.	एलायंस इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
176.	अकबर टूर एंड ट्रेवेल्स, केरल	450
177.	तवफ ए मक्का टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	250
178.	ताज टूर एंड ट्रेवेल्स, पश्चिम बंगाल	125
179.	अल अमीन टूर एंड ट्रेवेल्स, कानपुर	80
180.	अजीम टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	140
181.	अल बुरहान टूर एंड ट्रेवेल्स, बुरहानपुर	100
182.	क्रिएटिव इंटरप्राइजेज, मुम्बई	395
183.	अल जुनैद हज एंड उमराह कं., मेरठ	200
184.	अलखुद्दाम हज एंड उमराह सर्विस, श्रीनगर	150
185.	रोशन हज उमराह टूर एंड ट्रेवेल्स, महाराष्ट्र	50

1	2	3
186.	अवालिया हज टूर, इंदौर	50
187.	महदी टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	150
188.	रूबी टूर एंड ट्रेवेल्स, पुणे	140
189.	मुकद्दस हज को., थाणे	100
190.	बाखला इंटरनेशनल टूर, मुम्बई	160
191.	अरेबियन टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	160
192.	अस सफा टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	50
193.	जम जम हज टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
194.	अल मीराज टूर एंड ट्रेवेल्स, जोधपुर	100
195.	जन्नत टूर एंड ट्रेवेल्स, फैजाबाद	75
196.	अल उमर टूर एंड ट्रेवेल्स, भिवंडी	150
197.	हमदान ट्रेवेल्स सर्विस, कोलकाता	100
198.	अल हमजा ट्रेवेल्स, मुम्बई	50
199.	अल अत्तर हज को., मुम्बई	75
200.	अलसलाम हज ओ उमराह टूर, अकोला	100
201.	अल जुबी इंटरनेशनल, मुम्बई	150
202.	साहेब हज सर्विस, कर्नाटक	100
203.	अश्फहान टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
204.	तबाकल टुरिज्म को., नागपुर	90
205	अल अमल हज उमराह सर्विस, केरल	100
206.	मुल्ताजम टूर प्रा.लि., मुम्बई	200
207.	मरहबा हज उमराह टूर, मुम्बई	50
208.	अल बोराक टूर एंड ट्रेवेल्स, कोलकाता	50
209.	हुदा हज टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	75
210.	मौलाना हज सर्विस, मुम्बई	100
211.	अल इखलस हज को., महाराष्ट्र	50
212.	अल अमीन हज को., रायगढ़	75
213.	बैतुल्लाह टूर इंटरनेशनल, बंगलोर	350

1	2	3
214.	मरहबा मुकद्दस उमराह हज टूर, मुम्बई	50
215.	मिजाब ए रहमत हज उमराह एंड जियारत टूर, नासिक	65
216.	मिजाब ए रहमत हज उमराह एंड जियारत टूर्स	65
217.	कोकण टूर को., थाणे	100
218.	सौदी टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	50
219.	रबहर टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
220.	सफी हज एंड उमरा टूर, अहमदनगर	100
221.	अल मदीना हज उमराह टूर, नासिक	50
222.	ए-वन टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	125
223.	अलीफिया टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	150
224.	ताशकंत टूर एंड ट्रेवेल्स, सूरत	80
225.	अल तवाफ हज उमराह टूर एंड ट्रेवेल्स, कोलम	150
226.	अल हरमैनी हज ग्रुप, मालापुरम	300
227.	अल्टन ट्रेवेल्स एंड कारगा, हैदराबाद	150
228.	मदीना टूर एंड ट्रेवेल्स, हैदराबाद	80
229.	अल यासिन टूर एंड ट्रेवेल्स, हैदराबाद	250
230.	पीरजादा ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
231.	किबला हज उमराह सर्विसेज, मुम्बई	50
232.	अस-सौद टूर, नवासरी	100
233.	दारूल हरम टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	120
234.	लब्बाक हज टूर एंड ट्रेवेल्स, नवासरी	50
235.	रायल ट्रेवेल्स एंड कार्गो सर्विस, हैदराबाद	50
236.	गोल्डन ट्रेवेल्स, हैदराबाद	225
237.	अल हीरा टूर एंड ट्रेवेल्स, हैदराबाद	150
238.	शरीफ टूर एंड ट्रेवेल्स, हैदराबाद	100
239.	फ्लाई इंटरनेशनल, मुम्बई	100
240.	दयार-ए-हबीब टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	225
241.	अस सफा हज टूर, नवासरी	175

1	2	3
242.	हज टूर को., इंदौर	100
243.	अल अकलरम हज टूर, मुम्बई	60
244.	अल हुसामी हज उमराह टूर, थाणे	50
245.	लब्बाक टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	150
246.	खादिम टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	200
247.	नवाब ट्रेवेल्स प्रा.लि., दिल्ली	50
248.	हादी टूर हज एंड उमराह, मालेगांव	80
249.	रज्जाक इंटरप्राइजेज, हैदराबाद	100
250.	शुक्रिया ट्रेवेल्स, मुम्बई	250
251.	दयार-ए-हरम टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	80
252.	मिल्लत हज सर्विस, चेन्नई	150
253.	क्लासिक टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	180
254.	क्रिएटिव टूर एंड ट्रेवेल्स (इंडिया) प्रा.लि., मुम्बई	185
255.	इफ्तेखार ट्रेवेल्स सर्विसेज, दिल्ली	150
256.	एआरके इंटरप्राइजेज ट्रेवेल्स एजेंसी, हैदराबाद	85
257.	थ्रीएन ट्रेवेल्स एंड टुरिस्ट ब्यूरो, मुम्बई	250
258.	अहलन हज एंड उमराह सर्विसेज, दिल्ली	50
259.	अल कबीर टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	150
260.	बिस्मिल्ला हज टूर एंड ट्रेवेल्स, पुणे	100
261.	अजमेरी टूर एंड ट्रेवेल्स, भीलवाड़ा	100
262.	आशियाना टूर एंड ट्रेवेल्स, दिल्ली	200
263.	ए एस इंटरप्राइजेज, दिल्ली	300
264.	ग्लोबल टूर एंड ट्रेवेल्स, श्रीनगर	50
265.	हमीदिया टूर एंड ट्रेवेल्स, बाम्बे	300
266.	सम्राट टूर एंड ट्रेवेल्स, जयपुर	300
267.	युनाइटेड टूर एंड ट्रेवेल्स, इलाहाबाद	75
268.	हिजाज टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	50
269.	युनाइटेड ट्रेवेल्स सर्विस, दिल्ली	300

1	2	3
270.	अल हरम टूर एंड ट्रेवेल्स, रूड़की	300
271.	इस्लामिक टूर एंड ट्रेवेल्स, लखनऊ	100
272.	अनाम टूर एंड ट्रेवेल्स, दिल्ली	135
273.	सुल्तानजी इंटरप्राइजेज, दिल्ली	100
274.	अल बुर्क ट्रेवेल्स, दिल्ली	200
275.	मादनी ट्रेवेल्स, वाराणसी	50
276.	फैज ट्रेवेल्स, मेरठ	150
277.	चिस्ती टूर एंड ट्रेवेल्स, कानपुर	100
278.	फैज ए हुसैनी ट्रस्ट, मुम्बई	2300
279.	संजार ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	100
280.	अल मिनार टूर एंड ट्रेवेल्स, हिम्मतनगर, अहमदाबाद	125
281.	अमन टूर एंड ट्रेवेल्स, तारापुर, गुजरात	70
282.	नोबल टूर एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	75
283.	अलतिमा टूर एंड ट्रेवेल्स, त्रिवेंद्रम	400
284.	एम जी टूर एंड ट्रेवेल्स, पश्चिम बंगाल	60
285.	मरियम ताज टूर, इंदौर	110
286.	रबिता हज उमराह टूर, औरंगाबाद	150
287.	अल फरीद टूर एंड ट्रेवेल्स, गुजरात	125
288.	फैसल टूर एंड ट्रेवेल्स, नई दिल्ली	50
289.	खानदेश हज को., जलगांव	125
290.	मोमीन हज उमराह टूर, मुम्बई	150
291.	हाजिर टूर एंड ट्रेवेल्स, सिकंदराबाद	60
292.	मेहदी टूर एंड ट्रेवेल्स, लखनऊ	50
293.	अल अजीज टूर एंड ट्रेवेल्स, नासिक	50
294.	नुरूल हरम टूर एंड ट्रेवेल्स, रूड़की	50
295.	अल मबरूक हज ग्रुप, मालापुरम	170
296.	मेट्रो टूर एंड ट्रेवेल्स,	50
297.	अल मंसूर टूर एंड ट्रेवेल्स,	50

विवरण IV

हज 2008–निजी टूर आपरेटरों को हज कोटे का आवंटन

क्र.सं.	प्राइवेट टूर आपरेटर का नाम	हज 2008 के लिए अनुमोदित कोटा
1	2	3
1.	3 एन ट्रेवेल्स एंड टूरिस्ट ब्यूरो, मुम्बई	250
2.	ए.एस. इंटरप्राइजेज, दिल्ली	300
3.	ए-1 टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	125
4.	आदेनवाला टूर्स एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	125
5.	अफजल हज टूर्स एंड ट्रेवेल्स (प्रा.) लि., चेन्नई	50
6.	एहलान हज एंड उमरा सर्विसेज, दिल्ली	50
7.	एयर पलोट ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
8.	एयर ट्रैवल्स इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड, त्रिवेंद्रम	95
9.	अजमेरी टूर्स एंड ट्रेवेल्स, भीलवाड़ा, राजस्थान	150
10.	अकबर टूर्स एंड ट्रेवेल्स, केरल	450
11.	अकबर ट्रेवेल्स आफ इंडिया, मुम्बई	600
12.	अकबरी टूर्स एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	100
13.	अकोला हज टूर, अकोला, महाराष्ट्र	200
14.	अल अकबर टूर्स, मुम्बई	100
15.	अल अमल हज उमरा सर्विस, केरल	100
16.	अल अमनाथ हज सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, चेन्नई	395
17.	अल अमीन हज कार्पोरेशन, रायगढ़, मध्य प्रदेश	75
18.	अल अमीन टूर्स एंड ट्रेवेल्स, कानपुर	80
19.	अल असांर हज एंड उमरा ओर्गेनाइजर, मुम्बई	100
20.	अल आक्सा टूर्स एंड ट्रेवेल्स, कोलकाता	100
21.	अल आकिब ट्रेवेल्स सर्विस, थाणे	100
22.	अल अराफात हज एंड उमरा ट्रेवेल्स, नागपुर	75
23.	अल अत्तर हज को., मुम्बई	75
24.	अल आजम टूर्स एंड ट्रेवेल्स, हैदराबाद	50
25.	अल अजीज टूर्स एंड ट्रेवेल्स, नासिक	50

1	2	3
26.	अल बोराक टूर्स एंड ट्रेवेल्स, कोलकाता	50
27.	अल बुरहान टूर्स एंड ट्रेवेल्स, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश	100
28.	अल फलाह ट्रेवेल्स एंड हज ग्रुप, मालापुरम	600
29.	अल फरीद टूर्स एंड ट्रेवेल्स, गुजरात	125
30.	अल फारुख हज सर्विस, फिरोके, केरल	200
31.	अल फताह हज सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड, तमिलनाडु	150
32.	अल हबीब टूर्स, मुम्बई	100
33.	अल हाफिज टूर्स एंड ट्रेवेल्स, धुले, महाराष्ट्र	100
34.	अल हादिम हज एंड उमरा ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
35.	अल हादिम हज एंड उमरा टूर्स, मुम्बई	150
36.	अल हमजा ट्रेवेल्स, मुम्बई	50
37.	अल हराम टूर्स एंड ट्रेवेल्स, रूड़की	300
38.	अल हरामिन हज सार्विसेज (प्रा.) लिमिटेड, चेन्नई	150
39.	अल हरमान हज उमरा ट्रैवल्स, कोलम, केरल	100
40.	अल हसन ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
41.	अल हाशिम हज टूर्स, अहमदाबाद	90
42.	अल हिदाया हज सर्विसेज, केरल	100
43.	अल हिदायत टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	80
44.	अल हिजाज टूर्स एंड ट्रेवेल्स, भड़ौच, गुजरात	350
45.	अल हिंद टूर्स एंड ट्रेवेल्स, कालीकट	600
46.	अल हुदा हज सर्विस (प्रा.) लिमिटेड, कोयंबटूर	75
47.	अल हसम इंडिया हज एंड उमरा सर्विस मैनेजमेंट, कोची, केरल	395
48.	अल हसम ट्रैवल्स एंड टूर्स (प्रा.) लिमिटेड, पुरसावा, चेन्नई	300
49.	अल इखियाश हज कार्पोरेशन, महाराष्ट्र	50
50.	अल इरफान टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	200
51.	अल इरशाद टूर्स एंड ट्रेवेल्स, पट्टाम्बी, केरल	250
52.	अल जामिया हज ग्रुप, मालापुरम	130
53.	अल जमील हज टूर्स, मुम्बई	125

1	2	3
54.	अल जुनैद हज एंड उमराह कंपनी, मेरठ	200
55.	अल खालिद टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	350
56.	अल खिजर टूर्स, बड़ौदा	80
57.	अल खुद्दाम हज एंड उमराह सर्विस, श्रीनगर	150
58.	अल मबरूक हज ग्रुप, मालापुरम	170
59.	अल मदीना हज सर्विस, चेन्नई	50
60.	अल मदीना टूर्स एंड ट्रेवेल्स, बंगलौर	100
61.	अल मदनी टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	50
62.	अल मनासिक टूर्स इंटरनेशनल, बंगलौर	100
63.	अल मंसूर टूर्स एंड ट्रेवेल्स,, अहमदाबाद	50
64.	अल मेहदी टूर्स, मुम्बई	350
65.	अल मीराज टूर्स एंड ट्रेवेल्स, जोधपुर	100
66.	अल मीनार टूर्स एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	125
67.	अल मिसबा हज एंड उमरा सर्विस, चेन्नई	50
68.	अल मुलताजिम हज एंड उमराह सर्विस, मुम्बई	50
69.	अल मुलताजिम हज टूर्स एंड ट्रेवेल्स, ठाणे	50
70.	अल नूर हज सर्विस, तंजावुर, तमिलनाडु	250
71.	अल क्यूबा टूर्स एंड ट्रेवेल्स, पुणे	70
72.	अल रहमान हज टूर्स एंड ट्रेवेल्स, बंगलौर	80
73.	अल रिफाई हज उमरा सर्विस, पलक्काड़, केरल	100
74.	अल सफा हज सर्विस पुड्डुकोटाई, केरल	115
75.	अल सफा टूर्स, मुम्बई	180
76.	अस सैय्यद टूर्स इंटरनेशनल, बंगलौर	200
77.	अल तैयबा टूर्स एंड ट्रेवेल्स, बंगलौर	100
78.	अल तवाफ हज उमराह ट्रेवेल्स एंड टूरिज्म, कोलम, केरल	150
79.	अल उमर टूर्स एंड ट्रेवेल्स, भिवंडी	150
80.	अल उकबा टूर्स एंड ट्रेवेल्स, कानपुर	100
81.	अल वाह हज टूर्स, मुम्बई	75

1	2	3
82.	अल जुबी इंटरनेशनल, मुम्बई	150
83.	अल अक्लरम हज टूर्स, अहमदाबाद	60
84.	अल अक्सा टूर्स एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	100
85.	अलबन हज उमराह सर्विस, कोचीन	200
86.	अल फरुखी हज उमरा टूर्स, साबरकंठा	125
87.	अल हरमायिनी हज ग्रुप, मालापुरम	300
88.	अल-हीरा टूर्स एंड ट्रेवेल्स, हैदराबाद	150
89.	अल-हुसामी हज उमराह टूर्स, थाणे	50
90.	अलिफ टूर्स एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	50
91.	अलफिया टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	150
92.	अल कबीर टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	150
93.	अल्लाहू अकबर टूर्स एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	100
94.	एलायंस इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
95.	अल मदीना हज उमरा टूर्स, नासिक	50
96.	अलसलाम हज ओ उमरा टूर्स, अकोला	100
97.	अलतिमा टूर्स एंड ट्रेवेल्स, त्रिवेंद्रम, केरल	400
98.	अलतान ट्रेवेल्स एंड कार्गा, हैदराबाद	150
99.	अल यासीन टूर्स एंड ट्रेवेल्स, हैदराबाद	250
100.	अमन टूरिज्म, कोल्हापुर	90
101.	अमन टूर्स एंड ट्रेवेल्स, तारापुर, गुजरात	70
102.	अनाम टूर्स एंड ट्रेवेल्स, दिल्ली	135
103.	असीर टूर्स एंड ट्रेवेल्स, पुणे	150
104.	अरेबिया टूर्स एंड ट्रेवेल्स हज एंड उमराह, पुणे	200
105.	अरेबियन टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	160
106.	अराफात ट्रेवेल्स सर्विस, थाणे	85
107.	अराफात हज ग्रुप, मालापुरम	220
108.	अरफा टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	200
109.	अराफात हज टूर्स, विरामगम, अहमदाबाद	100

1	2	3
110.	अराफात हज टूर्स एंड उमराह ग्रुप, हैदराबाद	100
111.	आर्क इंटरप्राइजेज ट्रेवेल्स एजेंसी, हैदराबाद	85
112.	अस सफा टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	50
113.	अस सेरात टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	150
114.	असफहान टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
115.	आशियाना टूर्स एंड ट्रेवेल्स, दिल्ली	200
116.	असरफ हज, उमराह टूर्स, अमरावती, महाराष्ट्र	90
117.	एशियन टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	250
118.	असलम हज टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मालापुरम	150
119.	अस सफा हज टूर्स, नवासारी, गुजरात	175
120.	अल साऊद टूर्स, नवासारी, गुजरात	100
121.	अतीक हज टूर्स एंड ट्रेवेल्स, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	150
122.	एटलस टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	800
123.	अवालिया हज टूर, इंदौर	50
124.	अजीम टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	140
125.	बादशां टूर्स एंड ट्रेवेल्स, काडपा, आंध्र प्रदेश	100
126.	बाखला इंटरनेशनल टूर्स, मुम्बई	160
127.	बाखला टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	225
128.	बाक्काह हज उमराह सर्विस, मल्लापुरम	50
129.	बैतुल्लाह टूर इंटरनेशनल, बंगलोर	350
130.	बेंजी टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	600
131.	बिलाल हज एंड उमरा टूर्स एंड ट्रेवेल्स, भड़ौच	80
132.	बिसमिल्लाह हज टूर्स एंड ट्रेवेल्स, पुणे	100
133.	बिसमिल्लाह हज टूर्स एंड ट्रेवेल्स, बंगलौर	70
134.	बुसरा हज सर्विस, चेन्नई	75
135.	चिश्ती टूर्स एंड ट्रेवेल्स, कानपुर	100
136.	क्लासिक टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	180
137.	कास्मिक टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	365

1	2	3
138.	क्रिएटिव इंटरप्राइजेज, मुम्बई	395
139.	क्रिएटिव टूर्स एंड ट्रेवेल्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड, मुम्बई	185
140.	दारूल हरम टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	120
141.	दरवेश टूर्स एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	175
142.	दायर-ए-हबीब टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	225
143.	दायर-ए-हरम टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	80
144.	डेल्टा टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	600
145.	धीन हज सर्विस, चेन्नई	395
146.	इल बुराक ट्रेवेल्स, दिल्ली	200
147.	फधील ग्रुप टूर्स एंड ट्रेवेल्स, कन्नुर, केरल	50
148.	फजल टूर्स एंड ट्रेवेल्स, नई दिल्ली	50
149.	फैज ट्रेवेल्स, मेरठ	150
150.	फतीमगानी हज सर्विस, रामानंतपुरम, आंध्र प्रदेश	100
151.	फ्लाई इंटरनेशनल, मुम्बई	100
152.	जी.बी. टूर्स एंड ट्रेवेल्स, लखनऊ	120
153.	घोष टूर्स एंड ट्रेवेल्स, कर्नाटक	150
154.	ग्लोबल टूर्स एंड ट्रेवेल्स, श्रीनगर	50
155.	गोल्डन ट्रेवेल्स, हैदराबाद	225
156.	गुजरात हज टूर्स, अहमदाबाद	300
157.	हादी टूर हज एंड उमराह, मालेगांव, महाराष्ट्र	80
158.	हज कार्पोरेशन आफ इंडिया, बंगलौर	100
159.	हज टूर्स कार्पोरेशन, इंदौर	100
160.	हाजीपीर हज टूर्स, मुम्बई	150
161.	हाजिर टूर्स एंड ट्रेवेल्स, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश	60
162.	हमदान ट्रेवेल्स सर्विस, कोलकाता	100
163.	हामीदया टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुंबई	300
164.	हजरात ख्वाजा गरीब नवाज हज टूर्स, अहमदाबाद	225
165.	हीना ट्रैवल सर्विस, लखनऊ	50

1	2	3
166.	हिजाज टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	50
167.	हिजरा हज ग्रुप, मालापुरम	200
168.	हुदा हज टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	75
169.	इफ्तेखार ट्रेवेल्स सर्विसेज, दिल्ली	150
170.	इकराम हज कार्पोरेशन, मुम्बई	125
171.	इमान इंटरनेशनल, मुम्बई	100
172.	इंडियन हज कार्पोरेशन, ठाणे	80
173.	इंडियन हज सर्विस कार्पोरेशन, तिरुवनंतपुरम	150
174.	इस्लामिक टूर्स एंड ट्रेवेल्स, लखनऊ	100
175.	जे.एस. टूर्स एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	50
176.	जन्नत टूर्स एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	75
177.	जिगर टूर्स एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	130
178.	काजी सरकार ट्रैवल, नीमच, मध्य प्रदेश	60
179.	कादरी हज एंड उमराह टूर्स ऑर्गेनाइजर, अहमदनगर, महाराष्ट्र	90
180.	कालांतर हर्ज सर्विस, तपुड्डुकोटाई, केरल	100
181.	कर्नाटक हज ग्रुप, बंगलोर	100
182.	केरल इस्लाम हज एंड उमरा सर्विस, कालीकट	575
183.	खादिम टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	200
184.	खंडेश हज कार्पोरेशन, जलगांव, महाराष्ट्र	125
185.	ख्वाजा गरीब नवाज टूर्स एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	130
186.	कोंकण टूर्स कार्पोरेशन, थाणे	100
187.	कोल्हापुर हज कार्पोरेशन, कोल्हापुर	70
188.	कोलकाता टूर्स एंड ट्रेवेल्स प्रा. लिमिटेड, कोलकाता	50
189.	कोतवाला टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
190.	लब्बैक टूर्स एंड ट्रेवेल्स, नवासरी, गुजरात	50
191.	लब्बैक टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुंबई	150
192.	लब्बैक टूर्स एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	225
193.	एम.जी. टूर्स एंड ट्रेवेल्स, पश्चिम बंगाल	60

1	2	3
194.	एम.के. हज एंड उमराह ट्रेवेल्स, कोलकाता	100
195.	एम.के. ट्रेवेल्स, मुम्बई	250
196.	मबरूक हज ग्रुप, मल्लापुरम	175
197.	मदानी हज ग्रुप, गुलबर्ग	175
198.	मदीना टूर्स एंड ट्रेवेल्स, हैदराबाद	80
199.	मदीना हज टूर्स एंड ट्रेवेल्स, गुवाहाटी	50
200.	मदनी ट्रेवेल्स, वाराणसी	50
201.	मेहदी टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	150
202.	मक्का हज कार्पोरेशन, मुम्बई	300
203.	मालाबार हज ग्रुप, मल्लापुरम	300
204.	मरहबा हज उमराह टूर्स, मुम्बई	50
205.	मरहबा मुकद्दास उमराह हज टूर, मुम्बई	50
206.	मरीयम ताज टूर, इंदौर	110
207.	मार्शल ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
208.	मासूम टूर्स एंड ट्रेवेल्स, भड़ौच, गुजरात	50
209.	मास्टर ट्रेवेल्स, पुणे	120
210.	मतीन टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
211.	मौलाना टूर्स कार्पोरेशन, मुम्बई	125
212.	मीरा टूर्स एंड ट्रेवेल्स, अहमदनगर	50
213.	मिजाब ए रहमत हज उमराह एंड जियारात टूर्स, नासिक	65
214.	मिजाब ए रहमत हज उमराह एंड जियारात टूर्स, नासिक	65
215.	मेहदी टूर्स एंड ट्रेवेल्स, लखनऊ	50
216.	मर्चेंट टूर सर्विस, मुम्बई	100
217.	मेट्रो टूर्स एंड ट्रेवेल्स, कटक	50
218.	मिलात हज सर्विस, चेन्नई	150
219.	मिर्जा टूर्स एंड ट्रेवेल्स, लखनऊ	120
220.	मार्डन टूर्स एंड ट्रेवेल्स, कोलकाता	75
221.	मोहम्मदिया टूर्स एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	200

1	2	3
222.	मोलवी हज एंड उमराह टूर्स एंड ट्रेवेल्स, भड़ौच	100
223.	मोमिन हज उमराह टूर, मुम्बई	150
224.	मौलाना हज सर्विस, मुम्बई	100
225.	मुखलिश हज एंड उमरा टूर्स, थाणे	50
226.	मुल्ताजम टूर प्रा.लि., मुम्बई	200
227.	मुलताजिम हजि कार्पोरेशन, थाणे	50
228.	मुकद्दस हजो कार्पोरेशन, थाणे	100
229.	मुकद्दम टूर्स एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	100
230.	मुस्लिम टूर कार्पोरेशन, मुम्बई	400
231.	नजात खिदमातुल हुजाज, पल्लकड़	350
232.	नवाब ट्रेवेल्स प्रा. लिमिटेड, दिल्ली	50
233.	नोबल टूर्स एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	75
234.	नूरूल हरम टूर्स एंड ट्रेवेल्स, रूड़की	50
235.	नुसरत हज उमरा सर्विस टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मल्लापुरम	285
236.	पी.के.एम. ट्रेवेल्स, पुनातला, केरल	150
237.	पीरजादा ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
238.	पूना टूर्स एंड ट्रेवेल्स, पुणे	100
239.	किबला हज उमरा सर्विस, मुम्बई	50
240.	कादरी हज सर्विस, जबलपुर, मध्य प्रदेश	85
241.	रबीता हज उमरा टूर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	150
242.	रेपिड टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	185
243.	रजा टूर्स एंड ट्रेवेल्स, भीलवाड़ा, राजस्थान	100
244.	रज्जाक एंड संघ (काकीवाला टूर्स एंड ट्रेवेल्स) अहमदाबाद	200
245.	रज्जाक इंटरप्राइजेज, हैदराबाद	100
246.	रीगल टूर्स सर्विस, मुम्बई	100
247.	रेहबार टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
248.	रिलेबल हज उमराह टूर्स, थाणे	75
249.	रिलीफ टूर्स एंड ट्रेवेल्स, गोधरा	150

1	2	3
250.	रिचवे टूर्स एंड ट्रेवेल्स कोयंबटूर	75
251.	रोशन हज उमराह टूर्स एंड ट्रेवेल्स, महाराष्ट्र	50
252.	रोयल ट्रेवेल्स एंड कार्गो सर्विस, हैदराबाद	50
253.	रूबी टूर्स एंड ट्रेवेल्स, पुणे	140
254.	रुमानी इंटरप्राइजेज, मुम्बई	100
255.	साहेब हज सर्विस, कर्नाटक	100
256.	सफर हज टूर्स, अहमदाबाद	100
257.	सागर टूर्स एंड ट्रेवेल्स, गोरखपुर	70
258.	सलामत हज सर्विस, रमनाद, तमिलनाडु	80
259.	सलामत हज सर्विस, कालीकट	550
260.	सलीम हज एंड उमराह सर्विस, चेन्नई	50
261.	सम्राट टूर्स एंड ट्रेवेल्स, जयपुर	300
262.	संजार ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	100
263.	सरकार ट्रेवेल्स, भीलवाड़ा	100
264.	साऊदी टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	50
265.	सियर हज सर्विस, बंगलोर	200
266.	शाह हज सर्विस, कोयंबटूर	100
267.	सफी हज एंड उमराह टूर्स, अहमदनगर, महाराष्ट्र	100
268.	शहीन हज टूर्स एंड ट्रेवेल्स, बरेली	100
269.	शरीफ टूर्स एंड ट्रेवेल्स, हैदराबाद	100
270.	शुक्रिया ट्रेवेल्स, मुम्बई	250
271.	स्काई शिप इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड, मुम्बई	300
272.	स्वेज इंटरनेशनल, नवासरी, गुजरात	180
273.	सुलतानजी इंटरप्राइजेज, दिल्ली	100
274.	सूरत हज टूर, सूरत	80
275.	सैयदीना टूर्स एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	225
276.	एस.वाई.एस. हज सेल, कोजीकोड	700
277.	एस.वाई.एस. हज सेल, मालापुरम	200

1	2	3
278.	ताज टूर्स एंड ट्रेवेल्स, पश्चिम बंगाल	125
279.	तम्बोली टूर्स एंड ट्रेवेल्स, अहमदनगर	400
280.	ताशकंद टूर्स एंड ट्रेवेल्स, सूरत	80
281.	तवाफ-ए-मक्का टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	250
282.	तबाकल टुरिज्म को., नागपुर	90
283.	तबक्कल टूर्स एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	150
284.	तबक्कल टूर्स एंड ट्रेवेल्स, बंगलोर	100
285.	तबक्कल टूर्स, बड़ौदा	215
286.	द ग्रेट इंडियन टूर कंपनी प्रा. लिमिटेड, त्रिवेंद्रम	50
287.	द वफादार टूर्स, साबरकंठा	75
288.	ट्रैवल हाउस ट्रैवल्स एंड टूर्स, भोपाल	50
289.	त्रिची सनसाइन हज सर्विस, रमनाड, तमिलनाडु	100
290.	उमूलखुरा हज सर्विस, मल्लापुरम	150
291.	यूनाइटेड टूर्स एंड ट्रेवेल्स, इलाहाबाद	75
292.	यूनाइटेड ट्रेवेल्स सर्विस, दिल्ली	300
293.	वाजको हज ग्रुप, कोजीकोड	550
294.	वेल्कम टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	75
295.	जम जम हज टूर्स एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई	100
296.	जमजम हज सर्विस, कालीकट	150
297.	जमजम टूर्स एंड ट्रेवेल्स, अहमदाबाद	175
	कुल कोटा	44780

विवरण V

निजी टूर आपरेटरों द्वारा कोटा का कथित दुरुपयोग किए जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत

(1) **मैसर्स जम जम टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई**–इनके विरुद्ध उनके द्वारा कोटा को कथित रूप से बेचने की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच करने पर आरोप की पुष्टि नहीं हो सकी। मैसर्स जम जम टूर एंड ट्रेवेल्स, मुम्बई को हज 2008 के लिए 100 सीटों का कोटा आवंटित किया गया था।

(2) **मैसर्स अंसार टूर एंड ट्रेवेल्स, पुणे**–कोलम के मैसर्स अल हुदा हज उमराह सर्विस ने मैसर्स अंसार टूर, पुणे के विरुद्ध उनके द्वारा कोटा बेचने का कथित रूप से शिकायत

की थी। मामले की जांच की गई और आरोप की पुष्टि नहीं हुई। मैसर्स अंसार टूर एंड ट्रेवेल्स, पुणे को हज 2008 के लिए 150 सीटों का कोटे आवंटित किया गया।

(3) **मैसर्स मीरा इंटरनेशनल, बंगलौर**–निजी टूर आपरेटर को वर्ष 2007 में 50 सीट आवंटित किए गए। मैसर्स अल फतह सर्विस प्रा.लि. से उनके विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें उन पर कोटा बेचने का आरोप लगाया गया था। मामले की जांच की जा रही है। मैसर्स मीरा इंटरनेशनल, बंगलौर ने हज 2008 के लिए कोटा हेतु आवेदन नहीं किया।

अन्तर्राष्ट्रीय फर्मों द्वारा नाभिकीय संयंत्रों का विस्तार

1652. **डा. चिन्ता मोहन:**
श्री सूरज सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नाभिकीय संयंत्रों के विस्तार हेतु कुछ अन्तर्राष्ट्रीय फर्मों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये फर्में कौन-कौन सी हैं;

(ग) इन फर्मों द्वारा निर्मित की जाने वाली इन परियोजनाओं की औसत लागत तथा इन परियोजनाओं द्वारा विद्युत उत्पादन की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) देश में प्रत्येक ऐसी फर्म द्वारा कितनी परियोजनाओं को तैयार किया गया है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा, बड़े आकार के नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों की स्थापना में संलग्न रोसाटोम (रूसी परिसंघ), एआरईवीए (फ्रांस), जनरल इलैक्ट्रिक एंड वैस्टिंगहाउस (संयुक्त राज्य अमरीका) नामक विश्व स्तर की फर्मों के साथ प्रारंभिक अन्वेषणात्मक बातचीत की गई है।

(ग) और (घ) निर्माण लागत और उसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत देश विशिष्ट के हिसाब से है और सही सूचना उपलब्ध नहीं है। भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ वर्ष 1988 में किए गए अंतर्सरकारी करार से, वर्ष 2002 में, रूसी परिसंघ के साथ तकनीकी सहयोग के आधार पर, तमिलनाडु में कुडनकुलम स्थान पर 1000 मेगावाट-ई क्षमता वाले दो साधारण पानी रिएक्टरों का निर्माण शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह परियोजना 84% वास्तविक प्रगति स्तर तक पहुंच गई है। इस परियोजना के निर्माण पर आने वाली संभावित लागत 13,171 करोड़ रुपए है और उत्पादन लागत के दो रुपए प्रति किलोवाट घंटा से कम आने का अनुमान है।

स्थानीय शासन के संबंध में अफगानिस्तान के साथ समझौता ज्ञापन

1653. **श्री किन्जरपु येरणनायडु:** क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्थानीय शासन के संबंध में अफगानिस्तान सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ होने की संभावना है?

पंचायती राज मंत्री, तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) 17 मई, 2008 को काबुल में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्री तथा अफगानिस्तान सरकार के ग्रामीण पुनर्वास तथा विकास मंत्री द्वारा स्थानीय शासन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणतंत्र की सरकार तथा अफगानिस्तान के इस्लामी गणतंत्र की सरकार के बीच एक समझौता निष्कर्षों के एक सेट पर भी हस्ताक्षर किए गए।

(ख) समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं निम्नवत् हैं:

(1) अधिकारिक स्तर पर दोनों ही पक्ष स्थानीय शासन पर एक भारत-अफगानिस्तान संयुक्त कार्य दल की स्थापना करेंगे।

(2) संयुक्त कार्य दल स्थानीय शासन पर संयुक्त फोरम, जिसके भारत सरकार के पंचायती राज मंत्री तथा अफगानिस्तान सरकार के ग्रामीण पुनर्वास तथा विकास मंत्री सह-अध्यक्ष होंगे, के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय आदान-प्रदान हेतु गतिविधियों की एक सूची की सिफारिश करेगा।

(3) संयुक्त कार्य दल अफगानिस्तान में माइक्रो-प्लानिंग, अधिकारों व कोषों के अंतरण एवं संसाधनों की लामबंदी से जुड़े क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने वाले स्थानीय प्रशासन के लोगों, संस्थाओं व निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता के निर्माण सहित स्थानीय स्व-शासन को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी सहायता कार्यक्रम की भी सिफारिश करेगा।

(ग) स्थानीय शासन के क्षेत्र में अपने-अपने अनुभवों की साझेदारी से अफगानिस्तान और भारत दोनों ही लाभान्वित होंगे। यह दोनों सार्क मुल्कों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की दिशा में भी एक कदम होगा।

सामुद्रिक विश्वविद्यालय

1654. **श्री मधुसूदन मिस्त्री:**
श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री वी.के. ठुम्मर:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री हरिन पाठक:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय स्थापित सामुद्रिक विश्वविद्यालय कितने हैं तथा ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में नए सामुद्रिक विश्वविद्यालय खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है और इस प्रयोजनार्थ क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) देश में दो समुद्रीय विश्वविद्यालय हैं अर्थात् भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय, चेन्नई, जिसे इस वर्ष भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (2008 का 22) के माध्यम से स्थापित किया गया है और दूसरा समुद्रीय शिक्षण और प्रशिक्षण अकादमी है जो कि चेन्नई में गैर-सरकारी क्षेत्र में एक समविश्वविद्यालय है।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र में एक नया सामुद्रिक विश्वविद्यालय खोले जाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। और अधिक विश्वविद्यालयों की आवश्यकता, भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय को स्थापित किए जाने से प्राप्त अनुभव और अन्य समर्थकारी कारकों जैसे भूमि की उपलब्धता, संसाधन तथा क्षेत्र में समुद्री संस्थानों की मौजूदगी पर निर्भर करेगी।

क्रॉनिक आब्स्ट्रक्टिव पलमोनरी बीमारी

1655. **श्री परसुराम माझी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में क्रोनिक आब्स्ट्रक्टिव पलमोनरी बीमारी के मामले बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बीमारी को फैलने से रोकने तथा इस बीमारी से ग्रस्त लोगों को उचित उपचार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) पुराने अवरुद्ध फुप्फुसीय रोग (सीओपीडी) की ठीक-ठीक संख्या भारत में ज्ञात नहीं है। विविध जानपादिक रोग अध्ययनों से जाहिर है कि सीओपीडी की व्याप्तता लगभग 2-3% है। यह मानने का पर्याप्त सबूत नहीं है कि सीओपीडी की व्याप्तता बढ़त पर है।

(ग) सीओपीडी संक्रामक रोग नहीं है और इसलिए यह एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। सीओपीडी का उपचार एम्स, पीजीआई, चंडीगढ़ तथा एसजीपीजीआई, लखनऊ आदि जैसे शीर्ष संस्थानों सहित स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय तंत्र से लेकर जिला अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा मेडिकल कालेजों तक में उपलब्ध रहता है। साथ ही, स्वस्थ जीवन शैली को विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यकलापों के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है।

युवाओं और खेलों के विकास हेतु धनराशि

1656. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में युवाओं तथा खेलों के विकास हेतु विभिन्न राज्यों को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार भारतीय खेल प्राधिकरण को वर्तमान सुविधाओं के साथ-साथ राज्यों में भारतीय खेल प्राधिकरण के और केन्द्रों को खोलने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या विशेषकर महिला खिलाड़ियों को तैयार करने हेतु कोई योजना प्रस्तावित है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान, युवाओं तथा खेलों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(लाख रु.)

		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (अक्तूबर 2008 तक)
1.	युवा कार्य	7826.08	7397.12	8586.49	5547.75
2.	खेल	559.90	3126.00	862.37	3230.72
	कुल	8385.98	10523.12	9448.86	8778.47

(ख) और (ग) सरकार को युवा विकास के लिए सोलह राज्यों से 970 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पात्र पाए गए प्रस्तावों पर परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा विचार कर लिया गया है तथा अनुदान जारी करने के लिए सिफारिश कर दी है। सरकार को आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल नामक 23 राज्यों से खेलों के विकास के लिए पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान के तहत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पीवाइकेकेए की राष्ट्रस्तरीय कार्यकारी समिति ने प्रस्तावों पर 142.24 करोड़ के अनुमत्य अनुदान की संस्वीकृति के लिए विचार कर रही है बशर्ते आवश्यक शर्तों की पूर्ति हो।

(घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

चालू वित्त वर्ष के दौरान युवा विकास स्कीम के तहत प्राप्त राज्य-वार प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	युवा स्कीम के तहत प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	56
2.	असम	-
3.	बिहार	-
4.	छत्तीसगढ़	-
5.	गुजरात	24
6.	हरियाणा	77
7.	हिमाचल प्रदेश	05
8.	जम्मू-कश्मीर	-
9.	झारखण्ड	01
10.	कर्नाटक	-
11.	केरल	20
12.	मध्य प्रदेश	-
13.	महाराष्ट्र	10
14.	मणिपुर	296
15.	मिजोरम	09
16.	नागालैण्ड	58
17.	उड़ीसा	184
18.	पंजाब	-
19.	राजस्थान	115
20.	दमन व दीव	-

1	2	3
21.	सिक्किम	–
22.	त्रिपुरा	–
23.	तमिलनाडु	–
24.	उत्तरांचल	–.
25.	उत्तर प्रदेश	18
26.	पश्चिम बंगाल	50
27.	दिल्ली	44
28.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	–
29.	पाण्डिचेरी	–
30.	दादरा व नगर हवेली	–
31.	अरुणाचल प्रदेश	03
32.	मेघालय	–
33.	चण्डीगढ़	–
	कुल योग	970

अंतिम संस्कार हेतु वृक्षों का काटा जाना

1657 **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री मधु गौड़ यास्खी

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शवों के अंतिम संस्कार हेतु प्रति वर्ष बड़ी संख्या में वृक्ष काटे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ङ) क्या अंतिम संस्कार को पर्यावरण अनुकूल बनाने हेतु सरकार की एक प्रौद्योगिकी विकसित करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) विद्युत शवदाह गृह पर्यावरण की दृष्टि से अधिक अनुकूल है और राज्य सरकारों में नगर नियोजन अभिकरणों द्वारा इन्हें प्रोत्साहित किया जाता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति

1658. **श्री शैलेन्द्र कुमार:**
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर बड़े पुल जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस जीर्ण-शीर्ण पुलों की मरम्मत/पुन: निर्माण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो हजारीबाग तथा रांची के बीच उपरि पुल सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुछ पुल खराब स्थिति में हैं जिनकी मरम्मत की आवश्यकता है। इन पुलों के राज्यवार ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी हां। पुलों की मरम्मत/पुनर्निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और यह कार्य पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर हजारीबाग और रांची के बीच कोई रेल उपरि पुल नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के 82 किमी. में रेलवे लाइन पर एक पुराना संकरा ईंट का मेहरावदार पुल है। इस पुल की मरम्मत रेलवे और झारखंड सरकार द्वारा की जाती है।

विवरण

खराब स्थिति वाले पुलों के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	जोड़
1.	आंध्र प्रदेश	6
2.	असम	43
3.	बिहार	41
4.	छत्तीसगढ़	185
5.	गुजरात	36
6.	हरियाणा	22
7.	हिमाचल प्रदेश	124
8.	जम्मू-कश्मीर	3
9.	झारखंड	21
10.	कर्नाटक	20
11.	केरल	4
12.	मध्य प्रदेश	14
13.	महाराष्ट्र	41
14.	मणिपुर	1
15.	मेघालय	59
16.	उड़ीसा	136
17.	पंजाब	43
18.	राजस्थान	14
19.	उत्तराखंड	9
20.	पश्चिम बंगाल	21
	कुल जोड़	843

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं संबंधी विश्व बैंक की रिपोर्ट

1659. श्री गिरधारी लाल भार्गव:
श्री प्रतीक पी. पाटील:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य राजमार्गों के निर्माण कार्यों पर चिंता व्यक्त की है तथा कुछ परियोजनाओं का वित्त पोषण बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परियोजनावार इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या लखनऊ-मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उन्नयन कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) विश्व बैंक ने राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर लखनऊ-मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (एलएमएनएचपी) के 12 पैकेजों में से 5 पैकेजों (डब्ल्यूबी-5, डब्ल्यूबी-9 से डब्ल्यूबी-12) की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की है। तथापि, विश्व बैंक ने परियोजनाओं का वित्तपोषण नहीं रोका है।

(ग) से (ङ) धीमी प्रगति वाले 5 पैकेजों के कार्य में तेजी लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) डब्ल्यूबी-5, 9, 10, 11 और 12 के निम्नस्तरीय निष्पादन वाले 5 ठेकों के लिए अगले 6 माह का लक्ष्य निर्धारित करते हुए संबंधित ठेकेदार के साथ पूरक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(2) निम्नस्तरीय कार्य निष्पादन वाले 5 परियोजना पैकेजों के लिए पर्यवेक्षण परामर्शदाताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

(3) एलएमएनएचपी के सभी चार परियोजना निदेशकों को कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

डब्ल्यूबी-1 से 4 और 6 से 8 पैकेज में भौतिक प्रगति 30% से 60% के बीच है जबकि डब्ल्यूबी-5, 9 से 12 पैकेजों में भौतिक प्रगति 16% से 20% के बीच है। विलंब के कारण इस प्रकार हैं:-

(1) भूमि अधिग्रहण, वृक्षों की कटाई और सुविधाओं के स्थानांतरण जिनमें राज्य सरकार के माध्यम से समन्वय किया जाता है, जैसे निर्माण पूर्व कार्यों में प्रारंभिक विलंब।

(2) वर्ष 2006 के दौरान क्षेत्र में भारी बारिश/बाढ़ के कारण प्रारंभिक स्तरों पर परियोजना प्रारंभ नहीं हो सकी जिसके फलस्वरूप गृहीत क्षेत्र के जलमग्न होने के कारण तटबंधों का निर्माण आवश्यक हो गया।

(3) ठेकेदारों द्वारा संसाधनों का निम्नस्तरीय संग्रहण/आयोजना।

(4) निम्नस्तरीय कार्य निष्पादन और ठेकेदारों को नकदी प्रवाह की समस्या।

सभी 12 पैकेजों को दिसंबर, 2009 तक पूरा किया जाना है।

[हिन्दी]

किराए पर कोख देने वाली माताओं हेतु मापदंड

1660. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री कीरेन रिजीजू:
श्रीमती जयाबहन डी. ठक्कर:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में किराए पर कोख देने वाली सरोगेट माताओं की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में किराए पर कोख देने को कानूनी मान्यता मिलने के पश्चात् कितनी महिलाएं सरोगेट माता बनी हैं;

(ग) क्या सरकार सरोगेट माताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मानदंड निर्धारित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) यह मंत्रालय सरोगेट माताओं से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण नहीं कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) भारत में सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी (एआरटी) क्लीनिकों के निरीक्षण एवं नियमन के लिए, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत) के सहयोग से "भारत में एआरटी क्लीनिकों के प्रत्यायन, निरीक्षण एवं नियमन हेतु राष्ट्रीय दिशा-निर्देश" तैयार किए हैं जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में किराए पर कोख देने के मुद्दे पर विस्तार से उल्लेख किया गया है। देश में इन दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों एवं अन्य विशेषज्ञों के सहयोग से सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी (नियमन) विधेयक एवं नियम 2008 का मसौदा तैयार किया है जो विभिन्न पणधारियों से टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट (www.mohfw.nic.in) तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की वेबसाइट (www.icmr.nic.in) पर दिया गया है।

सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी (नियमन) विधेयक एवं नियम 2008 के मसौदे में देश की सरोगेट माताओं के हित के मुद्दे समेत सरोगेसी से संबंधित सभी मुद्दों को शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

वनों में आग

1661. श्री उदय सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अधिकांश वन अग्नि प्रवण है तथा प्रति वर्ष अनुमानत: 35 करोड़ रुपए मूल्य की इमारती लकड़ी जलकर नष्ट हो जाती है, जैसा कि दिनांक 8.10.08 में 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में हुई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने वनों में लगी आग पर काबू पाने हेतु विदेशी विशेषज्ञों/एजेंसियों से सहायता मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में वनों में लगी आग पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य प्रभावी कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) के अनुसार भारत का लगभग 53% क्षेत्र अग्नि प्रवण है। एफएसआई ने दावानल से हुई हानि को मूल्यांकित करने के लिए अब तक वित्तीय दृष्टि कोई अध्ययन नहीं किया है और न ही कोई ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। दिनांक 8.10.2008 के हिन्दुस्तान टाइम्स में एफएसआई का स्रोत के रूप में गलत उल्लेख किया गया है।

(ख) लगभग 25 वर्षों के फील्ड इनवेंटरी डाटा के आधार पर यह विश्लेषित किया गया कि देश का 53% वन क्षेत्र अग्नि प्रवण है जिसमें 9% बारबार अग्नि के प्रवण है और 44% कभी-कभी अग्नि के प्रवण है।

(ग) दावानल द्वारा प्रभावित क्षेत्र का एफएसआई द्वारा कोई वार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

(घ) दावानल को नियंत्रित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों/एजेंसियों से ऐसी कोई सहायता नहीं मांगी गई है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि, दावानल प्रबंध में रोकथाम, समय से पता लगाना, नियंत्रण और मानीटरिंग शामिल है। प्रौद्योगिकियों का संयोजन जैसे दूर संवेदी, भौगोलिक सूचना प्रणाली आदि दावानलों का पता लगाने और मॉनीटरिंग के लिए उपयोग किया जा रहा है। केन्द्रीय प्रायोजित-एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत दावानल नियंत्रण और प्रबंध एक घटक है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित दावानल के प्रभावी निवारण और नियंत्रण के लिए विभिन्न कार्यों को करने के लिए भागीदारी आधार पर राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारतीय कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के संबंध में भारत-फ्रांस समझौता

1662. **श्री रवि प्रकाश शर्मा:** क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फ्रांस में कार्यरत भारतीयों की सामाजिक सुरक्षा के लिए फ्रांस के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ मिलने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, हां। भारत और फ्रांस के बीच सामाजिक सुरक्षा करार पर पेरिस में 30 सितम्बर, 2008 को हस्ताक्षर हुए थे।

(ख) और (ग) निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे:

(1) पांच वर्ष तक की अल्प संविदा के लिए फ्रांसीसी कानून के अंतर्गत हटाए गए कामगारों को किसी सामाजिक सुरक्षा अंशदान के भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी बशर्ते कि वे भारत में सामाजिक सुरक्षा भुगतान करते रहें।

(2) उपरोक्त लाभ उस दशा में भी उपलब्ध रहेगा जबकि भारतीय कंपनी अपने कर्मचारियों को फ्रांस गणराज्य से किसी अन्य देश में भेजती है।

(3) भारतीय कामगार सामाजिक सुरक्षा लाभों में निर्यात के पात्र होंगे यदि वे फ्रांस गणराज्य में अपनी सेवा पूरी करने के बाद भारत में बसते हैं।

(4) फ्रांस गणराज्य में स्व:नियोजित भारतीय भी अपनी भारत वापसी होने पर सामाजिक सुरक्षा लाभ के पात्र होंगे।

(5) भारत अथवा फ्रांस, जैसा भी मामला हो, में अंशदान की अवधि को सामाजिक सुरक्षा लाभों की पात्रता निर्धारित करने के लिए अन्य देश में अंशदान की अवधि में जोड़ा जाएगा।

विदेशी प्रकाशनों हेतु विनियम

1663. **श्री रूपचन्द मुर्मू:**
श्री ई. दयाकर राव:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रमोटरों की भागीदारी से विदेशी समाचार पत्रिकाओं के प्रकाशन की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा क्या है; और

(घ) इस संबंध में देशीय समाचार-पत्र प्रिंट मीडिया के हितों की रक्षा किस प्रकार से की जाएगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने कतिपय शर्तों के अध्यधीन विदेशी निवेश के साथ या उसके बिना भारतीय कंपनी (कंपनियों) द्वारा विदेशी समाचार पत्रिकाओं का भारतीय संस्करण निकालने की अनुमति दी है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

(ग) प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा निम्नानुसार है:

समाचार एवं समसामयिक विषयक क्षेत्र : 26% और

गैर-समाचार एवं गैर-समसामयिक विषयक क्षेत्र : 100%

(घ) समाचार और समसामयिक विषयों से संबंधित भारतीय कंपनियों में 26% विदेशी इक्विटी की अनुमति देने संबंधी नीति पहले से ही प्रचलन में है। विदेशी समाचार पत्रिकाओं का भारतीय संस्करण निकालने की अनुमति देने का निर्णय, गैर-समाचार एवं गैर-समसामयिक विषयक क्षेत्र में विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण निकालने की अनुमति देने संबंधी मौजूदा नीति के क्रम में है और इसलिए इसका घरेलू प्रिंट मीडिया के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूर्वोल्लिखित दिशा-निर्देशों में पर्याप्त सुरक्षोपायों को प्रावधान किया गाय है।

[हिन्दी]

वन्य जीवों संबंधी वस्तुओं की तस्करी

1664. श्री अजीत जोगी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्षों से देश में वन्य जीवों संबंधी वस्तुओं की तस्करी बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में वर्षवार वन्य जीवों संबंधी जब्त की गई वस्तुओं की कुल मात्रा कितनी थी;

(ग) उक्त अवधि के दौरान अवैध रूप से वन्य जीवों संबंधी वस्तुएं रखने के लिए राज्यवार कितने लोगों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए तथा इस संबंध में कितने लोग गिरफ्तार किए गए;

(घ) देश की अदालतों में राज्यवार ऐसे कितने मामले लंबित है; और

(ङ) वन्य जीवों संबंधी वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) वर्षों से देश से वन्यजीव वस्तुओं की तस्करी में बढ़ते हुए रुझान को दर्शा रहे वन्यजीव वस्तुओं की बड़े पैमाने पर तस्करी की घटनाएं इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाई गई हैं। तथापि, आकर्षक कीमतों और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में वन्यजीव उत्पादों की चोरी छिपे मांगों पर विचार करते हुए वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों की तस्करी की संभावना से पूरी तरह इंकार नहीं किया जा सकता है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) वन्यजीव वस्तुओं की तस्करी रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:-

1. केन्द्रीय सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के मुद्दे से निपटने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 अधिनियमित किया है।
2. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों पर सख्त शस्तियां लगाई गई हैं।
3. वन्यजीव अपराध के नियंत्रण के लिए पांच क्षेत्रीय और तीन उप क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क सहित वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित किया गया है।
4. वन्यजीव और उनके वास-स्थलों के संरक्षण और प्रबंध हेतु राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, नामश: 'राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास' 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
5. भारत, कन्वेंशन आन इंटरनेशनल ट्रेड इन्डेन्जर्ड स्पीसीज आप वाईल्ड फाना और फ्लोरा (सीआईटीईएस), जो वन्यजीव और उनके व्युत्पन्नों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अधिनियमित करता है, में हस्ताक्षरकर्ता देश है।
6. भारत की चीन और नेपाल के साथ वन्यजीव अपराध रोकने के लिए द्विपक्षीय व्यवस्था है।
7. भारत, कोलिशन अगेन्सट वाइल्डलाईफ ट्रैफिक्किंग जो वन्यजीव अपराध के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय फोरम के रूप में कार्य कर रहा है, का भी संस्थापक सदस्य है।

[अनुवाद]

सरकारी-निजी भागीदारी की निगरानी

1665. श्री निखिल कुमार: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी हेतु संस्थागत तंत्र का सुझाव देने के लिए एक अंतर मंत्रालय समूह का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को निजी कंपनियों द्वारा पीपीपी परियोजनाओं के उल्लंघन का पता लगा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है जिससे कि पीपीपी परियोजनाएं बिना किसी गड़बड़ी अथवा उल्लंघन के क्रियान्वित की जा सकें?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) पीपीपी परियोजनाओं के निष्पादन के मॉनिटरण हेतु एक संस्थागत तंत्र सृजित करने के लिए विचार-विमर्श एवं सिफारिशें करने हेतु सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक अंतरमंत्रालीय समूह (आईएमजी) का गठन किया गया है।

(ग) से (ङ) पीपीपी परियोजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है।

हज यात्रियों को राजसहायता

1666. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हज यात्रियों को राजसहायता देने हेतु कोई नए नियम/दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इसके लिए वार्षिक व्यय में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) भारतीय हज समिति के तत्वावधान में हज की यात्रा करने वाले हजयात्रियों को एयर इंडिया तथा सउदी अरबियन एयरलाइन द्वारा हवाई परिवहन सेवाएं प्रदान की जाती हैं। हजयात्रियों से लिए जा रहे किराए और शेष लागत को पूरा करने के तरीकों पर निर्णय मंत्रिमंडल के अनुमोदन से लिया जाता है।

(ग) इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय निम्नानुसार हैं:

वर्ष	व्यय (करोड़ रु. में)
हज 2006-I	290
हज 2006-II	367
हज 2007	390 (अनंतिम)

(घ) और (ङ) हज यात्रियों की एक निश्चित संख्या के आवागमन के लिए सऊदी अरबियन एयरलाइन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। सऊदी अरबियन एयरलाइन को भुगतान की जाने वाली राशि के संबंध में निर्णय बातचीत कर किया जाता है। शेष हजयात्रियों के लिए हज की व्यवस्था लागत के आधार पर एयर इंडिया द्वारा की जाती है। हजयात्रियों द्वारा भुगतान की राशि से अधिक हुए व्यय की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा राजसहायता के रूप में एयर इंडिया को की जाती है। एयर इंडिया के प्रचालन की लागत पट्टा दर, ईंधन मूल्य और अन्य कारकों पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

गांवों में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र/परिवार कल्याण केन्द्र

1667. श्री पुन्नू लाल मोहले:
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी गांवों, विशेषकर पिछड़े गांवों, में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र/परिवार नियोजन और कल्याण केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे स्वास्थ्य केन्द्रों में आने वाली जनसंख्या का अनुपात क्या है;

(ग) कितने गांवों में अभी तक उक्त केन्द्रों की स्थापना नहीं हुई है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में सरकार द्वारा नए प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की स्थापना के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान कितने उक्त केन्द्रों की स्थापना की जाएगी और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पल्लमराजू लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) ये स्वास्थ्य केन्द्र कार्यभार/मामलाभार, दूरी एवं जनसंख्या के निम्नलिखित प्रतिमानकों के आधार पर खुले हुए हैं:-

केन्द्र	जनसंख्या के प्रतिमानक	
	मैदानी क्षेत्र	पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्र
उप-केन्द्र	5000	3000
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30,000	20,000
बाल स्वास्थ्य केन्द्र	1,20,000	80,000

(ग) स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या/स्थान राज्य सरकारों की उनके वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में परिलक्षित की गई प्राथमिकता पर निर्भर करती है जिसकी एनआरएचएम के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वयन समिति (एनपीसीसी) द्वारा जांच एवं अनुमोदन किया जाता है।

(घ) निधियां कार्यक्रम योजना के आधार पर निर्मुक्त की जाती हैं। इसमें राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना शामिल है।

(ङ) अगले वित्त वर्ष के दौरान स्थापित किए जाने वाले उक्त केन्द्रों की संख्या उस वर्ष के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना पर निर्भर करेगी।

डी.ए.वी.पी. द्वारा विज्ञापन

1668. श्री धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री वी.के. दुग्मर:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आधिकारिक विज्ञापन जारी करने के लिए समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के चयन का मापदंड क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों/भुगतान की गई धनराशि का समाचारपत्र, पत्रिकावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि डीएवीपी गुट-संबंधी समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी कर रहा है जिनका परिचालन काफी कम है और जो केवल डी.ए.वी.पी. के विज्ञापनों पर निर्भर हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे समाचारपत्र और पत्रिकाएं कौन-कौन से हैं, और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या किसी अधिकारी के शामिल होने का पता लगाया गया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) डी.ए.वी.पी. के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) विषय-वस्तु, लक्षित पाठकगण, ग्राहक मंत्रालय की सिफारिशों और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त मीडिया सूची तैयार करता है। डिस्प्ले विज्ञापनों को जारी करते समय डीएवीपी इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि प्रसार, भाषाओं, कवरेज क्षेत्र आदि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणी के समाचार पत्रों अर्थात् बड़े, मध्यम और लघु समाचार पत्रों के बीच, जहां तक संभव हो, 50:35:15 (रुपयों में) के अनुपात में एक संतुलन बनाए रखा जाए।

(ख) ब्यौरा डीएवीपी की वेबसाइट www.davp.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) से (ज) डीएवीपी केवल उन्हीं प्रकाशनों को विज्ञापन जारी करता है जो कि डीएवीपी के अनुमोदित पैनल में शामिल हैं। विज्ञापन नीति में निर्धारित सभी मानकों को पूरा करने वाले समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को सरकार द्वारा नियुक्त पैनल सलाहकार समिति द्वारा गहन जांच करने के पश्चात् ही डीएवीपी के पैनल में शामिल किया जाता है।

(झ) निर्मुक्ति आदेश, विज्ञापन सामग्री, दर संविदाएं और विज्ञापन बिलों के भुगतान को आनलाइन जारी करने हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का प्रयोग करके डीएवीपी के कार्यकरण को कारगर बनाया गया है। हाल ही में, दर नवीनीकरण और पैनल में शामिल करने संबंधी आवेदन भी आनलाइन प्राप्त हुए हैं जिससे डीएवीपी के कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता लाने में मदद मिली है।

[अनुवाद]

पृथक पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण

1669. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल संरक्षण कार्यकर्ताओं ने देश में एक पृथक पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की मांग की है, जिसके पास जल प्रदूषण कानून की निगरानी करने और इन्हें लागू करने की शक्तियां हों, जैसा कि दिनांक 30 जुलाई, 2008 के "द हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) 'द हिन्दु' के दिनांक 30.7.2008 में यथासूचित रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण कानूनों की मानीटरिंग और कार्यान्वयन के लिए अलग प्राधिकरण की स्थापना की बात सरकार के ध्यान में आई है। अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रक समितियां पहले ही गठित की जा चुकी है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों के कार्यों को समन्वित करने और उन्हें तकनीकी सलाह देने और मार्गनिर्देशन के लिए जल अधिनियम के अंतर्गत शीर्ष स्तर पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है। नदियों के प्रदूषण निवारण के संबंध में केन्द्र सरकार हालिस्टिक और एकीकृत एप्रोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नदी सफाई कार्यक्रम को पुन: तैयार कर रही है।

डी.डी. उर्दू चैनल

1670. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन उर्दू चैनल के कार्यकरण और दर्शकों की संख्या की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस चैनल के कार्यक्रम विषय-वस्तु/ दर्शकों की संख्या में सुधार करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कोई धनराशि आबंटित/जारी की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि डीडी उर्दू देश भर में केबल एवं डीटीएच के माध्यम से अपने दर्शकों के लिए उपलब्ध एक चौबीसों-घंटे कार्यशील चैनल है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वर्ष 2008-09 के दौरान अनुदान के रूप में 13.60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से अभी तक 7.05 करोड़ रुपये का व्यय हो गया है।

कोयला उद्योग के बारे में अर्न्सट एंड यंग की रिपोर्ट

1671. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्रीमती मेनका गांधी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयले की कमी दूर करने के लिए अर्न्सट एंड यंग (ई एंड वाई) द्वारा कोयला उद्योग के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की गई है। जैसाकि दिनांक 6 सितम्बर, 2008 के "द हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें किन-किन प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

इसरो में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कमी

1672. श्री महावीर भगोरा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कमी का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी) की तर्ज पर अधिक संस्थानों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को अंतरिक्ष प्रणाली और प्रौद्योगिकी व्यवसाय में श्रेष्ठता बनाये रखने के लिए

उच्च कोटि के वैज्ञानिक और इंजीनियरों की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र द्वारा अवसर प्रदान करने और बेहतर पारिश्रमिक उपलब्ध कराने के कारण प्रमुख शैक्षिक संस्थाओं से निकलने वाले होनहार युवा प्रतिभा की सहभागिता भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में घट रही है। साथ ही, कई अनुभवी वैज्ञानिक/इंजीनियर भी इस कारण इसरो छोड़कर निजी उद्योगों में भर्ती हो रहे हैं। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के साथ इस स्थिति में सुधार हो सकता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए उच्च कुशल मानव संसाधन आवश्यकता की आपूर्ति हेतु इसरो ने तिरुवनंतपुरम के निकट भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की है और शैक्षिक वर्ष 2007-08 से विशिष्ट क्षेत्र जैसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की अंतरिक्ष विज्ञान में पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर, डाक्टर की उपाधी और पोस्ट-डाक्टरल कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। यह संस्था इसरो के लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की आपूर्ति निरंतर करती रहेगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

दूरदर्शन केन्द्रों में प्रसारण के लिए एक समान रूपरेखा

1673. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुवाहाटी के अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के दूरदर्शन केन्द्रों में डीवीसी पीआरओ प्रसारण रूपरेखा का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जबकि देश के सभी दूरदर्शन केंद्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार देशभर में एक समान प्रसारण रूपरेखा बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी दूरदर्शन केन्द्रों में डीवीसी पीआरओ प्रसारण रूपरेखा कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) कार्यक्रम निर्माण केंद्रों (पीपीसी) के डिजिटलीकरण हेतु दूरदर्शन ने डीवीसी प्रो और डी 9 नामक दो रिकार्डिंग फार्मेटों को अपनाया था। ये दोनों फार्मेट व्यावसायिक ब्राडकास्ट फार्मेट हैं और इनका प्रयोग विश्व भर के प्रसारकों द्वारा किया जा रहा है। केंद्रों के बीच कार्यक्रमों के सुगम विनिमय को सुविधाजनक बनाने और गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय पीपीसी को योगदान देने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के स्टूडियो केन्द्रों के लिए डी फार्मेट अपनाया गया था। दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी (एक बड़ा स्टूडियो केंद्र) डीवीसी प्रो फार्मेट का प्रयोग कर रहा है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सीबीआई छापे

1674. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री रामदास आठवले:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए समय-समय पर अधिकारियों और व्यापारियों के कार्यालय/कार्य स्थलों पर छापे मारती है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने अधिकारियों और व्यापारियों के कार्य स्थलों/कार्यालयों पर छापे मारे गए और गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में ऐसे छापों में जब्त की गई सम्पत्ति/परिसम्पत्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे छापों के पश्चात् भी किन-किन और कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका/उन पर आरोप नहीं लगाया जा सका; और

(घ) इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और अन्वेषण के दौरान एकल मामले के तथ्यों और हालात के आधार पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों और व्यवसायियों के कार्यालयों/निवास स्थानों सहित विभिन्न स्थानों पर समय-समय पर (कानून के अनुसार) तलाशी/छापे मारे जाते हैं। विभिन्न मामलों में ली गई तलाशी की संख्या और तलाशी के दौरान जब्त की गई

सम्पत्ति/परिसम्पत्तियों का ब्यौरा उन एकल मामलों के रिकार्ड का हिस्सा बनता है और इस बारे में कोई अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करने के लिए तलाशी ली जाती हैं और आवश्यकत: उन व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं जिनके परिसर की तलाशी ली जाती है।

नए दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों का कार्यकरण

1675. **श्री संतोष गंगवार:**
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री महावीर भगोरा:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
डा. सत्यनारायण जटिया:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश सहित राज्यवार और स्थानवार कितने दूरदर्शन (डीडी) और आकाशवाणी (एआईआर) केंद्र स्थापित हैं/कार्य कर रहे हैं और इसकी कवरेज कहां-कहां तक है;

(ख) इन केन्द्रों से दूरदर्शनवार और आकाशवाणी-वार कितने लोगों को लाभ पहुंच रहा है;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से नए दूरदर्शन और आकाशवाणी स्टेशनों/केंद्रों की स्थापना के प्रस्ताव मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और कर्नाटक सहित देश में नए दूरदर्शन/आकाशवाणी केंद्रों की स्थापना करने और मौजूदा केंद्रों की क्षमता का विस्तार करने का है;

(च) यदि हां, तो राज्यवार, स्थानवार, दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन स्टेशनों/केंद्रों की कब तक स्थापना किए जाने/कार्यकरण शुरू किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) आबादी-वार कवरेज के साथ मौजूदा दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों तथा ट्रांसमीटरों की राज्यवार संख्या क्रमश: विवरण-I और II में दी गई है।

(ग) और (घ) नए दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों को स्थापित करने संबंधी अनुरोध विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं और टीवी/आकाशवाणी सेवाओं के विस्तार हेतु योजनाएं तैयार करते समय इन्हें ध्यान में रखा जाता है।

(ङ) और (च) नए दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों की परियोजनाएं और मौजूदा केंद्रों के संवर्द्धन की प्रयोजनाएं, जो कि इस समय दसवीं योजनागत सतत् स्कीमों के भाग के रूप में कार्यान्वयनाधीन हैं, क्रमश: विवरण-III एवं IV में दी गई हैं।

(छ) इन केंद्रों/ट्रांसमीटरों के निधियों की उपलब्धता तथा संचालन एवं अनुरक्षण-स्टाफ की स्वीकृति के अध्यधीन 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरे हो जाने की आशा है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डीडी स्टूडियों की संख्या	डीडी ट्रांसमीटरों की संख्या	कवर की गई जनसंख्या (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3	105	89.7
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	45	56.5
3.	असम	4	29	85.4
4.	बिहार	2	42	94
5.	छत्तीसगढ़	2	28	79.5
6.	गोवा	1	2	99.9

1	2	3	4	5
7.	गुजरात	2	68	97.4
8.	हरियाणा	1	23	99.9
9.	हिमाचल प्रदेश	1	54	79.6
10.	जम्मू-कश्मीर	4	125	97.4
11.	झारखंड	2	27	95
12.	कर्नाटक	2	68	82.4
13.	केरल	3	33	99.2
14.	मध्य प्रदेश	3	78	81.4
15.	महाराष्ट्र	3	123	92.2
16.	मणिपुर	1	8	69.8
17.	मेघालय	2	10	97.8
18.	मिजोरम	1	8	75.2
19.	नागालैंड	1	14	72.4
20.	उड़ीसा	3	95	93.3
21.	पंजाब	2	13	99.9
22.	राजस्थान	1	99	80.9
23.	सिक्किम	1	8	95.7
24.	तमिलनाडु	3	71	95.8
25.	त्रिपुरा	1	10	93.5
26.	उत्तर प्रदेश	7	84	69.4
27.	उत्तराखंड	1	54	81.4
28.	पश्चिम बंगाल	3	36	98.9
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	24	98.5
30.	चंडीगढ़	1	1	99.9
31.	दादरा और नगर हवेली	0	1	65
32.	दमन और दीव	0	2	99.9
33.	दिल्ली	2	3	99.9
34.	लक्षद्वीप	0	16	99.9
35.	पुडुचेरी	1	5	99.9
	कुल	66	1412	92.2

विवरण II

वर्तमान आकाशवाणी केन्द्र व प्रेषित्रों व्याप्ति के साथ की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आकाशवाणी केन्द्रों की संख्या	आकाशवाणी प्रेषित्रों की संख्या	जनसंख्या व्याप्ति	
				मीडियम वेव + एफ.एम. द्वारा	केवल एफ.एम. द्वारा
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	13	21	99.5	26.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	7	76	10.97
3.	असम	10	14	98.87	38.05
4.	बिहार	6	7	99	19.38
5.	छत्तीसगढ़	6	7	97.35	13.8
6.	दिल्ली	5	22	99	98.9
7.	गोवा	1	5	99	90
8.	गुजरात	8	11	99	36.9
9.	हरियाणा	3	4	99	38.85
10.	हिमाचल प्रदेश	6	8	88.91	88.03
11.	जम्मू-कश्मीर	15	23	99.5	63.1
12.	झारखंड	5	8	99	36.02
13.	कर्नाटक	14	25	97.3	36.36
14.	केरल	8	12	99.8	45.85
15.	मध्य प्रदेश	16	20	99.4	28
16.	महाराष्ट्र	20	30	98.99	44.15
17.	मणिपुर	1	3	98.46	65.62
18.	मेघालय	5	7	98.45	48.12
19.	मिजोरम	3	5	73.27	58.14
20.	नागालैंड	4	6	87.67	43.38
21.	उड़ीसा	13	16	99	17.76
22.	पंजाब	3	6	99	59.97
23.	राजस्थान	17	22	99	31.55

1	2	3	4	5	6
24.	सिक्किम	1	2	95.6	2.45
25.	तमिलनाडु	11	20	99	62.41
26.	त्रिपुरा	3	4	89	86.19
27.	दमन और दीव (संघ शासित क्षेत्र)	1	1	99	61
28.	पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	2	3	99	93.52
29.	लक्षद्वीप और द्वीपसमूह (संघ शासित क्षेत्र)	1	1	99	0
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (संघ शासित क्षेत्र)	1	3	99	28
31.	उत्तर प्रदेश	14	27	99.9	22.04
32.	उत्तराखंड	6	6	80.1	46.43
33.	पश्चिम बंगाल	7	16	99	41.9
34.	चंडीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)	1	1	99	99
	कुल	235	373	99.16	35.76

विवरण III

दूरदर्शन से संबंधित परियोजनाएं

1. नए स्टूडियो केन्द्र: तिरुपति (आंध्र प्रदेश)

2. नए ट्रांसमीटर:

आंध्र प्रदेश	: उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, महबूब नगर
छत्तीसगढ़	: उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, बिलासपुर
अंडमान एवं निकोबार	: अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, नील द्वीपसमूह
	: अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, चौरा
	: अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, टेरेसा
	: अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, गांधी नगर
	: अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, हटबे (डीडी न्यूज)

3. दूरदर्शन केन्द्रों के आवर्धन की परियोजनाएं

1. चंडीगढ़ (चंडीगढ़) अतिरिक्त स्टुडियो
2. जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर) - अतिरिक्त स्टुडियो
3. लेह (जम्मू एवं कश्मीर) - स्थाई स्टुडियो स्थापना
4. देहरादून (उत्तराखंड) - डाई स्टुडियो स्थापना

4. ट्रांसमीटरों का उन्नयन

(क) स्थान उ.श.ट्रा. की स्थापना

1. कोकराझार (असम)
2. सहरसा (बिहार)
3. कन्नानूर (केरल)
4. अमृतसर (डीडी 1 एवं डीडी न्यूज-पंजाब)
5. बाडमेर (राजस्थान)
6. कुंभकोणम (तमिलनाडु)

(ख) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों का उन्नयन (2×10 वाट से 2×50 वाट)

1. हटबे (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)
2. किल्टन (लक्षद्वीप)

(ग) पुराने 100 वाट के अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों का 500 वाट अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों द्वारा प्रतिस्थापन

आंध्र प्रदेश	करीम नगर	खम्माम	नेल्लूर	काकीनाडा	निजामाबाद
छत्तीसगढ़	राझरा झारंडिली	बेलाडिला			
गुजरात	दाहोदा केवडिया कालोनी	भावनगर दीसा	जामनगर अमरेली	विरावल	आहवा
हरियाणा	नारनौल	भिवानी			
कर्नाटक	बैलगांव	बीजापुर	रानीबेनूर	कोलार गोल्ड फील्ड	सिरसी
केरल	चंगनचेरी कल्पेटा	पालघाट	शोरानुर	मालापुरम	त्रिशूर
मध्य प्रदेश	बेतूल भिंड खरगोन	रतलाम खंडवा सतना	चंदेरी छिंदवाड़ा पन्ना	दमोह शिवपुर	राजगढ़ शाजापुर
महाराष्ट्र	बरशी सतारा बीड किनवाट	परभनी अहमदनगर धुले	सांगली यवतमाल अकोला	नांदेड़ सोलापुर नासिक	गडचिरौली बुलढाना अमरावती
मेघालय	जोवई				
उड़ीसा	बाडीपाडा	बोलनगीर	क्योंझरगढ़		
पंजाब	गुरूदासपुर				
राजस्थान	चित्तौड़गढ़ हनुमानगढ़	अलवर बाडमेर	झुंझनू पाली	जैसलमेर सिरोही	सीकर डीग
तमिलनाडु	वनियमबाडी तिरूपत्तूर (डीडीएन)	तिरूचेंदूर नेवेली	कुर्तलाम वेल्लूर	सेलम कोयंबटूर	कुन्नूर
उत्तर प्रदेश	आजमगढ़ (डीडीएन) फतेहपुर मथुरा (डीडीएन)	शाहजहांपुर फतेहगढ़ रामपुर (डीडीएन)	गोंडा जगदीशपुर झांसी	इटावा ओरइ लालगंज (प्रतापगढ़ डीडीएन)	मऊ (डीडीएन) पीलीभीत
उत्तराखंड	काशीपुर	नैनीताल			
पश्चिम बंगाल	अलीपुरद्वार	कोटै	बर्धमान		

विवरण IV

आकाशवाणी से संबंधित परियोजना

1. एफ.एम./मी. वेव सेवा का विस्तार

क्र.सं.	योजना	स्थान	राज्य
1	2	3	4
1.	5 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र स्टूडियो व स्टाफ क्वाटर	लौंगथेराई	त्रिपुरा
2.	10 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र टाइप-2 स्टूडियो व स्टाफ क्वाटर	देहरादून	उत्तराखंड
3.	10 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र (रिले केंद्र) रिसिविंग सुविधा	धनवाद	झारखंड
4.	10 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र रिसिविंग, प्लेबैक सुविधा व स्टाफ क्वार्टरस	अमरावती	महाराष्ट्र
5.	10 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र (रिले केंद्र)	बर्धमान	पश्चिम बंगाल
6.	10 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र रिसिविंग, प्लेबैक सुविधा व स्टाफ क्वार्टरस	जूनागढ़	गुजरात
7.	5 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र रिसिविंग, प्लेबैक सुविधा व स्टाफ क्वार्टरस	ओरस	महाराष्ट्र
8.	5 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र रिसिविंग, प्लेबैक सुविधा व स्टाफ क्वार्टरस	बागेश्वर	उत्तराखंड
9.	5 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र समिति स्टूडियो व स्टाफ क्वार्टरस	उज्जैन	मध्य प्रदेश
10.	5 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र समिति स्टूडियो व स्टाफ क्वार्टरस	रायरंगपुर	उड़ीसा
11.	10 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र (रिले केंद्र) रिसिविंग सुविधा	हल्द्वानी	उत्तराखंड
12.	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र (रिले केंद्र) रिसिविंग सुविधा व स्टाफ क्वार्टरस	करीमनगर	आंध्र प्रदेश
13.	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र (रिले केंद्र) रिसिविंग सुविधा व स्टाफ क्वार्टरस	श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश
14.	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र (रिले केंद्र) रिसिविंग सुविधा व स्टाफ क्वार्टरस	चम्पावत	उत्तराखंड
15.	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र (रिले केंद्र) रिसिविंग सुविधा व स्टाफ क्वार्टरस	न्यू टिहरी	उत्तराखंड
16.	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र (रिले केंद्र) रिसिविंग सुविधा व स्टाफ क्वार्टरस	गैरसन	उत्तराखंड
17.	10 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र व स्टीरियो स्टूडियो	तिरूनलावेली	तमिलनाडु
18.	10 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र व स्टीरियो स्टूडियो	बिकानेर	राजस्थान
19.	10 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र व समिति स्टूडियो व स्टाफ क्वार्टरस	बलूरघाट	पश्चिम बंगाल
20.	10 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र व समिति स्टूडियो व स्टाफ क्वार्टरस	कूच बिहार	पश्चिम बंगाल
21.	20 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र व समिति स्टूडियो	चौटन हिल	राजस्थान
22.	20 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र व समिति स्टूडियो	फाजिलका	पंजाब
23.	20 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र व समिति स्टूडियो	अमृतसर	पंजाब

1	2	3	4
24.	10 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र (रिले केंद्र) रिसिविंग सुविधा	बांदा	उत्तर प्रदेश
25.	10 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र (रिले केंद्र) रिसिविंग सुविधा	लखीमपुर खीरी	उत्तर प्रदेश
26.	20 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र (रिले केंद्र) रिसिविंग सुविधा व स्टाफ क्वार्टर	रायबरेली	उत्तर प्रदेश
27.	10 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र (रिले केंद्र) रिसिविंग सुविधा	सूर्यापेट	आंध्र प्रदेश
28.	10 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र (रिले केंद्र) रिसिविंग सुविधा	महबूबनगर	आंध्र प्रदेश
29.	10 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र (रिले केंद्र) रिसिविंग सुविधा	मठनाथभंजन	उत्तर प्रदेश
30.	5 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र व स्टीरियो स्टूडियो	सिलचर	असम
31.	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र	डापोरीजी	अरुणाचल प्रदेश
32.	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र	अनीनी	अरुणाचल प्रदेश
33.	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र	बोमडिला	अरुणाचल प्रदेश
34.	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र	चैंगलैंग	अरुणाचल प्रदेश
35.	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र	खोन्सा	अरुणाचल प्रदेश
36.	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र	करीमगंज	असम
37.	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र	लुमडिंग	असम
38.	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र	गोलपारा	असम
39.	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र	उखरूल	मणिपुर
40.	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र	तेमंबलांग	मणिपुर
41.	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र	दावकी	मेघालय
42.	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र	चम्फाई	मिजोरम
43.	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र	कोलासिब	मिजोरम
44.	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र	ट्यूपेंग	मिजोरम
45.	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र	वोखा	नागालैंड
46.	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र	फैक	नागालैंड
47.	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र	जूनहेबोटो	नागालैंड
48.	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र	उदयपुर	त्रिपुरा
49.	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र	नूतन बाजार	त्रिपुरा
50.	1 किलोवाट मी. वेव प्रेषित्र	धर्मानगर	त्रिपुरा
51.	1 किलोवाट मी. वेव प्रेषित्र	डुंगरपुर	राजस्थान
52.	1 किलोवाट एफ.एम. प्रेषित्र	145 स्थान	सम्पूर्ण भारत में

[अनुवाद]

एकीकृत अंतरिक्ष प्रकोष्ठ

1676. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक एकीकृत अंतरिक्ष प्रकोष्ठ की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अंतरिक्ष प्रकोष्ठ की स्थापना करने का उद्देश्य क्या है; और

(घ) ऐसे प्रकोष्ठ का कब तक प्रचालन शुरू हो जाएगा?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

स्वास्थ्य पर घरेलू धूल का प्रभाव

1677. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के घरों में मौजूद धूल में सीसे की उच्च मात्रा का लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार सीसे के उत्सर्जन के स्तर थ्रेशहोल्ड सीमा से कहीं कम हैं। सीसे के कारण घर की धूल के प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में कोई भी मामला मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ग) सीसे को मोटर गेसोलाइन से पहले ही निकाला जा चुका है। सीसा प्रोसेसिंग यूनिटों को अनिवार्य बना दिया गया है और सीसा उत्सर्जन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा मानीटरी की जा रही है। लेड एसिड बैटरियों के रिसाइकलिंग उद्योगों को पर्यावरण की दृष्टि से भी मजबूत प्रौद्योगिकियों को सीसे के उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु लगाना आवश्यक है।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए आबंटित धनराशि

1678. श्री रामदास आठवले: क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए आबंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ एक पृथक मंत्रालय के गठन के पश्चात् भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों की गति धीमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए कुछ उपाय किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में एन एल सी पी आर परियोजनाओं के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास के लिए राज्यवार जारी धनराशियों के ब्यौरे और एन ई सी और राज्य योजना के ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं। सभी मंत्रालयों उनको छोड़कर जिन्हें इसमें छूट प्राप्त है (संलग्न) को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अपने वार्षिक कुल बजटीय प्रावधान का 10 प्रतिशत निवेश करना अपेक्षित होता है। डोनर मंत्रालय द्वारा संचालित अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल में खर्च न की गई राशि जमा की जाती है।

(ख) और (ग) 10वीं योजना में विकास की गति में तेजी आई है और 11वीं योजना में इससे भी अधिक तेज होने की आशा है।

(घ) और (ङ) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रगतिशील बनाने के लिए राज्य सरकारों को कार्यान्वयन एजेंसियों को समय पर धनराशि जारी करना सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है और मुख्य सचिव स्तर पर तिमाही आधार पर प्रगति की समीक्षा की जाती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय विभिन्न स्तरों पर आयोजित बैठकों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की सतत समीक्षा

करता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र मंत्रालय के अधिकारी समय-समय पर परियोजनाओं की जांच पड़ताल के लिए समीक्षा और वास्तविक जांच हेतु उत्तर पूर्वी राज्यों का दौरा भी करते हैं। मंत्री जी मुख्य मंत्रियों और अन्य मंत्रियों के साथ बार-बार विचार-विमर्श करते हैं तथा संबंधित मामलों की एन ई सी प्लेनरी तथा एन ई सी सैक्टोरल सम्मेलनों में तथा अन्य अवसरों पर समीक्षा की जाती है।

विवरण I

क. एनएलसीपीआर के अंतर्गत उत्तर पूर्वी राज्यों को दी जाने वाली धनराशि

राज्य	दी जाने वाली धनराशि (करोड़ रुपये में)			
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09#
अरुणाचल प्रदेश	83.96	46.08	105.28	48.48
असम*	219.11	231.04	246.09	60.05
मणिपुर	44.86	96.03	61.86	29.21
मेघालय	27.50	38.58	60.39	40.49
मिजोरम	41.04	56.46	29.82	1.55
नागालैंड	97.95	73.47	71.70	29.76
सिक्किम	53.21	59.36	48.46	38.91
त्रिपुरा	111.55	98.99	112.40	20.03
कुल	679.18	700.00	736.00	268.48

*बीटीसी पैकेज के अंतर्गत बीटीसी क्षेत्र परियोजनाओं के लिए दी गई धनराशि शामिल।

#वर्ष 2008-09 के लिए दिए गए आंकड़े 4.12.2008 तक।

ख. पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा 2008-09 (अक्तूबर, 2008 के अनुसार) एनईसी योजना के अंतर्गत सदस्य राज्यों तथा अन्य एजेंसियों को दी गई धनराशि

क्र.सं.	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (31.10.08 के अनुसार)
1.	अरुणाचल प्रदेश	48.92	43.71	44.85	23.3
2.	असम	84.34	121.14	112.03	41.97
3	मणिपुर	19.27	20.32	27.38	13.29
4.	मेघालय	27.95	57.40	75.01	20.53
5.	मिजोरम	42.22	40.61	47.91	11.69
6.	नागालैंड	25.19	39.33	47.28	16.79
7.	सिक्किम	15.87	26.73	35.07	21.17
8.	त्रिपुरा	25.94	36.25	36.21	30.22
	सदस्य राज्य	289.17	285.49	425.74	178.96
9.	अन्य एजेंसियां	170.45	212.32	157.86	58.11
	महायोग	460.15	597.81	583.60	237.07
	अनुमोदित परिव्यय (पीसी)	461.50	600.00	600.00	624.00

ग. वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान उत्तर पूर्वी राज्यों को आबंटन

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	अरुणाचल प्रदेश	950.00	1056.00	1471.96	2085.00
2.	असम	3000.00	3507.00	3800.00	5011.51
3.	मणिपुर	915.00	1160.00	1420.40	1660.00
4.	मेघालय	800.00	900.00	1120.00	1500.00
5.	मिजोरम	685.00	758.00	858.13	1000.00
6.	नागालैंड	620.00	760.00	900.00	1200.00
7.	सिक्किम	500.00	560.00	695.42	852.00
8.	त्रिपुरा	804.00	950.00	1220.00	1450.00
	कुल एनई (राज्य)	8274.00	9651.00	11485.91	14758.51

विवरण II

विभागों और मंत्रालयों की सूची जिन्हें उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमुश्त प्रावधान करने से छूट है

1. आणविक ऊर्जा
2. कंपनी मामले
3. आर्थिक मामले
4. व्यय
5. विदेश
6. विधायी मामले
7. पृथ्वी विज्ञान
8. राजभाषा
9. कार्मिक और प्रशिक्षण
10. पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
11. योजना
12. राजस्व
13. सामाजिक न्याय और अधिकारिता*
14. इस्पात
15. अंतरिक्ष
16. विज्ञान और प्रौद्योगिकी
17. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान

*केवल दो प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जाति प्रभाग के अतिरिक्त सैक्टरों पर लागू है। पूर्वोत्तर को आबंटित की जाने वाली 10 प्रतिशत आबंटन का मानदण्ड अनुसूचित जाति प्रभाग को छोड़कर लागू है।

[अनुवाद]

नैदानिक परीक्षणों के लिए स्वयंसेवियों को मुआवजा

1679. श्री के.एस. राव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मरीजों पर नई औषधियों के नैदानिक परीक्षण को नियमित करने के मौजूदा नीतिगत प्रावधानों के तहत परीक्षणों के दौरान स्वयंसेवियों को किसी प्रकार की क्षति पहुंचने की स्थिति में उन्हें मुआवजा दिया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में अपनी मौजूदा नीति की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की अनुसूची वाई के अधीन निर्धारित मानकों के अनुसार देश में नैदानिक परीक्षण किया जाना अनिवार्य है जो भारतीय उत्कृष्ट नैदानिक प्रैक्टिस दिशानिर्देशों के अनुरूप अधिदेशित है। भारतीय उत्कृष्ट नैदानिक प्रैक्टिस दिशानिर्देशों के पैरा 2.4.7 में प्रायोजक द्वारा लोगों को परीक्षणों के दौरान होने वाली किसी क्षति के मामले में परीक्षण किए जाने वाले व्यक्ति को मुआवजे देने का प्रावधान निर्धारित है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका

1680. श्री संजय धोत्रे: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण विकास में पंचायती निकायों की भूमिका का अनुवीक्षण करने के लिए कोई बोर्ड, समिति अथवा निदेशक नियुक्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निचले स्तर पर ग्रामीण विकास योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने अथवा इसमें सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) ग्रामीण पंचायतों के चुने गए सदस्यों में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवधिक प्रगति रिपोर्टों, माननीय मंत्रियों द्वारा क्षेत्र की यात्राओं, समीक्षा समिति के कार्य निष्पादन, क्षेत्र अधिकारी की योजना, राज्य/जिला स्तर पर सतर्कता एवं पुनरीक्षण समिति जिसमें संसद सदस्यों की वृहत्तर भागीदारी होती है, राष्ट्रीय स्तर के वैसे पुनरीक्षक जो कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य की गुणवत्ता व योजनाओं के कार्यान्वय/निष्ठा का पुनरीक्षण करते हैं, के जरिए निधियों की उपयोगिता सहित कार्यक्रम के कार्यावन्यन व प्रभाव की मॉनिटरिंग के एक व्यापक तंत्र का विकास किया है। ऐसी प्रणाली ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पंचायत निकायों की भूमिका को मॉनिटर करने में भी सहायक है।

(ग) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को मजबूत व बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को एक पंचमुखी कार्यनीति जिसमें (1) ग्रामीण विकास योजनाओं के बारे में जागरूकता का निर्माण, (2) पारदर्शिता तथा (3) लोगों की भागीदारी, (4) जवाबदेही, ग्राम सभा के माध्यम से सामाजिक पड़ताल तथा (5) दृढ़ सतर्कता व मानिटरिंग शामिल है, को अपनाने का भी परामर्श दिया गया है।

(घ) ग्रामीण विकास स्कीमों के दिशा-निर्देसों में स्कीमों को कार्यान्वित करने वाले पंचायती राज संस्थाओं के कर्मियों व अधिकारियों के प्रशिक्षण व जागरूकता हेतु एक अन्तर्निहित तंत्र विद्यमान है। इस प्रयोजन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय व पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान एवं एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेन्टर, गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायी जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का सूचना, शिक्षा एवं संचार प्रभाग तथा पंचायती राज मंत्रालय का मीडिया व प्रचार प्रभाग भी प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों की योजना बनाता है तथा उन्हें कार्यान्वित करता है।

[अनुवाद]

औषधीय पौधों तथा जड़ी-बूटियों का अध्ययन

1681. श्री किरिप चालिहा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर के विभिन्न पौधों तथा जड़ी-बूटियों की औषधीय संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई अनुसंधान अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहे एक संगठन राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (निपेर), मोहाली, ने उत्तर पूर्व भारत के जड़ी-बूटी संसाधन से संबंधित डाटा बेस के आधार पर वर्ष 2008 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में मानव और पशु स्वास्थ्य परिचर्या के प्रयोजनार्थ स्थानीय लोगों द्वारा प्रयुक्त 1836 पादपों को सूचीकृत किया गया है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने भी कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाने वाले पादपों को सूचीकृत किया गया है।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने भी कुछ पूर्वी राज्यों में पाए जाने वाले पादपों के उपचारात्मक उपयोग के सर्वेक्षण, प्रलेखन और वैज्ञानिक विधिमान्यकरण हेतु परियोजनाओं को संस्वीकृत किया है।

वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर रिपोर्ट

1682. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्री रघुराम जी. राजन की अध्यक्षता में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) श्री रघुराम जी. राजन की अध्यक्षता में गठित वित्तीय क्षेत्र सुधार संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशों का दायरा वृहद आर्थिक रूपरेखा, वित्त सुलभता का दायरा बढ़ाने, कार्यक्षेत्र को समान करने, अधिक कुशल बाजार का सृजन करने तथा विकास अनुकूल नियामक परिवेश एवं क्रेडिट हेतु एक सुदृढ़ अवसंरचना के सृजन तक फैला है। प्रस्तावों की वित्त मंत्रालय में जांच की जा रही है।

चीनी मिलों में प्रदूषण नियंत्रण उपस्करों की स्थापना

1683. श्री हितेन बर्मन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई, 1981 से पहले स्थापित चीनी मिलों में प्रदूषण नियंत्रण उपस्करों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक ऐसे उपस्करों की स्थापना न करने वाली चीनी मिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी मिलों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सभी चीनी मिलों को, उनके स्थापना वर्ष पर ध्यान दिए बिना, जिसमें वे मिले भी शामिल है, जिन्हें मई, 1981 से पहले स्थापित किया गया था, में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा तैयार किए गए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर स्थापित करने अपेक्षित है। देश में 577 चीनी मिलें हैं, इन 577 मिलों में से, 447 इकाइयों में अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं, 89 मिलों को बंद कर दिया गया था और 41 मिलों में पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं।

41 चीनी मिलों, जिन्होंने प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर स्थापित नहीं किए हैं, का राज्य-वार ब्यौरा है, हरियाणा-02, कर्नाटक-03, महाराष्ट्र-15, उड़ीसा-01, पंजाब-04, तमिलनाडु-10, उत्तराखंड-05 और पश्चिम बंगाल-01

(घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत 8 चीनी मिलों के मामले में निदेश जारी किए हैं और 7 चीनी मिलों के मामले में जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1)(ख) के अंतर्गत संबंधित राज्य बोर्डों को निदेश जारी किए हैं।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक कालेजों की स्थापना हेतु मापदंड

1684. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में आयुर्वेदिक कालेजों की स्थापना के लिए कोई मापदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आयुर्वेदिक कालेजों की स्थापना के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) भारत में आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (आईएमसीसी एक्ट) द्वारा विनियमित किया जाता है। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (सीसीआईएस)

आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी चिकित्सा शिक्षा और चिकित्साभासियों के पंजीकरण हेतु सांविधिक निकाय है।

संसद ने संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा धारा 13क समाहित करते हुए भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 का संशोधन किया है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना चिकित्सा कालेज स्थापित नहीं कर सकता है।

संशोधित आईएमसीसी एक्ट की धारा 13क के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, 15 मार्च, 2004 को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (सीसीआईएम) द्वारा "चिकित्सा कालेज विनियम, 2003 द्वारा नए चिकित्सा कालेज की स्थापना, अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारंभ करना और प्रवेश क्षमता संबंधी वृद्धि" नामक विनियमों को अधिसूचित किया गया था जिसे 16.3.2004 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने के साथ-साथ सदन के दोनों पटलों पर भी प्रस्तुत किया गया था। नए चिकित्सा कालेज स्थापित करने संबंधी आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) नए आयुर्वेद कालेज स्थापित करने के लिए गत तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त राज्यवार प्रस्ताव दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान नए आयुर्वेद कालेज स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) नए आयुर्वेदिक कालेज स्थापित करने के लिए गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

6. आवेदन करने संबंधी पात्रता-

(1) विनियम 4 के उप विनियम 1 के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्रता, कोई भी व्यक्ति अथवा चिकित्सा कालेज तभी पात्र होगा यदि,-

(क) उसके एक उद्देश्यों में आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब के विषय में शिक्षा प्रदान करना शामिल है;

(ख) 50 छात्रों को प्रवेश देने का प्रस्ताव होने पर कम से कम 10 एकड़ भूमि का एकल प्लाट जो स्वामित्वाधीन हो अथवा 99 वर्ष के पट्टे पर लिया गया हो, बशर्ते कि उक्त प्रस्ताव के तहत भविष्य में 100 छात्रों को प्रवेश देने के साथ-साथ उक्त प्लाट पर चिकित्सा कालेज स्थापित करना अभिप्रेत हो;

(ग) उसने प्रस्तावित स्थान पर नए चिकित्सा कालेज स्थापित करने हेतु संबंधित राज्य सरकार से फार्म-4 में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है;

(घ) उसने किसी केन्द्रीय अथवा राज्य कानून के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय से नए चिकित्सा कालेज स्थापित करने हेतु फार्म-5 में संबंधन सहमति प्राप्त किया है;

(ङ) वह आवश्यक सुविधाओं और अवसंरचना सहित कम से कम 100 बिस्तरों वाला भारतीय चिकित्सा संबंधी अस्पताल का स्वामित्व करने के साथ-साथ इसका प्रबंधन करता है;

(च) उसने प्रस्तावित चिकित्सा कालेज के किसी भी कक्षा अथवा मानक अथवा पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण में छात्रों को पहले से प्रवेश नहीं दिया है; और

(छ) वह भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, नई दिल्ली के पक्ष में पांच वर्षों की अवधि हेतु वैध अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से दो कार्य निष्पादन बैंक गारंटी निम्नानुसार देने की स्थिति में है:

(1) चिकित्सा कालेज स्थापित करने हेतु:

50 सीटों तक	-	एक करोड़ रुपये
51-100 सीट	-	बीस लाख रुपये प्रति दस अथवा कम सीट

(2) शिक्षण अस्पताल अथवा इसकी अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना हेतु:

150 बिस्तर तक	-	डेढ़ करोड़ रुपये
अतिरिक्त बिस्तर	-	प्रति 10 अथवा उससे कम बिस्तरों के लिए 10 लाख रुपये

छूट: उपर्युक्त शर्त उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित हैं बशर्ते कि वे समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अपेक्षित सुविधाओं को पूर्णत: उपलब्ध कराने तक अपने योजना बजट में नियमित रूप से निधियां उपलब्ध कराने का शपथ पत्र दाखिल न करा दें।

विवरण II

नए आयुर्वेद कालेज स्थापित करने के लिए गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त राज्यवार प्रस्ताव दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	गुजरात	4	01	01	0
2.	छत्तीसगढ़	1	0	0	0
3.	कर्नाटक	13	08	05	03
4.	उत्तर प्रदेश	3	0	0	03
5.	मणिपुर	1	01	0	0
6.	उत्तराखंड	1	01	01	01
7.	झारखंड	1	01	01	0
8.	मध्य प्रदेश	4	12	11	08
9.	पंजाब	2	02	01	0
10.	आंध्र प्रदेश	1	09	04	0
11.	महाराष्ट्र	3	17	14	10
12.	राजस्थान	3	02	01	01
13.	केरल	1	01	01	0
14.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	01
15.	पश्चिम बंगाल	2	01	01	01
16.	नई दिल्ली	1	0	0	01
17.	तमिलनाडु	0	02	02	01
18.	हरियाणा	0	0	01	01
	कुल	42	58	44	31

विवरण III

नए आयुर्वेदिक कालेजों को स्थापित करने के लिए गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2005-06		वर्ष 2006-07		वर्ष 2007-08	
		वापिस	अनुमति	वापिस	अनुमति	वापिस	अनुमति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुजरात	2	02	1	0	1	0
2.	छत्तीसगढ़	0	01	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	कर्नाटक	13	0	8	0	4	1
4.	उत्तर प्रदेश	2	01	0	0	0	0
5.	मणिपुर	1	0	1	0	0	0
6.	उत्तराखंड	1	0	01	0	1	0
7.	झारखंड	1	0	1	0	1	0
8.	मध्य प्रदेश	4	0	09	03	9*	1
9.	पंजाब	2	0	01	01	01	0
10.	आंध्र प्रदेश	1	0	09	0	02	02
11.	महाराष्ट्र	3	0	11	6	13	01
12.	राजस्थान	3	0	2	0	0	01
13.	केरल	0	01	0	01	0	01
14.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	0
15.	पश्चिम बंगाल	2	0	1	0	1	0
16.	नई दिल्ली	1	0	0	0	0	0
17.	हरियाणा	0	0	0	0	1	0
18.	तमिलनाडु	0	0	2	0	2	0
	कुल	37	5	47	11	36	8

*केंद्रीय दल ने सीसीआईएम मानदंडों के अनुसार क्रियाशील अस्पताल और अपेक्षित अवसंरचना की उपलब्धता सत्यापित करने के लिए प्रस्तावित कालेज का निरीक्षण किया है।

टिप्पण: वर्ष 2008-09 हेतु प्रस्ताव सीसीसआईएम विनियम, 2003 के अंतर्गत आवेदनों को संशोधित करने के लिए निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार प्रक्रियाधीन है और अनुमति प्रदान करने संबंधी अंतिम तिथि 31 मार्च, 2009 है।

[अनुवाद]

चिकित्सा पादपों संबंधी राष्ट्रीय मिशन

1685. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चिकित्सीय पादपों संबंधी राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चिकित्सीय पादपों की खेती के अंतर्गत और अन्य प्रयोजनार्थ कुल कितनी हेक्टेयर भूमि को शामिल किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के अंतर्गत पौधशालाओं की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाल्लमराजा लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने 11वीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु औषधीय पादप राष्ट्रीय मिशन नामक एक नई केंद्र स्थापित स्कीम अनुमोदित की है, इस स्कीम में कुल 630 करोड़ रु. के परिव्यय की लागत आएगी। इस मिशन के द्वारा आयुष/जड़ी-बूटीय उद्योग के उपयोगार्थ और मूल्य संयोजन मदों के निर्यात हेतु कच्ची गुणवत्ता सामग्री के उत्पादन के माध्यम

औषधीय पादप क्षेत्रक को विकसित किया जाएगा। मिशन से संबंधित स्कीम में निम्नलिखित मदें शामिल हैं:

* सहकारिताओं, स्वसहायता सहायता समूह, उत्पादक कंपनियों और उत्पादक एसोसिएशनों के माध्यम औषधीय पादपों की सामूहिक कृषि को सहायता देना।

* प्रमाणित पादप सामग्री की आपूर्ति हेतु बीज केंद्रों और पौधशालाओं की स्थापना करना।

* विपणन सहित औषधीय पादप संसाधन और फसल कटाई पूर्व प्रबंधन हेतु सहायता।

* कार्यान्वयन हेतु प्रबंधन सहायता।

प्रस्ताव है कि औषधीय पादपों के अंतर्गत 1,00,000 हेक्टेयर भूमि को शामिल किया जाए।

(घ) और (ङ) जी, हां। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के अंतर्गत माडल पौधशालाओं/लघु पौधशालाओं को स्थापित किया जाए। एक माडल पौधशाला लगभग 4 हैक्टेयर जमीन पर बनाई जाएगी और उसमें निवेशित लागत और रोपण के लिए समुचित समय को दृष्टिगत रखते हुए पादपों के लिए अपेक्षित समय पर निर्भर करते हुए 2-3 लाख पादपों के उत्पादन की संभावना होगी। लघु पौधशालाएं लगभग 1 हैक्टेयर भूमि पर होंगी और उसमें 60,000-70,000 पादपों को लगाने की सुविधा होगी। प्रस्ताव है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक में ऐसी लगभग 200 पौधशालाएं स्थापित की जाएं।

दिल्ली में हरित क्षेत्रों की कमी

1686. श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारी यातायात आवागमन और अवैध निर्माणों के कारण दिल्ली के पहाड़ी क्षेत्रों में हरित क्षेत्र की कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में रिज प्रबंधन बोर्ड (आरएमबी) द्वारा कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए लागू नहीं।

(ग) से (ङ) वन और वन्यजीव विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने रिज की पहचान/सीमांकन का काम दिल्ली विकास प्राधिकरण और राजस्व विभाग के साथ शुरू किया है जिसमें एक समयबद्ध ढंग से दक्षिण केंद्रीय रिज से शुरू करके एक विशेषज्ञ अभिकरण के माध्यम से कुल स्टेशन विधि का उपयोग किया है। एक बार रिज की वास्तविक सीमाओं का पता लगाने, सीमांकन करने और मानचित्रण हो जाने पर अधिसूचित क्षेत्र और दिल्ली विकास प्राधिकरण, केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग नई दिल्ली नगर पालिका दिल्ली नगर निगम, वन विभाग और रक्षा मंत्रालय के वास्तविक कब्जे में क्षेत्रों के बीच त्रुटियों का इसके उपयुक्त भू-उपयोग के निर्णय हेतु पता लगाया जाएगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण सेंटर फार इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट डिग्रेडिड इकोलाजी, दिल्ली विश्व विद्यालय के प्रोफेसर सी.आर. बाबू ने रिज को समृद्ध प्लांटेशन के जरिए घना बनाने के लिए अवधारणा दस्तावेज भी प्रस्तुत किया है जिसकी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

परिवार कल्याण/ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या योजनाएं

1687. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री पुन्नू लाल मोहले:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्नाटक और छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों से परिवार-कल्याण और ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कर्नाटक एवं छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों समेत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी), जिसका राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) द्वारा अनुमोदन किया जाता है, के आधार पर अपने उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं बाल स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन/सुदृढ़ीकरण/स्थापना के लिए निधियां निर्मुक्त की जाती हैं।

(ख) कर्नाटक एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से वर्तमान वित्त वर्ष अर्थात् 2008-09 के दौरान प्राप्त कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के आधार पर एनपीसीसी द्वारा कर्नाटक एवं छत्तीसगढ़ राज्यों को ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में सुधार हेतु एनआरएचएम अतिरिक्तताओं के अंतर्गत क्रमशः 18547 लाख तथा 9227.18 लाख रुपयों की राशि अनुमोदित की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

यूएनओ में ईरान के विरुद्ध भारत का मतदान

1688. श्री रघुवीर सिंह कौशलः क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान के विरुद्ध मतदान किया है जिससे गैस पाइपलाइन परियोजना अधर में लटक गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान सरकार को देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मतदान करने के कितने अवसर मिले हैं और किन देशों के पक्ष में मतदान किया है; और

(घ) ईरान के विरुद्ध मत देने के क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) भारत ईरान-पाकिस्तान-भारत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के प्रति वचनबद्ध है। भारत किसी देश के खिलाफ मतदान नहीं करता। अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में किसी मुद्दे पर भारत के मत का निर्धारण संबंधित विषय के गुणदोष पर भारत के स्वयं के निर्णय द्वारा और भारत के राष्ट्रीय हितों के आधार पर किया जाता है।

स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

1689. श्री हरिकेवल प्रसादः क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को कोई वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में एनजीओ-वार कितनी सहायता राशि दी गई;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में इन गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन गैर-सरकारी संगठनों के संबंध में कमियां देखी गई हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणत्वाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एनजीओ प्रभाग राज्य स्वास्थ्य सोसायटी के जरिए मदर एनजीओ स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के गैर-सरकारी संगठनों को निधियाँ प्रदान कर रहा है।

(ख) गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान का भुगतान राज्य स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा किया जाता है जो अपना रिकार्ड रखती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए राज्य स्वास्थ्य सोसायटी, उत्तर प्रदेश को 345.5 लाख रुपये जारी किए गए हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य स्वास्थ्य सोसायटी को अब तक कोई निधियां जारी नहीं की गई हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश की राज्य स्वास्थ्य सोसायटी उत्तर प्रदेश राज्य में गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा करती है।

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ऊष्णकटिबंधीय जलवायु का अध्ययन

1690. श्री नवीन जिन्दलः क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का विचार एक संयुक्त सैटेलाइट मिशन के अंतर्गत ऊष्णकटिबंधीय जलवायु का अध्ययन करने के लिए फ्रांस के साथ सहयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति की गई है;

(ग) क्या बाढ़ तथा चक्रवातों जैसी प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमानों के संबंध में कोई ठोस परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) फ्रेंच नेशनल स्पेस एजेंसी (सी.एन.ई.एस.) के साथ ऊष्णकटिबंधीय जलवायु विशेषकर वर्षण अवक्षेपण माडल/वायुमंडल में जलवाष्प, जो मौसम पूर्वानुमान और जलवायु की क्षमता को वृद्धि करने में क्रांतिक है, का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह विकसित कर रहा है। इस उपग्रह को मेघा ट्रापिक्स कहते हैं और यह सन् 2010 के पूर्वार्द्ध में प्रमोचन के लिए नियोजित है।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि, उपग्रह अभी प्रमोचित करना बाकी है।

समाचार चैनलों के लिए दिशानिर्देश

1691. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में चल रहे समाचार चैनलों हेतु नए दिशानिर्देश जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (ग) मौजूदा कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं को अद्यतन बनाने और उनको समकालीन सामुदायिक मानकों के समकक्ष लाने के उद्देश्य से सरकार ने सचिव, सूचना व प्रसारण की अध्यक्षता में अक्तूबर, 2005 में एक समिति का गठन किया था जिसमें, अन्य के साथ-साथ, संबंधित मंत्रालयों, प्रसारण/फिल्म/विज्ञापन-संगठनों, सिविल सोसायटी समूहों, उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधि शामिल हैं। सचिव, सूचना व प्रसारण ने मार्च, 2008 में सरकार को समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें समाचार कार्यक्रमों पर एक अध्याय शामिल है और इसको व्यापक जन-परामर्श हेतु इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर डाल दिया गया है और इसलिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

चेन्नई पत्तन पर माल ढुलाई सुविधा

1692. श्री एस.के. खारवेलचन:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में चेन्नई पत्तन की माल ढुलाई क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में चेन्नई तथा तमिलनाडु में अन्य पत्तनों में अतिरिक्त माल ढुलाई सुविधाओं का सृजन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त सुविधाओं को कब तक सृजित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) राज्य में पत्तन के आधुनिकीकरण हेतु अन्य अवसंरचना विकास का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) चेन्नई पत्तन की कार्गो संभालने की क्षमता का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	क्षमता (मिलियन टन)
2005-06	48.80
2006-07	50
2007-08	53.35
2008-09	51.35

(ख) से (ङ) इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पत्तन-वार योजनाएं, जिनकी 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि अर्थात् 2011-2012 तक में योजना बनाई गई है, की सूची निम्नानुसार है:-

चेन्नई पत्तन न्यास

क्र.सं.	योजना का नाम
1	2
1.	दूसरे कंटेनर टर्मिनल का निर्माण
2.	जेडी का आधुनिकीकरण
3.	दक्षिण क्वे 1 और 2 का आधुनिकीकरण
4.	उत्तरी क्वे का आधुनिकीकरण
5.	रो-रो घाट का निर्माण

1	2
6.	तेल के छोटे जलयानों को संभालने के लिए भारतीय गोदी में 200 मीटर लम्बा नया घाट
7.	उत्तरी ग्रोयेन में नई जेट्टी का निर्माण
8.	वाहनों के आयात के लिए बहुस्तरीय स्टैक यार्ड
तूतीकोरिन पत्तन न्यास	
1.	12.80 मीटर के ड्राबाव वाले जलयानों को संभालने के लिए जलमार्ग और बेसिन को गहरा किया जाना
2.	पोस्ट पैनामैक्स कंटेनर जलयानों और एक लाख डी डब्ल्यू टी की क्षमता के बल्क जलयानों सहित 15 मीटर तक के ड्राबाव वाले मेन लाइन कंटेनर जलयानों को संभालने के लिए बाहरी बंदरगाह का विकास
3.	घाट सं.-9 का निर्माण
4.	उत्तरी कार्गो घाट-1 का निर्माण
5.	घाट-8 को कंटेनर टर्मिनल के रूप में बदलना
6.	कोयला जेट्टी-II का उन्नयन
इन्दौर पत्तन लिमिटेड	
1.	समुद्रीय तरल टर्मिनल का विकास
2.	टीएनईबी के अलावा प्रयोक्ताओं के लिए कोयला टर्मिनल का विकास
3.	लौह अयस्क टर्मिनल का विकास
4.	एलएनजी टर्मिनल का विकास
5.	कंटेनर टर्मिनल का विकास (चरण-I लम्बाई में 1000 मी.)
6.	दूसरी अवस्था में टर्मिनलों को विकसित किए जाने के लिए बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग (चरण-I)
7.	सामान्य कार्गो घाट का विकास

[हिन्दी]

विदेश मंत्री का खाड़ी देशों का दौरा

1693. श्री सुभाष महरिया: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने हाल ही में खाड़ी देशों का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) उनके दौरे के दौरान हस्ताक्षरित समझौतों/समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां। वर्ष 2008 की पहली छमाही के दौरान माननीय विदेश मंत्री ने 13 से 14 जनवरी तक ओमान, 19 से 20 अप्रैल तक सउदी अरब और 12 से 14 मई तक संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की।

(ख) इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों और क्षेत्र के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाना, शीर्ष स्तरों पर द्विपक्षीय आदान-प्रदान को जारी रखना और हमारे आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को और सुदृढ़ तथा विविधतापूर्ण बनाना है।

(ग) ओमान की यात्रा के दौरान (i) ओमान में प्लास्टिक प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं विकास केन्द्र स्थापित करने और (ii) ओमान में एक सनदी लेखापाल संस्थान स्थापित करने के लिए दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

[अनुवाद]

विषैला पदार्थ ले जा रहा पोत

1694. श्री रेवती रमण सिंह: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विषैले पदार्थ को ले जाने वाले एक पोत को सौराष्ट्र के निकट पकड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इस सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एल्कोहल नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय नीति

1695. श्रीमती जयाप्रदा:
श्री एस. अजय कुमार:
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में एल्कोहल नियंत्रण हेतु एक राष्ट्रीय नीति शुरू करने का निर्णय लिया है जैसा कि दिनांक 12 अक्तूबर, 2008 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एल्कोहल नीति को कब तक अंतिम रूप दिए जाने तथा लागू किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) शराब की बिक्री और वितरण से संबंधी नीति राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है। इसलिए, शराब से होने वाली क्षति को नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रयास राज्य-दर-राज्य भिन्न-भिन्न हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा चलाए जाने वाले/वित्तपोषित नशामुक्ति केन्द्रों और परामर्श केन्द्रों के जरिए नैदानिक परिचर्या, जागरूकता का सृजन, परामर्श और पुनर्वास उपलब्ध कराया जाता है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय नीति तैयार करने की आवश्यकता पर विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। एक कारगर राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए वैधानिक परिवर्तन लागू करने, उत्तरदायी राष्ट्रीय संरचनाओं का पता लगाने, गुणवत्ता युक्त डाटा प्रणाली विकसित करने, राज्य विशिष्ट कानूनों के बजाय शराब पर केन्द्रीय कानून बनाने, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समान नीति और कर प्रणाली लागू करने, शराब पीने की न्यूनतम कानूनी आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की आवश्यकता है। इस संबंध में राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के विचार प्राप्त किए जाने हैं।

[हिन्दी]

एससीआई द्वारा नए पोतों की खरीद

1696. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) ने नए पोतों की खरीद हेतु एजेंसियों की पहचान/चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एजेंसी के चयन हेतु सरकार द्वारा किन मानदण्डों को अपनाया गया है/अपनाया जाना है;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु सरकार द्वारा आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अतिरिक्त नए पोत देश में भविष्य की आवश्यकता को कहां तक पूरा करेंगे?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) भारतीय नौवहन निगम जलयान की खरीद के लिए वैश्विक निविदाएं आमंत्रित करता है जलयान के निर्माण के लिए शिपयार्ड का चयन प्रतिस्पर्द्धी वैश्विक निविदा प्रक्रिया के परिणाम पर आधारित होता है।

(घ) जलयानों की खरीद आंतरिक संसाधनों और बाजार से ऋण लेने के मिश्रण से की जाती है। वर्ष 2008-09 में, भारतीय नौवहन निगम ने 2342.01 करोड़ रु. का परिव्यय निर्धारित किया है जिसमें 1095.58 करोड़ आंतरिक संसाधनों से और 1246.43 करोड़ रु. वाणिज्यिक ऋणों के माध्यम से जुटाए जाने शामिल हैं। भारतीय नौवहन निगम द्वारा जलयानों की खरीद के लिए भारत सरकार से कोई बजटीय सहायता नहीं दी जाती है।

(ङ) भारतीय नौवहन निगम का 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 62 जलयानों की खरीद का विचार है और उन्होंने 20 जलयानों के लिए पहले ही पोत निर्माण करार कर लिए हैं और शेष 42 जलयान योजना अवधि के शेष समय में खरीदे जाएंगे। नए अधिग्रहण का प्रयोग आंशिक रूप से चरणबद्ध रूप से हटा दिए जाने वाले जलयानों के प्रतिस्थापन के रूप में प्रयोग किया जाएगा और उनमें से कुछ इसके बेड़े में संवर्द्धन के लिए है। अतिरिक्त नए जलयान कंपनी को अपनी प्रतिस्पर्द्धी छवी बनाए रखने और बाजार में अपना हिस्सा बनाए रखने में सहायता करेंगे।

[अनुवाद]

वेम्बनाड झील का संरक्षण

1697. **डा. के.एस. मनोज:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में 'रामसर' स्थल के रूप में घोषित वेम्बनाड झील के संरक्षण हेतु कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल राज्य सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की द्वारा तैयार की गई उक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केन्द्र सरकार को अनुमोदन हेतु भेजी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) केरल सरकार से वित्तीय सहायता के लिए मंत्रालय द्वारा प्राप्त की गई कुल 2.5 करोड़ रुपये की लागत की प्रबंधन कार्य योजना पर मंत्रालय द्वारा स्थापित नमभूमि विशेषज्ञ ग्रुप द्वारा अक्तूबर, 2008 के दौरान चर्चा की गई थी। प्रस्ताव को इसके वर्तमान स्वरूप में निधिकरण के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया था क्योंकि यह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार नहीं किया गया था। राज्य सरकार को मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया है।

[हिन्दी]

पर्यटन और धार्मिक स्थानों तक सड़कें

1698. **श्री काशीराम राणा:**
श्री वी.के. दुग्मर:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के सभी पर्यटन तथा धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने इस संबंध में पर्यटन विभाग और राज्य सरकारों के साथ समन्वय किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकला; और

(ङ) ऐसे स्थानों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) वृहत परियोजनाओं के रूप में राष्ट्रीय महत्व के स्थलों/सर्किट के विकास के लिए नीतिगत पहल के भाग के तौर पर पर्यटन मंत्रालय ने अब तक अभिनिर्धारित 22 स्थलों/सर्किटों में से 15 संपर्कों के सुधार के लिए सड़कों की एक सूची अभिनिर्धारित की है।

(ग) से (ङ) महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों/ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने वाले अभिनिर्धारित सड़क खंडों के संबंध में एक स्थिति नोट तैयार करने और उनके उन्नयन के लिए कार्य योजना का सुझाव देने के लिए सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) की अध्यक्षता में फरवरी, 2007 में एक अंतर मंत्रालयी समूह का गठन किया गया था। सचिव (पर्यटन) भी इस अंतर मंत्रालयी समूह के सदस्य हैं। इस अंतर मंत्रालयी समूह ने 12 पर्यटन स्थलों की सूची में से 6 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के लिए सड़क संपर्क के सुधार की सिफारिश की है जिन्हें पर्यटन मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों के परामर्श से प्राथमिकता दी गई है। इनमें आगरा, वाराणसी-सारनाथ, पुरी-भुवनेश्वर-कोणार्क-चिल्का, हैदराबाद का चारमीनार क्षेत्र, औरंगाबाद और अमृतसर के लिए अभिनिर्धारित सड़क संपर्क का सुधार शामिल है। इन अभिनिर्धारित सड़क संपर्कों में राज्यीय राजमार्ग और राज्यीय सड़कें शामिल हैं। अंतर मंत्रालयी समूह ने महाबलीपुरम, हम्पी, अजमेर और चित्रकूट जो 22 अभिनिर्धारित की सूची में शामिल हैं, के लिए सड़क संपर्क में सुधार की भी सिफारिश की है।

यह मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। पर्यटन मंत्रालय से प्राथमिकता प्राप्त 6 पर्यटन स्थलों के लिए अभिनिर्धारित सड़क संपर्क तथा इनमें शामिल राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क के विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पर्यटन मंत्रालय से प्राथमिकता प्राप्त 6 पर्यटन स्थलों के लिए अभिनिर्धारित सड़क संपर्क तथा इनमें शामिल राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क के विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के ब्यौरे

क्र.सं.	स्थल/सर्किट	उन्नत की जाने वाली सड़कें	टिप्पणियां
1	2	3	4
1.	आगरा-ताज पुनरुद्धार (उत्तर प्रदेश)	(1) दिल्ली-आगरा	(1) दिल्ली और आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के चार लेन खंड से जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त यह खंड राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण 5 के अंतर्गत 6 लेन का बनाए जाने के लिए शामिल है। इस खंड को 6 लेन बनाने का कार्य दिसंबर, 2012 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

1	2	3	4
		(2) जयपुर-आगरा	(2) जयपुर और आगरा रारा 12 के खंड से जुड़े हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3 के अंतर्गत रारा 11 के 17.50 से 228.00 किमी. तक चार लेन बनाने का चालू कार्य 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
2.	वाराणसी-सारनाथ उत्तर प्रदेश)	(1) बोधगया-वाराणसी	(1) बोधगया में रारा 83 और रारा 2 के खंडों से वाया वाराणसी से जुड़ा है। रारा 83 का खंड जो बोधगया को रारा 2 से जोड़ता है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3 के अंतर्गत चार लेन का बनाए जाने के लिए शामिल किया गया है। इसे 2012 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
		(2) इलहाबादा-वाराणसी	(2) रारा 2 का इलाहाबाद-वाराणसी खंड मुख्यत: चार लेन का है और शेष लंबाई में चार लेन बनाने के चालू कार्य को फरवरी, 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण 5 के अंतर्गत इसे दिसम्बर, 2012 तक 6 लेन का बनाए जाने का भी लक्ष्य है।
		(3) गोरखपुर-वाराणसी	(3) गोरखपुर वाया वाराणसी रारा 29 के खंड से जुड़ा है जो दो लेन का है। इसे पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाए जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण 4क में शामिल किया गया है। इस खंड के उन्नयन का कार्य 2010-11 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
3.	पुरी-भुवनेश्वर-कोणार्क-चिल्का (उड़ीसा)	(1) पुरी-कोणार्क-भुवनेश्वर	(1) भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क खंड त्रिभुज पर स्थित है। भुवनेश्वर और पुरी के बीच का खंड रारा 203 का हिस्सा है। इसे चार लेन का बनाए जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3 में शामिल किया गया है। इस खंड को चार लेन बनाने का कार्य दिसंबर, 2013 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पुरी और कोणार्क के बीच रारा 203 का खंड दो लेन का है और उपलब्ध धनराशि एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर इसे यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।
		(2) पुरी-चिल्का	(2) रारा 203ए का खंड जो पुरी और चिल्का से गुजरता है, दो लेन का है और इसे उपलब्ध धनराशि एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर इसे यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।
4.	हैदराबाद का चारमीनार क्षेत्र (आंध्र प्रदेश)	उन्नयन के लिए कोई सड़क अभिनिर्धारित नहीं की गई है	चारमीनार क्षेत्र राज्यीय सड़क के माध्यम से रारा 9 से जुड़ा है। हैदराबाद शहर खंड में रारा 9 को 6/8 लेन का बनाया गया है।

1	2	3	4
5.	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	(1) औरंगाबाद-एलोरा	(1) राज्य 211 जो दो लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग स्तर का है, औरंगाबाद और एलोरा के बीच सीधा सड़क संपर्क प्रदान करता है। सड़क गुणता में सुधार के लिए इस खंड को वार्षिक योजना 2008-09 में शामिल किया गया है।
		(2) औरंगाबाद-अजंता	(2) औरंगाबाद और अजंता अथवा लोनार के बीच कोई और सीधा राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क नहीं है। ये स्थान राज्यीय
		(3) औरंगाबाद-लोनार	(3) सड़कों से जुड़े हैं।
6.	अमृतसर (पंजाब)	दिल्ली-अमृतसर	राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से दिल्ली अमृतसर से जुड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का दिल्ली से जालंधर खंड चार लेन का है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण 4 के अंतर्गत जालंधर से अमृतसर तक चार लेन बनाने का चालू कार्य को मार्च, 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है। (20 किमी. के खंड को छोड़कर)

[अनुवाद]

न्यूजीलैंड में लापता भारतीय

1699. **श्री डा. एम. जगन्नाथ:**
श्री किन्जरपु येरनायडु:
श्री पंकज चौधरी:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिडनी जा रहे कुछ भारतीय नागरिक न्यूजीलैंड में लापता बताए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) जुलाई, 2008 में कैथोलिक चर्च, आस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित विश्व युवा दिवस समारोह में हिस्सा लेने सिडनी जा रहे 40 भारतीय राष्ट्रिक न्यूजीलैण्ड पहुंचने के बाद आगे की उड़ान में विमान पर सवार नहीं हुए और गायब हो गए। ये 40 भारतीय राष्ट्रिक उन 220 भारतीय तीर्थयात्रियों के समूह में से थे जिन्हें दिल्ली स्थित न्यूजीलैण्ड उच्चायोग द्वारा एक माह का अतिथि वीजा दिया गया था। इन 40 भारतीय राष्ट्रिकों में से 38 ने अपना पासपोर्ट स्थानीय कैथोलिक चर्च प्रायोजकों के पास छोड़ दिया और उसके बाद उन्हें नहीं दिखाया। दो व्यक्तियों ने अपना पासपोर्ट अपने पास रखा।

(ग) वेलिंग्टन में हमारे भारतीय मिशन ने गायब हुए भारतीय राष्ट्रिकों को खोजने के लिए उत्प्रवासन और श्रम विभाग तथा स्थानीय विदेश कार्यालय से संपर्क किया है। गायब हुए 40 में 20 भारतीय राष्ट्रिक अब भारत लौट आए हैं और शेष भारतीय राष्ट्रिकों का पता लगाने के लिए प्रयास चल रहा है।

अखबारी कागज की कीमतों में वृद्धि

1700. **श्री अभिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:**
श्रीमती भिवेदिता माने:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अखबार उद्योग अखबारी कागज की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है और हाल के महीनों में अत्यधिक मुद्रास्फीति के कारण प्रचालन लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है जैसाकि 1 सितम्बर, 2008 के "द मिंट" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) द्वारा भुगतान की गई छपाई विज्ञापन दरों में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल, 2005 तक और सितंबर, 2008 तक की स्थिति के अनुसार पिछले छः माह में प्रति मेट्रिक टन मासिक औसत न्यूज प्रिंट कीमत क्रमशः 26,500/- रुपये और 33,108/- रुपये थी। अप्रैल, 2005 तक और जुलाई, 2008 तक की स्थिति के अनुसार औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता कीमत सूचकांक (1982=100 को आधार मानते हुए) क्रमशः 529 और 662 था।

(ग) से (ङ) सरकार ने समाचार-पत्र उद्योग की मांग पर पहले ही विचार कर लिया है और 1 सितम्बर, 2008 से सभी श्रेणी के समाचार पत्रों/आवधिकियों के लिए प्रिंट विज्ञापन दरों में 24% की वृद्धि कर दी है।

केंद्रीय सड़क निधि

1701. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रनः क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए अधिकर से एकत्र निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस निधि से कुछ राशि निकाल कर सड़क सुरक्षा प्रयोजन हेतु अलग रखने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार से एकत्र निधियों से किए गए कार्यों/परियोनजाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) इस समय, पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल दोनों पर अतिरिक्त उत्पाद और सीमा शुल्क के रूप में दो रुपए प्रति लीटर उपकर लगाया जाता है। उपकर की वसूली वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 (सितंबर, 2008 तक) में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर उपकर के रूप में एकत्रित धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वर्ष	वसूल की गई धनराशि (करोड़ रु.)
2005-06	11313.71
2006-07	12206.54
2007-08	13254.41
2008-09 (सितंबर 2008 तक)	7511.54

(ख) और (ग) सरकार ने सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए एक समर्पित एजेंसी के गठन पर विचार करने और उसकी सिफारिश करने के लिए जल भूतल परिवहन मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री एस. सुंदर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड के गठन की सिफारिश के अलावा पेट्रोल और डीजल पर कुल उपकर आय का 1% निर्धारित करके राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना की भी सिफारिश की है।

(घ) केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार उपकर धनराशि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, ग्रामीण सड़कों के विकास, अन्तरराज्यीय और आर्थिक महत्व की सड़कों सहित अन्य राज्यीय सड़कों के विकास और अनुरक्षण, पुल के माध्यम से रेल लाइन के ऊपर अथवा नीचे सड़कों के निर्माण और मानव रहित रेल रोड क्रासिंग पर सुरक्षा कार्यों के लिए किया जाता है। योजना आयोग, रेल मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग को उक्त अधिनियम के तहत निर्धारित विधि उपकर राशि का आबंटन करता है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के आबंटन से उपकर धनराशि का एक हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दिया जाता है। इसका वितरण राज्यवार नहीं किया जाता।

उपकर धनराशि को राज्यीय सड़कों (ग्रामीण सड़कों से भिन्न) और अंतरराज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए निर्धारित की जाती है, राज्यों को आबंटित की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग उपकर धनराशि से वित्तपोषित कार्यों को प्रशासनिक अनुमोदन देता है और राज्य सरकार ऐसे कार्यों को तकनीकी और वित्तीय अनुमोदन प्रदान करती है। वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 (आज तक) के दौरान उपकर धनराशि से राज्यीय सड़कों और अंतरराज्यीय संपर्क और

आर्थिक महत्व (ग्रामीण सड़कों से भिन्न) की सड़कों के विकास के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत कार्यों/परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

विवरण I

वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 (आज तक) केंद्रीय सड़क निधि से अनुमोदित कार्यों की राज्यवार संख्या और धनराशि दर्शाने वाला ब्यौरा

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09 (आज तक)	
		अनुमोदित केन्द्रीय सड़क निधि कार्य		अनुमोदित केन्द्रीय सड़क निधि कार्य		अनुमोदित केन्द्रीय सड़क निधि कार्य		अनुमोदित केन्द्रीय सड़क निधि कार्य	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	66	171.37	3	10.40	81	197.27	106	247.80
2.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	11	42.31	5	25.32	0	0
4.	असम	9	27.99	4	15.96	7	91.00	8	90.45
5.	बिहार	0	0.00	8	25.34	9	68.16	0	0
6.	चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
7.	छत्तीसगढ़	4	28.22	10	24.54	2	10.03	10	102.95
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
9.	दिल्ली	0	0.00	26	47.00	0	0.00	3	29.68
10.	गोवा	0	0.00	3	10.59	0	0.00	3	14.13
11.	गुजरात	117	179.86	27	55.69	77	183.08	49	216.45
12.	हरियाणा	9	77.71	1	17.09	7	89.00	8	129.72
13.	हिमाचल प्रदेश	8	25.71	2	4.25	4	12.80	0	0
14.	जम्मू-कश्मीर	8	51.64	0	0.00	8	87.00	0	0
15.	झारखंड	1	3.48	8	88.95	0	0.00	0	0
16.	कर्नाटक	140	110.20	249	228.60	8	15.01	228	311.00
17.	केरल	13	72.58	4	28.51	8	67.37	8	58.18
18.	मध्य प्रदेश	37	128.43	28	108.00	18	107.99	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	महाराष्ट्र	86	229.40	64	195.47	45	171.37	69	303.83
20.	मणिपुर	1	2.96	2	7.02	1	3.98	0	0
21.	मेघालय	2	8.59	0	0.00	3	14.39	0	0
22.	मिजोरम	0	0.00	4	11.46	10	16.33	0	0
23.	नागालैंड	1	3.60	0	0.00	2	9.81	0	0
24.	उड़ीसा	11	53.60	11	44.36	14	84.44	9	76.58
25.	पुडुचेरी	1	2.88	0	0.00	1	3.60	0	0
26.	पंजाब	12	61.15	6	46.89	0	0.00	5	38.81
27.	राजस्थान	173	227.87	85	164.04	50	163.92	35	112.64
28.	सिक्किम	0	0.00	3	1.75	0	0.00	2	2.10
29.	तमिलनाडु	19	36.36	28	77.70	14	31.55	11	30.27
30.	त्रिपुरा	0	0.00	0	0.00	3	20.40	0	0
31.	उत्तर प्रदेश	0	0.00	17	183.83	0	0.00	20	336.40
32.	उत्तराखंड	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
33.	पश्चिम बंगाल	19	226.72	2	47.16	0	0.00	2	91.51

विवरण II

वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 (आज तक) के दौरान अंतरराज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व के सड़कों कार्यों की राज्यवार संख्या और स्वीकृत धनराशि

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09 (आज तक)	
		स्वीकृत अंतरराज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व के कार्य		स्वीकृत अंतरराज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व के कार्य		स्वीकृत अंतरराज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व के कार्य		स्वीकृत अंतरराज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व के कार्य	
		संख्या	धनराशि (करोड़ रु.)	संख्या	धनराशि (करोड़ रु.)	संख्या	धनराशि (करोड़ रु.)	संख्या	धनराशि (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	2	16.00	2	17.39	8	50.72	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	18.67	1	14.47	1	14.85	1	23.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	0	0	2	4.95	1	4.95	0	0
4.	बिहार	2	12.17	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	1	11.53	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	17	34.10	1	3.04	5	14.18	0	0
8.	हरियाणा	1	4.76	1	7.92	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	2	10.34	1	4.63	0	0	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	1	1.18	0	0	0	0	1	73.33
11.	झारखंड	0	0	0	0	1	6.51	5	55.11
12.	कर्नाटक	15	59.67	2	27.08	5	27.75	1	12.00
13.	केरल	0	0	1	14.24	3	20.38	0	0
14.	मध्य प्रदेश	7	5.93	0	0	6	29.98	0	0
15.	महाराष्ट्र	14	26.83	1	4.27	4	16.23	0	0
16.	मणिपुर	1	4.56	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	1	18.11	1	10.05	0	0
19.	नागालैंड	3	33.43	1	29.32	2	45.51	0	0
20.	उड़ीसा	2	23.46	2	6.27	5	27.88	1	9.58
21.	पंजाब	3	19.89	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	6	14.40	5	12.49	5	16.69	1	2.15
23.	सिक्किम	1	12.99	4	46.25	2	14.93	1	16.47
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	2	24.80	1	2.62
25.	त्रिपुरा	1	7.53	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तराखंड	2	12.88	1	3.50	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	2	11.51	0	0	1	11.02	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	1	13.40	0	0	0	0	0	0

[हिन्दी]

जल जनित बीमारियां

1702. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश के बाढ़ ग्रस्त राज्यों के लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए चिकित्सकों के एक दल की तैनाती के लिए विशेष चिकित्सा निधि का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त राज्यों में मलेरिया, जलजनित बीमारियां और कैंसर आदि जैसी बीमारियां फैल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो मौजूदा चिकित्सा व्यवस्थाओं और इस संबंध में सरकार द्वारा मुहैया कराई गयी सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार बाढ़ ग्रस्त राज्यों में पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए अतिरिक्त आबंटन करने का है; और

(च) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) प्राकृतिक आपदा की गंभीरता के आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार केंद्रीय चिकित्सा दल तैनात करके राज्य सरकार की सहायता करती है। इन दलों का गठन डा. आर.एम.एल. अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और संबद्ध अस्पतालों, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आदि जैसी केन्द्र सरकार की संस्थाओं की मौजूदा क्षमता से किया जाता है। इसलिए इसके लिए खर्च करने हेतु कोई विशिष्ट चिकित्सीय निधि अपेक्षित नहीं है।

(ग) इस वर्ष बाढ़ से प्रभावित दो राज्यों उड़ीसा और बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जल जलित रोगों (हैजा, अतिसार, जठरान्त्र रोग, हेपेटाइटिज) अथवा वेक्टर जनित रोगों (मलेरिया, डेंगू ज्वर, काला आजार और जापानीं एन्सिफेलाइटिस) का कोई प्रकोप सूचित नहीं किया गया है।

(घ) बाढ़ के जन स्वास्थ्य संबधी प्रभावों से निपटने के लिए आकस्मिकता योजनाएं मानसून पूर्व सभी राज्यों को परिचालित की जाती हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आपाती सहायता कार्य योजना को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है और राज्यों को परिचालित किया जाता है। योजना में उन मानव और सामग्री संसाधनों का वर्णन किया जाता है जिन्हें बाढ़ सहित आपदाओं के दौरान परिनियोजित किया जाता है। चिकित्सा दलों को केन्द्र सरकार के अस्पतालों से और जन स्वास्थ्य दलों को राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्ली, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता जैसे जन स्वास्थ्य संस्थाओं और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधीन संस्थाओं से जुटाया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तत्काल मांग पर औषधों और अन्य चिकित्सीय आपूर्तियों को जुटाने की दर संविदा है।

हाल ही में बिहार और उड़ीसा में भारी बाढ़ आने की सूचना मिली है जहां केन्द्र सरकार ने आपाती औषधों, क्लोरीन की गोलियों, मलाथियन, फागिंग मशीनों, नैदानिक किटों, मच्छरदानियों, ब्लीचिंग पाउडर आदि के संदर्भ में संभारतंत्रीय सहायता प्रदान की है। बिहार में एक महीने तक केन्द्रीय जन स्वास्थ्य दल नियुक्त किए गए थे।

(ङ) और (च) भारत सरकार आपदा राहत निधि और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के मानदण्डों के अनुसार प्राकृतिक आपदा और विपत्ति द्वारा प्रभावित राज्यों को सहायता प्रदान करती है। आपदा राहत निधि का संचालन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है और राज्यों को निधियां दो किस्तों में की जाती हैं। अन्य के साथ-साथ मानदण्डों में तत्काल प्रकृति की स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल करने, अनिवार्य औषधों, विसंक्रामकों की आपूर्ति, महामारियों के प्रकोप की रोकथाम के लिए कीटनाशकों, सरकारी अस्पतालों/ स्वास्थ्य केन्द्रों के टूटे-फूटे उपकरणों और खोई हुई औषधों के प्रतिस्थापन, एम्बुलैंस सेवाओं के लिए प्रचालनात्मक लागत, चल चिकित्सा दलों और अस्थायी औषधालयों का प्रावधान शामिल है। इसका मूल्यांकन राज्य स्तरीय समितियों अथवा गृह मंत्रालय द्वारा गठित केन्द्रीय क्षति मूल्यांकन दल द्वारा किया जाता है जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधित्व होता है। इसकी सिफारिशों के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है।

12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार आपदा राहत निधि का राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

12वां वित्त आयोग

आपदा राहत निधि 2005-2010

क्र.सं.	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	344.08	361.23	79.35	398.31	418.22	1901.24
2.	अरुणाचल प्रदेश	28.30	29.12	29.97	30.87	31.81	150.07
3.	असम	193.06	198.62	204.48	210.62	217.06	1023.84
4.	बिहार	148.93	153.23	157.47	162.84	162.48	789.84
5.	छत्तीसगढ़	111.75	114.98	118.35	121.90	125.62	592.60
6.	गोवा	2.11	2.21	2.32	2.44	2.56	11.64
7.	गुजरात	246.00	258.30	271.22	284.78	299.00	1359.30
8.	हरियाणा	124.38	130.60	137.13	143.99	151.18	987.28
9.	हिमाचल प्रदेश	100.69	103.60	106.65	109.86	113.21	534.01
10.	जम्मू-कश्मीर	86.46	88.96	91.58	94.33	97.21	458.54
11.	झारखंड	126.07	129.71	133.53	137.75	141.75	668.81
12.	कर्नाटक	114.66	120.19	126.41	132.73	139.36	633.35
13.	केरल	85.50	89.77	94.26	98.98	103.91	472.42
14.	मध्य प्रदेश	254.23	261.58	269.29	277.39	285.88	1348.37
15.	महाराष्ट्र	222.90	234.05	245.75	258.04	270.94	1231.68
16.	मणिपुर	5.56	5.72	5.89	6.06	6.25	29.48
17.	मेघालय	11.29	11.61	11.95	12.31	12.68	59.84
18.	मिजोरम	6.58	6.77	6.97	7.18	7.40	34.90
19.	नागालैंड	3.83	3.94	4.05	4.17	4.40	20.39
20.	उड़ीसा	301.54	310.24	319.38	328.97	339.03	1599.16
21.	पंजाब	146.03	153.33	160.99	169.04	177.49	806.88
22.	राजस्थान	415.64	436.12	458.25	481.46	505.21	2296.68
23.	सिक्किम	17.53	219.53	18.57	19.13	19.70	91.97
24.	तमिलनाडु	209.08	219.53	230.51	242.03	254.13	1155.28

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	त्रिपुरा	12.85	13.22	1361	14.02	14.44	68.14
26.	उत्तर प्रदेश	295.94	304.48	313.45	322.87	332.75	1569.49
27.	उत्तरांचल	94.69	96.59	98.58	100.67	101.85	492.38
28.	पश्चिम बंगाल	234.73	241.50	248.62	256.09	263.92	1244.86
	कुल	3944.41	4097.79	4258.85	4427.97	4604.31	21333.33

रक्षित वनों में पर्यटन को बढ़ावा

1703. श्री मनसुखभाई डी. वसावा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रक्षित वन एजेंसियों का राजस्व बढ़ाने के लिए वन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रक्षित वन क्षेत्रों में वर्ष-वार कितने विदेशी पर्यटक आए और इससे कितनी आय हुई; और

(घ) रक्षित वन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दूरदर्शन कार्यक्रमों को बढ़ावा

1704. श्री हरिसिंह जावड़ा:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में दूरदर्शन के सभी चैनलों की लोकप्रियता (टीआरपी) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दूरदर्शन के कार्यक्रम प्राइवेट चैनल की तुलना में कम लोकप्रिय हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) दूरदर्शन कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने और इसके प्रत्येक चैनल की टीआरपी में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए दूरदर्शन द्वारा किए गए बजटीय आबंटन/उपयोग की गयी राशि का चैनल-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके परिणामस्वरूप इस दिशा में क्या प्रगति हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि निजी टी.वी. चैनलों की तुलना में वर्ष 2005, 2006 और 2007 के लिए तथा नवम्बर, 2008 तक दूरदर्शन का टेलीविजन रेटिंग प्रतिशत अन्य चैनलों की अपेक्षा अधिक रहा है।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने और प्रत्येक चैनल की टी.आर.पी. में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

* स्व-वित्त स्कीम और भारतीय श्रेष्ठ साहित्य स्कीम के माध्यम से व्यावसायिक निर्माण घरानों से स्तरीय साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति।

* सभी डी.डी. चैनलों को डी.डी. डायरेक्ट+डी.टी.एच. प्लेटफार्म पर डाला गया है ताकि डिजीटल ट्रांसमिशन पर उनकी लोकप्रियता में सुधार हो सके।

* केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम के अनुसार सभी केबल और उपग्रह घरों में डी.टी. चैनल की दृश्यता की मानीटरिंग एवं प्रवर्तन में सुधार लाने के लिए कदम उठाए गए।

* दूरदर्शन चैनलों और आकाशवाणी चैनलों पर दूरदर्शन के कार्यक्रमों के दर्शकों की संख्या में सुधार लाने के लिए एक चैनल का दूसरे चैनल में प्रचार किया गया।

(ङ) चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों द्वारा उपयोग में लायी गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) दूरदर्शन के चैनलों की लोकप्रियता में सुधार हो रहा है।

विवरण I

दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों की टी.ए.एम. रेटिंग

डी.डी. चैनल	टी.वी.आर. 2005*	टी.वी.आर. 2006*	टी.वी.आर. 2007*	टी.वी.आर. 2008* (नवम्बर, 08 तक)
डी.डी. न्यूज	0.16	0.13	0.08	0.07
डी.डी. भारती	0	0	0	0
डी.डी. स्पोर्ट्स	0.08	0	0	0.01
डी.डी. उर्दू	0	0	0	0

*(1) वर्ष 2005, 2006, 2007 और 2008 के लिए उपर्युक्त टी.वी. रेटिंग केवल 1 लाख जनसंख्या वाले शहरी बाजार से संबंधित है। यदि एक लाख से कम आबादी वाले कस्बों की दूरदर्शन के दर्शकों की संख्या और समस्त ग्रामीण दर्शक संख्या को जोड़ दिया जाए तो दूरदर्शन के दर्शकों की संख्या में काफी वृद्धि हो जाएगी।

(2) वर्ष 2006 में टी.ए.एम. देश भर के 70 शहरों तक सीमित था जिसे वर्ष 2007 और 2008 में 148 कस्बों तक बढ़ा दिया गया।

(3) सभी 4+वर्ष।

विवरण II

चालू वित्त वर्ष सहित पिछले 3 वर्षों के दौरान दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

चैनल का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 अक्तूबर, 08 तक
डी.डी. नेशनल	56.48	58.1136	61.1332	35.5519
डी.डी. न्यूज	32.46	34.56	36.37	5.15
डी.डी. भारती	13.11	3.69	5.06	2.64
डी.डी. स्पोर्ट्स	210.85	43.11	19.18	10.03
डी.डी. उर्दू	-	10.20	13.05	7.05

[अनुवाद]

डीटीएच दिशानिर्देशों का उल्लंघन

1705. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीटीएच सेवाओं को मुहैया कराने के लिए लाइसेंस शुदा कंपनी में क्रास होल्डिंग पर डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) दिशानिर्देशों में कोई प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी भी डीटीएच सेवा प्रदाता द्वारा क्रास होल्डिंग सहित किसी भी प्रकार से लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस समाप्त करने के साथ-साथ उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को यह पता चला है कि कई कंपनियां लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन कर रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो कंपनी-वार उल्लंघन की प्रकृति को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस प्रकार के उल्लंघन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) जी, हां. डीटीएच सेवा के लिए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित पात्रता संबंधी शर्तों तथा लाइसेंस के निबंधन एवं शर्तों को निरूपित करने वाली लाइसेंस करार की सूची में यह प्रावधान किया गया है कि प्रसारण कंपनियां और/अथवा केबल नेटवर्क कंपनियां लाइसेंस अवधि के दौरान किसी भी समय आवेदक कंपनी की कुल इक्विटी के 20% से अधिक भाग का सामूहिक रूप से स्वामित्व धारित करने की पात्र नहीं होंगी। इसी प्रकार से आवेदक कंपनी का प्रसारण और/अथवा केबल नेटवर्क कंपनी में 20% से अधिक इक्विटी अंश नहीं होगा। डीटीएच लाइसेंस-धारक मैसर्स भारती टेलीमीडिया लि. को इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए पाया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) जी, हां। मैसर्स भारती टेली-मीडिया लि. को लाइसेंस करार के निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करने का निदेश

दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय को डीटीएच लाइसेंस-धारकों द्वारा लाइसेंस करार के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत अंतर-प्रचालनीयता के प्रावधानों के उल्लंघन के बारे में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

(च) सरकार ने डीटीएच सेवा प्रदाता द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले सेट टाप बाक्सों (एसटीबी) हेतु तकनीकी ब्यौरा देने का कार्य भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को सौंपा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच कारगर तकनीकी अंतर-प्रचालनीयता हो।

भारतीय पोत परिवहन उद्योग में नकदी संकट

1706. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम में नकदी की कमी से पोत परिवहन उद्योग प्रभावित हुआ है जैसा कि दिनांक 6 अक्तूबर, 2008 के 'द मिंट' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के संकट के प्रभाव का भार उठाने के लिए भारतीय पोत परिवहन उद्योग को सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, हां। चूंकि पोत परिवहन उद्योग मुख्य रूप से उधार ली जाने वाली धनराशि पर निर्भर करता है (जलयान की लगभग 70-80% लागत उधार लिए जाने के माध्यम से अदा की जाती है), अत: मौजूदा आर्थिक मंदी का यह प्रभाव पड़ा है कि अधिकतर बैंक जिनसे वित्त की व्यवस्था किए जाने के लिए अनुरोध किया जाता है नकदी की कमी के कारण या तो वे इस बारे में उत्तर नहीं दे रहे हैं या पहले उद्धृत की जा रही ब्याज की दरों की तुलना में ब्याज की उच्च दरें उद्धृत कर रहे हैं। इससे पोत परिवहन कंपनियों की पोतों की खरीद की गति पर प्रभाव पड़ेगा। फिर भी, प्रत्येक कंपनी पर यह प्रभाव भिन्न-भिन्न होगा क्योंकि वित्त की व्यवस्था, कंपनी के आकार इसके ट्रैक रिकार्ड और इसके तुलन-पत्र की मजबूती पर निर्भर करती है।

(ग) चूंकि वित्तीय संकट वास्तव में सभी राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं में व्याप्त है और इसके प्रभाव से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों सहित समेकित वैश्विक प्रयासों से व्यापार को बढ़ावा मिलने की आशा है इसके परिणामस्वरूप पोत परिवहन उद्योग को भी मदद मिलेगी।

सहायक नर्स धात्रियों की उपलब्धता

1707. एडवोकेट सुरेश कुरूप:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में सहायक नर्स धात्रियों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने का परामर्श दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण है; और

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी हां, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रत्येक उपकेन्द्र में सहायक नर्स धात्री (एएनएन) को रखने का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा एनआरएचएम के अंतर्गत यह पहल पूर्णत: वित्तपोषित है। संबद्ध क्रियाकलाप जैसे एएनएम प्रशिक्षण केन्द्रों के उन्नयन एवं नए प्रशिक्षण केंद्रों को खोलने के लिए भी एनआरएचएम के अंतर्गत सहायता दी जाती है।

राज्यों ने उपकेन्द्रों में दूसरी एएनएम रखने की कार्यनीति के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ये क्रियाकलाप संबंधित राज्य के राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के आधार पर कार्यचालित किया जाता है। राज्यों की ओर से प्राप्त सूचना के अनुसार 1.3 लाख से अधिक उपकेन्द्रों को पहले से ही कम से कम 1एएनएम के साथ प्रचालनात्मक बनाया गया है और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए आधारभूत स्वास्थ्य संस्थानों की सहायता करने के लिए 32,321 सहायक नर्सधात्रियों को संविदा पर नियुक्त किया गया है।

[हिन्दी]

पीपीपी के लिए आदर्श रियायत समझौता

1708. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री रूपचंद मुर्मू:
श्री किरेन रिजीजू:
श्री जुएल ओराम:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक और निजी भागीदार (पीपीपी) आधार पर चलाई गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और उन परियोजनाओं पर आने वाली लागत का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार, सार्वजनिक और निजी भागीदार (पीपीपी) परियोजनाओं हेतु किसी आदर्श रियायत समझौता (एमसीए) पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के क्रियान्वयन की स्थिति सहित इस समझौते की मुख्य विशेषताओं का ब्योरा क्या है; और

(घ) राज्यों में राजमार्ग परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पीपीपी की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्योरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के विकास के लिए एक आदर्श रियायत करार तैयार किया गया है। इस आदर्श रियायत करार में मानक खंड हैं जिनमें पथकर के संग्रहण की रूपरेखा, राजस्व की हिस्सेदारी, भुगतान सुरक्षा तंत्र और मध्यस्थ/विवाद समाधान तंत्र आदि सहित दोनों पक्षकारों के उत्तरदायित्व एवं दायित्वों का विशेष रूप में उल्लेख है।

(घ) सार्वजनिक निजी भागीदारी अवधारणा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा पूर्व अर्हता के लिए अनुरोध, प्रस्ताव के लिए अनुरोध, रियायत करार आदि के माडल दस्तावेज तैयार किए गए हैं। सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भी निर्धारित किए हैं। सरकार, कुल परियोजना लागत के 40% तक अर्थ क्षमता अंतर वित्तपोषण भी प्रदान करती है।

विवरण

सार्वजनिक निजी भागीदारी बीओटी (पथकर) आधारित परियोजनाएं

क्र.सं.	खंड	रारा सं.	राज्य का नाम	लंबाई (किमी.)	वर्तमान स्थिति	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	नंदीगांव-विजयवाड़ा	9	आंध्र प्रदेश	35	4 लेन	138.65
2.	नेल्लोर-टाडा (एपी-7)	5	आंध्र प्रदेश	110.517	4 लेन	621.35
3.	फारुखनगर से कोट्टाकाटा (एनएस-2/एपी-3)	7	आंध्र प्रदेश	46.162	कार्यान्वयन के अधीन	255
4.	फारुखनगर से कोट्टाकाटा (एनएस-2/एपी-4)	7	आंध्र प्रदेश	55.74	कार्यान्वयन के अधीन	302
5.	चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा (6 लेन)	5	आंध्र प्रदेश	82.5	कार्यान्वयन के अधीन	572.3
6.	दुर्ग बाइपास	6	छत्तीसगढ़	18	2 लेन	70
7.	दुर्ग बाइपास का सिरा-छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा	6	छत्तीसगढ़	82.685	कार्यान्वयन के अधीन	464
8.	औरंग-रायपुर	6	छत्तीसगढ़	45	कार्यान्वयन के अधीन	190
9.	दिल्ली-गुड़गांव खंड (पहुंच नियंत्रित 8/6 लेन)	8	दिल्ली [9.7]/ हरियाणा [18]	27.7	8 लेन	710

1	2	3	4	5	6	7
10.	राजकोट बाइपास और गोंडल जैतपुर (पैकेज-7)	8बी	गुजरात	36	4 लेन	388.09
11.	वड़ोदरा से भरुच पैकेज बीओटी-1 (6 लेन)	8	गुजरात	83.3	कार्यान्वयन के अधीन	660
12.	भरुच से सूरत पैकेज बीओटी-2 (6 लेन)	8	गुजरात	65	कार्यान्वयन के अधीन	492
13.	सूरत-दहीसर (6 लेन)	8	गुजरात [118.2]/ महाराष्ट्र [120.77]	239	कार्यान्वयन के अधीन	1405.57
14.	पानीपत उत्थापित राजमार्ग	1	हरियाणा	10	4 लेन	270
15.	दिल्ली/हरियाणा सीमा से रोहतक	10	हरियाणा	63.49	कार्यान्वयन के अधीन	486
16.	पानीपत से जालंधर (6 लेन)	1	हरियाणा [116]/ पंजाब [175.1]	291	कार्यान्वयन के अधीन	2288
17.	जीरकपुर-परवानु	22	हरियाणा [20]/ हिमाचल प्रदेश [6.69]/पंजाब [2]	28.69	कार्यान्वयन के अधीन	295
18.	अंबाला-जीरकपुर	21, 22	हरियाणा [61]/ पंजाब [30]	36	कार्यान्वयन के अधीन	298
19.	गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर (6 लेन)	8	हरियाणा [64.3]/ राजस्थान [161.3]	225.6	कार्यान्वयन के अधीन	1673.7
20.	तुमकुर-नीलमंगला	4	कर्नाटक	32.5	4 लेन	450
21.	सिल्क बोर्डई जंक्शन से इलेक्ट्रानिक सिटी जंक्शन तक उत्थापित राजमार्ग	7	कर्नाटक	9.98	कार्यान्वयन के अधीन	155
22.	बंगलौर-होसकोट-मुदबागल खंड	4	कर्नाटक	79.724	कार्यान्वयन के अधीन	565
23.	बंगलौर-नीलमंगला	4	कर्नाटक	19.5	कार्यान्वयन के अधीन	445
24.	रारा 48 के साथ रारा 4 पर नीलमंगला जंक्शन से देवनहल्ली	48	कर्नाटक	81	कार्यान्वयन के अधीन	441
25.	त्रिसूर से अंगमाली (केएल-1)	47	केरल	40	कार्यान्वयन के अधीन	312.5
26.	गुना बाइपास	3	मध्य प्रदेश	14	4 लेन	46
27.	इंदौर-खलघाट	3	मध्य प्रदेश	80	कार्यान्वयन के अधीन	472
28.	खलघाट-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा	3	मध्य प्रदेश	82.8	कार्यान्वयन के अधीन	549

1	2	3	4	5	6	7
29.	सतारा-कागल	4	महाराष्ट्र	133	4 लेन	600
30	कोंधली-तेलीगांव	6	महाराष्ट्र	50	कार्यान्वयन के अधीन	212
31.	धुले-पिंपलगांव	3	महाराष्ट्र	118	कार्यान्वयन के अधीन	556
32.	गोंडे-वदापे (थाणे)	3	महाराष्ट्र	100	कार्यान्वयन के अधीन	579
33.	नागपुर-कोंधली	6	महाराष्ट्र	40	कार्यान्वयन के अधीन	168
34.	छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा वेनगंगा पुल	6	महाराष्ट्र	80.055	कार्यान्वयन के अधीन	424
35.	जालंधर-अमृतसर	1	पंजाब	49	कार्यान्वयन के अधीन	263
36.	कुराली-कीरतपुर	21	पंजाब	42.9	कार्यान्वयन के अधीन	309
37.	महापुरा (जयपुर के पास)-किशनगढ़ (6 लेन)	8	राजस्थान	90.38	4 लेन	644
38.	किशनगढ़ में आरओबी	8	राजस्थान	1	4 लेन	18
39.	भरतपुर-मधुआ	11	राजस्थान	57	कार्यान्वयन के अधीन	250
40.	मधुआ-जयपुर	11	राजस्थान	108	कार्यान्वयन के अधीन	483
41.	टिंडीवनम-उलून्दूरपेट (पैकेज-6-ए)	45	तमिलनाडु	71.25	कार्यान्वयन के अधीन	480
42.	उलून्दूरपेट-पदलूर (पैकेज-6-बी)	45	तमिलनाडु	92.75	कार्यान्वयन के अधीन	460
43.	पदलूर-त्रिची (पैकेज-6-सी)	45	तमिलनाडु	40	कार्यान्वयन के अधीन	320
44.	कृष्णागिरि से लोपुरघाट (एनएस-2/टीएन1)	7	तमिलनाडु	62.5	कार्यान्वयन के अधीन	372.7
45.	सलेम से करूर (एनएस-2/टीएन2)	7	तमिलनाडु	41.55	कार्यान्वयन के अधीन	253.5
46.	सलेम से करूर (एनएस-2/टीएन3)	7	तमिलनाडु	33.48	कार्यान्वयन के अधीन	205.6
47.	करूर से मदुरै (टीएन-4)	7	तमिलनाडु	68.125	कार्यान्वयन के अधीन	327.2
48.	करूर से मदुरै (टीएन-5)	7	तमिलनाडु	68.125	कार्यान्वयन के अधीन	283.5
49.	सलेम से केरल सीमा खंड (टीएन-6)	47	तमिलनाडु	53.525	कार्यान्वयन के अधीन	469.8
50.	सलेम से केरल सीमा खंड (टीएन-7)	47	तमिलनाडु	48.51	कार्यान्वयन के अधीन	379.8
51.	पांडिचेरी-टिंडीवनम	66	तमिलनाडु	38.61	कार्यान्वयन के अधीन	353.37
52.	त्रिची-करूर	67	तमिलनाडु	79.7	कार्यान्वयन के अधीन	285

1	2	3	4	5	6	7
53.	त्रिची-डिंडीगूल	45	तमिलनाडु	88.273	कार्यान्वयन के अधीन	516
54.	मदुरै-अरुपुकोट्टै-तूतीकोरिन	45बी	तमिलनाडु	128.157	कार्यान्वयन के अधीन	576
55.	तंजावूर-त्रिची	67	तमिलनाडु	56	कार्यान्वयन के अधीन	629
56.	सलेम-उलून्डरूपेट (बीओटी-1/टीएन-06)	68	तमिलनाडु	136.357	कार्यान्वयन के अधीन	280
57.	चेन्नै-टाडा (6 लेन)	5	तमिलनाडु	43.4	कार्यान्वयन के अधीन	941
58.	मेरठ-मुजफ्फरनगर	58	उत्तर प्रदेश	79	कार्यान्वयन के अधीन	359
59.	सीतापुर-लखनऊ	24	उत्तर प्रदेश	75	कार्यान्वयन के अधीन	322
60.	आगरा-भरतपुर	11	उत्तर प्रदेश [24.75]/ राजस्थान [20.25]	45	कार्यान्वयन के अधीन	195
61.	विवेकानंद पुल और पहुंच मार्ग	2	पश्चिम बंगाल	6	4 लेन	641

सार्वजनिक निजी भागीदारी वार्षिकी आधारित परियोजनाएं

क्र.सं.	खंड	रारा सं.	राज्य का नाम	लंबाई (किमी.)	वर्तमान स्थिति	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंकापल्ली-तुनी	5	आंध्र प्रदेश	58.947	4 लेन	283.2
2.	तुनी-धर्मावरम (एपी-16)	5	आंध्र प्रदेश	47	4 लेन	231.9
3.	धर्मावरम-राजमुंदरी (एपी-15)	5	आंध्र प्रदेश	53	4 लेन	206
4.	नेल्लोर बाइपास	5	आंध्र प्रदेश	17.166	4 लेन	143.2
5.	इस्लाम नगर से कदताल (एनएस-2/बीओटी/एपी-7)	7	आंध्र प्रदेश	48	कार्यान्वयन के अधीन	546.83
6.	कदलूर येलारेड्डी से गुंडला पोचमपल्ली (एनएस-2/ बीओटी/एपी-2)	7	आंध्र प्रदेश	85.74	कार्यान्वयन के अधीन	490
7.	हैदराबाद बंगलौर खंड (एनएस-2/बीओटी/एपी-5)	7	आंध्र प्रदेश	74.65	कार्यान्वयन के अधीन	490
8.	महाराष्ट्र/आंध्र प्रदेश सीमा से इस्लाम नगर (एनएस-2/ बीओटी/एपी-6)	7	आंध्र प्रदेश	55	कार्यान्वयन के अधीन	360.42

1	2	3	4	5	6	7
9.	कदताल से अरमूर (एनएस-2/बीओटी/एपी-8)	7	आंध्र प्रदेश	31	कार्यान्वयन के अधीन	271.73
10.	पहुंच मार्ग और गाइड बंद एवं एफ्लक्स बंड सहित कोसी पुल (बीआर-5)	57	बिहार	10	कार्यान्वयन के अधीन	418.04
11.	महाराष्ट्र सीमा-बेलगांव	4	कर्नाटक	77	4 लेन	332
12.	आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा-नंदी हिल क्रासिंग एवं देवलहल्ली से मीनकुंटे गांव	7	कर्नाटक	61.38	कार्यान्वयन के अधीन	402.8
13.	लखंडन से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा (एनएस-1/बीओटी/एमपी-2)	7	मध्य प्रदेश	49.35	कार्यान्वयन के अधीन	263.17
14.	ग्वालियर बाइपास (एनएस-1/बीओटी/एमपी-1)	75, 3	मध्य प्रदेश	42	कार्यान्वयन के अधीन	300.93
15.	लखंडन से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा (एनएस-1/बीओटी/एमपी-3)	7	मध्य प्रदेश	56.475	कार्यान्वयन के अधीन	407.6
16.	ग्वालियर-झांसी	75	मध्य प्रदेश [68.5]/ उत्तर प्रदेश [11.5]	80	कार्यान्वयन के अधीन	604
17.	अमृतसर-वाघा सीमा	1	पंजाब	36.22	कार्यान्वयन के अधीन	205.88
18.	पालनपुर से स्वरूपगंज (राजस्थान-42 किमी. और गुजरात-34 किमी.)	14	राजस्थान [42]/ गुजरात [34]	76	कार्यान्वयन के अधीन	498
19.	ताम्बरम-टिंडीवनम	45	तमिलनाडु	93	4 लेन	375
20.	झांसी से ललितपुर (एनएस-1/बीओटी/यूपी-2)	25, 26	उत्तर प्रदेश	49.7	कार्यान्वयन के अधीन	355.06
21.	गोरखपुर बाइपास	28	उत्तर प्रदेश	32.6	कार्यान्वयन के अधीन	600.24
22.	बारह से उरई	2, 25	उत्तर प्रदेश	62.8	कार्यान्वयन के अधीन	465
23.	झांसी से ललितपुर (एनएस-1/बीओटी/यूपी-3)	26	उत्तर प्रदेश	49.3	कार्यान्वयन के अधीन	276.09
24.	पानागढ़ से पालसित	2	पश्चिम बंगाल	64.457	4 लेन	350
25.	पालसित-दनकुनी	2	पश्चिम बंगाल	65	4 लेन	432.4

[अनुवाद]

लिंग निर्धारण जांच

1709. **श्री उदय सिंह:**
श्री एम. अप्पादुरई:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में कई मेडिकल सेंटरों/अस्पतालों में डाक्टरों द्वारा लिंग निर्धारण जांच की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। प्रधानत: जनन अपसामान्यताओं के निर्धारण के लिए भारत में लिंग निर्धारण तकनीकी का प्रयोग 1975 से किया जाता रहा है। तथापि, इन तकनीकों का व्यापक रूप से दुरुपयोग भ्रूण के लिंग के निर्धारण और भ्रूण के मादा पाए जाने पर उनके अनुवर्ती गर्भपातों में किया जाता था।

पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत लिंग चयन/निर्धारण करने वाले डाक्टरों/निदानालयों के खिलाफ आनलाइन शिकायतें दर्ज करने का प्रावधान वेबसाइट www.pndt.gov.in में किया गया है। इस साफ्टवेयर में प्राप्त चंद शिकायतें संबंधित राज्यों को भेज दी जाती हैं।

राष्ट्रीय निरीक्षण और अनुवीक्षण समिति का गठन क्षेत्र के दौरों से जमीनी हकीकतों का जायजा लेने के लिए केन्द्र में किया गया है। समिति ने दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, हिमाचल, उत्तरांचल और पंजाब राज्यों में 2006-08 के दौरान दौरा किया है। निरीक्षण दल ने गैर-कानूनी रूप से किए जा रहे लिंग निर्धारण के चंद मामलों का पता लगाया है।

खेलों के विकास हेतु गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

1710. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उस योजना का ब्यौरा क्या है जिसके अंतर्गत खेलकूद के विकास के कार्य में लगे गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को वित्तीय सहायता मुहैया करायी जा रही है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उन गैर-सरकारी संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें सहायता मुहैया करवाई गयी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान खेल विशेष का उल्लेख करते हुए प्रदान की गयी सहायता राशि का गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) मुहैया करायी गयी निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या तंत्र अपनाया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) सरकार के पास खेलों के विकास में लगे गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा

1711. **श्री रूपचन्द मुर्मू:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में पेंशन देने और सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिये कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिये एक सामाजिक सुरक्षा कोष बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) तथा इंडियन आयल कारपोरेशन (आईओसी) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों ने पहले से ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ऐसी योजनाएं शुरू कर दी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (ग) पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त प्रसुविधाएं संबंधित संगठनों द्वारा मुहैया करवाई जाती हैं और इनमें लागू नियमों द्वारा विनियमित की जाती है। देश भर के सेवानिवृत्त व्यक्तियों को पेंशन देने और कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करने के क्रम में सामाजिक सुरक्षा निधि बनाने के लिए केन्द्र सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) तेल और प्राकृतिक गैस निगम और इंडियन आयल कारपोरेशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अलग किए गए (सेपरेटेड) कर्मचारियों के लाभ के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गई हैं:-

(1) तेल और प्राकृतिक गैस निगम स्व-अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात् और सेवाकाल में मृत्यु संबंधी अधिवर्षिता प्रसुविधा योजना;

(2) 15.10.1959 से पूर्व के कर्मचारियों और 14.10.1959 के बाद के कर्मचारियों के लिए एक्स-ग्रेसिया योजनाएं; और

(3) ई.पी.एस.-95

इंडियन आयल कारपोरेशन में 1.11.1987 से अधिवर्षिता प्रसुविधा निधि योजना के नाम से एक अलग सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में एक स्व-अंशदायी अधिवर्षिता प्रसुविधा निधि योजना, शुरू की गई है जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत बनाए गए अधिवर्षिता प्रसुविधा निधि ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित है।

परित्यक्त खदानों से अवैध खनन

1712. श्री निखिल कुमार: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अवैध खनिक सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. की उन खदानों से कोयले की अवैध खुदाई कर रहे हैं जो पिछले कई वर्षों से परित्यक्त पड़ी हुई थी जैसाकि दिनांक 23 जून, 2008 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में अवैध खनन से रांची का मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में कोयले का अवैध खनन रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) और (ख) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल) में समीपस्थ गांवों/स्थानों के बदमाशों द्वारा परित्यक्त खानों से कोयले के निष्कर्षण की छिटपुट घटना की समय-समय पर सूचना दी जाती है।

(ग) और (घ) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने बताया है कि कुजू क्षेत्र, पीएस-कुजू, रामगढ़ के हेसगरा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-33 के नीचे बदमाशों द्वारा परित्यक्त खानों को खोलकर अवैध निष्कर्षण किया गया था। पुलिस प्राधिकारियों की उपस्थिति में डोजरों एवं डम्परों की सहायता से भारी मलबे से परित्यक्त खानों के मुहानों को कई बार बंद कर दिया गया है। राज्य प्राधिकारियों से भी तत्काल उपाय करने का अनुरोध किया गया है ताकि जोखिम को रोका जाए और राष्ट्रीय राजमार्ग-33 को खतरे से बाहर लाया जाए।

(ङ) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। इसलिए अवैध खनन को रोकने/नियंत्रित करने के लिए आवश्यक निवारक कार्रवाई करना राज्य-जिला प्रशासन का प्रमुख उत्तरदायित्व है। तथापि, अवैध खनन को रोकने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाते है:

(1) अवैध खनन से उत्पन्न रैट होलों को, जहां भी संभव होता है, पत्थर तथा मलबे से डोज आफ किया जा रहा है तथा भरा जा रहा है।

(2) परित्यक्त खानों के मुहाने पर कंकरीट की दीवारें बनायी गयी हैं, ताकि इन क्षेत्रों में पहुंच तथा अवैध खनन को रोका जा सके।

(3) सुरक्षा कार्मिकों तथा स्थिर सुरक्षा कर्मियों द्वारा नियमित छापे मारे जाते हैं/जांच की जाती है और रात्रि के दौरान सशस्त्र गार्डों सहित स्थिर सुरक्षा पिकेटों को पिटहैड डिपुओं पर तैनात किया जाता है।

(4) सुरक्षा कार्मिकों और संबंधित राज्य सरकार के कानून तथा व्यवस्था प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से औचक छापे मारे जाते हैं/जांच की जाती है।

(5) विभिन्न अवैध खनन स्थलों की फेंसिंग की जा रही है जिस पर "खतरनाक तथा निषिद्ध स्थान" वाले साइनबोर्ड लगाये जा रहे हैं।

(6) जिन खनित क्षेत्रों में खनन किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है, उनमें ओवरबर्डन डम्प किया जा रहा है।

(7) कोयले के अवैध डिपुओं तथा कोयले की अवैध ढुलाई के बारे में खुफिया जानकारी प्राप्त करना तथा निवारक कार्रवाई करने के लिए उसकी सूचना जिला प्राधिकारियों को देना।

(8) परिवहन दस्तावेजों की जांच करने के लिए संवेदनशील स्थानों पर चैक-पोस्ट स्थापित करना।

(9) सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाने के लिए मौजूदा सुरक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षण, सीआईएसएफ कार्मिकों को पुनश्चर्या

प्रशिक्षण तथा सुरक्षा विभाग में नए भर्ती किए गए लोगों को मौलिक प्रशिक्षण प्रदान करना।

(10) कोयला कम्पनियां राज्य प्राधिकारियों के साथ गहन सम्पर्क बनाए रखती हैं।

(11) अवैध खनन के विभिन्न पहलुओं की निगरानी करने के लिए पश्चिम बंगाल तथा झारखंड की राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों (ब्लाक स्तर, उप मंडल स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर) पर संयुक्त समिति/कार्यबलों का गठन किया गया है।

धोलेरा परियोजना का विकास

1713. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) धोलेरा पत्तन परियोजना में विकास कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या परियोजना को पूरा करने में कोई कठिनाई/असुविधा हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (घ) आल वैदर पोर्ट (माइनर), धौलीरा, गुजरात के लिए मैसर्स धोलीरा पोर्ट लिमिटेड को पर्यावरणीय मंजूरी 14.8.2006 को प्रदान की गई थी। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने सूचित किया है कि परियोजना के चरण-1 का विकास अभी तक शुरू नहीं किया गया है।

पर्यावरणीय स्वीकृति में देरी

1714. श्री फ्रांसिस फैन्थम:
श्री मदन लाल शर्मा:
प्रो. एम. रामदास:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न पर्यावरण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने में हुई अत्यधिक विलंब की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पर्यावरणिक स्वीकृति प्रदान करने की प्रविधि को सरल बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पर्यावरणीय स्वीकृति देने की प्रक्रिया सरल बनाने में रुकी पड़ी परियोजनाओं को कहां तक सहायता मिलने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 ने पर्यावरणीय मंजूरी के लिए 105 दिन की समय सीमा निर्धारित की है। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के माध्यम से उक्त अधिसूचना के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावक द्वारा यथा उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पर्यावरणीय मूल्यांकन किया जाता है। पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने में विलंब सामान्य परियोजना प्रस्तावकों द्वारा अपेक्षित सूचना और सम्बद्ध विवरण प्रस्तुत न किए जाने के कारण होता है।

(ग) से (ङ) वर्तमान प्रक्रिया की पुनरीक्षा आधारित सुधार एक सतत प्रक्रिया है जोकि परियोजनाओं के पर्यावरणीय आकलन पर भी लागू होता है। पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने की व्यापक पुनरीक्षा की गई थी और इसके आधार पर पूर्व की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 1994 के अतिक्रमण में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 जारी की गई थी। पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया को विकासात्मक परियोजनाओं की कतिपय श्रेणियों के लिए विकेन्द्रीकृत किया गया है और इसे राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है जिससे पहले की बकाया पड़ी परियोजनाओं को कम करने में सुविधा हुई है।

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार के मामलों का अभियोजन

1715. डा. धीरेंद्र अग्रवाल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कितने व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) कितने व्यक्तियों को दण्डित/दोषसिद्ध किया गया;

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान जांच पूरी होने के बाद अभियोजन की प्रतीक्षा में है;

(घ) क्या सरकारी तंत्र में कमजोरी के कारण भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम के अंतर्गत दण्ड पाने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी आ रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा सभी लंबित मामलों को तुरन्त निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (ग) गत तीन वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामलों में व्यक्तियों की संख्या/दण्डित/दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या और लम्बित अभियोजन के मामलों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामलों में व्यक्तियों की संख्या	दण्डित/दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या	लम्बित अभियोजन के मामलों की संख्या
2005	4897	407	4942
2006	4666	619	6459
2007	2201	587	6673
2008 (30.11.08 तक)	1347	421	6773

(घ) और (ङ) जांच अधिकरण के रूप में, सीबीआई की यह कोशिश होती है कि मामलों की जांच-पड़ताल को कानूनी रूप से एक व्यावसायिक ढंग में पूरा किया जाए। जांच की समाप्ति पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन रिपोर्ट को सक्षम न्यायालय के समक्ष रखा जाता है, जो जांच करता है और विधि के अनुसार मामले का निर्णय करता है। मामले में दोष-सिद्धि तथ्यों, परिस्थितियों और साक्ष्य की उपलब्धता, तथा न्यायालय के समक्ष गवाहों के बयानों पर निर्भर करता है। सीबीआई निरन्तर निगरानी/पर्यवेक्षण के माध्यम से, यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास करती है कि उनकी ओर से अभियोजन में कोई देरी न हो।

(च) सरकार न्यायालय के न्यायिक कार्यकरण पर हस्तक्षेप नहीं करती है। फिर भी, सरकार ने सीबीआई के मामलों की सुनवाई हेतु विशेष रूप से विभिन्न राज्यों में विशेष न्यायाधीशों/मजिस्ट्रेटों के 39 न्यायालयों को गठित किया है।

[अनुवाद]

ऊर्जा क्षेत्र में क्षेत्र विशेष विनियामक

1716. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार को रोकने के लिए संयुक्त अपीलीय अधिकरण के साथ-साथ क्षेत्र विशेष विनियामकों की स्थापना करने का है जैसाकि दिनांक 21 सितम्बर, 2008 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) विद्युत क्षेत्र और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र में नियामक निकाय पहले से ही स्थापित कर लिए गये हैं। सरकार एक सामान्य अपीलीय अधिकरण के साथ-साथ कोयला क्षेत्रक के लिए भी विनियामक अधिकरण स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार द्वारा विद्युत के लिए केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) और अपीलीय अधिकरण स्थापित किए गए थे। मार्च, 2006 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) स्थापित कर लिया गया है। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत स्थापित अपीलीय अधिकरण पीएनजीआरबी के लिए अपीलीय अधिकरण भी है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुच्छेद 110 के तहत नियुक्त किए 3 सदस्यों के अतिरिक्त एक तकनीकी सदस्य (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) अपीलीय अधिकरण में नियुक्त किया गया है।

सार्वभौमिक पत्तन सुरक्षा कोड

1717. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पत्तनों के सुरक्षा पहलुओं संबंधी उच्चाधिकार समिति ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा समिति की सिफारिश क्या है;

(ग) क्या सुरक्षा के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्य पत्तनों पर कोई सार्वभौमिक पत्तन सुरक्षा कोड कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में पत्तनों तथा शिपयार्डों की सुरक्षा के खतरे पर काबू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) सभी महापत्तनों और पोत परिवहन विभाग के नियंत्रणाधीन शिपयार्डों के सुरक्षा पक्षों की समीक्षा के लिए अध्यक्ष, कोचीन पत्तन न्यास की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष, चेन्नई पत्तन न्यास; यातायात प्रबंधक, मुंबई पत्तन न्यास; संयुक्त निदेशक, आसूचना ब्यूरो और उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सदस्यों के रूप में शामिल किए गए। उपर्युक्त समिति की सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) भारत के सभी पत्तन अंतर राष्ट्रीय पोत एवं पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता (आईएसपीएस कोड) के अंतर्गत आते हैं।

(ङ) महापत्तनों में सुरक्षा के उपायों से संबंधित मामलों की समीक्षा संबंधित प्राधिकारियों के साथ-साथ सरकार के स्तर पर की जाती है। महापत्तनों पर बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं और उचित अनुदेश जारी किए गए हैं।

एलिफेंट कारिडोर/रिजर्व

1718. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्रीमती मेनका गांधी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में ऐलिफेंट कारिडोर/ ऐलिफेंट रिजर्व बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) उन स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां पर ये कारिडोर/रिजर्व बनाए जाने की संभावना है; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए कितनी निधियां तय की गयी हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) मंत्रालय ने पहले ही विभिन्न राज्यों में 138 एलिफेंट कारिडोर की पहचान कर ली है। पहचान किए गए कारिडोर की राज्य-वार संख्या निम्नलिखित है:

राज्य का नाम	गलियारों की संख्या
मेघालय	26
उड़ीसा	21
तमिलनाडु	19
असम	15
पश्चिम बंगाल	14
केरल	12
कर्नाटक	9
अरुणाचल प्रदेश	8
झारखंड	6
उत्तराखंड	5
उत्तर प्रदेश	3

हाथी रिजर्वों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

किसी भी कारिडोर के लिए विशिष्ट रूप से निधियां अभिनिर्धारित नहीं की गई है। राज्य सरकार द्वारा वार्षिक प्रचालन योजना में प्रस्तावित गतिविधियों के आधार पर कारिडोर/रिजर्वों के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

भारत में हाथी रिजर्व

क्र.सं.	राज्य	हाथी रिजर्व के नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	रायला ई आर
2.	अरुणाचल प्रदेश	दक्षिणी अरुणाचल ई आर
3.	अरुणाचल प्रदेश	कामेंग ई आर
4.	असम	दिहिंग-पटकई ई आर
5.	असम	काजीरंगा-कश्बी अंगलोंग ई आर
6.	असम	धानसिरी-लंगडिंग ई आर
7.	असम	चिरंग-रिपु ई आर
8.	असम	सोनितपुर ई आर

1	2	3
9.	झारखंड	सिंहभूम ई आर
10.	कर्नाटक	मैसूर ई आर
11.	केरल	अनामुडी ई आर
12.	केरल	पेरियार ई आर
13.	केरल	निलम्बूर ई आर
14.	केरल	वायनाड ई आर
15.	मेघालय	गारो हिल्स ई आर
16.	नागालैंड	इनटंकी ई आर
17.	उड़ीसा	मयूरभंज ई आर
18.	उड़ीसा	महानदी ई आर
19.	उड़ीसा	सम्बलपुर ई आर
20.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर ई आर
21.	तमिलनाडु	अन्नामलाई ई आर
22.	तमिलनाडु	श्रीविलीपुट्टूर ई आर
23.	तमिलनाडु	नीलगिरि ई आर
24.	उत्तराखंड	शिवालिक ई आर
25.	पश्चिम बंगाल	ईस्टर्न डूअर्स ई आर
26.	पश्चिम बंगाल	मयूर झरना ई आर

ईरानी सीमा में भारतीय फाइटर जेट विमानों को उड़ान भरने देने से इंकार

1719. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईरान ने रेड फ्लैग एयर काम्बैट एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए यू एस जाने वाले भारतीय फाइटर जेट्स को अपनी प्रादेशिक सीमा से उड़ने देने से इंकार कर दिया है जैसा कि दिनांक 19 सितंबर, 2008 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) ईरान सरकार से अनुरोध किया गया था कि अमेरिका में अभ्यास में भाग लेने जा रहे भारतीय वायुसेना के विमानों को उनके वायु-क्षेत्र से जाने की अनुमति दी जाए। चूंकि यह अनुमति नहीं प्राप्त हो पायी, इसलिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग किया गया।

[हिन्दी]

कुवैत में रहने वाले भारतीय कामगार

1720. श्री महावीर भगोरा: क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में कुवैत में रहने वाले भारतीय कामगारों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या प्रतिवर्ष कुवैत से भारतीय कामगारों को निकाल दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कुवैत सरकार के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) कुवैत स्थित भारतीय मिशन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कुवैत में 1.7.2008 की स्थिति के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत भारतीय नागरिकों की संख्या 5,09,277 थी।

(ख) और (ग) कुछ भारतीय कामगारों को समय-समय पर कुवैत से स्वदेश भेजा जाता है। स्वदेश भेजने के मुख्य कारण, अन्यों के अलावा आवासीय वीजा की अवधि समाप्त होना, प्रायोजकों द्वारा 'लापता' होने का मामला दायर किया जाना, अपराधों में शामिल होना था। इन सभी मामलों में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा भारतीय नागरिकों को रोका जाता है और अंतत: आपात प्रमाण पत्र जारी करके स्वदेश भेज दिया जाता है क्योंकि उनमें से अधिकांश के पास अपने पासपोर्ट नहीं होते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए आपात प्रमाण-पत्रों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	जारी किए गए आपात प्रमाण-पत्र
2005	1029
2006	1354
2007	8234 (2007 में कुवैत सरकार द्वारा घोषित क्षमादान के अंतर्गत जारी किए गए 7411 प्रमाण-पत्र शामिल हैं।)
2008 (अब तक)	4538 (2008 में कुवैत सरकार द्वारा घोषित क्षमादान के अंतर्गत जारी किए गए 3590 प्रमाण-पत्र शामिल हैं।)

(घ) और (ङ) भारत और कुवैत के बीच अप्रैल, 2007 में श्रम, रोजगार और जन-शक्ति विकास संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं उनका आशय जन-शक्ति विकास में सहयोग, जनशक्ति को जुटाना और भर्ती को कारगर बनाना, सभी संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता और अनुभव का आदान-प्रदान करना और नियोक्ता तथा कर्मचारी की शर्तें और साथ ही अधिकारों व कर्त्तव्यों का निर्धारण करना भी है। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच विभिन्न श्रम संबंधी मामलों पर चर्चा करने के लिए एक संयुक्त कार्यकारी दल गठित किया गया है।

[अनुवाद]

डीएवीपी साहित्य का अनुवाद

1721. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), अपने साहित्य को असम सहित विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में दिल्ली में अनुदित करवाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डीएवीपी का स्थानीय अनुवादकों तथा शिक्षाविद् द्वारा गुवाहाटी सहित विभिन्न राजधानियों में साहित्य का अनुवाद करवाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) जी, हां। देशव्यापी प्रचार हेतु दस्तावेजों यथा प्रधानमंत्री के भाषण, सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों एवं कार्यक्रमों का विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के पैनल के अनुवादकों द्वारा मुख्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एन्थ्रेक्स के लिए टीका

1722. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ड्रग कंट्रोलर आफ इंडिया (डीसीजीआई) ने भेषज कम्पनियों को एंथ्रेक्स के विरुद्ध टीके का परीक्षण करने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में रुचि दिखाने वाली भेषज कम्पनियों के क्या नाम हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय ने मैसर्स पैनेसिया बायोटैक लिमिटेड, नई दिल्ली को उनकी स्वदेशीय तौर पर तैयार पुर्नसंयोजक एन्थ्रेक्स के टीके का चरण 2 (ख) नैदानिक परीक्षण करने की अनुमति दे दी है।

उदबिलावों की घटती संख्या

1723. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उदबिलाव लुप्त होने की कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में उदबिलावों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या उदबिलावों का अवैध शिकार किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) उदबिलावों के संरक्षण तथा उनकी संख्या में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण यूनियन (आईयूसीएन) ने अपनी रेड लिस्ट, 2008 में स्मूथ कोटिड उदबिलाव (लुटरोगेल पेरपिसिलारा) और ओरएनटल छोटे पंजे वाला उदबिलाव (आयोनिक्स सिनेरिया) को 'दुर्लभ', जबकि कमान उदबिलाव (लुतरा लुतरा) को 'संकटापन्न के कगार पर' की श्रेणियों में शामिल किया है। तथापि, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिससे यह संकेत मिलता हो कि उदबिलाव भारत में से लुप्त होने के कगार पर हैं।

उदबिलावों की संख्या को मुख्य खतरा नमभूमि वाले आश्रयस्थलों की कमी होना है जिसकी वजह से सेटलमेंटों और कृषि के लिए नम भूमियों के पुरनुद्धार, प्रे-बेस में कमी होना, कीटनाशकों द्वारा जलमार्गों में अवैध शिकार और संदूषण होना है।

(ग) उदबिलावों की व्यवस्थित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर गणना का अनुमान देश में नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 33 उदबिलावों की खालें 24.10.2007 को हरियाणा के वन्य जीव अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई, जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उदबिलावों की खाल के लिए उनका अवैध शिकार किया जाता है। राज्य/संघ शासित प्रदेश, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई करते हैं।

(च) उदबिलावों की संख्या में वृद्धि करने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं:-

(1) उदबिलावों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-2 में शामिल किया गया है और इस प्रकार उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की गई है।

(2) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत उदबिलावों के वाणिज्यिक दोहन पर रोक है।

(3) उदबिलावों के महत्वपूर्ण आवास स्थल नमभूमियां भी शामिल हैं, को सुरक्षित क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया है।

(4) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् "राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकास" "बाघ परियोजना" और "हाथी परियोजना" के तहत उदबिलावों सहित वन्यजीवों के संरक्षण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जाती है।

(5) वन्यजीवों और इसके अवैध शिकार को रोकने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है।

[हिन्दी]

वानिकी कार्यक्रम के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहायता

1724. श्री रामदास आठवले: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वानिकी परियोजनाओं का ब्यौरा तथा इन परियोजनाओं को देश में वित्तपोषित करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों का राज्यवार एवं परियोजनावार नाम क्या है;

(ख) इन एजेंसियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष, एजेन्सी-वार तथा वर्षवार प्राप्त निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन निधियों का किस प्रकार उपयोग किया गया तथा भविष्य में उपयोग किए जाने का क्या प्रस्ताव है; और

(घ) इससे देश में कितने वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) बाह्य सहायता प्राप्त वनीकरण परियोजनाएं दस राज्यों नामश: गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (जेआईसीए) की मदद से और विश्व बैंक की मदद से आंध्र प्रदेश में कार्यान्वयन के अधीन है।

(ख) इन परियोजनाओं को ऋण करार के अनुसार उनके वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जा रही है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ये निधियां उपयोग में लाई गई हैं और वन भूमि का पुनर्वास, वनों के समीपवर्ती गांवों में रह रहे ग्रामवासियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार करने, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने, संयुक्त वन प्रबंधन संस्थानों को सुदृढ़ बनाने, ईंधन लकड़ी और चारा की उपलब्धता में वृद्धि करने, कृषि वानिकी, जल और मृदा संरक्षण उपाय, निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और कार्यान्वयन के तहत विभिन्न परियोजनाओं में परिकल्पित उद्देश्यों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में हरियाली करने के भविष्य में भी उपयोग में लाई जानी प्रस्तावित हैं।

(घ) ये परियोजनाएं वर्तमान में विभिन्न प्रावस्थाओं में कार्यान्वयनाधीन है और वन क्षेत्र में वृद्धि केवल परियोजना के पूरा होने पर ज्ञात होगी।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित एजेंसियों की विभिन्न परियोजनाओं के व्यय/प्रतिपूर्ति का ब्यौरा

क्र.सं.	एजेन्सी का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 सितम्बर, 2008 तक
1.	जापान इंटरनेशनल सहयोग एजेंसी (जीआईसीए)	4339.49	4745	3927.36	868.87
2.	विश्व बैंक	854.743	664.082	614.547	43.241

[अनुवाद]

औद्योगिक परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति

1725. श्री हरिन पाठक: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात से अनेक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) विकास परियोजनाएं मंत्रालय के पास स्वीकृति प्रदान करने हेतु लंबित पड़ी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 में अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने के बाद पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए एक सौ पांच दिन की समय-सीमा निर्धारित की है।

(ग) और (घ) गुजरात से दहीज स्पैशल इकनामिक जोन के लिए मांगी गई पर्यावरणीय मंजूरी के लिए प्रस्तुत सूचना की जांच की जा रही है।

गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम में संशोधन

1726. श्री के.एस. राव:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न कारणों से गर्भपात चाहने वाली महिलाओं के संबंध में अंतिम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के अभाव के कारण कितनी महिलाओं की मौत हुई;

(ख) महिला की गर्भपात आवश्यकताओं का पता लगाने में सहायता के लिए उपलब्ध नई वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार हाल ही के न्यायालय के फैसले और वर्तमान नैतिक और सामाजिक ढांचे तथा मूल्यों की तर्ज पर इसे अधिक लचीला बनाने और नई वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय उपलब्धियों की उपलब्धता के मद्देनजर भी मौजूदा गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम (एमटीपीए) में सुधार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पामाबाका लक्ष्मी): (क) जनन क्षमता, परिवार नियोजन, प्रजनक और बाल स्वास्थ्य तथा जनता के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाता है। नवीनतम सर्वेक्षण वर्ष 2005-06 से संबंधित है और विभिन्न कारणों से गर्भपात चाहने वाली महिलाओं तथा इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की कमी के कारण महिलाओं की मौतों की संख्या से संबंधित सूचना प्रदान नहीं करता है।

(ख) महिलाओं की गर्भपात कराने की आवश्यकता को समय-समय पर यथासंशोधित गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के अंतर्गत परंतुक के आलोक में देखा जाना होगा।

(ग) और (घ) इस समय भारत सरकार को मौजूदा गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्पीड ब्रेकर संबंधी मानदंड

1727. श्री संजय धोत्रे: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्पीड ब्रेकर के निर्माण के लिए मानदंड को संशोधित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग तथा पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कितने स्पीड ब्रेकरों का निर्माण किया गया?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस मंत्रालय की नीति के अनुसार मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग सहित किसी राष्ट्रीय राजमार्ग खंड पर किसी गति अवरोधक का निर्माण नहीं किया जाना है। तथापि, जहां भी आवश्यकता होती है, मंत्रालय की नीति के अनुसार रंबल स्ट्रिप लगाए जा सकते हैं। पुणे-मुंबई एक्सप्रेस मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय एक्सप्रेस मार्ग नहीं है और यह महाराष्ट्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

1728. श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग-वार कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन में परिवर्तित किया गया अथवा परिवर्तित किया जाना है;

(ख) स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना तक कितने राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) को जोड़ा गया है/जोड़े जाने की संभावना है;

(ग) परियोजना हेतु परियोजना-वार कितनी निधियां आबंटित की गई हैं तथा व्यय की गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 9 तथा 13 सहित महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना सहित परियोजनाओं के लिए धनराशि का आबंटन परियोजना-वार नहीं किया जाता है।

(घ) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 9 और 16 सहित महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जैसे चार लेन के विभाजित कैरिजवे का निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणता में सुधार, सड़क संकेत और चिह्नांकन, सर्विस रोड, फ्लाईओवर, पैदल यात्रियों और वाहनों के लिए भूमिगत मार्ग आदि।

हैजे का टीका

1729. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हैजे की बीमारी से ग्रस्त होने की अधिक संभावना वाले राज्य कौन से हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार प्रकाश में आने वाले मामलों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में मुंह से ली जाने वाली हैजे के टीके का विकास किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस टीके का कब तक विपणन किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो प्रतिवेदन के अनुसार 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से 20 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कालरा के मामलों की सूचना वार्षिक रूप से दे रहे हैं। सूचित किए जा रहे मामलों की अधिकतम संख्या 2005-2007 के दौरान दिल्ली और उसके बाद महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु राज्यों की है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। भारतीय वैज्ञानिकों ने मुखसेव्य कालरा वैक्सीन तैयार नहीं की है परन्तु मुखसेव्य वैक्सीनों के जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य विज्ञान और जानपदिक रोग विज्ञान संस्थान, हनोई, वियतनाम द्वारा वैक्सीन और जीवविज्ञानी उत्पादन सं. 1 (वी ए बी 10 टी ई सी एच) के लिए हनोई में उत्पादित किया गया है, परीक्षण भारत में किए जा रहे हैं।

(ङ) किस समय तक नई वैक्सीन का विपणन किया जाएगा, यह राष्ट्रीय हैजा और आंत्र रोग संस्थान, कोलकाता द्वारा फिलहाल प्रक्रमित इन परीक्षणों के निष्कर्षों पर निर्भर करता है।

विवरण

भारत में हैजा के कारण राज्यवार मामले 2005-2007

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मामले (2005)	मामले (2006)	मामले (2007)*
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	165	20	80
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	उत्तर नहीं
3.	असम	0	0	0
4.	बिहार	0	उत्तर नहीं	उत्तर नहीं
5.	छत्तीसगढ़	0	2	10
6.	गोवा	0	उत्तर नहीं	38
7.	गुजरात	80	100	66
8.	हरियाणा	7	9	22
9.	हिमाचल प्रदेश	2	1	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	उत्तर नहीं
12.	कर्नाटक	214	80	117
13.	केरल	27	12	5
14.	मध्य प्रदेश	2	0	1
15.	महाराष्ट्र	724	284	527
16.	मणिपुर	1	0	2
17.	मेघालय	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	35
21.	पंजाब	15	24	11

1	2	3	4	5
22.	राजस्थान	2	0	1
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	724	213	297
25.	त्रिपुरा	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	2	0	6
27.	उत्तरांचल	0	0	1
28.	पश्चिम बंगाल	236	133	176
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
30.	चंडीगढ़	9	9	28
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0
33.	दिल्ली	945	1052	1212
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0
	कुल	3155	1939	2635

*वर्ष 2007 के आंकड़े अनंतिम हैं।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए निधियन

1730. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु आबंटित निधियों का पूर्णरूप से उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में राज्यवार परिवार कल्याण कार्यक्रमों हेतु आबंटित एवं व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक आबंटन केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित विभिन्न योजनाओं यथा अवसंरचना अनुरक्षण, प्रजनक एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) फ्लेक्सिबल पूल, मिशन फ्लेक्सिबल पूल, नेमी प्रतिरक्षण, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण एवं सूचना, शिक्षा तथा संचार (आईईसी) के कार्यान्वयन हेतु किया गया है। गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष 2008-09 के दौरान की गई राज्यवार निर्मुक्तियों तथा राज्यों द्वारा सूचित व्यय (30.9.2008 तक) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

निर्मुक्तियों का अनुपयोग आमतौर पर उन कारकों के कारण होता है जो राज्यों की अवशोषण क्षमता में बाधा उत्पन्न करते हैं जिनमें मानव संसाधन, अवसंरचना और कार्यक्रमों के कुछ घटकों का क्रियान्वयन धीमी गति से किया जाना शामिल है। ऐसा वित्त वर्ष की समाप्ति पर की जा रही निर्मुक्तियों तथा जिले से निचले स्तरों को निधियों के हस्तांतरण में लगने वाले समय/जुड़ी हुई प्रक्रियाओं के कारण भी है।

विवरण

2005-06 से 2008-09 की अवधि की राज्यवार निर्मुक्तियां एवं व्यय

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
		की गई निर्मुक्तियां	सूचित किया गया व्यय	की गई निर्मुक्तियां	सूचित किया गया व्यय	की गई निर्मुक्तियां	सूचित किया गया व्यय	की गई निर्मुक्तियां	सूचित किया गया व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	28046.51	19593.82	34849.12	37022.62	54714.83	31758.04	43531.16	28163.65
2.	अरुणाचल प्रदेश	2172.00	1072.35	4144.04	2298.39	3506.42	3111.90	641.65	1563.70
3.	असम	11803.71	6653.21	31981.94	20073.20	55745.42	47714.82	36354.20	20660.81
4.	बिहार	23135.58	15238.27	32519.00	21603.44	31061.67	24700.36	20125.71	11127.00
5.	छत्तीसगढ़	6962.08	8800.65	11632.93	14693.02	14950.61	11869.66	14322.91	4679.20
6.	गोवा	433.28	215.93	182.86	259.258	280.97	312.99	315.27	307.68
7.	गुजरात	27700.80	17931.80	24905.55	23727.38	35717.61	23983.14	20090.28	17099.42
8.	हरियाणा	7751.13	5068.35	10605.15	7321.96	10710.22	7420.11	7682.21	3547.78
9.	हिमाचल प्रदेश	5685.47	3733.59	6836.94	5149.48	4904.37	3013.99	3783.99	1638.51
10.	जम्मू-कश्मीर	6459.18	1296.83	4513.72	4863.27	15553.43	5190.89	2700.21	2532.76
11.	झारखंड	11510.07	10941.37	12712.29	5628.88	12655.98	9749.94	8643.39	11450.00
12.	कर्नाटक	17447.50	13005.61	22592.89	15142.74	27491.22	18566.66	24206.47	19371.74
13.	केरल	10118.65	9330.46	14686.15	15938.20	27333.01	27772.95	16739.18	10433.34
14.	मध्य प्रदेश	24051.38	15598.19	37730.16	31758.43	57359.50	49190.16	40965.80	21421.95
15.	महाराष्ट्र	31778.93	20578.28	26861.93	28522.21	61500.07	28030.54	28439.28	17787.12
16.	मणिपुर	2406.52	1040.92	3074.30	1583.43	4191.93	2341.32	1042.29	1482.21
17.	मेघालय	1340.49	415.55	2768.72	1537.24	3410.54	1600.65	987.18	1134.63
18.	मिजोरम	2045.46	1204.19	4411.20	2192.53	2528.73	3193.02	1613.94	1599.21
19.	नागालैंड	2385.84	1243.98	3272.49	2611.63	3428.82	3106.82	3032.01	1826.44
20.	उड़ीसा	18433.34	11379.43	17473.13	18217.86	31713.33	18123.87	20011.62	8494.80
21.	पंजाब	8691.00	6130.05	13003.17	7823.43	10117.09	8747.39	7064.76	4671.09
22.	राजस्थान	29206.04	19692.44	38544.65	26736.98	61427.78	43160.90	41172.773	35738.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	सिक्किम	922.61	769.29	2306.72	949.76	3247.83	1032.38	986.31	632.86
24.	तमिलनाडु	21914.50	17513.22	29821.70	28583.12	50205.01	27669.99	30205.92	17602.96
25.	त्रिपुरा	2061.08	1207.22	2891.69	2358.49	6778.52	1801.52	3401.01	1868.47
26.	उत्तर प्रदेश	78210.10	53555.85	86211.20	63893.21	118353.14	67297.06	68951.27	49205.28
27.	उत्तरांचल	4529.74	3392.67	4600.06	3937.59	8239.70	5217.43	5207.42	3111.79
28.	पश्चिम बंगाल	26306.11	15931.35	34541.13	27116.08	48351.16	30301.65	36137.66	14409.69
	कुल-सभी राज्य	413509.10	282534.87	519674.83	421543.82	765478.91	505979.39	488355.83	313583.05

आंकड़े अनंतिम हैं।

व्यय के आंकड़े राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हैं किन्तु वे उपयोग की गई निधियों की मात्रा प्रदर्शित नहीं करते हैं।

[हिन्दी]

निर्माणाधीन फ्लाईओवर/पुलों का ढहना

1731. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के तहत निर्माणाधीन फ्लाईओवर/पुलों के गिरने का मामला सरकार के ध्यान में आया है;

(ख) यदि हां, तो लखनऊ में राजमार्ग परियोजनाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) निर्माणाधीन फ्लाईओवरों/पुलों के ढहने और सरकार द्वारा किए गए उपायों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

निर्माणाधीन फ्लाईओवरों/पुलों के ढहने और सरकार द्वारा किए गए उपायों के ब्योरे

क्र.सं.	खंड	स्थान	ढहने के कारण	किए गए उपाय
1	2	3	4	5
1.	गंगा पुल से रम्मा देवी क्रासिंग (75.5 से 80.6 किमी.)	एस 25 पर गंगा पुल	गंगा पुल के निर्माण के दौरान लांचिंग आपरेशन के समय एक जैक के प्रेशर कंडयूट में असाधारण लीकेज के कारण 26.3.2008 को प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट गर्डर गिर गया।	इस संबंध में स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ श्री गोकरन सिंह, प्रधान इंजीनियर (सेवानिवृत) उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की राय मांगी गई है। जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।
2.	पालनपुर-स्वरूपगंज खंड (264.00 से 340.00 किमी.)	एस 14 पर पुल संख्या 289/1	12.6.2008 को अप्रत्याशित बाढ़ के कारण	एनआईआरएमए विश्वविद्यालय के तीन सिविल इंजीनियरी प्रोफेसर जांच के लिए नियुक्त किए गए थे। रिखबगढ़ाही को चेतावनी जारी की गई।

1	2	3	4	5
3.	वामनबोरे-गारामोर खंड (182.60 से 254.00 किमी.), पैकेज-3, गुजरात	चै. 183.192 पर पुल (वामनबोरे जंक्शन के निकट)	स्टेजिंग में असफलता, अनुचित ब्रेसिंग, ढीले जोड़ जंक्शन और पुराने वेंट एवं मुड़े हुए सपोर्टिंग संरचना कारकों के कारण 15.5.2007 को निर्माण के दौरान यह विफलता आई।	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, मुंबई द्वारा विफलता के संबंध में जांच की गई थी। ठेकेदार और परामर्शदाता को चेतावनी जारी की गई।
4.	अयोध्या-लखनऊ (एलएमएनएचपी-1) (45.00 से 8.250 किमी.)	राश 28 पर 8.500 किमी. पर फ्लाईओवर	8.500 किमी. पर 30.9.2008 को निर्माणाधीन फ्लाईओर का एक गर्डर गिर गया। गर्डर गिरने का प्रथम दृष्टया कारण बियरिंग से सिलपेज है।	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दो सदस्यीय विशेषज्ञ समिति अर्थात् प्रोफेसर ए.के. नगपाल, सिविल इंजीनियरी विभाग, आईआईटी, नई दिल्ली और प्रोफेसर महेश टंडन, एमडी, मैसर्स टंडन कंसलटेंट प्रा.लि., नई दिल्ली को कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त किया है जिससे फ्लाईओवर का गर्डर गिरा और इस संबंध में निवारक उपाय भी सुझाने के लिए कहा गया है। समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।
5.	उलून्दूरपेट-पदलूर (पैकेज 6बी) (192.95 से 285.00 किमी.)	राश 45 पर तोझूर में भूमिगत मार्ग (243.900 किमी.)	वाहन भूमिगत मार्ग की बायीं डेक स्लैब की कंक्रीट करते समय 01.05.2008 को स्टेजिंग और शटरिंग ढह गई।	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कारणों की जांच के लिए और उपाय सुझाने के लिए स्वतंत्र पुल विशेषज्ञ नियुक्त किए थे। रिपोर्ट में सुझावों के परिप्रेक्ष्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ठेकेदार और परामर्शदाता को कार्य के निष्पादन में अत्यधिक सावधानी बरतने की चेतावनी दी है।
6.	मदुरै-कन्याकुमारी (120 से 160 किमी.)	तिरुनेलवेली बाइपास पर राश 7 के 159.200 किमी. पर फ्लाईओवर	निर्माणाधीन फ्लाईओवर में आब्लीगेटरी स्पैन की स्टेजिंग 28.3.2007 को ढह गई। यह जैक और लेटरल मूवमेंट की विफलता के कारण ढहा।	जांच रिपोर्ट के आधार पर परामर्शदाता को सभी स्टेजिंग और अन्य पुर्जों की माइक्रो स्तर पर जांच का निदेश दिया था ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
7.	भरतपुर-महुआ (63 से 120 किमी.)	राश 11 के 98 किमी. पर छोटा पुल	निर्माण के दौरान 5.8.2008 को पुल का एक गर्डर गिर गिया।	मामले की जांच के लिए आईआईटी से एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार यह गर्डर इनस्टेबिलिटी फेलियर के कारण गिरा।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के विकास पर विश्व बैंक अध्ययन

1732. श्री नवीन जिन्दल: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के विकास हेतु विश्व बैंक ने कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह अध्ययन किस सीमा तक इस क्षेत्र के विकास में मदद करेगा;

(घ) क्या इस संबंध में निवेश प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा चुका है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) विश्व बैंक ने "उत्तर पूर्वी भारत में विकास" से संबंधित अध्ययन किया है: प्राकृतिक संसाधन, जल और पर्यावरण संबंधों जल और प्राकृतिक संसाधनों तथा प्रबंधन के लिए व्यापक विजन विकसित करने के लिए जिससे इस क्षेत्र में सतत और समान आर्थिक विकास हो। इस अध्ययन का उद्देश्य इन संसाधनों के प्रभावी विकास के लिए अपेक्षित संस्थागत अध्ययन करना था भौतिक और संस्थागत अवसंरचना में निवेश को प्राथमिकता देना और पारस्परिक विचार-विमर्श को सुकर बनाने के लिए विकल्पों का पता लगाना आदि के लिए जल और प्राकृतिक संसाधन विकास तथा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत एजेंसियों द्वारा की जा रही है। रिपोर्ट को मंत्रालय की वेबसाइट (www.mdoner.gov.in) पर रखा गया है।

(ग) अध्ययन यह सुझाव भी देता है कि उचित जल तथा वन विकास और प्रबंधन से उत्तर पूर्वी क्षेत्र की कृषि, भूमिगत जल, यातायात, प्रबंधन, जैव विविधता का संरक्षण, बाढ़ से क्षति में कमी, वन प्रांत तथा पारिस्थितिकीय पर्यटन तथा संबंधित ढांचों के संयुक्त निर्माण आदि के रूप में बड़ी मात्रा में लाभ प्राप्त हो सकता है। ये लाभ, जो कि क्षेत्रीय तथा स्थानीय दोनों स्तरों पर प्राप्य है; सापेक्ष तथा निरपेक्ष रूप से आय में वृद्धि तथा आर्थिक उन्नति और गरीबी में कमी कर सकते हैं। यह सुझाव भी दिया गया है कि भारत तथा उसके पड़ोसी देशों के बीच व्यापार तथा वाणिज्य को उत्तर पूर्व में जलमार्ग के विकास को बढ़ाया जा सकता है। अध्ययन रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि मुख्य लाभ उत्तर पूर्व में विस्तृत क्षेत्र में निवेशों के कारण उपलब्ध है।

इससे न केवल ढांचे, बल्कि समन्वित अनुसंधान तथा सूचना के आदान-प्रदान में निवेश भी सम्मिलित है। इसके साथ ही परिणामस्वरूप स्थानीय स्तर पर, समान रूप से प्रान्तीय वन प्रबंधन पर ध्यान, उत्पादन के लिए स्थानीय बाजार, स्थानीय जल यातायात के विकल्पों में वृद्धि, जल विभाजक प्रबंधन तथा स्थानीय अपरदन नियंत्रण, बाढ़ क लिए स्थानीय अनुकूलन तथा आर्द्र भूमि के प्रबंधन से संबंधित मुय लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

(घ) से (च) तक: उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर, मंत्रालय ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जल संसाधनों के विकास से संबंधित व्यापक परियोजना को तैयार करने हेतु संकल्पना को अंतिम रूप देने के लिए सभी पणधारियों के साथ विभिन्न स्तरों पर वार्तालाप का आयोजन किया।

सूचना प्रौद्योगिकी कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग आदि के लिए आबंटित निधियां

1733. श्री जसुभाई धाभाई बारड़: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पूरे देश में सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग के विकास तथा चिकित्सा विश्वविद्यालयों तथा राज्य प्रयोगशालाओं के कम्प्यूटरीकरण के लिए निधियां आबंटित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष के दौरान विशेष रूप से कर्नाटक राज्य में आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गुजरात सहित राज्यों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाकाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वानिकी के क्षेत्र में पुरस्कार

1734. श्री एस.के. खारवेलयन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बड़ी संख्या में पौध रोपण/पेड़ लगाने तथा वानिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा जिला प्रशासनों के लिए कोई पुरस्कार तथा विशेष नकद पुरस्कार आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष सहित राज्यवार इस प्रकार के कितने पुरस्कार दिए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में पौधों की उपज/पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने उन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए पुरस्कार प्रारंभ करने का निर्णय लिया है जो अपने-अपने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में वन और वृक्षारोपण

की प्रतिशतता को बढ़ाने में योगदान देते हैं। ये पुरस्कार नकद पुरस्कारों और प्रशस्ति पत्र के रूप में भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा राज्य वन स्थिति रिपोर्ट के आधार पर प्रकाशित दो वर्षों में एक बार दिए जाएंगे। अभी तक कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है।

(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय राष्ट्रीय वनीकरण सहित कार्यक्रम अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें हरित भारत योजना के लिए सहायता अनुदान शामिल हैं, जो देश में वन और वृक्ष आवरण को बढ़ाने में योगदान देते हैं। मंत्रालय ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पंचायती राज संस्थानों सहित गैर-वन भूमियों के वनरोपण के लिए ग्राम वन योजना को प्रस्तुत किया है। इसके अलावा एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय बांस मिशन आदि सहित वृक्षारोपण अन्य मंत्रालयों की योजनाओं में अनुमति गतिविधि में से एक है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय

1735. श्री सुभाष महरिया: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राजस्थान सहित राज्यवार कितने क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय (आरपीओ) हैं;

(ख) क्या इस प्रकार के कार्यालयों में कोई पद रिक्त हैं;

(ग) यदि हां, तो राजस्थान सहित राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) देश में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के 22 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनमें राजस्थान के जयपुर में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय शामिल है।

(ख) जी, हां।

(ग) जयपुर (राजस्थान) के क्षेत्रीय कार्यालय में 13 पदों सहित देश भर में सभी वर्गों के 265 पद रिक्त पड़े हुए हैं।

(घ) भारतीय सूचना सेवा संवर्ग में स्टाफ की कमी के कारण ये रिक्तियां हैं। संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग के परामर्श से इन पदों को भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

पर्यावरणीय शरणार्थी

1736. श्रीमती जयाप्रदा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्लोबल वार्मिंग तथा इसके परिणाम-स्वरूप समुद्र के स्तर में वृद्धि से जनसंख्या को खतरा पैदा हो रहा है तथा सुंदरवन में पर्यावरणीय शरणार्थी की स्थिति उत्पन्न हो रही है जैसाकि दिनांक 15 सितम्बर, 2008 के "द हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें दिए गए तथ्यों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों तथा इसके परिणामों का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं या किए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) ग्लोबल वार्मिंग तथा समुद्री स्तरों में प्रत्याशित वृद्धि सहित अन्य परिणामी दुष्प्रभावों को सुन्दरवनों समेत प्राकृतिक पारिप्रणाली के लिए एक अतिरिक्त दबाव तथा चिन्ता का विषय माना जाता है। मृदा क्षरण और अवतलन समुद्र के सामने पड़ने वाले द्वीप के लिए खतरा बनते जा रहे हैं।

(ग) जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना प्रधानमंत्री द्वारा 30 जून, 2008 को जारी की गई थी। राष्ट्रीय कार्य योजना में सौर, वर्धित ऊर्जा क्षमता, सतत पर्यावास, जल, हिमालयी पारिप्रणाली को बनाए रखने, ग्रीन इंडिया, सततकृषि और जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीतिक ज्ञान संबंधी विशिष्ट क्षेत्रों में आठ मिशनों का उल्लेख किया गया है। हिमालयी पारि-प्रणाली को बनाए रखने से संबंधित राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य हिमालयी ग्लेशियर और पर्वतीय पारि-प्रणाली को बनाए रखने के लिए प्रबंधन उपाय तैयार करना है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अध्ययन और अनुकूलन के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

कोयले का उत्पादन

1737. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) विश्व बैंक ने "उत्तर पूर्वी भारत में विकास" से संबंधित अध्ययन किया है: प्राकृतिक संसाधन, जल और पर्यावरण संबंधों जल और प्राकृतिक संसाधनों तथा प्रबंधन के लिए व्यापक विजन विकसित करने के लिए जिससे इस क्षेत्र में सतत और समान आर्थिक विकास हो। इस अध्ययन का उद्देश्य इन संसाधनों के प्रभावी विकास के लिए अपेक्षित संस्थागत अध्ययन करना था भौतिक और संस्थागत अवसंरचना में निवेश को प्राथमिकता देना और पारस्परिक विचार-विमर्श को सुकर बनाने के लिए विकल्पों का पता लगाना आदि के लिए जल और प्राकृतिक संसाधन विकास तथा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत एजेंसियों द्वारा की जा रही है। रिपोर्ट को मंत्रालय की वेबसाइट (www.mdoner.gov.in) पर रखा गया है।

(ग) अध्ययन यह सुझाव भी देता है कि उचित जल तथा वन विकास और प्रबंधन से उत्तर पूर्वी क्षेत्र की कृषि, भूमिगत जल, यातायात, प्रबंधन, जैव विविधता का संरक्षण, बाढ़ से क्षति में कमी, वन प्रांत तथा पारिस्थितिकीय पर्यटन तथा संबंधित ढांचों के संयुक्त निर्माण आदि के रूप में बड़ी मात्रा में लाभ प्राप्त हो सकता है। ये लाभ, जो कि क्षेत्रीय तथा स्थानीय दोनों स्तरों पर प्राप्य है; सापेक्ष तथा निरपेक्ष रूप से आय में वृद्धि तथा आर्थिक उन्नति और गरीबी में कमी कर सकते हैं। यह सुझाव भी दिया गया है कि भारत तथा उसके पड़ोसी देशों के बीच व्यापार तथा वाणिज्य को उत्तर पूर्व में जलमार्ग के विकास को बढ़ाया जा सकता है। अध्ययन रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि मुख्य लाभ उत्तर पूर्व में विस्तृत क्षेत्र में निवेशों के कारण उपलब्ध है।

इससे न केवल ढांचे, बल्कि समन्वित अनुसंधान तथा सूचना के आदान-प्रदान में निवेश भी सम्मिलित है। इसके साथ ही परिणामस्वरूप स्थानीय स्तर पर, समान रूप से प्रान्तीय वन प्रबंधन पर ध्यान, उत्पादन के लिए स्थानीय बाजार, स्थानीय जल यातायात के विकल्पों में वृद्धि, जल विभाजक प्रबंधन तथा स्थानीय अपरदन नियंत्रण, बाढ़ क लिए स्थानीय अनुकूलन तथा आर्द्र भूमि के प्रबंधन से संबंधित मुय लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

(घ) से (च) तक: उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर, मंत्रालय ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जल संसाधनों के विकास से संबंधित व्यापक परियोजना को तैयार करने हेतु संकल्पना को अंतिम रूप देने के लिए सभी पणधारियों के साथ विभिन्न स्तरों पर वार्तालाप का आयोजन किया।

सूचना प्रौद्योगिकी कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग आदि के लिए आबंटित निधियां

1733. श्री जसुभाई धाभाई बारड़: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पूरे देश में सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग के विकास तथा चिकित्सा विश्वविद्यालयों तथा राज्य प्रयोगशालाओं के कम्प्यूटरीकरण के लिए निधियां आबंटित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष के दौरान विशेष रूप से कर्नाटक राज्य में आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गुजरात सहित राज्यों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाकाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वानिकी के क्षेत्र में पुरस्कार

1734. श्री एस.के. खारवेलयन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बड़ी संख्या में पौध रोपण/पेड़ लगाने तथा वानिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा जिला प्रशासनों के लिए कोई पुरस्कार तथा विशेष नकद पुरस्कार आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष सहित राज्यवार इस प्रकार के कितने पुरस्कार दिए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में पौधों की उपज/पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने उन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए पुरस्कार प्रारंभ करने का निर्णय लिया है जो अपने-अपने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में वन और वृक्षारोपण

(क) क्या कोल इंडिया लि. (सीआईएल) तथा सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) ने वार्षिक आधार पर कोयले के उत्पादन के लिए कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान वर्ष-वार विद्युत उत्पादन करने वाली विभिन्न कंपनियों को उनकी मांग के अनुसार कोयले की की गई आपूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सीआईएल द्वारा वार्षिक कार्य योजना के अनुसार निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) और (ख) जी, हां। कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) ने 2008-09 के लिए वार्षिक कोयला उत्पादन हेतु कार्य योजना तैयार की है जिसका कंपनी-वार ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

सहायक कंपनी	लक्ष्य
1	2
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	31.00
भारत कोकिंग कोल लि.	26.50
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	47.00
नार्दर्नई कोलफील्ड्स लि.	61.25
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	43.05
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	96.00
महानदी कोलफील्ड्स लि.	99.00
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	1.20
कोल इंडिया लि.-कुल	405.00
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.	41.50

(ग) वार्षिक योजना तैयार करने की प्रक्रिया में कोयला मंत्रालय/योजना आयोग विद्युत क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों की अखिल भारतीय कोयले की मांग का मूल्यांकन करता है। ऐसी मांग के आधार पर कोयला मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा देश की कोयला आपूर्ति योजना बनाई जाती है/अंतिम रूप दिया जाता है। मांग के ये मूल्यांकन क्षेत्रीय आधार पर किए जाते हैं, न कि यूनिट-वार और तदनुसार आपूर्ति योजनाएं तैयार की जाती हैं। योजना आयोग/कोयला मंत्रालय द्वारा वार्षिक योजना में यथा प्रस्तुत विद्युत गृहों के लिए सीआईएल और एससीसीएल की आपूर्ति योजना की तुलना में अखिल भारतीय आधार पर कोयले की मूल्यांकित मांग और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष, नवम्बर, 2008 तक के दौरान वास्तविक आपूर्ति नीचे तालिका में दी गयी है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (अप्रैल से नवम्बर, 08) अनन्तिम*
मूल्यांकित मांग - अखिल भारतीय	307.16	322.00	330.00	248.6
सीआईएल की वार्षिक आपूर्ति योजना	255.65	272.63	279.40	186.73
सीआईएल की वास्तविक आपूर्ति	256.44	261.81	280.04	188.46
एससीसीएल की वार्षिक आपूर्ति योजना	24.40	25.44	26.48	17.37
एससीसीएल की वार्षिक आपूर्ति	25.53	26.89	29.85	19.01

*योजना आयोग/कोयला मंत्रालय द्वारा 2008-09 के लिए वार्षिक मांग 373 मि.ट. मूल्यांकित की गयी है जिसमें विद्युत गृहों में भंडार निर्माण हेतु 8 मिलियन टन कोयला शामिल है। इस मांग की तुलना में योजना आयोग द्वारा सीआईएल के लिए वार्षिक आपूर्ति योजना क्रमश: 292.93 मिलियन टन और एससीसीएल के लिए 28.88 मिलियन टन निर्धारित की गयी है।

(घ) उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि सीआईएल योजना आयोग द्वारा वार्षिक योजना में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति निरंतर करती रही है। कोयले की नियोजित मात्रा की आपूर्ति हेतु ढुलाई अवसंरचना की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सीआईएल रेलवे, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा प्रत्येक विद्युत गृह के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखती है।

[हिन्दी]

सूरत टी.वी. ट्रांसमीटरों का उन्नयन

1738. श्री काशीराम राणा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूरत में ट्रांसमीटरों की क्षमता में वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन ट्रांसमीटरों द्वारा तत्पश्चात् कवर किए गए क्षेत्रों सहित स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) जी, हां।

(ख) सूरत में 113 मीटर ऊंचे टावर पर लगाए गए ऐन्टेना के साथ डीडी 1 (10 कि वा वी एच एफ) और डी डी न्यूज (10 कि वा यू एच एफ) उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों को जनवरी, 2007 में परिचालित किया गया। ये ट्रांसमीटर दृश्य रेखा की उपलब्धता के अध्यधीन सूरत, नवसारी और भड़ूच राज्यों के हिस्सों को कवर करते हुए लगभग 60-65 कि.मी. की रेंज के भीतर कवरेज प्रदान करते हैं।

[अनुवाद]

पासपोर्ट सेवा केन्द्र

1739. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री एस. अजय कुमार:
श्री पंकज चौधरी:
श्रीमती सी.एस. सुजाता:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पासपोर्ट जारी करने संबंधी कार्य को संसाधित करने के लिए किन निजी कंपनियों की पहचान की गई है;

(ख) क्या संपूर्ण देश में कुछ पासपोर्ट सेवा केन्द्रों की स्थापना करने के लिए मंत्रालय और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस (टीसीएस) के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समझौते को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) पासपोर्टों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए और नागरिकों को पासपोर्ट संबंधी सभी सेवाएं समय पर, पारदर्शी, अधिक ग्राह्य और भरोसेमंद तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पासपोर्ट सेवा परियोजना के लिए मंत्रिमण्डल का अनुमोदन सितम्बर, 2007 में प्राप्त किया गया था।

खुली निविदा बोली प्रक्रिया का अनुपालन करने के उपरान्त मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस लिमिटेड (टीसीएल) का चयन सेवा प्रदाता के रूप में किया गया। विदेश मंत्रालय और मैसर्स टीसीएल के बीच मास्टर सेवा करार पर 13 अक्तूबर, 2008 को हस्ताक्षर किए गए।

पूरे देश में 77 पासपोर्ट सेवा केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जहां पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया से जुड़े गैर-शासकीय कार्य जैसे आवेदन पत्रों की शुरूआती जांच, शुल्क प्राप्त करना, दस्तावेजों की स्कैनिंग, फोटो लेना आदि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस द्वारा किए जाएंगे। संवेदनशील कार्यकलापों जैसे पुलिस सत्यापन, पासपोर्टों का मुद्रण और प्रेषण सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जाएंगे। आशा की जाती है कि इस परियोजना के अंतर्गत तीन दिनों के भीतर पासपोर्ट जारी कर दिए जाएंगे और जहां पुलिस सत्यापन वांछित है वहां सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त तीन दिनों के भीतर पासपोर्ट जारी कर दिए जाएंगे।

(घ) आशा की जाती है कि परियोजना को 2010 के शुरू में पूरे देश में पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

वन संरक्षण में वन में रहने वालों की भागीदारी

1740. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वन्य जीवों के संरक्षण का दायित्व वन में रहने वाले लोगों को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वन संरक्षण में उनके योगदान के बदले वन में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) केन्द्र सरकार, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत यथा-'राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास', बाघ परियोजना और 'हाथी परियोजना' के अंतर्गत वन्यजीव संरक्षण के लिए लक्षित विभिन्न कार्यों के लिए राज्य/संघ शासित सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। ऐसे कार्यों में शामिल है, पारि-विकास पहल, जिसमें संरक्षण के लिए वनवासियों सहित स्थानीय लोगों से सहयोग प्राप्त करने के लिए सामुदायिक कल्याण/विकास कार्य आदि किए जाते हैं। वन्यजीव और इसके पर्यावासों की सुरक्षा में स्थानीय लोगों की ऐसी भागीदारी सरकार के प्रयासों का पूरक है।

(ग) और (घ) वन संरक्षण में उनके सहयोग के स्थान पर वनवासियों के कल्याण के लिए कोई समर्पित स्कीम नहीं है। तथापि ऐसे पहलुओं को मंत्रालय की मौजूदा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत शैामिल किया जाता है।

[अनुवाद]

अंतरिक्ष परिसम्पत्तियों का संरक्षण

1741. श्री रेवती रमन सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अंतरिक्ष परिसम्पत्तियों को बचाने के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाने का है जैसाकि 11 जून, 2008 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (ग) जी, नहीं। अंतरिक्ष परिसम्पत्ति की रक्षा करने हेतु विशेष प्रकोष्ठ घटित करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारतीय परिसम्पत्ति की रक्षा करने हेतु भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। इन प्रयासों में अंतरिक्ष पदार्थों का निरंतर मानीटरन और कोई भी दुर्घटना या आकस्मिक अंतरिक्ष मलबा या अन्य उल्का जैसे खगोलिय पदार्थों से होने वाले संभावित टक्कर को रोकने के लिए सामिप्य विश्लेषण शामिल है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान जेलों में बंद भारतीय

1742. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीयों को मुक्त कराने के लिए पाकिस्तान की सरकार के साथ बातचीत करने हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) अब तक इस समिति की कितनी बैठकें हुई है;

(घ) उक्त समिति की सिफारिश पर कितने भारतीयों को पाकिस्तानी जेलों में छोड़ा गया है; और

(ङ) मुक्त किए गए व्यक्ति किन-किन राज्यों से हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) 13-14 जनवरी, 2007 को विदेश मंत्री के पाकिस्तान दौरे के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि बंदियों के संबंध में एक समिति बनाई जाए जिसमें उच्चतर न्यायपालिका के सेवानिवृत्त जज हों और वह दोनों देशों की जेलों के दौरे करें और ऐसे उपायों के प्रस्ताव दें जिनसे बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित हो सके और जिन बंदियों ने अपने कारावास की मियाद पूरी कर ली है उनकी रिहाई शीघ्र करायी जा सके।

(ख) समिति के सदस्य भारत की ओर से न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री नागेन्द्र राय, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री अमरजीत चौधरी, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री ए.एस. गिल और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री एम.ए. खान और पाकिस्तान की ओर से न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री अब्दुल कादीर चौधरी, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री फजल करीम, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री नासिर असलम जाहिद और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री मियां मुहम्मद अजमल हैं।

(ग) समिति की अब तक तीन बैठकें 26-27 फरवरी, 2008, 9-14 जून, 2008 और 18-23 अगस्त, 2008 को आयोजित हुई हैं।

*(घ) और (ङ) फरवरी, 2008 से 8 बंदी और 357 मछुआरे पाकिस्तान द्वारा रिहा किए गए हैं। पाकिस्तानी जेलों में भारतीयों की राज्य-वार सूची नहीं रखी जाती है।

---

*तदनंतर दिनांक 18.2.2009 को सभा में दिए गए शुद्धि विवरण के माध्यम से प्रश्न के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में शुद्धि की गई जो इस प्रकार है:

के स्थान पर	पढ़िए
357 मछुआरे	230 मछुआरे

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का प्रबन्धन

1743. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के मौजूदा प्रबन्धन के कारण अनुसंधान कार्य और रोगियों के इलाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने एम्स के प्रबंधन में सुधार हेतु क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नये बाघ रिजर्व की स्थापना

1744. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती झांसी लक्ष्मी जोआ:
श्री गणेश सिंह:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में नये बाघ रिजर्व की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य हेतु किन स्थानों की पहचान की गई है;

(ग) इस पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है;

(घ) ये रिजर्व कब तक स्थापित किए जाएंगे;

(ङ) क्या देश के सभी नेशनल पार्कों का उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, उड़ीसा में सोनाबेदा, मध्य प्रदेश में सहायाद्री और मध्य प्रदेश में रातापानी में चार नए बाघ रिजर्व सृजित करने के लिए सिद्धांत रूप से अनुमोदन प्रदान किया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों को वर्ष 2006 में यथा संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में यथापेक्षित के अनुसार इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा देना अपेक्षित है जो स्थल विशिष्ट बाघ संरक्षण योजना और विकास/रखरखाव के लिए लागत अनुमान के लिए आधार का स्वरूप होगा।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

अस्पतालों हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय

1745. एडवोकेट सुरेश कुरूप:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी और प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को विनियमित करने हेतु अस्पतालों के लिए किसी राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

मिस्र के राष्ट्रपति का भारत दौरा

1746. श्री उदय सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच हुई वार्ता और हस्ताक्षरित समझौतों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अरब गणराज्य मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम श्री मोहम्मद होस्नी मुबारक और श्रीमती सुजान्ने मुबारक 16 से 19 नवम्बर, 2008 तक राजकीय दौरे पर भारत आए। राष्ट्रपति मुबारक के साथ एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल था जिसमें मिस्र के विदेश मंत्री महामहिम श्री अहमद आबुल घीत, व्यापार और उद्योग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री, सूचना मंत्री, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवसायियों का एक बड़ा शिष्टमंडल भी था।

अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति मुबारक ने भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से मुलाकात की। भारत के उपराष्ट्रपति, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी, विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति मुबारक से मुलाकत की। राष्ट्रपति मुबारक ने 18 नवम्बर, 2008 को प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से भी शिष्टमंडल स्तरीय विचार-विमर्श किया। दौरे के दौरान राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील ने महामहिम राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को वर्ष 1995 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझ हेतु जवहारलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान किया।

वार्ता के दौरान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सरोकारों के विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। दोनों नेताओं ने मध्य-पूर्व शांति प्रक्रिया के लिए अपने सुपरिचित समर्थन को ताजा किया। दोनों पक्ष आतंकवाद का सामना करने में अपने सहयोग को मजबूत बनाने पर भी सहमत हुए।

दौरे के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए:-

(1) भारत गणराज्य की सरकार और अरब गणराज्य मिस्र सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि;

(2) राजनयिक, विशेष और सरकारी/सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की आवश्यकता को समाप्त किए जाने के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और अरब गणराज्य मिस्र की सरकार के बीच करार;

(3) स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और अरब गणराज्य मिस्र की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन;

(4) शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और अरब गणराज्य मिस्र की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन;

(5) व्यापार और तकनीकी सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और अरब गणराज्य मिस्र की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन;

(6) 16 से 19 नवम्बर, 2008 तक राष्ट्रपति मुबारक की राजकीय यात्रा पर संयुक्त घोषणा।

खेल प्रबन्धन हेतु दिशानिर्देश

1747. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों के चयन तथा खेल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का बेहतर प्रबन्धन करने हेतु नये दिशानिर्देश जारी करने का है जैसा कि 21 सितम्बर, 2008 के ''द हिन्दू'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं मौजूदा दिशानिर्देशों में क्या संशोधन किए गए हैं; और

(ग) सरकार ने इन दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल): (क) से (ग) सरकार ने प्रशिक्षण शिविरों, प्रशिक्षकों के चयन, एथलीटों के चयन के अधिक कुशल प्रबंधन हेतु 18 सितम्बर, 2008 को वृहत मार्गनिर्देश जारी किए हैं। फिलहाल और नए मार्गनिर्देश जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को इन मार्गनिर्देशों का पालन करना अपेक्षित होता है। सरकार, राष्ट्रीय परिसंघों से प्राप्त उन सभी प्रस्तावों की ब्योरेवार जांच करती है जिनमें भारत और विदेश में प्रतियोगिता/प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता मांगी जाती है। प्रस्तावों को यह सुनिश्चित करने के बाद ही मंजूरी दी जाती है कि टीम का चयन करते समय मार्गनिर्देशों का पालन किया गया है।

उत्तराखण्ड हेतु वानिकी और वन्य जीव परियोजनाएं

1748. श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड हेतु स्वीकृत वानिकी और वन्य जीव परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त प्रत्येक परियोजना पर कितनी लागत आएगी तथा उनके लक्ष्य क्या है; और

(ग) उत्तराखण्ड में वन क्षेत्रों के विस्तार हेतु गत डेढ़ वर्षों में किए प्रयासों के क्या परिणाम रहे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय, उत्तराखण्ड राज्य को विभिन्न वानिकी और वन्यजीव स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें राष्ट्रीय वनकीरण कार्यक्रम (एनएपी) समेकित वन सुरक्षा, हाथी परियोजना, बाघ परियोजना और राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास हैं।

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न स्कीमों के लिए कोई राज्य-वार लक्ष्य और आवंटन नहीं है और अनुमोदित वार्षिक कार्यों के कार्यक्रम के अनुसार निधियां जारी की जाती है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तराखंड राज्य में जारी की गई निधियां निम्नलिखित हैं।

क्र.सं.	वर्ष	स्कीम				
		राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी)	समेकितन वन सुरक्षा	राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य	हाथी परियोजना	बाघ परियोजना
1.	2007-08	1239.223	283.41	76.671	126.46	202.005
2.	2008-09 (3.12.08 तक)	825.06	305.26	109.68	157.20	136.55

(ग) उत्तराखंड में वन क्षेत्रों के विस्तार हेतु गत डेढ़ वर्षों में किए गए प्रयासों का आकलन करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

जिला मुख्यालयों को सड़क मार्ग से जोड़ना

1749. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आगामी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के सभी जिला मुख्यालयों को दो लेन वाले राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) जी नहीं। तथापि, सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों की राजधानी को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को दो लेन/चार लेन स्तर बनाने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी जिला मुख्यालयों को कम से कम दो लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय सड़कों और सामरिक महत्व की सड़कों से जोड़े जाने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम तैयार किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण 'क' के अंतर्गत 2314 किमी. सड़कों का विकास किया जाना है जिसमें 1782 किमी. राष्ट्रीय राजमार्ग, 532 किमी. राज्यीय सड़कें और सामरिक महत्व की सड़कें शामिल हैं। इस कार्यक्रम का चरण 'क' कुल 15,943 करोड़ रु. की लागत से अनुमोदित किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण 'क' को 2012-13 तक पूरा किया जाना है।

फीचर फिल्म हेतु चयन समिति

1750. श्री पी.एस. गड़वी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फीचर फिल्मों की मंजूरी/चयन एवं वर्गीकरण हेतु दो समितियों का गठन किया है जिसमें बाहरी विशेषज्ञों को भी नामनिर्दिष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समिति का गठन तथा फिल्मों के चयन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन समितियों की कितनी बैठक हुई;

(घ) क्या इन बैठकों में भाग लेने हेतु सदस्यों को नियमित रूप से आमंत्रित नहीं किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि नए फिल्म दिशानिर्देश, 2007 के अनुसार, लघु सूचीयन समिति और श्रेणीकरण समिति नामक दो समितियां हैं।

(ख) (1) लघु सूचीयन समिति:

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती-अध्यक्ष
2. महानिदेशक, दूरदर्शन-सदस्य
3. उप महानिदेशक, दूरदर्शन-सदस्य (बारी-बारी से)
4. निदेशक, कार्यक्रम, दूरदर्शन-सदस्य (बारी-बारी से)
5. निदेशक (विपणन)-सदस्य
6. एक बाह्य विशेषज्ञ-सदस्य

(2) श्रेणीकरण समिति:

1. उप महानिदेशक, दूरदर्शन-अध्यक्ष (बारी-बारी से)
2. निदेशक, कार्यक्रम, दूरदर्शन-सदस्य (बारी-बारी से)
3. निदेशक (विपणन)-सदस्य
4. बाह्य विशेषज्ञ (पुरुष)-सदस्य
5. बाह्य विशेषज्ञ (महिला)-सदस्य

मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका: मुख्य कार्यकारी अधिकारी लघु सूचीयन समिति के अध्यक्ष हैं।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि नए फिल्म दिशानिर्देश, 2007 के कार्यान्वयन की तारीख 1 जून, 2008 से प्रत्येक समिति की हुई बैठकों की कुल संख्या निम्नानुसार है:-

(1) लघु सूचीयन समिति-03

(2) श्रेणीकरण समिति-63

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि बाह्य सदस्यों को दूरदर्शन की जरूरत और उसके लिए सदस्यों की उपलब्धता के अनुसार आमंत्रित किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन

1751. **श्री फ्रांसिस फैन्चम:**
श्री मदन लाल शर्मा:
प्रो. एम. रामदास:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित/अवमुक्त निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी राज्य इस कार्यक्रम को स्वीकार करने हेतु सहमत हो गए हैं और उन्होंने अपने यहां आवश्यक स्वास्थ्य अवसंरचना का सृजन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन नियमित रूप से आयोजित किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इसमें किन बातों पर चर्चा हुई उससे क्या परिणाम मिले?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्त वर्षों 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान निर्धारित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि इसमें राज्यों को कोषगत मार्ग के जरिए उपलब्ध कराए गए वस्तुगत अनुदान और निर्गम शामिल नहीं हैं। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना का व्यापक नवीकरण किया है। भौतिक अवसंरचना का स्तरोन्नयन वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना (पीआईपी) के जरिए किया जाता है जिसे सभी राज्यों द्वारा तैयार किया जाता है और भारत सरकार की राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति द्वारा मूल्यनिरूपित/अनुमोदित किया जाता है।

(घ) और (ङ) स्वास्थ्य राज्य मंत्रियों का सम्मेलन नियमित रूप से बुलाया जाता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का 9वां सम्मेलन 13.11.2007 को बुलाया गया। इस अधिवेशन में सूक्ष्म पोषक अल्पता विकार निवारण और नियंत्रण, चिकित्सा और उपचर्या शिक्षा, समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम, राष्ट्रीय वेक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आशा, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम और आयुष से जुड़े संकल्पों सहित अनेक महत्वपूर्ण संकल्प/निर्णय लिए गए। ये संकल्प राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिए गए हैं और इन पर अमल होने लगा है।

विवरण

एनआरएचएम के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 11वीं पंचवर्षीय योजना में आबंटित और निर्गत निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	एन.आर.एच.एम.			
		2007-08		2008-09	
		आबंटन	निर्गम	आबंटन	निर्गम
1	2	3	4	5	6
क.	**अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य**				
1.	बिहार	535.44	236.31	538.39	207.09
2.	छत्तीसगढ़	143.66	120.45	134.89	86.47
3.	हिमाचल प्रदेश	31.68	15.87	31.78	11.98
4.	जम्मू-कश्मीर	48.93	137.93	48.30	11.92
5.	झारखंड	190.19	111.82	190.21	53.33
6.	मध्य प्रदेश	371.72	430.29	387.13	191.75
7.	उड़ीसा	249.35	254.26	236.40	93.48
8.	राजस्थान	372.84	468.27	345.00	198.55
9.	उत्तर प्रदेश	1108.43	881.97	1096.42	449.01
10.	उत्तराखण्ड	56.22	58.72	61.54	31.53
	उपयोग	3108.46	2715.88	3070.06	1335.10
ख.	**पूर्वोत्तर राज्य**				
11.	अरुणाचल प्रदेश	34.97	33.34	36.67	4.13
12.	असम	553.37	526.32	492.67	345.52
13.	मणिपुर	55.15	35.33	49.51	2.77
14.	मेघालय	54.30	39.00	52.45	5.24
15.	मिजोरम	27.85	20.50	25.49	6.46
16.	नागालैंड	48.84	34.01	45.08	22.14
17.	सिक्किम	12.79	29.04	11.49	4.65
18.	त्रिपुरा	73.99	57.17	68.30	15.41
	उपयोग	861.26	774.72	782.66	406.32

1	2	3	4	5	6
ग.	**अधिक ध्यान नहीं दिए जाने वाले राज्य**				
19.	आंध्र प्रदेश	377.73	390.43	363.70	268.64
20.	गोवा	10.00	3.42	8.69	2.35
21.	गुजरात	251.56	253.08	243.20	127.11
22.	हरियाणा	98.39	89.04	108.67	47.76
23.	कर्नाटक	235.80	157.86	244.92	128.03
24.	केरल	133.94	205.16	142.91	77.29
25.	महाराष्ट्र	447.67	430.59	455.74	174.31
26.	पंजाब	106.86	52.15	113.90	26.63
27.	तमिलनाडु	270.93	377.68	288.17	127.32
28.	पश्चिम बंगाल	382.02	348.18	433.41	184.32
	उपयोग	2314.90	2307.59	2403.31	1163.76
घ.	**लघु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**				
29.	अंडमान और निकोबार	3.78	7.86	6.11	1.02
30.	चंडीगढ़	5.58	4.40	5.85	1.84
31.	दादरा और नगर हवेली	2.62	1.24	2.88	0.65
32.	दमन	2.48	0.47	2.32	0.94
33.	दिल्ली	70.26	50.32	74.36	33.24
34.	लक्षद्वीप	2.14	0.48	1.84	0.00
35.	पांडिचेरी	6.15	4.54	5.99	1.83
	उपयोग	93.01	69.32	99.35	39.53
	सर्वयोग	6377.63	5867.51	6355.38	2944.71

उपर्युक्त निर्गमों के अलावा, वस्तुगत अनुदान एवं निर्गम राज्यों को कोषगत मार्ग के जरिए उपलब्ध कराए गए।

[हिन्दी]

नये/नवीकृत पासपोर्टों की प्रक्रिया

1752. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवीकृत पासपोर्टों और नये जारी पासपोर्टों में कोई अन्तर है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पासपोर्ट का नवीनीकरण करने और नये पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में क्या अन्तर है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां।

(ख) और (ग) नये पासपोर्ट ऐसे व्यक्ति को जारी किये जाते हैं जिनके पास पहले कभी कोई पासपोर्ट न रहा हो। दूसरी ओर नवीकृत पासपोर्ट ऐसे व्यक्ति, जिन्हें पूर्व में कोई पासपोर्ट जारी किया गया हो और जिसकी वैधता समाप्त हो गए हो, को इसके बदले जारी किये जाते हैं। दोनों पासपोर्टों की वैधता 10 वर्षों की होती है। नए पासपोर्ट या तो पुलिस सत्यापन के पश्चात् या पुलिस सत्यापन के आधार पर जारी किये जाते हैं। नए पासपोर्ट जारी किये जाने के कुछ मामलों जैसे कि सरकारी सेवकों, वरिष्ठ नागरिकों और अवयस्कों के मामलों में पुलिस सत्यापन से छूट होती है बशर्ते कि वे अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करते हों। पासपोर्ट नवीनीकरण के मामले में, आवेदक के विरुद्ध किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी न रहने पर पुलिस सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को और अधिक निधियां

1753. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को और अधिक निधियां देने का है जैसा कि "द हिन्दू" के दिनांक 4 अगस्त 2008 के अंक में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों को इस संबंध में योजनाओं के अंतर्गत धन की पूर्ति करने हेतु और अधिक राजस्व जुटाने की सलाह दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) समाचार-पत्रों में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु के संदर्भ में परियोजनाओं के निधिकरण के बारे में छपा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय बजट में उल्लिखितानुसार राज्यों के योजना परिव्यय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं–

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	घटक	2006-07	2007-08	2008-09
1.	केन्द्रीय योजना हेतु बजट सहायता	131284.53	154039.32	179954.00
2.	राज्य एवं संघ राज्य योजना हेतु केन्द्रीय सहायता	41443.32	501.60	63431.50
3.	योजना परिव्यय	172727.85	205100.00	243385.50
4.	योजना परिव्यय की केन्द्रीय सहायता का प्रतिशत (2/3)	23.99	24.46	26.06

(ग) से (ङ) राज्यों की योजनाओं का वित्त पोषण केन्द्रीय सहायता और राज्यों के निजी संसाधनों से किया जाता है। योजना-परिव्यय बढ़ाने के लिए, सरकार बेहतर कर प्रणाली लागू करके, सार्वजनिक बचतों में वृद्धि करके कर वसूली बढ़ाने और मुद्रास्फीति नियंत्रित करने का भी प्रयास कर रही है। राज्यों से भी उनके निजी संसाधनों का उच्च स्तर पर सृजन भी करने के साथ-साथ राज्य स्तर पर उद्यमों के निष्पादन में सुधार करने, कर एवं गैर-कर राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने तथा अपने गैर-योजनागत व्यय में कटौती करने का भी अनुरोध किया गया है।

जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर प्रभाव

1754. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम रहे; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ''वैश्विक कार्यकरण परिवर्तन और स्वास्थ्य'' पर एक कार्यदल का गठन किया है जिसने (1) श्वसनी रोग और वायु-प्रदूषण (2) यूवी-बी और मोतियाबिन्द तथा (3) वेक्टर जनित रोगों और वैश्विक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य प्रभावों पर अनुसंधान करने हेतु जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों का पता लगाया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अभी अध्ययन शुरू किए जाने हैं।

प्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश

1755. श्री बालासोधरी वल्लभनेनी: क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रवासी भारतीय दिवस ने किसी 'विशेष उद्देश्यीय वेहिकल' का सृजन किया है जिससे प्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश करना सुविधाजनक हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी वर्षों के लिए क्या रणनीति अपनायी जायेगी?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) जनवरी, 2007 में हुए प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत में निवेश के लिए प्रवासी भारतीयों के लिए एकल द्वार के रूप में कार्य करने हेतु एक 'प्रवासी भारतीय सुविधा केन्द्र' की स्थापना की जाएगी। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ की सार्वजनिक/निजी साझेदारी में एक गैर-लाभार्जक ट्रस्ट के रूप में प्रवासी भारतीय सुविधा केन्द्र की स्थापना की है।

प्रवासी भारतीय सुविधा केन्द्र का एक ट्रस्ट के रूप में पंजीकरण 28 मई, 2007 को किया गया था और यह पूरी तरह से कार्यरत है। प्रवासी भारतीय सुविधा केन्द्र की नीति निम्नलिखित की मार्फत निवेश संवर्धन पर केन्द्रित रहेगी:

1. भारत में निवेश के बारे में प्रवासी भारतीयों को सूचना का आदान-प्रदान।
2. संभावित प्रवासी भारतीय निवेशकों के लिए तत्काल सेवा प्रदान करना।
3. भारतीय व्यवसायिकों और प्रवासी भारतीय व्यवसायिकों के बीच व्यापार दर व्यापार बढ़ाना।
4. राज्यों में प्रवासी भारतीय निवेशों को बढ़ाने में राज्य सरकारों की सहायता करना।

प्रवासी भारतीय सुविधा केन्द्र ने जनवरी, 2008 में छठे प्रवासी भारतीय दिवस और नवम्बर, 2008 में सिंगापुर में मिनी प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान आयोजित बाजार कक्ष में प्रवासी भारतीयों के लिए कारोबार-दर-कारोबार बैठकों का आयोजन किया है। इसके अतिरिक्त प्रवासी भारतीय सुविधा केन्द्र ने 12 नवम्बर, 2008 को मस्कट (ओमान की सल्तनत) में निवेशकों की पहली बैठक का आयोजन भी किया है।

प्रवासी भारतीय दंपत्तियों हेतु अन्तर मंत्रालीय समिति

1756. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रवासी भारतीय दंपत्तियों की सहायता हेतु किसी अंतर मंत्रालीय उप-समिति का गठन किया है जैसा कि 'द टाइम्स आफ इंडिया' के 14 जुलाई, 2008 के अंक में छपा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) सरकार ने प्रवासी भारतीय पतियों से धोखा खाई महिलाओं के कष्टों को दूर करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, हां। ऐसी भारतीय महिलाओं जिन्हें उनके प्रवासी भारतीय पतियों ने छोड़ दिया है, की सहायता करने के लिए माध्यमों पर चर्चा करने हेतु 4 मई, 2007 को एक अंत: मंत्रालय उपसमिति का गठन किया गया था।

(ख) से (घ) इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अंत:मंत्रालय उप समिति की सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

1. भारत में होने वाले सभी विवाहों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण होना चाहिए। विवाहों के पंजीकरण के लिए सभी राज्यों में समान प्रोफार्मा होना चाहिए और इसमें सभी संगत सूचना जैसे कि पति का व्यवसाय, कार्य स्थल का पता, पासपोर्ट संख्या, आय वास्तविक वैवाहिक स्थिति और सामाजिक सुरक्षा संख्या, यदि लागू हो शामिल होने चाहिए।

2. अप्रवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मुकदमों की सुनवाई विधि और न्याय मंत्रालय की मार्फत तीव्रगामी न्यायालयों में होनी चाहिए और साथ ही जहां कहीं आवश्यक हो उनके लिए विशेष सरकारी अधिवक्ता होने चाहिए। चूंकि 'विवाह' राज्य का विषय है, ऐसे मामलों की देख-रेख के लिए विशेष सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकारों से प्राप्त होना है। तथापि, केन्द्रीय कानूनों के मामले में ऐसे प्रस्ताव संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा भी किए जा सकते हैं।

3. परस्पर कानूनी सहायता संधियों जो विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ हैं, जहां प्रवासी भारतीय द्वारा भारतीय महिलाओं को छोड़ देने की समस्या गंभीर है, के साथ किए जाने की प्रक्रिया में हैं, में प्रवासी भारतीय विवाहों के संबंध में नोटिस, सम्मन देने और रख-रखाव आदेश लागू करने संबंधी समुचित प्रावधानों को शामिल करना।

4. जब कभी किसी विदेशी न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो तो भारतीय दुल्हन का मामला प्रस्तुतीकरण से वंचित नहीं रहना चाहिए। ऐसे मामलों के लिए वर्तमान वित्त पोषण तंत्र को एक गैर-सरकारी संगठनों और अप्रवासी भारतीय कानूनविदों के नेटवर्क को स्वयंसेवकों के रूप में संगठित करके सुदृढ़ किया जा सकता है।

5. संभावित दुल्हनों और उनके परिवारों को शिक्षित करने ताकि वे प्रवासी भारतीयों के साथ विवाह संबंध स्थापित करने से पूर्व सभी सावधानियां बरत सके, प्रचार माध्यमों और गैर-सरकारी संगठनों का प्रयोग करते हुए सभी स्तरों पर एक व्यापक सूचना अभियान चलाया जा सकता है।

6. संबंधित हेग अभिसमयों के कार्य संचलन के बारे में निजी अन्तर्राष्ट्रीय कानून की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों द्वारा सूचना ब्रोशर और साथ ही नोटिस, समन आदि विदेश में रहने वाले पक्षों को सौंपने के बारे में आम जनता द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों को तैयार किया जाना चाहिए। इसके पश्चात् विदेशों में दोषी अप्रवासी भारतीयों को समन और नोटिस आदि सौंपने संबंधी प्रावधानों की आम जनता में जागरूकता लाने के लिए एक प्रचार अभियान चलाया जा सकता है।

7. राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को दोषी अप्रवासी भारतीयों के विरुद्ध पारित न्यायालय के आदेशों के बारे में सूचना को उत्प्रवास प्राधिकारियों को देना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को इन आदेशों के विरुद्ध भारत छोड़ने से रोका जा सके।

8. सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस प्राधिकारियों को उपयुक्त निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे ऐसे मामलों में अविलंब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें।

9. अप्रवासी विवाहों के शिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए विदेशों के साथ द्विपक्षीय करार किए जाने चाहिएं। अन्य धाराओं के अलावा ऐसे करारों में ये प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए अर्थात् (1) विदेशी न्यायालयों के तलाक आदेश तभी प्रभावी होंगे जब उन्हें भारत में किसी न्यायालय द्वारा पृष्ठांकित किया गया हो, (2) भारतीय न्यायालयों द्वारा दी गई डिक्रियां विदेशों में लागू होने योग्य होनी चाहिए, (3) परित्यक्त भारतीय महिला को विदेश में उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए जहां उसके विरुद्ध तलाक का मुकदमा दायर किया गया है, और (4) संबंधित विदेशी सरकार द्वारा भारतीय महिला को इस प्रयोजन के लिए अस्थायी वीजा दिया जाना चाहिए और उन्हें अपने न्यायालयों को यह निर्देश देने चाहिए कि वे ऐसे मामलों का निर्णय भारतीय महिला को अपेक्षित वीजा दिए जाने के बाद ही करना चाहिए।

इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई

अंत: मंत्रालय समिति की उपर्युक्त सिफारिशों पर 7 जुलाई, 2008 को प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई अंत: मंत्रालय बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। इस बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

1. उपसमिति की इस सिफारिश पर आम सहमति व्यक्त की गई कि भारत में होने वाले सभी विवाहों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण होना चाहिए और सभी राज्यों में विवाहों के पंजीकरण के लिए एक समान प्रोफार्मा होना चाहिए और उसमें लोगों की पहचान में मदद के लिए आवश्यक सभी संबंधित सूचना निहित होनी चाहिए।

   इसके अतिरिक्त यह भी सहमति हुई कि विवाह के पंजीकरण के प्रोफार्मा में ये कालम भी होने चाहिए कि प्रवासी भारतीयों के मामले में उसकी सामाजिक सुरक्षा

संख्या, पासपोर्ट का ब्यौरा, पहचान पत्र/श्रमिक कार्ड आदि ताकि उसकी उचित पहचान की जा सके और उसे खोजने की प्रणाली बनाई जा सके। एक समान प्रोफार्मा लागू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ बातचीत की आवश्यकता होगी। विधि और न्याय मंत्रालय एक उचित प्रोफोर्मा तैयार करेगा और इसे राज्य/संघ शासित सरकारों को भेजेगा।

(कार्रवाई विधि और न्याय मंत्रालय, राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारें)

2. उपसमिति की इस सिफारिश पर आम सहमति थी कि:

(क) प्रवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मुकदमों को तीव्रगामी न्यायालयों द्वारा सुना जाना चाहिए। यह महसूस किया गया है कि इन न्यायालयों के लिए कोई नई प्रणाली तैयार करने की बजाय इसे वर्तमान परिवार न्यायालयों की कार्यक्षेत्र में लाया जाना चाहिए (कार्रवाई राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारें, विधि और न्याय मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय)।

(ख) प्रयास किए जाने चाहिए परिवार न्यायालय लंबित मामलों को यथाशीघ्र निपटाएं और ऐसे मामलों की नियमित निगरानी के लिए एक तंत्र बनाया जाए। (कार्रवाई: राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारें, विधि और न्याय मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय)।

3. उपसमिति की इस सिफारिश आम सहमति थी कि परस्पर कानूनी सहायता संधियों में जो विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ हैं, जहां प्रवासी भारतीय द्वारा भारतीय महिलाओं को छोड़ देने की समस्या गंभीर है, के साथ किए जाने की प्रक्रिया में है, में प्रवासी भारतीय विवाहों के संबंध में नोटिस, सम्मन देने और रख-रखाव आदेश लागू करने संबंधी समुचित प्रावधानों को शामिल करने को अनिवार्य बनाया जाए। (कार्रवाई: विधि और न्याय मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय)।

4. उपसमिति की इस सिफारिश पर आम सहमति थी कि जब कभी किसी विदेशी न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो तो भारतीय दुल्हन का मामला प्रस्तुतीकरण से वंचित नहीं रहना चाहिए। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की योजना कि भारतीय महिलाओं को विदेशों में अपने मामलों का पक्ष प्रस्तुत करने में सहायता करने की योजना की प्रशंसा की गई। तथापि, यह महसूस किया गया कि प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की जा रही 1000 अमरीकी डालर की राशि अपर्याप्त मानी गई और इसे पर्याप्त रूप में बढ़ाया जाना चाहिए। भारतीय एसोसिएशनों द्वारा पैसे को पूल करके एक फलैक्सी निधि सृजित करने की संभावना का भी पता लगाया जाना चाहिए। सरकार से इतनी ही राशि का अनुदान दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। (कार्रवाई: प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय विदेशों में भारतीय मिशन/पोस्ट)

5. इस बात पर सहमति हुई कि संभावित दुल्हनों और उनके परिवारों को शिक्षित करने ताकि वे प्रवासी भारतीयों के साथ विवाह संबंध स्थापित करने से पूर्व सभी सावधानियां बरत सके, प्रचार माध्यमों और गैर-सरकारी संगठनों का प्रयोग करते हुए सभी स्तरों पर एक व्यापक सूचना अभियान चलाया जाना आवश्यक है। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सूचना अभियान की प्रशंसा की गई और यह निर्णय लिया गया कि इस अभियान को जारी रखा जाए। (कार्रवाई: प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारें)।

6. इस बात पर सहमति हुई कि संबंधित हेग अभिसमयों के कार्य संचलन के बारे में निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों द्वारा सूचना ब्रोशर और साथ ही नोटिस, समन आदि विदेश में रहने वाले पक्षों को सौंपने के बारे में आम जनता द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों को तैयार किया जाना चाहिए। उसके पश्चात् इन प्रावधानों के बारे में आम जनता के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों को जानकारी देने के लिए एक अभियान चलाया जा सकता है। (कार्रवाई: विधि और न्याय मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग)।

7. समिति की इस सिफारिश पर आम सहमति थी कि राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को दोषी अप्रवासी भारतीयों के विरुद्ध पारित न्यायालय के आदेशों के बारे में सूचना को उत्प्रवास प्राधिकारियों को देना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को इन आदेशों के विरुद्ध भारत छोड़ने से रोका जा सके। (कार्रवाई: गृह मंत्रालय, राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारें)।

8. इस बात पर सहमति हुई कि गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे विवाहों विवादों/समस्याओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट अविलंब दर्ज की जाएं, उचित निर्देश जारी किए जा सकते है। (कार्रवाई: गृह मंत्रालय, राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारें)

9. उप समिति की इस सिफारिश पर आम सहमति थी कि अप्रवासी विवाहों की शिकार महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए विदेशों के साथ द्विपक्षीय करार किए जाने चाहिए।

10. महिलाओं के सशक्तीकरण संबंधी संसदीय समिति द्वारा की गई इस सिफारिश कि समस्या ग्रस्त अप्रवासी भारतीय विवाहों के मामले से निपटने और पीड़ित महिला को समस्या का सम्मानजनक हल दिलवाने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के बीच एक सुपरिभाषित/समन्वित तंत्र तैयार किया जाए, यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग तत्काल राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वय एजेंसी का कार्य करेगा जो प्रवासी भारतीयों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं से संबंधित सभी शिकायतों को प्राप्त करेगा और उन पर कार्रवाई करेगा।

अंत: मंत्रालय समिति द्वारा लिए गए अंतिम निर्णयों को समुचित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और सरकारी एजेंसियों में परिचालित कर दिया गया है।

अप्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त महिलाओं की पीड़ा को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम

मंत्रालय ने प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा तलाक दी गई अथवा छोड़ दी गई भारतीय महिलाओं को विदेशों में भारतीय मिशनों की मार्फत कानूनी और वित्तीय सहायता देने की एक योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और खाड़ी में देशों के भारतीय मिशनों के पास निधियां रखी गई हैं जो अप्रवासी भारतीय विवाहों की शिकार भारतीय महिलाओं को कानूनी और परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए मिशनों के पास सूचीबद्ध भारतीय महिला संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को रिलीज की जा सकती है।

मंत्रालय ने भारतीय महिलाओं को उनके अधिकारों को उत्तरदायित्वों तथा प्रवासी भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने से पूर्व बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देने के लिए एक इश्तेहार अंग्रेजी, हिन्दी, पंजाबी, मलयालम और तेलुगू भाषा में प्रकाशित किया है।

मंत्रालय ने 'प्रवासी भारतीय विवाहों' संबंधी एक मार्गदर्शक पुस्तिका प्रकाशित की है। इस पुस्तिका में अप्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त महिलाओं को उपलब्ध सुरक्षा उपायों, उपलब्ध कानूनी उपचारों और अपनी परेशानियों को हल करने के लिए संपर्क किए जाने वाले प्राधिकरणों के बारे में तथा उन गैर-सरकारी संगठनों के बारे में जानकारी निहित है जो सहायता प्रदान कर सकती हैं।

मंत्रालय ने मुख्य रूप से पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों को कवर करने के लिए क्षेत्रीय टीवी नेटवर्क पर विज्ञापनों की मार्फत एक प्रचार सह जागरूकता अभियान शुरू किया है।

[हिन्दी]

एमपीलैड योजना

1757. श्री महावीर भगोरा:
श्री टेक लाल महतो:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में एमपीलैड योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जारी की गई एवं व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) अप्रयुक्त राशि का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार एमपीलैड निधि में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह योजना कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी एवं व्यय की गई निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) एमपीलैड संबंधी दिशा-निर्देशों के पैरा 4.7 एवं 4.8 के अनुसार लोक सभा सांसदों की उपयोग में न लाई गई राशि उनके स्थान पर आए सांसदों के खाते में अंतरित कर दी जाती है और राज्य सभा सांसदों की उपयोग में न लाई गई राशि संबद्ध राज्य के वर्तमान सांसदों में समान रूप से वितरित कर दी जाती है।

(ग) से (ङ) प्रति सांसद/निर्वाचन क्षेत्र की वार्षिक पात्रता की मात्रा में वृद्धि करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

जारी निधि/व्यय का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2005-06		2006-07		2007-08		**2008-09	
		जारी	प्रयुक्त	जारी	प्रयुक्त	जारी	प्रयुक्त	जारी	प्रयुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	नामित	14.00	26.70	90.00	12.07	21.00	22.22	21.00	9.37
2.	आंध्र प्रदेश	101.50	119.98	124.00	114.94	101.00	109.17	103.00	42.33
3.	अरुणाचल प्रदेश	6.00	7.98	6.00	5.84	6.0	6.09	3.00	1.91
4.	असम	35.00	35.45	43.00	49.24	39.00	39.04	34.00	21.55
5.	बिहार	100.05	74.55	106.50	120.63	98.50	100.78	87.50	75.63
6.	गोवा	7.00	6.87	5.00	4.22	4.00	7.59	7.00	3.57
7.	गुजरात	70.00	77.47	74.00	63.24	66.00	73.43	56.0	38.38
8.	हरियाणा	27.00	28.95	29.00	26.15	31.00	42.67	24.00	3.61
9.	हिमाचल प्रदेश	17.00	13.35	13.00	13.30	15.00	12.16	9.00	1.99
10.	जम्मू-कश्मीर	23.30	17.83	16.00	17.36	23.00	31.37	12.00	12.98
11.	कर्नाटक	85.00	69.10	59.00	69.25	71.00	70.73	37.00	17.95
12.	केरल	39.00	47.10	50.00	59.82	43.00	40.04	22.00	22.68
13.	मध्य प्रदेश	77.00	89.13	74.00	73.94	75.00	86.56	66.00	40.45
14.	महाराष्ट्र	112.00	105.20	102.00	124.82	120.00	119.91	87.00	55.60
15.	मणिपुर	6.00	4.25	6.00	9.27	6.00	7.82	5.00	0.84
16.	मेघालय	7.00	4.25	6.00	7.84	5.00	6.27	6.00	2.64
17.	मिजोरम	4.00	3.59	4.00	3.46	4.00	3.29	3.00	3.54
18.	नागालैंड	5.00	4.00	3.00	2.00	3.00	5.00	4.00	00.00
19.	उड़ीसा	61.00	55.49	58.00	71.39	63.05	73.01	41.00	39.97
20.	पंजाब	37.00	43.35	43.00	53.75	40.00	45.96	26.00	14.57
21.	राजस्थान	69.00	76.91	64.00	72.07	75.00	78.02	33.00	36.30
22.	सिक्किम	4.00	3.98	4.00	3.27	4.00	5.44	2.00	3.25
23.	तमिलनाडु	102.00	107.93	118.00	107.76	117.00	126.90	101.00	69.84
24.	त्रिपुरा	6.00	6.98	6.00	6.16	5.00	3.81	3.00	4.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	उत्तर प्रदेश	214.50	203.00	197.00	203.35	207.00	198.48	185.00	96.82
26.	पश्चिम बंगाल	91.50	104.78	123.00	111.03	117.00	119.54	71.00	64.93
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2.00	00.00	2.00	2.05	0.00	0.00	2.00	2.08
28.	चंडीगढ़	1.00	0.64	1.00	7.73	3.00	1.88	1.00	7.75
29.	दादरा और नगर हवेली	3.00	3.88	2.00	0.22	2.00	3.88	1.00	0.09
30.	दमन और दीव	2.00	1.86	1.00	1.87	2.00	1.92	2.00	0.00
31.	दिल्ली	17.05	11.23	9.00	9.46	4.00	10.30	5.00	5.61
32.	लक्षद्वीप	2.00	2.82	0.00	0.75	1.00	0.57	0.00	0.75
33.	पुडुचेरी	1.00	3.67	2.00	3.99	4.00	3.14	1.00	0.10
34.	छत्तीसगढ़	29.00	31.51	26.00	26.24	36.00	36.34	25.00	11.80
35.	उत्तराखंड	15.00	20.03	14.00	12.68	17.00	12.89	9.00	0.79
36.	झारखंड	41.00	46.78	42.00	39.21	42.00	45.34	29.00	4.40

**नोट-दर्शाए गए आंकड़े जिला प्राधिकारियों से 3 दिसम्बर, 2008 तक प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अतिरिक्त दूरदर्शन चैनल

1758. **श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.) के लिए अतिरिक्त दूरदर्शन चैनल शुरू करने में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रयोजनार्थ अभी तक आबंटित की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अतिरिक्त चैनल कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) मई, 2006 में सरकार द्वारा अनुमोदित पूर्वोत्तर विशेष पैकेज (चरण-II) के भाग के रूप में दो पूर्वोत्तर चैनलों को शुरू करने की परिकल्पना है। इन चैनलों की अपलिंकिंग गुवाहाटी स्थित भू-केंद्र के उन्नयन पर निर्भर है। अपलिंकिंग सेवाओं के उन्नयन में विलंब के कारण पूर्वोत्तर के अतिरिक्त चैनलों को शुरू करने में विलंब हो गया।

(ग) इस प्रयोजनार्थ 2.09 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

(घ) मौजूदा संकेतों के अनुसार, इस भू-केंद्र का वर्ष 2008-09 के अंत तक दो पूर्वोत्तर चैनलों को शुरू करने के लिए उन्नयन किए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के विरुद्ध हिंसा

1759. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका में अनेक भारतीय नस्लीय हिंसा का शिकार बने हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले को दक्षिण अफ्रीका सरकार के साथ उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर दक्षिण अफ्रीका की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) सरकार को दक्षिण अफ्रीका में किसी नस्लीय हिंसा की घटना की जानकारी नहीं है। तथापि, विदेशी नागरिकों को निशाना बनाए जाने की दुर्घटनाएं मई, 2008 में हुई हैं। उस समय एक्टोन्विले, एकुर्हुलेनी में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को जान से मार दिया गया और उसका घर जला दिया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षित ब्लाकों से कोयला उत्पादन

1760. **श्री गुरुदास दासगुप्त:**
श्री प्रबोध पाण्डा:
श्री बंसगोपाल चौधरी:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र को आबंटित रक्षित ब्लाकों से लगभग 104 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था लेकिन चालू पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में वास्तविक रूप में लगभग 15 प्रतिशत उत्पादन ही किया जा सका था;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न पार्टियों को आबंटित कोयला ब्लाकों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कोयला ब्लाकों से उत्पादन करने में विलंब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) कोल इंडिया लि. से विभिन्न सहायक कंपनियों में कोयला के भंडार की कमी से संबंधित कितनी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): (क) सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों की कंपनियों को केप्टिव कोयला ब्लाक आवंटित किए जाते हैं। मौजूदा पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष अर्थात् 2011-12 के दौरान सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों को आबंटित कोयला ब्लाकों से 104 मिलियन टन उत्पादन होने का अनुमान है। मौजूदा पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 2006-07 के दौरान सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को आबंटित कोयला ब्लाकों से उत्पादन का अनुमान 23.93 मिलियन टन था जिसके मुकाबले उत्पादन 21.17 मिलियन टन था।

(ख) आज की तारीख के अनुसार, लगभग 42 बिलियन टन भूवैज्ञानिक भंडारों के साथ विभिन्न सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की कंपनियों को कुल 198 कोयला ब्लाक आबंटित किए गए हैं।

(ग) और (घ) दिशानिर्देशों के अनुसार, केप्टिव कोयला ब्लाक से कोयला उत्पादन ओपनकास्ट खानों के मामले में आवंटन की तारीख से 36 महीना (42 महीने यदि क्षेत्र वनभूमि में पड़ता है) के भीतर तथा भूमिगत खानों के मामले में 48 महीनों (54 महीने यदि क्षेत्र वनभूमि में पड़ता है) के भीतर आरंभ हो जाना चाहिए। यदि कोयला ब्लाक का अन्वेषण नहीं किया जाता है तो विस्तृत अन्वेषण और भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए अतिरिक्त दो वर्षों की अनुमति दी जाती है। अब तक 20 कोयला ब्लाकों में उत्पादन आरंभ हो गया है। कोयला ब्लाकों के आबंटिती, जिन्होंने अब तक कोयला उत्पादन आरंभ नहीं किया है, खनन और अन्य उपयोग परियोजना दोनों के लिए सांविधिक मंजूरी तथा खनन पट्टा प्राप्त करने, खनन योजना तैयार करने, भूमि अधिग्रहण, मशीनरी और उपकरण आदि की खरीद करने के विभिन्न चरणों में हैं।

(ङ) वर्ष 2007-08 में कोयला भंडार मापन के दौरान, कोल इंडिया लि. की निम्नलिखित कोयला खानों में कोयला भंडार में कमी पाई गई-

(1) **ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.:** सीदेपुर (आर) कोलियरी यूजी, नबाकाजोरा यूजी, पारसकोल ईयूजी, पारसकोल डब्ल्यूयूजी, जामबाद यूजी तथा राजमहल ओसीपी।

(2) **भारत कोकिंग कोल लि.:** ब्लाक IV खान-मिश्रित खान।

(3) **सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड:** आरा कोलियरी, कूजू क्षेत्र-मिश्रित खान तथा सौंदा कोलियरी, बरका सया क्षेत्र यूजी।

(च) इन कमियों के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध संबंधित सहायक कंपनियों के प्रबंधन द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ की गई है।

प्रजातियों का रक्षित प्रजनन

1761. **श्री पी.सी. गद्दीगठडर:**
श्री अजीत जोगी:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ चिड़ियाघरों को अवसंरचना हेतु धनराशि की कमी का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण पशु तथा पक्षियों को प्रजनन में समस्या आती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार लुप्त प्राय: प्रजातियों हेतु रक्षित प्रजनन को प्रोत्साहन देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सभी प्राणी उद्यानों को आपस में जोड़ने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) चिड़ियाघरों का प्रबंधन और विकास चिड़ियाघर के आपरेटरों की जिम्मेदारी है। पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के जरिए मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों को पशु आवास, चिकित्सा सुविधाओं के लिए निधियां प्रदान करता है और चिड़ियाघरों में अवसंरचना विकास के संबंध में निधियां शेयर करता है, जहां इनकी चिड़ियाघर नियमावली को मान्यता नियम 1992 के तहत निर्धारित मानकों और मानदंडों के अनुरूप अपेक्षा पाई जाए।

(ग) और (घ) चिड़ियाघरों के प्रमुख उद्देश्यों में संकटापन्न पशु प्रजातियों की संरक्षण प्रजनन चिड़ियाघरों के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। भारतीय चिड़ियाघरों में संरक्षित प्रजनन के लिए 63 विभिन्न प्रजातियां अभिज्ञात की गई है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कार्यक्रम को समन्वित कर रहा है और इसके लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

(ङ) से (छ) जी, हां। पर्यावरण और वन मंत्रालय केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्रजाति सूचना प्रणाली से प्रमुख भारतीय चिड़ियाघरों को जोड़ने को प्रायोजित कर रहा है। रिकार्ड कीपिंग, स्टडबुकें तैयार करना, पशुओं के आदान-प्रदान द्वारा प्रबंधन ओर चिड़ियाघरों के पशुओं की बेहतर स्वास्थ्य सेवा इसके परिणामस्वरूप प्रमुख लाभ मिलने की संभावना है।

कर्नाटक में डेन्टल और नर्सिंग कालेजों की मान्यता रद्द करना

1762. श्री अनंत कुमार: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के अनेक डेंटल और नर्सिंग कालेजों की मान्यता रद्द कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन कालेजों के विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी/जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) आज तक की स्थिति के अनुसार कर्नाटक राज्य में किसी भी डेंटल कालेज की मान्यता समाप्त नहीं की गई है।

तथापि, भारतीय उपचर्या परिषद ने उपयुक्त निरीक्षण करने के बाद कर्नाटक राज्य के चार उपचर्या कालेजों को अनुपयुक्त पाया है। संबंधित राज्य सरकार/विश्वविद्यालय प्रभावित छात्रों के हितों को उन्हें मान्यता प्राप्त संस्थाओं में स्थानांतरित करके संरक्षित करने के लिए उत्तरदायी है।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा कल गुरुवार, 11 दिसम्बर 2008 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.15 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 11 दिसम्बर 2008/20 अग्रहायण, 1930 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

दिनांक 27.10.2008

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री एल. राजगोपाल	121
2.	श्री राम कृपाल यादव श्री सुकदेव पासवान	122
3.	श्री पी.एस. गढ़वी श्री रामदास आठवले	123
4.	श्री पुन्नूलाल मोहले	124
5.	श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी श्री गणेश सिंह	125
6.	श्री हरिकेवल प्रसाद श्री मनसुखभाई डी. वसावा	126
7.	श्रीमती जयाप्रदा	127
8.	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील श्री काशीराम राणा	128
9.	डा. धीरेंद्र अग्रवाल	129
10.	श्री नन्द कुमार साय श्री सुग्रीव सिंह	130
11.	श्री परसुराम माझी श्री विजय कृष्ण	131
12.	श्री हरिसिंह चावड़ा	132
13.	श्री फ्रांसिस फैन्थम	133
14.	श्री शिशुपाल एन. पटले श्री कैलाशनाथ सिंह यादव	134
15.	श्री पंकज चौधरी डा. एम. जगन्नाथ	135
16.	श्री बसुदेव आचार्य	136
17.	श्री हंसराज गं. अहीर श्री एम. शिवन्ना	137
18.	श्रीमती सी.एस. सुजाता	138
19.	श्री उदय सिंह	139
20.	श्री एस.के. खारवेनथन	140

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

दिनांक 29.10.2008

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव श्री के. सुब्बारायाण	141
2.	श्री शिशपाल एन. पाटील श्री सुग्रीव सिंह	142
3.	श्री वी.के. दुम्मर श्री हरिकेवल प्रसाद	143
4.	श्री उदय सिंह श्री महावीर भगोरा	144
5.	श्रीमती जयाप्रदा	145
6.	श्री प्रहलाद जोशी	146
7.	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय श्री आनन्दराव वी. अडसुल	147
8.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री मधु गौड यास्खी	148
9.	श्री पी. राजेन्द्रन	149
10.	श्री मो. ताहिर श्री एकनाथ एम. गायकवाड	150
11.	श्रीमती मेनका गांधी श्री सुकदेव पासवान	151
12.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री नन्द कुमार साय	152
13.	श्री अजय चक्रवर्ती	153
14.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव श्री काशीराम राणा	154
15.	श्रीमती सी.एस. सुजाता श्री अमिताभ नन्दी	155
16.	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	156
17.	श्री फ्रांसिस फैन्थम श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	157
18.	श्री प्रसन्न आचार्य	158
19.	श्री हरिभाऊ राठौर श्री एस.के. खारवेनथन	159
20.	श्री सुभाष महरिया	160

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

दिनांक 10.12.2008

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्रीमती जयाप्रदा श्री नवीन जिन्दल	161
2.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री रवि प्रकाश वर्मा	162
3.	श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	163
4.	श्री एल. राजगोपाल श्री फ्रांसिस फेन्थम	164
5.	डा. के.एस. मनोज श्रीमती सुमित्रा महाजन	165
6.	श्री काशीराम राणा श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	166
7.	डा. एम. जगन्नाथ श्री मधु गौड यास्खी	167
8.	श्री हन्नान मोल्लाह श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	168
9.	श्री पी.सी. थामस श्री एन.एस.वी. चित्तन	169
10.	श्रीमती किरण माहेश्वरी श्री गिरधारी लाल भार्गव	170
11.	श्री चेंगरा सुरेन्द्रन श्री अजय चक्रवर्ती	171
12.	श्री हेमलाल मुर्मू श्री हरिकेवल प्रसाद	172
13.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	173
14.	श्री पी. राजेन्द्रन श्रीमती मेनका गांधी	174
15.	श्री रेवती रमन सिंह श्री निखिल कुमार	175
16.	श्री हरिसिंह चावड़ा प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	176
17.	श्री मधुसूदन मिस्त्री श्री हरिन पाठक	177
18.	श्री जी.एम. सिद्दीश्वर	178
19.	श्री मित्रसेन यादव	179
20.	श्री गुरुदास दासगुप्त श्री सी.के. चन्द्रप्पन	180

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

दिनांक 27.10.2008

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	1314, 1348
2.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	1309
3.	अहीर, श्री हंसराज गं.	1315, 1349
4.	अजय कुमार, श्री एस.	1277
5.	अजनाला, डा. रतन सिंह	1258, 1270
6.	अप्पादुरई, श्री एम.	1242, 1303
7.	आठवले, श्री रामदास	1284, 1333, 1353, 1365
8.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	1263, 1340
9.	भगोरा, श्री महावीर	1253, 1276
10.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	1282, 1331
11.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	1274, 1329
12.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	1281
13.	चक्रवर्ती, श्री अजय	1268, 1326, 1352
14.	चांलिहा, श्री किरिप	1263
15.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	1308
16.	चौरे, श्री बापू हरी	1281
17.	चौधरी, श्री अधीर	1272, 1327, 1344
18.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	1308
19.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	1258, 1270
20.	धोत्रे, श्री संजय	1235
21.	दुबे, श्री चंद्र शेखर	1246
22.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	1312, 1347, 1360
23.	गढ़वी, श्री पी.एस.	1306
24.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	1290, 1292, 1316, 1335

1	2	3
25.	गांधी, श्रीमती मेनका	1250, 1321
26.	जयाप्रदा, श्रीमती	1308
27.	जिन्दल, श्री नवीन	1248
28.	जोगी, श्री अजीत	1288, 1334, 1354, 1364
29.	जोशी, श्री प्रहलाद	1286
30.	करूणाकरन, श्री पी.	1247, 1324
31.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1289
32.	खां, श्री सुनील	1286, 1370
33.	खंडेलवाल, श्री हेमंत	1370
34.	खन्ना, श्री अविनाश राय	1236, 1299
35.	खारवेनथन, श्री एस.के.	1316, 1320
36.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1237, 1300, 1340, 1347
37.	कृष्ण, श्री विजय	1330, 1339
38.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	1252
39.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	1291, 1340, 1357, 1368
40.	महरिया, श्री सुभाष	1243, 1304, 1342
41.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	1265
42.	महताब, श्री भर्तृहरि	1273, 1328
43.	माझी, श्री परसुराम	1311, 1346, 1359, 1369
44.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	1231
45.	माने, श्रीमती निवेदिता	1290, 1292, 1335
46.	मसूद, श्री रशीद	1294, 1336
47.	मुकीम, मो.	1275
48.	मुन्शी राम, श्री	1306
49.	मुर्मू, श्री हेमलाल	1276
50.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	1234
51.	नायक, श्री अनन्त	1287, 1360

1	2	3
52.	निखिल कुमार, श्री	1272, 1280, 1330, 1366
53.	ओराम, श्री जुएल	1296, 1311
54.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1283, 1308
55.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	1229
56.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	1267
57.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1310, 1345
58.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	1259, 1318
59.	प्रधान, श्री प्रशान्त	1278
60.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1307, 1344
61.	राजगोपाल, श्री एल.	1298, 1343, 1358
62.	राजेन्द्रन, श्री पी.	1256
63.	राणा, श्री काशीराम	1269
64.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	1258, 1317
65.	रावत, श्री कमला प्रसाद	1285
66.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1232
67.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	1283
68.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1286, 1297, 1344
69.	रिजीजू, श्री कीरेन	1231
70.	साय, श्री नन्द कुमार	1310, 1345
71.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	1244
72.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	1254
73.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	1257, 1307, 1316, 1370
74.	शिवन्ना, श्री एम.	1360
75.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	1230, 1248
76.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	1238, 1301, 1341, 1362, 1363
77.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	1269, 1309
78.	सिंह, श्री चन्द्रभान	1249

1	2	3
79.	सिंह, श्री दुष्यंत	1255, 1287, 1338, 1356
80.	सिंह, श्री गणेश	1315
81.	सिंह, श्री मोहन	1260, 1308
82.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	1262, 1323, 1351, 1361, 1367
83.	सिंह, श्री रेवती रमन	1266, 1325
84.	सिंह, श्री सुग्रीव	1310, 1345
85.	सिंह, श्री उदय	1319, 1344
86.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	1271
87.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	1240, 1283
88.	सुगावनम, श्री ई.जी.	1241, 1302
89.	सुमन, श्री रामजीलाल	1252
90.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	1362
91.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1340
92.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	1233, 1309
93.	थामस, श्री पी.सी.	1279
94.	ठुम्मर, श्री वी.के.	1267, 1307
95.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	1230, 1234, 1248
96.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1261, 1266, 1322, 1350
97.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	1295, 1337, 1355, 1366
98.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	1245, 1305, 1329
99.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	1293, 1336
100.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1266
101.	यादव, श्री गिरिधारी	1239, 1313
102.	यादव, श्री मित्रसेन	1248, 1264
103.	यास्खी, श्री मधु गौड	1290, 1292, 1316, 1335
104.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	1251, 1332

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

दिनांक 29.10.2008

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री वसुदेव	1431, 1469
2.	आदित्यनाथ, योगी	1395
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1418, 1453, 1460, 1528
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	1494
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	1432, 1480
6.	अंगडि, श्री सुरेश	1389
7.	अप्पादुरई, श्री एम.	1446
8.	आठवले, श्री रामदास	1394, 1468
9.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	1498
10.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	1410, 1416, 1479, 1501, 1527
11.	बर्मन, श्री हितेन	1424
12.	बर्मन, श्री रनेन	1424
13.	भगोरा, श्री महावीर	1454, 1487
14.	भाईलाल, श्री	1451
15.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	1415
16.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	1383
17.	बोस, श्री सुव्रत	1412, 1498
18.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	1390, 1421, 1525
19.	चक्रवर्ती, श्री अजय	1457, 1489, 1508
20.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	1404, 1421
21.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	1416
22.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	1406
23.	चौधरी, श्री बंसगोपाल	1409

1	2	3
24.	चौधरी, श्री अधीर	1393, 1421, 1470, 1508
25.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	1400, 1508
26.	धोत्रे, श्री संजय	1405, 1521
27.	गढ़वी, श्री पी.एस.	1405, 1408, 1419
28.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	1407, 1475, 1498, 1518
29.	गांधी, श्रीमती मेनका	1446, 1483, 1506, 1515
30.	गंगवार, श्री संतोष	1451
31.	जयाप्रदा, श्रीमती	1451, 1486, 1505
32.	जिन्दल, श्री नवीन	1384, 1412, 1466, 1524
33.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1386, 1445, 1526
34.	खारवेनथन, श्री एस.के.	1436, 1482, 1503, 1513
35.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1382, 1403, 1443
36.	कृष्ण, श्री विजय	1428, 1532
37.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारू	1380
38.	महरिया, श्री सुभाष	1447, 1484
39.	महतो, श्री नरहरि	1424, 1498
40.	महताब, श्री भर्तृहरि	1420, 1477
41.	महतो, श्री टेक लाल	1392, 1461, 1492, 1502
42.	माझी, श्री परसुराम	1435, 1481
43.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	1440, 1490, 1510, 1520
44.	माने, श्रीमती निवेदिता	1475, 1498, 1518
45.	मेहता, श्री आलोक कुमार	1400
46.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	1407
47.	मिश्रा, डा. राजेश	1388
48.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	1419
49.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	1391, 1452
50.	मुकीम, मो.	1398
51.	मो. ताहिर, श्री	1449, 1530
52.	मुन्शी राम, श्री	1416
53.	मुर्मू, श्री हेमलाल	1430, 1471
54.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	1433
55.	नन्दी, श्री अमिताभ	1472, 1477
56.	नायक, श्री अनन्त	1378, 1469, 1483, 1501, 1502
57.	निखिल कुमार, श्री	1407, 1470
58.	ओराम, श्री जुएल	1418, 1429
59.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1427
60.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	1374, 1437
61.	पाण्डा, श्री प्रबोध	1400, 1401, 1522
62.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	1418, 1476
63.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	1373, 1471
64.	पासवान, श्री सुकदेव	1462
65.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	1416
66.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1456, 1488, 1507, 1516
67.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	1397, 1521
68.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	1405, 1407
69.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	1449, 1530
70.	प्रधान, श्री प्रशान्त	1496
71.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	1459
72.	राजगोपाल, श्री एल.	1377

1	2	3
73.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	1519
74.	राजेन्द्रन, श्री पी.	1380, 1455
75.	रामदास, प्रो. एम.	1433, 1434
76.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	1514
77.	राणा, श्री काशीराम	1403, 1458
78.	राव, श्री के.एस.	1372, 1473, 1496, 1515
79.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	1423
80.	रावत, श्री कमला प्रसाद	1399
81.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	1425
82.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1415
83.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	1418
84.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	1404, 1421, 1479, 1508
85.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1403, 1441
86.	रिजीजू, श्री कीरेन	1418, 1440, 1520
87.	साय, श्री नन्द कुमार	1478, 1499, 1509, 1529
88.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	1414, 1466
89.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	1417
90.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	1396
91.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	1422, 1471, 1512
92.	शर्मा, श्री मदन लाल	1433, 1434
93.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1448, 1485, 1504, 1514
94.	शिवन्ना, श्री एम.	1421
95.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	1402
96.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	1376, 1416, 1438, 1479, 1495
97.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	1430
98.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	1458
99.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	1510
100.	सिंह, श्री चन्द्रभान	1487
101.	सिंह, श्री मोहन	1477
102.	सिंह, श्री सुग्रीव	1456, 1478, 1488, 1523
103.	सिंह, श्री उदय	1450
104.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	1371
105.	सुगावनम, श्री ई.जी.	1385
106.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	1439
107.	सुमन, श्री रामजीलाल	1393, 1463, 1493
108.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	1381, 1442, 1491
109.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1379
110.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	1471
111.	थामस, श्री पी.सी.	1403, 1455, 1459
112.	दुम्मर, श्री वी.के.	1444
113.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	1402
114.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1426, 1474, 1497, 1511, 1517
115.	रिक्त	1415, 1467, 1494
116.	रिक्त	1393, 1463, 1493
117.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	1387
118.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1453, 1500, 1528, 1531
119.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	1375
120.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	1449, 1530
121.	यादव, श्री मित्रसेन	1411, 1464
122.	यादव, श्री राम कृपाल	1440, 1499
123.	यास्खी, श्री मधु गौड	1407, 1475, 1498, 1518
124.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	1413, 1415, 1465

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

दिनांक 10.12.2008

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	1569, 1651
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	1568
3.	आदित्यनाथ, योगी	1584
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1557, 1669, 1716, 1753
5.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	1545, 1668, 1675, 1715, 1752
6.	अहीर, श्री हंसराज गं.	1562, 1566
7.	अजय कुमार, श्री एस.	1567, 1695, 1739
8.	अजनाला, डा. रतन सिंह	1558
9.	अनंत कुमार, श्री	1584, 1762
10.	अप्पादुरई, श्री एम.	1595, 1709
11.	आठवले, श्री रामदास	1589, 1602, 1674, 1678, 1724
12.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	1543, 1620, 1686, 1748
13.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	1628, 1635, 1691, 1733
14.	बर्मन, श्री हितेन	1560, 1683
15.	भगोरा, श्री महावीर	1559, 1672, 1675, 1720, 1757
16.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	1648, 1659
17.	बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	1536, 1556, 1673, 1721, 1758
18.	बोस, श्री सुब्रत	1560, 1585
19.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	1744
20.	चक्रवर्ती, श्री अजय	1656, 1705
21.	चालिहा, श्री किरिप	1608, 1681
22.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	1589
23.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	1617, 1649, 1704, 1742
24.	चिन्ता मोहन, डा.	1572, 1652
25.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	1650
26.	चौधरी, श्री बंसगोपाल	1760
27.	चौधरी, श्री पंकज	1574, 1644, 1699, 1739
28.	चौधरी, श्री अधीर	1593, 1604
29.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	1760
30.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	1604, 1612, 1667, 1684, 1728
31.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	1558
32.	धोत्रे, श्री संजय	1606, 1680, 1727
33.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	1632, 1714, 1751
34.	गद्दीगठडर, श्री पी.सी.	1576, 1761
35.	गढ़वी, श्री पी.एस.	1591, 1654, 1666, 1713, 1750
36.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	1571, 1578, 1657, 1706, 1744
37.	गांधी, श्रीमती मेनका	1623, 1671, 1718, 1723
38.	गंगवार, श्री संतोष	1600, 1675
39.	घुरन राम, श्री	1563
40.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	1607
41.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	1580
42.	जगन्नाथ, डा. एम.	1574, 1644, 1699, 1739
43.	जटिया, डा. सत्यनारायण	1586, 1675

1	2	3
44.	जयाप्रदा, श्रीमती	1641, 1695, 1736
45.	जिन्दल, श्री नवीन	1538, 1626, 1690, 1732
46.	जोगी, श्री अजीत	1576, 1590, 1664, 1761
47.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1542, 1586, 1618, 1667, 1728
48.	खारवेनथन, श्री एस.के.	1553, 1576, 1629, 1692, 1734
49.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1547, 1622, 1688, 1726, 1731
50.	कुरूप, श्री एडवोकेट सुरेश	1536, 1614, 1707, 1745
51.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	1558
52.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	1579
53.	महरिया, श्री सुभाष	1535, 1546, 1630, 1693, 1735
54.	महतो, श्री नरहरि	1588
55.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	1648
56.	महताब, श्री भर्तृहरि	1603
57.	महतो, श्री टेक लाल	1757
58.	माझी, श्री परसुराम	1577, 1655
59.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	1572, 1660, 1708
60.	माने, श्रीमती निवेदिता	1571, 1578, 1647, 1657, 1700
61.	मनोज, डा. के.एस.	1640, 1697
62.	मसूद, श्री रशीद	1555, 1565, 1582
63.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	1658
64.	मैन्या, डा. टोकचोम	1599
65.	मिश्रा, डा. राजेश	1607
66.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	1654
67.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	1592, 1667, 1687
68.	मोल्लाह, श्री हन्नान	1642
69.	मंडल, श्री अबु अयीश	1564
70.	मुर्मू, श्री हेमलाल	1639, 1702
71.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	1589, 1663, 1708, 1711, 1749
72.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	1597
73.	नायक, श्री अनन्त	1548
74.	निखिल कुमार, श्री	1665, 1712
75.	ओराम, श्री जुएल	1570, 1708
76.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1609, 1682
77.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	1533, 1535, 1619, 1685, 1729
78.	पाण्डा, श्री प्रबोध	1760
79.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	1580
80.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	1534, 1759
81.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	1636, 1649, 1654, 1674, 1698
82.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1598, 1637, 1696, 1737
83.	पाठक, श्री हरिन	1634, 1654, 1725
84.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	1583
85.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	1659
86.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	1538, 1616
87.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	1566
88.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	1540
89.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1624, 1689, 1743
90.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	1549
91.	राजगोपाल, श्री एल.	1642
92.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	1544

1	2	3
93.	रामदास, प्रो. एम.	1557, 1714, 1751
94.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	1550, 1627
95.	राणा, श्री काशीराम	1633, 1643, 1698, 1738
96.	रानी, श्रीमती के.	1613
97.	राव, श्री ई. दयाकर	1646, 1663
98.	राव, श्री के.एस.	1551, 1679, 1726
99.	राव, श्री रायापाति सांबासिवा	1554, 1631, 1644, 1717, 1754
100.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	1594
101.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1574
102.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	1536, 1614, 1707, 1745
103.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1617, 1704, 1728, 1740
104.	रिजीजू, श्री कीरेन	1572, 1660, 1708
105.	साय, श्री नन्द कुमार	1598, 1637, 1696, 1737
106.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	1575
107.	शर्मा, श्री मदन लाल	1557, 1714, 1751
108.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	1555, 1579, 1658, 1742
109.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1557, 1567, 1671, 1719, 1756
110.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	1621, 1675, 1687, 1730
111.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	1611
112.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	1649, 1674, 1752
113.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	1610
114.	सिंह, श्री चन्द्रभान	1561
115.	सिंह, श्री गणेश	1555, 1557, 1744
116.	सिंह, डा. राम लखन	1587
117.	सिंह, श्री रेवती रमन	1635, 1694, 1741
118.	सिंह, श्री सुग्रीव	1598, 1637, 1696, 1737
119.	सिंह, श्री सूरज	1652
120.	सिंह, श्री उदय	1661, 1709, 1746
121.	सिंह, श्री विजयेन्द्र पाल	1605
122.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	1581
123.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	1548, 1552, 1695
124.	सुब्बारायण, श्री के.	1573
125.	सुगावनम, श्री ई.जी.	1692
126.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	1739
127.	सुमन, श्री रामजीलाल	1557, 1572, 1593
128.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	1603, 1638, 1701
129.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1625, 1660
130.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	1660
131.	थामस, श्री पी.सी.	1645
132.	दुम्मर, श्री वी.के.	1541, 1636, 1654, 1668, 1698
133.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1601, 1676, 1722, 1742, 1744
134.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	1596, 1670, 1718, 1755
135.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	1643, 1649, 1703, 1740
136.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	1537, 1677
137.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	1555, 1565
138.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1557, 1662, 1710, 1747
139.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	1571, 1647, 1700
140.	यादव, श्री गिरिधारी	1539, 1633
141.	यादव, श्री मित्रसेन	1615
142.	यास्खी, श्री मधु गौड	1571, 1578, 1647, 1657
143.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	1574, 1653, 1699

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

दिनांक 27.10.2008

कृषि	:	121, 122, 123, 128, 129, 131, 138
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	127, 135, 139
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	124, 125
रक्षा	:	130
श्रम और रोजगार	:	126, 132, 133, 140
वस्त्र	:	136, 137
जल संसाधन	:	134

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

दिनांक 29.10.2008

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला	:	158, 160
उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास	:	
पर्यावरण और वन	:	142, 145, 148, 154, 155, 157
विदेश	:	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	141, 143, 144, 146, 151, 153, 156
प्रवासी भारतीय कार्य	:	159
पंचायती राज	:	152
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	147, 149, 150
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
युवक कार्यक्रम और खेल	:	

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

दिनांक 10.12.2008

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला	:	
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
पर्यावरण और वन	:	164, 166, 171, 172, 174
विदेश	:	170
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	161, 165, 169, 178, 179, 180
सूचना और प्रसारण	:	162
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
पंचायती राज	:	176
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	167, 173, 175, 177
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
युवक कार्यक्रम और खेल	:	163, 168

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

दिनांक 27.10.2008

कृषि	:	1232, 1234, 1237, 1239, 1242, 1243, 1250, 1253, 1254, 1258, 1270, 1279, 1287, 1292, 1293, 1294, 1300, 1305, 1309, 1310, 1311, 1315, 1322, 1323, 1324, 1325, 1329, 1330, 1333, 1338, 1339, 1342, 1349, 1355, 1356, 1359, 1360, 1366, 1367, 1369
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	1241, 1245, 1249, 1255, 1259, 1263, 1264, 1268, 1269, 1275, 1285, 1286, 1291, 1293, 1297, 1299, 1301, 1302, 1302, 1313, 1317, 1319, 1321, 1326, 1327, 1332, 1335, 1336, 1337, 1348, 1352
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	1230, 1231, 1233, 1251, 1262, 1283, 1288, 1289, 1303, 1306, 1312, 1343, 1344, 1345, 1347, 1351, 1353, 1370
रक्षा	:	1236, 1240, 1246, 1247, 1248, 1261, 1266, 1295, 1296, 1307, 1308, 1318, 1320, 1328, 1331, 1350, 1358
श्रम और रोजगार	:	1252, 1256, 1257, 1260, 1271, 1272, 1273, 1276, 1277, 1280, 1281, 1282, 1284, 1290, 1314, 1316, 1334, 1362
वस्त्र	:	1229, 1235, 1265, 1267, 1298, 1346, 1354, 1357, 1363, 1364
जल संसाधन	:	1238, 1244, 1274, 1278, 1304, 1340, 1341, 1361, 1368

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

दिनांक 29.10.2008

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	1418, 1435, 1463, 1464, 1476, 1477, 1480, 1486, 1511
कोयला	:	1401, 1409, 1412, 1431, 1433, 1434, 1464, 1493, 1501, 1521, 1522, 1526
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	1414, 1466
पर्यावरण और वन	:	1372, 1373, 1377, 1378, 1387, 1392, 1424, 1429, 1430, 1432, 1440, 1444, 1445, 1471, 1481, 1487, 1496, 1498, 1510, 1516, 1529, 1530, 1531
विदेश	:	1371, 1374, 1384, 1388, 1390, 1400, 1402, 1404, 1421, 1427, 1451, 1457, 1490, 1491, 1508, 1517, 1519, 1525, 1528
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	1375, 1376, 1381, 1386, 1397, 1398, 1399, 1403, 1405, 1407, 1410, 1411, 1417, 1423, 1426, 1428, 1439, 1442, 1446, 1448, 1450, 1453, 1458, 1459, 1460, 1462, 1478, 1484, 1485, 1489, 1492, 1500, 1502, 1503, 1505, 1506, 1507, 1512, 1514, 1515, 1520, 1523, 1532
प्रवासी भारतीय कार्य	:	1396
पंचायती राज	:	1425, 1472
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	1380, 1383, 1391, 1467, 1479
योजना	:	1382, 1393, 1443, 1468, 1474, 1475, 1488, 1494
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	1379, 1385, 1389, 1395, 1406, 1415, 1416, 1419, 1447, 1449, 1452, 1455, 1456, 1465, 1469, 1470, 1473, 1482, 1495, 1504, 1509, 1513
अंतरिक्ष	:	1394, 1413, 1420, 1436, 1437, 1454, 1483
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
युवक कार्यक्रम और खेल	:	1408, 1422, 1438, 1441, 1494, 1497, 1518, 1524, 1527

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

दिनांक 10.12.2008

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	1548, 1572, 1603, 1652
कोयला	:	1557, 1560, 1586, 1618, 1641, 1671, 1712, 1737, 1760
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	1678, 1732

पर्यावरण और वन	:	1534, 1535, 1539, 1542, 1543, 1549, 1554, 1561, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1585, 1588, 1590, 1592, 1598, 1599, 1600, 1604, 1605, 1619, 1620, 1623, 1628, 1631, 1657, 1661, 1664, 1669, 1677, 1683, 1686, 1697, 1703, 1713, 1714, 1718, 1723, 1724, 1725, 1734, 1736, 1744, 1748, 1761
विदेश	:	1538, 1552, 1558, 1568, 1574, 1594, 1626, 1633, 1644, 1651, 1666, 1688, 1693, 1699, 1719, 1739, 1740, 1742, 1746, 1752, 1759
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	1533, 1536, 1540, 1544, 1545, 1546, 1547, 1555, 1562, 1565, 1567, 1570, 1573, 1575, 1583, 1584, 1591, 1593, 1595, 1607, 1610, 1613, 1614, 1615, 1617, 1622, 1624, 1630, 1632, 1634, 1635, 1637, 1638, 1639, 1648, 1650, 1655, 1660, 1667, 1679, 1681, 1684, 1685, 1687, 1689, 1695, 1702, 1707, 1709, 1722, 1726, 1729, 1730, 1733, 1743, 1745, 1751, 1754, 1762
सूचना और प्रसारण	:	1541, 1550, 1569, 1581, 1596, 1602, 1608, 1627, 1647, 1649, 1663, 1668, 1670, 1673, 1675, 1691, 1700, 1704, 1705, 1721, 1735, 1738, 1750, 1758
प्रवासी भारतीय कार्य	:	1571, 1616, 1629, 1662, 1720, 1755, 1756,
पंचायती राज	:	1653, 1680
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	1553, 1674, 1711, 1715
योजना	:	1642, 1646, 1665, 1682, 1716, 1753
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	1537, 1551, 1556, 1559, 1563, 1582, 1587, 1597, 1601, 1609, 1611, 1621, 1625, 1636, 1640, 1643, 1654, 1658, 1659, 1692, 1694, 1696, 1698, 1701, 1706, 1708, 1717, 1727, 1728, 1731, 1749
अंतरिक्ष	:	1564, 1672, 1676, 1690, 1741
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	1757
युवक कार्यक्रम और खेल	:	1566, 1589, 1606, 1612, 1645, 1656, 1710, 1747.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण, वाद-विवाद के अंग्रेजी संस्करण तथा इनकी अनुक्रमणिकाएं, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन एवं संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिह्न युक्त स्मारक मदें विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110 001 (दूरभाष: 23034726, 23034495, 23034496) पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।